

वार्षिक योजना

2001-02



योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय वस्तु

क्र. सं.	अध्याय सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या	
1.	1	सिंहानवलोकन	1	
2.	2	वित्तीय संसाधन	43	
3.	3	योजना कार्यान्वयन तथा सरकारी क्षेत्रक परिव्यय	87	
		(i) योजना कार्यान्वयन	87	
		(ii) सरकारी क्षेत्रक परिव्यय	99	
4.	4	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	151	
	4.1	ग्रामीण भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम और कार्यनीतियां	151	
	4.2	शहरी गरीबी कम करना	170	
	4.3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	172	
5.	5	सामाजिक विकास	179	
	5.1	मानव विकास - एक विहंगम दृष्टि	179	
	5.2	प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना	180	
	5.3	शिक्षा	186	
	5.4	5.4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	197
			(i) स्वास्थ्य	197
			(ii) भारतीय आयुर्विज्ञान औषधि पद्धति तथा होम्योपेथी चिकित्सा प्रणालियां	237
		(iii) परिवार कल्याण	246	
	5.5	5.5	आवास, शहरी विकास तथा नागरिक सुविधाएं	292
			5.5.1 शहरी आवास	292
			5.5.2 जल आपूर्ति और सफाई	300
	5.6	5.6	समाज विकास	317
			(i) महिलाओं की अधिकारिता तथा बाल विकास	317
			(ii) सामाजिक रूप से अलाभकारी वर्गों का सशक्तिकरण	338
			(iii) समाज कल्याण	353
5.7	रोजगार और श्रम कल्याण	363		
5.8	कला और संस्कृति	392		
5.9	युवा मामले और खेल	397		
6.	6	कृषि, जल संसाधन, खाद्य और पोषण सुरक्षा	403	
	6.1	कृषि	403	
	6.2	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास	425	
	6.3	6.3	खाद्य सुरक्षा और पोषण	450
			(i) खाद्य सुरक्षा	450
			(ii) पोषण	452

7.	7	औद्योगिक विकास (खनिज सहित)	502
8.	8	आधारभूत विकास	560
	8.1	ऊर्जा	560
		(i) विद्युत	560
		(ii) कोयला और लिग्नाइट	573
	8.2	(iii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	586
		परिवहन	612
		(i) रेलवे	612
		(ii) सड़कें	615
		(iii) पत्तन	619
		(iv) पोत परिवहन	622
	8.3	(v) अन्तर्देशीय जल परिवहन	623
		(vi) नागर विमानन	623
		संचार	654
		(i) डाक	654
		(ii) दूरसंचार	657
	8.4	(iii) सूचना और प्रसारण	662
सूचना प्रौद्योगिकी		672	
9.	9	पर्यावरण, वन तथा पर्यटन	681
	(i) पर्यावरण तथा वन	681	
	(ii) पर्यटन	697	
10.	10	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	700
	(i) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	700	
	(ii) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	705	
	(iii) सीमावर्ती क्षेत्र विकास	705	
	(iv) उत्तर-पूर्व परिषद	707	
11.	11	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (मौसम विज्ञान सहित)	709

अध्याय-1

सिंहावलोकन

नौवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के नाते वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना में प्रथम चार वर्षों में लक्ष्यों की तुलना में देश के आर्थिक विकास के निष्पादन का जायजा लेते हुए नौवीं योजना के उद्देश्यों और कार्यनीतियों की एक व्यापक समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। वार्षिक योजना में नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में वित्तीय और भौतिक निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। संबंधित वार्षिक योजनाओं और कुल मिलाकर नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्यों की दृष्टि से, भौतिक और वित्तीय दोनों दृष्टि से, सफलता और असफलता के क्षेत्रों का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

2. नौवीं योजना विगत से स्पष्ट रूप से हटने का द्योतक है। योजना की एक विशिष्ट बात यह है कि इसमें देश की बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों को स्वीकार किया गया है। विगत में परिस्थितियां ऐसी थी कि सभी पिछली योजनाएं इस मत पर आधारित थीं कि आर्थिक संवृद्धि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निवेश योग्य संसाधनों की उपलब्धता द्वारा प्रतिबंधित है तथा ऊंची संवृद्धि दर केवल ऐसे संसाधनों को सुदृढ़ करने के जरिए ही संभव है। नौवीं योजना में कहा गया है कि वर्तमान समय में आर्थिक संवृद्धि और विकास की समस्या केवल निवेश हेतु समग्र संसाधनों की उपलब्धता की ही नहीं है बल्कि आर्थिक पद्धति द्वारा इन संसाधनों को प्रभावी व सुचारु ढंग से खपाए जाने की भी है।

3. सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना में निवेश हेतु सरकार द्वारा निवेशयोग्य संसाधनों की उपलब्धता और उन तक पहुंच का देश में निवेश के स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्षों में निवेश योग्य संसाधनों तक सरकारी पहुंच कोई बड़ी समस्या नहीं समझी जाती थी। तथापि, वर्तमान समय में केन्द्र के तथा लगभग सभी राज्य सरकारों के बजटों पर इतना गम्भीर दबाव पड़ रहा है कि उन्हें अपने चालू खर्च को वहन करने के लिए भी, जैसे कि वेतन और मजदूरी तथा ब्याज अदायगियों के निमित्त भी, उधार लेना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, सरकारी निवेशों पर, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हैं, गम्भीर प्रभाव पड़ा है। सरकारी वित्त पर इतना अत्यधिक दबाव है कि देश में समग्र निवेश में सरकारी निवेश का हिस्सा, जिसका आठवीं योजना के दौरान लगभग 46 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था, आठवीं योजना के अन्तिम वर्षों में घटकर 30 प्रतिशत से भी कम हो गया।

4. योजना में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया गया कि सरकारी संसाधनों का उपयोग अपेक्षाकृत अकुशल ढंग से किया जा रहा है और यदि सरकारी सेवाओं के लिए कार्यान्वयन और प्रदाय तंत्रों की पद्धतियों में सुधार किया जाए तो विद्यमान संसाधनों के बल पर भी कहीं अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में, एक ओर सरकारी निवेश की बहुलता तथा दूसरी ओर निजी निवेश पर पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण की विशेषता से हटकर योजना में एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया है जिसमें और अधिक बाजारोन्मुखी संरचना के अन्दर निजी निवेश और अधिक भूमिका निभाएगा।

5. वार्षिक योजना 2001-02 तैयार करते समय इस बात पर बल दिया गया कि योजना निर्माण में सम्मिलित विभिन्न एजेन्सियों को नौवीं योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना खर्च की प्रभावशालिता बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय सामूहिक रूप से करने चाहिए। योजना व्यय का मानीटरन किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि योजनागत कार्यक्रमों / स्कीमों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारी खर्च की कारगरता सुधारी जा सके। त्रैमासिक निष्पादन समीक्षाएं करने और समय-समय पर योजना स्कीमों के संयुक्त मानीटरन को प्रोत्साहित करने के काम में योजना आयोग को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसा करने से एक उपयोगी पृष्ठसामग्री उपलब्ध हो सकेगी और सम्भवतः विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यद्यपि प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन खोजना आवश्यक है किन्तु कार्यान्वयन में सुधार करने तथा कुछेक सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने तथा धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए निजी पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थानात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना भी महत्त्वपूर्ण है।

6. प्रत्येक विभाग के योजना कार्यक्रमों / स्कीमों के प्राथमिकताकरण पर भी पुनः बल दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए "महत्त्वपूर्ण योजनाएं" तैयार करने के उद्देश्य से चलाया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्यक्रमों पर आबंटनों के अभाव में प्रभाव न पड़े और उन्हें योजना के अनुसार पूरा किया जा सके जिसके फलस्वरूप उनके कार्यान्वयन से प्रक्षेपित लाभ पूरी तरह से प्राप्त किए जा सकें।

7. एक "शून्य आधारित बजट" प्रणाली के अनुसार योजना स्कीमों की समीक्षा करना जरूरी है जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में स्थिति अनुसार संबंधित स्कीमों के साथ-साथ उन्हें जारी रखने अथवा न रखने, उनके अभिसरण का पता लगाया जा सके। इससे निधियों की आवश्यकताओं और योजना आबंटनों के बीच बेमेल को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि खर्च वांछित भौतिक उपलब्धियों के अनुरूप हो। इससे आयोजना पर दिया जाने वाला बल भी निविष्टियों से हटकर परिणामों पर, वित्तीय आबंटनों से हटकर भौतिक लक्ष्यों पर, हो जाएगा। इस प्रक्रिया पर ईमानदारीपूर्वक कार्य करने की जरूरत है ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इसके परिणामों को समेकित किया जा सके। नौवीं योजना का अन्तिम वर्ष होने के नाते वार्षिक योजना 2001-02 में यह वांछनीय होगा कि असाधारण मामलों को छोड़कर जिसके लिए पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किया जाए, कोई नई स्कीम प्रारंभ न की जाए।

8. बजटीय सहायता / उधारों पर निर्भरता को कम करने तथा वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने पर और अधिक बल दिए जाते रहने की जरूरत है। विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पी एस यू) के लिए बजटीय आबंटन को और कम करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। योजना निवेशों के वित्तपोषण के लिए निधियां उधार लेने के उपाय पर तभी विचार किया जाना चाहिए जबकि ऐसी निधियों से किए जाने वाले निवेशों का पर्याप्त फल प्राप्त हो। चूंकि अपने-अपने योजना परिव्ययों के वित्तपोषण के लिए आन्तरिक तथा बजट-बाह्य संसाधन जुटाने में कुछेक सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पी एस यू) का निष्पादन निराशाजनक रहा है, इसलिए इस जरूरत के कारणों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि बजट में किए गए तथा संशोधित वास्तविक योजनागत परिव्ययों के बीच के अन्तर को कम किया जाए, ताकि प्रक्षेपित सरकारी निवेश के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

9. इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि अक्टूबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नए उपायों" के अनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को अपने बजट का कम से कम दस प्रतिशत भाग उत्तर-पूर्व के लिए (विशिष्ट रूप से छूटप्राप्त को छोड़कर) विनिश्चित करना आवश्यक है।

हाल ही की आर्थिक घटनाएं तथा वर्ष 2001-2002 के लिए सम्भावनाएं

10. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) की परिकल्पना, ऊंची संवृद्धि के लगातार तीन वर्षों की पृष्ठभूमि में की गई थी जबकि अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में दृढ़ता के अनेक संकेत दिखाई पड़ते हैं किन्तु कुछ समस्याएं भी घरे हुए हैं। सौभाग्यवश, आर्थिक संवृद्धि में तेजी आई है जो 1997-98 में 4.8 प्रतिशत के न्यून स्तर से 1998-99 में 6.6 प्रतिशत, 1999-2000 में 6.4 प्रतिशत और 2000-01 में 5.2 प्रतिशत हो गई। कृषि की पृथक रूप से संवृद्धि दर, जिसका स.घ.उ. (जी डी पी) में 26.6 प्रतिशत हिस्सा है, 2000-01 में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर और विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर, जिसका स. घ. उ. में 17 प्रतिशत हिस्सा है, 5.6 प्रतिशत रही, जैसा कि संलग्नक 1.1 में दर्शाया गया है। औद्योगिक उत्पाद के सूचक के अनुसार वर्ष 2000-01 के दौरान औद्योगिक संवृद्धि लगभग 5 प्रतिशत हुई जबकि इसके पहले वर्ष में यह 8 प्रतिशत थी। यद्यपि विनिर्माण क्षेत्र में संवृद्धि जो 1999-2000 में 9 प्रतिशत थी, 2000-01 में कम होकर 5.3 प्रतिशत तथा विद्युत क्षेत्र में 1999-2000 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2000-01 में 4 प्रतिशत रह गई, तथापि खनन और उत्खनन में 0.6 प्रतिशत से सुधरकर 2000-01 में 3.6 प्रतिशत हो गई। अच्छे मानसून के कारण शानदार कृषि सम्भावनाओं की वजह से वर्ष 2001-02 में अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि दर 6.0 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

11. यद्यपि अर्थव्यवस्था का समग्र संवृद्धि निष्पादन नौवीं योजना के पांच वर्षों के संबंध में परिकल्पित लक्ष्यों से मामूली रूप से कम हो सकता है, तथापि निष्पादन का हाल ही के वर्षों में अनेक असाधारण परिस्थितियों के सदंर्भ में मूल्यांकन करना होगा। वर्ष 1997 में पूर्व एशियाई संकट का भारत में विदेशी निवेश पर तथा हमारे सम्भाव्य निर्यात बाजारों पर भी प्रतिगामी प्रभाव पड़ा। वर्ष 1998 में कुछ देशों द्वारा आरोपित आर्थिक पाबन्दियों से भी कुछ अनिश्चितता आई है। 1999 में कारगिल संघर्ष और वर्ष 2000 में तेल कीमतों में तेज वृद्धि भी दो अन्य घटनाएं थी। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर अर्थव्यवस्था का निष्पादन सराहनीय रहा है तथा उस लचीलेपन को प्रदर्शित करता है जो इसमें आया है। इन सभी घटनाओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक सुधारों को तेज तथा व्यापक बनाने का अपना उद्देश्य जारी रखा है।

12. फरवरी 2001 में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में अनेक सुधारों की घोषणा की गई जैसे कि ब्याज दर में कटौती, निगमित तथा वैयक्तिक कर पर अधिभार को हटाना, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय तथा श्रमिक कानूनों में कठोरताओं को दूर करना। तथापि, सुधारोन्मुखी बजट की सकारात्मक प्रतिक्रिया, शेयर बाजार में गिरावट, बैंकिंग घोटाले और विश्वव्यापी मन्दी की आशंकाओं के कारण, समाप्त हो गई। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के कतिपय खण्डों में कमियों को गम्भीरता से लिया। बैंकों को विशेष रूप से छोटे बैंकों को कुछेक बैंकिंग संस्थाओं को शेयरों के प्रति अग्रिमों को सीमित करने के माध्यम से, संकट से बचाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए। इसके अलावा, बैंकों की प्रचालन संबंधी कार्यकुशलता में सुधारों पर बल देकर, वित्तीय क्षेत्रक सुधारों को और आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनसे मध्यवर्ती लागतों में

कमी आने और इस प्रकार और आगे उधार दरों में कमी होने की उम्मीद है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु मानदण्डों में भी ढील दी गई है, जिनमें रक्षा, औषधि निर्माण, बैंकिंग, होटल तथा दूरसंचार शामिल हैं।

13. आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि इससे भौतिक और सामाजिक ढांचे में निवेशों से समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है। तथापि, उंचे राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के कारण, ऐसा करने की इसकी क्षमता में गम्भीर रूप से कमी आई है। केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा बढ़कर स.घ.उ. के 3.6 प्रतिशत के बजटीय लक्ष्य से बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया तथा राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 5.3 प्रतिशत हो गया जबकि 2000-01 में बजटीय लक्ष्य 5.1 प्रतिशत था।

14. वर्ष 2000-01 के दौरान ब्राडमनी (एम 3) का वृद्धि स्तर लगभग 16 प्रतिशत प्रति वर्ष बनाए रखा गया। जनता के पास करेसी जो 1999-2000 में 11.7 प्रतिशत थी वर्ष 2000-01 में कम होकर 10.8 प्रतिशत रह गई जबकि मांग जमा में 9.9 प्रतिशत की, सावधि जमा में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जैसा कि सलंगनक 1.2 में दर्शाया गया है। सरकार को निवल बैंक क्रेडिट में विस्तार को 2000-01 में 16.2 प्रतिशत पर सीमित रखा गया जबकि पिछले वर्ष यह 14.2 प्रतिशत था। इसके विपरीत, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक क्रेडिट में वृद्धि 2000-01 में कम अर्थात् 14.3 प्रतिशत पर थी जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 16.6 प्रतिशत थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2001-02 में इसमें सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है। हाल ही में घोषित क्रेडिट नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग पद्धति को विश्व स्तरों की दिशा में लाने का प्रयास किया है।

15. नौवीं योजना के दौरान निर्यात में 11.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर के लक्ष्य के विपरीत नौवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान निर्यात में वृद्धि काफी कम थी। वर्ष 1999-2000 में निर्यात में बदलाव आया और वृद्धि दर दो अंकों में अर्थात् 13.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2000-01 के दौरान 19.8 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि प्राप्त की गई जो वर्ष के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गई। इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले दशक के दौरान विश्व निर्यात वृद्धि की तुलना में हमारी निर्यात वृद्धि लगातार अच्छी रही है तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मन्दी के बावजूद अच्छी निर्यात संवृद्धि होने की सम्भावना है। इसमें जो अन्य कारक सहयोग दे रहे हैं उनमें निर्यात की परम्परागत मदों में सुधार, रुपए का अवमूल्यन, निम्न घरेलू मुद्रास्फीति, दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुद्धार तथा विश्व कीमतों में कुछ पुनः सुधार शामिल हैं।

16. निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने, निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करने और इलैक्ट्रॉनिक करोबार को प्रोत्साहित करने और बाजार विकास प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के वास्ते एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। एस ई जेड का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पादन हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय बाधामुक्त वातावरण कायम करना है। नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत, वस्त्र क्षेत्रक में बड़े निवेशों के प्रवाह पर प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। कपड़ा क्षेत्रक को लघु उद्योग आरक्षण सूची से हटा दिया गया है जिससे कि बिना किसी शर्त के जैसे कि अनिवार्य निर्यात दायित्व, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह बाधरहित हो सके।

17. नौवीं योजना में 10.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष का वार्षिक आयात संवृद्धि लक्ष्य रखा गया था। औद्योगिक विकास की देशज कमी के कारण पहले चार वर्षों के दौरान औसत आयात वृद्धि लगभग 5.0 प्रतिशत पर

काफी कम थी, यद्यपि 11.4 प्रतिशत की संवृद्धि के साथ 1999-2000 में दृढ़ पुनरुद्धार हुआ था जिसकी वजह अन्तर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेजी के कारण पेट्रोलियम कूड़ और उत्पाद आयातों में काफी वृद्धि हुई। किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान के उद्देश्य से अनेक कृषि मदों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। निर्यात-आयात (एक्जिम) नीति 2001-02 में 715 मदों के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबन्धों को दूर कर दिया गया जिससे 1991 में शुरू की गई क्रमिक व्यापार नीति के उदारीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

सरकारी क्षेत्रक योजना

18. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 2171 हजार करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई थी। कुल निवेश में सरकारी क्षेत्रक के 33.4 प्रतिशत हिस्से का पूर्वानुमान है जो 1996-97 कीमतों पर 8,59,200 करोड़ रुपए बैठता है। वार्षिक योजना 2000-01 में 2,03,360 करोड़ रुपए के सरकारी क्षेत्रक परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसके विपरीत संशोधित व्यय चालू कीमतों पर 1,87,32 करोड़ रुपए है जैसा कि संलग्नक 1.3 में दर्शाया गया है। 1996-97 कीमतों पर यह नौवीं योजना सरकारी क्षेत्रक परिव्यय का लगभग 17.2 प्रतिशत होगा। देखा गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान सरकारी क्षेत्रक ने योजना आबंटन के केवल 82.7 प्रतिशत का उपयोग किया जैसा की तालिका 1.1 में दर्शाया गया है। सरकारी क्षेत्र योजना आबंटन के उपयोग में कमी मुख्यतः केन्द्रीय विभागों तथा राज्यों द्वारा आन्तरिक संसाधनों को अपर्याप्त रूप से जुटाने के कारण हुई।

तालिका 1.1

वार्षिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र योजना व्यय

वर्ष	कुल	नौवीं योजना के कुल प्रावधान का प्रतिशत
1997-98 (वास्तविक)		14.3
1998-99 (वास्तविक)		15.1
1999-2000 (वास्तविक)		16.5
2000-01 (स. अ.)		17.2
2001-02 (ब. अ.)		19.6
जोड़ (1997-2002)		82.7

19. नौवीं योजना के लिए अनुमोदित सरकारी क्षेत्र परिव्यय केन्द्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 56 प्रतिशत और 44 प्रतिशत के अनुपात में था। नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान सरकारी क्षेत्र योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का औसत हिस्सा, जो 43.46 प्रतिशत बैठता है, नौवीं योजना के लिए परिकल्पित की तुलना में ज्यादा है जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

नौवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र योजना परिव्यय
में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा

	प्रतिशत
नौवीं योजना (प्रक्षेपित)	43.0
1997-98 (वास्तविक)	45.4
1998-99 (वास्तविक)	43.7
1999-2000 (वास्तविक)	43.2
2000-01 (सं. अ.)	42.2
2001-02 (ब. अ.)	42.8

केन्द्रीय क्षेत्र योजना

20. नौवीं योजना के दौरान 1996-97 की कीमतों पर केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 4,89,361 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। वास्तविक दृष्टि से यह क्षेत्र केवल 82 प्रतिशत का उपयोग कर सका जो काफी कम है जैसा कि संलग्नक 1.4 में दर्शाया गया है। वर्ष 2001-2002 में केन्द्रीय योजना परिव्यय का बजट 1,30,181 करोड़ रुपए है जो 1,08,587 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 19.9 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। वास्तविक दृष्टि से, क्षेत्रकीय परिव्ययों में पर्याप्त वृद्धि हुई। सामान्य आर्थिक कार्यकलापों के लिए 385 प्रतिशत की वृद्धि की गई है (विनिवेश लक्ष्य की प्राप्ति की शर्त पर 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई), उसके बाद सामान्य सेवाओं के लिए 28 प्रतिशत, ऊर्जा 22.1 प्रतिशत, सामाजिक सेवाएं 15.5 प्रतिशत और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

21. राजकोषीय घाटे के लक्ष्य स्तर के अनुरूप केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता पांच वर्ष की अवधि 1997-2002 के लिए 2,03,982 करोड़ रुपए रखी गई (संलग्नक 1.3)। वास्तविक दृष्टि से, इन वर्षों के दौरान वास्तविक उपयोग नौवीं योजना प्रावधान का लगभग 87 प्रतिशत है। क्षेत्रकों ने, जैसेकि सामाजिक सेवाओं ने 38 प्रतिशत, परिवहन ने 15 प्रतिशत, ग्राम विकास ने 12 प्रतिशत और ऊर्जा ने 10 प्रतिशत का उपयोग किया है। चालू वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 1996-97 की कीमतों पर बजटीय सहायता में 2000-01 की तुलना में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जैसा कि संलग्नक 1.5 में दिखाया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय विभागों के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधन, वास्तविक दृष्टि से, 2000-01 की तुलना में 10.6 प्रतिशत अधिक हैं जैसा कि तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विभागों का वित्तपोषण
(1996-97 कीमतों पर)

	बजटीय सहायता	आन्तरिक और बजटेतर संसाधन (आई. एण्ड ई. बी. आर.)	कुल परिव्यय
नौवीं योजना (1997-2002)	203982	285379	489361
1997-98 (वास्तविक)	30722	36356	67078
1998-99 (वास्तविक)	32137	40782	72919
1999-2000 (सं. अ.)	33139	44139	80278
2000-01 (सं. अ.)	37956	47431	85387
2001-02 (ब. अ.)	44107	52466	96573
जोड़ (1997-2002)	178061	224174	402235
नौवीं योजना का प्रतिशत	87	79	82

22. क्योंकि सरकारी क्षेत्र कार्यक्रमों का उद्देश्य मानव विकास तथा सरकार द्वारा स्वयं गरीबों की सहायता करना है, जो कि उद्यम से भिन्न है, इसलिए योजना के बजटीय संसाधनों के आबंटन की पद्धति ऐसे कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना द्वारा दी गई सहायता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मानव विकास, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास तथा बुनियादी जरूरतों, यथा पेय जल और आवास, शहरी विकास तथा विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए, नौवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान बजटीय सहायता के घटक में तेजी से वृद्धि हुई है जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4

सामाजिक सेवाओं के लिए केन्द्रीय योजना में
बजटीय सहायता

अवधि	प्रतिशत
1997-98	35.7
1998-99	38.5
1999-2000	38.5
2000-2001	39.4
2001-2002	39.7

राज्य क्षेत्र योजना

23. नौवीं योजना के कुल प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों का वास्तविक कुल व्यय, वास्तविक दृष्टि से, अनुपात के अनुसार बहुत कम रहा है, जैसा कि तालिका 1.5 में दर्शाया गया है। नौवीं योजना के दौरान अनुमान है कि पांच वर्षों के कुल परिव्यय का केवल 84 प्रतिशत का उपयोग किया गया, यह मानते हुए कि वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2001-02 के बजट अनुमान मूर्त रूप लें, जैसाकि संलग्नक 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य योजना परिव्यय का उपयोग
(1996-97 कीमतों पर)

वर्ष	प्रतिशत
1997-98 (वास्तविक)	15.2
1998-99 (वास्तविक)	15.4
1999-2000 (वास्तविक)	16.7
2000-01 (सं.अ.)	16.8
2001-02 (ब. अ.)	19.6

24. वर्ष 2000-01 के दौरान चालू कीमतों पर राज्य योजना के लिए 74972 करोड़ रुपए का संशोधित व्यय, जो वर्ष के लिए कुल सरकारी क्षेत्रक परिव्यय का लगभग 40 प्रतिशत बैठता है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों के लिए किए गए प्रावधान के अनुपात से बहुत कम है। वार्षिक योजना 2000-01 में केवल 9 राज्यों ने संशोधित अनुमानों के साथ व्यय की दृष्टि से अच्छा निष्पादन किया है जैसा कि संलग्नक 1.7 में दर्शाया गया है। इन राज्यों में शामिल हैं: असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, और तमिलनाडु। बिहार के संबन्ध में संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में 44 प्रतिशत कम रहे, उसके बाद 29 प्रतिशत के साथ पश्चिम बंगाल का स्थान है। शेष राज्यों में एक से 26 प्रतिशत तक की कमी रही।

25. कुछ क्षेत्रों द्वारा उनकी भू-भौतिक संरचना तथा सदृश सामाजार्थिक विकास के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुने हुए पर्वतीय क्षेत्रों का परिस्थितिकीय संधारणीय समाजार्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यक्रम की कार्यकुशलता का एक तुलनात्मक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने का प्रस्ताव है। पांच राज्यों, यथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा में पश्चिमी घाटों को मिलाकर 159 तालुकों में सघन वाटरशेड आधार पर एकीकृत ढंग

से पारि-परिक्षण, पारि-विकास और पारि-पुनरुद्धार जैसे विकास कार्यकलाप शुरू करने के वास्ते एक पृथक पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के वास्ते दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम / पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के संबंध में एक कार्यदल गठित किया गया है ताकि इन कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाया जा सके। पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों, यथा जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमा क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था। आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और इसका कवरेज बढ़ाकर इसका विस्तार बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा वाले राज्यों तक कर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इसका विस्तार, राज्य सरकारों तथा गृह मंत्रालय की मांगों को ध्यान में रखते हुए सभी भूमि सीमाओं तक कर दिया गया। बी ए डी पी का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट दुर्गम और दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है।

कृषि और सम्बद्ध सेवाएं तथा सिंचाई

26. कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का सदा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में अकेले ही सबसे अधिक योगदान देते हैं जो कुल का लगभग 27 प्रतिशत बैठता है तथा देश में कुल श्रमिक बल के लगभग 65 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि विकास पर बल अनिवार्यतः सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन दुगुना करने तथा दस वर्ष में भारत को भूख-मुक्त करने और बाद में निम्नलिखित तीन-आयामीय कार्यनीति की घोषित खाद्य सुरक्षा संबंधी नीति पर आधारित है: (i) कृषि उत्पादकता बढ़ाकर और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक कार्यकलापों में सवृद्धि करके समग्र रोजगार और आय में वृद्धि करना, (ii) निर्धनता उन्मूलन स्कीमों के माध्यम से लाभप्रद पूरक रोजगार की व्यवस्था करना; और (iii) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के जरिए खाद्यान्न का वितरण।

27. भारत में कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर है जहां बोया गया निवल क्षेत्र का 62 प्रतिशत वर्षापोषित है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन जो 1997-98 में 192.26 मिलियन टन था 1999-2000 में बढ़कर 208.87 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2000-01 के दौरान क्षेत्र के केवल 70 प्रतिशत और देश के 66 जिलों में सामान्य से लेकर अत्यधिक वर्षा हुई तथा 135 जिलों में कम वर्षा हुई। जनवरी 2001 में गुजरात में आए बड़े भूकम्प से खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है और कृषि तथा सहकारिता विभाग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2000-01 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन लगभग 196.07 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 212 मिलियन टन का था। चावल और गेहूं का उत्पादन घटकर क्रमशः 86.30 मिलियन टन और 68.46 मिलियन टन होने की सम्भावना है जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान 87.50 मिलियन टन चावल और 75.60 मिलियन टन गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। चूंकि नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान निष्पादन परिकल्पना के अनुसार नहीं रहा इसलिए नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए पूर्व में निर्धारित 234 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य संशोधित करके 218 मिलियन टन कर दिया गया है जिसमें 203 मिलियन टन अनाज तथा 15 मिलियन टन दालें शामिल हैं। राज्यों को कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम विनिर्धारित करते हुए कार्य-योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है। वर्ष 2000-01 के दौरान 27 चालू स्कीमों को "कृषि का बृहत प्रबंधन" नामक एक व्यापक कार्यक्रम के तहत

एकीकृत कर दिया गया है तथा कार्य-योजना उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की गई है। परिकल्पना की गई है कि कार्यक्रम से समर्थनकारी कार्यक्रमों की उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने के लिए राज्यों को अधिक ढील प्राप्त होगी।

28. बागवानी क्षेत्रक कृषि उद्योगों के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान करता है और जनसाधारण की पोषण स्थिति सुधारने के अलावा शहरी तथा ग्रामीण-दोनों ही क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है। औषधीय तथा सुगन्धित पौधे, फूलों की खेती, मशरूम आदि बागवानी के उभरते क्षेत्र हैं। अच्छी कोटि के बीज, स्वस्थ / विवेकपूर्ण पौधारोपण, सामग्री की अधिक उपलब्धता और आधारभूत ढांचे के विकास की दृष्टि से बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागवानी की उत्पादकता और कोटि में सुधार लाने के लिए सभी प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन वर्ष 2000-01 के अन्त में शुरू किया गया है।

29. नौवीं योजना में पशुधन की जननिक क्षमता के वैज्ञानिक प्रबंधन और स्तरोन्नयन, पर्याप्त पशु स्वास्थ्य देख-रेख विकसित करके, जिसमें पशु रोगों का नियंत्रण, अच्छी कोटि का फीड और चारे का उत्पादन, डेयरी संसाधन तथा प्रसंस्करण की स्थापना और पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में विपणन ढांचा आदि शामिल है, पशुधन उत्पादकता सुधारने पर बल दिया गया। खाद्य उत्पादन दुगुना करने की नीति के अनुसरण में पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने पशुधन उत्पादों के त्वरित विकास के लिए कार्रवाई योजना स्कीमों के रूप में दस स्कीमों विनिर्धारित की हैं तथा आधारिक सुविधाओं के सृजन, पशुप्लेग के उन्मूलन और कत्लगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित 16 स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रहा है।

30. भारत के पास सफल कुक्कुट उत्पादन की आवश्यक प्रौद्योगिकी तथा क्षमताएं मौजूद हैं। भारत विश्व में पॉचवां सबसे बड़ा अण्डा उत्पादक है तथा चूजा उत्पादन में इसका स्थान उन्नीसवां है। वर्ष 2000-01 के दौरान अण्डा उत्पादन 32.5 बिलियन होने की प्रत्याशा है और परिकल्पना है कि 35 बिलियन अण्डा उत्पादन का नौवीं योजना लक्ष्य 2001-02 में प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में कम से कम दो बत्तख / कुक्कुट फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ, सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में नौवीं योजना के दौरान "राज्य कुक्कुट / बत्तख फार्मों को सहायता" की एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम आरंभ की गई है। कार्यक्रम का अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जाएगा।

31. मत्स्य पालन क्षेत्रक का भारत के समाजार्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्रक लगभग 3.84 मिलियन को पूर्णकालिक अथवा अशंकालिक मछेरों को रोजगार प्रदान करता है तथा साथ ही लगभग इतनी ही संख्या में लोगों को मत्स्य पालन से जुड़े सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। नौवीं योजना में मत्स्य पालन के संधारणीय विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बल दिया गया है तथा इसका उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता को इष्टतम बनाना, समुद्रीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, रोजगार पैदा करना तथा मछेरों और मत्स्यपालकों की समाजार्थिक स्थितियां सुधारना है। निर्यात के जरिए मत्स्य क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख योगदानकर्ता है तथा वर्ष 2000-01 के दौरान मछलियों और मत्स्य उत्पादों के निर्यात से 6308 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

32. नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि समग्र विकास और निर्धनता उन्मूलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सके। बढ़ती हुई आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के वास्ते सिंचाई एक महत्वपूर्ण निविष्टि है। देश में निवल बुवाई क्षेत्र 140-141 मिलियन हेक्टेयर पर स्थिर होने के कारण सिंचाई का और विस्तार जिसमें सिंचाई क्षमताओं का आधुनिकीकरण / पुनरुद्धार शामिल है, कृषि की लक्षित विकास दर प्राप्त करने के वास्ते एक महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में आवश्यक है।

33. सिंचाई क्षेत्रक में कुछेक प्रमुख मुद्दे तथा प्रभाव ये, यह हैं कि पहली योजना से ही अधिकाधिक नई परियोजनाएं शुरू करने की प्रवृत्ति रही है जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं का अनावश्यक विस्तार हुआ है, संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा फैलाव हुआ है और फलतः समय और लागतों में वृद्धि हुई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के विकास हेतु नीति, चालू परियोजनाओं को, विशेष रूप से उन परियोजनाओं को पूरा करने की है जिन्हें पांचवीं योजना से पहले और पांचवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। अनुमोदित, चालू, बड़ी/ मझौली सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) शुरू किया गया था जिसके तहत उन परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिनके संबंध में योजना आयोग ने निवेश स्वीकृति प्रदान कर दी है। ए आई बी पी के तहत लघु सिंचाई स्कीमें सहायता हेतु पात्र नहीं है। तथापि, वर्ष 1999-2000 से नई तथा पहले से चल रही लघु सिंचाई स्कीमें, विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में, यथा उत्तर-पूर्वी राज्य, और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय राज्य तथा उड़ीसा के कालहांडी, बोलनगीर-कोरापुट (के बी के) जिले, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र हो गई हैं। इसके अलावा संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को 2:1 अनुपात में दी जाती है (केन्द्र : राज्य) / विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में निधियन का अनुपात 3:1 है। उड़ीसा के के बी के जिलों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं को, जहां तक निधियन पद्धति का संबंध है, विशेष श्रेणी राज्यों के बराबर समझा जाता है। ए आई बी पी के लिए, 1999 के मार्गनिर्देशों के तहत कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए उन बड़ी / मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है जो निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। उड़ीसा के के बी के जिलों को लाभान्वित करने वाली निर्माण के प्रारम्भिक स्तरों वाली सिंचाई परियोजना इसमें नहीं आती।

34. अधिकांश राज्यों में इस समय बहुत कम सिंचाई जल दरें हैं जिनमें काफी भिन्नताएं है तथा उनमें से कुछेक ने विगत 2-3 दशकों से उन्हें संशोधित नहीं किया है। अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्य (असम और मणिपुर के अलावा) कोई सिंचाई जल दर प्रभारित नहीं करते हैं। वार्षिक योजना 2001-02 पर चर्चा करने के लिए कार्य दलों की बैठकों के दौरान राज्य सरकारों से जल दरें संशोधित करने का अनुरोध किया गया है जिससे कि वे इस स्तर पर पहुंच जाए कि कम से कम ओ एण्ड एम खर्च कवर हो जाए। उन्हें स्थापना लागतों में कटौती करने और जल दरों की संग्रहण कार्यकुशलता सुधारने की भी सलाह दी गई है। महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जहां सिंचाई जल दरें एक समय में पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रावधान के साथ, घोषित की जाती हैं जिससे कि पूर्ण ओ एण्ड एम लागत तथा साथ ही सिंचाई बोर्डों के माध्यम से जुटाई गई सार्वजनिक जमाओं पर देय ब्याज भी कवर हो सके। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, और उड़ीसा ने हाल ही में जल दरें संशोधित की हैं।

35. कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में विद्यमान पद्धतियों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के जरिए जल उपयोग की कार्यकुशलता तथा जल वितरण और क्षेत्र स्तरीय प्रबंधन नीतियों में सुधार करने के वास्ते उपाय करने की जरूरत है। इष्टतम जल उपयोग कार्यकुशलता हेतु एक पूर्वापेक्षा के रूप में भू-समेकन पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है। संबंधित संगठनों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करके जहां आवश्यक हो, केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर परियोजनाओं के बारीकी से मानीटरन और मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है।

सामाजिक ढांचा

36. निर्धनता उन्मूलन नियोजित विकास का एक प्रमुख उद्देश्य है तथा लोगों के जीवन स्तर और उनकी रोजगार क्षमता को प्रभावित करने वाले सामाजिक ढांचे की अपर्याप्तता निर्धनता का एक प्रमुख निर्धारक है। यह माना जाता है कि आमदनी में उंची वृद्धि होना ही गरीबों के जीवन स्तर को सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक कि देश के सभी नागरिकों और विशेष रूप से गरीबों को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्राप्त नहीं होती तब तक उनकी रहन-सहन की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ऐसी सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं-सुरक्षित पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, स्कूली तथा पूर्व-स्कूली बच्चों को पोषाहार, गरीबों के लिए आश्रय, सभी गांवों और बस्तियों को सड़कों से जोड़ना और गरीबों पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) - विनिर्धारित की गई हैं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों तथा पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी में इनकी व्यवस्था करने में एक न्यूनतम सन्तुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करने पर विशेष बल दिया गया है।

37. वर्ष 2000-01 में, ग्राम स्तर पर संधारणीय मानव विकास प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए पांच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में यथा स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेय जल, आवास और ग्रामीण सड़कें- सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा सृजित करने पर बल देते हुए उक्त बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम को पुनर्गठित करके "प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई)" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था। तथापि, पी एम जी वाई के लिए राज्यों के बीच अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वितरित करने के लिए आधार वही है जो पिछली बी एम एस के संबंध में था। यह निर्णय किया गया था कि पी एम जी वाई के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल आबंटन का कम से कम 15 प्रतिशत ऊपर वर्णित पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए आबंटित किया जाना चाहिए। इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना निर्धनता उन्मूलन के लिए सर्वाधिक प्रभावी तंत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार सृजन करने हेतु विशिष्ट रूप से तैयार किए गए निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों का 1999-2000 में पुर्नगठन और पुनर्निर्माण किया गया है ताकि गरीबों पर उनकी कार्यकुशलता / प्रभाव में वृद्धि हो सके तथा उनकी संधारणीयता में सुधार हो सके।

38. एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा मिलियन वैल्स स्कीम (एम डब्ल्यू एस), जिसका कार्यान्वयन बन्द हो गया है, के साथ-साथ सम्बद्ध कार्यक्रमों की पिछली स्कीमों की कमजोरियों और अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1999 में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) आरंभ की गई थी। पुर्नगठन का उद्देश्य, स्व:रोजगार के सभी पहलुओं को कवर करते हुए तथा ग्रामीण निर्धनों को स्वयंसेवी समूहों में आयोजित करने के लिए लघु उद्योगों के माध्यम से संधारणीय आय उपलब्ध कराने में

कार्यक्रम को और अधिक कारगर बनाना था। इसे केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में निधियन के साथ एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

39. ग्रामीण समुदाय की अनुभव की गई जरूरतों के अनुसार ग्रामीण ढांचे के सृजन पर बल देने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) का जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) के रूप में पुर्नगठन किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्राम स्तर की टिकाऊ परिसम्पत्तियों सहित मांग प्रेरित सामुदायिक ग्रामीण ढांचा कायम करना है ताकि ग्रामीण निर्धन संधारणीय रोजगार हेतु अवसर बढ़ा सकें। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार निर्धनों के लिए पूरक रोजगार का सृजन करना है। कार्यक्रम के अर्न्तगत मजदूरी रोजगार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिया जाता है। कार्यक्रम को केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में निधियन के साथ एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

40. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) का, जिसे 1993 में प्रारंभ किया गया था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए हाथ से काम करने के माध्यम से मजदूरी रोजगार की गम्भीर कमी वाली अवधि के दौरान अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अवसर सृजित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ एक ही मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में, पुर्नगठन किया गया। इसका एक अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य संधारणीय रोजगार और विकास हेतु टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला परिषदों अथवा जहां जिला परिषदें विद्यमान नहीं हैं वहां (डी आर डी ए) के माध्यम से किया जाता है।

41. वृद्धावस्था, प्रमुख रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शतप्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) न्यूनतम राष्ट्रीय रहन-सहन स्तर सुनिश्चित करने तथा सामाजिक संरक्षण स्कीमों पर पहले ही राज्यों द्वारा दिए जा रहे लाभों के अलावा केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाता है। आय के अपने स्रोतों अथवा परिवार के सदस्यों से सहायता व अन्य स्रोतों से आजीविका के बहुत कम अथवा कोई नियमित साधन न होने की दृष्टि से निराश्रित 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन (75 रुपए प्रति मास) प्रदान करने वाली राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एन ओ ए पी एस) तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एन एफ बी एस), जिसके तहत प्रमुख आजीविकाकर्ता की प्राकृतिक अथवा दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने के कारण, मृत्यु की स्थिति में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, दो घटक हैं जो एन एस ए पी के अंग हैं।

42. एक शतप्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में अप्रैल 2000 में शुरू की गई अन्नपूर्णा स्कीम का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के पात्र होते हुए भी उसके अर्न्तगत कवर नहीं हुए हैं। इस स्कीम के तहत प्रति लाभार्थी को दस किलोग्राम प्रतिमास की दर से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण हेतु विद्यमान अवस्थापना तक उनकी पहुंच को ध्यान में रखते हुए राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों को इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाया गया है।

43. विभिन्न निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी आर डी ए) परम्परागत रूप से प्रमुख अंग रही है। निर्धनता-रोधी प्रयासों को समन्वित करने के लिए जिला स्तर पर एक प्रभावी एजेन्सी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र और राज्यों के बीच 75.25 अनुपात के आधार पर निधियन के साथ अप्रैल 1999 में "डी आर डी ए प्रशासन को सुदृढ़ करने" के लिए एक नई केन्द्र-प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। डी आर डी ए को एक ओर निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए समर्थ तथा दूसरी ओर इन्हें जिलों में निर्धनता उन्मूलन के समग्र प्रयासों के साथ कारगर ढंग से सम्बद्ध करने के लिए एक विशेषज्ञ तथा व्यावसायिक एजेन्सी के रूप में परिकल्पित किया गया है।

44. ग्रामीण निर्धनों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त हुए बधुआ मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गैर-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लोगों को निःशुल्क रिहायशी इकाइयां उपलब्ध कराने के लिए इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) सार्वधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित आवास स्कीम बनी हुई है।

45. सरकार के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय बढ़ती उत्पादकता और एक समुचित स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ श्रमिक कल्याण का सुधार करना है। श्रम कानूनों की समीक्षा करना तथा नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ उनका तालमेल स्थापित करना; सक्षम स्थानिक विशिष्ट और स्वःवित्तपोषण पद्धति कायम करने के प्रयासों के जरिए श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान का विस्तार करना और अत्यंत विपरीत कार्य परिस्थितियों का सामना कर रहे श्रमिकों की स्थिति सुधारना, नौवीं योजना के दौरान श्रम और रोजगार क्षेत्रक के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं। इस सदर्भ में, वर्ष 2000-01 के दौरान ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में स्वःरोजगार हेतु परिवेश उपलब्ध कराने के लिए अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से, बाल तथा बधुआ मजदूर जैसी अवांछनीय प्रथाओं के उन्मूलन तथा श्रमिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन सी एल पी) कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान काम से हटाए गए लगभग दो लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए बाल श्रम ग्रसित राज्यों में 96 एन सी एल पी मंजूर की गई हैं। श्रमिक वर्ग के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न अन्य स्कीमें, जैसे कि कुशलता विकास हेतु प्रशिक्षण, रोजगार चाहने वालों को सेवाएं, श्रमिक कल्याण तथा श्रम विनियमों का प्रशासन, जिन्हें नौवीं योजना में प्राथमिकता प्रदान की गई है, प्रगति पर हैं। असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को कल्याण उपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास सहायता, स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं तथा श्रमिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता बढ़ा दी गई है और उसे उदार बना दिया गया है।

46. सरकार ने, संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित विद्यमान कानूनों को युक्तिसंगत बनाने तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को न्यूनतम स्तर का संरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते एकछत्र विधान तैयार करने के वास्ते, अक्टूबर 1999 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की है। दस वर्ष के समय परिप्रेक्ष्य में, 100 मिलियन कार्य अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक कार्यनीति का सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने रोजगार अवसरों के संबंध में एक कार्य-दल गठित किया था। उभरती विश्व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कतिपय श्रम विधानों में संशोधन करने की जरूरत महसूस की गई ताकि उनकी समकालीन प्रासांगिकता बनी रहे तथा ये संशोधन शीघ्र लाने के वास्ते कदम उठाए गए हैं।

47. पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य क्षेत्रक में निवेश के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर सरकारी क्षेत्र ढांचे का निर्माण हुआ है, स्वास्थ्य देख-रेख तक पहुंच में सुधार हुआ है, मृत्युदर में कमी आई है और जीवनकाल में सुधार हुआ है। तथापि, चल रहे जनांकिकीय, जीवन शैली और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण देश को संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते दोहरे बीमारी बोझ का सामना करना पड़ेगा। आधारीक संरचना का, विशेष रूप से असंतोषजनक स्वास्थ्य सूचकों वाले राज्यों / जिलों / ब्लाकों में आधारभूत ढांचे का इष्टतम से कम कार्यकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं का असंतोषजनक उपयोग, स्क्रीनिंग और रेफरल सेवाओं की समुचित पद्धति के अभाव के कारण द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख में भीड़-भाड़ जैसी कुछेक बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना होगा।

48. नौवीं योजना में परिकल्पना की गई है कि राज्य विद्यमान स्वास्थ्य देख-रेख ढांचे का पुनर्गठन करेंगे जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख स्तरों पर भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी (आई एस एम एण्ड एच) सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसरचना शामिल है, जिससे कि वे एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए जिम्मेदार हों तथा उनका एक-दूसरे के साथ उपयुक्त रेफरल संयोजन हो। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है किन्तु प्रगति बहुत धीमी है।

49. नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित के माध्यम से सेवाओं की परिचर्या, कार्यकुशलता की कोटि और अन्तर्वस्तु सुधारने पर बल दिया गया है: (i) वर्तमान ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों के सभी पहलुओं का समस्तरीय एकीकरण जिसमें आपूर्तियां, सूचना, शिक्षा, संचार और मानीटरन, प्रशिक्षण तथा प्रशासकीय प्रबंध शामिल हैं, जिससे कि वे एकीकृत स्वास्थ्य देख-रेख का एक भाग बन सकें, (ii) विद्यमान स्वास्थ्य कार्मिकों की कार्यकुशलता का उन्नयन, (iii) फिलहाल उपलब्ध आई टी साधनों का उपयोग करते हुए विशुद्धतः स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना पद्धति (एच एम आई एस) को चालू करना; विद्यमान अवसरचना के अन्दर सेवा पद्धतियों के माध्यम से चल रहे कार्यक्रमों से संबंधित प्राप्त जन्म, मृत्यु, रोगों और डाटा के बारे में डाटा का मानीटरन, जिला स्तर पर मूल्यांकन अध्ययनों के साथ सेवा के संबंध में रिपोर्ट करने की शुद्धता का जायजा लेना और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना, (iv) विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं के अन्दर और उनके एक भाग के रूप में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोग निगरानी की एक प्रभावी पद्धति का निर्माण; और (v) जरूरत तथा उपयोग के आधार पर औषधियों, टीकों की सप्लाई, उपभोग्य व अन्य आपूर्तियों हेतु एक कुशल एवं कारगर प्रणाली का निर्माण।

50. ये प्रक्रियाएं पहले ही प्रारंभ की जा चुकी हैं, यद्यपि देखा गया है कि राज्यों के बीच उनके कार्यान्वयन में काफी भिन्नताएं हैं। नौवीं योजना के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरती गई है कि गरीब लोग, अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, आपातकालीन जीवन रक्षक सेवाएं और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता द्वारा उनके लिए जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकें जो उनकी जरूरतों के आधार पर और न कि अदा करने की उनकी क्षमता के आधार पर व्यक्तियों के लिए बिलकुल मुफ्त हों। प्रौद्योगिकीय प्रगति, जिससे संभव हस्तक्षेपों के कार्यक्षेत्र का विस्तार होता है, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संबंध में लोगों की बढ़ती जागरूकता तथा आकांक्षाओं से स्वास्थ्य परिचर्या की लागत बढ़ती है। इन कारकों की वजह से जो संभव है तथा जो व्यक्ति, संस्था अथवा देश उपलब्ध करा सकता

है उनके बीच भी अन्तर बढ़ रहा है। राज्य ऐसी प्रणालियों का पता लगा रहे हैं जिनके जरिए गम्भीर बीमारी तथा अस्पताल में भर्ती होने की लागत अलग-अलग संगठनों / राज्य द्वारा वहन की जा सके।

51. देश में भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी (आई एस एम एण्ड एच) के छः लाख चिकित्सक हैं। सतत चिकित्सीय शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से उनका उपयुक्त अनुस्थापन / कौशल उन्नयन किया जाएगा तथा उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा और उनका उपयोग राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कवरेज और स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किया जाएगा। आई एस एम एण्ड एच विभाग के अन्तर्गत एक औषधीय पौधा बोर्ड स्थापित किया गया है जो औषधीय पौधा और जड़ी बूटियों के परिरक्षण, प्रोत्साहन और खेती के संबंध में योजना आयोग के कार्यबल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा जिससे कि देश के अन्दर वहनीय लागत पर अच्छी कोटि की आई एस एम एण्ड एच औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा इन औषधियों तथा सूत्रों के संबंध में निर्यात क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके। औषधियों के उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने तथा आई एस एम एण्ड एच औषधियों की कोटि नियंत्रण सुधारने के लिए एक नई केन्द्र-प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई है।

52. पिछले कुछ दशकों के दौरान, खाद्यान्नों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार, अल्पपोषण के गम्भीर रूपों तथा सम्बद्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है। तथापि यद्यपि मृत्युदर में 50 प्रतिशत की और जननक्षमता में 40 प्रतिशत की कमी आई है, किन्तु अल्पपोषण में केवल 20 प्रतिशत की कमी आई है। मामूली और साधारण अल्पपोषण, न्यून जन्मभार, रक्ताल्पता विटामिन ए न्यूनता, और आयोडीन न्यूनता की समस्याओं में पर्याप्त कमी नहीं आई है। एच आई वी / एड्स के साथ जुड़ा अल्पपोषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। रहन-सहन के ढंग और खाने-पीने में बदलाव के कारण मोटापे की मौजूदगी तथा सम्बद्ध गैर-संक्रामक रोगों में वृद्धि हुई है। देश को अल्प और अधिक पोषाहार तथा सम्बद्ध स्वास्थ्य समस्याओं के दोहरे भार को रोकने और उसका समाधान करने के लिए प्रयास करने होंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समन्वित बहु-क्षेत्रकीय प्रयास आरंभ किए गए हैं, इनमें सम्मिलित हैं: (i) पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाजों, दालों और सब्जियों के उत्पादन और उपलब्धता में सुधार; (ii) इन पदार्थों को शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पूरे वर्ष के दौरान वहनीय लागत पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास; (iii) गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को सा. वि. प्र. का और अधिक कुशलतापूर्ण लक्ष्य; (iv) सही शिशु आहार प्रथाएं सुनिश्चित करने के लिए पोषाहार शिक्षा तथा जरूरतों के आधार पर खाद्य का समुचित आन्तर-परिवार वितरण सुनिश्चित करना; (v) मेक्रो और माइक्रो पोषण न्यूनताओं के संबंध में अतिसंवेदनशील समूहों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना और निवारण, शीघ्र पता लगाने तथा प्रबंधन हेतु उपयुक्त स्वास्थ्य और पोषणात्मक उपाय प्रारंभ करना; (vi) अल्पपोषण से निपटने के लिए अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वय और सेवाओं का अभिसरण; (vii) इष्टतम स्वास्थ्य और पोषाहार स्थिति प्राप्त करने के लिए समुचित खुराक और जीवन शैली को प्रोत्साहित करना; और (viii) आई सी डी एस नेटवर्क के माध्यम से बच्चों की पोषाहार स्थिति के मानीटरन हेतु तंत्र की स्थापना करना।

53. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ है। जनसंख्या अनुमान तकनीकी समिति ने 2001 के लिए जो अनुमान लगाया था- उससे यह 1.5 करोड़ अधिक है। 1990 के दशक में मृत्युदर और जन्मदर में धीमी कमी, शिशु मृत्युदर का समान बने रहना, स्त्री-पुरुष का कम अनुपात और स्वास्थ्य और जनांकिकीय सूचकों में अंतर-राजकीय / अंतर-जिला स्तर पर भारी भिन्नताएं- ये सब ध्यान

आकर्षित करती हैं। फिलहाल आठ राज्य ऐसे हैं जिनके स्वास्थ्य और जनांकिकीय सूचक निराशाजनक हैं पर उनमें भारत की 44 प्रतिशत जनता बसती है।

54. नौवीं योजना के दौरान, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख रूप से यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि परिवारों को सुधरी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे कि वे अपने-अपने प्रजनन लक्ष्य प्राप्त कर सकें। सामाजार्थिक स्थिति के बावजूद, तीन-चौथाई जनता प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी क्षेत्रक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों को आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, आपात सेवाएं, गर्भनिरोधक, टीके और औषधि सभी को मुफ्त उपलब्ध कराने की वचनबद्धता है। महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य परिचर्या की अन्तवस्तु कोटि और कवरेज में काफी सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: (i) सभी अनुभव की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत जिला आधारित जरूरत मूल्यांकन और आयोजना, (ii) कार्मिकों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण तथा उनकी पुनः तैनाती, (iii) औषधियों, टीकों और यंत्रों की आपूर्ति हेतु सुधार सम्भार तंत्र और (iv) स्थानीय (पी आर आई), जिला और राज्य स्तर पर प्रक्रिया, गुणवत्ता और प्रभाव संकेतकों का प्रभावी मानीटरन और इनमें से प्रत्येक स्तर पर बीच में ही शीघ्र सुधार।

55. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते राष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए एक तेज लोक अभियान जागृत करने में गैर-सरकारी, स्वैच्छिक संस्थाओं और सिविल सोसायटी को शामिल करके, केन्द्र-राज्य और अन्तर-क्षेत्रकीय समन्वय सुधारने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

56. मानव विकास में शिक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निवेश है और नौवीं योजना में शैक्षिक विकास हेतु प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं। प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, पूर्ण प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना, सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि सुधारना, अपंग बच्चों सहित सुविधाविहीन समूहों की शैक्षिक स्थिति सुधारना, शिक्षा का व्यावसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए पाठ्यचर्या का नवीकरण।

57. स्वतन्त्रता पश्चात शिक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग सभी बच्चों को कम से कम प्रारम्भिक स्तर तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि सुधारने और पूर्ण निरक्षरता उन्मूलन प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र की स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना अवधि के दौरान सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। एक प्रमुख उपाय सर्वशिक्षा अभियान (एस एस ए) की शुरुआत है जिससे कि प्रारम्भिक शिक्षा की स्कीमों को, वर्ष 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जाए। एस एस ए के तहत मिशन मोड के तरीके से समुदाय स्वामित्व वाली उन्नत प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा इसका उद्देश्य लिंग संबंधी और सामाजिक फासलों को भी पाटना है। माध्यमिक शिक्षा से उम्मीद की जाती है कि वह युवाओं को काम की दुनिया और उच्च शिक्षा में प्रवेश-दोनों के लिए तैयार करेगी।

58. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) ने नौवीं योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम कार्यान्वित करना जारी रखा और देश में कुल 588 जिलों में से 559 जिलों को अब तक स्कीम के अन्तर्गत कवर किया गया है। कार्यक्रम से पंचायत स्तर पर और उद्योगों तथा निगमित गृहों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी प्रोत्साहित हो रही है। जन शिक्षा संस्थाएं (जे एस एस), ग्रामीण लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए 225 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रही हैं। नौवीं योजना के दौरान जिन 50 नई जे एस एस की परिकल्पना की गई है, उनमें से 33 जे एस एस के संबंध में मजूरी जारी की जा चुकी है।

59. वर्ष 2001 में 289 मिलियन पूर्वानुमानित आबादी के साथ, भारत के शहरों का दुनिया के शहरों में बहुत बड़ा स्थान है। लगभग 7से8 मिलियन लोगों की प्रत्येक वर्ष वृद्धि होने से भारत में शहरी आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा 2021-2025 में शहरी आबादी बढ़कर लगभग 605-618 मिलियन हो जाने का अनुमान है। शहरी विकास, जो ज्यादातर अनियंत्रित और अनियमित है सुव्यवस्थित विकास आयोजन से काफी दूर रहा है। चल रहे सरचनात्मक सुधारों के अनुरूप शहरी विकास अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करता है। भौतिक तथा जनसांख्यिकी-दोनों ही दृष्टियों से शहरी क्षेत्रों के तीव्र विकास के कारण भू-उपयोग पद्धति, नगर सरचना, भौतिक अवस्थापना और समाजार्थिक कार्यकलापों की दृष्टि से परिवर्तन हुए हैं जिनका समग्र शहरी परिवेश पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। सुरक्षित पेयजल, सफाई, नाली व्यवस्था, आवासन, ऊर्जा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी अवसरचनात्मक सेवाओं की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ते अन्तर के कारण उत्पन्न भौतिक परिवेश और जीवन की कोटि में स्पष्ट ह्रास की वजह से शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव प्रायः लुप्त हो जाता है।

60. भारत की लगभग एक-तिहाई शहरी आबादी महानगरों में रहती है। एक अथवा दो दशकों की संक्षिप्त अवधि में बड़े शहरों में अपना आकार दुगुना होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए नगरों के प्रत्यक्ष विकास के परिप्रेक्ष्य में परिकल्पित स्वीकार्य भौतिक स्तर विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। बड़े-बड़े नगरों में आधारभूत विकास की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम, आर्थिक और भौतिक अवस्थापना में निवेश प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ तथा बृहत नगरों में अवस्थापना के सतत विकास हेतु एक चल निधि निर्मित करने को सुकर बनाने के वास्ते पांच बड़े नगरों यथा मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलौर में वर्ष 1993-94 के दौरान शुरू की गई थी। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में राज्य सरकारें वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक व्यवहार्य तथा स्वसंधारणीय परियोजनाएं शुरू करने में समर्थ होगी।

61. आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास प्रमुख कारक हैं जिनकी वजह से पिछले वर्षों के दौरान आवास की स्थिति और गम्भीर हो गई है। बुनियादी जरूरत "सभी के लिए आश्रय" तथा आवास और रिहायश संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में, अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग करके सभी नागरिकों के वास्ते जीवन का बेहतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1988 में एक "राष्ट्रीय आवास तथा रिहायश नीति" प्रतिपादित की गई थी। नौवीं योजना में, आवासीय परिवेश के सबसे निचले स्तर पर परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी सहायता के लिए विनिर्धारित प्राथमिकता वाले समूह हैं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां, विकलांग, मुक्त हुए बन्धुआ मजदूर, मलिन बस्तीवासी और महिला प्रमुख वाले परिवार। वर्ष 1998-99 में शुरू की गई आवास संबंधी विशेष कार्यवाई योजना, जिसे "बीस लाख आवास कार्यक्रम" के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य एक निश्चित

समयावधि के अन्दर सभी को आवास उपलब्ध कराना है। इस आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सात लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाना है। उसी वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि 7.58 लाख मकानों के निर्माण के साथ लक्ष्य को पार कर गई। वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान क्रमशः 795218 और 670881 आवास इकाइयों की निर्माणार्थ मंजूरी प्रदान की गई। वर्ष 2000-01 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1.96 लाख रिहायशी इकाइयों और निम्न आयवर्ग (एल आई जी) के लिए 27457 रिहायशी इकाइयों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया।

62. तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण देश में सामाजिक परिवेश भी तेजी से बदल रहा है। पहले से ही भीड़-भाड़ वाले शहरों और कस्बों में रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनता के कभी समाप्त न होने वाले प्रवाह के कारण, अत्यधिक भीड़-भाड़, पटरी / झुग्गी-झोंपड़ीवासियों का उद्भव, बेरोजगारी और गरीबी जैसी गम्भीर समस्याओं को जन्म मिला है। इस प्रक्रिया में, कुछ श्रेणियों के लोग, जो इन तीव्र परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ रहे, जैसे कि विकलांग व्यक्ति, समाज-विरोधी लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, यथा किशोर अपराधी / आवारा, नशाखोर, शराबी और भिखारी व अन्य सुविधाविहीन लोग जैसेकि वृद्ध व्यक्ति, निराश्रित और आवारा बच्चे अपनी कमजोरी के कारण शेष समाज से काफी पिछड़ गए हैं।

63. अक्षम व्यक्तियों को सशक्त बनाने, समाज-विरोधियों को सुधारने तथा अन्य सुविधा-विहीन समूहों की देख-रेख के वास्ते नौवीं योजना नीतियों के अनुरूप, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए गए हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य उन्हें अपनी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और मानसिक अयोग्यताओं पर काबू पाने में समर्थ बनाना और इस प्रकार समाज के शेष वर्ग के साथ समाजार्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। विकलांगों की बहु-आयामीय समस्याओं से निपटने के लिए और शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा समूहों के लिए कल्याण सेवाओं का एक पूर्ण पैकेज उपलब्ध कराने की नीति के अनुरूप, छः राष्ट्रीय संस्थानों ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सम्बंधित संगठनों के निकट सहयोग से, अपने कार्यकलापों का विस्तार करना जारी रखा। एक नए उपाय के रूप में इन संस्थानों ने, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और समुदाय-आधारित पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से जैसे कि पुनर्वास शिविरों में नैदानिक उपचार तथा विकलांगों को साधनों व उपकरणों के वितरण द्वारा मलिन बस्तियों, जनजातीय पट्टियों, पहाड़ों की तलहटियों और अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-वृत्तिक पुनर्वास सेवाएं प्रारंभ की है। ग्रामीण विकलांगों को व्यापक तथा पुनर्वास सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराने के वास्ते ग्यारह जिला पुनर्वास केन्द्रों ने सेवाएं प्रदान करना जारी रखा जिनमें निवारण तथा शीघ्र पता लगाना, चिकित्सीय हस्तक्षेपणीय उपाय तथा शल्य चिकित्सा संबंधी उपचार, कृत्रिम साधनों और यंत्रों को लगाना, थेरापी संबंधी सेवाएं, जैसे कि फिजियो-थेरापी, व्यावसायिक थेरापी और स्पीच थेरापी आदि शामिल हैं। सितम्बर 2000 तक 11915 विकलांगों को लाभ पहुंचा। विकलांगों के लिए रोजगार-एवं आय सृजन अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें आर्थिक विकास कार्यकलापों की मुख्य धारा में शामिल करने के वास्ते, राष्ट्रीय विकलांग विकास वित्त निगम (एन एच एफ डी सी) ने स्वरोजगार उद्यमों को प्रोत्साहित करने, तकनीकी / उद्यम संबंधी-कौशलों के उन्नयन के अलावा सामान्य / व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के वास्ते ऋण प्रदान करना जारी रखा।

64. शराबखोरी और नशा औषधि दुरुपयोग निवारण स्कीम के अन्तर्गत अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करना जारी रखा गया, जैसे कि जागरूकता पैदा करना, उपचार-सह-पुनर्वास केन्द्र, नशामुक्ति शिविर, औषध दुरुपयोग और शराबखोरी की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए अनुवर्ती तथा पुनर्वास किया जाना जारी

रखा गया। नशा लत निवारण कार्यक्रम (एन सी डी ए पी) के लिए तकनीकी निविष्टि उपलब्ध करने तथा उसे और सुदृढ़ बनाने के वास्ते एक राष्ट्रीय नशाखोरी निवारण केन्द्र, संयुक्त राष्ट्र नशा नियंत्रण कार्यक्रम (यू एन डी सी पी) की सहायता से राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम को देश के 39 नगरों में कार्यान्वित किया जाना, 118 गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से जारी रखा गया जिससे लगभग 1.40 लाख बच्चों को लाभ पहुंचा। कार्यक्रम के अर्न्तगत ऐसे बच्चों को आश्रय, पोषाहार, स्वास्थ्य-देख-रेख, शिक्षा तथा मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा इसका उद्देश्य उन्हें नशे की लत तथा शोषण से बचाना है।

65. सरकार ने, महिलाओं को घरों के अन्दर और बाहर पुरुषों के बराबर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए समर्थनकारी वातावरण उपलब्ध कराने के वास्ते वर्ष 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष घोषित करके एक प्रमुख नीतिगत पहल की तथा वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति भी पारित की। इसके अलावा, महिलाओं के संबंध में सभी विद्यमान कानूनों तथा चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करने के वास्ते योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वर्ष 2000 में महिलाओं और बच्चों के संबंध में एक कार्यदल भी गठित किया तथा अधिकारिता वर्ष मनाने के लिए, एक वर्ष का कार्यक्रम कैलेंडर भी तैयार किया।

66. प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रम (एस टी ई पी) के समर्थन के कार्यक्रम का उद्देश्य जिसे 1987 में शुरू किया गया था, निम्नलिखितों के माध्यम से निर्धन और सम्पत्तिविहिन महिलाओं के कौशलों का उन्नयन करना है: प्रशिक्षण-सह-रोजगार-सह-आय सृजन कार्यक्रमलाप, कृषि, पशु पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, हथकढ़ा, खादी और ग्रामोद्योगों, रेशमपालन, सामाजिक वाणिज्य के परम्परागत क्षेत्रों में क्रेडिट तथा बाजार संयोजन और परती भूमि विकास। कार्यक्रम की शुरुआत से, 16 राज्यों में शुरू की गई 96 परियोजनाओं के अर्न्तगत लगभग 4.92 लाख महिलाओं को कवर किया गया। वर्ष 1999-2000 में, लगभग 6100 महिलाओं को लाभान्वित करने वाली पांच परियोजनाएं मंजूर की गईं तथा 2000-01 के दौरान, आठ राज्यों में 48,550 महिलाओं को लाभान्वित करने वाली 12 नई परियोजनाएं मंजूर होने से, कार्यक्रमों को बहुत बढ़ावा मिला।

67. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे समाजार्थिक कार्यक्रम के अर्न्तगत निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी थोड़ी सी पारिवारिक आय को पूरक बनाने के लिए पूर्णकालिक / आंशिक आधार पर रोजगार अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। स्कीम का कार्यक्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी समीक्षा की गई है तथा इसे संशोधित किया गया है ताकि विकलांगों के लिए कार्यरत पात्र संगठनों, महिला सहकारी संगठनों और जेल, नारी निकेतन आदि जैसी संस्थाओं को कार्यक्रम के तहत अनुदान प्राप्त हो सके। वर्ष 2000-01 के दौरान इस स्कीम के अर्न्तगत 5819 महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 33.70 लाख रुपए के अनुदान मंजूर किए गए।

68. वर्ष 2000-01 के दौरान सरकार ने इन्दिरा महिला योजना (1995) का पुर्नगठन करके इसे "एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (आई डब्ल्यू ई पी)" का रूप देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया ताकि महिलाओं को निम्नलिखितों के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके: (i) अभिवृत्तिमूलक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सूचना/जानकारी का प्रसार करके जागरूकता पैदा कराना; (ii) महिलाओं को माइक्रो-स्तर आय सृजन कार्यक्रमलापों के जरिए आर्थिक शक्ति प्राप्त करने में मदद देना; और (iii) साक्षरता, स्वास्थ्य, गैर-औपचारिक शिक्षा, ग्राम

विकास, जल आपूर्ति और उद्यमशीलता जैसी विभिन्न सेवाओं का अभिसरण स्थापित करना। स्कीम के अर्न्तगत 42,000 से अधिक स्वयं-सेवी महिला समूह गठित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 2000 समूहों का गठन वर्ष 2000-01 के दौरान किया गया।

69. "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" (आई सी डी एस) ने देश में बच्चों और माताओं को प्रतिबद्ध सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे और व्यापक बनाने का सुझाव दिया गया है। आई सी डी एस के तहत प्रतिरक्षाकरण, स्वास्थ्य जांच-पड़ताल, रेफरल सेवाओं, पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा के सेवाओं के एक पैकेज के साथ, 6 वर्ष से कम आयु के स्कूल-पूर्व बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाता है।

70. सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों को, यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास को देश की विकास योजना में एक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस संबंध में नौवीं योजना में इन सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों के सशक्तिकरण को उनका दर्जा समाज के शेष लोगों के बराबर लाने की संवैधानिक प्रतिबद्धता प्राप्त करने के अनुसरण में उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। एक त्रिसूत्रीय कार्यनीति के माध्यम से विभिन्न कल्याण, विकासात्मक तथा संरक्षणात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, यथा (i) शैक्षिक विकास के जरिए 3सामाजिक अधिकारिता; (ii) निर्धनता उन्मूलन तथा रोजगार एवं आय सृजन के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण; और (iii) विद्यार्थी समर्थन व अन्य कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक न्याय जिससे कि असमानताओं, शोषण और उत्पीड़न को दूर किया जा सके तथा उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु न केवल पहले से चल रहे कार्यक्रमों को सुदृढ़ और उनका विस्तार किया जा रहा है बल्कि इन असुविधाग्रस्त समूहों के समग्र विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, नए उपाय भी किए जा रहे हैं। अक्टूबर 1999 में एक पृथक जनजातीय मामले मंत्रालय का गठन किया गया जिससे कि जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण पर और अधिक ध्यान दिया जा सके, क्योंकि वे निरक्षरता, भू-अन्यसंक्रमण, विस्थापन, ऋणग्रस्तता इत्यादि जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं।

71. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विशेष रूप से उनकी महिलाओं और कन्याओं की शैक्षिक स्थिति सुधारने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। स्कूलों में दाखिले को प्रोत्साहित करने तथा उनके द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए छात्रवृत्तियां, होस्टल सुविधाएं आदि प्रदान करके विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था करके एकजुट प्रयास किए गए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की राष्ट्रीयव्यापी स्कीम के जरिए पात्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जिन बच्चों के माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हैं उनके मामले में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम और अधिक जोर से कार्यान्वित की गई जिसका अन्तिम उद्देश्य उन बच्चों को जमादारी के परम्परागत व्यवसाय के चंगुल से छुड़ाना है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए, विशेष रूप से औषध-विज्ञान, विधि, चार्टर्ड लेखाकार, व्यवसाय प्रबंध, इंजीनियरी व अन्य ऐसे ही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने को सुकर बनाने के उद्देश्य से उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु पुस्तक बैंकों की स्कीम के माध्यम से पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं।

72. अन्य पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की दिशा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी), आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य स्कीमों और परियोजनाओं के लिए तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों अथवा समूहों के प्रौद्योगिकीय तथा उद्यमशीलता कौशलों के उन्नयन हेतु, पिछड़े वर्गों को वित्त का एक अतिरिक्त जरिया उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम ने पिछड़े वर्गों की पात्र महिला लाभार्थियों के लिए "स्वर्णिम" नाम से एक विशेष योजना प्रारंभ की है जिसके अन्तर्गत रियाती ब्याज दर पर एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्यक्रमों को प्रतिबद्धता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक स्वायत्त संगठन के रूप में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एन एम डी एफ सी) स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र लाभार्थियों को रियायती वित्त प्रदान करके उनके आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिसम्बर 2000 तक एन एम डी एफ सी ने 78,995 लाभार्थियों को वित्त प्रदान किया। एन एम डी एफ सी ने अल्पसंख्यकों के बीच निर्धनतम व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए जिनकी वित्तीय संस्थाओं तक कोई पहुंच नहीं है, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भी माइक्रो वित्तपोषण का काम शुरू किया है।

73. स्वैच्छिक संगठनों को, जो आधारभूत स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं न केवल इन सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त लोगों को विभिन्न कल्याण तथा विकासात्मक सेवाएं प्रदान करने में सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए बल्कि इन समूहों के साथ बरती जाने वाली अस्पर्श्यता और सामाजिक तथा आर्थिक शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सरकार तथा लक्षित वर्ग-दोनों को सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

उद्योग तथा आधारिक संरचना

74. वर्ष 1999-2000 में वृद्धि के बाद (औद्योगिक उत्पादन के सूचक द्वारा मापित) वर्ष 2000-01 के दौरान पुनः मन्दी आई। वर्ष 2000-01 के दौरान औद्योगिक विकास की दर जो 5 प्रतिशत रही, 1999-2000 के दौरान प्राप्त 8 प्रतिशत की दर से कम है जैसाकि सलग्नक 1.8 में दर्शाया गया है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक की औसतन वार्षिक वृद्धि दर, जिसमें खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन शामिल है, 5.9 प्रतिशत थी जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के लिए जिम्मेदार कारकों में मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए घरेलू मांग में कमी, पूंजीगत वस्तुओं के लिए कम तालिका मांग, ऊंची तेल कीमतें, कुछ क्षेत्रकों में आवश्यकता से अधिक क्षमता की विद्यमानता, औद्योगिक पुनर्निर्माण में अन्तर्निहित समायोजन कमियां और आधारभूत बाधाएं, विशेष रूप से विद्युत और परिवहन संबंधी बाधाएं और निरन्तर ऊंचे राजकोषीय घाटे के कारण ऊंचा ब्याज दर परिवेश, शामिल हैं। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, उपभोक्ता वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर, सभी उद्योग समूहों ने, 1999-2000 की तुलना में 2000-01 के दौरान कम वृद्धि दर प्रदर्शित की है। उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि दर 8 प्रतिशत तथा गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही।

75. आधारिक संरचना, आर्थिक विकास का आधार होने के नाते, आधारभूत क्षेत्रक का निष्पादन आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। भारतीय उद्योग की अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता तथा भारत के निर्यात की

भावी सफलता आधारभूत क्षेत्रक के कुशल निष्पादन पर निर्भर करती है। नौवीं योजना के पहले चार वर्षों (1997-2001) में, कोयले को छोड़कर, सभी आधारभूत उद्योगों का उत्पादन लक्ष्यों से कम रहा। वर्ष 2000-01 में सभी आधारभूत क्षेत्रकों में उत्पादन, कच्चे पेट्रोलियम को छोड़कर, लक्ष्य से कम रहा जैसाकि संलग्नक 1.9 में दर्शाया गया है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि आधारभूत क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश, कुल मिलाकर मांग में कमी, विश्वव्यापार में कुल मिलाकर मन्दी के कारण घटता निर्यात विकास, पूर्व एशियाई करेन्सियों में तीव्र ह्रास के कारण भारतीय निर्यात के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में कटौती, 1997-98 में कम कृषि उत्पादन के कारण ग्रामीण मांग में कमी, कतिपय महत्त्वपूर्ण उद्योगों में आयातों से कीमत प्रतियोगिता, पूंजी बाजारों में (प्राथमिक और गैर) लगातार मन्दी के कारण निधियों की अपर्याप्तता व अन्य आधारभूत संबंधी बाधाओं जैसे कारकों ने धीमे विकास में पर्याप्त रूप से योगदान किया है।

76. देश के समग्र समाजार्थिक विकास के लिए बिजली एक महत्त्वपूर्ण निविष्टि है। विद्युत क्षेत्रक के लिए नौवीं योजना प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत पद्धति का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए दसवीं योजना से आगे पन विद्युत विकास को तेज करने पर विशेष बल के साथ दसवीं योजना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अग्रिम कार्रवाई पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। योजना के अन्तर्गत, पहले से निर्मित क्षमताओं से अधिक योगदान, समग्र संयंत्र भार कारक (पी एल एफ) में सुधार, एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण, मांग प्रबंध तथा विभिन्न अन्त्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ऊर्जा संरक्षण, विभिन्न उद्योगों में केप्टिव तथा सह-उत्पादन को अधिकतम करने, टैरिफों के युक्तिकरण और बिजली उद्योग में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

77. नौवीं योजना में 40245 एम डब्ल्यू का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य परिकल्पित किया गया था, जिसमें 11909 एम डब्ल्यू क्षमता केन्द्रीय क्षेत्र से, 10748 एम डब्ल्यू राज्य क्षेत्र से और शेष 17588 एम डब्ल्यू निजी क्षेत्र से शामिल है। नौवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों में चालू की गई कुल क्षमता 15752 एम डब्ल्यू तक थी तथा परिकल्पना है कि लगभग 4765 एम डब्ल्यू की क्षमता वर्ष 2001-02 के दौरान जोड़ी जाएगी। इस प्रकार, नौवीं योजना अवधि के दौरान जोड़ी जाने वाली कुल क्षमता लगभग 20517 एम डब्ल्यू है जो कुल लक्षित क्षमता का लगभग 51 प्रतिशत है। क्षमता वृद्धि में प्रमुख रूप से कमी निजी क्षेत्र में है। परिकल्पित 17588 एम डब्ल्यू के विपरीत क्षमता का केवल लगभग 37 प्रतिशत ही योजना अवधि के दौरान प्राप्त हो पाएगा। निजी क्षेत्रक परियोजनाएं प्रारंभ नहीं हुई हैं, जैसी कि उम्मीद की गई थी जिसका मुख्य कारण यह है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक नीतिगत रूपरेखा ने कार्यरूप नहीं लिया है। वित्तीय समापन प्राप्त करने में राष्ट्रीय विद्युत बोर्डों की असंतोषजनक स्थिति एक प्रमुख बाधा है। त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी) के संबंध में एक स्कीम प्रारंभ की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य पुराने विद्युत संयंत्रों (तापीय तथा पन) के नवीकरण और आधुनिकीकरण / कार्यकाल विस्तार / स्तरोन्नय और सब-ट्रान्समिशन नेटवर्कों (66. के. वी. से कम) के पुनरुद्धार/ सुधार पर बल देना है, जिसमें ऊर्जा हिसाब-किताब तथा मीटर व्यवस्था शामिल है जिससे कि राज्य विद्युत बोर्डों की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

78. नौवीं योजना में 662 बी के डब्ल्यू एच का बिजली उत्पादन लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 606.7 बी के डब्ल्यू एच की परिकल्पना नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में यूटिलिटियों से की गई थी। वर्ष 2000-01 के दौरान विद्युत उत्पादन 499.45 बी के डब्ल्यू एच था जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत सुधार का

द्योतक है तथा जिससे वर्ष 2000-01 के लिए निर्धारित 500.7 बी के डब्ल्यू एच का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। वर्ष 2001-02 में यूटिलिटीयों में 530 बिलियन यूनिट के उत्पादन का पूर्वानुमान है तथा भूटान में चूखा पन विद्युत परियोजना से 1.40 बी के डब्ल्यू एच की अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होने की भी उम्मीद है। नौवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के 9 प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य के विपरीत पहले चार वर्षों के दौरान उत्पादन में केवल 5.98 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त हुई और यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो 2001-02 में यूटिलिटीयों से उत्पादन 529.3 बी के डब्ल्यू एच तक हो सकता है जबकि मूल लक्ष्य 606.7 बी के डब्ल्यू एच था, जिससे लगभग 77.4 बी के डब्ल्यू एच की कमी होगी। वर्ष 2000-01 के लिए अखिल भारत संयंत्र भार कारक (पी एल एफ) का लक्ष्य 66.7 प्रतिशत निर्धारित किया गया था तथा वास्तविक उपलब्धि 69 प्रतिशत थी जो वर्ष के दौरान अच्छे सुधार का द्योतक है।

79. सातवीं योजना के दौरान पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) कार्यक्रम के प्रथम चरण के कार्यान्वयन से प्राप्त उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए तापीय विद्युत संयंत्रों के आर एण्ड एम का द्वितीय चरण कार्यक्रम, आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1990-91 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के अर्न्तगत 20,869 एम डब्ल्यू की कुल क्षमता वाले 198 तापीय यूनिटों से युक्त 44 ताप विद्युत संयंत्रों को कवर किया गया था। नौवीं योजना कार्यक्रम के दौरान, 54 विद्युत संयंत्रों में 191 यूनिट (25856 एम डब्ल्यू) आर एण्ड एम के अर्न्तगत कवर किए गए हैं तथा 42 यूनिटों (3091 एम डब्ल्यू) का कार्यकाल बढ़ाने की योजना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने, पन विद्युत स्टेशनों के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन के अर्न्तगत कवर किए जाने के वास्ते 9653 एम डब्ल्यू (210 उत्पादन यूनिट) की कुल क्षमता के साथ 55 पन विद्युत स्टेशन भी विनिर्धारित किए हैं। 55 स्कीमों में से कुल 5791 एम डब्ल्यू क्षमता वाली तथा 1313 एम डब्ल्यू / 3263 मिलियन के डब्ल्यू एच (एम यू) के सम्भावित लाभ वाली 25 स्कीमों के संबंध में कार्य मार्च 2000 तक पूरा हो गया। कुल 3113 एम डब्ल्यू की स्थापित क्षमता के साथ 21 स्कीमें चल रही हैं जहां 911 एम डब्ल्यू / 2517 एम यू के सम्भावित लाभ के साथ पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन संबंधी कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। उम्मीद है कि इन 21 स्कीमों में से 11 स्कीमें नौवीं योजना के दौरान पूरी हो जाएंगी।

80. रा. वि. बोर्डों को विसमूहित याने अनबंडलिंग करके और उत्पादन, पारेषण तथा वितरण को पृथक निगमों में अलग-अलग करके बहुत से राज्यों ने विद्युत क्षेत्रक सुधारों के संबंध में कार्रवाई जारी रखी ताकि प्रत्येक कार्यकलाप के संबंध में एक लाभ केन्द्र के रूप में कार्यकुशलता के स्तरों का मानीटरन संभव हो सके और प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकुशलता हेतु समुचित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकें। सुधारों के भाग के रूप में पन्द्रह राज्यों ने पहले ही अपने-अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस ई आर सी) गठित कर दिए हैं तथा अन्य राज्यों ने भी प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

81. ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को ग्राम विकास के संबंध में एक प्रमुख उपाय के रूप में देखा जाता है। औद्योगीकरण के लिए बिजली न केवल एक बुनियादी पूर्वापेक्षा है बल्कि इससे कृषि उत्पादकता एवं अन्य रोजगार व आय सृजन कार्यकलापों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में उत्प्रवास को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। देश में बसे हुए कुल 5,87,258 गावों में से (1991 जनगणना के अनुसार) 5,06,916 गांवों को (86.3 प्रतिशत) मार्च 2000 तक विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है। शेष लगभग 80,000 गांवों में अभी यह

बुनियादी सुविधा प्रदान की जानी बाकी है। तेरह राज्यों ने व्यवहार्य गांवों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा की है। देश के शेष अविद्युतीकृत गांव अधिकांशतः 9 राज्यों में हैं, यथा उत्तर प्रदेश (29.62 प्रतिशत), बिहार (24.54 प्रतिशत), उड़ीसा (14.75 प्रतिशत), प. बंगाल (10.5 प्रतिशत), असम (7.09 प्रतिशत), मेघालय (3.72 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (1.88 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (3.98 प्रतिशत), और राजस्थान (3.05 प्रतिशत)। यथाउल्लिखित देश में विद्युतीकृत किए जाने वाले शेष रहते लगभग 80,000 गांवों में से लगभग 62,000 गांवों को परम्परागत साधनों का उपयोग करते हुए ग्रिड के साथ जोड़ा जा सका। दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित शेष 18,000 गांवों का ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का उपयोग करते हुए विद्युतीकरण किया जाना होगा। प्रस्ताव है कि 62,000 गांवों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का काम अगले छः वर्षों में अर्थात् दसवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाएगा, जिसके लिए अनुदानों के रूप में दिए जाने वाली निधियों सहित, उपयुक्त निधिकरण प्रणाली तैयार की जा रही है। लगभग 18,000 दूरवर्ती गांवों का विद्युतीकरण ग्यारहवीं योजना के अन्त तक किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ अनुदान और उदार ऋणों को मिलाकर एक उपयुक्त निधियन पद्धति भी तैयार की जा रही है। ग्राम विद्युतीकरण और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रभारी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों ने पहले ही एक समयबद्ध तरीके से उपरोक्त कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्युतीय पम्प सैट ऊर्जाकरण की दृष्टि से अन्तिम क्षमता के विपरीत, जिसका 195.94 लाख होने का अनुमान है, मार्च 2001 तक देश के विभिन्न राज्यों में 127.68 लाख पम्प सैटों को ऊर्जित कर दिया गया है।

82. देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे फोसिल ईंधनों में तेजी से कमी तथा ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते समय पर्यावरणीय अवनयन के संबंध में चिन्ता की वजह से देश का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसेकि सौर, पवन, बायोमास, लघु पन विद्युत आदि के उपयोग पर गया है, जो दीर्घावधि में संधारणीय हैं तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल भी हैं। गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम एन ई एस), निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए व्यापक-आधारित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। (क) विद्युत उत्पाद की समग्र स्थापित क्षमता में नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के हिस्से में वृद्धि, (ख) अनेक ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, (ग) दूर-दूर से एकत्रित करके जलाऊ लकड़ी के साथ तथा परम्परागत चूल्हों के साथ, जो बहुत धुआं छोड़ते हैं खाना बनाने की लम्बी परम्परा का पालन करने में ग्रामीण महिलाओं को पेश आने वाले उबाउपन तथा स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना, और (घ) रासायनिक, समुद्रीय और भू-ताप स्रोतों के अलावा शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करना। दिसम्बर 2000 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय स्रोतों का योगदान 3000 एम डब्ल्यू तक पहुंच गया है जो कुल ग्रिड क्षमता के 3 प्रतिशत का द्योतक है जबकि दिसम्बर 1999 में यह 1600 एम डब्ल्यू था जो 1.5 प्रतिशत का द्योतक है। लगभग सभी क्षेत्रों ने, अर्थात् सौर, पवन, बायोमास, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट तथा लघु पन, ने इस उपलब्धि में योग दिया है। एम एन ई एस ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति का एक मसौदा तैयार किया है जिसके अनुसार 2012 के लिए पूर्वानुमानित नई विद्युत क्षमता के 10 प्रतिशत तक नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस अवधि के दौरान, 30 मिलियन परिवारों को सुधरे चूल्हों, 3 मिलियन अतिरिक्त परिवार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, 5 मिलियन सौर लेनटर्न के उपयोग, 2 मिलियन सौर गृह विद्युत पद्धतियों, अभी तक विद्युतीकृत न किए गए 18000 गांवों के कम से कम 25 प्रतिशत गांवों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए कवर करने की भी परिकल्पना की गई है,

जिन्हें उनके दूरस्थ स्थित होने तथा एक मिलियन घरों में सौर जल तापन पद्धतियों का उपयोग किए जाने से परम्परागत ग्रिड द्वारा विद्युतीकृत किया जाना व्यवहार्य नहीं होगा।

83. सौर, पवन, बायोमास, लघु पन तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों के अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं जो अधिकांशतः आर एण्ड डी स्तर पर हैं। इनमें ईंधन सैल, हाइड्रोजन ऊर्जा, भू-ताप तथा समुद्रीय ऊर्जा सम्मिलित हैं। ईंधन सैल प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा, बैटरी चालित वाहनों और भू-ताप ऊर्जा का इस्तेमाल करने के क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है। एम एन ई एस, सौर बायोमास, और लघु पनविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों पर बल दे रहा है। इस संबंध में मंत्रालय, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य ऊर्जा विकास एजेंसियों, निजी उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों आदि की भागीदारी के साथ सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है जिससे कि चालू वर्ष से ही शुरू करके वर्ष 2012 तक लगभग 18,000 दूरवर्ती और अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की जा सके।

84. नौवीं योजना में, योजनावधि के दौरान तथा उसके बाद विद्युत क्षेत्रक से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करने की परिकल्पना को तेज करने, क्षमता उपयोग को सुधारने तथा उपयुक्त खनन प्रौद्योगिकी, संरक्षण और मांग प्रबंधन आदि को अपनाकर समग्र उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ योजना में गवेषणा को तेज करने, क्षमता उपयोग को सुधारने तथा उपयुक्त खनन प्रौद्योगिकी, संरक्षण और मांग प्रबंधन को अपना कर समग्र उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया है। आवश्यक विधायी संशोधनों के जरिए वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुकर बनाना, सरकारी क्षेत्रक कोयला कम्पनियों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए परिकल्पित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र था।

85. योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, लक्ष्यों के विपरीत वास्तविक कोयला उत्पादन में कमी रही। वर्ष 2001-01 में 310.60 मिलियन टन के प्रत्याशित उत्पादन के विपरीत वर्ष 2001-02 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 322.73 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो 2000-01 में प्रत्याशित उत्पादन से 3.9 प्रतिशत अधिक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कोयले की मांग का लक्ष्य 412.20 मिलियन टन कच्चा कोयला (7.70 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग को छोड़कर) निश्चित किया गया था, कोयला मांग में 6.85 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है जबकि आठवीं योजना अवधि के दौरान यह दर 5.3 प्रतिशत थी। योजना के पहले दो वर्षों में कोयले की खपत में 0.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई किन्तु तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान कोयले के उठान में मामूली सुधार दर्ज किया गया। इस प्रकार नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान केवल लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में कोयले की मांग को कच्चे कोयले की 370.80 मिलियन टन पर नीचे की ओर संशोधित किया गया जिसका अर्थ 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक मिश्रित वृद्धि है। 2001-02 के लिए कोयले की मांग 354.29 मिलियन टन कच्चे कोयले की अनुमानित की गई है जिसमें 4.83 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग शामिल नहीं है। कोयले की खपत / उठान में कमी का मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रक में मन्दी, नए कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के चालू होने में चूक, संसाधन बाधाओं के कारण विद्युत क्षेत्रक द्वारा कम उठान, मांग में गिरावट के कारण इस्पात क्षेत्रक द्वारा कम उठान, शुल्क-मुक्त कोयले का आयात, कोयले की ढुलाई में बाधाएं और निजी क्षेत्र उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से सस्ते कोयले की कतिपय मात्रा का बगैर हिसाब-किताब प्रवाह है। प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रकों द्वारा

घटे हुए उठान के कारण कोयला कम्पनियों द्वारा उत्पादन का विनिमयन किया जाना तथा अतिरिक्त क्षमता निर्माण के लिए निवेशों का धीमा प्रवाह है। इसके फलस्वरूप मध्यावधि और दीर्घावधि में कोयले की उपलब्धता में कमी आ सकती है।

86. पेट्रोलियम क्षेत्रक में चिन्ता के क्षेत्र हैं, कच्चे तेल का स्थिर देशज उत्पादन, कम भण्डार अभिवृद्धि और बढ़ता आयात। तेल आयात पर निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है। आठवीं योजना के अन्त में यह 60 प्रतिशत थी तथा नौवीं योजना के दौरान इसके 70 प्रतिशत को पार कर जाने की सम्भावना है। इसलिए नौवीं योजना में जोर दिया जाने वाला एक क्षेत्र तेल की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसमें नई खोज लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) का कार्यान्वयन, गहरे अपतटीय क्षेत्रों में खोज में तेजी, भण्डारण प्रबंधन में सुधार तथा तेल वसूली और खोज में वृद्धि तथा कोयला बेड मिथेन की खोज शामिल है। पहले चक्र एन ई एल पी-1 के अर्न्तगत, खोज के लिए 48 ब्लाकों की पेशकश की गई, 25 ब्लाकों को लीज प्रदान की गई तथा एन ई एल पी-2 के अर्न्तगत 25 ब्लाक बोली के लिए पेश किए गए। यद्यपि खोज की अनेक नई पद्धतियां अनुकूलित की जा रही हैं तथापि हमारे भण्डारों में वृद्धि निराशाजनक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय तेल कम्पनियों ने पहले से खोजे गए तेल क्षेत्रों में जहां विकास हो रहा है, तेल इक्विटी प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। भारतीय कम्पनियों ने वियतनाम, रूस और ईराक, जैसे देशों में भी तेल इक्विटी प्राप्त करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2000-01 के लिए कच्चे तेल का प्रत्याशित उत्पादन 32.95 मिलियन टन है (निजी क्षेत्र को मिलाकर) जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 31.99 मिलियन टन से अधिक है। वर्ष 2001-02 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 32.5 मिलियन टन है।

87. मार्च 2001 के अन्त तक शोधन क्षमता 112.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष थी। यदि दो तेल रिफाइनरियों-एस्सार 10.50 मिलियन टन प्रति वर्ष और कुड्डालोर 6 मिलियन टन प्रति वर्ष - चालू हो जाएं तो शोधन क्षमता 2001-02 के अन्त तक 129.04 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है। वर्ष 2000-01 के लिए प्रत्याशित क्रूड थ्रुपुट 103.10 मिलियन टन है जबकि लक्ष्य 112 मिलियन टन था। वर्ष 2001-02 के लिए क्रूड थ्रुपुट 113.5 मिलियन टन रखा गया है। शोधन क्षेत्र में क्षमता उपयोग वर्ष 2000-01 के दौरान लगभग 90 प्रतिशत है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए तरल ईंधन आवश्यकता शामिल नहीं है, योजना अवधि के दौरान 5.77 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है तथा नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 104.80 मिलियन खपत का अनुमान है। मध्यावधि मूल्यांकन के समय अनुमान लगाया गया था कि नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 110 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी, जिसमें 6.9 प्रतिशत की वर्तमान वृद्धि दर के साथ विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन तेल शामिल है। वर्ष 1999-2000 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 96.3 मिलियन टन थी तथा वर्ष 2000-01 के लिए 99.2 मिलियन टन खपत का अनुमान है। वर्ष 2001-02 के लिए खपत का पुनः अनुमान 104.6 मिलियन टन लगाया गया है।

88. वर्ष 1999-2000 में गैस का उत्पादन 28.5 बिलियन क्यूबिक मीटर था तथा 2000-01 में 28.76 बिलियन क्यूबिक मीटर का अनुमान है जबकि लक्ष्य 28.81 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्ष 2001-02 के लिए लक्ष्य 29.03 बिलियन क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया है। हाल ही के वर्षों में गैस की खपत में वृद्धि हुई है क्योंकि बहुत से उर्वरक संयंत्रों ने अपना उत्पादन गैस आधारित बना लिया है तथा बहुत से गैस-आधारित

केप्टिव विद्युत सयंत्र भी चालू हो गए हैं। दिसम्बर 2000 तक 120 लाख एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए गए तथा पचांग वर्ष 2001 के लिए 130 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है।

89. भारत में मात्रात्मक और गुणात्मक-दोनों दृष्टियों से लौह अयस्क के समृद्ध संसाधन हैं, और लगभग 107 मिलियन टन उत्पादन क्षमता है, जिसमें लगभग 39.5 मिलियन टन लम्प, 54.5 मिलियन टन फाइन, 4 मिलियन टन कन्सेन्ट्रेट तथा 9 मिलियन टन पेलेट है। वर्ष 2000-01 के दौरान लौह आयस्क (कन्सेन्ट्रेट सहित) का उत्पादन 77.7 मिलियन टन होने का अनुमान था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.7 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2000-01 के दौरान लौह अयस्क की देशज खपत लगभग 45.7 मिलियन टन (अस्थाई) थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.84 की वृद्धि को दर्शाती है। उत्पादन में कम वृद्धि का कारण देशज इस्पात उद्योग द्वारा लौह अयस्क का कम उठान है जो लोहे का प्रमुख उपभोक्ता है। लौह आयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन एम डी सी) की बेलाडिला 10/11 ए लौह अयस्क परियोजनाओं का विकास अनुमोदित कर दिया है। बेलाडिला 11 बी की क्षमता, जो एक पृथक परियोजना है, 5 मिलियन टन लौह अयस्क की होगी तथा यह एन एम डी सी और मेसर्स इस्पात उद्योग लि. भारत के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। भारत लौह अयस्क का एक प्रमुख निर्यातक है और वर्ष 1999-2000 के दौरान इसका 30.6 मिलियन टन का निर्यात हुआ जबकि 1998-99 में 29.3 मिलियन टन का निर्यात हुआ था।

90. किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्पात बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसे आधारभूत क्षेत्र का स्तम्भ समझा जाता है। इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के स्तर को समाजार्थिक विकास तथा किसी देश में लोगों के रहन-सहन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक समझा जाता है। सभी प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में दृढ़ इस्पात उद्योग की विद्यमानता एक विशेषता है तथा इन अर्थव्यवस्थाओं में से अनेक का विकास मुख्यतः विकास के उनके प्रारम्भिक चरणों में उनके इस्पात उद्योगों की शक्ति पर आधारित है।

91. नौवीं योजना तैयार करने के समय, अनुमान था कि सभी स्रोतों से परिष्कृत इस्पात (निर्यात सहित) की मांग, योजना के अन्तिम वर्ष में 38.0 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी और देशज उपलब्धता भी इतनी ही होने की उम्मीद थी, जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ही है। 2001-02 के अन्त तक स्थापित क्षमता का स्तर 43.66 मिलियन टन तक होने की उम्मीद है। यद्यपि भारतीय इस्पात उद्योग को कुछ तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं जैसे कि सस्ते और अच्छी कोटि के लौह अयस्क की देशज उपलब्धता तथा कम लागत पर श्रम की उपलब्धता, औद्योगिक मन्दी के कारण इस्पात उद्योग अपेक्षित गति से वृद्धि नहीं कर सका। वर्ष 2000-01 के दौरान परिष्कृत इस्पात का उत्पादन 29.38 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान परिष्कृत इस्पात उत्पादन में 6.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल उत्पादन में गौण उत्पादकों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है और इस समय यह कुल उत्पादन का लगभग 58 प्रतिशत है। वर्ष 2001-02 के लिए सभी स्रोतों से परिष्कृत कार्बन इस्पात की देशज उपलब्धता 28.64 मिलियन टन आंकी गई है जबकि मांग 28.92 मिलियन टन है। अधिक मांग को, जो मूलतः एक विशेष कोटि के इस्पात की है, आयात के जरिए पूरा किया जाएगा। वर्ष 2001-02 के लिए 2.90 मिलियन टन परिष्कृत इस्पात का निर्यात लक्ष्य है। परिष्कृत इस्पात के संबंध में स्पष्ट खपत बढ़ रही है क्योंकि आर्थिक सुधार 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू किए गए थे तथापि विकास की गति एकसमान नहीं है। वर्ष 2000-01 के दौरान परिष्कृत इस्पात की स्पष्ट खपत 26.65 मिलियन टन (अस्थाई) होने का अनुमान था जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.54 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है जबकि नौवीं योजना अवधि के दौरान इसका लक्ष्य

8.85 प्रतिशत बढ़ने का था। निम्न वृद्धि दर का कारण औद्योगिक कार्यकलापों में विशेष रूप में इस्पात खपत वाले क्षेत्रों में समान्य मन्दी, प्रमुख इस्पात बाजारों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में गिरावट, नए बाजार विकसित करने में असमर्थता, प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में निवेश का अभाव, इस्पात पर आयात शुल्क में निरन्तर कटौती, और निम्न टैरिफ व्यवस्था के कारण परिष्कृत इस्पात की डम्पिंग और "एक्जिम" नीति के उदारीकरण के कारण लोहे और इस्पात सामग्री का अबाध आयात, कहा जा सकता है।

92. सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे के विकास में सीमेंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे आर्थिक विकास का प्रमुख इंजिन समझा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में सीमेंट उद्योग के असाधारण विकास के फलस्वरूप प्रतियोगी कीमतों पर सीमेंट की उपलब्धता कहीं अधिक और सहज हुई है। इसके साथ-साथ कोटि, कार्यकुशलता और इन सबके अतिरिक्त उपभोक्ता सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तथापि, अर्थव्यवस्था के विकास में मन्दी तथा निर्माण कार्यकलापों में स्थिरता के कारण वर्ष 2000-01 के दौरान सीमेंट की मांग में कमी आई है। सीमेंट उद्योग की क्षमता मांग से काफी अधिक है और परिणामस्वरूप कीमतों पर अधिक तथा तीव्र दबाव है। किन्तु ऐसी सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिनसे सामान्य अर्थव्यवस्था में वृद्धि में तेजी होने की प्रत्याशा की जा सकती है और इसलिए निकट भविष्य में सीमेंट की मांग में भी वृद्धि होगी। ऐसी धारणा है कि वर्ष 2001-02 के दौरान सीमेंट की देशज मांग 100 मिलियन टन तक बढ़ सकती है जबकि नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए 109 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।

93. भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है किन्तु विश्व सीमेंट व्यापार में इसका हिस्सा केवल चार प्रतिशत है। निर्यात हेतु भारत का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि विश्व सीमेंट निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों से किया जाता है। वर्ष 1989-90 में 0.16 मिलियन टन सीमेंट के निर्यात की मामूली शुरुआत से निर्यात 2000-01 में बढ़कर 3.27 मिलियन टन हो गया है। सम्भावना है कि वर्ष 2001-02 में लगभग 3.72 मिलियन टन का निर्यात होगा जो इस वर्ष के लिए निर्धारित 4 मिलियन टन के लक्ष्य से मामूली सा कम है।

94. संधारणीय आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम परिवहन पद्धति नितान्त आवश्यक है। परिवहन पद्धति में अपर्याप्तताओं और असंतुलनों से शहरी और ग्रामीण-दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर बाधित होने की आशंका है। परिवहन प्रणाली में सड़कें महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। नौवीं योजना में, गांवों को सभी मौसमों वाली सड़कों के साथ जोड़कर तथा कमियों को क्रमिक रूप से दूर करके और अधिक भीड़-भाड़ वाले गलियारों को बहु-गलियों वाला बनाकर हाइवे नेटवर्क के महत्वपूर्ण सेक्शनों को सुधार करके भी बढ़ी हुई उपलब्धता की जरूरत पर जोर दिया गया है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाकर तथा श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ और सिल्वर को पोरबन्दर के साथ जोड़ने के लिए 4/6 गलियों वाला एक स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) का निर्माण करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल) के लिए रेखांकन का काम पूरा हो गया है जिसकी कुल लम्बाई 5858 किलोमीटर है जिसमें से 811 किलोमीटर को पहले ही 4 गलियों वाला बना दिया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई), ग्रामीण संयोजकता की व्यवस्था और उसे सुदृढ़ करके ग्रामीण जनसंख्या की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ करने के वास्ते शुरू की गई है। प्राथमिक सड़क पद्धति को सुदृढ़ करने और उसका विस्तार करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। 23,439 किलोमीटर राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है जो

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 40 प्रतिशत से अधिक बैठता है। वार्षिक योजना 2001-02 में, गुम हुई कड़ियों का निर्माण करके, निम्न ग्रेड सेक्शनों के सुधार, कमजोर पुलों के पुनरुद्धार और पुननिर्माण, बाई-पासों के निर्माण तथा एकल गली वाले मार्गों को 4 गलियों और 2 गलियों वाला बनाकर, सड़क परिवहन में कमियों को दूर करने पर बल दिया जाता रहेगा। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की आवागमन गुणवत्ता पर भी बल दिया जाएगा। पिछड़े तथा दूरवर्ती इलाकों पर जैसे, कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, अगली योजना के दौरान अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत जारी रहेगी।

95. भारतीय रेल लगभग 63000 मार्ग किलोमीटर के विशाल नेटवर्क के साथ विश्व में सबसे बड़ी रेल पद्धतियों में से एक है तथा बड़ी मात्रा में लम्बी दूरी की माल ढुलाई तथा लम्बी दूरी के यात्री ट्रैफिक के लिए प्रमुख साधन है। रेलवे द्वारा ढोया गया माल और यात्री ट्रैफिक 2000-01 तक बढ़कर छः गुना हो गया। वर्ष 2000-01 के दौरान, रेलवे ने 475 मिलियन टन राजस्व अर्जन माल ट्रैफिक (संशोधित अनुमान) ढोया जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2001-02 के लिए 500 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलवे की टेरिफ नीति परम्परागत रूप से, यात्री किरायों में वृद्धि के संबंध में प्रतिबंध और माल भाडा दरों के मामले में आवधिक वृद्धियों की रही है। ऐसा विकास के एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए एक पब्लिक यूटिलिटी के रूप में और व्यापार सिद्धान्तों पर संचालित एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में रेलवे की दोहरी भूमिका के कारण आवश्यक है। इसलिए, पिछले वर्षों के दौरान रेलवे ने परस्पर इमदाद या सब्सिडाइजेशन का मार्ग अपनाया है जिससे कि यात्री तथा अन्य कोचिंग सेवाओं में हुई हानियों को माल ढुलाई से अतिरिक्त राजस्व के जरिए प्रतिसंतुलित किया जा सके। टेरिफ को युक्तिसंगत बनाना तथा यात्री भाड़े को लागत के साथ और अधिक निकट रूप से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

96. फरवरी 2001 में एन्नोर के चालू हो जाने से देश में 12 बड़े पत्तन हो गए हैं। बड़े-बड़े पत्तनों की कुल हेन्डलिंग क्षमता जो 2000-01 में 258 मिलियन टन थी उसके मार्च 2001 तक 314 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है। उम्मीद है कि 354 मिलियन टन पत्तन हेन्डलिंग क्षमता सृजित करने का लक्ष्य मार्च 2002 तक पूरा हो जाएगा जैसा कि नौवीं योजना के निर्माण के समय लक्ष्य रखा गया था। कुल ट्रैफिक का लगभग 19 प्रतिशत छोटे-छोटे पत्तनों द्वारा हेन्डल किया जाने वाला ट्रैफिक बढ़कर 62.46 मिलियन टन हो गया। नौवीं योजना में, विभिन्न पत्तनों पर क्षमता में वृद्धि करने में निजी क्षेत्र / कैंप्टिव उपभोक्ताओं की एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में उठाए गए अनेक कदमों के फलस्वरूप, अभी तक 4426.5 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 58.05 मिलियन टन क्षमता की निजी क्षेत्र / कैंप्टिव पत्तन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा वे पूरा होने के विभिन्न चरणों पर हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

97. तीव्र विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए जरूरी एक प्रमुख सहायक सेवा दूर संचार है। यह भारत में तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रक भी है तथा इसमें विकास की बहुत क्षमता है। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 1991 से सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी है और इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि, विश्व में दूरसंचार क्षेत्र में हो रही महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय प्रगतियों पर नजर रखने तथा भारत को एक विश्व सू. प्रौ. महाशक्ति बनाने के सरकार के संकल्प पर अमल करने के वास्ते, नई दूरसंचार नीति (एन टी पी) की घोषणा है।

98. पूर्व दूरसंचार विभाग के प्रचालन नेटवर्क को भारत संचार निगम लि. (वी एस एन एल) नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्रक उपक्रम में बदल दिया गया है। देश में बुनियादी दूरसंचार नेटवर्क में बी एस एन एल का 95 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है और 2002 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की नौवीं योजना उद्देश्य के अनुरूप 68.30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो वर्ष 2001-02 के दौरान, पिछले वर्ष के लक्ष्य से लगभग 38 प्रतिशत अधिक है।

99. महत्त्वपूर्ण स्थिति और क्षेत्र के सामान्य पिछड़ेपन को देखते हुए देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए, वर्ष 2001-02 के दौरान 12.30 लाख लाइनों की स्विचिंग क्षमता जोड़कर 1.05 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें (डी ई एल) तथा 8043 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) प्रदान करके, दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा उन्नति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में उनके एकीकरण के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के तीव्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। 4.83 लाख लाइनों की स्विचिंग क्षमता, 3.38 लाख डी ई एल, 20280 वी पी टी तथा 49 उपग्रह केन्द्रों की स्थापना करके 2001-02 के दौरान दूर संचार नेटवर्क को और सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। ग्राम संयोजकता एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, देश में सभी शेष गांवों को वर्ष 2002 तक कवर किया जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 77 हजार अतिरिक्त वी पी टी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

100. देश में कवर न हुए तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में डाक नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ डाक प्रचालनों की प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण नौवीं योजना के दौरान प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं। देश में चुनिन्दा डाकघरों में डाक बचत बैंकों का कंप्यूटरीकरण निदेशालय के साथ सभी क्षेत्रीय तथा मंडल मुख्यालयों को परस्पर जोड़ते हुए "सूचना पद्धति के अनुसंधान" (एम आई एस) का विकास और कोलकाता में एक स्वतः डाक छंटाई केन्द्र की स्थापना कुछेक बड़े कार्यक्रम हैं जिनकी वर्ष 2001-02 के दौरान परिकल्पना की गई है।

101. औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) एक अधिकाधिक प्राथमिक प्रौद्योगिकीय अवसरचना बनती जा रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान इस प्रौद्योगिकी ने 1999-2000 में 26.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले 31 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर दर्ज की है। सू. प्रौ. को बड़े पैमाने पर विशेष रूप से राज्य क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और एक समान कार्रवाई योजना तैयार करने के उद्देश्य से, सरकार ने विभिन्न राज्यों के सू. प्रौ. मंत्रियों का एक सबसे पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें निम्नलिखित को मिलाकर एक सर्वसम्मत कार्रवाई योजना तैयार की गई: (i) राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों के साथ-साथ आर्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए मार्ग के मुक्त अधिकार की सुविधा प्रदान करना; (ii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहन; (iii) दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय दूरवर्ती प्रचालन (एन एल डी ओ) का विनियम आदि। ई-कामर्स के विकास, इन्टरनेट के जरिए इलैक्ट्रॉनिक संचार और अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सू. प्रौ. का कार्यान्वयन तेज करने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000" पारित किया गया है। चल रहीं स्कीमों / परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के अलावा वर्ष 2001-02 के लिए परिकल्पित एक बड़ा उपाय सभी चार महानगरों में नगर न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का है जिससे कि मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके और न्यायिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व जन-लोकप्रिय बन सके।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

102. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) ने विभिन्न विषयों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और यह देश के समाजार्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने तथा प्रौद्योगिकीय दक्षता विकसित करने के लिए उपलब्धियों का उपयोग करने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सतत रूप से प्रयास किए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र और प्रमुख उद्देश्य वि. तथा प्रौ. का सामाजिक लाभों का इष्टतम दोहन करना, मिशन मोड पर आर एण्ड डी कार्यक्रमों का विकास, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के साथ तुलनीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सहायता प्रदान करना, विकास तथा बाजार प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान संस्थानों / प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच कड़ी कायम करना, स्वच्छ तथा पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकियां विकसित करना और प्रौद्योगिकी विपणन व बौद्धिक सम्पदा अधिकार मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा, बुनियादी अनुसंधान और उत्कृष्टता के प्रोत्साहन सहित, वि. और प्रौ. संचार तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया है। ऊपर बताए गए विभिन्न प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्राप्त करने के वास्ते एक दृढ़ विज्ञान आधार बनाने तथा प्रौद्योगिकीय दक्षता विकसित करने के लिए प्रयास जारी हैं। नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में, रिएक्टरों, जल ईंधन, नाभिकीय अपशिष्ट के प्रबंधन आदि के लिए नाभिकीय सामग्री तथा ईंधन के पुनः संस्करण में हुई प्रगति के अलावा, प्रेसुराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पी एच डब्ल्यू आर) टाइप रिएक्टरों की मरम्मत प्रौद्योगिकी सहित डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई है।

103. अन्तरिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रमों को, उपग्रह संचार, उपग्रह आधारित संसाधन सर्वेक्षण / प्रबंधन तथा उपग्रह मौसमविज्ञानीय अनुप्रयोग के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में एक आत्म-निर्भर तरीके से प्रचालनात्मक अन्तरिक्ष सेवाएं स्थापित करने से सम्बद्ध किया गया है। इनसेट 3 बी उपग्रह को सफलतापूर्वक छोड़ा गया और यह विनिश्चित उपग्रह सेवाएं प्रदान कर रहा है। पर्यावरणीय ठोस आधार पर देश के सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए जीवविज्ञानीय सम्पदा का दोहन करने के लिए तथा दीर्घावधिक और अल्पावधिक आधार पर अनुसंधान को समर्थन प्रदान करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग किया गया है, जिससे कि उत्कृष्टता, नए उत्पाद अथवा प्रक्रियाएं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, आर एण्ड डी परिणामों की वैधता, प्रौद्योगिकीय विकास और अन्तरण आदि प्राप्त किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से विकास उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के लिए जैव-संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं तथा विज्ञान में नेतृत्व हेतु युवाओं को आकर्षित और तैयार करने के वास्ते "विज्ञान में युवा नेतृत्व हेतु सी एस आई आर कार्यक्रम" नामक एक स्कीम "नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल" नामक एक नई स्कीम के साथ प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य देशज प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत के लिए विश्व नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करनी है। उभरते / चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्यक्रम / परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया गया तथा तूतीकोरीन के तट पर एक एम डब्ल्यू फ्लोटिंग ओ टी ई सी योजना का विनिर्माण, स्थापना तथा उसे चालू किया गया।

104. यद्यपि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए गए हैं तथापि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग / एकीकरण और जनशक्ति का विकास विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र हैं। डब्ल्यू टी ओ जरूरतों के संदर्भ में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता के अर्न्तगत विश्व स्तरों की अनुरूपता, विशेष रूप से आई पी आर (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) जागरूकता, सूचना, सृजन और दोहन तंत्र तथा कोटि आश्वासन पद्धति पर ध्यान दिया जाना है।

कारक लागत पर स. घ. उ. की क्षेत्रवार संवृद्धि

(1993-94 कीमतों पर)

	क्षेत्रक	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (क्यू)	2000-01 (ए)
क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	-0.9	9.6	-1.9	7.2	0.7	0.2
2	खनन और उत्खनन	5.6	0.5	9.0	-0.5	1.7	3.7
3	विनिर्माण	14.9	7.9	4.0	3.6	6.8	5.6
4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	6.8	5.4	7.2	7.9	5.2	4.7
5	निर्माण	7.4	2.4	10.3	5.7	8.1	5.5
6	ब्यापार, होटल, परिवहन और संचार	13.3	7.7	5.8	8.1	8.0	6.9
7	वित्तीय सेवाएं	7.6	7.1	11.8	6.1	10.1	9.1
8	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	7.9	6.2	12.2	10.9	11.8	7.8
	कुल स. घ. उ.	7.3	7.5	4.8	6.6	6.4	5.2

क्यू = तुरत अनुमान

ए = अग्रिम अनुमान

मौद्रिक समुचयों में भिन्नताएं

(प्रतिशत परिवर्तन)

क्र.सं.		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	वित्तीय वर्ष 2001-02 (नव. 16 तक)
		1	2	3	4	5	6	7
I	नैरो मनी	11.7	12.0	11.3	15.1	10.2	10.7	12.89
II	ब्राड मनी (एम 3)	13.7	16.2	18.0	18.4	13.9	16.2	15.73
III	एम 3 के घटक							
(क)	जनता के साथ करेंसी	17.3	11.7	10.2	16.4	11.7	10.8	14.54
(ख)	मांग जमा	5.7	13.0	12.7	13.8	9.1	9.9	11.02
(ग)	मियादी जमा	14.7	18.5	21.5	19.9	15.6	18.6	16.87
IV	एम 3 के स्रोत							
(क)	निवल बैंक क्रेडिट	15.9	12.0	14.5	17.1	14.2	16.2	16.79
(ख)	वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक क्रेडिट	17.7	9.2	15.1	13.2	16.6	14.3	13.22
(ग)	बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	3.9	28.4	30.9	28.0	15.6	18.2	29.23

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

	मद	नौवीं परियोजना परिव्यय (1996-97 की कीमतों पर)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (सं.अ.)	2001-02 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6	7
क	केन्द्र और संघ राज्य क्षेत्र (1.1 + 2.1)	509062	73533	87602	99594	112960	135059
I	केन्द्रीय क्षेत्र						
1.1	परिव्यय	489361	70861	84710	96310@	108587	130181
1.2	बजटीय सहायता	203982	32455	37333	39757	48269	59456
1.3	आई ई बी आर	285379	38406	47377	56553@	60318	70725
II	संघ राज्य क्षेत्र						
2.1	परिव्यय	19701	2672	2892	3284	4373	4878
2.2	बजटीय सहायता	5580	824	974	1123	1302	1162
2.3	स्वयं के संसाधन	14121	1848	1918	2116	3071	3716
III	राज्य						
23.1	परिव्यय	350138	56224	62786	70027	74972	92384
3.2	केन्द्रीय सहायता	164437	25798	28510	35302	36667	39482
3.3	स्वयं के स्रोत	185701	30426	34276	34725	38305	52902
	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय (1.1 + 2.1 + 3.1)	859200	129757	150388	169621	187932	227443

@ (सं.अ.) * उत्तरांचल को छोड़कर

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.स.	विकास शीर्ष	नौवीं योजना (1996-97 कीमतों पर)	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	1997-98	1998-99	1999- 2000	2000-01	2001-02	1997- 2002	नौवीं योजना परिव्यय का प्रतिशत
			(वास्तविक)	(वास्तविक)	(सं.अ.)	(सं.अ.)	(ब.अ.)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(सं.अ.)	(सं.अ.)	(ब. अ.)	(प्रत्याशित)	
			(वर्तमान कीमतों पर)					(1996-97 कीमतों पर)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	14876	2205	3658	3017	2982	3380	2087	3149	2515	2345	2507	12603	85
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2291	270	326	347	402	477	256	281	289	316	354	1496	65
3	ग्राम विकास	42278	5360	5563	5176	4180	4449	5074	4789	4314	3287	3300	20764	49
4	ऊर्जा	153807	19157	22469	26182	26095	33788	18134	19341	21824	20520	25065	104884	68
5	उद्योग और खनिज	51664	8369	6006	6436	7085	7960	7922	5170	5365	5571	5905	29933	58
6	परिवहन	81791	12272	12213	17155	20848	22570	11617	10513	14299	16394	16743	69567	85
7	संचार	47249	10130	11375	14900	20317	20289	9589	9792	12420	15976	15051	62828	133
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	15449	1883	2278	2859	3190	3603	1782	1961	2383	2508	2673	11307	73
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6279	577	1146	1033	1247	6401	546	986	861	981	4749	8123	129
10	सामाजिक सेवाएं	72284	10442	19395	18938	21964	26887	9885	16695	15786	17271	19946	79583	110
11	सामान्य सेवाएं	1393	196	281	265	277	376	186	242	221	218	279	1146	82
	जोड़	489361	70861	84710	96310	108587	130181	67078	72919	80278	85387	96573	402236	82

* : 1997-99 (वास्तविक), 1999-2001 (सं.अ.) और 2001-02 (ब.अ.) शामिल हैं

नौवी योजना (1997-2002) के दौरान विकास शीर्षों के अनुसार बजटीय समर्थन – केन्द्र

(करोड़ रुपए)

विकास शीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	जोड़	प्रतिशत आबंटन
	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(सं.अ.)	(ब.अ.)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(सं.अ.)	(ब.अ.)	1997-2002*	
(वर्तमान कीमतों पर)						(1996-97 की कीमतों पर)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	2262	2650	2669	2870	3299	2141	2281	2225	2257	2447	11351	6
2 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	476	135	316	402	477	451	116	263	316	354	1500	1
3 ग्राम विकास	5577	5847	4713	4180	4449	5279	5033	3928	3287	3300	20828	12
4 ऊर्जा	3541	3951	4202	4519	4684	3352	3401	3503	3554	3475	17284	10
5 उद्योग और खनिज	2589	2856	1964	2813	3166	2451	2458	1637	2212	2349	11107	6
6 परिवहन	3803	4021	6748	9599	9125	3600	3461	5625	7548	6769	27003	15
7 संचार	369	606	95	180	300	349	522	79	142	223	1314	1
8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1501	1630	2596	3190	3603	1421	1403	2164	2508	2673	10169	6
9 सामान्य आर्थिक सेवाएं	557	750	890	1224	6370	527	646	742	962	4726	7603	4
10 सामाजिक सेवाएं	11580	14377	15323	19015	23587	10962	12376	12772	14952	17498	68560	38
11 सामान्य सेवाएं	200	510	241	277	376	189	439	201	218	279	1326	1
जोड़	32455	37333	39757	48269	59456	30722	32137	33139	37956	44107	178061	100

*: 1997-2000 (वास्तविक), 2000-01 (सं. अ.) और 2001-02 (ब.अ.) शामिल हैं

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान राज्य योजना व्यय

(करोड़ रुपए)

	राज्य	1996-97 कीमतों पर 9वीं योजना परिव्यय	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (सं. अ.)	2001-02 (ब.अ.)@	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999- 2000 (वास्तविक)	2000-01 (सं. अ.)	2001-02 (ब. अ.)@	कुल 1997- 2002 *	9वीं योजना प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	आंध्र प्रदेश	5150	3707	4972	4748	6660	8378	3509	4280	3958	5237	6215	23199	92
2	अरुणाचल प्रदेश	3570	489	463	468	599	661	463	399	390	471	490	2213	62
3	असम	8984	1283	1294	1405	1520	1710	1215	1114	1171	1195	1269	5963	66
4	बिहार	16680	1711	2425	2676	1737	2644	1620	2087	2231	1366	1961	9265	56
5	छत्तीसगढ़						1312					973		
6	गोआ	1500	199	221	237	347	460	188	190	198	273	341	1190	79
7	गुजरात	28000	3905	3940	6492	7010	7268	3697	3392	5411	5512	5392	23403	84
8	हरियाणा	9310	1304	1522	1676	1825	2150	1234	1310	1397	1435	1595	6972	75
9	हिमाचल प्रदेश	5700	1294	1540	1624	1720	1720	1225	1326	1354	1353	1276	6533	115
10	जम्मू और कश्मीर		1496	1260	1506	1753	2050	1416	1085	1255	1378	1521	6655	
11	झारखण्ड						2250					1669		
12	कर्नाटक	23400	4424	5650	6363	6785	8942	4188	4864	5304	5335	6634	26324	112
13	केरल	16100	2868	3355	2946	2493	3015	2715	2888	2456	1960	2237	12256	76
14	मध्य प्रदेश	20075	3344	3377	3589	3301	3630	3165	2907	2992	2596	2693	14353	71
15	महाराष्ट्र	36700	7938	8187	10419	11500	10834	7514	7047	8685	9043	8037	40326	110
16	मणिपुर	2427	345	389	453	430	520	327	335	378	338	386	1763	73
17	मेघालय	2501	249	299	343	467	487	236	257	286	367	361	1507	60
18	मिजोरम	1619	295	272	378	397	410	279	234	315	312	304	1445	89
19	नागालैंड	2006	232	246	306	326	405	220	212	255	256	300	1243	62
20	उड़ीसा	15000	2037	2582	2484	2550	3000	1928	2223	2071	2005	2226	10452	70
21	पंजाब	11500	2009	2006	1753	2147	3021	1902	1727	1461	1688	2241	9019	78
22	पंजाब	22526	3987	3833	3601	4248	5031	3774	3299	3002	3340	3732	17148	76
23	राजस्थान	1600	190	224	193	250	300	180	193	161	197	223	953	60
24	सिक्किम	25000	4011	4516	5414	5700	6040	3797	3887	4513	4482	4481	21160	85
25	तमिलनाडु	2577	413	392	453	423	560	391	337	378	333	415	1854	72
26	त्रिपुरा	46340	5652	6364	6572	6757	8400	5350	5478	5478	5313	6231	27851	60
27	उत्तर प्रदेश	16900	2840	3460	3928	4027	7186	2688	2978	3274	3167	5331	17438	103
	जोड़	345164 II	56224	62786	70027	74972	92384	53222	54047	58370	58954	68534	293128	84

I: 1997-2000 (वास्तविक), 2000-01 (सं. अ.) और 2001-02 (ब. अ.) शामिल हैं।

II जम्मू और कश्मीर को छोड़कर

@ उत्तरांचल को छोड़कर

राज्य योजना व्यय - अनुमोदित परिव्यय से भिन्नता

(करोड़ रुपए)

	राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-01		
		अनुमोदित	वास्तविक	प्रतिशत	अनुमोदित	वास्तविक	प्रतिशत भिन्नता	अनुमोदित	वास्तविक	प्रतिशत भिन्नता	अनुमोदित	(स.अ.)	प्रतिशत भिन्नता
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3580	3707	4	4679	4972	6	5480	4748	-13	7708	6660	-14
2.	अरुणाचल प्रदेश	600	489	-19	625	463	-26	665	468	-30	640	599	-6
3.	असम	1510	1283	-15	1650	1294	-22	1750	1405	-20	1520	1520	0
4.	बिहार	2268	1711	-25	3769	2425	-36	3530	2676	-24	3100	1737	-44
5.	गोआ	231	199	-14	291	221	-24	281	237	-16	332	347	5
6.	गुजरात	4510	3905	-13	5450	3940	-28	6550	6492	-1	7600	7010	-8
7.	हरियाणा	1576	1304	-17	2260	1522	-33	2300	1676	-27	1920	1825	-5
8.	हिमाचल प्रदेश	1008	1294	28	1440	1540	7	1600	1624	1	1382	1720	24
9.	जम्मू और कश्मीर	1552	1496	-4	1900	1260	-34	1750	1506	-14	1750	1753	0
10.	कर्नाटक	4154	4424	6	5353	5650	6	5800	6363	10	7250	6785	-6
11.	केरल	2851	2868	1	3100	3355	8	3250	2946	-9	3317	2493	-25
12.	मध्य प्रदेश	3718	3344	-10	3700	3377	-9	4004	3589	-10	4450	3301	-26
13.	महाराष्ट्र	8393	7938	-5	11601	8187	-29	12162	10419	-14	11500	11500	0
14.	मणिपुर	410	345	-16	425	389	-8	475	453	-5	451	430	-5
15.	मेघालय	382	249	-35	400	299	-25	465	343	-26	480	467	-3
16.	मिजोरम	290	295	2	333	272	-18	360	378	5	401	397	-1
17.	नागालैंड	291	232	-20	300	246	-18	315	306	-3	326	326	0
18.	उड़ीसा	2529	2037	-19	3084	2582	-16	3309	2484	-25	2665	2550	-4
19.	पंजाब	2100	2009	-4	2500	2006	-20	2680	1753	-35	2420	2147	-11
20.	राजस्थान	3514	3987	13	4300	3833	-11	4750	3601	-24	4146	4248	2
21.	सिक्किम	220	190	-14	237	224	-5	250	193	-23	250	250	0
22.	तमिलनाडु	4005	4011	0	4500	4516	0	5250	5414	3	5700	5700	0
23.	त्रिपुरा	440	413	-6	440	392	-11	475	453	-5	485	423	-13
24.	उत्तर प्रदेश	7246	5652	-22	10260	6364	-38	11400	6572	-42	9025	6757	-25
25.	प. बंगाल	3908	2840	-27	4595	3460	-25	5787	3928	-32	5658	4027	-29
	जोड़	61286	56224	-8	77192	62786	-19	84738	70027	-17	84476	74972	-11

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि (2 अंक स्तर पर)

(आधार वर्ष 1993-94)

उद्योग	विवरण	भार	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	1997-2001के दौरान औसत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
20-21	खाद्य उत्पाद	90.83	1.1	1.8	4.6	10.7	4.6
22	पेय पदार्थ तम्बाकू और संबद्ध	23.82	18.5	12.3	7.2	4.6	10.7
23	सूती कपड़ा	55.18	4.1	-8.6	6.8	2.9	1.3
24	ऊन, रेशम और मानव निर्मित रेशे वस्त्र (सूती रहित)	22.58	13.3	3.8	12.0	5.9	8.8
25	जूट व अन्य वनस्पति रेशे वस्त्र	5.9	16.4	-7.2	-0.9	0.8	2.3
26	कपड़ा उत्पाद (पोशाक सहित)	25.37	8.1	-3.3	2.4	4.0	2.8
27	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और सज्जा	27.01	-3.4	-5.8	-16.8	2.9	-5.8
28	कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण, प्रकाशन व संबद्ध उद्योग	26.52	6.7	15.7	9.0	-9.1	5.6
29	चर्म और चर्म तथा फर उत्पाद	11.39	4.2	9.0	10.5	10.6	8.6
30	बुनियादी रसायन और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर)	140.02	13.9	6.2	21.8	7.4	12.3
31	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	57.28	5.0	11.2	-1.6	10.7	6.3
32	अ-धातु खनिज उत्पाद	43.97	19.9	10.2	22.7	-1.6	12.8
33	बुनियादी धातु और अलौह उद्योग	74.53	1.0	-2.2	4.6	1.8	1.3
34	धातु उत्पाद और कल-पुर्जे, मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर	28.1	7.4	16.7	-4.2	15.2	8.8
35-36	मशीनरी और उपस्कर, परिवहन उपस्कर को छोड़कर	95.65	5.8	-8.3	16.7	7.5	5.4
37	परिवहन उपस्कर और कल पुर्जे	39.84	-1.3	15.0	2.0	-1.9	3.5
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	25.59	-3.2	5.3	-14.1	10.1	-0.5
	खनन और उत्खनन	104.73	5.6	-1.7	0.6	3.6	2.0
	विनिर्माण	793.58	6.6	4.1	9.0	5.3	6.3
	बिजली	101.69	6.9	6.5	6.6	4.0	6.0
	सामान्य सूचक	1000	6.6	3.8	8.0	5.0	5.9

संलग्नक 1.9

1997-98 से 2000-01 तक आधारभूत उद्योगों की उपलब्धि

(लक्ष्य का प्रतिशत)

	उद्योग का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	औसत (1997- 2001)
	1	2	3	4	5	6
1	कोयला	106.08	94.63	100.00	99.93	100.16
2	विद्युत उत्पादन	97.99	99.64	102.30	99.75	99.92
	2.1 पन बिजली	96.98	105.92	99.40	88.61	97.73
	2.2 (ताप नाभिकीय सहित)	98.20	98.33	102.9	101.99	100.36
3	कच्चा पेट्रोलियम	96.71	94.77	96.90	100.00	97.09
4	रिफाइनरी थ्रूपुट	100.11	101.03	88.70	91.72	95.39
5	बिक्री योग्य इस्पात (एकीकृत संयंत्र)	93.08	82.44	92.30	95.17	94.75
6	सीमेंट	94.09	97.06	106.60	93.40	97.79

निर्देशिका 2.1 जी

वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत राजकोषीय घाटे के अनुमानों का तुलनात्मक विश्लेषण

(करोड़ रुपये / प्रतिशत)

क्र.सं.	वर्णन	अनुमानित	वास्तविक	विवरण		
				अनुमानित	अनुमानित अनुमानों के अन्तर्गत	अनुमानित अनुमानों के अन्तर्गत
1	राजस्व प्राप्तियाँ	203673	206166	190988	92.6	93.8
2	ऋणों की वसूली	13539	14885	12076	81.1	89.2
3	विनिवेश और विविध प्राप्तियाँ	10000	2500	2177	87.1	21.8
	कुल	227212	223551	205241	91.8	90.3

बजट अनुमानों की तुलना में कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियों में काफी कमी और राजकोषीय घाटे को वांछनीय सीमाओं के अन्दर रखने की भारत सरकार की चिन्ता के कारण योजनागत और योजना-भिन्न खर्च में कटौती अनिवार्य थी। सरकार के खर्च में ऐसी कटौती का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2. वर्ष 2000-2001 के केन्द्रीय सरकार के बजट में कुल 338487 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च की परिकल्पना की गई है जिसमें 250387 करोड़ रुपये का योजना-भिन्न खर्च और 88100 करोड़ रुपये का योजनागत खर्च शामिल है। योजनागत और योजना-भिन्न खर्च के संबंध में संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 1862 करोड़ रुपये और 1102 करोड़ रुपये तक कम थे। इसलिए, बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों के समय योजनागत और योजना-भिन्न दोनों के ही खर्च में कमी साधारण थी। किन्तु अनन्तिम अनुमानों के अनुसार खर्च में पारिणामतः कटौती काफी अधिक थी। संशोधित अनुमानों की तुलना में योजना-भिन्न खर्च 13,142 करोड़ रुपये कम था तथा योजनागत खर्च में 2,770 करोड़ रुपये की कमी आई। संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों के बीच तुलना इस बोध पर आधारित है कि संशोधित अनुमान वास्तविकताओं के निकट हैं। तथापि जब या तो प्राप्तियों के अथवा खर्च के वास्तविक आंकड़े संशोधित अनुमानों से काफी भिन्न हैं तो किसी वर्ष के संबंध में वास्तविक खर्च के निकट संशोधित अनुमानों का महत्त्व समाप्त हो जाता है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में बजट / वार्षिक योजना अनुमानों और वास्तविकताओं अथवा अनन्तिम अनुमानों के बीच तुलना केवल विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए संगत है। इसलिए, निम्नलिखित विश्लेषण में तुलना बजट अनुमानों और अनन्तिम लेखों के बीच है। बजट अनुमानों तथा अनन्तिम लेखों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के खर्च का सारांश निर्देशिका 2.2 में दिया गया है:

खर्च 2.2

संसाधन विभाग (2000-01)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं. (अ.सं. - अ.सं.)	अ.सं. (अ.सं. - अ.सं.)	अ.सं. (अ.सं. - अ.सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल खर्च	338487	335522	319610	-2964	-15912	-18877
2	योजना-भिन्न खर्च	250387	249284	236142	-1102	-13142	-14245
	(a)	73.97	74.30	73.88			
3	योजनागत खर्च/किसके संसाधन हैं	88100	86238	83468	-1862	-2770	-4632
	(a)	26.03	25.70	26.12			
3.1	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	36824.40	37969	38322	1145	353	1498
	#	41.80	44.03	45.91			
3.2	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	51275	48269	45146	-3007	-3122	-6129
	#	58.20	55.97	54.09			

टिप्पणी -a कुल खर्च का प्रतिशत
कुल योजनागत खर्च का प्रतिशत

3. उपरोक्त तालिका में ब्यौरों से पता चलेगा कि बजट अनुमानों की तुलना में योजनागत खर्च (वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता) 4,632 करोड़ रुपये कम है। यह कुल योजना अनुमानों का 5 प्रतिशत है। योजना-भिन्न खर्च में तदनुसारी कमी 5.7 प्रतिशत और निरपेक्ष दृष्टि से 14,245 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकार के खर्च में 5.6 प्रतिशत की कमी आई। योजना खर्च में 4632 करोड़ रुपये तक की कटौती, केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों की वार्षिक योजनाओं के लिए 6129 करोड़ रुपये तक की बजटीय सहायता में अधिक कटौती तथा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 1498 करोड़ रुपये अर्थात् 1500 करोड़ रुपये की वृद्धि में परिलक्षित है। संसाधनों में कमी के विवरण के संबंध में, जिसके फलस्वरूप योजनागत और योजना-भिन्न लेखों के संबंध में खर्च कम हुआ, चर्चा नीचे की गई है:

संसाधन विभाग 2000-2001 - खर्च

4. केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 117334 करोड़ रुपये था, जिसमें 51276 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और 66058 करोड़ रुपये के अनुमानित आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधन (आईबीआर) शामिल हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों द्वारा जुटाया जाना था। कुल बजटीय सहायता में से

10,370 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के योजनागत निवेशों के लिए आबंटित की गई थी, जबकि मात्र विभागीय योजना स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए आबंटित बजटीय सहायता की राशि 40906 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा विभागीय स्कीमों का सकल बजटीय सहायता में हिस्सा क्रमशः 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत था। 66058 करोड़ रुपये के आई ई बी आर तथा 10370 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कुल 76438 करोड़ रुपये के योजना निवेश की उम्मीद थी। दूसरे शब्दों में, वार्षिक योजना परिव्यय का 35 प्रतिशत मात्र विभागीय स्कीमों / कार्यक्रमों के लिए विनिश्चित था तथा योजना परिव्यय का 65 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खर्च किया जाना था। नीचे **संलग्नक 2.3** में वर्ष 2000-01 के लिए केन्द्र के वार्षिक योजना परिव्यय और अनुमानित खर्च का सारांश दिया गया है:

संलग्नक 2.3

वर्ष 2000-01 के लिए अनुमानित वार्षिक योजना परिव्यय (करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	2000-01 अनुमानित *	2000-01 वास्तविक	अंतर (अनुमानित-वास्तविक)
1	2	3	4	5
1	बजटीय सहायता- जिसमें से कुल	51276	48269	-3007
1क	केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों को बजट सहायता।	10370	10493	123
2	केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों के आई ई बी आर	66058	60318	-5740
3	योजना परिव्यय/ केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों के निवेश (1क+2)	76428	70811	-5617
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+2)	117334	108587	-8747

टिप्पणी: * अनुमोदित योजना परिव्यय

5. जैसा कि ऊपर पैराग्राफ-4 में बताया गया है, वर्ष 2000-01 के दौरान विभागीय स्कीमों और के.स.क्षे.उ. के संबंध में बजटीय सहायता का वास्तविक उपयोग 45146 करोड़ रुपये था जबकि बजट अनुमान 51276 करोड़ रुपये के थे, जो वार्षिक योजना अनुमानों का 88 प्रतिशत है। के.स.क्षे.उ. द्वारा अपने योजना निवेश हेतु आई ई बी आर की दृष्टि से फरवरी 2001 तक जुटाकर वास्तविक संसाधन 31752 करोड़ रुपये बताए गए हैं जबकि संशोधित अनुमानों में प्रोद्भूत की राशि 60318 करोड़ रुपये सम्भावित है। ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधित अनुमान भी काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए थे। आई ई बी आर जुटाने की मासिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस मद के संबंध में मार्च, 2001 मास के दौरान प्रोद्भूत की राशि 2700 करोड़ रुपये कही जा सकती है (जनवरी और फरवरी, 2001 तक प्रोद्भूत के बीच अन्तर)। वर्ष के अन्त में आई ई बी आर के मामले में संसाधनों की बंन्चिग / अचानक उथल-पुथल होने की सम्भावना बहुत कम है जबकि वित्त वर्ष के अन्तिम कुछ महीनों के दौरान बजट समर्थन के संबंध में खर्च की भाग-दौड़ सामान्य होती है। इसलिए यह मानते हुए कि मार्च

मास में आई ई बी आर प्रोद्भूत सामान्य था, वर्ष 2000-01 के दौरान के.स.क्षे.उ. द्वारा जुटाए गए संसाधन 34460 करोड़ रुपये अथवा 34500 करोड़ रुपये कहे जा सकते हैं। यह बजट अनुमानों का केवल 52 प्रतिशत होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर केन्द्र का योजना खर्च, बजट सहायता तथा अनुमानित आई ई बी आर को मिलाकर 79646 करोड़ रुपये अथवा योजना अनुमानों का 68 प्रतिशत बैठते हैं।

6. वार्षिक योजना 2000-01 के वित्तपोषण की स्कीम पर चर्चा, जैसा कि बजट में परिकल्पित है, और अनन्तिम लेखों में अन्तर्निहित वित्तपोषण की वास्तविक स्कीम से उन क्षेत्रों का पता चलेगा जहां योजना-भिन्न और योजना खर्च के वित्तपोषण में संसाधनों में कमी आई। ब्यौरा **निर्देश 2.4** में दिया गया है।

निर्देश 2.4

संसाधन विवरण वर्ष 2000-2001 के लिए (के.स.क्षे.उ. के अनुमानों के आधार पर)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं. (अ.सं. - अ.सं.)	अ.सं. (+अ.सं. - अ.सं.)	अ.सं. (+अ.सं. - अ.सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	-43233	-39278	-40909	3955	-1631	2324
2	ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष	20058	13544	10008	-6514	-3536	-10048
3	राजकोषीय घाटा	111275	111972	114369	697	2397	3094
4	योजना के लिए सकल बजटीय समर्थन के लिए संसाधन (1+2+3)	88100	86238	83468	-1862	-2770	-4632
5	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता	36824	37969	38322	1145	353	1498
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता (4 - 5)	51276	48269	45146	-3007	-3123	-6130
7	के.स.क्षे.उ. के आई ई बी आर	66058	60318	34500*	-5740	-25818	-31558
8	केन्द्र का योजना परिव्यय (6 + 7)	117334	108587	79646	-8747	-28941	-37688

* अस्थाई अनुमान

सिद्धान्त रूप में, राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों को मिलाकर सरकार की ऋण-भिन्न प्राप्तियां, योजना-भिन्न राजस्व खर्च और योजना-भिन्न पूंजी खर्च के विरुद्ध संतुलित होती हैं। इस प्रकार योजना के वित्तपोषण की स्कीम में दर्शाए गए चालू राजस्व से शेष तथा ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष में अधिशेष अथवा कमी से सरकार की राजकोषीय मजबूती का संकेत मिलता है।

कमी 12685 करोड़ रुपये की है। कर-राजस्व में 11016 करोड़ रुपये की तथा कर-भिन्न राजस्व में 1670 करोड़ रुपये की कमी आई।

८. केन्द्र की कर राजस्व प्राप्तियों में चिंता की बात हाल ही में विगत में देखी गई अस्थिर प्रवृत्ति है, जैसा कि नीचे **तabelle 2.6** में दर्शाया गया है:

तabelle 2.6

केन्द्र की कर राजस्व प्राप्तियों में चिंता की बात हाल ही में विगत में देखी गई अस्थिर प्रवृत्ति है, जैसा कि नीचे तabelle 2.6 में दर्शाया गया है:

वर्ष	केन्द्र की कर राजस्व प्राप्तियों में चिंता की बात हाल ही में विगत में देखी गई अस्थिर प्रवृत्ति है, जैसा कि नीचे तabelle 2.6 में दर्शाया गया है:	केन्द्र की कर राजस्व प्राप्तियों में चिंता की बात हाल ही में विगत में देखी गई अस्थिर प्रवृत्ति है, जैसा कि नीचे तabelle 2.6 में दर्शाया गया है:	केन्द्र की कर राजस्व प्राप्तियों में चिंता की बात हाल ही में विगत में देखी गई अस्थिर प्रवृत्ति है, जैसा कि नीचे तabelle 2.6 में दर्शाया गया है:
1996-97	15.2	9.41	15.77
1997-98	11.3	9.14	8.12
1998-99	15.5	8.18	3.29
1999-2000	11.3	8.75	19.08
2000-2001	12.2	8.58	10.00

वर्ष 2000-01 के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्यतः तीन कारकों के कारण हो सकती है। वर्ष 2000-01 के लिए सकल कर राजस्व के बजट अनुमानों में वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 13.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जिसका स्वयं का अर्थ 1998-1999 के वास्तविकों की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि है। इस प्रकार, वर्ष 2000-01 के बजट अनुमानों को असाधारणीय समझा जा सकता है। स.घ.उ. में सम्भावित वृद्धि भी नहीं हुई जिससे समग्र कर राजस्व प्रभावित हुआ। वर्ष के दौरान आयात में 0.2 प्रतिशत की कमी आई, जिसका सीमा शुल्क से वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विनिर्माण में मूल्यवर्धित वृद्धि दर अब (2000-01) 5.6 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि 1999-2000 के लिए यह 6.8 प्रतिशत थी, जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व वसूली प्रभावित हुई। इस प्रकार सीमा शुल्क से प्राप्तियों में बजट अनुमानों की तुलना में 5950 करोड़ रुपये तक की कमी आई। अनन्तिम लेखों के अनुसार, निगम कर में कमी 4355 करोड़ रुपये थी। केन्द्रीय उत्पाद कर से वसूली भी 2900 करोड़ रुपये कम हुई। परिणामस्वरूप, केन्द्र का सकल कर राजस्व, अन्य करों से 1200 करोड़ रुपये के सुधार को ध्यान में रखते हुए भी, 11900 करोड़ रुपये कम है। केन्द्र की कर संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अलग-अलग इन चार करों का योगदान सकल कर राजस्व में काफी है। इस समय (2000-01) हिस्सा लगभग 19 प्रतिशत (निगम कर), 17 प्रतिशत (वैयक्तिक आय-कर), 25 प्रतिशत (सीमा शुल्क) और 36 प्रतिशत (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) है। इसलिए इनमें से किसी भी कर में संग्रहण में पर्याप्त कमी से समग्र कर संग्रहण प्रभावित होता है। पिछले वर्षों में सकल कर राजस्व प्राप्तियों में अस्थिर प्रवृत्ति अंशतः इस तथ्य से भी परिलक्षित होती है।

9. प्रमुख कर राजस्व से मासिक संग्रहणों संबंधी रिपोर्टों में कर राजस्व के बकाया के संबंध में सूचना सम्मिलित है। इस संबंध में 31.3.2000 और 31.3.2001 की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

2.7

2.7.1

	31.3.2000	31.3.2001
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	8610.46	8184.87
सीमा शुल्क राजस्व	1034.33	1875.68
आयकर	31422.25	35022.89

2.7.2

10. कर-भिन्न प्राप्तियों के अन्तर्गत, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, रेलवे, दूर संचार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, सांविधिक निकायों, सहकारिताओं और सरकारी सेवकों से ब्याज प्राप्तियां एक प्रमुख मद है। मात्रा की दृष्टि से अगली मद भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, यथा एल आई सी, जी आई सी, आई डी बी आई आदि तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश प्राप्तियों के अन्तर्गत आती हैं। इन दो स्रोतों का हिस्सा वर्ष 1999-2000 में कुल कर-भिन्न राजस्व (53242 करोड़ रुपये) का 82 प्रतिशत था। सरकारी विभागों तथा संगठनों से सेवा प्रभारों की दृष्टि से प्राप्तियां (7925 करोड़ रुपये) उस वर्ष कर-भिन्न राजस्व का 15 प्रतिशत थी।

11. वर्ष 2000-01 के दौरान कर-भिन्न राजस्व में कमी, ब्याज प्राप्तियों के संबंध में 36,721 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के लगभग 12 प्रतिशत (3,947 करोड़ रुपये) थी। सेवा प्रभार, संग्रहण 148 करोड़ रुपये कम था। 4095 करोड़ रुपये की ये कमियां अंशतः लाभांशों और लाभों से 2,341 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्तियों से पूरी हो गई। संशोधित अनुमानों के समय ब्याज प्राप्तियों के मामले में बजट अनुमानों की तुलना में 1285 करोड़ रुपये से अधिक की ऊपर की ओर वृद्धि तथा बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविकों में 3947 करोड़ रुपये की कमी से पता चलता है कि कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान भी और अधिक वास्तविक होने चाहिए, विशेष रूप से जहां प्राप्तियां संविदात्मक दायित्वों के स्वरूप की हैं, जैसे कि ब्याज प्राप्तियों के मामले में। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 1,90,988 करोड़ रुपये हैं जो बजट अनुमानों की तुलना में 12,685 करोड़ रुपये की कमी की द्योतक हैं।

2.7.3

12. अनन्तिम लेखों के अनुसार योजना-भिन्न राजस्व खर्च 2,31,897 करोड़ रुपये अर्थात् 2,46,906 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 15,000 करोड़ रुपये कम है। पूंजीगत मदों पर परिव्यय की दृष्टि से रक्षा व्यय ही 9,280 करोड़ रुपये तक कम है। ब्याज अदायगियां 3900 करोड़ रुपये कम तथा अन्य योजना-भिन्न खर्च 5480 करोड़ रुपये कम था, जिसका मुख्य कारण कम पेंशन अदायगी (2600 करोड़ रुपये) और अनुदान (2,300 करोड़ रुपये) था। दूसरी ओर सब्सिडी में 3,680 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सामान

सूची वहन लागत तथा अन्तोदय कार्यक्रम में वृद्धि थी। योजना-भिन्न राजस्व व्यय में कुल मिलाकर कमी से बजट अनुमानों की तुलना में कर-भिन्न राजस्व अन्तर में 2,324 करोड़ रुपये का सुधार हुआ।

13. बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के बीच और कर-भिन्न व्यय के संबंध में संशोधित अनुमानों तथा वास्तविकों के बीच बड़ी नीचे की ओर भिन्नताओं से और अधिक वास्तविक अनुमानों को शामिल करने के लिए काफी गुंजाइश होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। बजट तैयार करने के समय योजना-भिन्न खर्च के अत्यन्त असाधारणीय ऊंचे स्तर पर रखे जाने से योजना के लिए सकल बजटीय सहायता में समुचित वृद्धि करने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

14. चालू राजस्व से ऋणात्मक शेष, जो 1999-2000 में केन्द्र की कुल कर राजस्व प्राप्तियों का 18 प्रतिशत था, 2000-01 में बढ़कर 21 प्रतिशत तक हो गया। समग्र राजस्व घाटा, जो 1999-2000 में 67,596 करोड़ रुपये था, स.घ.उ. का 3.5 प्रतिशत था। वर्ष 2000-01 में यह बढ़कर 81,707 करोड़ रुपये हो गया, अर्थात् अनुमानित स.घ.उ. का 3.7 प्रतिशत। राजस्व घाटे में इस बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्टतः 5 वर्ष की अवधि के दौरान योजना-भिन्न राजस्व अन्तर को कम करने तथा राजस्व घाटे के आशान्वित उन्मूलन की प्राप्ति के वास्ते भी विशाल संसाधन जुटाने के प्रयासों की जरूरत है। अतिरिक्त राजस्व संसाधन जुटाने तथा राजस्व घाटे में कटौती में तालमेल बिठाना वांछनीय और आवश्यक है, अन्यथा तदनुरूपी ए आर एम प्रयासों के बिना राजस्व घाटे में कटौती से योजना-भिन्न खर्च में वृद्धि किए बिना भी, योजना निवेश गम्भीर रूप से प्रभावित होगा।

बजट 2000-01 में राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत (करोड़ रुपये)

15. योजना के लिए सकल बजटीय सहायता, योजना-भिन्न खर्च (पूँजीगत और राजस्व) तथा सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व प्राप्तियों और ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों के शेष से उदभूत होती हैं। चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) से योजना-भिन्न राजस्व खर्च की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिशेष अथवा कमी का संकेत मिलता है तथा ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों के शेष से योजना-भिन्न पूँजी खर्च और ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों का पता चलता है। बजट / वार्षिक योजना अनुमान तथा ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों और योजना-भिन्न खर्च के तदनुरूपी अनन्तिम लेखे नीचे तालिका 2.8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.8

बजट 2000-2001 में राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत (करोड़ रुपये)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित	वास्तविक
1	ऋणों की वसूली	13539	12076
2	विनिवेश	10000	1870
3	अन्य पूँजी प्राप्तियां	-	307
4	योग-ऋण - भिन्न पूँजी प्राप्तियां	23539	14253
5	अनुमानित राजस्व अन्तर (करोड़ रुपये)	3481	4245
	क ऋण और अग्रिम	1948	2752

राशियों से आहरणों द्वारा 6084 करोड़ रुपये की कम राशि ली गई है तथापि बाजार उधारों व अन्य जमा राशियों आदि से प्राप्तियां बजट अनुमानों की तुलना में 9178 करोड़ रुपये अधिक रही हैं। केवल विदेशी ऋणों ने ही अधिक उधारों में 7461 करोड़ रुपये का योगदान किया। वापसी अदायगी की दृष्टि से आन्तरिक उधारों की तुलना में अधिक विदेशी ऋण से सम्भवतः ब्याज की अदायगी कम होगी। राजकोषीय घाटे में केवल मामूली वृद्धि और अधिक विदेशी उधारों से वर्ष के अन्त में राजकोषीय घाटे (2000-01) को सकारात्मक प्रवृत्तियां कहा जा सकता है। दूसरी ओर 2000-01 के दौरान मौद्रिक घाटे की राशि 6705 करोड़ रुपये है जबकि 1999-2000 के दौरान तदनुरूपी राशि (-) 5588 करोड़ रुपये थी।

राजकोषीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के सकल बजटीय संसाधन केन्द्र की वार्षिक योजना और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए आबंटित किए जाते हैं। वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और अनन्तिम लेखों के संबंध में इस बाबत विवरण निम्नलिखित 2.10 में दर्शाया गया है:

निम्नलिखित 2.10

राजकोषीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के सकल बजटीय संसाधन केन्द्र की वार्षिक योजना और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए आबंटित किए जाते हैं - 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित	संशोधित	अनन्तिम
1	सकल बजटीय सहायता	88100	86238	83468
2	केन्द्रीय सहायता के लिए बजटीय सहायता	51276 (58.20 प्रतिशत)	48269 (55.97 प्रतिशत)	45146 (54.09 प्रतिशत)
3	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	36824 (41.80 प्रतिशत)	37969 (44.03 प्रतिशत)	38322 (45.91 प्रतिशत)

टिप्पणी: -को-ठकों में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुपात, अनन्तिम लेखों के अनुसार, वार्षिक योजना / बजट अनुमानों की तुलना में 4.1 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में बजटीय संसाधनों के लिए केन्द्रीय सरकार के सकल बजटीय संसाधन केन्द्र की वार्षिक योजना और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए आबंटित किए जाते हैं - 2000-01

20. वित्तीय वर्ष के अन्त में बजटीय संसाधनों (सकल बजटीय सहायता) में देखी गई कमी (4632 करोड़ रुपये) बजट अनुमानों का 9 प्रतिशत है। आई ई बी आर की दृष्टि से के.स.क्षे.उ. द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधन भी 9 प्रतिशत तक कम होंगे यदि संशोधित अनुमानों की तुलना बजट अनुमानों के साथ की जाए। विगत अनुभव से पता चलेगा कि आई ई बी आर के वास्तविक संशोधित अनुमानों की तुलना में काफी कम थे। इसलिए वर्ष के

अन्त में आई ई बी आर बजट अनुमानों का लगभग 52-55 प्रतिशत हो सकते हैं। आई ई बी आर के बजट अनुमानों के विपरीत संशोधित अनुमानों पर के.स.क्षे.उ. की वार्षिक योजनाओं के संदर्भ में नीचे चर्चा की गई है। के.स.क्षे.उ. की वार्षिक योजनाओं के संदर्भ में आई ई बी आर के बजट अनुमानों के विपरीत संशोधित अनुमानों पर नीचे चर्चा की गई है।

अनुसूची 2.11 - 2000-01 के लिए वित्तपोषण के विवरण

21. वर्ष 1999-2000 के अन्त में 240 केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यम थे जिनमें से 8 कार्यान्वयन / निर्माण के अधीन थे। चल रहे 232 उद्यमों में से 157 उद्यम वस्तुओं का विनिर्माण / उत्पादन कर रहे थे, तथा 75 सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इन 232 उद्यमों में से केवल 95 को वार्षिक योजना 2000-01 (सं.अ.) में शामिल किया गया। इनमें से 31 उद्यम संबंधित क्षेत्रों, यथा दूर-संचार परिवहन, व्यापार और विपणन, निर्माण, परामर्श, पर्यटन सेवाओं में सेवाएं प्रदान कर रहे थे। अन्य उद्यम वस्तुएं उत्पादित / बिक्री कर रहे थे।

22. वर्ष 2000-01 के लिए केन्द्रीय स.क्षे. उद्यमों की योजनाओं के वित्तपोषण की प्रणाली का सारांश अनुसूची 2.11 में दिया गया है। प्रत्येक के.स.क्षे.उ. द्वारा योजना निवेश के वित्तपोषण के ब्यौरे अनुसूची 2.3 में दिए गए हैं।

अनुसूची 2.11

अनुसूची 2.11 - 2000-01 के लिए वित्तपोषण के विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	म. + ई.	°म. + ई.	+ई. + °म. + ई. - म. + ई.
1	2	3	4	5
I	वित्तपोषण (i+ii)	10370	10493	123
i	इक्विटी	8303	8033	-270
ii	ऋण	2067	2460	393
II	वित्तपोषण	39281	41200	1919
III	उधार (i+ii+iii)	26777	19118	-7659
i	बांड/ऋण-पत्र	7769	8444	675
ii	ई सी बी/सप्लायर्स क्रेडिट	6222	4275	-1947
iii	अन्य *	12785	6399	-6387
iv	वित्तपोषण (i+ii+iii)	76423	70811	-5617

संशोधित सार्वजनिक जमा, अन्तर-निगम अन्तरण आदि

वित्तपोषण के विवरण + वित्तपोषण के विवरण + वित्तपोषण के विवरण

23. ऊपर दी गई तालिका से पता चलेगा कि वर्ष 2000-01 के लिए के.स.क्षे.उ. का कुल योजनागत निवेश बजट अनुमानों में 76,428 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था, जिसका वित्तपोषण 10,370 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 39,281 करोड़ रुपये के आन्तरिक संसाधनों से और 26,777 करोड़ रुपये के देशीय तथा विदेशी उधारों से किया जाना था। संशोधित अनुमानों के अनुसार के.स.क्षे.उ. का कुल परिव्यय 70,811 करोड़ रुपये था, जो बजट अनुमानों की तुलना में 5617 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि: (क) बजटीय सहायता बजट अनुमानों की तुलना में मामूली तौर पर कम होगी, (ख) बांडों और ऋण-पत्रों के माध्यम से आन्तरिक संसाधन तथा आन्तरिक उधार अधिक होने की उम्मीद है, और (ग) विदेशी वाणिज्यिक उधारों तथा अन्य अल्पकालिक आन्तरिक ऋण संसाधनों के संबंध में काफी कमी होगी।

24. संशोधित अनुमानों में के.स.क्षे.उ. द्वारा योजना निवेश के लिए बजटीय सहायता मामूली सी अधिक है। आन्तरिक संसाधनों के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में 4.9 प्रतिशत अधिक है। यह प्रत्याशित सुधार भारतीय रेलों द्वारा वास्तविक आन्तरिक संसाधन जुटाने पर, जहां 3700 करोड़ रुपये का सुधार होने की उम्मीद है, कोयला तथा खान मंत्रालय / विभागों में उद्यमों पर निर्भर करेगा, जहां बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 287 करोड़ रुपये और 156 करोड़ रुपये तक के ऊंचे स्तर के आईआर की उम्मीद है। अन्य अधिकांश उद्यम बजट अनुमानों की तुलना में कम आन्तरिक संसाधन जुटाएंगे।

25. यद्यपि बांडों और ऋण-पत्रों के जरिए उधारों के संबंध में बजट अनुमानों की तुलना में मामूली सुधार होने की प्रत्याशा है, किन्तु विदेशी वाणिज्यिक उधारों और आन्तरिक अल्पकालिक उधारों के संबंध में बजट अनुमानों की तुलना में काफी कमी होने की प्रत्याशा है। बाद वाली मद से, विदेशी पूंजी बाजार से निधियां जुटाने की उद्यमों की कठिनाइयां तथा इन उद्यमों से सम्भावित तुलनात्मक प्रतिफल के संबंध में निवेशकों के बोध की झलक मिलती है।

26. पिछले वर्षों की भांति, केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों को "कर-मुक्त बांडों" के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई। बांडों / ऋण-पत्रों के माध्यम से जुटाई जाने वाली 7769 करोड़ रुपये (ब. अ.) की लक्षित राशि के अन्दर परमाणु ऊर्जा और गैर-परम्परागत ऊर्जा, सड़क परिवहन, रेलवे, शहरी विकास क्षेत्रकों सहित ऊर्जा क्षेत्रक में के.स.क्षे. उद्यमों को 500 करोड़ रुपये तक के कर-मुक्त बांडों के जरिए संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई। बताया गया है कि आबंटन का पूरी तरह से लाभ उठाया गया है। विवरण **Table 2.4** में दिया गया है।

27. संक्षेप में, के. स. क्षे. उद्यमों द्वारा वास्तविक रूप से संसाधन जुटाने की राशि तथा योजनागत खर्च बजट अनुमानों की तुलना में काफी कम होने की सम्भावना है। इस संबंध में ऊपर पैरा 5 में की गई टिप्पणी संगत है। बजट अनुमानों के मूल्यांकन की भांति, आई ई बी आर के अनुमान भी विशेष रूप से और अधिक वास्तविक रूप से किए जाने की जरूरत है। कुछेक क्षेत्रकों के अर्न्तगत आने वाले उद्यमों के निष्पादन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कुछ मंत्रालयों के अधीन के. स. क्षे. उद्यमों का उनके समग्र योजनागत निवेश में एक बड़ा हिस्सा है, जैसाकि **Table 2.12** में दर्शाया गया है।

तुलनात्मक 2.12

संशोधित. संशोधित. संशोधित (2000-01) का तुलनात्मक तुलनात्मक (वर्ष +.)

संशोधित तुलनात्मक

क्र. सं.	संशोधित. संशोधित.	संशोधित+संशोधित	संशोधित/संशोधित	संशोधित	संशोधित	संशोधित संशोधित+संशोधित
1	संचार	38.90	35.79		18.64	33.58
2	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	19.78	7.00	23.95	47.22	21.20
3.	रेलवे	18.69				12.78
4	ऊर्जा		20.54	48.41		9.35
5	शहरी मामले और शहरी रोजगार		27.05			
6	कोयला				11.26	
7	इस्पात और खान					
8	नौवहन			16.99		
	कुल	77.37	90.38	89.35	77.12	76.91

संशोधित 2001-02 संशोधित संशोधित

28. वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की असंतोषजनक राजकोषीय स्थिति के संबंध में सरकार की गम्भीर चिन्ता जाहिर की गई है। बजट प्रस्तुत करने के समय, केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला राजकोषीय घाटा स. घ. उ. के 10 प्रतिशत के आस-पास था। इस प्रकार राजकोषीय घाटे को सीमित करने का दृढ़ निर्णय बजट प्रस्ताव तैयार करने में एक प्रमुख कारक बना हुआ है। तथापि, संवृद्धि तथा सहिष्णुता दोनों दर्शाने वाले अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं और केन्द्र, राज्यों तथा संघ क्षेत्रीय योजनाओं के लिए बजटीय सहायता में समुचित वृद्धि बनाए रखने की जरूरत को उचित रूप से ध्यान में रखा गया। स.घ.उ. वृद्धि, विकासात्मक आवश्यकताओं और 4.7 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के अनुरूप प्राप्तियों और खर्च के बजट अनुमान मुख्य रूप से वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों पर आधारित थे।

संशोधित संशोधित संशोधित

29. वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्र के योजना-भिन्न व्यय के लिए प्रावधान में वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.4 प्रतिशत वृद्धि की गई है जो मुख्य रूप से ब्याज अदायगियों में वृद्धि को पूरा करने तथा राज्य सरकारों को अनुदानों के लिए है। वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है, जिसमें केन्द्र की वार्षिक योजना में 23.2 प्रतिशत की वृद्धि तथा राज्यों और संघ क्षेत्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 7 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

तथापि, 2000-01 के वार्षिक योजना / बजट अनुमानों की तुलना में वार्षिक योजना 2001-02 के लिए समग्र सकल बजटीय सहायता में केवल 13.6 प्रतिशत की वृद्धि निहित है। राज्यों तथा संघ क्षेत्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में तथा केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता में तदनुसूची वृद्धि क्रमशः 10.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत होगी। केन्द्रीय सरकार के खर्च का सारांश **संलग्नक 2.13** में दर्शाया गया है।

संलग्नक 2.13

संलग्नक 2.13 - 2000-01 (°ई +ई.) +ई 2001-02 (ई. +ई.)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2000-01 (°ई +ई.)	2001-02 (ई. +ई.)
1	2	3	4
1	कुल व्यय	335522	375223
2	योजना-भिन्न व्यय	249284	275123
	@	74.30	73.32
3	योजना व्यय / जिसके संसाधन	86238	100100
	@	25.70	26.68
3.1	राज्य तथा संघ क्षेत्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	37969	40644
	#	44.03	40.60
3.2	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	48269	59456
	#	55.97	59.40

टिप्पणी:- @ कुल व्यय का प्रतिशत

केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता

30. वर्ष 2001-02 के लिए कुल सरकारी व्यय में योजना और योजना-भिन्न व्यय में बजट अनुमानों में प्रत्येक मामले में केवल एक प्रतिशत की भिन्नता है; वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में योजनागत व्यय में एक प्रतिशत की वृद्धि तथा योजना-भिन्न व्यय में एक प्रतिशत की कमी। तथापि, योजनागत व्यय के अन्दर, राज्यों तथा संघ क्षेत्रीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 4.6 प्रतिशत कम होगी जबकि केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता, वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में वार्षिक योजना 2001-02 में उस सीमा तक अधिक होगी। किन्तु कुल सरकारी व्यय में उनके हिस्से की दृष्टि से खर्च की इन भिन्न-भिन्न मद्दों के घटक लगभग वही हैं जिनकी वर्ष 2000-01 के बजट में व्यवस्था की गई थी।

संलग्नक 2.14 - 2001-02

31. वर्ष 2001-02 के लिए 130181 करोड़ रुपये का वार्षिक योजना परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार क्षेत्रक उद्यमों के 70725 करोड़ रुपये के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधन तथा

59456 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) शामिल है। केवल के स क्षेत्र उद्यमों के लिए बजटीय सहायता का आबंटन 10411 करोड़ रुपये है, जिससे केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों की विभागीय स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए 49045 करोड़ रुपये जी बी एस का शेष रह जाता है। इस प्रकार के स क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान वर्ष 2001-02 में जी बी एस का घटकर 17.5 प्रतिशत रह गया जबकि वर्ष 2000-01 सं अ में यह 21.7 प्रतिशत तथा ब अ में 20.2 प्रतिशत था। वर्ष 2001-02 के दौरान प्रत्याशित योजना निवेश, वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों के 65 प्रतिशत प्रावधान की तुलना में केन्द्र के योजनागत परिव्यय का 62 प्रतिशत होगा। दूसरे शब्दों में, योजना निवेश, के स क्षेत्र द्वारा बजटीय सहायता सहित, आनुपातिक दृष्टि से कम है जबकि विभागीय स्कीमों के लिए बजटीय सहायता में 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में केन्द्र की वार्षिक योजना 2001-02 में वृद्धि हुई है। संगत विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14

सकल बजटीय सहायता 2001-02

(करोड़ रुपये)				
क्र. सं.	विवरण	2001-02 सं. * ₹.	2000-01 सं. ₹.	परिवर्तन (तालिका 3-4)
1	2	3	4	5
1	बजटीय सहायता जिसमें से	59456	48269	11187
1क	के. स. क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता	10411	10493.07	-82
2	के. स. क्षेत्र के लिए आई ई बी आर	70725	60318	10407
3	के. स. क्षेत्र का योजना परिव्यय/निवेश (1क + 2)	81137	70811	10326
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+ 2)	130181	108587	21595

टिप्पणी: * अनुमोदित योजना परिव्यय

सकल बजटीय सहायता 2001-02 के अंतर्गत केन्द्र के लिए आवंटित राशि

32. वर्ष 2001-02 के लिए बजट में 231745 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां (निवल) तथा 27164 करोड़ रुपये की निवल ऋण पूंजी प्राप्तियां सम्मिलित हैं। योजना भिन्न राजस्व व्यय तथा योजना भिन्न पूंजी व्यय क्रमशः 270555 करोड़ और 4568 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इस प्रकार चालू राजस्व से शेष (-) 38810 करोड़ रुपये होने तथा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष 22596 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। 116314 करोड़ रुपये के अनुमानित राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए सकल बजटीय सहायता 100100 करोड़ रुपये निश्चित की गई है। सकल बजटीय सहायता तथा केन्द्र की वार्षिक योजना को वित्तपोषित करने की स्कीम **तालिका 2.1** में दी गई है। चालू राजस्व से शेष, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों से शेष तथा राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के ब्यौरों पर नीचे चर्चा की गई है।

सकल कर राजस्व

33. उम्मीद है कि वर्ष 2001-02 के दौरान केन्द्र के सकल कर राजस्व में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कर-भिन्न राजस्व में वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। निरपेक्ष दृष्टि से, वर्ष 2001-02 के बजट के अनुसार समग्र राजस्व प्राप्तियां 231745 करोड़ रुपये होगी। क्योंकि योजना-भिन्न राजस्व व्यय, रक्षा पूंजी सहित, 270555 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है इसलिए चालू राजस्व से शेष (-) 38810 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

राजस्व प्राप्तियों के संशोधित अनुमानों की तुलना

34. वर्ष 2001-02 के लिए बजट प्रस्तावों में राजस्व प्राप्तियों के संबंध में वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 25579 करोड़ रुपये की वृद्धि का उद्देश्य है। निरपेक्ष दृष्टि से वर्ष 2001-02 के लिए 231745 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां, वर्ष 2000-01 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 12.4 प्रतिशत की तथा अनन्तिम लेखों की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि का द्योत्तक है। अनन्तिम लेखों की तुलना में अनुमानित वृद्धि संगत है और उस आधार पर, राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों का अर्थ अच्छी सम्भावना था।

सकल कर राजस्व

35. 226649 करोड़ रुपये की सकल कर राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा **तालिका 2.15** में दिखाया गया है। प्रमुख करों, यथा निगम कर, आय-कर, सीमाशुल्क और केन्द्रीय शुल्क से वसूली की दृष्टि से वसूली में सम्भावित वृद्धि वर्ष 2000-01 के लिए अनन्तिम लेखों की तुलना में क्रमशः लगभग 24 प्रतिशत, 28 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रमुख करों से प्राप्तियों के अनन्तिम अनुमान वर्ष 1999-2000 के वास्तविकों से केवल 10 प्रतिशत अधिक होने तथा वर्ष 2000-01 में सभी करों से सकल कर राजस्व, 1999-2000 के वास्तविकों की तुलना में केवल 9.7 प्रतिशत अधिक है, वर्ष 2000-02 के दौरान राजस्व संग्रह के बजट अनुमान प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत होगी। इसके अलावा, अभी तक वित्तीय वर्ष में कर संग्रहण बजट अनुमानों के अनुरूप नहीं है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल कर संग्रहण, 2000-01 की तदनुसूची अवधि की तुलना में 4688 करोड़ रुपये कम है। जून 2001 तक इस तिमाही के दौरान एकत्रित केन्द्र का निवल कर राजस्व बजट अनुमानों का 10 प्रतिशत है जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह बजट अनुमानों का 15 प्रतिशत था। इसलिए कर राजस्व संबंधी बजट अनुमानों को प्राप्त करने में सन्निहित प्रयास वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान वस्तुतः अत्यधिक होंगे।

2.15

2000-01

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वर्ग	2000-01	2000-01	2000-01	2000-01	2000-01	2000-01	2000-01	2001-02	9-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	निगम कर	35040	38721	35685	3681	-3036	645	44200	5479	
2.	वैयक्तिक आयकर	30510	35271	31674	4761	-3597	1164	40600	5329	
3.	सीमा शुल्क	55000	49781	47623	-5219	-2158	-7377	54822	5041	
4.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	68000	70681	68350	2681	-2331	350	81720	11039	
5.	अन्य	4834	3867	5033	-967	1166	199	5307	1440	
6.	सकल कर राजस्व *	193384	198321	188365	4937	-9956	-5019	226649	28328	
7.	राज्यों का हिस्सा	52061	52418	51673	357	-745	-388	61618	9200	
8.	निवल कर राजस्व	141323	144403	135193	3080	-9210	-6130	163031	18628	

* 1500 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय आपदा आकास्मिक निधि को अंतरित

2.16

36. 68714 करोड़ रुपये पर निश्चित कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें 697 करोड़ रुपये के विदेशी अनुदान शामिल हैं, का अर्थ है वर्ष 2000-01 के लिए अनन्तिम खातों की तुलना में 23 प्रतिशत की तथा संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि। यद्यपि 2001-02 के संबंध में बजट अनुमान वर्ष 2000-01 के संबंध में कर-भिन्न राजस्व के संशोधित अनुमानों की तुलना में उचित प्रतीत हो सकते हैं, तथापि वर्ष 2000-01 के अनन्तिम लेखों से वर्ष 2001-02 के दौरान अनुमानित कर-भिन्न राजस्व वसूल करने में कठिनाई का पता चलता है। इसके अलावा, 2000-01 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर केवल 4.79 थी। कर संग्रहणों के मामले की भांति, वित्त वर्ष में कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियां उत्साहवर्धक नहीं रही हैं। जून 2001 तक कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण, वित्त वर्ष 2000 की तदनुसूची अवधि के दौरान संग्रहण की तुलना में 3109 करोड़ रुपये कम है। बजट अनुमानों की प्रतिशतता की दृष्टि से, इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान संग्रहण पिछले वर्ष के 14 प्रतिशत की तुलना में ब.अ. के 7 प्रतिशत थे। कर-भिन्न राजस्व की प्रमुख मदों के संबंध में कमियां रही हैं, अर्थात् लाभांश और लाभ तथा ब्याज प्राप्तियां, जबकि बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2000-01 की तुलना में अनुमानित सुधार की आशा है। इसलिए कर-भिन्न राजस्व के बजट अनुमानों को बनाए रखने के लिए बृहत प्रयास अपेक्षित हैं।

अर्थव्यवस्था-संबंधी प्रमुख बिंदु

37. वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों में, योजना-भिन्न राजस्व व्यय के संबंध में 2000-01 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा पूंजी और सीमावर्ती सड़कों पर परिव्यय शामिल है। निरपेक्ष दृष्टि से यह वृद्धि 25202 करोड़ रुपये बैठती है। मात्र ब्याज अदायगी देनदारी 11633 करोड़ रुपये अधिक होगी। रक्षा परिव्यय में 2461 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है जबकि राज्यों को अनुदान और योजना-भिन्न व्यय में क्रमशः 2394 करोड़ रुपये और 672 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है। सब्सिडियों का स्तर 26949 करोड़ रुपये की तुलना में 29801 करोड़ रुपये पर रखा गया है जो 2852 करोड़ रुपये की वृद्धि को परिलक्षित करता है। कुल मिलाकर, योजना-भिन्न राजस्व व्यय के मामले में 1995-96 से 1999-2000 तक 14-20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 के दौरान यह वृद्धि कम होकर 8 प्रतिशत पर आ गई। पिछली प्रवृत्ति को देखते हुए, 2001-02 के दौरान योजना-भिन्न राजस्व व्यय में प्रत्याशित वृद्धि उचित प्रतीत होती है। तथापि, वर्ष 2001-02 के लिए चालू राजस्व से शेष (-) 38810 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2000-01 के लिए सं. अ. में यह राशि (-) 39278 करोड़ रुपये थी जो मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों की पूरी वसूली पर निर्भर करेगा, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है।

वर्ष 2001-02 के दौरान ऋण-भिन्न खर्च (वित्त-सहायता) का अनुमान

38. ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों तथा योजना-भिन्न पूंजीगत खर्च के संबंध में वर्ष 2001-02 के बजट / वार्षिक योजना अनुमान और तदनुसारी अन्तिम लेखे नीचे **तालिका 2.16** में दिए गए हैं।

वर्ष 2001-02 के दौरान ऋणों की वसूली के बजट अनुमानों का अर्थ वर्ष 2000-01 के लिए निरपेक्ष रूप से 3000 करोड़ रुपये और वास्तविकों की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि है। ऋणों की वसूली के संबंध में पिछली प्रवृत्ति वर्ष 2001-02 के लिए ऐसी वृद्धि का समर्थन नहीं करती। वस्तुतः 1999-2000 के दौरान ऋणों की वसूली (10131 करोड़ रुपये) 1998-99 के लिए वास्तविकों से कम थी (10633 करोड़ रुपये)। वर्ष 2001-02 के दौरान विनिवेशों से अनुमानित प्रोद्भवन भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आशावादी हैं कि 2000-01 के दौरान वसूली केवल 1870 करोड़ रुपये थी। **तालिका 2.16** के अनुसार, वर्ष 2001 के लिए वित्त-सहायता का अनुमानित खर्च 5000 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के 12000 करोड़ रुपये से 58 प्रतिशत कम है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऋण-भिन्न पूंजीगत खर्च के अभाव में है, जो पिछले वर्ष के 12000 करोड़ रुपये से 58 प्रतिशत कम है।

निर्देश 2.16

वर्ष 2000-01 से 2001-02 तक के लिए राजकोषीय घाटे का विवरण (करोड़ रुपये)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2000-01	2001-02
1	ऋणों की वसूली	12076	15164
2	विनिवेश	1870	12000
3	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	307	-
4	जोड़-ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	14253	27164
5.	राजकोषीय घाटे (करोड़ रुपये)	4245	4568
	(क) ऋण और अग्रिम	2752	2533
	(ख) योजनेतर पूंजीगत परिव्यय	1493	2035
	राजकोषीय घाटे (करोड़ रुपये) (4-5)	10008	22596

39. जहां तक योजना-भिन्न पूंजीगत खर्च का संबंध है, ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान पिछले आबंटनों से अधिक भिन्न नहीं है और वास्तव में यह 2000-01 के लिए अनन्तिम लेखों से 220 करोड़ रुपये कम है। वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना-भिन्न पूंजी में वृद्धि मुख्यतः सिक्कों हेतु धातुओं की खरीद, कार्यालय भवनों और रिहायशी स्थान के निर्माण के लिए अधिक प्रावधान के कारण है। किन्तु वर्ष के दौरान अनुमानित ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां वसूल करना आसान नहीं होगा। विनिवेशों से प्राप्तियों का स्तर ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से शेष की वसूली अथवा कमी का स्तर निर्धारित करेगा।

संशोधन प्रस्ताव

40. वर्ष 2001-02 के अनुमानों में लघु बचतों, भविष्यनिधियों, व अन्य विशेष जमा राशियों का हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा है क्योंकि विदेशी ऋणों से सम्भावित प्राप्तियां लगभग 5600 करोड़ रुपये कम होगी। वर्ष 2001-02 के दौरान राजकोषीय घाटे का विवरण, बाजार उधारों तथा सरकारी खर्च के वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित अन्य ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों सहित नीचे निर्देश 2.17 में दिया गया है:

2.18

2000-01 (+) 2001-02 (₹. ₹.)

(₹)

क्र. सं.	विवरण	2000-01	₹. ₹. 2001-02
1.	सकल बजटीय सहायता	83468	100100
2.	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	45146 (54.09 प्रतिशत)	59456 (59.40 प्रतिशत)
3.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	38322 (45.91 प्रतिशत)	40644 (40.60 प्रतिशत)

टिप्पणी: को-ठकों में दिए गए आकड़े कुल का प्रतिशत इंगित करते हैं।

42. वार्षिक योजना 2001-02 में सकल बजटीय सहायता में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा अन्तिम लेखों की तुलना में 5.3 प्रतिशत कम होगा किन्तु केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता के हिस्से में अन्तिम लेखों की तुलना में उस सीमा तक सुधार है। तथापि यदि दो वर्षों के बजट प्रस्तावों की तुलना की जाए तो इन मदों के संबंधित हिस्सों में कोई परिवर्तन नहीं है।

केन्द्रीय योजना निवेश = कुल बजटीय सहायता × (केन्द्रीय सहायता / कुल सहायता) × 100

43. केन्द्र की वार्षिक योजना, 2001-02 में के.स.क्षे.उ. द्वारा 81137 करोड़ रुपये के योजना निवेश की परिकल्पना की गई है। यह वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्र की वार्षिक योजना का 62 प्रतिशत है जबकि उद्यमों द्वारा 76428 करोड़ रुपये का योजना निवेश किया गया जो केन्द्र की वार्षिक योजना, 2000-01 में 94 प्रतिशत है। इस प्रकार, केन्द्र की वार्षिक योजना में के.स.क्षे.उ. का योजना निवेश कम होता जा रहा है। तथापि अब भी यह कुल वार्षिक योजना परिव्यय के 60 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए के.स.क्षे.उ. द्वारा योजना निवेश में कमी से केन्द्र के योजना खर्च पर पर्याप्त रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। क्योंकि के.स.क्षे.उ. के योजना निवेश चालू वर्ष के दौरान वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में केवल मौद्रिक दृष्टि से 14.5 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं इसलिए के.स.क्षे.उ. के कामकाज पर बारीकी से निगरानी रखने तथा अनुमानित योजना निवेश को प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किए जाने की जरूरत है। वर्ष 2001-02 के लिए 10411 करोड़ रुपये की राशि के.स.क्षे.उ. के लिए बजटीय सहायता उद्यमों द्वारा योजना निवेश का 12.8 प्रतिशत बैठती है। यह वार्षिक योजना 2000-01 में शामिल 13.6 प्रतिशत के तदनुसारी प्रावधान की तुलना में भी मामूली रूप से कम है। इसलिए अनुमानित बजटीय सहायता भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। 2001-02 के दौरान के. स. क्षे. उ. द्वारा प्रस्तावित योजना निवेश का ब्यौरा 2.19 दर्शाया गया है।

जैसाकि वार्षिक योजना 2000-01 सम्बन्धी चर्चा में उल्लेख किया गया था, कुल निवेश में इन मंत्रालयों / विभागों के उद्यमों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए योजना निवेश की पूर्ति की ओर केन्द्रित ध्यान दिया जाना होगा।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष 2000-01: परिचालन

45. 25 राज्यों के लिए वर्ष 2000-01 के सम्बन्ध में अनुमोदित कोर योजना परिव्यय (उपलब्ध सूचना उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन से पहले की अवधि से सम्बन्धित है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल के नवगठित राज्यों के मामले में 2000-01 के लिए मद विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं हैं) 84,497 ¹ करोड़ रुपये पर स्थिर (परिचालन 2.6) रखा गया था जो कि 1999-2000 की अनुमोदित योजना से 174 करोड़ रुपये कम था। वार्षिक योजना 2000-01 के 84,497 करोड़ रुपये के संसाधनों के पूर्ण योग में राज्यों के अपने संसाधनों (एस ओ आर) के रूप में 47,189 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता के रूप में 37,308 करोड़ रुपये सम्मिलित है। इसके विपरीत राज्यों की वार्षिक योजना का ताजा अनुमान 74,066 करोड़ रुपये था जो कि अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक कम है। सबसे ताजा अनुमानों के अनुसार राज्यों के अपने संसाधन अनुमोदित वार्षिक योजना से 17 प्रतिशत से अधिक तथा केन्द्रीय सहायता लगभग 6 प्रतिशत कम रही। ताजा अनुमानों में से शेष राशि (बी.सी.आर.) में गिरावट तथा राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एस.एल.पी.ई.) के योगदान का परिणाम है।

निष्कर्ष 2000-01 के लिए (परिचालन 2.6)

46. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए सभी 25 राज्यों के समग्र वित्तपोषण की अनुमोदित स्कीम में (-) 24,358 करोड़ रुपये का बी सी आर शामिल थी, जिसमें से (-) 3,606 करोड़ की राशि विशेष श्रेणी राज्यों से और (-) 20,751 करोड़ रुपये की राशि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों (परिचालन 2.8) से सम्बन्धित थी। सभी राज्यों के बीसीआर में 45,00 करोड़ रुपये के एआरएम का प्रावधान था, जिसमें उपाध्यक्ष स्तर की बैठकों में राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिबद्ध 461 करोड़ रुपये का एआरएम शामिल नहीं है (परिचालन 2.6 और 2.9)। राज्यों के बीसीआर में 1998-00 में तेज गिरावट आ गई जिसका कारण एक तो वेतन संशोधनों के निमित्त राजस्व खर्च तथा दूसरे राजस्व प्राप्ति में सुधार लाने में राज्यों की असफलता थी। सहराज्य केन्द्रीय करों के रूप में अभिवर्धित केन्द्रीय प्रत्यायोजन तथा ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) द्वारा अनुशंसित योजनेतर घाटा अनुदान के कारण 2000-01 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना की बीसीआर में वृद्धि हुई है। तथापि ताजा अनुमानों के अनुसार बीसीआर गिरकर पुनः ई.एफ.सी. से पूर्व की स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि राज्य स्वयं अपने कर तथा करेतर राजस्वों की वसूली करने में असफल रहे। ऐसा देखा गया कि 25 राज्यों से सम्बन्धित ताजा अनुमानों के अनुसार केवल दो राज्य अर्थात् गुजरात और कर्नाटक वास्तविक बीसीआर बनाए रखने में सफल रह सके हैं। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से सम्बन्धित बीसीआर विवरण (परिचालन 2.9) से यह स्पष्ट हो जाता है कि बीसीआर में गिरावट के प्रमुख कारण ताजा अनुमानों के अनुसार वार्षिक योजना की तुलना में राज्यों की स्वयं अपनी राजस्व प्रगति में गिरावट तथा उच्चतर गैर-विकासात्मक व्यय रहे हैं।

1. 84497 करोड़ रुपये के समग्र संसाधनों से कम क्योंकि सिक्किम का अनुमोदित योजना परिव्यय, योजना के समग्र संसाधनों की तुलना में 21 करोड़ रुपये कम है। अधिशेषन राशि 2001-02 में राज्य के बकाया ऋण की वापसी के लिए निमित्त खर्च की जानी थी।

47. नौवीं योजना में सभी राज्यों की बी सी आर (-) 15,390 करोड़ रुपये (1996-97 के मूल्यों पर) प्रक्षेपित की गई थी। ऐसी संभावना है कि तुलनात्मक मूल्यों पर योजना अवधि के चार वर्षों के भीतर नौवीं योजना के लिए राज्यों की बीसीआर प्रक्षेपित ऋणात्मक बीसीआर से लगभग छः गुणा अधिक गुणा अधिक हो जाएगी।

तालिका 2.21

वार्षिक योजना 2000-01 में एआरएम

राज्य	एआरएम		प्रक्षेपित एआरएम		कुल	
	A (₹)	Aa (₹)	A (₹)	Aa (₹)	A (₹)	Aa (₹)
विशेष श्रेणी राज्य	-46.76	-785.74	7753.02	7732.82	7706.26	6947.08
गैर-विशेष श्रेणी राज्य	47235.48	39667.86	29555.38	27451.07	76790.86	67118.93
कुल	47188.72	38882.12	37308.40	35183.89	84497.12	74066.01

एआरएम में परिवर्तन (A + Aa)

48. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए सभी राज्यों के कुल एआरएम का 10,425 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था जिसमें से गैर-विशेष राज्यों के एआरएम, 10,175 करोड़ रुपये बैठते हैं (तालिका 2.9)। कुल एआरएम में 4500 करोड़ रुपये के बजटीय एआरएम मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिबद्ध 461 करोड़ रुपये के एआरएम सम्मिलित हैं (तालिका 2.6 + तालिका 2.9) जो नवीनतम अनुमानों में संबंधित शीर्षों के साथ एकीकृत हो गए हैं जैसे कि बीसीआर और एसएलपीई का योगदान, और एसएलपीई द्वारा 5463 करोड़ रुपये के एआरएम संसाधनों के नवीनतम अनुमान के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए एआरएम 6,846 करोड़ रुपये थे, जबकि विशेष श्रेणी राज्य केवल 111 करोड़ रुपये जुटा सके (तालिका 2.9)। संलग्नक 2.9 में दी गई सारणी से पता चलता है कि राज्यों ने वार्षिक योजना 2000-01 के संबंध में संसाधनों के नवीनतम अनुमान में बजटीय एआरएम का 87 प्रतिशत जुटाया, एसईबी द्वारा 39 प्रतिशत एआरएम और आरटीसी द्वारा 83 प्रतिशत एआरएम जुटाए गए। राज्यों द्वारा प्रतिबद्ध एआरएम जुटाने में उनकी असमर्थता उनके अपने-अपने संसाधनों में कमी का प्रमुख कारण है। अनुमोदित योजना में एसईबी के लिए प्रस्तावित एआरएम की असंतोषजनक वसूली का कारण राज्यों द्वारा टैरिफ संशोधन और विद्युत क्षेत्रक सुधार में पेश आई कठिनाइयां हैं। तथापि, यह देखा जा सकता है कि क्योंकि बताए गए एआरएम उपाय केवल नए एआरएम हैं इसलिए वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से संसाधन जुटाने का प्रभाव एआरएम उपायों के संचयी प्रभाव के कारण कहीं अधिक होगा।

एआरएम में परिवर्तन (A + Aa)

49. राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) और राज्य परिवहन निगम (एसआरटीसी) का योगदान कुल मिलाकर वार्षिक योजना 2000-01 के लिए (-) 5646 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें राज्य विद्युत बोर्डों से (-) 5417 करोड़ रुपये का योगदान (तालिका 2.10) और राज्य सड़क परिवहन निगमों से (-) 229 करोड़ रुपये की राशि शामिल है (तालिका 2.11)। वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए इन दो मुख्य राज्य सरकार उपक्रमों के मिले जुले योगदान के नवीनतम अनुमान में (-) 8351 करोड़ रुपये की कमी आई (तालिका 2.10 + तालिका 2.11)। राज्य विद्युत बोर्डों के योगदान में वार्षिक योजना पूर्वानुमान में 1.5 गुना से अधिक की गिरावट आई तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों के योगदान में भी नवीनतम अनुमान के अनुसार गिरावट आई। तथापि, क्योंकि "अन्य एसएलपीई" से योजना के लिए सकारात्मक योगदान की वजह से (ए पी में 1118 करोड़ रुपये और एल ई में 855 करोड़ रुपये), एसएलपीई से योजना के लिए कुल योगदान में सुधार होकर यह राशि ए पी में (-) 4528 करोड़ रुपये तथा एल ई स्तर पर (-) 7496 करोड़ रुपये हो गई। किसी भी राज्य के राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्यों की योजना के लिए संसाधनों में कोई सकारात्मक योगदान नहीं किया। तालिका 2.22 में बीसीआर, एसएलपीई के योगदान तथा मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिबद्ध एआरएम के अर्न्तगत वार्षिक योजना, 2000-01 के लिए संसाधन जुटाने के नवीनतम अनुमान की तुलना में संसाधनों के पूर्वानुमान की तुलनीय स्थिति प्रस्तुत की गई है।

तालिका -2.22

राज्य विद्युत बोर्डों 2000-01 के लिए अनुमानित योगदान (करोड़ रुपये)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित योगदान	अनुमानित योगदान + प्रतिबद्ध
1	बीसीआर	-24357.53	-34616.89
2.	एस एल पी ई से योगदान	-4528.40	-7495.88
3	मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिबद्ध एआरएम	461.31	0.00
	कुल	-28424.62	-42112.77

राज्य सरकार के वित्तपोषण के लिए

50. राज्य सरकार कर्मचारी भविष्यनिधियां, वार्षिक योजना के वित्तपोषण का, विशेष रूप से 1998-99 से, वेतनमानों के संशोधन तथा बकायों को अवरुद्ध करने से, एक महत्वपूर्ण घटक बन गई हैं। अनुमोदित वार्षिक योजना 2000-01 में राज्य भविष्यनिधियों से प्रोद्भवन के रूप में 14,121 करोड़ रुपये का पूर्वानुमान लगाया गया था, 1999-2000 (पी ए) के लिए 17,926 करोड़ रुपये से कम। संसाधनों के नवीनतम अनुमानों में राज्य भविष्यनिधियों का हिस्सा 14,245 करोड़ रुपये रखा गया है। इस शीर्ष के अर्न्तगत उधारों तथा लघु बचतों से, जो परियोजना-सम्बद्ध नहीं हैं, राज्यों द्वारा योजनाओं के वित्तपोषण का सर्वाधिक लोकप्रिय स्रोत बन गए हैं। इसके साथ ही भविष्यनिधियों और लघु बचतों से बड़े पैमाने पर उधार लेने से राज्यों की कुल देनदारियां असंधारणीय स्तर तक बढ़ जाने का खतरा है।

संदर्भ

51. लघु बचतों से निवल संग्रहणों के बदले ऋण, राज्यों के स्वयं के संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस शीर्ष के अर्न्तगत वार्षिक योजना के लिए पूर्वानुमान 27,049 करोड़ रुपये था, जो राज्यों के स्वयं के संसाधनों का 57 प्रतिशत और योजना के लिए कुल संसाधनों का लगभग 32 प्रतिशत बैठता है। इस पूर्वानुमान के विपरीत, राज्यों द्वारा संसाधनों के नवीनतम अनुमानों से लघु बचतों के विरुद्ध निवल ऋणों के रूप में 28,999 करोड़ रुपये की राशि इंगित की गई है (तालिका 2.6)। यह नवीनतम अनुमान के अनुसार राज्यों के स्वयं के संसाधनों का तीन-चौथाई तथा नवीनतम कुल संसाधनों का 39 प्रतिशत है।

52. केन्द्रीय सरकार ने लघु बचतों पर ब्याज दरों में जनवरी 2000 में कटौती की थी और राज्यों का हिस्सा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया था। जमा राशियों पर ब्याज की दर में कटौती के साथ-साथ लघु बचतों से ऋणों पर ब्याज 13.5 प्रतिशत से कम करके 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2001-02 में लघु बचतों और भविष्यनिधियों पर ब्याज दरों में मार्च 2001-02 से 1.5 प्रतिशत की और कमी की घोषणा की गई तथा कम दरों का लाभ राज्यों को अन्तरित करने का वायदा किया गया। इससे लघु बचतों से राज्यों को उधार की लागतों में 100 से 150 आधार बिन्दुओं की कमी आएगी। इसके अलावा, राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक पर ब्याज 50 आधार बिन्दु कम कर दिया गया। राज्यों द्वारा सा भ नि पर ब्याज दरों को संगत बनाने तथा केन्द्र में घटी हुई भविष्यनिधि ब्याज दरों से राज्य सरकारों के ब्याज बोझ में और कमी आएगी।

आर्थिक + वित्तीय संवर्धन = वित्त की आवश्यकताएँ

53. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए वित्तपोषण पद्धति में खुले बाजार उधार (एसएलआर आधारित) के 10,815 करोड़ रुपये सम्मिलित थे (तालिका 2.6)। संसाधनों के नवीनतम अनुमान से बाजार उधार के अर्न्तगत 11,670 करोड़ रुपये की वृद्धि का संकेत मिलता है। परक्रामित ऋणों व अन्य वित्त में एलआईसी, जीआईसी, नाबार्ड, आरईसी, आईडीबीआई, हुडको व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सम्मिलित हैं। वार्षिक योजना 2000-01 में इस शीर्ष के अर्न्तगत, 15,042 करोड़ रुपये का पूर्वानुमान लगाया गया है जिसमें से नवीनतम अनुमान के अनुसार प्राप्त की गई राशि 15,537 करोड़ रुपये थी। चूंकि इस शीर्ष के अर्न्तगत ऋण विशिष्ट विकास परियोजनाओं, जैसे कि आवासन, ग्रामीण सड़कों, सफाई, पेय जल आपूर्ति आदि के लिए होते हैं इसलिए ये राज्यों के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध निधियों को दर्शाते हैं।

वित्त की आवश्यकताएँ = आर्थिक (आर्थिक) उर्ध्व वृद्धि / जीडीपी

54. "बांड तथा ऋण-पत्र" शीर्ष के अर्न्तगत राज्यों की वार्षिक योजना की वित्तपोषण पद्धति में 14,802 करोड़ रुपये की राशि (तालिका 2.6) की व्यवस्था की गई थी, जिसे उनके निगमों द्वारा जुटाया जाना था। नवीनतम अनुमान के अनुसार जुटाई गई राशि 15,8979 करोड़ रुपये थी। क्योंकि राज्य सरकारें इन साधनों के लिए गारंटी प्रदान करती हैं इसलिए राज्यों की आकस्मिक देनदारी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि ये निगम ब्याज तथा किश्तों की अदायगी करने के लिए लाभ अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं इसलिए उनकी ऋण परिशोधन देनदारी अन्ततः राज्यों पर आ जाती है। इससे राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।

वित्तपोषण के लिए

55. वार्षिक योजना 2000-01 के वित्तपोषण की अनुमोदित स्कीम में 37,308 करोड़ रुपये की (खण्ड 2.6) राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है, जिसमें 15,752 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता, ईएपी के लिए एसीए के 11,085 करोड़ रुपये और विभिन्न क्षेत्र कार्यक्रमों और विशेष योजना सहायता के अर्न्तगत 10,472 करोड़ रुपये शामिल हैं। संसाधनों के नवीनतम अनुमान के अनुसार 35,184 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का संकेत मिलता है। केन्द्र के बजट अनुमानों में (2000-01) राज्य योजनाओं के लिए 35,743 करोड़ रुपये (खण्ड 2.5) की राशि की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए 3,055 करोड़ रुपये शामिल हैं। 16,540 करोड़ रुपये की सामान्य केन्द्रीय सहायता (एसीए) के बजट को संशोधित करके 15,736 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि ईएपी के लिए केन्द्रीय सहायता को संशोधित अनुमानों में 6000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

56. एनसीए तथा ईएपी के लिए एसीए को छोड़कर राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत दी जाती है। इनमें पीएमजीएसवाई, पीएमजीवाई, मलिन बस्ती विकास, सड़कें और पुल, एआईबीपी, विशेष योजना सहायता तथा विभिन्न अन्य क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस शीर्ष के अर्न्तगत अनुमोदित 10472 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता (खण्ड 2.6) के विपरीत, नवीनतम अनुमान के अनुसार, राज्यों द्वारा वसूल की गई 9787 करोड़ रुपये की राशि का संकेत मिलता है।

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए (एसीए+एसीए) के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए

57. राज्यों की वार्षिक योजना के वित्तपोषण की अनुमोदित स्कीम से विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 11,085 करोड़ रुपये का संकेत मिलता है (खण्ड 2.6)। दूसरी ओर वर्ष 2000-01 के केन्द्रीय बजट में पहले से ही निश्चित हो चुकी तथा पाइपलाइन में विदेशी सहायता के माइक्रो-परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजनार्थ 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केन्द्र द्वारा ईएपी के लिए संशोधित अनुमानों से बजट प्रावधान को 7,500 करोड़ रुपये तक बढ़ाए जाने का संकेत मिलता है (खण्ड 2.5) जबकि राज्यों द्वारा संसाधनों के नवीनतम अनुमान, 11,085 करोड़ रुपये के ए पी अनुमान के विपरीत 10,138 करोड़ रुपये की कमी दर्शाते हैं (खण्ड 2.6)। यद्यपि राज्यों के लिए ईएपी के अर्न्तगत निधियों के बेहतर उपयोग में तेजी लाना आवश्यक है, जिससे कि इस शीर्ष के अर्न्तगत और अधिक निधियां आकर्षित हो सकें, तथापि परियोजनाओं की स्थानीय लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान की व्यवस्था करना भी जरूरी है।

विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण के लिए

58. विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का वित्तपोषण पूरी तरह से केन्द्रीय सहायता के माध्यम से किया जाता है। विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् दिल्ली और पाण्डिचेरी) के लिए वर्ष 2000-01 हेतु योजना परिव्यय 3,612 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था जिसमें 3300 करोड़ रुपये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए और 312 करोड़ रुपये पाण्डिचेरी के लिए सम्मिलित हैं। बीसीआर, एआरएम और लघु बचतों के विरुद्ध ऋण, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली और पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के स्वयं के स्रोतों का एक प्रमुख भाग है। इन दोनों

संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2000-01 के वित्तपोषण की अनुमोदित स्कीम के अनुसार कुल केन्द्रीय सहायता 561 करोड़ रुपये अनुमानित है।

केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित)

59. सभी विशेष श्रेणी राज्यों (सात उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर) की वित्तपोषण पद्धति उसी प्रणाली पर तैयार की गई थी जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए है (अर्थात् ऋणात्मक राज्यों के स्वयं के संसाधनों को मिलाकर)। वर्ष 2000-01 के संबंध में इन राज्यों के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 7685 करोड़ रुपये अनुमानित था (अनुच्छेद 2.21 को पृष्ठ 65 पर पाद टिप्पणी के साथ पढ़ा जाए), जिसमें से केन्द्रीय सहायता लगभग 101 प्रतिशत थी। संसाधनों के नवीनतम अनुमान के अनुसार कुल संसाधन 6,947 करोड़ रुपये हैं, जो वार्षिक योजना अनुमान की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम हैं। एसओआर में पर्याप्त कमी के परिणामस्वरूप, नवीनतम अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना हेतु कुल संसाधनों की लगभग 111 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित)

60. सभी राज्यों के लिए अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में कुल 3,54,664 करोड़ रुपये के संसाधनों का पूर्वानुमान लगाया गया था। इनमें 1,85,889 करोड़ रुपये के राज्यों के स्वयं के संसाधन तथा 1,68,775 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। सतत कीमतों पर नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान (1997-2001) सम्भावित प्राप्ति 2,15,877 करोड़ रुपये बैठती है, जो पूर्वानुमान का मात्र लगभग 61 प्रतिशत है। यद्यपि एस ओ आर के अर्न्तगत वसूली 1,12,022 करोड़ रुपये है, तथापि केन्द्रीय सहायता के अर्न्तगत 1,03,855 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

अनुच्छेद 2.23

केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित) के अन्तर्गत 1997-2001 के दौरान राज्यों के स्वयं के संसाधनों की प्राप्ति

क्र. सं.	वर्णन	केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित)	1997-2001 के दौरान राज्यों के स्वयं के संसाधनों की प्राप्ति	केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित) के अन्तर्गत राज्यों के स्वयं के संसाधनों की प्राप्ति
		(अनुच्छेद 2.21)	(अनुच्छेद 2.21)	
		(1996-77 केन्द्रीय सहायता)		
1.	राज्यों की स्वयं की निधियां	3814.19	-116908.59	-3065.10
2.	राज्यों के उधार	182075.10	228930.45	125.73
3.	केन्द्रीय सहायता	168775.00	103854.67	61.53
	कुल	354664.29	215876.52	60.87

61. उपरोक्त तालिका में (तालिका 2.23) योजना के लिए कुल संसाधन राज्यों की स्वयं की निधियों (एसओएफ) की दृष्टि से प्रस्तुत हैं जिनमें एसओआर के उधार-रहित घटक, राज्यों के स्वयं के उधार और केन्द्रीय

सहायता सम्मिलित है। एस ओ आर में योजना वित्तपोषण के उधार-रहित घटक हैं: चालू राजस्व से शेष (बीसीआर), एसएलपीई का योगदान, विविध पूंजीगत प्राप्तियां (एमसीआर-निवल) और सकारात्मक प्रारम्भिक / अन्तिम शेष, यदि कोई हो। यह स्पष्ट है कि नौवीं योजना पूर्वानुमान की तुलना में राज्यों के एसओएफ में काफी कमी आई है। दूसरी ओर, राज्यों ने पूर्वानुमानित उधारों की सीमा नौवीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के अन्दर पहले ही पार कर ली है। पूर्वानुमानित केन्द्रीय सहायता की कम प्राप्ति मुख्य रूप से ईएपी के लिए केन्द्रीय सहायता की कम खपत के कारण बताई गई है।

बिना संश्लेषण

62. योजना के वित्तपोषण में चिन्ता के मुख्य क्षेत्र हैं:- (क) योजना के वित्तपोषण के लिए वचनबद्ध संसाधन पूर्वानुमान और वास्तविक प्राप्ति के बीच व्यापक अन्तर; (ख) राज्यों के बीसीआर में बढ़ता राजस्व घाटा और गिरावट; (घ) योजना वित्तपोषण हेतु लघु बचतों के बदले ऋणों पर बढ़ती निर्भरता; और (ङ) विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन जिसकी वजह से कम खपत तथा अधिक विदेशी सहायता आकर्षित करने में असफलता। बजटीय उपायों के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास एपी स्तर पर वचनबद्धता से अधिकांशतः कम रहे हैं जिसके फलस्वरूप एलई स्तर पर बीसीआर में कमी आई। अधिकांश राज्य अपनी योजना का वित्तपोषण उधारों के जरिए कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप ऋण परिशोधन का भार बढ़ा है जो चिन्ताजनक अनुपात में पहुंच गया है। नवीन कर तथा कर-भिन्न उपायों के जरिए अपने संसाधन जुटाना राज्यों के लिए आवश्यक है। राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे कर सुधार उपायों, विद्युत टैरिफ के युक्तिकरण, परिवहन भाडों, जल दरों, एसएलपीई के कामकाज में सुधार, और व्यर्थ सरकारी खर्च में, विशेष रूप से योजना-भिन्न गैर-विकासात्मक खर्च में कटौती करके अपने संसाधन बढ़ाएं। यद्यपि यह अनिवार्य है कि पूंजी निवेश के वित्तपोषण के लिए उधारों का सहारा लिया जाए तथापि राज्य सरकारों को विवेकपूर्ण निवेश संबंधी निर्णय करके सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार सृजित पूंजी से ऋण के परिशोधन हेतु पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त राज्यों को ई ए पी का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए तथा और अधिक विदेशी निधियां आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए जिनके आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होने की सम्भावना है। यद्यपि इस मद का सबसे अंत में उल्लेख किया जा रहा है, किसी भी दृष्टि से इसका महत्त्व किसी अन्य मद से कम नहीं है।

केन्द्र के योजना परिव्यय का वित्त पोषण (2000-01, 2001-02)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	संसाधन	2000-01			2001-02
		ब.अ.	सं.अ.	अनन्तिम	ब.अ.
	1	1	2	3	4
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	-43234	-39277	-40909	-38810
2	ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से शेष	20058	13544	10008	22596
3	राजकोषीय घाटा	111275	111972	114369	116314
4	योजना के लिए सकल बजटीय सहायता के लिए संसाधन	88100	86238	83468	100100
5	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता	36824	-37969	-38322	-40644
6	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	51276	48269	45146	59456
7	के.स.से.उ.के.आई ई बी आर	66058	60318	34500*	70725
8	केन्द्र का योजना परिव्यय	117334	108587	79646	130181

* सीपीएसई के अन्य संसाधनों में अन्तर-निगम उधार, वाणिज्यिक पत्र तथा जमा प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

चालू राजस्व से शेष (केन्द्र का बी सी आर (संघ राज्य क्षेत्रों सहित)
(2000-01 : 2001-02)

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	मद	2000-01 ब.अ.	2000-01 सं.अ.	2000-01 अनंतिम	2001-02 ब.अ.
	1	2	3	4	5
I	राजस्व प्राप्तियाँ				
1	घटा राजस्व (सकल)*	200288	198321	188365	226649
2	घटा: केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	54079	52418	51673	61618
3	घटा: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के लिए अन्तरण कर राजस्व (निवल)(1-2)	146209	144403	135192	163031
4	कर भिन्न राजस्व **	57464	61763	55795	68714
	योग- अ - राजस्व प्राप्तियां (3 +4)	203673	206166	190987	231745
II	योजना - भिन्न राजस्व व्यय				
1	ब्याज अदायगियां	101266	100667	97342	112300
2	रक्षा	58587	54461	49306	62000
3	राजकोषीय सहायता (सब्सिडी)	22800	26949	26480	29801
4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	17676	16144	14759	18538
5	विदेशी सरकारों को अनुदान	421	404	0	474
6	सीमावर्ती सड़कें	212	233	233	255
7	अन्य योजना - भिन्न राजस्व व्यय	45944	46585	43776	47187
	योग आ : योजना - भिन्न राजस्व व्यय	246907	245443	231896	270555
III	बी सी आर (I - II)	-43234	-39277	-40909	-38810

** विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय पक्ष में घटाया गया है ।

योजना निवेश के लिए सी पी एस ई के संसाधन

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट अनुमान - 2000-01								
		बजट सहायता			आंतरिक संसाधन सी ई	अन्य संसाधन			योग (7 से 9)	कुल योग (योजना) (5+6+10)
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ऋण पत्र ई एस	ईसीबी/सप्लायर्स ए.एस. क्रेडिट	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोल इंडिया लि.	0	87	87	889	0	1379	435	1814	2790
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	360	360	275	0	333	200	533	1168
3	सिंगरेनी कोलरीज कं. लि.	55	9	65	199	0	0	64	64	328
4	एम टी एन एल	0	0	0	2155	0	0	0	0	2155
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	1163	0	0	0	0	1163
6	दूर संचार	0	0	0	13848	2152	0	0	2152	16000
7	एयर इंडिया	0	0	0	332	100	0	244	344	675
8	इण्डियन एयरलाइन्स	0	0	0	460	0	90	0	90	550
9	इफको	0	0	0	250	0	0	0	0	250
10	कृभको	0	0	0	700	0	0	0	0	700
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0	0	0	26	0	0	0	0	26
12	आई पी सी एल	0	0	0	187	0	0	0	0	187
13	गैल	0	0	0	268	200	218	300	718	986
14	ओ एन जी सी	0	0	0	5207	0	0	0	0	5207
15	भारतीय तेल निगम	0	0	0	432	0	740	3328	4068	4500
16	एन टी पी सी	0	117	117	778	500	645	500	1645	2539
17	नाभिकीय विद्युत निगम	671	163	834	104	334	0	0	334	1272
18	पावर ग्रिड निगम	5	103	108	740	650	1277	0	1927	2775
19	सेल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	भारतीय रेल	3291	0	3291	4041	0	0	3668	3668	11000
21	भारतीय नौवहन निगम	0	0	0	113	0	454	0	454	567
	उप जोड़ (1 से 21)	4022	840	4862	32168	3936	5136	8738	17810	54840
22	अन्य उद्यम	42801227	5508	7114	3833	1086	4047	8967	21588	21588
	योग	8303	2067	10370	39281	7769	6222	12785	26777	76428

टिप्पणी: - आंतरिक संसाधनों में "आगे लाए गए अधिशेष" सम्मिलित नहीं है और योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए लगाए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

योजना निवेश के लिए सी पी एस ई के संसाधन

(करोड़ रुपये)

क्रं. सं.	मुख्य उद्यम	संशोधित अनुमान - 2000-01								
		बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	अन्य संसाधन			योग (7 से 9)	कुल आई ईबीआर
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ऋण पत्र	ई सी बी/ सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोल इंडिया लि.	0	92	92	1269	0	0	406	406	1675
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	290	290	291	0	283	200	483	774
3	सिगरेनी कोलरीज कं. लि.	61	3	65	55	0	0	115	115	170
4	एम टी एन एल	0	0	0	1645	0	0	0	0	1645
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	1972	0	0	0	0	1972
6	दूर संचार			0	12350	2994	0	1176	4170	16520
7	एयर इंडिया	0	0	0	700	0	0	0	0	700
8	इण्डियन एयरलाइन्स	0	0	0	589	0	0	0	0	589
9	इफको	0	0	0	42	0	0	96	96	138
10	कृभको	0	0	0	134	0	0	56	56	190
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0	0	0	32	0	0	112	112	144
12	आई पी सी एल	0	0	0	170	0	0	0	0	170
13	गैल	0	0	0	498	0	177	475	652	1150
14	ओ एन जी सी	0	0	0	4818	0	0	0	0	4818
15	भारतीय तेल निगम	0	0	0	2118	0	700	1311	2011	4129
16	एन टी पी सी	0	117	117	748	900	702	0	1602	2350
17	नाभिकीय विद्युत निगम	586	163	749	78	316	0	0	316	394
18	पावर ग्रिड निगम	5	70	75	680	597	809	0	1406	2086
19	सेल	0	0	0	0	398	0	102	500	500
20	भारतीय रेल	3291	249	3540	7709	0	0	0	0	7709
21	भारतीय नौवहन निगम	5	5	9	180	0	454	0	454	634
	उप-योग(1 से 21)	3948	989	4937	36078	5204	3126	4048	12379	53393
22	अन्य उद्यम	4085	1472	5556	5123	3240	1149	2350	6739	17418
	सकल योग	8033	2460	10493	41200	8444	4275	6399	19118	60318

टिप्पणी :* आंतरिक संसाधनों में " आगे लाए गए अधिशेष " सम्मिलित नहीं है और योजना परियोजना के वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधनों तथा नवसृजित बीएसएनएल सम्मिलित है, तक सीमित हैं।

योजना निवेश के लिए सी पी एस ई के संसाधन

(करोड़ रुपये)

क्रं. सं.	मुख्य उद्यम	बजट अनुमान - 2001-02									
		बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	अन्य संसाधन			योग (7 से 9)	योग (6 से 9)	कुल योग (5+6+10)
		इक्विटी	ऋण	योग (3 +4)		बांड/ऋण पत्र	ईसीबी/ सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	कोल इंडिया लि.	0	46	46	1212	0	0	1052	1052	2264	2310
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0	283	283	225	100	181	200	481	706	989
3	सिंगरेनी कोलरीज कं. लि.	0	0	0	265	0	0	90	90	355	355
4	एम टी एन एल	0	0	0	1600	0	0	0	0	1600	1600
5	विदेश संचार निगम लि.	0	0	0	1815	0	0	0	0	1815	1815
6	दूर संचार	0	0	0	11341	5233	0	0	5233	16574	16574
7	एयर इंडिया	0	0	0	435	0	10	0	10	445	445
8	इण्डियन एयरलाइन्स	0	0	0	460	0	0	0	0	460	460
9	इफको	0	0	0	162	0	0	50	50	212	212
10	कृमको	0	0	0	77	0	0	323	323	400	400
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0	0	0	30	0	0	130	130	160	160
12	आई पी सी एल	0	0	0	86	64	0	0	64	150	150
13	गैल	0	0	0	842	0	58	250	308	1150	1150
14	ओ एन जी सी	0	0	0	6077	0	0	0	0	6077	6077
15	भारतीय तेल निगम	0	0	0	2579	0	940	2481	3421	6000	6000
16	एन टी पी सी	0	0	0	933	1450	623	0	2073	3006	3006
17	नाभिकीय विद्युत निगम	782	242	1024	80	69	0	0	69	149	1173
18	पावर ग्रिड निगम	0	0	0	196	1300	1373	0	2673	2869	2869
19	सेल	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
20	भारतीय रेल	3540	0	3540	6500	0	0	0	0	6500	10040
21	भारतीय नौवहन निगम	5	5	10	243	0	593	0	593	836	846
	उप-योग(1 से 21)	4327	576	4903	35158	8216	3778	5076	17070	17070	57131
22	अन्य उद्यम	4626	883	5508	6269	7141	1359	3729	12229	12229	24006
	कुल योग	8953	1459	10411	41427	15357	5137	8805	29299	70725	81137

टिप्पणी : * आंतरिक संसाधनों में " आगे लाए गए अधिशेष " सम्मिलित नहीं है योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधनों तथा नवसृजित बी एस एन एल सम्मिलित है, तक सीमित हैं।

संलग्नक 2.4

केन्द्रीय मंत्रालयों /सीपीएसई/ वित्तीय संस्थानों को कर-मुक्त बांडों का आबंटन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मूल मंत्रालय / संगठन	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र / उद्यम	1998-99 ब.अ.	1998-99 वास्तविक	1999-2000 ब.अ.	1999-2000 वास्तविक	2000-01 ब.अ.	2000-01 अनन्तिम
1	परमाणु ऊर्जा	एनपीसी	125	125	100	100	60	60
2	डीएनईएस	आईआरडीडीए	90	90	50	50	50	50
3	विद्युत	@	350	350	200	200	150	150
4	रेलवे	आईआरएफसी	200	257	200	200	70	70
5	रेलवे	केआरसी	160	160	100	100	70	70
6	शहरी विकास	हुडको	165	165	150	150	100	100
7	शहरी विकास	एनसीआरबी	60	0	0	0	0	0
8	भा.रि.बैंक	नाबार्ड	50	0	0	0	0	0
9	भा.रि.बैंक	एनएचबी	200	200	150	150	100	100
		एनएचएआई	0	0	0	0	0	0
	योग		1400	1347	950	950	600	600

@ सीपीएसई के बीच आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

टिप्पणी : वर्ष 2000-2001 के लिए कर-मुक्त बांडों के 500 करोड़ रुपए का आबंटन (रा.आ.बैंक को आबंटनों को छोड़कर) 15357 करोड़ रुपए की अनुमति प्राप्ति का मांग होगी जिसे योजना, निवेश हेतु सीपीएसई द्वारा बांडों/ऋणों के निर्गम द्वारा जुटाया जाएगा।

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, 2000-01 और 2001-02

(करोड़ रुपये)

क्र.संख्या.	मद	2000-01		2001-02
		बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5
क.	राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता			
	अ). राज्य योजनाएं			
1	सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए)*	16540.00	15735.70	18609.00
2	मलिन (स्लम) बस्ती विकास @	365.81	320.55	386.00
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	1712.00	1712.00	2000.00
4	ईएपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	6000.00	7500.00	6500.00
5	विशेष योजना सहायता	500.00	300.00	700.00
6	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता @	120.00	0.00	120.00
7	पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय संसाधन पूल से सहायता		235.00	0.00
8	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) @	2500.00	2500.00	2500.00
9	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) @	2500.00	2350.00	2800.00
10	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी)	1000.00	1000.00	1500.00
11	सड़कें और पुल	990.00	990.00	962.00
	कुल योग - अ	32227.81	32643.25	36077.00
	आ). क्षेत्र कार्यक्रम			
1	पहाडी क्षेत्र तथा पश्चिम घाट क्षेत्र (एचएडीपी एण्ड डब्ल्यूजीडीपी)	400.00	694.00	160.00
2	जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)	400.00	400.00	500.00
3	पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी)	450.00	415.00	450.00
4	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	210.00	210.00	240.00
5	चल खेती का नियंत्रण	15.00	15.00	15.00
6	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमपीएलएडीएस)	1580.00	1830.00	1580.00
	उप योग- आ	3055.00	3564.00	2945.00
	ई) आर ई सी	460.00	460.00	460.00
	योग (अ + आ + ई)	35742.81	36667.25	39482.00
ख.	संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	1081.59	1302.15	1162.00
1	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	483.96	555.83	498.00
2	विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	597.63	746.32	664.00
ग.	कुल योग (क + ख)	36824.40	37969.40	40644.00

* न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण शामिल है।

राज्यों के योजना परिव्यय की वित्तपोषण पद्धति 1999-2000 और 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	मद	1999-2000		2000-01	
		वार्षिक योजना	वास्तविक पूर्व	वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान
1	2	3	4	5	6
क.	राज्यों के संसाधन				
	1. चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	-30359.03	-38550.36	-24357.53	-34616.89
	2. राज्य सृजित सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान (एसएलपीईएस)	-2647.65	-8478.32	-4528.40	-7495.88
	3. राज्य भविष्यनिधियां	17379.32	17925.64	14121.19	14245.18
	4. विविध पूंजी प्राप्ति (नेट) (एमसीआर)	-6888.76	-1126.49	-10904.51	-10705.99
	5. वित्त आयोग के तहत विशेष अनुदान	3067.68	2057.71	3483.58	3386.35
	6. लघु बचतों के विरुद्ध ऋण	25698.75	25639.60	27048.70	28999.47
	7. बाजार उधार(नेट) (एसएलआर मूल)	10966.03	11790.58	10815.14	11669.90
	8. पराक्रमित ऋण व अन्य वित्त	12177.33	11720.82	15042.25	15537.36
	9. राज्य स्तर सरकारी उद्यमों द्वारा बांड/ऋण-पत्र	12480.55	13759.47	14801.77	15878.50
	10. मुख्य मंत्रियों द्वारा सहमत ए आर एम	3570.21	125.00	461.31	0.00
	11. प्रारंभिक शेष का समायोजन	1073.00	2346.78	1205.22	1984.12
	योग क	46517.43	37210.43	47188.72	38882.12
ख.	केन्द्रीय सहायता				
	12. सामान्य (फार्मूला आधारिता) केन्द्रीय सहायता (एनसीए)	15,573.64	16624.99	15751.76	15258.70
	13. ईएपी के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	12,860.74	6389.17	11084.69	10138.02
	14. अन्य *	9,698.38	7174.61	10471.95	9787.17
	योग ख	38,132.76	30,188.77	37,308.40	35,183.89
ग.	कुल योजना संसाधन (क + ख)	84,650.19	67399.20	84497.12	74066.01
	* पीएमजीवाई, स्लम बस्ती विकास, एआईबीपी, क्षेत्र कार्यक्रम, आदि सम्मिलित हैं ।				

गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के चालू राजस्व से शेष (एनएससीएस) 1999-2000 और 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्रम.सं.	मद	1999-2000		2000-01	
		ए.पी	पी.ए	ए.पी	एलई
1	2	3	4	5	6
I	चालू दरों पर राजस्व प्राप्तियां				
	1. केन्द्रीय करों का हिस्सा	39139.69	35741.65	44190.02	43391.12
	2. राज्यों के स्वयं का कर राजस्व	102819.99	99051.96	121449.49	114355.16
	3. कर-भिन्न राजस्व	14824.92	14533.74	15026.33	12378.41
	4. केन्द्र से अनुदान (योजना-भिन्न)	2892.72	5028.34	6370.16	8070.13
	5. निधियों से अंतरण	293.81	347.87	352.91	458.45
	योग I	159971.13	154703.56	187388.91	178653.27
II	योजना - भिन्न राजस्व व्यय				
	1. ब्याज अदायगी	40720.04	40722.23	48937.84	48432.03
	2. ऋण के परिहार/कटौती के लिए विनियोजन	935.41	1000.78	1266.38	1308.39
	3. अन्य गैर विकास व्यय	46977.74	52399.52	54470.91	56723.44
	4. योजना-भिन्न विकास व्यय	85386.90	91732.60	95681.98	95244.42
	5. निधियों को अंतरण	1914.75	1442.19	2140.48	2221.06
	6. वेतन संशोधन, म.भ. आदि	9352.03	0.00	5643.24	5168.27
	योग II	185286.86	187297.32	208140.83	209097.61
III	चालू राजस्व से शेष (I + II)	-25315.73	-32593.76	-20751.92	-30444.34

राज्यवार चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) 1999-2000 और 2000-01

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	1999-2000		2000-01	
		वार्षिक योजना	वास्तविक - पूर्व	वार्षिक योजना	अद्यतन अनुमान
क.	विशेष श्रेणी				
	1. अरुणाचल प्रदेश	-84.89	-127.63	-90.90	-134.20
	2. असम	-832.28	-1263.67	-916.76	-1062.78
	3. हिमाचल प्रदेश	-925.76	-1047.08	-890.23	-890.23
	4. जम्मू और कश्मीर	-1325.29	-1744.10	-264.67	-635.10
	5. मणिपुर	-317.42	-549.87	-261.44	-221.47
	6. मेघालय	-224.78	-170.01	-60.78	-93.94
	7. मिजोरम	-374.10	-82.80	-178.50	-180.12
	8. नागालैंड	-257.62	-271.43	-366.49	-366.49
	9. सिक्किम	-187.73	-169.53	-21.99	-36.99
	10. त्रिपुरा	-513.43	-530.48	-553.85	-551.23
	योग क	-5043.30	-5956.60	-3605.61	-4172.55
ख.	गैर - विशेष श्रेणी				
	1. आंध्र प्रदेश	-298.93	-268.18	-1409.73	-1115.56
	2. बिहार	-4038.49	-3044.42	-1514.99	-3094.44
	3. गोवा	-146.99	-124.82	-156.33	-113.11
	4. गुजरात	1079.29	-1500.72	1030.93	71.73
	5. हरियाणा	119.03	-711.58	-556.17	-333.73
	6. कर्नाटक	50.61	26.80	362.48	196.56
	7. केरल	-1660.00	-1672.46	-652.76	-1108.09
	8. मध्य प्रदेश	-499.69	-1296.24	-694.23	-793.25
	9. महाराष्ट्र	-1795.39	-1009.30	-559.27	-3818.23
	10. उड़ीसा	-1384.59	-1286.67	-1392.41	-1365.31
	11. पंजाब	-1385.97	-2336.78	-1712.66	-2382.09
	12. राजस्थान	-2003.46	-3132.80	-1203.19	-2413.79
	13. तमिलनाडु	-1015.13	-2397.56	-1763.81	-2260.83
	14. उत्तर प्रदेश	-5532.93	-5436.67	-5148.70	-5578.15
	15. पश्चिम बंगाल	-6803.09	-8402.36	-5381.08	-6336.05
	योग ख	-25315.73	-32593.76	-20751.92	-30444.34
ग.	कुल योग (क + ख)	-30359.03	-38550.36	-24357.53	-34616.89

2000-01 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाव (एआरएम)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य	2000-01								
		बजटीय		एसईबी		आरटीसी		योग		
		ए.पी	एल.ई	ए.पी	एल.ई	ए.पी	एल.ई	ए.पी	एल.ई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	गैर-विशेष श्रेणी									
1.	आंध्र प्रदेश	2714.87	2514.87	1266.69	1205.46	758.40	753.30	4739.96	4473.63	
2.	बिहार	604.26	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	604.26	332.04	
3.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	गुजरात	528.45	312.00	801.0	0.00	120.90	0.00	1450.35	312.00	
5.	हरियाणा	180.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	140.00	
6.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	केरल	108.10	108.10	600.0	249.84	0.00	0.00	708.10	357.94	
8.	मध्य प्रदेश	330.84	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84	155.31	
9.	महाराष्ट्र	331.64	539.64	1200.0	0.00	235.90	160.00	1767.54	699.64	
10.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	पंजाब	0.00	0.00	375.04	244.00	18.60	31.97	393.64	275.97	
12.	राजस्थान	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.	प. बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	उप योग I	4798.16	4201.46	4242.73	1699.30	1133.80	945.27	10174.69	6846.03	
II	उप योग II (विशेष श्रेणी)	163.35	111.41	86.76	0.00	0.00	0.00	250.11	111.41	
III	कुल योग (I + II)	4961.51	4312.87	4329.49	1699.30	1133.80	945.27	10424.80	6957.44	

टिप्पणी : उपाध्यक्ष -मुख्य मंत्रियों के स्तर पर चर्चा के दौरान सहमत ए आर एम बजटीय ए आर एम में सम्मिलित हैं क्योंकि इनके बंटवारे के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया ।

2000-01 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों का योगदान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	राज्य	2000-01					
		वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान		
		1999-2000 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर योग	1999-2000 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-3106.36	1266.69	-1839.67	-2290.40	1205.46	-1084.94
2.	अरुणाचल प्रदेश *						
3.	असम	-357.17	86.76	-270.41	-58.65	0.00	-58.65
4.	बिहार	-609.00	0.00	-609.00	-484.00	0.00	-484.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	-1166.00	801.0	-365.00	-1485.00	0.00	-1485.00
7.	हरियाणा	-51.60	0.00	-51.60	-51.60	0.00	-51.60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	-574.33	0.00	-574.33	-889.41	0.00	-889.41
10.	कर्नाटक	-30.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-30.00
11.	केरल	-146.00	600.0	454.00	-831.80	249.84	-581.96
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	-986.84	1200.0	213.16	-1557.38	0.00	-1557.38
14.	मणिपुर *						
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम *						
17.	नागालैंड *						
18.	उड़ीसा	-30.63	0.00	-30.63	-9.84	0.00	-9.84
19.	पंजाब	-601.04	375.04	-226.00	-244.00	244.00	0.00
20.	राजस्थान	-982.32	0.00	-982.32	-32.76	0.00	-32.76
21.	सिक्किम *						
22.	तमिलनाडु	-1321.52	0.00	-1321.52	-1163.12	0.00	-1163.12
23.	त्रिपुरा *						
24.	उत्तर प्रदेश	216.13	0.00	216.13	-550.60	0.00	-550.60
25.	प.बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	-9746.68	4329.49	-5417.19	-9678.56	1699.30	-7979.26

* विभागीय उपक्रम

2000-01 के दौरान राज्य सड़क परिवहनों निगमों का योगदान

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य	2000-01					
		वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान		
		1999-2000 दरों पर	एमआरएम	चालू दरों पर योग	1999-2000 दरों पर	एमआरएम	चालू दरों पर योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-600.00	758.40	158.40	-797.50	753.30	-44.20
2.	अरुणाचल प्रदेश *						
3.	असम	-20.12	0.00	-20.12	-7.50	0.00	-7.50
4.	बिहार	-10.00	0.00	-10.00	-6.00	0.00	-6.00
5.	गोवा	-3.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	-3.00
6.	गुजरात	-81.43	120.90	39.47	39.47	0.00	39.47
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	-32.61	0.00	-32.61	-34.94	0.00	-34.94
10.	कर्नाटक	56.42	0.00	56.42	33.99	0.00	33.99
11.	केरल	-44.41	0.00	-44.41	-68.98	0.00	-68.98
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	-177.49	235.9	58.41	-182.01	160.00	-22.01
14.	मणिपुर	-2.11	0.00	-2.11	-2.43	0.00	-2.43
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम *						
17.	नागालैंड *						
18.	उड़ीसा	-10.59	0.00	-10.59	-10.59	0.00	-10.59
19.	पंजाब	-18.60	18.60	0.00	-31.97	31.97	0.00
20.	राजस्थान	-67.50	0.00	-67.50	-55.50	0.00	-55.50
21.	सिक्किम *						
22.	तमिलनाडु	-100.89	0.00	-100.89	-177.77	0.00	-177.77
23.	त्रिपुरा	-8.04	0.00	-8.04	-8.50	0.00	-8.50
24.	उत्तर प्रदेश	-70.48	0.00	-70.48	22.51	0.00	22.51
25.	पं. बंगाल	-172.32	0.00	-172.32	-26.62	0.00	-26.62
	योग	-1363.17	1133.80	-229.37	-1317.34	945.27	-372.07

* विभागीय उपक्रम

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र वित्तपोषण पद्धति, 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	2000-01							
		वार्षिक योजना अनुमान				संशोधित अनुमान			
		केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क)	चालू राजस्व से शेष (ए आर एम सहित)	-43234	-23,896	2,427	-64704	-39277	-34,617	2,688	-71206
ख)	सा.क्षे.उद्यमों के आंतरिक संसाधन	39281	-4,528	-476	34277	41200	-7,496	-1,041	32664
ग)	सा.क्षे.उ.द्वारा बांड/ऋण पत्र जारी करना, ईसीबी व अन्य अल्पकालीन उधार	26777	14,802	0	41579	19119	15,879	0	34997
घ)	बाजार ऋण (सरकार के दीर्घ एवं मध्यम अवधि के उधार)	76339	10,815	0	87154	76522	11,670	0	88192
ड.)	लघु बचत	8000	27,049	1,014	36063	7950	28,999	1,084	38033
च)	भविष्य निधि	7500	14,121	0	21621	8500	14,245	0	22745
छ)	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	19436				19000			
ज)	वित्तीय संस्थानों/निगमों से सावधि ऋण	0	15,042	2	15044	0	15,537	0	15537
झ)	विविध पूंजी प्राप्तियां निवल/ऋण भिन्न पूंजी	20058	-10,905	85	9239	13544	-10,706	-75	2763
	प्रारंभिक शेष एवं अन्य संसाधन		1,205	0	1205		1,984	415	2400
	कुल संसाधन	154,157	43,705	3,051	200913	146,558	35,496	3,071	185125
I	विदेश से निवल आप्रवाह	6907	0	0	6907	5575	0	0	5575
II	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता *	-36824	37,308	561	1045*	-37969	35,184	542	-2243*
III	अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को योजना अनुदान	0	3,484	0	3484		3,386	0	3386
IV	योजना के लिए संसाधन (I से III)	117,333	84,497	3,612	205,442	108,589	74,066	3,613	186,268

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता जो केन्द्र के बजट प्रावधान के अनुसार।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के बीच अंतर को दर्शाता है, जैसा कि केन्द्रीय बजट में व्यवस्था है तथा जैसा कि राज्यों/सं.रा.क्षेत्र योजना के वित्तपोषण की स्कीम में अनुमानित

अध्याय - 3

योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

3.1 योजना कार्यान्वयन

योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) केन्द्रीय तथा केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के भौतिक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन / प्रदाय तन्त्रों की प्रभावोत्पादकता और लाभानुभोगियों पर उनके प्रभाव को आंकने के लिए उन स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष डिजाइन और कार्यान्वयन में मध्यावधिक संशोधनों के लिए कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों और योजना आयोग के संबंधित विषय प्रभागों को, शोधकर्ताओं को और जनसाधारण को भी, सार्वजनिक व्यय के स्वरूप तथा कार्य-कुशलता पर प्रबुद्ध विचार-विमर्श अभिप्रेरित करने के लिए, प्रकाशनों, संगोष्ठियों तथा प्रिंट मिडिया, यानी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. योजना आयोजन ने विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में प्राप्त अनुभवों से सबक सीखने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के पिछले अध्ययनों की समीक्षा की और नौवीं योजना के दस्तावेज खण्ड 1 में इन सबको व्यवहार में लाने पर बल दिया। कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन में इन सबके महत्त्व को समझते हुए योजना आयोग ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययनों के निष्कर्षों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि वे सभी संबद्ध जनों की पहुंच में आसानी से आ सकें।

हाल के कार्यकलाप

3. तदनुसार, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आधारभूत ढांचे में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वह मूल्यांकन की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके और अन्य संबंधित दायित्वों का भी पालन कर सके। हाल में, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने, मूल्यांकन अध्ययन करने के अलावा, अन्य कार्यकलाप भी हाथ में लिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ये कार्य शामिल हैं : अपने स्टाफ के सदस्यों के लिए विख्यात संस्थाओं जैसे (आईआईपीए, एनआईआरडी) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य स्तरीय मूल्यांकन संगठनों के साथ अधिकाधिक संपर्क जोड़ने और डाटा के त्वरित प्रेषण तथा प्रसंस्करण के लिए पी ई ओ की क्षेत्रगत इकाइयों को इंटरनेट से जोड़ने की सुविधाएं प्रदान करना।

दसवीं पंचवर्षीया योजना के लिए कार्यकारी दल

4. योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21.8.2000 को हुई आन्तरिक बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्रक की विकास स्कीमों के लिए मानीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2000 को एक कार्यकारी दल का गठन किया गया। इस कार्यकारी दल ने दिनांक 29.11.2001 को अपनी रिपोर्ट योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं:

- (i) नई नीतियों तथा कार्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन सम्पन्न की गई स्कीमों और चल रही स्कीमों के मूल्यांकन परिणामों पर आधारित होना चाहिए ताकि पहले की गई गलतियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और विकास के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- (ii) मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के संकेतक अवश्य ही कार्यक्रम / परियोजना डिजाइन के अभिन्न अंग हों।
- (iii) एक ऐसा मूल्यांकन डेटा बैंक बनाने की आवश्यकता है जिसमें केन्द्र और राज्यों के मूल्यांकन संगठनों द्वारा और विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त सबकों का संकलन उपलब्ध हो। योजना-निर्माताओं तथा नीति निर्धारकों और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा साहित्य सर्वेक्षण के लिए भी इस डेटा बैंक का उपयोग किया जा सकता है।
- (iv) मूल्यांकन संगठनों तथा नियंत्रक-व-महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के बीच बेहतर समन्वय रखे जाने की आवश्यकता है, जिससे कि काम के दोहराव से बचा जा सके और संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। यह उपयोगी होगा यदि प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्य के विषयों को, प्रत्येक वार्षिक योजना प्रारम्भ किए जाने से पहले, मूल्यांकन संगठनों की एक बैठक में मोटे तौर पर निर्धारित कर लिया जाए।
- (v) मूल्यांकन के लिए धनराशि की व्यवस्था योजना निधियों में से की जानी चाहिए, ताकि आवश्यक अवसंरचना, मानव संसाधनों का विकास हो और मूल्यांकन परिणामों का एकत्रीकरण एवं संप्रेषण किया जा सके।
- (vi) दसवीं योजना के लिए एक मूल्यांकन-योजना बनाने की आवश्यकता है। इस योजना में पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में एक बार और फिर चौथे वर्ष में एक बार प्रमुख कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
- (vii) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के यहां ऐसे मानीटरिंग एकक होने चाहिए जो सामाजिक क्षेत्रक में चल रही विकास स्कीमों के कार्य-निष्पादन से संबंधित तैयार की गई मानीटरिंग तथा मूल्यांकन संबंधी रिपोर्टों का विश्लेषण कर सकें और यदि ऐसे एकक अस्तित्व में न हों तो सरकार से बाहर कार्यरत अनुसंधान संस्थाओं की सेवाएं इस प्रयोजन के लिए उन्हें पारिश्रमिक देकर प्राप्त की जानी चाहिए।
- (viii) सामाजिक क्षेत्रक में चल रही प्रत्येक स्कीम की प्रभावकारी मानीटरिंग और लेखा-परीक्षा के लिए कंप्यूटरीकृत मानीटरिंग सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) तत्काल चालू किए जाने की आवश्यकता है।
- (ix) विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मानीटरिंग एककों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक (मौजूदा या नई) संस्था को मानीटरों के मानीटर के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (x) प्रशिक्षण को मानीटरिंग और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पहलू बनाया जाना चाहिए। केन्द्र और राज्यों के मूल्यांकन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए के लिए विश्व बैंक/यूएनडीपी के माध्यम से विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क किया जा सकता है और मानीटरिंग एवं मूल्यांकन तकनीकों के विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा सकता है।
- (xi) योजना आयोग के सदस्य (मूल्यांकन) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति / दल का गठन किया जा सकता है जो प्रक्रियाओं, नियमों, परिपाटियों और कानूनों में किए जाने वाले ऐसे

परिवर्तनों का पता लगाए जो मूल्यांकन के गुणवत्तात्मक परिणाम प्राप्त करने, संसाधन आबंटन के साथ मूल्यांकन को जोड़ने और मूल्यांकन का प्रशासन के सशक्त साधन के रूप में उपयोग करने के लिए अपेक्षित हों।

- (xii) योजना आयोग एक ऐसे राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता संगठन (एसोसिएशन) की स्थापना के लिए अग्रणी भूमिका अदा करे जिसके सदस्य केन्द्र तथा राज्यों के मूल्यांकन संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और मूल्यांकन तथा मूल्य निरूपण के कार्य में संलग्न अनुसंधान संस्थाओं और लेखा-परीक्षा अभिकरणों से लिए जाएं। यह संगठन वार्षिक सम्मेलन आयोजित करे और मूल्यांकन से संबंधित साहित्य / समाचार आदि प्रकाशित करे और विचार-विनिमय को प्रोत्साहन तथा देश में किए गए मूल्यांकन कार्यों के विषय में व्यापक जानकारी का प्रचार-प्रसार करे। इसके अलावा, वह तत्सदृश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के साथ संबंध जोड़े।

5. पिछले कुछ वर्षों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्यचालन, (एसपीसीबी), खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम (केवीआईसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (नेट) कार्यक्रम (एसएसएनपी) और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस)। इस अंतिम स्कीम को छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी)

6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के तंत्र का तीसरा सोपान है। इसे प्रमुख रूप से ऐसे रोगियों को चिकित्सार्थ भेजे जाने के लिए निर्देश केन्द्र (रेफरल सेंटर) के रूप में कार्य करने के लिए (आमतौर पर 4 समीपस्थ प्राथमिक केन्द्रों के लिए एक निर्देश केन्द्र) स्थापित किया गया था जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के लिए निर्देश केन्द्र स्थापित करने का दोहरा उद्देश्य यह था कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों की पहुंच में लाया जाए और जिला अस्पतालों में रोगियों की भीड़-भाड़ को कम किया जाए। तदनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काय-चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा और स्त्री रोग चिकित्सा के क्षेत्रों के चार विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ-साथ, अंतरंग रोगियों के लिए 30 शल्यक्रिया कक्ष (आपरेशन थिएटर), प्रसूति कक्ष, एक्सरे मशीन, रोग विज्ञान प्रयोगशाला, जरूरत पड़ते ही काम में लिया जाने वाला जेनरेटर आदि उपकरणों एवं अनुपूरक चिकित्सा कर्मियों तथा उनके सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई थी।

7. योजना आयोग के निदेश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यचालन और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों की पहुंच में लाने में उन केन्द्रों की प्रभावकारिता/ सफलता का मूल्यांकन किया। तत्संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट सितंबर 1999 में जारी की गई थी।

इस अध्ययन के निष्कर्ष नीचे दिये जा रहे हैं:

(क) अन्य संगत कारकों के चलते, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं का अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपयोग होने की संभावना है, यदि;

- (i) उसका भौगोलिक व्याप्ति-क्षेत्र बहुत बड़ा हो;
- (ii) उसके पास चिकित्सा कार्मिक, विशेष रूप से विशेषज्ञ चिकित्सक पर्याप्त संख्या में न हों; और
- (iii) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) की औसत दूरी अधिक हो।

(ख) कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशेषज्ञों के सभी पद मंजूर किए बिना ही, अनुमोदित कर दिया गया है। विशेषज्ञों के अपेक्षित पदों में से केवल 30 प्रतिशत पद ही भरे हुए पाए गए थे। नमूने के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 70 प्रतिशत के पास या तो एक ही विशेषज्ञ था या फिर एक भी नहीं था।

(ग) चिकित्सा विशेषज्ञों और उपस्कर / सुविधाओं / कर्मचारी वर्ग के बीच बेमेल की स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा था। लोक स्वास्थ्य सेवाओं की उत्पादकता में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है यदि इस बेमेल और संसाधनों के बहुत अधिक फैलाव को दूर कर दिया जाए।

(घ) 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल दो का ही कुछ हद तक निर्देश केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जाता हुआ पाया गया। 11 केन्द्रों में तो विशेषज्ञ परामर्श के लिए भेजे गए रोगी का एक भी मामला दर्ज नहीं था, जब कि शेष 18 केन्द्रों का इष्टतम से कम उपयोग हुआ था - वहां का वार्षिक औसत 206 रोगी था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाओं के उपयोग में आने वाली कठिनाइयां आधारभूत ढांचे, चिकित्सकों तथा सहायक कर्मचारियों की अपर्याप्तता से संबधित हैं और मुख्य रूप से विभिन्न निविष्टियों के बीच बेमेल के कारण उत्पन्न हुई हैं।

(ङ) सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली में मौजूदा परिसीमाओं के होते हुए भी, अधिकांश परिवारों ने निजी यानी गैर-सरकारी सुविधाओं की बजाय लोक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति अपनी पसंद जोरदार शब्दों में अभिव्यक्त की।

8. इन निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने अपनी स्थापना के लगभग दो दशकों के बाद भी अभिप्रेत उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया है। इस अध्ययन से कुछ प्रमुख कारकों का पता चल सका है जो इन केन्द्रों के घटिया स्तर के कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

9. सीमावर्ती क्षेत्र विकास (बीएडीपी) को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसे समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना

था जिसके अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने सामान्य आर्थिक कार्यकलाप निर्भय होकर चला सकें। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रशासन गृह मंत्रालय के हाथों में था और इसकी व्याप्ति पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों तक ही सीमित थी और इसमें सीमा सुरक्षा बल की तैनाती को सुकर बनाने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया था। लेकिन अब यह नवीकृत बीएडीपी कार्यक्रम योजना आयोग के सर्वोपरि प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस कार्यक्रम के वित्तीय कार्य निष्पादन, कार्यान्वयन के तरीकों की प्रभावोत्पादकता और कार्यक्रम के असर का जायजा लेने के उद्देश्य से एक अध्ययन किया था। तत्संबंधी रिपोर्ट को अक्टूबर 1999 में अन्तिम रूप दिया गया था।

10. अध्ययन के निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने की दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है। पीईओ के अध्ययनों से सफलता तथा विफलता के कुछ क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिली है। ऐसे प्रतीत होता है कि बीएडीपी कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की क्षमता है। इस संभावित क्षमता का उपयोग करने के लिए, पीईओ अध्ययन में आयोजन तथा कार्यान्वयन के कुछ क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)

11. रोजगार आश्वासन स्कीम को 2 अक्टूबर 1993 के दिन 1778 ऐसे चुने हुए पिछड़े प्रखंडों (ब्लाकों) में प्रारंभ किया गया था जो सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे और जहां नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचलन में थी। बाद में, इस स्कीम का व्याप्ति-क्षेत्र बढ़ा दिया गया और अप्रैल 1997 तक सभी खंडों में यह स्कीम लागू कर दी गई। रोजगार आश्वासन योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेती के कम काम के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक दृष्टि से सक्षम उन सभी वयस्कों को मेहनत-मजदूरी में लाभपूर्ण रोजगार दिलाना है, जिन्हें काम की जरूरत है पर जिन्हें काम नहीं मिलता। इसका दूसरा उद्देश्य सतत रोजगार और विकास के लिए आर्थिक आधारभूत ढांचे और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

12. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) ने रोजगार आश्वासन स्कीम के कार्य-निष्पादन, राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए तरीकों की उपयुक्तता, लक्षित समूह को इस स्कीम के अंतर्गत लाने की सीमा और ईएएस के लाभानुभोगियों पर इसके प्रभाव का जायजा लेने के लिए इस स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अपने हाथ में लिया। इसकी रिपोर्ट अप्रैल, 2000 में जारी कर दी गई।

13. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ये हैं:

- अधिकांश मामलों में, परियोजनाओं का शेल्फ तैयार करने, मजदूरी-रोजगार चाहने वाले लोगों की पहचान / पंजीकरण करने, परिवार कार्ड जारी करने और भिन्न-भिन्न स्तरों पर समन्वय समितियों स्थापित करने के संबंध में मार्ग-निर्देशों में दिए गए उपबंधों का पालन नहीं किया गया।

- रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों का उपयोग बहुत ही कम हुआ है। आयोजन का अभाव, केन्द्र से डीआरडीए को और डीआरडीए से प्रखंडों को धनराशि का ठीक समय पर जारी न किया जाना और कुछ अन्य कारण, जैसे राज्यों द्वारा समतुल्य संसाधन न जुटा पाना आदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके कारण रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों का उपयोग कम हुआ है।
- बहुत कम गावों और लक्षित समूहों को स्कीम के अंतर्गत लाया जा सका है। अनुमान है कि वार्षिक रूप से अधिक से अधिक 32 प्रतिशत गांव और प्रखंड में लक्षित समूह के 5 प्रतिशत लोग ही स्कीम में शामिल किए गए हैं।
- ईएएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यकलापों में इस्तेमाल किया गया है जिनके लिए मजदूरों की कम आवश्यकता होती है जबकि पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है। मानवीय पूंजी-श्रम अनुपात का सामान्यतः ध्यान नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप, रोजगार उत्पन्न करने की लागत कुछ राज्यों में असामान्य रूप से ऊंची हो गई है।
- ईएएस से लाभान्वित होने वालों में से अधिकांश लोगों को साल भर में 30 से भी कम दिनों की मजदूरी मिली। यह भी पाया गया कि अनिर्धन परिवार भी इस स्कीम से लाभान्वित होते रहे। ईएएस से होने वाली आय गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा पार कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ईएएस के अधिकांश लाभानुभोगियों को इसके लागू होने के चार वर्षों में से एक वर्ष रोजगार मिला।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)

14. राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया है और उन्हें पर्यावरणिक प्रदूषण के परिवीक्षण और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परवर्ती अधिनियमों तथा नियमों में इन बोर्डों के हस्तक्षेप के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है। इनका प्रशासनिक ढांचा दो स्तरीय है जिनमें बोर्ड के सदस्य तथा नियमित प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है। प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जैसे राज्य सरकार को प्रदूषण संबंधी मामलों में सलाह देना, प्रदूषण को रोकने के लिए तरीके, मानक तथा प्रौद्योगिकी विकसित करना, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रशासन करना और जन-साधारण में प्रदूषण के कुप्रभावों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।

15. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) ने देश में स्थित सभी 25 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की समीक्षा की जिसका उद्देश्य उनकी संरचना, संगठनात्मक ढांचे, स्टाफ की व्यवस्था, वित्त तथा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करना, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निर्धारित उनके कार्यों के संदर्भ में उनके कार्यचालन की जांच करना और कार्यचालन में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उनके लिए उपचारात्मक उपयों के संबंध में सुझाव देना था।

16. इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- ऐसा देखने में आया है कि इन राज्य बोर्डों में अधिकतर गैर-तकनीकी सदस्यों का वर्चस्व है; कतिपय प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों के परिवीक्षण के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता एकसमान नहीं है,

अलग-अलग है; रिक्त पदों की स्थिति सुखद नहीं है; ठेके के कर्मचारियों और नैमित्तिक /अनियत कर्मचारियों का बोलबाला है और तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ के बीच का अनुपात अलग-अलग है। उपर्युक्त स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन बोर्डों के कर्मचारी अभिविन्यास का निर्धारण करने के लिए किसी निश्चित प्रतिमान का अभाव है। कुछ राज्य बोर्डों की क्षेत्रगत रचनाएं उन्हें सौंपे गए कार्य के अनुरूप नहीं हैं।

- भिन्न-भिन्न राज्य बोर्डों की वित्तीय स्थिति में भी बहुत अधिक अंतर है। कुछ बोर्ड तो सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं जबकि कुछ अन्य बोर्डों को अपने अपर्याप्त संसाधनों से ही किसी तरह काम चलाना पड़ता है। कुछ बोर्डों का दावा है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं। सभी राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की संख्या में बहुत अधिक अंतर है और उनसे लिया जाने वाले शुल्कों की किरमें और दरें भी अलग-अलग हैं, इसलिए सभी बोर्डों में "अपने संसाधन" उत्पन्न करने की क्षमता भी अलग-अलग है।
- अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्याप्त मात्रा में राजस्व की बचत करते हैं, हालांकि वे अपनी पूंजी व्यय संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते। इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य सरकारों ने उनके खर्चों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा रखे हैं।
- राज्य बोर्डों द्वारा सम्पन्न किया गया, प्रदूषक औद्योगिक कार्यकलापों की सूची बनाने का काम भी आमतौर पर संतोषजनक नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाली छोटी इकाइयों के बारे में यह सूची बनाने का काम अभी शुरू ही नहीं किया गया है।
- कुछ राज्यों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुबद्ध प्रदूषक मानकों का अनुपालन घटिया स्तर का होता है। वहां कोई प्रभावकारी दण्डात्मक तंत्र न होने से मानकों के अपालन को बढ़ावा मिलता है।
- अधिकांश राज्य बोर्ड वायु और जल की गुणवत्ता के बारे में अपनी प्रेक्षण-टिप्पणियां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास अपेक्षित संख्या में नहीं भेजते। कुछ मंजूरशुदा मानीटरिंग स्टेशन फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। यह सब नमूने के मुताबिक वित्तीय प्रतिमान पर्याप्त न होने के कारण और मानीटरिंग के लिए ठेके के कर्मचारियों पर अधिक निर्भर रहने की वजह से है।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रदूषण के भिन्न-भिन्न पहलुओं के बारे में जनता जागरूकता उत्पन्न करना और अनुसंधान तथा विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यकलापों को, अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बजटों में व्यय के निम्न-प्राथमिकता वाले मदों की श्रेणी में रखा जाता है।

खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम

17. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, खादी और ग्रामोद्योगों का विकास एक साथ दो उद्देश्यों को पूरा करने का साधन माना जाता था। पहला उद्देश्य था स्थानीय उत्पादन के जरिये आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और दूसरा था भूख और बेरोजगारी को दूर करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में गरीब लोगों को भागीदार बनाना। गरीबी दूर करने के साधन के रूप में उनकी क्षमता को हमारे आरंभिक योजनाकारों ने भी स्वीकार किया था। तदनुसार, इन उद्योगों के सुव्यवस्थित विकास और विस्तार के लिए योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और संगठित करने के उद्देश्य से, संसद के एक अधिनियम द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना की गई थी।

18. जबकि पिछले साढ़े चार दशकों में खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन और रोजगार में कई गुना वृद्धि हुई है, विकास के एक नए आयाम के संदर्भ में उनकी भूमिका के बारे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। खासतौर पर, रोजगार पैदा करने की उसकी क्षमता, संसाधन-उपयोग दक्षता और संधारणीयता की दृष्टि से, इस कार्यक्रम की प्रभावकारिता के बारे में कई ओर से उंगली उठाई गई है। योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के निष्पादन, उसकी पर्याप्तता और उसके कार्यन्वयन तंत्र की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है।

19. इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं

- उत्पादन और बिक्री की रणनीतियों के बीच अपर्याप्त संबंधों के फलस्वरूप स्टॉक इकट्ठा हो गया है, निवेश पर प्रतिफल कम मिला है, अनिष्पादक परिसम्पत्तियां निर्मित हो गई हैं, उत्पादन कम हुआ है और रोजगार के अवसर सिकुड़ गए हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी है। उत्पादन, रोजगार, बिक्री, आमदनी, स्टॉक और संगत प्राचलों के विषय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध डेटा बेस अपर्याप्त और अयथार्थ है। इस डेटा-बेस की सहायता से कार्यक्रम के वैज्ञानिक आयोजन तथा कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार नहीं की जा सकती।
- वर्ष 1994-95 तक, केवीआईसी को संसाधनों के 80 प्रतिशत से भी अधिक बजटीय सहायता मिलती थी। मार्जिन मनी स्कीम (एमएमएस) प्रारंभ किए जाने से अब बजटीय सहायता 35 प्रतिशत हो गई है। आठवीं योजना के दौरान, केवीआईसी के बजटीय संसाधनों का लगभग 67 प्रतिशत भाग खादी क्षेत्रक को और एक तिहाई भाग ग्रामोद्योग क्षेत्रक को दिया जाता था।
- केवीआईसी के अपने आंकड़ों के अनुसार, आठवीं योजना के दौरान, केवल 8 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया गया जबकि (1994-97 के लिए) एचपीसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य 20 लाख लोगों के लिए था। आठवीं योजना के दौरान उत्पन्न किए गए अतिरिक्त रोजगार का लगभग 95 प्रतिशत भाग ग्रामोद्योग क्षेत्रक में था, जबकि इस क्षेत्रक ने बजटीय संसाधनों के लगभग एक-तिहाई भाग का ही उपयोग किया था।
- रोजगार के अवसरों का एक बड़ा भाग अंशकालिक रोजगार के रूप में होता है और खादी क्षेत्रक में प्रति कार्मिक वार्षिक आमदनी अनेक कामगारों के मामले में 50 रुपये से भी कम पाई गई और प्रति अंशकालिक कामगार की औसत आमदनी 433 रुपये प्रतिवर्ष थी।
- द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1996-97 के दौरान औसत पूर्ण-कालिक कामगार ने खादी क्षेत्रक में लगभग 4835 रुपये तथा ग्रामोद्योग क्षेत्रक में 4323 रुपये प्रतिवर्ष कमाए।
- संपूर्ण अंशकालिक रोजगार को पूर्णकालिक समकक्ष रोजगार (एफटीई) में बदलने पर, यह पाया गया कि केवीआई कार्यक्रम के चालू रोजगार का स्तर 1996-97 में 34.81 लाख था, यानी द्वितीयक आंकड़ों में जो सूचित किया गया है, उसका 59 प्रतिशत।
- खादी क्षेत्रक में रोजगार निर्माण के लिए औसत निवेश 27,259 रुपये प्रति पूर्णकालिक रोजगार (जॉब) है। एक निर्मित रोजगार के रखरखाव की वार्षिक सार्वजनिक लागत 4979 रुपये प्रति पूर्णकालिक रोजगार है।
- ग्रामोद्योग क्षेत्रक में रोजगार निर्माण के लिए निवेश 43,366 रुपये प्रति पूर्णकालिक रोजगार है और वार्षिक रखरखाव की लागत 2158 रुपये है।

- सार्वजनिक (प्रदाय) लागत खादी क्षेत्रक में मजदूरी भुगतान का 182 प्रतिशत और ग्रामोद्योग क्षेत्र में मजदूरी भुगतान का 50 प्रतिशत बैठती है।
- वर्ष 1997-98 के दौरान, औसत के हिसाब से, एक नमूने की खादी इकाई के पास 4,96,305 रुपये के मूल्य की मशीनरी तथा उपस्कर पाया गया था, कार्यकारी पूंजी के रूप में उसमें 61,39,744 रुपये लगे हुए थे और उसने पूर्णकालिक आधार पर 246 लोगों को काम पर लगा रखा था। वर्तमान वित्तपोषण की पद्धति के अंतर्गत, एक औसत खादी इकाई पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्रति कामगार 5987 रुपये की अधिशेष राशि कमाती है। किन्तु यह अधिशेष राशि लाभ में परिवर्तित नहीं की जाती है क्योंकि इकाई का समस्त उत्पादन वर्ष के दौरान नहीं बेचा जाता। औसत स्टॉक जो अनचाहे इककड़ा हो जाता है, वार्षिक उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत होता है और छोटी इकाइयों के लिए यह 80 प्रतिशत तक ऊंचा होता है। खादी उत्पादन का अर्थशास्त्र बहुत भिन्न निकलेगा यदि तैयार माल की सूची (इनवेंटरी) वार्षिक उत्पादन के 5 प्रतिशत तक घटाई जा सके। ऐसे परिदृश्य में, एक खादी इकाई प्रति पूर्णकालिक कामगार 5131 रुपये का अर्थात् संपूर्ण इकाई के लिए कुल 12.6 लाख रुपये का लाभ पैदा करेगी।
- चिन्ता का एक अन्य विषय यह है कि उत्पादन के प्रति कच्ची सामग्री का अनुपात ऊंचा है। कुछ इकाइयों के लिए, यह अनुपात तीन-चौथाई तक ऊंचा है। 25 प्रतिशत से अधिक का अनुपात न तो न्यायोचित है और न ही संधारणीय।
- सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप जिस तीसरे विषय का पता चला वह है: कामगारों की मजदूरी का नीचा होना। यह कमाई द्वितीयक आंकड़ों में सूचित कमाई से तो बहुत कम है ही, साथ ही यह एक पूर्णकालिक कामगार द्वारा योजित मूल्य का अपेक्षाकृत छोटा अनुपात बनती है। सरकार खादी इकाई पर जितना खर्चा करती है उसका केवल 58 प्रतिशत भाग ही खादी कामगारों तक पहुंचता है।
- एक ग्रामोद्योग ने औसतन 6,97,940 रुपये की पूंजी लगा रखी थी और 16.2 पूर्णकालिक कामगार काम पर लगा रखे थे। ग्रामोद्योग इकाइयां वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम हैं और सरकार से आर्थिक सहायता बिना भी अपने आप को चालू रख सकती हैं।
- लाभानुभोगी परिवारों (कामगारों) की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 5655 रुपये है और उसमें केवीआईसी कार्यक्रम से होने वाली आमदनी 52.71 प्रतिशत है। एक औसत ग्रामोद्योग कामगार के परिवार की आय खादी कामगार के परिवार की आय से 70 प्रतिशत अधिक होती है। खादी कामगारों के परिवार अपनी वार्षिक आमदनी का 46 प्रतिशत केवीआईसी से प्राप्त करते हैं जबकि ग्रामोद्योग कामगारों के परिवार लगभग 58 प्रतिशत कमाते हैं। खादी कामगारों के परिवारों की अपेक्षाकृत कम आय होने का कारण यह है कि इस क्षेत्रक में अंशकालिक रोजगार का प्रभुत्व है।
- नमूने के परिवारों (मजदूरों) में से दो-तिहाई से अधिक परिवार, मूलरूप से, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के थे। इन गरीब परिवारों में से, लगभग 71 प्रतिशत परिवारों के वीआईसी कार्यक्रम से होने वाली अतिरिक्त आय की सहायता से, वास्तव में गरीबी की रेखा को पार कर लिया है। इस मामले में भी, ग्रामोद्योग क्षेत्रक का निष्पादन (80.5 प्रतिशत) खादी क्षेत्रक (62.3 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।
- कुछ मुख्य व्यक्ति (अध्यक्ष / सचिव) भी केवीआईसी कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभानुभोगी हैं। सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुख्य व्यक्तियों की पारिवारिक आय का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग केवीआईसी कार्यक्रम से प्राप्त होता है।

- इकाइयों / संस्थाओं के शासी निकायों के गैर-कार्यकारी सदस्य भी इस कार्यक्रम से वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं। उनके परिवार की वार्षिक आय का औसतन, 15 प्रतिशत भाग केवीआईसी कार्यक्रम से प्राप्त होता है।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम (एसएसएनपी)

20. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम परिवार कल्याण के लिए विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1992-93 में पांच वर्ष के लिए ऐसे 90 जिलों में प्रारंभ किया गया था जहां माताओं की मृत्यु-दर उंची थी और संस्थानगत प्रसूतियों का स्तर नीचा था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करके माताओं की मृत्यु-दर को कम करना है। इन सुविधाओं में कुछ निर्धारित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में महिला डाक्टर की नियुक्ति करना शामिल है, ताकि गर्भवती माताओं की संस्थानगत प्रसूतियां सुकर बनाई जा सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 10.00 लाख रुपये प्रति केन्द्र के हिसाब से मंजूर किए गए थे।

21. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम (एसएसएनपी) के अंतर्गत सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के कार्यचालन और संस्थानगत प्रसूतियों को सुकर बनाने में उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन-अध्ययन किया। इस हेतु तीन राज्यों में स्थित छह नमूने के जिलों में फैले हुए 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 167 मरीज नमूने के तौर पर चुने गए और उनका अध्ययन किया गया।

22. इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- वर्ष 1995-96 के दौरान नमूने के 12 सहायताप्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक में भी ये आठ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं: सुव्यवस्थित शल्यक्रिया कक्ष, प्रसूति कक्ष, प्रेक्षण वार्ड, दो क्वार्टर, जेनरेटर, पेय-जल, रोगी वाहन और महिला डाक्टर। महिला डाक्टर के पद सहित इन आठ आवश्यक पूरक सुविधाओं में से अधिकतम छह सुविधाएं तीन केन्द्रों में, पांच सुविधाएं 4 केन्द्रों में, चार सुविधाएं 1 केन्द्र में और दो सुविधाएं 4 केन्द्रों में उपलब्ध थीं। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि आवश्यक सुविधाओं के निर्माण में नमूने के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इतना अंतर क्यों हैं जबकि इन सभी केन्द्रों को समान रूप से 10 लाख रुपये प्रतिकेन्द्र के हिसाब से धनराशि आबंटित की गई है।
- अपेक्षित सुविधाओं में से प्रसूति के मामलों को देखने के लिए महिला डाक्टर का पद सबसे अधिक आवश्यक माना गया है, लेकिन नमूने के केन्द्रों में से एक में भी महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई थी। यद्यपि, प्रसूति कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष और प्रेक्षण वार्ड जैसी कुछ सुविधाएं अनेक नमूना केन्द्रों में उपलब्ध थी, लेकिन प्रसूति के मामलों में महिला डाक्टर की उपलब्धता के अभाव में इन सुविधाओं का भी उपयोग नहीं किया जा सका। जन-शक्ति तथा आवश्यक सुविधाओं के बीच यह जो बेमेल मौजूद है वह गंभीर चिन्ता का विषय है। मजेदार बात तो यह है कि इन अपर्याप्त / झिनी सुविधाओं के बीच, 12 नमूना केन्द्रों में से सात में रोगी-वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- यह एक उत्साहजनक तथ्य है की डाक्टरों के स्वीकृत पदों पर पर्याप्त संख्या में डाक्टर नियुक्त हैं। सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 75 प्रतिशत डाक्टरों और गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों में 96 प्रतिशत डाक्टरों के पद भरे हुए थे। किन्तु इस संदर्भ में, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की विचार-टिप्पणियों से पता चलता है कि व्यवहार में, डाक्टरों की अपने कार्य-स्थलों से अनुपस्थिति बहुत अधिक पाई गई है और यह नमूना केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है।
- एसएसएनपी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का औसत उपयोग प्रतिदिन 30 रोगी प्रति डाक्टर होता है जबकि गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों में यह 25 रोगी है। तथापि, उपयोग-दर की अन्तर-केन्द्रीय तुलना करने से पता चलता है कि नमूने के राज्यों में उपयोग के आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं।
- जैसाकि ऊपर कहा गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के उपयोग की दर को इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन तथा कार्यचालन का सच्चा प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में, पीईओ के क्षेत्र-दलों द्वारा, अपनी गंभीर जांच-पड़ताल तथा चर्चाओं के माध्यम से, एकत्र की गई गुणवत्तात्मक जानकारी से यह पता चलता है कि डाक्टरों की अनुपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों की देखभाल परा-चिकित्सा कर्मचारियों और सहायक परा-चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा की जाती है। क्षेत्र-दलों द्वारा यह भी देखा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मरीजों ने अपने रोग के इलाज के लिए तृतीयक / जिला अस्पतालों में जाना अधिक पसंद किया।
- लाभानुभोगियों के चिकित्सा विवरणों से पता चलता है कि अधिक से अधिक 32.93 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने जुकाम, खासी, बुखार जैसी छोटी बीमारियों का इलाज कराया था। इसके बाद क्रमशः अशुद्ध जल से फैलने वाली बीमारियों (14.63 प्रतिशत), टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों (8.54 प्रतिशत), श्वासतंत्र की बीमारियों (8.53 प्रतिशत) और स्त्री-रोगों (4.88 प्रतिशत) का स्थान आता है।
- कार्यक्रम सहायता-प्राप्त केन्द्रों के 51.22 प्रतिशत लाभानुभोगी इन केन्द्रों के कार्य से असंतुष्ट पाए गए। आगे, इन असंतुष्ट लाभानुभोगियों में से भी अधिकांश लोगों ने इन केन्द्रों के चिकित्सा कर्मचारियों तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में शिकायतें की। उनके असंतोष के कुछ मुख्य कारण थे: चिकित्सा कर्मचारियों तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों का उपलब्ध न होना (42.85 प्रतिशत) डाक्टरों द्वारा परीक्षण न किया जाना (52.38 प्रतिशत) और उचित ध्यान न दिया जाना (37.71 प्रतिशत)। लाभानुभोगियों के असंतोष का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि इन केन्द्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। लगभग 66.67 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने यह बात कही।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्रदान न किए जाने के बावजूद इस कार्यक्रम से सहायता-प्राप्त केन्द्रों के लगभग 89 प्रतिशत लाभानुभोगियों का मत यही था कि उपचार के अन्य वैकल्पिक साधनों की बजाय वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ही स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के लिए, अधिक पसंद करते हैं।
- सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 73.33 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने और गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों के 52.50 प्रतिशत रोगियों ने प्रत्येक बीमारी की घटना के लिए 100 रुपये से कम निजी व्यय किया है। इसके अलावा, सभी श्रेणियों के नमूने के लाभानुभोगियों द्वारा अधिकांश व्यय दवाइयों की खरीद पर किया गया है। कार्यक्रम सहायता-प्राप्त केन्द्रों के लाभानुभोगियों का आय संबंधी विवरण

देखने से पता चलता है कि जिन लाभानुभोगियों की औसत मासिक आय 500 रुपये से कम थी उनका प्रतिशत बहुत छोटा यानी 3.66 था, जबकि अधिकांश लाभानुभोगी (63.41 प्रतिशत) 1000 रुपये से अधिक की मासिक आय वाले थे। गैर-सहायताप्राप्त केन्द्रों के बारे में भी ऐसे ही परिणाम प्राप्त हुए हैं।

- निम्न-आय-वर्ग वाले परिवार जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली से, प्रमुख रूप से, इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वहां दवाइयां नहीं मिलती, परिवहन पर अप्रत्यक्ष रूप से लागत आती है और आमदनी (जैसे, मजदूरी) से हाथ धोना पड़ने से यह सेवा महंगी पड़ती है। इसलिए वे सस्ते विकल्पों, जैसे परंपरागत देशी दवाइयों पर या अयोग्य डाक्टरों पर निर्भर रहते हैं।
- दिलचस्प बात यह है कि जन स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली के अधिकांश लाभानुभोगी इन सेवाओं के लिए पैसा देने को तैयार हैं, यदि सेवा का स्तर सुधर जाए। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के नमूना सर्वेक्षण में, लाभानुभोगियों से यह पूछा गया था कि यदि सेवा-स्तर में सुधार हो जाए तो क्या वे उपचार की बजाय लागत का 25 प्रतिशत भाग अदा करने को तैयार होंगे। लगभग 62 प्रतिशत लाभानुभोगियों ने इस प्रश्न का उत्तर "हां" में दिया था।

वार्षिक योजना 2001-02

23. निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन / कार्यकलाप सम्पन्न किए गए हैं / प्रगति पर हैं:

- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम (एसएसएनपी) का मूल्यांकन अध्ययन - नवंबर, 2001 में पूरा हुआ।
- (ii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडीएस) का मूल्यांकन अध्ययन - नवंबर, 2001 में पूरा हुआ।
- (iii) राष्ट्रीय जैव-गैस विकास परियोजना और राष्ट्रीय चूल्हा कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (iv) राज्यों / संघ राज्यों क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधारभूत ढांचे को सबल बनाने के लिए गोदामों के निर्माण और वाहनों / ट्रकों की खरीद के विषय में मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (v) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (vi) महाराष्ट्र में सांविधिक विकास बोर्डों के कार्यचालन का मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (vii) गुजरात, नांगालैंड और उड़ीसा में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के प्रभाव का अध्ययन-प्रगति पर है।
- (viii) संवृद्धि केन्द्र स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (ix) परियोजना पैकेज स्कीम और विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (x) मध्याह्न भोजन स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन-प्रगति पर है।
- (xi) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश में सामाजिक, क्षेत्रक की विकास स्कीमों के लिए परिवीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली को सफल बनाने के लिए गठित कार्यचालन दल पर रिपोर्ट - नवंबर, 2001 में सम्पन्न।

24. वर्ष 2001-02 में सम्पन्न हुए या सम्पन्न होने की सम्भावना वाले अध्ययन / कार्यकलाप:

- (I) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नेट कार्यक्रम (एसएसएनपी) मूल्यांकन अध्ययन - नवंबर, 2001 में सम्पन्न हुआ।
- (II) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन - नवंबर, 2001 में सम्पन्न हुआ।
- (III) राष्ट्रीय जैव-गैस विकास परियोजना और राष्ट्रीय चूल्हा कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन-पूरा होने की संभावना।
- (IV) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधारभूत ढांचे को सफल बनाने के लिए गोदामों के निर्माण और वाहनों / ट्रकों की खरीद के विषय में मूल्यांकन अध्ययन-पूरा होने की संभावना।
- (V) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश में सामाजिक क्षेत्रक की विकास स्कीमों के लिए परिवीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली को सफल बनाने के लिए गठित कार्य-चालन दल पर रिपोर्ट - नवंबर, 2001 में सम्पन्न।

3.2 सरकारी क्षेत्रक परिव्यय

वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना की राशि 1,30,181.34 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना में सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की राशि 1,00,100 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें से 5000 करोड़ रुपये राजकोषीय वर्ष के लिए प्रक्षेपित विनिवेश प्राप्तियों से संबद्ध हैं और वर्ष के दौरान उसका आबंटन, दो क्षेत्रकों के प्रति योजनागत संसाधनों के प्रवाह में संतुलन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के बीच किया जाना था। तदनुसार, 95,100 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (54,456 करोड़ रुपये) और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की योजना को केन्द्रीय सहायता (40,644 करोड़ रुपये) के बीच आबंटित की गई है। 70,725,34 करोड़ रुपये की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के लिए आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) के साथ, केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना का परिव्यय 1,25,181.34 करोड़ रुपये रखा गया है।

योजना निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रति केन्द्रीय योजना परिव्यय के अनुपात में और सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक निवेश के अनुपात में लगातार हो रही गिरावट को रोकने की आवश्यकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इस दिशा में प्रयत्न करना और भी जरूरी है, यदि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को ऊंचा करने के उद्देश्य को वस्तुतः प्राप्त करना है।

राजकोषीय मोर्चे पर सर्वाधिक सरोकार के चलते, विशेष रूप से प्रस्तावित राजकोषीय जिम्मेदारी संबंधी इस विधान को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें यह प्रतिबद्धता दर्शाई गई है कि राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 0.5 प्रतिशत की कमी की जाएगी, विकास संबंधी परिव्ययों को सुरक्षित करना और साथ ही सार्वजनिक ऋण की बढ़ोतरी पर नियंत्रण रखना एक प्रमुख कार्य है।

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते समय, केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को अन्य बातों के साथ-साथ यह मार्ग-निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक क्षेत्रक के लिए " केन्द्रक योजनाएं " तय करने के उद्देश्य से अपने योजनागत कार्यक्रमों / स्कीमों में प्राथमिकताएं निर्धारित करें। इनमें यह

विचार भी अव्यक्त रूप से शामिल था कि प्रत्येक क्षेत्रक के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को धन-राशियों की कमी न सहनी पड़े और वे निर्धारित योजना के अनुसार सम्पन्न हो जाएं, ताकि उनके कार्यान्वयन से प्रत्याशित लाभ पूरी तरह प्राप्त किए जा सकें।

केन्द्रीय क्षेत्रक के योजनागत कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाने के अलावा, वार्षिक योजना 2001-02 के लिए हुई चर्चाओं में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किए जाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। यह बताया गया कि योजना आबंटन के रूप में जो भी व्यवस्था की गई है वह भौतिक उपलब्धियों के रूप में समुचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं होती। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए, योजनागत स्कीमों की संरचना, डिजाइन और तंत्र परीक्षण में सुव्यवस्थित रूप से सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों से यह निवेदन किया गया कि वे चल रही योजनागत स्कीमों पर शून्य-आधारित बजट व्यवस्था लागू करें ताकि वे आगे चलती रहें और प्रत्येक क्षेत्रक में उनसे सम्बन्धित स्कीमों के बीच अभिसरण बना रहे अथवा यथास्थिति, वे बंद कर दी जाएं। इससे निधि संबंधी आवश्यकता और योजना संबंधी आबंटनों के बीच बेमेल नहीं होगा और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सकेगी कि योजनागत व्यय वांछित भौतिक उपलब्धियों के समतुल्य हों। इस योजना कार्य में ध्यान निविष्टियों (इनपुट) से हटाकर उत्पत्तियों (आउटपुट) अर्थात् भौतिक लक्ष्य संधान की बजाय वित्तीय आबंटनों पर केन्द्रित किया जाएगा। इस संबंध में योजना आयोग पहले ही कदम उठा चुका है। यह अगली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करते समय एक महत्वपूर्ण निविष्टि साबित होगा।

राज्यों के स्तर पर, अनेके कठिनाइयां हैं जिनमें योजना के लिए अधिक परिव्यय की निधि-व्यवस्था करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता संबंधी कठिनाई भी एक है। कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के पास नकदी शेष की अधिकता और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के बकाया मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए, कुछ विशिष्ट क्षेत्रकों की अवशोषक क्षमता पर भी विचार करना जरूरी है। योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता पर विचार करते समय, राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों / राज्यों के अपने संसाधनों के बारे में जो अवधारणाएं की गई थी वे किस हद तक पूरी हुई हैं। यह महसूस किया गया कि चालू वर्ष के लिए योजना परिव्यय निर्धारित करते समय, इन अवधारणाओं में रही कमी के कारणों का विश्लेषण करना होगा। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण भी केन्द्रीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है क्योंकि राज्यों को अधिक हिस्सा देना होगा।

अन्तर-क्षेत्रकीय आबंटनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि भौतिक और सामाजिक-दोनों क्षेत्रकों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बजटीय सहायता दी जाए। ऐसा करने से, विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रक (विद्युत, कोयला तथा लिग्नाइट, गैर-पारंपरिक ऊर्जा और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सहित) के योजना परिव्यय में गत योजना के बजट अनुमानों की तुलना में, 13.4 प्रतिशत की और परिवहन क्षेत्रक (सड़कों और राजमार्गों, जहाजरानी, पत्तनों और लाइट हाउसों, रेलवे तथा नागर विमानन सहित) के योजना परिव्यय में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढांचे के क्षेत्रक

को विशेष रूप से, परिवहन, दूरसंचार और विद्युत प्रजनन को विदेशी प्रवेशकों तथा निजी निवेशकों के लिए खोल देने से भारतीय आधारभूत ढांचा उस स्तर तक उन्नत हो जाएगा जो प्रत्यक्ष निवेश की संवृद्धि के पुनरारंभ में सहायक होगा।

सामाजिक क्षेत्रों में, शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, युवाकार्य और खेल तथा संस्कृति सहित) के लिए योजना परिव्यय में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण क्षेत्रों को दी जाने वाली बजटीय सहायता में, गत योजना के बजट अनुमानों की तुलना में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय आबंटनों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी एक पैकेज शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में मौजूद सामाजिक, आर्थिक अन्तरों को कम करना है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार का नया निर्देश यह है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को (उनको छोड़कर जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट दी गई है) उस क्षेत्र के राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उनके बजटगत परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत निर्धारित करना होगा। वर्ष 2000-01 के लिए जिन विभागों को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आबंटन राशि निर्धारित करने से छूट दी गई थी वे हैं- व्यय, राजस्व, योजना, महासागर विकास, अन्तरिक्ष, आपूर्ति, परमाणु ऊर्जा, आर्थिक कार्य, विदेश, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चीनी तथा खाद्य तेल, इस्पात, विधिक कार्य, कार्मिक तथा प्रशिक्षण, जैव-प्रौद्योगिकी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभाग।

वर्ष के दौरान, सामाजिक आधारभूत ढांचे सहित सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों हेतु अनुपूरक आबंटनों के लिए, यदि वित्तीय वर्ष 2001-02 में विनिवेश प्राप्तियां प्रक्षेपित अनुमानों के अनुसार हों तो, 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बजट में, व्यय विभाग के विकास शीर्ष "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत, शामिल की गई है।

इसके अलावा, आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों के अनेक कार्यक्रमों, जैसे त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) पर पिछली योजना के समय से ही बल दिया जा रहा है, और इसके लिए उनकी बजटीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। एपीडीपी को दी जाने वाली बजटीय सहायता में 50 प्रतिशत की और ए आईबीपी की सहायता में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जनजातीय उप-योजना के लिए भी, गतवर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में 25 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

ये आबंटन इस उद्देश्य से किए गए हैं कि अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति मिले और साथ ही, दसवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए सशक्त मंच की व्यवस्था हो।

वार्षिक योजना 2000-01 की समीक्षा

संशोधित अनुमानों (आरई) में, वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रों के परिव्यय घटकर 1,08,586.51 करोड़ रुपये के हो गए। इस प्रकार उनमें 1,17,333.78 करोड़ रुपये के बजट

अनुमानों (बीई) की तुलना में 7.4 प्रतिशत की कमी हो गई। इसका मुख्य कारण यह रहा कि अनेक मंत्रालयों / विभागों के सार्वजनिक क्षेत्रक के केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसयू) के आईईबीआर में 8.6 प्रतिशत कमी हुई। वर्ष 2000-01 की वार्षिक योजना के बजट अनुमान के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रक के परिव्यय (बीई) के लगभग 56.3 प्रतिशत भाग की निधि-व्यवस्था, आईईबीआर के माध्यम से, मंत्रालयों / विभागों के सीपीएसयू द्वारा जुटाए गए संसाधनों से की जानी थी और शेष 51,275.60 करोड़ रुपये की राशि जीबीएस से पूरी की जानी थी। संशोधित अनुमानों में 48,268.53 करोड़ रुपये का केन्द्रीय क्षेत्रक का जीबीएस, उसी वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में, 5.8 प्रतिशत कम था। लेकिन, संशोधित अनुमानों में हुई गिरावट पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम रही है।

वार्षिक योजना 2001-02

वार्षिक योजना 2001-02 में केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए 1,25181,34 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय (जिसमें 5000 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं) वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 1,17,33.78 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में, 7 प्रतिशत अधिक है और वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 1.08,586.51 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक के योजना परिव्यय का वित्तपोषण 54,456 करोड़ रुपये (43.5 प्रतिशत) की बजट सहायता द्वारा और 70,725.34 करोड़ रुपये (56.5 प्रतिशत) की आईईबीआर द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2001-02 की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के वित्तपोषण के लिए आईईबीआर से जुटाई जाने वाली राशि वार्षिक योजना 2000-01 में इस हेतु निर्धारित 66,058.18 करोड़ रुपये की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2001-02 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के लिए सकल बजट सहायता, जिसकी राशि 54,456 करोड़ रुपये है, वार्षिक योजना 2000-01 में उपबंधित 51275.60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 6.2 प्रतिशत अधिक है और वार्षिक योजना 2000-01 के संशोधित अनुमानों की 48,268.53 रुपये की राशि से 13 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमानों का ब्यौरा और वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के बजट अनुमानों का ब्यौरा, विकासशीलों के अनुसार, **तालिका 3.2.1 और 3.2.2** में दिया गया है।

केन्द्र, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1998-99 का वास्तविक व्यय, विकास-शीर्षों के अनुसार **संलग्नक 3.2.1** में दिया गया है। केन्द्र, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1999-2000 का वास्तविक व्यय, विकास शीर्षों के अनुसार **संलग्नक 3.2.2** में दिया गया है। केन्द्र, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2000-01 के बजट अनुमान, विकास-शीर्षों के अनुसार, **संलग्नक 3.2.3** में दिए गए हैं। **संलग्नक 3.2.4** केन्द्र, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2000-01 के संशोधित अनुमान, विकास-शीर्षों के अनुसार दर्शाता है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक-योजना 2000-01 के संशोधित योजना परिव्यय, विकास शीर्षों के अनुसार **संलग्नक 3.2.5** में दिए गए हैं। केन्द्र के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के बजट अनुमान मंत्रालय / विभागवार **संलग्नक 3.2.6** में दिए गए हैं। अंत में, **संलग्नक 3.2.7** में केन्द्र के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के बजट अनुमान, विकास-शीर्षों के अनुसार दिए गए हैं।

तालिका 3.2.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2000-01 के संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपये)

1	विकास शीर्ष	ब. सहा.	केन्द्र		राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
			आई. ई. बी. आर.	परिव्यय		
2	3	4	5	6	7	
1	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2869.78	112.17	2981.95	4710.90	7692.85
2	ग्रामीण विकास	4180.45	0.00	4180.45	6271.70	10452.15
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	882.31	882.31
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	401.80	0.00	401.80	13550.04	13951.84
5	ऊर्जा	4518.82	21576.66	26095.48	14219.17	40314.65
6	उद्योग और खनिज	2812.86	4272.09	7084.95	1909.95	8994.90
7	परिवहन	9599.42	11248.31	20847.73	10018.56	30866.29
8	संचार	180.23	20137.04	20317.27	4.85	20322.12
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3189.76	0.00	3189.76	352.99	3542.75
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1223.59	23.25	1246.84	1922.51	3169.35
11	सामाजिक सेवाएं	19015.05	2948.46	21963.51	23747.29	45710.80
12	सामान्य सेवाएं	276.77	0.00	276.77	1754.12	2030.89
	जोड़	48268.53	60317.98	108586.51	79344.39	187930.90

तालिका 3.2.2

केन्द्र के लिए 2001-02 की वार्षिक योजना के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आई ई बी आर	परिव्यय
1	2	3	4	5
1	कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	3298.95	81.30	3380.25
2	ग्रामीण विकास	4449.45	0.00	4449.45
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	476.76	0.00	476.76
5	ऊर्जा	4683.55	29104.08	33787.63
6	उद्योग और खनिज	3186.25	4774.08	7960.33
7	परिवहन	9124.54	13445.45	22569.99
8	संचार	300.00	19988.66	20288.66
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3603.30	0.00	3603.30
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6369.90	31.50	6401.40
11	सामाजिक सेवाएं	23587.10	3300.27	26887.37
12	सामान्य सेवाएं	376.20	0.00	376.20
	जोड़		70725.34	130181.34

टिप्पणी: राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वार्षिक योजना 1998-1999 के लिए वास्तविक व्यय : केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	विकास शीर्ष	कूट सं.	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
I	कृषि और संबद्ध गतिविधियां		2679.70	4954.11	64.39	7698.20
1.	फसल कृषि	12401	806.68	1029.05	9.07	1844.80
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	178.59	456.54	2.65	637.78
3.	पशुपालन	12403	51.50	260.45	13.62	325.57
4.	डेयरी विकास	12404	23.70	39.54	1.47	64.71
5.	मछली पालन	12405	100.71	182.42	8.06	291.19
6.	वानिकी व वन्य जीवन (पशु कल्याण)	12406	241.58	2232.22	17.50	2491.30
7.	बागान	12407	183.96	4.61	0.00	188.57
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	19.35	9.64	0.00	28.99
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	428.18	244.22	2.47	674.87
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	279.31	122.79	0.00	402.10
11.	सहकारिता	12425	358.90	292.28	8.98	660.16
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	7.25	80.35	0.56	88.16
II	ग्रामीण विकास		5562.89	5312.48	110.10	10985.47
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	949.76	1426.17	87.01	2462.94
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	4052.14	1864.25	0.00	5916.39
3.	भूमि सुधार	12506	34.54	229.03	1.21	264.78
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	526.45	1793.03	21.89	2341.37
III	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00	1183.84	0.00	1183.84
1	पर्वती क्षेत्र	12551	0.00	-	-	-
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	-	-	-
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	-	-	-
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	-	-	-
	(ख) जनजातीय उप-योजना		0.00	-	-	-
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00	-	-	-
	(घ) अन्य		0.00	-	-	-
IV	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		325.74	10456.16	31.81	10813.71
1.	बड़ी एवं मंजौली सिंचाई	12701	47.86	8142.92	1.39	8192.17
2.	लघु सिंचाई	12702	48.23	1557.06	9.24	1614.53
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	175.32	311.16	0.21	486.69

संलग्नक 3.2.1 (जारी)

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए वास्तविक व्यय केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल निकास	12711	54.33	445.02	20.96	520.31
V	ऊर्जा		22468.85	12551.44	552.01	35572.30
1.	विद्युत	12801	8157.08	12459.93	542.01	21159.02
2.	पेट्रोलियम	12802	11213.62	0.00	0.00	11213.62
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	2540.14	0.00	0.00	2540.14
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	558.01	91.51	10.00	659.52
VI	उद्योग व खनिज		6162.42	1757.01	59.51	7978.94
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	913.11	825.75	37.81	1776.67
2.	लौह इस्पात उद्योग	12852	1483.30	0.00	0.00	1483.30
3.	अलौह खनन तथा धातु विज्ञानी उद्योग	12853	478.11	0.00	0.00	478.11
4.	सीमेंट व गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	21.63	0.00	0.00	21.63
5.	उर्वरक उद्योग	12855	801.30	0.00	0.00	801.30
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	1003.62	0.00	0.00	1003.62
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	58.70	0.00	0.00	58.70
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	417.19	0.00	0.00	417.19
9.	दूर-संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	219.74	0.00	0.00	219.74
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	100.28	0.00	0.00	100.28
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	113.88	0.00	0.00	113.88
12.	अन्य उद्योग	12875	417.02	876.74	21.70	1315.46
13.	उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	134.54	54.52	0.00	189.06
VII	परिवहन		13889.58	6014.59	442.80	20346.97
1.	रेलवे	13002	8857.00	0.00	0.00	8857.00
2.	पत्तन व लाइट हाउस	13051	1011.05	30.83	14.26	1056.14
3.	जहाजरानी	13052	881.06	0.00	77.32	958.38
4.	सागर विमानन	13053	1424.41	28.51	7.13	1460.05
5.	सड़कें व पुल	13054	1648.29	4837.47	223.51	6709.27
6.	सड़क परिवहन	13055	7.10	848.37	120.01	975.48
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	39.75	18.32	0.42	58.49
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	20.92	251.09	0.15	272.16

संलग्नक 3.2.1 (जारी)

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए वास्तविक व्यय केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
VIII	संचार		11374.61	0.10	0.84	11375.55
1.	डाक सेवाएं	13201	73.69	-	-	-
2.	दूर-संचार सेवाएं	13225	10533.55	-	-	-
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	767.37	-	-	-
IX	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		2278.40	158.03	6.11	2442.54
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	243.08	0.00	0.00	243.08
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1165.85	0.00	0.00	1165.85
3.	विज्ञान अनुसंधान	13403	86.03	0.00	0.00	86.03
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	532.19	47.06	1.08	580.33
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	251.25	110.97	5.03	367.25
X	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1455.63	1584.32	31.32	3071.27
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	113.03	85.24	1.96	200.23
2.	पर्यटन	13452	138.76	235.63	16.20	390.59
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	185.53	0.00	0.00	185.53
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	32.39	19.20	0.80	52.40
5.	मौसम विज्ञान	13455	21.67	0.00	0.00	21.67
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	23.81	29.77	11.30	64.88
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	578.28	0.00	0.00	578.28
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	309.42	0.00	0.00	309.42
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	52.74	1214.48	1.06	1268.27
XI	सामाजिक सेवाएं		19397.42	17821.54	1518.97	38737.93
1.	सामान्य शिक्षा	22202	3691.01	4043.14	258.82	7992.97
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	292.10	532.34	59.90	884.34
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	181.19	341.07	12.00	534.26
4.	कला व संस्कृति	22205	115.24	146.71	10.60	272.55
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	3157.08	2035.11	219.69	5411.88
6.	परिवार कल्याण	22211	2342.74	0.00	0.00	2342.74
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	3436.90	4010.09	375.18	7822.17
8.	आवास	22216	1651.08	1449.33	43.03	3143.44

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए वास्तविक व्यय केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
9.	शहरी विकास	22217	470.42	1889.61	460.61	2820.64
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	40.88	52.04	4.28	97.20
11.	प्रसारण	22221	389.34	0.00	0.00	389.34
12.	अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	917.66	1913.34	9.14	2840.13
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	776.77	258.03	7.54	1042.34
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	1923.45	497.20	33.77	2454.42
15.	पोषाहार *	22236	2.51	573.64	24.35	600.50
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	6.05	0.00	0.00	6.05
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	3.00	79.89	0.05	82.94
XII	सामान्य सेवाएं		306.18	992.94	74.45	1373.57
1.	न्याय प्रशासन	32014	66.00	0.00	0.00	66.00
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल *	32046	23.87	0.00	0.00	23.87
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	-	0.00	0.00	0.00
4.	सचिवालयी-सामान्य सेवाएं *	32052	1.25	0.00	0.00	1.25
5.	पुलिस	32055	101.82	0.00	0.00	101.82
6.	जेल	32056	8.37	20.40	15.26	44.03
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.24	0.00	0.00	0.24
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	1.00	16.53	2.49	20.02
9.	लोक निर्माण	32059	81.48	560.18	29.23	670.89
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	22.15	395.83	27.47	445.45
	कुल जोड़		85901.42	62786.56	2892.30	151580.28

* प्रत्यक्षित व्यय का हिसाब केवल केन्द्र के योजना परिव्यय के संबंध में ही लगाया है।

वार्षिक योजना 1992-2000 पर केन्द्र, राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों का वास्तविक व्यय						
(करोड़ रुपये)						
क्रम	विकास शीर्ष	केन्द्र	राज्य	संघ शासित क्षेत्र	योग	
संख्या						
I	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	2867.05	4415.55	82.79	7365.39	
1.	फसल कृषि	12401	1083.39	1076.11	15.22	2174.72
2.	मृदा तथा जल संरक्षण	12402	165.27	637.66	3.04	805.97
3.	पशु पालन	12403	96.43	276.05	16.36	388.84
4.	डेरी विकास	12404	17.37	42.73	0.45	60.55
5.	मत्स्य पालन	12405	101.12	212.95	8.72	322.79
6.	वानिकी और वन्य जीवन (पशुओं का कल्याण)	12406	267.39	1406.09	21.82	1695.30
7.	वृक्षारोपण	12407	109.01	8.5	0.00	117.51
8.	खाद्य, भण्डारण तथा गोदाम	12408	101.88	5	0.00	106.88
9.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	12415	498.47	306.82	4.93	810.22
10.	कृषि वित्तीय संस्थान	12416	198.04	98.61	0.00	296.65
11.	सहकारिता	12425	224.73	300.13	10.64	535.50
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	3.95	45	1.61	50.46
II	ग्रामीण विकास	5162.41	6037.08	81.05	11280.54	
1.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1218.92	739.81	5.16	1963.89
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	3729	2300.9	0.00	6029.90
3.	भूमि सुधार	12506	42.49	238.82	1.68	282.99
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	172	2757.55	74.21	3003.76
III	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम **	608.84	905.08	0.00	1513.92	
1	पर्वतीय क्षेत्र	12551	398.84	-	-	398.84
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	12552	-	-	-	0.00
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	-	-	-	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		-	-	-	0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना		-	-	-	0.00
	(ग) सीमांत क्षेत्र		210.00	-	-	210.00
	(घ) अन्य		-	-	-	0.00
IV	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	339.55	13829.88	40.31	14209.74	
1.	बड़ी और मझौली की सिंचाई	12701	48.32	11233.75	1.04	11283.11
2.	लघु सिंचाई	12702	56.62	1829.35	10.86	1896.83
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	165.92	308.23	0.24	474.39

4.	खाद्य नियन्त्रण और जल निकास	12711	68.69	458.55	28.17	555.41
V	ऊर्जा		23196.6	12033.4	579.58	35809.58
1.	विद्युत	12801	8789.04	11964.32	574.06	21327.42
2.	पेट्रोलियम	12802	9953.21	-	-	9953.21
3.	कोयला और लिग्नाइट	12803	3719.07	-	-	3719.07
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	12810	735.28	69.08	5.52	809.88
VI	उद्योग और खनिज पदार्थ		5209.13	1976.6	62.09	7247.82
1.	ग्राम तथा लघु उद्योग इस्पात	12851	918.31	792.7	35.57	1746.58
2.	लोहा और इस्पात	12852	847.36		-	847.36
3.	अलोह खनन और धातुकर्म उद्योग	12853	1161.81	76.21	0.00	1238.02
4.	सीमेंट तथा अधात्विक खनिज उद्योग	12854	4.36			4.36
5.	उर्वरक उद्योग	12855	604.25			604.25
6.	पेट्रोरासायनिक उद्योग	12856	561.63			561.63
7.	रासायनिक और फार्मसिटीकल उद्योग	12857	27.46			27.46
8.	इंजीनियरी उद्योग	12858	198.85			198.85
9.	दूरसंचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	312.89			312.89
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	66.62			66.62
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	144.74			144.74
12.	अन्य उद्योग *	12875	190.61	1107.69	26.52	1324.82
13.	उद्योगों तथा खनिज पदार्थों पर अन्य परिव्यय	12885	170.24			170.24
VII	परिवहन		15512.62	7307.99	641.94	23462.55
1.	रेल	13002	9057	0	0.00	9057.00
2.	बन्दरगाह तथा प्रकाश स्तम्भ	13051	1484.03	24.78	35.83	1544.64
3.	नौवहन	13052	154.3	0	108.98	263.28
4.	नागरिक विमानन	13053	1257.86	59.01	23.33	1340.20
5.	सड़कें और पुल	13054	3475.26	6259.93	322.49	10057.68
6.	सड़क परिवहन	13055	6.94	778.67	151.22	936.83
7.	अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	37.84	14.66	0.00	52.50
8.	अन्य परिवहन	13075	39.39	170.94	0.08	210.41
VIII	संचार **		14037.29	0.49	0.79	14038.57
1.	डाक सेवाएं	13201	88.28	-	-	88.28
2.	दूरसंचार सेवाएं	13225	13516.07	-	-	13516.07
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	432.94	-	-	432.94
IX	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		2742.48	191.27	7.95	2941.70

1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	320.99	-	-	320.99
2.	अन्तरिक अनुसंधान	13402	1424.24	-	-	1424.24
3.	समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान	13403	83.16	-	-	83.16
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	626.21	94.59	1.14	721.94
5.	पारिस्थितिक तथा पर्यावरण	13435	287.88	96.68	6.81	391.37
X	सामान्य आर्थिक सेवाएं		933.33	1480.11	38.20	2451.64
1.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	13451	127.55	178.98	2.61	309.14
2.	पर्यटन	13452	128.58	172.6	16.18	317.36
3.	विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन	13453	170.64	0	0.00	170.64
4.	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	13454	20.59	0	0.00	20.59
5.	मौसम विज्ञान	13455	28.64	0	0.00	28.64
6.	सिविल आपूर्ति	13456	60.54	99.16	14.57	174.27
7.	सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थान	13465	1.54	0	0.00	1.54
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग	13605	394.93	0	0.00	394.93
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	0.32	1008.14	3.94	1012.40
10.	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	0	21.23	0.91	22.14
XI	समाज सेवाएं		16628.36	20188.83	1622.25	38439.44
1.	सामान्य शिक्षा	22202	3281.57	5015.02	285.25	8581.84
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	451.49	462.98	55.22	969.69
3.	खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	0.1	179.03	10.84	189.97
4.	कला और संस्कृति	22205	117.47	128.99	11.61	258.07
5.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	998.56	2282.67	287.47	3568.70
6.	परिवार कल्याण	22211	2969.12	0	0.00	2969.12
7.	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	22215	1817.52	4920.54	372.24	7110.30
8.	आवास	22216	1871.89	1581.48	62.98	3516.35
9.	शहरी विकास	22217	334.57	2044.12	444.55	2823.24
10.	सूचना और प्रचार	22220	30.46	51.3	3.80	85.56
11.	प्रसारण	22221	122.11	-	-	122.11
12.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1447.14	1858.31	14.27	3319.72
13.	श्रम और रोजगार	22230	111.4	239.75	9.19	360.34
14.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	2147.64	737.7	39.50	2924.84
15.	पोषण	22236	1.64	514.03	25.24	540.91
16.	सचिवालयी समाज सेवाएं	22251	10.95	-	-	10.95
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.00	172.91	0.07	173.98
18.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र		913.73	-	-	913.73

XII	सामान्य सेवाएं		59.73	1660.71	126.99	1847.43
1.	न्याय व्यवस्था	32014	0.63	-	-	0.63
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई और टकसालें	32046	14.98	-	-	14.98
3.	अन्य मौद्रिक सेवाएं	32047		-	-	0.00
4.	सचिवालयी सामान्य सेवाएं *	32052	1.67	-	-	1.67
5.	पुलिस	32055	3	-	-	3.00
6.	कारागार	32056	7	20.65	13.60	41.25
7.	पूर्ति तथा निपटान	32057	1.47	-	-	1.47
8.	लेखन सामग्री और मुद्रण	32058	0.25	11.7	2.11	14.06
9.	लोक निर्माण कार्य	32059	16.87	531.67	69.57	618.11
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	13.86	1096.69	41.71	1152.26
	सकल योग		87297.39	70026.99	3283.94	160608.32
	* प्रत्याशित आंकड़े दिसम्बर में लिए गए हैं					
	** विवरण उपलब्ध नहीं हैं					

वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विकास शीर्षवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
I	कृषि और संबद्ध गतिविधियां		3381.34	4805.05	94.52	8280.91
1.	फसल कृषि	12401	1515.93	1254.17	14.61	2784.71
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	62.18	640.08	3.42	705.68
3.	पशुपालन	12403	106.40	336.80	17.39	460.59
4.	डेयरी विकास	12404	47.50	45.92	3.95	97.37
5.	मछली पालन	12405	125.10	197.45	8.50	331.05
6.	वानिकी व वन्य जीवन	12406	347.93	1364.53	28.50	1740.96
7.	बागान	12407	177.45	4.63	0.00	182.08
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	161.40	8.12	0.00	169.52
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	629.55	287.08	5.13	921.76
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	28.76	61.63	0.00	90.39
11.	सहकारिता	12425	169.14	508.23	11.24	688.61
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	10.00	96.41	1.77	108.18
II	ग्रामीण विकास			6611.61	115.38	11349.49
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1642.60	876.00	6.49	2525.09
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	2655.00	2223.68	0.00	4878.68
3.	भूमि सुधार	12506	68.40	292.13	1.96	362.49
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	256.50	3219.80	106.93	3583.23
III	विकास क्षेत्र कार्यक्रम *		0.00	1022.46	0.00	1022.46
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00	-	0.00	0.00
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	-	0.00	0.00
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	-	0.00	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	-	0.00	0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना		0.00	-	0.00	0.00
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00	-	0.00	0.00
	(घ) अन्य		0.00	-	0.00	0.00
IV	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		451.62	15738.64	44.01	16234.27
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	50.60	12921.80	0.60	12973.00
2.	लघु सिंचाई	12702	85.27	1893.14	14.79	1993.20

संलग्नक 3.2.3 (जारी)

वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विकास शीर्षवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	160.88	298.02	0.05	458.95
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	154.87	625.68	28.57	809.12
V	ऊर्जा		29793.00	14147.94	915.03	44855.97
1.	विद्युत	12801	11610.83	14033.28	910.25	26554.36
2.	पेट्रोलियम	12802	13148.77	0.00	0.00	13148.77
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	4089.16	0.00	0.00	4089.16
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	944.24	114.66	4.78	1063.68
VI	उद्योग व खनिज		9266.51	1893.45	90.43	11250.39
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	1214.60	734.64	66.23	2015.47
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852	1704.23	0.00	0.00	1704.23
3.	अलौह खनन तथा धातुविज्ञानी उद्योग	12853	1886.17	0.00	0.00	1886.17
4.	सीमेंट व गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	35.00	0.00	0.00	35.00
5.	उर्वरक उद्योग	12855	1872.00	0.00	0.00	1872.00
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	460.88	0.00	0.00	460.88
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	99.89	0.00	0.00	99.89
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	401.42	0.00	0.00	401.42
9.	दूर-संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	518.25	0.00	0.00	518.25
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	256.57	0.00	0.00	256.57
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	295.04	0.00	0.00	295.04
12.	अन्य उद्योग	12875	311.14	1011.70	24.20	1347.04
13.	उद्योगों व खनिजों के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	211.32	147.11	0.00	358.43
VII	परिवहन		20992.21	9367.17	911.31	31270.69
1.	रेलवे	13002	11249.00	0.00	0.00	11249.00
2.	बंदरगाह व लाइटहाउसेस	13051	1722.86	23.87	13.91	1760.64
3.	जहाजरानी	13052	884.57	0.00	137.94	1022.51
4.	नागर विमानन	13053	2229.52	37.52	40.25	2307.29
5.	सड़कें व पुल	13054	4827.35	7763.50	364.94	12955.79
6.	सड़क परिवहन	13055	-	911.85	353.45	1265.30
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	57.41	16.10	0.64	74.15
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	21.50	614.33	0.17	636.00

संलग्नक 3.2.3 (जारी)

वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विकास शीर्षवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
VIII	संचार *		19455.34	17.35	0.48	19473.17
1.	डाक सेवाएं	13201	120.00	-	-	120.00
2.	दूर संचार सेवाएं	13225	18155.00	-	-	18155.00
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	1180.34	-	-	1180.34
IX	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		3512.78	403.74	9.98	3926.50
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	420.00	0.00	0.00	420.00
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1700.00	0.00	0.00	1700.00
3.	समुद्र विज्ञान अनुसंधान	13403	135.00	0.00	0.00	135.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	825.96	212.94	3.87	1042.77
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	431.82	190.80	6.12	628.74
X	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1441.34	3125.20	40.03	4606.57
1.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	13451	158.92	291.75	4.43	455.10
2.	पर्यटन	13452	195.00	292.59	14.79	502.38
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	224.10	0.00	0.00	224.10
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	185.00	33.55	3.36	221.91
5.	मौसम विज्ञान	13455	30.30	0.00	0.00	30.30
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	23.65	85.42	10.49	119.56
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	4.29	0.00	0.00	4.29
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	575.00	0.00	0.00	575.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	45.08	2421.89	6.95	2473.92
XI	सामाजिक सेवाएं		24120.74	22264.58	1982.27	48367.59
1.	सामान्य शिक्षा	22202	4949.20	4641.86	330.21	9921.27
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	490.00	362.51	59.98	912.49
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	215.00	224.76	10.06	449.82
4.	कला व संस्कृति	22205	182.90	155.64	15.44	353.98
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1399.00	2950.36	356.28	4705.64
6.	परिवार कल्याण	22211	3520.00	0.00	0.00	3520.00
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2100.83	5536.12	495.63	8132.58
8.	आवास	22216	3968.90	1880.69	55.88	5905.47

संलग्नक 3.2.3 (जारी)

वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का विकास शीर्षवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
9.	शहरी विकास	22217	1354.17	2563.18	528.05	4445.40
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	68.91	66.58	3.87	139.36
11.	प्रसारण	22221	640.44	0.00	0.00	640.44
12.	अनु.जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1232.78	1945.00	28.00	3205.78
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	121.79	277.89	12.94	412.62
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2329.97	853.05	51.21	3234.23
15.	पोषाहार	22236	2.90	687.14	34.66	724.70
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	4.91	0	0.00	4.91
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.20	119.80	0.06	121.06
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1537.84	0.00	0.00	1537.84
XII	सामान्य सेवाएं		296.40	2296.24	128.68	2721.32
1.	न्याय प्रशासन	32014	68.50	0.00	0.00	68.50
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	30.00	0.00	0.00	30.00
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047		0.00	0.00	0.00
4.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	3.15	0.00	0.00	3.15
5.	पुलिस	32055	134.00	0.00	0.00	134.00
6.	जेल	32056	7.00	32.19	19.00	58.19
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.20	0.00	0.00	0.20
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058		15.38	2.14	17.52
9.	लोक निर्माण	32059	29.00	480.73	58.90	568.63
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	24.55	1767.94	48.63	1841.12
	कुल जोड़		117333.78	81693.43	4332.12	203359.33

वर्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
I	कृषि और संबद्ध गतिविधियां		2981.95	4613.62	97.28	7692.85
1.	फसल कृषि	12401	1380.22	1177.12	15.09	2572.43
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	63.42	676.94	3.45	743.81
3.	पशुपालन	12403	77.07	309.78	17.86	404.71
4.	डेयरी पालन	12404	36.45	30.17	3.95	70.57
5.	मछली पालन	12405	116.61	190.02	8.56	315.19
6.	वानिकी व वन्य जीवन	12406	281.65	1232.30	28.51	1542.46
7.	बागान	12407	169.35	4.67	0.00	174.02
8.	खाद्य, भंडारण तथा भंडारगृह	12408	143.40	5.94	0.00	149.34
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	550.00	279.28	5.12	834.40
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	28.76	79.19	0.00	107.95
11.	सहकारिता	12425	128.35	539.33	13.42	681.10
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	6.67	88.88	1.32	96.87
II	ग्रामीण विकास		4180.45	6152.43	119.27	10452.15
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1075.45	838.31	6.39	1920.15
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	2798.40	2033.51	0.00	4831.91
3.	भूमि सुधार	12506	67.50	283.51	1.86	352.87
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	239.10	2997.10	111.02	3347.22
III	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम *		0.00	882.31	0.00	882.31
1.	पहाड़ी क्षेत्र	12551	0.00	-	0.00	0.00
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	-	0.00	0.00
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	-	0.00	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	-	0.00	0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना		0.00	-	0.00	0.00
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00	-	0.00	0.00
	(घ) अन्य		0.00	-	0.00	0.00
IV	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		401.80	13509.17	40.87	13951.84
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	49.03	10975.48	0.60	11025.11
2.	लघु सिंचाई	12702	88.67	1722.00	9.67	1820.34

संलग्नक 3.2.4 (जारी)

वर्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	119.74	268.47	0.05	388.26
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	144.36	543.22	30.55	718.13
V	ऊर्जा		26095.48	13304.73	914.44	40314.65
1.	विद्युत	12801	10064.81	13225.10	909.77	24199.68
2.	पेट्रोलियम	12802	12418.86	0.00	0.00	12418.86
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	2753.35	0.00	0.00	2753.35
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	858.46	79.63	4.67	942.76
VI	उद्योग व खनिज		7084.95	1822.23	87.72	8994.90
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	1125.35	630.72	65.62	1821.69
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852	1137.72	0.00	0.00	1137.72
3.	अलौह व खनन तथा धातुविज्ञानी उद्योग	12853	1417.46	0.00	0.00	1417.46
4.	सीमेंट व गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	16.04	0.00	0.00	16.04
5.	उर्वरक उद्योग	12855	807.67	0.00	0.00	807.67
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	517.67	0.00	0.00	517.67
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	29.94	0.00	0.00	29.94
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	628.89	0.00	0.00	628.89
9.	दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	506.24	0.00	0.00	506.24
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	219.68	0.00	0.00	219.68
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	206.71	0.00	0.00	206.71
12.	अन्य उद्योग	12875	286.04	1087.37	22.10	1395.51
13.	उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	185.54	104.14	0.00	289.68
VII	परिवहन		20847.73	9074.80	943.76	30866.29
1.	रेलवे	13002	11249.00	0.00	0.00	11249.00
2.	पत्तन व लाइटहाउसेस	13051	1347.68	14.81	64.23	1426.72
3.	जहाजरानी	13052	740.51	0.00	120.50	861.01
4.	नागर विमानन	13053	1885.43	30.60	40.00	1956.03
5.	सड़कें व पुल	13054	5548.15	7459.49	365.15	13372.79
6.	सड़क परिवहन	13055	0.00	920.61	353.71	1274.32
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	55.46	14.07	0.00	69.53
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	21.50	635.22	0.17	656.89

संलग्नक 3.2.4 (जारी)

वर्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
VIII	संचार *		20317.27	4.36	0.49	20322.12
1.	डाक सेवाएं	13201	120.00	-	-	120.00
2.	दूर संचार सेवाएं	13225	18165.31	-	-	18165.31
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	2031.96	-	-	2031.96
IX	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		3189.76	343.10	9.89	3542.75
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	415.27	0.00	0.00	415.27
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1600.00	0.00	0.00	1600.00
3.	समुद्र विज्ञान अनुसंधान	13403	86.18	0.00	0.00	86.18
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	804.76	201.47	3.73	1009.96
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	283.55	141.63	6.16	431.34
X	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1246.84	1883.92	38.59	3169.35
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	187.27	271.84	4.39	463.50
2.	पर्यटन	13452	136.25	231.22	15.57	383.04
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	227.90	0.00	0.00	227.90
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	51.58	22.88	3.32	77.78
5.	मौसम विज्ञान	13455	30.30	0.00	0.00	30.30
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	22.35	71.00	11.49	104.84
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	4.29	0.00	0.00	4.29
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	550.00	0.00	0.00	550.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	36.90	1286.98	3.82	1327.70
XI	सामाजिक सेवाएं		21963.51	21756.83	1990.46	45710.80
1.	सामान्य शिक्षा	22202	4433.06	4783.49	329.32	9545.87
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	496.18	313.27	61.51	870.96
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	215.00	206.00	11.05	11233.30
4.	कला व संस्कृति	22205	161.78	138.14	14.93	314.85
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1276.85	2710.36	359.39	4346.60
6.	परिवार कल्याण	22211	3200.00	0.00	0.00	3200.00
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2071.03	5091.47	497.46	7659.96

संलग्नक 3.2.4 (जारी)

वर्षिक योजना 2000-01 के लिए केन्द्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. संख्या	विकास शीर्ष	कूट संख्या	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
8.	आवास	22216	3869.73	2307.38	56.61	6233.72
9.	शहरी विकास	22217	869.42	2397.96	528.29	3795.67
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	54.59	61.81	3.77	120.17
11.	प्रसारण	22221	628.80	0.00	0.00	628.80
12.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	997.74	1870.41	28.31	2896.46
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	96.19	278.86	13.06	388.11
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2231.85	771.51	51.56	3054.92
15.	पोषाहार	22236	2.90	793.49	35.14	831.53
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	5.64	0.00	0.00	5.64
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.20	32.68	0.06	33.94
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1351.55	0.00	0.00	1351.55
XII	सामान्य सेवाएं		276.77	1624.22	129.90	2030.89
1.	न्याय प्रशासन	32014	78.20	0.00	0.00	78.20
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	18.58	0.00	0.00	18.58
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	3.20	0.00	0.00	3.20
5.	पुलिस	32055	125.00	0.00	0.00	125.00
6.	जेल	32056	7.00	28.82	19.00	54.82
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.20	0.00	0.00	0.20
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.00	15.04	2.08	17.12
9.	लोक निर्माण	32059	25.50	425.50	59.75	510.75
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	17.05	1154.86	49.07	1220.98
11	विविध सामान्य सेवाएं	32075	2.04	0.00	0.00	2.04
	कुल जोड़		108586.51	74971.72	4372.67	187930.90

* अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दृष्ट

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकाष के प्रमुख / लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम *	बिहार \$	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर *	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	I कृषि और संबद्ध कार्यक्रम										
1 01 2401 00	फसल कृषि	4940	1647	6527	1908	250	10000	970	4078	5586	6783
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	76	577	279	0	40	6475	2080	1342	4541	2082
2403 00	पशु पालन	118	556	2139	238	264	2010	1600	1986	2195	3290
2404 00	डेयरी विकास	0	10	269	21	33	112	80	380	90	302
2405 00	मछली पालन	401	230	1211	102	127	1875	480	301	426	917
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	9722	1085	3750	85	439	21000	2960	7680	4576	9836
2407 00	बागान	0	0	12	0	0	0	0	0	0	45
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डार गृह	0	0	0	0	5	83	30	0	68	20
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2944	24	1720	600	16	1850	960	2328	1977	2236
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं	947	0	0	50	0	850	705	4	0	829
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	316	121	0	0	0	0	586	642	83
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	22	192	905	1298	76	3000	500	421	314	2356
1 01 0000 00	जोड़ I	19170	4637	16933	4302	1250	47255	10365	19106	20415	28779
		(2.88)	(7.74)	(11.14)	(2.48)	(3.60)	(6.74)	(5.68)	(11.11)	(11.65)	(4.24)
	II ग्रामीण विकास										
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)										
	और संबद्ध कार्यक्रम	13266	517	1/ 1880	5614	25	0	913	943	353	1662 1/
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	50	0	0	217	0	232	2069 2/
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	79	20	0	16	0	100	0	69	454
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	(क) एनआरडीपी/ जवाहर रोजगार योजना	1062	102	1276	7865	51	0	3021	613	1506	2343
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	471	2/ 600	11155	1/ 45	0	0	0	0	2591
1 02 2506 00	भूमि सुधार	973	279	278	3398	60	1000	80	1897	885	419
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
	(सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	8	966	3/ 17041	1/ 23496	2/ 158	39518	1/ 5192	1/ 2745	2119	17411
102 0000 00	जोड़ II	15309	2414	21095	51578	355	40518	9523	6198	5164	26949
		(2.30)	(4.03)	(13.88)	(29.70)	(1.02)	(5.78)	(5.22)	(3.60)	(2.95)	(3.97)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम *	बिहार \$	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर *	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1 03 0000 00	III विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	11600	1300	1181	0	320	0	2200	400	10599	10695
		(1.74)	(2.17)	(0.78)	0.00	(0.92)		(1.21)	(0.23)	(6.05)	(1.58)
1 04 0000 00	IV सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण										
1 04 2701 00	बड़ी और मंजौली सिंचाई	91545	34	5048	25358	11216	149500	21101	1489	6885	189871
2702 00	लघु सिंचाई	14304	4563	7757	2662	661	24035	6800	4562	4861	10007
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1110	90	1916	2871	279	900	800	136	567	1183
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध सहित)	6211	405	341	8400	145	490	2000	790	2743	599
1 04 0000 00	जोड़ IV	113170	5092	15062	39291	12301	174925	30701	6977	15056	201660
		(16.99)	(8.50)	(9.91)	(22.62)	(35.45)	(24.95)	(16.82)	(4.06)	(8.59)	(29.72)
	V ऊर्जा										
1 05 2801 00	विद्युत	265750	8528	9284	3995	3000	75000	37400	26092	30757	92494
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	0	143	15	213	20	1575	60	478	82	751
1 05 0000 00	जोड़ V	265750	8671	9299	4208	3020	76575	37460	26570	30839	93245
		(39.90)	(14.47)	(6.12)	(2.42)	(8.70)	(10.92)	(20.52)	(15.45)	(17.59)	(13.74)
	VI उद्योग और खनिज										
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	1480	532	4/ 3028	619	500	11600	800	1239	4216	12471
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	2412	27	690	836	1	29900	1170	1173	290	4730
2853 02	खनन	2854	64	140	75	20	1100	10	63	313	165
1 06 0000 00	जोड़ VI	6746	623	3858	1530	521	42600	1980	2475	4819	17366
		(1.01)	(1.04)	(2.54)	(0.88)	(1.50)	(6.08)	(1.08)	(1.44)	(2.75)	(2.56)
	VII परिवहन										
1 07 3051 00	भूतन और लाइट हाउस	19	0	0	0	4	0	0	0	0	300
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	293	0	2	0	1850	20	90	0	0
3054 00	सड़क और पुल	125671	12015	12877	31593	2700	47200	12000	25233	18829	34880
3055 00	सड़क परिवहन	15737	1/ 409	430	4	200	4170	4000	1338	450	19673
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	234	0	200	0	0	2	198	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	48	2/ 44	5/ 61	0	100	1/ 0	0	0	586	22
1 07 0000 00	जोड़ VII	141475	12761	13602	31599	3204	53220	16020	26663	20063	54875
		(21.24)	(21.29)	(8.95)	(18.19)	(9.23)	(7.59)	(8.78)	(15.50)	(11.44)	(8.09)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम *	बिहार \$	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर *	कर्नाटक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1 08 0000 00	VIII संघार	0	0	0	0	0	400	0	32	0	0	
							(0.06)		(0.02)			
	IX विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण											
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	0	223	60	191	65	12000	150	146	75	167	
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	155	9	0	0	31	720	50	12	359	251	
	जोड़ IX	155	232	60	191	96	12720	200	158	434	418	
		(0.02)	(0.39)	(0.04)	(0.11)	(0.28)	(1.81)	(0.11)	(0.09)	(0.25)	(0.06)	
	X सामान्य आर्थिक सेवाएं											
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13552	874	631	150	12	165	20	439	4153	35	
3452 00	पर्यटन	1510	251	305	105	325	2900	200	563	3003	850	
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	55	100	218	300	16	85	10	54	90	107	
3456 00	नागरिक आपूर्ति	3600	315	80	337	0	415	0	565	0	7	
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं											
	(क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	0	1210	2700	0	0	16200	1000	5377	3218	143	
	(ख) तोल और माप	0	30	66	0	20	150	30	17	38	28	
	(ग) अन्य	23	3/ 11	6/ 361	2/ 0	0	0	20	91	1/ 0	14685	4/
1 10 0000 00	जोड़ X	18740	2791	4361	892	373	19915	1280	7106	10502	15855	
		(2.81)	(4.66)	(2.87)	(0.51)	(1.07)	(2.84)	(0.70)	(4.13)	(5.99)	(2.34)	
	XI सामाजिक सेवाएं											
	शिक्षा											
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	4877	8916	35834	12028	1200	28800	15085	31520	18221	38139	
2203 00	तकनीकी शिक्षा	661	0	760	1342	750	3700	2100	1203	1163	1041	
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	713	225	643	50	275	560	300	502	797	1202	
2205 00	कला और संस्कृति	68	441	583	368	250	1300	300	346	162	1334	
2 21 0000 00	उप जोड़ (शिक्षा)	6319	9582	37820	13788	2475	34360	17785	33571	20343	41716	
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	20430	2093	7439	7999	1450	24000	5648	12311	10595	20528	
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	7321	3052	6463	5622	6798	60665	7750	12137	11949	56152	
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	9683	1883	582	1883	560	31855	2228	7373	226	49098	
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	5866	412	2632	1000	600	21100	2081	3598	3781	19507	

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम *	बिहार \$	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर *	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	579	115	225	16	63	1200	201	347	122	800
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	15815	0	1713	1643	86	32860	670	624	494	20818
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार										
	(क) श्रम और श्रम कल्याण	382	40	785	150	350	6050	1884	179	863	3051
	(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	88	3525	0	0	0	0	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	2766	152	325	133	325	5683	31494	2476	1592	5408
2 27 2236 00	गोषाहार	3150	928	3000	3292	50	12950	350	940	825	4734
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	58	0	0	0	390	0	0	0	772
2 00 0000 00	जोड़ XI	72311	18403	64509	35526	12757	231113	70091	73556	50790	222584
		(10.86)	(30.70)	(42.44)	(20.46)	(36.76)	(32.97)	(38.40)	(42.77)	(28.97)	(32.80)
	XII सामान्य सेवाएं										
3 42 2056 00	जेल	0	0	106	514	1	0	0	0	0	132
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	0	79	40	0	50	0	250	131	64	153
2059 00	लोक निर्माण	901	1936	385	1516	410	0	2450	2038	1130	5332
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	(क) प्रशिक्षण	0	25	0	0	0	772	0	0	0	26
	(ख) अन्य	687	977	1509	2525	42	987	0	590	5425	468
3 00 0000 00	जोड़ XII	1588	3017	2040	4555	503	1759	2700	2759	6619	6111
		(0.24)	(5.03)	(1.34)	(2.62)	(1.45)	(0.25)	(1.48)	(1.60)	(3.78)	(0.90)
9 99 9999 99	कुल जोड़	666014	59941	152000	173672	34700	701000	182520	172000	175300	678537
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

संलग्नक 3.2.5 (जारी)

(लाख रुपए)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश #	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	ज्वागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	I कृषि और संबद्ध कार्यक्रम									
1 01 2401 00	फसल कृषि	4200	8837 1/	7086 1/	575	1215	1330	1272 1/	3065	2669
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	475	964	3921	600	850	284	545	594	392
2403 00	पशु पालन	2550	3325	1339	260	700	490	293	296	1230
2404 00	डेयरी विकास	400	2/	132	22	110	40	35	156	357
2405 00	मछली पालन	2600	543	1057	200	110	132	117	2079	279
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	5000	5057	4673	200	1000	520	345	4009	9115
2407 00	बागान	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डार गृह	30	0	0	5	0	0	0	3	0
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1275	2015	777	17	30	10	0	591	1400
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थाएं	420	0	1	5	5	0	0	1	950
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम									
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	500	0	0	1	75	123	0	41	0
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	1200	5080	27892	120	300	249	284 2/	1953	202
1 01 0000 00	जोड़ I	18650	25821	46878	2105	4395	3178	2891	12788	16594
		(7.48)	(7.82)	(4.08)	(4.90)	(9.41)	(8.01)	(8.86)	(5.01)	(7.73)
	II ग्रामीण विकास									
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम									
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)									
	और संबद्ध कार्यक्रम	700	3807	3542	60	440	280	105	1500	550
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0	1338	3049	0	0	0	0	342 1/	0
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	199	49	20	100	11	40	6	15
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार									
2505 01	(क) एनआरईपी/ जवाहर रोजगार योजना	1560	12567	17941	65	138	440	80	3679	1838
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	0	57500	435 1/	576 1/	0	75	5391 2/	0
1 02 2506 00	भूमि सुधार									
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम									
	(सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	1600 1/	30182 3/	15087	4970 2/	2930 2/	2923 3/	3172 3/	8279 3/	12930
102 0000 00	जोड़ II	3900	48719	97356	5605	4340	4294	3576	23405	15333
		(1.56)	(14.76)	(8.47)	(13.05)	(9.29)	(10.82)	(10.96)	(9.18)	(7.14)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्षा	केरल	मध्य प्रदेश #	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	त्रागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1 03 0000 00	III विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1311	0	4781	416	935	887	1007	0	1311
		(0.53)		(0.42)	(0.97)	(2.00)	(2.24)	(3.09)		(0.61)
1 04 0000 00	IV सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण									
1 04 2701 00	बड़ी और मंजौली सिंचाई	12500	50640	352518	4300	250	1	0	35500	5732
2702 00	लघु सिंचाई	3900	16338	26927	2600	710	331	810	8483	2578
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	940	281	2461	95	30	5	10	474	3200
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध सहित)	1685	91	65	900	300	0	30	296	7534
1 04 0000 00	जोड़ IV	19025	67350	381971	7895	1290	337	850	44753	19044
		(7.63)	(20.41)	(33.21)	(18.38)	(2.76)	(0.85)	(2.61)	(17.55)	(8.87)
	V ऊर्जा									
1 05 2801 00	विद्युत	50464	26271	176735	3450	3043	4852	1557	53886	59237
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	800	534	244	40	80	44	13	46	919
1 05 0000 00	जोड़ V	51264	26805	176979	3490	3123	4896	1570	53932	60156
		(20.56)	(8.12)	(15.39)	(8.12)	(6.69)	(12.34)	(4.81)	(21.15)	(28.02)
	VI उद्योग और खनिज									
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	5600	0	1834	2050	3/ 315	3/ 1119	441	4/ 1059	326
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	10100	2/ 3371	2669	30	2400	84	377	107	545
2853 02	खनन	70	528	0	10	142	78	250	371	1
1 06 0000 00	जोड़ VI	15770	3899	4503	2090	2857	1281	1068	1537	872
		(6.33)	(1.18)	(0.39)	(4.87)	(6.12)	(3.23)	(3.27)	(0.60)	(0.41)
	VII परिवहन									
1 07 3051 00	मत्तन और लाइट हाउस	325	0	447	0	0	0	0	386	0
3052 00	जहाजरानी/नौवहन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	298	0	0	0	0	0	30	197
3054 00	सड़क और पुल	11775	10647	111196	3000	9470	1881	3435	11101	12863
3055 00	सड़क परिवहन	1000	0	10692	200	340	334	302	0	701
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	650	0	50	0	0	10	0	39	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	1750	0	45542	55	4/ 38	60	4/ 129	5/ 0	0
1 07 0000 00	जोड़ VII	15500	10945	167927	3255	9848	2285	3866	11556	13761
		(6.22)	(3.32)	(14.60)	(7.58)	(21.09)	(5.76)	(11.85)	(4.53)	(6.41)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश #	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	त्रागालैंड	उड़ीसा	पंजाब	
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
1 08 0000 00	VIII संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 09 3425 00	IX विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1900	162	181	226	93	90	37	201	110	
3435 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	3/	3812	49	100	50	4	5	2220	4/ 29	
	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	1900	3974	230	326	143	94	42	2421	139	
	जोड़ IX	(0.76)	(1.20)	(0.02)	(0.76)	(0.31)	(0.24)	(0.13)	(0.95)	(0.06)	
1 10 3451 00	X सामान्य आर्थिक सेवाएं	2700	0	104	112	158	825	238	66	701	
3452 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3050	336	6627	75	330	231	268	266	46	
3454 00	पर्यटन	325	5	66	85	85	76	79	50	71	
3456 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	25	99	0	65	30	177	160	139	7	
3475 00	नागरिक आपूर्ति										
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	5670	16647	480	962	1829	3000	5806	3880	
	(क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	25	8	0	16	20	44	39	3	0	
	(ख) तोल और माप	0	0	1961	2/ 0	25	4/ 131	5/ 112	6/ 3328	5/ 2048	1/
	(ग) अन्य										
1 10 0000 00	जोड़ X	6125	6118	25405	833	1610	3313	3896	9658	6753	
		(2.46)	(1.85)	(2.21)	(1.94)	(3.45)	(8.35)	(11.95)	(3.79)	(3.15)	
	XI सामाजिक सेवाएं शिक्षा										
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	7000	56841	18063	4265	4700	4179	926	38197	22271	
2203 00	तकनीकी शिक्षा	3000	2367	2857	230	30	171	609	627	3550	
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	500	343	2392	500	750	178	287	138	2843	
2205 00	कला और संस्कृति	900	484	720	520	447	276	161	861	1593	
2 21 0000 00	उप जोड़ (शिक्षा)	11400	60035	24032	5515	5927	4804	1983	39823	30257	
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	4500	11218	30486	2009	3300	2562	1577	9235	15529	
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	9000	21161	98458	4800	3340	3250	3279	7385	8806	
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3000	18837	12463	1356	1075	3619	2731	15067	3707	
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	2500	8818	19802	358	1900	3017	476	2387	3538	

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश #	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	त्रागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	250	59	119	80	181	123	90	175	280
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	9000	6327	24932	840	10	0	0	9426	6140
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार									
	(क) श्रम और श्रम कल्याण	500	987	3495	85	20	81	144	273	686
	(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	648	60	100	0	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	400	2134	4/ 1352	100	150	355	40	1532	5300
2 27 2236 00	भोपाहार	30	5125	5747	829	615	415	617	5479	900
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	329	5/ 0	0	0	0	0	0	227
2 00 0000 00	जोड़ XI	40580	135030	221534	16032	16618	18226	10937	90782	75370
		(16.28)	(40.91)	(19.26)	(37.32)	(35.58)	(45.94)	(33.53)	(35.60)	(35.10)
	XII सामान्य सेवाएं									
3 42 2056 00	जेल	0	19	259	0	110	186	0	178	653
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	125	100	0	38	70	99	33	7	54
2059 00	लोक निर्माण	3000	1278	2121	311	675	551	492	993	2822
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
	(क) प्रशिक्षण	0	0	0	0	0	0	68	0	0
	(ख) अन्य	72175	4/ 0	20056	3/ 561	5/ 686	5/ 44	2320	7/ 3015	6/ 1852
3 00 0000 00	जोड़ XII	75300	1397	22436	910	1541	880	2913	4193	5381
		(30.20)	(0.42)	(1.95)	(2.12)	(3.30)	(2.22)	(8.93)	(1.64)	(2.51)
9 99 9999 99	कुल जोड़	249325	330058	1150000	42957	46700	39671	32616	255025	214714
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

संलग्नक 3.2.5 (जारी)

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम*	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश \$\$	प. बंगाल *	कुल राज्य	अं. नि. द्वीपसमूह *	चण्डीगढ़ *	दादर व नागर हवेली *
1.	2.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
	II कृषि और संबद्ध कार्यक्रम										
1 01 2401 00	फसल कृषि	5074	596	12384	1869	22210	2641	117712	200.00	4.00	121.85
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	594	120	4207	127	36431	98	67694	75.00	3.50	141.05
2403 00	पशु पालन	1179	335	1508	408	1310	1359	30978	294.00	8.00	26.00
2404 00	डेयरी विकास	0	40	38	6	25	359	3017	5.00	0.00	2.00
2405 00	मछली पालन	45	40	1734	329	647	3020	19002	250.00	5.00	1.00
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	5627	585	13717	536	9530	2183	123230	1100.00	688.20	202.00
2407 00	बागान	0	0	0	177	0	133	467	0.00	0.00	0.00
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डार गृह	1	15	262	50	0	22	594	0.00	0.00	0.00
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1014	25	4257	5	1500	357	27928	0.00	0.00	0.00
2416 00	कृषि संबंधी विज्ञान संस्थाएं	825	0	560	0	1410	357	7919	0.00	0.00	0.00
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	40	0	30	6000	330	8888	0.00	0.00	0.00
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2425 00	सहकारिता	2606	520	2645	238	426	1134	53933	120.95	7.00	22.10
1 01 0000 00	जोड़ I	16965	2316	41312	3775	79489	11993	461362	2044.95	715.70	516.00
		(3.99)	(9.26)	(7.25)	(8.93)	(11.76)	(2.98)	(6.15)	(4.92)	(4.80)	(10.32)
	II ग्रामीण विकास										
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)										
	और संबद्ध कार्यक्रम	1330	1/	150	2761	59	5052	1217	46726	0.00	264.20
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	1014	2/	0	26361	0	981	57	35710	0.00	0.00
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	22		25	0	2	117	51	1395	50.00	2.00
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	(क) एनआरडीपी/ जवाहर रोजगार योजना	3387		76	4942	580	31000	19838	115970	0.00	0.00
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	2750		254	4817	721	1/	0	87381	0.00	0.00
1 02 2506 00	मृत्ति सुधार	180		80	0	302		12008	495	28351	125.00
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
	(सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	28391	3/	475	12092	2587		48847	16591	299710	810.00
102 0000 00	जोड़ II	37074		1060	50973	4251		98005	38249	615243	985.00
		(8.73)		(4.24)	(8.94)	(10.06)		(14.50)	(9.50)	(8.21)	(2.37)
										(2.22)	(1.88)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम*	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश \$\$	प. बंगाल *	कुल राज्य	अं. नि. द्वीपसमूह *	चण्डीगढ़ *	दादर व नागर हवेली *
1.	2.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1 03 0000 00	III विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3105	918	0	2728	20000	12537	88231	0.00	0.00	0.00
		(0.73)	(3.67)		(6.46)	(2.96)	(3.11)	(1.18)			
1 04 0000 00	IV सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण										
1 04 2701 00	बड़ी और मंजौली सिंचाई	27461	0	21374	628	76545	8052	1097548	0.00	0.00	50.00
2702 00	लघु सिंचाई	5937	360	10380	1745	5426	5463	172200	150.00	20.00	58.00
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4630	2	1658	2	2782	425	26847	0.00	0.00	5.00
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध सहित)	248	132	2208	601	5018	13090	54322	0.00	0.00	0.00
1 04 0000 00	जोड़ IV	38276	494	35620	2976	89771	27030	1350917	150.00	20.00	113.00
		(9.01)	(1.98)	(6.25)	(7.04)	(13.29)	(6.71)	(18.02)	(0.36)	(0.13)	(2.26)
	V ऊर्जा										
1 05 2801 00	विद्युत	108560	3176	111785	1723	77538	87933	1322510	3600.00	1103.00	1315.00
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	1500	34	133	37	59	143	7963	0.00	12.00	3.95
1 05 0000 00	जोड़ V	110060	3210	111918	1760	77597	88076	1330473	3600.00	1115.00	1318.95
		(25.91)	(12.84)	(19.63)	(4.16)	(11.48)	(21.87)	(17.75)	(8.66)	(7.47)	(26.39)
	VI उद्योग और खनिज										
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	1776	288	4664	589	3553	2973	63072	1000.00	38.00	39.00
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	2905	370	22471	808	1000	20271	108737	0.00	0.00	0.00
2853 02	खनन	3845	100	30	4	0	181	10414	0.00	0.00	0.00
1 06 0000 00	जोड़ VI	8526	758	27165	1401	4553	23425	182223	1000.00	38.00	39.00
		(2.01)	(3.03)	(4.77)	(3.32)	(0.67)	(5.82)	(2.43)	(2.41)	(0.25)	(0.78)
	VII परिवहन										
1 07 3051 00	पत्तन और लाइट हाउस	0	0	0	0	0	0	1481	1100.00	0.00	0.00
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	12050.00	0.00	0.00
3053 00	नागर विमानन	0	0	0	0	271	9	3060	4000.00	0.00	0.00
3054 00	सड़क और पुल	28590	4693	83699	1206	90795	38600	745949	4478.00	60.00	1052.00
3055 00	सड़क परिवहन	7478	210	222	87	6584	17500	92061	340.00	366.00	0.00
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	0	0	0	24	1407	0.00	0.00	0.00
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	15000	4/	0	87	2/	0	63522	0.00	13.00	1/
1 07 0000 00	जोड़ VII	51068	4903	83921	1380	97650	56133	907480	21968.00	439.00	1054.00
		(12.02)	(19.61)	(14.72)	(3.27)	(14.45)	(13.94)	(12.10)	(52.84)	(2.94)	(21.09)

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम*	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश \$\$	प. बंगाल *	कुल राज्य	अं. नि. द्वीपसमूह *	चण्डीगढ़ *	दादर व नागर हवेली *			
1.	2.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.			
1 08 0000 00	VIII संचार	0	0	0	4	0	0	436	35.00	0.00	0.00			
					(0.01)			(0.01)	(0.08)					
	IX विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण													
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	99	70	232	32	400	3237	20147	20.00	18.00	6.00			
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	18	26	87	0	5580	596	14163	0.00	100.00	0.00			
	जोड़ IX	117	96	319	32	5980	3833	34310	20.00	118.00	6.00			
		(0.03)	(0.38)	(0.06)	(0.08)	(0.89)	(0.95)	(0.46)	(0.05)	(0.79)	(0.12)			
	X सामान्य आर्थिक सेवाएं													
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1208	82	518	17	386	38	27184	85.00	1.00	1.00			
3452 00	पर्यटन	310	460	186	97	450	378	23122	553.95	70.00	89.00			
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	111	60	53	19	131	37	2288	12.00	1.00	2.00			
3456 00	नागरिक आपूर्ति	3	45	131	27	0	873	7100	200.00	85.00	2.00			
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
	(क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	2000	0	0	5	0	9925	80052	0.00	0.00	0.00			
	(ख) तोल और माप	20	5	0	4	0	14	577	0.00	0.00	1.00			
	(ग) अन्य	201	5/	0	0	1	3/	25071	0	48069	0.00	0.00	40.00	1/
1 10 0000 00	जोड़ X	3853	652	888	170	26038	11265	188392	850.95	157.00	135.00			
		(0.91)	(2.61)	(0.16)	(0.40)	(3.85)	(2.80)	(2.51)	(2.05)	(1.05)	(2.70)			
	XI सामाजिक सेवाएं													
	शिक्षा													
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	43646	4061	20750	8596	36009	14225	478349	3900.00	733.00	520.80			
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1175	142	493	11	2198	1147	31327	0.00	₹ 292.60	115.00			
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	1431	150	1394	251	1073	3103	20600	0.00	₹ 83.00	11.00			
2205 00	कला और संस्कृति	165	332	1174	49	608	372	13814	0.00	₹ 293.75	10.00			
2 21 0000 00	उप जोड़ (शिक्षा)	46417	4685	23811	8907	39888	18847	544090	3900.00	1402.35	656.80			
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	11106	1200	9665	1434	22546	32176	271036	1900.00	3717.00	217.80			
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	35564	1459	72879	2872	38898	20087	509147	1700.00	676.00	342.80			
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	8639	1062	28604	6295	16256	2656	230738	1454.05	590.40	171.00			
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	41888	468	46386	231	17032	30418	239796	700.00	5142.00	116.00			

वार्षिक योजना 2000-01 संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्षा	राजस्थान	सिक्किम*	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश \$\$	प. बंगाल *	कुल राज्य	अं. नि. द्वीपसमूह *	चण्डीगढ़ *	दादर व नागर हवेली *
1.	2.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	167	100	52	291	156	390	6181	66.00	10.00	8.00
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	4680	235	20440	1929	23827	4532	187041	70.00	73.65	0.00
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार										
	(क) श्रम और श्रम कल्याण	929	30	266	60	1200	975	23465	90.00	38.30	26.00
	(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	4421	0.00	0.00	0.00
2 27 2235 00	समाज कल्याण	755	230	1/ 2975	550	7959	2965	77151	105.00	110.00	8.00
2 27 2236 00	पोषाहार	2569	421	9387	872	6377	9747	79349	154.05	73.40	66.80
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	103	0	0	1389	3268	0.00	6.00	0.00
2 00 0000 00	जोड़ XI	152714	9890	214568	23441	174139	124182	2175683	10139.10	11839.10	1613.20
		(35.95)	(39.56)	(37.64)	(55.47)	(25.77)	(30.84)	(29.02)	(24.39)	(79.35)	(32.28)
	XII सामान्य सेवाएं										
3 42 2056 00	जेल	102	0	0	27	0	595	2882	100.00	0.00	0.00
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	6	50	44	20	77	14	1504	0.00	0.00	10.00
2059 00	लोक निर्माण	2884	630	3302	198	2380	4815	42550	500.00	0.00	64.00
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं						512	512			
	(क) प्रशिक्षण	0	0	0	0	0	0	891	0.00	0.00	0.00
	(ख) अन्य	44	6/ 23	0	97	4/ 0	0	114083	185.00	1/ 147.00	2/ 35.00
3 00 0000 00	जोड़ XII	3036	703	3346	342	2457	5936	162422	785.00	147.00	109.00
		(0.71)	(2.81)	(0.59)	(0.81)	(0.36)	(1.47)	(2.17)	(1.89)	(0.99)	(2.18)
9 99 9999 99	कुल जोड़	424794	25000	570030	42260	675679	402659	7497172	41578.00	14920.00	4998.00
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

वार्षिक योजना 2000-01 - संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	32	33	34	35	36	37	38
	I कृषि और संबद्ध कार्यक्रम							
1 01 2401 00	फसल कृषि	37.00	133.00	156.13	857.00	1508.98	119220.98	1.50
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	1.00	49.00	24.71	51.00	345.26	68039.26	0.86
2403 00	पशु पालन	13.00	410.00	225.81	809.80	1786.61	32764.61	0.41
2404 00	डेयरी विकास	2.00	380.00	0.00	6.31	395.31	3412.31	0.04
2405 00	मछली पालन	57.00	21.00	225.30	296.53	855.83	19857.83	0.25
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	29.00	700.00	23.00	108.00	2850.20	126080.20	1.59
2407 00	बागान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.01
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डार गृह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.01
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.00	0.00	0.00	512.10	512.10	28440.10	0.36
2416 00	कृषि संबंधी विज्ञान संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7919.00	0.10
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम							
	(क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0.00	5.00	0.00	126.90	131.90	9019.90	0.11
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2425 00	सहकारिता	10.00	43.00	311.97	826.69	1341.71	55274.71	0.70
1 01 0000 00	जोड़ I	149.00	1741.00	966.92	3594.33	9727.90	471089.90	5.94
		(3.62)	(0.53)	(10.71)	(11.19)	(2.22)	(5.94)	
	II ग्रामीण विकास							
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम							
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)							
	और संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	264.20	46990.20	0.59
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35710.00	0.45
2501 04	(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0.00	270.00	23.69	25.00	374.74	1769.74	0.02
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार							
2505 01	(क) एनआरडीपी/ जवाहर रोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115970.00	1.46
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87381.00	1.10
1 02 2506 00	भूमि सुधार							
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम							
	(सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	13.00	8650.00	132.59	1346.50	11101.89	310811.89	3.92
102 0000 00	जोड़ II	31.00	8933.00	158.99	1393.87	11926.91	627169.91	7.90
		(0.75)	(2.70)	(1.76)	(4.34)	(2.73)	(7.90)	

वार्षिक योजना 2000-01 - संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	32	33	34	35	36	37	38
1 03 0000 00	III विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88231.00	1.11
							(1.11)	
1 04 0000 00	IV सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण							
1 04 2701 00	बड़ी और मंझौली सिंचाई	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1097608.00	13.83
2702 00	लघु सिंचाई	5.00	110.00	0.00	624.62	967.62	173167.62	2.18
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	26852.00	0.34
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्री कटाव रोध सहित)	22.00	2130.00	350.00	553.15	3055.15	57377.15	0.72
1 04 0000 00	जोड़ IV	37.00	2240.00	350.00	1177.77	4087.77	1355004.77	17.08
		(0.90)	(0.68)	(3.88)	(3.67)	(0.93)	(17.08)	
	V ऊर्जा							
1 05 2801 00	विद्युत	1390.00	81255.00	226.57	2087.98	90977.55	1413487.55	17.81
2810 00	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	3.08	150.00	275.74	22.14	466.91	8429.91	0.11
1 05 0000 00	जोड़ V	1393.08	81405.00	502.31	2110.12	91444.46	1421917.46	17.92
		(33.88)	(24.63)	(5.57)	(6.57)	(20.91)	(17.92)	
	VI उद्योग और खनिज							
106 2851 00	ग्राम और लघु उद्योग	27.00	4119.00	155.10	1183.51	6561.61	69633.61	0.88
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	0.00	0.00	0.00	2210.00	2210.00	110947.00	1.40
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10414.00	0.13
1 06 0000 00	जोड़ VI	27.00	4119.00	155.10	3393.51	8771.61	190994.61	2.41
		(0.66)	(1.25)	(1.72)	(10.56)	(2.01)	(2.41)	
	VII परिवहन							
1 07 3051 00	मत्तन और लाइट हाउस	30.00	0.00	5044.85	1/ 248.00	6422.85	7903.85	0.10
3052 00	जहाजरानी	0.00	0.00	0.00	0.00	12050.00	12050.00	0.15
3053 00	नागर विमानन	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	7060.00	0.09
3054 00	सड़क और पुल	1282.00	27653.00	150.00	1839.50	36514.50	782463.50	9.86
3055 00	सड़क परिवहन	0.00	34609.00	2.64	53.00	35370.64	127431.64	1.61
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1407.00	0.02
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	2.00	0.00	0.00	0.00	17.00	63539.00	0.80
1 07 0000 00	जोड़ VII	1314.00	62262.00	5197.49	2140.50	94374.99	1001854.99	12.63
		(31.96)	(18.84)	(57.60)	(6.66)	(21.58)	(12.63)	

वार्षिक योजना 2000-01 - संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	32	33	34	35	36	37	38
1 08 0000 00	VIII संचार	0.00	0.00	13.53	0.00	48.53	484.53	0.01
				(0.15)		(0.01)	(0.01)	
	IX विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण							
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	22.00	250.00	30.91	25.55	372.46	20519.46	0.26
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	0.00	440.00	26.54	49.45	615.99	14778.99	0.19
	जोड़ IX	22.00	690.00	57.45	75.00	988.45	35298.45	0.44
		(0.54)	(0.21)	(0.64)	(0.23)	(0.23)	(0.44)	
	X सामान्य आर्थिक सेवाएं							
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	65.00	214.00	43.36	30.00	439.36	27623.36	0.35
3452 00	पर्यटन	17.00	280.00	53.74	493.50	1557.19	24679.19	0.31
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	5.00	295.00	8.90	7.50	331.40	2619.40	0.03
3456 00	नागरिक आपूर्ति	2.00	450.00	0.00	410.00	1149.00	8249.00	0.10
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं							
	(क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80052.00	1.01
	(ख) तोल और माप	0.00	35.00	0.00	5.00	41.00	618.00	0.01
	(ग) अन्य	0.00	0.00	5.48	294.62	340.10	48409.10	0.61
1 10 0000 00	जोड़ X	89.00	1274.00	111.48	1240.62	3858.05	192250.05	2.42
		(2.16)	(0.39)	(1.24)	(3.86)	(0.88)	(2.42)	
	XI सामाजिक सेवाएं शिक्षा							
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	234.40	23800.00	323.46	3419.80	32931.46	511280.46	6.44
2203 00	तकनीकी शिक्षा	130.00	4615.00	0.00	998.67	6151.27	37478.27	0.47
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	15.00	600.00	119.04	277.43	1105.47	21705.47	0.27
2205 00	कला और संस्कृति	19.00	904.00	56.23	209.40	1492.38	15306.38	0.19
2 21 0000 00	उप जोड़ (शिक्षा)	398.40	29919.00	498.73	4905.30	41680.58	585770.58	7.38
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	150.10	26642.00	214.75	3098.17	35939.82	306975.82	3.87
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	176.50	44955.00	220.76	1675.01	49746.07	558893.07	7.04
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	42.75	2082.00	239.30	1081.44	5660.94	236398.94	2.98
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	108.00	45246.00	134.92	1383.00	52829.92	292625.92	3.69

संलग्नक 3.2.5 (जारी)

वार्षिक योजना 2000-01 - संशोधित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

कोड सं.	विकास के प्रमुख / लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	32	33	34	35	36	37	38
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	10.00	210.00	15.38	57.32	376.70	6557.70	0.08
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	18.17	1766.00	0.00	902.31	2830.13	189871.13	2.39
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार							
	(क) श्रम और श्रम कल्याण	27.00	748.00	25.36	350.95	1305.61	24770.61	0.31
	(ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4421.00	0.06
2 27 2235 00	समाज कल्याण	7.00	3469.00	25.19	1430.99	2/ 5155.18	82306.18	1.04
2 27 2236 00	मोषाहार	28.00	2517.00	28.48	646.00	3513.73	82862.73	1.04
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3274.00	0.04
2 00 0000 00	जोड़ XI	965.92	157554.00	1402.87	15530.49	199044.68	2374727.68	29.93
		(23.49)	(47.67)	(15.55)	(48.33)	(45.52)	(29.93)	
	XII सामान्य सेवाएं							
3 42 2056 00	जेल	0.00	1800.00	0.00	0.00	1900.00	4782.00	0.06
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	36.00	0.00	39.05	122.90	207.95	1711.95	0.02
2059 00	लोक निर्माण	45.00	4559.00	0.00	806.99	5974.99	48524.99	0.61
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं							
	(क) प्रशिक्षण	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	931.00	0.01
	(ख) अन्य	3.00	1/ 3883.00	68.81	3/ 545.90	4867.71	118950.71	1.50
3 00 0000 00	जोड़ XII	84.00	10282.00	107.86	1475.79	12990.65	175412.65	2.21
		(2.04)	(3.11)	(1.20)	(4.59)	(2.97)	(2.21)	
9 99 9999 99	कुल जोड़	4112.00	330500.00	9024.00	32132.00	437264.00	7934436.00	100.00
		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

संलग्नक 3.2.5 की पाद-टिप्पणियां- वार्षिक योजना 2000-01

संशोधित अनुमोदित परिव्यय- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

* राज्य सरकार द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई/अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

आंध्र प्रदेश

1. एपीएसआरटीसी के लिए।
2. यातायात नियंत्रण के लिए।
3. विधिक माप विद्या के लिए।
4. न्यायालय भवन के लिए 120 लाख रुपये, मंडल भवनों के लिए 74 लाख रुपये, प्रशासन संस्थान के लिए 407 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश भवन के लिए 62 लाख रुपये और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 24 लाख रुपये शामिल हैं।

अरुणाचल प्रदेश

1. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए भी 45 लाख रुपये शामिल हैं।
2. रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 250 लाख रुपये और इन्दिरा आवास योजना के लिए 221 लाख रुपये शामिल हैं।
3. ग्रामीण सड़कों (पीएमजीवाई) के लिए 100 लाख रुपये शामिल हैं।
4. बागवानी के लिए भी 301 लाख रुपये शामिल हैं।
5. परिवहन निदेशालय के लिए 37 लाख रुपये और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 7 लाख रुपये शामिल हैं।
6. अल्प बचतों के लिए।
7. उद्योग (आईटीआई) के लिए 67 लाख रुपये और रोजगार केन्द्र के लिए 21 लाख रुपये शामिल हैं।
8. एनआरवाई/ एसजेएसआरवाई के लिए।
9. न्यायपालिका की अवसंरचना के लिए 74 लाख रुपये; पुलिस प्रशासन के लिए 281 लाख रुपये; अग्निशमन सेवा के लिए 201 लाख रुपये; जेल प्रशासन के लिए 402 लाख रुपये; और राजकोषीय प्रशासन के लिए 19 लाख रुपये शामिल हैं।

बिहार

1. रोजगार आश्वासन बीमा योजना के लिए 2864 लाख रुपये और इन्दिरा आवास योजना के लिए 8291 लाख रुपये शामिल हैं।
2. आईएवाईपीएमजीवाई के लिए 8778 लाख रुपये शामिल हैं।
3. राजकोषों के कंप्यूट्रीकरण के लिए 213 लाख रुपये; वाणिज्यिक करों के वाणिज्यीकरण के लिए 2 लाख रुपये; 20 सूत्री कार्यक्रम के परीक्षण के लिए 50 लाख रुपये; जिला पुर्नगठन के लिए 10 लाख रुपये और अल्पसंख्यकों के वित्तपोषण के लिए 2250 लाख रुपये शामिल हैं।

गोवा

1. रेलवे के लिए।
2. न्यायिक प्रशासन के लिए 25 लाख रुपये और लेखों के लिए 17 लाख रुपये शामिल हैं।

गुजरात

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (एफडी) के लिए 18 लाख रुपये और जीएसआरडीसी की सहायता के लिए भी 2700 लाख रुपये शामिल हैं।
2. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 8325 लाख रुपये शामिल हैं।
3. प्रशासनिक तंत्र के लिए।
4. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए।

हरियाणा

1. बागवानी के लिए 370 लाख रुपये शामिल हैं।
2. ग्रामीण सड़कों के लिए 2000 लाख रुपये शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश

1. उपभोक्ता आयोग के लिए।

कर्नाटक

1. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए 1283 लाख रुपये और डीआरडीए प्रशासन के लिए भी 379 लाख रुपये शामिल हैं।
2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए भी 197 लाख रुपये शामिल हैं।
3. प्रदूषण नियंत्रण के लिए।
4. अवसंरचना विकास के लिए 100 लाख रुपये; सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 2499 लाख रुपये; प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 86 लाख रुपये और अवसंरचना पहल निधि में उपकर के अंतरण के लिए 12000 लाख रुपये शामिल हैं।
5. विकलांगों / अशक्तों के विकास के लिए 444 लाख रुपये शामिल हैं।
6. सारी-धोती स्कीम के लिए 542 लाख रुपये और उपभोक्ता कल्याण के लिए 230 लाख रुपये शामिल हैं।
7. अग्नि सुरक्षा के लिए 100 लाख रुपये और न्याय प्रशासन के लिए 368 लाख रुपये शामिल हैं।

केरल

1. अटटापड्डी के एकीकृत और संधारणीय विकास के लिए 100 लाख रुपये शामिल हैं।
2. सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था के लिए 1000 लाख रुपये शामिल हैं।
3. "वैज्ञानिकी अनुसंधान" के अंतर्गत शामिल हैं।
4. स्थानीय निकायों को योजना सहायता के लिए।

महाराष्ट्र

1. बागवानी के लिए 622 लाख रुपये शामिल हैं।
2. मंत्रालय में कंप्यूट्रीकरण के लिए 1942 लाख रुपये और टीपीपी के अंतर्गत पुरस्कारों के लिए 19 लाख रुपये शामिल हैं।
3. भूकंप और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 559 लाख रुपये; सांविधिक विकास बोर्डों के लिए 10,000 लाख रुपये; जनजातीय उप-योजना के लिए 1340 लाख रुपये; सामान्य योजना स्कीम के लिए 2472 लाख रुपये; नक्सलवादी कार्रवाई योजना के लिए 500 लाख रुपये; मराठवाडा कार्रवाई योजना के लिए 2805 लाख रुपये और कोंकण विकास योजना के लिए 2380 लाख रुपये शामिल हैं।

मणिपुर

1. इन्दिरा आवास योजना के लिए 365 लाख रुपये और रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 70 लाख रुपये शामिल हैं।
2. ग्रामीण सड़कों (पीएमजीवाई) के लिए 4000 लाख रुपये और एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए भी 600 लाख रुपये शामिल हैं।
3. रेशम पालन के लिए भी 1100 लाख रुपये शामिल हैं।
4. मोटर वाहन के लिए 25 लाख रुपये और नगर बस टर्मिनल के लिए 30 लाख रुपये शामिल हैं।
5. पुलिस प्रोन्नयन के लिए 290 लाख रुपये; एसएटी के लिए 38 लाख रुपये; कानूनी सहायता व सलाह के लिए 5 लाख रुपये; न्यायिक प्रशासन के लिए 10 लाख रुपये; राजकोषीय प्रशासन के लिए 10 लाख रुपये और जीएडी के लिए 168 लाख रुपये तथा अग्निशमन सेवा के लिए 40 लाख रुपये शामिल हैं।

मेघालय

1. इन्दिरा आवास योजना के लिए 383 लाख रुपये और रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 193 लाख रुपये शामिल हैं।
2. ग्रामीण विकास में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 22 लाख रुपये और विशेष ग्रामीण विकास निर्माण-कार्य कार्यक्रम के लिए भी 1708 लाख रुपये शामिल हैं।
3. रेशम पालन और बुनाई के लिए 115 लाख रुपये शामिल हैं।
4. स्वैच्छिक कार्य निधि हेतु।
5. अग्नि सुरक्षा के लिए 146 लाख रुपये; पुलिस आवास के लिए 440 लाख रुपये और न्यायपालिका भवन के लिए 100 लाख रुपये शामिल हैं।

मिजोरम

1. बागवानी के लिए 630 लाख रुपये शामिल हैं।
2. नई भूमि उपयोग नीति के लिए 393 लाख रुपये शामिल हैं।
3. ग्रामीण सड़कों (पीएमजीएसवाई) के लिए 2000 लाख रुपये और ग्रामीण आवास (पीएमजीवाई) के लिए भी 492 लाख रुपये शामिल हैं।
4. एम. वी. विंग के लिए।
5. न्याय और न्यायपालिका के लिए।

नागालैंड

1. बागवानी के लिए 171 लाख रुपये शामिल हैं।
2. परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 233 लाख रुपये शामिल हैं।
3. एसआईआरडी के लिए 49 लाख रुपये; ग्रामीण आवास (बीएमएस) के लिए 61 लाख रुपये और ग्रामीण जुड़ाव (बीएमएस) के लिए 700 लाख रुपये शामिल हैं।
4. रेशम पालन के लिए 111 लाख रुपये शामिल हैं।
5. यांत्रिक इंजीनियरी के लिए 102 लाख रुपये और वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए 27 लाख रुपये शामिल हैं।
6. मूल्यांकन के लिए 55 लाख रुपये और न्यायपालिका के लिए 57 लाख रुपये शामिल हैं।
7. राजकोषीय प्रशासन के लिए 20 लाख रुपये; पुलिस प्रशासन के लिए 100 लाख रुपये; स्कूलों के बच्चों के लिए सहायता-अनुदान के निमित्त 20 लाख रुपये; स्कूली बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए 86 लाख रुपये और अग्निशमन सेवा के लिए 20 लाख रुपये शामिल हैं।

उड़ीसा

1. डीआरडीए प्रशासन के लिए 62 लाख रुपये शामिल हैं।
2. रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 3291 लाख रुपये और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 2110 लाख रुपये शामिल हैं।
3. प्रखंड / ब्लाक संगठन को मजबूत बनाने के लिए 1320 लाख रुपये शामिल हैं।
4. सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 625 लाख रुपये शामिल हैं।
5. आरआरबी को शेयर पूंजी के लिए 118 लाख रुपये; एलटीएपी और अन्य कार्यक्रमों के लिए 75 लाख रुपये; डब्लूओडीसी को अनुदान के लिए 3000 लाख रुपये; और राजकोषीय प्रशासन के लिए 110 लाख रुपये; तथा राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए 25 लाख रुपये शामिल हैं।
6. पुलिस कल्याण के लिए 1015 लाख रुपये और (ओएसडीएमए पर) तूफान पुनर्निर्माण अनुदान के लिए 2000 लाख रुपये शामिल हैं।

पंजाब

1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए।

राजस्थान

1. महिला विकास के लिए 195 लाख रुपये शामिल हैं।
2. डीआरडीए प्रशासन के लिए 474 लाख रुपये शामिल हैं।
3. अपना गांव अपना काम के लिए 150 लाख रुपये; डोंग क्षेत्र के विकास के लिए 243 लाख रुपये; मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 1000 लाख रुपये और एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए भी 8000 लाख रुपये शामिल हैं।
4. राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड हेतु।
5. संसाधन विकास निधि के लिए 2000 लाख रुपये; राजस्थान फाउंडेशन निधि की स्थापना के लिए 200 लाख रुपये और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए 1 लाख रुपये शामिल हैं।
6. प्रशासनिक सुधारों के लिए 2 लाख रुपये और एचसीएमआर आईपीए के लिए 42 लाख रुपये शामिल हैं।

त्रिपुरा

1. रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 1 लाख रुपये और रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 720 लाख रुपये शामिल हैं।
2. योजना विकास प्रकोष्ठ के लिए 37 लाख रुपये और ग्राम संचार के लिए 50 लाख रुपये शामिल हैं।
3. मूल्यांकन हेतु।
4. न्यायिक प्रशासन के लिए 38 लाख रुपये और विधिक कानूनी सहायता और सलाह के लिए भी 7 लाख रुपये शामिल हैं।

लक्षद्वीप

1. जहाजरानी/नौवाहन के लिए भी व्यवस्था शामिल हैं।
2. विधिक माप विद्या हेतु।
3. अग्नि सुरक्षा के लिए 38 लाख रुपये और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 31 लाख रुपये शामिल हैं।

पांडिचेरी

1. हथकरघों के लिए 513 लाख रुपये शामिल हैं।

कंप्यूट्रीकरण हेतु।

वार्षिक योजना (2001-02) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	मंत्रालय / विभाग	सकल बजट सहा.	आंतरिक और बजटतर संसाधन					कुल आई ई बी आर	कुल योजना परिव्यय
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		
(I)	कृषि मंत्रालय	3009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.00
1	कृषि और सहकारिता विभाग	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1970.00
2	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00
3	पशु पालन और डेयरी विभाग	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
(II)	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	256.00	361.81	64.00	0.00	676.22	740.22	1102.03	1358.03
1	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	49.00	93.00	64.00	0.00	3.00	67.00	160.00	209.00
2	उर्वरक विभाग	207.00	268.81	0.00	0.00	673.22	673.22	942.03	1149.03
(III)	नागर विमानन मंत्रालय	63.00	1532.97	0.00	10.00	35.34	45.34	1578.31	1641.31
(IV)	कोयला मंत्रालय	652.00	1702.04	100.00	181.20	1341.91	1623.11	3325.15	3977.15
(V)	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	715.45	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	727.00
1	वाणिज्य विभाग	500.45	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55	512.45
2.	औ. विकास और औ. नीति व प्रोन्नयन विभाग	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
(VI)	संचार मंत्रालय	300.00	14893.58	5233.00	7.26	0.00	5240.26	20133.84	20433.84
1	डाक विभाग	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2	दूर संचार विभाग	165.00	14893.58	5233.00	7.26	0.00	5240.26	20133.84	20298.84
(VII)	पर्यावरण और वन मंत्रालय	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

वार्षिक योजना (2001-02) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	मंत्रालय / विभाग	सकल बजट सहा.	आंतरिक और बजटेतर संसाधन					कुल आई ई बी आर	कुल योजना परिव्यय
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		
(VIII)	विदेश मंत्रालय	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
(IX)	वित्त मंत्रालय	5627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5627.50
1	आर्थिक कार्य विभाग	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2	व्यय विभाग	5001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5001.50
3	राजस्व विभाग	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
(X)	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	58.29	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75	130.04
1	सार्वजनिक वितरण विभाग	49.79	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75	121.54
2	उपभोक्ता मामले विभाग	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
(XI)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	5780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.00
1	स्वास्थ्य विभाग	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.00
2	आई एस एम एण्ड एच विभाग	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
3	परिवार कल्याण विभाग	4210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4210.00
(XII)	गृह मंत्रालय	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
(XIII)	मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय	7570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7570.00
1	प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
2	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
3	महिला और बाल विकास विभाग	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.00

वार्षिक योजना (2001-02) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	मंत्रालय / विभाग	सकल बजट सहा.	आंतरिक और बजटेतर संसाधन					कुल आई ई बी आर	कुल योजना परिव्यय
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		
(XIV)	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	186.00	345.06	0.00	0.00	26.11	26.11	371.17	557.17
1	भारी उद्योग विभाग	178.00	345.06	0.00	0.00	26.11	26.11	371.17	549.17
2	सार्वजनिक उद्यम विभाग	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
(XV)	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	340.00	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	471.40	811.40
(XVI)	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	425.00	31.53	0.00	0.00	78.53	78.53	110.06	535.06
(XVII)	श्रम मंत्रालय	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
(XVIII)	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
(XIX)	खान मंत्रालय	190.00	987.00	0.00	0.00	278.04	278.04	1265.04	1455.04
(XX)	गैर-पारंपारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	583.00	183.41	100.00	173.30	0.00	273.30	456.71	1039.71
(XXI)	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
(XXII)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	0.00	10967.87	0.00	998.00	5181.47	6179.47	17147.34	17147.34
(XXIII)	योजना मंत्रालय	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
(XXIV)	विद्युत मंत्रालय	2828.00	1212.79	3873.62	3051.12	100.00	7024.74	8237.53	11065.53

वार्षिक योजना (2001-02) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	मंत्रालय / विभाग	सकल बजट सहा.	आंतरिक और बजटेतर संसाधन					कुल आई ई बी आर	कुल योजना परिव्यय
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		
(XXV)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	9765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9765.00
1	ग्रामीण विकास विभाग	6705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6705.00
2	भूमि संसाधन विभाग	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
3	पेय जल आपूर्ति	2160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2160.00
(XXVI)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	945.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	947.45
1	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2	वैज्ञानिक और औद्योगिक / अनुसंधान विभाग	360.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	362.45
3.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
(XXVII)	लघु और कृषि तथा ग्राम उद्योग मंत्रालय	800.00	31.00	0.00	0.00	105.00	105.00	136.00	936.00
(XXVIII)	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
(XXIX)	इस्पात मंत्रालय	24.00	538.55	0.00	77.40	669.05	746.45	1285.00	1309.00
(XXX)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5127.49	0.00	3600.00	0.00	0.00	3600.00	3600.00	8727.49
(XXXI)	जहाजरानी मंत्रालय	408.25	1131.80	0.00	638.87	100.47	739.34	1871.14	2279.39
(XXXII)	कपड़ा मंत्रालय	650.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	665.00
(XXXIII)	पर्यटन मंत्रालय	375.00	14.50	0.00	0.00	15.00	15.00	29.50	404.50
1	पर्यटन विभाग	150	14.50	0.00	0.00	15	15	29.50	179.50
2	संस्कृति विभाग	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225

वार्षिक योजना (2001-02) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	मंत्रालय / विभाग	सकल बजट सहा.	आंतरिक और बजटेतर संसाधन					कुल आई ई बी आर	कुल योजना परिव्यय
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		
(XXXIV)	जनजातीय मामले मंत्रालय	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
(XXXV)	शहरी रोजगार और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	1205.00	319.37	2317.00	0.00	192.50	2509.50	2828.87	4033.87
(XXXVI)	जल संसाधन मंत्रालय	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
(XXXVII)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00
(XXXVIII)	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
(XXXIX)	परमाणु ऊर्जा विभाग	1892.00	106.50	69.00	0.00	0.00	69.00	175.50	2067.50
(XXXX)	महासागर विकास विभाग	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
(XXXXI)	अंतरिक्ष विभाग	1710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.00
(XXXXII)	रेल मंत्रालय	3540.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	10040.00
	कुल जोड़	59456.00	41426.93	15356.62	5137.15	8804.64	29298.41	70725.34	130181.34

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र के विकास शीर्ष के अनुसार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कूट सं.	केन्द्र
(I)	कृषि व संबद्ध गतिविधियां		3380.25
1.	फसल कृषि	12401	1617.55
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	15.00
3.	पशुपालन	12403	138.99
4.	डेयरी विकास	12404	32.95
5.	मछली पालन	12405	119.86
6.	वानिकी व अन्य जीवन	12406	335.46
7.	बागान	12407	136.50
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	128.19
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	684.00
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	29.00
11.	सहकारिता	12425	132.75
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	10.00
(II)	ग्रामीण विकास		4449.45
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1194.75
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	2925.00
3.	भूमि सुधार	12506	66.00
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	263.70
(III)	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00
	(क) पिछड़े क्षेत्र		0.00
	(ख) जनजातीय उप-योजना		0.00
	(ग) सीमा क्षेत्र		0.00
	(घ) अन्य		0.00
(IV)	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		476.76
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	56.14
2.	लघु सिंचाई	12702	84.58

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र के विकास शीर्ष के अनुसार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कूट सं.	केन्द्र
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	187.19
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	148.85
(V)	ऊर्जा		33787.63
1.	विद्युत	12801	12374.67
2.	पेट्रोलियम	12802	16935.69
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	3438.31
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	1038.96
(VI)	उद्योग व खनिज		7960.33
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	1213.97
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852	1315.75
3.	अलौह खनन तथा धातुविज्ञानी उद्योग	12853	1442.22
4.	सीमेंट व गैर-धात्विक खनिज उद्योग	12854	21.94
5.	उर्वरक उद्योग	12855	1149.03
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	334.50
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	48.95
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	615.88
9.	दूर-संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	539.73
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	454.57
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	366.48
12.	अन्य उद्योग	12875	47.96
13.	उद्योगों व खनिजों के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	409.35
(VII)	परिवहन		22569.99
1.	रेलवे	13002	10040.00
2.	पत्तन व लाइटहाउस	13051	1092.75
3.	जहाजरानी	13052	976.86
4.	नागर विमानन	13053	1641.31
5.	सड़कें व पुल	13054	8745.34
6.	सड़क परिवहन	13055	0.00
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	52.23
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	21.50

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र के विकास शीर्ष के अनुसार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कूट सं.	केन्द्र
(VIII)	संचार		20288.66
1.	डाक सेवाएं	13201	135.00
2.	दूर-संचार सेवाएं	13225	18174.00
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	1979.66
(IX)	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		3603.30
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	459.00
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1710.00
3.	समुद्र विज्ञान अनुसंधान	13403	142.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	892.20
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	400.10
(X)	सामान्य आर्थिक सेवाएं		6401.40
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	215.84
2.	पर्यटन	13452	179.50
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	312.11
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	154.00
5.	मौसम विज्ञान	13455	55.00
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	19.21
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	0.00
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	420.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	5045.74
(XI)	सामाजिक सेवाएं		26887.37
1.	सामान्य शिक्षा	22202	5343.18
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	565.00
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	231.55
4.	कला एवं संस्कृति	22205	199.85
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1411.00

संलग्नक 3.2.7 (जारी)

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्र के विकास शीर्ष के अनुसार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	कूट सं.	केन्द्र
6.	परिवार कल्याण	22211	3860.10
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2167.00
8.	आवास	22216	3810.60
9.	शहरी विकास	22217	1257.97
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	56.34
11.	प्रसारण	22221	699.37
12.	अनु. जाति/ जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1244.00
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	130.80
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2966.97
15.	पोषाहार	22236	4.00
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	7.92
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.50
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2930.22
(XII)	सामान्य सेवाएं		376.20
1.	न्याय प्रशासन	32014	87.40
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	8.95
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00
4.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	32052	4.50
5.	पुलिस	32055	178.50
6.	जेलें	32056	7.00
7.	आपूर्ति एवं निपटान	32057	0.00
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.00
9.	लोक निर्माण	32059	37.35
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	48.70
11.	विविध सामान्य सेवाएं	32075	3.80
	कुल जोड़		130181.34

टिप्पणी: राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बजट अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय-4

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4.1 ग्रामीण भारत में गरीबी की उन्मूलन कार्यक्रम और कार्यनीतियां

यद्यपि 1993-94 में, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 244 मिलियन (ग्रामीण जनसंख्या का 37 प्रतिशत) से कम होकर 1999-2000 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 193 मिलियन (ग्रामीण जनसंख्या का 27 प्रतिशत) हो गई है, किन्तु गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना अभी भी सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। इस समस्या की विशालता और जटिलता को देखते हुए एक बहु-विध दृष्टिकोण अपनाया गया है। जबकि दीर्घकाल में रोजगार प्रधान सुविधाओं वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास, दीर्घकाल में गरीबी समाप्त करने का काम सहज बना देता है, तथापि इस कार्यनीति के साथ-साथ, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था करके क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी-रोधी लक्षित कार्यक्रमों के जरिए राज्य का सीधा हस्तक्षेप (स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार स्कीमें तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमें) भी इस कार्यनीति का एक हिस्सा है। जबकि विकास मुख्य प्रेरक है, किन्तु गरीबी-रोधी कार्यक्रम विकास संबंधी प्रयासों के पूरक हैं और गरीबों को अकिंचनता, रोजगार तथा आय में तीव्र उतार-चढ़ावों और सामाजिक असुरक्षा से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त, शासन के संबंध में, यह बात स्वीकार कर ली गई है कि पंचायती राज संस्थानों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करना, गरीबी कम करने के लिए सबसे अधिक कारगर व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी वाले रोजगार पैदा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए गरीबी-रोधी कार्यक्रमों को 1999-2000 में दोबारा तैयार करके नया रूप दिया गया ताकि गरीबों के लिए उनकी प्रभावोत्पादकता / प्रभाव में वृद्धि हो और उनकी संधारणीयता में सुधार हो। इन स्कीमों पर और इनके साथ ही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण आवास, भूमि सुधार और वितरण की संस्थागत व्यवस्थाओं पर संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1.4.1999 से आरंभ की गई थी और ऐसा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) की पहले की स्कीमों तथा इससे सम्बद्ध कार्यक्रमों की शक्तियों और कमजोरियों और इसके साथ-साथ बाद में न चल पाई लाखों कूप स्कीम (एमडब्ल्यूएस) को ध्यान में रख कर किया गया था। इसे नया रूप देने का उद्देश्य, अति लघु उद्यमों के जरिए स्थायी आमदनी उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम को अधिक प्रभावकारी बनाना था और इसके साथ-साथ रूपरेखा में लचीलापन भी उपलब्ध कराना था ताकि यह रूपरेखा स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो। एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियां केन्द्र तथा राज्यों द्वारा मिल कर 75:25 अनुपात में दी जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, इस स्कीम के लिए निधियां पूर्णतया केन्द्र द्वारा दी जाती हैं।

3. एसजीएसवाई की कल्पना लघुतम उद्यमों के साकल्यवादी कार्यक्रम के रूप में की गई है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को लिया गया है और विभिन्न घटकों के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित किए गए हैं। ये घटक हैं - ग्रामीण निर्धनों का स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठन और उनमें क्षमता निर्माण, क्रियाकलाप समूहों की योजना, आधारिक संरचना का निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों की स्थापना ग्रामीण निर्धनों में क्षमता निर्माण द्वारा की जानी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।

4. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की बीपीएल जनगणना द्वारा अभिज्ञात तथा ग्राम सभा द्वारा विधिवत अनुमोदित सूची, एसजीएसवाई के तहत परिवारों को दी जाने वाली सहायता का आधार है। इस कार्यक्रम के अधीन, ग्रामीण निर्धनों में कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और ऐसे लाभग्राहियों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की संख्या 50 प्रतिशत, महिलाओं की 40 प्रतिशत और विकलांग लोगों की संख्या 3 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम के तहत समूह / अलग-अलग लाभग्राहियों (जिन्हें स्वरोजगारी भी कहते हैं) को सहायता प्रदान की जाती है। जबकि अलग-अलग लाभग्राहियों की पहचान भागीदारी दृष्टिकोण के जरिए की जाती है, किन्तु इस कार्यक्रम में निर्धनों के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में संगठित होने तथा उनकी क्षमता-निर्माण पर बल दिया जाता है। एसएचजी में 10 से 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। लघु सिंचाई या विकलांग अथवा अशक्त लोगों के मामले में, व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 5 है। इस स्कीम के तहत, उत्तरोत्तर अधिकांश निधियां स्व-सहायता समूहों के लिए होंगी। सामूहिक क्रियाकलापों के लिए सफलता के अवसर बेहतर होते हैं क्योंकि सामूहिक क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन-सहायता और बाजार सम्पर्क प्रदान करना आसान होता है। प्रत्येक एसएचजी में महिला सदस्यों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है और ब्लाक स्तर पर यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कम से कम आधे समूह पूर्णतया महिलाओं के समूह होंगे। स्व-सहायता समूहों को परिक्रमी निधि प्रदान करने के लिए, डीआरडीए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत नियत की गई निधियों के दस प्रतिशत का उपयोग कर सकती है।

5. एसजीएसवाई के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में अति लघु उद्यम स्थापित करने के लिए संकुल दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। लोगों के व्यवसायिक कौशलों, संसाधन वृत्तियों और बाजार की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक ब्लाक में चार से पांच मुख्य क्रियाकलापों की पहचान करनी होती है और इन क्रियाकलापों को तरजीहतन समूहों में कार्यान्वित करना होता है ताकि पीछे और आगे के सम्पर्क प्रभावी ढंग से स्थापित किए जा सकें। मुख्य क्रियाकलाप ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर डीआरडीए / जिला परिषद के अनुमोदन से चुनने होते हैं। एसजीएसवाईसी एक परियोजना-दृष्टिकोण अपनाती है जिसमें प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना रिपोर्टें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के सहयोग से तैयार की जाती हैं।

6. एसजीएसवाई एक उधार-व-आर्थिक इमदाद कार्यक्रम है जिसमें उधार एक क्रांतिक घटक के रूप में है और आर्थिक इमदाद एक अल्प और समर्थक तत्त्व के रूप में है। तदनुसार एस जी एस वाई में एक ही बार उधार देने की अपेक्षा बैंकों की अधिक सहभागिता तथा बहुमुखी ऋण को बढ़ावा देने की कल्पना की गई है। एस जी एस वाई के तहत परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के बराबर आर्थिक इमदाद दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यह 50 प्रतिशत है और इसकी अधिकतम सीमा 10,000

रुपये है। समूहों के लिए आर्थिक इमदाद 50 प्रतिशत है और इसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए आर्थिक इमदाद पर धन की कोई सीमा नहीं है। एसजीएसवाई के तहत अधिक इमदाद पिछले सिरे तक दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उचित उपयोग लक्षित समूह द्वारा किया जा रहा है।

7. एसजीएसवाई में अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास पर बल दिया जाता है। इसलिए डीआरडीए को एसजीएसवाई के लिए नियत की गई निधियों में से दस प्रतिशत निधियां एसजीएसवाई के रूप में चलाए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए अलग रखने की अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण निधि का उपयोग स्वरोजगारियों को दिशा अनुकूलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए पालिटेक्निकों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, खादी और ग्राम उद्योग बोर्डों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों, विख्यात स्वैच्छिक संस्थाओं और विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिज्ञात क्रियाकलाप संकुलों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन सुनिश्चित करना और सामान की बिक्री को बढ़ावा देना भी है।

8. एसजीवाई विशेष परियोजनाएं- एसजीएसवाई के अधीन पंद्रह प्रतिशत निधियां राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी परियोजनाओं के लिए अलग रखी जाती हैं जिनका दूरगामी महत्त्व होता है और जिन्हें अन्य विभागों अथवा अर्धसरकारी या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू करना होता है। चूंकि अति लघु उद्यमों की सफलता के लिए उचित आधारिक संरचना अनिवार्य है, इसलिए एसजीएसवाई को नियत की गई राशि में से 20 प्रतिशत राशि (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में पच्चीस प्रतिशत) प्रत्येक जिले के लिए इस प्रयोजनार्थ एसजीएसवाई आधारिक संरचना निधि के तहत अलग रख ली जाएगी।

9. एसजीएसवाई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, परन्तु आयोजना, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग की प्रक्रिया में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और जिले में तकनीकी संस्थानों के साथ भी समन्वय की आवश्यकता होती है। अतः एसजीएसवाई में डीआरडीए, बैंकों, लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य अर्ध-सरकारी संस्थाओं, जैसी विभिन्न एजेंसियों के एकीकरण की आवश्यकता होती है।

10. 2000-01 में 1332.50 करोड़ के कुल आबंटन में से (दिसंबर, 2000 तक) 1048.69 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और (जुलाई, 2000 तक) 9.39 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई थी। 2001-02 में इस स्कीम के लिए 500.00 करोड़ रुपये केन्द्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)

11. ग्रामीण समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण आधारिक संरचना के निर्माण पर बल देने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) को 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) में बदलकर नया रूप दिया गया। जबकि जेआरवाई के परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ किन्तु इस

कार्यक्रम की अधिभावी प्राथमिकता मजदूरी वाले रोजगार उत्पन्न करना था। इसलिए यह महसूस किया गया कि इस कार्यक्रम को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से ग्रामीण आधारिक संरचना पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है क्योंकि वे आधारिक संरचना संबंधी आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से निर्धारण कर सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए निधियां डीआरडीए / जिला परिषदों द्वारा सीधी ग्रामीण पंचायतों को जारी की जाती हैं। जेजीएसवाई, सीएसएस के रूप में कार्यान्वित की जाती है जिसके लिए निधियां केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में दी जाती हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में सभी निधियां केन्द्र द्वारा दी जाती हैं।

12. जेजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य मांग-आधारित, सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना का निर्माण करना है जिसमें ग्राम स्तर पर स्थायी परिसम्पत्तियां और ग्रामीण निर्धनों को निरंतर रोजगार के अवसर बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए परिसम्पत्तियां शामिल हैं। गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी वाला रोजगार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरियां य तो राज्यों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरियां अथवा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार राज्यों द्वारा यथानिर्धारित उच्चतर मजदूरियां होती हैं।

13. जिन निर्माण-कार्यों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा अनुभूत क्षेत्र / लोगों की आवश्यकता के अनुसार स्थायी लाभकारी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण होता हो, ऐसे सभी कार्य इस कार्यक्रम के अधीन शुरू किए जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजाति वाली आबादियों के लिए आधारिक संरचना का निर्माण, एसजीएसवाई के लिए आधारिक संरचना सहायता, गांव में कृषि क्रियाकलापों की सहायता के लिए अपेक्षित संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक आधारिक संरचना, सड़कें और अन्य सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक आधारिक संरचना। 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात में उचित ढील दी जा सकती है ताकि मांग-आधारित ग्रामीण संरचना का निर्माण किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाते हैं कि ऐसे श्रम प्रधान निर्माण शुरू किए जाएं जिनमें स्थायी तौर पर कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो। जबकि जेजीएसवाई के अधीन क्षेत्रगत नियतन नहीं किया जाता, किन्तु वार्षिक आबंटन की 22.5 प्रतिशत राशि अनिवार्यतः अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग लाभग्राहियों पर खर्च की जानी चाहिए और 3 प्रतिशत राशि विकलांग या अशक्त लोगों के लिए बाधा-रहित आधारिक संरचना का निर्माण करने के लिए प्रयोग की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को 10 लाख रुपये या वार्षिक आबंटन के 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर राशि जेजीएसवाई के कार्यान्वयन में शामिल कर्मचारियों / गैर-कर्मचारियों (पंचायत कार्मिक) के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय के लिए इस शर्त पर दी जाती है कि कम से कम 50 प्रतिशत खर्च गैर-कर्मचारियों (पंचायत कार्मिक) पर किया जाए।

14. ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण और मानीटरिंग से संबंधित पूरे काम की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। उन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन से वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। नये निर्माण-कार्यों की तुलना में अधूरे निर्माण-कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी और जिन निर्माण-कार्यों को दो वर्षों के भीतर पूरा न किया जा सकता हो उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को कोई तकनीकी / प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बगैर 50,000 रुपये तक के निर्माण-कार्य /

स्कीमें, ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर, पूरा करने की शक्ति प्राप्त है इसके अतिरिक्त, ग्राम सभाएं समाजिक लेखा-परीक्षा भी करती हैं। ग्राम स्तर पर मानीटरिंग और सतर्कता समितियां भी स्थापित की जाती हैं जिनका काम शुरू किए गए निर्माण-कार्यों / स्कीमों पर रुजर रखना और उनका पर्यवेक्षण करना होता है। जिला स्तर पर, डीआरडीए/ जिला परिषदों और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियों की, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन, समन्वय, पर्यवेक्षण करने, आवधिक सूचनाएं देने तथा मनीटरिंग करने की समग्र जिम्मेदारी है।

15. ग्राम पंचायतों निधियों में से अधिकतम 7.5 प्रतिशत या 7500 रुपये में से जो भी कम हो, उतनी राशि एक वर्ष के दौरान प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा तकनीकी परामर्श के लिए खर्च कर सकती हैं। ग्राम समिति को 15 प्रतिशत तक निधियां सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर खर्च करने की अनुमति है।

16. जेजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करने से बदल कर ग्रामीण आधारीक संरचना निर्माण हो गया है। इसलिए रोजगार सृजन से शुरू किए गए / पूरे किए गए निर्माण कार्यों की संख्या संबंधी नये मानीटरिंग पैरामीटरों के अनुसार अपनी मानीटरिंग व्यवस्था को समायोजित करने में राज्यों ने समय लिया है।

17. 2000-01 के दौरान, 7.79 लाख निर्माण-कार्य जून, 2000 तक पूरे किए जा चुके थे। 2192.96 करोड़ रुपये के कुल आबंटन की तुलना में (दिसम्बर, 2000 तक) 2000-01 के दौरान 1929.23 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2000-01 के लिए 1650.00 करोड़ रुपये का केन्द्रीय परिव्यय जेजीएसवाई के लिए किया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएसएस)

18. ईएसएस 2 अक्टूबर, 1993 को 257 जिलों के 1778 अभिज्ञात पिछड़े ब्लाकों में शुरू की गई थी। ये ब्लाक ऐसे सूखा-प्रवृत्त, रेगिस्तानी, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे जहां नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीजीएस) चल रही थी। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार और ब्लाकों में कर दिया गया और तत्पश्चात इसे सार्वजनिक बना कर सभी 5448 ग्रामीण ब्लाकों में कार्यान्वित किया गया। 1999-2000 से ई एस एस को एकल मजदूरी कार्यक्रम के रूप में नया रूप दिया गया। जबकि मूल पैरामीटरों को रख लिया गया है किन्तु यह स्कीम मांग आधारित स्कीम की बजाय आबंटनयोग्य स्कीम बन गई है और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एक नियत वार्षिक परिव्यय प्रदान करना होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना के अनुरूप इस स्कीम के लिए जिला परिषदों को "कार्यान्वयन प्राधिकरणों" के रूप में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम, केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत बांटने के आधार पर सीएसएस के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में पूरी निधियां केन्द्र द्वारा दी जाती हैं।

19. ईएसएस का मुख्य उद्देश्य मजदूरी वाले रोजगार की भारी कमी वाली अवधि में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण निर्धनों के लिए शारीरिक काम के जरिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है। गौण उद्देश्य चिरस्थायी समुदाय, स्थायी रोजगार के लिए सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियां उत्पन्न करना है। ईएसएस ऐसे सभी जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए खुली है जिन्हें मजदूरी वाले रोजगार की आवश्यकता है। प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो वयस्कों की मजदूरी वाला रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार प्रदान करते समय वरीयता अनुसूचित

जातियों / अनुसूचित जनजातियों और खतरनाक व्यवसायों से निकाले गए बच्चों के ऐसे मां-बाप को दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे हों।

20. यह कार्यक्रम जिला परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है (जहां जिला परिषदें न हों, उन राज्यों में डीआरडीए द्वारा)। निर्माण-कार्यों की सूची को संसद सदस्यों के परामर्श से जिला परिषदों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। जहां जिला परिषदें मौजूद न हों वहां इन निर्माण-कार्यों का चयन करने के लिए विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों को लेकर एक समिति गठित की जाती है। ग्राम सभाओं को इस स्कीम के लिए हाथ में लिए गए निर्माण-कार्यों के ब्यौरे सूचित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक जिले के लिए आबंटित की गई 70 प्रतिशत निधियां पंचायत समितियों को जारी कर दी जाती हैं जबकि 30 प्रतिशत निधियां स्थानीय श्रमिकों के बहिर्गमन / विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में उपयोग के लिए जिला स्तर पर आरक्षित रखी जाती है। निधियों को एक जिले से दूसरे जिले या एक पंचायत से दूसरी पंचायत में ले जाने की अनुमति नहीं है। निधियों की 80 प्रतिशत राशि जिले को सामान्य कार्यविधि के अनुसार जारी कर दी जाती है और शेष 20 प्रतिशत राशि केवल तभी जारी की जाएगी यदि राज्यों ने निर्वाचित और अधिकारप्राप्त पंचायती राज संस्थाएं स्थापित कर दी हैं।

21. इस स्कीम के तहत केवल ऐसे श्रम प्रधान निर्माण-कार्य हाथ में लिए जाते हैं जिनसे चिरस्थायी परिसम्पत्तियां सृजित होती हों, जिनमें मृदा और आर्द्रता संरक्षण, लघु सिंचाई, पेय जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और भू-जल संवर्धन, प्राकृतिक जल उपयोगी संरचनाओं, वाटरशेड स्कीमों से संबंधित निर्माण कार्य (जल विभाजक विकास नहीं), गांवों को दूसरे गांवों / ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों तथा गांवों को कृषि क्षेत्रों, जल-निकासी निर्माण कार्य और वानिकी से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। स्कीम के तहत, निर्माण-कार्यों के ब्यौरों का प्रचार ग्राम सभा को करना होता है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

22. जिला परिषदों / पंचायत समितियों को इस स्कीम के अधीन सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर 15 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति है। इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए सहकारी समितियों, बाजार समितियों तथा अन्य संस्थाओं / विभागों से उपलब्ध निधियों को ईएएस निधियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

23. मजदूरी सामग्री का 60:40 का अनुपात सख्ती से लागू किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए ब्लाक पर यूनिट के रूप में विचार किया जाएगा। मजदूरियों का भुगतान राज्यों द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी पर है और कुल मजदूरी की 10 प्रतिशत सीमा तक के मजदूरी घटक का कुशल व्यक्तियों को उच्चतर मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर ईएएस के तहत कार्यक्रमों की मानीटरिंग सतर्कता और मानीटरिंग समितियों द्वारा की जाती है।

24. 2000-01 के दौरान, ईएएस के अधीन कुल 2082.27 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया और (दिसंबर, 2000 तक) 1757.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2594.47 लाख श्रम दिवसों के लक्ष्य की तुलना में (जुलाई, 2000 तक) 2055.48 लाख श्रम दिवस उत्पन्न किए गए। ईएएस के लिए 1600.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें 2001-02 के लिए "काम के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम" भी शामिल है।

काम के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम

25. काम के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम का उद्देश्य, विधिवत अधिसूचना जारी होने के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल के आठ राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरी वाले रोजगार के जरिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम फरवरी 2001 से 5 मास के लिए शुरू किया गया था जिसे भारत सरकार के विवेकानुसार आगे बढ़ाया जा सकता था। यह स्कीम उन ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है जो राज्य सरकारों द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का विस्तार बाढ़, समुद्री तूफान अथवा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अन्य क्षेत्रों तक भी किया जा सकता है।

26. केन्द्र, सूखा प्रभावित राज्यों में से प्रत्येक राज्य को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त मात्रा के रूप में पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करता है। राज्य सरकार, मजदूरियों का भुगतान आंशिक रूप से खाद्यान्न के रूप में (प्रति श्रम दिवस 5 किलोग्राम खाद्यान्न तक) और अंशतः नकदी भुगतान के रूप में कर सकती है। राज्य सरकार मजदूरी के रूप में दिये गए खाद्यान्न की लागत की गणना बीपीएल दरों अथवा एपीएल दरों अथवा इन दोनों दरों के बीच किन्हीं दरों पर करने के लिए स्वतंत्र है। कामगारों को शेष मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है ताकि उन्हें अधिसूचित न्यूनतम मजदूरियां अवश्य मिल सकें।

27. क्योंकि काम के लिए खाद्यान्न का उद्देश्य मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना है, इसलिए वरीयता ऐसे श्रमप्रधान निर्माण कार्यों को ही दी जाती है जिससे सूखा रोकने में सहायता मिले और जिन्हें 90 दिन के भीतर पूरा किया जा सकता हो।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

28. एनएसएपी 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था और उसका उद्देश्य वृद्ध आयु में, रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने तथा प्रसूति के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना था। यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूरक है और इसका उद्देश्य भलाई के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करना है और ये उन हितलाभों के अतिरिक्त है जो राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए पहले से दिए जा रहे हैं या भविष्य में दिए जा सकते हैं। केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लाभग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा समान रूप से उपलब्ध हो। यह उपाय संविधान के अनुच्छेद 41 तथा 42 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

29. पोषण और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से, एनएसएपी के मातृत्व लाभ घटक को 2001-02 से परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को दे दिया गया है जिससे निम्नलिखित 2 घटक अब एनएसएपी के अंग हो गए हैं।

(i) राष्ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन स्कीम (एनओएपीएस)

प्रति लाभग्राही 75 रुपये प्रतिमास वयोवृद्ध पेंशन 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को दी जाती है जो इस अर्थ से निराश्रय हों कि उनके अपने आय के स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से निर्वाह के लिए बहुत कम अथवा कोई नियमित साधन न हों। अकिंचनता का निर्धारण करने के लिए यदि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उस समय कोई अन्य मानदण्ड लागू हो तो उसे अपनाया जा सकता है।

(ii) राष्ट्रीय पारिवारिक सुविधा स्कीम (एनएफबीएस)

प्राकृतिक अथवा दुर्घटना संबंधी कारणों से यदि रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह पारिवारिक लाभ दिवंगत व्यक्ति के परिवार के उस उत्तरजीवी सदस्य को दिया जाता है जिसे स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया निर्धारित किया जाए। रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की परिभाषा ऐसे सदस्य के रूप में की गई है जिसकी कमाई का पारिवारिक आय में ज्यादातर योगदान हो और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम हो। शोक संतप्त परिवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार बीपीएल के रूप में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।

30. एनएसएपी पंचायतों और नगरपालिका के कार्यकर्ताओं की सहायता से राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए एक अभिज्ञात नोडल विभाग होता है। जिलों में एनएसएपी से संबंधित जिला स्तरीय समितियां होती हैं।

31. एनएसएपी के अधीन लाभग्राहियों की पहचान करने में ग्राम पंचायतों / नगरपालिकाओं की सक्रिय भूमिका होती है। राज्य सरकारें एनएसएपी घटकों के लिए पंचायतों / नगरपालिकाओं को लक्ष्य सूचित करती हैं ताकि इन लक्ष्यों के अनुरूप - ग्राम पंचायतें / पड़ोस / मोहल्ला समितियों द्वारा लाभग्राहियों की उपयुक्त तरीके से पहचान की जा सके। नकद भुगतान करके यह लाभ शीघ्र संवितरित किया जाता है परन्तु इसमें शर्त यह रहती है कि ये भुगतान सार्वजनिक सभाओं में किए जाएंगे और तरजीहतन ये सभाएं गांवों के मामले में ग्राम सभा की बैठकें होंगी और शहरी क्षेत्रों में ये सभाएं पड़ोस / मोहल्ला समितियों की बैठकें होंगी। एनएसएपी के बारे में सूचना देने और इसके अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यविधियां बताने के लिए पंचायतें / नगरपालिकाएं जिम्मेदार हैं। इस काम में लाभग्राहियों की पहचान करने और उन्हें उनके लिए आशयित लाभ प्राप्त करने में राजी करने के लिए पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को यथासंभव सीमा तक स्वैच्छिक एजेंसियों की सहभागिता / सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

32. एनएसएपी सामाजिक सहायता पैकेजों को बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए गरीबी-रोधी कार्यक्रमों और स्कीमों से जोड़ने के अवसर भी प्रदान करता है जैसाकि वयोवृद्ध पेंशन को बूढ़ों तथा गरीबों के लिए

स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के साथ तथा पारिवारिक सुविधाग्राहियों को एसजीएसवाई आदि के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है।

33. 2000-01 के दौरान एनएसएपी के तहत किए गए 715.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान में से 700.55 करोड़ रुपये का व्यय प्रत्याशित है। 2001-02 में इस स्कीम के लिए 835.00 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आबंटन किया गया है।

अन्नपूर्णा

34. अन्नपूर्णा स्कीम 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में 1.4.2000 से लागू हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत पूरी करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो पात्र होने पर भी राष्ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन स्कीम (एनओएएसपी) द्वारा लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। इस स्कीम के तहत, प्रति लाभग्राही को 10 किलोग्राम प्रतिमास की दर से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्ड इस प्रकार हैं (क) आवेदक (पुरुष अथवा महिला) की आयु 65 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए; (ख) आवेदक इस अर्थ से निराश्रय अवश्य होना चाहिए कि उसकी अपने आय-स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों से वित्तीय सहायता के जरिए अथवा अन्य स्रोतों के जरिए निर्वाह के लिए बहुत कम साधन हों अथवा कोई नियमित साधन न हों; तथा (ग) आवेदक को एनओएएसपी अथवा राज्य पेंशन स्कीमों के तहत पेंशन न मिल रही हो।

35. राज्य खाद्य और सिविल आपूर्ति विभागों की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण के लिए मौजूदा आधारिक संरचना तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, उन्हें इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल विभाग बना दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम राज्यों की आवश्यकतानुसार, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जिला स्तर पर, खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करने के लिए कलेक्टर / सीईओ जिम्मेदार होता है। लाभग्राहियों की पहचान पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा की जाती है और वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कीम का प्रचार करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। राज्यों को आबंटित की गई निधियां एक किस्त में जारी की जाती हैं।

36. 2000-01 में इस स्कीम के लिए किए गए 100.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से 99.80 करोड़ रुपये का खर्च प्रत्याशित है। 2001-02 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 300.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय आबंटन का प्रावधान किया गया है।

डीआरडीए प्रशासन

37. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) विभिन्न गरीबी-रोधी कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए, पारंपरिक रूप से जिला स्तर पर मुख्य संस्था रही है। 1980 में इसकी स्थापना से लेकर डीआरडीए की प्रशासनिक लागतें, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए किए गए आबंटन का एक हिस्सा अलग रख कर पूरी की जाती थी। परन्तु प्रशासनिक लागतों के संदर्भ में कार्यक्रमों के बीच कोई एकरूपता नहीं थी। इसलिए गरीबी-रोधी प्रयासों को समन्वित करने के

लिए जिला स्तर पर एक प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा प्रायोजित "डीआरडीए प्रशासन का सुदृढीकरण" नामक एक नई स्कीम 1 अप्रैल, 1999 से आरंभ की गई जिसकी निधियां केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटी जानी थीं।

38. चूंकि विभिन्न राज्यों में वेतन संरचना भिन्न-भिन्न है, इसलिए राज्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी-अपनी वेतन संरचना अपना सकते हैं, किन्तु 1999-2000 से लागू प्रति जिला प्रशासनिक लागत की अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार नियत कर ही गई है। परन्तु मुद्रास्फीति आदि के कारण लागत-वृद्धियों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष यह अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

श्रेणी क जिला (6 से कम ब्लाक)	46.00 लाख रुपये
श्रेणी ख जिला (6 से 10 ब्लाक)	57.00 लाख रुपये
श्रेणी ग जिला (11 से 15 ब्लाक)	65.00 लाख रुपये
श्रेणी घ जिला (15 से अधिक ब्लाक)	67.00 लाख रुपये

39. डीआरडीए को एक ऐसी विशेषज्ञताप्राप्त और व्यावसायिक एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी-रोधी कार्यक्रम को प्रबंधित करने और इन्हें जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे समग्र प्रयास से कारगर ढंग से जोड़ने में सक्षम है। यद्यपि डीआरडीए कार्यान्वयन एजेंसियां नहीं हैं, किन्तु वे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रख कर कार्यान्वयन की गुणवत्ता बढ़ाने में कारगर हैं और वे यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि आवश्यक सम्पर्क प्रदान किए जाते हैं। इस सीमा तक डीआरडीए एक सहायक तथा सुसाधक संस्था है और विकास प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक के रूप में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाती है।

40. डीआरडीए की भूमिका गरीबीरोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना बनाने, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, तकनीकी और वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने, निर्णयकारी प्रक्रिया में समुदाय तथा ग्रामीण निर्धनों को भाग लेने में समर्थ बनाने, दिशा-निर्देशों, गुणवत्ता, न्याय तथा कुशलता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन पर नजर रखने; कार्यान्वयन के बारे में निर्धारित प्राधिकारियों को सूचना देने; और निर्णय करने तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के रूप में है। डीआरडीए एजेंसियां गरीबी कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच दृष्टिकोण में एकरूपता लाने की दृष्टि से अनुरूप विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थाओं एवं तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय करती हैं।

41. डीआरडीए अपनी अलग पहचान बनाए रख कर जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। वे जिला परिषद की सुसाधक तथा सहायक संस्थाएं होती हैं और गरीबी कम करने के प्रयासों में आवश्यक कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। जहां कहीं जिला परिषदें न हों या वे कार्य न कर रही हों, वहां डीआरडीए एजेंसियां यथास्थिति कलेक्टर / जिला न्यायाधीश / उप आयुक्त के अधीन कार्य करती हैं।

42. 2000-01 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 322.26 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया और 165.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2000-01 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 220.00 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है।

ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)

43. आवास एक ऐसा घटक है जिसे मनुष्य के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण निर्धनों की आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार 1985 से इन्दिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। इससे पहले यह जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) की एक उपयोजना थी, परन्तु अप्रैल 1996 से आईएवाई एक स्वतंत्र केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

44. नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने आवास को "सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए विशेष कार्ययोजना" के अर्न्तगत प्राथमिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से 13 लाख मकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा जो कि मौजूदा कार्यक्रमों के अर्न्तगत बनाए जा रहे मकानों के अतिरिक्त होंगे।

45. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ग्रामीण आवास के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई जिसके तहत एक सम्मिश्र कार्यनीति अपनाई गई है। बहु-शाखीय कार्यनीति में मौजूद आवास स्कीम में आशोधन करना और कुछ नई पहलकदमियां शामिल हैं जो कि नीचे दी गई हैं:

46. **इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)** - आईएवाई, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण निर्धनों को निशुल्क आवास इकाइयां प्रदान करने के लिए अभी भी एक महत्वपूर्ण स्कीम बनी हुई है। ये इकाइयां मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपये प्रति इकाई तथा पहाड़ी / कठिन क्षेत्रों में 22,000 रुपये प्रति इकाई लागत से उपलब्ध कराई जाती हैं। इस स्कीम के लिए निधियां केन्द्र सरकार तथा राज्यों में 75:25 के अनुपात में दी जाती हैं।

47. आईएवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों तथा गैर-अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निःशुल्क आवास इकाइयां उपलब्ध कराना है। 1995-96 से आईएवाई के लाभ युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं अथवा उसके अगले संबंधी तक बढ़ा दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्य जब तक आईएवाई की सामान्य प्रात्रता शर्तें पूरी करते, ये लाभ उन तक भी बढ़ा दिए गए हैं। 3 प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के अशक्त लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। परन्तु गैर-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले लाभ आईएवाई के आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

48. चूंकि आईएवाई का एक सीमित फार्मेट है अर्थात् नए मकानों का निर्माण, इसलिए इसे दो भागों में कार्यान्वित करने के लिए इसमें आशोधन करने का निर्णय किया गया है अर्थात् (क) (20,900 रुपये की औसत अनुमानित लागत पर) नए मकानों का निर्माण तथा (ख) (10,000 रुपये की इकाई लागत पर) कच्चे और गैर-मरम्मत योग्य मकानों का सुधार।

49. 1999-2000 से आईएवाई के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आबंटन संबंधी मानदण्ड में परिवर्तन कर दिया गया है। इसे बदल कर राज्य में 50 प्रतिशत गरीबी अनुपात और 50 प्रतिशत आवास की कमी कर दिया गया है। इसी प्रकार, किसी राज्य में किसी जिले को निधियों के आबंटन का मानदण्ड भी बदल कर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और आवास की कमी कर दिया गया है जिससे प्रत्येक को बराबर का महत्त्व दिया जाएगा।

50. 2001-02 के लिए आईएवाई के तहत केन्द्रीय आबंटन 1527.00 करोड़ रुपये है।

51. **उधार एवं आर्थिक सहायता स्कीम** - ग्रामीण आवास के लिए उधार एवं आर्थिक सहायता स्कीम 1.4.1999 से शुरू की गई थी। इस स्कीम का लक्ष्य ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपये तक हो, परन्तु इसमें वरीयता गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के ग्रामीण परिवारों को दी जानी चाहिए। जबकि आर्थिक सहायता की सीमा 10,000 रुपये तक है किन्तु इसके अंतर्गत 40,000 रुपये का अधिकतम ऋण लिया जा सकता है। आर्थिक सहायता की राशि केन्द्र तथा राज्य में 75:25 के अनुपात में बांटी जाती है। ऋण का अंश वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थानों आदि द्वारा संवितरित किया जाएगा। यह स्कीम राज्य आवास बोर्ड, राज्य आवास निगम, निर्दिष्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त संस्थान अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों / जिला परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

52. **ग्रामीण आवास और बस्ती विकास के लिए अभिनव धारा** - यह स्कीम ग्रामीण-क्षेत्रों में ग्रामीण और आवास सेक्टरों में अभिनव, किफायती लागत और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1.4.1999 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अभिनव आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों तथा समग्रियों को प्रोत्साहित / प्रस्तावित करना है। यह परियोजना आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। सभी मान्यताप्राप्त सरकारी संगठन / संस्थान और किफायती लागत तथा पर्यावरण अनुकूल आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्री- में अच्छा अनुभव रखने वाली विख्यात गैर सरकारी संस्थाएं (एनजीओ) निधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में आवेदन कर सकती हैं।

53. **ग्रामीण भवन केन्द्र (आरबीसी)** - इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य (क) प्रौद्योगिकी स्थानांतरण तथा सूचना वितरण (ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन और (ग) किफायती लागत वाली तथा पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों / संघटकों का उत्पादन करना है। प्रत्येक भवन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक ही बार 15 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध किया जाता है।

54. **आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को ईक्विटी सहायता** - ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की बाहरी पहुंच बढ़ाने के लिए हुडको को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली ईक्विटी सहायता नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 355 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए बाजार से ईक्विटी के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई राशि का आठ गुणा लाभ देने का हुडको का काम आसान हो जाता है। अभी तक हुडको से 305 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। शेष 50.00 करोड़ रुपये की राशि 2001-02 के दौरान जारी किए जाने की संभावना है।

55. **ग्रामीण आवास और प्राकृतिक आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन** इस सेक्टर में निरंतर आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिक निविष्टियों को सहज बनाने और प्रौद्योगिकी, बस्तियों और ऊर्जा संबंधी सभी मुद्दों को एक साझा मंच उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास और प्राकृतिक आवास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है ताकि एक निश्चित समय अवधि में और सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध हो सके।

56. **समग्र आवास योजना (एसएवाई)** एसएवाई का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार करना और समग्र आबादियों में सुधार करना है। इस स्कीम में आवास, सफाई और पेय जल स्कीमों को एक स्थान पर लाकर और उपयुक्त तथा पोषणीय प्रौद्योगिकी, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा अभिनव विचारों द्वारा उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके "चार दीवारें और छत" की आवास संबंध सीमित चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह स्कीम 24 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों के प्रत्येक ब्लाक में 1999-2000 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इन जिलों को 58 ऐसे प्रायोगिक जिलों में से चुना गया था जिनकी त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत एक सहभागी दृष्टिकोण लागू करने के लिए पहचान की गई है। समग्र आवास विकास और आईईसी कार्य शुरू करने के लिए प्रत्येक ब्लाक के लिए 25 लाख रुपये की विशेष सहायता प्रदान की जा रही है और इसमें 10 प्रतिशत अंशदान लोगों का होगा।

प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना: ग्रामीण आवास (पीएमजीवाई:जीए)

57. **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना: ग्रामीण आवास (पीएमजीवाईजीए)** केवल जुलाई 2000-01 से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के ग्रामीण विकास घटक के कार्यान्वयन तथा मनीटरिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और इसके दिशा-निर्देश सभी राज्यों में परिचालित कर दिए गए हैं। यह स्कीम इन्दिरा आवास योजना पर आधारित है। पीएमजीवाईजीए के तहत निधियां जारी करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने होते हैं। धनराशियां ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही हैं। 2000-01 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा 286.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2001-02 के दौरान पीएमजीवाई के ग्रामीण आवास घटक के लिए 280.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में आबंटित किया गया है।

पंचायती राज

58. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) देश के शासन में तीसरे सोपान के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़ कर लगभग सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने, अपने-अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़, जीवनक्षम और उत्तरदायी पंचायतें स्थापित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप, उपयुक्त विधान अधिनियमित कर लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज विधेयक, 1997 पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की आवश्यकता से छूट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति इस विधेयक पर 8 सितंबर, 2000 को अपनी सहमति प्रदान कर चुके हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार से गृह मंत्रालय द्वारा राज्य में पंचायती राज से सम्बन्धित संविधान के भाग 18 के उपबंध लागू करने के लिए राज्य विधान मंडल की सहमति की सूचना देने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कराए जा चुके हैं। पंचायती राज प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निलंबनाधीन रही है किन्तु दिल्ली सरकार इसे पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। कुछ राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों में पंचायतें नये उपबंधों के अनुसार स्थापित की जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायत चुनावों का दूसरा दौर भी पूरा हो चुका है।

59. अधिनियम के अधीन, पंचायती राज संस्थाओं की, लोगों के रहन सहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाओं के कार्यान्वयन और वितरण में निर्णय करने में लोगों की भागीदारी के जरिए एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया स्थापित करने के लिए साधनों के रूप में कल्पना की गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 243 (जी) के अधीन राज्यों को पी आर संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपनी होती हैं ताकि वे स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थान के रूप में कार्य कर सकें। यह उन पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के सम्बन्ध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी डालता है। इसके अनुसरण में, राज्यों को 29 विषयों के संबंध में भी पीआर संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां और कार्यकर्ता भी सौंपने पड़ते हैं। कार्यों, कार्यकर्ताओं और निधियों का सौंपा जाना विभिन्न राज्यों में विभिन्न संक्रियात्मक अवस्थाओं पर है। वस्तुतः केरल, मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनिंदा मदों के सम्बन्ध में कार्य, कार्यकर्ता तथा निधियों के स्थानांतरण के साथ अंतरण प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरी की जा चुकी है।

60. संविधान के अनुच्छेद 243 (1) में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, राज्य सरकारों तथा पंचायतों के बीच निबल करों के वितरण अधिशासित करने वाले सिद्धान्तों तथा पंचायतों को कर तथा सहायता अनुदान सौंपने के संबंध में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की स्थापना करने का प्रावधान है। कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने एसएफसी स्थापित कर लिए हैं। अधिकांश मामलों में इन राज्य वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। कुछ राज्यों में इन्हें आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है अथवा इनकी छानबीन की जा रही है। केरल, मध्य-प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दूसरी एसएफसी भी गठित कर दी गई है।

61. संवैधानिक संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243 (जेड डी) विकेंद्रीय योजना प्रक्रिया को सहज बनाता है। इसमें प्रस्ताव है कि जिले में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और समूचे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (डीपीसी) गठित की जाएगी। इसलिए राज्य सरकारों को शहरी और ग्रामण-दोनों क्षेत्रों को लेते हुए सम्मिश्र योजनाएं तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला योजना समितियां गठित करनी हैं। इन समितियों के गठन को अनिवार्यतः सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही योजना वास्तव में आधारीक स्तर से शुरू की जा सकेगी।

62. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंध 24 दिसम्बर, 1996 से लागू हो गए हैं। यह अधिनियम 9 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है जिनके नाम हैं- आंध्र-प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें जनजातीय समाज को प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकार परिरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए अपने भाग्य पर अपना नियंत्रण दिलाने का जोरदार प्रयास किया गया है।

63. ग्राम सभा को अब सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण की प्रणाली में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। इस विचार को 1999-2000 का वर्ष "ग्राम सभा वर्ष" घोषित किए जाने के साथ अभिव्यक्ति मिली। और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान समाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली के जरिए विकास कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं के महत्त्व की ओर आकर्षित किया गया है। कई राज्यों ने ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी समय पर बैठकें सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

64. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भी जिला परिषदों के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण अधीन कार्य करने के लिए नया रूप दिया जा रहा है।

65. पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए पंचायत के निर्वाचित चुनिंदा प्रतिनिधियों और विशेषकर नये प्रवेशकर्ताओं, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / महिलाओं / सरकारी-कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता-निर्माण के उद्देश्य से एक समयबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उन्हें योजना प्रक्रिया, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकियों तथा अन्य अपेक्षित उपलब्ध जानकारी दी जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित सहायता प्रदान करता है। कार्य अनुसंधान करने तथा राज्यों में पंचायती राज प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, मंत्रालय अनुसंधान संगठनों तथा संस्थाओं को भी निधियां प्रदान करता है।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम: सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडीडब्ल्यूपी)

66. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1994 में डा. पी. एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी जिसने क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कुछ साझे कार्यात्मक दिशा-निर्देश, उद्देश्य, कार्यनीतियां और व्यय-मानदण्डों की सिफारिश की। ये कार्यक्रम इस प्रकार थे- सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा जल-विभाजन आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)। अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए भी साझे दिशा-निर्देश अपनाए गए हैं जैसाकि कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे वर्षा-पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल विभाजन विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्र तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विकास। जल विभाजन विकास के लिए साझे दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक समान कार्यनीति का प्रावधान किया गया है। इस कार्यनीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्णतया जल विभाजन आधार पर कार्यान्वित किए जाएंगे।
- कार्यक्रमों के क्रियाकलापों को लगभग 500 हेक्टेयर के अभिज्ञात जल विभाजन तक सीमित रखा जाएगा और उन्हें चार से पांच वर्ष तक चलने वाली अवधि में पूरा किया जाएगा।
- जल विभाजन परियोजना यथासंभव एक गांव को लाभान्वित करेगी।
- परियोजना प्रबंधन की सभी अवस्थाओं पर स्थानीय लोगों तथा पंचायती राज संस्थानों की प्रभावी सहभागिता के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक संस्थानगत व्यवस्था स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है।
- जल विभाजन परियोजनाओं को निष्पादित कर रही जन संस्थाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने और सुसाध्यकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) जिला परिषद नोडल सरकारी एजेंसी होगी।

67. हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर, डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी पर समान रूप से लागू जल विभाजन विकास पर व्यापक दिशा-निर्देश अक्टूबर 1994 में जारी कर दिए गए जो कि 1995-96 से लागू हुए।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)

68. डीपीएपी का उद्देश्य फसलों और पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल और जन संसाधनों की उत्पादिता पर सूखे के विपरीत प्रभावों को कम से कम करना है जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रभावित क्षेत्र सूखा-मुक्त हो जाएंगे। इसका उद्देश्य समग्र विकास करना और कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले अल्प संसाधन-प्राप्त तथा असुविधाग्रस्त वर्गों की सामाजिक-आर्थिक हालत में सुधार करना भी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम में 16 राज्यों में 180 जिलों के 961 ब्लकों को लिया गया है। इन राज्यों के नाम हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल। 1995-96 से लेकर मार्च, 2001 के अंत तक जल विभाजन आधार पर विकास के लिए प्रत्येक 500 हेक्टेयर की 11738 परियोजनाएं जल विभाजन आधार पर मंजूर की जा चुकी हैं।

69. 9वीं योजना के पहले चार वर्षों में, कार्यक्रम वाले राज्यों को 448.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केन्द्रीय धनराशि के साथ 19.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया जा चुका है। 2001-02 के दौरान, डीपीएपी के तहत 7.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए 210 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

70. डीडीपी की बुनियादी तौर पर एक भू-आधारित क्रियाकलाप के रूप में कल्पना की गई है और इसे भूमि, जल, पशुधन तथा जन संसाधनों के परिरक्षण, विकास और उपयोग द्वारा पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय माना गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं - (1) सूखे और मरुस्थलीकरण का सामना करना; (2) पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली को बढ़ावा देना; (3) फसलों तथा पशुधन और भूमि, जल और जन संसाधनों की उत्पादिता पर सूखे तथा मृदा-जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों के विपरीत प्रभावों के समाप्त करना; (4) ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; तथा (5) ग्राम समुदाय के अल्प संसाधनप्राप्त और असुविधाग्रस्त वर्गों, जैसाकि परिसम्पत्तिविहीन तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

71. इस समय इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान के सात राज्यों के 40 जिलों में 232 ब्लॉकों को लिया गया है। 1995-96 से लेकर मार्च 2001 के अंत तक लगभग 1338.25 करोड़ रुपये की लागत से 5353 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं।

72. नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में 369.70 करोड़ रुपये की केन्द्र द्वारा जारी की गई कुल राशि से लगभग 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जा चुका है। 2001-02 के दौरान (लगभग) 4.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए 160 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया।

73. डीपीएपी तथा डीडीपी के तहत, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां सीधे ही एजेंसियों/ जिला परिषदों को जारी की जाती हैं। 1999-2000 से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, 1.4.1999 के बाद मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए निधीयन पैटर्न बदल कर केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 लागत विभाजन आधार कर दिया गया है।

एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

74. आईडब्ल्यूडीपी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1988-89 में ग्राम / अति लघु जलविभाजन योजनाओं पर परती भूमि के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परन्तु 1992-93 के दौरान यह स्कीम परती भूमि विकास विभाग को स्थानांतरित कर दी गई (जो अब भू-संसाधन विभाग) कहलाता है। हितकारी लोग भूमि की क्षमता, कार्य-स्थल की स्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इन पर विचार करने के बाद योजनाएं बनाते हैं। संसाधनहीन निर्धनों तथा आबादी के असुविधाग्रस्त वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार और समग्र

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली आईडब्ल्यूडीपी के तहत परियोजनाएं देश के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

75. आईडब्ल्यूडीपी एक 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। लागत मानदण्ड 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्राम / अति लघु जल विभाजक योजनाओं पर आधारित परती भूमि का एकीकृत विकास करना है। भूमि की क्षमता, स्थलीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद हितकारी लोग इन योजनाओं को तैयार करते हैं। सभी अवस्थाओं पर परती भूमि विकास कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के अतिरिक्त यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करती है। इसके परिणामस्वरूप लाभों का बंटवारा समुचित रूप से होता है और पोषणीय विकास होता है।

76. इस स्कीम के तहत किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: मुंडेर बांधना, बंध लगाना, खाई खोदना, वनस्पतिक रोध आदि जैसे (i) मृदा और आर्द्रता संरक्षण उपाय; (ii) बहु-उद्देशीय पेड़, झाड़ियां, बेलें लगाने और बोनो तथा चारा भूमि विकास; (iii) प्राकृतिक पुर्नउत्पादन को बढ़ावा देना; (iv) कृषि-वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना; (v) काष्ठ प्रतिस्थापन और काष्ठ संरक्षण उपाय; (vi) प्रौद्योगिकी वितरण के लिए आवश्यक उपाय, भागीदारियों का प्रशिक्षण तथा उन तक विस्तार और उनमें अधिक जागरूकता पैदा करना; तथा (vii) लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

77. यह कार्यक्रम देश के 25 राज्यों के 222 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1995-96 से लेकर मार्च, 2001 के अंत तक 1134.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 29.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार पर 298 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

78. 9वीं पंचीवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 326.80 करोड़ रुपये की लागत से 6.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान, 4.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए 430.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

79. विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के विविध परती भूमि विकास कार्यक्रमों को " एकल राष्ट्रीय पहलकदमी " के ढांचे के भीतर एकीकृत करने के सरकारी निर्णय के अनुसरण में, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा जल विभाजक परियोजनाओं / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए साझे दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें एक ही छत्र-छाया मंत्रालय के अधीन लाने का प्रयास किया जा रहा है।

भूमि सुधार

80. भूमि सुधारों को, भूमिहीनों के भूमि तक पहुंच प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा आय के उच्चतर स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए एक साधन के रूप में देखा गया है। भूमि सुधार नीति के मुख्य घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का पता लगाना तथा उसका वितरण, काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों की चकबंदी, साझी जमीनों और परती भूमि पर गरीबों को पहुंच प्रदान करना, जनजातीय भूमि का

हस्तांतरण रोकना तथा महिलाओं को भूमि पर अधिकार प्रदान करना हैं। इसके अलावा, भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए भू-अभिलेखों का पारंपरिक तरीकों से और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से अद्यतन बनाना एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है।

81. चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। परन्तु केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो स्कीमें " राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भू-अभिलेखों को अद्यतन करना " (एसआरए तथा यूएलआर) और "भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण " (सीएलआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

82. केन्द्र द्वारा प्रायोजित " राजस्व प्रशासन सुदृढ़ीकरण और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की " स्कीम काश्तकारी सुधार के पहले से चल रहे कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम में प्रोटोटाइप पांच पद्धतियों के जरिए कैडैस्ट्रल सर्वेक्षण क्रियाविधियों पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य राजस्व, सर्वेक्षण और भू-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है ताकि वे आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों का कारगर ढंग से उपयोग कर सकें, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में रिकार्ड कक्षों और पटवारियों / तलाथियों के कार्यालय-व-निवास का निर्माण करना है तथा राजस्व प्रशासन कार्यालयों के लिए विशेषकर आधुनिक स्तर पर, सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद करना आदि है। 1987-88 से लेकर 2000-01 तक, इस स्कीम के तहत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 197.48 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की गई हैं, जिनमें से 141.10 करोड़ रुपये (अर्थात् 72 प्रतिशत) उपयोग किए जा चुके हैं। 2001-02 के दौरान, 25.00 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 24.50 करोड़ रुपये निधियों का उपयोग किया गया है। 2001-02 की वार्षिक योजना में एसआरए तथा यूएलआर के लिए 31.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

83. "भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण " पर केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ एक प्रयोगिक परियोजना के रूप में 1988-89 में रंगारेड्डी (आंध्र-प्रदेश), सोणितपुर (असम), सिंघभूम (बिहार), गांधीनगर (गुजरात), मोरेना (मध्य प्रदेश), वर्धा (महाराष्ट्र), मयूरभंज (उड़ीसा) और डूंगरपुर (राजस्थान) के आठ जिलों / राज्यों में शुरू की गई थी। इसे शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भू-स्वामियों को तहसीलदार द्वारा भू-अधिकार संबंधी अभिलेख की सही प्रतियां समय पर उपलब्ध की जा सकें। इस समय यह स्कीम देश के 569 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है और इसमें केवल ऐसे जिलों को छोड़ा गया है जहां पर कोई भू-अभिलेख नहीं है। 1997-98 के दौरान, इस स्कीम को तहसील / तालुक स्तर पर चलाने का निर्णय किया गया ताकि उपभोक्ताओं तथा आम लोगों को कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख प्रदान करने में आसानी हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा अन्य सहायक समान खरीदने के लिए निधियां जारी की जाती हैं और 31.3.2001 तक इस कार्यक्रम के तहत 2383 तहसीलों / तालुकों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस स्कीम के शुरू किए जाने से लेकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 31.3.2001 तक 189.21 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया निधियों का उपयोग 97.26 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत उपयोग) है। 2000-01 के दौरान, इस स्कीम के तहत बजट प्रावधान 50.00 करोड़ रुपये था जिसमें से 47.60 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए पीएलआर के निमित्त 45.00 करोड़ रुपये केन्द्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

84. चूंकि स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों से फीडबैक नहीं मिल पा रही है और निधियों के उपयोग में प्रगति भी कम रही है, इसलिए 1998 में आठ जिलों / राज्यों में व्यापक मूल्यांकन अध्ययन करने का निर्णय किया गया। इन जिलों /राज्यों के नाम इस प्रकार हैं आंध्र-प्रदेश, (रंगारेड्डी), मध्य-प्रदेश (होशंगाबाद), महाराष्ट्र (अमरावती), कर्नाटक (मैसूर), उड़ीसा (मयूरभंज), राजस्थान (जयपुर), उत्तर-प्रदेश (अलीगढ़) तथा पश्चिम बंगाल (हाओरा)।

85. ये अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं और मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- मानीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है क्योंकि स्कीम की सफलता के लिए यह एक निर्णायक घटक है।
- स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण अपर्याप्त है, इसे विभिन्न स्तरों अर्थात् जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर चलाया जाना चाहिए।
- डिजिटाइजेशन कैंडेस्ट्रल सर्वेक्षण मानचित्रों के माध्यम से भू-जोतों के एक दिकसंगत (वैक्टोराइज्ड) डाटा बेस के बगैर, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और भूमि सूचना प्रणाली (एलआईएस) स्थापित करने का काम अधूरा है।
- विभिन्न स्तरों पर स्कीम के नेटवर्किंग की आवश्यकता है ताकि डाटा एनआईसी के निकनेट नेटवर्क के माध्यम से जिले से राज्य तक और तत्पश्चात केन्द्र तक पहुंच सकें।

86. जनजातीय भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया स्वतंत्रताप्राप्ति से लेकर जारी है क्योंकि विभिन्न विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण गैर-जनजातीय लोग जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं। यह एक विडम्बना है कि एक ओर तो बाहरी लोग / गैर-जनजातीय लोग विकास के नाम पर अनुसूचित क्षेत्रों में घुसपैठ करते हैं जबकि दूसरी ओर स्थानीय जनजातीय लोग नौकरी / रोजगार के अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। इससे जनजातीय क्षेत्र में भारी असंतोष फैला है। इसलिए यह आवश्यक है कि जमीन का मसला, जो कि समस्या की जड़ है, कारगर ढंग से हल किया जाए। सभी संबंधित राज्य सरकारों ने जनजातीय लोगों की जमीन की गैर-जनजातीय लोगों को बिक्री पर रोक लगाने और हस्तांतरित जमीन जनजातीय लोगों को बहाल करने की नीति स्वीकार करली है और इस आशय के कानून बनाए हैं। परन्तु हस्तान्तरण और बहाली संबंधी कुछ मौजूदा भू-विधानों में अभी और सुधार करना होगा क्योंकि बहाली के साथ लगाई गई शर्तें प्रतिबंधात्मक थीं और वस्तुतः कोई बहाली नहीं की जा सकी।

87. खण्डित कृषि जोतों का समेकन, भूमि सुधार नीति का एक अभिन्न हिस्सा है और तदनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में इसके कार्यान्वयन पर जोर दिया जाता रहा है। ग्रामों के नियोजित विकास के लिए तथा कृषि में कुशलता और किफायत हासिल करने के लिए यह कार्य अत्यंत आवश्यक समझा जाता है। इसके अनुसरण में, कई राज्यों ने अधिनियम बनाए थे किन्तु उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को छोड़ कर अन्य राज्यों में इस काम में अधिक प्रगति नहीं हो पाई। अन्य राज्यों में यह कार्य कुछ वर्षों तक जारी रहा और इसके बाद जोश समाप्त हो गया।

4.2 शहरी गरीबी कम करना

1. गरीबी कम करना शहरी नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आर्थिक उन्नति निर्णायक होती है, किन्तु यह ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए प्रायः पर्याप्त नहीं होती जिनमें सबसे गरीब लोग भी जीवन-परिस्थितियों में सुधार कर सकें। वे बहुत घनी आबादी वाली बस्तियों में रहते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाई गई कार्यनीतियां अनिवार्यतः इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए जो उनकी आमदनी वाले क्रियाकलाप बढ़ाने में सहायक हों और जिनसे उनकी पहचान बन जाए। 1993-94 के आधिकारिक अनुमान के अनुसार, कुल शहरी आबादी के 32.36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। एनएसएस के 55 वें दौर (30 दिन के रि-कौल पीरियड पर), शहरी आबादी के 23.62 प्रतिशत लोग बीपीएल श्रेणी के अर्न्तगत आते हैं। आर्थिक विकास का और अधिक लाभ अनिवार्यतः समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधाप्राप्त वर्ग को मिलना चाहिए और आय, धन तथा आर्थिक शक्ति के संकेंद्रीकरण में क्रमिक रूप से कमी आनी चाहिए। भारत में आमतौर पर स्वीकार की गई गरीबी की परिभाषा, जीवन के उचित स्तर की बजाय जीवन के न्यूनतम स्तर पर जोर देती है।

2. 9वीं योजना में इस बात पर गौर किया गया कि शहरी गरीबी की समस्या आय और क्रय शक्ति की कमी प्रकट करती है जिसके लिए उत्पादक रोजगार की कमी और अत्यधिक अल्परोजगार, मुद्रा-स्फीति की उच्च दर और समाजिक आधारिक संरचना की अपर्याप्तता जिम्मेदार है, जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता तथा उनकी रोजगारयोग्यता प्रभावित होती है। आवश्यकता इस बात की है कि अर्थव्यवस्था की इस उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यक्रमों को दिशा प्रदान की जाए और गरीबों को आर्थिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाएं।

3. विकास और सबलीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम शहरी गरीबी-उपशमन कार्यक्रम की स्कीम अर्थात् स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआईवाई) दिसम्बर 1997 में शुरू की गई। यह स्कीम उन नगरों में लागू की गई जहां शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं और स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं। इस स्कीम का उद्देश्य, पहले की शहरी गरीबी-कम करने की स्कीमों के रोजगार घटकों को एक स्थान पर केन्द्रित करके शहरी गरीबों का उत्थान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देकर अथवा मजदूरी वाले रोजगार की व्यवस्था करके शहरी बेरोजगारों या अल्परोजगारप्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। एसजेएसआईवाई में दो घटक शामिल हैं: (क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी); तथा (ख) शहरी मजदूरी वाला रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)। यूएसईपी के अधीन तीन अलग-अलग उपघटक इस प्रकार हैं- (i) लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए अलग-अलग शहरी लाभग्राहियों को सहायता, (ii) शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए स्कीम के तहत लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी ग्रामीण महिलाओं के समूहों को सहायता; तथा (iii) व्यावसायिक और उद्यमी कौशलों के उन्नयन और अर्जन के लिए शहरी रोजगार कार्यक्रम से जुड़े लाभग्राहियों, संभावित लाभग्राहियों और अन्य लोगों को आरक्षण। कोई वास्तविक लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं और उन्हें स्कीम के दिशा-निर्देशों और लाभग्राही सर्वेक्षण के परिणाम के अनुरूप निर्णय के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। ऐसा स्कीम को चलाने में पर्याप्त लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

4. यूडब्ल्यूईपी का उद्देश्य, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक जन परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए लाभग्राहियों के श्रम का उपयोग करके यूएलबी की अधिकारिता के भीतर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लाभग्राहियों को मजदूरी वाला रोजगार उपलब्ध करना है। यह स्कीम पड़ोसी समूहों, सामुदायिक विकास समितियां आदि स्थापित करने को भी बढ़ावा देती है। डीडब्ल्यूसीयूए के तहत भले ही प्रदान की गई सहायता कोई क्रियाकलाप शुरू करने के लिए बहुत ही कम हो किन्तु शहरी महिलाओं को एकजुट होने के लिए प्रेरित करने और उन सामाजिक बंधनों को तोड़ने की दृष्टि से सामूहिक कार्यनीति अपनाई जाती है जिन बंदिशों ने उन्हें आमदनी पैदा करने वाले अवसरों से वंचित रखा है।

5. पिछले अनुभव से पता चलता है कि वित्तीय संस्थानों ने अन्य बातों के साथ-साथ शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए निधियां देने में आनाकानी दिखाई है क्योंकि वसूली न हो पाने का जोखिम बहुत अधिक है और इसमें यह वास्तविक कारण भी है कि ऐसी स्कीमों के माध्यम से सृजित की गई परिसम्पत्तियां विकास की संभावना या आय जुटाने वाले दार्ढकालिक अवसर जुटाने में योगदान नहीं करतीं।

वार्षिक योजना 2000-01 की समीक्षा और 2001-02 के लिए प्रावधान

6. 2000-01 तक, 7,608 महिला लाभग्राहियों सहित यूएसईपी के तहत लाभग्राहियों की संख्या 2,92,229 थी। जहां तक यूडब्ल्यूईपी का सम्बन्ध है, 159 लाख लाभग्राहियों को लाभान्वित किया गया था। सामुदायिक संरचना के तहत लाभग्राहियों की संख्या 34 लाख थी। परिव्यय संशोधित अनुमान 168 करोड़ रुपये / 95.03 करोड़ रुपये की तुलना में 2000-01 के लिए वास्तविक व्यय 86.02 करोड़ रुपये था। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए नियत किया गया परिव्यय 168 करोड़ रुपये है।

7. यह कार्यक्रम अपेक्षित सीमा और गति से प्रगति नहीं कर पाया। अगस्त, 2000 को खर्च न की गई राशि 546.62 करोड़ रुपये थी। वस्तुतः कुछ हद तक समस्या अभिलेखों के लेखाकरण की रही है क्योंकि नगरपालिकाओं से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याएं आई हैं। धीमी गति का एक अन्य कारण यह है कि ग्रामीण गरीबी कार्यक्रम के विपरीत, शहरी गरीबी कार्यक्रम अपेक्षाकृत नये हैं। एसजेएसआरवाई के तहत जिन सामुदायिक संरचनाओं पर कार्यक्रम आधारित होता है उन्हें बनाने में समय लगता है। मुख्य समस्या स्वरोजगार घटक में है। कार्यक्रम की नोडल विभाग द्वारा जोरदार मनीटरिंग, राज्यों को धनराशि जारी करने से पहले उपयोग प्रमाण-पत्रों पर जोर देने आदि जैसे कुछ उपाय आजमाए जा रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया कार्यदल शहरी गरीबी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा और चालू कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में आशोधन करने के सुझाव देगा।

4.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

18 करोड़ परिवारों को वस्तुएं वितरित करने वाली लगभग 4.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) का नेटवर्क संभवतः विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह प्रणाली प्राप्ति को समर्थक मूल्यों से जोड़ कर और पूरे देश में उनका वितरण उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करके उत्पादकों तथा खाद्यान्नों के उपभोक्ताओं-दोनों की

सहायता करने के लिए तैयार की गई है। इसलिए, पीडीएस गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की आर्थिक नीति का एक मुख्य साधन बनी हुई है।

2. एक सुलक्षित तथा उचित रूप से कार्य करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिशु मृत्युदर, प्रसूति मृत्यु दर, जन्म के समय कम वजन और अपवंचन के अन्य सभी रूप जैसे गरीबी के अन्य आयामों के विरुद्ध हमारी लड़ाई में खाद्य और पोषण सुरक्षा एक निर्णायक तत्त्व है। जिस रूप में पीडीएस पहले विद्यमान थी, उसकी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सेवा न कर पाने, इसके शहरी-पक्षपात, गरीबों की भारी आबादी वाले राज्यों में नगण्य लाभ पहुंचाए जाने और वितरण के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्थाओं की कमी के कारण व्यापक रूप से आलोचना की जाती थी। इस बात को महसूस करते हुए, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके और उन्हें विशेष सहायताप्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न बेच कर सरकार ने एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है। टीपीडीएस के अधीन प्रतिमास बीपीएल परिवारों को 20 किलोग्राम खाद्यान्न जारी किया जाता है। आशा की जाती है कि इससे 6 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।

3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा 10 किलोग्राम प्रतिमास से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप आशा की जाती है भारतीय खाद्य निगम के पास फालतू स्टॉक कुछ कम हो जाएगा। 1.4.2000 से एपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न का केन्द्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर और बीपीएल के लिए आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर नियत किया गया। परन्तु व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद एपीएल और बीपीएल के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य में कुछ कमी की गई। टीपीडीएस शुरू करने से लेकर बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए, केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। एपीएल निर्गम मूल्य में 12.7.2001 को और कमी की गई।

तालिका 4.3.1

टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न के निर्गम मूल्य
(रुपये / क्विंटल)

प्रभावी तारीख	गेहूं		चावल	
	बी. पी. एल.	ए. पी. एल.	बी.पी.एल.	ए.पी.एल.
1.6.1997 (फाइन/सुपरफाइन)	250	450	350	650/700
29.1.1999	-	650	-	905
1.4.1999	-	682	-	-
1.4.2000	450	900	590	900
1.7.2000	415	830	565	1130
12.7.2001		610		830

4. 1990-91 में वार्षिक खाद्य आर्थिक इमदाद को 2450 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1999-2000 में 9200 करोड़ रुपये और 2001-02 में 13,675 करोड़ रुपये कर देने के बावजूद, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। टाटा इकानामिक कन्सल्टेंसी सर्विसिस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर 36 प्रतिशत गेहूं, 31 प्रतिशत चावल और 23 प्रतिशत चीनी का अपवर्तन (दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग) होता है। ऐसा लगता है कि टीपीडीएस सबसे गरीब उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में काम नहीं कर रही है। 1997 में बदल कर टीपीडीएस में जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे गरीब राज्यों के लिए आबंटन दुगुने से भी अधिक कर दिया गया, किन्तु फिर भी राज्यों द्वारा कम मात्रा में खाद्यान्न उठाने के कारण और इससे भी अधिक बीपीएल परिवारों द्वारा वास्तव में और भी कम मात्रा उठाए जाने के कारण, इस स्कीम का इन राज्यों में पोषण स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

5. पश्चिम और दक्षिण राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में सरकार परस्तातालयों में आधारिक संरचना और निधियों की कमी है। अवैध अपवर्तन के अतिरिक्त इस स्कीम के साथ कुछ अन्य समस्याएं इस प्रकार हैं:

- गरीबों के पास एक ही बार 20 किलोग्राम खाद्यान्न खरीदने के लिए नकद पैसे नहीं होते और उन्हें प्रायः किस्तों में खरीदने की इजाजत नहीं दी जाती।
- घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्न-विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (जून 2000) में बताया गया है एफसीआई का आधा स्टॉक कम से कम दो साल पुराना है, 30 प्रतिशत स्टॉक 2 से 4 वर्ष पुराना और कुछ खाद्यान्न तो 16 वर्ष तक पुराना है।
- कमजोर मानीटरिंग, स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों में पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त जवाबदेही।
- वसूल की गई कीमत अधिकाधिक कीमत से 10 से लेकर 14 प्रतिशत तक अधिक होती है।

सीएजी की रिपोर्ट

6. मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, देश में पीडीएस के प्रचालन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण दिए हैं। रिपोर्ट में दिए गए कुछ प्रेक्षण इस प्रकार हैं:

- अकुशल लक्ष्य-निर्धारण ने लक्षित पीडीएस को प्रभावित किया है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रतिमास प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न सामान्य पीडीएस कीमत से लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध किया जाना था। कई राज्य सरकारें इसे कार्य रूप नहीं दे पाईं। 31 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 18 राज्यों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण पूरे नहीं किए गए। जिन राज्यों में पहचान-कार्य पूरा कर लिया गया था उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड प्रदान नहीं किए गए।
- इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में योजना आयोग के विशेषज्ञ दल द्वारा अनुमानित संख्या की तुलना में बहुत बड़ी आबादी का वर्गीकरण बीपीएल के रूप में किया गया। इसका प्रभाव बीपीएल जनसंख्या की

निर्धारित हकदारी कम करने पर पड़ा क्योंकि एफसीआई द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए आबंटन का निर्धारण विशेषज्ञ दल द्वारा अनुमानित संख्या के आधार पर किया गया था।

- बहुत सारे मामलों में, बीपीएल परिवारों को 10 किलोग्राम राशन की निर्धारित मात्रा विशेष रियायती दरों पर नहीं मिल पाई और उनसे अधिक कीमत वसूल की गई, राज्य सरकारों ने वह लागत स्वयं वहन नहीं की जो सम्भलाई और ढुलाई आदि पर खर्च की जाती थी और वह उच्चतर लागत उपभोक्ताओं पर डाल दी जिससे टीपीडीएस का मुख्य उद्देश्य ही पराजित हो गया।
- विशेष बीपीएल कीमत पर केवल 10 किलोग्राम प्रति परिवार की मात्रा इतनी पर्याप्त नहीं है कि यह उचित कीमत पर खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके क्योंकि इससे 5 सदस्यों के औसत आकार वाले परिवार की लगभग 53 किलोग्राम की मासिक जरूरत केवल 20 प्रतिशत तक पूरी हो पाती है।
- उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर वितरण के लाभ नगण्य है। पीडीएस हस्तक्षेप के कारण प्रतिमास प्रति परिवार की आय का अंतरण 30 रुपये से भी कम है, सिवाय उत्तर पूर्वी राज्यों के। टीपीडीएस शुरू करने के बाद भी बीपीएल आबादी के प्रति परिवार प्रतिमास अंतरित आय 22 रु. से लेकर 46 रु. प्रतिमास तक है। पंजाब में यह सात रुपये से भी कम है।
- 1000 रुपये प्रतिमास से कम मासिक व्यय स्तर के साथ निम्नतम व्यय समूह 76 प्रतिशत तक सबसे कम राशन कार्ड हैं। बढ़ते हुए मासिक व्यय के साथ राशन कार्डधारियों की संख्या में वृद्धि हुई और 4000 रुपये प्रतिमास से अधिक व्यय-स्तर वाले उच्चतम समूह राशन कार्डधारियों की संख्या बढ़कर 89 प्रतिशत हो गई। इससे सबसे गरीब लोगों को पीडीएस तक पहुंच प्रदान करने में सरकार की असमर्थता प्रकट होती है।

अंत्योदय अन्न योजना

7. अंत्योदय अन्न योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई है। यह स्कीम सभी से लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, अगले पांच वर्षों में भूख-मुक्त भारत की स्थापना करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और विकास करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताएं दर्शाती है। उसका उद्देश्य एक करोड़ सबसे अधिक गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से चावल जैसे खाद्यान्न अत्यंत रियायती दरों पर प्रति परिवार 25 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न प्रदान करना है।

8. एक करोड़ परिवारों के इस अनुमान का आधार 1993-94 के दौरान हुए एनएसएसओ का 50वां दौर है। अपनी "भारत में खाद्य अंतर्ग्रहण की सूचित पर्याप्तता" नामक रिपोर्ट में, एनएसएसओ ने यह देखा कि 5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तथा 2 प्रतिशत शहरी परिवारों ने बताया कि उन्हें पूरे वर्ष के सभी महीनों में "प्रतिदिन दो बार भोजन" नहीं मिल पाता। यद्यपि एनएसएसओ के अनुसार प्रतिवादी, पूछे गए प्रश्न की विवक्षाओं को स्पष्ट रूप से समझते थे, किन्तु एनएसएसओ की इस आधार पर आलोचना की गई है कि इस उत्तर से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि भोजन का अर्थ कितना अधिक या कम भोजन है।

9. वास्तविक समस्या की जड़ खाद्यान्न के फालतू स्टॉक में है। सरकार के समक्ष लगभग 60 मिलियन टन के कुल खाद्य की समस्या है। जबकि सुरक्षित स्टॉक के मानदण्ड 20 मिलियन टन के आसपास हैं, किन्तु प्रतिमास 20 किलोग्राम खाद्यान्न के परिवर्द्धित आबंटन पर बीपीएल परिवारों के लिए टीपीडीएस के तहत सामान्य उठाव 15 मिलियन टन, तथा एपीएल परिवारों के लिए 5-10 मिलियन टन हो जाने की आशा की जाती है। फिर भी निम्नतर बाजार कीमतों के कारण, सार्वजनिक प्रणाली के तहत इन दोनों समूहों का उठाव आशातीत नहीं रहा है। एपीएल-बीपीएल के परिवारों के मौजूदा समूह में वृद्धि करके " गरीब परिवारों में से सबसे गरीब परिवार " की एक और श्रेणी जोड़ देने से खाद्यान्न के उठाव में अधिक से अधिक 3 मिलियन टन की वृद्धि की जा सकेगी। इससे फालतू स्टॉक की समस्या हल नहीं हो पाएगी। खाद्य आर्थिक इमदाद जो पहले ही 13,675 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है उसमें 1000-1500 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जाएगी।

10. (सुरक्षित स्टॉक मानदण्डों से ऊपर के) खाद्यान्न के फालतू स्टॉक का सबसे अच्छा उपयोग "काम के लिए खाद्यान्न " जैसे बड़े कार्यक्रम शुरू करके और इस प्रक्रिया में स्कूल-भवन, ग्रामीण सड़कों, जलाशयों, टैंकों जैसी लाभदायक परिसम्पतियां सृजित करके, और बालिकाओं को खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा देकर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करके महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। खाद्यान्न का उपयोग करने का यह सबसे आसान और बेहतर विकल्प है बजाय इसे आर्थिक सहायता देकर निर्यात करने के जिसकी पूरी संभावना है कि यह विदेश में पशुओं को खिला दिया जाएगा।

अन्नपूर्णा

11. ऐसे गरीब वरिष्ठ नागरिक पात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय वयोवृद्ध पेंशन द्वारा लाभान्वित नहीं हो पाए, उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण में एक नई स्कीम शुरू करने की घोषणा की थी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में चुना गया और उसने तदनुसार इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2000 से धरातल पर उतारा। इस स्कीम के लिए दिशा-निर्देश भी उसी मास जारी कर दिए गए। "अन्नपूर्णा " के तहत, लक्षित लाभग्राहियों को प्रतिमास 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या फिलहाल राज्य के भीतर वयोवृद्ध पेंशन भोगियों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। देश में राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्कीम के लिए कुल हकदारी का आकलन लगभग 68.81 लाख किया गया है। इसका निहितार्थ यह होगा कि 13.76 लाख लाभग्राही "अन्नपूर्णा " के अंतर्गत शामिल किए जाने के हकदार होंगे।

12. इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में चुना गया है। राज्य स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य का खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग उत्तरदायी होगा। ये विभाग राज्य के लिए समग्र आबंटन के भीतर अंतरजिला लक्ष्य-नियतन का निर्णय करेंगे। केन्द्रीय निधियां राज्य के खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग को एक किस्त में जारी की जाएंगी, तत्पश्चात् राज्य खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग सीधे एफसीआई राज्य कार्यालयों को खाद्यान्न की किफायती लागत का भुगतान करके जिलावार खाद्यान्न जारी करने के लिए एफसीआई से सम्बन्ध स्थापित करेगा। जिला स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला समाहर्ता उत्तरदायी होगा। समाहर्ता (कलेक्टर) निकटतम एफसीआई गोदाम के साथ समन्वय करेगा और खाद्यान्न की

प्राप्ति सुनिश्चित करेगा और एफसीआई गोदामों से उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न ढुलाई की व्यवस्था करेगा और उचित दर दुकानों के माध्यम से उसके वितरण की व्यवस्था करेगा।

पीडीएस योजनागत स्कीमें

13. जबकि पीडीएस का प्रचालनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्य आर्थिक इमदाद का प्रावधान केन्द्र सरकार के योजनेतर बजट में किया गया है, किन्तु योजना आयोग निम्नलिखित स्कीमों के लिए अपने योजनागत कार्यक्रमों के तहत निधियां प्रदान करता है:

1. गोदामों का निर्माण।
2. मोबाइल वाहनों / ट्रकों की खरीद।
3. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानटरिंग।

14. 2000 टन की क्षमता वाले छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए गोदाम स्कीम का आशय राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है। मोबाइल वाहन स्कीम ग्रामीण / पहाड़ी/ दूरस्थ ओर ऐसे असुविधाजनक क्षेत्रों जहां स्थायी तौर पर उचित दर दुकाने स्थापित करना संभव या व्यावहारिक नहीं पाया गया है, अनिवार्य वस्तुएं वितरित करने की दृष्टि से मोबाइल वाहन / ट्रकों की खरीद के लिए राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रशिक्षण स्कीम का उद्देश्य पीडीएस में कार्यरत कर्मियों के कौशल को सुदृढ़ और उन्नत करना और आपूर्ति के प्रबंध में सुधार करना भी है। पीडीएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सिविल आपूर्ति निगमों आदि के प्रयासों में भी सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत, पीडीएस के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन, अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए जाते हैं। स्कीम के तहत योजनागत परिव्यय / व्यय तालिका 4.3.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.3.2

पीडीएस स्कीमें - योजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये)

स्कीम	1999-00 (वास्तविक)	2000-01 (वास्तविक)	2001-02 (बजट अनु.)
1. गोदामों का निर्माण	22.29	8.00	11.50
2. वाहनों/ट्रकों की खरीद	1.06	0.24	0.,30
3. प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग	0.49	0.16	0.50

संलग्नक - 4.1.1

(करोड़ रुपये)

क्र. सं	स्कीम का नाम	1999-00	2000-01	2000-01	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
(I) ग्रामीण विकास विभाग						
1	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)	1689.00	1650.00	1510.00	1384.88	1650.00
2	रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएस) *	2040.00	1300.00	1480.00	1419.51	1600.00
3	स्वर्णज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	946.76	1000.00	620.00	544.94	500.00
4	डीआरडीए प्रशासन	110.00	220.00	170.00	165.97	220.00
5	इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	1659.00	1710.00	1710.00	1664.17	1527.00
6	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	709.94	715.00	715.00	700.55	835.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
8	राज्य प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढीकरण	6.25	7.25	9.25	10.39	8.75
9	विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढीकरण	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
10	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियां और कार्यशालाएं	1.25	1.25	1.25	1.41	1.25
11	संचार कक्ष (आईईसी)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
12	"कपार्ट" को सहायता	13.00	13.00	13.00	13.00	30.00
13	स्वैच्छिक स्कीमों को बढ़ावा +	13.00	13.00	13.00	13.00	
14	लाभग्राहियों का संगठन (ओबी) +	4.00	4.00	2.00	2.00	
15	विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें ^	0.50	0.50	0.05	0.00	
16	पंचायत विकास और प्रशिक्षण	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00
17	मानीटर्सिंग व्यवस्था	2.00	5.00	5.00	4.50	10.00
18	अन्नपूर्णा	0.00	100.00	100.00	99.80	300.00
	उप जोड़ (1)	7216.70	6760.00	6369.55	6045.12	6705.00
(II) भू-संसाधन विभाग						
1	एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम	83.07	480.00	387.00	387.00	430.00
2	सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	95.00	190.00	190.00	190.00	210.00
3	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	85.00	135.00	135.00	135.00	160.00
4	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	32.24	50.00	48.00	50.00	45.00
5	राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण तथा	10.25	25.00	25.00	25.00	31.00
6	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार तथा	8.69	12.00	10.80	10.80	15.00
7	अन्य	0.00	8.00	4.13	4.13	9.00
	उप जोड़ (2)	314.25	900.00	799.93	801.93	900.00
	सकल जोड़ (I तथा II)	7530.95	7658.00	7169.48	6847.05	7605.00

* 2001-02 के लिए काम के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम हेतु परिव्यय शामिल है।

+ 2001-02 से "कपार्ट" को सहायता के साथ मिला दिया गया है।

^ 2001-02 से बंद कर दिया गया है।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

अध्याय 5

सामाजिक विकास

5.1 मानव विकास एक विहंगम दृष्टि

हाल के वर्षों में विकास योजना का केन्द्र बिन्दु सामान्य रूप से केवल भौतिक प्राप्ति और विशेष रूप से प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि से बदल कर, मानव कल्याण में वृद्धि करने के लिए योजना बनाना हो गया है। ऐसा मुख्यतः इस अनुभव के कारण किया जाता है क्योंकि वास्तविक समृद्धि की प्राप्ति और स्वास्थ्य, आयु, साक्षरता, पर्यावरणीय पोषणीयता आदि पर सामाजिक सूचकों द्वारा यथाप्रदर्शित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बीच प्रायः पर्याप्त सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। सामाजिक सूचकों का मूल्यांकन केवल सामाजिक दृष्टि से अपेक्षित परिणामों तथा तदनुसार विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों के रूप में ही नहीं किया जाता परन्तु उन्हें विकास प्रक्रिया को चिरस्थायी मार्ग पर डालने के लिए मूल्यवान निविष्टियों के रूप में भी देखा जाता है। इस कारण से मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सामान्य रूप से विकास का और विशेष रूप से योजना का अंतिम उद्देश्य बन गया है। कल्याण की इस अवधारणा को कल्याण और विकास में व्यापक बनाने का श्रेय यू एन डी पी को जाता है जिन्होंने 1990 से लेकर वार्षिक रूप से प्रकाशित की जा रही अपनी रिपोर्टों के माध्यम से मानव विकास दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया है।

2. इस दृष्टिकोण की आम सहमति ने, विशेषकर विकासशील देशों में सामाजिक क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से, विकास योजनाएं तथा नीतिगत ढांचे तैयार करने के लिए एक साकल्यवादी परिदृश्य की आवश्यकता को प्रबलित बनाया है। जबकि यह एक सच्चाई है कि, स्वतंत्रताप्राप्ति से लेकर हमारी प्रत्येक योजना में मानव विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, किन्तु ऐसा अभी हुआ है कि स्पष्टतयः एक अंतरक्षेत्रक विकास ढांचा विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है और उसे कार्यरूप दिया जा रहा है। इसमें ऐसी नीतियों को लिया जाएगा जिससे विकास के स्वाभाविक चक्र सुदृढ़ होते हों और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को लिया गया हो और जिससे ऐसे परिणाम प्राप्त होते हों जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हैं। इस प्रकार नौवीं योजना से शुरू करके सामाजिक क्षेत्र के तहत विषयों की दृष्टि से समरूप मुद्दों को एक समेकित लेख में एक स्थान पर लाया गया। यह ढांचा वार्षिक योजनाओं में अपनाया गया और वही फार्मेट इस दस्तावेज में भी बनाए रखा जा रहा है। इस अध्याय में हमने सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों को एक स्थान पर प्रस्तुत किया है जिनमें, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण, आवास, शहरी विकास, जल आपूर्ति और नगर सुविधाएं, सामाजिक कल्याण रोजगार और श्रम कल्याण, कला और संस्कृति, युवा कार्य और खेलकूद और सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धी मसले शामिल हैं।

3. मानव विकास की पहलकदमी के रूप में इस वर्ष की वार्षिक योजना में मुख्य रूप से पहले के बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रमों को नया रूप दिया गया है। ग्राम स्तर पर चिरस्थायी मानव विकास पर इस पहलकदमी को और आगे बढ़ाने के लिए इसे, "प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना" का नया नाम दिया गया है। हमारे विकास के संदर्भ में, सामाजिक क्षेत्रों में बहु-उद्देश्यीय विकास उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। 2000-01 की वार्षिक योजना में इसे समझा गया है और शुरू में पीएमजीवाई के माध्यम से इसे आकार दिया जा रहा है।

5.2 प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना

यह बात बहुत लम्बे अर्से से स्वीकार की गई है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, आधारभूत सुविधाओं के न्यूनतम स्तर तक पहुंच, कार्यनीति का अभिन्न अंग होना ही चाहिए। पिछले दशक में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेय जल तथा आवास तक पहुंच प्रदान करने में काफी प्रगति हुई है, जैसाकि कवरेज के विस्तार और मानव विकास के सूचकों में सुधार से भी प्रदर्शित होता है।

2. इन क्षेत्रों के लिए और विशिष्ट कार्यक्रम की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने का मुख्य दायित्व राज्य/संघ राज्य सरकारों का है। परन्तु इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि अपनी जनसंख्या को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते। राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों के अनुपूरक के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) शुरू की गईं। लोगों को न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए 1996 में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की जिनके नाम हैं - प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, सुरक्षित पेय जल, सभी आवासहीन परिवारों को सरकारी आवास सहायता, पोषण, गांवों तथा बस्तियों को सड़क-मार्गों से जोड़ना और गरीब लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना। इस सम्मेलन ने सिफारिश की कि समूची आबादी को एक समय-बद्ध तरीके से कवर किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के प्रत्युत्तर में और इस बात को स्वीकार करते हुए कि राज्यों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, भारत सरकार ने राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के लिए प्रावधान करके 1996-97 में एक नया बजट शीर्ष आरंभ किया गया। राज्यों को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने एसीए के आबंटन को अपने विभिन्न क्षेत्रों में नियत करने के लिए लचीलापन प्राप्त था।

3. बीएमएस के तहत कार्यनीति संसाधनों को संघटित करने और 100 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुंचाने के प्रयास करती है जिससे लोगों को एक समयबद्ध तरीके से इन न्यूनतम सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके। दिशा-निर्देशों में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य की वार्षिक योजना में बीएमएस क्षेत्रों के लिए निवेश का एक पर्याप्त स्तर सुनिश्चित किया जाए। नियत किए गए परिव्ययों की तुलना में वास्तविक व्यय में यदि कोई कमी रह जाती है तो अगले वर्ष में उसी अनुपात में केन्द्रीय सहायता कम कर दी जाएगी।

4. 1996-97 से लेकर, केन्द्रीय बजट में बीएमएस के लिए प्रत्येक वर्ष एसीए का प्रावधान किया गया। जबकि 1996-97 में आबंटन 2244 करोड़ रुपये का था, किन्तु 1997-98 में यह 3100 करोड़ रुपये था जिसे 1998-99 में 3400 करोड़ रुपये तक और 1999-2000 में बढ़ाकर 3700 करोड़ रुपये कर दिया गया। बीएमएस के लिए राज्यवार जारी की गई एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) **संलग्नक 5.2.1** में दी गई है। जबकि 1999-2000 के लिए 3700 करोड़ रुपये एसीए के रूप में थे, तो लगभग 12000 करोड़ रुपये राज्यों /संघ राज्यों क्षेत्रों ने अपनी योजनाओं में से खर्च किए। **संलग्नक 5.2.2**, 1999-2000 के लिए वार्षिक योजना में

बीएमएस के लिए नियत किए गए राज्यवार न्यूनतम परिव्यय दर्शाता है। इसके अतिरिक्त बीएमएस क्षेत्रकों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक स्कीमों द्वारा भी पोषित किया जाता है और अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपये इन क्षेत्रों के लिए आबंटित किए जाते हैं।

5. जबकि बीएमएस के तहत वित्तीय और वास्तविक-दोनों प्रकार की प्रगति का निर्धारण करने के लिए व्यापक मानीटरिंग फार्मैट तैयार किए गए और राज्य सरकारों को परिचालित भी किए गए, परन्तु प्राप्त सूचना बिलकुल संतोषजनक नहीं है। ऋद्यपि आबंटनों में से किए गए उपयोग की सूचना तो प्राप्त हो रही है, किन्तु समस्या वास्तविक उपलब्धियां सूचित करने के बारे में है। इसके लिए इस बात को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि केवल एक ही स्थान ऐसा है जहां बीएमएस की मानीटरिंग की गई। तीनों स्रोतों से प्रावधानों के बीच काफी अतिव्याप्ति है और एक शीर्ष की निधियां दूसरे शीर्ष में रख देने की संभावना बनी रहती है। आवास के मामले में इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क आवास दिया जाता है। इस बात की पूरी संभावना होती है कि बीएमएस के लिए एसीए का प्रयोग राज्य का बराबर का हिस्सा देने में कर लिया जाए। इस मामले में एसीए अतिरिक्त नये मकानों के निर्माण में कोई योगदान नहीं करती। इसलिए वास्तविक उपलब्धि का ठीक से निर्धारण नहीं किया जा सकता और यह अलग-अलग शीर्षों के अधीन उपलब्ध किए गए कुल वित्तीय प्रावधानों से मेल नहीं खाएगी।

6. प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रक पर चर्चा संबंधित अध्यायों में दी गई है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उपलब्धियों के स्तरों में भारी अंतरराज्य अंतरों को देखते हुए, अविशेष (सामान्य) श्रेणी के राज्यों में एसीए के वितरण के लिए बी एम एस क्षेत्रकों में आधारिक संरचना के अंतर प्रदर्शित करने वाले सूचकों के आधार पर एक फार्मूला तैयार किया। विशेष श्रेणी राज्यों के सम्बन्ध में, आबंटन आधार संरचना में वास्तविक अंतरों पर नहीं अपितु सामान्य केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने पर आधारित थे। साधारण श्रेणी के राज्यों के लिए एसीए 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदानों के रूप में है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90 प्रतिशत अनुदानों तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में बीएसएस के लिए एसीए से इन सेवाओं के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों में वृद्धि हुई और इनका पूर्णतया उपयोग किया गया।

7. ग्राम स्तर पर चिर-स्थायी मानव विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में (प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना) पीएमजीवाई के रूप में एक नई पहल शुरू की गई। इसका आशय पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक आधारिक संरचना के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ह्यारी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल, आवास और पोषण से संबंधित स्कीमों शुरू की जा सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसीए प्रदान की गई। इसने अब तक बीएमएस के लिए प्रदान की जा रही एसीए का स्थान ले लिया।

8. प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल और पोषण के घटकों के लिए सभी राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों में पीएमजीवाई 2000-01 में शुरू की गई। केन्द्र में सम्बन्धित प्रशासनिक

विभागों ने पीएमजीवाई के तहत पहचाने गए पांच क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तैयार किए। राज्यों में पीएमजीवाई के लिए एसीए के वितरण को आधार नहीं रखा गया है जो बीएमएस के लिए एसीए के तहत है। वार्षिक योजना 2000-01 तथा 2001-02 में पीएमजीवाई के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को एपीए का आबंटन क्रमशः **संलग्नक 5.2.3 तथा 5.2.4** में दर्शाया गया है।

9. संबंधित प्रशासनिक विभागों को इन विभागों द्वारा पीएमजीवाई के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों का अनुमोदन किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने विभागों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की। यह निर्णय किया गया कि 2000-01 के दौरान पीएमजीवाई के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कुल आबंटन का कम से कम 15 प्रतिशत भाग पीएमजीवाई के तहत पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए अवश्य आबंटित किया जाना चाहिए। परन्तु राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेकानुसार अपने आबंटन की शेष 25 राशि पीएमजीवाई के अधीन पांच में से किसी भी क्षेत्र को आबंटित कर सकते हैं। संबंधित विभागों को पीएमजीवाई के अधीन अपने कार्यक्रमों को आवधिक रूप से मानीटर करना होता है। योजना आयोग ने इस कार्यक्रम की समग्र मानीटरिंग की और इसका समन्वय किया।

10. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजीवाई के लिए एसीए के रूप में 2800 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। योजना आयोग ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में यह अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) बीएमएस के लिए एसीए के वितरण के लिए पहले से अपनाए गए मानदण्ड के अनुसार आबंटित की है। इन आबंटनों की एक प्रति **संलग्नक 5.2.4** में दी गई है। चालू वर्ष से ग्रामीण विद्युतीकरण को पीएमजीवाई के एक अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल किया गया है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी एसीए का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा पीएमजीवाई के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आबंटित करना है, सिवाय पोषण के जिसके लिए कम से कम 15 प्रतिशत राशि प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपने आबंटन की शेष 35 प्रतिशत राशि पीएमजीवाई के अधीन छः क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र को आबंटित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

संलग्नक 5.2.1

वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-2000 के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी किया जाना

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य	एसीए 1996-97	एसीए 1997-98	एसीए 1998-99	एसीए 1999-2000
	1	2	3	4	5
क	अविशेष श्रेणी राज्य				
1	आन्ध्र प्रदेश	140.52	170.59	179.61	196.34
2	बिहार	225.67	364.07	383.32	419.04
3	गोवा	1.55	1.55	3.63	3.63
4	मद्रास	52.58	72.58	76.42	113.54
5	हरियाणा	19.08	19.08	40.09	26.96
6	कर्नाटक	59.4	99.42	104.68	114.43
7	केरल	69.64	78.69	102.85	110.57
8	मध्य प्रदेश	144.09	210	236.1	265.34
9	महाराष्ट्र	96.78	132.23	159.22	152.19
10	उड़ीसा	79.26	147.45	164.25	190.31
11	पंजाब	25.59	35.59	36.94	40.37
12	राजस्थान	87.63	132.98	140.01	153.05
13	तमिलनाडु	82.36	119.8	141.13	137.88
14	उत्तर प्रदेश	317.33	456.84	500.99	575.81
15	पश्चिमी बंगाल	150	203.57	214.33	234.3
ख	विशेष श्रेणी राज्य				
1	अरुणाचल प्रदेश	62.18	62.18	90.47	71.57
2	असम	154.14	163.8	172.46	188.53
3	हिमाचल प्रदेश	64.41	64.41	113.45	109.14
4	जम्मू-कश्मीर	156.52	156.52	164.8	180.15
5	मणिपुर	44.3	44.3	64.3	72.64
6	मेघालय	37.03	37.03	38.99	63.62
7	मिजोरम	36.87	36.87	49.96	51.43
8	नागालैण्ड	37.53	37.53	49.51	67.19
9	सिक्किम	25.65	25.65	47.25	49.76
10	त्रिपुरा	46.37	46.37	55.37	59.92
ग	संघ राज्य क्षेत्र				
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	9	14.2	14.95	16.34
2	पाण्डिचेरी	3.9	6.13	7.45	7.06
3	अण्डमान निकोबार द्वीप	8	13.19	17.17	15.19
4	चण्डीगढ़	3.72	5.87	6.18	6.76
5	दादर और नागर हवेली	1.08	1.71	1.8	1.97
6	लक्षद्वीप	1.44	2.27	2.39	2.62
7	दमन-दीव	0.86	1.36	1.43	1.57
	योग	2244.48	2963.83	3381.5	3699.22

संलग्नक 5.2.2

राज्य की वार्षिक योजना 1999-2000 में नियत किए गए राज्यवार न्यूनतम परिव्यय (न्यूनतम पर्याप्त प्रावधान)

क्रम सं.	राज्य	वास्तविक व्यय 1995-96	संशोधित अनुमान 1995-96	अति केन्द्रीय सहायता (एसीए) 1999-2000	अनाबंटित एसीए निधियों से	वीएमएस के लिए एसीए का अंतिम आबंटित 1999-2000	एसीए का 15 प्रतिशत राज्य का हिस्सा	न्यूनतम पर्याप्त प्रावधान एमएसी 1999-2000 3या 4+ 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अविशेष श्रेणी राज्य								
1	आन्ध्र प्रदेश		19397.00	19634.00		19634.00	2945.10	41976.10
2	बिहार	20117.43		41904.00		41904.00	6285.60	68307.03
3	गोवा		4055.50	178.00	185.00	363.00	54.45	4472.95
4	मद्रास	24250.71		8354.00	3000.00	11354.00	1703.10	37307.81
5	हरियाणा	6598.82		2196.00	500.00	2696.00	404.40	9699.22
6	कर्नाटक	55600.00		11443.00		11443.00	1716.45	68759.45
7	केरल	6815.00		9057.00	2000.00	11057.00	1658.55	19530.00
8	मध्य प्रदेश	28362.00		24170.00	2364.00	26534.00	3980.10	58876.10
9	महाराष्ट्र	64957.00		15219.00		15219.00	2282.85	82458.85
10	उड़ीसा	24945.90		16971.00	2060.00	19031.00	2854.65	46831.55
11	पंजाब	4758.00		2945.00	1092.00	4037.00	605.55	9400.55
12	राजस्थान	54854.09		15305.00		15305.00	2295.75	72454.84
13	तमिलनाडु	18838.00		13788.00		13788.00	2068.20	34694.20
14	उत्तर प्रदेश	91719.00		52581.00	5000.00	57581.00	8637.15	157937.15
15	पश्चिमी बंगाल	8907.95		23430.00		23430.00	3514.50	35852.45
	उप जोड़	410723.90	23452.50	257175.00	16201.00	273376.00	41006.40	748558.25
विशेष श्रेणी राज्य								
1	अरुणाचल प्रदेश	6917.93		7157.00		7157.00		14074.93
2	असम	26344.48	21564.00	18853.00		18853.00		40417.00
3	हिमाचल प्रदेश		14814.31	7414.00	3500.00	10914.00		25728.00
4	जम्मू-कश्मीर		17011.00	18015.00		18015.00		35026.00
5	मणिपुर	3952.54		5098.00	2166.00	7264.00		11216.54
6	मेघालय	5721.69		4262.00	2100.00	6362.00		12083.69
7	मिजोरम	4743.89		4243.00	900.00	5143.00		9886.89
8	नागालैण्ड	2544.99		4319.00	2400.00	6719.00		9263.99
9	सिक्किम		5046.40	2952.00	2024.00	4976.00		8417.40
10	त्रिपुरा		6303.85	5337.00	655.00	5992.00		12295.85
	उप जोड़	50225.52	64739.56	77650.0	13745.00	91395.00		178410.29
संघ राज्य क्षेत्र								
1	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	8797.00		1634.00		1634.00		10431.00
2	पांडिचेरी	2182.31		705.00		705.00		2887.31
3	अण्डमान निकोबार	3492.00		1518.00		1518.00		5010.00
4	चण्डीगढ़	1144.17		675.00		675.00		1819.17
5	दादर नागर हवेली	792.82		196.00		196.00		988.82
6	लक्षद्वीप	384.54		261.00		261.00		645.54
7	दमन दीव	444.81		156.00		156.00		600.81
	उप जोड़	17237.65	0.00	5145.00	0.00	5145.00	0.00	22382.65
	कुल जोड़	478187.07	88192.06	339970.00	29946.00	369916.00	41006.40	949351.19

संलग्नक 5.2.3

प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) 2000-01 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) का आबंटन

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसीए 2000-01
अविशेष श्रेणी राज्य		
1	आन्ध्र प्रदेश	14206.00
2	बिहार	28725.00
3	गोवा	78.00
4	गुजराज	6479.00
5	हरियाणा	1678.00
6	कर्नाटक	7513.00
7	केरल	6908.00
8	मध्य प्रदेश	11377.00
9	महाराष्ट्र	9913.00
10	उड़ीसा	9855.00
11	पंजाब	4040.00
12	राजस्थान	9640.00
13	तमिलनाडु	10479.00
14	उत्तर प्रदेश	34891.00
15	पश्चिम बंगाल	16782.00
	उप जोड़	172564.00
विशेष श्रेणी		
1	अरुणाचल प्रदेश	6817.00
2	असम	17957.00
3	हिमाचल प्रदेश	7061.00
4	जम्मू-कश्मीर	17158.00
5	मणिपुर	4856.00
6	मेघालय	4059.00
7	मिजोरम	4041.00
8	नागालैंड	4113.00
9	सिक्किम	2811.00
10	त्रिपुरा	5083.00
	उपजोड़	73956.00
संघ राज्य क्षेत्र		
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1105.00
2	पाण्डिचेरी	477.00
3	अण्डमान निकोबार द्वीप	1027.00
4	चण्डीगढ़	456.00
5	दादर नागर हवेली	132.00
6	लक्षद्वीप	177.00
7	दमन द्वीप	106.00
	उप जोड़	3480.00
	कुल जोड़	250000.00

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) 2001-02 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन
(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्यो/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसीए 2001-02
अविशेष श्रेणी राज्य		
1	आन्ध्र प्रदेश	15911.00
2	बिहार	24579.00
3	छत्तीसगढ़	3517.00
4	गोवा	87.00
5	गुजरात	7256.00
6	हरियाणा	1879.00
7	झारखण्ड	7592.00
8	कर्नाटक	8415.00
9	केरल	7737.00
10	मध्य प्रदेश	9225.00
11	महाराष्ट्र	11103.00
12	उड़ीसा	11038.00
13	पंजाब	4525.00
14	राजस्थान	10797.00
15	तमिलनाडु	11736.00
16	उत्तर प्रदेश	37671.00
17	उत्तरांचल	1407.00
18	पश्चिम बंगाल	18796.00
	उप जोड़	193271.00
विशेष श्रेणी		
1	अरुणाचल प्रदेश	7635.00
2	असम	20112.00
3	हिमाचल प्रदेश	7908.00
4	जम्मू-कश्मीर	19217.00
5	मणिपुर	5439.00
6	मेघालय	4546.00
7	मिजोरम	4526.00
8	नागालैंड	4607.00
9	सिक्किम	3148.00
10	त्रिपुरा	5693.00
	उपजोड़	82831.00
संघ राज्य क्षेत्र		
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1238.00
2	पाण्डिचेरी	534.00
3	अण्डमान निकोबार द्वीप	1150.00
4	चण्डीगढ़	511.00
5	दादर नागर हवेली	148.00
6	लक्षद्वीप	198.00
7	दमन दीव	119.00
	उप जोड़	3898.00
	कुल जोड़	280000.00

5.3 शिक्षा

स्वतंत्रताप्राप्ति पश्चात शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण तत्त्व कम से कम प्रारम्भिक स्तर तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना रहा है। हमारे संविधान में प्रतिज्ञापित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 10 वर्ष की अवधि के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संविधानिक निर्देश की, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति 1986, तथा और अधिक विस्तार सहित इसकी कार्यवाही - योजना में व्याख्या की गई है। 9वीं योजना में शिक्षा को मानव विकास में एक निर्णायक निवेश माना गया है। 9वीं योजना के अंतिम वर्ष में शिक्षा क्षेत्र की स्कीमें अनपढ़ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के सभी स्तरों पर शिक्षा की

गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन दो शिक्षा विभागों और योजना आयोग द्वारा अनेक कदम उठाए गए थे जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया है, एक स्थान पर मिलाया गया है। एक बड़ी पहल सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिक शिक्षा की स्कीमें साकल्यवादी तरीके से कार्यान्वित की जाती हैं।

प्राथमिक शिक्षा

2. 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण (यूईई) प्राप्त करने की कल्पना की गई है जिसका अर्थ है सर्वव्यापी पहुंच, सर्वव्यापी प्रतिधारण और सर्वव्यापी उपलब्धि। यद्यपि लक्ष्य प्राप्ति में काफी प्रगति हुई है, किन्तु नौवीं योजना के अंत तक यूईई प्राप्त करने के लिए और जोरदार तथा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

3. अनेक प्रयास करने के बाद, भारत ने प्राथमिक शिक्षा में संस्थानों, अध्यापकों और छात्रों की संख्या की दृष्टि से भारी प्रगति की है। देश में स्कूलों की संख्या 1950-51 में 2,31,000 से बढ़कर 1998-99 में 9,30,000 अर्थात् चार गुणा हो गई जबकि प्राथमिक चक्र में स्कूलों में बच्चों का प्रवेश 1.92 करोड़ से बढ़कर 11.00 करोड़ अर्थात् छः गुणा हो गया। प्रवर प्राथमिक अवस्था पर इस अवधि के दौरान प्रवेश में 13 गुणा वृद्धि हुई जबकि लड़कियों के प्रवेश में 32 गुणा भारी वृद्धि हुई। प्राथमिक अवस्था पर सकल प्रवेश दर (जीईआर) में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। विद्यालयों तक पहुंच अब बड़ी समस्या नहीं रही है। प्राथमिक अवस्था पर देश की 94 प्रतिशत ग्रामीण जनता को 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल जाने की सुविधा प्राप्त है और प्रवर प्राथमिक अवस्था पर 84 प्रतिशत ग्रामीण जनता को 3 किलोमीटर के भीतर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4. देश ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। परन्तु 9वीं योजना के अंतिम वर्ष में, हमें यूईई का लक्ष्य अभी भी प्राप्त करना है। 6-14 वर्ष के आयु समूह में 20 करोड़ बच्चों में से 4.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की दर, शिक्षा प्राप्ति के निम्न स्तरों तथा लड़कियों, जनजातीय और अन्य असुविधाग्रस्त समूहों से संबंधित समस्याएं हैं। अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तियां हैं जहां एक किलोमीटर के भीतर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ-साथ स्कूलों की अपर्याप्त आधारिक संरचना, अध्यापकों की उच्च अनुपस्थिति, अध्यापकों की बड़ी संख्या में रिक्तियां, शिक्षा का घटिया स्तर और अपर्याप्त निधियों जैसे कई क्रमबद्ध मसले भी हैं।

5. इन्हीं खाइयों को पाटने के लिए सरकार ने राज्यों के साथ एक समयबद्ध एकीकृत भागीदारी में यूईई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य 2010 तक 6-4 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को लाभदायक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। एस एस ए सभी मौजूदा ईई कार्यक्रमों को पूर्णतया अपने समग्र ढांचे में शामिल करेगा जिला, कार्यक्रम कार्यान्वयन की एक इकाई के रूप में होगा। एसएसए सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिशन पद्धति पर प्रदान करेगा। डीपीईपी, शिक्षा कर्मी, लोकजुम्बिश की विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

6. प्रारंभिक शिक्षा स्कीमों के लिए 3.608.75 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में मार्च, 2001 के अंत तक 3117.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) अध्यापक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसी प्रमुख स्कीमों में खर्च कम हुआ है। परन्तु एमडीएम कार्यक्रम के तहत व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक हो गया। महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की नई प्रस्तावित स्कीम शुरू की जाने वाली है। परन्तु हालैंड से शतप्रतिशत सहायताप्राप्त केन्द्रीय योजना महिला समाख्या कार्यक्रम ने वर्ष के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से किनारे कर दिए समूहों को शिक्षित और सबल बनाना जारी रखा। इस स्कीम के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 35 करोड़ रुपये था जिसमें से 31 मार्च, 2001 तक 23.47 करोड़ रुपये खर्च कर लिए गए हैं। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 11 करोड़ रुपये है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान को समूचे देश में चलाया जाएगा।

वार्षिक योजना 2001-02

7. केन्द्रीय क्षेत्रक में, वार्षिक योजना 2001-02 के लिए प्रारंभिक शिक्षा के वास्ते योजना आयोग ने 3800 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है (कृपया संलग्नक -I देखें)। इसमें बाहरी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल है। जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं (डीईईपी) तैयार करने से संबंधित प्रारंभिक कार्य चल रहा है।

8. बाहरी सहायताप्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार 18 राज्यों में 248 जिलों तक किया गया है। इसका राजस्थान के 9 जिलों, उड़ीसा के 8 जिलों तथा गुजरात के 6 जिलों तक और विस्तार करने के लिए कार्यवाही चल रही है। इस कार्यक्रम से 10,000 नये औपचारिक विद्यालयों की वृद्धि हुई है (15000 और विद्यालय बनाए जा रहे हैं)। डीपीईपी के अधीन आईईडी कार्यक्रम विकलांग बच्चों की शिक्षा की देखभाल करता है। इसी प्रकार 53 हजार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसमें 18 लाख बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है [जिसे अब शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई) कहते हैं।]

प्रौढ शिक्षा

9. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 9वीं योजना में प्रौढ साक्षरता के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जारी रखा है। देश में कुल 588 जिलों में से 559 जिले साक्षरता अभियानों के अंतर्गत लाभान्वित किए गए हैं, पूर्ण साक्षरता अभियान 172 जिलों में चल रहा है, साक्षरतोत्तर अभियान 292 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और निरंतर शिक्षा कार्यक्रम 95 जिलों में शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2005 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना है अर्थात चिर - स्थायी 75 प्रतिशत का प्रारंभिक स्तर। 2001 की जनगणना परिणामों ने साक्षरता और विशेषकर महिला साक्षरता के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार दर्शाए हैं।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

10. वर्ष 2000-01 में प्रौढ़ साक्षरता की स्कीमों के लिए 120 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इसकी तुलना में वित्त वर्ष की समाप्ति तक 108.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यद्यपि पूर्ण साक्षरता अभियानों ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया किन्तु बहुत से मामलों में राजनीतिक इच्छा की कमी, प्राकृतिक आपदाओं, कलेक्टरों के लगातार तबादलों के कारण ये अभियान रुक गए। 9वीं योजना के दौरान रुकी हुई परियोजनाओं को बहाल करने में प्राथमिकता दी गई है। इसका अर्थ मौके पर (फील्ड) वास्तविकताओं का निर्धारण करना, कारगर कार्यनीतियां तैयार करना और कार्यक्रम को वापस पट्टी पर लाना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जिले में शिक्षाओं की विशिष्ट / अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साक्षरता कार्यक्रम डिजाइन / कार्यान्वित करने में जिला साक्षरता मिशनों तथा जिला साक्षरता समितियों को अधिक शक्तियां प्रदान की है और लचीलेपन तथा अभिनवीकरण के लिए प्रोत्साहित किया है। टीएलसी तथा पीएलसी अब एक परियोजना के रूप में माना जा रहा है जिससे एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक सुचारु ढंग से पहुंचा जा सकेगा। प्रौढ़ साक्षरता स्कीमों की वित्तीय सहायता के मापदण्ड वर्ष 2000 में बढ़ा दिए गए हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निधियन अनुपात 2:1 है जिसमें जनजातीय उपयोजना एक अपवाद है जहां यह अनुपात 4:1 है। इस वर्ष के दौरान, अतिरिक्त जिलों को साक्षरता अभियानों के अंतर्गत लाया गया और नव साक्षरों को आजीवन शिक्षा तथा व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर शिक्षा केन्द्र (सीई) तथा नोडल निरंतर शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए। इस समय 95 जिलों में 67,800 सी ई तथा 8,500 एनसीईसी से अधिक केन्द्र मंजूर किए जा चुके हैं।

11. एनएलएम, पंचायत स्तर पर जन प्रतिनिधियों तथा उद्योगों और निगमित गृहों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। जन शिक्षण संस्थान 225 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं जोकि ग्रामीण लोगों के हैंड पम्प मरम्मत, ट्रैक्टर मरम्मत आदि जैसे संगत पाठ्यक्रम प्रदान करके उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में 50 नये जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की कल्पना की गई थी। इनमें से 33 संस्थानों को मंजूरी दी जा चुकी है। पिछले वर्ष में 1,20,739 व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। ये जेएसएस ज्यादातर गैर-सरकारी संस्थाओं के तत्वावधान में स्थापित किए गए हैं।

वार्षिक योजना 2001-02

12. इस वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा स्कीमों के लिए 200 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। इस परिव्यय का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा साक्षरता अभियानों, जन शिक्षण संस्थानों और निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए है।

माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

13. वर्ष 2000-01 के दौरान माध्यमिक शिक्षा स्कीमों के लिए 600 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए जिसमें 544.08 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस परिव्यय की 60 प्रतिशत से अधिक राशि सर्वोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों के लिए आबंटित की गई थी।

14. अक्टूबर 2000 में एनसीईआरटी ने सरकार को अपने द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा ढांचा प्रस्तुत किया। यह ढांचा सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। इस वर्ष के दौरान, स्कूल प्रणाली में विस्तृत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों, पर्यावरण दिशा-अनुकूलन, योग और विज्ञान संवर्धन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) स्कीम को फिर से चलाने का निर्णय किया। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कुल 16 मिलियन बच्चों में से अपंगताओं से युक्त केवल 2 प्रतिशत बच्चों ने स्कूलों में प्रवेश लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत स्कूल व्यवस्थाओं में बच्चों को शिक्षित करने के लिए दृष्टिकोण बदलने, शिक्षकों में क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समितियों ने शैक्षिक सुधार जारी रखे। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ईसीजी, एक्सरे और आडियोमीटरी तकनीशियन पाठ्यक्रम, मिष्ठान्न तथा खान-पान प्रबंध, खाद्य परिरक्षण आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एक नयी पाठ्यचर्चा विकसित की गई है। मूल्यपरक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है जो मूल्यपरक सामग्री के लिए राष्ट्रीय कोषागार के रूप में कार्य करेगा। कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से गुण विकसित करने के लिए अध्यापकों के लिए सामग्री तैयार की गई है।

वार्षिक योजना 2001-02

15. 2001-02 के दौरान माध्यमिक शिक्षा स्कीमों के लिए 648.60 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें से लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् 349.50 करोड़ रुपये नवोदय विद्यालयों के लिए हैं। सरकार ने संशोधित "क्लास" स्कीम के लिए 84.50 लाख रुपये आबंटित किए हैं जो कि 1.4.2000 से चालू हो गई है। शेष परिव्यय माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षाकृत छोटी स्कीमों / संस्थानों में वितरित किया गया है।

उच्चतर शिक्षा

16. हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व में उच्चतर शिक्षा की महानतम प्रणालियों में से एक है जिसमें समूचे देश में फैले 234 विश्वविद्यालय / समविश्वविद्यालय और 11000 से अधिक महाविद्यालय हैं। इनमें से, 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

17. नौवीं योजना में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों / नीति-निर्देशों तथा उसकी कार्रवाई योजना को दोहराया गया है। मोटे तौर पर 9वीं योजना निम्नलिखित कार्यनीतियों पर बल देती है जिनसे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा: संस्थानों का समेकन और विस्तार महाविद्यालयों तथा विभागों का विकास पाठ्यक्रमों को नया रूप दिया जाएगा, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ बनाया जाएगा, कार्यकुशलता, समीक्षा और मानीटरिंग आदि में सुधार होगा।

18. उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। रोजगार की संभावना वाले नये पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। मौजूदा पाठ्यक्रमों / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को और अधिक संगत बनाने के लिए पाठ्यचर्या में परिवर्तन किए गए हैं। सेवारत / नवनि्युक्त प्राध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, यूजीसी ने 50 शैक्षणिक स्टाफ कालेज स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की ओर अधिक ध्यान दे रही है। अभी तक यूजीसी द्वारा 119 महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। यह आयोग और अधिक नेटवर्किंग तथा परिवर्द्धित अनुसंधान की ओर भी ध्यान दे रहा है। यूजीसी द्वारा आठ अंतरविश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

19. वर्ष 2000-01 के दौरान 501.85 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के लिए आबंटित किए गए थे। इसमें से 435 करोड़ रुपये यूजीसी को तथा 42 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को आबंटित किए गए थे। 501.85 करोड़ रुपये में से 31 मार्च, 2001 तक 497.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

वार्षिक योजना 2001-02

20. चालू वर्ष में 575.00 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आबंटित किए गए हैं जो कि पिछले वर्ष के आबंटन की तुलना में कुछ अधिक हैं।

21. इस वर्ष के दौरान, उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए और अधिक कालेज खोलने के लिए कदम उठाए गए हैं। हमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रवेश बढ़ाना होगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं जैसे असुविधाग्रस्त वर्गों के प्रवेश में भी वृद्धि करनी होगी। मुक्त विश्वविद्यालयों की व्याप्ति पिछड़े क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी तथा कुछ पूर्वी राज्यों के दूरस्थ-दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय "इग्नू" के अतिरिक्त 9 राज्य मुक्तविश्वविद्यालय तथा पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 52 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान / दूरस्थ शिक्षा निदेशालय हैं।

तकनीकी शिक्षा

22. देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर योजना, फार्मेसी तथा अनुप्रयुक्त कलाएं और शिल्पों में पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम आते हैं।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

23. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुमोदन से देश भर में बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालेज तथा अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए और यह कार्य मुख्यतः निजी पहलकदमियां जुटा कर किया गया। पहले की तरह आईआईटी, आईआईएम, आरईसी, आईआई विज्ञान, बंगलौर जैसे राष्ट्रीय महत्त्व / उत्कृष्ट संस्थानों तथा आईएसएम, एसपीए, एनआईएफएसटी,

एनआईटीआईई, आईआईआईटीएम, टीटीटीआई, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्डों, एनईआरआईएसटी, एसएलआईईटी आदि जैसे अन्य केन्द्रीय संस्थानों ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ताप्राप्त जन-शक्ति उपलब्ध करने के लिए अनुदेशात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया। गुवाहाटी स्थित नये आईआईटी तथा कालीकट और इंदौर में नये आईआईएम, ग्वालियर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान तथा आईआईआईटी इलाहाबाद ने अपने क्रियाकलापों की गति इस प्रकार बढ़ाई है कि वे अब पूर्ण रूप से कार्य करने लगे हैं। केन्द्रीय स्तर पर अन्य स्कीमों को सुदृढ़ बनाना जारी रखा गया जिनमें शामिल हैं- प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं), तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता; सामुदायिक पालिटेक्नीक, पालिटेक्निक शिक्षा के सुधार के लिए विश्वबैंक परियोजना तथा अपंग व्यक्तियों के लिए पालिटेक्निक।

24. देश में तकनीशियन शिक्षा को सुदृढ़ बनाने और पालिटेक्निक संस्थानों से पास होकर निकले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निजी क्षेत्र की एक परियोजना के जरिए दो चरणों में विश्वबैंक की सहायता से जबरदस्त प्रयास किए गए और इसके अंतर्गत 17 राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों को लिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए लाभ बनाए रखने के लिए और शेष बचे राज्यों को शामिल करने के लिए सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों को शामिल करने के लिए एक अन्य परियोजना तैयार की है। इसके लिए निधियां प्रदान करने के मार्गों का पता लगाया जा रहा है।

25. सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम में तकनीकी शिक्षा में की गई तकनीकी-आर्थिक प्रगतियों और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को ग्रामीण लोगों तक पहुंचा कर भारी योगदान करना जारी रखा।

26. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में शारीरिक दृष्टि से अपंग लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से मौजूदा पालिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन करने के लिए पहले से चल रही स्कीम का कार्यान्वयन जारी रखा गया। माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग ने 50 मौजूद पालिटेक्निक संस्थानों की पहचान की है जिन्हें उन्नत किया जाना है। अपंगताग्रस्त छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष 2000-01 में 12 पालिटेक्निकों में शुरू कर दी गई है।

27. ऐसी परियोजनाओं / क्षेत्रों पर निर्णय करने के लिए योजना आयोग में एक बैठक बुलाई गई जिन्हें प्रौद्योगिकी विकास मिशनों (टीडीएम) के दूसरे चरण के दौरान शुरू किया जाना है। इस बैठक में टीडीएम के प्रथम चरण की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। चरण-1 के विभिन्न मिशनों के तहत विकसित की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियां उद्योग को स्थानांतरित कर दी गई हैं।

28. वर्ष 2000-01 के दौरान, तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जिसमें से 494 करोड़ रुपये खर्च किए गए। परिव्यय का बड़ा हिस्सा आईआईटी के विकास तथा एआईसीटीई के लिए है।

वार्षिक योजना 2001-02

29. चालू वर्ष के लिए तकनीक शिक्षा क्षेत्र के लिए 575 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष की तरह परिव्यय का बहुत बड़ा भाग आईआईटी तथा एआईसीटीई के लिए है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मानवशक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक पहलकदमियां की गई हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर आईटी में मानव संसाधन विकास के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की कल्पना की गई है। जहां कहीं भी संभव हो तकनीकी संस्थानों को आईआईटी स्तर तक उन्नत करने के समग्र नीतिगत दृष्टिकोण के अनुरूप, रूड़की विश्वविद्यालय को एक आईआईटी में परिवर्तित किया जा रहा है।

भाषाओं का प्रोन्नयन

30. क्योंकि भाषा संचार और शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम होती है, इसलिए इसके उन्नयन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्रवाई योजना में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अतः हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य 17 भाषाओं के उन्नयन और विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया है।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

31. शिक्षा विभाग ने हिन्दीभाषी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी स्कीम का कार्यान्वयन जारी रखा। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने द्विभाषी और बहु-भाषी शब्दकोश तैयार करने का अपना काम जारी रखा। मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान ने अध्यापकों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषाओं, भाषा शिक्षा शास्त्र तथा भाषा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने में एक प्रभावी भूमिका निभाई।

32. वर्ष के दौरान, उर्दू भाषा के संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद और सिंधी भाषा के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद ने उर्दू तथा सिंधी भाषा के संवर्द्धन के लिए काम करना जारी रखा।

33. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, आधुनिक भारतीय भाषाओं (हिन्दी के अतिरिक्त) के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की समीक्षा कर रहा है। यह स्कीम 8 वीं योजना में शुरू की गई थी। परन्तु राज्यों से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम पिछले वर्ष भी जारी रही। इस स्कीम के तहत प्रख्यात संस्कृत विद्वानों के क्रियाकलापों और संस्कृत पाठशालाओं में आधुनिक विषयों को संस्कृत में पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

34. वर्ष 2000-01 के दौरान भाषाओं के प्रोन्नयन के लिए 75 करोड़ अनुमोदित किए गए जिसमें से 73 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

वार्षिक योजना 2001-02

35. चालू वर्ष के दौरान भाषाओं की स्कीमों के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इसका एक बड़ा भाग संस्कृत प्रभाग और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जैसे संस्थानों के लिए है। यह संस्थान माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जोकि संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए शीर्षस्थ निकाय है। यह संस्थान संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता प्रदान करता है। इन दो सम-विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति भी संस्कृत का संवर्द्धन करते हैं।

36. इस वर्ष, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन और विकास में मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार निकाय भारतीय भाषा संवर्द्धन परिषद की स्थापना की गई है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के प्रोन्नयन और विकास के लिए मार्ग-दर्शन करेगी।

छात्रवृत्तियां

37. मैट्रिक पश्चात हिन्दी में अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों से छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की स्कीमें, मैट्रिक पश्चात अध्ययनों के लिए होशियार किन्तु निर्धन छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक अवस्था पर छात्रवृत्ति की स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र-प्रशासनों के माध्यम से जारी है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम

38. यह स्कीम 1961-62 से चल रही है। इस स्कीम के तहत मैट्रिक पश्चात अध्ययनों के लिए योग्यता एवं साधनों के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दरें दिवा-विद्वानों के लिए 60 रुपये प्रतिमास से लेकर 120 रुपये प्रतिमास के बीच भिन्न-भिन्न हैं और छात्रावास में रहने वालों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 100 रुपये प्रतिमास से लेकर 300 रुपये प्रतिमास तक भिन्न-भिन्न हैं। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए माता-पिता की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है।

39. ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक अवस्था पर छात्रवृत्तियों की स्कीम राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्ति का वितरण प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्ति मिडिल स्कूल अवस्था की समाप्ति पर दी जाती है। छात्रों का चयन राज्य सरकार द्वारा एससीईआरटी की सहायता से किया जाता है। छात्रवृत्ति की दर 30 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिमास तक भिन्न-भिन्न है जो कि अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है।

40. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आदि के अंतर्गत विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां / अध्येतावृत्तियां विदेशों द्वारा भी दी जा रही हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, चीन, जापान, जर्मनी, मेक्सिको, इस्राइल, आयरलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लाविया, यू.के., कनाडा और न्यूजीलैंड सरकारों को विद्वानों के 73 नामांकन भेजे गए।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

41. 2.40 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में केवल 0.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

वार्षिक योजना 2001-02

42. उपर्युक्त दो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए 3 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

पुस्तक संवर्द्धन और कापीराइट

2000-01 की समीक्षा

43. शिक्षा विभाग के पुस्तक संवर्द्धन सम्बन्धी क्रियाकलाप ज्यादातर नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से किए जाते हैं। इस ट्रस्ट ने लोगों में पढ़ने की आदत डालने के लिए अनेक पुस्तक मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

44. देश में कापीराइट कानून को सुदृढ़ बनाने और लागू करने के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाना जारी रखा। उसने कापीराइट सुरक्षा को उन देशों के राष्ट्रियों की कृतियों, जिन्होंने 1999 में आदेश के प्रकाशित होने से लेकर कापीराइट संधियों का आदर किया है, तक बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश में एक आशोधन भी प्रकाशित किया। कापीराइट कार्यालय ने 1999-2000 के दौरान 3207 कृतियों का पंजीकरण किया। एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने दिसम्बर 2000 में जिनेवा में वर्ल्ड इंटिलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गनाइजेशन (वीपी) द्वारा प्रायोजित दृश्य-श्रव्य प्रदर्शनों की सुरक्षा पर राजनयिक सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

45. इस विभाग ने दो नई समितियां गठित की हैं जिनमें से एक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुस्तक प्रकाश उद्योग के विकास से संबंधित है तथा दूसरी शैक्षिक पुस्तकालय स्थापित करने के बारे में हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान पुस्तक संवर्द्धन और कापीराइट स्कीमों के लिए 8.81 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे जिसमें केवल 3.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

वार्षिक योजना 2001-02

46. नेशनल एजेंसी फार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग (आईएसबीएन) सिस्टम ने भारतीय प्रकाशकों को आईएसबी नंबर आबंटित करना जारी रखा और इसके साथ-साथ आईएसबीएन को लोकप्रिय बनाने के लिए पुस्तक मेले और प्रदर्शनियां आयोजित की और उनमें भाग लिया।

47. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए पुस्तक संवर्द्धन तथा कापीराइट के लिए 12 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं जिसमें से 7.70 करोड़ रुपये एक बड़ा हिस्सा नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान के रूप में आबंटित किया गया है।

आयोजना, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

48. राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) जोकि शैक्षिक योजनाकार के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और राष्ट्रीय, राज्य तथा संस्थानस्तरीय निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को परामर्शी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना जारी रखा।

49. सरकारी नीति के अनुसरण में, शिक्षा विभाग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में व्यय को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए योजना बजट के 10 प्रतिशत आबंटन के मानदण्ड के संदर्भ में अपने योजनागत बजट के 15 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ोतरी करने में सफल हुआ।

50. मंत्रालय के योजना और मानीटरिंग प्रभाग ने शैक्षणिक सांख्यिकी पर डाटा का संकलन, विश्लेषण और प्रकाशन कार्य जारी रखा।

51. कार्यक्रमों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान के समन्वय और मानीटरिंग को सहज बनाने के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में एक अलग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कक्ष स्थापित किया गया है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग अपने सचिवालय को माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग में रख कर यूनेस्को के कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करने में योगदान करता आया है।

52. 15 करोड़ रुपये परिव्यय की तुलना में इस वर्ष के दौरान योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्कीमों पर केवल 6.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जिस भारत शिक्षा कोष निकाय को सरकारी अंशदान के रूप में एक करोड़ रुपये " अक्षय निधि " आबंटित की गई थी उसे चालू नहीं किया जा सका।

वार्षिक योजना 2001-02

53. चालू वर्ष के दौरान योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्कीमों के लिए 7 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसमें से 2 करोड़ रुपये " नीपा " के लिए हैं। भारत शिक्षा कोष को वर्तमान वर्ष से चालू किया जाएगा। चालू वर्ष में विभाग का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शैक्षिक आधारिक संरचना के लिए आबंटन में वृद्धि करने के प्रस्ताव है।

संलग्नक 5.3.1

नौवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्रक में शिक्षा विभाग की स्कीम का परिव्यय तथा व्यय

(रुपये करोड़ों में)

क्रम.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम	नौवीं योजना (1997-02) अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय (1999-2000)	अनुमोदित परिव्यय 2000-01	प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय 2001-02
1	2	3	4	5	6	7
ए.1	प्रारम्भिक शिक्षा	16369.59	2851.97	3608.75	3117.39	3800.00
2	प्रौढ़ शिक्षा	630.39	87.08	120.00	108.16	200.00
	योग (ए)	16999.98	2939.05	3728.75	3225.55	4000.00
बी.1	माध्यमिक शिक्षा	2603.49	484.83	600.00	554.08	648.00
2	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	2500.00	461.91	501.85	497.55	575.00
3	भाषा विकास	324.45	60.48	75.00	73.00	100.00
4	छात्रवृत्ति	25.32	1.04	2.40	0.65	3.00
5	पुस्तक विकास	16.25	3.03	8.81	3.51	12.00
6	योजना और प्रशासन	65.38	4.73	15.00	6.44	7.00
7	तकनीकी शिक्षा	2373.51	473.13	500.00	494.00	575.00
	योग (बी)	7908.40	2489.15	1703.06	1629.23	1920.00
	कुल योग (ए+बी)	24908.38	4428.20	5431.81	4854.78	5920.00

5.4 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

5.4.1 स्वास्थ्य

लोगों की स्वास्थ्य-स्थिति में सुधार करना देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इस उद्देश्य को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण सेवाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में सुधार करके प्राप्त किया जाना है जिसमें जनसंख्या के अल्पसेवित और अल्प सुविधाप्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले पांच दशकों में, भारत ने सरकारी, स्वैच्छिक तथा निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सुरक्षा में व्यापक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना और मानव-शक्ति का निर्माण किया है। लोग रोगों की रोकथाम, शीघ्र निदान और प्रभावी उपचार तथा अनेक प्रकार के रोगों के लिए ठीक होने और उपलब्ध सेवाओं तक पहुंच के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रौद्योगिकियों के लाभों के प्रति जागरूक हो गए हैं। उन्नति और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में सुधारों, जो अपेक्षाकृत मंहगे नहीं हैं और जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है, के परिणामस्वरूप 1950 और 1990 के बीच मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच की सीमा और उपयोग में राज्यों, जिलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भारी अंतर है। यही तथ्य काफी हद तक विभिन्न राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य लक्षणों में भारी अंतर के लिए उत्तरदायी है।

2. नब्बे के दशक के दौरान मृत्यु दरों में स्थिरता हुई, देश दोहरे रोग बोझ के युग में प्रवेश कर गया। एक ओर संक्रामक रोग थे, जिनका वेक्टरों में कीटनाशकों के प्रतिरोध, कई प्रकार के बैक्टेरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोध और उपचारहीन एचआईवी जैसी नई बीमारियां उभरने के कारण सामना करना अधिक कठिन हो गया, दूसरी ओर बढ़ती हुई दीर्घ आयु और जीवन शैली में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप असंक्रामक रोगों की व्याप्ति में वृद्धि हुई है। अल्पपोषण तथा सूक्ष्म पोषक कमियां और इनसे संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं साथ-साथ चल रही हैं जिनमें मोटापे तथा जीवन शैली से संबंधित असंक्रामक रोगों की व्याप्ति में वृद्धि हो रही है। इससे पहले युग के विपरीत, निदान और उपचार की प्रौद्योगिकियां उत्तरोत्तर अधिक जटिल होती जा रही हैं और मंहगी भी हैं जो

किसी व्यक्ति, संस्थान या देश द्वारा प्रायः बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे ही देश जनसांख्यिकीय और महामारी संक्रमण काल से गुजरता है तो इस बात की संभावना रहती है कि वर्तमान स्वास्थ्य-स्थिति को बनाए रखने के लिए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक निवेश करना पड़ेगा। प्रतिरोधक संक्रमणों और असंक्रामक रोगों का समाधान सुरक्षा करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप सुरक्षा लागतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

3. स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं द्वारा झेली जा रही वर्तमान समस्याओं में शामिल हैं

- सरकारी क्षेत्रक में मानवशक्ति और आधारिक संरचना में लगातार अंतर, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्तर, दूरस्थ ग्रामीण, जनजातीय और शहरी गंदी बस्तियों वाले क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की सबसे अधिक जरूरत है।
- आधारिक संरचना का उप-अनुकूलतम स्तर पर कार्य करना; रोगियों के बेहतर उपचार के लिए आगे भेजने की घटिया सेवाएं।
- सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्र में ऐसे अस्पतालों की भरमार जिनके पास उचित मानवशक्ति, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाएं तथा औषधियां उपलब्ध नहीं हैं।
- कार्यनिष्पादन में भारी अंतरराज्य / अंतरजिला / शहरी-ग्रामीण अंतर जैसाकि स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी सूचक निर्धारित करते हैं; सेवाओं की उपलब्धता तथा उपयोग सबसे अधिक जरूरतमंद राज्यों / जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे घटिया हैं।
- उप-अनुकूलतम अंतरक्षेत्रक समन्वय।
- चल रहे जनसांख्यिकीय, जीवनशैली और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों का बढ़ता हुआ दोहरा रोग बोझ।
- प्रौद्योगिकी उन्नतियां जो संभावित हस्तक्षेपों के क्षेत्र को व्यापक बनाती हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रति लोगों की बढ़ती हुई जागरूकता और अपेक्षाएं।
- स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के बारे में लोगों की बढ़ती हुई लागतें, क्या संभव है और कोई व्यक्ति या देश क्या बर्दाश्त कर सकता है इनके बीच लगातार बढ़ते हुए अन्तर।

4. नौवीं योजना में स्वास्थ्य प्रणाली सुधार

नौवीं योजना में निम्नलिखित आवश्यकता पर जोर दिया गया

- सार्वजनिक, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायकों और बदलते हुए स्वास्थ्य परिदृश्य के प्रति स्वयं लोगों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं को पुर्नगठित करना ताकि वे कुशल और कारगर बन सकें।
- स्वास्थ्य सिस्टम में सुधार शुरू करना ताकि लोग उचित लागत पर अधिकतम स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर सकें।

5. स्वास्थ्य प्रणाली में प्रस्तावित सुधार मोटे तौर पर दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं- संरचनात्मक और कार्यात्मक। यह कल्पना की गई कि स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधारों में सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाएगा।

संरचनात्मक सुधार

6. स्वास्थ्य प्रणाली निम्नलिखित से गठित होती है:

- प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सुरक्षा संस्थान जिनमें चिकित्सीय तथा अर्ध-चिकित्सीय कार्मिक कार्य करते हों।
- आवश्यक मानवशक्ति और अपेक्षित शैक्षणिक निवेश प्रदान करने वाले चिकित्सा महाविद्यालय और अर्धव्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।
- केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों को प्रबंधित करने वाले कार्यक्रम प्रबंधक; और
- आंकड़ों के संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और इनके प्रति प्रतिक्रिया की दोतरफा प्रणाली को लेकर निर्मित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली।

7. नीतिनिर्माता और लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिली-जुली स्वास्थ्य प्रणाली, एक अनिवार्य पूर्वावश्यकता है और कार्यात्मक अन्तर्संबन्धों के साथ देश में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली अभी तक पूरी तरह से नहीं चल पाई है। एक अन्य समस्या मन बनाने की है; स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले और आम लोग- दोनों अभी भी प्रणालियों तक पहुंचने के बारे में एक व्यक्ति से एक का सम्बन्ध बेहतर महसूस करते हैं। मौजूदा प्रणाली में निम्नलिखित कारणों से संस्थानों तथा मानवशक्ति असमान्य वितरण है और इसकी कार्यात्मक स्थिति भी खराब है:

- कार्मिकों और आधारिक संरचना के बीच ठीक तालमेल न होना।
- कर्मिकों का अभिविन्यास और कौशल उन्नयन ताकि वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें।
- उपयुक्त कार्यात्मक प्रेषण प्रणाली का अभाव

नौवीं योजना में स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी तत्त्वों के पुनर्गठन तथा पुनर्रचना की कल्पना की गई है ताकि वे बहुव्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणाली के अभिन्न तत्त्वों के रूप में कार्य कर सकें।

8. प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की आधारिक संरचना जनता और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वालों के बीच सर्म्पक का प्रथम स्तर उपलब्ध करती है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की आधारिक संरचना के महत्त्व को महसूस करते हुए राज्यों, केन्द्र और कई एजेंसियों ने एक साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा आधारिक संरचना तथा मानवशक्ति सृजित करना आरम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में आधारिक संरचना तथा मानवशक्ति का दोहरा निर्माण हुआ है; इसके बावजूद भी ऐसे अल्पसेवित क्षेत्र हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता बहुत अधिक है।

➤ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा आधारिक संरचना में शामिल हैं:

● उपकेन्द्र 137271

● प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 22975

➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 2935

➤ परिवार कल्याण विभाग 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में कार्मिकों को सहायता देता है और इसने 871 शहरी स्वास्थ्य चौकियां स्थापित की हैं, 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 550 जिला प्रसवोत्तर केन्द्र तथा 1012 उपजिला प्रसवोत्तर केन्द्र स्थापित किए हैं।

➤ आईएसएम एण्ड एच विभाग के अधीन 22,104 औषधालय तथा 2862 अस्पताल हैं।

➤ नगरपालिकाएं शहरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं।

➤ सीजीएचएस केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है।

➤ रेलवे, रक्षा और इसी प्रकार के बड़े विभागों के पास अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिए अस्पताल तथा औषधालय हैं।

➤ सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों तथा बड़े उद्योगों की अपनी-चिकित्सा संरचनाएं हैं।


➤ ईएसआई कर्मचारियों को अस्पताल और औषधालय आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है।

➤ सभी अस्पताल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सुरक्षा वाले, ग्रामीण और शहरी लोगों, को प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं और ऐसा करके उपलब्ध आधारिक संरचना और विशेषज्ञ सेवा का उपयोग करते हैं।

9. इसी प्रकार, भारी संख्या में द्वितीयक तथा तृतीयक सुरक्षा संस्थान और चिकित्सा कालेज अस्पताल संस्थान में आने वाले लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक ही इलाके में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सुरक्षा संस्थानों के बीच कोई सुव्यवस्थित प्रेषण सम्पर्क नहीं हैं। कार्यक्रम प्रबंधक और चिकित्सा कालेज तीनों में से किसी भी स्तर से नहीं जुड़े होते और वे संरचना और कार्य के बीच आर्गेनिक सम्पर्क प्रदान करते हैं (**संगठनात्मक चार्ट -I**)। आपूर्ति और एचएमआईएस का संचार तंत्र अधिकांश राज्यों में कार्य नहीं करता।


10. स्वास्थ्य सेवाओं की व्याप्ति तथा गुणवत्ता में भारी सुधार लाने के लिए नौवीं योजना में मौजूदा आधारिक संरचना का उपयुक्त पुनर्गठन तथा पुनर्रचना का प्रस्ताव किया गया ताकि उन्हें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया जा सके। इसी प्रकार उपयुक्त पुर्नाभिविन्यास द्वारा मानवशक्ति सम्बन्धी अधिकांश समस्याएं हल की जा सकती हैं। प्रस्तावित पुनर्गठन और सम्पर्क **संगठनात्मक चार्ट -II** में दिए गए हैं।

संगठनात्मक चार्ट - I
स्वास्थ्य आधारिक तंत्र की मौजूदा स्थिति



संगठनात्मक चार्ट -II

पुर्नगठन और नौवीं योजना में प्रस्तावित संयोजन



11. कार्यात्मक सुधार

नौवीं योजना में कल्पना की गई थी कि एक सुपरिभाषित श्रेणीबद्ध संस्था और कार्यात्मक प्रेषण सम्पर्कों के साथ एक स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करके कार्यकुशलता में सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य प्रणाली में कार्मिक एक बहु-व्यावसायिक दल के रूप में कार्य करेंगे और अपनी हैसियत, कौशलों तथा सुरक्षा-स्तर के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अंतिम कड़ी समुदाय आधारित संयोजक कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाएगी, जो लोगों तथा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यकर्ताओं के बीच सम्पर्क के रूप में कार्य करता है और उपलब्ध

सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करता है। पीआरआई योजना बनाने में भाग लेगा और कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग में सहायता करेगा। जबकि कई राज्य, ग्राम स्तरीय कर्मकारों और पीआरआई की सहभागिता के साथ प्रयोग कर रहे हैं, किन्तु प्रेषण सम्पर्कों (लिंगेज) के साथ प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सरकारी क्षेत्र में भी चालू नहीं हो पाई है। फिलहाल विभिन्न स्तरों के संस्थानों में उपयुक्त " गेटकीपरों " के साथ कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रेषण (रेफरल) प्रणाली मौजूद नहीं है। एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में संस्थान भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और वे समन्वित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भोर समिति की रिपोर्ट से लेकर सभी नीतिगत दस्तावेज सुपरिभाषित श्रेणीबद्ध संस्था के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली की वकालत करते हैं, तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि न तो स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले और न ही आम लोग ऐसी प्रणाली की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आम समझ अभी भी एक अलग डाक्टर के बीच एक से दूसरे व्यक्ति के सम्बन्धों की है जो कि अलग-अलग रोगियों की आवश्यकताओं को देखता है। नौवीं योजना में कार्यात्मक सुधारों की तीन श्रेणियों का सुझाव दिया गया था।

12. कार्यकुशलता से संबंधित

- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सुरक्षा स्तरों पर आईएसएम एण्ड एच सेवाएं प्रदान करने के लिए आधारीक संरचना सहित मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा आधारीक संरचना का पुनर्गठन तथा पुनर्रचना, ताकि एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी उन पर आ जाए और उनका एक दूसरे के साथ उपयुक्त प्रेषण सम्पर्क हो।
- मानव संसाधन विकास बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुरक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करेंगे-पर्याप्त संख्या में और उपयुक्त कौशलों तथा रवैयों के साथ।
- सीएमई तथा मौजूदा मानवशक्ति पुनर्तैनाती द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वालों का कौशल उन्नयन ताकि वे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सुरक्षा स्तरों पर मौजूदा और उभरती हुई स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रख सकें।
- आपूर्तियों, मानीटरिंग, आईईसी, प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं सहित चालू उर्ध्वधर कार्य का समस्तरीय एकीकरण; राज्य तथा जिला स्तरों पर एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी का गठन।
- पूरी तरह से काम करने वाली एकदम सही रिपोर्टिंग प्रणाली, जो मौजूदा आधारीक संरचना के भीतर जन्म, मृत्यु तथा रोगों पर डाटा और सर्विस चैनलों के माध्यम से चल रहे कार्यक्रमों से संबंधित डाटा प्रदान करती है; इन रिपोर्टों की मानीटरिंग और मूल्यांकन और उपयुक्त मध्यवर्ती सुधार जिला स्तर पर किया जाएगा।
- मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के भीतर और उनके एक भाग के रूप में जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोग चौकसी और प्रतिक्रिया की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना।
- आवश्यकता और उपयोग पर आधारित औषधियों, टीकों और उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कुशल और प्रभावी संभारतंत्र प्रणाली स्थापित करना।

13. संसाधनों से संबंधित

- लोगों के भुगतान करने के समर्थ्य पर नहीं अपितु उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें बिल्कुल मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, आपातकालीन जीवनरक्षी सेवाएं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत सेवाएं तथा राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता।

- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार लगाने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करना, उन्हें आजमाना तथा कार्यान्वित करना; सुरक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थानिक रूप से संग्रहित निधियों का उपयोग।
- सरकारी निधियांप्राप्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम और विशेष रूप से भारी विदेशी सहायता वाले चालू कार्यक्रमों की पोषणीयता। सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था तैयार और कार्यान्वित करना।
- सुरक्षा के विभिन्न स्तरों में बड़ी और छोटी बीमारी के लिए निदान और उपचार क्रियाविधियों की लागत परिकलित करना और सुरक्षा मानदण्डों की लागत तय करना।

14. संचालन सम्बन्धी

- अर्दृताप्राप्त कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताएं, विशेष हस्तक्षेपी कार्रवाई करने के लिए शर्तें निर्धारित करने और गुणवत्ता आश्वासन के लिए स्थापित कार्यविधियां करने के लिए व्यापक विनियमों की रेंज शुरू करना।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सुरक्षा विन्यासों पर विभिन्न रोगों के लिए मानक प्रोटोकॉल तैयार करना सार्वजनिक क्षेत्रक अस्पताल, चिकित्सा, कालेज और व्यावसायिक संस्थाएं इस काम में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
- गुणवत्ता आश्वासन और सुधार व्यवस्था जैसाकि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम और अस्पतालों के लिए नागरिक चार्टर स्थापित किए जाएंगे।
- पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अनुपस्थिति और घटिया कार्यनिष्पादन की समस्याओं का स्थानीय तौर पर समाधान किया जा सके और प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी एक प्रभावी टीम के रूप में कार्य कर सकें।
- पंचायती राज संस्थानों को योजना बनाने और चालू कार्यक्रमों की मानीटरिंग में शामिल करना और सेवाओं के अनुकूलतम उपयोग के लिए समय पर सुधार करना।

15. पिछले चार वर्ष के दौरान, केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों ने नौवीं योजना में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। परन्तु न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किए गए सुधारों / उपायों, में की गई प्रगति और प्राप्त अनुभवों की कोई व्यापक समीक्षा शुरू की है। नौवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय सर्वेक्षण से डाटा (एनएसएसओ 5वां दौर एनएफएचएस I और III) यह सूचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया कि निजी, स्वैच्छिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी निवारक तथा उपचारात्मक सुरक्षा सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है और स्वास्थ्य सुरक्षा लागतें कैसे पूरी की जाती हैं। निष्कर्षों के सम्बन्ध में अनेक प्रकाशन निकाले गए हैं। परन्तु, उपलब्ध आधारिक संरचना, मानवशक्ति तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यनीतियां तैयार करने के लिए इनकी विवक्षाओं की समीक्षा नहीं की गई है। दसवीं योजना तैयार करने के लिए इन दो पहलुओं के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, इसके स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्याय में इन मुद्दों पर विचार किया गया है। अध्याय की लम्बाई सम्बन्धी मानदण्डों का अनुपालन करने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमों के प्रदर्शन की समीक्षा छोड़ दी गई है।

नौवीं योजना अवधि में स्वास्थ्य प्रणाली सुधारों का कार्यान्वयन

राज्य क्षेत्रक

16. स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं में सुधार के वास्ते पर्याप्त निवेश प्रदान करने में कठिनाइयों तथा उपअनुकूलतम कार्यात्मक स्थिति की समस्याओं को देखते हुए लगभग सभी राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य प्रणाली सुधार शुरू किए हैं। सुधार की अंतर्वस्तु तथा सीमा में भारी अंतर है। कुछ राज्यों ने अपने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधार शुरू करने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से बाहरी सहायता प्राप्त की है। लगभग सभी राज्यों ने गरीबी से ऊपर के लोगों से नैदानिक और उपचारात्मक कार्यविधियों के लिए प्रयोक्ता प्रभार शुरू करने का प्रयास किया है और इस प्रकार पैदा की गई निधियों का प्रयोग उस संस्थान में सुरक्षा की गुणवत्ता सुधारने में किया जाता है जहां से ये निधियां प्राप्त की गई हों।

स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं में सुधार करने के लिए पहले से चल रहे स्वास्थ्य सेवा सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपकेन्द्रों /पीएचसी को सुदृढ़ बनाना/ उपयुक्त प्रकार से पुनः स्थान निर्धारित करना जैसाकि तमिलनाडु, गुजरात में।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों/औषधालयों आमेलन, पुर्नरचना, पुनः स्थाननिर्धारण और उन्हें मौजूदा आधारिक संरचना के साथ एकीकृत करना जैसाकि हिमाचल प्रदेश में।
- मौजूदा ब्लाक स्तरीय पीएचसी, तालुक, उपमंडलीय अस्पतालों की पुर्नरचना जैसाकि हिमाचल प्रदेश में।
- मानव शक्ति और सुविधाओं में क्रांतिक खाइयां पाटने के लिए बी एम एस, पीएमजीवाई के लिए एसीए तथा ईएपी से निधियों का उपयोग- सभी राज्य।
- पीएचसी में मानवशक्ति के अंतर दूर करने के लिए अपेक्षित अर्हताप्राप्त डाक्टरों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर तुरंत साक्षात्कार जैसाकि मध्य प्रदेश तथा गुजरात में- इसे सीमित सफलता मिली है।
- मोबाईल स्वास्थ्य क्लिनिकों का प्रयोग उड़ीसा (जनजातीय क्षेत्रों के लिए), दिल्ली (शहरी मलिन बस्तियों के लिए)।
- पीएचसी केन्द्रों को गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपना-कर्नाटक, उड़ीसा। जबकि कर्नाटक में इसकी सफलता की सूचना मिली किन्तु उड़ीसा में गैर-सरकारी संस्थाओं के पास इन संस्थानों को चलाने के लिए संसाधन और योग्यता न होने के कारण इन्हें कुछ समय के बाद सरकार को वापस सौंप दिया गया।
- एमबीबीएस डाक्टरों को शिक्षण संस्थान में 3-6 मास के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण (प्रासूतिक, निश्चेतना विज्ञान, रेडियोलॉजी) और उन्हें एफआरयू विशेषज्ञों के अंतर समाप्त करने के लिए तैनात करना-तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
- औषधियों और उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति के संभार तंत्र में सुधार करना।

17. नौवीं योजना में एक प्रमुख पहल सात राज्यों में विश्वबैंक से वित्तपोषित द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की परियोजना है (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश)। इस परियोजना में रोगियों को उनके निवास के नजदीक आपातकालीन सुरक्षा सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने और जिला तथा तृतीयक सुरक्षा अस्पतालों में अति भीड़-भाड़ को कम करने के लिए एफआरयू / सीएच केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्यों ने निर्माण-कार्य, उपकरणों की प्राप्ति, एम्बुलेन्स

गाड़ियों तथा औषधियों की परिवर्द्धित उपलब्धता; क्लिनिकल प्रबंधन में कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण के बाद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार; स्वास्थ्य कर्मियों / आधारिक संरचना में बेमेलपन में कमी, अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, रोग चौकसी तथा प्रतिक्रिया प्रणाली में प्रगति होने की सूचना दी है। सभी राज्यों ने गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों से नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार शुरू किया है जिसमें उन्हें भिन्न-भिन्न सीमाओं तक सफलता मिली है।

18. तमिलनाडु ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और औषधि आपूर्ति के संभार तंत्र तथा वितरण में सुधार करने के लिए डीएनआईडीए से सहायता प्राप्त की थी। आंध्र प्रदेश ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्वबैंक से सहायता प्राप्त की है। यूरोपियन कमीशन राज्यों द्वारा प्रस्तुत राज्य कार्यान्वयन योजनाओं के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली सुधारों के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। डीएनआईडी ने दो जिलों में स्वास्थ्य प्रणाली सुधारों के लिए उड़ीसा को सहायता प्रदान की है जिसमें औषधि वितरण में सुधार करना भी शामिल है। कुछ बड़े राज्यों द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों के ब्यौरे संक्षेप में आगे के पृष्ठों पर दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश

19. आंध्र प्रदेश में 90 के दशक में जन्म दरों में भारी कमी आई थी और प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाले इसके तीसरा राज्य बन जाने की संभावना है। इस राज्य ने प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सुरक्षा आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए भारी ईएपी निधियां प्राप्त की हैं और व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार करना प्रारंभ कर दिया है। कुछ प्रमुख क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

20. **प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाना**-लगभग 300 करोड़ परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्वास परियोजना के तहत इस परियोजना में भवनों, अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण और आवर्ती व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

21. जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए 8500 जनजातीय आबादियों में से प्रत्येक आबादी में स्थित **सामुदायिक स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मचारों की प्रणाली** स्थापित की गई है। इन सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारों को बीटीडीए द्वारा नियुक्त किया गया है और ये ग्राम स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखेंगे।

22. हैदराबाद के शहरी क्षेत्रों में **20 परिवारों का ध्यान रखने वाले स्वयंसेवक** समुदाय और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इस प्रणाली का विस्तार 73 अन्य नगरपालिकाओं तक किया जाएगा।

23. जिला आधारित भर्ती के जरिए एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों तथा कुछ अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों में **मानवशक्ति के क्रांतिक अंतरों को दूर करना**।

24. उपकेन्द्र, पीए केन्द्रों, सीएच केन्द्रों, सिविल अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने तथा सेवाओं की गुणवत्ता मनीटर करने के लिए जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी समूहों सामाजिक कार्यकर्ताओं, लोकोपकारकों को लेकर **सलाहकार समितियां गठित करना**। सलाहकार समितियों के कार्य इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कार्य-निष्पादन की समीक्षा।
- अंतरंग रोगी और बाहरी रोगी-दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।
- रोगियों की संतुष्टि बढ़ाना, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मानीटर करना।
- अस्पताल के सामान्य रख-रखाव आदि पर नजर रखना।
- अस्पताल में उपस्करों के रख-रखाव पर नजर रखना।
- उपलब्ध आधारीक संरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने पर नजर रखना।
- सुनिश्चित करना कि अस्पताल को जारी की गई निधियों का उचित रूप से उपयोग किया जाता है।
- औषधियों की स्थिति मानीटर करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना।

25. अस्पताल स्तर पर और अधिक स्वायत्तता और जवाबदेही प्रदान कराने के लिए **अस्पताल सलाहकार समितियों** की प्रणाली स्थापित की गई है। उन्हें अस्पतालों के लिए राजस्व जुटाने और अस्पताल स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए योजना बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्य में सभी तृतीयक स्तर के अस्पतालों में अस्पताल विकास समितियां गठित की गई हैं जो कि चिकित्सा शिक्षा निदेशक के अधीन हैं। इस समिति में जिला कलेक्टर, डाक्टर, स्व-सहायता गुप/ गैर-सरकारी संस्थाओं/ सामाजिक कार्यकर्ताओं/ प्रमुख नागरिकों (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) से 3 प्रतिनिधि, 3 एमएलए मेयर/ नगरपालिका अध्यक्ष और अस्पताल का अधीक्षक शामिल हैं। सोसायटी को निम्नलिखित के जरिए संसाधन जुटाने का अधिकार है:

- अलग-अलग व्यक्तियों, लोकोपकारी संस्थाओं या केन्द्रीय क्षेत्रक उपक्रमों अथवा कम्पनियों से नकद और वस्तुओं के रूप में चन्दे।
- पार्किंग सुविधाओं की नीलामी (साइकिल/स्कूटर/कार स्टैंड आदि)।
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए अस्पताल के प्रयोग के लिए शुल्क जिसमें प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का प्रयोजन भी शामिल है।
- भुगतान वाले कक्षों, वार्डों, शल्य चिकित्सा, नैदानिक प्रक्रियाओं, औषधियों, उपभोज्य सामान तथा रक्त की व्यवस्था के लिए प्रभार।
- रद्दी सामग्री आदि की नीलामी।
- समय-समय पर सरकार किसी अन्य स्रोत की अनुमति दे सकती है।

26. इस प्रकार जुटाए गए अस्पताल के राजस्व का उपस्करों की आपातकालीन मरम्मत, भवन के छोटे-मोटे अनुरक्षण कार्य, शौचालयों के रख-रखाव, अस्पताल वार्डों/अस्पताल आहाते की सफाई तथा उपभोज्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

27. विश्वबैंक से सहायताप्राप्त द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणालियां परियोजना के तहत 600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **150 प्रथम प्रेषण इकाइयों (रेफरल यूनिटों) का सुदृढीकरण और उन्नयन**। इस परियोजना में सिविल आधारिक संरचना का सुदृढीकरण, उपस्कर, अतिरिक्त स्टाफ और आवर्ती व्यय के लिए भी प्रावधान है।
28. **सभी सरकारी संस्थानों के लिए औषधियां प्राप्त करने की केन्द्रीकृत प्रणाली चालू कर दी गई है।** गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शुरू कर दिए गए हैं।
29. **गैर-चिकित्सीय सेवाओं का निजीकरण** जैसाकि सभी अस्पतालों में सुरक्षा और सफाई।
30. विशाखापत्तनम और आदिलाबाद जिलों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में **एक प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा केन्द्र (पीएचसी) गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपने की प्रायोगिक परियोजना**। इसके बाद शेष जिलों में प्रत्येक जिले को एक पीएचसी राज्य में विख्यात गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपा जाना है।
31. **निजी क्षेत्र को चिकित्सा और दन्त चिकित्सा कालेज तथा अर्धव्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।** गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चयन की एक पारदर्शी प्रणाली शुरू की गई है।

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

32. 1.4 करोड़ की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ दिल्ली ने स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के जरिए अल्पसेवित शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य-स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। **स्वस्थ शहर पहल** के माध्यम से **अल्पसेवित पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रों** में संयोजित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं
33. दिल्ली सरकार ने क्षेत्र-विशिष्ट औचित्य-स्थापन के प्रथम उपाय के रूप में दिल्ली के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सभी सरकारी **निधियांप्राप्त अस्पतालों / औषधालयों की एक निर्देशिका (डायरेक्टरी) प्रकाशित की है।** अपेक्षाकृत नए अस्पतालों में वहन योग्य मूल्य पर अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता तथा औषधितयों के युक्तियुक्त प्रयोग में सुधार लाने के निमित्त गैर-चिकित्सा सेवाओं का जैसेकि सुरक्षा और सफाई का निजीकरण शुरू किया गया है।
34. **दिल्ली में सभी काय-चिकित्सकों का दिल्ली चिकित्सा परिषद के अधीन पंजीकरण पूरा कर लिया गया है।** अस्पताल संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्ध को द्वितीयक और प्राथमिक सुरक्षा संस्थानों में एक प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र के रूप में लिया गया है। 1998-02 के लिए **बाल अनुकूल शहर कार्य-योजना** तैयार कर ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है।

केरल

35. केरल प्रतिस्थापन स्तरीय जनन-क्षमता प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य था; राज्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों, लैंगिक अनुपात और दीर्घ आयु की तुलना कई विकसित देशों से की जा सकती है। यह राज्य कैंसर सहित असंक्रामक रोगों के कारण रोगों के बढ़ते हुए बोझ से जूझने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधारों में विकेंद्रीकृत योजना, रोग-चौकसी को कड़ा करने और संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

36. राज्य ने नौवीं योजना शुरू होने के साथ ही **विकेंद्रीकृत योजना** शुरू कर दी है। केरल ने **जिला स्तर तक के सभी स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थान निधियों सहित पंचायती राज संस्थानों को सौंप दिए हैं**। इस प्रयोग को अन्य राज्यों पर लागू करने से पहले इस प्रयास में की गई प्रगति और सामने आई समस्याओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

यह राज्य **योजना आयोग से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ जिला अस्पताल परियोजना कार्यान्वित कर रहा है**। सामान्य वार्ड, भुगतान वार्ड तथा भुगतान कक्षों में अंतरंग रोगी सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। सामान्य वार्ड निःशुल्क होगा, भुगतान वार्ड आर्थिक सहायताप्राप्त होगा और भुगतान कक्षों से लागत से अधिक दरें वसूल की जाएंगी। उपचार-स्थान का चयन करना रोगी पर छोड़ दिया गया है। अंतरंग रोगियों के लिए प्रति-आर्थिक इमदाद प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है:

1. 20 प्रतिशत बिस्तर निःशुल्क हैं
2. 20 प्रतिशत बिस्तरों के मामले में, सेवाएं प्रदान करने में आई लागत का कुछ अंश खर्च करना होता है
3. 50 प्रतिशत बिस्तर सभी सेवाओं के लिए लागत मूल्य या इससे कुछ अधिक धन राशि का भुगतान करने के लिए पात्र हैं (इन सेवाओं में शामिल हैं व्यावसायिक समय, नर्सिंग, नैदानिक, उपचारात्मक प्रबंधन, उपभोज्य वस्तुएं, और उपस्कर और भवन अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास आदि)
4. 30 प्रतिशत बिस्तर, बिस्तरों तथा सभी सेवाओं के लिए दुगुनी लागत या इससे अधिक राशि का भुगतान करने पर उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें अनुरोध पर विशेषज्ञ के दौरे के समान कुछ प्रभारित सुविधाएं भी प्राप्त हैं।

37. आशा की जाती है कि उपर्युक्त कार्यनीति आवर्ती लागत को पूरा करेगी और इसके साथ-साथ आधुनिकीकरण जारी रखते हुए अपेक्षाकृत नयी नैदानिक और उपचारात्मक रूपकताएं प्राप्त करने, समय-समय पर रोगियों के लिए भवनों का विस्तार करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक फालतू राशि भी जुटाएगी (जो कि उप समूहों में संबंधित बिस्तरों के प्रयोग पर निर्भर करता है)। आम बीमारियों के लिए लागत निर्धारण परिकल्पित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा की लागत के मानदण्ड उपलब्ध हो सकें। यह परियोजना जिला पंचायत अस्पताल, इडुक्की और नगरनिगम अस्पताल, चेथल्ली में कार्यान्वित की जा रही है।

38. प्रभावी वेक्टर नियंत्रण के लिए केरल सरकार ने सामुदायिक सहभागिता से "मच्छरों की मानीटरिंग और प्रबंधन कार्यक्रम" कोट्टायम, अलापुझा तथा एर्नाकलम में शुरू किया है। इसका विवरण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है।

39. सरकारी और निजी क्षेत्रक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायकों द्वारा तैयार किया गया डाटा प्रयोग करके केरल एक रोग चौकसी का मॉडल कार्यान्वित कर रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र-दोनों में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायकों को प्रत्येक मास, पोस्ट कार्डों के जरिए सामान्य प्रक्रिया में 14 तुरत अभिज्ञात रोग सूचित करने के लिए सुग्राही बनाया गया। डाटा जिला मुख्यालय में कम्प्यूट्रीकृत, विश्लेषित तथा सूचित किया जाता है। अधिक जानकारी रोग चौकसी के अंतर्गत दी गई है।

मध्य प्रदेश

40. उच्च जनन क्षमता और मृत्यु दर और दूरस्थ ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा तक सीमित पहुंच के साथ मध्य प्रदेश ने सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थानों में संरचनात्मक तथा कार्यचालनात्मक सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सुधार प्रणाली शुरू की है।

41. मध्य प्रदेश में वित्तीय और प्रशासनिक- दोनों प्रकार की शक्तियां पंचायतों को सौंपने का काम पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अठारह विषय पंचायती राज संस्थानों को हस्तान्तरित कर दिए हैं।

42. सभी जिलों में कल्याण समितियां और राज्य स्तर पर चिकित्सा सुविधा विकास बोर्ड नौवीं योजना अवधि में स्थापित किए गए हैं। वे चंदे और दान इकट्ठे करके, सेवाएं ठेके पर दे कर और अस्पतालों में प्रयोक्ता प्रभारों के जरिए बजटतर स्रोतों से संसाधन जुटाते हैं। इन निधियों का सेवाओं के विस्तार और विकास के लिए स्थानिक रूप से प्रयोग किया जाता है।

43. विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशिष्ट माइक्रोप्लानिंग(सूक्ष्म योजना) को पूरी तरह से चलाने के प्रयास में ग्राम स्वास्थ्य रजिस्ट्रों से ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य निर्धारकों पर व्यापक सूचना एकत्र की जाती है। जिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य योजना बनाने के लिए इन्हें जिला स्तर पर समेकित किया जाता है। कार्यान्वयन एक सलाहकार समूह द्वारा किया जाता है और इसे एक कार्यान्वयन ग्रुप द्वारा मानीटर किया जाता है। यह सलाहकार बोर्ड जिला योजना समिति होगा। इस अवधारणा के कार्यान्वयन में प्रगति मानीटर की जा रही है।

44. राज्य स्वास्थ्य जीवन सेवा गारंटी योजना कार्यान्वित कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा सेवाओं के रूप में एक मूल सेट की एक निश्चित समयावधि के भीतर गारंटी दी जाती है। जिला स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्रवाई योजना में कार्रवाई के लिए मुद्दे इस प्रकार हैं:

- जून 2002 तक प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य सेवक प्रदान करना।
- जून 2002 तक प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित जन्म परिचर प्रदान करना।
- सर्वव्यापी प्रतिरक्षीकरण की व्यवस्था।
- गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व तीन जांच।
- सुरक्षित पेय जल तथा सफाई संवर्धन की व्यवस्था।
- शिशुओं और तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को पोषण की व्यवस्था।
- सभी ग्रामों में अपशिष्ट प्रबंधन और बेकार जल के निपटान की व्यवस्था।

- सभी पात्र दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवाएं।
- सुरक्षित और स्वच्छ प्रसूति सुनिश्चित करना और संस्थानों में प्रसूति को बढ़ावा देना।
- सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य औषधियों की व्यवस्था के लिए योजना बनाना।
- मलेरिया के कारगर नियंत्रण के लिए योजना बनाना।
- एसटीडी प्रबंधन तथा एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों की तर्कसंगत तरीके से तैनाती।
- ग्राम स्वास्थ्य समितियों के सामुदायिक नेताओं / पंचायत नेताओं का प्रशिक्षण-सामुदायिक स्वास्थ्य कार्रवाई।
- सामुदायिक स्वास्थ्य कार्रवाई पर स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण।
- सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को समुदाय के नये माडल पर प्रशिक्षण ताकि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में नव-स्थिति में लाया जा सके।
- ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की तैयारी को पर्यवेक्षित करना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य पर गैर-सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के लिए एक ढांचा विकसित करना।
- प्रत्येक वर्ष एक जिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्रवाई योजना तैयार करना और संसाधन आबंटित करना।
- मानीटरिंग और मूल्यांकन सूचक तैयार करना और सामुदायिक स्वास्थ्य पर एक वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत और वितरित करना।

उड़ीसा

45. उड़ीसा की देश में उच्चतम मृत्युदर है; उड़ीसा में अब भी कुछ ऐसे जिले हैं जो भूख और भारी अल्पपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं में तेजी से सुधार करने के लिए राज्य ने प्राथमिक, द्वितीयक सुरक्षा आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने और रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बाहरी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के जरिए खासी निधियां प्राप्त की हैं।

राज्यों द्वारा शुरू किए गए कुछ बड़े सुधार इस प्रकार हैं:

46. **औषधि प्राप्ति और वितरण में सुधार-केन्द्रीकृत औषधि प्राप्ति और वितरण प्रणाली स्थापित करके सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भुगतान करने योग्य व्यक्तियों से राज्य में सभी तृतीयक और जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्रयोक्ता प्रभार शुरू किए गए और इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का अस्पतालों के सुधार और रोगियों के लाभ के लिए उपयोग किया गया। प्रयोक्ता प्रभार सेवा की तीन श्रेणियों के लिए शुरू किए गए जैसाकि, नैदानिक, विशेष आवास (भुगतान वाले वार्ड) और परिवहन। जिलों को उनकी आर्थिक समृद्धि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया और विभिन्न श्रेणियों के लिए मामूली तौर पर भिन्न-भिन्न दरें नियत की गईं। प्रत्येक अस्पताल के लिए रजिस्ट्रीकृत सोसायटी स्थापित की गई और संग्रहित प्रयोक्ता प्रभार सोसायटी द्वारा अस्पताल में प्रयोग के लिए अपने पास रखे जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को भुगतान करने से छूट दी गई। राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित परीक्षणों और उपचार के लिए राशि वसूल नहीं की जाती (जैसाकि कुष्ठ रोग, टी.बी., मलेरिया आदि)। सोसायटियों को मौजूदा दरों में वृद्धि करने या नये क्रियाकलापों के लिए दरें शुरू करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्हें केवल सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन अपने विवेकानुसार उपयुक्त कार्य के लिए निधियों का उपयोग करने का भी प्राधिकार है (जैसाकि निर्माण, बड़े उपस्करों या कार्मिकों की सेवाएं किराए पर लेने के लिए कोई राशि खर्च नहीं की जाएगी)।**

47. एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई जिसमें राज्य की राजधानी भुवनेश्वर अस्पताल का सफाई-कार्य एक (समझौते द्वारा) तय की गई कीमत पर सुलभ इंटरनेशनल को ठेके पर दिया गया। इस बात पर सहमति हुई कि मौजूदा सफाई कर्मचारियों को (अर्थात् सरकारी कर्मचारी) अस्पताल में किसी अन्य कार्य पर लगाया जाएगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कहा कि कोई छंटनी करने की तो आवश्यकता नहीं है, किन्तु सफाई कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियां समाप्त की जानी चाहिए और सेवानिवृत्ति या मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाली नई रिक्तियां नहीं भरी जानी चाहिए। सूचित किया गया कि 2 मास के भीतर सफाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

48. स्वास्थ्य भवनों का मामूली अनुरक्षण: पहले वर्ष में 100 सीएच केन्द्रों/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पहचान की गई और प्रत्येक चिकित्सा प्रभारी को छोटी-मोटी मरम्मत करने और साधारण लेखे रखने के लिए 10,000 रुपये दिए गए। इस पहलकदमी का मूल्यांकन किया गया है और इसे लाभदायक पाया गया है किन्तु सम्प्रेषण में कुछ अंतरों को दूर करने की आवश्यकता है। सभी जिलों में चिकित्सा अधिकारियों को इस विषय में प्रशिक्षित किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल का शीघ्र ही समूचे राज्य में विस्तार किए जाने की संभावना है।

49. दूरस्थ तथा कठिन क्षेत्रों में डाक्टरों की उपस्थिति में सुधार करने तथा युवा डाक्टरों को अधिक ग्रामोनुकूल बनाने के लिए अनिवार्य पीजी-पूर्व ग्रामीण सेवा शुरू की गई। इस स्कीम के तहत ऐसे 11 जिले चुने गए जहां पर बड़ी संख्या में लगातार रिक्तियां मौजूद रहती हैं, और उनमें स्वास्थ्य संस्थानों की पहचान की गई। चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा दाखिले की तारीख से एक वर्ष पहले आयोजित की जाती है, जो लोग इसमें अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें उस चिकित्सा कालेज और उस विषय के बारे में सूचित किया जाता है जो उन्हें मिलेगा और तत्पश्चात उन्हें 11 जिलों में किसी संस्थान के लिए नियत कर दिया जाता है। जो लोग पहले से सरकारी सेवा में नहीं होते उन्हें संविदा पर नियुक्तियां दी जाती हैं और इन जिलों को सौंप दिया जाता है। डाक्टरों को इन जिलों में पूरे एक वर्ष तक कार्य करना पड़ता है और इस अवधि को पूरा करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। सूचित किया गया है कि कठिन तथा दूरस्थ क्षेत्रों में डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में इस पहल को सफलता प्राप्त हुई है।

50. पंच व्याधि-चिकित्सा (5 रोग उपचार स्कीम) इस स्कीम ने गरीब लोगों ने लिए निःशुल्क स्वास्थ्य हकदारी तथा जोखिम सुरक्षा गारंटी मुहैया की। यह अनुमान लगाया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले 70 प्रतिशत रोगी, 5 रोगों के ईलाज के लिए आते हैं- मलेरिया, कुष्ठ रोग, पेचिश, गंभीर श्वसन संक्रमण तथा खाज-खुजली। उपचार के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए गए और उपचार के लिए औषधियां सभी संस्थानों को वितरित की गईं। जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी अभियान चलाया गया। यदि किसी रोगी को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ी तो लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती थी और इस प्रकार प्रतिपूर्त नुस्खों को क्लिनिकल लेखा-परीक्षा के लिए रखा जाता था। ऐसा प्रोटोकॉल के अनुसार तर्कसंगत औषधि प्रयोग में सुधार करने के लिए किया जाता था। इस स्कीम का छः मास तक कार्य करने के बाद मूल्यांकन किया जाना था। परन्तु भयंकर समुद्री तूफान आने पर तूफान में राहत कार्य में पूर्वव्यस्तता के कारण यह स्कीम 6 मास बाद रुक गई।

51. राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी की स्थापना, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत जैसे और जब भी आवश्यक हो, निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक आसान और समस्या-रहित तरीका निकालने के लिए की गई थी। राज्य सोसायटी की स्थापना के साथ सभी अबजटीय निधियां सोसायटी के माध्यम से प्राप्त की गईं, चैनलाइज की गईं और उपयोग में लाई गईं।

52. **जिला स्वास्थ्य सोसायटियां का आमेलन किया गया** ताकि सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और दोहरे काम से बचा जा सके।

53. पराचिकित्सकों के लिए जिला काडरों का गठन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए परा-चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ सके, तबादलों के कारण कार्यकारियों को कम परेशानी हो और परिणामस्वरूप लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। राज्य काडर में मौजूद कर्मचारियों को विभाजित किया जाएगा और विभिन्न काडरों को आबंटित किया जाएगा। उसके बाद सभी नई भर्ती जिलों द्वारा की जाएगी। नए उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

54. **मौजूदा स्वास्थ्य कर्मिकों का विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग करने के लिए** राज्य, स्वास्थ्य कर्मियों की बहु-कौशल स्कीम कार्यान्वित कर रहा है; इस स्कीम के तहत फार्मसिस्टों तथा स्वास्थ्य कर्मिकों को स्पूटम (लार) माइक्रोस्कोपी तथा रक्त चिकनाइ (स्पीयर) में प्रशिक्षित किया गया है और आर.एन.टीसीपी और मलेरिया कार्यक्रमों में तैनात किया गया है। एएनएम को डॉट्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और उनके अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उन्हें आरएनटीसीपी में तैनात किया गया है। सूचित किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप राज्य के संसाधनों की बर्बादी रुकी है, स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर प्रेरणा मिली है और कार्यक्रम प्रबंधन में सुधार हुआ है।

55. सीएचसी डाक्टरों को संवेदना (एनास्थीसिया) में 3 मास का प्रशिक्षण देने का एक प्रायोगिक कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू किया गया ताकि वे लोग आपातस्थिति में एनास्थीसिया दे सकें। इसके अतिरिक्त प्रसूति सुरक्षा भी आरंभ की गई। परन्तु प्रशिक्षित किए गए लोगों की संख्या बहुत कम है। इस स्कीम का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

56. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गैर-सरकारी संस्थाओं को सौंपने की प्रायोगिक परियोजना** 2 जिलों में परखी गई। गैर-सरकारी संस्थाओं के पास संस्थानों को चलाने के लिए संसाधन और योग्यता नहीं थी और इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद इन्हें सरकार को वापस कर दिया।

राजस्थान

57. राजस्थान को अपनी जनसंख्या की स्वास्थ्य सुरक्षा तक कम पहुंच और खराब स्वास्थ्य सूचकों के बारे में हमेशा चिंता रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंच में सुधार करने के प्रयास में राज्य योजनागत निधियों की 50 प्रतिशत राशि पिछले 10 वर्ष से प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च करता चला आया है। सुरक्षा के द्वितीयक और तृतीयक स्तरों के विकास के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

58. ग्रामीण शहरी क्षेत्र-दोनों के निजी अस्पतालों के लिए जमीन के आबंटन तथा निवेश के रूप में आर्थिक इमदाद उदार शासन प्रणाली द्वारा **परिवर्द्धित सार्वजनिक /निजी सहभागिता**। चिकित्सा उपस्करों तथा अनुमोदित सूची में शामिल संयंत्र और मशीनों पर चुंगी शुल्क और बिक्री कर के भुगतान से छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए। इन निजी क्षेत्रक अस्पतालों से अर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजे गए गरीब रोगियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा गया। रोगियों को सुबह के समय एक घंटे के लिए और शाम को एक घंटे के लिए निःशुल्क ओपीडी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और कम से कम 10 प्रतिशत बिस्तर गरीब रोगियों के लिए निःशुल्क होने चाहिए।

59. 1995-96 में राज्य सरकार ने तृतीयक और द्वितीयक स्तर के प्रत्येक अस्पताल में एक-एक चिकित्सा सोसायटी स्थापित की; ये सोसायटियां वार्डों के चयन जैसे संसाधन संरक्षित करने, लाइफ लाइन द्रव भण्डार खोलने, भुगतान करने में समर्थ लोगों को सेवाएं प्रदान करने और उनसे धन राशि वसूल करके, राजस्व जुटाने और राजस्व संसाधन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों से चंदा, अनुदान तथा कर्ज प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक अध्यक्षों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती हैं। सभी सोसायटियों ने प्रयोक्ता प्रभार शुरू कर दिए हैं और बहुत सी सोसायटियों ने लाइफ लाइन द्रव भण्डार भी शुरू किए हैं। प्रयोक्ता प्रभार नियत करते समय उपभोज्य वस्तुओं, अनुरक्षण, मूल्यहास तथा उपस्करों के उन्नयन की लागत को ध्यान में रखा जाता है। बाहरी रोगियों तथा अंतरंग रोगियों के पंजीकरण के लिए नाम मात्र शुल्क वसूल किया जाता है, निर्धनों, विधवाओं, यतीमों, आपातकालीन तथा दुर्घटना वाले मामलों, पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाती है। जुटाए गए संसाधन नये उपस्कर खरीदने, मरम्मत और रख-रखाव पर खर्च किए जाते हैं। मेडीकेयर सोसायटियों ने लायन क्लब, रोटरी क्लब, धर्मार्थ ट्रस्टों तथा व्यक्तियों जैसे संस्थाओं के जरिए वार्डों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया है।

60. **लाइफ लाइन द्रव भण्डार** स्थापित किए गए हैं जो कि सेवा प्रभारों के रूप में उगाहे गए मार्जिन के साथ लागत के आधार पर औषधियां तथा अन्य उपभोज्य वस्तुएं बेचते हैं; ये भण्डार सामग्री प्राप्ति, दोषपूर्ण सामग्री को बदलना, सामग्री जारी किए जाने, प्रबंधक की नियुक्ति, पूर्तिकर्ता को भुगतान, सामग्री की बिक्री और रजिस्ट्रों तथा अभिलेखों के प्रबंधन का ध्यान रखते हैं।

61. कुछ अस्पतालों में **सफाई, लांड्री, सुरक्षा, दुलाई** सेवाओं आदि जैसी गैर-क्लिनिकल सेवाओं का निजीकरण करने का प्रयास किया गया है।

62. राज्य ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी है।

63. राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्रक सुविधाओं का निजी क्षेत्र के साथ हिस्सा बांटने का प्रयास किया है जैसाकि निजी क्षेत्र द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में सरकारी डाक्टरों की सेवाएं और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा **प्रेषित मामलों** के लिए निजी क्षेत्र के साथ समन्वय और सुविधाएं प्रदान करना तथा प्राईवेट डाक्टरों /अस्पतालों से भेजे गए मामले प्राप्त करना।

तमिलनाडु

64. प्रतिस्थापन स्तरीय जनन क्षमता हासिल करने वाला तमिलनाडु दूसरा राज्य था; अपेक्षाकृत उच्च आई एम आर तथा मातृ मृत्युदर से चिंतित राज्य ने स्वास्थ्य प्रणाली सुधार शुरू किए जिनका उद्देश्य प्रसपूर्व सुरक्षा और संस्थानों में प्रसूति में सुधार करना था। असंक्रामक रोगों के कारण बीमारियों के बढ़ते हुए बोझ का समाधान करने के लिए ऐसी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के प्रयास किए गए जिनका उद्देश्य असंक्रामक रोगों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार करना था।

65. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण और पुनर्गठन डीएनआईडीए की सहायताप्राप्त क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना के तहत शुरू किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ बनाया गया ताकि आपातकालीन सुरक्षा और प्रसूति के लिए सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहें। 1999 में इस स्कीम के मूल्यांकन से पता चला कि 1400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे; 94 प्रतिशत पीएचसी केन्द्र अपने भवनों में काम करते हैं और उनके पास बिजली की सुविधा मौजूद थी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास एक चलने-योग्य वाहन है; 250 में से 224 चौबीसों घंटे चलने वाले पी.एच. केन्द्रों के पास एम्बुलेंस गाड़ियां हैं; 98 प्रतिशत एएनएम तथा 95 प्रतिशत फार्मसिस्ट अपने पदों पर तैनात थे। परन्तु डाक्टरों के 21 प्रतिशत पद रिक्त थे। प्रति ओपीडी में उपचारित औसत मरीजों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जोकि पिछले 3 वर्षों से 92.75 प्रतिदिन पर स्थिर रही है। शाम को ओपीडी होने के बावजूद, ज्यादातर रोगियों को सुबह के समय देखा जाता है और सायंकालीन ओपीडी ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद, ये केन्द्र औसतन प्रतिमास केवल 3.14 प्रसूतियां करते हैं। यह राज्य में कुल ग्रामीण प्रसूतियों का केवल 5.8 प्रतिशत है। राज्य में 48.2 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रसूतियों का काम नहीं देखते। 1996-97 से 1999-2000 तक इन केन्द्रों में की जा रही प्रसूतियों की संख्या में कोई सुधार नहीं हुआ है। उपलब्ध की गई एम्बुलेंस गाड़ियों का पूरी तरह से अल्प उपयोग हो रहा है; प्रति एम्बुलेंस में लाए/ले जाए गए औसत मामले 0.31 मास हैं; 74 प्रतिशत एम्बुलेंस गाड़ियों का महीने के दौरान आपातकालीन रोगी लाने के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पिछले पांच वर्षों में संस्थानों में प्रसूतियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है; 70 प्रतिशत से अधिक प्रसूतियां संस्थानों में होती हैं। इस समय सीएचसी / एफआरयू को सुदृढ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जोकि अधिकांश प्रसूति सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं।

66. एएनएम को उसकी गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से मोपेड खरीदने के लिए ऋण दिए गए ताकि वह निर्धारित समय पर सभी ग्रामों में जा सके और सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जांच कर सकें। एएनएम को मोपेड चलाने का प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने में कि उनके प्रयोग के लिए वाहन उपलब्ध है, उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, उस पर चर्चा करने के लिए शिविर आयोजित किए गए।

67. असंक्रामक रोगों के शीघ्र निदान और प्रभावी उपचार के लिए सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य ने एक प्रणाली शुरू की थी जिसमें विशेषज्ञों का एक दल निश्चित समय पर गांव में जाता है; प्रारंभिक जांच के बाद, समस्याओं से ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को उपचार के लिए उपयुक्त सुविधाओं वाले अस्पताल में भेजा जाता है।

68. तमिलनाडु सरकार ने 1994 में एक चिकित्सा आपूर्ति निगम (मेडीकल सप्लाइज कार्पोरेशन) की स्थापना की थी। राज्य ने अनिवार्य औषधि सूची तैयार करने का काम पूरा कर लिया है, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का काम पूरा कर लिया है; गुणवत्ता आश्वासन (और सामूहिक प्राप्ति) के लिए प्रोटोकॉल तैयार कर लिए गए हैं। इस समय विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जो दवाइयां राज्य सरकार द्वारा प्राप्त और सप्लाई की जा रही हैं, उसके अतिरिक्त राज्य ने सुझाव दिया है कि केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत सभी औषधियां, साधन और टीके और अन्य आपूर्ति निगम के माध्यम से वितरित किए जाएं ताकि मांग पर औषधियों की आपूर्ति के लिए कार्यविधियों में सुधार किया जा सके और उन्हें चिरस्थायी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

केन्द्रीय सेक्टर

69. यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का विषय है किन्तु स्वास्थ्य प्रणाली के कुशलतापूर्वक चलने में केन्द्र का बड़ा जोखिम शामिल है क्योंकि केन्द्र द्वारा प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा आधारीक संरचना के जरिए कार्यान्वित किए जाते हैं। नौवीं योजना के दौरान बड़ी पहलकदमियों में शामिल हैं- उर्ध्वधर कार्यक्रमों का समस्तरीय एकीकरण, रोग चौकसी प्रणाली स्थापित करना, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति, जैव सूचना विज्ञान और टेलीमेडिसिन तथा असंक्रामक रोगों की खोज और प्रबंधन कार्यक्रम।

रोग चौकसी

70. लोक स्वास्थ्य प्रणाली, खराब पर्यावरणीय सफाई की मौजूदा परिस्थितियों और समस्याओं को देखते हुए, निकट भविष्य में संक्रामक रोगों का फैलना पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं है। इसलिए यह अनिवार्य है कि रोगों के फैलने का शीघ्र पता लगाया जाए और उनकी तुरंत रोकथाम की जाए। विकार-स्थानिक रोग फैलने की पहचान करने में विलम्ब, एचएमआईएस के कार्य न करने और रोग चौकसी प्रणाली न होने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त जवाबी कार्रवाई करने में देर हो जाती है और तत्पश्चात उच्च विकृति और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। नौवीं योजना में मौजूदा आधारीक संरचना के जरिए रोग फैलने की त्वरित रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से शीघ्र खोज और तुरंत कार्रवाई के लिए एक जिला आधारित प्रणाली स्थापित करने की कल्पना की गई थी। आवश्यक समर्थक प्रयोगशाला और बहु-व्यापक रोग विज्ञान समर्थक राष्ट्रीय संस्थानों /चिकित्सा कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं और विशेषज्ञों का अनुकूलतम उपयोग करके और उन्हें सुदृढ़ बना कर विकसित किया जाना था।

71. स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा समन्वित एक रोग चौकसी कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना तथा एक रोग चौकसी प्रणाली स्थापित करना है। बड़े रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के पास उनके अपने, उर्ध्वधर चौकसी कार्यक्रम हैं जैसाकि मलेरिया और पोलियो। इस राष्ट्रीय प्रयास के अतिरिक्त, केरल जैसे कुछ राज्यों ने और आईसीएमआर जैसे कुछ संगठनों ने रोग चौकसी बढ़ाने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। इन सभी को एकल रोग चौकसी और प्रतिक्रिया कार्यक्रम में एकीकृत करने का कोई संगठित प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। आम महामारी वाले रोगों की अभी भी स्थानीय तौर पर मनीटरिंग नहीं की जाती और उनका विश्लेषण करने तथा जवाबी कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर व्यवस्थित तरीके से सूचना नहीं दी जाती।

72. केरल सरकार ने, जिलों में सरकारी और निजी क्षेत्रक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायकों द्वारा तैयार किए गए डाटा का प्रयोग करके रोग चौकसी का एक मॉडल अनुकूलित किया है। यह डाटा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में क्रिश्चियन मेडीकल कालेज द्वारा 80 के दशक में तैयार किया गया था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वालों को नेमी तौर पर प्रत्येक मास पोस्ट कार्डों के जरिए 14 तुरंत अभिज्ञात रोगों की सूचना देने के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से सुग्राही बनाया गया है। यह डाटा जिला मुख्यालय में कम्प्यूट्रीकृत, विश्लेषित और सूचित किया जाता है। यह परियोजना कोट्टायम, अलयुझा और एर्नाकुलम के तीन जिलों में चालू कर दी गई है। इस प्रणाली से इन जिलों में हैजा, टाइफाइड (आंत्रिकज्वर), बुखार, खाद्य विषण्णता, हेपेटाइटिस, संक्रामी पीलिया (लेप्टोस्पाइरोलिस) फैलने की शीघ्र खोज, बहुव्यापक रोग वैज्ञानिक जांच और प्रभावी नियंत्रण करना संभव हुआ है। राज्य ने प्रस्ताव किया है कि यह सूचना एक रोग सूचना बुलेटिन के जरिए व्यवस्थित तरीके से ऐसे सभी लोगों तक पहुंचाई जाएगी जिन्होंने रोग चौकसी में भाग लिया और इस अनुभव को अगले कुछ महीनों में पूर्णतया प्रलेखबद्ध किया जाएगा। 2001-02 में राज्य का रोग चौकसी में निजी सार्वजनिक भागीदारी के पोषणीय मॉडल का तीन और जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

73. अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों की बढ़ती हुई घटनाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदायकों तथा अपशिष्ट का निपटान करने वालों में अचानक संक्रमण हो जाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी स्तरों पर उपयुक्त तथा किफायती प्रौद्योगिकी लागू करके संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए नौवीं योजना के दौरान प्रयास किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन पर नीति और कार्यक्रम सहित विभिन्न पहलुओं पर समन्वय और मार्गदर्शन के लिए सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन समिति गठित की है। मंत्रालय ने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चुनिंदा सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रायोगिक परियोजना / प्रदर्शन परियोजनाएं भी शुरू की हैं जिसमें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की खरीद के लिए / उपस्कर संस्थापित करने के लिए अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को रखने के लिए स्थान, प्रशिक्षण, आईईसी क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक यह सहायता लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ऐजवाल अस्पताल, मिजोरम तथा इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना; राज्य में अस्पतालों के लिए मेघालय सरकार; एसएमएस अस्पताल, जयपुर राजस्थान और सिक्किम में 5 अस्पतालों को दी गई है। इसके अतिरिक्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक परियोजना 11 चिकित्सा कालेजों और कमान अस्पताल (वायु सेना), बंगलौर में कार्यान्वित की जा रही है। अस्पताल संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन को द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के एक घटक के रूप में भी शुरू किया जा रहा है। पीएमजीवाई के तहत, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थानों में संक्रमण नियंत्रण तथा अपशिष्ट प्रबंधन कुछ राज्यों में शुरू किया जा रहा है।

ऊर्ध्वधर कार्यक्रमों का समस्तरीय एकीकरण

74. शुरू में जब मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए पर्याप्त आधारिक संरचना और मानवशक्ति उपलब्ध नहीं थी तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी), राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) जैसे

कई उर्ध्वाधर कार्यक्रम शुरू किए गए थे। बाद में, कई वर्षों में तीन स्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा आधारिक संरचना स्थापित की जा चुकी है। नौवीं योजना में कल्पना की गई थी कि जिला स्तर पर मौजूदा उर्ध्वाधर कार्यक्रमों को एकीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थान लोगों को व्यापक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं। निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

75. केन्द्रीय स्तर पर

- आरसीएच तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण; आईईसी, एसटीडी / आरटीआई निवारण और प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलापों को एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- पहले से चल रहे एचआईवी / टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों के समन्वय का हिसाब लगाया जा रहा है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा आधारिक संरचना के जरिए कुष्ठ सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

76. राज्य स्तर पर

- केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने राज्य और जिला स्तर पर सकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी गठित करने की सिफारिश की है। उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने सभी-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी गठित की है।

इस प्रकार के समस्तरीय एकीकरण को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सीएच केन्द्रों की सहायता करने के लिए, इस समय जिला स्तर पर उर्ध्वाधर कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्यस्तरीय लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक है, उन्हें परिभाषित ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थानों में एकीकृत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। उप-जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल करने से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सीएच केन्द्रों पर सभी कार्यक्रमों के लिए डाटा संग्रहण, रिपोर्ट देने, एचएमआईएस को सुदृढ़ बनाने और अनिवार्य औषधियों / साधनों की आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद भी की जाती है और जिला स्तर पर रोग चौकसी और जवाबी कार्रवाई भी संभव हो सकती है।

असंक्रामक रोगों की पहचान और उनका प्रबंधन


77. जीवन प्रत्याशा में वृद्धि; बदलती हुई जीवन शैलियों और लोगों के व्यवहार पैटर्नों में बदलाव के परिणामस्वरूप असंक्रामक रोग अधिक व्याप्त हो रहे हैं। सिग्रेट पीना तथा तम्बाकू का अधिक प्रयोग, मदिरा का दुरुपयोग, जीवन शैली में बदलाव, पर्यावरणीय प्रदूषण, परिवर्द्धित तनाव इस वृद्धि में योगदान करते हैं। इनमें से कई कारणों की वास्तविक व्याप्ति पर बहुत कम डाटा उपलब्ध है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 5-7 मिलियन कैंसर के रोगी हैं। वर्तमान प्रक्षेप इस बात का संकेत देते हैं कि सभी स्थलों के लिए भारत में कैंसर का कुल बोझ 1991 में प्रतिवर्ष 6.02 लाख नये मामलों से बढ़ कर 2026 में 14.14 लाख हो जाएगा। कुछ अध्ययनों से उपलब्ध हृदय तथा रक्त वाहिकाओं सम्बन्धी रोग की व्याप्ति पर उपलब्ध डाटा राष्ट्रीय स्तर के प्रक्षेपों के लिए अपर्याप्त है। उपलब्ध सूचना इस बात का संकेत देती है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की वयस्क जनसंख्या में से क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। 5-15 वर्ष के आयु समूह

में आमवात (रियो मैटिक) हृदय रोग (जोकि भारत में सभी सीवीडी के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों का 20-30 प्रतिशत बैठता है) 507/1000 है।

78. यह आम विश्वास है कि असंक्रामक रोग उच्चतर आय समूह में अधिक व्याप्त हैं। परन्तु एनएसएएसओ के 52 वें दौर के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि तम्बाकू अंतर्ग्रहण (धूम्रपान करना और धूम्रपान न करना); तथा मदिरा दुरुपयोग आय क्विंटाइल के सबसे गरीब लोगों द्वारा अधिक किया जाता है (आरेख-1); इसलिए असंक्रामक रोगों की व्याप्ति आने वाले वर्षों में निम्नतर सामाजिक आर्थिक समूहों में बढ़ने की संभावना है। सभी समूहों में तम्बाकू की खपत कम करने के लिए तम्बाकू का सेवन कम करने के लिए आईईसी के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। असंक्रामक रोगों के प्रबंधन में उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए एनसीडी की रोकथाम, शीघ्र खोज और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सहन करने योग्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

79. केंद्रीय क्षेत्रक कार्यक्रम के रूप में सुरक्षा के उद्देश्य से सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजनाएं शुरू करने, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मधुमेह नियंत्रण पर प्रायोगिक परियोजनाओं के पुनःस्थापन के लिए मॉडल स्थापित करने के वास्ते परियोजनाएं शुरू की। राज्यों द्वारा उपयुक्त अनुकूलन किए जाने के बाद इन मॉडलों को मौजूदा आधारिक संरचना के जरिए दोहराया। केन्द्र कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अस्पतालों को सुसज्जित करने के लिए भी निधियां प्रदान कर रहा है। केरल जैसे कुछ राज्यों में, प्राथमिक और द्वितीयक सुरक्षा स्तर पर एक एकीकृत असंक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें एनसीडी की रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उपयुक्त प्रेषण प्रणाली का निर्माण करने पर बल दिया गया है। तृतीयक सुरक्षा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि जटिलताओं के प्रबंधन के लिए उपचार सुविधाओं में सुधार हो।

80. जैसाकि प्रत्याशित था बदलती हुई जीवन-शैलियों के कारण अगले कुछ दशकों में असंचारी रोगों (एनसीडी) के फैलाव में वृद्धि होगी, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इन रोगों के प्राथमिक तथा द्वितीयक निवारण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और शीघ्र निदान तथा तत्काल उपचार पर यथोचित ध्यान दिया जाए। तब बढ़ते हुए साक्षर लोगों से यह आशा की जाकेगी कि वे असंचारी रोगों के कारण होने वाली अस्वस्थता तथा मृत्यु की दर में कमी लाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे और सहायता देंगे।



आवश्यक औषधि कार्यक्रम

81. यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य की देखभाल पर किए जाने वाले व्यय का कम से कम लगभग एक-तिहाई भाग औषधियों की खरीद पर खर्च होता है, औषधियां रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। फिर भी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में औषधियों की उपलब्धता और प्रयोग के बारे में अनेक बड़ी समस्याएं हैं।

- औषधियां उपलब्ध नहीं होतीं अथवा उनकी आपूर्ति कम होती है।
- अनेक अनावश्यक औषधियां और उनके अनावश्यक मिश्रण चिकित्सक द्वारा रोगी के लिए नुसखे में लिख दिए जाते हैं।
- आवश्यक औषधियों की कोई सूची नहीं है।
- औषधियों की गुणवत्ता घटिया स्तर की होती है अथवा उनमें गुणवत्ता का अभाव होता है।
- दवाओं की प्राप्ति तथा वितरण की व्यवस्था में अनेक कठिनाइयां आती हैं।
- चिकित्सक द्वारा निर्धारित नुसखे में विशिष्ट प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता।
- रोगियों को औषधियों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है और पथ्यापथ्य का पालन करने पर बल नहीं दिया जाता।

82. अनेक राज्य सरकारों ने उपचारात्मक कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में दो राज्य जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, तमिलनाडु और दिल्ली हैं। इन राज्यों ने एक आवश्यक औषधि कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसके संघटक निम्नलिखित हैं:

- सुरक्षित और प्रभावकारी औषधियों की उपलब्धता में सुधार।
- गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन प्रणाली की स्थापना।
- आवश्यक औषधियों की एक सूची बनाना।
- एक औषधिनीति विकसित करना और एक समूहबद्ध खरीद प्रणाली स्थापित करना।
- युक्तिसंगत औषधि निर्धारण को बढ़ावा देना।
- यह सुनिश्चित करना कि सही औषधियां, सही मात्रा में, उपयुक्त अवधि तक, दी जाएं।
- डाक्टरों को उपयुक्त अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से वस्तुपरक जानकारी दी जाए, जिससे कि वे रोगी के लिए औषधि निर्धारण में युक्तिसंग परिपाटी अपनाएं।
- रोगियों को उन्हें दी जाने वाली औषधियों और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे औषधियों का उचित उपयोग करें और इस बात का ध्यान रखें कि उनका गलत इस्तेमाल कम से कम हो, और आवश्यक से कम अवधि के लिए न हो, नहीं तो रोगी में और रोग में औषधि के प्रतिरोध की शक्ति उत्पन्न हो सकती है।
- औषधि के उपयोग के प्रत्येक पहलू पर जिसमें औषधि का प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है, अनुसंधान और परीक्षण किया जाए।

83. आवश्यक औषधियों की सूची यदि उनके जेनरिक नामों के साथ बना दी जाए तो इससे अनावश्यक औषधियों की खरीद बहुत कम होगी और उपयुक्त औषधियां ही रोगी के औषधि-पत्र में निर्धारित की जाएंगी। बड़े पैमाने पर खरीद, केन्द्रीय भुगतान और भुगतान के कार्यक्रम का कठोरता से पालन किए जाने से मितव्ययता होगी और खर्च की गई धनराशि का पूरा मूल्य मिलेगा। स्ट्रिप पैकिंग से जनता में औषधियों की स्वीकार्यता बढ़ गई है; गुणवत्ता की जांच से और घटिया स्तर की औषधियों के विक्रेताओं के नाम काली सूची में डाल देने के फलस्वरूप जनता को अच्छी गुणवत्ता की औषधियां मिलने लगी हैं।

84. केन्द्र ईएपी सहित सभी प्रमुख कार्यक्रमों के संघटक के रूप में औषधियों तथा उपभोग्य आपूर्तियों के संचार तंत्र के संगठन को शामिल करने के लिए कदम उठा रहा है। इससे अगले कुछ वर्षों में सभी राज्यों में ऐसी ही प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी। और भी कई सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटीकृत ऑन-लाइन इनवेंटरी नियंत्रण प्रणाली अपनाना और एक औषधि निगम की स्थापना जो औषधियों की आपूर्ति और खरीद का काम सरकार से अपने जिम्मे ले ले है।

जैव-सूचनाविज्ञान और दूर-आयुर्विज्ञान (टेलीमेडिसिन)

85. **सूचना प्रौद्योगिकी** अब स्वास्थ्य प्रबंध अवसंरचना का एक प्रमुख संघटक बनती जा रही है। निकनेट का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना के लिए तीव्रगामी सूचना तंत्र के रूप में काम कर रहा है। मेडलर का जैव-चिकित्सा सूचनाविज्ञान कार्यक्रम स्नातकोत्तर छात्रों और शोधकर्ताओं तथा पेशेवर काय-चिकित्सकों को चिकित्सा सम्बन्धी डेटाबेस का तत्काल उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब में स्थित स्वास्थ्य विज्ञान के विश्वविद्यालयों को, अपनी लाइब्रेरियां सबल बनाने और **सूचना प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन** के माध्यम से नेटवर्क की व्यवस्था करने के लिए, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

86. **दूर-आयुर्विज्ञान कार्यक्रम** रोगों के जटिल मामलों के उपचार में स्थानीय डाक्टरों को सहायता देने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ता है। एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में, महाराष्ट्र ने वाघोली, पाउड और चाकन स्थित तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की है। यह सेवा सामुदायिक पहलों की टाटा परिषद के सहयोग से "डॉक्टर एनीव्हेयर. कॉम." द्वारा प्रदान की जाती है। यह सेवा पी एच सी को चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ जोड़ने के लिए इंटरनेट-आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। कुछ बड़े अस्पतालों ने देश-विदेश के अन्य विशेषज्ञों के साथ ऑन लाइन परामर्श सेवा जोड़ रखी है।

अन्य पहलें

87. केन्द्र ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कार्यात्मक स्थिति में सुधार हेतु सहायता देने के लिए

- प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत एसीए के निर्धारित निधिपोषण के साथ, आधारभूत ढांचे में मौजूद निर्णायक कमियों को पूरा करने के लिए और आवश्यक रख-रखाव के लिए;
- स्वास्थ्य सम्बन्धी अवसंरचना के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से; और
- जनशक्ति, उपस्कर, उपभोग्य वस्तुओं तथा औषधियों की महत्वपूर्ण कमियां पूरा करने और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से निधियों की व्यवस्था की है।

88. प्रधानमंत्री ग्राम योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत, राज्यों को 2800 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में से कम से कम 10 प्रतिशत राशि राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च भी की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत, पीएमजीवाई से प्राप्त निधियां मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए काम में ली जाएंगी। 50 प्रतिशत राशि औषधियां और आवश्यक उपभोग्य वस्तुएं खरीदने, और एएनएम के यात्रा सम्बन्धी आकस्मिक व्यय की व्यवस्था पर; साथ ही आवश्यक उपस्कर, की मरम्मत / प्रतिस्थापन पर खर्च की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत राशि उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, उसकी मरम्मत तथा रखरखाव करने में खर्च की जाएगी। पेय जल की आपूर्ति, पर्याप्त शौच-सुविधाओं और अस्पताली संक्रमण नियंत्रण तथा अपशिष्ट प्रबंध की सुनिश्चित व्यवस्था करने के कार्यों को प्राथमिक दी जाएगी।

89. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों को विशेष रूप से शल्यक्रिया कक्षों, प्रसूति कक्षों जैसे **भवनों की छोटी मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए** प्रति जिला 10 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा, सभी राज्यों को, शल्यक्रिया कक्षों, प्रसूति कक्षों के निर्माण / मरम्मत के माध्यम से **आवश्यक प्रसूति-वैज्ञानिक सेवाओं के लिए सुविधाओं में सुधार करने हेतु बड़े निर्माण कार्यों के लिए** और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में जल / बिजली की आपूर्ति के लिए सुविधाएं प्रदान करने, उनमें सुधार करने हेतु, 10 लाख प्रति पीएचसी, सीएचसी तथा जिला अस्पताल के हिसाब से दिए गए हैं।

- योजना आयोग ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र की सरकारों को शहरी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार के लिए और रेफरल सम्बन्ध स्थापित करने के लिए;**
- **केरल** को, जिला अस्पतालों को सबल और स्वतः संधारणीय बनाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

इन कार्यक्रमों की प्रगति तथा उनके प्रभाव पर नजर रखी जा रही है।

90. यह स्पष्ट है कि केन्द्र तथा राज्यों ने स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के बारे में नौवीं योजना की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयत्न किया है। किन्तु इस सम्बन्ध में एकसमान प्रगति नहीं हुई है। किसी भी राज्य ने संरचनात्मक तथा कार्यात्मक सुधारों के व्यापक पैकेज को कार्यान्वित नहीं किया है। अधिकांश राज्यों ने सुधारों के आवश्यक संघटकों, जैसे औषधि आपूर्ति की व्यवस्था, अस्पताली संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंध का कार्य ही हाथ में लिया है। सुधार कार्यों की व्याप्ति और प्रगति सभी राज्यों में एक समान नहीं हुई है। कुछ राज्य कुछ मामलों में बहुत आगे निकल गए हैं। जैसे, केरल आयोजन के विकेन्द्रीकरण में और पीआरआई को धनराशियां और जिम्मेदारियां सौंपने के मामले में बहुत आगे है जबकि अन्य राज्यों को ऐसे ही सुधार कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में सुधारों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति और उनके सामने आने वाली समस्याओं का जायजा लिया जाए और कार्यान्वयन के कार्य और उसकी प्रगति में समुचित रूप से परिवर्तन किया जाए। कुछ राज्यों में, प्रारंभिक अवस्थाओं में, इन सुधार कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक उत्साह हो सकता है क्योंकि इन कार्यक्रमों में केन्द्र, राज्य और बाहर से भी वित्तीय सहायता मिलती है; ऐसे राज्यों में हो रही प्रगति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जानी चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था के बाद उनमें ढील न आए। जिन अन्य राज्यों को इन सुधारों के कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, उन्हें सुधार कार्य को चालू रखने के लिए प्रोत्साहन देना होगा।

स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

91. स्वतन्त्रतापूर्व काल से ही सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति रही है। अधिकांश राज्यों में आज भी यह परिपाटी प्रचलित है। चिकित्सा / आयुर्विज्ञान के अध्यापकों की कमी से निपटने के लिए अनेक चिकित्सा महाविद्यालयों ने 1950 और 1960 के दशकों में उन प्राइवेट डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग किया और उन्हें चिकित्सा महाविद्यालयों में अवैतनिक अध्यापक और अध्यापन अस्पतालों में अवैतनिक काय-चिकित्सक के रूप में रखा। लेकिन पूर्णकालिक सरकारी अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ने से यह परिपाटी लड़खड़ा गई। इन वर्षों में, सरकारी तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में भारी विस्तार हुआ है और विविधता आई है। 1980 के दशक तक निजी और सरकारी- दोनों क्षेत्रों की संस्थाएं समान गति से बढ़ती रहीं, आगे चलकर, निजी क्षेत्रक में संवृद्धि की गति तेज हो गई। इन वर्षों में, निजी तथा सार्वजनिक सहयोग की विधियां, सेवाओं की बदलती हुई आवश्यकताओं और उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए, विकसित हो गई हैं।

92. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्त्व को देखते हुए, सरकारी क्षेत्र में परिभाषित प्रतिमानों के अनुसार, उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। राज्य / केन्द्रीय सरकार द्वारा निधिपोषित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं की आधारभूत सुविधाओं और जनशक्ति की स्थिति के बारे में सूचना समय-समय पर अद्यतन बना कर प्रकाशित की जाती है और उस पर बराबर नजर रखी जाती है।

तालिका 5.4.1.1

	ग्रामीण जनसंख्या प्रति केन्द्र	जनजाति जनसंख्या प्रति केन्द्र
उप-केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

93. राष्ट्रीय स्तर पर, उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निर्धारित प्रतिमान 8 वीं योजना अवधि तक प्राप्त कर लिए गए हैं। दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में जहां स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है, इन संस्थाओं की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। किन्तु, सेवाओं की उपलब्धता और उनका उपयोग सबसे अधिक जरूरतमंद राज्यों / जिलों में सबसे घटिया स्तर का रहा है। विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर, जनशक्ति और अवसंरचना में कमियां अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्ति वहां टिकते नहीं और अपनी सेवाएं नहीं देते। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राइवेट डाक्टरों/चिकित्सकों की सेवाएं लेकर और स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों की संविदागत नियुक्ति द्वारा इन कमियों को पूरा करने के प्रयत्न किए गए, लेकिन सफलता बहुत कम मिली। निजी क्षेत्रक की संस्थाएं/डाक्टर दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों में फीस देने की क्षमता नहीं है और सामाजिक अवसंरचना का भी अभाव है। इस प्रकार, दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य देखभाल जरूरतें सबसे ज्यादा हैं, रहने वाले लोगों की पहुंच, वहां चल रही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं अथवा निजी क्षेत्रकीय सुविधाओं तक बहुत कम है।

94. निजी क्षेत्रक की संस्थाएं कार्मिकों की उपलब्धता, जनता द्वारा महसूस की गई स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत और प्राइवेट डाक्टरों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसे देने की उनकी क्षमता को देखते हुए ही स्थापित होती हैं। इस समय, निजी / स्वैच्छिक क्षेत्रकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं या डाक्टरों को रजिस्टर करने की कोई एकसमान राष्ट्रव्यापी प्रणाली नहीं है और जिला स्तर पर निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी अवसंरचना और जनशक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। नौवीं योजना में इसे एक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र माना गया था और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति स्थापित की गई थी, और केन्द्रीय स्वास्थ्य असूचना ब्यूरो (सीबीएचआई) को निजी, स्वैच्छिक, औद्योगिक, सरकारी और अन्य समूहों में ग्रामीण और शहरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और जनशक्ति के विषय में डेटा संकलन का काम सौंपा गया था। इस महत्वपूर्ण कार्य में अब तक बहुत कम प्रगति हुई बताई गई है।

95. शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रक में अवसंरचना और जनशक्ति विषय में सीबीएचआई रिपोर्टों से प्राप्त किए गए आंकड़े तालिका 5.4.1.2 में दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्रक की संस्थाओं के बारे में प्राप्त सूचना तो विश्वसनीय है पर संभवतः निजी क्षेत्रक की संस्थाओं के बारे में कम सूचना दी गई है।

तालिका 5.4.1.2
अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या

	अस्पताल	बिस्तर	डिस्पेंसरी	बिस्तर
ग्रामीण	461	122453	12050	13076
शहरी	10416	501366	16175	12106
सरकारी	4473	375987	9460	13406
स्थानीय संगठन	335	19677	1634	1254
निजी तथा स्वैच्छिक	10289	228155	17131	10531
जोड़	15097	623819	28225	25182

स्रोत: सीबीएचआई, स्वास्थ्य विभाग, 1995-96				
	निजी संगठन			
	अस्पताल	बिस्तर		
आन्ध्र प्रदेश में अस्पतालों की संख्या	2802	42192		
सीबीएचआई की रिपोर्ट	266	11103		
कम सूचनाओं की सीमा	10.5 गुणा	3.8 गुणा		
स्रोत: जनगणना, 1993 स्वास्थ्य सेवा निर्देशक तथा आन्ध्र प्रदेश वैद्य विद्यान परिषद				

96. एनएसएसओ के सर्वेक्षणों, स्वतंत्र अन्वेषकों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निधि-पोषित अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी (आईएसएमवएच) के अधिकांश चिकित्सक निजी क्षेत्रक में काम करते हैं। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और आईएसएमवएच में पंजीकृत काय-चिकित्सकों की भरपूर आपूर्ति/उपलब्धता के बावजूद, अब भी आयोग्य व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सेवा, विशेष रूप से शहरी झुग्गी-झोपड़ियों, दूरस्थ ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबकों को दे रहे हैं।

97. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने वाले निजी क्षेत्रक के डाक्टर तथा संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी क्षेत्रों में अधिक हैं। निजी और सार्वजनिक-दोनों क्षेत्रकों में द्वितीयक, तृतीयक और उच्च विशेषज्ञता वाली संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में ही स्थित हैं। निजी क्षेत्रक की अधिकांश संस्थाएं एकल डाक्टर वाली डिस्पेंसरियां (औषधालय) होती हैं और उनमें पराचिकित्सकीय सहायता या अवसंरचना की सुविधाएं बहुत कम होती हैं। वे सुविधाजनक समय पर, सामान्य बीमारियों के लिए लक्षणों के आधार पर उपचार देती हैं। समय आदि की सुविधा और आसान पहुंच के कारण, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगी भी उनकी सेवाओं के लिए पैसा अदा करते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। आम बीमारियों के प्रबंध के लिए निजी चिकित्सकों की पहुंच अद्यतन मानक प्रोटोकॉल तक नहीं होती। उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा का स्तर भी अपर्याप्त होता है। वे जटिल रोगों में छानबीन करने की कोशिश नहीं करते और उन्हें उपचार के लिए उपयुक्त स्तर पर भेज देते हैं। औषधि के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने अथवा उपचार की लागत को सीमित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

98. राष्ट्रीय कार्यक्रमों की व्यापकता को बढ़ाने के लिए और जनसंख्या के स्वास्थ्य-सूचकों में सुधार करने के लिए निजी क्षेत्रक में अब तक काम में न लाए गए मानव संसाधन बहुत अधिक हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निजी क्षेत्रक के चिकित्सकों को शामिल करने के लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में महावीर अस्पताल, हैदराबाद डीओटीएस कार्यक्रम में शामिल है। अंधता नियंत्रण कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों / संस्थाओं को शामिल किया गया है। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं की सेवाएं ली जा रही हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है।

स्वास्थ्य देखभाल में सार्वजनिक-निजी सहयोग

99. अनेक राज्यों ने सूचित किया है कि उनके यहां तरह-तरह के सार्वजनिक-निजी सहयोग के कार्य चल रहे हैं।


- जिन राज्यों में सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति है, वहां सरकारी सेवाओं में नियुक्त 80 प्रतिशत डाक्टर अपनी निजी निदानशाला (क्लिनिक) में प्रैक्टिस करते हैं अथवा किसी निजी क्लिनिक में परामर्शदाता / कन्सल्टेंट के रूप में काम करते हैं। उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करने का लाभ भी मिलता रहता है और वे उसका उपयोग उन रोगियों के लाभ के लिए करते हैं जिनका वे निजीतौर पर इलाज करते हैं।
- कुछ राज्यों में निजी चिकित्सकों को चाहे वे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के हों या आईएसएम व एच के, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र में काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, यदि उस केन्द्र के लिए सरकारी डाक्टर उपलब्ध नहीं होता। ऐसे संविदागत काय-चिकित्सकों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक देख-भाल के मामले में और साथ ही राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक ऐसी भूमिका अदा कर सकें जो एक पीएचसी के काय-चिकित्सकों से अपेक्षित होती है।
- निजी चिकित्सक, विशेष रूप से विशेषज्ञ की सेवाएं तब संविदा के आधार पर सशुल्क ली जाती हैं जब आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ की सेवा की

आवश्यकता होती है, अथवा "खतरे में पड़े" बच्चों और औरतों के लिए आरसीएच सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना होता है।

- निजी क्षेत्रक के व्यक्ति /संस्थाएं, जैसे टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) एक सुपरिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं।
- निजी क्षेत्रक की संस्थाएं, जैसे कोई कंपनियां, अपनी फैक्टरी के पड़ोस में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी जरूरतों के लिए योगदान देती हैं।
- अतिविशेषज्ञतापूर्ण, तृतीयक/द्वितीयक देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले निजी अस्पतालों को इस समझौते के साथ निःशुल्क उपस्कर आयात करने की अनुमति दी गई है कि वे गरीब रोगियों को निःशुल्क बहिरंग तथा अंतरंग सेवाएं प्रदान करेंगे।
- अतिविशेषज्ञतापूर्ण, द्वितीयक /तृतीयक देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले निजी अस्पतालों को जमीन, पानी और बिजली आदि की सुविधाएं रियायती दरों पर इस समझौते के साथ दी गई थी कि वे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को अंतरंग/बहिरंग रोगी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगे।
- कुछ जिलों में निजी चिकित्सक रोग निगरानी के लिए सूचना प्रदान करते हैं।


100. इन सब बातों का प्रभाव उचित लागत पर स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल प्राप्त करने और संचारी रोगों के नियंत्रण में सुधार लाने के मामले में कैसा पड़ा-इसका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि ये स्कीमें ऐसे स्थानों में सफल हुई हैं जहां एक सुपरिभाषित समूह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध था कि समझौता ज्ञापन का पूरी तरह पालन हो। यह जरूरी है कि सार्वजनिक/निजी भागीदारी एक विशेष क्षेत्र/विषय तक सीमित हो जहां जनता की स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी आवश्यकताओं, इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक की उपस्थिति उनकी ताकतों और कमजोरियों को ध्यान में रखा गया हो। पीआरआई और स्थानीय नेताओं द्वारा किया गया कार्यान्वयन का परिवीक्षण उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में काफी हद तक सफल होगा

101. चूंकि देश में अधिकांश रोगहारी देखभाल की व्यवस्था निजी क्षेत्रक द्वारा की जाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें आम बीमारियों के प्रबंध के लिए अद्यतन बनाए गए प्रोटोकॉल तत्काल संदर्भ के लिए उपलब्ध रहें और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण कार्यक्रम में




प्रयुक्त होने वाले चालू आहार विधान / पथ्यापथ्य सम्बन्धी जानकारी उनकी पहुंच में रहे। औषधियां, युक्तियां, साधन और टीके जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से दिए जाते हैं, उनकी पहुंच में रहें। यदि यह सब कर दिया गया तो निजी चिकित्सक स्वास्थ्य देखभाल के व्याप्ति क्षेत्र को बढ़ाने में और उसकी लागत को सीमित करने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे प्रयत्न के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा यह है कि देखभाल के प्रत्येक स्तर के लिए उपयुक्त मानक उपचार प्रोटोकॉल विकसित किए जाएं। चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं को ये प्रलेख अल्पावधि में तैयार कर देने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर मौजूदा सरकारी संस्थाओं को इन प्रबंध प्रोटोकॉलों की जांच करने की जिम्मेदारी लेनी होगी; आवश्यक हुआ तो फेरबदल सुझाने होंगे, और सरकारी तथा निजी, दोनों प्रकार के स्वास्थ्य व्यावसायिकों तथा परा-व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने और उनका कौशल उन्नत बनाने के उद्देश्य से सीएमई कार्यक्रम के लिए इनका उपयोग कराना होगा। उन्हें संस्थाओं के भिन्न-भिन्न स्तरों पर देखभाल की लागत के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रतिमान विकसित करने होंगे और उनको अपनी ही संस्था में जो कि जिले में एक " आदर्श संस्था " होगी, लागू करके देखना होगा। जिले के स्वास्थ्य कर्मचारी जिले में स्थित सार्वजनिक तथा निजी-दोनों प्रकार की संस्थाओं के कार्यनिष्पादन पर नजर रखेंगे और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनकी सहायता करेंगे। सीएमई कार्यक्रमों द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी के सभी उपलब्ध उपकरणों का पूरी तरह उपयोग किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौशल तथा ज्ञान के प्रोन्नयन के लिए ये सामग्रियां आसान पहुंच में हैं; डाक्टरों के लिए विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सेवाएं सदा लाइन पर उपलब्ध हैं और इससे रोगियों को निदान तथा प्रबंध सम्बन्धी सलाह के लिए अस्पताल ले जाने की समस्या कम हो जाएगी।


102. एनएसएसओ के 52वें चक्र और एनएफएचएस I और II ने उन सेवाओं की किस्मों के बारे में कुछ जानकारी दी, जिन्हें लोग निजी तथा सरकारी क्षेत्रक की संस्थाओं से प्राप्त करना चाहते हैं। इन दोनों प्रकाशनों से प्राप्त डेटा से पता चला कि बहिरंग रोगी और अंतरंग रोगी सम्बन्धी सेवाओं के उपयोग के तरीके स्पष्टतः अलग-अलग हैं।



103. छोटी व्याधियों के मामले में बहिरंग रोगियों की रोगहर देखभाल के लिए, गरीबी की रेखा से ऊपर और नीचे जीवन यापन करने वाले अधिकांश लोगों ने निजी क्षेत्रक की सेवाओं का उपयोग किया; किन्तु प्रतिरक्षण या प्रसव-पूर्व देखभाल के लिए अधिकांश लोगों ने, चाहे उनकी आय की स्थिति कैसी भी हो, सरकारी सेवाओं/व्यक्तियों की सेवाएं ली (आकृति-2 क, 2ख, 3क व 3ख)। इस सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है कि रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अंतर्गत बहिरंग रोगियों के उपचार के लिए निजी तथा सरकारी क्षेत्रक ने किस अनुपात में योगदान दिया, लेकिन इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवा सम्बन्धी रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्रक रोगियों को अधिक अनुपात में उपचार देता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्रक अधिकांश जनता को परिवार-कल्याण सेवाएं और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। नौवीं योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि जनता के स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिकीय सूचकांकों में सुधार करने के लिए इन सेवाओं के महत्त्व को देखते हुए ये सेवाएं सबको निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। एनएसएसओ और एनएफएसओ के निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि होती है कि सरकारी क्षेत्रक इन सेवाओं के लिए प्रमुख स्रोत बना हुआ है। इसलिए इस नीति को आगे भी चालू रखना होगा।




104. सभी व्याधियों के लिए चिकित्सालय आश्रयण के मामले में निजी और सरकारी-दोनों क्षेत्रकों की स्थिति बराबर है (आकृति 2क)। सरकारी क्षेत्रक में सेवाओं की नीची लागत एक बड़ा कारण बताई गई है जिसकी वजह से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति सरकारी सेवाएं चाहते हैं (आकृति 3ख)। अंतरंग रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रक की संस्थाओं की उपस्थिति और उपयोग के मामले में, राज्यों, जिलों और शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी अन्तर पाया जाता है। अंतरंग रोगियों के लिए सुविधाओं के भौगोलिक वितरण, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रकों की संस्थाओं के बीच विद्यमान सहयोग और भिन्न-भिन्न राज्यों में अंतरंग रोगी स्वास्थ्य देखभाल के मामले में उनमें से प्रत्येक द्वारा अदा की जा रही भूमिका के विषय में बहुत कम अध्ययन /सर्वेक्षण किए गए हैं। नौवीं योजना में यह परिकल्पना



की गई थी कि इन सभी की स्थितियों के बारे में समस्त जानकारी लिखित रूप में एकत्र की जाएगी और विकेन्द्रीकृत जिला-आधारित योजना तैयार करने के कार्य में उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन यह उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है और अब दसवीं योजना के दौरान उसे संभवतः प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करना होगा। दसवीं योजना में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए निजी क्षेत्रक की उपस्थिति तथा उपयोग को, जनता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना बनाते समय ध्यान में रखना होगा।

स्वास्थ्य देखभाल का वित्तपोषण


105. स्वास्थ्य देखभाल को मानव संसाधन विकास के लिए एक आवश्यक सामाजिक क्षेत्रकीय निवेश माना जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली सरकारी संस्थाओं के विकास तथा संचालन के लिए धनराशियों की व्यवस्था करती हैं; सरकारी संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। नौवीं योजना में यह स्वीकार किया गया था कि स्वास्थ्य की देखभाल बढ़ते खर्चों और उसके प्रति बढ़ती हुई जागरूकता और जनता की आशाओं-आकांक्षाओं को देखते




हुए, इस नीति को जारी रखना संभव नहीं होगा और इसलिए कुछ ऐसी प्रमुख जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी जिनके लिए सरकार की ओर से निधिपोषण आगे भी जारी रहेगा। नौवीं योजना में इस बात का समर्थन किया गया था कि केन्द्र और राज्य सरकारें गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों से अन्य सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार वसूल करने हेतु उपयुक्त प्रतिमान विकसित करें। धनराशियां इकट्ठी करने और फिर उन्हें स्थानीय रूप से उपयोग में लाने के लिए उपयुक्त तंत्र का विकास करके उसकी जांच भी करनी होगी ताकि ये संस्थाएं अधिक स्वायत्त बन सकें और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, आधारभूत सुविधाओं/अवसंरचना और उपस्कर के रख-रखाव के लिए आवश्यक धनराशियां रख सकें।

106. यह अनुमान लगाया गया है कि देश इस समय स्वास्थ्य पर जीडीपी का 4.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है; इसमें से 0.9 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय है। (विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2000 के अनुसार) स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व के देशों की सूची में नीचे से तेरहवां है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यय 97 रुपये बैठता है। यद्यपि राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली सार्वजनिक राशियों में काफी अन्तर पाया जाता है फिर भी केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से केन्द्रीय



सरकार का योगदान बहुत कुछ एक-जैसा ही रहता है (आकृति-4)। राज्यों के बीच सार्वजनिक और निजी सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर निजी खर्च में बहुत अधिक अंतर है। केरल और पंजाब, बिहार और राजस्थान की तुलना में स्वास्थ्य पर लगभग चार गुना ज्यादा खर्च करते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक में किया जाने वाला ऊंचा या नीचा खर्च हमेशा एक जैसा नहीं होता। निजी सुविधाएं, अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा प्राप्त करती हैं (आकृति 5)।



107. आबादी के गरीब तबकों की सेवाओं तक पहुंच कम थी और उन्होंने पैसे वाले तबकों की अपेक्षा, रोगहर सेवाओं का कम उपयोग किया (आकृति-6)। रोगहर देखभाल पर होने वाले कुल सार्वजनिक व्यय का 30 प्रतिशत से भी अधिक उपयोग धनाढ्यतम 20 प्रतिशत तबकों द्वारा किया गया, जबकि निर्धनतम 20 प्रतिशत लोगों ने उस व्यय का 10 प्रतिशत ही काम में लिया। इसलिए यह स्पष्ट है कि रोगहर देखभाल के मामले में भी गरीबों को सार्वजनिक व्यय का जो हिस्सा मिला वह असमान यानी बहुत कम था।




108. अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय, निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए पैसा अदा करने का सबसे आम तरीका है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि निर्धनतम 20 प्रतिशत अपने खाद्य-भिन्न व्यय का 12




प्रतिशत भाग स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करते हैं (आकृति-7)। नीचे की 20 वीं सेंटाइल आबादी स्वास्थ्य देखभाल पर लगभग 100 रुपये प्रतिव्यक्ति खर्च करती है, और उसमें से अधिकांश निजी क्षेत्रक में होती है। ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों द्वारा अपनी जेब से किया गया व्यय निम्नतम 20 वें सेंटाइल का पांच गुना था (आकृति 8)।

109. जनजातीय उप-योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रतिमानों में बिखरी हुई जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए अधिक संस्थाओं/कार्मिकों की व्यवस्था की जाए; किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में लगातार रिक्तियां बनी रहने के कारण जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सीमित रहती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की जेब से होने वाला खर्च उन परिवारों के मुकाबले अधिक है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं; संभवतः इसलिए कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में अधिक समस्या का सामना करना पड़ा है (आकृति 9)। जागरूक शहरी आबादी ने अपने ग्रामीण भाइयों की तुलना में, स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक रकम खर्च की, संभवतः इसलिए कि उच्च लागत या उच्च-तकनीकी देखभाल तक उनका तत्काल पहुंचना आसान था।




110. भिन्न-भिन्न आय-वर्ग जिन तंत्रों/उपायों से चिकित्सालय आश्रयण (अस्पताल में भर्ती होने) का जेब से किया जाने वाला खर्च पूरा करते हैं उनका ब्यौरा (आकृति-10) में दिया गया है। बड़े रोगों के लिए चिकित्सालय आश्रयण सभी आयवर्गों के लिए ऋणग्रस्तता का कारण है। बढ़ती हुई जागरूकता के कारण, लोग स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करने को तैयार हैं। किन्तु, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई साधन/तंत्र नहीं है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण देखभाल के रूप में उचित प्रतिफल मिल रहा है। बीमारी के प्रबंध के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित तथा कार्यान्वित करने और साथ ही देखभाल की लागत के प्रतिमानों को निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य की देखभाल पर निवेश की गई धनराशि का स्वास्थ्य देखभाल के रूप में, प्रतिफल मिलें।



111. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों द्वारा सार्वजनिक और निजी सुविधाओं के उपयोग के बारे में भी राज्यों के बीच पर्याप्त अन्तर है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में गरीब लोग ही अधिकतर सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत बिहार और पंजाब में रहने वाले गरीब लोग

सार्वजनिक क्षेत्रक में उपलब्ध अंतरंग रोगी सुविधाओं का बहुत ही सीमित उपयोग करते हैं (आकृति-11)। राज्यों के बीच इन पर्याप्त अन्तरों का कारण अलग-अलग हो सकता है। बिहार में चल रहे जन-निधिपोषित अस्पतालों की कमी निजी अस्पतालों तक कम पहुंच का एक कारण हो सकती है। पंजाब में, सुख-सुविधा और देखभाल का स्तर इस बात का कारण हो सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्रक में कार्यरत अस्पतालों के होते हुए भी, निजी क्षेत्रक के अस्पतालों का उपयोग क्यों किया जा रहा है। उड़ीसा में दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक में सुविधाओं का अभाव होने से संभवतः सार्वजनिक क्षेत्रक में उपलब्ध अस्पतालों का कम उपयोग हो रहा है।



112. यह आवश्यक है कि दसवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्रक में किए गए जाने वाले सुधार साम्यावस्था को प्राप्त करने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे लक्ष्यगत तंत्र का विकास करने के लिए शामिल किए गए हैं, जिनके द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के लोग आर्थिक सहायता-प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं तक तत्काल पहुंच सकें ताकि उनकी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें पूरी हो जाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, जनता के अन्य तबकों द्वारा भुगतान किए जाने का उपयुक्त तंत्र तैयार हो जाए। बड़ी बीमारियों के लिए अस्पतालों में भर्ती होना सभी आय वर्गों के रोगियों के लिए भारी वित्तीय संकट उत्पन्न कर देता है। यह बचतों को काट देता है और निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के रोगियों के लिए ऋणग्रस्तता का बड़ा कारण बनता है। भिन्न-भिन्न आय-वर्गों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी वित्त-पोषण की उपयुक्त स्कीम तैयार और कार्यान्वित करनी होगी जिससे अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने का खर्च पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य वित्त के विकल्पों की श्रेणी में व्यक्तियों, संस्थाओं, उद्योगों के स्वास्थ्य बीमा की स्कीम चलाई जा सकती है। इसी प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सामाजिक बीमा लागू किया जा सकता है। लक्ष्यगत स्वास्थ्य देखभाल के लिए सब्सिडी जैसे वैकल्पिक उपाय भी खोजने होंगे। विश्वस्तर पर और भारत में भी स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य अनुसंधान संगठनों को हुए अनुभवों की भी समीक्षा करनी होगी और उपयुक्त कदम उठाने होंगे। स्वस्थ जीवन शैलियों को प्रोत्साहन देने के लिए वार्षिक रूप से " कोई दावा नहीं बोनस " / प्रीमियम का समायोजन, गत वर्षों में चिकित्सालय आश्रयण के लिए बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति किए गए खर्च के आधार पर किया जा सकता है।

परिव्यय

राज्य क्षेत्रक

113. नौवीं योजना के राज्य-वार परिव्यय और व्यय का ब्यौरा संलग्नक 5.4.1.1 में दिया गया है। स्वास्थ्य देखभालके आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण, जनशक्ति का पुनर्नियोजन और कौशल विकास, रेफरल नेटवर्क का विकास, स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली में सुधार, रोग निगरानी व्यवस्था का विकास और जिला स्तर पर मिली

प्रतिक्रिया ये सब कुछ ऐसे निर्णायक कदम हैं जो राज्य सरकारों को उठाने होंगे, ताकि राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और जनशक्ति की वित्तीय स्थिति और कुशलता में सुधार हो सके। केन्द्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम अतिरिक्त महत्वपूर्ण जनशक्ति और उपस्कर के लिए धनराशियों की व्यवस्था करते हैं; कुछ महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए इनका समुचित उपयोग करना होगा। पहले से चल रहे और प्रस्तावित ईएपी संसाधनों के लिए अतिरिक्त स्रोत हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रक है जिसके लिए धनराशियों की व्यवस्था केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) शीर्ष के अंतर्गत की जाती है और इन धनराशियों का उपयोग ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के संचालन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल की अवसंरचना और जनशक्ति में प्रारंभिक कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्रक

114. नीचे की तालिका 5.4.1.3 में नौवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक का परिव्यय और व्यय दर्शाया गया है।

तालिका 5.4.1.3
स्वास्थ्य के लिए अनुमोदित परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

नौवीं योजना का परिव्यय 1997-2002	ब.अ. 1997-98	वास्तविक 1997-98	ब.अ. 1998-99	वास्तविक 1998-99	ब.अ. 1999-2000	प्रत्याशित व्यय 1999-2000	ब.अ. 2000-01	संशोधित अनुमान 2000-02	ब.अ. 2001-02
5118.19	920.20	716.15	1145.20	814.34	1160.00	1000.00	1300.00		1450.00

115. स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्रक है जो विशेष कार्य योजना के अंतर्गत रखा गया है। घरेलू बजटीय सहायता से उपलब्ध निधियों के अतिरिक्त, अनेक केन्द्र-प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ईएपी से धनराशियां प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी स्कीमों (सीएसएस सहित) के परिव्यय **संलग्नक 5.4.1.2** में दिए गए हैं।

संलग्नक 5.4.1.1
राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए परिव्यय

(रुपये लाखों में)

राज्य	नौवीं योजना स्वास्थ्य परिव्यय	1997-98				1998-99			
		परिव्यय		वास्तविक व्यय		परिव्यय		प्रत्याशित व्यय	
		स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	63052.00	13937.00	2923.60	12366.00	2923.60	20046.00	3923.60	19865.00	एनए
अरुणाचल प्रदेश	33502.00	3149.00	1021.00	1782.00	1021.00	3520.00	1072.00	1814.00	एनए
असम	38410.00	6561.00	3120.00	6223.00	3120.00	7191.00	4334.00	6887.00	4334.00
बिहार	83200.00	7245.00	5059.00	4950.00	3726.00	12177.00	7518.00	6902.00	3218.28
गोवा	8122.00	1082.00	187.80	1032.00	187.80	772.00	101.95	1069.00	105.70
गुजरात	83225.00	22093.00	12177.00	17180.00	10424.01	23550.00	12132.31	17179.00	एनए
हरियाणा	35134.00	3882.00	1425.00	4493.00	1425.00	5946.00	2700.00	4126.00	2700.00
हिमाचल प्रदेश	31765.00	5544.00	2659.10	6535.00	2369.31	8965.70	3341.54	8164.00	3341.54
जम्मू तथा कश्मीर	110029.00	7450.00	6460.00	6989.00	6460.00	11385.51	6334.86	8244.00	6896.80
कर्नाटक	110000.00	18359.00	12713.00	21914.00	12713.00	19544.30	11785.00	22909.00	11615.85
केरल	30940.00	6096.00	855.00	5828.00	855.00	6200.00	775.00	7343.00	775.00
मध्य प्रदेश	56787.00	9331.00	5604.00	7031.00	5604.00	17351.47	4357.78	14524.00	4357.78
महाराष्ट्र	91823.00	17391.00	9882.00	13811.00	9882.00	22993.00	7142.00	16224.00	एनए
मणिपुर	3600.00	630.00	271.65	540.00	271.65	809.35	600.00	809.00	550.00
मेघालय	14000.00	2430.00	1306.50	1790.00	1306.50	2430.00	2000.00	2360.00	1750.00
मिजोरम	11201.00	1651.00	795.00	1651.00	795.00	1816.00	794.41	1785.00	781.66
नागालैण्ड	10631.00	2506.00	1017.00	2480.00	1017.00	2128.00	950.00	2022.00	1139.00
उड़ीसा	41606.00	4104.00	1907.89	5198.00	2737.09	7526.21	3465.19	7042.00	4376.01
पंजाब	51159.00	9938.00	3432.00	3187.00	3432.00	16352.00	2579.60	8374.00	1968.60
राजस्थान	77060.00	13919.00	7005.05	12339.00	7005.05	15289.00	8830.00	10991.00	6600.00
सिक्किम	8000.00	857.00	267.15	757.00	267.15	814.00	275.05	1914.00	एनए
तमिलनाडु	78052.00	8909.00	2440.86	11005.00	2440.86	11650.93	3388.14	12843.00	3388.14
त्रिपुरा	8559.00	1371.00	619.00	1091.00	619.00	1407.92	659.00	1448.00	659.00
उत्तर प्रदेश	118500.00	17312.00	12836.00	15609.00	13037.00	40551.00	27813.00	10862.00	9432.00
पश्चिम बंगाल	97864.00	20633.00	1500.00	3322.00	1030.62	19286.00	3103.00	7811.00	3616.00
कुल राज्य	1296221.00	206380.00	97484.60	169103.00	94669.64	279702.39	119975.43	203511.00	71605.36
संघ राज्य क्षेत्र									
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	7741.00	1559.00	671.00	1831.59	671.00	1895.00	786.00	2055.29	एनए
चण्डीगढ़	17065.00	3617.00	353.00	3748.90	353.00	3548.30	222.50	3297.61	एनए
दादर तथा नागर हवेली	514.00	219.00	207.50	148.87	207.50	252.70	91.45	189.82	एनए
दमन तथा दीव	887.00	133.00	97.00	165.96	97.00	173.00	153.80	186.91	एनए
दिल्ली	110140.00	15240.50	1800.00	12684.15	1800.00	19700.00	3619.00	13994.62	एनए
लक्षद्वीप	817.46	233.85	151.77	267.78	151.77	333.00	71.00	323.61	एनए
पाण्डिचेरी	10000.00	1630.00	240.52	1546.97	240.52	2370.00	303.87	1921.30	330.28
योग (संघ राज्य क्षेत्र)	147164.46	22632.35	3520.79	20394.22	3520.79	28272.00	5247.62	21969.16	330.28
कुल जोड़ (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	1443385.46	229012.35	101005.39	189497.22	98190.43	307974.39	125223.05	225480.16	71935.64

संलग्नक 5.4.1.1 (जारी)
राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए परिव्यय

(रूपये लाखों में)

राज्य	1999-2000				2000-01	
	परिव्यय		संशोधित अनुमान		परिव्यय	
	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी	स्वास्थ्य	एमएनपी/ बीएमपी
1	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	28033.00	1197.00	28033.00	एनए	27749.95	2841.20
अरुणाचल प्रदेश	2947.00	998.00	2957.00	998.00	2068.93	998.00
असम	7741.00	4534.00	7732.00	एनए	7439.00	3243.00
बिहार	12768.00	10800.00	7376.00	6919.34	9891.01	4309.00
गोवा	1646.00	106.55	1446.00	एनए	1423.00	11.70
गुजरात	25100.00	11342.82	25100.00	11342.82	26000.00	11905.53
हरियाणा	5327.00	2700.00	4229.00	2400.00	5648.00	351.70
हिमाचल प्रदेश	10555.00	3319.83	11495.00	एनए	9685.09	1334.00
जम्मू तथा कश्मीर	11974.00	6312.79	12577.00	6312.79	10595.17	7277.00
कर्नाटक	22774.00	17200.25	22911.00	17254.32	22558.11	1126.95
केरल	6400.00	607.00	5600.00	607.00	6335.00	627.00
मध्य प्रदेश	13524.00	4056.69	12425.00	एनए	11217.62	7006.32
महाराष्ट्र	27798.00	6856.93	27798.00	6856.93	30485.85	1860.00
मणिपुर	1080.00	550.00	1080.00	एनए	1250.00	728.40
मेघालय	3079.00	2329.00	3050.00	2329.00	3300.00	2600.00
मिजोरम	2286.00	1830.00	2546.00	2090.00	2562.00	942.00
नागालैण्ड	2128.00	1139.00	2025.00	1139.00	1577.00	940.00
उड़ीसा	13208.00	4127.72	5045.00	एनए	8405.05	1478.25
पंजाब	18319.00	2458.00	17313.00	2093.00	19187.00	606.00
राजस्थान	17262.00	9656.00	12185.00	6500.00	9914.94	1446.00
सिक्किम	1559.00	540.05	1559.00	एनए	1200.00	590.00
तमिलनाडु	12426.00	2442.99	15819.00	एनए	12724.42	1571.85
त्रिपुरा	1355.00	630.00	1558.00	एनए	1442.46	851.00
उत्तर प्रदेश	42816.00	15413.57	8600.00	एनए	30200.00	8723.00
पश्चिम बंगाल	23502.00	3246.00	20000.00	2116.00	32176.00	2518.00
कुल राज्य	315607.00	114394.19	260459.00	68958.20	295035.60	65885.90
संघ राज्य क्षेत्र						
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2000.00	956.00	2000.00	21.63	1900.00	219.00
चण्डीगढ़	3483.00	250.50	3406.63	एनए	3717.00	100.00
दादर तथा नागर हवेली	280.00	121.45	280.00	एनए	217.80	19.80
दमन तथा दीव	136.00	128.00	136.00	एनए	150.10	17.10
दिल्ली	27345.00	5525.00	20908.00	एनए	26642.00	180.00
लक्षद्वीप	229.03	141.09	229.03	एनए	281.45	52.42
पाण्डिचेरी	2720.00	453.00	2800.66	446.49	2720.00	71.55
योग (संघ राज्य क्षेत्र)	36193.03	7575.04	29760.32	468.12	35628.35	659.87
कुल जोड़ (राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र)	351800.03	121969.23	290219.32	69426.32	330663.95	66545.77

@ - कार्यकारी दल द्वारा यथाअनुशासित

* बीई स्तर पर

स्रोत: 1) राज्य योजना विभाग, योजना आयोग

2) वार्षिक योजना दस्तावेज राज्य सरकार

संलग्नक 5.4.1.2

स्कीमवार अनुमोदित योजना परिव्यय और व्यय नौवीं योजना के दौरान (1997-98 से 2001-02)

कार्यक्रम / स्कीम	नौवीं योजना परिव्यय (1996-97)	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01	2001-02
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
केन्द्र-प्रयोजित स्कीमें									
1. मलेरिया नियंत्रण काना अजार, फाइलेरिया ब. जे.ई. नियंत्रण सहित	1035.00	200.00	142.76	297.00	162.19	250.00	205.00	220.00	225.00
2. कुष्ठ रोग नियंत्रण सहित	301.00	75.00	79.56	79.00	77.92	85.00	82.00	74.00	75.00
3. टी.बी. नियंत्रण	450.00	90.00	31.31	125.00	70.42	105.00	95.00	130.00	136.00
4. अंधता नियंत्रण	448.00	70.00	58.06	75.00	72.73	85.00	84.00	110.00	140.00
5. गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम	2.00	0.50	0.38	0.50	0.39	0.25	0.25	0.17	0.10
6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एसटीडी और रक्त सुरक्षा उपर्यो सहित)	760.00	100.00	121.00	111.00	99.26	140.00	140.00	175.00	210.00
जोड़ 1-6	2996.00	535.50	433.07	687.50	482.91	665.25	606.25	709.17	786.10
7. अन्य कार्यक्रम	15.00	7.59	0.80	4.50	0.18	4.70	4.68	7.50	
8. ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण, नजफगढ़	4.00	0.80	0.20	0.80	0.17	0.80	0.20	1.20	1.00
9. संचारी रोग नियंत्रण	109.70	22.71	16.54	24.97	13.48	27.20	22.13	31.23	37.14
10. असंचारी रोग नियंत्रण / रोक	251.50	28.11	26.12	39.35	35.54	46.15	51.30	62.88	72.00
11. अस्पताल और डिस्पेंसरीयां	247.00	51.35	34.58	57.14	40.53	72.70	53.63	82.56	79.78
12. चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	1179.00	202.53	178.26	254.61	223.18	289.74	228.71	327.36	375.98
13. अन्य कार्यक्रम	315.99	71.61	26.58	76.33	18.35	53.46	33.10	78.10	98.00
(1) अन्य सभी कार्यक्रम	255.99	71.61	26.58	70.33	18.35	47.46	33.10	75.10	97.00
(2) पीएफए और औषधियों के लिए क्षमता निर्माण	60.00			6.00		6.00		3.00	1.00
कुल जोड़	5118.19	920.20	716.15	1145.20	814.34	1160.00	1000.00	1300.00	1450.00

5.4.2 भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियां

1. भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी, तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी प्रणालियां शामिल हैं। इसमें से कुछ प्रणालियां तो स्वदेशी हैं और अन्य प्रणालियां वर्षों से अपनाई जाने के कारण भारतीय परंपरा का हिस्सा बन गई हैं। भारत में छह लाख से भी अधिक आईएसएम और एच प्रणाली के चिकित्सक हैं। इनमें से अधिकांश चिकित्सक निजी क्षेत्रक में कार्यरत हैं और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों / शहरी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में काम करते हैं और जनसमुदाय ने इन्हें स्वीकार कर लिया है।

2. आईएसएम और एच के सामने जो समस्याएं हैं उनमें से कुछ ये हैं- प्रशिक्षण संस्थानों में सुयोग्य अध्यापकों की कमी (अतः प्रशिक्षण की गुणवत्ता समुचित स्तर की नहीं है); प्रशिक्षण की गुणवत्ता का अपेक्षित मानक का न होना; द्वितीय/तृतीयक देखभाल संस्थाओं में आवश्यक स्टाफ, अवसंरचना और नैदानिक सुविधाओं की कमी; आईएसएम और एच औषधियों और उपचार विधियों की क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाना और स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने का मौजूदा आईएसएम और एच चिकित्सकों की सेवाओं का पूरा उपयोग न हो पाना।

3. केन्द्रीय सरकार ने जनता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आईएमएस और एच के विकास और इष्टतम उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सन् 1995 में आईएसएम और एच विभाग की स्थापना की। 18 राज्यों में भी आईएसएम और एच के अलग निदेशालय हैं। नौवीं योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि आईएमएस और एच विभाग अवसंरचना और जनशक्ति का विकास करके अपनी सेवाओं की गुणवत्ता, अन्तर्वस्तु और व्याप्ति-क्षेत्र को बढ़ाएं; औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियों की परिरक्षा करें और उनकी खेती को बढ़ावा दें; भारत की सभी चिकित्सा/आयुर्विज्ञान प्रणालियों के लिए भेषजकोष तैयार करें, आवश्यक औषधियों की सूची बनाएं; अच्छी औषधि निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहन दें, औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करें और औषधि विकास तथा पेटेंट व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आईएसएम और एच में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा दें।

मौजूदा अवसंरचना / आधारभूत ढांचा

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थाएं

4. आईएसएम और एच सेवाएं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्तर पर निजी, स्वैच्छिक क्षेत्रक और सरकारी केन्द्रों / संस्थानों द्वारा दी जा रही हैं। आईएसएम और एच के अंतर्गत उपलब्ध अवसंरचना, चिकित्सा-जनशक्ति और चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं की वर्तमान स्थिति तालिका 5.4.2.1 में दी गई है।

तालिका 5.4.2.1

क्रम.सं ख्या	सुविधाएं	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योग	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	जोड़
-----------------	----------	----------	--------	-------	-----	-----------------------	------------	------

1	अस्पताल/चिकित्सालय	2258	196	224	8	21	297	3004
2	शय्या	40313	4872	1811	101	733	12836	60666
3	औषधालय/डिस्पेंसरियां	14416	970	363	42	56	7155	23028।
4	पंजीकृत चिकित्सालय	367528	41221	12915	-	388	189361	611413
5	(i) अवस्नातक महाविद्यालय \$	196	40	2	-	-	149	387
	(ii) प्रवेश क्षमता	7070	1280	150	-	-	7610	16110
6	(i) स्नातकोत्तर महाविद्यालय \$	49	3	2	-	-	14	68
	(ii) प्रवेश क्षमता	645	35	70	-	-	186	936

टिप्पणी: शून्य सूचना आंकड़े अनन्तिम।

** 1.1.99 की स्थिति। स्रोत: आईएसएमएच विभाग।

\$ 1.10.2000 की स्थिति। सीसीआईएम/सीसीएच द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित

* इनमें 26 अमाची डिस्पेंसरियां भी शामिल हैं

5. भारत में आईएसएम और एच के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल का एक बहुत बड़ा ढांचा मौजूद है। आईएसएम और एच में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इसमें 61143 चिकित्सक, 3004 अस्पताल, 60666 रोगी शय्या और आईएसएम और एच औषधियों की 23028 डिस्पेंसरियां हैं।

6. आईएसएम और एच अवसंरचना / ढांचे के कार्यों का राज्य-वार वितरण **संलग्नक 5.4.2.1** में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात में आईएसएम और एच चिकित्सक कुछ दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही चिकित्सा व्यवसायिकों के रूप में नियुक्त हैं और वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश तथा केरल जैसे राज्यों में, आईएसएम और एच चिकित्सक, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के काय-चिकित्सकों के साथ-साथ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में नियुक्त हैं जिससे कि दोनों प्राणालियों के अंतर्गत पूरक स्वास्थ्य देखभाल रोगी की पसंद के अनुसार और स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए दी जा सके। कुछ राज्य, जिला अस्पतालों में आईएसएम और एच क्लिनिक स्थापित कर रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में आयुर्वेद और होम्योपैथी के विशिष्ट क्लिनिक और राममनोहर लोहिया अस्पताल में यूनानी चिकित्सा का क्लिनिक, तत्सम्बन्धी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के माध्यम से अनुसंधानात्मक कार्यकलाप के तौर पर स्थापित किए गए हैं। नियमित बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) के अलावा, कुशल अग्रणी वैद्य/हकीम/होम्योपैथ इन क्लिनिकों में अपनी सेवाएं सप्ताह में एक बार देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए एक उन्नत आयुर्वेदिक केन्द्र "निमहैन्स" बंगलौर में स्थापित किया गया है। कुछ चुने हुए राज्यों और नगरों में परिवार कल्याण विभाग आरसीएच औषधियों के एक भाग के रूप में आईएसएम और एच दवाएं देता है।

7. आईएसएम और एच क्षेत्रक में निम्नलिखित कार्य करने बहुत जरूरी हैं:

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में, आईईसी, परामर्श, अधिक उपयोग और उपचार व्यवस्था में सुधार के लिए सरकारी, स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रक में कार्यरत आईएसएम और एच चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करना।
- आईएसएम और एच सुविधाओं को मजबूत और उन्नत और पूर्णरूप से कार्यात्मक बनाना, ताकि वे प्रवर्तक और रोगहर सेवाएं दे सकें।
- दूरस्थ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित आईएसएम और एच सेवाओं का उपयोग जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए करना ।

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आईएसएम और एच के सक्षम उपचारों/औषधों का पता लगाना और उनकी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- स्थानीय लोगों को स्थानीय रूप से उपलब्ध आम बीमारियों में काम आने वाले औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में जागरूक बनाकर उन्हें उनकी खेती करने या उन्हें इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना।
- पारंपरिक और आईएसएम और एच सम्बन्धी स्वास्थ्य पद्धतियों में अभिविन्यास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के पारंपरिक खाद्यों, उपचारों / दवाओं और पद्धतियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन और प्रचार करना।
- अस्पतालों में रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल की पूरक प्रणाली की व्यवस्था करने के प्रयत्नों पर नजर रखना और यह देखना कि रोगियों द्वारा उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है और उसमें यथासमय सुधार करना।
- तृतीयक देखभाल की संस्थाओं, विशेषतः आईएसएम और एच महाविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थाओं से संबद्ध संस्थाओं में सुधार करना ताकि इसके साथ-साथ अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा रोगी की देखभाल में भी सुधार हो।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थाओं के बीच प्रभावकारी रेफरल सम्बन्ध स्थापित करना।

आई एस एम और एच के लिए मानव संसाधनों का विकास

आई एस एम और एच में व्यवसायिक प्रशिक्षण

8. विभिन्न भारतीय प्रणालियों के लगभग 16000 आई एस एम और एच के छात्र हर वर्ष स्नातक बनते हैं, फिर भी अनेक आई एस एम और एच महाविद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं अथवा सुयोग्य जनशक्ति नहीं है, वहां अध्यापन, और प्रशिक्षण सामग्री का अभाव है और वे इष्टतम स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। इस समय आईएसएम और एच के अंतर्गत 387 अवस्नातक महाविद्यालय और 68 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, इनमें से अधिकांश महाविद्यालय आयुर्वेद के हैं जिनमें से बहुत से तो गत दशक में ही स्थापित हुए हैं। राज्यों के बीच इन महाविद्यालयों का बंटवारा एकसमान नहीं है। उदाहरणार्थ, 196 अवस्नातक आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में से 55 महाराष्ट्र में और 45 कर्नाटक में है, इनमें से अनेक महाविद्यालय वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे हैं। इनमें से कई संस्थाओं में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता इष्ट स्तर की नहीं है। प्रशिक्षण के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, ताकि जो छात्र इन महाविद्यालयों से स्नातक बनकर निकले वे रोगियों के स्वास्थ्य की प्रभावकारी देखभाल कर सकें।

9. आईएसएम और एच विभाग ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान की केन्द्रीय परिषद और होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषद शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण और पाठ्यचर्या में संशोधन का कार्य करती है। राज्यों और केन्द्र के आईएसएम और एच विभाग आईएसएम और एच प्रणालियों के मौजूदा अवस्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में सुधार करने और उन्हें सबल बनाने के लिए धनराशियों की व्यवस्था करते हैं, ताकि ये महाविद्यालय सीसीआईएम / सीसीएच द्वारा निर्धारित प्रतिमानों को प्राप्त कर सकें। इन धनराशियों का उपयोग घाटे को पूरा करने के लिए, पुस्तकालयों को उन्नत बनाने के लिए और उपस्कर प्राप्त करने के लिए इष्टतम रूप से किया जाना चाहिए।

10. सरकारी तथा निजी-दोनों क्षेत्रों में स्थित इन महाविद्यालयों की कार्यात्मक स्थिति में सुधार करने की कार्यविधियों पर बराबर चर्चाएं चलती रहती हैं। यह सुझाव दिया गया है कि सीसीआईएम / सीसीएच को शिक्षा के मानक बनाए रखने में सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी; सीसीआईएम / सीसीएच केवल उन्हीं संस्थाओं को मान्यता प्रदान करें जिनके पास आधारभूत सुविधाएं और जनशक्ति मौजूद हो। मान्यता देने से पहले प्रारंभिक निरीक्षण करने के अलावा बाद में भी समय-समय पर इन महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें मान्यता इस शर्त पर जारी रखी जानी चाहिए कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं इसमें सुधार करने के लिए उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना भी आवश्यक है ताकि ये स्नातक रोगियों की देखभाल प्रभावकारी ढंग से कर सकें।

11. यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर आई एस एम और एच विभाग प्रत्येक बड़ी प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय संस्था को सहायता दे; उदाहरणार्थ, होम्योपैथी के एक राष्ट्रीय संस्थान और यूनानी प्रणाली के एक राष्ट्रीय संस्थान को केन्द्र से सहायता-समर्थन मिले। ये संस्थाएं आदर्श संस्थाएं होंगी जो प्रतिमान निर्धारित करने में सहायता देंगी और प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रोगी की देखभाल में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकारें कम से कम एक राज्य स्तरीय महाविद्यालय को पूरी तरह विकसित करने की जिम्मेदारी लेंगी, ऐसे महाविद्यालय में प्रत्येक प्रणाली के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी। सभी सरकारी आई एस एम और एच महाविद्यालयों को चरणबद्ध रीति से सबल बनाया जाएगा। सबल बनाने के लिए आवश्यक धनराशियां अंशतः शिक्षा शुल्क / ट्यूशन फीस की वसूली से प्राप्त होगी, जिसमें विदेशों से प्रवेश लेने वाले छात्रों की फीस भी शामिल होगी, और आंशिक रूप से इन महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में रोगों की देखभाल के लिए प्राप्त होने वाले प्रयोक्ता प्रभारों से पूरी की जाएंगी। इसके लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है: इन संस्थाओं में रोगी की देखभाल और छात्रों के शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। जब शिक्षा के मानकों/स्तर में सुधार हो जाएगा तब ये संस्थाएं विदेशी छात्रों को आकर्षित कर सकेंगी।

आई एस एम और एच में परा-व्यावसायिक प्रशिक्षण

12. आईएसएम और एच में सुप्रशिक्षित परा-व्यावसायिकों की कमी आईएसएम और एच स्वास्थ्य संस्थाओं की देखभाल सम्बन्धी घटिया गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। आईएसएम और एच विभाग इस समय यूनानी प्रणाली में नर्सिंग/उपचर्या और फार्मसी के पाठ्यक्रम चलाने के लिए कदम उठा रहा है। कुछ निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें आयुर्वेद फार्मसी के पाठ्यक्रम चला रही हैं। केरल तथा राजस्थान जैसे राज्य आयुर्वेदिक उपचर्या (नर्सिंग) में पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को किसी सांविधिक निकाय से मान्यता प्राप्त नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आई एस एम और एच में सतत आयुर्वेदानिक शिक्षा

13. आईएसएम और एच चिकित्सकों में से अधिकांश ने मान्यताप्राप्त संस्थाओं से अर्हता प्राप्त कर रखी है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के व्याप्ति क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश चिकित्सक निजी क्षेत्रक में कार्यरत हैं और सतत आयुर्वेदानिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनके ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने की आवश्यकता है। आईएसएम और एच विशेषज्ञों को चाहिए कि वे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों के परामर्श से, सीएमई कार्यक्रम तैयार करें, ताकि आईएसएम और एच चिकित्सक अपनी शाखा-विशेष में ही नहीं बल्कि चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी अपनी जानकारी को अद्यतन बनाए रख सकें। इससे आईएसएम और एच चिकित्सक आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकेंगे और स्वास्थ्य देख-भाल कार्यक्रमों की मुख्य धारा में प्रवेश पा सकेंगे। आईएसएम और एच विभाग के पास पुनरभिविन्यास/सेवाकालीन प्रशिक्षण की एक स्कीम है जिसके लिए नौवीं योजना अवधि में 6.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था है। इस स्कीम के अंतर्गत अध्यापकों और काय-चिकित्सकों के लिए एक महीने के पाठ्यक्रम और क्षारसूत्र, पंचकर्म चिकित्सा और दंतचिकित्सा जैसे विशेषज्ञतापेक्षित विषयों में प्रत्येक के लिए 2 महीने के पाठ्यक्रम और योग के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यह प्रशिक्षण आईएसएम और एच कार्मिकों द्वारा दिया जाता है। परिवार कल्याण विभाग ने 30 आईएसएम और एच संस्थाओं के लिए 68.8 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से वे आईएसएम और एच चिकित्सकों को आरसीएच कार्यक्रमों में अभिविन्यास प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण-पूर्व कार्यक्रम चलाएंगे।

14. संक्षेप में, आईएसएम और एच सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर प्रत्येक प्रणाली में राष्ट्रीय संस्थान के रूप में एक केन्द्र विकसित किया जाए, जो एक आदर्श केन्द्र के रूप में कार्य करे।
- ऐसी सरकारी संस्थाओं को सबल बनाने के लिए सहायता-समर्थन दिया जाए जो सुपरिभाषित परियोजनाएं प्रस्तुत करें।
- सभी शैक्षिक संस्थाओं को उनके द्वारा भर्ती नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से पहले प्रत्यायन प्रदान किया जाए और मान्यता को आगे चालू रखने के लिए उनकी समय-समय पर अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाए।
- इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए कि छात्रों के लिए ऐसे अस्पताल उपलब्ध हों जहां अपेक्षित संख्या में रोगी आते हों और भर्ती रहते हों, ताकि छात्रों को वहां नैदानिक प्रशिक्षण मिल सके और वे अपने नैदानिक कौशल को विकसित कर सकें।
- प्रवेश के मानकों तथा पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित की जाए।
- अवस्नातक प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा सुसंगतता में सुधार किया जाए और यथासंभव बहु-व्यावसायिक अन्तरक्रिया के साथ, इंटरनशिप की अवधि के जरिये, नैदानिक कौशलों में भी सुधार किया जाए।
- स्नातक तथा सीएमई पाठ्यक्रमों में आवश्यक पाठ्यचर्यात्मक परिवर्तन किए जाएं और पाठ्यक्रम की उपयुक्त अन्तर्वस्तु/सामग्री विकसित की जाए ताकि प्रत्याशित कार्य-निष्पादन से संबंधित अधिगम-अनुभवों का स्वरूप तैयार किया जा सके अर्थात् आईएसएम और एच के चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श कार्य में अधिकाधिक शामिल किया जाए और उनकी सेवाओं के उपयोग में सुधार किया जाए।

औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों का परिरक्षण और उनकी खेती को बढ़ावा देना

15. आईएसएम और एच में औषधियों की बढ़ती हुई मांग को और इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि औषधीय पौधों की प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, आईएमएस और एच विभाग ने औषधीय पौधों के विकास और उनकी खेती के लिए संसाधन बढ़ाए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय सहायता देकर इन जड़ी-बूटियां तथा पौधों की खेती और विकास के जरिये कच्ची जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जड़ी-बूटियों के बगीचों में पूंजी लगा रहे हैं ताकि आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए आवश्यक औषधियां राज्य सरकार द्वारा उचित कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकें।

16. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में काम आने वाले औषधीय पौधों की खेती और कृषि तकनीकों के विकास के लिए भी विभाग के पास एक केन्द्रीय स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत, कुछ निर्धारित औषधीय पौधों की कृषि-तकनीकों के विकास के लिए परियोजना के आधार पर विशेषज्ञता-प्राप्त वैज्ञानिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। विभाग लगभग 126 औषधीय पौधों के लिए कृषि तकनीकें विकसित करने के लिए विभिन्न संगठनों में 34 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2000-01 के दौरान औषधीय पौधों से संबंधित स्कीमों पर खर्च करने के लिए 350 लाख रुपयों का आबंटन किया गया था।

17. स्वास्थ्य की देखभाल की कुछ ऐसी भी पारंपरिक पद्धतियां हैं जिनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों का उपयोग में लाया जाता है। इस विरासत का सर्वेक्षण, अन्वेषण और वैज्ञानिक अध्ययन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि उसका अधिकतम उपयोग विशेष रूप से ऐसे स्थानों पर और समय में किया जा सके जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस बात की भी नितान्त आवश्यकता है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को बाहरी लोगों / संस्थाओं द्वारा पेटेंट कराने से रोका जाए। इसके लिए, समस्त उपलब्ध जानकारी को डिजिटल फार्म में बाकायदा दर्ज किया जाए; इस हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक उपयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जाए। एक भारतीय परंपरागत ज्ञान आधारित डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

18. योजना आयोग ने औषधीय पौधों के परिरक्षण, उत्पादन, संधारणीय उपयोग और विधिक संरक्षण के लिए एक कार्य-बल का गठन किया था। उसकी एक सिफारिश यह थी कि औषधीय पौधा क्षेत्रक के एकीकृत विकास के लिए "औषधीय पौधा बोर्ड" स्थापित किया जाए। यह आशा की जाती है कि औषधीय पौधों के विपणन और व्यापार को औपचारिक रूप देकर संगठित किया जाएगा, इस क्षेत्रक के सभी पणधारियों के प्रयासों को समन्वित किया जाएगा और जड़ी-बूटियों के उत्पादों के प्रति जागरूकता और उनकी उपलब्धता बढ़ाकर सबके लिए स्वास्थ्य की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, संधारणीय आधार पर एक करोड़ जनजातीय लोगों और महिलाओं के लिए उत्पादक रोजगार पैदा किया जाएगा।

19. कार्य-बल की सिफारिशों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर आईएसएम और एच विभाग ने एक औषधीय पौधा बोर्ड गठित किया है। इस शीर्ष के अंतर्गत वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान 16.10 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

भेषजकोशीय मानक

20. उचित लागत पर अच्छी गुणवत्ता वाली औषधियों की उपलब्धता किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। इस समय देश औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की समस्याओं से जूझ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान की भेषज प्रयोगशाला (पीएलआईएम) और गाजियाबाद स्थित होम्योपैथी भेषज प्रयोगशाला (एचपीएल) आईएसएम और एच की प्रमुख औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनके अलावा, राज्य सरकारों को भी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कहा गया है। औषधिकोशीय मानक स्थापित करने के कार्य को नौवीं योजना में प्राथमिकता दी गई है।

21. विभाग ने गत दो वर्षों में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को अन्तिम रूप देकर अधिसूचित किया है। गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में एक बड़ी समस्या यह थी कि आईएसएम और एच औषधियों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की कमी थी। विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेशियों की एक स्कीम प्रारम्भ की है। इसके लिए 40.00 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

22.

- सीसीआरएस की प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के विभागों की रसायन तथा जैव-रसायन प्रयोगशालाओं का उपयोग किए जाने की व्यवहार्यता को खोजा जाए।
- साथ ही, औषधि नियंत्रकों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के कठोर उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और धटिया स्तर की और नकली औषधियों के निर्माण आदि को रोकने के लिए बनाए गए चमत्कारिक उपचार निवारक अधिनियम और औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के कठोरतापूर्वक प्रवर्तन की व्यवहार्यता को भी खोजा जाए।

अनुसंधान और विकास

23. नौवीं योजना में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों को सबल बनाकर और अन्य अनुसंधान अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करके नए औषधियोगों और प्रभावोत्पादकता की संभावना वाली औषधियों का नैदानिक परीक्षण किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आईएसएम और एच निविष्टियों में सुधार पर लक्षित अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने पर भी विशेष बल दिया जाए। तदनुसार बीमारियों में परंपरागत रूप से काम में ली जाने वाली औषधियों और जनजातीय समुदायों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कुशलता तथा प्रभावकारिता का नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है और नए औषधियोग विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं।

24. आईएसएम और एच की चार अनुसंधान परिषदें इस समय आईएसएम और एच औषधियों पर नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण पर औषधि अनुसंधान अध्ययन, औषधीय पौधों का सर्वेक्षण और संग्रह, होम्योपैथिक औषधियों की शक्ति का अनुपात, साथ ही, भिन्न-भिन्न होम्योपैथिक दवाओं के शैल्फ जीवन का अध्ययन, नैदानिक अनुसंधान, अपनी प्रणाली की औषधियों का मानकीकरण और आयुर्वेद में उपलब्ध मौखिक गर्भनिरोधकों का भेषज-गुणवैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी कार्य कर रही हैं। अनुसंधान परिषदों के अतिरिक्त, विभाग

के पास भी भित्तिक-बाह्य अनुसंधान का एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अनुसंधान संस्थाओं को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धनराशियां दी जाती हैं। चल रही अनुसंधान परियोजनाएं संख्या में कम हैं और बिखरी हुई हैं और उनमें से थोड़ी ही प्राथमिकताप्राप्त निर्धारित क्षेत्रों में है। अनुसंधान संस्थानों और शिक्षा तथा सेवा संस्थाओं के बीच के सम्बन्धों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होना

25. आईएसएम और एच विभाग परिवार कल्याण विभाग के आरसीएच कार्यक्रम के साथ संबद्ध है। आरसीएच में आईएसएम और एच चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए तीस संस्थान निर्धारित किए गए हैं और उनके लिए धनराशियों की व्यवस्था की गई है। एएनएम की किट में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रक के अन्य कार्यक्रमों, जैसे मलेरिया, तपेदिक नियंत्रण, प्रवाहिका / पेचिश आदि रोगों के नियंत्रण में साथ लेने का कार्यक्रम चरणबद्ध रीति से हाथ में लिया जाएगा।

परिव्यय और व्यय

26. नौवीं योजना की अवधि में, आईएसएम और एच विभाग के लिए प्रस्तवित कुल परिव्यय 266.35 करोड़ रुपये है। वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक की वार्षिक योजनाओं के लिए परिव्यय और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

आईएसएम और एच विभाग के लिए अनुमोदित परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

1997-98 (ब. अ.)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (ब. अ.)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (ब. अ.)	2000-01 (वास्तविक)	2000-01 (ब. अ.)	2000-01 संशोधित अनुमान	2001-02 (ब. अ.)
35.30	32.80	50.00	49.00	59.04	52.04	100.00	90.00	120.00

27. विभाग अपनी सभी पहले वाली स्कीमें आगे चालू रख रहा है और उसने 13 नई स्कीमें शुरू की हैं या शुरू करने जा रहा है। वार्षिक परिव्यय की राशि 120.00 करोड़ है, इसलिए प्रत्येक हिस्से में औसतन प्रतिवर्ष 3.00 करोड़ रुपये आते हैं। इससे स्कीमों के उत्तरदायित्व, प्रबंध और निवेश की कुशलता की दृष्टि से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। विभिन्न कार्यकलाप, जिनके लिए संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाती है, एक बड़ी स्कीम की परिधि में लाए जा सकते हैं। विभाग और योजना आयोग जिस तरह से आगे चलने वाले कार्यकलापों की पुनःसंरचना या प्रस्ताव कर रहा है उससे संसाधनों का फैलाव बहुत भिन्न होने से बच जाएगा और विभाग का महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केन्द्रित कराने में सहायक होगा।

1.4.1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के अधीन कार्यरत औषधालयों की राज्यवार/प्रणालीवार संख्या

क्र. स.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	आयुर्वेद			यूनानी			होम्योपैथी			अन्य		
		औषधालय	अस्पताल	बेड	औषधालय	अस्पताल	बेड	औषधालय	अस्पताल	बेड	औषधालय	अस्पताल	बेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1437	8	444	207	7	390	286	6	280	0	1	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	1	15	1	-	-	41	-	-	0	0	0
3.	असम ढ	329	2	130	1	-	-	75	3	105	4	1	25
4.	बिहार ढ	522	9	871	128	4	414	181	1	100	0	0	0
5.	दिल्ली ढ	122	9	771	19	4	311	95	3	190	0	11	50
6.	गोवा	59	6	245	-	-	-	56	-	-	0	0	0
7.	गुजरात	539	45	1745	-	-	-	34	9	730	10	1	1
8.	हरियाणा	414	6	840	20	1	10	20	-	-	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1064	16	330	3	-	-	14	-	-	0	2	25
10.	जम्मू तथा कश्मीर ढ	247	1	25	171	2	200	2	-	-	25	1	10
11.	कर्नाटक	561	124	6132	45	11	202	25	25	1480	11	18	586
12.	केरल	759ढ	109	2561ढ	1ढ	-	-	2754	72	1440	9ढ	1ढ	30
13.	मध्य प्रदेश	2105	34	1160	56	1	60	202	12	590	0	0	0
14.	महाराष्ट्रढ	463	73	11713	23	10	1400	-	77	5505	0	0	0
15.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	9	1	10	1	2	65
16.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0	0	0
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	1	-	-	0	0	0
18.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	0	0
19.	उड़ीसा	527	8	323	9	-	-	503	5	150	65	0	0
20.	पंजाबढ	489	11	771	35	-	-	105	6	185	0	0	0
21.	राजस्थान	3486	90	1179	79	5	270	121	5	160	3	2	22
22.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	0
23.	तमिलनाडु	10	4	267	6	1	54	41	3	150	339	221	1716
24.	त्रिपुरा	30	1	10	-	-	-	66	1	20	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेशढ	713ढ	1671	9911	148ढ	136	1186	1378	36	99ढ	0	0	0
26.	पश्चिम बंगालढ	254	3	215	-	2	110	899	14	682	0	0	0
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	7	-	-	0	0	0
28.	चण्डीगढढ	5	1	150	-	-	-	4	1	25	0	1	0
29.	दादरा तथा नगर हवेली	1	1	1ढ	-	-	-	1	1	ढ	0	0	0
30.	दमन तथा दीव	1	1	5	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	4	-	-	-	-	-	2	-	-	0	0	0
32.	पांडिचेरी	12	-	-	-	-	-	1	-	-	8	0	0
33.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	31	1	25	9	-	-	34	-	-	5	0	0

34.	केन्द्रीय अनुसन्धान परिषदें	32	20	475	8	12	265	41	5	105	4	2	85
35.	रेल मंत्रालय	38	-	-	-	-	-	124	-	-	0	0	0
36.	श्रम मंत्रालय	129	-	-	1	-	-	25	-	-	2	0	0
37.	कोयला मंत्रालय	28	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	योग	14416	2258	40313	970	196	4872	7155	297	12836	487	254	2660

टिप्पणी: होम्योपैथी के अस्पतालों की कुल संख्या घट गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ऐसे अस्पतालों की घटी हुई संख्या सूचित की है।

- उ शून्य सूचना
- ६ उ चालू वर्ष से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः पिछले वर्ष के आंकड़े दोहरा दिए गए हैं।
- । उ दिल्ली में योग अस्पतालों से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।
- ॐ उ आंकड़े 1.4.98 की स्थिति के अनुसार हैं।
- 2 ₹ उ बिस्तारों की संख्या शून्य सूचित की गई है जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

आंकड़े अनन्तिम हैं।

5.4.3 परिवार कल्याण

1. भारत, विश्व का दूसरा विशालतम जनसंख्या वाला देश है जिसका भूक्षेत्र विश्व के भूक्षेत्र का मात्र 2.4 प्रतिशत है जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16.7 प्रतिशत है। जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रारम्भिक चरणों में जनसंख्या में अनिवार्यतः अत्यधिक वृद्धि तथा बदलाव की गति में तेजी लाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक सीमा तक जन्म दर को घटाने" के उद्देश्य से 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार करने वाला भारतवर्ष, विश्व का पहला देश बन गया। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित करना था जिसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल सुलभ कराके तथा गर्भ निरोधक की निःशुल्क देखभाल उपलब्ध कराके लोग लघु परिवार मानदण्ड अपना सकें।

2. भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय बदलाव की गति अपेक्षाकृत धीमी किन्तु नियमित रही है। 1991 की जनगणना से यह पता चला कि तीन दशकों के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखने में आई थी। शताब्दी के अन्तिम दशक में जन्म दर, मृत्यु दर तथा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाने पर नया बल तथा उसे गति देने और उसमें अधिक त्वरित गिरावट लाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) ने जनसंख्या से संबंधित एक उप-समिति का गठन किया और 1993 में उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने यह सिफारिश की थी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में निदर्शनात्मक बदलाव आना चाहिए; अब बल निम्न पर होना चाहिए

- आवश्यकता के आधार पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशिष्ट आयोजना
- महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाओं की सुलभता और गुणवत्ता में सुधार पर बल
- घटिया निष्पादन कर रहे राज्यों/जिलों को विशेष सहायता प्रदान करना ताकि राज्य के भीतर तथा राज्यों के बीच के निष्पादन का अन्तर न्यूनतम रहे
- कार्यक्रम की मानीटरिंग गुणवत्ता तथा कवरेज और प्रभाव संकेतकों पर जिला स्तरीय डाटाबेसों का सृजन

जनसंख्या और विकास विषयक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन (आई.सी.पी.डी.) , कैरो 1994 ने भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है।

राष्ट्रीय (एन.डी.सी. समिति) और अन्तरराष्ट्रीय (आई.सी.पी.डी.) प्रयासों के बीच तालमेल के कारण वित्तपोषण में सुधार हुआ है और परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी आई है।

3. नौवीं योजना अवधि के दौरान परिवार कल्याण विभाग ने जनसंख्या विषयक एन.डी.सी. की उप समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; परिवार नियोजन को लेकर केन्द्रीय रूप से परिभाषित पद्धति विशिष्ट लक्ष्य समाप्त कर दिए गए; अब बल सामुदायिक मांग निर्धारण पर आधारित जिला स्तरीय विकेन्द्रीकृत आयोजना और इन मांगों की पूर्ति का उद्देश्य लेकर बनाए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर दिया गया है। सभी कार्मिकों के कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण और रेफरल नेटवर्क का निर्माण करके सेवाओं की गुणवत्ता और अन्तर्वस्तु में सुधार लाने के प्रयास किए गए। देश में से पोलियो के उन्मूलन के लिए एक विशाल पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। राज्यों और परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित आधारिक संरचना की उपयुक्त पुनःसंरचना और मानदण्डों में संशोधन सुझाने के लिए उक्त विभाग ने एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया। मानीटरिंग और मूल्यांकन को कार्यक्रम के एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और मध्यावधि संशोधन के लिए इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

सन 2010 तक प्रजनन की प्रतिस्थापन दरें प्राप्त करने के प्रयोजन से विभाग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई है जिसे मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है।

जनगणना 2001

4. जनगणना 2001 के अनुसार देश की जनसंख्या 1027 मिलियन थी जो कि जनसंख्या अनुमानों विषय तकनीकी समूह द्वारा 2001 के लिए अनुमानित जनसंख्या से 15 मिलियन अधिक थी। 1990-91 के दशक के दौरान मृत्यु और प्रजनन - दोनों दरें नौवीं योजना के अनुमानों और निर्धारित किए गए लक्ष्यों से कम रही हैं। तथापि 1991-2001 में दशकीय वृद्धि 1981-91 के दौरान 23.86 प्रतिशत से गिर कर 21.34 प्रतिशत रह गई थी और यह गिरावट स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक गिरावट है। यदि राज्यों में 1951-61 के दशक से शुरू करके वृद्धि दरों का विश्लेषण किया जाए तो यह पता चलेगा कि केरल को 1961-71 के दौरान 26.29 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर से घटाकर 10 प्रतिशत से कम की दशकीय वृद्धि दर तक पहुंचने में चार दशक लग गए थे। इसी प्रकार तमिलनाडु को 1961-71 के दौरान 22.3 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर से घटाकर 1991-2001 में 11.2 प्रतिशत तक पहुंचने में 40 वर्ष लगे थे। आन्ध्र प्रदेश ने एक दशक की छोटी सी अवधि में वृद्धि दर में 10 प्रतिशत प्वाइंट से अधिक की प्रभावशाली गिरावट का परिचय दिया है। बिहार में 1991-2001 के

दौरान वृद्धि दर में उछाल आया है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की वृद्धि दरें आज उस स्तर पर हैं जो कि केरल और तमिलनाडु में 40 वर्ष पहले थीं।

जनसंख्या अनुमान: अनुमानित जनसंख्या 2001 के सन्दर्भ में जनगणना 2001

5. वर्तमान जनगणना के आधार पर संकलित अनन्तिम जनसंख्या योगों के साथ राज्य स्तर पर अनुमानित जनसंख्या की तुलना करने पर ऐसा पता चलता है कि राजस्थान, बिहार और झारखण्ड (संयुक्त), गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों की जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या की तुलना में कहीं अधिक बढ़कर है। यदि इन सभी राज्यों को एक साथ में लिया जाए तो पता चलेगा कि अनन्तिम जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या से 17 मिलियन अधिक है।

तालिका 5.4.3.1

जनसंख्या (अनुमानित और जनगणना 2001) - प्रमुख राज्य				
राज्य	कुल जनसंख्या			दशकीय वृद्धिदर 1999-2001 (जनगणना-2001)
	जनगणना 2001	अनुमानित 2001	2001 की जनगणना की तुलना में % अंतर	
	1	2	3	4
	3 = (2-1)/100			
प्रमुख राज्य				
आन्ध्र प्रदेश	75,727,541	76,392,000	(0.88)	13.86
असम	26,638,407	26,492,000	0.55	18.85
बिहार				28.43
झारखण्ड	109,788,224	101,819,000	7.26	23.19
गुजरात	50,596,992	48,972,000	3.21	22.48
हरियाणा	21,082,989	20,120,000	4.57	28.06
कर्नाटक	52,733,958	52,720,000	0.03	17.25
केरल	31,838,619	32,530,000	(2.17)	9.42
मध्य प्रदेश	81,181,074	81,189,000	(0.01)	24.34
छत्तीसगढ़				18.06
महाराष्ट्र	96,752,247	92,057,000	4.85	22.57
उड़ीसा	36,706,920,247	36,156,000		15.94
पंजाब	24,289,296	23,794,000	2.04	19.76
राजस्थान	56,473,122	54,509,000	3.48	28.33
तमिलनाडु	62,110,839	62,252,000	(0.23)	11.19
उत्तर प्रदेश				25.80
उत्तरांचल	174,532,421	174,290,000	0.14	19.20
पश्चिम बंगाल	80,221,171	79,991,000	0.29	17.84

प्रमुख राज्यों में जिन राज्यों में जनगणना आधारित जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या की तुलना में 2 प्रतिशत से अधिक है, वे इस प्रकार हैं - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तथा झारखण्ड (संयुक्त), गुजरात और महाराष्ट्र। जिन राज्यों में जनगणना आधारित जनसंख्या तथा अनुमानित जनसंख्या के बीच का अन्तर नगण्य है (तालिका 5.4.3.1) वे इस प्रकार हैं - जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल (संयुक्त), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (संयुक्त), कर्नाटक और तमिलनाडु।

नौवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम

6. जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट लाना नौवीं योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसने यह स्वीकार किया है कि जनसंख्या वृद्धि की मौजूदा उच्च दर के पीछे निम्न कारण हैं -

- (1) प्रजनन आयु-वर्ग की जनसंख्या का अत्यधिक विशाल होना (अनुमानित योगदान 60 प्रतिशत)
- (2) गर्भ-निरोधकों की पूरी न हो सकी मांग के कारण उच्चतर प्रजनन दर (अनुमानित योगदान 20 प्रतिशत); तथा
- (3) मौजूदा उच्च शिशु मृत्युदर के कारण अपेक्षित उच्च प्रजनन दर (अनुमानित योगदान लगभग 20 प्रतिशत)।

7. यद्यपि आने वाले कुछ वर्षों तक जनसंख्या वृद्धि में प्रजनन आयु वर्ग की विशाल जनसंख्या का योगदान जारी रहेगा, फिर भी बाकी दो कारकों के सम्बन्ध में प्रभावी रूप से तथा तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

नौवीं योजना में लक्ष्य निम्नानुसार थे:

- ! गर्भ-निरोधकों की सभी अनुभूत मांगों की पूर्ति की जाए
- ! शिशु और मातृ रुग्णता तथा मृत्यु दर घटाई जाए जिससे कि प्रजनन के वांछित स्तर में गिरावट आ सके।

नौवीं योजना में कार्य-नीतियां इस प्रकार होंगी:

- ! प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं का जायजा लेना और क्षेत्र विशिष्ट बृहत आयोजना हाथ में लेना
- ! आवश्यकता-आधारित, मांग-प्रेरित उच्च स्तरीय एकीकृत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना।

8. नौवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम को लेकर एक निदर्शनात्मक बदलाव की परिकल्पना की गई थी। योजना में परिवारों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उन्हें इस योग्य बनाना प्रस्तावित था कि वे अपने प्रजनन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें ताकि परिवार यह सुनिश्चित कर सकें कि तीव्र जनसंख्या स्थिरीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति हो सके। नौवीं योजना में इस आशय के निदर्शनात्मक बदलाव की परिकल्पना की गई थी:

- जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की बजाय दम्पतियों को इस योग्य बनाने पर बल देना कि वे अपने प्रजनन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें।
- प्रणाली विशिष्ट गर्भ-निरोधक लक्ष्यों की बजाय गर्भ-निरोधकों की पूरी न हो सकी मांगों की पूर्ति करना ताकि अवांछित गर्भों की संख्या घटाई जा सके।

- परिवार नियोजन तथा मातृ-बालस्वास्थ्य के अनेक उर्ध्वधर कार्यक्रमों की बजाय महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल।
- केन्द्रीय स्तर पर परिभाषित लक्ष्यों की बजाय सामुदायिक मांग निर्धारण और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशिष्ट सूक्ष्म आयोजना तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल (आरसीएच) कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिससे कि शिशु मृत्यु-दर घटाई जा सके तथा अत्यधिक वांछित प्रजनन-दर कम की जा सके।
- परिमाणात्मक कवरेज की बजाय देखभाल की गुणवत्ता और अन्तर्वस्तु पर बल देना।
- मुख्यतः महिला केन्द्रित कार्यक्रम की बजाय सुनियोजित पितृत्व में पुरुषों के सहयोजन पर बल देते हुए परिवार की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- आपूर्ति प्रेरित सेवा आपूर्ति की बजाय आवश्यकता और मांग प्रेरित सेवा; आवश्यकताओं की समुचित और सामयिक पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहतर संचार तंत्र।
- दम्पतियों की पसन्दों और सुविधाओं की ओर ध्यान देने के प्रयोजन से सेवा प्रावधन आपूर्तिकर्ता की समझ पर आधारित करना।

व्यापक आरसीएच कार्यक्रम के घटक

प्रभावी मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल
 गर्भ निरोधात्मक देखभाल की अभिवर्धित सुलभता
 अवांछित गर्भों का सुरक्षित प्रबन्ध
 दुर्बल वर्गों के लिए पौषणिक सेवाएं
 आरटीआई/एसटीडी के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं
 स्त्रीयोचित समस्याओं का निवारण और उपचार
 विशेष रूप से गर्भाशय-ग्रीवा और छाती के कैंसर की जांच और उपचार
 स्त्रीयोचित समस्याओं का निवारण और उपचार
 विशेष रूप से गर्भाशय-ग्रीवा और छाती के कैंसर की जांच और उपचार
 ये सेवाएं सभी तृतीयक तथा अधिकांश गौण देखभाल अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

9. कार्यक्रम में निम्नलिखित पर बल दिया जाना था

- (क) एक नमनशील पद्धति के माध्यम से अनिवार्य आधारिक संरचना और जनशक्ति के बीच के अन्तराल को पाटना तथा सामाजिक, व्यवहारपरक तथा कार्यचालनात्मक अनुसन्धान में निवेश के माध्यम से कार्यचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना।

- (ख) 1991 की जनगणना के आधार पर अभिज्ञात घटिया निष्पादन वाले जिलों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना ताकि आधारिक संरचना और जनशक्ति के बीच के अन्तराल को पाटा जा सके।
- (ग) समुचित मात्रा में तथा उपयुक्त स्तर की अनिवार्य औषधियों, टीकों तथा गर्भ-निरोधकों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- (घ) सुनियोजित पितृत्व आन्दोलन में पुरुषों की सहभागिता को बढ़ावा देना और नसबन्दी की स्वीकृति के स्तर का उन्नयन करना।

अनिवार्य आरसीएच सेवाएं

अवांछित गर्भ की रोकथाम और प्रबंधन
सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित करने के निमित्त सेवाएं
बाल उत्तरजीविता को प्रोत्साहित करने के लिए सेवाएं
आरटीआई/एसटीडी का निवारण और उपचार।
ये सेवाएं सारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर उपलब्ध कराई जानी हैं।

निम्न माध्यमों से परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज में वृद्धि के निमित्त प्रयासों में तेजी लानी पड़ी थी:


- (क) स्वैच्छिक, निजी, संयुक्त क्षेत्रों में कार्यरत सामान्य चिकित्सा व्यावसायिकों की सहभागिता और आई.एस.एम. तथा एच. के व्यावसायिकों का सक्रिय सहयोग बढ़ाना
- (ख) आयोजना, मानीटरिंग और प्रबन्ध में अन्तःक्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानोंका सहयोजन;
- (ग) उद्योगों, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों, कृषिक कामगारों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों का सहयोजन

10. सेवाओं की उपलब्धता और सुलभता में सुधार लाने के निमित्त समुचित इनपुट प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए गए ताकि निष्पादन के स्तर में सुधार लाया जाए और राज्यों के बीच अन्तर कम किए जा सकें। उल्लेखनीय है कि इन राज्यों में ऐसे जिले हैं जहां सी.बी.आर. और आई.एम.आर. राष्ट्रीय स्तरों से काफी कम हैं; इनमें से प्रत्येक राज्य के भीतर सफलता के ऐसे उदाहरणों का अध्ययन करने और उन्हें दोहराने की दिशा में प्रयास किए जाने होंगे जिससे कि राज्यों के बीच मौजूदा विषमताएं न्यूनतम की जा सकें।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का निष्पादन

अवांछित गर्भ की रोकथाम



11. सी.पी.आर. और सी.बी.आर. सम्बन्धी जानकारी से ऐसा पता चलता है कि 1991-99 के दशक में सी.पी.आर. में वृद्धि काफी धीमी होने के बावजूद उक्त दशक में दर सी.बी.आर. में नियमित गिरावट आई है (चित्र 1) इससे ऐसा संकेत मिल सकता है, प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर में सुधार आया है और




स्रोत: भारत के महापंजीयक
परिवार कल्याण विभाग

उपयुक्त समय पर उपयुक्त गर्भ निरोधक प्रदान किए जा रहे हैं। यह जरूरी है कि परामर्श और सेवाओं के स्तर में और आगे सुधार लाया जाए जिससे कि दम्पतियां गर्भ निरोधकों की अपनी पूरी न हो सकी आवश्यकताओं को लेकर उपयुक्त चयन कर सकने की स्थिति में हो सकें और इस प्रकार दम्पती संरक्षण दरों में वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति की जा सके; अवांछित गर्भों से छुटकारा पाने के प्रयोजन से गर्भ निरोधकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती देखभाल के स्तर में सुधार बहुत ही सहायक होगा।

12. नौवीं योजना के दौरान सेवा रिपोर्टों सम्बन्धी आंकड़ों से ऐसा पता चलता है कि परिवार नियोजन पद्धतियों के ग्राहियों की संख्या में, आई.यू.डी. को छोड़कर, 1994-95 के दौरान इन पद्धतियों की स्वीकृति के स्तर की तुलना में गिरावट आई है। यह चिन्ता का मामला है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 तथा 1998-99 गर्भ निरोधकों के प्रचलन के सम्बन्ध में राष्ट्रव्यापी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं (चित्र 3 और 4)। सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकड़ों से यह पता चलता है कि परिवार कल्याण विभाग की सेवा रिपोर्टों से उपलब्ध आंकड़ों के विपरीत देश में बन्धीकरण और ओ.सी. के प्रयोग में भारी वृद्धि हुई है। केवल आई.यू.डी. और सी.सी. के मामले में गिरावट देखने में आई है। एसआरएस द्वारा सूचित 1990-99 के दौरान सी.बी.आर. में नियमित गिरावट से उल्लिखित सुधार की पुष्टि होती है।





13. अन्तःनिर्मित स्वतंत्र सर्वेक्षणों और परिवार कल्याण कार्यक्रम के भीतर कवरेज मूल्यांकनों से इस आशय के आश्वासन देने वाले निष्कर्ष उभर कर आए हैं कि 1990-91 के दशक के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। परिवार कल्याण विभाग तथा एनएफएचएस द्वारा सीपीआर.आंकड़ों में देखे गए जिस अन्तर का उल्लेख किया गया है उसके कारणों में ये शामिल हो सकते हैं:



- निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में पूर्व में बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए आंकड़ों को सही करना
- इस अवधि के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुए परिवर्तनों के कारण अधूरी रिपोर्टें भेजा जाना।

14. तथापि दो शिशुओं के जन्म के बीच अन्तर रखने की विधियों, प्रसव पूर्व देखभाल और प्रतिरक्षण के सम्बन्ध में सेवाओं सम्बन्धी रिपोर्टों के अधीन कवरेज आंकड़े, मूल्यांकन द्वारा सूचित कवरेज की तुलना में अभी भी काफी अधिक हैं। इसकी जांच की जानी और इसे सही किया जाना आवश्यक है जिससे कि रिपोर्ट कार्यक्रम में की गई प्रगति का विश्वसनीय संकेत प्रदान करें। ऐसा सुझाव दिया गया है कि सेवा और मूल्यांकन रिपोर्टों में कवरेज आंकड़ों के अन्तर को कम करने का प्रयोग दसवीं योजना के दौरान कार्यक्रम मानीटरिंग में गुणवत्ता के एक नए संकेतक के रूप में किया जा सकता है।

ऐसे राज्यों का निष्पादन जिनमें पूरी न हो सकी मांगें अधिक हैं

15. यह एक चिन्ता की बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 1994-95 के उनके अपने निष्पादन की तुलना में सभी गर्भ-निरोधक पद्धतियों की स्वीकृति में गिरावट देखने में आई है (चित्र 5 और 6)। मध्य प्रदेश में इस आशय की गिरावट मामूली है जबकि राजस्थान में स्थिति में किंचित सुधार हुआ है। यह जरूरी है कि इन राज्यों में गर्भ निरोधकों की पूरी न हो सकी सभी मांगों की पूर्ति की दिशा में प्रयास किए जाएं। तथापि इन सभी राज्यों में न्यून सीबीआर वाले जिले भी हैं। राज्यों को ऐसे जिलों के निष्पादन का अध्ययन करना होगा और उसे दोहराना होगा; इसके साथ-साथ इन सभी जिलों में गर्भ निरोधकों की पूरी न हो सकी सभी मांगों की पूर्ति के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। एनएफएचएस.- I तथा II के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि

करते हैं कि इन राज्यों में गर्भ निरोधकों की पूरी न हो सकी मांग की मात्रा विशाल है। इन राज्यों/जिलों में निष्पादन में सुधार लाने की दिशा में परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने कई उपाय किए हैं।



मातृ स्वास्थ्य देखभाल

16. मातृ रुग्णता और मृत्यु की मौजूदा ऊंची दर चिन्ता का एक कारण बनी रही है और प्रसवपूर्व तथा प्रसवकालीन देखभाल में हस्तक्षेपणीय उपाय परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थापना से ही उसके घटक रहे हैं। भारत में मातृ रुग्णता/मृत्यु को लेकर राज्य/जिला विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि एसआरएस तथा मृत्यु के कारणों के सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़े मृत्यु दरों और मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का मुकाबला करने के लिए युक्तियुक्त कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। 1990-99 के दशक में एसआरएस और राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों ने मातृ मृत्यु की स्थिति पर पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए स्वतंत्र आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

एसआरएस तथा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों ने यह दर्शाया है कि 1990-99 के दौरान एमएमआर में तनिक भी गिरावट नहीं आई है; प्रतिवर्ष गर्भ सम्बन्धी कारणों से 100,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

	1992-93	1997	1998
आर.जी.आई. (नमूना पंजीकरण योजना)	एन.ए.	408	407
राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण	424।	-	540।
*अन्तर सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है			

17. एसआरएस जारी रखने के साथ-साथ गर्भों, मृत्यु और जन्मों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता है ताकि एमएमआर के सम्बन्ध में संधारणीय आधार पर विश्वसनीय जिला स्तरीय अनुमान लगाए जा सकें।


18. एसआरएस के माध्यम से और साथ ही अस्पताल के रिकार्डों से मृत्यु के कारणों का पता लगाने से समय के बीच मातृ मृत्युदर में आए परिवर्तनों और मातृ मृत्यु की स्थिति पर पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों के प्रभाव की बाबत कुछ विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

19. भारत के महापंजीयक के एसआरएस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं - असुरक्षित गर्भपात, प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर रक्तस्राव, रक्ताल्पता, अवरुद्ध प्रसव, अतिरिक्तदाबी विकास तथा प्रसवोत्तर पूतिता। पिछले कई वर्षों में मातृ मृत्यु के कारणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। गर्भपात के कारण होने वाली मौतें, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की सुलभता बढ़ाकर रोकी जा सकती हैं। रक्ताल्पता, अवरुद्ध प्रसव, अतिरिक्तदाबी विकारों और पूतिता के कारण होने वाली मौतें समुचित प्रसव-पूर्व, रेफरल तथा गर्भावस्था तथा जटिलताओं के सामयिक उपचार की व्यवस्था करके, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल को बढ़ावा देकर रोकी जा सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव होने, घरों में कराए जाने वाले प्रसवों के दौरान उभरने वाली जटिलताओं के उभरने पर आपातकालीन प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराके ऐसी महिलाओं के प्राण बचाए जा सकते हैं। मातृ मृत्यु दर और भी बहुविध समाजार्थिक कारणों से प्रभावित होती है जैसे कि महिला की स्थिति, महिला शिक्षा का न्यून स्तर, आर्थिक निर्भरता, सेवाओं की सुलभता में कमी और लैंगिक पूर्वाग्रह। अतः मातृ मृत्यु की मौजूदा दर को घटाने के लिए मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिलाओं का शिक्षा का स्तर और सामाजिक स्तर ऊंचा उठना आवश्यक है। मातृ रुग्णता और मृत्युदर घटाने के लिए

आरसीएच के अधीन पहले से किए जा रहे हस्तक्षेपणीय उपायों और उनके प्रभाव की समीक्षा आगामी कुछ पृष्ठों में प्रस्तुत की गई है।

चिकित्सीय गर्भपात (एम.टी.पी.)

20. अनुमानों के अनुसार 1998 में लगभग 9 प्रतिशत मातृ मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण हुईं (चित्र 7)। शीघ्र और सुरक्षित एमटीपी सेवाओं के माध्यम से अवांछित गर्भ की देखभाल, जिसकी चिकित्सीय गर्भपात (एमटीपी) अधिनियम में परिकल्पना की गई है, मातृ मृत्यु दर घटाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे आरसीएच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है।



नौवीं योजना की पहलें

इन प्रयोजनों के लिए प्रयास किए जाने हैं -

- परिवार नियोजन सेवाओं की सुलभता बढ़ाना और अवांछित गर्भों की संख्या में कमी लाना।
- एमटीपी के लिए मांग/अनुरोध की पूर्ति करना
- चिकित्सकों को एमटीपी में प्रशिक्षित ऋके और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम संस्थानों की पहचान करना और उनका सुदृढीकरण करना।

21. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की सुलभता में सुधार लाने के विभिन्न आरसीएच कार्यक्रम के अधीन निम्न पहले की गई हैं -

- एमटीपी उपकरण केन्द्रीय रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार जिला अस्पतालों, सीएचसी तथा पीएचसी को, उनके अपने-अपने मेडीकल स्टोर्स डिपुओं (एमएसडी) के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2000-2001 के दौरान एमटीपी उपकरण के 180 सेट प्राप्त किए गए।

- पीएचसी/सीएचसी तथा उप जिला अस्पतालों में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध है कि वे एमटीपी (सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाता) में प्रशिक्षित डाक्टरों को, एमटीपी आपरेशन करने तथा प्रसवपूर्व जांच जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा जटिल गर्भों का उपचार करने के लिए एक सप्ताह में एक बार अथवा एक पखवाड़े में कम से कम एक बार इन संस्थानों का दौरा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इन डाक्टरों को प्रतिदिन दौरे के लिए 800/- रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। सभी राज्य/संघशासित क्षेत्र इस सुविधा के पात्र हैं। राज्यों से प्राप्त फीडबैक से ऐसा पता चलता है कि उन्हें दूरस्थ पीएचसी में नियमित रूप से दौरा करने को तत्पर परामर्शदाताओं को नियुक्त करने में समस्याएं पेश आ रही हैं। कर्नाटक, मिजोरम और उत्तर प्रदेश को मासिक भुगतान आधार पर पीएचसी में परामर्शदाता उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, गैर-सरकारी क्षेत्र को एमटीपी उपकरण और साथ ही एमटीपी तकनीक में निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा सुलभ है।

देश में 190 मान्यता प्राप्त एमटीपी प्रशिक्षण केन्द्र मौजूद हैं; एनआईएचएफडब्ल्यू ने एमटीपी विशेषज्ञतापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के लिए 238 संस्थान अभिज्ञात किए हैं।

- पीएचसी और सीएचसी स्तर पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए मैनुअल वैक्यूम ऐस्पिरेशन जैसी वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- बिना आपरेशन एमटीपी करने के तरीकों को शुरू करने की व्यवहार्यता की आरम्भ में मेडीकल कॉलेजों में जांच करना और बाद में चरणबद्ध रूप में उसका विस्तार अन्य अस्पतालों में करना।
- एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निजी क्लिनिकों का पंजीकरण करने में काफी समय लगा देते हैं। परिवार कल्याण विभाग अधिनियम को इस ढंग से संशोधित कराने का प्रयास कर रहा है कि क्लिनिकों के पंजीकरण को जिला अधिकारियों के स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया जाए और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाए।

22. यह एक चिन्ता का विषय है कि इन प्रावधानों का प्रयोग बहुत ही थोड़े राज्यों द्वारा किया गया है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमटीपी के सूचित मामलों की संख्या लगभग 5.5 लाख प्रतिवर्ष बनी रही है। इन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और विस्तार, एमटीपी के सूचित किए गए मामलों की संख्या तथा गैर-कानूनी गर्भपात कराने का प्रयास करने और प्रतिकूल परिणाम भुगतने वालों की संख्या में कमी लाने- दोनों दृष्टियों से इसके प्रभाव की मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है।

मातृ स्वास्थ्य देखभाल

मातृ स्वास्थ्य सूचकों में सुधार के लिए नौवीं योजना की कार्यनीति


अनिवार्य प्रसूति देखभाल पर बल दिए जाने का उद्देश्य निम्न माध्यमों से मातृ रुग्णता और मृत्यु के मामलों में काफी कमी लाना है:

- गर्भ का जल्द पंजीकरण (16 सप्ताह से पहले)
- जोखिमों का पता लगाने के प्रयोजन से गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन बार जांच करना
- जोखिम वाले मामलों में उपयुक्त रेफरल तथा देखभाल व्यवस्था
- सुरक्षित प्रसव

23. अनिवार्य प्रसूति देखभाल के अधीन सभी गर्भवती महिलाओं को निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं दू


- गर्भ का जल्द पंजीकरण (12-16 सप्ताह)
- कम से कम तीन बार प्रसव-पूर्व जांच
- उच्च जोखिम वाले गर्भों की पहचान तथा आवश्यकतानुसार रेफरल सुविधाएं
- सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीटी प्रतिरक्षण
- रक्ताल्पता का रोग निरोध तथा उपचार
- भोजन, पोषाहार तथा आराम के सम्बन्ध में सलाह
- संस्थागत प्रसव/प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा सुरक्षित प्रसवों को बढ़ावा देना
- दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तर रखने के सम्बन्ध में परामर्श
- जटिलताओं का पता लगाने के लिए सेवोत्तर देखभाल तथा उपयुक्त रेफरल/उपचार उपलब्ध कराना।

24. आरसीएच कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि प्रसव-पूर्व जांच कम से कम तीन बार की जाए जिनमें वजन, होमोग्लोबीन आकलन, रक्तचाप की जांच तथा उदरीय जांच की जाती है और 'जोखिम' वाली महिलाओं की पहचान की जाती है; सभी गर्भवती महिलाओं को टी.टी. प्रतिरक्षण, रक्ताल्पता रोगनिरोध के लिए लौह और फोलिक अम्ल मुहैया कराया जाता है। जिला पारिवारिक सर्वेक्षणों (1998-99) के फीडबैक से ऐसा पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 67.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक बार जांच की गई जबकि केवल 10.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व तीन बार जांच की गई।



घटिया स्वास्थ्य सूचकों से युक्त अधिक आबादी वाले राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में प्रसव-पूर्व देखभाल सुविधाओं का विस्तार काफी कम है (चित्र 8) ।

25. 1998 और 1999 के जिला पारिवारिक सर्वेक्षणों से यह भी पता चला कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रसव-पूर्व देखभाल की गुणवत्ता हरियाणा और तमिलनाडु की तुलना में घटिया थी (चित्र-9)। गर्भावस्था के दौरान समस्याओं का पता लगाने और उपचार के लिए उचित उपचार केन्द्र में भेजे जाने के लिए गर्भवती महिलाओं की शत-प्रतिशत जांच की जानी अनिवार्य है। जांच की असंतोषपूर्ण स्थिति इस तथ्य के कारण और गंभीर हो जाती है कि समस्याओं की देखभाल के निमित्त इन राज्यों में रेफरेल संयोजनों की स्थिति असन्तोषपूर्ण है और परिणामतः मातृ/पितृ दोनों की रुग्णता तथा मृत्यु की दरें उच्च बनी हुई हैं।



अनिवार्य औषधियों तथा उपकरणों की व्यवस्था


26. अनिवार्य प्रसूति देखभाल तथा बच्चों की देखभाल की व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए आरसीएच कार्यक्रम के अधीन विभिन्न प्रकार के औषधि किट मुहैया कराए जाते हैं।

औषधि किट "ए" - इसमें पांच मर्दें शामिल होती हैं अर्थात् गोली आईएफए (बड़ी) तथा (छोटी), विटामिन "ए" घोल, ओआरएस पैकेट तथा कोटरीमैक्सेजोल की गोली। इस तरह के किट देश में सी उप केन्द्रों और राज्यों में अभिज्ञात शहरी स्लम बस्ती स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध रहते हैं।

औषधि किट "बी" - इसमें सामान्य रोगों के लिए 10 मर्दें तथा मरहम-पट्टियां होती हैं - यह किट भी औषधि किट "ए" की भांति सभी उपकेन्द्रों तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है।

पीएचसी के लिए अनिवार्य प्रसूति देखभाल औषधि किटें - अनिवार्य प्रसव-पूर्व और प्रसूति सेवाओं के लिए आवश्यक प्रावधानों सहित ऐसे किट वर्ग "ग" जिलों के 30 प्रतिशत पीएचसी में और वर्ग "ख" जिलों के 50 प्रतिशत पीएचसी में उपलब्ध कराए जाते हैं।

उप केन्द्रों के लिए उपकरण किट - जिन उप केन्द्रों को सी.एस.एस.एम. कार्यक्रमों के अधीन आपूर्ति नहीं मिल पाई थी उनमें दाई के किट और उप केन्द्रों के सामान्य प्रयोजन किट उपलब्ध करा दिए गए हैं।



संस्थागत प्रसवों और सुरक्षित प्रसव परिपाटियों को प्रोत्साहन

27. नौवीं योजना में शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के निमित्त प्रयास किए जाने की बात सोची गई थी; इसके साथ-साथ जिन राज्यों में अधिकांश प्रसव घरों में कराए जा रहे थे उनमें गहन दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से टीबीए को प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

28. एनएफएचएस-रू तथा पारिवारिक सर्वेक्षण-98 के परिणामों से ऐसा पता चलता है कि संस्थागत प्रसवों को लेकर विशेष रूप से तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है; फिर भी कई राज्यों में ऐसे जिलों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें सुरक्षित प्रसवों की स्थिति तनिक भी सन्तोषपूर्ण नहीं है।

	एनएफएचएस-रू (1992-93)	एनएफएचएस-रू (1998-99)	जिला सर्वेक्षण (1998-99)
संस्थागत प्रसव	26%	33%	34%
स्वास्थ्य व्यावसायिकों (डाक्टरों अथवा दाइयों/नर्सों) द्वारा कराए गए प्रसव	34%	42%	

29. अतः सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि देश में आज भी 65% से अधिक प्रसव किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से बाहर होते हैं। इनमें से काफी सारे प्रसव अप्रशिक्षित दाइयों अथवा महिलाओं के सम्बन्धियों द्वारा कराए जाते हैं। 496 जिलों में जिनके सम्बन्ध में जिला पारिवारिक सर्वेक्षणों से सुरक्षित प्रसवों सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं (संस्थागत प्रसव तथा प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा कराए गए प्रसव) केवल 123 जिलों में 70% से अधिक सुरक्षित प्रसव हुए हैं; 240 में इस आशय का प्रतिशत 30-40 है जबकि 142 जिलों में सुरक्षित प्रसव की दर 30% से कम है।

30. इस वर्ष के दौरान जिन 18 राज्यों में सुरक्षित प्रसव की दर 30% से कम है उनके 142 जिलों में दाइयों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। ये राज्य हैं - असम (9 जिले), बिहार (32 जिले), गुजरात (1 जिला), जम्मू और कश्मीर (2 जिले), मध्य प्रदेश (18 जिले), मणिपुर (3 जिले), मेघालय (3 जिले), मिजोरम (1 जिला), नागालैण्ड (3 जिले), उड़ीसा (14 जिले), राजस्थान (6 जिले), सिक्किम (2 जिले), उत्तर प्रदेश (33 जिले), तथा पश्चिम बंगाल (3 जिले)। आशा है कि प्रयोज्य प्रसव किटों से युक्त प्रशिक्षित दाइयों द्वारा कराए जाने वाले प्रसवों की संख्या में काफी वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप संक्रमण सम्बन्धी रुग्णता और मृत्यु की दरों में काफी गिरावट आएगी।

आपातकालीन प्रसूति देखभाल

31. गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं का सदैव पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः सीएचसी/उप जिला स्तरीय अस्पतालों में प्रथम रेफरेल इकाइयां स्थापित करके सीएसएसएम कार्यक्रम के अधीन समुदाय के यथासंभव निकट आपातकालीन प्रसूति देखभाल की व्यवस्था करने की बात सोची गई। राज्यों द्वारा 1748 प्रथम रेफरेल इकाइयां अभिज्ञात की गईं और उन्हें 12 प्रकार के ऐसे उपकरण किट (किट 'ई' से लेकर किट 'पी' तक) प्रदान किए गए जो कि उदरच्छेदन, सिजेरियन आपरेशन, अन्य शल्य चिकित्सीय हस्तक्षेपणीय उपायों और नवजात शिशु देखभाल के लिए आवश्यक समझे गए थे। तथापि विशेष रूप से ऐनैस्थिस्टों और स्त्रीरोग

विशेषज्ञों के रूप में कौशलप्राप्त जनशक्ति, समुचित आधारीक तंत्र तथा रुधिर बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में अधिकांश अभिज्ञात एफआरयू पूरी तरह कार्यचालनात्मक नहीं बन सके।

32. नौवीं योजना के दौरान आरसीएच कार्यक्रम के अधीन औषधियों की 65 मदों से युक्त औषधि किटों के रूप में एफआरयू को औषधियों की आपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया था जिसके अधीन राज्य के "सी" श्रेणी जिलों में से प्रत्येक जिले को 3 किट तथा "बी" श्रेणी के प्रत्येक जिले को दो किट प्रदान किए जाने थे। निश्चेतकों (ऐनैस्थिस्टिस्टों) की उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक हजार रुपया प्रति मामले के हिसाब से आपातकालीन आपरेशन करने के निमित्त निजी निश्चेतकों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। आपातकालीन देखभाल की जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं के रेफरल अस्पतालों तक की यात्रा सुकर बनाने के उद्देश्य से दरिद्र परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए एक रेफरल परिवहन योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन आपातकालीन प्रसूति देखभाल की जरूरतमंद महिलाओं के लिए परिवहन व्यवस्था करने के निमित्त पंचायतों को निधियां प्रदान की जाती हैं। विभाग ने यूरोपीय आयोग की सहायता से मौजूदा एफआरयू को और आगे सुदृढ बनाने की दिशा में विशेष प्रयास भी शुरू किए हैं ताकि उन्हें अलग-अलग राज्यों और जिलों द्वारा अपेक्षित इनपुटों पर आधारित आपातकालीन प्रसूति देखभाल प्रदान करने के योग्य बनाया जा सके। यह जरूरी है कि इन प्रावधानों के प्रयोग की गहराई से मॉनीटरिंग की जाए जिससे कि उनका सामयिक प्रयोग और सेवाओं में अनुगामी सुधार सुनिश्चित हो सके।

प्रसूति देखभाल सेवाओं की सुलभता और कार्यान्वयन में सुधार लाने की योजनाएं - अतिरिक्त एएनएम

33. इन सेवाओं की आपूर्ति में सुधार लाने के निमित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, असम, नागालैण्ड, राजस्थान तथा असम के श्रेणी 'ग' के सभी जिलों में 30% अतिरिक्त एएनएम के लिए सहायता प्रदान की है। 1999-2000 के दौरान इस योजना का विस्तार छः छोटे उत्तर पूर्व राज्यों तक किया जा चुका है। इसके अलावा, मलिन बस्तियों में इन सेवाओं का विस्तार करने के निमित्त दिल्ली 140 एएनएम की नियुक्ति कर सकती है। यद्यपि 9882 अतिरिक्त एएनएम का लक्ष्य रखा गया था किन्तु 4199 अतिरिक्त एएनएम ही वस्तुतः कार्यरत हैं; कमी मुख्यतः मध्य प्रदेश (3300 की जगह 181), उत्तर प्रदेश (3860 की जगह 2712), तथा उड़ीसा (305 की जगह 145) राज्यों में रही हैं। प्रशिक्षित एएनएम उपलब्ध न हो पाने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन राज्यों में एएनएम प्रशिक्षण स्कूल बन्द किए जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश ने ऐसे स्कूल फिर से खोलने की दिशा में कार्रवाई की है और उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सम्प्रति बहुत बड़ी संख्या में एएनएम प्रशिक्षित की जा रही हैं।

जन स्वास्थ्य/स्टाफ नर्स

34. कार्यक्रम के अधीन श्रेणी "ग" के जिलों में 25% पीएचसी को और श्रेणी "ख" के जिलों में 50% पीएचसी को जन स्वास्थ्य/स्टाफ नर्स भी उपलब्ध कराई जाती हैं।



प्रयोगशाला तकनीशियन

35. प्रथम रेफरेल इकाइयों को इतना सक्षम बनाने के लिए कि वे आपातकालीन प्रसूति देखभाल और आरटीआई/एसटीआईकी आवश्यकताओं की देखभाल कर सकें, जिलों को नेमी रुधिर, मूत्र तथा आरटीआई/एसटीआई परीक्षण करने के निमित्त संविदा आधार पर दो तकनीशियन सहायक नियुक्त करने के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। 14 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 199 प्रयोगशाला तकनीशियन नियुक्त किए जा चुके हैं।

प्रजनन मार्ग संक्रमण (आरटीआई)/यौन सम्बन्धों से होने वाले संक्रमण (एसटीआई)

36. आरटीआई/एसटीआई प्रजनन आयु (15-44 वर्ष) की महिलाओं में एक आम बात है। एसटीआई तथा एचआईवी/एड्स के बीच गहरा सम्बन्ध होने के कारण एसटीआई की रोकथाम और नियंत्रण से एचआईवी में कमी लाई जा सकती है। आरटीआई से युक्त महिलाएं एसटीडी क्लिनिकों में लक्षणों का परिचय नहीं देती; उनमें गैर-विशिष्ट लक्षण होते हैं और वे प्रसवपूर्व, स्त्रीरोग परिवार नियोजन क्लिनिकों में देखभाल सेवाएं प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। नौवीं योजना में ऐसी परिकल्पना की गई थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में आरसीएच कार्यक्रम के एक अनिवार्य अंग के रूप में आरटीआई के निदान और उपचार की सुविधाएं जुटाई जाएं। आरटीआई/एसटीआई की रोकथाम और देखभाल के निमित्त सेवाओं की आयोजना और कार्यान्वयन का काम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैको) के निकट सहयोग से किया जाता है। जिला स्तर के सभी एसटीडी क्लिनिकों को आरटीआई/एसटीआई घटक को शामिल करने में नैको द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। नैको और परिवार कल्याण विभाग के बीच समन्वय के क्षेत्र इस प्रकार हैं - प्रशिक्षण, परामर्श, आईईसी, निरोधों का सामाजिक विपणन, आरटीआई/एसटीआई औषधियों की आपूर्ति तथा मानीटरिंग और मूल्यांकन। उपर्युक्त के अलावा परिवार कल्याण विभाग, नैको के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के कार्यान्वयन में भी उसे सहयोग दे रहा है। इस तरह के अभियान प्रत्येक छमाही में एक बार आयोजित किए जाते हैं और पिछला अभियान जून 2000 में आयोजित किया गया था। इस अभियान के लिए आवश्यक औषधियां प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से परिवार कल्याण विभाग ने नैको (एनएसीओ) को 5 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। क्रमिक रूप से आरटीआई/एसटीआई क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं। एफआरयू में 429 आरटीआई/एसटीआई क्लिनिकों को नितान्तः आरटीआई/ एसटीआई मामलों की देखभाल के लिए अभिज्ञात किया गया है। प्रथम रेफरल इकाइयों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से जिलों को दो प्रयोगशाला तकनीशियन नियुक्त करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार से मिलने वाली सहायता प्रशिक्षण, प्रयोगशाला उपकरण और आरटीआई/एसटीआई औषधि किटों के रूप में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से आयोजित आरसीएच कार्यक्रम के अधीन आरटीआई / एसटीआई में प्रशिक्षण व्यवस्थाएं निर्मित की जा रही हैं।

बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम




तालिका - 5.4.3.2

शीघ्र नवजात मृत्यु दरें तथा भारत तथा बड़े राज्यों में निवास के अनुसार
शिशु मौतों के प्रति शीघ्र नवजात मृत्यु का प्रतिशत अनुपात, 1996

	शीघ्र नवजात मृत्यु दर			शिशु मौतों के प्रति शीघ्र नवजात मृत्यु का प्रतिशत		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत।	35	37	23	48.6	48.3	50.5
आन्ध्र प्रदेश	38	41	29	58.4	56.0	74.9
असम	36	37	20	47.5	47.2	54.1
बिहार	33	34	24	46.8	46.9	44.1
गुजरात	30	30	28	48.2	44.8	60.3
हरियाणा	31	31	29	45.5	44.8	49.0
हिमाचल प्रदेश	32	33	19	50.5	50.4	51.4
कर्नाटक	33	41	13	62.4	63.9	52.3
केरल	8	8	8	55.9	58.5	49.8
मध्य प्रदेश	47	48	36	48.4	47.5	59.4
महाराष्ट्र	25	30	16	52.0	52.4	50.6
उड़ीसा	44	45	31	46.0	45.9	48.0
पंजाब	26	28	18	50.2	51.1	45.9
राजस्थान	44	46	30	51.0	51.2	49.3
तमिलनाडु	32	35	24	59.5	58.4	63.3
उत्तर प्रदेश	37	39	27	44.1	44.5	41.0
पश्चिम बंगाल	27	29	18	48.4	49.4	41.4

37. शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दरें बच्चों के स्वास्थ्य स्तर की उत्तम संकेतक होती हैं। यह सुविदित है कि केवल राज्यों में ही नहीं बल्कि राज्यों के भीतर जिलों के बीच भी मृत्यु दरों में विशाल भिन्नताएं हैं। भारतवर्ष में बालपन में रुग्णता से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए कोई प्रणाली नहीं है। रुग्णता से सम्बन्धी आंकड़ों के अभाव में बाल स्वास्थ्य में सुधार के निमित्त प्राथमिकतापूर्ण हस्तक्षेपणीय उपाय तैयार करने के प्रयोजन से मृत्यु सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों और मृत्यु के कारणों के विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। बाल स्वास्थ्य में पहले से चले आ रहे मुख्य हस्तक्षेपणीय कार्यक्रमों में शामिल कार्यक्रम इस प्रकार हैं - टीके से रोके जा सकने वाले रोगों के कारण रुग्णता और मृत्यु के निवारण के लिए प्रतिरक्षण, पोषाहार स्थिति में सुधार लाने के प्रति लक्षित खाद्य और सूक्ष्म पोषक पूर्ति कार्यक्रम, एआरआई तथा अतिसार के कारण होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए कार्यक्रम और नवजात की अनिवार्य देखभाल। प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण कार्यक्रमों की बेहतर सुलभता के फलस्वरूप पिछले पांच दशकों में आईएमआर.में काफी गिरावट आई है। तथापि, यह चिन्ता का विषय है कि प्रसवकालीन तथा नवजात मृत्यु दर में गिरावट बहुत धीमी रही है (चित्र-11)। पिछले कुछ वर्षों में आईएमआर. स्थिर बनी रही है। राज्यों के बीच आईएमआर सम्बन्धी विशाल भिन्नताएं (केरल 14, उड़ीसा 97) चिन्ता का एक अन्य कारण बनी हुई हैं (चित्र-12)।

38. शीघ्र नवजात मृत्यु, अर्थात् जीवन के पहले सात दिनों के दौरान होने वाली मौतें शिशु मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय स्तर पर 1996 में शीघ्र नवजात मृत्युदर 35 आंकी गई है (ग्रामीण क्षेत्रों में 37 और शहरी क्षेत्रों में 23) (तालिका-5.4.3.2)। शीघ्र नवजात मृत्यु दरों को लेकर राज्यों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं इकरल (8) और मध्य प्रदेश (47) ट। राष्ट्रीय स्तर पर 1996 में हुई कुल शिशु मौतों में से शीघ्र नवजात मौतों का हिस्सा 48.6 प्रतिशत था। जिन राज्यों में एआरआई तथा अतिसार के सफल उपचार के



कारण आईएमआर. अपेक्षतया न्यून है, वहां आईएमआर में शीघ्र नवजात मृत्यु का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है; ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में यह जरूरी है कि प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर तथा नवजात देखभाल में सुधार लाने के लिए उपाय किए जाए जिससे कि एनएनएमआर और साथ ही आईएमआर. में काफी गिरावट लाई जा सके। जिन राज्यों में आईएमआर. उच्च है और एनएनएमआर, आईएमआर के 50 प्रतिशत से कम है, उनमें आरम्भ में अतिसार और एआरआई के कारण होने वाली मृत्यु के निमित्त सामान्य हस्तक्षेपणीय उपायों पर बल दिया जा सकता है।

39. बाल मृत्यु दर (0-4 वर्ष के बच्चों की मौतों की संख्या) जो कि 1984 में 41.2 प्रति हजार , वह 1996 में घटकर 23.9 प्रति हजार हो गई, अर्थात् उसमें 42 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, यह चिन्ता का कारण है कि 1990-99 के दशक में अधिकांश राज्यों में सीएमआर में कोई गिरावट नहीं आई है तथा ग्रामीण बिहार में सीएमआर. में किंचित वृद्धि देखी गई है (चित्र-13)।

40. सीएमआर में लैंगिक अन्तर बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसआरएस, 1996 ने, केरल राज्य को छोड़कर, शेष राज्यों में लड़कों और लड़कियों की मृत्यु दरों के बीच 3.4 बिन्दुओं का अन्तर सूचित किया। 0.4 आयु वर्ग की लड़कियों में उच्चतर मृत्यु दर का कोई जीव वैज्ञानिक कारण नहीं। लड़कियों की मृत्यु दर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सामाजिक कारणों से निबटने की आवश्यकता है।

41. बालपन के रोगों, जिनमें बेहतर पोषण और प्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोके जाने वाले रोग शामिल हैं, की अतिशयता की दृष्टि से शिशु मृत्यु की तुलना में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु अधिक विकारशील है (तालिका-5.4.3.3)।

तालिका-5.4.3.3

राज्य	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर
केरल	19
महाराष्ट्र	58
तमिलनाडु	63
पश्चिम बंगाल	68
कर्नाटक	70
पंजाब	72
हरियाणा	77
हिमाचल प्रदेश	80
गुजरात	85
आन्ध्र प्रदेश	86
असम	90
भारत	95
उड़ीसा	104
बिहार	105
राजस्थान	115
उत्तर प्रदेश	123
मध्य प्रदेश	133

42. आईएमआर और सीएमआर की भांति ही, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1990-99 के दशक में लगभग स्थिर बनी रही है तथा अंतःराज्यीय और लिंग विभेदक बने रहे हैं।

शिशु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण निम्नानुसार बने रहे हैं

- अपर्याप्त मातृ और नवजात देखभाल;
- समय-पूर्व प्रसव;
- अतिसार विषयक रोग;
- श्वाससम्बन्धी गंभीर संक्रमण;
- टीके से रोके जा सकने वाले रोग (ऐसे स्थानों में जहां प्रतिरक्षण कार्यक्रम का विस्तार इष्टतम स्तरों तक नहीं हो सकता है)।

43. अनुमानतः 50 प्रतिशत से अधिक बाल मृत्यु के मामले अल्पपोषण और रक्ताल्पता के कारण होते हैं। आरसीएच कार्यक्रम के बाल स्वास्थ्य घटक के अधीन इन प्रमुख समस्याओं में से प्रत्येक समस्या की ओर ध्यान देने के प्रयास किए जाते हैं।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हस्तक्षेपणीय उपाय

अनिवार्य नवजात देखभाल

नौवीं योजना की कार्यनीति

- शिशु तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता को घटाएं जिससे कि प्रजनन के वांछित स्तर में गिरावट लाई जा सके।
- प्रसवकालीन और नवजात मृत्युदरों में कमी तभी लाई जा सकती है जबकि शत-प्रतिशत जांच के माध्यम से गर्भावस्था, प्रसव तथा नवजात अवधि के दौरान जोखिम के कारणों का पता लगाया लिया जाए, 'जोखिम' से युक्त माताओं और नवजात को जन्म देने वाली माताओं की पहचान और उन्हें ऐसी सुविधाओं के लिए भेजना जहां उपयुक्त देखभाल की व्यवस्था की जा सके।

44. शैशवकाल में होने वाली सभी मौतों में से लगभग दो-तिहाई मौतें पहले माह के दौरान हो जाती हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत मौतें जीवन के पहले सप्ताह के दौरान हो जाती हैं। आईएमआर में गिरावट में तेजी लाने के उद्देश्य से अनिवार्य नवजात देखभाल को आरसीएच कार्यक्रम के अधीन एक हस्तक्षेपणीय उपाय के रूप में शामिल किया गया। आरसीएच कार्यक्रम के अधीन देश के जिलों में अनिवार्य नवजात देखभाल के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। अनिवार्य नवजात देखभाल उपलब्ध कराने के निमित्त उपकरणों के प्रयोग में चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ को जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। परिवार कल्याण विभाग ने प्राथमिक स्तर पर नवजात देखभाल सुविधाओं के प्रचालन के निमित्त राष्ट्रीय नियोनैटालाजी फोरम (एनएनएफ) के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है। एनएनएफ जिला और उप-जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में जहां आरसीएच कार्यक्रम के अधीन अनिवार्य नवजात देखभाल के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। चालू वर्ष में यह योजना 60 जिलों में शुरू की गई है। अगले दो-तीन वर्षों में इस योजना का विस्तार उन सभी जिलों में करने का विचार है जिनमें आईएमआर उच्च बनी हुई है।


सार्वजनीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम

45. सार्वजनीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) 1986 में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में शुरू किया गया था और 1989-90 के दौरान वह देश के सभी जिलों में कार्यान्वित कर दिया गया था। 1992 में यूआईपी, बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (सीएसएसएम) और 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आसीएच) कार्यक्रम का एक अंग बन गया था।


46. प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन डिप्थीरिया, कुकरखांसी, नवजात तपेदिक, खसरा तथा नवजात टिटनेस जैसे वैक्सीनों द्वारा रोके जा सकने वाले रोगों के नियंत्रण के उद्देश्य से शिशु और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन निष्पादन



47. 1992-93 से लेकर 1999-2000 तक की अवधि के दौरान प्रतिरक्षण कार्यक्रम का कवरेज **चित्र-14** में दर्शाया गया है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम का विस्तार अधिकांश राज्यों में 1990-99 के पूरे दशक के दौरान उसी स्तर पर स्थिर बना रहा है और कुछ राज्यों में तो उसमें गिरावट की प्रवृत्ति भी देखने में आई है।



तथापि उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान टीके से रोके जा सकने वाले रोगों के सूचित मामलों की संख्या में गिरावट आई है (चित्र-15)। आईसीएमआर तथा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा आयोजित विस्तार मूल्यांकन सर्वेक्षण से सूचित और निर्धारित विस्तार के बीच व्यापक अन्तर दर्शाया गया है। मुखीय (ओरल) पोलियो टीके और डीपीटी की पहली, दूसरी और तीसरी खुराकों से वंचित रहने वाले बच्चों की दरें अधिकांश राज्यों में काफी अधिक रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम और न्यूनतम शामिल प्रतिजनों के बीच का अन्तर 20 प्रतिशत से अधिक रहा है। सूचित और निर्धारित कवरेज के बीच का अन्तर तथा पोलियो की खुराक से वंचित रहने वालों की उच्च दर एक गम्भीर समस्या है। एनएफएचएस-२ तथा २००० के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन शामिल व्यक्तियों की संख्या सेवा प्रदान करने वालों द्वारा सूचित संख्या की तुलना में कहीं कम है; तथापि एनएफएचएस-२ तथा २००० के बीच प्रतिरक्षण कार्यक्रम के विस्तार में किंचित सुधार हुआ है (चित्र-16)।



चित्र-16
12-23 महीने के बच्चों का प्रतिरक्षण: एनएफएचएस-रू (1992-93) तथा एनएफएचएस-रू (1998-99)



48. प्रतिरक्षण कार्यक्रम की स्थिति में जिसका कवरेज पूरा होने में अभी बहुत देर है, एनएफएचएस-रू के बाद से जबकि केवल 36 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षण किया गया था और 30 प्रतिशत बच्चे प्रतिरक्षण से सर्वथा वंचित रह गए थे, काफी सुधार हुआ है। अलग-अलग टीके के विस्तार में काफी वृद्धि हुई है और वह अकेले पूर्ण कवरेज सम्बन्धी जानकारी की तुलना में कहीं अधिक प्रतीत होगा। एनएफएचएस-रू के अनुसार 12-23 महीने के 72 प्रतिशत बच्चों को तपेदिक का टीका लगाया जा चुका है, 63 प्रतिशत को पोलियो के टीके की तीन खुराकें, 55 प्रतिशत को डीपीटी टीके की तीन खुराकें दी जा चुकी है और 51 प्रतिशत को खसरे का टीका लगाया जा चुका है। एनएफएचएस-रू तथा एनएफएचएस-रू के बीच टीके के विस्तार में सर्वाधिक वृद्धि पोलियो के टीके की पहली दो खुराकों में हुई जो कि निस्सन्देह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान 1995 का प्रवर्तन किए जाने के कारण थी। डीपीटी और पोलियो के टीकों की श्रृंखला से वंचित रहने वाले बच्चों की दरें समस्या बनी रही हैं। चौरासी प्रतिशत बच्चों को पोलियो के टीके की पहली खुराक दी गई किन्तु सभी तीनों खुराक पाने वाले बच्चों का प्रतिशत केवल 63 था; इसी प्रकार 71 प्रतिशत बच्चों को डीपीटी

का पहला टीका लगाया गया लेकिन सभी तीनों खुराक पाने वाले बच्चों का प्रतिशत केवल 55 था। प्रतिरक्षण कार्यक्रम के विस्तार की सीमा को लेकर राज्यों के बीच विशाल भिन्नताएं हैं। जबकि तमिलनाडु और केरल में प्रतिरक्षण कार्यक्रम का कवरेज अच्छा रहा है जबकि बिहार जैसे कुछ राज्यों में नेमी प्रतिरक्षण कवरेज गिर कर 20 प्रतिशत रह गया है। यह जरूरी है कि नेमी प्रतिरक्षण का कवरेज बढ़ाया जाए और टीके से रोके जा सकने वाले छः रोगों में से प्रत्येक रोग के मामले में प्रतिरक्षण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जाए। अगले तीन वर्षों के दौरान नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए परिवार कल्याण विभाग ने विश्व बैंक के साथ बातचीत की है।

पल्स पोलियो प्रतिरक्षण

49. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष दिसम्बर और जनवरी के महीनों में ओपीवी की दो खुराकें तब तक दी जानी है जब तक कि पोलियो का उन्मूलन नहीं हो जाता। भारतवर्ष में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण जिसमें प्रतिवर्ष 12 करोड़ बच्चों का प्रतिरक्षण किया जाता है एक विशाल कार्यक्रम रहा है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण का कवरेज सी जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक सूचित किया गया है, फिर भी यह एक चिन्ता का कारण है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान नेमी प्रतिरक्षण के कवरेज की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है; सच तो यह है कि कुछ राज्यों में इस स्थिति में काफी गिरावट आई है। जनसंख्या के ऐसे हिस्से भी हैं जो कि नेमी प्रतिरक्षण और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण- दोनों से वंचित रह जाते हैं। फलतः पोलियो के मामलों की संख्या में हालांकि काफी गिरावट आई है फिर भी वह इतनी नहीं है कि देश 2000 तक पोलियो के पूर्णतः उन्मूलन का दावा कर सकने की स्थिति में होता।

	1998	1999	2000	2001
पोलियो के पुष्ट मामलों की संख्या	1931	1126	265	9*

*23.04.2001 तक

50. 2001 के दौरान देश में वाइल्ड पोलियो के 9 मामले देखने में आए (6 उत्तर प्रदेश में तथा दिल्ली, हरियाणा और बिहार - तीनों में एक-एक); देश के उच्च जोखिम वाले 62 जिलों में पोलीवाइरस संचरण को रोकने के लिए परिसमापन चक्र तथा कुछ राज्यों में 35 जिलों में जवाबी परिसमापन चक्र आयोजित किए गए।

51. 2001-2002 के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यनीति तैयार करने के उद्देश्य से 30 जनवरी 2001 को विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई और यह सिफारिश की गई कि दिसम्बर 2001 तथा जनवरी 2002 में दो राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों (एनआईडी) के अलावा बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के लिए और महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक में से 50 प्रतिशत राज्यों में अक्टूबर 2001 में एक उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एसएनआईडी) आयोजित किया जाएगा। पोलियो अनुकूल संकुलों और पोलीवाइरस के सतत संचरण वाले क्षेत्रों सहित किसी भी वाइल्ड पोलीवाइरस के पकड़ में आने पर परिसमापन प्रतिरक्षण किया जाएगा। सभी राज्यों में एसएनआईडी और एनआईडी स्थिर चौकियों तथा घर-घर जाकर प्रतिरक्षण करना - इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करते हुए आयोजित किए जाएंगे। अल्पसेवित समुदायों में उच्च स्तर का नेमी और अभियान कवरेज प्राप्त करने के निमित्त विशेष प्रयास शुरू किए जाएंगे और परिवारों को पीपीआई अभियानों के दौरान नेमी प्रतिरक्षण के बारे में स्मरण करते हैं।

राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम (एनपीएसपी)

52. राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम (एनपीएसपी), 1997 में डेनिडा और यूएस एड की सहायता से शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रबन्ध के अधीन काम कर रहा है। इस कार्यक्रम ने इन क्षेत्रों में मदद की है: मामलों का पता लगाना, मामलों की जांच, प्रयोगशाला निदान तथा परिसमापन प्रतिरक्षण। यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में टीके से रोके जा सकने वाले अन्य रोगों की निगरानी का काम हाथ में लेगा।

'अन्तिम चरण' पोलियो उन्मूलन के दौरान पोलियो वैक्सीन

53. पोलियो उन्मूलन का चिकित्सीय लक्ष्य यह है कि रोगकारक विषाणुओं के समापन द्वारा पोलिवाइरस के कारण होने वाले अंगघाती रोग का निवारण किया जाए ताकि विश्व के देशों के सभी बच्चों को निरन्तर प्रतिरक्षित करने की आवश्यकता न रहे। भारत ने 1995 से विशाल पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और आशा है कि 2002 तक पोलियो समाप्त हो जाएगा। यदि अगले तीन वर्षों के दौरान देश में पोलियो के कोई और मामले देखने में नहीं आते तो देश को पोलियोमुक्त घोषित कर दिया जाएगा। जब भी यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब देश को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे कि यह रोग पुनः न लौट आए।

54. मुखीय पोलियो टीके में जीवित सूक्ष्म विषाणु मौजूद होता है। मिश्र, डोमिनिकन गणराज्य और हैती के हाल के अनुभवों से ऐसा पता चला है कि टीके से प्राप्त किए गए विषाणु तंत्रिका-उग्र तथा संचरण योग्य बन जाते हैं। इस तरह के उद्भेदी विषाणुओं ने प्रतिरक्षण कार्यक्रम की समाप्ति पर पोलियो के मामलों को जन्म दिया है। अतः पोलियो प्रतिरक्षण को बन्द करना संभव नहीं हो पाएगा। अनेक ऐसे देशों ने जिन्होंने पोलियो का उन्मूलन कर दिया है, रोग की समाप्ति के बाद मृत इन्जेक्टेबल पोलियो के टीके का प्रयोग शुरू कर दिया है। भारतवर्ष तथा दक्षिणी एशिया के अन्य विकासशील देशों सहित इस विकल्प पर विचार करना होगा और दसवीं योजना के दौरान उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करनी होंगी।

बच्चों में संक्रमण

55. एनएफएचएस २ ने ऐसी तीन स्वास्थ्य समस्याओं की मौजूदगी और उपचार के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जिनसे छोटे बच्चों की काफी संख्या में मृत्यु होती है और ये तीन समस्याएं हैं - ज्वर, गंभीर श्वसनकारी संक्रमण (एमआरआई) तथा अतिसार। भारत वर्ष में सर्वेक्षण से दो सप्ताह पूर्व तीन वर्ष से कम आयु के 30 प्रतिशत बच्चे ज्वर से पीड़ित थे, 19 प्रतिशत में एआरआई के लक्षण मौजूद थे तथा 19 प्रतिशत बच्चे अतिसार से पीड़ित थे। एआरआई अथवा अतिसार के लक्षणों से युक्त लगभग दो-तिहाई बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा अथवा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थान में ले जाया गया। अतिसार के उपयुक्त उपचार सम्बन्धी ज्ञान का स्तर निम्न है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की केवल 62 प्रतिशत माताओं को मुख सेव्य पुनर्जलीकरण लवण (ओआरएस) पैकेटों की बाबत पता है और 34 प्रतिशत महिलाएं इस तरह की गलत धारणा पाले हुए हैं कि जब बच्चे अतिसार से पीड़ित हों तो उन्हें सामान्य से कम मात्रा में पेय पदार्थ दिए जाने चाहिए। अतिसार से पीड़ित अड़तालीस प्रतिशत बच्चों ने किसी रूप में मुख्य सेव्य पुनर्जलीकरण उपचार (ओआरएस) प्राप्त किया, जिनमें ओआरएस प्राप्त करने वाले 27 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं। अतिसार से पीड़ित जिन बच्चों ने ओआरएस प्राप्त किया उनके प्रतिशत में एनएफएचएस I के बाद से जबकि इस आशय का प्रतिशत मात्र 18 था, काफी सुधार हुआ है जिससे यह पता चलता है कि अतिसार पीड़ित बच्चों की देखभाल में किंचित सुधार हुआ है। सर्वेक्षण से दो सप्ताह पूर्व अतिसार से पीड़ित बच्चों में से जिन्हें किसी रूप में ओआरटी

प्रदान किया गया था उनके अनुपात में इन अर्थों में भिन्नता थी कि जहां केरल में ऐसे बच्चों का प्रतिशत 90, गोवा में 76 तथा पश्चिम बंगाल में 73 था, वहां राजस्थान में 34 तथा उत्तर प्रदेश में 36 था। बच्चों के जिस अनुपात को ओआरएस प्रदान किया गया वह भी इन अर्थों में भिन्न-भिन्न था कि जहां गोवा में यह 56 प्रतिशत और मणिपुर में 51 प्रतिशत था वहां बिहार और उत्तर प्रदेश में केवल 15-16 प्रतिशत था।

अतिसार सम्बन्धी रोग नियंत्रण कार्यक्रम

56. अतिसार बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। मृत्यु के अधिकांश मामले बार-बार दस्त आने के कारण होने वाले निर्जलीकरण का परिणाम होते हैं जिन्हें तरल पदार्थों की सामयिक तथा समुचित प्रतिपूर्ति करके रोका जा सकता है। मुख सेव्य पुनर्जलीकरण उपचार (ओआरएस) (ओआरटी) कार्यक्रम 1986-87 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य यह है कि 5 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों की मृत्यु अतिसार सम्बन्धी रोगों के कारण होने वाले निर्जलीकरण (डीहाइड्रेशन) के फलस्वरूप हो जाती है, उसे रोका जाए। अतिसार की शीघ्र पहचान और उपयुक्त देखभाल के प्रति लक्षित स्वास्थ्य शिक्षा सीएसएसएम कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक रही है। घरों में उपलब्ध तरल पदार्थों और ओआरएस के प्रयोग के फलस्वरूप अतिसार के कारण होने वाली मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है, जहां 1985 से पहले अतिसार के कारण प्रतिवर्ष 10-15 लाख बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते थे 1996 में इस कारण होने वाली मौतों की संख्या 6-7 लाख रह गई है। ओआरएस पैकेटों की सुलभता की स्थिति में और आगे सुधार लाने के लिए ओआरएस के 150 पैकेट औषधि किट-ए के एक अंग के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं; इस तरह के दो किट प्रतिवर्ष देश के सभी उपकेन्द्रों को मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में पीडीएस के माध्यम से ओआरएस का सामाजिक विपणन और आपूर्ति की जा रही है।

गंभीर श्वसनकारी संक्रमण नियंत्रण

57. निमोनिया भारत में शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है जिसके कारण 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 30 प्रतिशत बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आरसीएच कार्यक्रम के अधीन देश के प्रत्येक उपकेन्द्र को औषधि किट-ए के एक अंग के रूप में कोटरीमोक्साजोल की गोली प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य कार्मिकों को एआरआई में प्रशिक्षित किया जा चुका है। माताओं और समुदाय के सदस्यों को एआरआई के लक्षणों से अवगत कराया जा रहा है जिनके सम्बन्ध में एन्टीबायोटिक उपचार अथवा रेफरेल की आवश्यकता होगी।

किशोरों के लिए स्वास्थ्य देखभाल

58. 1990-99 के दशक में किशोरों की संख्या में तेज गति से वृद्धि देखी गई। अगले दो दशकों में किशोरों की संख्या में तेज गति से वृद्धि होगी। आज की स्थिति में किशोरों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए कोई विशिष्ट स्वास्थ्य अथवा पौषणिक कार्यक्रम नहीं है।

नौवीं योजना की कार्यनीति

अत्यधिक जोखिम वाली किशोर गर्भवती लड़कियों को आरसीएच कार्यक्रम के अधीन उपयुक्त प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान की जाएगी। लड़की, उसके माता-पिता और समुदाय को विवाह को समय से पहले न करने की शिक्षा देने के प्रयासों की तरफ नौवीं योजना में बल दिया जाएगा। किशोरियों में पौषणिक (अल्प पोषण, रक्ताल्पता), तथा स्वास्थ्य (संक्रमण, मासिक धर्म सम्बन्धी विकृतियां) समस्याओं का शीघ्र पता लगाने और उपचार करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

59. निम्न पहलें की गई हैं -

1. किशोरों की स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर आरसीएच कार्यक्रम के अधीन ध्यान दिया जा रहा है।
2. जिन ब्लाकों में आईसीडीएस केन्द्रों में किशोर देखभाल कार्यक्रम हैं उनमें आईसीडीएस के साथ अन्तःक्षेत्रीय समन्वय का सुदृढीकरण किया जा रहा है।
3. एनजीओ कार्यक्रम के अधीन विशेषज्ञतापूर्ण सलाह और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली आईईसी सामग्री सम्बन्ध प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

इन प्रयासों की सफलता की सावधानीपूर्ण मॉनीटरिंग किया जा रहा है।

नियोजित पितृत्व अभियान में पुरुषों की सहभागिता

नौवीं योजना की कार्यनीति

महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में इन बातों के निर्धारण में पुरुष एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं- शिक्षा और रोजगार की स्थिति, विवाह के समय आयु, परिवार संरचना प्रतिरूप, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की सुलभता और उपयोग। एसटीडी/आरटीआई की रोकथाम और नियंत्रण में उनका सक्रिय सहयोग अनिवार्य है। निरोध का प्रयोग करने वालों के मामले में एसटीडी तथा साथ ही गर्भ निवारण के लिए भी निरोध का सतत और सही प्रयोग अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। नसबन्दी को जो कि ट्यूबेक्टामी की तुलना में अधिक सुरक्षित और सरल है नए सिरे से लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

नसबन्दी प्रोत्साहन

60. प्राथमिक स्वास्थ्य देख भाल केन्द्र में ट्यूबेक्टामी की तुलना में नसबन्दी अधिक सुरक्षित और करने में अपेक्षतया अधिक आसान होती है। फिर 1970-79 के बाद से नसबन्दी के मामलों की संख्या में भारी और सतत गिरावट आ रही है। आईईसी अभियानों सहित नसबन्दी को पुनः लोकप्रिय बनाने तथा नो-स्केलपेल नसबन्दी (एनएसवी) में सर्जनों के प्रशिक्षण के निमित्त प्रयासों के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में नसबन्दी के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ; तथापि राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार का बदलाव नहीं आ सका है।

61. नौवीं योजना में नसबन्दी और एनएसवी को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष प्रयाए किए जाने होंगे। एनएसवी के शुरु किए जाने से आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर में बहुत बड़ी 8संख्या में नसबन्दियां की गई हैं; सिक्किम में नसबन्दी के प्रति ट्यूबेक्टामी का अनुपात उलटा कर दिया गया है। एनएसवी के अधीन सूचित निष्पादन तालिका 5.4.3.4 में दिया गया है

तालिका 5.4.3.4

नो स्केलपेल नसबन्दी (एन.एस.वी) परियोजना की स्थिति (दिसम्बर 2000 तक)

राज्य	दौर	सम्मिलित जिलों की संख्या	ग्राहियों की संख्या	प्रशिक्षित डाक्टरों की संख्या	प्रमाणित प्रशिक्षकों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	78	30	80558	155	11
असम	1	3	60	5	1
महाराष्ट्र	9	8	546	38	4
तमिलनाडु	10	19	327	40	2
उत्तर प्रदेश	11	11	391	13	2
हरियाणा	14	18	567	51	1
उड़ीसा	17	34	1171	72	1
पंजाब	16	16	590	61	1
पश्चिम बंगाल	8	6	1084	25	4
राजस्थान	2	3	31	4	1
सिक्किम	8	6	677	28	3
हिमाचल प्रदेश	1	1	83	0	0
केरल	6	7	382	27	1
बिहार	4	2	162	13	0
गुजरात	6	5	118	24	1
कर्नाटक	12	11	231	45	3
दिल्ली	4	4	181	15	2
मणिपुर	5	4	315	20	3
मध्य प्रदेश	10	23	3466	119	2
जम्मू एवं कश्मीर	1	8	19	6	0
एफपीआई, मुम्बई	1	1	88	0	1

62. यह आवश्यक है कि पुरुषों की चिन्ताओं और सुविधाओं की ओर ध्यान देकर तथा नसबन्दी सेवाओं की तकनीकों और गुणवत्ता में सुधार लाकर नसबन्दी को लोकप्रिय बनाने के प्रयास जारी रखे जाएं। इससे केवल परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता ही नहीं बढ़ेगी बल्कि बन्ध्यकरण सेवाओं की सुलभता, बन्ध्यकरण से जुड़ी रुग्णता और मृत्युदर में भी कमी आएगी।

संभारतंत्रीय सहयोग

नौवीं योजना की कार्यनीति

अनिवार्य औषधियों, उपकरणों, टीकों और गर्भ-निरोधकों की उपयुक्त मात्रा में और गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित करें।

63. परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रयोग के लिए भारत सरकार औषधियां, उपकरण किट, गर्भनिरोधक और टीके प्राप्त करती है और राज्यों को उनकी आपूर्ति करती है। जबकि औषधि-किटों की आपूर्ति जिला स्तर पर की जाती है, टीके और गर्भनिरोधकों की आपूर्ति राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है। इस प्रकार की आपूर्तियों को प्राप्त करने, स्वीकार्य स्थितियों में उन्हें रखने और वितरित करने के लिए राज्यों ने अभी तक कोई विशेषज्ञतापूर्ण तथा समर्पित प्रणाली निर्मित नहीं की है। फलतः औषधियों की प्राप्ति में विलम्ब होता है, गुणवक्ता का ह्रास होता है और उनका अपव्य होता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन लगभग 500 करोड़ रुपये के मूल्य की आपूर्ति की जाती है; अनुमान है कि गुणवक्तात्मक ह्रास और और अकुशलता के कारण 20-30 प्रतिशत की क्षति होती है।

64. विभिन्न राज्यों में कार्यरत विभिन्न विदेशी वित्तपोषी एजेंसियों के सहयोग से परिवार कल्याण विभाग ने प्रत्येक बड़े राज्य के लिए एक संचारतंत्रीय परियोजना तैयार की है। इन प्रस्तावों में राज्य स्तर पर एक ऐसी विशेषज्ञतापूर्ण एजेंसी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जो कि 5-8 जिलों के प्रत्येक संकुल के लिए क्षेत्रीय स्तर पर गोदामों की देखरेख करेगी। ऐसी एजेंसियां क्षेत्र में प्रत्येक अस्पताल की मांग पत्र प्राप्त करेंगी और संविदा के अधीन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से 15 दिन के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसी जितने प्रतिशत आपूर्ति संभालती है, उसे केवल उसी आधार पर भुगतान किया जाएगा। कुछके राज्यों में संभारतंत्रीय परियोजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

65. यह जरूरी है कि जो सुविधाएं जुटाई जाएं वे स्वास्थ्य देखभाल करने वाले सभी संस्थानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा (स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आईएसएम और एच) तथा राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली सभी औषधियों / टीकों / युक्तियों आदि को संभाले। इस दिशा में किए गए प्रयासों और पेश आने वाली समस्याओं का अनुश्रवण किया जाना होगा और आवश्यक मध्यावधिक संशोधन करने होंगे। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यक्ति तथा गुणवक्ता में सुधार के लिए नौवीं योजना अवधि में नई पहलें।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को अवतरित करने तथा गुणवक्ता में सुधार हेतु नवीं योजना अवधि के दौरान नई पहलें

नमनशील एकीकृत वित्तीय आवरण

66. आवरण का प्रयोजन यह है कि बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय स्कीमों से बंधे रहने की बजाय हस्तक्षेपणीय उपयों के राज्य विशिष्ट पैकेज तैयार करने और अपने राज्यों में मातृ स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए नवाचार करने की नम्यता प्रदान की जाए। इस स्कीम के अधीन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब को नम्यता प्रदान की गई। तमिलनाडु राज्य को 270 लाख रुपये, आन्ध्रप्रदेश को 3337.73 लाख रुपये, केरल को 69.90 लाख रुपये, कर्नाटक को 209 लाख रुपये और पंजाब को 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

आरसीएच शिविर

67. जिन दूरस्थ स्थानों पर पीएचसी स्तर पर मौजूदा सेवाओं का अल्प प्रयोग होता है, वहां रहने वाले लोगों को आरसीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित करने की एक स्कीम आलोच्य वर्ष में शुरू की गई है। यह स्कीम घटिया निष्पादन करने वाले 10 राज्यों और साथ ही 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी। आरम्भ में इन राज्यों में 102 जिलों का चयन किया गया है तथा अगले वर्ष और अधिक जिले जोड़े जाएंगे। देश के सभी श्रेणी " ग " जिलों में स्कीम का विस्तार करने का विचार है।

आरसीएच विस्तार स्कीम

68. आठ विशाल राज्यों में दूरस्थ और अपेक्षातया दुर्बल जिलों और शहरी मलिन बस्तियों में प्रतिरक्षण तथा अन्य मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के सुदृढीकरण के लिए एक आरसीएच विस्तार स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। चुने गए जिलों को स्टाफ की गतिशीलता, सेवाओं के स्तरोन्नयन और सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करने के निमित्त अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा। चालू वर्ष में यह स्कीम 50 जिलों में कार्यान्वित की गई है। आशा है कि 2001-02 में 150 और जिलों तक इस स्कीम का विस्तार हो जाएगा।

सीमान्त जिला संकल कार्यनीति

69. इस पहल के अन्तर्गत शिशु मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर में अगले दो तीन वर्षों के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत की गिरावट लाने के उद्देश्य से क्रेन्डित ध्यान देने के निमित्त 16 राज्यों में स्थिति 48 जिले चुने गए हैं। राज्यों और जिलों को इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए काफी नम्यता प्रदान की गई है। जिलों को इन प्रयोजनों के लिए सहयोग किया जा रहा है: स्वास्थ्य और पोषण दलों का विकास और प्रशिक्षण, उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वास्तविक स्तरोन्नयन, उपकरणों और औषधियों की अतिरिक्त आपूर्ति, विस्तार सत्रों का आयोजन, स्टाफ की गतिशीलता के लिए सहयोग, सामाजिक अभिप्रेरण के लिए स्थानीय आईईसी का विकास। इसके अलावा जिलों की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रथम रेफरेल इकाइयों के स्तरोन्नयन और रिक्त पदों को संविदात्मक नियुक्तियों के माध्यम से करने की भी व्यवस्था की गई है।

आरसीएच कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता

70. आरसीएच कार्यक्रम के अधीन गैर सरकारी संगठनों को तीन स्तरों पर सहायता प्रदान की जा रही है।

(क) छोटे गैर सरकारी संगठन: गांव, पंचायत और ब्लाक स्तर पर छोटे गैर सरकारी संगठनों को आरसीएच और परिवार कल्याण पद्धतियों के पक्षपोषण और परामर्श में सहयोजित किया जा रहा है। क्योंकि इन छोटे गैर सरकारी संगठनों के पास सीमित संसाधन होते हैं अतः उनकी सहायता मातृ संगठनों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठनों को दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तराल रखने अथवा गर्भनिरोध की अन्तिम पद्धतियों तथा परामर्श में सहायता प्रदान करनी होती है।

(ख) मातृ गैर सरकारी संगठन: प्रचार संसाधनों और प्रमाणित क्षमता से युक्त गैर सरकारी संगठनों को मातृ गैर सरकारी संगठन के रूप में मंजूरी प्रदान की जा रही है। अभी तक विभाग द्वारा 49 मातृ गैर सरकारी संगठन अभिज्ञात किए गए हैं। मातृ गैर सरकारी संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदनकर्ता छोटे गैर सरकारी संगठनों के प्रत्ययपत्रों की जांच करेंगे, उनसे प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, मंजूरी के लिए उन पर विचार करेंगे, धन राशि प्रदान करेंगे और उनके कार्य का अनुश्रवण करेंगे तथा उनसे उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। मातृ गैर सरकारी संगठनों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे छोटे गैर सरकारी संगठनों के स्टाफ को गैर सरकारी संगठन की देखभाल तथा कार्यक्रम के प्रबन्ध दोनों में प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

(ग) **राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन:** विभाग द्वारा कुछेक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों इन प्रयोजनों के लिए परियोजना आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है। अस्पतालों में शिशु अनुकूल परिपाटियां लागू करने के लिए नवाचारी कार्यक्रम, दोषपूर्ण लिंग निर्धारण स्थितियों का पता लगा कर प्रसवपूर्ण निदानात्मक तकनीक अधिनियम के प्रवर्तन में सहायता करना और उनके विरुद्ध राज्य में नमित अधिकारियों के यहां विशिष्ट शिकायतें करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करना।

इन प्रयासों की प्रगति पर निगाह रखी जा रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थानों का सहयोजन

नौवीं योजना में निम्न प्रयोजनों के लिए पंचायती राज संस्थानों के सहयोजन की परिकल्पना की गई थी

- आरसीएच कार्यक्रम की आयोजना, मानीटरिंग और प्रबन्ध में अन्तःक्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।
- उपकेन्द्रों (एसपी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा आंगनवाड़ियों जैसे स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े आधारिक तंत्र तथा जनशक्ति कार्यक्रम की देखरेख करने में राज्यों की सहायता करना।
- ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर कार्यरत स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आईसीडीएस, समाज कल्याण तथा शिक्षा आदि जैसे विभिन्न विभागों के कार्मिकों के क्रियाकलापों का समन्वय सुनिश्चित करना।

71. परिवार कल्याण कार्यक्रम में पीआरआई के सहयोजन को लेकर राज्यों के बीच व्यापक भिन्नताएं हैं। केरल जैसे राज्यों ने पीआरआई का प्रयोग करते हुए तथा पीआरआई को अधिकारों और वित्त का प्रत्यायोजन करके विकेन्द्रीकृत आयोजना और मानीटरिंग कार्यक्रमों की शुरुआत की है। अन्य राज्यों में पीआरआई को अधिकारों और वित्त का प्रत्यायोजन किए बिना मुख्यतः आयोजना और मानीटरिंग में सहयोजित किया जाता है। कुछ राज्यों में पीआरआई ने अभी तक कार्यक्रम में भाग लेना शुरू नहीं किया है। स्थिति की बराबर समीक्षा करते रहना और उपयुक्त हस्तक्षेपणीय उपाय करना जरूरी है।

अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास नौवीं योजना की प्राथमिकताएं

मूल और नैदानिक अनुसन्धान

- भारतीय चिकित्सा प्रणाली में प्रभावी समझे जाने वाले गर्भ-निरोधकों सहित नए गर्भ निरोधकों का विकास और परीक्षण
- पुरुष सन्तानोत्पत्ति विनियम की पद्धतियों के बारे में अनुसन्धान
- एमटीपी की अपेक्षतः नई गैर-शल्य क्रियात्मक पद्धतियों के बारे में नैदानिक प्रयोग।
- सेंटक्रोमन की विपणोत्तर निगरानी

कार्यचालनात्मक अनुसन्धान

- पहले चले आ रहे जनसांख्यिकीय बदलाव और उसके परिणामों से सम्बन्धित अध्ययन
- अवस्थिति दरों और गर्भनिरोधकों की प्रयोगमूलक प्रभाविता सम्बन्धी अध्ययन
- ग्राम स्तर पर आरसीएच सेवाओं, पोषण, शिक्षा महिला तथा बाल विकास, ग्रामीण विकास तथा परिवार कल्याण सेवाओं की समेकित आपूर्ति संचालित करने के बारे में अनुसन्धान।

72. गर्भ-निरोध और एमसीएच मूल, नैदानिक तथा कार्यचालनात्मक अनुसन्धान का वित्तपोषण करने के लिए आईसीएमआर एक नोडल अनुसन्धान एजेंसी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित अनुसन्धान का वित्तपोषण करने के लिए आईसीएमआर के अलावा अन्य प्रमुख एजेंसियां इस प्रकार हैं- सीएसआईआर., डीबीटी, डीएसटी। मानवीय प्रजनन में अनुसन्धान विषयक राष्ट्रीय समिति, अनुसन्धान के प्राथमिकता क्षेत्रों का निर्धारण करने तथा यह सुनिश्चित करने में परिवार कल्याण विभाग की मदद करती है कि अनुसन्धान क्रियाकलापों का अनावश्यक दोहराव न हो। इस क्षेत्र में अनुसन्धान करने वाले कुछेक प्रमुख संस्थानों में ये शामिल हैं - प्रजनन अनुसन्धान संस्थान, मुम्बई; राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली; केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ; तथा केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद, दिल्ली। 18 जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्रों का एक नेटवर्क परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन करता है और जनसांख्यिकीय सवेक्षण आयोजित करता है।

73. परिवार कल्याण विभाग ने आरसीएच कार्यक्रम के अधीन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भनिरोधकों में अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अंतर्गत प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधकों में अनुसन्धान के निमित्त एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसका काम ऐसे प्रस्तावों की जांच और सिफारिश करना है, जिनके लिए वित्तपोषण आवश्यक है। उपर्युक्त के अलावा, विभाग कार्यक्रम में प्रयुक्त उत्पादों का परीक्षण करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण और सहयोग की दिशा में कार्य कर रहा है।

74. आईसीएमआर तथा अन्य अनुसन्धान एजेंसियों द्वारा सम्प्रति, जिन प्रमुख अनुसन्धान क्षेत्रों का वित्तपोषण किया जा रहा है, उनमें ये शामिल हैं -

- (क) आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तथा भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी में गर्भनिरोधक औषधियों और उपकरणों के लिए अपेक्षतया नई प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में बुनियादी अनुसन्धानात्मक प्रयास, ताकि आने वाले दशकों में जनसंख्या की मांगों की पूर्ति की जा सके।
- (ख) कार्यचालनात्मक अनुसन्धान द्वारा पुरुषों और महिलाओं में गर्भनिरोधकों के विस्तार में सुधार।
- (ग) परिवार कल्याण सेवाओं की बेहतर स्वीकृति के निमित्त सामुदायिक सहभागिता में सुधार लाने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम और सामाजिक - व्यावहारिक अनुसन्धान के निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से कार्यचालनात्मक अनुसन्धान।
- (घ) विभिन्न स्थितियों में विकृतियों का पता लगाने, उन की रोकथाम और प्रबन्ध के लिए एसटीआई/आरटीआई कार्यचालनात्मक अनुसन्धान।

मानीटरिंग और मूल्यांकन

75. परिवार कल्याण कार्यक्रम में कार्यक्रमों मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए सम्प्रति, निम्न प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है:

- (क) सेवा रिपोर्टिंग प्रणाली;
- (ख) एसआरएस और जनगणना आंकड़े;
- (ग) विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अनुसन्धान अध्ययन।

76. परिवार कल्याण विभाग ने क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों का गठन किया है जो कि नियमित सत्यापन करते हैं और विभिन्न गर्भनिरोधकों की स्वीकृति सम्बन्धी आंकड़ों को प्रमाणित करते हैं। इन मूल्यांकन दलों का प्रयोग, असफलता की दरों, अवस्थिति दरों तथा विभिन्न परिवार नियोजन पद्धतियों से जुड़ी जटिलताओं के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

77. परिवार कल्याण विभाग ने कार्यक्रम सम्बन्धी हस्तक्षेपणीय उपायों की प्रगति और साथ ही जिला स्तर पर स्वतंत्र सर्वेक्षणों के माध्यम से उसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक त्वरित परिवार सर्वेक्षण शुरू किया था। दो वर्ष की अवधि में सभी जिलों को शामिल कर लिया गया था। इन रिपोर्टों का प्रयोग जिला विशिष्ट समस्याओं का पता लगाने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन को संशोधित करने के लिए किया जा रहा है।

78. समूचे देश में स्थित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं की उपलब्धता और प्रयोग को लेकर 1998-99 के दौरान अनेक सुविधा सर्वेक्षण आयोजित किए गए। अभी तक 101 जिलों में आंकड़ों के संग्रह का काम पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण परिणामों की जांच की जा रही है और उनमें पाई गई कमियां आवश्यक कार्रवाई करने के निमित्त सम्बन्धित राज्यों और जिलों के ध्यान में लाई जा रही हैं।

79. योजना आयोग और परिवार कल्याण विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में आधारीक सुविधाओं, जनशक्ति और उपकरण सम्बन्धी बेमेल स्थिति का मानीटरिंग करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया है। प्रकिया और गुणवत्ता संकेतकों का मानीटरिंग करने के लिए फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है और सभी राज्यों को भेज दिया गया है।

80. परिवार कल्याण विभाग ने भारत के महापंजीयक के सहयोग से नौवीं योजना के अन्त तक जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। पीएचसी /जिला स्तर पर वार्षिक आधार पर इस प्रकार के आंकड़ों का संग्रह करने, मिलाने और सूचित करने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं। भारत के महापंजीयक कार्यालय में उपलब्ध जानकारी से यह पता चलता है कि केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में 1990-99 के दशक के मध्य की स्थिति के अनुसार सभी जन्मों और मृत्यु के 90 प्रतिशत से अधिक का पंजीकरण कराया गया है। इन राज्यों में इन आंकड़ों का प्रयोग आरसीएच देखभाल की पीएचसी आधारीक-आयोजना और साथ ही, आरसीएच देखभाल के विस्तार और प्रभाव का वार्षिक मूल्यांकन - दोनों प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। जिन जिलों में महत्वपूर्ण पंजीकरण 70 प्रतिशत से अधिक है, उनमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जा रही है कि 90 प्रतिशत से अधिक जन्म और मृत्यु सूचित की जाए जिससे कि पीएचसी-आधारीक आरसीएच देखभाल की आयोजना और साथ ही उसके प्रभावी मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

आरसीएच कार्यक्रम का मूल्यांकन

81. उपर्युक्त संकेतकों के की मानीटरिंग से देखभाल की गुणवत्ता अथवा सेवाओं की उपयोगिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती। कार्यक्रम को प्रदान की जा रही सेवाओं की 'देखभाल की गुणवत्ता' का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। जिला स्तर पर इकट्ठे किए गए सेवा सम्बन्धी आंकड़ों को मिलाने और उनका विश्लेषण करने और साथ ही उभरती हुई स्थितियों के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। जिलों में जनगणना, जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्रों सहित विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों का क्षेत्र विशिष्ट सूक्ष्म आयोजना के निमित्त स्थानीय स्तर पर विश्लेषण और प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जैसे तदर्थ सर्वेक्षणों के माध्यम से सृजित जानकारी का प्रयोग कार्यक्रम की कमियों का पता लगाने और अपेक्षित उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जनगणना रिपोर्टें, जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्रों के माध्यम से किए गए अध्ययनों, तदर्थ सर्वेक्षणों तथा आरसीएच के अधीन जिला सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं। इन रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के माध्यम से सृजित आंकड़ों का प्रयोग पीएचसी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000

नौवीं योजना की सिफारिश

एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की जानी चाहिए ताकि वह केवल परिवार कल्याण सेवाओं में सुधार लाने के लिए ही नहीं बल्कि साथ ही, परिवार कल्याण सेवाओं की आपूर्ति तथा नई सहस्राब्दि में जनसांख्यिकीय प्रभाव को और उसकी मानीटरिंग करने के लिए भी एक विश्वसनीय और संगत नीतिगत ढांचा उपलब्ध करा सके।

82. जनसंख्या सम्बन्धी एनडीसी उप-समिति की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की जानी चाहिए ताकि वह केवल परिवार कल्याण सेवाओं में सुधार लाने के लिए ही नहीं बल्कि साथ ही, परिवार कल्याण सेवाओं की आपूर्ति तथा नई सहस्राब्दि में जनसांख्यिकीय प्रभाव को और उसका अनुश्रवण करने के लिए भी एक विश्वसनीय और संगत नीतिगत ढांचा उपलब्ध करा सके। परिवार कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 तैयार की जिसे मंत्रिमंडल ने फरवरी 2000 में अनुमोदित कर दिया।

83. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 ने 2010 के लिए निम्न लक्ष्य रखे हैं -

- i) उत्तम स्तर की गर्भनिरोधक सेवाओं की शत-प्रतिशत सुलभता, ताकि समग्र प्रजनन दर घटाकर 2.1 रह जाए और दो बच्चों का मानदण्ड प्राप्त किया जाए।
- ii) जन्म, मृत्यु तथा विवाह और गर्भ का शत-प्रतिशत पंजीकरण।
- iii) बहुविध विकल्पों सहित जनन क्षमता विनियम और गर्भधारण के निमित्त जानकारी/परामर्श और सेवाओं की सार्वजनीन सुलभता।
- iv) शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 30 के स्तर पर लाना और जन्म के समय कम भार (2.5 किलोग्राम से कम) वाले शिशुओं के मामलों की संख्या में अत्यधिक कमी लाना।

- v) टीके से रोके जा सकने वाले रोगों के सम्बन्ध में बच्चों का सार्वजनीन प्रतिरक्षण, 2002 तक पोलियो का उन्मूलन तथा टिटनस और खसरा का लगभग उन्मूलन।
- vi) लड़कियों के विलंबित विवाह को बढ़ावा देना ताकि उनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले न हो और बेहतर हो, यदि 20 वर्ष की आयु के बाद हो ।
- vii) 80 प्रतिशत संस्थागत प्रसवों का लक्ष्य पूरा करना तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले प्रसवों का प्रतिशत बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक लाना।
- viii) यौन संचारित रोगों पर काबू पान।
- ix) मातृ मृत्यु दर घटाकर एक लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम के स्तर पर लाना।
- x) प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दरें लड़कों और लड़कियों-दोनों के मामले में घटाकर 20 प्रतिशत से कम लाना।

84. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को सुकर बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्बद्ध एक अधिकार प्राप्त कार्यसमूह का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

85. भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की उपाध्यक्षता में 11 मई 2000 को एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा, मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देगा ताकि जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। आयोग का अधिदेश इस प्रकार है:

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा, अनुश्रवण करना तथा उसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देना ताकि जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।
- स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरणात्मक और विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रिया को बढ़ावा देना ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण में तेजी लाई जा सके।
- केन्द्र और राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों तथा एजेन्सियों के माध्यम से कार्यक्रमों के नियतन और कार्यान्वयन में अतःक्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना।
- इस राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग देने के लिए एक सशक्त जन कार्यक्रम तैयार करना।

86. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई 2000 को आयोजित की गई थी। जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यापक विचार-विमर्श और उपयोगी सुझाव दिए गए। आयोग के स्थायी सलाहकार समूह के रूप में सम्बन्धित क्षेत्रीय मंत्रालयों के सचिवों से युक्त एक कार्यनीतिक सहयोग समूह गठित किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रति समर्पित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 9 कार्यकारी समूह गठित किए गए। केन्द्रीय सरकार से 100 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक योगदान सहित एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि स्थापित की जा रही है। इन निधि में निगमित कार्यालयों, उद्योग, व्यापार संगठनों और व्यक्तियों का योगदान मिलने की आशा है।

नौवीं योजना के लक्ष्य

87. तालिका 5.4.3.5 प्रक्रिया तथा प्रभावी संकेतकों तथा इनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - एनएचपी 1983 (2000 के लिए) तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2010 के लिए) निर्धारित लक्ष्यों की मौजूदा स्थिति (एनएफएचएस-रूरू तथा एसआरएस द्वारा यथानिर्दिष्ट) सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराती है। यद्यपि संकेतकों में क्रमिक सुधार हुआ है, फिर भी सुधार की गति वैसी नहीं रही है जैसी कि सोची गई थी।

तालिका 5.4.3.5					
संकेतकों और लक्ष्यों का मौजूदा स्तर					
सं.	संकेतक	मौजूदा स्थिति	लक्ष्य		
			एनएचपी 1983	नौवीं योजना	एनपीपी 2000
	लक्षित वर्ष		2000	2002	2010
1.	परिवार नियोजन संकेतक • अशोधित जन्म दर • कुल प्रजनन दर • दम्पति संरक्षण दर	26.1 (1999) 3.3 (1997) 46.25 (2000)	21 2.1 60S	23 2.6 60S	21 2.1 सभी मांगों की पूर्ति होती है
2.	मृत्यु संकेतक • मातृ मृत्यु दर • प्रसवकालीन मृत्यु दर • नवजात मृत्यु दर • शिशु मृत्यु दर • 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर	540 (एनएफएचएसरूरू) - 43.4 (एनएफएचएसरूरू) 70 (1999) 94.9 (एनएफएचएसरूरू)	400 30-35 - 60 से कम -	300 - 35 56-50 -	100 30 से कम
3.	शिशु का पूर्ण प्रतिरक्षण (टीके) से रोके जा सकने वाले छः रोग - खसरा - डीपीटी - पोलियो - बीसीजी	42S (एनएफएचएस रूरू) 51S 55S 63S 72S	100S	65S	100S
4.	प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती माताएं • ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें कम से कम 3 एएनसी प्राप्त हुए • ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें 3 अथवा 4 महीने के लिए आईएफए प्राप्त हुए • ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें 2 टीटी टीके लगे	(एनएफएचएस रूरू) 43.8 47.5 66.8	100S	95S	100S

5.	प्रसव <ul style="list-style-type: none"> संस्थानगत प्रसव प्रशिक्षित प्रसव परिचरों सहित प्रशिक्षित स्वास्थ्य कामिकों द्वारा प्रसव 	34S (एनएफएचएस रुद्र) 42.3S (एनएफएचएस रुद्र)	- 100S	35S 45S	80S 100S
6.	जन्म के समय कम भार वाले शिशुओं के मामलों की संख्या	30S (अनुमानित)	10S		

विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाएं

क्षेत्र परियोजनाएं

88. मातृ और शिशु मृत्यु दर, रुग्णता और जन्म दर घटाने के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र निधि (यूएनडीपी), ओवरसीज विकास एजेन्सी, डेनिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी (डेनिडा), जैसी विदेशी एजेन्सियों की आर्थिक सहायता से विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

89. महाराष्ट्र में जर्मन सरकार द्वारा सहायताप्राप्त आईपीपी-~~ज~~ तथा ओपीपी-~~रु~~ परियोजनाएं, परिवार स्वास्थ्य सहायता परियोजना, तमिलनाडु में डेनिडा चरण-~~रु~~ परियोजना, उड़ीसा में ओडीए चरण-~~रु~~ परियोजना तथा केरल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में यूएनएफपीए सहायता प्राप्त जिला परियोजनाएं 2000-01 के दौरान कार्यान्वित की गईं और ये परियोजनाएं 2001-02 के दौरान जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में यूएसएआईडी सहायताप्राप्त परियोजना भी 2001-02 के दौरान जारी रहेंगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का वित्तपोषण

योजना निधियों के माध्यम से योजनेतर क्रियाकलापों का वित्तपोषण

90. परिवार कल्याण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत एक योजनागत स्कीम के रूप में की गई थी जिससे कि विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति संस्थानों में अपेक्षित जनशक्ति के स्थानन के प्रति उपयुक्त ध्यान दिया जा सके। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत रूप से केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है और इसे राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी आधारिक तंत्र के अनुसंधान के लिए तथा कतिपय नियत मानदण्डों के अनुसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है। परिवार कल्याण विभाग की योजना निधियों का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है: आधारिक तंत्र का अनुसंधान, वेतन सम्बन्धी खर्चों की पूर्ति, किराए, दवाइयों, आकस्मिक खर्चों आदि के लिए आवर्ती प्रावधान और ये सभी खर्च प्रकृति से मूलतः योजनेतर हैं। नौवीं योजना अवधि में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निमित्त परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद गुणवत्ता तथा विस्तार में सुधार के नवाचारी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध निधियां इस कारण सीमित हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक निधियों का प्रयोग वेतनों और आधारिक तंत्र के अनुसंधान सम्बन्धी प्रतिबद्ध योजनेतर खर्चों की पूर्ति पर किया जा रहा है।

बकाया की समस्या

91. परिवार कल्याण विभाग बहुत पहले किए गए कतिपय मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण परिवार कल्याण उपकेन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण सेवाओं और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के अनुरक्षण का खर्च वहन करता है। उपर्युक्त सेवाओं को बनाए रखने के लिए वस्तुतः आवश्यक निधियों और मनदण्डों के अनुसार प्रदान की जा रही निधियों के बीच व्यापक अन्तर है। इस प्रकार, इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि राज्यों को दी जाने वाली बकाया संचित होती रहती है। इन राज्यों को बकाया के भुगतान में होने वाली देरी से सभी राज्यों में विशेष रूप से वित्तीय समस्याओं में जकड़े हुए राज्यों में परिवार कल्याण सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनमें से अनेक राज्य, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार के लिए पूरे प्रयास किए। इस स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने यह सुझाया था कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के निमित्त राज्यों को निधियां प्रदान करने के लिए मानदण्डों की समीक्षा किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

92. बकाया के समापन के लिए संगत वार्षिक योजनाओं के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का परिव्यय, जो कि 1998-99 में 2489.35 करोड़ रुपए था, 1999-2000 में बढ़ाकर 2920.00 करोड़ रुपए और 2000-2001 में 3520.00 करोड़ तथा 2001-2002 में 4210.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। सामान्य स्थितियों में योजना आयोग द्वारा आबंटन में की गई इस विशाल वृद्धि से आगामी वर्षों के लिए बकाया की समस्या लगभग सुलझ गई होती। लेकिन क्योंकि राज्यों ने पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करनी शुरू कर दी, इसलिए समस्या बनी हुई है।

93. योजना आयोग द्वारा सुझाए अनुसार परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित इन मानदण्डों की समीक्षा करने, परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित मानदण्डों की समीक्षा करने, विभिन्न प्रकार की आधारिक सुविधाओं तथा जनशक्ति के सम्बन्ध में वेतन, आकस्मिक तथा अन्य खर्चों के लिए यथार्थ मानदण्ड तैयार करने के प्रयोजन से एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया। परिवार कल्याण विभाग द्वारा मानदण्डों को संशोधित करने के लिए गठित की गई परामर्शदात्री समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्मित आधारिक सुविधाओं और जनशक्ति के युक्तियुक्तकरण का भी अध्ययन किया ताकि केन्द्र और राज्य-दोनों कार्यक्रम के संगत अंशों का वित्तपोषण करें। परिवार कल्याण विभाग ने समिति की रिपोर्ट का प्रारूप राज्यों के विचार जानने के लिए उनके बीच परिचालित कर दिया है; आशा है कि रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और चालू वर्ष में सिफारिशें कार्यान्वित कर दी जाएंगी।

परिवार कल्याण आधारिक संरचना का पुनर्गठन

94. परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारित आधारिक संरचना और जनशक्ति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नौवीं योजना के दस्तावेज में की गई सिफारिशें, परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें तथा योजना आयोग के विचार **संलग्नक - 5.4.3.1** में दिए गए हैं।

95. नौवीं योजना में इस आशय का सुझाव दिया गया था कि परिवार कल्याण सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित आधारिक संरचना का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

96. परिवार कल्याण विभाग निम्न प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था करे:

- सम्प्रति उपकेन्द्रों में कार्यरत 97,757 एएनएम की जगह सभी 1,37,271 एएसएम। यह जरूरी है कि एएनएम जो कि कार्यक्रम के विस्तार में वृद्धि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती हैं, उपलब्ध रहें और परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किए जाएं।
- शहरी स्लम बस्तियों में स्थित ऐसे उप-केन्द्रों (ग्रामीण उप-केन्द्रों के समकक्ष) के लिए अपेक्षित एएनएम मौजूदा स्वास्थ्य चौकियों/प्रसवोत्तर केन्द्रों/परिवार कल्याण केन्द्रों आदि से लेकर नियुक्त की जाएं।
- 8 से 10% तक के प्रशासनिक खर्च।
- उपभोज्यों, गर्भनिरोधकों और टीकों की अपेक्षित आपूर्ति।

97. परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी सिफारिशों के अलावा, एएनएम की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में सभी एएनएम को अपने अधिकार में लिए जाने की आवश्यकता है ताकि एक से राज्यों में (इस बात पर निर्भर करते हुए कि उनके लिए राज्य द्वारा भुगतान किया गया अथवा केन्द्र द्वारा) एक सी शैक्षिक योग्यताओं और कार्यों वाले स्टाफ की भर्ती के लिए विभिन्न परिलब्धियों को लेकर कोई विसंगति समाप्त हो जाए। यदि राज्य इस स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे तो उन्हें उन एएनएम की परिलब्धियों में, जिन्हें राज्य द्वारा भुगतान किया जा रहा है, वृद्धि करनी होगी। इसका परिणाम यह होगा कि जो राज्य पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय समस्याओं से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, उन्हें आधारिक सुविधाओं की अनुसूचना लागत के निमित्त और अधिक खर्च वहन करना होगा।

98. राज्य निम्न को अपने अधिकार में ले सकते हैं -

- ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र
- 'ग' श्रेणी तथा उप जिला स्तर के पीपी केन्द्र जे कि राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र के अविभाज्य अंग हैं। उन्हें पीएचसी तथा सीएचसी में समाकलित किया जा सकता है।
- पिछले तीन दशकों से अधिक समय से परिवार कल्याण सेवाएं द्वितीयक और तृतीयक देखभाल संस्थानों द्वारा प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवाओं के एक अविभाज्य अंग के रूप में प्रदान की जा रही है। अतः, श्रेणी 'क' और 'ख' प्रसवोत्तर केन्द्रों को राज्यों द्वारा अपने अधिकार में लिया जा सकता है और उन्हें संगत अस्पतालों में प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान में शामिल किया जा सकता है।
- जिस स्टाफ के वेतन का भुगतान 'ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र' सुरक्षा के अधीन किया जाता है, वह अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारियों के रूप में कार्यरत हैं। उप-जिला प्रसवोत्तर केन्द्र स्टाफ को एफआरयू में तैनात किया जा सकता है। स्टाफ की ये दो श्रेणियाँ राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक तंत्र का एक हिस्सा बन जाएंगी।

पीएमजीवाई के अधीन एसीए

99. केन्द्रीय सरकार द्वारा पीएमजीवाई के अधीन राज्यों को प्रदान की जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए); 2000-01 के दौरान 15 प्रतिशत पीएमजीवाई निधियां प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के कार्यचालनात्मक स्तर में सुधार लाने के प्रति लक्षित अभिज्ञात प्राथमिक हस्तक्षेपणीय उपायों के लिए आबंटित की गई हैं; 2001-2002 के दौरान 2800 करोड़ रुपए की समग्र पीएमजीवाई निधियां स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटित कर दी गई हैं; इन निधियों का प्रयोग परिवार कल्याण सेवाओं की आपूर्ति के निमित्त आधारिक तंत्र के पुनर्गठन सहित राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक संरचना के कार्यक्रम में सुधार के लिए किया जा सकता है।

2001-02 के लिए परिव्यय

100. परिवार कल्याण विभाग के लिए वार्षिक योजना 2001-2002 का परिव्यय 4210 करोड़ रुपए है। अनुमोदित परिव्यय का स्कीम-वार आबंटन **अनुबन्ध - 5.4.3.2** में दिया गया है।

परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्प्रति संधारित आधारिक संरचना जनशक्ति का पुर्नगठन

योजना	परिव्यय (करोड़ रुपयों में)		नौवीं योजना के लिए सिफारिश	परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें	परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के संबंध में योजना आयोग की टिप्पणियां
	1998- 99	1999- 2000			
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (1980 से पहले स्थापित सभी ब्लाक स्तरीय पी.एच.सी. इस प्रकार के 5435 केन्द्र काम कर रहे हैं)	265.00	350.00	राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारित संरचना का हिस्सा बनाया जाएगा।	राज्यों द्वारा ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के अनुसूक्षण का काम अपने हाथ में ले लिया जाएगा।	योजना आयोग ने परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों का समर्थन किया।
उप-केन्द्र (परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तपोषित 97757 राज्य द्वारा वित्तपोषित 38782)	340.00	525.00	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन सभी एएनएम पूरी तरह वित्तपोषित की जाएंगी।	सभी उप-केन्द्रों के अनुसूक्षण के लिए परिवार कल्याण विभाग व्यवस्था करेगा।	
शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का अनुसूक्षण तथा शहरी स्तर के संगठनों को चुस्त दुरुस्त बनाना। दस राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में 871 स्वास्थ्य चौकियां काम कर रही हैं। यहां 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मौजूद हैं।	64.00	58.00	राज्यों द्वारा सुसंरचित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारिक संरचना स्थापित की जाएंगी; परिवार कल्याण विभाग का वित्तपोषण केवल ए.एन.एम.के लिए होगा; शहरी स्वास्थ्य देखभाल के निमित्त ए.एन.एम. मुख्यतः पुनः नियुक्त किए जाएंगे और यदि कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति की जाएगी।	निम्न स्थापित किए जाएंगे: मलिन बस्तियों की प्रति 10,000 जनसंख्या के लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मलिन बस्तियों की प्रति 50000 जनसंख्या के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
प्रसवोत्तर केन्द्र 550 जिला स्तरीय पी पी केन्द्र और 1012 उप-जिला स्तरीय पी.पी. केन्द्र हैं जो एम.सी.एच. तथा परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।	100.00	120.00	नौवीं योजना के दौरान सभी जिला स्तरीय पी.पी. केन्द्रों को राज्यों द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाएगा तथा संबंधित अस्पतालों के प्रसूति/स्त्री रोग विभागों के साथ जोड़ दिया जाएगा। उप-जिला स्तरीय पी.पी. केन्द्रों को पी.एच.सी./सी.एच.सी. के साथ जोड़ दिया जाएगा।	पी.पी. केन्द्रों को परिवार कल्याण विभाग द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना जारी रहेगा।	
दिशा-निर्देश और प्रशासन मौजूदा मानदंडों के अधीन केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1985-86 में राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के कुल आबंटन के 7.5 प्रतिशत / 8.3 प्रतिशत सीमित रहती है।	92.00	185.50		एक करोड़ से अधिक/कम जनसंख्या वाले राज्य, परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लेखा परीक्षित खर्च के 8 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक अथवा वास्तविक खर्च के, इनमें से जो भी कम हो, के पात्र होंगे।	आयोग, परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों का समर्थन करता है।
बन्धीकरण शय्याएं आधारिक प्रशिक्षण स्कूल	1.70	1.70		बेहतर कार्यकरण के लिए योजना का मूल्यांकन करना	

परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्प्रति संधारित आधारिक संरचना और जनशक्ति का पुनर्गठन

योजना	परिव्यय (करोड़ रुपयों में)		नौवीं योजना के लिए सिफारिश	परामशदात्री समिति की सिफारिशें	परामशदात्री समिति की सिफारिशों के संबंध में योजना आयोग की टिप्पणियां
	1998-99	1999- 2000			
509 ए.एन.एम. प्रशिक्षण स्कूल, 44 एल.एच. बी. प्रशिक्षण स्कूल और 47 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण स्कूल हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर पर ए.एन.एम, एल.एच.पी. को तथा चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।	39.95	61.90		वर्तमान की भांति परिवार कल्याण विभाग द्वारा ही इनका रख-रखाव किया जाए।	राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा क्योंकि प्रशिक्षण उनका कार्य है।
बकाया	250.00	200.00			परिवार कल्याण विभाग को वेतनों के मानदण्ड संशोधित करने होंगे और लेखों के लेखा परीक्षित विवरणों पर आधारित वास्तविक वेतन खर्चों की राज्यों को प्रतिपूर्ति करनी होगी।
उप-जोड़	1152.65	1502.10			
जोड़	2489.35	2920.00			

संलग्नक 5.4.3.2

परिवार कल्याण विभाग - वार्षिक रिपोर्ट 2001-02

(रुपये करोड़ों में)

स्कीम	नौवीं योजना आंबटन	वार्षिक योजना 2000-01		वार्षिक योजना 2001-02
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	3700.00	857.00	856.00	1105.00
2 उप-केन्द्र				
3 शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों को रखरखाव	250.00	58.50	58.50	75.00
4 शहरी स्तर के संगठनों को चुस्त बनाना				
5 दिशा-निर्देश और प्रशासन	700.00	102.10	102.70	120.00
6 मातृ और बाल स्वास्थ्य				
(क) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना	5000.00	951.00	801.00	1252.00
(ख) प्रतिरक्षण सुदृढीकरण परियोजना		46.00	35.00	60.00
(ग) कोल्ड चेन उपकरणों की प्राप्ति	150.00	5.00	0.40	0.00
7 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अधीन नए उपाय /कदम	265.00			118.04
8 बन्धीकरण तथा आई.यू.डी. निवेशन	600.00	101.00	101.00	125.00
9 प्रसवोत्तर केन्द्र	530.00	111.00	111.00	150.00
10 आधारीक प्रशिक्षण स्कूल	240.00	81.10	78.10	122.00
11 अनुसंधान संस्थान	124.00			
12 सूचना, शिक्षा और संचार	170.00	25.50	25.50	35.00
13 ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना	50.00	4.75	4.75	5.00
14 परिवहन	150.00	70.20	70.20	70.00
15 गर्भनिरोधक				
(क) निःशुल्क	930.00	203.71	181.71	258.50
(ख) गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन				
(ग) नौ स्कैलपल नसबन्दी				
16 संभारतंत्रिय सुधार	80.00	0.00	0.00	10.00
17 क्षेत्र परियोजनाएं/ भारतीय जनसंख्या परियोजनाएं (आईपी पी)	800.00	180.00	180.00	250.00
18 यूएसएड सहायता प्राप्त यू.पी. परियोजना	250.00	60.00	55.00	70.00
19 विशेषज्ञों की यात्रा/सम्मेलन/बैठकें आदि	16.10	0.00	0.00	1.25
20 अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	6.30	0.00	0.00	1.69
21 बन्धीकरण शय्याएं	8.60	1.70	1.70	1.50
22 परिवार कल्याण सलाहकार योजना	1.00	0.00	0.00	0.00
23 बकाया	950.00	292.00	260.00	380.00
24 हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	1.90	0.00	0.00	0.02
25 स्कूल स्वास्थ्य योजनाएं तथा अन्य	127.00	0.00	0.00	0.00
26 एन.जी.ओ./ स्कोवा का सहयोजन	0.00		0.00	0.00
27 नमनशील दृष्टीकोण योजना			0.00	0.00
28 अन्य योजनाएं *	20.10	369.44	277.44	0.00
कुल योग	15120.00	3520.00	3200.00	4210.00
* वार्षिक योजना 2000-01 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम में परियोजनाओं के निमित्त एकमुश्न प्रावधान शामिल है। स्रोत: वास्तविक- परिवार कल्याण विभाग, बजट अनुमान/संशोधित अनुमान- वार्षिक योजना 2000-01 तथा बजट अनुमान वार्षिक योजना 2001-02, वय बजट 2001-02 वित्त मंत्रालय				

5.5 आवास, शहरी विकास तथा नागरिक सुविधाएं

5.5.1 शहरी आवास

आवास एक ऐसी बुनियादी मानवीय आवश्यकता है जिसकी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, त्वरित शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान आवासीय परिदृश्य को गम्भीर बना दिया है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आवास मूलतः एक निजी स्वयंसेवी क्रियाकलाप है, फिर भी आवासीय नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते समय यह स्वीकारना होगा कि कमजोर वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए "सभी के लिए आवास" की संघारणीय आधार पर पूर्ति करने के अनुकूल वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। राष्ट्रीय आवास तथा हैबिटेट नीति, 1998 में यह स्वीकार किया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश जनसंख्या के जीवन के हालात में सुधार नहीं आया है। इस नीति दस्तावेज में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, वित्तीय संस्थानों, अनुसन्धान मानकीकरण और तकनीकी संस्थानों आदि की भूमिकाओं का स्पष्टतः निर्धारण किया गया है। तथापि, क्योंकि आवास राज्य सरकारों से संबंधित विषय है इसलिए स्थानीय निकायों और नागरिक समूहों के परामर्श से स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल विशिष्ट कार्य-योजनाएं और कार्यक्रमों का निर्माण करने में राज्य सरकारों को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है।

2. जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि के अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण जनसंख्या के नियमित रूप से शहरों में आ जाने के कारण शहरी आवास और बुनियादी सेवाओं पर असह्य दबाव पड़ा है। राष्ट्रीय भवन संगठन (एन.बी.ओ.) जिसने 1991 में 8.23 मिलियन शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाया था, उसे ऐसी आशा है कि 2001 में वास्तविक कमी घटकर 6.64 मिलियन रह जाएगी। तथापि, हैबिटेट-II के अनुमानों के अनुसार 2001 में यह कमी बढ़कर 9.4 मिलियन हो जाएगी।

3. आवास और हैबिटेट पालिसी 1998 का अन्तिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आवास और हैबिटेट मुद्दों से निबटने के लिए सरकारी / निजी भागीदारी की अप्रयुक्त संभावनाओं का लाभ उठा कर "सभी के लिए आवास" की बुनियादी आवश्यकता और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जाए। इस नीति के अधीन सरकार वित्तीय रियायतें देती है, विधिक और विनियामक सुधार लागू करती है और एक समर्थनकारी वातावरण का निर्माण करती है। भागीदार के रूप में निजी क्षेत्रक, भूमि-असेम्बली, आवास निर्माण और आधारिक सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होगा।

4. नौवीं योजना में आवासीय बाजार में न्यूनतम स्तर पर स्थित परिवारों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की सहायता के लिए निर्धारित किए गए प्राथमिकताप्राप्त समूह इस प्रकार हैं- निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे लोग, अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां, विकलांग, मुक्त हुए बंधुआ मजदूर, मलिन बस्तियों के रहने वाले तथा ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हैं। एक सुसाध्यकारी की भूमिका के रूप में सरकार को एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें सभी अपेक्षित इन्पुट उपयुक्त मात्रा तथा उपयुक्त गुणवत्ता और स्तरों के अनुरूप होंगे। देश में आवासीय क्रियाकलापों की वृद्धि को सुकर बनाने के निमित्त अनुकूल

वातावरण तैयार करने के लिए शहरी विकास तथा गरीबी अपशमन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने कतिपय उल्लेखनीय उपाय किए हैं जिनमें निम्न शामिल हैं:

- भूमि के बाजार में विकृतियों को ठीक करने के लिए शहरी भूमि हदबन्दी और विनियम अधिनियम, 1976 (यूएलसीआरए) को रद्द करके कानूनी अड़चनों को दूर करना;
- अपार्टमेंट स्वामित्व, किराया नियंत्रण तथा निजी बिल्डिंगों और डेवलपर्स के विनियमन के लिए आदर्श कानून का निर्माण करना जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित उपयुक्त संशोधनों सहित अपना लिया जाएगा;
- आवासीय वित्तीय कम्पनियों पर एनएचबी के नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने तथा आवासीय वित्त संस्थानों की देयताओं की वसूली की सरल, तेज और लागत प्रभावी पद्धतियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनएचबी अधिनियम, 1987 में संशोधन;
- आय-कर की गणना के प्रयोजन से स्व-आधिपत्य सम्पत्ति के मामले में कुल आय में से ऋण पर देय ब्याज को घटा कर आवासीय क्षेत्र को वित्तीय रियायतों की मंजूरी;
- मूलतः ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्गों के छोटे कर्जदारों को ब्याज की घटी हुई दरों पर ऋण सुविधा का विस्तार;
- लागत-प्रभावी, ऊर्जा कुशल और पारिस्थिक-अनुकूल भवन सामग्री आदि के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम के अधीन विभिन्न रियायतें मंजूर करना।

5. आवासीय क्षेत्र में संस्थागत वित्त में वृद्धि करने और आवासीय वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के एक सहायक के रूप में जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की स्थापना की गई। इसके अलावा, भारत सरकार की इक्विटी सहायता से आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए आवास पर बल देते हुए इस क्षेत्र में एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय तकनीकी-वित्तीय एजेन्सी के रूप में काम कर रहा है।

6. 1998-99 में आवास के सम्बन्ध में लागू की गई विशेष कार्य योजना (एसपीए) जो "दो मिलियन आवासीय कार्यक्रम" के रूप में भी विख्यात है, का उद्देश्य यह है कि एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी को आवास सुलभ कराया जाए। इस आवासीय कार्यक्रम के अधीन शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 7 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार, हुडको को 4 लाख मकानों के निर्माण के लिए सुसाध्यकारी एजेन्सी का दायित्व सौंपा गया है। शेष 3 लाख मकानों में से 1.5 लाख का वित्तपोषण एचएफआई द्वारा और एक लाख का निर्माण सहकारी क्षेत्र द्वारा तथा बाकी 0.50 लाख मकानों का निर्माण "अन्य स्रोतों" द्वारा किया जाना था। 1998-99 के दौरान कार्यक्रम के अधीन वास्तविक उपलब्धि 7.58 लाख मकानों की रही है। 1999-2000 (21.3.2000 की स्थिति के अनुसार) 795218 इकाइयां मंजूर की गई थीं जिनमें से 317911 इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया था और 335641 इकाइयों का निर्माण चल रहा था। 2000-01 के दौरान (31.3.2001 की स्थिति के अनुसार) मंजूर की गई 670881 इकाइयों में से 529385 इकाइयों के सम्बन्ध में काम चल रहा था (इस समग्र संख्या में सहकारी संस्थाओं तथा अन्य स्रोतों द्वारा निर्मित इकाइयां शामिल नहीं हैं क्योंकि तत्सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा निम्न आय समूह आवास

7. आवासीय क्रियाकलाप मूलतः राज्य सरकारों का विषय है। केन्द्र सरकार की भूमिका मुख्यतः संस्थागत और अनुसंधान सहायता जुटाने के रूप में है। राज्य सरकारें 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन अपनी योजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, जिनमें आवास योजना भी है। नवनिर्माण तथा पुराने और खस्ताहाल मकानों के समूह के स्तरोन्नयन की दिशा में वास्तविक प्रगति का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि केन्द्रीय / राज्य एजेन्सियों, सहकारी आवास समितियों, सरकारी और निजी आवास से इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने वाली कोई अकेली एजेन्सी मौजूद नहीं है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह की आवासीय इकाइयों के सम्बन्ध में आंकड़ों का एकमात्र व्यवस्थित संग्रह 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन किया जाता है। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के सम्बन्ध में आर्थिक दृष्टि से कमजोर और निम्न आय समूह के आवासों से सम्बन्धित राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **संलग्नक 5.5.1 तथा 5.5.2** में दिए गए हैं।

8. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आवास सुलभ कराने के लिए प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाता है और हुडको (आवास तथा शहरी विकास निगम लि.) से ऋणों द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। राज्यों को राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त भी सुलभ है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास के निर्माण में सहकारी तथा अन्य संगठन भी सहयोजित किए गए हैं। वर्ष 2000-01 (जुलाई 2000 तक) के दौरान 1.96 आवासीय इकाइयों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 1.02 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया था। एल आई जी आवास मूलतः एक पुरानी चली आ रही योजना है और इसे राज्य सरकारों द्वारा आवासीय बोर्डों और आवासीय विभागों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। बजट प्रावधान की संस्थागत वित्त से पूर्ति की जाती है। वर्ष 2000-01 (जुलाई 2000 तक) के दौरान 27457 आवासीय इकाइयों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 5,688 एल आई जी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। लागतों में वृद्धि और लक्षित समूह की आय में बदलाव को ध्यान में रखते हुए ई डब्ल्यू एस और एल आई जी आवास के लिए आय, लागत और ऋण सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

वार्षिक योजना 2000-2001 के परिव्ययों की पुनरीक्षा

9. केन्द्रीय क्षेत्र के स्कीम-वार ब्यौरे **संलग्नक-5.5.3** में दिए गए हैं जिनमें 1999-2000 के लिए वास्तविक खर्च, 2000-01 के लिए बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान और 2000-2001 के लिए प्रावधान दर्शाया गया है। वर्ष 2000-01 के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए 364.01 करोड़ रुपये के समग्र आबंटन में से प्रमुख आबंटन हुडको को इक्विटी सहायता के रूप में (155 करोड़ रुपये) था जिसके बाद सामान्य पूल रिहायशी आवास (75 करोड़ रुपये) और अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए आवास (64 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस आवास (58 करोड़ रुपये), बी एम टी पी सी (4 करोड़ रुपये), रैन बसेरा (3.4 करोड़ रुपये) तथा बिल्डिंग सेन्ट्रों (3 करोड़ रुपये) सहित संस्थान को विज्ञान तथा तकनीकी अनुदान का स्थान आता है। आशा है कि कुल आबंटन में से 96 प्रतिशत का प्रयोग कर लिया जाएगा।

वार्षिक योजना 2001-02

10. वार्षिक योजना 2001-02 के केन्द्रीय क्षेत्र में आवास के लिए 416.68 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 2000-01 के आबंटन की तुलना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 2001-02 के निमित्त प्रावधान में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

11. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अनुमोदित परिव्यय के स्कीम-वार ब्यौरे **संलग्नक-5.5.3** में दिए गए हैं। पिछले वर्ष की भांति 155 करोड़ रुपये का आबंटन हुडको को इक्विटी सहायता के रूप में किया गया है जिसके बाद सामान्य पूल आवास (80 करोड़ रुपये), अर्द्ध-सैन्य बलों के लिए आवास (100 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस आवास (69 करोड़ रुपये) बी एम टी पी सी (4 करोड़ रुपये), रैन बसेरा (4.56 करोड़ रुपये) तथा बिल्डिंग सेक्टरों सहित (3 करोड़ रुपये) संस्थानों को अनुदान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का स्थान आता है। वर्ष 2000-01 (राज्य क्षेत्र) के सम्बन्ध में आवास के लिए राज्य-वार / संघ शासित क्षेत्र-वार परिव्यय और संशोधित अनुमान **संलग्नक 5.5.4** में दिए गए हैं।

शहरी विकास

12. भारत की शहरी प्रणालियां, विशालतम शहरी प्रणालियों में से एक हैं, जिनमें 2001 में अनुमानित जनसंख्या 289 मिलियन है और आशा है कि 2021-2025 में यह जनसंख्या बढ़कर 605-618 मिलियन तक पहुंच जाएगी। शहरी विकास अनिवार्यतः चले आ रहे संरचनात्मक सुधारों के अनुरूप आर्थिक विकास का सहयोगी है। इसकी क्षेत्रीय अन्तर्वस्तु में अनेक विषय शामिल हैं, जैसे कि शहरों और कस्बों में जनसांख्यिकी भूमि, विकास, आधारिक सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं, आदि की व्यवस्था। भौतिक और जनसांख्यिकी - दोनों दृष्टियों से शहरी क्षेत्रों के त्वरित विकास के कारण भूमि उपयोग पद्धति, नगर संरचना, भौतिक आधारिक तंत्र तथा समाजार्थिक क्रियाकलापों में बदलाव आया है जिनका समग्र शहरी वातावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव अक्सर पानी की आपूर्ति, सफाई, ठोस अपशिष्ट, परिवहन आदि जैसी अनिवार्य आधारिक सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते हुए अन्तर के कारण तथा विशेष रूप से निर्धनता की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों और अन्य सुविधाविहीन समूहों के लिए आवास की त्वरित वृद्धि के कारण भौतिक वातावरण और जीवन के स्तर में आने वाली प्रत्यक्ष गिरावट के कारण प्रायः आच्छादित हो जाता है। स्पष्ट उद्देश्य नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करने में मददगार होंगे जिनसे लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। भूमि के युक्तियुक्त प्रयोग तथा भूमि विकास / बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का वित्तपोषण करने के लिए वित्तीय नीतियों का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। नौवीं योजना ने अन्योन्याश्रित आधारिक घटकों को मिलाकर नई परिसम्पत्तियों और मौजूदा परिसम्पत्तियों के स्तरोन्नयन के रूप में संभाव्य विकासात्मक मांगों की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया था।

13. 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 को ग्रासरूट स्तर पर स्थानीय निकायों की अधिकारिता के माध्यम से देश में संरचनात्मक समायोजन की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष के रूप में देखा जा सकता है ताकि ये स्थानीय निकाय विकासात्मक कार्य हाथ में ले सकें और उन्हें संवैधानिक / विधायी प्रावधानों के माध्यम से वित्तीय अधिकारों से आश्वस्त किया जा सके। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की लागत वसूली की अवधारणा उनका वित्तीय आधार अधिक सुदृढ़ बनाने के फलस्वरूप उभरकर आई थी। नगर

निकायों को अधिकारों के वास्तविक प्रत्यायोजन तथा उनके प्रयोग सम्बन्धी दायित्वों से सम्पोषित किए जाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नौवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा ने यह अभिमत व्यक्त किया कि राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि संविधान की 12 वीं अनुसूची में निहित परिकल्पना के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों को कार्यों और दायित्वों का तत्काल अन्तरण किया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि विधायिका ऐसे कानून बनाए जो कि नगरपालिका को उपयुक्त कर और शुल्क लगाने और इकट्ठा करने के लिए प्राधिकृत करते हों जिससे कि शहरी स्थानीय निकायों के, जो कि आज की स्थिति में केवल सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहते हैं, राजस्व / संसाधनों का संवर्धन हो सके। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों का क्षमता निर्माण किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें बदले हुए परिदृश्य में अपने कार्यों को नियोजित करने में सक्षम बनाया जा सके। शहरी शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि 74 वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में सभी अनुवर्ती कार्रवाई सच्चे अर्थों में की जाती है।

वार्षिक योजना 2000-01 की पुनरीक्षा और 2001-02 के लिए प्रावधान

14. वार्षिक योजना 2000-01 में शहरी विकास के लिए 3496.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 405.62 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्रक में और 3091.23 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्रक में थे। केन्द्रीय क्षेत्रक में वास्तविक व्यय 387 करोड़ रुपये हुआ है और राज्य क्षेत्रक में संशोधित अनुमान 2926.26 करोड़ रुपये दर्शाया गया है जो कि उपयोगिता स्तर में किंचित गिरावट दर्शाता है।

15. चालू वर्ष 2001-02 नौवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम कार्यचालनात्मक वर्ष है। केन्द्रीय क्षेत्रक के योजना प्रस्तावों की नौवीं योजना के समग्र योजना आकार और तत्सम्बन्धी वास्तविक उपलब्धियों के संदर्भ में विभिन्न स्कीमों पर हुए व्यय की पृष्ठभूमि में समीक्षा की गई थी। उत्साहपूर्ण परिणाम यह रहा है कि उपयोगिता के स्तर में क्रमिक वृद्धि हो रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान समग्र निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर पाया गया। 2000-01 के लिए परिव्यय 401 करोड़ रुपये है। **संलग्नक 5.5.5 और 5.5.6** में केन्द्रीय क्षेत्रक और राज्य-वार (राज्य क्षेत्रक) के क्रमशः स्कीम-वार वित्तीय परिव्यय और व्यय दर्शाए गए हैं।

16. शहरी आयोजना प्रणाली अनेक परिमाणों के बीच से होकर गुजरी है जिसके फलस्वरूप वह किसी अलग-थलग सुधार योजना की बजाय समग्र कसबे/शहर के लिए व्यापक विकास योजना बन गई है। राज्यों के बीच शहरी उन्नति की शैली विषमतापूर्ण रही है। छोटे और मध्यम दर्जे के कसबों के एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना छठी पंचवर्षीय योजना में इसलिए शुरू की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से और छोटे कसबों से बड़े शहरों में लोगों के प्रव्रजन में कमी लाई जाए, छोटे और मध्यम दर्जे के कसबों में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं और इन कसबों को आधार्मिक सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। कसबों का चयन विकास की स्थिति, उन्नति की संभावना, रोजगार सृजन क्षमता, उनके क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में सापेक्ष महत्त्व का अध्ययन करने के बाद किया जाना होता है। इस प्रकार की परियोजनाएं बदलते हुए आवास के अनुकूल मांग-प्रेरित होनी चाहिए। वर्ष 2000-01 के लिए 60.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो कि घट कर 52 करोड़ रुपये कर दिया गया। दिसम्बर 2000 तक जिन 45 कसबों में पहले से काम चल रहा है उनके लिए तथा एक नए कसबे के लिए 10.68 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। साथ ही, परियोजनाओं की

तैयारी के निमित्त केन्द्रीय शहरी आधारिक सहयोग योजना के अर्न्तगत 24.60 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 70 करोड़ रुपये का एक समग्र प्रावधान कर लिया गया है।

17. शहरी भारत की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या महानगरों (10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले) में रहती है। इस बात को देखते हुए कि बड़े शहरों का आकार एक अथवा दो दशकों की छोटी सी अवधि में दुगुना हो गया है, यह नितान्त आवश्यक है कि शहरों के प्रत्यक्ष विकास के परिप्रेक्ष्य में परिकल्पित सक्रिय भौतिक मानदण्ड विकसित किए जाएं। बड़े शहरों में आधारिक विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पांच बड़े शहरों, अर्थात् मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा बंगलौर में 1993-94 में इन व्यापक उद्देश्यों के साथ की गई थी कि आर्थिक और भौतिक आधारिक तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाए और बड़े शहरों में आधारिक तंत्र के सतत विकास के निमित्त एक परिक्रामी निधि के निर्माण को सुकर बनाया जाए। आशा है कि आने वाले वर्षों में राज्य सरकारें और अधिक संख्या में स्वपोषणीय / वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाएं हाथ में ले सकेंगी। 2000-01 के लिए 91 करोड़ रुपये के सकल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। फरवरी 2001 तक प्रदान किया गया संचयी केन्द्रीय अंश 578 करोड़ रुपये था और तदनुसार व्यय की राशि 1288.37 करोड़ रुपये रही है। दिसम्बर 2000 तक प्रदान किया गया राज्य का अंश 652.75 करोड़ रुपये रहा है। कार्यक्रम के अधीन 922.33 करोड़ रुपये का संस्थानगत वित्त जुटाया गया है। 2001-02 के लिए 95.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

18. उपर्युक्त दो कार्यक्रम, अर्थात् आई डी एस एम टी और मेगा सिटी देश के भीतर शहरी आधारिक संरचना के विकास को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रमुख उपायों के रूप में समझे जाते हैं। कार्यक्रमों में लागत की पूर्ण वसूली और उसके घटकों की वित्तीय व्यवहार्यता पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों में संस्थागत वित्त जुटाने में कमी रही है और साथ ही, यह भी लगता है कि कुछेक राज्यों को छोड़कर परिक्रामी निधि (आर एफ) के सृजन की अवधारणा को कार्यरूप नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें, तो ये कार्यक्रम इन प्रमुख समस्याओं से घिरे हुए हैं, जैसे कि परियोजना का परित्याग, उनके स्थान/कार्य क्षेत्र में विकृति, संस्थागत वित्त का जुटाया जाना आदि और परिणाम यह हुआ है कि परियोजनाओं में निर्धारित से अधिक समय और लागत लगी है।

19. व्यक्तिगत वाहनों की संख्या में अतिशय वृद्धि, सड़कों में स्थान की अपर्याप्तता तथा सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण अनेक महानगरों में यातायात की भीड़ ने गम्भीर रूप ले लिया है। सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क और एक कुशल सार्वजनिक शहरी परिवहन व्यवस्था शहरों की कार्यकुशलता में विशेषतः उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सब बातों की उपयुक्तता, उत्पादन के वैविध्यकरण, कारोबार के विस्तार आदि में उल्लेखनीय सहायता प्रदान करती है। इन सेवाओं की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति जी डी पी के बीच एक मजबूत संबंध है।

20. 2000-01 के दौरान शहरी परिवहन के लिए 186 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई जिसमें एम आर टी एस, दिल्ली सम्बन्धी प्रावधान भी शामिल है और आशा है कि इन निधियों का पूर्ण उपयोग हो सकेगा। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

21. इस समय चल रही एकमात्र बड़ी योजना दिल्ली मास रेपिड ट्रांसिट सिस्टम (एम आर टी एस) है जिसके पहले चरण के लिए निवेश प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर 1996 में अनुमोदित कर दिया था और जिसमें लगभग 55.3 किलोमीटर उन्नत-एवं-सतही रेल कारिडारों की एक मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने की बात सोची गई है। अप्रैल 1996 के मूल्यों के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 4860 करोड़ रुपये थी। मूल रेल कारिडार की बजाए एक अन्य रेल कारिडार स्थापित करने के निर्णय के फलस्वरूप कुल मार्ग लम्बाई घटकर 51.98 किलोमीटर रह गई है। मौजूदा मूल्यों (1999-2000) पर परियोजना की समग्र लागत लगभग 8155 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। यह परियोजना मार्च 2005 तक पूरी की जानी है। लगभग 56 प्रतिशत लागत की पूर्ति ओ ई सी एफ (जापान) से उदार ऋणों के माध्यम से की जा रही है। दिसम्बर 2000 तक कुल मिलाकर परियोजनाओं के लक्ष्यों के लगभग 10.7 प्रतिशत की वास्तविक पूर्ति हुई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) को उपलब्ध कराए जाने वाला ओ ई सी एफ ऋण शहरी विकास और गरीबी अपशमन मंत्रालय के बजट में परिलक्षित सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

22. आयोजना की प्रक्रिया के लिए आंकड़ों का सतत संग्रह, उन्हें अद्यतन बनाना आदि आवश्यक होता है। व्यापक जानकारी के सृजन में सहायता के लिए आठवीं योजना के दौरान हवाई फोटोग्राफी तथा उपग्रह सुदूर तकनीकों का प्रयोग करते हुए आधारिक मानचित्र तैयार करने की एक योजना शुरू की गई थी। सम्बन्धित राज्य नगर आयोजना विभागों के सहयोग से केन्द्रीय टी सी पी ओ, जी आई एस के निमित्त थिमेटिक मानचित्रों और आलेखीय डाटा आधार सृजित करने तथा नगर नियोजन विभागों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकारियों, पी डब्ल्यू डी, कर प्राधिकारियों तथा अन्य क्षेत्रीय विकास एजेन्सियों के इस्तेमाल के लिए जानकारी को बहु-उद्देश्यीय मानचित्रों के रूप में प्रक्रियागत करने के लिए हवाई फोटोग्राफों के निर्वचन तथा अन्य गौण आंकड़ों / जानकारी के संग्रह का काम हाथ में ले रहा है। यह योजना दो चरणों में 50 नगरों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राज्य सरकारों के साथ हाल में की गई समीक्षा से यह पता चला कि वे यह चाहते हैं कि उनके राज्यों में शहरी मानचित्रण कार्यक्रम के अधीन शामिल क्षेत्रों को टी सी पी ओ द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाए। सुदूर सुग्राही प्रौद्योगिकी इस दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है कि वह अत्यन्त विभेदन फोटोग्राफ प्रदान करती है जो केवल ऐसे आंकड़े ही नहीं उपलब्ध करवाते जिनका प्रयोग विकास योजनाओं, मास्टर योजनाओं तथा सुविधा मानचित्रों के लिए किया जा सकता है बल्कि वे सार्वजनिक भू-खण्डों और भूमिगत सुविधाओं आदि सम्बन्धी संवर्धित आंकड़ों को अद्यतन बनाने में भी सहायता प्रदान करती है जिससे मौद्रिक नीतियों, टेरिफ संरचनाओं तथा अन्य क्रियाकलापों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। ऐसा महसूस किया जाता है कि इस योजना का विस्तार सुविधा मानचित्रण तक भी किया जाए और राज्यों की सहभागिता जुटाई जाए।

23. टीसीपीओ को 1999-2000 के दौरान प्रदान की गई 2.50 करोड़ रुपये की राशि सहित 11.18 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई तथा एनआरएसए को किए गए भुगतान तथा हार्डवेयर/साफ्टवेयर सुविधाओं को अद्यतन बनाने और कार्मिकों के प्रशिक्षण के निमित्त 9.95 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वर्ष 2000-01 के दौरान फरवरी 2001 तक 1.44 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। हवाई फोटोग्राफी और मानचित्रण आदि के दूसरे चरण के लिए 28 में से 13 नगरों में काम शुरू किया गया, जिसमें से 10 नगरों से सम्बन्धित काम पूरा हो गया है। शेष 15 नगरों के सम्बन्ध में प्रक्रिया चल रही है। शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसन्धान सहित मानचित्रण के अधीन 2001-02 के लिए 4.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी)

24. 1989 से कार्यरत एन सी आर पी बी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निमित्त क्षेत्रीय योजना -2001 के दो प्रमुख लक्ष्य थे- (1) दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करना; तथा (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विकास करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 30242 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें ये शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (1483 वर्ग किलोमीटर) हरियाणा (13413 वर्ग किलोमीटर), राजस्थान (4493 वर्ग किलोमीटर) तथा उत्तर प्रदेश (10853 वर्ग किलोमीटर)। एन सी आर पी बी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मथुरा और अलीगढ़ के जिलों से युक्त 23971 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। एन सी आर पी बी ऐसी अनेक परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है जिनका वित्तपोषण सहभागी राज्यों और बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। यह स्थिति विशेष रूप से टाउनशिप विकास कार्यक्रमों के अधीन योजनाओं के मामले में लागू होती है। इस प्रयोजन के लिए राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवश्यक बजटीय प्रावधान किया जाना जरूरी है।

25. एन सी आर परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा से संतोषजनक प्रगति का परिचय नहीं मिलता। इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से कुछ एक महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं- निधियों की उपलब्धता के साथ किसी प्रकार के तालमेल के बिना बहुत सारी परियोजनाएं मंजूर करना, परियोजना का निजीकरण, राज्यों के बीच समन्वय की कमी, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सहभागी राज्यों आदि द्वारा परिव्ययों का अपर्याप्त प्रावधान।

26. एन सी आर पी बी को 2000-01 के दौरान 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया जिसमें से 25 करोड़ रुपये नवम्बर 2000 तक प्रदान किए जा चुके थे और प्रत्याशित राशि 42 करोड़ रुपये है। बोर्ड को इसी अवधि के दौरान आई ई बी आर के रूप में 284 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्राप्त हुआ। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर लिया गया है।

बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं

27. बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के उद्देश्य अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों के लिए सेवाओं में समदृष्टि को बढ़ावा देना तथा शहरी पर्यावरण का संवर्धन करने के अलावा स्थानीय / राज्य सरकार की संस्थागत तथा वित्तीय क्षमताओं का सुदृढीकरण करना है।

28. शहरी आधारिक तंत्र विकास, निर्धनता उन्मूलन और आवासीय क्षेत्रों से जुड़ी कुछेक बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। दिल्ली एमआरटीएस परियोजना की बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना को नौवीं योजना में 362.24 करोड़ रुपये की सहायता के माध्यम से स्वीकृति मिल गई है।

चिन्ता के क्षेत्र

- सामाजिक दृष्टि से सुविधाविहीन वर्ग की आवासीय समस्या से निबटने के लिए उपयुक्त कार्यनीति का अभाव।

- राज्य सरकार द्वारा 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर अनुवर्ती करवाई किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।
- आधारीक विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए भूमि की सहज सुलभता।
- आईडीएसएमटी और मेगा सिटी के केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों, संस्थानगत वित्त जुटाने/संधारणीय आधारीक तंत्र के विकास के लिए परिक्रामी निधि के सृजन की दिशा में धीमी प्रगति।
- सरकार के स्तर पर शुरू किए गए आई डीएसएमटी, मेगासिटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर कोई क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।
- एनसीआरपीबी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई प्रभावी अध्ययन नहीं किया गया है।

5.5.2 जल आपूर्ति और सफाई

29. नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश में प्रत्येक बस्ती में स्थायी आधार पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और स्थानीय सहभागिता सहित शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं के त्वरित विस्तार और सुधार के निमित्त सभी उपाय किए जाने की परिकल्पना की गई है।

30. सुरक्षित पेय जल और सफाई की व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है और इनकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और विशेष रूप से स्थानीय निकायों की है, तो भी केन्द्रीय सरकार 1976-77 से वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक के तौर पर कार्य कर रही है और इस प्रयोजन के लिए वह ग्रामीण जल आपूर्ति के सम्बन्ध में एक बड़े पैमाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अर्थात् "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम" (ए आर डब्ल्यू एस पी) कार्यान्वित कर रही है जिसे "राजीव गांधी पेय जल राष्ट्रीय मिशन" के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट से यह पता चला है कि कुल मिलाकर 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार, 26121 बस्तियां "शामिल नहीं की गई" (एन सी) और 213331 बस्तियां "आंशिक रूप" से शामिल की गई (पी सी)। इसके अलावा, बहुत सारी, अर्थात् 2.17 लाख बस्तियों के बारे में ऐसी सूचना दी गई है कि उनके यहां पानी की गुणवत्ता से सम्बन्धित समस्याएं बनी हुई हैं, जैसेकि फ्लोराइड, सांखिया, लवणता, लौह आदि की अधिकता, जिनसे निबटे जाने की आवश्यकता है। अतः भविष्य का काम इन अर्थों में काफी बड़ा है: "पानी की जरूरत से वंचित" गांव / बस्तियां, पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता तथा मात्रा सम्बन्धी समस्याओं की जिस सीमा तक निबटा जाना है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की संधारणीयता। जहां तक ग्रामीण सफाई का सम्बन्ध है, स्थानीय व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोजन से एक पुनर्निर्मित केन्द्र-प्रायोजित योजना अप्रैल 1999 से शुरू की गई है।

31. जहां तक शहरी जल आपूर्ति का सम्बन्ध है, शहरी विकास और गरीबी अपशमन मंत्रालय द्वारा 20,000 की जनसंख्या से कम (1991 की जनगणना के अनुसार) जनसंख्या वाले छोटे शहरों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक संतुलित केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए शहरी कम लागत की सफाई की एक केन्द्र-प्रायोजित योजना भी 1990 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवीय मल को हाथ से ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त किया जाए और इस प्रयोजन के लिए सभी मौजूदा शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों के रूप में बदल दिया जाए। इस योजना के अधीन "समग्र-नगर" का दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए जहां

शौचालयों की कोई सुविधा नहीं है वहां नए स्वच्छ पारिवारिक/सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, शहरी जल आपूर्ति और सफाई योजना के लिए राज्य सरकारें भी पर्याप्त योजना आबंटन जुटा रही हैं तथा पर्याप्त संस्थागत वित्त का लाभ उठाया गया है। तथापि, प्रगामी जल आपूर्ति और आधुनिक भूमिगत मल व्यवस्था प्रति इकाई लागत बहुत अधिक है और अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों / राज्य सरकारों की मौजूदा वित्तीय स्थिति से बाहर है। अतः इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता के संवर्धन के लिए और अधिक संख्या में नवाचारी "उपभोक्ता प्रभार" तथा मूल्य निर्धारण सिद्धान्त अपनाए जाने तथा संस्थागत वित्त, बाजार ऋण, निजी निवेश आदि के माध्यम से संसाधन जुटाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 2000-01 की समीक्षा

32. जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में 8342.58 करोड़ रुपये के परिव्यय (जिसमें 6031.75 करोड़ रुपये राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में और 2310.83 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजना में) की व्यवस्था की गई थी। इस परिव्यय के संदर्भ में वर्ष के दौरान संभावित व्यय 7865.38 करोड़ रुपये होगा जिसमें राज्य और संघ शासित क्षेत्र योजनाओं में 5588.94 करोड़ रुपये और केन्द्रीय योजना में 2276.44 करोड़ रुपये)। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए संसाधनों के व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय पूल के अधीन 23.02 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई है।

33. राजीव गांधी पेय जल मिशन को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों के अनुसार, 2000-2001 के दौरान 56913 गांवों / बस्तियों को पेय जल आपूर्ति सुविधाएं प्रदान की गई जबकि समग्र लक्ष्य 79468 गांवों / बस्तियों को शामिल करने का था।

34. केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अधीन 2000-01 तक 708.56 करोड़ रुपये की लागत की 575 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं, जिनमें 2000-01 के दौरान 207.69 करोड़ रुपये लागत की 136 परियोजनाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने अभी तक 2000-01 के दौरान प्रदान की गई 64.00 करोड़ की राशि सहित 265.57 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है और राज्यों ने कुल 170.22 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। ऐसा बताया गया कि इन योजनाओं के अधीन अभी तक 285.81 करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका है।

35. "सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए कम लागत की सफाई" नामक केन्द्र-प्रायोजित योजना के अधीन हुडको ने 1989-90 के बाद 31 मार्च 2001 तक 1248 नगरों के लिए 1422.10 करोड़ रुपये की लागत की कुल 835 परियोजनाएं मंजूर की, जिनका उद्देश्य 16.46 लाख व्यक्तिगत शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने और विभिन्न राज्यों में 18.77 लाख नए व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों और 3966 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराना था। 1422.10 करोड़ रुपये की संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में 498.11 करोड़ रुपये का संस्वीकृत केन्द्रीय आर्थिक सहायता घटक, हुडको के ऋण के रूप में 588.55 करोड़ रुपये की राशि और लाभग्रहियों के अंशदान के रूप में शेष 335.44 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस राशि के संदर्भ में 31 मार्च 2001 तक आर्थिक सहायता के रूप में 245.94 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 277.70 करोड़ रुपये की संचयी निधियां प्रदान की जा चुकी हैं। इस राशि में 2000-01 के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में 29.34

करोड़ रुपये की राशि तथा ऋण के रूप में 19.88 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। जहां तक वास्तविक प्रगति का सम्बन्ध है, 13.38 लाख पारिवारिक स्वच्छ शौचालय (6.62 लाख परिवर्तित+6.76 लाख नवनिर्माण) और 3966 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, 1.09 लाख शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने और 2.22 लाख पारिवारिक और 185 सामुदायिक शौचालयों के नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर, 37057 सफाई कर्मचारियों को मुक्त किया जा चुका है और 369 नगरों को सफाई कर्मचारियों से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

वार्षिक योजना 2001-02

36. नौवीं योजना के लक्ष्य के अनुरूप वार्षिक योजना 2001-02 में **संलग्नक 5.5.7** में दर्शाए अनुसार केन्द्रीय योजना के अधीन 2383 करोड़ रुपये सहित विशाल योजना परिव्यय शामिल है। केन्द्रीय योजना के अधीन संस्वीकृत परिव्ययों के स्कीम-वार ब्यौरे तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **संलग्नक 5.5.8** तथा **संलग्नक 5.5.9** में दिए गए हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई

37. 2001-02 के दौरान प्राथमिकता शेष गैर-सम्मिलित गांवों / बस्तियों तथा जिन गांवों / बस्तियों के पानी में अत्यधिक रसायनिक और जीवाण्विक दूषण है, उन्हें और उसके बाद आंशिक रूप से सम्मिलित (<10 एल पी सी डी) तथा (>10 एल पी डी) गांवों / बस्तियों से इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाती रहेगी। वार्षिक योजना 2001-02 में 8143 " गैर-सम्मिलित " तथा 37383 आंशिक रूप से सम्मिलित गांवों/बस्तियों को शामिल करने की बात सोची गई है। राज्य-वार ब्यौरे **संलग्नक 5.5.10** में दिए गए हैं।

38. वर्षा का पानी इकट्ठा करने को विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपसमूहों तथा पानी के दबाव वाले क्षेत्रों में पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे भौम जलभरों को पुनःआवेशित करने भौम जलस्तर को रोकने और साथ ही बाढ़ों की उग्रता को कम करने के साथ साथ पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं जैसे फ्लूराइड, संखिया, लवणता आदि से निबटने में सहायता प्राप्त होगी। अतः वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के ढांचों का निर्माण करने तथा पानी की मांग की पूर्ति के लिए भूमि के ऊपर / नीचे वर्षा के जल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में ग्रामीण जल आपूर्ति का कार्यचालन और अनुसंधान सन्तोषजनक नहीं है और समुदाय विशेष रूप से महिलाओं के सहयोजन के माध्यम से उसकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

39. ग्रामीण सफाई कार्यक्रम कई राज्यों में तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रकार के बारे में अनुभूत आवश्यकता और ग्राम पंचायतों, लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की पूर्ण सहभागिता और सहयोजन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के काम पर बल देते हुए कम लागत के पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का कार्यक्रम जारी रहेगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए "ग्रामीण सफाई मार्ट" नामक एक वाणिज्यिक उद्यम के माध्यम से सामाजिक लक्ष्य सहित वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली भी सुनिश्चित करनी होगी जो कि एक बिक्री आउटलेट के साथ-साथ एक परामर्श-केन्द्र तथा सेवाकेन्द्र का भी काम करेगी।

शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई

40. त्वरित शहरीकरण तथा शहरों और कसबों की सतत रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उपयुक्त पेय जल आपूर्ति तथा तरल और ठोस अपशिष्टों के स्वच्छ निपटान की उनकी मांग वर्ष दर वर्ष महत्वपूर्ण होती जा रही है। अधिकांश शहरों और कसबों में जल आपूर्ति के सेवास्तर वांछित मानदण्डों से अत्यन्त न्यून हैं; कुछ मामलों में विशेष रूप से छोटे कसबों में इस आशय के स्तर यहां तक की ग्रामीण मानदण्डों की तुलना में भी न्यून हैं और इस कारण जल आपूर्ति प्रणालियों का संवर्धन आवश्यक है। जबकि सुरक्षित जल आपूर्ति शहरी जनसंख्या में से लगभग 88 प्रतिशत को सुलभ है किन्तु फिर भी इससे सेवा के घटिया स्तरों तथा निर्धनों, विशेष रूप से मलिन बस्तियों में रहने वालों को पानी के जिस अभाव को भोगना होता है, उसका परिचय नहीं मिलता है। इसी प्रकार शहरी सफाई के सन्दर्भ में जहां ऐसा बताया जाता है कि लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ मलव्यय सुविधाएं सुलभ हैं, केवल 30 प्रतिशत को ही मल व्यवस्था प्रणाली सुलभ प्रणाली सुलभ है और शेष 25 प्रतिशत जनसंख्या को केवल कम लागत वाले स्वच्छ शौचालय ही सुलभ हो पाते हैं। जहां कहीं मल व्यवस्था प्रणाली मौजूद है, वहां भी वह आंशिक है तथा अधिकांश मामलों में उपयुक्त अभिक्रिया सुविधाओं से विहीन है। मलिन बस्तियां सर्वाधिक प्रभावित हैं और अधिकांशतः बुनियादी पर्यावरणात्मक सुविधाओं से वंचित हैं।

41. बजटीय संसाधनों पर दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नौवीं योजना में की गई परिकल्पना के अनुरूप यह जरूरी होगा कि शहरी जल आपूर्ति और सफाई योजनाएं अधिकाधिक रूप से संस्थागत वित्त पर निर्भर होनी चाहिए और राज्य बजट सहायता केवल संस्थानगत वित्त के बराबरी के अंश की पूर्ति करने के निमित्त प्रदान की जानी चाहिए। जहां तक बजटीय प्रावधानों का सम्बन्ध है केन्द्रीय योजना में राज्य योजना परिव्ययों के अलावा 20000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले छोटे कसबों के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन 95 करोड़ रुपये का परिव्यय भी शामिल है। शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन तथा अनुसंधान और प्रबंध की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है और अधिकांश मामलों में राजस्व सृजन, संचालन और अनुसंधान की वास्तविक लागत की तुलना में कहीं कम है। इस दृष्टि से जल शुल्क दर और बिल निर्माण और संग्रह तंत्र में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है।

42. शहरी आबादी के लिए सफाई सुविधाओं की सुलभता धीमी रही है। जबकि महानगरों तथा कुछेक महत्वपूर्ण पर्यटक/तीर्थस्थलों तथा औद्योगिक शहरों/कसबों में उन्नत मल व्यवस्था और मलजल उपचार सुविधाएं जरूरी हो सकती हैं, अन्य सभी मामलों में वित्तीय संसाधनों पर दबाव तथा अन्य प्रतियोगी मांगों के कारण कम लागत की सफाई प्रणाली अपनायी होगी। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, उनमें गैर-घरेलू उपयोग के लिए अपशिष्ट-जल-पुनःचालन को यदि वह तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ताजा पानी की बहुत बड़ी मात्रा में बचत हो सकेगी।

43. देश में मल को हाथ से ढोने की सार्वधिक घिनौनी का परिपाटी सीमित समय-सीमा में सर्वथा उन्मूलन करने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए शहरी कम लागत की सफाई की केन्द्र प्रायोजित स्कीम को नौवीं योजना में प्रथमिकता दी गई है। वार्षिक योजना 2001-02 में केन्द्रीय योजना के अधीन इस स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपये शामिल हैं।" हस्तचालित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) विधेयक 1993" नामक केन्द्रीय कानून संसद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था और इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने जून 1993 में अपनी सहमित दे दी थी। सभी राज्य सरकारों से केन्द्रीय कानून अपनाने

अथवा केन्द्रीय कानून के अनुरूप राज्य कानून बनाने का अनुरोध किया गया है। संघ शासित क्षेत्रों के अलावा बारह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, बिहार तथा गुजरात ने यह कानून पहले ही अपना लिया है। लेकिन इन राज्यों में इस अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना बाकी है।

बाह्य सहायताप्राप्त जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

44. विश्व बैंक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम में अनेक राज्यों की सहायता कर रहा है। संप्रति 4 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका उल्लेख **संलग्नक 5.5.11** में किया गया है। 2001-02 के लिए वितरण बजट अनुमान लगभग 290.00 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के अलावा कई अन्य परियोजनाएं ए डी बी, ओ ई सी एफ, के एफ डब्ल्यू ई ई सी, डी आई एफ डी डी ए एन आई डी ए, नीदरलैण्ड्स आदि जैसी बाह्य सहायक एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित की जा रही है।

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.2000 के अनुरूप स्थिति				2000-01 के दौरान विस्तार						1. 4. 2001 के अनुरूप स्थिति				2001-02 के लिए लक्ष्य		
		एनसी	पीसी	एफसी	योग	लक्ष्य			उपलब्धि			एनसी	पीसी	एफसी	योग	एनसी	पीसी	योग
						एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आन्ध्र प्रदेश	0	21583	48149	69732	0	5400	5400	0	3000	3000	0	18583	51149	69732	0	2560	2560
2	अरुणाचल प्रदेश	440	1084	2774	4298	400	300	700	22	41	63	418	1043	2837	4298	60	103	163
3	असम	1623	24318	44728	70669	1500	3000	4500	822	2004	2826	801	22314	47554	70669	623	3500	4123
4	बिहार	625	144	204667	205436	52	2	54	50	0	50	20	2	105318	105340	2	2	4
5	चण्डीगढ़					1208	2795	4003	343	952	1295	865	1843	47671	50379	402	817	1219
6	गोवा	16	44	336	396	16	37	53	5	3	8	11	46	339	396	11	39	50
7	गुजरात	293	3127	26849	30269	200	1000	1200	35	355	390	258	2772	27239	30269	100	400	500
8	हरियाणा #	12	276	6457	6745	12	276	288	12	558	570	0	0	6745	6745	0	193	193
9	हिमाचल प्रदेश	2738	12961	29668	45367	1000	1300	2300	1145	1303	2448	1593	11658	32116	45367	900	950	1850
10	जम्मू एण्ड कश्मीर	2348	3726	5110	11184	1200	800	2000	0	0	0	2348	3726	5110	11184	600	400	1000
11	झारखंड					573	142	715	76	23	99	497	119	99480	100096	421	100	521
12	कर्नाटक	65	23129	33488	56682	65	4485	4550	30	3258	3288	38	22090	34554	56682	10	4990	5000
13	केरल	842	6927	1994	9763	455	1100	1555	35	92	127	807	6954	2002	9763	30	300	330
14	मध्य प्रदेश	1967	8726	149175	159868	759	5931	6690	632	7614	8246	127	0	109362	109489	127	0	127
15	महाराष्ट्र	2597	28740	54593	85930	1000	7500	8500	251	4117	4368	2346	26942	56642	85930	500	2500	3000
16	मणिपुर	74	469	2248	2791	74	300	374	0	20	20	28	364	2399	2791	28	364	392
17	मेघालय	633	1127	6879	8639	300	280	580	206	134	340	549	920	7170	8639	240	200	440
18	मिजोरम	0	569	342	911	0	569	569	0	76	76	0	553	358	911	0	206	206
19	नागालैण्ड	417	670	438	1525	200	100	300	6	33	39	411	637	477	1525	74	38	112

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति

1	2	1.4.2000 के अनुरूप स्थिति				2000-01 BEEä nÈè®ÉxÉ ÉÉ É®ÉÉ®						1. 4. 2001 के अनुरूप स्थिति				2001-02 के लिए लक्ष्य		
		एनसी	पीसी	एफसी	योग	लक्ष्य			उपलब्धि			एनसी	पीसी	एफसी	योग	एनसी	पीसी	योग
						एनसी	पीसी	योग	एनसी	पीसी	योग							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
20	उड़ीसा	448	1469	112182	114099	448	1469	1917	414	1451	1865	34	119	113946	114099	34	101	135
21	पंजाब	2050	3123	8276	13449	1000	800	1800	258	0	258	1792	3123	8534	13449	513	0	513
22	राजस्थान	7864	28843	57239	93946	3000	8000	11000	956	9298	10254	6908	19545	67493	93946	3000	8000	11000
23	सिक्किम	0	624	1055	1679	0	462	462	0	130	130	0	472	1207	1679	0	130	130
24	तमिलनाडु	0	11207	55424	66631	0	6000	6000	0	6617	6617	0	4934	61697	66631	0	4934	4934
25	त्रिपुरा	541	1198	5673	7412	300	754	1054	114	252	366	427	946	6039	7412	287	370	657
26	उत्तर प्रदेश #	432	4999	269210	274641	75	3556	3631	43	3430	3473	57	1131	242445	243633	2	31	33
27	उत्तरांचल					357	1443	1800	32	268	300	325	1175	29508	31008	164	288	452
28	पश्चिम बंगाल	0	23732	55304	79036	0	7256	7256	0	6317	6317	0	17809	61227	79036	0	5750	5750
29	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0	161	343	504	0	50	50	0	20	20	0	141	363	504	0	50	50
30	दादर नगर हवेली	56	259	201	516	56	50	106	10	47	57	46	243	227	516	15	24	39
31	दमन एण्ड द्वीप	0	1	31	32	0	1	1	0	0	0	0	1	31	32	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219	0	0	0
33	लक्षद्वीप	0	10	0	10	0	10	10	0	2	2	0	10	0	10	0	10	10
34	पांडिचेरी #	40	85	142	267	20	30	50	0	1	1	40	84	143	267	0	33	33
35	चण्डीगढ़	0	0	18	18	0	0	0				0	0	18	18	0	0	0
	योग	26121	213331	1183212	1422664	14270	65198	79468	5497	51416	56913	20746	170299	1231619	1422664	8143	37383	45526

टिप्पणी: # हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पाण्डिचेरी के लिए नियत किए गए पीसी लक्ष्य संवर्द्धन के लिए है।

एनसी-गैर-सम्मिलित पीसी-आंशीक रूप से सम्मिलित एफसी-पूर्णतः सम्मिलित

पहले से चली आ रही जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की कुल लागत	वितरण की अंतिम तारीख	विदेशी सहायता (ऋण)		
					2000-2001 वास्तविक आहरण	31-3-2001 तक संचयी आहरण	2001-2002 बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20.11.1995 की 3907-6-आईएन द्वितीय मद्रास जल आपूर्ति परियोजना	तमिलनाडु	546.31	30.6.2002	72.385	252.472	113.860
2	28.07.1996 की मुंबई मल-व्यवस्था परियोजना	महाराष्ट्र		30-12-2002	79.425	209.091	142.325
3	22.07.1996 की 4056 यूपीग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण सफाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	300.76	31-05-2002	42.794	84.565	33.209
4	23.07.1999. की पी-362 कलकता में जल आपूर्ति मल व्यवस्था और जल निकास परियोजना	पश्चिम बंगाल		31.7.2001	2.668	2.668	0.950

5.6 समाज विकास

5.6.1 महिलाओं का सशक्तिकरण तथा बाल विकास

महिलाएं तथा वर्ष 2001

भारत की महिलाओं के लिए वर्ष 2001 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2001 को महिलाओं का सशक्तिकरण वर्ष घोषित करके सरकार ने एक बड़ी नीतिगत पहल की है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण की नौवीं पंचवर्षीय योजना की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों में तीव्रता लाने के लिए था। सरकार ने 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की एक राष्ट्रीय नीति भी अपनाई है जिससे महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके कि वे अपने घरों के भीतर तथा बाहर पुरुषों के बराबर अपने अधिकारों का खुलकर उपयोग कर सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति गैर-सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं, शिक्षा विदों, विषय विशेषज्ञों, महिला सांसदों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों आदि से परामर्श की लम्बी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त नीति मसौदे पर श्री के. सी. पंत, उपाध्यक्ष योजना की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक ग्रुप द्वारा आगे विचार किया गया था। मंत्रियों के ग्रुप की 12.9.2000 तथा 7.12.2000 को दो बैठकें हुईं और इसने मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के लिए नीति की सिफारिश की। मंत्रिमण्डल ने 20.3.2001 को नीति का अनुमोदन कर दिया। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए सभी वर्तमान विधानों तथा चालू कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण को मनाने हेतु पूरे वर्ष के कार्यक्रमों विषयक कलेन्डर तैयार करने के लिए श्री के. सी. पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में महिलाओं तथा बच्चों पर एक कार्यदल का गठन भी किया गया। विवरण बाक्स में दिये गये हैं।

मास तथा विषय	घटना
जनवरी 2001, महिलाओं के लिए मानवधिकार	(1) 1.2.2001 को सशक्तिकरण वर्ष का आरम्भ- एक समारोह आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल होंगे: <ul style="list-style-type: none">प्रधानमंत्री द्वारा टेलीविजन प्रसारित सम्बोधन।शब्द चिन्ह, नारा तथा पोस्टर आदि का विमोचन।स्त्री शक्ति पुरस्कार का वितरण। (2) महिलाओं के लिए एक एस.एच.जी. आधारित एकीकृत कार्यक्रम का आरम्भ।
फरवरी, 2001, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण	(1) महिलाओं के लिए सम्पत्ति के अधिकारों पर राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार। (2) महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। (3) माइक्रो ऋण शीर्ष सम्मेलन।
मार्च, 2001, महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण	1. विधेयक तथा संशोधन प्रस्तुत करना जैसे घरेलू हिंसा विधेयक, संशोधन जिनमें महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन अधिनियम, सती तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम शामिल है। 2. आई. डब्ल्यू. डी (8 मार्च) 3. महिलाओं के प्रति हिंसा पर जिला स्तर की समितियों को सक्रिय करना।

अप्रैल, 2001, कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाएं	<ol style="list-style-type: none"> 1. कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए योजना शुरू करना। 2. पुलिस, न्यायिक तथा राजस्व अधिकारियों को महिला-अभिमुखी प्रशिक्षण।
मई, 2001, महिलाएं तथा प्रौद्योगिकी	<ol style="list-style-type: none"> 1. पर्यावरण/एस. एण्ड. टी./ कृषि पर कार्यक्रम। 2. महिला-केन्द्रित प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी आदि पर कार्यक्रम।
जून, 2001, महिलाएं तथा शासन	<ol style="list-style-type: none"> 1. सांसदों / विधायकों तथा निचले स्तर की महिलाओं के मध्य वार्तालाप के लिए टेलीकॉन्फ्रेंस। 2. पंचायतों की महिला सदस्यों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण में तीव्रता लाना।
जुलाई, 2001, महिलाएं तथा शिक्षा	<ol style="list-style-type: none"> 1. बालिकाओं के लिए 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का अभियान। 2. स्कूल तथा कालेज स्तर पर देशव्यापी पोस्टर प्रतियोगिता।
अगस्त, 2001, महिलाएं तथा स्वास्थ्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व हेतु रक्ताल्पता नियंत्रण तथा एस. टी. आई / आर. टी. आई. पर विशेष ध्यान देते हुये प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का तीव्रीकरण। 2. सुरक्षित गर्भपात के लिए विशेष कार्यक्रम। 3. 142 जिलों तथा 15 राज्यों जिनमें सुरक्षित प्रसव दर 30 प्रतिशत से कम है दाइयों के प्रशिक्षण की चालू योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।
सितम्बर, 2001, पोषण	<ol style="list-style-type: none"> 1. पोषण पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कार्यक्रम। 2. पोषण पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान (विवरण तैयार किए जाने हैं)
अक्टूबर, 2001, महिलाएं तथा मीडिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. महिलाओं पर फिल्म/वृत्तचित्र उत्सव (चल)। 2. मीडिया - कार्यशाला का संवेदीकरण।
नवम्बर, 2001, महिलाओं में उद्यमशीलता	<p>मेला मास</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. महिलाओं के सशक्तिकरण पर संदेश प्रचारित करने के लिए पारम्परिक मेलों, विशेषकर कुम्भ मेले, फोल्ड कलाकारों का उपयोग। ▪ दिल्ली हॉट। ▪ महिलाओं की उद्यमशीलता पर कार्यशालाएं।
दिसम्बर, 2001, भविष्य निरूपण	<ol style="list-style-type: none"> 1. भविष्य निरूपण के लिए प्रख्यात महिलाओं के विचारों की संस्मारक पुस्तक। 2. भावी नीतियों पर कार्यशालाएं।

2. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनाई गई नीतियों तथा तंत्रों में शामिल हैं (i) महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना; (ii) गरीब तथा परिसम्पत्तिहीन महिलाओं की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना; (iii) अपने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों के लिए पर्याप्त पौषक मानकों को सुनिश्चित करने की संवैधानिक वचनबद्धता को पूरा करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय पौषण नीति को अपनाना; (iv) क्रेच सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1994 में राष्ट्रीय क्रेच निधि की स्थापना; (v) 1995-96 में अग्रणी आधार पर इन्दिरा महिला योजना का आरम्भ (2000 में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में सुधार तथा अनुसमर्थन किया गया है) (vi) 1999 में स्त्री स्वशक्ति परियोजना का आरम्भ जिसे पहले ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना के रूप में जाना जाता था;

(vii) 1997 में बालिका समृद्धि योजना का आरम्भ जिसे 1999 में नया रूप दिया तथा; (viii) महिलाओं के स्व-सहायता ग्रुपों के लिये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि।

2000-2001 तथा 2001-2002 की वार्षिक योजना की समीक्षा

3. वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना में महिला तथा बाल विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 1650.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है (इसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 165.01 करोड़ रुपये शामिल हैं)। राज्य क्षेत्र में परिव्यय अथवा खर्च के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि महिला तथा बाल विकास "सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" का एक हिस्सा है। केन्द्रीय स्तर पर परिव्ययों के कार्यक्रमवार तथा वर्षवार विवरण नीचे दिये गए हैं, योजनावार विवरण तथा विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के विवरण क्रमशः संलग्नक 5.6.1.1 तथा 5.6.1.2. में दिये गए हैं।

तालिका 5.6.1.1

महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बाल विकास पर 1999-2000 से 2001-02 के दौरान परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	कार्यक्रम	वार्षिक योजना (1999-2000)	वार्षिक योजना (2000-2001)		वार्षिक योजना (2001-02) परिव्यय
			बजट अनुमान	संशोधित	
I .	केन्द्र	1244.61	1460.00	1336.07	1650.00
1.	बाल विकास	1183.69	1183.38	1235.24	1340.94
2.	महिला विकास	56.77	124.38	94.79	135.79
3.	सहायता अनुदान	2.51	2.90	3.17	4.26
	उप जोड़	1242.97	1311.10	1333.20	1480.99
4.	खाद्य तथा पोषण बोर्ड	1.64	2.90	2.87	4.00
	उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान	-	146.00	130.00	165.01
II .	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समाज कल्याण अध्याय के संलग्नक 5.6.3.2 का सन्दर्भ लें			

स्रोत: महिला तथा बाल विकास विभाग

महिलाओं का सशक्तिकरण

4. महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विकास के लिये विभिन्न विकास नीतियों तथा कार्यक्रमों और सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गए प्रयासों का महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति में पर्याप्त सुधार देखने में आता है।

5. नौवीं पंचवर्षीय योजना में महिला विशिष्ट तथा महिलाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में उपलब्ध मौजूदा सेवाओं, संसाधनों, अवस्थापना तथा मानवशक्ति के महिलाओं के सशक्तिकरण के अन्तिम लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया। महिला तथा बाल विकास के नोडल विभाग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किये गये उपाए तथा निवेश नीचे दिये गए हैं:

स्त्रीशक्ति पुरस्कार

6. महिला तथा बाल विकास के इतिहास में वर्ष 1999 में पहली बार पांच राष्ट्रीय पुरस्कार जिन्हें "स्त्री शक्ति पुरस्कार" का नाम दिया गया है, शुरू किये गये। इनमें से प्रत्येक पुरस्कार पर प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की नकद राशि व एक साइटेशन (प्रशंसात्मक उल्लेख) प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के इतिहास में पांच प्रसिद्ध महिलाओं अर्थात् कन्नाकी, माता जीजा बाई, देवी अहिल्या बाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई तथा रानी गेदिनल्यू के नाम पर दिये जाते हैं। ये उन अलग अलग महिलाओं के सम्मान तथा उनकी उपलब्धियों के अभिज्ञान में दिये जाएंगे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त की है और जो महिलाओं के अधिकारों के लिये लड़ी हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामोद्योग, वन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित किया है, कला तथा मीडिया के माध्यम से महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में जागरूकता उत्पन्न की है। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 के आरम्भ के अवसर पर वर्ष 2000-2001 के लिये उक्त पुरस्कार माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिनांक 4.1.2001 को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में निम्नलिखित महिलाओं को प्रदान किये गये:

- झांसी की रानी लक्ष्मी बाई स्त्री शक्ति पुरस्कार श्रीमती किकंरी देवी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
- रानी गेदिनल्यू स्त्री शक्ति पुरस्कार - कुमारी ललिताई पराड़कर, जिला धर, मध्यप्रदेश। देवी अहिला बाई होलकर स्त्री शक्ति पुरस्कार ब्रह्मचारिणी कमला बाई, जिला नागौर, राजस्थान।
- कन्नगी स्त्री शक्ति पुरस्कार - श्रीमती के. वी. रबिया, जिला मालापपुरम, केरल।
- माता जीजा बाई स्त्री शक्ति पुरस्कार - श्रीमती चिन्नापिलाई, मदुराई, तमिलनाडु।

प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम को सहायता

7. 1987 में शुरू किये गए इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रशिक्षण व रोजगार व आय सृजन कार्यकलापों कृषि, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, हथकरघों, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग, सामाजिक वानिकी तथा बंजर भूमि के विकास आदि परम्परागत क्षेत्रों में ऋण तथा विपणन सुविधाओं के माध्यम से गरीब तथा परिसम्पत्तिहीन महिलाओं की कुशलता का उन्नयन करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिये ऋण सहायता के अतिरिक्त विस्तार सेवाओं, विपणन सहायता जैसे सेवा पैकेज प्रदान किये जाते हैं। कार्यक्रम के आरम्भ से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में चलाई गई 96 परियोजनाओं के अन्तर्गत 4.92 लाख महिलाओं को कवर किया गया है। वर्ष 1999-2000 में लगभग 6,100 महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। अभी तक डेरी क्षेत्र की महिलाओं को अधिकतम लाभ मिलता रहा है, उनके पश्चात् हथकरघों, हस्तशिल्पों, रेशम उत्पादन तथा मुर्गी पालन के क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2000-01

के दौरान कार्यक्रम में काफी प्रगति हुई। 8 राज्यों में 12 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिनसे लगभग 48,550 महिलाएं लाभान्वित हुईं। नौवीं परियोजना के 88.32 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2001 के दौरान 58.27 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। वर्ष 2001-02 के लिये 30,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 18.00 करोड़ रुपये (3 करोड़ रुपये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए) का परिव्यय प्रदान किया गया है।

रोजगार व आय सृजन व उत्पादन यूनिट (नोराद)

8. नोराद के तहत इलैक्ट्रॉनिक, घड़ी संयोजन, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, वस्त्र निर्माण, सचिवालय प्रक्रियाओं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य, फैशन डिजाइन, ब्यूटी कल्चर आदि गैर-पारम्परिक व्यवसायों में गरीब महिलाओं/लड़कियों को प्रशिक्षण देने तथा उनके लिए इन क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वशासी निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम 1982-83 में विकास के लिये नार्वे एजेंसी निगम की सहायता से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रति लाभानुभोगी को सामान्यतया 8,000 रु. की अधिकतम सहायता दी जाती है। 1996-97 से नोराद सहायता को स्वदेशी संसाधनों से पूरा किया जाता रहा है। भारत सरकार तथा नार्वे की सरकार के बीच 13 नवम्बर 1997 को 5 वर्ष के लिये हस्ताक्षरित करार के अनुसार 5 वर्षों अर्थात् 1997-2002 के दौरान 20 करोड़ रुपये (एन ओ के 38 मिलियन) प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार कुल परिव्यय में नार्वे की सरकार का हिस्सा 33 प्रतिशत के करीब रहा। कार्यक्रम के बेहतर अनुवीक्षण के लिए राज्य महिला विकास निगमों का सहयोग लिया गया है। यह सहयोग न केवल मूल्यांकन पूर्व अवस्था पर अपितु इन परियोजनाओं के मध्यवर्ती मूल्यांकन के लिये भी लिया गया है। महिलाओं/लड़कियों के लिये रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के अन्तिम उद्देश्य के लिये कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत 1, 850 परियोजनाओं के माध्यम से अभी तक 2.50 लाख युवा महिलाओं/लड़कियों को लाभ पहुंचाया जा सका है। अब नोराद परियोजनाओं की स्वीकृति की कार्यविधि को कारगर बना दिया गया है। वर्ष 2000-01 के दौरान 25,650 महिलाओं के लाभ के लिये 383 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। नौवीं योजना के 88.98 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2000 के दौरान 57.61 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए 18.00 करोड़ रुपये (उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिये 3 करोड़ रुपये) का परिव्यय रखा गया है।

महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए दूरस्थ शिक्षा

9. योजना के तहत इन्दिरागान्धी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिसमें परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर कार्यान्वित करने वाले प्रशिक्षुओं, उनके पर्यवेक्षकों, तथा जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने के पश्चात ऐसे प्रशिक्षु अपने-अपने क्षेत्रों में स्थायी ग्रुप निर्माण में मार्ग-दर्शन प्रदान कर सकेंगे। परियोजना का कार्यन्वयन महिला तथा बाल विकास विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत लगभग 3.90 करोड़ रुपये है जिसमें 105 लाख रुपये हार्डवेयर के लिये हैं, 166 लाख रुपये साफ्टवेयर तैयार करने के लिए हैं तथा शेष राशि मुद्रण, वितरण तथा समर्थन सेवाओं के लिये हैं। परियोजना के तहत टी. वी.

सुविधाओं के साथ 105 यूनिट रिसीविंग टर्मिनल तथा निर्धारित केन्द्रों पर 250 नए टेलीफोन कनेक्शन भी लगाये जाने हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- स्वयंसेवी समूहों के मददगारों/मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मौजूदा प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- एक प्रभावी तथा स्थायी प्रशिक्षण नेटवर्क तथा ऐसे प्रशिक्षकों का संसाधन पूल विकसित करना।
- स्वसहायता ग्रुपों की स्थापना करने तथा उनकी लैंगिक समस्याओं के समाधान में मदद देने में परिवर्तनकर्त्ताओं को प्रशिक्षकों तथा समुदाय संगठनकर्त्ताओं के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की शक्ति प्रदान करना।

10. प्रमाण पत्र कार्यक्रम 16.8.2000 को आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2000-01 के दौरान 1.41 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। नौवीं योजना के तहत 3.60 करोड़ रुपये के परिव्यय में अभी तक 2.31 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के लिये 0.50 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है।

सामाजिक - आर्थिक कार्यक्रम

11. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का प्रयास बेसहारा महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं तथा विकलांग महिलाओं को पूर्ण/आंशिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिससे उनके परिवार को पूरक आय हो सके। यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं के लिए पशुपालन, रेशम उत्पादन तथा मछली पालन जैसे कृषि-आधारित कार्यकलापों और सब्जी अथवा मछली बेचने आदि स्वयं के रोजगार वाले कार्यों की स्थापना के लिये स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करता है। कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम की समीक्षा की गई और उसमें सुधार किया गया है। अब विकलांगों, महिला सहकारी संगठनों तथा कारागारों, नारी निकेतनों जैसी संस्थाओं आदि के लिये काम करने वाले संगठन भी इस कार्यक्रम के तहत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना की लागत का 85 प्रतिशत अनुदान बोर्ड द्वारा दिया जाता है और शेष राशि की व्यवस्था गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम में पूर्ण अथवा आंशिक रोजगार प्रदान करने के लिए उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है और परियोजनाओं की विकास क्षमता की दृष्टि से परियोजना प्रस्तावों को जिला औद्योगिक केन्द्रों, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोगों आदि द्वारा मंजूरी दी जाती है। उत्पादन यूनिट की स्थापना में सुगमता के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सम्बद्ध संस्था को प्रत्येक मामले के आधार पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2000-01 के दौरान इस योजना के तहत 33.70 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया जिससे 5, 819 महिलाएं लाभान्वित हुईं। नौवीं योजना के 26.42 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2001 के लिये 3.67 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रुपये है।

शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संक्षिप्त पाठ्यक्रम

12. शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की स्कीम 1958 में जरूरतमंद महिलाओं अर्थात् विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को बुनियादी शिक्षा तथा कुशलता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पाठ्यक्रमों की स्कीम में 2 वर्ष के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है जिससे 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं मिडिल तथा मैट्रिक स्तर की परीक्षाएं पास कर सकें। एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में लड़कियों/युवा महिलाओं को ड्रेस डिजाइन, कम्प्यूटर कोर्स, टाइप, बूटिक, हथकरघा, बुनाई, नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण, आशुलिपि जैसे व्यावसायों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वशासी निकायों, प्राइवेट क्षेत्र आदि में नौकरी मिल सके। वर्ष 2000-01 के दौरान 11, 225 महिलाओं के लाभ के लिए 443 पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए 247.47 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गए और 14250 महिलाओं के लाभ के लिये फरवरी 2001 तक 691 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 253.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 45.60 करोड़ रुपये है। 1997-01 के लिए 17.54 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 के लिये 2 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। प्रशिक्षण व रोजगार सहायता कार्यक्रम, नोराद, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम-इन चारों वर्तमान कार्यक्रमों के संयोजन और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार की एक छत्र योजना बनाने के योजना आयोग के सुझाव से महिला तथा बाल विकास विभाग सहमत हो गया है।

कामकाजी महिलाओं के होस्टल

13. निम्न आय वर्गों की कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित तथा कम खर्च के आवास उपलब्ध करने के लिये स्वैच्छिक तथा अन्य स्वशासी संगठनों को होस्टल के भवन के निर्माण के लिए उसकी लागत की 75 प्रतिशत तथा भूमि की कीमत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। होस्टल आवास की पात्रता के लिये आय की सीमा 14 जुलाई 1998 से महानगरीय शहरों में 5000 रुपये मासिक से बढ़ा कर 16000 रुपये मासिक तथा अन्य शहरों व नगरों में 4,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक कर दी गई है। इन होस्टलों में रहने की अधिकतम अवधि पांच वर्ष है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाएं भी इन होस्टलों में आवास की पात्र हैं।

14. वर्ष 2000-01 के दौरान कामकाजी महिलाओं के 34 होस्टलों के रखरखाव के लिये 7.89 लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये गये जिनसे 810 महिलाएं लाभान्वित हुईं। नौवीं योजना के 51.25 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2000 के दौरान 29.65 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। 2001-02 की वार्षिक योजना में 9.00 करोड़ (1.00 करोड़ रुपये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए) की राशि प्रदान की गई है।

महिलाओं तथा लड़कियों के लिये शार्ट स्टे होम

15. शार्ट स्टे होम्स की स्कीम जिसमें सामाजिक/नैतिक खतरे में महिलाओं तथा लड़कियों का ध्यान रखा गया है अब केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम उन महिलाओं तथा लड़कियों को अस्थाई आश्रय प्रदान करती है जिन्हें (i) जबर्न वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, (ii) गुजारे के साधन के बिना घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और शोषण से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है अथवा जो वैवाहिक विवादों के कारण मुकदमेंबाजी में फंसी हैं, (iii) जिनके साथ बलात्कार हुआ है और परिवार अथवा समाज में पुनःस्थापित होने की समस्या का सामना कर रही है, (iv) जो मानसिक अस्वस्थता, भावनात्मक व्याकुलता और सामाजिक बहिष्कार की शिकार हैं तथा (v) जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक अथवा शारीरिक यातना के कारण घर छोड़कर चली गई हैं जिन्हें आश्रय तथा मनोविकृति सम्बन्धी उपचार और पुनर्वास तथा परिवार अथवा समाज में पुनः स्थापित होने के लिये परामर्श की आवश्यकता है।

16. 2000-01 के दौरान, 120 नए शार्ट स्टे होम मंजूर किये गए हैं, जिससे शार्ट स्टे होम्स की संख्या बढ़कर 272 हो गई है। नौवीं योजना के 55.64 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2001 के दौरान 20.21 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 10.00 करोड़ रुपये है जिसमें से 1.00 करोड़ रुपये उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिये हैं।

इन्दिरा महिला योजना

17. 2000-01 के दौरान सरकार ने इन्दिरा महिला योजना (1995) को महिलाओं को निम्नलिखित के माध्यम से " एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम " के रूप में नया रूप देने की स्वीकृति प्रदान की, (i) मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिये सूचना/ जानकारी के प्रसारण द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना, (ii) माइक्रो स्तर के आयसृजन कार्यकलापों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक शक्ति प्राप्त करने में मदद तथा (iii) साक्षरता, स्वास्थ्य, गैर-औपचारिक शिक्षा, ग्रामीण विकास जल आपूर्ति, उद्यमशीलता आदि विभिन्न का अभिसरणा। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो इस समय 238 ब्लकों में चलाया जा रहा है नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उसका विस्तार 650 ब्लकों में किया जा रहा है। स्कीम के तहत 42,000 से अधिक स्वयंसेवी महिला समूह बनाये गए हैं जिनमें से लगभग 2000 समूह 2000-01 के दौरान बनाये गये। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से देश भर में राज्य/जिला स्तर पर राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान की सहायता से राज्य/जिला स्तर की कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 165.00 करोड़ रुपये है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान कोई खर्च नहीं किया गया क्योंकि स्कीम को नया रूप दिया जा रहा था। 2000-01 के दौरान 2.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए अनुमोदित परिव्यय 19.50 करोड़ रुपये है।

स्व-शक्ति परियोजना

18. स्वशक्ति परियोजना जिसे पहले ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना के नाम से जाना जाता था आई डी ए तथा आई एफ ए डी की सहायता से 16 अक्टूबर 1998 को 5 वर्षों (1998-2003) के लिये मंजूर की गई थी। यह परियोजना 186.21 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड तथा गुजरात में चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो लाभानुभोगी समूह अपनी आरम्भिक अवस्था में हैं, उन्हें ब्याज पर ऋण देने के लिए एकमुश्त आवर्ती निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। स्वशक्ति परियोजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये निम्नलिखित के माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार करना है- (i) आत्मनिर्भर महिलाओं के 7400 तथा 12000 स्वयंसेवी समूह तैयार करना जिनमें प्रत्येक समूह में 15-20 सदस्य हों जिससे संसाधनों के प्रति उनकी पहुंच बढ़े और उनका नियन्त्रण हो और उनके जीवन स्तर में सुधार हो (ii) महिलाओं की जरूरतों को सक्रियतापूर्वक पूरा कर सकने के लिए सहायता एजेंसियों की सांस्थानिक क्षमता को सुग्राही तथा सुदृढ़ करना, (iii) आय सृजन कार्यकलापों के लिये महिलाओं को लगातार ऋण सुविधाएं मिलती रहें, यह सुनिश्चित करने के लिये स्वयंसेवी समूहों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच सम्पर्क बढ़ाना (iv) बेहतर जीवन के लिये संसाधनों के प्रति महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, इनमें वे संसाधन भी शामिल हैं जिनसे काम में होने वाली थकावट कम हो और समय की भी बचत हो और (v) आय सृजन कार्यकलापों में शामिल करके आय और व्यय पर महिलाओं, विशेषकर गरीब महिलाओं के नियन्त्रण को बढ़ाना जिससे गरीबी उन्मूलन में अप्रत्यक्ष रूप में मदद मिलेगी। महिला विकास निगमों, जो कार्यान्वयन एजेंसिया हैं से आशा की जाती है कि वे कार्यान्वयन कार्य में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लेंगे। आशा है कि पांच वर्ष बाद परियोजना से निम्नलिखित गुणात्मक तथा मात्रात्मक लाभ प्राप्त होंगे:

- लगभग 2.14 लाख ग्रामीण महिलाओं के 7400 से 12,000 स्वयं सेवी समूहों का गठन और उन्हें अपने मामलों को स्वयं निपटाने और अपने विकास को आगे बढ़ाने योग्य बनाना।
- समाज ने उनके लिये जो रुकावटें पैदा की हैं और अब भी कर रहा है उनके समाधान के लिये उनमें आत्म सम्मान, विश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना।
- महिलाओं के लिए बेहतर प्रबन्धन तथा तकनीकी कुशलता।
- परिवार तथा समाज-दोनों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना।
- सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं से महिलाओं को अधिक लाभ पहुंचाना।
- गैर-सरकारी संगठनों तथा महिला विकास निगमों जैसी सहायता एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें मजबूत करना जिससे वे महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने में अधिक सक्रिय हो सकें।
- वित्त संस्थाओं तथा इनसे जुड़े विभागों में सुधार करना जिससे वे महिलाओं से जुड़े मामलों में सुग्राही बनें और महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को बेहतर सुविधाएं दें।
- प्रशिक्षण मापदण्ड तथा सामग्री का विकास जिसमें स्थानीय हालात के अनुसार परिवर्तन करके अन्य स्थानों पर उसका विस्तृत उपयोग किया जा सके।
- आर्थिक कार्यकलापों, अतिरिक्त आय तथा इसके नियन्त्रण में महिलाओं की अधिक भूमिका जिससे स्तरों का उन्नयन होगा।

- महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना विशेषकर वित्त पर नियन्त्रण तथा अथवा इसके प्रति पहुंच के क्षेत्रों में जिसमें सांस्थानिक तथा अन्य स्रोतों से मिलने वाला ऋण शामिल है।
- जीवन के बेहतर हालात के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार करना जिनमें थकान मिटाने तथा समय में बचत करने के साधन शामिल हैं।

19. नौवीं योजना के 102.94 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1998-2001 के दौरान 21.00 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2001-02 के लिये परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

20. राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत महिलाओं के हितों की सुरक्षा करने / इन्हें बढ़ावा देने तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए की गई। आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के अपने काम को अंजाम देता रहा, इसके लिये आयोग ने महिलाओं पर हुये अत्याचारों, कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच की, पारिवारिक / महिला लोक अदालतें लागाई, विधिक जागरूकता कार्यक्रम / कैम्प लगाये; कानूनों की समीक्षा आदि की। लिखित तथा जबानी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिये आयोग में एक शिकायत कक्ष है जो इसके कोर यूनिटों में से एक है और निम्नलिखित से सम्बन्धित मामलों पर आयोग अपने आप कार्रवाई करता है, (i) महिलाओं के अधिकारों का हनन, (ii) कानूनों को लागू न करना, (iii) नीति निर्णयों का अनुपालन न होना, (iv) महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित दिशा निर्देशों और अनुदेशों तथा (v) ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना। वर्ष 2000 के दौरान आयोग में 5286 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें दहेज मृत्यु (527), हत्याओं (235), बलात्कार (277) उत्पीड़न (11), दहेज उत्पीड़न (963) यौन उत्पीड़न (131) द्विविवाह (110) पत्नियों को छोड़ देने (267) तथा अन्य प्रकार के उत्पीड़न की (2747) शिकायतें थीं। नौवीं योजना के 16.25 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2001 के दौरान 12.00 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के लिये 5.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

विधवाओं का वृदांवन में पुनर्वास

21. वृदांवन की उपांतिक महिलाओं के पुनर्वास के लिये और लक्षित वर्ग को केन्द्रीय योजनाओं से पहुंचने वाले लाभों के अनुवीक्षण के लिए महिला तथा बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति बनाई गई थी। समिति में स्वैच्छिक संगठनों व महिला कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, युवा मामलों तथा खेल विभाग के सचिव, नेहरू युवक केन्द्र संगठन के महानिदेशक तथा महिला तथा बाल विकास विभाग के नोडल विभाग के संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव शामिल हैं। महिला तथा बाल विकास विभाग के सचिव द्वारा 25.8.2000 को, महिला तथा बाल विकास सचिव, उत्तर प्रदेश, जिला मेजिस्ट्रेट मथुरा के साथ एक बैठक की गई और वृदांवन की उपांतिक महिलाओं के पुनर्वास के लिये किये गये उपायों का जायजा लिया गया। वृदांवन तथा इससे लगे

क्षेत्रों में उपांतिक महिलाओं को आश्रय तथा पुनर्वास प्रदान करने की नीति को अंतिम रूप देने के लिए वृदांवन के विभिन्न भजन आश्रमों के न्यासियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 6.2.2001 को एक अन्य बैठक की गई। केन्द्रीय समिति की सिफारिशों पर वृदांवन के भजन आश्रमों में रहने वाली विधवाओं को आश्रय, स्वास्थ्य जांच आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने विभिन्न कदम उठाए हैं।

बच्चों का विकास

22. क्योंकि मानव संसाधन विकास, बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं के "उत्तरजीविता, बचाव और विकास" सम्बन्धी विकासात्मक आयोजन, नीतियों और कार्यक्रमों का प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र है, इसलिए शिशु और पांच वर्ष के कम आयु के बच्चों की मृत्युदर तथा सगणता की उच्च दरों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए परिवार / समुदाय-आधारित निवारणात्मक सेवाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बच्चे के समग्र विकास के लिए विकास की प्रक्रिया समूचे देश में स्थिति 5000 से अधिक आईसीडीएस परियोजना के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

23. एकीकृत बाल विकास सेवाओं ने देश में बच्चों तथा माताओं की समर्पित सेवा में 25 वर्ष पूरे किये, इसके साथ इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को सार्विक बनाने का नया आदेश मिला। एकीकृत बाल विकास सेवाओं में स्कूली अवस्था पूर्व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार किया जाता है और प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाओं, अनुपूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा आदि सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई रोकों के कारण 1995-96 में परिकल्पित एकीकृत बाल विकास सेवाएं सभी को उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसलिए 1996 तक स्वीकृत 5614 एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं में से आठवीं योजना के अंत तक केवल 4200 परियोजनाओं को चालू किया जा सका। लगभग 2.27 करोड़ लाभानुभोगी हैं जिनमें से 1.89 करोड़ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और 0.38 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाएं तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के 1.89 करोड़ बच्चे आठवीं योजना के अंत तक स्कूल-पूर्व शिक्षा सेवाएं प्राप्त कर रहे थे। इस समय लाभानुभोगियों की संख्या बढ़ कर 2.80 करोड़ हो गई है जिनमें 2.31 करोड़ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और समाज के अलाभकारी वर्गों की 0.49 करोड़ गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं। इनमें से 1.55 करोड़ बच्चे (3-6 वर्ष की आयु के) 4384 चालू आई सी डी एस परियोजनाओं के माध्यम से केन्द्र आधारित स्कूल-पूर्व कार्यकलापों में भाग ले रहे हैं। जनवरी 2000 में आई सी डी एस के और विस्तार पर लगी रोक को शिथिल किया गया और सरकार ने नौवीं योजना के दौरान चरणबद्ध रूप में स्वदेशी सहायता से 390 और परियोजनाएं और विश्वबैंक की मदद से आई सी डी एस-III तथा आई सी डी एस-ए पी ई आर के तहत 461 अतिरिक्त परियोजनाएं चालू करने की मंजूरी दी। उत्तर-पूर्वी राज्यों में वर्ष 2000-01 के दौरान 120 अतिरिक्त परियोजनाएं चालू करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार नौवीं योजना के अंत तक देश में लगभग 5171 ब्लाकों/शहरी गन्दी बस्तियों को कवर करना सम्भव

होगा जिससे ब्लाकों की 90 प्रतिशत कवरेज हो जायेगी। तथापि इसे व्यापक बनाने की प्रक्रिया नौवीं योजना की सभी 5614 परियोजनाएं चालू हो जाने तक जारी रहेगी।

24. आई सी डी एस जिसने अक्टूबर 2000 में अपने कार्यान्वयन के 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं के असर का मूल्यांकन अलग-अलग विशेषज्ञों तथा विभिन्न अनुसंधान संगठनों द्वारा किया गया था। इनमें से लोक सहकारिता तथा बाल विकास राष्ट्रीय संस्था, नई दिल्ली द्वारा आई सी डी एस का 1992 में मूल्यांकन किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा विश्वबैंक सहायताप्राप्त आई सी डी एस का मध्यवर्ती मूल्यांकन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देशव्यापी मूल्यांकन प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद द्वारा 1996-97 में किये गये पॉइलेट अध्ययन के क्रम में है। मूल्यांकन का उद्देश्य स्कीम की इस आधार पर जांच करना है कि कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने तथा और सुधार करने में कार्यकर्ताओं की सक्षमता का पता लगाया जाये। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि आई सी डी एस कार्यक्रम से देश में 50 प्रतिशत पात्र बच्चे तथा महिलाएं लाभान्वित हुईं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अधिकतर आंगनवाडी केन्द्र लाभानुभोगी परिवारों से 100-200 मीटर की दूरी पर हैं। सर्वेक्षण से जो दूसरी बात पता चली वह यह कि केवल 36 प्रतिशत आंगनवाडी केन्द्र पक्के भवनों में स्थित हैं। एन आई पी सी डी द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि स्कूल-पूर्व अवस्था के बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण पर आई सी डी एस का बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। वर्ष 1995-96 में आन्ध्र प्रदेश में विश्वबैंक सहायताप्राप्त आई सी डी एस (परियोजना-1) के मध्यवर्ती मूल्यांकन से भी पता चला कि परियोजना की वजह से शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर घट कर 62 रह गई जो परियोजना के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 60 के लक्ष्य के अनुरूप है। 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के गम्भीर कुपोषण की घटना दर घट कर 5 प्रतिशत रह गई और 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के मामलों में 3 प्रतिशत रह गई। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का अनुपात भी घट कर 20 प्रतिशत रह गया जबकि अनुमानित लक्ष्य 24 प्रतिशत का था। इसी प्रकार उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर घट कर 93.6 प्रति हजार जीवित जन्म रह गई और जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं की दर 23 प्रतिशत रह गई।

25. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं पर 2001-02 के दौरान भी विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा:

- यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास कि आई सी डी एस के अनुपूरक पोषण के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध की जाये क्योंकि मांग और आपूर्ति में लगभग 50 प्रतिशत का व्यापक अन्तर है। आई सी डी एस तभी सार्थक होती है जबकि राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भोजन अनुपूरक निधियां उसी समय दी जायें जबकि आई सी डी एस के प्रचालन तथा पर्यवेक्षण के लिए अधिरचना के रख-रखाव के लिये भारत सरकार द्वारा निधियों का सहयोग दिया जाता है।
- किशोरियों की स्कीम जो किशोरियों की विशेष जरूरतों पर ध्यान रखने के लिये आरम्भ की गई है 507 ब्लाकों में चलाई जा रही है, से आई सी डी एस के तहत 3.5 लाख किशोरियां लाभान्वित हुई हैं। नौवीं योजना के दौरान इसका व्यापक रूप से विस्तार किया जायेगा और 2000 सी.डी. ब्लाक कवर किये जायेंगे।

- मिनी आंगन वाडी (एक पूरी आंगनवाडी के स्थान पर चार मिनी आंगनवाडी केन्द्र खोली जा सकती है) का विचार पर्याप्त लचीला है और दूर दराज के पहाडी क्षेत्रों जो जनजाति बहुल हैं में छितरी आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- अन्य नवीन तथा आवश्यक कार्यकलापों में शामिल हैं- समुदाय भागीदारी के लिए मॉडल, स्कीम का आई एस एम तथा एच विभाग के कार्यकलापों के साथ एकीकरण, राज्यों में आई सी डी एस के एम आई एस को सुदृढ़ करना, किशोरियों को आई एफ ए तथा विटामिन " ए " देना, आंगनवाडी केन्द्रों की गुणवत्ता में सुधार, महिलाओं के घटक को सुदृढ़ करना, उन्नत पोषण स्तर के लिए लक्षित कार्य अनुसंधान परियोजनाएं, अन्तरराज्यीय समन्वय तथा परिपूर्ति के लिए विचार विमर्श।
- छोटी अवस्था में बच्चों की अक्षमताओं के इलाज के लिये नवीन मॉडल, क्षेत्र/परियोजना विशिष्ट कार्य।

26. नौवीं योजना के 4980 करोड़ रुपये के परिव्यय में वर्ष 1997-2001 के दौरान 3332.16 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। खर्च कम होने का कारण यह है कि योजना के पहले तीन वर्षों में आई सी डी एस परियोजना के विस्तार पर रोक लगी थी। 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए 1198.00 करोड़ रुपये का परिव्यय (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 148.00 करोड़ रुपये) रखा गया है।

विश्वबैंक सहायताप्राप्त एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाएं

27. स्वतंत्रता के पश्चात मानव विकास में भारी प्रगति हुई है परन्तु अभी भी चार वर्ष से कम आयु के आधे बच्चे न्यूनाधिक अथवा गम्भीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। विश्वबैंक 1980 से कई परियोजनाओं के माध्यम से बाल विकास प्रयासों में मदद कर रहा है नामतः तमिलनाडु एकीकृत पोषण परियोजना (टी आई एन पी-1) 1980-89 में -I, 1990-97 में टी आई एन पी -II परियोजना, 1991-97 में आई सी डी एस-I परियोजना, 1993-2002 में आई सी डी एस-II परियोजना 1999-2004 में आई सी डी एस-III परियोजना। सामान्य आई सी डी एस सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, विश्वबैंक सहायताप्राप्त आई सी डी एस अतिरिक्त घटक प्रदान करता है जैसे आंगनवाडी भवनों का निर्माण, चुनींदा आधार पर कार्यालय व गोदामों का निर्माण, प्रशिक्षण तथा संचार घटकों को सुदृढ़ करना, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, महिलाओं और महिला एकीकृत जीवन पर्यन्त शिक्षा आदि कार्यकलापों के लिए आय सृजन कार्यकलाप।

28. टी. एन. आई. पी.-I, तमिलनाडु में 16 जिलों के 173 ब्लकों में कार्यान्वित किया गया और टी एन आई पी-II तमिलनाडु के 9 जिलों के 318 ब्लकों में कार्यान्वित किया गया। आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में शुरू की गई विश्वबैंक सहायताप्राप्त आई सी डी एस परियोजना-I दिसम्बर 1997 में समाप्त हो गई। इसमें उड़ीसा में 191 ब्लक तथा आन्ध्र प्रदेश में 110 ब्लक कवर किये गए। परियोजना के तहत दोनों राज्यों में कवर किये गये सभी ब्लक चालू हो गए हैं। आई सी डी एस -II परियोजना सितम्बर 1993 में बिहार (और झारखण्ड) तथा मध्यप्रदेश (और छत्तीसगढ़) में सात वर्ष के लिए अर्थात् सितम्बर 2000 तक चालू हो गई। परियोजना को नया रूप दिया गया और इसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य को शामिल करके इसे सितम्बर 2002 तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार में बिहार में 62 नई परियोजनाएं तथा मध्य प्रदेश में 133 नई परियोजनाएं शुरू करने का विचार है। परियोजना में चरणबद्ध आधार पर बिहार में 210 ब्लक तथा मध्य प्रदेश में 244 ब्लक कवर किये गये जो पूर्णतः जनजाति बहुल तथा दुर्गम क्षेत्रों में थे। नवम्बर 2000 में बिहार तथा मध्यप्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात परियोजनाओं के विभाजन और बिहार, मध्य

प्रदेश, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ के बीच अनुमोदित प्रावधानों को अलग करने के आदेश दे दिये गए हैं। विश्वबैंक सहायताप्राप्त परियोजना-III का तीसरा चरण मार्च 1999 में शुरू किया गया था और इस समय केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। नौवीं योजना के 1163.79 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2001 के दौरान 663.68 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 के लिए 220.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम - उदीशा

29. विश्वबैंक सहायताप्राप्त महिला तथा बाल विकास परियोजना-उदीशा के राष्ट्र-व्यापी प्रशिक्षण घटक का उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं का सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में विकास करना है क्योंकि ये वे लोग हैं जो स्थिति में बदलाव ला सकते हैं और हर समय सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उदीशा का उद्देश्य, स्वास्थ्य, पोषण, बाल शिक्षा तथा बेहतर माता-पिता बनने के क्षेत्र में कार्य के अभिसरण को बढ़ावा देकर बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास करना है। कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं में आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायक, पर्यवेक्षक, अपर बाल विकास योजना अधिकारी, बाल विकास योजना अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी तथा पराचिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं में जन सहकारिता तथा बाल विकास राष्ट्रीय संस्था, इसके तीन क्षेत्रीय केन्द्र, मध्यम स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं।

30. उदीशा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से नियमित मेल जोल के लिए एक विस्तृत तंत्र तैयार किया गया है। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 528 आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र हैं। शुरू में आंगनवाडी कार्यकर्ता तीन महीने का बुनियादी काम का प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद एक चिकित्सा दल मासिक दौरा करता है और उसके बाद पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम होते हैं। 1998-98 तथा 1999-2000 में क्रमशः 41193 तथा 48690 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। अक्टूबर 2000 तक 32117 आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए देश में मध्यम स्तर के लगभग 43 प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो सरकारी तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्थान हैं। एन आई पी सी डी के तीन क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ, गोवाहाटी तथा बंगलौर में पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। 1998-99 तथा 1999-2000 में क्रमशः 921 तथा 709 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अक्टूबर 2000 तक 709 अन्य पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। एन आई पी सी डी के मुख्यालय तथा इसके तीन क्षेत्रीय केन्द्रों तथा स्वीकृत राज्य संस्थानों में सी डी पी ओ / ए सी डी पी ओ का प्रशिक्षण संचालित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को आई सी डी एस स्कीम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें संगठनात्मक तथा प्रशासकीय ढांचा शामिल है और ग्रामीण, जन-जातीय तथा शहरी आई सी डी एस परियोजनाओं में क्षेत्र प्रशिक्षण तथा तैनाती पर विशेष जोर दिया गया। 1998-99 तथा 1999-2000 में क्रमशः 386 तथा 329 सी डी पी ओ / ए सी डी पी ओ प्रशिक्षित किये गये। अक्टूबर 2000 तक 349 सी डी पी ओ / ए सी डी पी ओ को प्रशिक्षण दिया गया है। नौवीं योजना के 329.29 करोड़ रुपये के परिव्यय में से वर्ष 1997-2001 के दौरान 89.77 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए 40.00 करोड़ रुपये (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये) का परिव्यय है।

बालिका समृद्धि योजना

31. गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के विचार से 1997 में बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई। 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान यह स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में कार्यान्वित की गई जिसके तहत नवजात कन्या की माता को 500 रुपए का अनुदान देने के लिए डी आर डी ए तथा डी यू डी ए जैसी जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की गई। इसके लिए सरकार ने 1997-98 के वित्त वर्ष में 12 लाख कन्याओं को कवर करने के लिए 60 करोड़ रुपए का तदर्थ अनुदान जारी किया। इस स्कीम की समीक्षा की गई और इसे केन्द्र प्रायोजित योजना का रूप दिया गया जिसके तहत निम्नलिखित विशेषताओं के साथ आई सी डी एस अवरस्थापना के माध्यम से राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है (i) 15 अगस्त 1997 को या इसके बाद जन्मी दो कन्याओं तक प्रति कन्या के जन्म के बाद 500 रुपए का अनुदान जिसका भुगतान अब नगद किये जाने के बजाए कन्या के नाम से बैंक / डाक घर में जमा किया जाय जिस पर ब्याज मिलेगा, (ii) जब बालिका स्कूल जाने लगे तो उसे वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जायेगी। छात्रवृत्ति की दर कक्षा के I से III तक 300 रु कक्षा IV के लिए 500 रुपए, कक्षा V के लिए 600 रुपए कक्षा VI तथा VIII के लिए 700 रुपए, कक्षा 8 के लिए 800 रुपए तथा कक्षा 9 व 10 के लिए प्रति वर्ष 1000 रुपए होगी, (iii) तथापि वार्षिक छात्रवृत्ति की राशि को बालिका की माता/अभिभावक की अनुमति से उसके लिए पुस्तकें अथवा वर्दी खरीदने के लिए खर्च किया जा सकता है। इसके बाद बची राशि को उसी खाते में जमा करा दिया जायेगा जिसमें बालिका के जन्म के बाद दी गई राशि जमा कराई गई थी। इस प्रकार जमा राशि बालिका के 18 वर्ष की होने और अविवाहित रहने पर उसे दे दी जायेगी। उपर्युक्त संशोधनों के साथ नई बालिका समृद्धि योजना 1999-2000 में लागू की गई। नौवीं योजना के 390.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से वर्ष 1997-2001 के दौरान 163.63 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वर्ष 2001-02 के लिए 25.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

किशोरी शक्ति योजना

32. किशोरी शक्ति योजना का लक्ष्य किशोरियों की पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना तथा स्वयं विकास, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सफाई, पोषण, परिवार कल्याण और गृह प्रबन्ध को बढ़ावा देना और इस प्रकार महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण में सुधार करना और महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इसलिए विषय के विस्तार के साथ स्कीम के दायरे को बढ़ाने, प्रशिक्षण घटक, विशेष कर व्यावसायिक पहलुओं को सुदृढ़ करने और शिक्षा, ग्रामीण विकास, रोजगार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के इसी स्वरूप के अन्य कार्यक्रमों के साथ इनके अभिसरण की आवश्यकता महसूस की गई। स्कीम के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- 11-18 आयु वर्ग की लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार;
- शिक्षा के गैर-औपचारिक प्रयासों द्वारा आपेक्षित साक्षरता तथा संख्यात्मक कुशलता प्रदान करना, अधिक सामाजिक गतिविधियों तथा ज्ञान के लिए प्रेरित करना और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने में उनकी मदद करना;

- गृह-आधारित तथा व्यावसायिक कौशलों में सुधार / उन्नयन के लिए किशोरियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें समर्थ बनाना;
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण तथा परिवार कल्याण, गृह प्रबन्धन और बाल परिचर्या के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और ऐसे सभी उपाय करना कि अपना विवाह 18 वर्ष की आयु होने के बाद, यदि सम्भव हो तो इसके और बाद करें;
- उनके पर्यावरण से जुड़े सामाजिक मामलों और उनके जीवन पर इनके प्रभाव की बेहतर समझ बूझ होना;
- समाज के उत्पादनकारी उपयोगी सदस्य बनने के लिए विभिन्न कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए किशोरियों को प्रोत्साहित करना।

33. किशोरियों की इस संशोधित स्कीम के कार्यान्वयन के साथ-साथ एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जिसका लक्ष्य किशोरियों का सशक्तिकरण था जिसे शुरू में देश में 507 ब्लकों में शुरू किया गया था जिससे आई सी डी एस स्कीम के तहत 3.5 लाख किशोरियां लाभान्वित हुई थी, अब इस स्कीम का व्यापक विस्तार किया जा रहा है और इसमें नौवीं योजना के अंत तक 2000 सी डी ब्लकों को कवर किया जायेगा। अनुमान है कि योजना के तहत समाज के वंचित ग्रुपों की 12.8 लाख किशोरियों को लाभ पहुंचेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

34. ग्रामीण स्तर पर स्थायी मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल की गई है। ग्रामीण सड़कों, प्राइमरी स्वास्थ्य, प्राइमरी शिक्षा, आश्रय, पीने के पानी, पोषण की बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना है। अग्रता के इन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पोषण घटक की रूपरेखा विशेष रूप से तैयार की गई है जिसका लक्ष्य आई सी डी एस स्कीम के माध्यम से बच्चों को अनुपूरक भोजन प्रदान करने की कवरेज में वृद्धि करके 3 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को खत्म करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत पोषण घटक के लिए 2000-2001 में 375 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता है जो आई सी डी एस स्कीम के लिए राज्य योजना के तहत अनुपूरक पोषण के लिए किये गये उपबन्ध के अलावा है।

क्रेच / दिवा परिचर्या केन्द्र

35. आकस्मिक, प्रवासी, कृषि तथा निर्माण मजदूरों के बच्चों के लिए और उन महिलाओं के बच्चों के लिए जो बीमार हैं अथवा जो बीमारी के कारण अक्षम हैं अथवा संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं क्रेच दिवा परिचर्या सेवाएं प्रदान की गई हैं। इस अविस्तारणीय योजना से 12470 केन्द्रों के द्वारा करीब 3.11 लाख बच्चों को लाभ पहुंचा। केन्द्रीय क्षेत्र की यह स्कीम जो गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, अविस्तारणीय है और इसे राष्ट्रीय क्रेच निधि में मिला दिये जाने की आशा है। नौवीं-योजना के 36.05 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2001 के दौरान 21.90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

है। वर्ष 2001-02 के लिए 7.45 करोड़ रुपये (उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 0.50 करोड़ रुपये) का परिव्यय प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय क्रेच निधि

36. अधिक क्रेच खोलने की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विश्वबैंक के सामाजिक सुरक्षा नेट समंजन ऋण में से उपलब्ध की गई 19.00 करोड़ रुपये की राशि से राष्ट्रीय क्रेच निधि की 21.3.1994 को स्थापना की गई थी। इसने अभी तक 2455 क्रेचों की मंजूरी दी है (1856 सामान्य क्रेच तथा 599 आंगनवाडी व क्रेच केन्द्र)। स्कीम में परिकल्पित है कि जिन 75 प्रतिशत क्रेचों को राष्ट्रीय क्रेच निधि से सहायता दी जा रही है वे सामान्य स्वरूप के होंगे जबकि 25 प्रतिशत केन्द्र आंगनवाडी व क्रेच केन्द्र होंगे। राष्ट्रीय क्रेच निधि से सहायताप्राप्त सामान्य क्रेच, महिला तथा बाल विकास विभाग की क्रेच स्कीम की पद्धति पर होंगे जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की परिचर्या के लिए होंगे जिनमें दिवस परिचर्या सुविधाएं, अनपूरक पोषण, प्रतिरक्षाकरण, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परिचर्या तथा मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं। इनमें वे बच्चे नामांकन के पात्र होंगे जिनके माता पिता की मासिक आय 1800 रु से अधिक नहीं है। एक सामान्य क्रेच को आवर्ती अनुदान के रूप में 18,480 रुपये तथा अनावर्ती अनुदान के रूप में 4000 रुपये प्रति केन्द्र मिलते हैं, एक आंगनवाडी-व-क्रेच को स्कीम की सहायता पद्धति के तहत प्रति वर्ष 8100 रुपये प्रति क्रेच मिलते हैं। इसमें प्रतिक्रेच दो क्रेच कार्यकर्ताओं को 600 रुपये मासिक की दर से मानदेय और 7500 मासिक आपातकालीन खर्च शामिल है। राष्ट्रीय क्रेच निधि योजना के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 0.03 करोड़ रुपये है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कोई खर्च नहीं हुआ है क्योंकि क्रेचों का खर्च पहले से जमा राशि पर वर्षों से जो ब्याज इकट्ठा हो रहा है उससे चलता रहा। तथापि 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए 0.97 करोड़ रुपये का मामूली प्रावधान किया गया है।

37. बच्चों के विकास के लिए अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं- (i) आरम्भिक बाल्यकाल शिक्षा जिसमें स्कूल-पूर्व शिक्षा दी जाती है और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दर में कमी लाने और प्राइमरी कक्षाओं में 3-6 वर्ष के आयु वर्ग में पढ़ाई जारी रखने की दर में सुधार करने के लिए अलग नीति है। स्कीम शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के तहत ई सी ई केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 7980 रुपये की वित्तीय सहायता प्रति केन्द्र प्रति वर्ष दी जाती है। आई सी डी एस के सार्विकरण के साथ, स्कीम को आई सी डी एस के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिया जायेगा; (ii) बालवाडी पोषण कार्यक्रम का लक्ष्य 3-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन 300 कलौरी तथा 12-15 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित करने उनके पोषण की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। स्कीम के तहत प्रतिवर्ष प्रति आंगनवाडी केन्द्र 17,200 रुपये का अनुदान दिया जाता है। स्कीम अविस्तारणीय है और इसे आई सी डी एस का सार्विकरण हो जाने के बाद पूरी तरह उसके साथ एकीकृत किये जाने की संभावना है तथा (iii) जन सहकारिता तथा बाल विकास राष्ट्रीय संस्था आई सी डी एस के विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जरूरत का ध्यान रखता है। इन तीन स्कीमों के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 23.19 करोड़ रुपये है। 2001-02 के वर्षों के दौरान संभावित खर्च 11.35 करोड़ रुपये है। 2001-02 की वार्षिक योजना का परिव्यय 2.52 करोड़ रुपये है।

बच्चों तथा बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

38. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 1992 में वर्ष 2000 के लिए विभिन्न सूचकों के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की जा रही है तथा वर्तमान दशक के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए जाने हैं। बाल अधिकारों पर यू एन कन्वेंशन के अनुसमर्थन से दो राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं जो एक बच्चों के लिए तथा दूसरी केवल बालिकाओं के लिए है के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में और बल मिला है। आशा की जाती है कि इन कार्रवाई योजनाओं से बच्चों का जीवन, उनकी सुरक्षा तथा विकास सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल की राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अपनी राज्य कार्य योजना तैयार की है। इन दो कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर अन्तर-मंत्रालय / अन्तर विभागीय समितियां गठित की गई हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

39. महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बच्चों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठन भारी योगदान देते रहे हैं, विशेषकर महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव लाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने तथा इस वर्ग के प्रति संवेदनशीलता के क्षेत्रों में तथा महिलाओं व बालिकाओं के प्रति हिंसा का मुकाबला करने में।

महिला तथा बाल विकास क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान योजना परिव्यय तथा खर्च

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		1999-2000 वास्तविक	2000-2001		2001-2002
			परिव्यय	सं.अ.	परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	केन्द्रीय क्षेत्र				
क	बच्चों का कल्याण तथा विकास				
1.	कामकाजी बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेच/दिवा परिचर्या केन्द्र	3.85	4.50	4.50	6.95
2.	बाल परिचर्या स्कीमों के लिए राष्ट्रीय क्रेच निधि	0.00	0.01	0.00	0.97
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
4.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	25.55	35.00	19.95	35.00
5.	जन सहकारिता तथा बाल विकास राष्ट्रीय संस्था (एन.आई.पी.सी.सी.डी.)	3.42	1.50	1.85	2.00
6.	आरम्भिक बाल्यकाल शिक्षा	0.00	0.30	0.27	0.01
7	बालवाडी पोषण कार्यक्रम (बी.एन.पी.)		0.50	0.07	0.01
	कुल-क	32.82	41.81	26.64	44.94
ख	महिलाओं का कल्याण तथा विकास				
1.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	6.98	7.02	7.46	8.00
2.	महिलाओं के लिए रोजगार तथा आयसृजन प्रशिक्षण व उत्पाद केन्द्र (नोराड)	12.20	13.00	13.93	15.00
3.	प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम को सहायता	13.04	13.00	14.36	15.00
4.	अल्पकालिक गृह (एस.एस.एच.)	6.75	12.00	8.00	9.00
5.	महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए शिक्षा	0.01	0.20	0.20	0.28
6.	मानीटरिंग व जागरूक कार्यक्रम	0.00	0.50	0.00	0.00
7	राष्ट्रीय महिला आयोग	3.25	3.50	3.50	5.00
8	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण निधि	0.00	3.00	0.00	1.00
9	कामन वेल्थ मीटिंग महिला विकास ब्यूरो का सुदृढीकरण	0.50	1.50	0.60	0.00
10	महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त का कार्यालय बनाना	0.00	0.01	0.00	0.00
11	महिला समृद्धि योजना	1.96	15.00	15.95	8.00
12	एकीकृत सशक्तिकरण परियोजना	0.50	1.43	0.00	0.01
13	महिलाओं के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण का संक्षिप्त पाठ्यक्रम	1.65	1.50	1.50	2.00
14	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	0.00	1.00	1.00	1.00
15	ग्रामीण तथा गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजना	2.60	1.80	1.80	3.00

महिला तथा बाल विकास क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान योजना परिव्यय तथा खर्च

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		1999-2000 वास्तविक	2000-2001		2001-2002
			परिव्यय	सं.अ.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	सी.एस.डब्ल्यू.बी. के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा इसके क्षेत्रीय संगठनों से सुदृढीकरण	2.33	14.00	14.00	15.00
	कुल ख	51.77	88.46	82.30	82.29
ग	सहायता अनुदान तथा अन्य स्कीमें				
1.	अनुसंधान प्रकाशन तथा अनुवीक्षण के लिए सहायता अनुदान	0.50	0.50	0.56	1.00
2.	स्वैच्छिक संगठन को संगठन जानकारी	0.00	0.20	0.00	0.01
3.	महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में संगठनात्मक जानकारी	0.19	0.20	0.25	0.25
4.	सूचना तथा जन माध्यम	1.32	2.00	2.69	3.00
	कुल ग	2.01	2.90	2.70	4.26
	योग - I - (क ख ग)	86.6	133.17	111.63	131.49
II	II केन्द्र प्रायोजित स्कीमें				
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	880.15	935.00	1047.59	1050.00
2.	इन्दिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.)	0.00	18.00	2.10	19.50
3.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	230.75	180.00	140.01	220.00
4.	ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना	5.00	15.00	8.00	15.00
5.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन.आर.सी.डब्ल्यू.)	0.00	1.00	0.00	2.00
6.	बालिका समृद्धि योजना	39.97	27.00	21.00	25.00
	योग II	1157.21	1176.00	1218.70	1331.50
	योग (I+II)	1242.47	1309.17	1330.33	1462.99
III	भोजन तथा पोषण बोर्ड				
क	केन्द्रीय क्षेत्र योजना				
1.	विटामिन "ए" के साथ दूध का पौष्टीकरण	0.04	0.00	0.02	0.00
2.	अनुसंधान तथा विकास	योजना का विलयन कर दिया गया			
3.	पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	पोषण खाद्य उत्पादन	स्कीम त्याग दी गई			
	योग क	0.04	0.00	0.02	0.00
ग	केन्द्र प्रायोजित स्कीम				
1.	पोषण शिक्षा	1.53	2.90	2.78	4.00
2.	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	0.07	0.00	0.07	0.00
	योग ख	1.60	2.90	2.85	4.00
	योग-III (क + ख)	1.64	2.90	2.87	4.00

महिला तथा बाल विकास क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान योजना परिव्यय तथा खर्च

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		1999-2000 वास्तविक	2000-2001		2001-2002
			परिव्यय	सं.अ.	परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	नई स्कीमें				
1.	एन.ई.एम.ए.	0.00	0.01	0.00	0.00
2.	दूरस्था शिक्षा	0.00	1.41	1.41	0.50
3.	राष्ट्रीय बाल आयोग	0.00	0.01	0.00	1.00
4.	सूचना तथा तकनीकी	0.50	0.50	0.48	0.50
	योग IV	0.50	1.93	1.91	2.00
V	2001-02 के दौरान अतिरिक्त स्कीमें				
1.	महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001		0.00	0.96	10.00
2.	कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्कीमें				6.00
	योग-5	0.00	0.00	0.96	16.00
	उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा सिक्किम की योजनाओं के लिए एकमुश्त उपबन्ध	-	146.00	130.00	165.01
VI	योग VI	0.00	146.00	130.00	165.01
	सकल योग (I+II+III+IV+V+VI)	1244.61	1460.00	1466.05	1650.00

महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 1999-02 के दौरान बजट के माध्यम से प्राप्त विदेशी सहायता

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	वित्तपोषण एजेंसी	वार्षिक योजना 1999-2000 वास्तविक		वार्षिक योजना 2000-01 परिव्यय		वार्षिक योजना 2000-01 सं. अ.		वार्षिक योजना 2001-02 सं. अ.	
			इ.ए.पी.	योग	इ.ए.पी.	योग	इ.ए.पी.	योग	इ.ए.पी.	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क	केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमे									
I	बाल कल्याण तथा विकास									
1.	आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	यूनिसेफ तथा विश्व बैंक	20.19	25.55	28.00	35.00	14.16	19.94	28.00	40.00
2.	जन सहकारिता तथा बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.पी.सी.डी.)	यूनिसेफ	0.00	3.42	0.00	1.50	0.00	1.85	0.00	2.50
II	महिलाओं का कल्याण तथा विकास									
3.	महिलाओं के लिए रोजगार तथा आय सृजन प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (नोराड)	नोराड	5.00	12.20	5.00	13.00	5.00	13.95	5.00	18.00
4.	एकीकृत सशक्तिकरण परियोजना	यूनिफपा	0.50	0.50	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.01
	योग क		25.69	41.67	34.43	50.93	19.16	35.74	33.00	60.51
ख	केन्द्र प्रायोजित स्कीमे									
5.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं	आईडीए तथा विश्व बैंक	161.60	230.75	126.00	180.00	98.01	140.01	154.00	220.00
6.	ग्रामीण महिलाओं का विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना	आईडीए तथा आईएफएडी	4.50	5.00	12.00	15.00	7.00	8.00	13.00	15.00
III	भोजन तथा पोषण बोर्ड									
7.	पोषण शिक्षा	यूनिसेफ	0.10	1.52	0.50	2.50	0.50	2.78	0.50	3.00
8.	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	यूनिसेफ	0.00	0.07	0.00	0.15	0.00	0.07	0.00	0.50
	योग ख		166.20	237.34	138.50	197.65	105.51	150.86	167.50	238.50
	योग क ख		217.58	321.61	207.36	299.51	124.67	186.60	200.50	299.00

5.6.2 सामाजिक रूप से अलाभकारी वर्गों का सशक्तिकरण

40. सामाजिक रूप से अलाभकारी वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण तथा विकास देश के विकास नियोजन में एक अलग तथा प्रमुख महत्त्व रखता है। इसके लिए, नौवीं योजना में सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले इन वर्गों को उच्च प्राथमिकता दी गई है, यह उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने की सांविधिक वचनबद्धता के अनुसरण में है। सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले इन वर्गों के लिए विभिन्न कल्याण, विकासात्मक तथा सुरक्षात्मक कार्यक्रम एक तिहरी नीति के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं अर्थात् (i) सामाजिक सशक्तिकरण, (ii) आर्थिक सशक्तिकरण तथा (iii) असमानता, शोषण तथा दमन को समाप्त करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस प्रयास में न केवल वर्तमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ / विस्तारित किया जा रहा है अपितु अलाभ की स्थिति वाले इन वर्गों के समग्र विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जहां आवश्यक है, नए उपाए किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 2000-01 तथा 2001-02 की संवीक्षा

41. वार्षिक योजना 2001-02 में जबकि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिकता मंत्रालय को विशेष घटक योजनाओं के लिए 992.00 करोड़ रुपए (विशेष केन्द्रीय सहायता के 411 करोड़ रुपए सहित) का आबंटन किया गया है, अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय के लिए 1040 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है (जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के 500 करोड़ रुपए + 300 करोड़ रुपए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत शामिल हैं)। वार्षिक योजना 2000-01 में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामले मंत्रालय के बजटों में 907.57 करोड़ रुपए तथा 810 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। इस प्रकार 2001-02 की वार्षिक योजना में सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले सभी वर्गों, अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए पिछले वर्ष 2000-01 में किये गये 1717.57 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 2032.00 करोड़ रुपए प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में आबंटन में वृद्धि किया जाना सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की बढ़ती हुई चिंता का संकेत है। पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों के मामले में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

42. राज्य क्षेत्र में सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले वर्गों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2000-01 की वार्षिक योजना में 1973 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले वर्गों के कल्याण तथा विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर आबंटित परिव्यय तथा खर्च के योजनावार विवरण **संलग्नक 5.6.2.1** में दिये गये हैं, इसी बाबत राज्य क्षेत्र में आबंटित परिव्यय तथा खर्च के विवरण **संलग्नक 5.6.2.2** में दिये गए हैं।

43. सामाजिक रूप से अलाभकारी स्थिति वाले ग्रुपों के सशक्तिकरण की नौवीं योजना की वचनबद्धता के अनुसरण में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों-दोनों द्वारा विभिन्न नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सम्मिलित प्रयास किये जा रहे हैं कि (i) शैक्षिक विकास के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण, (ii) गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार और आय सृजन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण तथा (iii) विधायी समर्थन तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक न्याय। अलाभकारी स्थिति वाले इन वर्गों के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए वर्तमान स्कीमों/कार्यक्रमों का सुदृढीकरण करने, उनके विस्तार के लिए सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। इस दिशा में एक मुख्य पहल अक्टूबर 1999 में केन्द्र में जनजातीय मामलों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की थी जिसका लक्ष्य जनजातियों की आबादी, कल्याण तथा विकास पर अधिक ध्यान देना था क्योंकि वे अपनी ही विशेष समस्याओं के कारण पिछड़े हुए थे जैसे असाक्षरता, अनभिज्ञता, भू-स्थानान्तरण, विस्थापन, कर्जदारी आदि।

44. नौवीं योजना (1997-02) के दौरान पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय मामलों के क्षेत्रों में परिव्ययों तथा खर्च के विवरण **तालिका सं. 5.6.2.1** में दिये गए हैं।

तालिका 5.6.2.1

1997-98 से 2001-02 के दौरान सामाजिक रूप से अलाभकारी ग्रुपों के सशक्तिकरण पर परिव्यय तथा खर्च

(करोड़ रुपयों में)

क्रम. सं.	स्कीमें	वार्षिक योजना 1997-98 वास्तविक	वार्षिक योजना 1998-99 वास्तविक	वार्षिक योजना 1999-00 वास्तविक	वार्षिक योजना 2000-01		वार्षिक योजना 2001-02
					परिव्यय	संशोधित अनुमान	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	पिछड़े वर्गों का क्षेत्र (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)						
1.	अनुसूचित जातियों का कल्याण तथा विकास						
i)	केन्द्रीय क्षेत्र	75.34	123.11	76.58	83.00	44.90	66.51
ii)	सी. एस. एस.	226.49	209.86	233.05	281.70	276.61	394.77
iii)	विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	308.41	360.83	436.75	423.00	450.39	411.00
	योग - 1	610.24	693.80	746.38	787.70	766.90	872.28
2.	अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण						
i)	केन्द्रीय क्षेत्र	-	92.34	101.03	72.61	1.59	21.85
ii)	सी.एस.एस.	-	7.46	12.22	17.91	19.99	57.51
	योग - 2	-	99.80	113.25	90.52	21.58	79.36
3	अल्पसंख्यकों का कल्याण						
i)	केन्द्रीय क्षेत्र	41.01	38.22	25.61	29.35	30.68	40.36
	योग - 3	41.01	38.22	25.61	29.35	30.68	40.36
	योग - I (1 + 2 + 3)	651.25	831.82	885.24	907.57	819.16	992.00
II	जनजातीय विकास (जनजातीय मामला मंत्रालय)						
i)	केन्द्रीय क्षेत्र	46.82	45.90	40.49	76.90	52.17	119.50
ii)	सी.एस.एस.	15.03	29.29	18.01	112.10	123.60	120.50
iii)	विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	329.61	380.00	400.00	400.00	400.00	500.00
iv)	अनु. 275 (1) के तहत अनुदान	75.00	75.00	100.00	200.00	191.29	300.00
	योग - II	466.46	530.19	558.50	810.00	715.07	1040.00
	सकल योग (I+II)	1117.71	1361.91	1445.96	1717.57	1534.23	2032.00

सामाजिक सशक्तिकरण

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां

45. क्योंकि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक मूल आवश्यकता है तथा सभी विकासात्मक कार्यकलापों के लिए विस्तृत आधार प्रदान करती है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई विशेषकर उनकी स्त्रियों और बच्चों के मामलों में। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और आम लोगों की साक्षरता दरों के मौजूदा अंतर को कम करने के लिए, विशेषकर स्कूलों में नामांकन में सुधार तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर में कमी लाने के माध्यम से सम्मिलित प्रयास किये गए जिसके लिए इन्हें विशेष प्रोत्साहन दिये गये अर्थात् छात्रवृत्तियों, होस्टलों, कोचिंग, आश्रम, स्कूलों, शैक्षिक परिसरों आदि की सुविधा दी गई।

46. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति देने की राष्ट्रव्यापी योजना जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ है, के माध्यम से एक परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र विद्यार्थियों को अपना अध्ययन जारी रखने के लिए ट्यूशन फीस तथा अनिवार्य फीस आदि अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है। 1997-98 में स्कीम में संशोधन किया गया और छात्रवृत्ति की राशि और पात्रता के लिए माता-पिता की आय की सीमा में वृद्धि की गई। नौवीं योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 99.70 लाख विद्यार्थियों को कवर करने के लिए 614.16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नौवीं योजना (1997-98 से 2000-01) के प्रथम चार वर्षों में मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति के 46.72 लाख विद्यार्थियों के लाभ के लिये कुल 438.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई (जनजाति मामले मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए 70 करोड़ रुपयों को मिला कर)। वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 159.77 करोड़ रुपए और 69.60 करोड़ रुपए के परिव्यय निश्चित किये गये हैं। 2000-01 में मैट्रिक-पश्च योजना के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 19.25 लाख विद्यार्थियों के लिये क्रमशः 130 करोड़ रुपए तथा 70 करोड़ के परिव्यय आबंटित किये गये।

47. जिन बच्चों के माता पिता जमादारी जैसे व्यवसायों में कार्यरत हैं उनके लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम कार्यान्वित की गई और ऐसे बच्चों को उनके सफाई के परम्परागत कार्यों से दूर रखने पर विशेष जोर दिया गया। नौवीं योजना में 16.91 लाख विद्यार्थियों को कवर करने के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का आबंटन किया गया था। अभी तक नौवीं योजना (1997-2002) के प्रथम चार वर्षों में 23.28 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। इसमें 15.25 लाख विद्यार्थी कवर किये गए हैं। 2000-02 में स्कीम के लिये 12 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है जबकि इसके लिये 2000-01 के लिये 9 करोड़ रुपए आबंटित किये गए थे। वर्ष 2000-01 के दौरान 3.63 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

48. विशेषकर चिकित्सा, कानून, चार्टर्ड लेखाकार, व्यापार प्रबन्धन, बायो-टेक्नालाजी, इंजीनियरी, पशुपालन तथा कृषि व पालिटेक्निक जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययनों में सुविधा के लिए

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कवर करने के लिए 12.00 करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया गया। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में 9.42 करोड़ रुपए खर्च किये गये और 84,470 विद्यार्थी लाभान्वित हुये। इसके लिये 2001-02 की वार्षिक योजना में 2.50 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया है।

49. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लड़कों व लड़कियों के लिए होस्टल भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को 50:50 के आधार पर तथा संघ शासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिससे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो मिडिल, उच्चतर तथा सैकेन्डरी स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं वे बीच में पढ़ाई न छोड़ें और उन्हें शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। होस्टलों की स्कीम के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाता है, उन्हें 10 प्रतिशत लागत वहन करनी पड़ती है तथा शेष में केन्द्र तथा राज्यों का बराबर हिस्सा होता है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्ष की अवधि (1997-98 से 2000-01) के दौरान 518 होस्टलों के भवनों के निर्माण पर 79.31 करोड़ रुपए खर्च किये गये जिनमें अनुसूचित जाति के 69,357 विद्यार्थी रह सकते हैं। इसी अवधि में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 486 होस्टलों के निर्माण पर 39.05 करोड़ रुपए खर्च किये गए। इनमें 17,852 विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था है।

50. कोचिंग तथा इससे सम्बद्ध स्कीम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्राइवेट संस्थाओं / विश्वविद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं दी जाती हैं जिससे वे सिविल सेवाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने का मूल लक्ष्य विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना है। 1999-2000 के दौरान 1490 उम्मीदवार लाभान्वित हुए जिस पर 230 करोड़ रुपए खर्च हुये। वर्ष 2001-02 के लिए परिव्यय 10 करोड़ रुपए है जबकि इस कार्य के लिए पिछले वर्ष (2000-01) में 2.4 करोड़ रुपए निश्चित किये गये थे।

51. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हैं- जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को चिरप्रतीक्षित निवेश प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के गुणावगुण का उन्नयन, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियों का विशिष्ट शैक्षिक विकास कार्यक्रम, टी एस पी क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना तथा अनुसूचित जनजाति तथा अधिक पुराने जनजाति वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक परिसरों की स्थापना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के योग्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण

52. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजाति उपयोजना के लिये राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को उनकी आबादी तथा विशेष घटक योजना व जनजाति उपयोजना नीतियों के कार्यान्वयन में उनके निष्पादन के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997-2001) के दौरान विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के 89.25 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा। इसी प्रकार जनजातियों के मामले में विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित जनजाति के 42.78 लाख परिवारों को सहायता दी गई जिससे वे अपनी उत्पादकता व आय में वृद्धि कर सकें। इन वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यरत 4 सबसे बड़े वित्त संगठनों को भी सुदृढ़ किया गया है। वे हैं:

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (ii) अनुसूचित जाति विकास निगम (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम तथा (iv) भारत का जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। ये निगम आय सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन निगमों से आशा की जाती है कि ये निगम राज्य वित्त तथा विकास निगमों के सहयोग से सामाजिक रूप से अलाभकारी स्थिति वाले इन वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ऋण के फारवर्ड तथा बैंकवार्ड लिंक तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करेंगे।

53. 1987 में स्थापित ट्राइफेड का लक्ष्य अनुसूचित जातियों को उनके द्वारा एकत्र लघु वन उत्पाद तथा अधिशेष कृषि उत्पादन के विपणन में सहायता देना तथा लाभकारी मूल्य दिलाना है जिससे प्राइवेट व्यापारी तथा बिचौलिये उनका शोषण न कर सकें। केन्द्रीय सरकार ट्राइफेड की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए तथा मूल्य सहायता कार्यों के लिए निधियां प्रदान करती है। ट्राइफेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है तथा भुगतान हुई पूंजी 99.98 करोड़ रुपए है। नौवीं योजना में ट्राइफेड में निवेश और ट्राइफेड को मूल्य समर्थन के लिए क्रमशः 29.25 करोड़ रुपए और 13 करोड़ रुपए निश्चित किये हैं। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997-98 से 2000-01) के दौरान इन दो योजनाओं के लिए निवेश तथा मूल्य समर्थन के लिए सम्भावित खर्च क्रमशः 29.25 करोड़ रुपए तथा 11.97 करोड़ रुपए है। 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान ट्राइफेड में निवेश तथा ट्राइफेड को मूल्य समर्थन के लिए वही स्तर रखा गया अर्थात् क्रमशः 1 करोड़ रुपए तथा 4 करोड़ रुपए।

54. आय सृजन तथा विकासक्षम परियोजनाएं शुरू करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता ऋण प्रदान करने के लिए सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के चहुमखी सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एन एस के एफ डी सी की स्थापना एक शिखर संस्था के रूप में की गई थी। 2001-02 की वार्षिक योजना में एन एस के एफ डी सी के लिए 25 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। उत्पादन व व्यापार व सेवा केन्द्र चलाने के लिए 25 सफाई कर्मचारियों तक के लिए स्थापित सेनिटरी मार्ट तथा शुष्क शौचालयों को जल शौचालयों में तबदील करने के काम के लिये धन प्रदान करना एन एस के एफ डी सी के तहत की गई नई पहलों में से एक है। ये सेनिटरी मार्ट सफाई कर्मचारियों की सहकारिता तथा एक दुकान, सेवा केन्द्र तथा उत्पादन यूनिट के रूप में काम करते हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की सेनिटरी सम्बन्धी जरूरतों की खरीद इन सेनिटरी मार्टों से करने

पर विचार करें जिससे वे बने रहें और ये विकास क्षम यूनिट बन सकें। 2000-01 के दौरान एन एस के एफ डी सी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत 38317 सफाई कर्मचारियों को मदद दी गई है।

55. राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से सेनिटरी मार्ट शुरु किये जाने से शौचालयों की सफाई करने के काम को पूरी तरह खत्म करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी आई। इससे नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों ने शुष्क शौचालयों के मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है कि वे संगत नगर नियमों के तहत अपने शौचालय को जल शौचालय में तबदील करें। इससे सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने के सम्बन्ध में काफी असर पड़ेगा और उनका वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास किया जा सकेगा। वार्षिक योजना 2001-02 में इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1997-01) के दौरान 226.84 करोड़ रुपए खर्च किए गये और प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के माध्यम से 1.13 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा।

56. उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सरकारी प्रयासों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत गैर-सरकारी संगठनों को अनेक कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है यथा, रिहायशी तथा आश्रम स्कूलों, होस्टलों, चिकित्सा यूनिटों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण यूनिटों, शार्ट हैण्ड तथा टाईप के प्रशिक्षण केन्द्रों, बाल वाडियों / क्रेचों, पुस्तकालयों तथा श्रुत्य-दृश्य यूनिटों आदि। अनुदान प्रायः परियोजना की अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित है और शेष राशि अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा वहन की जाती है। 1999-2000 के दौरान, अनुसूचित जाति के मामले में 376 स्वैच्छिक संगठनों को 25.47 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया गया तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में 165 गैर-सरकारी संगठनों को 15 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। 1999 में जन जाति मामलों के नये मंत्रालय की स्थापना के बाद, स्कीम का विभाजन कर दिया गया है, याने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रत्येक के लिए एक एक। 2002-02 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक के लिए 30-30 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जबकि पिछले वर्ष (2000-01) के लिए क्रमशः 26 करोड़ रुपए तथा 28 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

सामाजिक न्याय

57. सामाजिक भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रचलन और इन हानिकारक स्थिति वाले वर्गों के शोषण और उन पर अत्याचारों के बढ़ते हुए मामलों की रोकथाम/दबाने के लिए नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 दो प्रमुख वैधानिक जरिये हैं। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम) 1989 में मौके पर तुरत कार्रवाई और मामले के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालयों / मोबाइल न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था है। इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत प्रशासनिक, प्रवर्तन तथा न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने, प्रचार तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत तथा उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक योजना 2001-02 में 30 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है जबकि

इसके लिए 2000-01 में 27 करोड़ रुपए का परिव्यय परिदान किया गया था। इसके अतिरिक्त अलग-अलग शिकायतों की जांच पड़ताल के अलावा इन कमजोर वर्गों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग और सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। ये आयोग अपने व्यापक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से कार्यरत है जिनमें सामाजिक रूप से इन अलाभकारी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शामिल है।

विशेष घटक योजना, जनजाति उप-योजना के लिए विशेष कार्यनीतियां और विशेष घटक योजना और जनजाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

58. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप योजना और विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की विशेष कार्यनीतियों के कार्यन्वयन पर उनके आरम्भ से ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये विकास के अन्य सामान्य क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियों की आनुपातिक प्राप्ति के लिए प्रभावी जरिये हैं। विशेष घटक योजना, जनजाति उप योजना की विशेष नीतियों को केन्द्र में क्रमशः केवल 13 तथा 20 मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विशेष घटक योजना के लिए 24 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 2000-01 में 9561.01 करोड़ रुपए (12.70 प्रतिशत) तय किये जाने की सूचना दी गई और 20 राज्यों द्वारा 1999-2000 में जनजाति योजना के लिये 5615.15 करोड़ रुपए (8.1 प्रतिशत) तय किये जाने की सूचना दी गई है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के प्रयासों में मदद के लिये, उनकी विशेष घटक योजना तथा जनजाति उपयोजना में अन्तर को पूरा करने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आय सृजन तथा स्वयं के रोजगार की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण/मदद के माध्यम से। वार्षिक योजना 2001-02 में विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 411 करोड़ रुपए तथा जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपए प्रदान किये गये हैं जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, सहकारिता, मछली पालन, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों आदि के क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए किये गए प्रयासों में मदद के रूप में हैं।

59. जनजाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर में सुधार करने के लिए तथा जनजातियों के कल्याण तथा विकास की विशेष योजनाओं के खर्च को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए का अलग सहायता अनुदान दिया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थिति में सुधार करने के उपायों में तेजी लाने तथा जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यकलापों को और बढ़ावा देने के लिए 2001-02 की वार्षिक योजना में अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.)

60. पिछड़े समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें समाज की धारा में लाने का एक महत्त्वपूर्ण निवेश उन्हें शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करके और विशेष कोचिंग कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी योग्यता के उन्नयन में मदद करके और समर्थक आर्थिक कार्यक्रमों के लिए रियायती वित्तीय सहायता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। शैक्षिक विकास के महत्त्व को मानते हुये अन्य पिछड़े समुदायों के लिये सरकार द्वारा नौवीं योजना में चार नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों में शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रमों / स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में 20.41 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे 2001-02 की वार्षिक योजना में बढ़ाकर 59.01 करोड़ कर दिया गया। शैक्षिक विकास कार्यक्रम के निवेश के मुख्य घटकों में शामिल हैं; मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकपश्च छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों का निमण तथा परीक्षा-पूर्व कोचिंग केन्द्रों की स्थापना।

61. अन्य पिछड़े वर्गों में आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त तथा विकास निगम, आर्थिक तथा वित्तीय रूप से विकासक्षम स्कीमों तथा परियोजनाओं के लिए धन का अतिरिक्त साधन उपलब्ध करके तथा पिछड़े वर्गों के लोगों तथा समूहों की प्रौद्योगिकीय तथा उद्यम कौशलों के उन्नयन द्वारा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत सरकार ने अभी तक निगम को भुगतान पूंजी के रूप में 390.40 करोड़ रुपए प्राधिकृत शेयर पूंजी के लिए 700 करोड़ रुपए दिये हैं। 31.3.2001 तक निगम ने 522.45 करोड़ रुपए वितरित किये हैं। 2001-02 की वार्षिक योजना में एन बी सी एफ डी सी के लिए 16.84 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। निगम ने "स्वर्णिमा" के नाम से पिछड़े वर्गों की पात्र महिला लाभानुभोगियों के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की है जिसमें ब्याज की रियायती दर पर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। एन बी सी एफ डी सी ने 1997-98 से 2000-01 (दिसम्बर 2000 तक) की अवधि में 1.98 लाख लाभानुभोगियों को वित्तीय सहायता दी है।

अल्पसंख्यक

62. सरकार अल्पसंख्यकों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों को वचनबद्धता से कार्यान्वित कर रही है। पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वायत्त संगठन के रूप में मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान नाम से संस्था बनाई गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में 70 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया जिससे संस्था के संग्रह को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जा सके। अपने उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्था गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से काम करती है। 1999-2000 के दौरान संस्था ने लड़कियों के लिए स्कूलों / आवासीय स्कूलों / कालेजों / व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना / विस्तार के लिए तथा मदरसा शिक्षा आदि के आधुनिकीकरण के लिए 3.15 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया। वार्षिक योजना 2001-02 में संस्था के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

63. आर्थिक मानदण्ड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए पूर्व-परीक्षा कोचिंग केन्द्रों की मदद से रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यक दूसरे लोगों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। 2001-02 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई जबकि 2000-01 में

2.5 करोड़ रुपए प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यों के शैक्षिक विकास के लिए शिक्षा विभाग मदरसों, सामुदायिक पालिटेक्नीकों के आधुनिकीकरण आदि स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रहा है।

64. अल्पसंख्यों की समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्र आधारित नीति के अनुसरण में विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिए अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाओं की स्कीम शुरू की गई थी। 2001-02 की वार्षिक योजना में विकास के न्यायोचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यों के लिए 0.10 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं।

65. स्वरोजगार कार्यकलापों के लिए अल्पसंख्यों के पात्र लाभानुभोगियों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निगम के पास 500 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी है जिसमें से केन्द्रीय सरकार 177 करोड़ रुपए तथा राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों ने 35.12 करोड़ रुपए दिये हैं। दिसम्बर 2000 तक एन एम डी एफ सी ने 78,995 लाभानुभोगियों का वित्तपोषण किया है जिसमें 272.41 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ। अल्पसंख्यों में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों, जिनकी पहुंच वित्त संस्थाओं तक नहीं है को आर्थिक सहायता देने के लिए एन एम डी एफ सी ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से माइक्रो वित्तपोषण शुरू किया है। वार्षिक योजना 2001-02 में निगम के लिए 15.26 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

गैर-सरकारी संगठनों के प्रयास

66. स्वैच्छिक संगठन जो जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, को न केवल सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले इन वर्गों को विभिन्न कल्याण तथा विकासात्मक सेवाएं देने में सरकार के प्रयासों में मदद देने के लिये प्रोत्साहित किया गया है अपितु अस्पृश्यता तथा इन वर्गों के हो रहे सामाजिक तथा आर्थिक शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए सरकार तथा लक्षित-दोनों में मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2001-02 की वार्षिक योजना में सामाजिक रूप से अलाभ की स्थिति वाले इन वर्गों को विभिन्न कल्याण तथा विकासात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के लिए 63.50 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं जो पिछले वर्ष (2000-01) के 56 करोड़ रुपए के परिव्यय से अधिक है।

सामाजिक न्याय तथा रोजगार मंत्रालय में पिछड़े वर्गों (अ.जा.अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों) के क्षेत्र में तथा जनजाति मामले मंत्रालय में जनजाति विकास क्षेत्र में योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्यक्रम	नौवीं योजना 1997-2002 परिव्यय	वर्षिक योजनाएं					
			1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999- 2000 वास्तविक	2000-01		2001-02
						ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I पिछड़ा वर्ग क्षेत्र (एम / सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण)								
क अनुसूचित जातियों का विकास								
I केन्द्रीय क्षेत्र योजना								
1	अम्बेडकर फाउण्डेशन को सहायता अनुदान	200.00	40.00	13.00	0.00	1.00	0.00	1.00
2	राष्ट्रीय अ.जा./ ज.जा. वित्त तथा विकास निगम *	241.23	20.23	81.00	30.00	31.50	0.00	10.00
3	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम	81.75	4.75	10.00	20.00	22.00	22.00	25.00
4	अ.जा. के लिए अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण	2.85	0.33	0.45	0.27	0.50	0.30	0.50
5	अ.जा. के गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	118.03	10.03	18.01	25.61	26.00	22.50	30.00
6	बहुत कम साक्षरता स्तरों वाली अ.जा. की लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम	7.70	0.00	0.65	0.70	2.00	0.10	0.01
योग - I		651.56	75.34	123.11	76.58	83.00	44.90	66.51
II केन्द्र प्रायोजित स्कीम								
7	अ.जा./ ज.जा. विद्यार्थियों को मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति *	614.16	54.16	99.94	84.07	130.00	114.15	159.77
8	अस्वच्छ व्यवसायों में काम करने वालों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	30.00	2.00	4.40	7.88	9.00	11.63	12.00
9	अ.जा. के लड़के लड़कियों के लिए होस्टल	97.05	15.05	19.09	20.32	19.80	25.00	40.00
10	अ.जा./ज.जा. बुक बैंक स्कीम *	12.00	1.50	1.26	2.44	2.50	2.49	2.50
11	अ.जा. विकास निगम *	180.00	45.00	60.00	20.00	22.50	27.62	23.00
12	सफाई कर्मचारियों तथा उनके अश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	335.00	90.00	5.90	70.00	67.50	60.92	75.00
13	अ.जा./ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग तथा इससे सम्बद्ध योजना *	16.71	1.71	2.93	2.30	2.40	2.25	10.00
14	अ.जा./ ज.जा. विद्यार्थियों के गुणों का उन्नयन *	5.26	0.76	1.00	1.50	1.00	0.47	42.50

सामाजिक न्याय तथा रोजगार मंत्रालय में पिछड़े वर्गों (अ.जा.अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों) के क्षेत्र में तथा जनजाति मामले मंत्रालय में जनजाति विकास क्षेत्र में योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्यक्रम	नवी योजना 1997-2002 परिव्यय	वर्षिक योजनाएं					
			1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01		2001-02
						व.अ.	सं.अ.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	पीसीआर अधिनियम, 1995 तथा अ.जा./ज.जा.(अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 *	121.81	16.31	15.34	24.54	27.00	27.08	30.00
	कुल योग -II	1411.99	226.49	209.86	233.05	281.70	271.61	394.77
	III विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2092.95	308.41	360.83	436.75	423.00	450.39	411.00
	योग I+II+III	4156.50	610.24	693.80	746.38	787.70	766.90	872.28
ख	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण							
	I केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम							
1	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	10.00	0.00	0.20	0.03	2.50	0.01	1.50
2	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम	400.00	0.00	91.50	100.00	68.10	0.00	16.84
3	राज्य पिछड़ा वर्ग निगमों में इक्विटी भागीदारी	10.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
4	पिछड़ा वर्ग ब्यूरो का सुदृढीकरण	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	10.00	0.00	0.64	1.00	2.00	1.58	3.50
	योग -I	430.75	0.00	92.34	101.03	72.61	1.59	21.85
	II केन्द्र प्रायोजित स्कीम							
6	मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति डाक्टरेट तथा उच्च छात्रवृत्ति सहित	49.90	0.00	4.65	4.97	8.00	8.99	42.50
7	अ. पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	49.90	0.00	1.50	4.25	5.40	6.00	
8	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़को / लड़कियों के लिए होस्टल	49.90	0.00	1.31	3.00	4.50	5.00	15.00
9	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के/लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	40.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
10	खाना बंदोश तथा अर्धखाना बंदोश ज.जा. के लिए मोबाइल स्कूल तथा अक्षय स्थल	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग-II	190.70	0.00	7.46	12.22	17.91	19.99	57.51
	योग- ख	621.45	0.00	99.80	113.25	90.52	21.58	79.36

संलग्नक 5.6.2.1 (जारी)

सामाजिक न्याय तथा रोजगार मंत्रालय में पिछड़े वर्गों (अ.जा.अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों) के क्षेत्र में तथा जनजाति मामले मंत्रालय में जनजाति विकास क्षेत्र में योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्यक्रम	नौवीं योजना 1997-2002 परिव्यय	वर्षिक योजनाएं					
			1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01		2001-02
						ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ग	अल्प संख्यकों का कल्याण							
	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम							
1	आर्थिक मानदण्ड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	12.00	0.82	2.24	2.46	2.50	2.72	3.00
2	मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान को सहायता अनुदान	70.00	40.00	3.75	3.15	2.85	2.85	22.00
3	राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त तथा विकास निगम	111.00	0.00	32.00	20.00	22.50	25.00	15.26
4	अल्प संख्यक बहुत जिलों के लिए बहुरक्षेत्रीय योजना तैयार करना	14.10	0.19	0.23	0.00	1.50	0.11	0.10
	योग-I	207.10	41.01	38.22	25.61	29.35	30.68	40.36
	योग-1 (क+ख+ग)	4985.05	651.25	831.82	885.24	907.57	819.16	992.00
II	जनजाति विकास क्षेत्र (जनजाति मामले मंत्रालय)							
I	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम							
1	अ.ज.जा. के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान	92.09	7.09	11.24	15.23	28.00	21.88	30.00
2	ज.जा. क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	30.25	3.50	6.25	3.75	11.00	2.54	12.00
3	कम साक्षरता वाली पाँकटों में शिक्षा परिसर	23.20	2.20	3.60	1.84	5.40	1.47	7.50
4	ट्राइफेड में निवेश	29.25	23.00	6.00	0.25	1.00	0.00	1.00
5	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	13.00	1.00	4.00	2.97	4.00	4.00	4.00
6	एमएफपी के लिए एसटीडीसी को सहायता अनुदान	45.48	8.23	6.87	9.05	13.00	8.42	14.00
7	ग्राम अजान बैंक	12.80	1.80	3.00	1.00	2.00	3.15	2.00
8	आदि ज.जा. समूहों का विकास	22.00	0.00	4.94	6.63	12.50	10.71	16.00
9	सुरक्षित क्षेत्रों के ज.ज.ग्रामों का पुनर्वास	2.00						
10	राष्ट्रीय अ.जा. वित्त तथा विकास निगम			*	0.00	0.00	5.00	30.00
11	सूचना तथा जन शिक्षा तथा अन्य			-	-	-	-	3.00

सामाजिक न्याय तथा रोजगार मंत्रालय में पिछड़े वर्गों (अ.जा.अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यकों) के क्षेत्र में तथा जनजाति मामले मंत्रालय में जनजाति विकास क्षेत्र में योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	क्षेत्र/कार्यक्रम	नौवीं योजना 1997-2002 परिव्यय	वर्षिक योजनाएं					
			1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999- 2000 वास्तविक	2000-01		2001-02
						ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		270.07	46.82	45.90	40.71	77.90	52.17	119.50
ii	योग-I							
12	केन्द्र प्रायोजित स्कीमें	-	-	*	0.00	63.20	63.10	69.60
13	अ.ज.जा. विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पर्य्य छात्रवृत्ति	36.77	3.77	7.69	3.93	12.00	2.34	13.00
14	अ.ज.जा. के लड़कियों के लिए होस्टल	36.53	3.53	8.29	6.98	10.80	2.51	10.80
15	अ.ज.जा. के लड़कों के लिए होस्टल	44.86	4.86	9.39	5.32	13.00	0.00	14.00
16	अ.ज.जा. उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	*	*	*	-	1.40	0.00	1.40
17	कोचिंग तथा स्कीम सम्बद्ध	*	*	*	-	0.90	0.00	0.90
18	अ.ज.जा. के लिए पुस्तक बैंक	*	*	*	-	0.40	0.00	0.40
19	अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के गुणों का उन्नयन	25.90	2.87	3.92	1.78	7.80	1.25	7.80
20	अ.ज.जा. के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			*	2.00	2.60	2.41	2.60
	योग ii	144.06	15.03	29.29	20.01	112.10	71.61	120.50
	योग (i+ii)	414.13	61.85	75.19	60.72	210.00	210.70	240.00
iii	ज.जा. उप योजना को विशेष सहायता	2010.00	329.61	380.00	400.00	400.00	400.00	500.00
iv	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	750.00	75.00	75.00	100.00	200.00	191.29	300.00
	योग (II (i+ii+iii+iv))	3174.13	466.46	530.19	560.72	810.00	715.07	1040.00

* वर्ष 1999-2000 तक परिव्यय अनु.जा/अ.जा. दोनों के लिए एक थे।

योजना परिव्यय तथा व्यय - पिछड़े वर्गों का कल्याण
(अनु. जातियां, अनु.जन जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक) - राज्य / संघशासित क्षेत्र

(करोड़ रुपयों में)

क्रम.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	नौवीं योजना 1997-2002 परिव्यय	वार्षिक योजना				
			1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01	
						ब.अ.	स.अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आन्ध्र प्रदेश	1240.59	122.71	275.46	140.49	171.93	158.15
2	असम	179.17	20.31	37.67	26.49	17.13	17.13
3	बिहार	468.00	32.94	28.04	11.61	28.11	16.43
4	गोवा	4.50	0.38	0.29	0.63	0.58	0.86
5	गुजरात	1080.00	144.46	144.46	288.64	360.00	328.60
6	हरियाणा	80.26	6.99	5.36	5.52	6.00	6.70
7	हिमाचल प्रदेश	31.34	6.08	6.71	6.12	6.53	6.24
8	जम्मू तथा कश्मीर	29.98	6.88	10.07	4.80	4.94	4.94
9	कर्नाटक	800.00	197.68	219.97	260.29	212.31	208.18
10	केरल	640.90	114.04	126.95	58.78	129.00	90.00
11	मध्य प्रदेश	635.56	136.68	157.69	122.45	63.27	63.27
12	महाराष्ट्र	1101.27	161.70	214.47	255.64	249.32	249.32
13	मणिपुर	43.15	3.14	8.52	10.81	8.30	8.40
14	मेघालय	0.50	0.08	0.07	0.12	0.10	0.10
15	उड़ीसा	444.75	91.43	124.63	128.37	52.67	94.26
16	पंजाब	477.36	79.80	23.28	16.22	57.87	61.40
17	राजस्थान	292.05	44.31	59.25	58.35	58.99	46.80
18	सिक्किम	15.00	1.32	3.07	0.89	2.35	2.35
19	तमिलनाडु	1000.00	159.60	175.68	158.45	204.40	204.40
20	त्रिपुरा	94.80	21.82	25.13	19.69	18.68	19.29
21	उत्तर प्रदेश	755.50	238.28	220.16	226.21	247.20	238.27
22	पश्चिम बंगाल	172.32	38.05	46.41	59.74	45.32	45.32
	योग	9587.80	1628.68	1913.34	1858.31	1945.00	1870.41
1	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2.10	0.25	0.37	0.73	0.70	0.70
2	चण्डीगढ़	4.91	1.02	0.64	0.62	0.74	0.74
3	दादर नागर हवेली	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमन तथा द्वीप	1.05	0.25	0.16	0.18	0.18	0.18
5	दिल्ली	68.25	4.46	2.14	5.11	17.66	17.66
6	पाण्डिचेरी	25.00	3.71	5.83	7.62	8.72	9.02
	योग	101.35	9.70	9.14	14.27	28.00	28.30
	सकल योग	9689.15	1638.38	1922.48	1872.58	1973.00	1898.71

5.6.3. समाज कल्याण

67. अशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण, सामाजिक अव्यवस्थाओं में सुधार, तथा अन्य अलाभ की स्थिति वाले वर्गों और लक्षित वर्गों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखने की नौवीं योजना की नीतियों के अनुसार समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यक्रम विशेष रूप से इस मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार किए गए हैं कि वे अपनी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक बाधाओं को दूर कर सकें और शेष समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

वार्षिक योजना 2000-01 तथा 2001-02 की समीक्षा

68. वर्ष 2000-01 की वार्षिक योजना में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 1204.94 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया था जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 300.68 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र के लिए 904.26 करोड़ रुपए हैं। वर्ष में केन्द्रीय क्षेत्र में 288.01 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र में 823.06 करोड़ रुपए खर्च हुए। 300.68 करोड़ रुपयों में से 292.68 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए थे (230.61 करोड़ रुपए अशक्त व्यक्तियों के लिए तथा 62.07 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए), 7.0 करोड़ रुपए, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, गृह मंत्रालय तथा राजस्व विभाग से मिले, 1.00 करोड़ रुपए एनडीपीएस एक्ट 1998 के तहत अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए थे।

69. इसी प्रकार, केन्द्र में वार्षिक योजना (2001-02) में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 351.80 करोड़ रुपए कुल परिव्यय तय किया गया। इसमें 343.80 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए थे (262.30 करोड़ रुपए अशक्त व्यक्तियों के लिए तथा 81.50 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए), 7.0 करोड़ रुपए, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, गृह मंत्रालय और राजस्व विभाग से मिले, 1.00 करोड़ रुपए एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए थे। वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं और स्कीमवार विवरण क्रमशः संलग्नक 5.6.3.1 और 5.6.3.2 में हैं :

तालिका 5.6.3.1

1998-99 से 2000-01 के दौरान योजना परिव्यय तथा किया गया व्यय - समाज कल्याण

मंत्रालय / विभाग	वार्षिक योजना 1999-2000	वार्षिक योजना 2000-2001		वार्षिक योजना 2001- 2002
	वास्तविक	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.
I केन्द्र	200.61	300.68	288.01	351.80
समाज कल्याण तथा सशक्तिकरण मंत्रालय	192.98	292.68	280.26	343.80
गृह मंत्रालय	7.00	7.00	7.00	7.00
राजस्व विभाग	0.63	1.00	0.75	1.00
II राज्य / संघ शासित क्षेत्र	777.20	904.26	823.06*	**
योग (I + II)	977.81	1204.94	1111.07	
* सशोधित अनुमान	** अन्तिम रूप दिया जा रहा है 2			

अशक्त व्यक्तियों का सशक्तिकरण

70. अशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा उनकी पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए (अशक्त व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा ति पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, उन्हें अधिकाधिक संख्या में सक्रिय, आत्मविश्वासी तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादनकारी भागीदार बनाने के लिए कार्यान्वित किया जाता रहा। अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, न केवल चालू स्कीमों का विस्तार किया जाता रहा बल्कि कुछ नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए।

71. शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों तथा समूहों को कल्याण सेवाओं का पूर्ण पैकेज प्रदान करने और अशक्त आबादी की बहु-आयामी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें कल्याण सेवाओं का पूर्ण पैकेज प्रदान करने की नीति के अनुरूप, 6 राष्ट्रीय संस्थाओं ने सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों प्रकार के सम्बद्ध संगठनों के निकट सहयोग से अपने कार्यकलापों का विस्तार जारी रखा। इन राष्ट्रीय संस्थानों ने अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों की सुविधा जारी रखी, जिनमें तीन वर्ष की अवधि के भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, मानसिक विकलांगता, बधिरों की शिक्षा के पाठ्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक नई पहल के रूप में इन संस्थाओं ने पुनर्वास शिविरों में नैदानिक चिकित्सा तथा अशक्त व्यक्तियों को सहायता तथा यंत्रों के वितरण जैसी सुविधाएं देकर तथा समुदाय जागरूकता कार्यक्रमों व समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से गन्दी बस्तियों, ज.जा. पट्टियों, तलहटियों, अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-व्यावसायी पुनर्वास सेवाएं शुरू की हैं। वर्तमान राष्ट्रीय संस्थाओं के विस्तारित अंग के रूप में काम करने के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में अशक्त व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रीढ़ रोगों के लिए 6 क्षेत्रीय मिले-जुले केन्द्र तथा 4 पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। कार्य में प्रगति हो रही है। इन राष्ट्रीय संस्थाओं को चलाने के लिए 2000-01 के दौरान 16.05 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई। 2001-02 के लिए इन संस्थाओं के लिए 16.70 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई।

72. जरूरतमंद अशक्त व्यक्तियों को टिकाऊ, आधुनिक सहायकों तथा यंत्रों की सहायता देने के लिए समीक्षाधीन वर्ष में सहायकों तथा यंत्रों की खरीद / उनकी फिटिंग के लिए सहायता देने की स्कीम जारी रहेगी। देश के विभिन्न भागों में स्थित 106 कार्यान्वयन एजेंसियों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। भारत के कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अशक्त व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों तथा पुनर्वास सहायकों को निर्माण जारी रखा। इन उत्पादों में शामिल हैं : औथॉडाक्स(कैलिपर) तथा प्रोस्थेटिक (कृत्रिम अंग) यंत्र, कुर्सियां, क्रच, थ्री व्हीलर तथा विशेष यंत्र और अंग लगाने वाले केन्द्रों की आवश्यकता के प्रोस्थेटिक्स तथा आर्थोडेक्स संयोजन। एसएण्डटी मिशन मोड कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रौद्योगिकी सहायता युक्त उपकरण अर्थात् अस्थि विकलांगों के लिए शैक्षिक विज्ञान किट तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए संचार उपकरण किट प्रदान किए गए। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था, देहरादून के माध्यम से कम नजर वाले जरूरत मंद व्यक्तियों को एसएण्डटी मिशन मोड के तहत विकसित 10,000 प्लास्टिक एस्फीरिक लेंस वितरित किए गए। सहायकों तथा यंत्रों की खरीद के लिए अशक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए वर्ष 2000-01 के लिए 28.70 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया था। वर्ष 2000-01 के दौरान भारत के कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लिए परिव्यय 6.75 करोड़ रुपए था और वर्ष 2001-02 के लिए 47.28 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित था। एलिमको के लिए 2000-01 के निमित्त 6.75 करोड़ रुपए और 2001-02 के निमित्त 6.00 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है।

एसएण्डटी मिशन मोड के लिए 2000-01 के दौरान परिव्यय 1.00 करोड़ रुपए था और 2001-02 के लिए 3.00 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है।

73. ग्रामीण अशक्तों को व्यापक सेवाओं का पैकेज प्रदान करने के लिए 11 जिला पुनर्वास केन्द्र सेवाएं प्रदान करते रहे जिनमें शामिल हैं: रोग की रोकथाम तथा शीघ्र निदान, चिकित्सा तथा शल्य समंजन कृत्रिम सहायक तथा उपकरण लगाना, काय-चिकित्सा, व्यावसायिक तथा वाक चिकित्सा आदि की चिकित्सीय सेवाएं। सितम्बर 2000 तक 11,915 अशक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए। अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान 2956 सहायता उपकरण प्रदान किए गए। इन केन्द्रों का वित्त पोषण योजनेतर बजट से किया गया। अशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रक्रिया को सरल किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाने के लिए सहायता दी जा रही है जैसे कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों, मानसिक विकलांगता, मस्तिष्क आघात, के क्षेत्रों में मानवशक्ति का विकास करने वाली संस्थाओं, अशक्त बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना तथा उन्हें चलाने वाली संस्थाएं। दिसम्बर, 2000 तक, 418 संगठनों को मदद दी गई जिससे 63,629 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

74. भारत की पुनर्वास परिषद जिसे पुनर्वास व्यावसायिकों को रजिस्टर करने तथा उन्हें प्रमाण पत्र देने का अधिकार है, ने अभी तक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर में 15,277 व्यावसायिकों को दर्ज किया है और उन्हें प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। 16 तरह के व्यावसायिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की पुनर्वास परिषद के 59 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास और अनुमोदन किया है। उन विशेष शिक्षकों/पुनर्वास कार्यकर्ताओं जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण/योग्यता के विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं को एक अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ब्रिज कोर्स स्कीम नवम्बर, 2000 तक जारी रही। इसके अतिरिक्त, विकलांगता की रोकथाम, रोग का शीघ्र पता लगाने, चिकित्सा, रेफरल तथा पुनर्वास सेवाओं के लिये प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए 1999 में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले 2800 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। भारत की पुनर्वास परिषद ने मध्य प्रदेश, भुज (मुक्त विश्वविद्यालय), भोपाल तथा इन्दिरा गांधी मुक्त विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली के साथ दूरस्थ शिक्षण मोड के जरिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने और माता-पिता तथा निचले स्तर पर काम करने वालों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रव्य और दृश्य सामग्री के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2000-01 के दौरान 7.0 करोड़ रुपए का अनुमोदित परिव्यय उपलब्ध किया गया था जबकि 2001-02 के लिए 3.0 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया।

75. अशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार व आय सृजन के अवसर प्रदान करने और उन्हें आर्थिक विकास कार्यक्रमों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय विकलांग विकास वित्त निगम स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ावा देने सामान्य/व्यासायिक, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने तकनीकी/उद्यम कुशलताओं के उन्नयन के लिए ऋण उपलब्ध कराता रहा। दिसम्बर, 2000 तक, 1574 व्यक्तियों को मदद की गई। वर्ष 2000-01 के लिए 12.00 करोड़ रुपए का परिव्यय था और 2001-2002 के दौरान 13.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

76. वर्ष के दौरान आशक्त व्यक्तियों को नियोजन सेवाएं देने के लिए 41 विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों में अशक्त व्यक्तियों के लिए 40 विशेष सैल काम करते रहे। 1999 के दौरान इन

40 विशेष रोजगार कार्यालयों के अद्यतन रजिस्टर में 96,241 अशक्त व्यक्तियों के नाम दर्ज थे और इसी अवधि में 1,281 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। वर्ष 2000-01 के दौरान 1.60 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई और 2001-02 के लिए उतनी ही रकम रखी गई।

सामाजिक विरूपताओं में सुधार

77. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के स्थान पर नया अधिनियम अर्थात् किशोर न्याय (बच्चों की देख-भाल तथा सुरक्षा) अधिनियम, 2000 लाया गया है। नया कानून बच्चों के लिए ज्यादा दोस्ताना है और जिन बच्चों को देख-भाल तथा सुरक्षा की जरूरत है उन की उपयुक्त देख-भाल तथा सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करता है। नए कानून में किशोर अपराधियों तथा "उपेक्षित बच्चों" में स्पष्ट अन्तर किया गया है। यह 18 वर्ष की एक समान आयु सीमा निर्धारित करता है जिससे कम आयु के लड़के तथा लड़की दोनों को अवयस्क माना गया है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड (जिसे पहले किशोर न्यायालय कहा जाता था) की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम में बच्चों के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है और जो विकल्प प्रदान किए गए हैं वे हैं: दत्तक ग्रहण, पोषक देखभाल, प्रवर्तन तथा पश्च देखभाल। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को विभिन्न स्तरों पर बच्चों की देखभाल तथा पुनर्वास के कार्यों में शामिल करके उनकी भूमिका को स्पष्ट कर दिया गया है। वर्ष 2000-01 में परिव्यय 12.12 करोड़ रुपए था जबकि 2001-02 के लिए 12.50 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है।

78. शराब तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम की योजना में नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा शराब की लत की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया की जाती रहीं जैसे जागरूकता उत्पन्न करना, उपचार व पुनर्वास केन्द्रों, नशामुक्ति शिविरों, की स्थापना, बाद की देखभाल तथा पुनर्वास सेवा। 1985-86 में 7 केन्द्रों से शुरुआत की गई थी, जबकि दिसम्बर, 2000 में इन केन्द्रों की संख्या बढ़कर 462 हो गई। 462 केन्द्रों में से 144 नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने, परामर्श तथा सहायता देने वाले केन्द्र हैं और 318, उपचार व पुनर्वास केन्द्र हैं जिनसे 1999-2000 में (सितम्बर, 1999 तक) 2.66 लाख शराब की लत वाले व्यक्ति तथा 1.69 लाख नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसी दौरान 1999-2000 में 1.23 लाख व्यक्तियों को सितम्बर, 2000 तक 0.66 लाख व्यक्तियों को विषमुक्त किया गया। इनमें 40 प्रतिशत से अधिक मामले शराब की लत वाले व्यक्तियों के थे। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 5 कार्यक्रम तथा सुविख्यात केन्द्रों में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए 15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। नशीली दवाओं के व्यसन की रोकथाम कार्यक्रम को सुदृढ़ करने तथा तकनीकी निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र औषध नियन्त्रण कार्यक्रम की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, नई दिल्ली में नशीली दवाओं के व्यसन की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है। एनसीडीएपी ने नशा मुक्ति परामर्श तथा पुनर्वास पर देशभर में नशा मुक्ति केन्द्रों में काम करने वाले व्यक्तियों तथा पड़ोसी सार्क देशों से आए कार्यकर्ताओं के लिए एक तीन महीने का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरु किया है। देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के स्वरूप, उसकी सीमा तथा पद्धति का अनुमान लगाने के लिए, यूएनडीसीपी के सहयोग से एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2000-01 के दौरान परिव्यय 18.50 करोड़ रुपए था। 2001-02 के लिए 22.50 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

79. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, नई दिल्ली अपराधों की रोकथाम, किशोर न्याय प्रशासन के क्षेत्र में अपराधियों के उपचार, कैदियों के कल्याण, परीक्षा तथा सम्बद्ध उपायों, अनैतिक व्यापार की रोकथाम तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग आदि के क्षेत्र में केन्द्रीय सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता रहा। वर्ष के दौरान संस्थान ने बाल दत्तक गृहण तथा वृद्ध व्यक्तियों की देख-भाल आदि के लिए संस्थान के भीतर तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 2000-01 के दौरान परिव्यय 2.25 करोड़ रुपए था। 2001-02 के लिए 3.0 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

अन्य सुविधाविहीन लोगों की देख-रेख

80. वृद्ध लोगों की बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए वर्ष के दौरान एक एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता रहा। इस स्कीम के तहत वृद्ध गृहों, दिवा परिचय केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा इकाईयों की स्थापना और उनके अनुक्षण और वृद्ध व्यक्तियों को गैर सांस्थानिक सेवाएं मुहैया करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के तहत 733 वृद्ध गृह/दिवा परिचय केन्द्र/मोबाइल चिकित्सा इकाईयां काम कर रही हैं। युवाओं तथा वृद्धों में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए नेहरू युवक केन्द्र संस्थान में एक सहयोगी परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत वृद्धों के लिए देश के विभिन्न भागों में 100 नए दिवा परिचय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष के दौरान 470 संगठनों को सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त, वृद्धों के लिए वृद्ध गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायत राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों /स्वयं सेवी समूहों को सहायता स्कीम के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी गई। इस स्कीम के तहत अभी तक देश के विभिन्न भागों में 59 वृद्ध गृहों का निर्माण किया गया है। वृद्धों के संबंध में राष्ट्रीय नीति को अमल में लाने के लिए 2000-2005 के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई और कार्यान्वयन के लिए यह सभी मंत्रालयों / विभागों / संगठनों को भेजी गई है। 2000-01 के दौरान परिव्यय 9.00 करोड़ रुपए था। 2001-02 के लिए 15.00 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है।

81. तेजी से होने वाले शहरीकरण और ग्रामीण गरीबों के लगातार प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में निराश्रितों विशेषकर आवारा बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए देश में 39 शहरों में आवारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता रहा। इस कार्य में 118 गैर सरकारी संगठन शामिल थे और इस कार्यक्रम से 1.40 लाख आवारा बच्चे लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में आवारा बच्चों के आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य परिचर्चा, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जाती है और बच्चों की दुरुपयोग और शोषण से सुरक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त यौन कार्यकर्ताओं के बच्चों के पुनर्वास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 25 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। आवारा बच्चों को आपातक सहायता प्रदान करने के लिए देश के 26 शहरों में एक बाल सहायता लाइन, निःशुल्क फोन सेवा स्थापित की गई जो टेलीफोन पर 1098 डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है। समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए और विभिन्न स्थानों पर स्थित केन्द्रों की सेवाएं ठीक हैं या नहीं, इसके अनुवीक्षण के लिए एक चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन स्थापित की गई है। अभी तक, बच्चों / सम्बद्ध वयस्कों द्वारा मार्च, 2001 तक चाइल्ड लाइन पर 6 लाख कॉलें की गई हैं। उक्त कॉलें मुख्यतः चिकित्सा सहायता, आश्रय, देश प्रत्यावर्तन, गुमशुदा बच्चों, शोषण से बचाव, मृत्यु आदि से सम्बन्धित थी। 2000-01 के दौरान परिव्यय 9.50 करोड़ रुपए था। 2001-02 के लिए 12.00 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

82. केन्द्रीय दत्तक गृहण संसाधन एजेंसी एक पूरी योजना प्रस्तुत करती है और देश में तथा अन्तर्देशीय दत्तक गृहण का नियमन करती है और जल्दी पूरा कराती है। भारतीय तथा विदेशी दोनों एजेंसियां जो भारतीय बच्चों को विदेश में दत्तक गृहण के लिए प्रवर्तित करती हैं, को सहायता अनुदान दिए गये। देश में अन्तर्देशीय दत्तक गृहण सम्बन्धी कार्य के लिए 80 एजेंसियों को मान्यता दी गई है। इनके अतिरिक्त 27 से अधिक देशों में अन्तर्देशीय दत्तक गृहण के मामलों के प्रवर्तन के लिए 306 विदेशी एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है। भारत में 25 स्थापन एजेंसियों और विदेश में 13 एजेंसियों को अन्तर्देशीय दत्तक गृहण के लिए मान्यता दी गई है तथा 8 स्वैच्छिक समन्वयक एजेंसियों को देश के भीतर दत्तक गृहण को बढ़ावा देने के लिए मान्यता दी गई। पिछले 6 वर्षों के दौरान इन एजेंसियों के माध्यम से लगभग 16866 बच्चों को घर मिले। इनमें से 9551 बच्चे देश में गोद लिए गए जबकि 7315 बच्चे अन्तर्देशीय दत्तक गृहण के माध्यम से कवर हुए। दत्तक गृहण से जुड़ी एजेंसियों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के सहयोग से दत्तक गृहण पर राष्ट्रीय पहलों के तहत 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, शिशु-गृहों को सहायता की स्कीमों के माध्यम से देश के भीतर दत्तक गृहण में वृद्धि करने और इसे बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत जनवरी, 2001 तक 22 गैर सरकारी संगठनों को मदद दी गई जिसमें 1870 बच्चे लाभान्वित हुए। 2000-2001 के दौरान परिव्यय 2.00 करोड़ रुपए था और 2001-02 के लिए भी उतनी ही राशि रखी गई है। 2000-01 के दौरान शिशु गृहों के लिए परिव्यय 2.70 करोड़ रुपए था और वर्ष 2001.02 के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

स्वैच्छिक कार्य

83. इन सभी प्रयासों में, गैर सरकारी संगठन, कल्याण सेवाओं को अत्यधिक वंचित तथा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की मुख्य जिम्मेदारी संभाल कर, निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं।

सलंगनक - 5.6.3.1

योजना परिव्यय तथा व्यय - सामाज कल्याण (अशक्त व्यक्तियों का कल्याण सामाजिक सुरक्षा तथा बाल कल्याण) - सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय

(करोड़. रुपए में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		1999-2000 वास्तविक	2000-01		2001-02 ब.अ.
			ब.अ.	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
क)	अशक्त व्यक्तियों का कल्याण				
1.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था, देहरादून	2.50	2.25	2.25	2.50
2.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था, कलकत्ता	2.50	2.25	1.12	2.50
3.	राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था, मुम्बई	0.00	2.63	2.63	2.90
4.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था, सिकन्दराबाद	3.30	2.97	2.97	3.30
5.	राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था, कटक	4.08	3.60	3.60	4.00
6.	राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्था, नई दिल्ली	1.50	1.35	1.35	1.50
7.	राष्ट्रीय बहु-विकलांग संस्था, चेन्नई	0.00	1.00	0.00	1.00
8.	कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर	6.35	6.75	0.00	6.00
9.	साधनों तथा उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए अशक्त व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	28.42	28.70	29.11	47.28
10.	अशक्तों के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता				
11.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	53.97	55.00	62.13	65.00
12.	मस्तिष्क पक्षाघात तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठन को सहायता				
13.	विशेष स्कूल की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता				
14.	मिशन मोड में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	0.68	1.00	0.25	3.00
15.	विकलांगों को रोजगार	0.78	1.60	0.99	1.60
16.	भारतीय रीढ़ क्षति केन्द्र	5.40	2.25	2.30	2.25
17.	भारतीय पुनर्वास परिषद	1.95	7.00	3.75	3.00
18.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता न्यास	4.00	44.00	44.00	42.00
19.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम	10.00	12.00	0.00	13.00
20.	विविध स्कीमें	0.51	0.51	1.02	1.50
21.	अशक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय	0.33	1.00	0.25	1.00
22.	अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास	5.00	43.00	55.99	43.61

सलंगनक - 5.6.3.1 जारी

योजना परिव्यय तथा व्यय - समाज कल्याण (अशक्त व्यक्तियों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा बाल कल्याण) - सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय

(करोड़. रुपए में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		1999-2000 वास्तविक	2000-01		2001-02 ब.अ.
			ब.अ.	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
23.	अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 (समान अवसर, सुरक्षा का अधिकार और पूर्ण भागिता) के कार्यान्वयन संबंधी स्कीमें जिनमें विकलांग महिलाओं तथा बच्चों की स्कीमें शामिल हैं	3.50	11.75	4.08	13.75
	नई स्कीम - यूएनडीपी वित्त पोषित				
24	अशक्त बच्चों को सहायता	-	-	-	1.61
	उप योग (क)	134.80	230.61	217.79	262.30
(ख)	सामाजिक रक्षा तथा बाल कल्याण				
1.	शराब तथा नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य	19.03	18.50	20.66	22.50
2.	किशोर सामाजिक अव्यस्थाओं पर रोक तथा नियन्त्रण की स्कीम	10.45	12.12	10.53	12.50
3.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एंजेसी	0.48	2.00	0.53	2.00
4.	आवारा बच्चों के कल्याण की योजना	7.84	9.50	7.33	12.00
5.	दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु तथा बच्चा गृह के लिए सहायता	1.57	2.70	1.88	5.00
6.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	1.23	2.25	2.13	3.00
7.	सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिये स्वैच्छिक संगठन को सहायता	3.00	1.00	2.75	4.00
8.	वृद्धों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों सहायता	10.80	9.00	12.39	15.00
9.	अनुसंधान अध्ययनों तथा प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान	0.36	0.50	0.27	0.50
10.	सूचना तथा जन शिक्षा कोष	3.42	4.50	4.00	5.00
11.	भिक्षा रोकथाम स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	समाज कल्याण के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	समाज कार्य स्कूल को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप योग (ख)	57.19	62.07	62.47	81.50
	सकल योग (क + ख)	192.98	292.68	280.26	343.80

स्रोत : सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय।

योजना परिव्यय तथा व्यय - सामाज कल्याण (महिला तथा बाल विकास विकलांग कल्याण सामाजिक सुरक्षा) - राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र

(करोड़. रुपए में)

क्रम सं०	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	वार्षिक योजनाएं				
		1998-1999 वास्तविक	1999-2000		2000-01	
			ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.	स.अ.
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1	आन्ध्र प्रदेश	50.98	41.72	48.07	32.48	27.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.11	1.10	1.01	1.20.	1.52
3.	असम	2.17	3.04	3.03	3.25	3.25
4.	बिहार	1.50	11.36	0.50	9.02	1.33
5.	गोवा	2.71	2.82	2.95	2.91	3.25
6.	गुजरात	3.30	44.12	42.31	61.55	56.83
7.	हरियाणा	130.01	122.50	189.35	265.94	314.94
8.	हिमाचल प्रदेश	19.91	23.66	23.74	24.75	24.76
9.	जम्मू एवं काश्मीर	15.03	16.24	15.69	15.92	15.92
10.	कर्नाटक	26.53	37.19	43.59	48.98	54.08
11.	केरल	5.40	5.09	4.67	6.10	4.00
12.	मध्य प्रदेश	16.53	28.93	16.64	21.34	21.34
13.	महाराष्ट्र	11.06	19.24	14.16	13.52	13.52
14.	मणीपुर	1.34	1.10	1.12	1.00	1.00
15.	मेघालय	1.15	2.00	1.28	2.00	1.50
16.	मिजोरम	1.78	4.57	4.63	3.60	3.55
17.	नागालैंड	0.58	0.60	0.41	0.40	0.40
18.	उड़ीसा	13.92	13.14	12.80	13.66	15.32
19.	पंजाब	51.60	148.53	165.24	148.71	53.00
20.	राजस्थान	6.95	8.83	5.35	14.79	7.55
21.	सिक्किम	1.43	1.37	1.36	2.30	2.30
22.	तमिलनाडू	30.46	28.84	12.64	29.05	29.75
23.	त्रिपुरा	2.29	2.19	4.71	4.59	5.50
24.	उत्तर प्रदेश	82.01	104.33	78.51	96.34	79.59
25.	पश्चिमी बंगाल	17.45	22.49	43.94	29.65	29.65
	योग	497.20	695.00	737.70	853.05	771.51

	संघ शासित क्षेत्र					
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1.05	1.10	1.10	1.05	1.05
2.	चण्डीगढ़	0.57	0.70	0.77	1.10	1.10
3.	दादरा एव नागर हवेली	0.06	0.09	0.06	0.08	0.08
4.	दमन एवं द्वीव	0.04	0.07	0.06	0.07	0.07
5.	दिल्ली	21.77	30.50	24.79	34.69	34.69
6.	लक्षद्वीप	0.29	0.28	0.19	0.28	0.25
7.	पाण्डिचेरी	9.98	12.91	12.53	13.94	14.31
	योग	33.76	45.65	39.50	51.21	51.55
	सकल योग	530.96	740.65	777.20	904.26	823.06

स्रोत : राज्य योजना प्रभाग

5.7 रोजगार तथा श्रम कल्याण

योजना बनाने की प्रक्रिया में श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए अनुकूल स्थितियों उत्पन्न करने और श्रम बाजार के कार्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाते हैं। योजना कार्यक्रम के माध्यम से संसाधनों का उपयोग कुशलता निर्माण तथा विकास, काम के अवसरों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान, कार्य की स्थितियों के अनुवीक्षण, स्वस्थ औद्योगिक संबंधों के लिए अवस्थापना के माध्यम से औद्योगिक सामंजस्य के सृजन और कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को बीमारी तथा बेरोजगारी के बीमे के लिए किया जाता है। श्रम तथा श्रम कल्याण के क्षेत्रों में इन अभीष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि का अनुमान मौजूदा श्रम बाजार की हालत से लगाया जाता है। श्रमिकों के बेरोजगार होने, अधिकतर कामगारों के अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में लगे होने से बन्धुआ मजदूरी, बाल मजदूरी तथा प्रवासी श्रमिकों की काम की प्रतिकूल स्थितियों जैसी सामाजिक बुराइयां पैदा होती हैं। नौवीं योजना की अवधि के दौरान इन अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करने और कामगारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण और विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष तथा महिला कामगारों के रोजगार से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक मदद के उपाय करने जैसे पहलुओं पर अग्रता के आधार पर ध्यान दिया गया है। कार्यदल के जीवन स्तर में सुधार करना और उच्च उत्पादकता प्राप्त करना उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता उन्नयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों को उपयुक्त कौशल का पर्याप्त श्रम दल प्रदान करने के लिए मानव विकास द्रुत सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। सभी उत्पादनकारी आर्थिक कार्यकलापों में रोजगार सृजन, योजना प्रक्रिया के बुनियादी लक्ष्यों में से एक है। इस संदर्भ में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्व-रोजगार का वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2. नौवीं योजना अवधि के दौरान श्रम तथा रोजगार क्षेत्र में अग्रता के क्षेत्र हैं :

- व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए ऋण सुविधाओं को सुदृढ़ करना जिससे प्राइवेट क्षेत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश आसानी से कर सके।
- मौजूदा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के दायरे को बढ़ाकर सेवा क्षेत्र में अपेक्षित कुशलताओं में प्रशिक्षण देना।
- रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा जॉब स्थापन सेवाएं । जिन कामगारों के काम की स्थितियाँ अत्यधिक प्रतिकूल हैं, उनमें सुधार करना।
- बाल श्रम तथा बन्धुआ मजदूरी की बुराइयों को खत्म करना।
- श्रम कानूनों की समीक्षा तथा नई आर्थिक तथा सामाजिक स्थापना के साथ उनका सामंजस्य।
- श्रम स्थान विशिष्ट व स्वयं वित्त पोषण प्रणाली के सृजन के प्रयासों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार में अग्रताएं।

3. संगत नीतियां तथा कानून बनाकर, स्वयं वित्त पोषण वाली सार्वजनिक संस्था के कार्यकलापों में विस्तार और विभिन्न योजना स्कीमों के माध्यम से निवेश द्वारा लागू की जा सकती हैं।

योजना परिव्यय तथा इसका उपयोग

4. श्रम मंत्रालय तथा राज्य की विभिन्न योजना स्कीमों का उद्देश्य श्रम तथा रोजगार क्षेत्र से संबंधित योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय श्रम मंत्रालय के तहत केन्द्रीय योजना के लिए 792.12 करोड़ रुपए और राज्य परियोजना के लिए 1287.22 करोड़ रुपया था।

5. योजना आयोग द्वारा श्रम मंत्रालय को नौवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए सिविल कार्य घटक को मिला कर कुल 792.12 करोड़ रुपए के परिव्यय का आबंटन किया गया है। तथापि कुछ स्कीमों अर्थात् बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास, सूचना प्रौद्योगिकी तथा बाल श्रम आदि में अधिक धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने योजना आयोग के अनुमोदन से नौवीं योजना के आरम्भिक परिव्यय का पुनःआबंटन किया है। तदनुसार 792.12 करोड़ रुपए का पुनः आबंटन किया गया है और नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान श्रम तथा रोजगार क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न योजना स्कीमों में उसका पुनःवितरण किया गया है।

6. 2000-2001 के लिए अनुमोदित परिव्यय 123 करोड़ रुपए था जिसमें 25 करोड़ रुपए का सिविल कार्य का परिव्यय और 75 लाख रुपए का विदेशी सहायता घटक शामिल है जबकि अनुमानित खर्च 128.43 करोड़ रुपए का है जो लगभग 2000-01 के अनुमोदित परिव्यय के बराबर है।

7. वर्ष 2001-02 के दौरान श्रम तथा रोजगार (केन्द्रीय) क्षेत्र के लिए 145 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें 10.36 करोड़ रुपए का सिविल कार्य घटक और 47 लाख रुपए का विदेशी सहायता घटक शामिल है। वार्षिक योजना परिव्यय में जो वृद्धि हुई है वह मूलतः चालू योजना के विस्तार के कारण हुई जैसे राष्ट्रीय बाल श्रम योजना जिसमें बराबर के अमेरिकी अनुदान वाली भारत-अमेरिकी परियोजना शामिल है (+65 करोड़) जिसके लिए दोनों सरकारों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं (केन्द्रीय क्षेत्र के लिए श्रम तथा श्रम कल्याण क्षेत्र के परिव्यय के लिए संलग्नक 5.7.1 देखें तथा राज्य क्षेत्र के लिए संलग्नक 5.7.2 देखें)।

8. श्रम मंत्रालय का कार्य विनियामक स्वरूप का है और विभिन्न योजना स्कीमों का लक्ष्य कामगारों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक शान्ति को बनाए रखना है। श्रम मंत्रालय के योजना बजट का अधिकांश भाग डीजीई एण्ड टी की स्कीमों - रोजगार सेवाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों तथा विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से बाल श्रम को समाप्त करना, बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास, श्रम से जुड़े विषयों पर अनुसंधान तथा आंकड़े, खानों तथा फैक्टरियों में काम की स्थितियों में सुधार की सकीम अन्य प्रमुख योजना स्कीम हैं।

9. भारत के श्रम दल में महिलाओं का काफी बड़ा हिस्सा है। 2000-2001 के लिए श्रम तथा रोजगार क्षेत्र में महिला घटक योजना 11.85 करोड़ रुपए की बैठती है। डीजीई एण्ड टी का महिला प्रशिक्षण सैल तथा महिला श्रम सैल केवल महिला स्कीमों के बारे में कार्रवाई करता है। महिलाओं से संबंधित 19 स्कीमों हैं जिनमें 17 स्कीमों केवल महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए हैं।

10. सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप श्रम मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लाभ के लिए बहुत सी स्कीमों बनाई हैं। इन सबसे मिलकर अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए क्रमशः जन-जाति उप योजना (टीएसपी) तथा विशेष घटक योजना (एससीपी) का रूप ले लिया है। योजना

की अवधि 2000-01 के दौरान टीएसपी तथा एससीपी के लिए 17.27 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

11. अनुसूचित जातियों / जन जातियों के लिए विशेष स्कीमें

- अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए कोचिंग-व-मार्ग दर्शन केन्द्र
- विशेष कोचिंग स्कीमें
- श्रम कल्याण निधियां / स्कीमें
- बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास
- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन

12. श्रम तथा श्रम कल्याण क्षेत्र के अतिरिक्त, कितने ही श्रम गहन क्षेत्रों तथा समाज कल्याण क्षेत्रों में योजना स्कीमों के माध्यम से कामगारों के हित के लिए बहुत सी पहलें की जाती हैं। उन पर यहां चर्चा नहीं की गई है क्योंकि वे योजना के सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दायरे में आती हैं।

13. श्रम मंत्रालय के तहत योजना स्कीमों का युक्तिकरण

- i) सरकारी खर्च और अधिक लागत प्रभावी विधि में दुर्लभ संसाधनों के उपयोग को इष्टतम रखने और उन्हें बढ़ने से रोकने के लिए यह अनिवार्य है कि बजट के एक अभिन्न भाग के रूप में शून्य आधारित बजट बनाना शुरू किया जाए। अर्थव्यवस्था तथा सरकार की अग्रताओं की बदलती हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई स्कीमों को शुरू करना अनिवार्य हो जाता है परन्तु इसके साथ साथ उन पुरानी नीतियों जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, को दर-किनार करने का काम नहीं किया जाता। वित्त मंत्री ने 2000-2001 के वित्त वर्ष के अपने बजट अभि-भाषण में संकेत दिया था कि आगामी वर्ष का बजट तैयार करते समय शून्य आधार की बजट प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। इस बारे में मंत्रिमण्डल सचिव ने सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिवों को लिख दिया था।
- ii) 2000-01 के दौरान श्रम मंत्रालय में 142 स्कीमें थी परन्तु स्कीमों के पुर्नगठन के बारे में योजना आयोग के सुझाव पर स्कीमों की संख्या घटाकर 101 कर दी गई है। इनमें से कुछ स्कीमों को बंद कर दिया गया है और कुछ अनुपयोगी स्कीमों को 2001-2002 की वार्षिक योजना के लिए वैसी ही अथवा श्रम व रोजगार क्षेत्र की स्कीमों में मिला दिया गया है। ये 101 स्कीमें, श्रम तथा रोजगार क्षेत्र के बारे में नौवीं योजना के विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, ये क्षेत्र है :- युवाओं, महिलाओं, कामगारों का प्रशिक्षण, बेरोजगारों के लिए जॉब स्थापन सेवा, औद्योगिक संबंध तथा सुरक्षा, बाल श्रम को समाप्त करना, बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास, श्रम आंकड़े और अर्थ व्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा।
- iii) निम्न तालिका में 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान स्कीमों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:-

क्रम	प्रभाग / स्कीम	2000-2001	2001-2002
1.	रोजगार निदेशालय	9	6
2.	विश्व बैंक कार्यक्रम (प्रशिक्षण)	27	21
3.	महिला प्रशिक्षण योजना	14	10

4.	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	35	24
5.	बाल श्रम	3	5
6.	महिला श्रम	2	2
7.	औद्योगिक संबंध	10	7
8.	सी.बी.डब्ल्यू. बी.	1	1
9.	श्रम आंकड़े	14	7
10.	डीजीएमएस	10	4
11.	डीजीएफएसएलआई	10	6
12.	वीवी गिरी एनएलआई	1	1
13.	अनुसंधान संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	1	1
14.	हमल के लिए आवास योजना	1	-
15.	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास	1	1
16.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1
17.	सेक्शनों का आधुनिकीकरण	1	1
18.	मंत्रालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण	1	1
19.	श्रम पर जागरुकता सृजन	0	1
20.	कृषि श्रमिकों का कल्याण	0	1
	योग	142	101

iv) स्कीमों की छंटाई/दूसरी स्कीमों के साथ विलय की प्रक्रिया में उन स्कीमों की पहचान करना है जो दसवीं योजना में जारी रहेगीं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण / कौशल विकास प्रशिक्षण

14. व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों विशेषकर 15-25 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को काम के लिए तैयार करना और विभिन्न व्यवसायों में रोजगार के योग्य बनाना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण स्कीमों का विकास, नीति निर्माण, प्रशिक्षण मानक तथा प्रक्रिया, व्यापार परीक्षण, प्रमाणीकरण आदि की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है जबकि प्रशिक्षण स्कीमों का कार्यान्वयन प्रायः राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारें करती हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें नियोक्ताओं, कामगारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देती है राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य स्तर पर इसी प्रकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों का गठन करें।

15. मुख्य व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों में दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम, प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम, कुशल कामगारों का प्रशिक्षण, विशेष लक्षित ग्रुप के रूप में महिलाओं का प्रशिक्षण, शिल्पकार अनुदेशकों का प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण समस्याओं पर प्रयुक्त अनुसंधान करना शामिल है और अनुदेशन सामग्री तैयार करने और उसके विकास पर ध्यान देना होता है।

16. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण परिषद और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के लिए जिम्मेदार समनुरूपी राज्य स्तर के निकायों को मिला कर एक शिखर स्तर के सांविधिक निकाय अर्थात् अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद बनाने की बात केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है। इसके कार्य होंगे :

- संस्थाओं के प्रत्यापन तथा उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को समुचित काम सौंपना।
- विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वालों में कार्यों की पुनरावृत्ति से बचना।

17. इन आधारों पर केन्द्रीय श्रम मंत्रालय में परियोजना तैयार की जा रही है। तथापि अभी यह आरम्भिक अवस्था में है और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सरकारी भूमिका में अपेक्षित बदलाव लाने में अभी 6-7 वर्ष का समय लगेगा। यद्यपि कार्य जटिल है कुछ तुरंत प्रभावी उपाए करना जरूरी हैं।

दस्तकारों का प्रशिक्षण

18. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के तहत दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1950 में शुरू की गई थी। प्रशिक्षण मुख्यतः इंजीनियरी व्यवसायों में दिया जाता है। इंजीनियरी के क्षेत्र से बाहर के कुछ व्यवसायों को भी कवर किया जाता है परन्तु बहुत से सेवा क्षेत्र तथा उद्योगों से इतर आवश्यकताओं के बारे में डीजीईएण्डटी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। प्रशिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न आईटीआई में दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम में 6 नए सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्रों में तथा प्रशिक्षण स्कीम के तहत नए व्यवसाय शुरू किए गए हैं।

19. भारत में आईटीआई के नेटवर्क में बहुत विकास तथा विस्तार हुआ है। 1980 में 831 आईटीआई थे और 1987 में इनकी संख्या बढ़ कर 1887 हो गई। 1990 के दशक के दौरान, आईटीआई की संख्या तेजी से बढ़ी हुई और इस समय 4274 आईटीआई हैं (1654 सरकारी तथा 2620 प्राइवेट क्षेत्र में) जिनमें 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार 6.28 लाख सीटों की व्यवस्था है (राज्यवार विवरण संलग्नक 5.7.3 में दिए गए हैं)।

20. सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) को सुदृढ़ करने और उनके आधुनिकीकरण के उपाए शुरू कर दिए हैं। उन सभी व्यवसायों को कवर किया जाएगा जिनकी मांग है और जो स्थानीय रूप से संगत हैं ऐसे कार्यकलाप इस समय एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित व्यवसायों से बाहर हों जैसे निर्माण, दरी बुनना, बागवानी, केटरिंग, पर्यटन आदि। उद्देश्य यह है कि श्रम दल में शामिल होने वाले नए युवकों को लाभप्रद रोजगार के लिए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले। श्रम मंत्रालय ने अपने एक संस्थान को इस परियोजना को तैयार करने का काम सौंपा है।

21. मौजूदा प्रशिक्षण संस्थान, निःसन्देह संगठित उद्योग की कुशल मानव शक्ति की जरूरतों को काफी हद तक पूरा करते रहे हैं। तथापि यह जरूरी प्रतीत होता है कि श्रम बाजार की जरूरतों को शीघ्र पूरा करने के लिए इनके पाठ्यक्रमों में सुधार करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के कौशल के

उन्नयन के लिए, अवधि, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के स्थानों के बारे में लचीलापन लाया जायेगा। काफी अनुपात में रोजगार विभिन्न क्षेत्रों में छोटे यूनितों में स्वरोजगार के रूप में होगा, प्रशिक्षण प्रणाली को न केवल कठिन कौशल के उपयुक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार करना है अपितु उद्यमों, प्रबन्ध तथा विपणन के आसान कौशलों को अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का एक हिस्सा बनाना होगा।

22. उच्च स्तर की प्रशिक्षण अवस्थापना के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उद्योग में निकट सम्पर्क होना जरूरी है। सरकार तथा उद्योग द्वारा संस्थानों के संयुक्त प्रबन्धन की धारणा का विकास हुआ है। 5 राज्यों में एक अग्रणी कार्यक्रम शुरू किया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर तथा चण्डीगढ़ में प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक संस्थान प्रबन्ध समिति बनाई गई है। गुजरात ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुबेरनगर में संस्थान प्रबन्ध समिति बनाई है। संस्थान प्रबन्ध समिति ने स्थानीय उद्योग तथा भारतीय उद्योग महासंघ का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। संस्थान प्रबन्ध समितियां निम्नलिखित कार्यकलापों में भूमिका निभा रही है।

- मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों के लिए फैक्टरियों में काम पर प्रशिक्षण देना।
- मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों के लिए उद्योगों के दौरे करना।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षु अधिनियम के तहत प्रशिक्षुओं के रूप में स्थापन।
- जिन प्रशिक्षणार्थियों ने सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उनके रोजगार के लिए परिसर साक्षात्कार की व्यवस्था।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग के ट्रेड टेस्ट विशेषज्ञों के साथ संयुक्त निरीक्षण।
- संकाय का प्रशिक्षण तथा विकास।
- राजस्व सृजन।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुवीक्षण, मूल्यांकन तथा सूचना प्रणालियों में सुधार जिनमें एमआईएम प्रणाली शामिल है।

जम्मू तथा काश्मीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण

23. श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव अर्थात् योजना आयोग के कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय रूप में प्रवर्तित जम्मू काश्मीर राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण को योजना की स्कीम में शामिल करने का अनुमोदन कर दिया गया है। इससे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में युवाओं को रोजगार देने की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। इस समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार द्वारा डीजीईटी (श्रम मंत्रालय) के परामर्श से परामर्शी अध्ययन किया जा रहा है और एक एफआर/डीपीआर उपलब्ध हो जाने के बाद योजना आयोग के विचारार्थ स्कीम तैयार की जाएगी।

उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

24. माननीय प्रधान मंत्री ने 21-22 जनवरी, 2000 को शिलांग में उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के मुख्य मंत्रियों तथा राज्यपालों का सम्मेलन बुलाया और उत्तर-पूर्वी राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक

एजेंडा घोषित किया। एजेंडा में अन्य बातों के साथ-साथ नए ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन राज्यों में अगले तीन वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या दोगुनी करने का मद शामिल था। सरकार के इन निर्णय के अनुसार उत्तरपूर्वी राज्यों को मिलाकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान क्षमता 7698 है जबकि देश में कुल 6.3 लाख सीटों की क्षमता है। इसीलिए उत्तरी-पूर्वी राज्यों में अगले तीन वर्षों में निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

- i) औद्योगिक रोजगार/स्वयं के काम के लिए उपयुक्त कौशल प्रदान करके उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में शिक्षित युवाओं को रोजगार योग्यता में वृद्धि करना।
- ii) औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि करने के लिए वांछित ट्रेडों में कुशल कामगारों को लगातार प्रवेश को सुनिश्चित करना।

25. स्कीमें जिनका लक्ष्य 7 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की मांग के रूझान के अनुसार पता लगाए गए कौशल क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए अवस्थापना का सृजन व विकास करना है, पूरी तरह चालू होने पर 22 नए तथा 35 मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को कवर करेगी जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

26. नए उभर रहे बाजार परिदृश्य के सन्दर्भ में राष्ट्रीय रोजगार सेवा को नया रूप देना होगा। राष्ट्रीय रोजगार सेवा ने अब इसकी बढ़ती हुई भूमिका को स्वीकार कर लिया है और व्यापक श्रम बाजार सूचना के संकलन और प्रसारण पर अधिक ध्यान दे रही है। 1989-99 तक के वर्ष वार पंजीयन, स्थापन, अधिसूचित रिक्तियां, किया गया अनुरोध और अद्यतन रजिस्टर संलग्नक 5.7.4 पर देखें। ईएमआई द्वारा तैयार की गई महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं "त्रैमासिक रोजगार संवीक्षा" "भारत में कर्मचारियों का व्यावसायिक तथा शैक्षिक प्रतिमान" आदि। रोजगार मार्किट सूचना कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण की भी योजना स्कीम है। (परन्तु इसमें 1995 अर्थात जब योजना आयोग ने इस स्कीम को योजना में शामिल किया से विशेष प्रगति नहीं हुई है)।

विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

27. देश में विकलांगों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चल रहे हैं, अहमदाबाद, मुम्बई, भुवनेश्वर, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, गोवाहाटी, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, तिरुवन्तपुरम, अगरतला, पटना तथा बड़ौदा में एक-एक। इनमें बड़ौदा में स्थित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र केवल विकलांग महिलाओं के लिए है।

28. ये केन्द्र विकलांगों की बची हुई क्षमता का पता लगाते हैं और उन्हें संमजन प्रशिक्षण देते हैं जिससे उनका आर्थिक पुनर्वास शीघ्र होने में आसानी रहती है। उन्हें अन्य उपयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्राप्त करने में भी मदद दी जाती है - जैसे जॉब स्थापन, स्वरोजगार का प्रशिक्षण तथा इन प्लान्ट प्रशिक्षण।

29. मुम्बई, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना तथा चेन्नई में 5 वीआरसी के तहत 11 ब्लॉकों में स्थापित मोबाइल कैम्पों तथा ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को भी पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

श्रम कल्याण

30. श्रम मंत्रालय इसके लिए अधिदेशाधीन है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे कि विकास की उँची दर प्राप्त हो और सामान्य रूप से कामगारों और विशेष रूप से वंचित, अलाभ की स्थिति वाले और गरीब लोगों के हितों की रक्षा हो। असंगठित क्षेत्र में कामगारों को कल्याण के उपाय प्रदान करने के लिए विशेषकर बीड़ी तैयार करने और कोयले के अलावा अन्य खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार की स्कीमों को उदार बनाया है और उनके क्षेत्र का विस्तार किया है जैसे गृह निर्माण सहायता, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं और कामगारों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं। पिछले वर्ष ऐसे कामगारों के लिए 13000 मकान स्वीकृत किए गए जो कल्याण कार्यक्रम के तहत अब तक सर्वाधिक संख्या है। शैक्षिक सहायता में लगभग 4.2 लाख विद्यार्थियों ने वित्तीय लाभ उठाया और यह भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार पिछले वर्ष में कल्याण निधि के तहत लगभग 40 लाख कामगारों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की गई।

31. कल्याण स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए श्रम मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण/उपभोग/निर्यात पर उपकर के माध्यम से लगभग 75 करोड़ जुटाए। यह उपकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के कल्याण के लिए विभिन्न श्रम नियमों के तहत लगाया गया। अनुमान है कि वर्तमान वर्ष में बेहतर संसाधनों की बजह से लगभग 127 करोड़ रुपए उपकर के रूप में जुटाए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

32. केन्द्रीय सरकार ने 15.10.1999 को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की। आयोग संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव देगा तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की सुरक्षा के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए भी छत्र कानून का सुझाव देगा। यह आयोग फरवरी, 2002 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा।

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग

33. विचारार्थ विषय

- क) संगठित क्षेत्र में श्रम संबंधी वर्तमान कानूनों को युक्ति संगत बनाने का सुझाव देना।
- ख) असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की सुरक्षा के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छत्र कानून का सुझाव देना।

34. सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि सिफारिशें तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए :-

- क) उद्योग को शासित करने वाले विभिन्न प्रशासकीय कानूनों की संवीक्षा के लिए मई, 1998 में स्थापित आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुवर्ती आशय।
- ख) i) द्रुत प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, उद्योग, ट्रेड तथा सेवाओं में तौर तरीकों, समय तथा हालात में बदलाव प्रतिक्रिया स्वरूप उभरने वाला आर्थिक वातावरण
- ii) अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण जिससे ट्रेड तथा उद्योग के उदारीकरण की आवश्यकता है।
- iii) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मकता पर जोर तथा मौजूदा कानूनों को भावी श्रम बाजार की जरूरतों तथा मांगों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता।
- ग) श्रम सुरक्षा तथा कल्याण उपायों को न्यूनतम स्तर और बुनियादी सांस्थनिक ढांचा जो लचीली श्रम मार्किट के अनुकूल हो और प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा आर्थिक विकास के लिए जरूरी हो।
- घ) सामाजिक सुरक्षा के बारे में उपायों की प्रभावकारिता में सुधार, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और वेतन को उत्पादकता से जोड़ना और विशेषकर उन सुविधाओं की सुरक्षा जो काम करने वाली महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक हों।

बाल श्रम की समाप्ति

35. भारत के संविधान के निर्माताओं ने सोच विचार के बाद संविधान में अनिवार्य सार्विक प्राइमरी शिक्षा के अधिकारों तथा बच्चों के लिए श्रम सुरक्षा का उपबन्ध किया है। श्रम आयोगों तथा समितियों ने बाल श्रम की समस्याओं पर विचार किया है और विस्तृत सिफारिशों की हैं। भारत की न्यायपालिका ने शिखर स्तर तक बाल श्रम की प्रथा के प्रति गहरी सहानुभूति का प्रदर्शन किया है। इस परिदृश्य में ——— वर्षों में बाल श्रम नीति तैयार हुई है। एनसीएलपी कार्यक्रम जो नौवीं योजना में 249.60 करोड़ रुपए के परिव्यय से तैयार किया गया था देश के 13 राज्यों में फैले 96 जिलों में कार्यान्वित किया जाता रहा (एनसीएलपी के तहत राज्यवार कवरेज सलग्नक 5.7.5 में दी गई है)।

36. बाल श्रम के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा से भी पता चलता है कि यद्यपि 1994-95 के बाद अच्छी शुरुआत की गई है, इस पुरानी बीमारी पर काबू पाने के लिए एक बहुमुखी नीति के साथ-साथ भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार के संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

37. इस परियोजना के एक भाग के रूप में समवर्ती मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, नौवीं योजना की समाप्ति से काफी पहले जिला स्तर पर कुछ स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जाने चाहिए जिससे कि दसवीं योजना की अवधि में इस कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए निवेश उपलब्ध हो सके।

38. किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय बाल श्रम स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल करना बेहतर होगा, कम से कम अनुवीक्षण के लिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बनाई गई जिला बाल श्रम समितियों के काम काज के अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार स्तर पर कोई फोरम बनाया जाना चाहिए।

39. एनसीएलपी के तहत राज्यवार कवरेज सांग्नक 5.7.5 में दी गई है। देखने से पता चलता है कि स्कूलों की मंजूरी में भारी क्षेत्रीय असंतुलन है, बिहार तथा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में स्कूलों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार कुल बाल श्रम में उनके हिस्से की तुलना में बहुत कम है। जिन राज्यों में राष्ट्रीय बाल

श्रम परियोजना में पर्याप्त प्रगति हुई है वे है आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उड़ीसा। अन्य राज्यों में राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से कुछ प्रगति हुई है परन्तु समस्या इतनी बड़ी है कि अभी बहुत कुछ किया जाना है। कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्यों को अपनी स्कीमें खुद बनानी होंगी; राष्ट्रीय परियोजना में केवल विशेष बाल श्रम क्षेत्रों/जिलों पर ध्यान दिया जाता है।

बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास

40. बन्धुआ श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने की दृष्टि से श्रम मंत्रालय द्वारा 1978-79 में एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम शुरू की गई थी। खर्च में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का 50:50 हिस्सा है।

41. केन्द्र प्रवर्तित इस स्कीम के तहत नौवीं योजना में मूल अनुमोदित परिव्यय 20 करोड़ रुपए था। राज्य सरकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए स्कीम में संशोधन किया गया है और पुनर्वास पैकेज मुक्त किए गए प्रति बन्धुआ मजदूर 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है और बन्धुआ मजदूर का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने, जागरूकता पैदा करने और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उपबन्ध किया गया है। केन्द्र प्रवर्तित स्कीम में संशोधन किए जाने के बाद परिव्यय बढ़ाकर 35.81 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्कीम कार्यान्वित की जा रही है और 10वीं योजना शुरू होने से पहले उसकी समीक्षा की जाएगी।

महिला श्रम

42. श्रम मंत्रालय ने 1975 में एक महिला श्रम सेल की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देने के लिए की गई थी जिससे उनमें सुधार किया जा सके।

43. सैल का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम समान वेतन अधिनियम 1976 के तहत गठित केन्द्रीय परामर्श समिति की बैठक बुलाना और समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना था।

44. महिला सैल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य महिला कामगारों को प्रभावित करने वाले मामलों का अध्ययन करने के लिए परियोजना प्रस्तावों की जांच करना और उन पर आगे की कार्रवाई करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाले कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना है। मंत्रालय के महिला सैल द्वारा महिलाओं की काम की स्थितियों में सुधार करने तथा उनके आर्थिक स्तर में वृद्धि करने के लिए लक्षित बहुत सी परियोजनाओं पर कार्रवाई की गई।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

45. रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 1974 में शुरू किया गया महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के वेतन, रोजगार तथा स्व-रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए एक अलग महिला सैल बनाया गया जो अब

महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण निदेशालय बन गया है। इस समय इस निदेशालय के तहत केन्द्रीय क्षेत्र में सांस्थानिक नेटवर्क में एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान नोएडा(उ0प्र0) तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। ये संस्थान बेसिक, उन्नत तथा उससे आगे के स्तरों पर नियमित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त ये संस्थान गृह स्वामिनियों, स्थानीय उद्योगों के लिए आवश्यकता आधारित अल्प कालिक/तदर्थ पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के लिए उन्नत कौशलों/शिक्षा शास्त्र में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।

46. राज्य सरकारों के प्रशासकीय नियंत्रण में सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार स्तर (बेसिक पाठ्यक्रम) पर केवल महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इस समय लगभग 765 संस्थान (231 महिला आईटीआई तथा सामान्य आईटीआई / प्राइवेट आईटीआई में 534 महिला स्कन्ध) हैं जिनमें 46750 प्रशिक्षण सीटें हैं।

भारतीय कामगार शिक्षा संस्थानों में महिलाओं का प्रशिक्षण

47. भारतीय कामगार शिक्षा संस्थान, मुंबई ने "महिला तथा बाल श्रम" पर एक अलग सैल स्थापित किया है और केन्द्रीय व्यापार यूनियन संगठनों/संघों और देश में महिला तथा बाल उत्थान और कल्याण में लगे महिला संगठनों को महिला कार्यकर्ताओं के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। सैल द्वारा महिलाओं तथा बाल श्रम विषय पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मौड्यूलर सलेबस तैयार किया गया है। संस्थान के महिला तथा बाल श्रम सैल द्वारा संचालित 1992-93 से अक्टूबर, 2000 तक 280 महिला कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया।

नौकरी चाहने वाली महिलाओं की सहायता

48. रोजगार कार्यालयों ने नौकरी चाहने वाली उन महिलाओं की जरूरत को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जिनके नाम उनके यहां दर्ज हैं। जनवरी से दिसम्बर, 1998 तक 42021 महिलाओं को विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ दी गईं।

औद्योगिक संबंध

49. औद्योगिक संबंधों में सुधार होता रहा। वर्ष 1999 के दौरान इससे पिछले वर्ष की तुलना में हड़तालें तथा तालाबन्दी की घटनाओं में कमी आई। 1998 में हड़तालों की संख्या 665 थी जबकि 1999 में उनकी संख्या घटकर 540 रह गई। 1998 में तालाबन्दी की 432 घटनाएं हुई थी जबकि 1999 में उनकी संख्या घटकर 387 रह गई। प्राइवेट क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में हड़तालों तथा तालाबन्दी की घटनाओं में अधिक कमी आई। सरकार की सक्रिय भूमिका विभिन्न त्रिपक्षीय मंचों में सामाजिक भागीदारों के सहयोग से श्रमिकों के हितों पर नीति कार्यक्रम के आधार पर समाधान खोजने के कारण हड़ताल तथा तालाबन्दी की घटनाएं कम हुईं।

व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य

50. कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए भारत के संविधान में विशेष उपबन्ध हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा फैक्टरी परामर्श सेवा महानिदेशालय व श्रम संस्थान खानों, फैक्टरियां तथा पत्तनों पर व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए प्रयास करते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित स्कीमों में काम के वातावरण में सुधार, मानव-मशीन इन्टर फेस, रासायनिक खतरों की रोकथाम, सुरक्षा साज-सामान तथा उपकरण, सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सूचना सेवा के विकास पर जोर दिया जाता है।

फैक्टरी परामर्श, सेवा तथा श्रम संस्थान महानिदेशालय

51. यह संगठन, फैक्टरियों तथा पत्तनों/गोदियों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी क्षेत्र के रूप में काम करता है। अप्रैल से दिसम्बर, 2000 तक 683 संगठनों द्वारा 1523 भागीदारों के लिए औद्योगिक सुरक्षा में एक साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम और तीन महीने के पीजी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम सहित 65 सेमिनार/कार्यशालाएं और लम्बी अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। मुम्बई, कानपुर, कोलकाता तथा चेन्नई में श्रम संस्थानों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण पर 4816 लाभानुभोगियों के लिए 259 मूल्यांकन कार्यक्रमों का संचालन किया। 3 फैक्टरियों में मोबाइल सुरक्षा प्रदर्शनियां लगाई गईं जिनसे 2800 फैक्टरी कामगारों को लाभ हुआ। डीजीएफएएसएलआई आपदा अनुमान, पर्यावरण अनुमान, सुरक्षा जांच, व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति के अनुमान के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर 45 परामर्श अध्ययन पूरे किए।

खान सुरक्षा महानिदेशालय

52. महानिदेशालय में वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :-

- क) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें खान प्रबन्धन, ट्रेड यूनियनों तथा प्रवर्तन निदेशालय के 54 पदाधिकारियों ने भाग लिया।
- ख) "छत साइडों का प्रबंधन" पर 5 कार्यशालाएं लगाई गईं जिनमें 98 प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धकों/अवर प्रबन्धकों, 19 पर्यवेक्षण कार्मिकों तथा 11 कामगारों ने भाग लिया। 'खतरा प्रबंधन" पर भी 7 कार्यशालाएं लगाई गईं जिनमें लगभग 200 अधिकारियों तथा पर्यवेक्षण कार्मिकों ने भाग लिया।
- ग) जून, 1997 से आस्ट्रेलिया की सरकार के सहयोग से "खान सुरक्षा में डीजीएमएस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण" के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई जिसके दौरान इस परियोजना का भारत में उद्योग उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। परियोजना में अभी तक प्राप्त परिणामों की समीक्षा के लिए अक्टूबर, 2000 में भारतीय परियोजना प्रबंधन दल ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया तथा आस्ट्रेलिया में खनन तथा खान सुरक्षा प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए डीजीएमएस प्रशिक्षण अधिकारियों ने दौरा किया। भारत में कोयले तथा अन्य खानों में माडल अध्ययनों के लिए वर्ष में दूसरी छिमाही में आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों के दो दौरे तय किए गए हैं।

श्रम आंकड़े

श्रम ब्यूरो

53. श्रम ब्यूरो ने चंडीगढ़ तथा शिमला में स्थित इनके दो स्कन्धों तथा अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई तथा कानपुर में स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और मुम्बई स्थित एक उच्च क्षेत्रीय कार्यालय के साथ, नीति निर्माण, मूल्यांकन तथा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बेस प्रदान करने की अपनी भूमिका को सफलता पूर्वक निभाया है। यह कार्यालय श्रम आंकड़ों, रोजगार, वेतन तथा अर्जन, अनुपस्थिति, श्रम टर्नओवर, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुविधाओं, औद्योगिक संबंध आदि के पहलुओं के संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। यह ब्यूरो हर महीने नियमित आधार पर तीन मूल्य सूचकांक भी निकालता है। ये हैं :-

- औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100)
- ग्रामीण श्रमिकों, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1986-87 =100)
- शहरी क्षेत्रों में 31 चुनी हुई अनिवार्य जिन्सों का खुदरा मूल्य सूचकांक (आधार 1982= 100)

54. इन सूचकांक आंकड़ों का उपयोग मंहगाई भत्ते के निर्धारण, सरकार द्वारा नीति निर्माण तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए मजदूरी विनियमन के लिए किया जाता है।

55. नौवीं योजना में श्रम कल्याण के लिए सरकार द्वारा बहुत सी पहलें की गई हैं। विभिन्न रोजगार वर्गों में कार्यान्वयन की डिग्री तय करने के लिए, श्रम ब्यूरो, शिमला ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मूल्यांकन अध्ययन किया है।

56. आवधिक विवरणियों के संकलित आंकड़े श्रम के क्षेत्र में योजना तथा नीति निर्माण के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करते, श्रम आंकड़ों की उपलब्धि में जो अन्तर है उसे पूरा करने के लिए ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर बहुत से आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षण करता है जैसे:-

- नए कामगार परिवार की आय तथा व्यय सर्वेक्षण
- ग्रामीण श्रम जांच
- आवास किराया सर्वेक्षण
- व्यावसायिक वेतन सर्वेक्षण

57. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला (आधार 1982 - 100) जिसका कामगारों के वेतन के मंहगाई भत्ता घटक तय करने के लिए व्यापक इस्तेमाल किया जाता है, के आधार वर्ष को अद्यतन करने के लिए, सभी चुने हुए 78 केन्द्रों से आय तथा व्यय के आंकड़ों के संग्रहण के लिए मुख्य सर्वेक्षण जो सितम्बर, 1999 में एक वर्ष के लिए शुरू किया गया था, अगस्त, 2000 में पूरा कर लिया गया। स्कीम की लागत 12.4 करोड़ रुपए है। नया आधार 2003 से कार्यान्वित किया जाएगा।

कामगारों की शिक्षा

58. राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, यूनिट तथा ग्राम स्तरों पर कामगारों की शिक्षा की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, 1958 में स्थापित किया गया था। संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों के लिए बोर्ड ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सीबीडब्ल्यूई द्वारा संचालित कार्यक्रम से पता चलता है कि बदले हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कामगारों, ट्रेड यूनियनों तथा प्रबन्धकों की शिक्षा की व्यापक जरूरतों को पूरा करने के लिए नई स्थिति, दिशा तथा आयाम अपेक्षित है। कामगारों की शिक्षा स्कीम का प्रमुख लक्ष्य न केवल औद्योगिक संबंध से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कामगारों के ज्ञान को बढ़ाना है अपितु उनकी सोच में बदलाव लाना भी है। कामगार शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण कामगारों को इस योग्य बनाना है कि अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझ सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

59. ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम स्कीम के कार्य क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर, उपान्तक किसान, ग्रामीण दस्तकार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार, वन तथा जनजाति कामगार, ग्रामीण शिक्षा की सहायता से आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविरों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना तथा ग्रामीण कामगारों, जनजाति मजदूरों, वन कामगारों तथा क्षेत्र में अन्य एजेन्सियों जहां भी वे हैं को संगठित करना, कवर होते हैं।

श्रम अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

60. वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। यह जुलाई, 1974 में श्रम मंत्रालय के एक स्वशासी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान का उद्देश्य श्रम बाजार में रूझान, रोजगार, सम्बन्ध, ग्रामीण श्रम, कृषि सम्बन्ध, महिला श्रम, श्रम कानून, वेतन, प्रवासी श्रम, बाल श्रम, यौन-आधारित आदि मामलों जैसे प्रमुख श्रम मामलों पर अनुसंधान अध्ययन करना है। शैक्षिक अनुसंधान के अलावा, संस्थान मुख्यतः असंगठित श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान आधारित प्रलेखनों में कार्रवाई अनुसंधान भी करता है। नौवीं योजना के दौरा संस्थान द्वारा असंगठित श्रम, विशेषकर बाल श्रम की समस्याओं पर अनुसंधान किए जाने का प्रस्ताव है। श्रम बाजार पर आर्थिक उदारीकरण तथा संरचनात्मक कार्यक्रम का प्रभाव भी अनुसंधान का विषय होगा। योजनावधि में 2.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 75 अनुसंधान परियोजना के शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

61. भावी श्रम नीतियों को पुष्ट करने के लिए आवर्ती नीति निवेश के लिए सरकार भी अनुमोदित श्रम संबंधी मामलों में अनुसंधान अध्ययनों के लिए धन देती है तथा अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक के गुणों के आधार पर अनुदान दिया जाता है। 1995-96 के अंत में इस स्कीम के आरम्भ किए जाने से इस स्कीम के तहत 28 अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से 16 पूरे किए जा चुके हैं और 12 अनुसंधानों में काम काफी आगे बढ़ चुका है।

62. राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने भारतीय श्रम अर्थशास्त्र संस्था मानव विकास संस्थान के सहयोग से बाल श्रम वास्तविकताओं तथा नीति आयामों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में भारत में बाल श्रम के विरोध में विभिन्न स्तरों पर किए गए इंटरवेंशन के प्रभाव पर विचार विमर्श किया गया और भावी कार्रवाई के लिए एजेंडा विकसित किया गया।

63. संस्थान ने 2001 के दौरान दो बड़ी परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है।

64. विश्व श्रम रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट आदि रिपोर्टों के माडल पर वार्षिक आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर की श्रम रिपोर्ट निकालना। इससे श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सूचना, अनुसंधान तथा नीति का गहरा तथा नया तुलनात्मक विश्लेषण प्राप्त होने की आशा है। यह भी आशा है कि रिपोर्ट, जो देश में अपने किस्म की पहली रिपोर्ट होगी, देश में श्रम की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए संगत सूचकांक विकसित करेगी।

65. श्रम अध्ययनों पर एक ग्रंथ निकालना। ग्रंथ में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में अग्रणी विद्वानों तथा व्यावसायिकों का योगदान होगा, मुख्य विषयों पर चर्चा होगी।

सामाजिक सुरक्षा

66. विशिष्ट वर्गों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके कल्याण के लिए कानून भी हैं और केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा स्कीमें भी बनाई गई हैं। केन्द्र द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाए गए निम्नलिखित प्रमुख कानून हैं।

- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1953
- मातृ लाभ अधिनियम, 1961
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

67. ईपीएफ तथा एमपी एक्ट केवल भारत सरकार द्वारा ईपीएफओ के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ईएसआई के तहत नकद लाभ केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से प्रशासित किया जाता है जबकि ईएसआई अधिनियम के तहत चिकित्सा परिचर्चा राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रशासित की जाती है। उपादान अधिनियम के तहत जो भुगतान केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण वाली स्थापनाओं, उन स्थापनाओं में किया गया भुगतान जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हैं, प्रमुख पत्तनों, तेल क्षेत्रों तथा रेलवे में किये जाने वाला भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित है और अन्य सभी मामलों में भुगतान राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रशासित किया जाता है। खानों तथा सर्कस उद्योगों में मातृ लाभ अधिनियम के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं और फैक्ट्रियों, पादप रोपण तथा अन्य स्थापनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित हैं। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के उपबन्ध केवल राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित हैं।

68. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, को फरवरी, 1999 में संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि जिस कर्मचारी का परिवार का कोई पात्र सदस्य नहीं है और उसने जीवन में नामांकन नहीं किया है और उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित उसके माता/पिता पेंशन के पात्र होंगे। पी.एफ. सदस्य के स्थायी रूप में और पूर्णतः विकलांग बच्चे फरवरी, 1999 से मासिक बच्चा/अनाथ पेंशन पाने के पात्र हैं चाहे परिवार में बच्चों की आयु तथा संख्या कितनी भी हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा माडल प्राइवेट क्षेत्र की स्थापनाओं में सेवा निवृत्ति की तारीख को पेंशन तथा भविष्य निधि लाभ का भुगतान शुरू किया गया। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम

के तहत जो व्यक्ति होटलों/रेस्टोरेंटों में रसोइये का काम कर रहे हैं उन्हें जुलाई, 1998 से प्रतिपूर्ति लाभ का पात्र बना दिया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

69. गरीब परिवारों के जो कामगार किसी बीमा स्कीम अथवा किसी कानून के तहत कवर नहीं हैं उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा स्कीम शुरू की है। यह स्कीम उन सभी लोगों पर लागू होती है जो 18-55 वर्ष के आयु वर्ग है और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। लाभ की राशि तीन हजार रुपए हैं। स्कीम सामान्य बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

2000-2001 के दौरान सामाजिक सुरक्षा में किया गया विकास / सुधार

70. सरकार ने कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत देय न्यूनतम राशि को बढ़ा दिया है , मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की न्यूनतम राशि को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया है और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम राशि को 60,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दिया है। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि का हिसाब लगाने के लिए वेतन की मौजूदा 2,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। इससे मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 2.28 लाख रुपए से बढ़कर 4.56 लाख रुपए और स्थायी संपूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2.74 लाख रुपए से बढ़कर 5.48 लाख रुपए हो जाएगी। इस संबंध में एक बिल राज्य सभा द्वारा 22.8.2000 को और लोक-सभा द्वारा 28.11.2000 को पारित किया गया था। क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई दरें 8.12.2000 से लागू हो गई हैं।

71. कर्मचारियों की जमा राशि से जुड़ी बीमा योजना 1976 के तहत सेवाकाल में मृत्यु के मामले में, परिवार पेंशन के अलावा मृत सदस्य के पी.एफ. लेखे में जमा राशि से जुड़े देय अधिकतम राशि की सीमा का हकदार है। वेतन/मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईडीएलआई की अधिकतम राशि की सीमा को 35,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया है । इस संबंध में एक अधिसूचना 13.6.2000 को जारी की गई थी।

72. वित्त मंत्री ने 2001-2002 के लिए अपने बजट अभिभाषण में कृषि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा स्कीम खेतीहर मजदूर योजना को शुरू करने की घोषणा की है। सचिव, योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में कृषि कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम का अनुमोदन श्रम मंत्रालय को दे दिया है।

73. वित्त मंत्री ने 2001-2002 के लिए अपने बजट अभिभाषण में समूह बीमे की एक नई स्कीम अर्थात् "आश्रय बीमा योजना" शुरू करने की भी घोषणा की है जो अर्थव्यवस्था के चल रहे उदारीकरण के कारण प्रभावित कामगारों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए है। पालिसी में उन कामगारों को उनके अंतिम वार्षिक वेतन की 30 प्रतिशत राशि एक साल तक दी जायेगी जिनकी नौकरी चली जाती है। यह प्रस्ताव है कि शुरू में पालिसी उन सभी कर्मचारियों को कवर करेगी जो 10,000 रुपए मासिक तक वेतन ले रहे हैं। सरकार के स्वामित्व वाली चार सामान्य बीमा कम्पनियों "लाभ नहीं, हानि नहीं" के आधार पर इस पालिसी को प्रशासित करेंगी।

74. सामाजिक सुरक्षा पर राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलें

असम : चाय बागान में काम करने वाले लोगों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों तथा एड्स की घातक बीमारी के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए असम सरकार के पास एक अवैतनिक संगठन है।

बिहार : ग्रामीण असंगठित कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के पास एक समूह बीमा योजना स्कीम है।

राज्य सरकार अ.जा./अ.ज.जा. के एक बन्धुआ मजदूर को 10,000 रुपए के अलावा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 6,250 रुपए की अतिरिक्त राशि देती है। राज्य सरकार को निधियां समाज कल्याण विभाग से मिलती है।

गोवा: गोवा सरकार में एक सोसाइटी के माध्यम से मानव शक्ति के विकास का एक अच्छा कार्यक्रम है तथा सोसाइटी बेरोजगार व्यक्तियों को उद्योग में प्रशिक्षण के लिए भेज रही हैं।

राज्य में स्थापित कल्याण निधि बोर्ड में संगठित कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए 15 स्कीमें हैं।

बच्चों के चहुंमुखी विकास और बाल रोजगार से जुड़े अनाचार को समाप्त करने के लिए गोवा सरकार के पास यूनीसेफ के सहयोग से एक समयबद्ध कार्यक्रम है।

गुजरात : राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने वाली सामाजिक संस्थाओं को धन देती है।

राज्य सरकार ने असंगठित कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहमदाबाद क्लथ मार्केट तथा दुकानें श्रम बोर्ड तथा रेल यार्ड और गुड्स शैड असुरक्षित शारीरिक कामकार बोर्ड स्थापित किया है।

राज्य सरकार की समूह बीमा योजना है जो 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के कृषि कामगारों, नमक, वन कामगारों तथा मछुआरों को कवर करती है। स्कीम भारत के जीवन बीमा निगम तथा ओरियन्टल बीमा कम्पनी के सहयोग से है। इन स्कीमों के लिए प्रीमियम का भुगतान ग्रामीण कामगारों की तरफ से राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

कृषि मजदूरों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकार इस बोर्ड को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान देती है। सरकार ने राज्य में 45 कल्याण केन्द्र स्थापित किए हैं।

हिमाचल प्रदेश: “कौशल निर्माण तथा कौशल उन्नयन” की एक स्कीम है जिससे बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने में मदद मिलती है। संगठित तथा असंगठित कामगारों के लिए एक जनता बीमा स्कीम है।

कर्नाटक: श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ देने के राज्य सरकार ने राज्य में एक सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किया है।

केरल: कृषि मजदूरों को चिकित्सा सहायता, शिक्षा छात्रवृत्ति आवास, विवाह के लिए अग्रिम मावृ लाभ के लिए कृषि कामगार कल्याण निधि स्थापित की गई है।

ऑटो रिक्शा चालकों के कल्याण के लिए, राज्य सरकार की स्कीम के तहत अन्य वित्तीय सहायता के अलावा 40 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद सेवा निवृत्त होने पर 1.25 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। स्कीम के तहत, नियोक्ता तथा कामगार अशंदान करते हैं और राज्य सरकार सदस्यों द्वारा किए गए अशंदान का 10 प्रतिशत अपने पास से देती है।

मध्य प्रदेश: कृषि मजदूरों की सहायता के लिए राज्य सरकार की कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना है। श्रमिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को राज्य सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देती है।

तमिलनाडु: निर्माण मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने भवन निर्माण पर एक मामूली उपकर लगाकर बीमा निधि शुरू की है। उप कर भवन का नक्शा पास करने के समय ही लगा दिया जाता है।

प0 बंगाल: कृषि, निर्माण तथा असंगठित मजदूरों की सहायता के लिए सरकार समूह द्वारा बीमा स्कीम चलाई गई है। यह सहायता समूह बीमा स्कीम के प्रीमियम, दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा खर्च, शिक्षा सहायता आदि के रूप में दी जाती है।

पांडिचेरी: असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए प्रशासन के पास एक स्कीम है जो निकट भविष्य में कार्यान्वित की जाएगी।

भारतीय श्रम सम्मेलन

75. भारतीय श्रम सम्मेलन का 36वां सत्र 14-15 अप्रैल, 2000 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में निम्नलिखित मद्दों पर चर्चा हुई।

- औद्योगिक रुग्णता
- उद्योग में कामगारों की भागीदारी
- कामगारों की शिक्षा

76. माननीय प्रधान मंत्री ने सत्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित की आवश्यकता पर जोर दिया -

- श्रम आन्दोलन की भूमिका की पुनः जांच करना और श्रमिकों के और अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर इसके विचारों को परिभाषित करना।
- आर्थिक सुधारों के दर्शन के एक अभिन्न अंग के रूप में श्रम की सुरक्षा और इसमें सुधार।
- आर्थिक सुधारों के प्रति ट्रेड यूनियनों को समर्थनकारी तथा सकारात्मक सोच को अपनाना है और सुधार प्रक्रिया का अंग बनना है।
- अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव की तुलना में श्रम नियमों में बदलाव नहीं हुए।
- आर्थिक सुधारों का पूरा लाभ उठाने के लिए श्रम कानूनों तथा प्रशासन तंत्र में सुधार।

77. प्रधान मंत्री ने आश्वस्त किया कि i) सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में काम करने वाले लोगों की समस्या को इन्हें फिर से चालू करने और इनके ढांचे में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों में संतोषजनक रूप से हल कर लिया जाएगा तथा ii) सरकार कामगारों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय श्रम संस्थानों तथा केन्द्रीय बोर्ड का उन्नयन करके उसे एक श्रेष्ठ संस्था बनाने के लिए सक्रियता पूर्वक विचार कर रही है।

प्रयुक्त मानव-शक्ति अनुसंधान संस्थान

78. प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वशासी संगठन का मिशन मानव संसाधन नियोजन में सुधार, विकास तथा इसका प्रयोग करना है। इसका मुख्य कार्य एक ऐसा सांस्थानिक ढांचा तैयार करना है जो व्यवस्थित मानव-शक्ति नियोजन प्रक्रिया को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने में सक्षम हो। यह योजना आयोग के अधीन एक स्वशासी निकाय है। जनरल कौंसिल संस्थान की सर्वोच्चशासी निकाय है। योजना आयोग का श्रम, रोजगार तथा मानव शक्ति प्रभाग संस्थान से संबंधित कार्यकलापों के लिए एक नोडल प्रभाग है। संस्थान के मामलों का प्रबन्धन कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। कार्यकारी समिति के काम में स्थायी समितियां इसकी मदद करती हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों पर स्थायी समिति एक परामर्शी समिति के रूप में काम करती है और शैक्षिक कार्य के विस्तृत क्षेत्रों का अनुमोदन करती है और संस्थान की संदर्शी योजना और समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संस्थान के भावी कार्यकलापों के लिए निर्देश देती है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य स्थायी समितियां हैं : एक कर्मचारियों के मामलों से संबंधित है (स्थायी स्टाफ समिति), एक बजट से संबंधित है (स्थायी बजट समिति) और एक अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित है (आई.ए.एम.आर. अंशदायी भविष्य निधि की प्रशासन समिति)। निदेशक, आई.ए.एम.आर संस्थान के दिन प्रतिनिधि के कार्यों के लिए इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

शैक्षिक तथा अनुसंधान कार्यकलाप

79. संस्थान ने सूक्ष्म दृष्टि अपनाकर अवधारणा की और मानव संसाधन नियोजन तथा विकास के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यकलापों की विस्तृत योजना का विकास किया जिनमें अनुसंधान, परामर्श सेवाएं, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, सेमिनार तथा सम्मेलन शामिल हैं। आईएएमआर के अनुसंधान कार्यक्रमों में मुख्यतया ग्रामीण तथा शहरी रोजगार और बेरोजगारी, कम्प्यूटरीकृत श्रम बाजार सूचना पद्धतियों की स्थापना, सेवावधि में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की संगतता और जानकारी के उन्नयन के लिए सतत शिक्षा और कौशल घटक, महिलाओं में कौशल के विकास, स्वरोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास, विकेन्द्रीकृत शासन तथा विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों, ग्रामीण औद्योगिकरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास में मानव शक्ति गति-विज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों अर्थात् रोजगार और बेरोजगारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अद्योग, मानव संसाधन विकास,

सामाजिक चिन्ताओं तथा मानव शक्ति सूचना प्रणालियों पर लगातार जोर बनाए रखने के लिए ये कार्यकलाप विभिन्न यूनिटों/सेलों द्वारा सम्पादित किए जाते हैं।

80. वर्ष 2000-01 के दौरान, तीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् i) मानव संसाधन नियोजन तथा विकास, ii) मानव शक्ति अनुसंधान तथा iii) तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली आयोजित किए गए।

81. आई0ए0एम0आर0 के लिए योजना परिव्यय तथा व्यय

परिव्यय	पिछला वर्ष (2000-2001)			चालू वर्ष (2001-2002)
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान
योजना पूंजी	8 करोड़	4 करोड़	4 करोड़	15 करोड़
योजना राजस्व	-	-	-	50 लाख

नरेला में नए परिसर का विकास

82. संस्थान के लिए नरेला (केन्द्रीय दिल्ली से 35 कि.मी.) में 15 एकड़ के भूखण्ड पर एक नया परिसर बन रहा है। निर्माण परियोजना की लागत 16 करोड़ रुपए है। नरेला में संस्थान के नए परिसर की आधारशिला फरवरी, 2000 में रखी गई। भवन पूरा होने वाला है। नरेला परिसर में कम्प्यूटर प्रबन्धन ब्लॉक का उद्घाटन माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा 5 अक्टूबर, 2001 को किया गया था। परिसर के इस वर्ष पूरी तरह चालू हो जाने की संभावना है।

अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप

क - निरन्तर कार्यक्रम

83. मानव शक्ति रूप-रेखा भारत वर्ष पुस्तक : विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध मानव शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का एक वार्षिक संकलन जारी किया जाता है।

84. राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली : तकनीकी मानव-शक्ति पर सूचना का संकलन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से किया जाता है।

ख - अध्ययन

85. आई0ए0एम0आर0 द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 12 समयबद्ध अध्ययन पूरे किए गए और 8 अध्ययन आरम्भ किए गए।

86. प्रयुक्त मानव-शक्ति अनुसंधान संस्थान को मार्च, 2001 में योजना के तहत 50 लाख रुपए का सहायता अनुदान (पूँजीगत लेखा) दिया गया था। यह सहायता अनुदान "आर्थिक सुधारों तथा रोजगार का प्रभाव" के विशिष्ट क्षेत्र में विशेष अध्ययन करने के लिए इस उद्देश्य से दिया गया था कि (1) आई0ए0एम0आर0 में अध्ययन कार्य करने और योजना आयोग के एल0ई0एम0 प्रभाग के परामर्श से पैपर शुरू करके तथा (2) "आर्थिक सुधारों तथा रोजगार" के विशिष्ट क्षेत्र में आई0ए0एम0आर0 अनुसंधान कार्मिकों के विकास द्वारा अनुसंधान साक्षरता को बढ़ाया जाए।

87. स्कीम का परिमाण अनुसंधान रिपोर्टों का एक सैट होगा जो योजना आयोग, राज्य सरकार तथा श्रम मंत्रालय और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यक्रम और नियोजन के प्रभारी मंत्रालयों के लिए उपयोगी होंगी।

ग - प्रशिक्षण

88. वर्ष 2000-2001 के दौरान, तीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए अर्थात् i) मानव संसाधन तथा ii) मानव-शक्ति अनुसंधान तथा iii) राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली। विभिन्न देशों से 29 व्यक्तियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उनमें से 7 भागीदार महिलाएं थीं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संकाय के 46 व्यक्ति जुड़े थे और 37 बाहर से आए थे।

89. योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के भागीदारों के लिए तीन अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

90. आई0ए0एम0आर0 स्टाफ के मानव संसाधन विकास विभाग के लिए अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में संस्थान ने संकाय के 9 सदस्यों को अन्य संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा। संस्थान ने अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भी संकाय के 11 सदस्यों को भेजा। वर्ष के दौरान संकाय के विकास कार्यक्रम के तहत, संस्थान ने प्रसिद्ध विशेषज्ञों के 6 विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए।

श्रम मंत्रालय - वार्षिक योजना 2001-2002

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	प्रभाग/स्कीमे	अनुमोदित परिव्यय नौवी योजना (97-02)	वास्तविक व्यय (97-98)	वास्तविक व्यय (98-99)	वास्तविक व्यय (99-2000)	अनुमोदित परिव्यय (00-01)	प्रत्याशित व्यय (97-98)	अनुमोदित परिव्यय (97-98)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रोजगार निदेशालय	3700.00 (cw 2200)	60.63	869.00 (cw 790)	675.89 (cw 550)	1600.00 (cw 900)	1449.29 (cw 900)	351.00 2(cw 1)
2.	प्रशिक्षण निदेशालय							
	क) विश्व बैंक परियोजनाएं	18700.00 (FA 9000)	3933.64	5263.12	1359.48 (cw 170)	1532.00 (cw 500)	1387.55 (cw 500)	715.00
	ख) महिला प्रशिक्षण स्कीमें	1820.00	231.14	307.43	368.22 (cw 260)	480.00 (cw 280)	428.50 (cw 260)	959.00 (cw 544)
	ग) अन्य प्रशिक्षण स्कीमें	9620.00 (FA 1746)	560.16	679.41 (FA 39.01)	940.54 (FA83.65)	1510.00 (FA 75) (cw 260)	1493.36 (FA 65)	2312.00 (FA 47) (cw 189)
3.	बाल श्रम	24960.00	1317.76	2744.00	3796.00	3600.00	4000.00	6700.00
4.	महिला श्रम	100.00	8.58	12.44	15.08	20.00	22.00	20.00
5.	औद्योगिक सम्बन्ध	3856.00	223.20	322.94	467.41 (cw 150)	550.00 (cw 160)	559.00 (cw 160)	600.00 (cw 202)
6.	कामगारों की शिक्षा	1500.00	161.06	184.12	325.00	468.00	500.00	425.00
7.	श्रम आंकड़े	3000.00	468.04	582.22	714.90	800.00	849.60	750.00
श्रम ब्यूरो								
8.	खान सुरक्षा	4000.00	225.00	124.00	174.25	497.00 (cw 300)	194.85	200.00
9.	औद्योगिक सुरक्षा	2500.00	496.63	226.57	131.68	298.00 (cw 100)	202.00 (cw 75)	270.00 (cw 100)
10.	श्रम अनुसंधान	1075.00	114.00	160.00	268.00	265.00	265.00	250.00
11.	अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	100.00	0.53	9.17	23.33	30.00	30.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास	3581.00	300.12	298.00	383.00	575.00	1300.00	603.00
13.	हमल्स के लिये आवास स्कीम	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	सूचना प्रौद्योगिकी (नई)	250.00	0.00	0.00	66.11	75.00	85.50	100.00
15.	मंत्रालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26	25.00
16.	अनुभागों का आधुनिकीकरण	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
17.	श्रम कल्याण तथा विकास पर जागरूकता सृजन	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
18.	कृषि कामगारों के लिए कल्याण स्कीम	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	योग	79212.00 (FA 10746)	8100.49	11782.42 (FA 39.01) (cw 1087)	9708.89 (FA83.65)	12300.00 (cw 2500) (FA 75)	12842.54 (cw 1895) (FA 65)	14500.00 (cw 1036) (FA 47)

सी0 डब्ल्यू - सिविल निर्माण कार्य घटक

एफ0ए0 - विदेशी सहायता घटक

सलंगनक 5.7.2

श्रम तथा श्रम मंत्रालय : परिव्यय

(लाख रुपए में)

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक योजना	
	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
आन्ध्र प्रदेश	346.00	382.00
अरुणाचल प्रदेश	118.00	128.00
आसाम	4310.00	4310.00
बिहार	254.00	150.00
गोवा	323.00	350.00
गुजरात	6550.00	6050.00
हरियाणा	1860.00	1884.00
हिमाचल प्रदेश	179.00	179.00
जम्मू एवं काश्मीर	863.00	863.00
कर्नाटक	1730.00	3051.00
केरल	750.00	500.00
मध्य प्रदेश	987.00	987.00
महाराष्ट्र	4143.00	4143.00
मणीपुर	245.00	145.00
मेघालय	186.00	120.00
मिजोरम	75.00	81.00
नागालैंड	144.00	144.00
उड़ीसा	300.00	273.00
पंजाब	717.00	686.00
राजस्थान	988.00	929.00
सिक्किम	30.00	30.00
तमिलनाडू	294.00	266.00
त्रिपुरा	56.00	60.00
उत्तर प्रदेश	1366.00	1200.00
पश्चिमी बंगाल	975.00	975.00
योग (राज्य)	27789.00	27886.00

संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	90.00	90.00
चण्डीगढ़	38.30	38.30
दादरा एव नागर हवेली	26.00	26.00
दमन एवं द्वीव	27.00	27.00
दिल्ली	748.00	748.00
लक्षद्वीप	24.25	25.36
पाण्डिचेरी	340.00	350.95
योग (संघ शासित क्षेत्र)	1293.55	1305.61
सकल योग	29082.55	29191.61

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में सीटों की संख्या सहित
आई.टी.आई. / आई.टी.सी. की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गैर-सरकारी आईटीआई	सीट क्षमता	प्राइवेट आईटीसीज की संख्या	सीट क्षमता	कुल आईटीआई/आईटीसीज	कुल सीटें
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	78	13157	23	1380	101	14537
2.	हिमाचल प्रदेश	41	3771	2	88	43	3859
3.	जम्मू तथा काश्मीर	37	4044	0	0	37	4044
4.	पंजाब	103	13999	29	1724	132	15723
5.	राजस्थान	79	8256	12	892	91	9148
6.	उत्तर प्रदेश	179	38148	93	7204	272	45352
7.	चण्डीगढ़	2	904	0	0	2	904
8.	दिल्ली	14	8772	32	1428	46	10200
9.	उत्तरांचल	66	7372	12	900	78	8272
	उप-योग	599	98423	203	13616	802	112039
	दक्षिणी क्षेत्र						
1.	आन्ध्र प्रदेश	82	2395	470	83580	552	105975
2.	कर्नाटक	94	15374	355	25024	449	40398
3.	केरल	46	12520	454	41401	500	53921
4.	तमिलनाडु	53	17200	603	59200	656	76400
5.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6.	पाण्डिचेरी	8	1228	7	440	15	1668
	उप-योग	284	68813	1889	209645	2173	278458
	पूर्वी क्षेत्र						
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	374	0	0	2	374
2.	असम	24	4536	3	84	27	4620
3.	बिहार	33	12820	19	3404	52	16224
4.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
5.	मेघालय	5	622	2	304	7	926
6.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
7.	नागालैण्ड	3	404	0	0	3	404
8.	उड़ीसा	23	5540	109	10148	132	15688
9.	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
10.	त्रिपुरा	4	400	0	0	4	400

11.	पश्चिमी बंगाल	47	11436	12	612	59	12048
12.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	198	0	0	1	198
	उप-योग	151	37304	145	14522	296	51856
	पश्चिमी क्षेत्र						
1.	गोवा	11	2492	4	420	15	2912
2.	गुजरात	130	54016	90	8208	220	62218
3.	मध्य प्रदेश	129	21426	20	1720	149	23146
4.	महाराष्ट्र	347	66216	269	30724	616	96940
5.	दादरा तथा नागर हवेली	1	228	0	0	1	228
6.	दमन तथा द्वीप	2	388	0	0	2	388
	उप-योग	620	144766	383	41066	1003	185832
	सकल-योग	1654	349306	2620	278879	4274	628185

सलंगनक 5.7.4

1989-1999 की अवधि के लिए कर्षवार पंजीयन, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियां, किया गया निवेदन तथा अद्यतन रजिस्टर

(हजारों में)

वर्ष	रोजगार कार्यालय*	पंजीयन	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियां	किया गया निवेदन	अद्यतन रजिस्टर
1	2	3	4	5	6	7
1989	849	6575.8	289.2	600.2	5740.4	32776.2
1990	851	6540.6	264.5	490.9	4432.2	34631.8
1991	854	6235.9	253	458.6	4531.2	36299.7
1992	860	5300.6	238.7	419.6	3652.1	36758.4
1993	887	5532.2	231.4	384.7	3317.8	36275.5
1994	891	5927.3	204.9	396.4	3723.4	36691.5
1995	895	5858.1	214.9	385.7	3569.9	36742.3
1996	914	5872.4	233	423.9	3605.9	37429.6
1997	934	6321.9	275	393	3767.8	39139.9
1998	945	5851.8	233.3	358.8	3076.6	40089.6
1999	995	5966	221.3	328.9	2653.2	40371.4

*वर्ष के अंत में

2000-01 के दौरान दिसम्बर, 2000 तक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत कवरेज

क्रम सं०	राज्य का नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	स्वीकृत कवरेज स्कूलों की संख्या	वास्तविक कवरेज		
				बच्चों की संख्या	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	975	61050	984	63991
2.	बिहार एवं झारखण्ड	8	194	12200	187	11268
3.	कर्नाटक	3	110	5500	69	3018
4.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	8	237	14500	119	6309
5.	महाराष्ट्र	2	74	3700	61	3184
6.	उड़ीसा	18	614	36750	580	34620
7.	राजस्थान	6	180	9000	136	6800
8.	तमिलनाडू	9	425	21900	407	20986
9.	उत्तर प्रदेश	11	370	22500	270	16987
10.	पश्चिमी बंगाल	8	346	17350	277	13841
11.	पंजाब	1	27	1350	0	0
	योग	96	3552	205800	3090	181004

5.8 कला एवं संस्कृति

वार्षिक योजना 2001-02 की समीक्षा

देश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा को सुरक्षित रखने तथा आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग ने पुरातत्वीय खुदाई, दृश्य एवं साहित्यिक कलाओं का प्रदर्शन करना, भौतिक एवं गैर भौतिक परम्परा का परिरक्षण, संग्रहालयों, पुस्तकालयों एवं राष्ट्रीय स्वरूप आदि के संस्थानों का विकास करने की अपनी गतिविधियां जारी रखी। संस्कृति विभाग भारत की स्पर्शनीय एवं गैर-स्पर्शनीय दोनों प्रकार की परम्परा की देखरेख करता है। एक बृहत परिदृश्य में, यह पर्यटन, शिक्षा, कपड़ा एवं विदेशी मामलों जैसे कई अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के साथ सहयोजन में राष्ट्रीय पहचान से सम्बन्धित विषयों की भी देखरेख करता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा को प्रोत्साहित करने उसका संरक्षण एवं प्रसार करने के काम में कई संस्थान सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं। वैचारिक ढांचे के अन्दर, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण, (एएसआई) संग्रहालयों एवं राष्ट्रीय अभिलेखागारों के माध्यम से सांस्कृतिक परम्पराओं को लगातार बनाए रखा गया है।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

2. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02 तक) के दौरान, 920.41 करोड़ रूपए में सहमत परिव्यय में से योजना आयोग द्वारा 635.40 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 530.66 करोड़ रूपए व्यय किए गए। विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए 225.00 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2000-01 में, विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किए हैं तथा सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, योजना आयोग की सहमति से योजना बजट का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न उपायों के लिए रखा गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

3. नौवीं योजना के लिए भा.पु.स. (एएसआई) को 182.49 करोड़ रूपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था तथा योजना के प्रथम चार वर्षों में 83.33 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रबन्धन तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक अपेक्षित ढांचा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त स्मारकों की सुरक्षा के दायित्व भी सौंपे गए हैं। इस समय भा.पु.स. (एएसआई) के पास राष्ट्रीय महत्व के घोषित 3606 केन्द्रीय सुरक्षित स्मारकों की सूची है जिनमें से 16 स्मारक ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में विश्व स्तर की परम्परा की सूची में उल्लिखित हैं। भा.पु.स. द्वारा अलग-अलग रूप से अनुरक्षित की जा रही इमारतों की संख्या 5000 से अधिक है।

भा.पु.स. (एएसआई) ने विश्व स्तर के स्थलों पर अक्टूबर, 2000 से प्रवेश फीस 5 रूपए से बढ़ाकर 10 रूपए तथा अन्य 109 स्मारकों में 2 रूपए से बढ़ाकर 5 रूपए कर दी है। इसके अतिरिक्त, विदेशी पर्यटकों से विश्व स्तर के स्थलों पर 10 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति तथा अन्य स्मारकों के लिए 5 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति लिए जाते हैं। भा.पु.स. (एएसआई) द्वारा औसतन प्रति वर्ष 85.00 करोड़ रूपए एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडू, दिल्ली, असम, कश्मीर, गुजरात, केरल तथा दमन एवं द्वीव के विभिन्न स्थानों के 500 से अधिक स्मारकों का संरक्षण तथा उनकी ढांचागत मरम्मत, रसायनिक अनुरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास का कार्य शुरू किया गया। पिछले 55 वर्षों से भा.पु.स. (एएसआई) की गतिविधियों बहुत विस्तार हुआ है तथा देश के विभिन्न भागों में 7 क्षेत्रीय केन्द्र, 1 उप क्षेत्रीय केन्द्र, 1 स्थायी फील्ड स्टेशन तथा कई अन्य स्टेशनों को स्थापित किया गया है।

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई महत्वपूर्ण खुदाईयां की हैं जैसे कि धोलावीरा, जो कि रन आफ कच्छ में एक हड़प्पन स्थल है। इस उप महाद्वीप में सिन्धु सभ्यता के पांच महान केन्द्रों में से गुजरात एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरा है।

5. गुलबर्गा जिला, कर्नाटक के चित्रापुर तालुक में कनगनहल्ली, संन्नाती में महान स्तूप पर पुरातत्वीय खुदाइयों से चूने-पत्थर में विशाल उत्कीर्ण पुरातत्व ब्लाकों की बनी महा चैत्या उपलब्ध हुई है। हाल ही में विजयनगर (हाम्पी), हौसपैट ताल्लुक, बैलारी जिला, कर्नाटक पर पुरातत्वीय खुदाइयों ने महल परिसरों के अवशेषों, बाड़ों, आवासीय क्षेत्रों, आयाताकार हालों, सुरक्षा कमरों, स्क्रीन दीवारों के साथ टेढ़े-मेढ़े प्रवेशों, नालियों के साथ जल संग्रह, टैंकों आदि के साथ विभिन्न बाड़ों को उजागर किया है। ये ढांचे उक्त स्थल पर छितरे हुए हैं। खुदाइयों के दौरान पाए गए पुरातत्वीय डिजाइनों को उनकी मूल अवस्थितियों में लाए जाने की आवश्यकता है।

6. प्रत्येक वर्ष भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के फील्ड कार्यालयों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों से देश में पुरातत्वीय खुदाइयां तथा गवेषणा करने के लिए कार्यक्रमों के अनुमोदनार्थ अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भा.पु.स. (एएसआई) ने देश में 63 पुरातत्वीय खुदाई कार्यक्रमों तथा 48 गवेषणा कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है।

7. बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के केसरिया में एक विशाल और पक्का तीर्थस्थल सुन्दर समाधि प्रकाश में आई है। यह 8वीं शताब्दी के पाला काल के समय की मानी जा रही है। इस खुदाई में प्रदखिणे - रास्तों के साथ टैरिसें मिली है जिनकी बनावट नन्दनगढ़ (बिहार) तथा पहाड़पुर (बंगलादेश) की टैरिसों के समान है।

8. जम्मू से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 22 कि.मी. दूर मालपुर में खुदाईयां इस क्षेत्र के नवपाषाणीय क्षितिज का पता लगाने के लिए की गई थी। इस से नवपाषाणीय औजारों का एक काफी बड़ा जखीरा मिला है जिसमें कुछ खन्दक में पाए गए जिसमें कुल्हाड़ियां, बसूले, छेणियां, गैतियां, हथोड़ा पत्थर, रिंग पत्थर, ओखली-मूसलों के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में यंत्र शामिल हैं। उनमें से कुल्हाड़ियां सबसे अधिक संख्या में है

तथा सामान्य रूप से वे गोल हथ्थे के साथ त्रिभुज आकार की हैं। यद्यपि, इनमें से कुछ के हथ्थे नुकीले भी हैं। ये यंत्र कश्मीर तथा कांगड़ा के नवपाषाणीय संग्रह के साथ मिलते-जुलते हैं।

9. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02 तक) के दौरान योजना आयोग द्वारा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण को उनकी विभिन्न गतिविधियों के लिए 107.62 करोड़ रूपए तथा इसी प्रकार वर्तमान वर्ष 2002-02 के लिए 46.00 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए।

संग्रहालय

10. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कला एवं वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रदर्शन, शिक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए 237.75 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए। नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 109.21 करोड़ रूपए व्यय किए गए। इस स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 42.01 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

11. भारतीय संग्रहालय, राष्ट्र के बहुमूल्य खजानों के भण्डार हैं। संस्कृति विभाग का मत है कि वे लोगों की अभिरूचियों को सृजित करने में एक सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उन्हें भारत में उपलब्ध इतिहास एवं रचनात्मक प्रतिमा के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए नौवीं योजना में इस धारणा को सही करने पर बल दिया जाना कि संग्रहालय मात्र जिज्ञासाओं के भण्डार-गृह हैं। संस्कृति विभाग, संग्रहालयों को कला की प्रोन्नति, शिक्षा, अनुसंधान एवं ज्ञान की बढ़ोतरी में लगे बहु-संस्कृतिक परिसरों में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। संस्कृति विभाग, इस समय पांच सामान्य संग्रहालयों/राष्ट्रीय महत्व की कला दीर्घाओं का प्रशासन कर रहा है, ये हैं : राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला राष्ट्रीय दीर्घा, दिल्ली एवं मुम्बई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कला, संरक्षण एवं संगीत विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान हैं, जिसे कला के इतिहास में संरक्षण एवं संगीत विज्ञान के क्षेत्रों में एम.ए. तथा पीएचडी की डिग्रीयां प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय समझा जाता है।

12. इस विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय राष्ट्रीय परिषद (एनसीएसएम), कलकत्ता भी आती है, जो कि पूरे देश में फैले 29 विज्ञान केन्द्रों तथा विज्ञान संग्रहालयों का एक समूह है। एनसीएसएम एक स्वायत्त संगठन है जो कि मुख्य रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से विद्यार्थियों के बीच तथा सामान्य रूप से आम जनता में अपनी गतिविधियों तथा पारस्परिक कार्यक्रमों के विस्तृत क्षेत्र के माध्यम से लोकप्रिय बनाने में कार्यरत है। पिछले दो वर्षों के दौरान, विभाग द्वारा संग्रहालयों को आधुनिक बनाने तथा उन्हें भारत के विकास का एक अभिन्न अंग बनाने में कई नई पहलें की गई हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनसीएसएम की कुछ मुख्य गतिविधियों में राजीव गांधी साइंस सेन्टर मारिशस के लिए प्रदर्शित वस्तुएं थी जिन्हें एनसीएसएम द्वारा मारिशस सरकार के उत्प्रेरक समर्थन कार्यक्रम के एक अंग भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है। वीआईटीएम, कोलकत्ता, जीव विज्ञानों के संबंध में एक दीर्घा का विकास कर रहा है जबकि वीआईटीएम, बंगलौर एक बायोप्रौद्योगिकी के संबंध में दीर्घा का विकास

कर रहा है। एनएससी, दिल्ली में मानव जीवविज्ञान दीर्घा का विकास किया जा रहा है जबकि विज्ञान नगर, कोलकता जीवन के विकास पर एक दीर्घा का विकास कर रहा है।

13. राष्ट्रीय संस्कृति सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (एनआरएलसी), लखनऊ देश में संरक्षण मामलों में सांस्कृतिक संस्थानों को संरक्षण सेवाएं तथा सलाह उपलब्ध कराने और संरक्षण में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में कार्यरत है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनआरएलसी, संरक्षण की सामग्रियों तथा तरीकों में अनुसंधान संरक्षण में प्रशिक्षण, संरक्षण में ज्ञान की दशाएं तथा देश के संरक्षकों को पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध कराता है। एनआरएलसी का मुख्यालय लखनऊ में है, तथापि दक्षिण क्षेत्र में संरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, एक क्षेत्रीय केन्द्र मैसूर में कार्य कर रहा है।

14. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग के तहत एक सम्बद्ध कार्यालय है जो प्रशासकों तथा विद्वानों द्वारा प्रयोग में लाए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार के स्थायी किस्म के रिकार्डों को संजोता है। भा.रा.अ. (एनएआई) भारत सरकार के पास विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनके रिकार्ड प्रबन्धन, विद्वानों को अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने तथा विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को उनकी देखरेख में पांडुलिपियों के परि-रक्षण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नियमित कार्यक्रम हैं। अभिलेखीय अध्ययनों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोर्स के अन्तर्गत पुरातत्वीय अध्ययनों का स्कूल प्रशिक्षण तथा भारतीय एवं विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, लोगों के बीच अभिलेखीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। एनएआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है तथा पांडिचेरी, जयपुर एवं भुवनेश्वर में 3 रिकार्ड केन्द्र हैं। इसने अभी तक मठों, मंदिरों, गिरजाघरों, विश्वविद्यालयों, प्राच्य पुस्तकालयों तथा साहित्य, गणित ज्योतिष, संगीत, धार्मिक इतिहास, योग, विज्ञान एवं गणित आदि के विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्रोतों से 19,44,960 पांडुलिपियों के बारे में सूचना एकत्रित की है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार रिकार्ड प्रबन्धन के लिए एक नोडल एजेंसी होने के नाते, नई दिल्ली एवं कोलकता में स्थित विभिन्न विभागों/कार्यालयों से संबंधित 31,852 फाइलों का मूल्यांकन किया। वर्ष के दौरान, 11 मंत्रालयों/विभागों के विभागीय रिकार्ड रूमों का निरीक्षण किया गया जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्व विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं व्यय विभाग, आपूर्ति, कृषि एवं सहकारिता, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, भारी उद्योग, खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शामिल है।

15. प्राचीन समय से ही सभी विद्वान जिज्ञासुओं के लिए पुस्तकालय मुख्य आधार रहे हैं। पुस्तकालय एवं पुस्तकाध्यक्ष हमेशा दस्तावेज संकलन, विद्वानों के लिए ज्ञान के अर्जन तथा उसके प्रचार तथा निर्णय लेने वालों, विद्यार्थियों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए केन्द्र स्थल रहे हैं। संस्कृति विभाग ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान पुस्तकालयों एवं उनकी गतिविधियों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया है। विभाग ने राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकता, खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कोलकता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर सहित अपने पर्यवेक्षण में पुस्तकालयों को आधुनिक एवं कम्प्यूटरीकृत करने में पहल की है। संस्कृति विभाग ने पुस्तक सुपुर्दगी अधिनियम, 1954 को संशोधित करने की भी पहल की है जो सूचना

प्रौद्योगिकी आधारित प्रकाशन परिदृश्य से मेल खा सके। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकता में भाषा भवन का निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक राष्ट्रीय पुस्तकालय की सभी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक मुख्य रचनात्मक पहल है।

16. 3 राष्ट्रीय अकादमियों अर्थात् ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत एवं नाटक अकादमी को योजना आयोग द्वारा लगातार समर्थन एवं योजना राशि उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक अकादमी, संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है जो प्रख्यात अनुभवी कलाकारों के साथ-साथ नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रशिक्षण डाक्यूमेंटेशन तथा पुरस्कार/छात्रवृत्तियों के माध्यम से निष्पादन की व्यवस्था करता है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में कथक केन्द्र तथा इम्फाल में जवाहर लाल मणिपुर अकादमी चलाती है। अकादमी, रविन्द्र रंगशाला, नई दिल्ली के प्रबन्धन की भी देखभाल करती है। भारत में विभिन्न स्थानों पर कई नृत्य कार्यक्रम एवं उत्सव आयोजित किए गए। उत्तर-पूर्वी राज्यों के विभिन्न स्थानों पर गणतन्त्र महोत्सव जैसे तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सीरीज आयोजित की गई। अकादमी ने 51 कलाकारों एवं विद्वानों को चुना तथा वर्ष 1999-2000 के लिए 50 अकादमी पुरस्कार उपलब्ध कराए। अकादमी पुरस्कारों में 25000/- रुपए की राशि, एक शाल तथा संगीत, कला, थियेटर आदि के विभिन्न क्षेत्रों में ताम्रपत्र हेतु प्रशस्तियां दी जाती हैं। साहित्य अकादमी ने भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में अपने पुस्तकालय गतिविधियों पर बल दिया जाना जारी रखा। साहित्य अकादमी ने अपनी स्थापना से 22 भारतीय भाषाओं में 3300 से अधिक पुस्तकें छपवाई हैं तथा चालू वर्ष के दौरान इसने 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं। अकादमी ने भारतीय गौरव ग्रन्थों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने की अपनी परियोजना का विभिन्न सरकारी संस्थानों के सहयोग से जारी रखा। ललित कला अकादमी, भारतीय कला की समझ को देश के अन्दर तथा बाहर प्रोत्साहित करती है तथा उसका प्रचार करती हैं। अकादमी की नियमित गतिविधियों में कला की एक वार्षिक राष्ट्रीय प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ललित कला मेला, प्रदर्शनी, व्याख्यान, स्लाइड शो तथा कार्यशाला/कैम्प/प्रदर्शन आदि जैसी कुछ गतिविधियां शामिल हैं। अकादमी चेन्नई, कोलकता, लखनऊ तथा भुवनेश्वर में अपने 4 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से कार्य करती है।

17. भारत की सांस्कृतिक परम्परा की प्रोन्नति, प्रचार एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए देश में 7 क्षेत्रीय केन्द्र नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा देश में सांस्कृतिक अभियान को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घूमिल हो रही परम्परा एवं लोक कला को बचाने के कार्य में लगे हैं। 1993 में सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र गणतन्त्र दिवस लोक नृत्य उत्सव में भाग लेने के लिए लोक कलाकारों को भेजते रहे हैं। यह उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर लोक कलाकारों को एकमात्र अवसर प्रदान करता है। गणतन्त्र दिवस परेड में निष्पादन के अतिरिक्त क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र विशेष रूप से समाप्त हो रहे विभिन्न लोक एवं आदिवासी कला किस्मों का संयोजन करना केन्द्र के मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

18. योजना आयोग ने संस्कृति विभाग के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण (एएसआई) का लगातार समर्थन किया है। उक्त संगठन मानवजातीय सामग्रियों के अध्ययन के

साथ-साथ पुरातन मानव कंकाल अवशेषों तथा इसके एकत्रीकरण, परिरक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन करने जैसी गतिविधियों में कार्यरत है।

19. पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा श्री दलाई लामा की सलाह पर तिब्बतीय संस्कृति एवं परम्परा के परिरक्षण के लिए, तिब्बती भाषा में प्राचीन भारतीय विज्ञानों एवं साहित्य के पुनरुद्धार, भारतीय - हिमालयाई सीमा के विद्यार्थियों को वैकल्पिक शिक्षा सुविधाएं देने के लिए जो पहले तिब्बत में उच्च अध्ययनों में डिग्रियां प्रदान करने के लिए बौद्ध एवं तिब्बती अध्ययन केन्द्रों (सीबीटीएस) को सुदृढ़ करने के लिए लगातार समर्थन दिया जा रहा है। संस्कृति विभाग, सारनाथ, वाराणसी, नालन्दा, धर्मशाला, गंगतोक, तिब्बत हाऊस, तवांग मॉनस्ट्री स्कूल, केन्द्रीय तिब्बती पुस्तकालय आदि जो बौद्ध एवं तिब्बतीय अध्ययनों में लगे हैं, विभिन्न संस्थानों को उनके ढांचागत सुधार करने में बौद्ध शिक्षा के दुर्लभ पांडुलिपि तथा केन्द्रों के संग्रहस्थल होने के नाते समर्थन देता है। संस्कृति विभाग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हिमालय संस्कृति अध्ययनों पर एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

20. रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान संस्कृति विभाग की सभी स्कीमों की समीक्षा की गई तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में छंटाई अभिसरण एवं तर्कसंगत बनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद कुछ छोटी स्कीमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कुछ स्कीमों के विलयन का भी निर्णय लिया गया।

21. शिक्षा प्रभाग, योजना आयोग के अधिकारी जालन्धर विज्ञान नगर परियोजना की विकास गतिविधियों, अरुणाचल प्रदेश में हिमालयाई संस्कृति अध्ययनों के केन्द्रीय संस्थान के गठन आदि की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के मानीटरिंग एवं समीक्षा समितियों के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं।

5.9 युवा मामले एवं खेल

युवा मामले

हमारे देश के संदर्भ में, जिला वर्ग के रूप में वे युवा आते हैं जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष तक है। 1991 की जनगणना के अनुसार, लगभग 34 करोड़ (340 मिलियन) लोग इस आयु वर्ग में थे, जिसमें से लगभग 74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 1997 में यह संख्या बढ़कर 38 करोड़ (380 मिलियन) हो गई जिसकी वर्ष 2016 तक आगे 51 करोड़ (510 मिलियन) तक बढ़ने की सम्भावना है। यह शताब्दी युवा की शताब्दी है। हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत 35 वर्ष की आयु से कम है। 1997 में कुल जनसंख्या में युवाओं का अनुमान 37 प्रतिशत था। यह वर्ग देश की जनसंख्या का अधिक अनुनादी तथा साधन सम्पन्न हिस्सा है। मंत्रालय, मानव निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्य में लगा है, अर्थात् युवा के व्यक्तित्व का विकास करना तथा उन्हें विभिन्न राष्ट्र - निर्माण गतिविधियों में लगाना। युवा को साम्प्रदायिकता एवं सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध एवं सामाजिक चेतना को उजागर करने एवं सुदृढ़

बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। योजना आयोग द्वारा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के कई कार्यक्रमों के लिए युवा शक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाने तथा उनके मन में देशभक्ति मूल्यों को पैदा करना तथा उनकी कार्यकुशलता को ऊँचा उठाने में लगातार समर्थन दिया जा रहा है।

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

2. नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 353.48 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है तथा नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में 282.77 करोड़ रुपए विभिन्न युवा कल्याण स्कीमों के लिए खर्च किए जा चुके हैं।

3. सामाजिक - आर्थिक परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तनों तथा युवा वर्ग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए एक नई युवा नीति की आवश्यकता महसूस की गई। नई युवा नीति के निर्धारण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, राजनैतिक पार्टियों के युवा विंग, संसद सदस्यों, युवा संगठनों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों से सलाह ली गई तथा नई युवा नीति का एक मसौदा सरकार के विचार के लिए तैयार किया गया है।

युवा कल्याण

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

4. राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) की स्कीम के प्रति विद्यार्थियों की अनुक्रिया बहुत उत्साहजनक रही। 1969 में 40,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण से आरम्भ करके 2000-01 के दौरान राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) ने संख्या बढ़ाकर 17 लाख से अधिक हो गई। इसके गठन से ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों से 1.52 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने एनएसएस की गतिविधियों से लाभ उठाया है। एनएसएस के दो प्रकार के कार्यक्रम स्वयंसेवकों द्वारा अपनाये जाते हैं, अर्थात् 'नियमित गतिविधियां' तथा 'विशेष कैम्पिंग कार्यक्रम'। नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत विद्यार्थियों से स्वयंसेवकों के रूप में लगातार दो वर्षों की अवधि के लिए कार्य करने की आशा की जाती है जिसमें से उन्हें प्रतिवर्ष कम से कम 120 घंटों के लिए सामुदायिक सेवा करनी पड़ती है। इन गतिविधियों में, सुधार करना, पेड़ लगाना, अपनाए गए गांवों एवं गन्दे इलाकों में कल्याण संस्थानों में रचनात्मक कार्य, रक्तदान, व्यस्क एवं गैर-औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण, एडस जागरुकता अभियान आदि सम्मिलित हैं। 'विशेष कैम्पिंग कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अपनाए गए क्षेत्र में विशिष्ट विषयों पर 10 दिनों की अवधि के लिए एक कैम्प आयोजित किया जाता है जिसमें 'वनारोपण के लिए युवा तथा पेड़ लगाना', 'जन शिक्षा के लिए युवा', 'ग्रामीण पुनः निर्माण के लिए युवा', 'विकास के लिए युवा', 'सामाजिक तालमेल के लिए युवा' आदि कार्यक्रम शामिल हैं। चालू वर्ष का लक्ष्य 'स्वस्थ समाज के लिए युवा' है। 2000-01 के लिए 16.89 लाख विद्यार्थी स्वयंसेवकों को पंजीकृत करने तथा स्वस्थ समाज के लिए युवाओं से संबंधित 8000 कैम्प

आयोजित करने का लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए 8000 गांवों को अपनाए जाने का भी निर्णय लिया गया।

5. नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है जिसका नेटवर्क देश के 500 जिलों में फैला है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक युवा क्लबों एवं महिला मण्डलों के माध्यम से यह गांव पर आधारित एक संगठन है। एनवाईकेएस 46 क्षेत्रीय संयोजकों तथा 18 क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से कार्य करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 15-35 आयु वर्ग में 8 मिलियन से अधिक युवाओं सदस्यता 1.83 लाख सक्रिय युवा क्लबों तथा महिला मण्डलों के माध्यम से थी। वर्ष के दौरान, असंगठित ग्रामीण युवाओं को उनके अपने-अपने गांवों में प्रेरित करने, शिक्षित, प्रशिक्षित एवं संगठित करने के लिए कुल 1134 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा प्रत्येक कार्यक्रम पर 4690 रुपए व्यय किए गए। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 3785 कार्यब्रह्म आयोजित किए गए तथा प्रत्येक कार्यक्रम पर 20,000 रुपए व्यय किए गए। इसी प्रकार जागरूकता पैदा करने एवं अभियान आयोजित करने के लिए एनवाईकेएस ने पांच दिनों की अवधि के लिए 2543 कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा प्रत्येक केन्द्र को गतिविधि के लिए 2000 रुपए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, 591 कार्य कैम्पों, 883 टूर्नामेंटों, 543 सांस्कृतिक कार्यक्रमों, 366 साहसिक कार्यक्रमों, 5243 राष्ट्रीय एकता कैम्पों, 572 सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का वर्ष के दौरान आयोजन किया गया। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजेजीएसवाई) के अन्तर्गत एनवाईकेएस, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। आरम्भिक स्तर पर तथा प्रायोगिक आधार पर इस परियोजना को देश के 4 राज्यों के 8 जिलों के 800 ग्रामों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से संबंधित 8000 गरीब लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है।

6. वर्ष के दौरान, 106 स्वयंसेवी संगठनों के 6255 लाभार्थियों को (31.01.2001 तक) 135 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। युवाओं की प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उत्पादक क्षमता को सुधारने के लिए 86 स्वैच्छिक संगठनों को 3555 युवाओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पिछड़ी जनजाति के युवाओं में युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवश्यकता एवं सम्भावना के आधार पर 102 स्वैच्छिक संगठनों को पिछड़ी जनजाति के 6260 युवाओं के लाभ के लिए पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए स्कीम के अन्तर्गत सहयोग दिया गया। स्वैच्छिक संगठनों, एनवाईकेएस, एनएसएसके क्षेत्रीय केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों सहित शैक्षिक संस्थानों, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को लोक नृत्य, लोकगीत, पेंटिंग, कला तथा शिल्प आदि के लिए 6150 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रोन्नति की स्कीम के अन्तर्गत लगभग 150 संगठनों को राष्ट्रीय एकीकरण कैम्पों के आयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

7. युवाओं को रचनात्मक एवं ठोस कार्य के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए तथा उनकी शक्ति का हमारे समाज एवं देश के लिए अर्थपूर्ण ढंग से सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने के वास्ते भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम (एनआरसी) से एक केन्द्रीय क्षेत्र प्रायोगिक आधार पर 1 अप्रैल, 2001 से

प्रारम्भ की है। स्कीम के महत्वपूर्ण लक्ष्य युवा शक्ति को रचनात्मक चैनलों में दीर्घकालीन समय के आधार पर काम में लगाना है। एनआरसी स्वयंसेवी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। स्वयंसेवी, समुदाय तथा राष्ट्र को एक वर्ष की सेवा प्रदान करेंगे। स्वयंसेवक की कम से कम योग्यता मैट्रिक्यूलेशन तथा वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। महिलाओं, अनु.जा./अ.ज.जा. तथा पिछड़े वर्ग के युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। स्वयंसेवकों को 1000/- रुपए प्रतिमास मानदेय दिया जाएगा तथा यह स्कीम नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। चालू वर्ष के लिए योजना आयोग ने 12 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।

खेल

वर्ष 2000-01 की समीक्षा

8. 1982 में एशियाई खेलों के बाद, भारत सरकार ने देश में खेल ढांचा को बनाने तथा खेल की प्रोन्नति के लिए बहुत से उपाय किए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से भारत सरकार खेल ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न टूर्नामेंटों में चुने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पोषण तथा एसएआई की प्रतिभावान स्काउटिंग स्कीम के माध्यम से अनुदान राशि उपलब्ध कराती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों के लिए 472.61 करोड़ रुपए का परि-व्यय उपलब्ध कराया गया है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान व्यय 402.52 करोड़ रुपए है। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान भारतीय खेलों का पुनरुत्थान हुआ है जो कि एशियाई खेलों में बेहतर निष्पादन से स्पष्ट है। ओलम्पिक-2000 में भारत का निष्पादन यद्यपि पदकों के मामले में बहुत संतोषजनक नहीं था परन्तु खेलों के मानक में प्रशंसनीय सुधार हुआ, जैसा कि विभिन्न खेलों के 7 खिलाड़ी विश्व - स्तर के प्रथम 10 में थे। यद्यपि, भारत ने वजन उठाने (वेटलिफ्टिंग) में केवल कांस्य पदक जीता, परन्तु कुछ अन्य खेलों में निष्पादन विशेषतौर पर बाक्सिंग तथा शूटिंग में पर्याप्त सुधार हुआ है। वस्तुतः खेल की प्रोन्नति विभिन्न राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों का प्रमुख दायित्व है। सरकार की भूमिका ढांचा तैयार करना तथा व्यापक आधार वाले खेलों के लिए क्षमता सृजित करने को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तुलनात्मक खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना आयोग द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

वार्षिक योजना 2001-2002

9. वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए खेलों की विभिन्न स्कीमों के लिए 149.39 करोड़ रुपए का परि-व्यय उपलब्ध कराया गया है।

10. भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) बंगलौर, गांधी नगर, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकता, इम्फाल में स्थित अपने क्षेत्रीय केन्द्रों तथा गुवाहाटी उप-केन्द्र के माध्यम से विभिन्न खेल प्रोन्नति स्कीमों, अर्थात् राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), आर्मी ब्वाइज स्पोर्ट्स कम्पनी (एबीएससी) एसएआई ट्रेनिंग सेन्टर (एसटीसी), स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी), सेन्टर फार ऐक्सीलेन्स, स्पोर्ट्स अकादमी तथा नेशनल कोचिंग

स्कीमों को क्रियान्वित कर रहा है। एनएसटीसी की स्कीम के अन्तर्गत, अपनाए गए 32 स्कूल तथा 2 अखाड़े कार्य कर रहे थे जो 971 प्रशिक्षणार्थियों को लाभ पहुंचा रहे थे। 2000-01 के दौरान एसएआई खेल सुविधाएं, उपकरण तथा 1600 अर्हता प्राप्त कोचों की सेवाएं 27 खेलों में 3874 प्रशिक्षणार्थियों के लिए 47 एसएआई प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। वर्ष के दौरान, 4 नए एसएजी केन्द्रों तथा 2 संबद्ध केन्द्रों की स्थापना की गई। खेलों की संख्यां जिनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था 17 से बढ़कर 21 हो गई हैं। नई पहल के परिणामस्वरूप, 2000-01 में एसएजी के 12 केन्द्रों तथा 3 सम्बद्ध केन्द्रों पर 21 खेलों में 1032 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2000-01 के दौरान, उत्कृष्टता के 6 केन्द्रों पर 278 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

11. प्रथम अफ्रीकी एशियाई खेल भारत में इस वर्ष नवम्बर मास में नई दिल्ली में किए जाने प्रस्तावित हैं। ऐथेलेटिक्स, फुटबाल, बाक्सिंग, शूटिंग, तैराकी, टेनिस, हाकी (पुरुष एवं महिला), तथा वेटलिफ्टिंग (पुरुष एवं महिला) के आठ खेल होंगे। इन खेलों में एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों की टीमों भाग लेंगीं। आधारभूत ढांचे तथा खेलों के आयोजन पर होने वाले व्यय के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से 55.00 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमोदन किया है। इसमें से 30.00 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचों को सुधारने के लिए तथा 25.00 करोड़ रुपए खेलों के आयोजन के लिए होंगे। अफ्रीकी-एशियाई खेलों के आयोजन के लिए 20.00 करोड़ रुपए की राशि योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 2001-02 के लिए उपलब्ध कराई गई है।

12. वर्ष 2000-01 के दौरान, मंत्रालय की सभी स्कीमों की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित स्कीमों को अन्य स्कीमों के साथ मिला दिया जाए ताकि अपेक्षित लक्ष्य तथा बेहतर उपलब्धि प्राप्त हो सके;

- क) 'प्रमोशन ऑफ ऐडवेन्चर' तथा 'ऐस्टेब्लिशमेन्ट ऑफ मॉनीटरिंग इन्स्टीच्यूट्स'
- ख) 'प्रमोशन ऑफ नेशनल इन्टिग्रेशन' तथा 'नेशनल यूथ अवार्ड्स'
- ग) 'डेवलपमेंट सेन्टर्स' को 'स्कीम ऑफ फाइनेंसियल ऐसिसटेन्स टू यूथ एण्ड स्पोर्ट्स क्लब्स' में मिला दिया जाएगा ।
- घ) 'स्कीम ऑफ असिसटेन्स टू वालयनटरी आरगेनाइजेशन्स वाकिंग इन द फील्ड ऑफ यूथ' तथा 'ट्रेनिंग आफ यूथ एण्ड स्कीम फार ऐक्सीबीशन्स फार यूथ' को एक स्कीम 'प्रमोशन ऑफ यूथ एक्टीविटी एण्ड ट्रेनिंग' में मिला दिया जाएगा।
- ड) आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष घटक को बदल कर 'स्पेशल स्कीम फार प्रमोशन आफ यूथ एक्टीविटी इन ट्राइबल एरिआज' कर दिया जाएगा।

13. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव किया है कि खेलों से संबंधित सभी स्कीमों को 6 प्रकार की स्कीमों के अन्तर्गत लाया जाएगा, अर्थात् आधारित ढांचा, प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण, खेलों (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों सहित), पुरस्कार, संस्थानों तथा खेल गतिविधियों की प्रोन्नति के लिए प्रोत्साहन।

वार्षिक योजना 2001-02

14. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को 255.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2001-02 के लिए 81.86 करोड़ रुपए की राशि युवा कल्याण स्कीमों के लिए, 149.39 करोड़ रुपए की राशि खेल तथा शारीरिक शिक्षा, 0.30 करोड़ रुपए उत्तर-पूर्वी घटक के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

अध्याय 6

कृषि, जल संसाधन, खाद्य, पोषण सुरक्षा

6.1 कृषि

भारत में कृषि अभी भी वर्षा पर आश्रित है। वास्तविक बुवाई का 62 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा से पोषित है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1997-98 में 192.26 मिलियन टन से 1999-2000 के दौरान ऊपर की ओर एक रिकार्ड बनाकर 208.87 मिलियन टन तक बढ़ गया। इस अवधि में चावल का उत्पादन 82.53 मिलियन टन से बढ़ कर 89.48 मिलियन टन तक हो गया। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन 66.35 मिलियन टन से बढ़ कर 75.57 मिलियन टन हो गया। दालों, तिलहनों तथा कपास के मामले में उत्पादन 1999-2000 के दौरान 1998-99 में प्राप्त उत्पादन स्तर से कम था। गन्ने का उत्पादन 299.23 मिलियन टन तक हो गया जो कि 1998-99 में प्राप्त उत्पादन से 10.51 मिलियन टन अधिक था।

2. 2000-01 के दौरान केवल 70 प्रतिशत क्षेत्र तथा देश के 66 प्रतिशत जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। देश के 135 जिलों, मुख्यतया गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में मानसून (जून से सितम्बर 2000 तक) के दौरान कम वर्षा हुई। वर्षा की कमी ने फसल की सम्भावना पर विपरीत प्रभाव डाला। सौराष्ट्र तथा कच्छ में सामान्य से 44 प्रतिशत से कम वर्षा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 30 से 35 प्रतिशत कम वर्षा हुई। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 22 से 28 तक सामान्य से कम वर्षा हुई। वर्षा के दौरान सर्दी की वर्षा भी संतोषजनक नहीं रही। इसके परिणाम - स्वरूप 2000-01 के दौरान उत्पादन कम रहने की सम्भावना है। खाद्यान्नों का उत्पादन 212 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 196.07 मिलियन टन अनुमानित है। फसलों का उत्पादन एवं लक्ष्य संलग्नक

6.1.1 में दिया गया है। गुजरात में 26 जनवरी 2001 को रिक्टर स्केल पर 6.9 मात्रा का एक भूचाल आया जिसका अधिकेन्द्र भुज के उत्तर-पूर्व में था, जिससे जान तथा माल का भारी नुकसान हुआ।

3. वर्ष 2000-01 के दौरान चालू 27 स्कीमों को एक व्यापक कार्यक्रम कृषि का बृहत प्रबन्धन शीर्षक के अन्तर्गत समेकित किया गया है। इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्यों को कार्ययोजना के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है। राज्यों को विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने होंगे तथा अपनी क्षेत्रीय अग्रताओं के अनुसार सघन प्रयास करने होंगे।

कृषि का बृहत प्रबन्धन

- 27 चालू स्कीमों में बृहत प्रबन्धन के अन्तर्गत समेकित।
- इससे समर्थित कार्यक्रमों की उत्पादकता बढ़ेगी तथा राज्यों को इससे अधिक लचीलापन मिलेगा जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सकें।
- इससे विकेंद्रीकरण को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जिससे कृषि विकास आयोजना में राज्यों की प्राथमिकता को बहाल किया जा सकेगा।

फसल उत्पादन

खाद्यान्न

4. 1997-98 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 192.26 मिलियन टन था, जो कि आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1996-97)के दौरान प्राप्त लक्ष्य 199.43 मिलियन टन से बहुत नीचे था। जबकि उत्पादन की स्थिति में यद्यपि 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान सुधार हुआ, तथापि कृषि तथा सहकारिता विभाग के अनुमानों के अनुसार 2000-01 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान केवल 196.07 मिलियन टन है। 1999-2000 के दौरान देश में चावल का उत्पादन 87.50 मिलियन टन तथा गेहूं का 75.60 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ जो कि 2000-01 में क्रमशः 86.30 मिलियन टन तथा 68.46 मिलियन टन तक नीचे आने की संभावना है। 1996-97 के दौरान, मोटे अनाजों का 34.10 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ जो नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान टिक नहीं सका। दालों के उत्पादन का निष्पादन भी लक्षित स्तर से बहुत नीचे रहा। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का निष्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 234 मिलियन टन निर्धारित किया गया इससे पहले इसमें संशोधन किया गया तथा 2001-02 के लिए लक्ष्य 218 मिलियन टन निर्धारित किया गया। इस में 203 मिलियन टन अनाज तथा 15 मिलियन टन दालें सम्मिलित हैं। 1996-97 के दौरान प्राप्त 14.24 मिलियन टन तथा 1998-99 के दौरान 14.81 मिलियन टन का उत्पादन नौवीं योजना के अन्य वर्षों के दौरान प्राप्त नहीं किया जा सका।

तिलहन

5. इसी प्रकार 2001-02 के लिए तिलहनों के उत्पादन लक्ष्य को पहले रखे गए 30 मिलियन टन से कम करके 28 मिलियन टन रखा गया है। योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा, तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तथा पाम तेल विकास कार्यक्रम को तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति विकास (एन ओ वी ओ डी) बोर्ड टी एम ओ पी के प्रयासों की गैर पारम्परिक तिलहनों के तथा अतिरिक्त तिलहन बुआई की प्रोन्नति के लिए गैर पारम्परिक नए क्षेत्र खोलकर प्रतिपूर्ति कर रहा है। यह पेड़ से उत्पन्न तिलहनों को भी बढ़ावा दे रहा है।

कपास

6. कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत गहन कपास विकास कार्यक्रम पर एक संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 15 मुख्य कपास उगाने वाले राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा जम्मू एवं कश्मीर में क्रियान्वित की जा रही है। 1996-97 के दौरान 14.23 मिलियन गांठों के उत्पादन निष्पादन की बाद के वर्षों में पुनरावृत्ति नहीं की जा सकी। 2000-01 के दौरान कपास का उत्पादन 9.39 मिलियन टन होने की सम्भावना है, जो 1998-99 से लगातार गिरावट दिखा रहा है। नौवीं योजना का 15.7

मिलियन गांठों का लक्ष्य प्राप्त होता प्रतीत नहीं होता तथा 2001-02 के लिए 14.50 मिलियन गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पटसन तथा मेस्टा

7. 2000-01 के दौरान पटसन तथा मेस्टा का सम्भावित उत्पादन 10.37 मिलियन गांठें होगा, जो कि पिछले वर्ष की प्राप्ति से कम है। 2001-02 के लिए पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन का लक्ष्य 11 मिलियन गांठें निर्धारित किया गया है। मुख्य पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन विकास कार्यक्रम को विशेष पटसन विकास कार्यक्रम से समर्थित किया जा रहा है जिसे अब बृहत प्रबंधन के अर्न्तगत मिला दिया गया है।

गन्ना

8. 2000-01 से फसलीकरण क्रापिंग प्रणाली पर आधारित गन्ने के विकास को जारी रखने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के बृहत प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तर्गत लाया गया है। यह स्कीम 21 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। नौवीं योजना के चार वर्षों के दौरान गन्ने के उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। 2000-01 में बढ़ोत्तरी केवल मामूली रही। 1999-2000 में 299.23 मिलियन टनों से बढ़े उत्पादन से 2000-01 के दौरान 300.02 मिलियन टन का सम्भावित लक्ष्य होगा। अब तक प्राप्त उत्पादन की बढ़ोत्तरी के साथ नौवीं योजना का 336 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त होता प्रतीत नहीं होता। 2001-02 के लिए गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 325 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

बागवानी

9. भारत विविध कृषीय जलवायु परिस्थितियों तथा समृद्ध जैव विविधताओं से सम्पन्न है। इसलिए, इसमें बागवानी फसलों की विभिन्नता औषधीय तथा सुगंधित पौधे प्रजातियां एवं बागान फसलें शामिल हैं। बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता के पौषाणिक स्तर का सुधार करने के अतिरिक्त लाभदायक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की सार्थकता है।

बागवानी क्षेत्र कृषि उद्योग के लिए सुदृढ आधार भी उपलब्ध कराता है। यद्यपि, इस क्षेत्र में कुछ बाध्यताएं भी हैं जैसे, अपर्याप्त प्रौद्योगिकी तथा आधारिक संरचना, भूमि जोतों का ठोटा तथा न्यून आकार पुराने तथा जराग्रस्त फलोद्यानों का बाहुल्य, अच्छी किस्म के बीजों की कमी तथा विशिष्ट वर्ग की पौध सामग्रियों की कमी, बीमारियों तथा चूहों का होना तथा हैन्डलिंग, छंटाई, ग्रेडिंग,

सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

मिशन के लक्ष्य हैं -

- बागवानी के विकास के क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रम के बीच अभिसरण तथा सहक्रिया स्थापित करना ताकि उत्पादन, फसल के बाद तथा उपभोग कड़ी में सभी जोड़ों को पर्याप्त, उचित समय पर सहमत ध्यान सुनिश्चित करके उनके लम्बवत एवं सीधे एकीकरण से बागवानी विकास के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करना।
- बागवानी विकास के लिए बनाए गए ढांचे तथा वर्तमान निवेश से आर्थिक पारिस्थितिक तथा सामाजिक लाभों को अधिक करना।
- पारिस्थितिकीय संधारणीय सद्यनीकरण, आर्थिक रूप से वांछित विभिन्नता तथा मूल्य अभिवृद्धि सृजित करने हेतु कुशल रोजगार को बढ़ावा देना।
- जीव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आंतरिक प्रौद्योगिकी जैसे पारम्परिक बुद्धिमता एवं प्रौद्योगिकी के अग्रिम ज्ञान पर आधारित सम्मिश्रण के विकास एवं प्रचार को बढ़ावा देना।
- चालू बागवानी विकास परियोजनाओं की छूट गई कड़ियों को उपलब्ध कराना।

पैकिंग, यातायात एवं भण्डार सुविधाएं जैसी फसल के बाद का कमजोर प्रबंधन है। प्रसंस्करण नेटवर्क भी असंतोषजनक है। बागवानी क्षेत्र में अच्छी किस्मों के बीजों तथा विशिष्ट वर्ग की पौध सामग्रियों की अधिक उपलब्धता, सुधरी कृषि भूमि एवं विभिन्नता के साथ क्षेत्र विस्तार के लिए प्रोत्साहन, पोषकों का समेकित प्रबंधन, पानी चूहे तथा बीमारियों ढांचों का विकास आदि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागवानी में उभरते क्षेत्रों में चिकित्सीय एवं सुगंधित पौधे, फूलों की कृषि, मशरूमें आदि शामिल हैं। मधुमक्खी पालन से फसल की उत्पादकता बढ़ती है। इसीलिए, मधुमक्खी पालन के कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। देश में काजू तथा मसाले पारम्परिक फसलें हैं तथा इनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है।

10. पिछले वर्ष के दौरान, 12 लाख टन की अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज क्षमता सृजित करने, आठ लाख टन की वर्तमान कोल्ड स्टोरेज क्षमता के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण तथा 4.5 लाख टन प्याज की स्टोरेज क्षमता तैयार करने के लिए क्रेडिट से जुड़ा एक सहायता कार्यक्रम चलाया गया। बहुत अधिक संख्या में उद्यमी व्यवसायी एवं संगठन इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। अतः अनुमान है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता तैयार हो जाएगी।

11. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन को 2000-01 के अंत में, नौवीं योजना की शेष अवधि के लिए 229.38 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ चलाया गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बागवानी की सभी संबंधित सेवाओं की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाना है। नौवीं योजना में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य 179 मिलियन टन रखा गया है। 1999-2000 के दौरान फलों तथा सब्जियों का अनुमानित उत्पादन 137 मिलियन टन है। इसलिए नौवीं योजना के लक्ष्य की प्राप्ति एक कठिन कार्य लगता है।

बागान फसलें

12. देश का तटीय क्षेत्र तथा दक्षिणी भाग में पहाडियां तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एक ऐसे कृषि जलवायु वाले हैं जो कि बड़ी मात्रा में चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के राज्य तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के कुछ भाग काफी उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। केरल, त्रिपुरा तथा उत्तर-पूर्व राज्यों के कुछ भाग रबड़ बागान के लिए लोकप्रिय हैं। वस्तु बोर्ड चाय काफी, रबड़ आदि के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं तथा उत्पादकता को बढ़ाने तथा उत्पाद प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की प्राप्ति लक्ष्य के बहुत निकट है।

मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलसंभर (वॉटरशेड) विकास

13. मृदा संरक्षण एवं कठिनाई-ग्रस्त मृदाओं के सुधार के लिए स्कीम अर्थात् नदी घाटी परियोजनाओं (आर वी पी) जलग्रहण में निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण एवं बाढ़ सम्भावित

नदियों (एफ पी आर) और क्षार मृदाओं के पुनरुद्धार बृहत प्रबंधन के अन्तर्गत राज्यों को इन गतिविधियों के तहत आवंटित किया गया है जो उनकी योजनाओं / वास्तविक लक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

14. वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजनाएं (एन डब्ल्यू डी पी आर ए) कार्यक्रम का लक्ष्य अधिक वर्षा पोषित क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने एवं पारिस्थितिकीय संतुलनों को बनाने के लिए इन्हें बृहत प्रबंधन के अन्तर्गत मिला लिया गया है। नौवीं योजना की अवधि के लिए 1020 करोड़ रूपए का परिव्यय 22.5 लाख हैक्टेयर भूमि के उपचार के लिए उपलब्ध कराया गया था। योजना के प्रथम चार वर्षों में 22.19 लाख हैक्टेयर भूमि का उपचार 792.15 करोड़ रूपए के परिव्यय से किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य तथा आवंटन विभिन्न राज्यों की कार्य योजनाओं पर निर्भर करेगा।

कृषि निवेश एवं सेवाएं बीज

15. विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों तथा विभिन्न भूगोलीय स्थानों में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में लगातार अच्छी बढ़ोतरी के लिए बीज एक महत्वपूर्ण तथा मूल निवेश है। नौवीं योजना के दौरान उत्पादन

को बढ़ाने तथा प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों में वितरण करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता बीज के उत्पादन के लिए 109.6 लाख क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2000-01 के दौरान 112.89 लाख क्विंटल प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों को उपलब्ध कराया गया। 2001-02 के दौरान भारत सरकार उत्पादन भण्डारण गुणवत्ता नियंत्रण परिवहन तथा विभिन्न फसल उत्पादन अभिमुखी स्कीमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

16. 2000-01 के दौरान डी ए सी की पौधा किस्मों तथा किसानों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में एक कानून बनाना प्रस्तावित है। विभाग ने वर्तमान बीज अधिनियम को संशोधित करने तथा बीज अधिनियम 2000 बनाने का प्रस्ताव किया है।

वर्षा पोषित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजनाएं (एन डब्ल्यू डी पी आर ए)

प्रमुख विशेषताएं :

- लागत मानकों का संशोधन एवं लचीलापन प्रारम्भ करना एवं संसाधनों के घटकवार आवंटन में संशोधन।
- विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (पी आई ए) के साथ संधारणीय जलसंभरण का विकास।
- अच्छी सामुदायिक प्रेरणा हेतु जलसंभर विकास टीम (डब्ल्यू डी टी) को व्यापक बनाना।
- फार्म तालाब प्रौद्योगिकी का प्रावधान।
- बागवानी / कृषि वानिकी के अन्तर्गत सामूहिक पौध रोपण।
- गैर सरकारी संगठनों एवं पंचायतों की भूमिका को बढ़ाना।
- सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का प्रबंधन।
- परियोजना लाभ एवं लागत बंटाई।
- सहमत मूल्यांकन के माध्यम से मानिट्रिंग एवं मूल्यांकन (एम एण्ड ई) में सुधार।
- वास्तविक परिमाण सूचकों के विकास के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन।
- प्रशिक्षण एवं ओरीएन्टेशन के माध्यम से क्षमता निर्माण।

उर्वरक

17. कृषि फसलों के उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता को प्राप्त करने में उर्वरक एक अन्य महत्वपूर्ण कृषि निवेश है। 1999-2000 के दौरान रासायनिक उर्वरक का उपभोग पोषकों का 180.70 लाख टन था, जो कि वर्ष 1998-99 के दौरान 167.72 लाख टन प्राप्ति की तुलना में था। यह लगभग 13 लाख टनों की बढ़ोतरी दिखाता है। 2000-01 के दौरान किसानों के लिए विनियंत्रित फासफेटिक तथा पोटैसिक उर्वरक की बिक्री पर रियायत की स्कीमें जारी रही। 2000-01 के दौरान उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित प्रयोग के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित किया गया ताकि मृदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाने तथा संतुलित उर्वरक प्रयोग की प्रोन्नति को सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। नौवीं योजना अवधि के दौरान, वर्तमान 519 परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया जाएगा तथा उन क्षेत्रों में जहां यह सुविधाएं कमजोर हैं वहां नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नौवीं योजना के दौरान जैव खाद/कम्पोस्ट के साथ संतुलित तथा समेकित प्रयोग के लिए 36 नए कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है।

पौधा संरक्षण

18. विभिन्न फसलों की हानियों/नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए तथा उन्हें कई प्रकार की बीमारियों जीव नाशकों एवं कीटाणुनाशकों से बचाने के लिए कई प्रकार की केन्द्रीय स्कीमें प्रचलन में हैं। समेकित कीटनाशक प्रबंधन (आई पी एम) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, वर्तमान जैव नियंत्रण जीव जंतु के संरक्षण तथा जैव कीटाणुनाशकों जैव नियंत्रण एजेन्टों तथा पौधा मूल के उत्पादों पर बल दिया जाता है। 21 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में स्थित वर्तमान केन्द्रीय समेकित जीवनाशक प्रबंधन केन्द्रों ने प्रदर्शन तथा किसानों तथा राज्य शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए समेकित जीवनाशक प्रबंधन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण आयोजित किए। आई पी एम पद्धति के प्रदर्शनों को भी विभिन्न फसल उत्पादन अभिमुखी स्कीमों के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इससे कीटनाशकों का प्रयोग कम करने में सहायता मिली है जो 1996-97 में प्रयोग में लाए गए 56114 टन के मुकाबले 1999-2000 में 46195 टन तक नीचे आ गया।

19. विदेशी कीटनाशकों तथा बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए पौध संगरोध एवं घूमन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों, बन्दरगाहों, भूमि सीमाओं पर कायम हैं। यह केन्द्र पौध सामग्री के निर्यात तथा आयात के लिए पादप स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी जारी करते हैं। इन केन्द्रों को विभिन्न पौधों के निर्यात एवं आयात पर सख्त निगरानी रखने तथा संगरोध विनियमों को लागू करने के लिए मजबूत किया जा रहा है। टिड्डी चेतावनी संगठन (एल डबल्यू ओ) नियमित रूप से टिड्डी स्थिति पर तथा देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मरुस्थल क्षेत्र में होने वाली इसकी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए निगरानी करता है।

कृषि यंत्र एवं मशीनरी

20. छोटे किसानों के बीच कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए कृषि यंत्रों की प्रोन्नति संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1992-93 से लागू है। ट्रैक्टरों की खरीद के लिए प्रत्येक किसान को 30,000 रूपए की सीमा तक 30 प्रतिशत तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत नौवीं योजना

के प्रथम दो वर्षों के दौरान कुल 11020 ट्रेक्टर वितरित किए गए। वर्ष 2000-01 के दौरान यह स्कीम उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी क्रियान्वित की जा रही है तथा इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 500 ट्रेक्टर की आपूर्ति पर सहायता देने के लिए 150 लाख रूपए की राशि आवंटित की गई है। 2000-01 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम में 3500 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के विपरीत 2083 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन संस्थानों ने ट्रेक्टरों, पावर टिलरों, कम्बाइन हारवेस्टर्स तथा अन्य यंत्रों को मिलाकर 70 मशीनों के लक्ष्य के मुकाबले विभिन्न श्रेणियों की 47 मशीनों (अक्टूबर 2000 तक) का परीक्षण कर लिया है।

कृषि विस्तार

21. कृषि विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण की देखभाल की जा रही है। राष्ट्रीय विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से वर्तमान कृषि विस्तार प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद में देश में प्रशिक्षण ढांचे को पहले ही विकसित कर लिया गया है। महत्वपूर्ण विषय मामले क्षेत्रों में क्षेत्रीय विस्तार शिक्षा संस्थानों तथा उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित कर लिए गए हैं। वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष उप-परियोजनाएं तथा गोवा, सिक्किम राज्यों एवं सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए जारी रखी जा रही है। विशेषकर महिला किसानों के लिए विस्तार सेवाओं को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है।

कृषि उधार एवं सहकारिताएं

22. कृषि उधार एवं इसकी समय पर इनकी उपलब्धता उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने में किसानों के प्रयासों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कृषि उधार एक बहु-एजेन्सी नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जिसमें सहकारिताएं, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी एस) सम्मिलित हैं। आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 में कृषि क्षेत्र में वितरण 26411 करोड़ रूपए था। यद्यपि नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में वास्तविक उधार वितरण बढ़ता जा रहा है, तथापि कृषि उधार एवं सहकारिता संबंधी नौवीं योजना कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किए उधार की आवश्यकता की तुलना में कमी रही है। कार्यकारी दल के अनुसार सभी एजेंसियों से उधार प्रवाह 2001-02 में 60,842 करोड़ रूपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

तालिका 6.1.1

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए उधार का प्रवाह

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	नौवीं योजना कार्यकारी दल द्वारा संस्तुत	संवितरण	प्रतिशत कमी
1997-98	33375	31956	(-) 4.3
1998-99	38645	36860	(-) 4.6
1999-2000	44780	44612*	(-) 0.4
2000-2001	52108	51460**	(-) 1.2
2001-2002	60842	उपलब्ध नहीं	

स्रोत - आर्थिक सर्वेक्षण: 2000-2001

* अनुमानित ** प्रक्षेपित

बैंकिंग में प्रवृत्ति एवं प्रगति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 1999-2000 के अनुसार मार्च, 1998 में और मार्च, 1999 में निवल बैंक उधार में कृषि उधार का सापेक्ष हिस्सा 11.7 प्रतिशत था। मार्च, 2000 में यह घटकर 11.1 प्रतिशत हो गया। बैंकों द्वारा अग्रता क्षेत्र को 40 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले कृषि के लिए उप लक्ष्य 18 प्रतिशत निर्धारित किया गया। निवल बैंक उधार के 18 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले कृषि का गिरता हिस्सा एक चिंता का विषय है।

23. विभिन्न कारणों से सहकारिता उधार ढांचा (सी सी एस) लगभग बहुत से राज्यों में निष्क्रिय है। संसाधनों को जुटाने में सीमित योग्यता, अग्रिम दिए गए ऋण की वसूलियों का निम्न स्तर, अधिक लेनदेन लागतें, वसूली का बार-बार रूकना, प्रशासकीय ब्याज दरों तथा बाह्य आरोपित नियंत्रणों, सभी ने प्रणाली की स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कृषि क्षेत्र में उधार प्रवाह को सुधारने के लिए तथा इसकी बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। इनमें उधार देने के लिए प्रक्रियाओं में सरलीकरण की विधियां, बैंक प्रबंधकों को अधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन, किसानों को कम्पोसिट नकद उधार सीमा का लागू करना, प्रत्येक राज्य में एक विशिष्ट कृषि बैंक लागू करना जो उच्च तकनीक कृषि की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, नकद उधार सुविधा लागू करना, किसानों को किसान उधार कार्ड जारी करना ताकि वह अपने उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार नकद प्राप्त कर सके, ग्रामीण ढांचागत विकास फंड (आर आई डी एफ) संवर्धन आदि शामिल हैं।

किसान उधार कार्ड स्कीम

2001-02 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने किसान उधार कार्ड स्कीम के बारे में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की:

- बैंकों को कार्यक्रम को गति देनी होगी तथा सभी पात्र किसानों को तीन वर्षों के अन्दर कवर करना होगा।
- बैंकों को किसान उधार कार्ड धारकों को व्यक्तिगत बीमा पैकेज प्रदान करना होगा जैसा कि प्रायः यह अन्य कार्डों के साथ किया जाता है, उन्हें दुर्घटना मृत्यु या स्थायी अपंगता के मुकाबले उनका अधिकतम राशि 50,000 रूपए तथा 25,000 रूपए क्रमशः का कवर किया जाता है। इसके प्रीमियम का भार कार्ड जारी करने वाले संस्थानों द्वारा उठाया जाएगा।

कृषि उधार से संबंधित अन्य उपाय निम्नलिखित हैं -

- आर आई डी एफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा लिए जा रहे ब्याज को 11.5 प्रतिशत से घटाकर 10.5 प्रतिशत तक कम करना। आर आई डी एफ-7 की संग्रह राशि 4500 करोड़ रूपए से 5000 करोड़ रूपए तक बढ़ाई जाएगी।
- नाबार्ड को एक लाख अतिरिक्त स्वयं-सहायता समूहों को जोड़ना होगा जो अतिरिक्त 20 लाख परिवारों को उधार उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करेगा। फसल बंटवाई-कर्ताओं तथा काश्तकार किसानों को भी इस स्कीम के लिए पात्र बनाया जाएगा तथा अ.जा./अ.ज.जा. समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड में एक माइक्रो वित्त विकास निधि भी स्थापित की गई है जिसमें नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक द्वारा 40 करोड़ रूपए का अंशदान किया गया है।
- नाबार्ड द्वारा पूंजी लाभ कर छूट बांडों का निर्गम जारी रहेगा।

- नाबार्ड में स्थापित किए गए जलसंभर विकास कोष से प्राप्त संसाधनों के उपयोग को लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा जल उपयोग संबंधी एसोसियेशनों को सिंचाई स्कीमों को लागू करने, संचालन तथा बनाए रखने के योग्य भी बनाया जाएगा।
- नाशवान वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए उधार से जुड़ी सहायता स्कीम ग्रामीण भण्डारों को भी कवर करने के लिए विस्तार करना। ऋणों की वापसी अवधि लम्बी होगी जो व्यक्तियों, सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा आर आर बी एस को इसके लिए पात्र बनाएगी। यह स्कीम छोटे किसानों के लिए उनकी धारक क्षमता में वृद्धि करेगी ताकि वे अपने उत्पाद को अच्छे मूल्यों पर बेच सकें। नाबार्ड फसलों के स्टोरेज के लिए वित्त पोषण हेतु ब्याज की दर को 10 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत तक कम करेगा।
- नाबार्ड की सहायता से कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लीनिकों तथा कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्कीम प्रारंभ करना।

किसान उधार कार्ड (के सी सी) स्कीम का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली से किसानों को पर्याप्त एवं समय पर सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे लोचशील तथा लागत प्रभावी तरीके से निवेशों की खरीद सहित अपनी खेती की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। के सी सी स्कीम के अन्तर्गत प्रगति का विवरण निम्नलिखित है:

तालिका 6.1.2
के सी सी स्कीम - 31.03.2001 की प्रगति

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	सहकारी बैंक		आर आर बी एस		वाणिज्यिक बैंक		कुल	
	जारी किए गए कार्डों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्डों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्डों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्डों की संख्या	स्वीकृत राशि
1998-99	155353	826.10	6421	10.68	445451	1246.63	607225	2083.41
1999-2000	3594869	3605.64	173301	405.41	1365911	3537.08	5134081	7548.13
31.3.01 तक	5614445	9411.71	648324	1400.42	1814719	4730.14	8077488	15542.27
31.3.01 तक संचयी प्रगति	9364667	13843.45	828046	1816.51	362608	9513.85	13818794	25173.81

स्रोत : नाबार्ड

24. नौवीं योजना में एक महत्वपूर्ण घटना 1999-2000 रबी से पहले की व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की जानी है। 2000-2001 के दौरान, 17 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है। 1999-2000 रबी मौसम के दौरान, 5.74 लाख

किसानों को कवर किया गया था तथा 339.13 करोड़ रूपए की राशि का बीमा किया गया खरीफ 2000 मौसम में 7.5 मिलियन किसानों को 6040 करोड़ रूपए की राशि के लिए कवर किया गया।

परिव्यय एवं व्यय

25. 2000-01 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 1644 करोड़ रूपए (अस्थायी) का व्यय कृषि के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों पर किया जबकि परिव्यय (ब.अ.) 1965 करोड़ रूपए था। 2001-02 के लिए जो नौवीं योजना का अन्तिम वर्ष है, विभाग को 1985 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई। परिव्ययों एवं व्यय का विवरण संलग्नक 6.1.2 में दिया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी उद्योग

पशुधन विकास

26. नौवीं योजना में वैज्ञानिक प्रबंधन तथा उत्पत्ति मूलक संसाधनों के उन्नयन, पशु बीमारियों का नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं चारे का उत्पादन, डेयरी प्रक्रिया प्रसंस्करण तथा विपणन ढांचे की पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में स्थापना बीमार जिला सहकारी दुग्ध यूनियनों का पुनर्गठन, तथा बूचडखानों का आधुनिकीकरण के माध्यम से पशुधन उत्पादकता का सुधार करने पर संकेन्द्रित रूप से प्राथमिकता के साथ बल दिया गया है। खाद्य उत्पादन को दुगना करने की नीति के अनुक्रम में पशुपालन तथा

डेयरी विभाग ने 10 स्कीमों की पशुधन उत्पादों की तेजी से बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई योजना स्कीमों के रूप में पहचान की है। कार्रवाई योजना स्कीमों के अतिरिक्त विभाग ढांचागत सुविधाओं को तैयार करने पशुप्लेग का सफाया तथा बुचडखानों के आधुनिकीकरण से संबंधित 16 स्कीमों को भी क्रियान्वित कर रहा है।

पशुधन क्षेत्र में मुख्य उपलब्धियां:

- पशुधन क्षेत्र का जी डी पी में अंशदान लगभग 6 प्रतिशत है।
- पशुपालन उद्योग लगभग 15 मिलियन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
- भारत संसार में दुग्ध उत्पादन में प्रथम तथा अण्डा उत्पादन में पांचवा स्थान रखता है।
- 31.3.1998 से देश पशुप्लेग से इस समय अस्थायी रूप से मुक्त है।

दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद

27. पिछले दशक में संगठित प्रयासों से दुग्ध का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ा है तथा 1999-2000 के दौरान इसकी 78.1 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। 2000-01 के दौरान दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 81.0 मिलियन टन रखा गया है। 2000-01 के दौरान प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 214 ग्राम प्रतिदिन तक बढ़ जाने की सम्भावना है जबकि न्यूनतम पौष्टिक आवश्यकता 201 ग्राम प्रतिदिन है। यद्यपि, यह प्रतीत होता है कि दुग्ध उत्पादन की वर्तमान बढ़ोतरी के साथ (नब्बे के दशक के दौरान लगभग 4.8 प्रतिशत) नौवीं योजना के लिए रखे गए लक्ष्य 96.49 मिलियन टन के दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। अक्टूबर 2000 में एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'पशु तथा भैंसों के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय

परियोजना' को अनुमोदित किया गया ताकि किसान के द्वार पर प्रजनन निवेश की सुपुर्दगी निवेश को गुणवत्ता नियंत्रण तथा देसी नस्लों का सुधार किया जा सके।

28. 150 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ जनवरी 2000 में जिला स्तर पर बीमार डेयरी सहकारिताओं का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से 'सहकारिताओं को सहायता' की एक नई योजना आरम्भ की गई थी। विभाग ने अब मध्य प्रदेश में चार दुग्ध यूनियनों तथा कर्नाटक में 2 यूनियनों के कुल परिव्यय 53.51 करोड़ रूपए के साथ पुनरुद्धार प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। एक अन्य स्कीम "समेकित डेयरी विकास परियोजनाएं" जो गैर प्रचालन फलड, पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में आठवीं योजना से केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में कार्य कर रही थी, को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में बदल दिया गया है। इस स्कीम के प्रारम्भ होने से 20 राज्यों में 42 परियोजनाओं को 215.97 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया है।

अण्डे सहित मुर्गी पालन

29. विकासशील देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सफल मुर्गी पालन के लिए क्षमताएं हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक अण्डा उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान तथा चूजे के मामले में 19वां स्थान रखता है। अण्डे तथा चूजे उत्पादन दोनों को ही लगभग 5 तथा 15 प्रतिशत क्रमशः वार्षिक बढ़ोतरी दर पर बढ़ाया गया है। 2000-01 के दौरान अण्डा उत्पादन 32500 मिलियन अनुमानित है जबकि दो दशक पहले यह 800 मिलियन था। नौवीं योजना में अण्डा उत्पादन (35 बिलियन संख्या अण्डा) प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "राज्य मुर्गी पालन/बत्तख फार्मों को सहायता" को नौवीं योजना के दौरान आरम्भ किया गया है। यह स्कीम सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रत्येक राज्य में कम से कम दो बत्तख/मुर्गी फार्मों को मजबूत करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई है। आने वाले वर्षों में यह कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी चालू किया जाएगा।

अन्य पशुधन

30. भेड़ तथा बकरी अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों द्वारा पाली जाती है। देश में लगभग 5 मिलियन घर भेड़ तथा बकरी पालन में लगे हुए हैं। पशु बध की उच्च वार्षिक दर और न्यूनतम सरकारी सहायता के बावजूद भेड़ और बकरी की जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस पशुधन की प्रासंगिकता और महत्व को रेखांकित करती है। ऐसी प्रत्याशा है कि वर्ष 2000-2001 में ऊँ उत्पादन 47.4 मि० कि०ग्राम प्राप्त कर लिया जाएगा जबकि 1990-91 में यह 41.2 मि० कि०ग्राम था। राष्ट्रीय भेड़/नर मृग उत्पादन कार्यक्रम के तहत, मिजोरम, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम और उड़ीसा राज्य सरकारों के लिए वर्ष 2000-01 में दिसम्बर, 2000 तक (86.21 लाख रूपए) की छोटी सी राशि निर्मुक्त की गई है।

31. देश में सूअर पालन के विकास का विशेषतः इसके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में काफी महत्व है। राज्यों के सूअर फार्मों को मजबूत करने के लिए 1991-92 से 'सूअर पालन के एकीकृत विकास के लिए राज्यों को

सहायता' के नाम से एक स्कीम चल रही है। वर्ष 2000-01 के दौरान नवम्बर, 2000 तक 60.25 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

बूचड़खानों का सुधार

32. देश में 270 पंजीकृत बूचड़खाने हैं, इनमें से अधिकांश में समुचित सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बूचड़खानों की दशा सुधारने के लिए "बूचड़खानों के सुधार / आधुनिकीकरण के लिए / पशुओं के अवशेषों के उपयोग के लिए केन्द्रों तथा प्रमुख खाल उतारने वाली इकाइयों की स्थापना" के नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, परंतु इस स्कीम का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में 20.37 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार 12.56 करोड़ रुपए की राशि व्यय नहीं हुई थी।

पशुओं की बीमारियां

33. पशु प्लेग के उन्मूलन के लिए वर्तमान राष्ट्रीय परियोजना, यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता से 1992 से चल रही है। भारत सरकार ने 1.3.1998 से देश को अनन्तिम तौर पर पशु प्लेग से मुक्त घोषित कर दिया था। ऑफिस इंटरनेशनल डिस ऐप्रीज्यूटीज (ओआईडी) द्वारा स्वीकार और अधिसूचित कर दिया गया था, परन्तु भारत-पाकिस्तान सीमा पर अक्टूबर, 2000 से अंसक्राम्य जोन विखण्डित हो जाने के कारण सीमा पर एक शीघ्र चेतावनी और अनुक्रिया प्रणाली की स्थापना की गई है क्योंकि पशुप्लेग पाकिस्तान में व्याप्त है। पशुपालन और डेरी विभाग द्वारा "बीमारी - रहित जोन का सृजन" नाम से एक नई स्कीम तैयार की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य पशुधन उत्पाद के संभावित विकास के चयनित क्षेत्रों को पशुप्लेग, पैरों और मुंह की बीमारी और संक्रामक गोजातीय फेफड़ी से मुक्त कराना है।

मत्स्य - उद्योग

34. भारत के सामाजिक - आर्थिक विकास में मत्स्य उद्योग क्षेत्रक का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवारों की आय को बढ़ाने में तथा रोजगार सृजन में सहायता देने में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्षेत्रक के योगदान को समुचित रूप से स्वीकारा गया है। इस क्षेत्रक से अनेक सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलता है और यह सस्ते और पोषक आहार का स्रोत है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े देश के बड़ी संख्या में लोगों के लिए यह आजीविका का एक साधन है। मत्स्य क्षेत्रक निर्यात के जरिए विदेश मुद्रा अर्जन का भी एक प्रमुख स्रोत रहा है। 2000-01 में मछली और मत्स्य उत्पाद के निर्यात से हुआ अर्जन 6308 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गया है।

35. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य उद्योग के

मत्स्य उद्योग में प्रमुख बल

- उत्पादन और उत्पादकता का इ-टतमीकरण
- जलीय संसाधनों और अपनुवांशिक विविधता का संरक्षण
- मत्स्य उद्योग और एक्वाकल्चर के सतत् विकास हेतु एकीकृत मार्ग

36.

विकास के लिए सरकार के मुख्य-मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं:

--

जननिक विविधता का संरक्षण, मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और भोग को बढ़ाना आदि । नौवीं पंचवर्षीय योजना में मत्स्य और जलचर पालन के निरन्तर विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर भी बल दिया गया है ।

36. मत्स्य उद्योग राज्य का विषय है और इसलिए इसके विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से मत्स्य उद्योग के विकास के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रक की और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है । नौवीं पंचवर्षीय योजना में मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 70.40 लाख टन रखा गया है जिसमें प्रतिवर्ष 5.64 प्रतिशत संवृद्धि दर की परिकल्पना की गई है । नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मत्स्य क्षेत्रक के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

37. राज्यों द्वारा ऋयान्वित किए गए कार्यक्रमों में से ताजे जल का जलचर पालन कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है जिसका कार्यान्वयन 422 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों (एफएफडीएस) के नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है । देश के सभी संभावित जिलों का इस कार्यक्रम के अंतर्गत समावेश किया गया है । उच्च एजेंसियां मत्स्य कृषकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन देती हैं । एक अन्य कार्यक्रम के तहत देश में खारेपानी के जलचर पालन के विकास के लिए सभी तटीय राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के केन्द्र शासित प्रदेश में 39 खारापानी मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है । समुद्रीय क्षेत्रक में कुछ प्रमुख कार्यक्रम पारम्परिक शिल्प का यंत्रीकरण और 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत पोतों को दिए जाने वाले एचएचडी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति । आधारित संरचना को मजबूत बनाने के संबंधी स्कीम के आरम्भ किए जाने के पश्चात देश में 6 प्रमुख मत्स्य हार्बर, 33 लघु मत्स्य हार्बर और 130 मत्स्य अवतरण केन्द्र कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त 15 लघु मत्स्य हार्बर बंदरगाह और 41 मत्स्य अवतरण केन्द्र स्थापना के विभिन्न चरणों पर हैं जिनमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक पूरे हो जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए अनेक कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें आवासों का निर्माण, सक्रिय मछुआरों के लिए बीमा कवरेज और मत्स्य पालन की मंद अवधि के दौरान बचत और राहत स्कीम शामिल है ।

38. योजना के अंतिम वर्ष में सरकार द्वारा विनिर्धारित राज्यों में चार प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं जो इस प्रकार से हैं : ठंडे जल का मत्स्य पालन और जलचर पालन का विकास, जलाशय मत्स्य पालन का विकास, देशीय खारी भूमि का उपयोग, ओर जलाक्रान्त क्षेत्रों का जलचर संपदाओं के रूप में विकास ।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

39. देश में कृषि अनुसंधान शिक्षा तथा फ्रंटलाईन प्रदर्शन की आयोजना, इसे प्रारम्भ करने, सहायता, संवर्धन और समन्वय करने का उत्तरदायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई0सी0ए0आर0) का है जो इस प्रयोजन के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह निकाय कृषि, पशुविज्ञान, मत्स्य उद्योग, कृषि-वानिकी और सम्बद्ध विज्ञानों में अनुसंधान और इसके अनुपयोग उत्तरदायित्व सम्भालता है, उसमें सहायता करता है और उसका संवर्धन और समन्वय करता है। वर्ष 2001-02 के लिए स्वीकृत परिव्यय 684 करोड़ रुपए है। आई0सी0ए0आर0 के प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

- ❖ किसी निर्धारित क्षेत्र / जल संभरण के लिए प्राकृतिक संसाधन आधार की एक तालिका, विशेषतः भूमि उपयोग, जल उपयोग और कृषि-वानिकी और बंजर भूमि प्रणालियों के क्षेत्र में।
- ❖ जननिक संवृद्ध केन्द्रों और पौधों, पेड़ों, पशुधन और मत्स्य के प्रौद्योगिकी मिश्रण केन्द्रों के जरिए जनन-द्रव्य संसाधनों का संरक्षण और नियोजित उपयोग।
- ❖ अधिक उत्पादन वाली संकर / किस्मों / नस्लों / उप भेदों(ब्रीडों) / जीवीय और अजैव दबावों को सह सकने वाले नई किस्मों के विकास के जरिए उत्पादकता बढ़ाना।
- ❖ प्रजनक बीज उत्पादन।
- ❖ शुष्क खेती प्रौद्योगिकी का विकास और परिष्करण
- ❖ एकीकृत पौष्टिक प्रबंधन प्रणाली को सुधारना
- ❖ कीटनाशी के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों का विकास
- ❖ कृषि का विविधीकरण, जिसमें कृषि-वानिकी, पशुधन और मत्स्य पर बल दिया जाए
- ❖ निर्यातोन्मुख वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान
- ❖ कृषि में ऊर्जा प्रबन्धन
- ❖ फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी जिसमें बल खेती स्थल पर भंडारण पर हो।
- ❖ अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रम में उत्कृष्टता बढ़ाना
- ❖ प्रौद्योगिकी अंतरण और सूचना और संचार प्रणालियों में सुधार लाना
- ❖ मानव संसाधन विकास

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2001-02 में किए गए कुछ नए उपाय:

- ❖ पूर्वी अंचल, पटना, बिहार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिसर
- ❖ नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेन्ट माइक्रोब्स
- ❖ नेशनल रिसर्च सेंटर आन सीड स्पाइस
- ❖ नेशनल रिसर्च सेंटर आन लीची-बिहार
- ❖ नेशनल रिसर्च सेंटर आन पोमीग्रेनेट - महाराष्ट्र
- ❖ डिजीज मानीटरिंग व सर्वेलेंस का एआईसीआरपी परियोजना निदेशालय के तौर पर उन्नयन
- ❖ सूअर संबंधी एआईसीआरपी का परियोजना निदेशालय के तौर पर उन्नयन
- ❖ जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
- ❖ भूमि और जल के कुशल प्रबंधन के लिए इंजीनियरी उपायों संबंधी एआईसीआरपी
- ❖ रक्तस्राव और खून की खराबी संबंधी नेटवर्क
- ❖ ग्रामीण कृषि संबंधी कार्य अनुभव
- ❖ 66 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

40. आईसीएआर अनुसंधान शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन कृषि विश्व-विद्यालयों के अपने नेटवर्क आईसीएआर संस्थाओं, परियोजना निदेशालयों के अध्ययन से करता है। विस्तारण कार्यकलापों का संचालन कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीकेज), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयूज) और स्वैच्छिक संगठनों के जरिए किया जाता है। कुल मिलाकर 47 संस्थाएं, 5 ब्यूरो, 30 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 11 परियोजना निदेशालय और नेटवर्क परियोजनाओं सहित 80 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं हैं। देश में 30 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। 261 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं।

41. 2000-01 के आईसीएआर की निम्नलिखित वैज्ञानिक उपलब्धियां रही:

- ❖ चावल की दो किस्में, गेहूँ की पांच किस्में, मक्की के लिए पांच संकरें, सोरघम(ज्वार) की छः संकरे, बाजरे की चार संकरें, दालों की विभिन्न खेतियों की बारह संशोधित किस्में निकाली गईं। जहां तक तिलहन का संबंध है, अनेक सुधरी किस्में भी निकाली गईं। गन्ने की नौ किस्में निकाली गईं जिनमें से छः प्रायद्वीपीय जोन के लिए और एक पूर्व-तट तथा दो उत्तर-मध्य जोन के लिए निकाली गईं।
- ❖ जनन द्रव्य संचयन के तहत, विविधता सम्पन्न अल्प-अन्वेषित क्षेत्रों में 242 अन्वेषण किए गए। देश के विभिन्न भागों में विविध इलाकों से सब्जियां, अनाज की बड़ी और छोटी फसलें, सजावटी, औषधीय और सुगन्धित पौधों, शुष्क-जोन नमूनों, अल्प प्रयोग में लाई गई फसलों के 40,330 नमूने एकत्र किए गए।
- ❖ डीएनए अंगुलीछाप (फिंगरप्रिंटिंग) के तहत अन्तर-सूक्ष्म उपग्रह बहुरूपी तकनीक का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की किस्मों का पता लगाने और चावल, गेहूँ, जौ, मूंग-सेम, ब्रासीका, तिल, कपास और आम के आण्विक अंगुली-छाप को विकसित करने के लिए किया गया।
- ❖ अनेक राज्यों, मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, जम्मू व काश्मीर, उत्तर-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडू के भूक्षरण के नक्शों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
- ❖ पशु विज्ञानों के क्षेत्र में भारतीय बकरी की डीएनए अंगुलीछाप लघु उपग्रह और सूक्ष्म उपग्रह चिन्हक द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण जनन-द्रव्य का पता लगाने और लक्षण वर्णन के लिए तथा भावी प्रजनन प्रयोगों के नियोजन के लिए जीन अंकक अध्ययन काफी उपयोगी है।
- ❖ मुर्गी पालन के क्षेत्र में, डीएनए पद्धति की सहायता से वाईट लेगहार्न मुर्गे की चयनित और नियंत्रित किस्मों का मूल्यांकन उनकी जननिक जीव-विविधता के लिए किया गया।
- ❖ अशल्क मीन बीज उत्पादन में "ओमपाक पाबड़ा" ताजे जल का एक अशल्कमीन का प्रजनन देश में पहली बार पोषित अंडे सेने वाली मुर्गियों का इस्तेमाल करके किया गया।

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

42. कृषि और सहायक क्षेत्रक में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

कृषि और सहकारिता

- 43.(i) ईईसी की सहायता से क्षार भूमि को कृषि योग्य बनाना विकास परियोजना : यह परियोजना, जिसका उद्देश्य संभावित कृषि उपजाऊ क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाकर बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले अल्प सुविधा प्राप्त किसानों के आय स्तर को सुधारना है। यह ईईसी की सहायता से 1993-94 के दौरान अस्तित्व में आई। इस परियोजना के लिए 85.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में से केन्द्र सरकार का हिस्सा 6.88 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर 15000 हे० क्षारीय भूमि (10,000 हे० उत्तर प्रदेश में और 5000 हे० बिहार में) को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अवधि 7 साल है और इसके 2001 तक पूरा होने की सम्भावना है। परियोजना के प्रारम्भ से दोनों राज्यों में 91.49 करोड़ रुपए की लागत से क्षारीय भूमि का 0.27 लाख हे० क्षेत्र कृषि योग्य बनाया जा चुका है। वर्ष 2000-01 के लिए 20 करोड़ रुपए के परिव्यय से 4500 हे० क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने का प्रस्ताव था।
- ii) खाद्य सुरक्षा के लिए यूएनडीपी कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के लिए यूएनडीपी के साथ किए गए करार पर 13.2.1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्यक्रम के तहत यूएनडीपी द्वारा 13 मि० अमरीकी डॉलर 3 वर्षों के लिए दिए जाने हैं। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एक वृहत (छत्र) कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत विभिन्न उप-कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पांच उप-कार्यक्रमों को और एक पूरक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। ये कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :
- 1) भारत में वृहत पैमाने पर अपनाए जाने के लिए (आईसीए आर द्वारा कार्यान्वित) 101.85 करोड़ रुपए (2.55 मिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय से संकर चावल प्रौद्योगिकी का विकास।
 - 2) भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए (टीएमओपी व एम द्वारा कार्यान्वित) 3.44 करोड़ रुपए (0.814 मिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय से मक्का आधारित फसल पद्धति।
 - 3) 13.42 करोड़ रुपए के परिव्यय से महिला संगम, आंध्र प्रदेश द्वारा दीर्घकालीन शुष्क भूमि कृषि
 - 4) खाद्य सुरक्षा के लिए 7.04 करोड़ रुपए के परिव्यय से (उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित) महिला कृषकों का सशक्तिकरण।
 - 5) (क) 7.04 करोड़ रुपए के परिव्यय से जनजातीय उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और महिलाओं की संधारणीय आजिविकाओं का सुदृढीकरण तथा (ख) 1.49 करोड़ रुपए की लागत से भीषण चक्रवात से प्रभावित जिलों के लिए पूरक कार्यक्रम: और
 - 6) 0.33 करोड़ रुपए की लागत से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए प्रबंधन समर्थन।
- iii) विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) : "प्रौद्योगिकी प्रचार नवाचार" में विस्तारण घटक छः राज्यों आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में कार्यान्वित किया जा रहा है। मोटे तौर पर इस परियोजना का उद्देश्य अनुसंधान और

विस्तारण क्षमताओं को बनाए रखना और उन्हें सुदृढ़ करना, सार्वजनिक विस्तारण सेवाओं की पुनः संरचना करना और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं का परीक्षण करना है जिसके अंतर्गत चयनित एनएटीपी राज्यों में जिला स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं शामिल हैं ।

- iv) ईईसी की सहायता से बिहार में ग्रामीण विकास केन्द्र परियोजना का विकास : ईईसी द्वारा सहायता प्राप्त यह पहले से चल रही एक स्कीम है । ईईसी ने इस परियोजना के तहत अप्रयुक्त निधियों को व्यय करने की अनुमति दे दी है ।
- v) केरल में ईईसी की सहायता से नारीयल विकास परियोजनाएं : इस स्कीम का उद्देश्य नारीयल के लिए उत्पादन, संसाधन और निष्कर्षण के लिए तीन एकीकृत इकाइयों की स्थापना करना है ।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

44.(i) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी)

यह परियोजना 1998 से आरम्भ की गई थी और निधियों का प्रयोग वर्तमान संसाधनों के पूरक के रूप में और राष्ट्रीय कृषि पद्धति में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है । ऐसा अनुसंधान के लिए निधियों की उपलब्धता को बढ़ाकर, सुविधाओं और वैज्ञानिक कौशल का उन्नयन करके किया जा रहा है । इस समय तक जारी की गई परियोजनाएं हैं : "टीम्स ऑफ एक्सीलेंस" के तहत 26 परियोजनाएं, "इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम के तहत" । और 80 परियोजनाएं "मिशन मोड" के तहत 32 परियोजनाएं, "प्रोडक्सन सिस्टम रिसर्च " के तहत 211 परियोजनाएं और 70 परियोजनाएं कंपीटीटिव ग्रांट प्रोग्राम" के तहत हैं । एनएटीपी की कुल लागत 239.70 मि0 अमरीकी डॉलर (अगस्त, 1997 में 861.30 करोड़ रुपए के बराबर) है । विश्व बैंक का योगदान कुल लागत का 82 प्रतिशत (196.80 मि0 अमरीकी डॉलर) और भारत सरकार का अंशदान 18 प्रतिशत है जो (42.9 मि0 अमरीकी डॉलर) है। कुल बैंक सहायता में एसडीआर 73.8 मि0 का आईडीए ऋण (100 मि0 अमरीकी डॉलर) और ब्याज सामान्य दर पर 96.8 मि0 अमरीकी डॉलर का आईबीआरडी ऋण है ।

- ii) मानव संसाधन विकास परियोजना (एचआरडीपी) यह परियोजना "नार्म" (नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट) और तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय में क्रियान्वित की जा रही है । यह परियोजना मानव संसाधन विकास के प्रयोजन के लिए है ।
- iii) भारत-फ्रांस सीबास प्रजनन और पोषण : यह परियोजना 3.90 मि0 सॉफ्ट ऋण के रूप में एफआरएफ की कुल लागत पर चेन्नई स्थित सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश-वाटर एक्वाकल्चर के जरिए कार्यान्वित की जा रही है ।
- iv) भारत-इजराइल परियोजना : इस परियोजना के तहत नई दिल्ली स्थित आईएआरआई परिसर में एक दस-हेक्टेअर फार्म इकाई स्थापित की जानी है । आईएआरआई परि-शहरी उच्च प्रौद्योगिकी के जरिए फूल, सब्जी और फल उगाने के तरीकों का प्रदर्शन करने हेतु कार्यक्रमों का संचालन करती है। इस

परियोजना का कुल परिव्यय 986.36 लाख रुपए है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 301.55 लाख रुपए और इजराईल सरकार का हिस्सा 684.81 लाख रुपए है ।

तालिका 6.1.3

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत आंबटन एवं व्यय

(करोड़ रुपए)

स्कीम का नाम	नौवीं योजना का आंबटन	व्यय				2001-02 (बजट प्राक्कन)
		97-98 (वास्तविक)	98-99 (वास्तविक)	99-2000 (वास्तविक)	2000-01 (अनन्तिम)	
कृषि और सहकारिता						
ईईसी से सहायता प्राप्त क्षार भूमि को कृषि योग्य बनाने और विकास कार्यक्रम	150.00	17.94	24.90	24.90	19.81	1.50
खाद्य सुरक्षा के लिए यूएनडीपी कार्यक्रम	24.00	शून्य	शून्य	4.58	6.42	11.50
विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	78.00	0.40	3.47	11.36	13.78	17.67
ईईसी से सहायता प्राप्त बिहार में ग्रामीण विकास केन्द्र परियोजना	15.00	शून्य	शून्य	शून्य	5.00	5.00
ईईसी से सहायता प्राप्त केरल में नारीयल विकास परियोजना	10.00	शून्य	शून्य	शून्य	0.00	1.94
कुल (कृषि व सहकारिता)	277.00	18.34	28.37	40.84	45.01	37.61
कृषि अनुसंधान व शिक्षा (आईसीएआर)	638.97	26.64	42.56	101.79	211.54	154.99

सलंगनक 6.1.1

कृषि और सहायक क्षेत्रक के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

भाग-क : फसलों के उत्पादन और लक्ष्य (मिलियन टन / कपास, पटसन और मेस्ता के लिए गांठें)										
फसल	96-97	नौवीं योजना लक्ष्य	97-98	98-99	99-2000 (वास्तविक)	2000-01		2001-02 लक्ष्य	किसी भी समय प्राप्त किया गया अधिकतम उत्पादन	
						लक्ष्य	संभावित उपलब्धियां		मात्रा	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चावल	81.74	99.00	82.53	86.08	89.48	90.00	86.30	92.00	89.48	99-2000
गेहूँ	69.35	83.00	66.35	71.29	75.57	74.00	68.46	78.00	75.57	99-2000
मोटा अनाज	34.10	35.50	30.40	31.33	30.47	33.00	30.25	33.00	36.59	92-93
दालें	14.25	16.50	12.98	14.91	13.35	15.00	11.06	15.00	14.91	98-99
खाद्यान्न	199.44	234.00	192.26	203.61	208.87	212.00	196.07	218.00	208.87	99-2000
तिलहन	24.38	30.00	21.32	24.75	20.87	28.00	18.20	28.00	24.75	98-99
गन्ना	277.56	336.00	279.54	288.72	299.23	325.00	300.32	325.00	299.23	99-2000
कपास	14.23	15.70	10.85	12.29	11.64	14.50	9.39	14.50	14.23	96-97
पटसन और मेस्ता	11.13	11.11	11.02	9.81	10.53	10.00	10.37	11.00	11.13	96-97
भाग-ख : फल और सब्जियों और बागान फसलों का उत्पादन										
फसल	96-97	नौवीं योजना लक्ष्य	97-98	98-99	99-2000	2000-01 लक्ष्य		01-02 (लक्ष्य)	किसी भी समय प्राप्त किया गया अधिकतम उत्पादन	
						लक्ष्य	अनन्तिम		मात्रा	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
फल और सब्जियां (मिलियन टन)	141.00	179.00	112.88	131.58	137.00		-	-	131.58	98-99
चाय (मिलियन कि०ग्रा०)	775.00	1000	838.00	850.00	816.06		840.00	-	850.00	98-99
कॉफी (लाख टन)	2.05	3.00	2.28	2.26	2.92		2.95	-	2.92	99-2000

रबड़ (लाख टन)	5.49	7.17	5.84	6.05	6.22		6.95	-	6.22	99-2000
भाग - ग : पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग										
फसल	96-97	नौवीं योजना लक्ष्य	97-98	98-99	99-2000	2000-01 लक्ष्य		2001- 02 (लक्ष्य)	किसी भी समय प्राप्त किया गया अधिकतम उत्पादन	
						लक्ष्य	अनन्तिम		मात्रा	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दूध (मिलियन टन)	69.10	96.49	70.80	74.70	78.10	90.13	81.00	85.00	81.00	2000-01
अंडे (बिलियन सं०)	27.50	35.00	28.57	30.15	31.50	31.32	32.50	33.60	32.50	00-01
ऊन (मिलियन कि०ग्रा०)		54.00	44.50	45.50	46.50		47.40		47.40	00-01
मछली (लाख टन)	53.48	70.40	53.90	52.62	56.65	66.60	58.00	70.40	56.55	99-2000

सलंगनक 6.1.2

कृषि और सहायक क्षेत्रक के परिव्यय और व्यय

प्रभाग / स्कीम का नाम	नौवीं योजना परिव्यय	97-98 वास्तविक	98-99 वास्तविक	99-2000 वास्तविक	2000-01			2001-02 बजट अनुमान
					बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भाग क : खेती और सहकारिता								
कृषीय जनगणना	48.00	2.27	6.89	7.32	13.00	9.00	8.68	12.00
सहकारिता	765.00	114.08	136.22	110.18	106.33	75.98	82.47	85.00
ऋण	1633.85	250.95	222.67	322.87	401.87	341.37	341.37	360.00
फसल	1279.82	112.12	119.47	11.74	142.75	65.40	64.24	120.00
विस्तार	180.00	9.78	12.21	28.34	45.00	33.24	32.54	46.00
उर्वरक	167.50	8.10	6.43	13.41	12.83	8.62	7.87	6.00
कृषि उपस्कर और मशीनरी	96.00	18.66	17.65	18.85	8.30	3.65	3.47	4.00
बागवानी	1298.00	183.05	221.14	240.20	191.25	180.21	185.68	175.00
पौध सुरक्षा	122.51	19.20	17.06	21.06	25.00	25.66	12.75	23.00
वर्षा पोषित फसल पद्धति	1030.00	149.13	225.26	186.97	156.85	215.85	215.38	1.50
बीज	130.80	7.38	3.79	15.65	27.64	19.55	16.40	32.00
आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय व सीएसीपी	244.00	28.88	3.10	48.98	55.00	38.08	35.09	50.00
एसपी सहित भूमि और जल संरक्षण	891.62	135.50	164.90	150.27	62.18	60.42	58.52	10.00
टीएमओ व पी	906.00	164.01	154.99	160.19	165.00	134.15	141.82	150.00
प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	40.00	1.85	1.80	2.86	7.00	3.15	3.32	8.00
व्यापार(एसएफएसी) तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	40.00	0.50	0.50	2.50	5.00	4.00	4.50	5.00
सूचना प्रौद्योगिकी	180.00	0.00	0.50	8.99	13.00	5.50	3.77	15.00
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	15.00	2.34	2.24	2.37	4.00	2.50	1.93	2.50
बृहत् प्रबन्धन	3.00	0.00	0.00	0.00	490.00	342.00	381.88	850.00

कृषि विपणन	70.00	0.00	0.00	3.95	10.00	6.67	5.50	10.00
नीति प्रभाग	12.72	0.00	.06	0.20	8.00	2.00	0.96	5.00
एनईएस						100.00	20.85	0.00
कुल योजना परिव्यय	9135.82	1207.80	1343.88	1456.90	1950.00	1677.00	1628.99	1970.00
राज्य योजना स्कीमें								
उत्तर-पूर्व राज्यों में चल कृषि में जलसंभर विकास	75.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
योग	9228.82	1222.80	1358.88	1471.90	1965.00	1692.00	1643.99	1985.00

भाग - ख : बागान फसलें								
बागान	740.20	123.78	125.81	149.22	186.49	174.51	166.08	185.44
भाग-ग : एएचडी व मत्स्य पालन								
पशु पालन क्षेत्रक	1076.12	94.84	53.03	97.26	156.49	91.72		156.49
डेयरी उद्योग क्षेत्रक	469.52	29.24	23.97	16.45	37.45	39.45		37.45
मत्स्य उद्योग	800.00	85.06	91.93	91.97	120.70	96.63	85.98	103.86
भाग-घ : कृषि अनुसंधान व शिक्षा								
कृषि अनुसंधान व शिक्षा	3376.95	323.30	427.73	498.47	629.47	500.00	550.00	684.00

स्रोत : भाग-क : कृषि व सहकारिता विभाग
 भाग-ख : वाणिज्य विभाग
 भाग-ग : पशुपालन और डेरी विभाग
 भाग-घ : कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग

6.2 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि विकास कार्यनीति सरकार द्वारा घोषित खाद्य सुरक्षा की नीति पर आधारित है जिसके तहत खाद्य उत्पादन दुगुना किया जाना है और दस वर्षों में भारत को भूख से मुक्त किया जाना है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सिंचाई विकास और जल प्रबन्धन सबसे महत्वपूर्ण कारक होंगे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी प्रविष्टियों में आश्वस्त सिंचाई सुविधाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है।

2. निवल जोती गई प्रति व्यक्ति भूमि 1951 में 0.48 हे० से घटकर 1980 में 0.20 हे० प्रति व्यक्ति हो गई। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण इसके और भी घटने की संभावना है। इन परिस्थितियों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार किया जाए और सिंचित क्षेत्र से कृषि उत्पादकता को अधिकतम किया जाए।

3. नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन में 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संवृद्धि दर प्राप्त करना है ताकि समग्र विकास और गरीबी दूर करने के प्रयासों को बल मिल सके। देश में निवल रोपे गए क्षेत्र के 140-141 मि०हे० पर लगभग स्थिर हो जाने से नौवीं योजना में कृषि की लक्षित-संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सिंचाई के और अधिक विस्तार की जिसमें सिंचाई क्षमताओं के आधुनिकीकरण / नवीनीकरण के कारण उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त सिंचाई भी शामिल है, एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सिंचाई के महत्व को स्वीकारते हुए अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में इसे उच्च प्राथमिकता दी।

4. नौवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के विकास की कार्यनीति में, अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई जल का युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण करने, सहभागी सिंचाई प्रबंधन को बढ़ावा देने, भूमि और सतही जल का संयुक्त प्रयोग करने, जल प्रयोग कौशल को सुधारने और जारी परियोजनाओं को विशेषता उन परियोजनाओं को जो पांचवीं योजना अवधि से पूर्व और पांचवीं योजना अवधि में आरंभ की गई थी, पूरा करने पर बल दिया गया है।

वृहत्त व मझोली सिंचाई

5. वृहत्त व मझोली सिंचाई परियोजनाओं के जरिए की जाने वाली सिंचाई की चरम संभाव्यता 58.46 मि०हे० आंकी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में सृजित की गई संभाव्यता 32.95 एचएचए थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में वृहत्त और मझोली सिंचाई के जरिए 9.81 एमएचए सिंचाई संभाव्यता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नौवीं योजना अवधि में सृजित की गई और उपयोग की गई संभाव्यता का वर्ष-वार विवरण सलग्नक-V में दिया गया है।

6. नीचे दी गई तालिका नौवीं पंचवर्षीय योजना में वृहत् और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय और व्यय को दर्शाती है ।

तालिका 6.2.1
योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए)

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक (यूटीएस सहित)	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
9वीं योजना	330.12	--	42629.22	--
1997-98	39.69	35.95	8362.31	7525.32
1998-99	47.56	47.72	10024.03	8144.31
1999-2000	52.51	48.24	12228.81	11234.79
2000-01	50.60	36.91	12922.40	10976.08
2001-02	56.14	49.65		

7. नकारात्मक बीसीआर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अपेक्षाकृत कम अंशदान के कारण कुछ राज्यों के मामले में वर्ष 2000-01 में कुल परिव्ययों में गिरावट आई । परिणामतः सिंचाई क्षेत्रक के लिए परिव्ययों में कमी आई ।

2001-02 के लिए कार्यक्रम

8. सिंचाई विकास के लिए नौवीं योजना की कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने, विशेषतः उन परियोजनाओं को जो एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पहले से किए गए निवेशों से लाभ कमाने की दृष्टि से पांचवी योजना अवधि से पहले और पांचवी योजना अवधि के दौरान आरम्भ की गई थी ।

9. योजना आयोग ने ऐसी 43 सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारण किया है जो पांचवीं योजना अवधि से पहले से जारी हैं । उक्त योजनाओं को आगामी दो वर्षों में पूरा करने के लिए योजना आयोग में कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है । राज्य सरकारों परामर्श करके इस मामले की आगे और जांच की जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 2001-02 में एआईबीपी के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । केन्द्रीय क्षेत्रक में वृहत् और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2000-2001 के दौरान 50.60 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो मुख्यतः सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए है ।

जल उपयोग कौशल

10. वर्तमान में जल उपयोग कौशल नहर सिंचाई के मामले में अनुमानतः मात्र 38 से 40 प्रतिशत और भूमि जल सिंचाई स्कीमों के लिए लगभग 60 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार, हमारे देश में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व के 9231 क्यूबिक मीटर औसत की तुलना में अनुमानतः 2214 क्यूबिक मीटर थी जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सूडान जैसे देशों के मामले में यह क्रमशः 3020 क्यूबिक मीटर, 3962 क्यूबिक मीटर और 4792 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष थी। 1990 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की दृष्टि से 100 देशों में भारत का स्थान 42 वां था। 1990 में उपयोग में लाए गए कुल जल का प्रतिशत कृषि के मामले में 83 प्रतिशत, घरेलू उपयोग में 4.5 प्रतिशत, औद्योगिक उपयोग में लाए गए 2.7 प्रतिशत और ऊर्जा के लिए उपयोग में लाए गए जल का प्रतिशत 1.8 था। शेष 8 प्रतिशत जल का उपयोग पर्यावरणीय आवश्यकताओं सहित अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया। वर्ष 2025 तक जल की कुल अनुमानित मांग देश के 1122 क्यूबिक किलोमीटर उपयोग योग्य जल संसाधनों की तुलना में लगभग 1050 क्यूबिक किलोमीटर है। 2025 तक जल की कुल मांग में से कृषि का हिस्सा 74 प्रतिशत होगा। इस प्रकार से देश के लगभग सम्पूर्ण उपयोग योग्य जल संसाधनों का वर्ष 2025 तक उपयोग हो जाएगा। अन्य क्षेत्रक जल की मांग के दबाव के कारण सिंचाई के लिए जल का हिस्सा कुल मांग में से वर्तमान के 83 प्रतिशत से घटकर 74 प्रतिशत हो जाएगा बावजूद इसके कि सिंचाई में जल का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। अतः जल संसाधन आयोजना के जल उपयोग कौशल के वर्तमान स्तर को सामान्य तौर पर और सिंचाई के लिए विशेष तौर पर बढ़ाने का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंचाई परियोजनाओं में जल उपयोग कौशल के वर्तमान स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि से वर्तमान सिंचाई क्षमताओं से अतिरिक्त 14 एमएच क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सकता है और इसमें नई स्कीमों के जरिए इतनी ही क्षमता सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश की तुलना में कम निवेश करना अपेक्षित होगा।

सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण और आधुनिकीकरण

11. संसाधनों की वर्तमान कमी के संदर्भ में कम लागत की तकनीकों के जरिए जलाक्रान्त और क्षारीय सिंचित भूमि को कृषि योग्य बनाने सहित सिंचाई और जल निकास पद्धतियों के सामयिक नवीकरण और आधुनिकीकरण के जरिए प्रभावी सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि की वृहत् और मझोली परियोजनाओं और उन परियोजनाओं से जो 25 वर्ष पहले पूरी की गई थी लगभग 21 मिलियन हे० सिंचित क्षेत्र के नवीकरण/उन्नयन और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों को पुनः सिंचाई के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है जो प्रणालियों के निष्पादन में गिरावट आ जाने से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सिंचाई से विहीन हो गए हैं। इसके लिए 20 वर्षों की अवधि में अनुमानतः 20000-30000 करोड़ रुपए का निवेश आवश्यक होगा। इस समय हरियाणा (अनुमानित लागत 1442.12 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (807 करोड़ रुपए) तथा उड़ीसा (1409.90 करोड़ रुपए) में जल संसाधन समेकन परियोजना (डब्ल्यूआरसीपी-6साल की अवधि) द्वारा कुछ सीमा तक इसकी देख भाल की जा रही है। आंध्र प्रदेश में चयनित सिंचाई परियोजनाओं

आधुनिकीकरण / नवीनीकरण के लिए हाल ही में एक विदेशी सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना (चरण-III) आरम्भ की गई है। उपर्युक्त के अलावा 165 मि० अमरीकी डॉलर की अनुमानित लागत वाली पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना चरण-II (1990-98) जिसमें सिंचाई क्षेत्रक के सभी घटक (वृहत् / मझोली / लघु, सीएडी और बाढ़ नियंत्रण) शामिल हैं पूरी कर ली गई है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बेहतर जल प्रबंधन और सुधरी क्रियाशीलता द्वारा पंजाब में जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है, क्योंकि अन्य राज्यों में सतही जल का उपयोग लगभग समाप्त हो गया। तथापि नौवीं योजना अवधि में वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण / नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

12. केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण (1999-2000) पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और उन राज्यों को संगठन और अनुसूक्षण (ओ व एम) लागतों को पूरा करने के लिए जल की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए अधिक सहायता दी जाएगी। चालू त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के घटक के रूप में सिंचाई प्रणालियों के नवीनीकरण / आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

13. भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) वर्ष 1996-97 में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य पहले से अनुमोदित चालू वृहत् / मझोली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना था। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता, ऋण के रूप में है जिसके लिए ब्याज की दरें समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। उक्त सहायता उन परियोजनाओं के लिए दी जाती है जिनमें निवेश के लिए योजना आयोग की स्वीकृति हो। वे परियोजनाएं जिन्हें देश की एजेंसियों, अर्थात् नाबार्ड द्वारा पहले से ही सहायता दी जा रही है एआईबीपी के तहत सहायता की पात्र नहीं है। तथापि वर्ष 1999-2000 से उत्तर-पूर्वी राज्यों, पर्वतीय राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा जम्मू व काश्मीर) और राज्य (टीएसी) द्वारा अनुमोदित उड़ीसा के केबीके जिलों की नई व पहले से चली आ रही माइनर सरफेस इरीगेशन स्कीम्स उक्त कार्यक्रम के तहत अब सहायता की पात्र हैं। इसके अतिरिक्त परिशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता गैर विशेष श्रेणी राज्यों को 2:1 (केन्द्र :राज्य) के अनुपात में दी जाती है। विशेष श्रेणी राज्यों को सहायता 3:1 के अनुपात में दी जाती है। जहाँ तक सहायता प्रदान करने के पद्धति का संबंध है वे परियोजनाएं जो उड़ीसा के केबीके जिलों को लाभ पहुँचाती है उन्हें विशेष श्रेणी राज्यों के समतुल्य माना जाता है। 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों को 52 परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। वार्षिक योजना 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान एआईबीपी के तहत (73 परियोजनाओं के लिए) कुल जारी की गई राशि क्रमशः 952.19 करोड़ रुपए (77 परियोजनाओं के लिए) 1119.18 करोड़ रुपए और (87 परियोजनाओं के लिए) 1463.36 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान एआईबीपी के तहत भी 1712 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और 98 वृहत् और 853 लघु सिंचाई स्कीमों के लिए निमुक्त की गई राशि 1470.25 करोड़ रुपए थी। एआईबीपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता संलग्नक-vii में दर्शाई गई है।

14. योजना आयोग के गहन और व्यापक आधारित मानीटरिंग करने के सुझावों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस संबंध में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) से संबंधित जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग द्वारा एक विश्लेषण किया गया था जिसका परिणाम निम्न प्रकार से है :

तालिका 6.2.2

श्रेणी	परियोजनाओं की सं०	कुल जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपए) मार्च 2000 तक	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सृजित कुल क्षमता (000 हे०) मार्च 2000 तक	शेष लागत (करोड़ रुपए)	शेष क्षमता (000 हे०)
75 प्रतिशत से अधिक व्यय वाली परियोजनाएं	49	1334.30	3840.51	3117.48	1383.10
50 से 75 प्रतिशत व्यय वाली परियोजनाएं	40	1467.20	1742.43	6312.79	2320.50
30 से 50 प्रतिशत व्यय वाली परियोजनाएं	18	629.86	278.09	4607.98	595.32
30 प्रतिशत से कम व्यय वाली परियोजनाएं	36	2194.02	397.63	25144.58	3544.80
सकल योग	143	5625.38	6258.66	39182.83	7843.72

15. उपर्युक्त विश्लेषण बतलाता है कि अधिकतम राशि 30 प्रतिशत से कम व्यय वाली परियोजनाओं तथा 30 से 50 प्रतिशत के बीच व्यय वाली परियोजनाओं के लिए दी गयी है। इससे त्वरित सिंचाई विकास की प्रगति निश्चित रूपेण कम हुई है तथा एआईबीपी के विचार के प्रतिकूल है, जिसकी अवधारणा 1996-97 में योजना आयोग द्वारा की गई थी। 30 प्रतिशत से कम प्रगति वाली योजनाओं के लिए निधि की 25,144.58 करोड़ रुपए होगी जिससे 3544.80 हजार हे० की अतिरिक्त सिंचाई की सम्भावना बनेगी तथा यह बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश नहीं है।

जल संसाधनों के विकास के लिए विदेशी सहायता

16. देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास कार्य के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। विभिन्न वित्तीय सहायता देने वाली एंजेंसियों से विदेशी सहायता, जल संसाधनों के विकास के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, संसाधन अंतर को भरे जाने के लिए अपेक्षित है।

17. विश्व बैंक इस क्षेत्रक में विदेशी सहायता का प्रमुख स्रोत रहा है। अन्य दाता ईईसी, ओईसीएफ - जापान, केएफ डब्ल्यू-जर्मनी तथा नीदरलैंड सरकार आदि हैं। वित्तीय वर्ष (1999-2000) में दिसम्बर, 1999 तक विश्व बैंक, यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी तथा अन्य द्विपक्षीय एंजेंसियों से 664.74 करोड़ रुपए की राशि मिली थी तथा राज्य सरकारों एवं भारत सरकार द्वारा जल क्षेत्र में विभिन्न विदेशी रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग किया गया था। तीन परियोजनाओं, नामतः "बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास, महाराष्ट्र में फसलों के विविधीकरण के लिए जल नियंत्रण प्रणाली तथा अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना, उड़ीसा ने इन निधियों का उपयोग कर लिया है।

लघु सिंचाई

18. 2000 हे० तक खेती योग्य कमान क्षेत्र वाली सभी भूजल व सतह जल योजनाएं लघु सिंचाई योजनाओं के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। भंडारण विपणन कार्य तथा सतह लिफ्ट सिंचाई योजनाओं वाली लघु सतह जल प्रवाह सिंचाई परियोजनाएं सिंचित कृषि की योजनाओं में विशेषकर विन्ध्य के दक्षिण की लहरियादार क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लघु सिंचाई योजनाओं में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध होता है तथा शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवास को रोकती हैं। वे ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर को उठाने में भी सहायता करती हैं तथा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाती हैं। ऐसी योजनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं तथा बहुत थोड़ी सी गर्भावधि में चलने से ये योजनाएं लाभ देना शुरू कर देती हैं। सामान्यतौर पर ये योजनाएं अधिकतम 2 से 3 वर्षों में स्थापित हो जाती हैं।

19. लघु सिंचाई योजनाओं से अंतिम सिंचाई संभावनाओं का मूल्यांकन 81.43 मि०हे० किया गया है जिसमें सतह जल योजनाओं से 17.38 मि०हे० तथा भूजल योजनाओं से 64.05 मि०हे० शामिल है। 7वीं योजना के अन्त तक, लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 47.20 मि०हे० की सम्भावना बनी। 8वीं योजनावधि के दौरान लघु सिंचाई के दौरान 6.10 मि०हे० की अतिरिक्त संभावना बनी। 8वीं योजना के अन्त तक बनी कुल संभावना 53.3 मि०हे० आंकलित की गई है। इस प्रकार नौवीं योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध शेष संभावना 28.13 मि०हे० बनती है। नौवीं योजना के लिए लघु सिंचाई में क्षमता निर्माण का लक्ष्य 7.24 मि०हे० निर्धारित किया गया है। नौवीं योजनावधि के दौरान वर्षवार निर्मित क्षमता तथा प्रयुक्त क्षमता संलग्नक-VI में दर्शाई गयी है।

योजना परिव्यय तथा व्यय

20. लघु सिंचाई योजनाओं को योजना निधियों, संस्थागत वित्त तथा किसानों द्वारा निजी निवेशों से वित्त पोषित किया जाता है। इसे यह सामान्यतः जनता का कार्यक्रम समझा जाता है क्योंकि योजनानिधि इसके विकास के लिए कुल निवेश का एक छोटा भाग होती है। निम्न तालिका नौवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र व राज्य क्षेत्र में परिव्यय व व्यय दर्शाती है।

तालिका 6.2.3

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमा. व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमा. व्यय
9वीं योजना	385.00	8984.84	8977.02	
1997-98	70.56	42.48	1799.20	1454.43
1998-99	67.40	48.09	2057.20	1566.30
1999-2000	55.81	56.47	2117.79	1840.21
2000-01	85.27	66.28	1907.93	1731.67
2001-02	84.58	122.18

21. भूतल विकास लघु सिंचाई कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग है तथा इसमें खुदाई वाले कुओं का निर्माण, खुदाई व बोर वाले कुएं, फिल्टर बिन्दु, निजी उथले ट्यूबवेल तथा गहरे सार्वजनिक ट्यूबवेल शामिल हैं। यह मुख्यतः संस्थागत स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता से मुख्य रूप से व्यक्तियों तथा सहकारी प्रयासों से कार्यान्वित अनिवार्यतः जनता का कार्यक्रम है। तथापि, भूजल की अधिक निकासी के प्रति उचित ध्यान के साथ - साथ उस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है जैसा कि अब पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व उत्तर गुजरात के कुछ भागों में पाया जाता है।

22. भूजल विकास का मौजूदा विनियमन बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावित योजनाओं के लिए संस्थागत वित्तीय एंजिसियों द्वारा अपनाए जा रहे प्रशासनिक उपायों का रूप है। वित्तीय संस्थाएं, संबंधित राज्यों की प्राधिकृत भूजल विकास संस्थाओं से योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन पर बहुत जोर देती हैं। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए तथा भूजल विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आदर्श विधेयक 'भूजल के विकास को नियंत्रित व विनियमित करना' तैयार किया गया था तथा उसे उपर्युक्त कानून के रूप में अपनाने के लिए 1970 में राज्यों में परिचालित किया गया था। विधेयक को 1992 में संशोधित किया गया था तथा उसे उनकी टिप्पणियों एवं उचित ढंग से अपनाने के लिए राज्यों में परिचालित किया गया था। भूजल को विनियंत्रित करने के लिए विकल्प हैं: -

- क) शिक्षा द्वारा विनियमन, अर्थात् भूजल की अधिक निकासी से प्रतिकूल प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना।
- ख) उपर्युक्त बताए अनुसार प्रशासन व कानून द्वारा विनियमन।

23. यद्यपि भूजल को विनियमित करने की आवश्यकता सर्वोपरि है तथापि अनवरत आधार पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी साथ-साथ उपाय किए जाने होंगे । इसे प्राप्त करने के लिए भूजल भंडारण को बढ़ाने के लिए भूजल की कृत्रिम पुनः आपूर्ति, कम पानी का प्रयोग कर संरक्षण तथा प्रदूषण से सुरक्षा जैसे उपाय तत्काल किए जाने होंगे । भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया है । इसके गठन के बाद 1997 में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जिनके संबंध में तत्काल विनियामक उपायों की आवश्यकता थी:

- क) भूजल संसाधनों का संरक्षण तथा इनका विवेकशील उपयोग सुनिश्चित करना
- ख) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूजल की अधिक निकासी को नियंत्रित करना ।
- ग) अधिक दोहन वाले क्षेत्रों में संसाधन बढ़ाना ।
- घ) बीआईएस तथा आईसीएमआर द्वारा स्थापित भूजल की सांविधिक गुणवत्ता को प्राप्त करना ।
- च) भूजल प्रणालियों पर स्राव को नियंत्रित करना ।

24. नीचे दिए गए कार्यों को संपादित करने के लिए प्राधिकरण को निम्न अधिकार दिए गए हैं -

- क) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा(2) में संदर्भित सभी मामलों के बारे में ऐसे उपाय किए जाने के लिए धारा 5 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग ।
- ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित दंड प्रावधान का उपाय करना ।
- ग) देश में भूजल के अन्धाधुन्ध बोरिंग तथा निकासी को विनियंत्रित करना तथा भूजल संरक्षण तथा सुरक्षा के विचार से आवश्यक विनियामक निर्देशों को जारी करना ।

25. उत्तर-पूर्वी राज्यों में, सामान्य तौर पर केवल एक फसल उगाई जाती है। उत्तर-पूर्वी प्रांतों में लघु सिंचाई के समग्र विकास की वर्तमान स्थिति अखिल भारतीय आंकड़े 75 प्रतिशत तथा उत्तर-पश्चिम पंजाब व हरियाणा के लगभग 98 प्रतिशत की तुलना में केवल 33 प्रतिशत है । पूर्वी राज्यों के मामले में स्थिति पर्याप्त रूप से अच्छी है । भारतीय गंगातटीय क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता तथा इसकी सहज और सस्ती उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, यह उपयुक्त है कि लघु सिंचाई जिसमें भूजल भी शामिल है, का पूरा उपयोग किया जाए । अत्यधिक अप्रयुक्त भूजल संसाधन क्षमता के उपयोग का प्रस्ताव कृषि - उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा किसानों के कमजोर वर्गों के समग्र उत्थान के लिए चार कोन्टर्मिनस राज्यों, बिहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भागों तथा पश्चिमी बंगाल में, विचाराधीन है ।

26. चूंकि कुछ राज्यों व संघीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रम कई विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है , इसलिए ऐसे सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है । केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के मामले में, भूजल अन्वेषण तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास से संबंधित कार्य में प्रगति लाने पर बल दिया जा रहा है । बोर्ड ने राज्यों में सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने तथा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग में तेजी लाने के लिए विशेषतौर से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व नागालैण्ड राज्य में जहाँ कार्य पहले से चल रहा है के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है । इसी तरह से के.भू.ज. बो. ने आदिवासी क्षेत्रों में भूजल सर्वेक्षण करने तथा व्यवस्थित ढंग से ड्रिलिंग करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ।

27. लघु सिंचाई कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं -

- क) संवितरण अनुसूची के अनुसार विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना ।
- ख) चल रही योजनाओं का वरीयताक्रम सुनिश्चित करना
- ग) यथासंभव संस्थागत निवेश को बढ़ाना , जिससे लघु व सीमांत किसानों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सहायता करना भी शामिल है ।
- घ) विशेषतः पूर्वी व उत्तर-पूर्वी राज्यों में भूजल विकास में तेजी लाना ।
- च) आदिवासी, पिछड़े, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहित करके तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किसान बहुल क्षेत्रों में कारगर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ यदि सम्भव हो, विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यक्रमों / योजनाओं, जैसे कि रोजगार सृजन स्कीम आदि में सामंजस्य स्थापित करना ।
- छ) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, जैसे हाइड्रम्स आदि का उपयोग करने वाली योजनाओं को प्रोत्साहित करना ।
- ज) पानी अभाव ग्रस्त तथा सूखा प्रधान क्षेत्रों में, स्प्रिंकलर / ड्रिप सिंचाई प्रणाली का पानी बचत युक्ति के तौर पर प्रयोग तथा उत्पादकता के लिए पानी के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
- झ) सरकारी ट्यूबवेलों की उपयोगिता में सुधार तथा उनका पुनरूद्धार तथा ओ एवं एम के लिए लाभ भोगी किसानों का सहयोग प्राप्त करना ।

ग्रामीण ढांचागत विकास कोष

28. नाबार्ड में आरआईडीएफ की स्थापना 2000 करोड़ रुपए की राशि के साथ 1995-96 में घोषित की गई थी । प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्यों में कृषि उधारी में कमी होने की मात्रा तक का अंशदान जो अधिकतम निवल बैंक उधार का 1.5 प्रतिशत तक हो सकती है , भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है । वर्तमान में आरआईडीएफ के अंतर्गत, ऋण सहायता बड़ी, मझोली व लघु सिंचाई , मृदा संरक्षण, जल विभाजक प्रबंधन, ग्रामीण सड़कें तथा पुल, एकीकृत टंडी-श्रृंखला परियोजनाओं, एकीकृत बाजार प्रांगण परियोजनाओं तथा अन्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई जाती है । आजकल सहायता योजना की अद्यतन लागत के 90 प्रतिशत तक या शेष लागत जो भी कम है तक उपलब्ध कराई जाती है तथा 7 वर्षों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के साथ अदायगी की जाती है ।

29. यह देखा गया था कि कुछ राज्यों के बारे में नाबार्ड से उधार का प्रवाह यथा परिकल्पित ढंग से नहीं हो रहा था । इस मामले को की गई संवितरणों की समीक्षा करने के लिए तथा उपलब्ध निधियों को लाभ उठाने के लिए राज्य सरकारों को समझाने-बुझाने हेतु नाबार्ड के साथ उठाया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें कोई कमी नहीं रहे । नाबार्ड ने आरआईडीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के निम्न कारण बताए हैं -

- क) नाबार्ड से जारी की जाने वाली स्वीकृति संबंधी निश्चित आंकड़ों के अभाव में, राज्य सरकारें एक वर्ष-विशेष के दौरान निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने में कठिनाईयां अनुभव कर रही है । इसकी वजह से परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होता है ।
- ख) नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए अनुवीक्षण अध्ययनों तथा कार्यान्वयन प्राधिकरणों से प्राप्त प्रति सूचना (फीड बैक) से परियोजनाओं के कार्यान्वयन / निष्पादन में निम्न बाधाओं का पता चलता है । भूमि अधिग्रहण / क्षतिपूर्ति औपचारिकताओं को पूरा करना, वन / पर्यावरण स्वीकृति (अनापत्ति), कार्यान्वयन के दौरान आवश्यक हुए डिजाइन परिवर्तन तथा तदनंतर लागत वृद्धि, बोझिल तथा समय खपत वाली निविदा प्रक्रिया तथा कभी-कभी

निविदाओं के प्रति खराब प्रतिउत्तर तथा ठेकेदारों से विवाद (निविदा प्रक्रिया अब कई राज्यों में सरल कर दी गई है)
।

ग) सभी राज्यों ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर आरआईडीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक उच्च अधिकार प्रदत्त समिति (एचपीसी) गठित की है । तथापि, कुछ राज्यों में एचपीसी की बैठकें नियमित रूप से नहीं की जाती हैं ।

30. उपर्युक्त नोट किए गए मुद्दों को देखते हुए, राज्य सरकारों से परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए आवश्यक उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध किया गया था ।

कमान क्षेत्र विकास

31. निर्मित क्षमता तथा इसके उपयोग के बीच अन्तर को कम करने तथा भूमि के बेहतर प्रबंधन और चयनित बड़ी व मझोली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सेवित कमान क्षेत्र में पानी के उपयोग के द्वारा उच्चतम कृषि उत्पादकता के दृष्टिकोण से कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम की 1974-75 में शुरुआत की गई थी । वर्तमान में कार्यक्रम के अन्तर्गत 226 परियोजनाएं कवर की गई हैं जिसके अन्तर्गत 23 राज्यों तथा सघं शासित क्षेत्रों में फैली 21.95 मि०हे० का कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र में आता है तथा 55 सीएडी विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रशासित किया जाता है । 1974-75 में कार्यक्रम की शुरुआत से मार्च, 2000 तक सीएडी कार्यक्रम के अंतर्गत 2146.24 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को प्रदान की गई है। पिछले दो दशकों के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर इसे मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर पुर्नगठित किया जा रहा है ताकि इष्टतम पानी प्रयोग कुशलता के साथ सिंचित कृषि के लिए तीव्र पारगमन सुनिश्चित करने के लिए यह अधिक कारगर उपाय बन सके ।

योजना परिव्यय तथा व्यय

32. नीचे दी गई तालिका में नौवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक तथा राज्य क्षेत्रक में परिव्यय व व्यय दर्शाया गया है ।

तालिका 6.2.3

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमा. व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमा. व्यय
9वीं योजना	860		2032.10	
1997-98	140.70	129.96	371.35	303.43
1998-99	188.00	173.32	348.48	311.37

1999-2000	178.00	163.92	315.31	306.46
2000-01	160.88	144.95	298.07	268.52
2001-02	187.19	115.53		

33. इस कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है ।

तालिका 6.2.4 कमान क्षेत्र विकास गतिविधियों के संबंध में उपलब्धि

(मि०हे०)

क्रम० सं०	मद	मार्च१९९२ तक उपलब्धि	१९९२-९३ से ९६-९७ तक उपलब्धि	१९९७-९८ उपलब्धि	९८-९९ अनुमा. उपलब्धि	९९-२००० अनुमा. उपलब्धि	मार्च२००० तक संचयी उपलब्धि
1	खेत चैनल	12.19	1.76	0.32	0.32	0.15	14.74
2	बाढ़बन्दी	6.12	2.52	0.42	0.33	0.11	9.50
3	भूमि समतलीकरण	1.99	0.01	0.01	0.02	0.02	2.14
4	खेत नालियां	0.58	0.19	0.03	0.06	0.02	0.88

34. जल संवितरण प्रणाली का बेहतर एवं सक्षम प्रबंधन, अधिक सक्षम तथा समय से खेतों को पानी आपूर्ति, क्षेत्रीय स्टाफ तथा किसानों को प्रशिक्षण तथा निकासी स्तर से नीचे जल वितरण प्रणाली के प्रबंधन में कमान क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को शामिल करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है । कार्यक्रम के अंतर्गत अब एक अन्य मद जलाक्रान्त भूमि का सुधार करना शामिल की गयी है ।

2001-02 के लिए कार्यक्रम

35. कार्यक्रम 2001-02 के दौरान जारी रहेगा । झूटतम जल प्रयोग कार्यकुशलता के लिए पूर्व-शर्त के तौर पर भूमि चकबंदी पर अधिक बल देने की आवश्यकता है । जहां कहीं आवश्यक हो , संबंधित संगठनों का उचित ढंग से सुदृढीकरण करके गहन अनुवीक्षण तथा परियोजनाओं के मूल्यांकन पर केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर जोर दिया जा रहा है । वार्षिक योजना 2001-02 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 187.19 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है ।

36. उद्देश्यों एवं इसके परिमाणन की दृष्टि से चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने सीएडी कार्यक्रम के विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया है । तदनुसार, 18 सीएडी परियोजनाओं का मूल्यांकन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है । अधिकांश रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है । मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं -

- क) बाड़ाबंदी को लागू करने से किसानों में जल के समान वितरण तथा सिंचाई समता की उपयोगिता सुधारने एवं कृषि उत्पादकता सुधारने में सहायता मिली है ।
- ख) विस्तार सेवा सहयोग को, किसानों को सूखी भूमि फसलों से सिंचित फसलों में परिवर्तित करने में अपना निर्णय लेने में सहायता करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ।
- ग) बेहतर जल कार्यकुशलता के साथ उपयुक्त फसल पद्धति तथा फसलों की सुधरी हुई किस्म को कई सिंचाई परियोजनाओं में गैर- फायदेमंद फसलों के स्थान पर शुरुआत की गई है ।
- घ) भूजल विकास में सबसे बड़ी बाधा छोटी तथा विखंडित जोत, किसानों की खराब आर्थिक स्थिति , बोझिल संस्थागत वित्तीय सहायता तथा पंप सेटों को चलाने के लिए खराब विद्युत तथा डीजल की आपूर्ति, किसानों को अपर्याप्त सब्सिडी की उपलब्धता है ।
- च) सिंचाई में कुशलता प्राप्त करने के लिए, प्रणाली के अनुक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए ।

किसानों की भागीदारी

37. सिंचाई प्रबन्धन में किसानों की भागीदारी का अर्थ समाविष्ट करना, निर्णय लेने में जल उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका से है । यह केवल परामर्श तक ही सीमित रहने वाली भूमिका नहीं है, इसमें सिंचाई जल प्रबंधन के सभी पहलुओं में लाभार्थियों की सक्रिय भूमिका तथा कृषि / सस्यविज्ञानी गतिविधियों में मुख्य प्रणाली प्रबंधन से अग्र व पश्च संबंधों पर ध्यान देना निहित है। यह भूमिका, सिंचाई जल आपूर्ति तथा इसके वितरण के विभाग पर निर्भर रहने की किसानों की परम्परागत निष्क्रिय भूमिका से बहुत भिन्न है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान निर्णय लेने में सक्रिय रूप से हिस्सा ले स्थानीय संगठनों के उपयुक्त रूप को विकसित करने की जरूरत है । सिंचाई एजेंसी, नियोजन विचार-विमर्श/हस्तक्षेप रणनीति का विकास करके इस प्रक्रिया जो स्पष्टरूप से आसान बना सकती है। किसानों की भागीदारी अत्यधिक प्रभावी होती है जब यदि वह परियोजना निर्माण तथा डिजाइन की अवस्था समेत परियोजना विकास की प्रारम्भिक अवस्था से शुरु होती है । ऐसी भागीदारी किसानों व सरकार के बीच सच्ची भागीदारी के लिए वास्तविक प्रतियोगिता की आदर्श स्थितियों का भाग होती है । किसान संघों (जिन्हें जल प्रयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू यू ए) भी जाना जाता है) के प्रबन्धन सिंचाई प्रणालियों, परम्परागत तथा आधुनिक में दोनों प्रकार के सफल उदाहरण पाए जाते हैं । तथापि ये इस दृष्टि से बिल्कुल अलग हैं , विच्छिन्न तथा भाव में स्थल विशिष्ट हैं तथा ऐसे सफल प्रयोगों में विचित्रता यह है की अन्य क्षेत्रों में यहाँ तक कि उसी कमान के आसन्न ब्लाक (कों) में भी उनका विस्तार नहीं हुआ है । भारत में, आंध्र प्रदेश, गुजरात , हरियाणा, केरल, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर-प्रदेश तथा असम राज्यों में लगभग 26771 डब्ल्यूयूएस विभिन्न रूपों में हैं । किन्तु ऐसे डब्ल्यूयूएस द्वारा प्रबंधित कुछ क्षेत्र लगभग 5759.23 हजार हे0 अनुमानित किया गया है ।

बाढ़ नियन्त्रण

38. लगभग 329 मि0हे0 कुल भोगोलिक क्षेत्र में से अनुमानतः लगभग 1/8 वें भाग को बाढ़ ग्रस्त आकलित किया गया है । इसमें से लगभग 32 मि.हे. संरक्षणीय आंकलित किया गया है । 1954 में देश में

विनाशकारी बाढ़ अनुभव के बाद बाढ़ प्रबंधन का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। अभी तक बाढ़ सुरक्षा के विभिन्न तरीके दीर्घावधि व अल्पावधिक दोनों प्रकार के तरीके, समस्या की किस्म एवं स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न राज्यों में अपनाए गए हैं। मार्च 1954 से मार्च 1992 तक तटबंधों में कभी-कभार दरारों को छोड़कर, निष्पादित किए गए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण कार्यों से लगभग 14.20 मि०हे० क्षेत्र की समुचित सुरक्षा प्राप्त हुई है। आठवीं योजना के अंत तक लाभान्वित कुल क्षेत्र 1.8 मि०हे० है, इनमें कुछ राज्यों में मौजूद और 1954 के पहले संरक्षित क्षेत्र (लगभग 3 मि०हे०) शामिल नहीं है। इन कार्यों के अलावा, निचले क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए देश में विशिष्ट बाढ़ कुशन युक्त जलाशय (भंडार) निर्मित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे बहुउद्देशीय भंडारणों ने बाढ़ मैदानों में बाढ़ की तीव्रता कम करके सीमित करने में बहुत सहायता की है।

39. निम्न तालिका नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन के लिए परिव्यय व व्यय को दर्शाती है।

तालिका 6.2.5 योजना परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र		राज्य क्षेत्र	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमा. व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/ अनुमा. व्यय
9वीं योजना	716.13		2012.12	-
1997-98	72.15	48.47	363.66	351.87
1998-99	71.65	55.87	348.48	465.98
1999-2000	61.79	68.69	662.36	486.72
2000-01	154.87	95.13	654.25	573.77
2001-02	148.85	140.96

40. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए परिव्यय एवं व्यय उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। 1998-99 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य दोनों क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अनुमोदित 440.23 करोड़ रुपए के विरुद्ध अनुमानित व्यय 383.52 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान असम, बिहार, उत्तर-प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों को में आसामान्य बाढ़ों के कारण बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी। केन्द्र द्वारा प्रभावित राज्यों को लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई। क्योंकि बाढ़ नियंत्रण कार्यों का अनुचित रूप से अनुरक्षण होने से अत्यधिक नुकसान होता है इसलिए आवश्यक है कि राज्यों द्वारा अनुरक्षण राशियों के पर्याप्त प्रावधान द्वारा उचित अनुरक्षण सुनिश्चित

किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चालू बचाव कार्यों को कठोर अग्रताओं के आधार पर एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

2001-02 के लिए योजना

41. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर हर वर्ष किए गए भारी राहत व्यय को ध्यान में रखते हुए हाथ में लिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अग्रता दिए जाने की आवश्यकता है। बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के बारे में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किए जाएं, ताकि बाढ़ बचाव कार्यों के लिए बनाई गई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

42. ढांचागत बाढ़ बचाव तरीकों पर हुई प्रगति के अतिरिक्त, बाढ़ की पूर्व सूचना तथा आने वाली बाढ़ की चेतावनी ने जीवन एवं चल सम्पत्ति के विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के प्रभारी संगठनों को सजग करने के अतिरिक्त नुकसान को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। सभी अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में इस कार्य की जिम्मेवारी केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गई है। राज्यों को बाढ़ मैदानी जोन कानून बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए 1975 में एक माडल बिल राज्यों में परिचालित किया गया था। राज्य सरकारों को माडल बिल के आधार पर कानून बनाने के लिए कहा जा रहा है ताकि बाढ़ मैदानों में, अनियोजित एवं अनियमित विकास तथा अतिक्रमण को रोका जा सके तथा बाढ़ नुकसान की बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जा सके। केवल मणीपुर राज्य ने अभी तक कानून बनाया है।

43. जल संसाधन मंत्रालय देश में नदी कटाव कार्यों के विरुद्ध तथा समुद्री कटाव कार्यों के विरुद्ध केन्द्रीय स्कीमें तैयार कर रहा है।

जल दरें

44. राष्ट्रीय जल नीति (1987) के अनुसार, जल दर इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे प्रयोग करने वाले को इसकी कमी के मूल्य का पता चल सके तथा उन्हें जल के समुचित प्रयोगों के पक्ष में समझाया जाना चाहिए, और इसके साथ ही वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन प्रभारों को पर्याप्त रूप से कवर करने तथा स्थायी लागत के एक भाग को वसूल किया जा सके। जल की प्रति ईकाई की कृषि उत्पादकता धीरे-धीरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि जल के अन्य उच्च मूल्य वाले प्रयोगों के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा की जा सके।

45. योजना आयोग ने जल मूल्य समिति का गठन किया है जो कि वैद्यनाथन समिति के नाम से जानी जाती है। बाद में उपरोक्त समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा अधिकारियों के एक ग्रुप का गठन किया गया। इस ग्रुप ने एकमत से यह सिफारिश की कि पूरी संचालन एवं अनुरक्षण लागत को धीरे-धीरे वसूल किया जाना चाहिए, अर्थात् 1995-96 से आरम्भ करते हुए 5 वर्ष की अवधि के दौरान मुद्रा-स्फीति को भी ध्यान में रखकर तथा बाढ़ में प्रचालन एवं अनुरक्षण स्तर प्राप्त करने

के बाद प्रत्येक राज्यों को पूंजी लागत का भी 1 प्रतिशत कवर करने के लिए जल दरों को बढ़ाने के लिए उचित कारवाई करने का निर्णय करने के लिए स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों द्वारा सिंचाई एवं जल मूल्य पद्धति बोर्डों के गठन तथा कम से कम प्रत्येक 5 उपभोक्ताओं को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने की भी सिफारिश की गई। आगे, गुप ने जल प्रयोग करने वाले वालों की एसोसिएशनें गठन करने तथा सिंचाई प्रणाली के अनुरक्षण एवं प्रबन्धन को उन्हें स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की ताकि प्रत्येक प्रणाली प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए तथा अन्ततः सुविधाओं के विस्तार/सुधार के लिए अपने वित्त कर प्रबन्ध कर सके।

46. वर्तमान में, अधिकतर राज्यों में सिंचाई जल की दरें पर्याप्त भिन्न-भिन्न स्तरों पर बहुत कम हैं तथा कुछ ने पिछले 2-3 दशकों से इनका संशोधन नहीं किया है। उत्तर-पूर्व के अधिकतर राज्य (सिवाय असम एवं मणीपुर) कोई सिंचाई जल दर नहीं लेते। महाराष्ट्र केवल ऐसा राज्य है जहां सिंचाई दरें 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रावधान के साथ घोषित की जाती है ताकि पूरी संचालन एवं अनुरक्षण लागत के साथ-साथ सिंचाई - बांडों के माध्यम से ली गई सार्वजनिक जमाओं पर देय ब्याज को कवर किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने हाल में ही जल दरें संशोधित की हैं।

47. 2001-02 की वार्षिक योजना पर चर्चा करने के लिए कार्यकारी ग्रुप की बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि कम से कम संचालन एवं अनुरक्षण व्यय को कवर करने के स्तर तक जल दरें संशोधित करें। उन्हें स्थापन लागत को कम करने तथा जल दरों की संग्रहण कार्यकुशलता में सुधार लाने की भी सलाह दी गई।

संलग्नक 6.2.1

वर्ष 1998-99 के लिए बृहत व मझोली सिंचाई, लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं०	राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम	बृहत और मझोली	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	709.98	175.54	8.99	36.98	931.49
2	अरुणांचल प्रदेश	0.33	13.37	0.82	4.33	18.85
3	असम	38.77	67.59	3.19	14.72	124.27
4	बिहार	327.59	40.42	11.94	48.06	428.01
5	गोवा	20.22	5.56	1.53	1.16	28.47
6	गुजरात	1212.95	148.16	11.32	4	1376.4
7	हरियाणा	231.27	39.46	8.99	27.36	307.08
8	हिमाचल प्रदेश	12.03	42.81	0.23	5.54	60.61
9	जम्मू एवं कश्मीर	27.54	28.17	3.39	16.27	75.37
10	कर्नाटक	1431.1	92.53	20.45	14.17	1558.2
11	केरल	171.09	72.23	12	25.48	280.8
12	मध्य प्रदेश	462.85	153.44	3.91	1.2	632.2
13	महाराष्ट्र	1593.68	292.25	62.92	3.23	1952.0
14	मणिपुर	29.02	7.43	2.05	5.1	43.6
15	मेघालय	2.49	6.5	0.22	3	12.21
16	मिजोरम	0.03	4.88	0.03	0	4.94
17	नागालैंड	0	2.04	0.1	0.09	2.23
18	उड़ीसा	526.71	83.98	6.18	16.03	632.9
19	पंजाब	69.72	37.43	35.76	111.14	254.05
20	राजस्थान	444.65	48.3	66.3	5.73	564.98
21	सिक्किम	0	0.85	0.02	2.84	3.71
22	तमिल नाडु	221.27	35.13	21.88	0	278.28
23	त्रिपुरा	7.58	8.94	0.02	3.75	20.29
24	उत्तर प्रदेश	448.4	108.59	25.15	26.45	608.59
25	पश्चिम बंगाल	153.65	41.44	3.77	68.39	267.25
	कुल राज्य	8142.92	1557.04	311.16	445.03	10466.9
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
26	अंडमान निकोबार दीप	0	2.4	0	0	2.4
27	चंडीगढ़	0	0.44	0	0	0.44
28	दादरा नागर हवेली	1.05	1.24	0.21	0	2.5
29	दमन एवं दिउ	0.34	0.03	0	0.34	0.71
30	दिल्ली	0	0.66	0	14.88	15.54
31	लक्षदीप	0	0	0	2.55	2.55
32	पांडीचेरी	0	4.44	0	3.18	7.62
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	1.39	9.24	0.21	20.95	31.76
	कुल राज्य एवं के.शा.क्षे	8144.31	1566.30	311.37	465.98	10487.96
	केन्द्रीय क्षेत्रक	47.72	48.09	173.32	55.87	325.00
	कुल	8192.03	1614.39	484.69	521.85	10812.96

संलग्नक 6.2.2

वर्ष 1999-2000 के लिए बृहत व मझोली सिंचाई, लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित संशोधित अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं	राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम	बृहत और मझोली	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1051.14	208.63	12	42	1313.77
2	अरुणांचल प्रदेश	0.34	20.09	0.9	4.25	25.58
3	असम	38.86	66.42	3.19	22.9	131.37
4	बिहार	401.05	50	12	80.69	543.74
5	गोवा	17.36	6.55	2.52	1.75	28.18
6	गुजरात	1580	237.3	10	5	1832.3
7	हरियाणा	342	57	7	20	426
8	हिमाचल प्रदेश	16.75	52.45	0.35	7.74	77.29
9	जम्मू एंव कश्मीर	68.16	45.93	4.19	32.11	150.39
10	कर्नाटक	1500.17	74.53	19.83	11.03	1605.56
11	केरल	145.72	41.4	12	24	223.12
12	मध्य प्रदेश	382.13	150.22	4.55	1.15	538.05
13	महाराष्ट्र	3449	379.61	52.78	0.99	3882.38
14	मनिपुर	60	18	1.6	15.3	94.9
15	मेघालय	2	7	0.3	3	12.3
16	मिजोरम	0.05	10.44	0.05	0	10.54
17	नागालैंड	9.49	0	0.1	0.02	9.61
18	उड़ीसा	515.24	89.08	4.16	3.33	611.81
19	पंजाब	96.39	51.44	62.5	109.76	320.09
20	राजस्थान	349.63	35.07	50.85	2.84	438.39
21	सिक्किम	0	20	0.5	0.02	20.52
22	तमिल नाडु	366.63	52.88	21.88	22.14	463.53
23	त्रिपुरा	7.03	16.49	0.02	7.38	30.92
24	उत्तर प्रदेश	523.74	22.63	26.52	16.24	589.13
25	पश्चिम बंगाल	78.5	45	2	96	221.5
	कुल राज्य	11001.4	1758.16	311.79	529.64	13601
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
26	अंडमान निकोबार दीप	0	2.5	0	0	2.5
27	चंडीगढ़	0	0.25	0	0	0.25
28	दादरा नागर हवेली	1	1.26	0.24	0	2.5
29	दमन एंव दिउ	0.04	0.05	0.1	0.18	0.37
30	दिल्ली	0	1.1	0	19.73	20.83
31	लक्षदीप	0	0	0	3.05	3.05
32	पांडीचेरी	0	6.48	0	6.43	12.91
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	1.04	11.64	0.34	29.39	42.41
	कुल राज्य एंव के.शा.क्षे	11002.4	1769.8	312.13	559.03	13643
	केन्द्रीय क्षेत्र	48.32	56.62	165.92	68.69	339.55
	योग	11050.7	1826.42	478.05	627.72	13983

संलग्नक 6.2.3

वर्ष 2000-01 के लिए बृहत व मझोली सिंचाई, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित संशोधित अनुमोदित परिव्यय

(करोड रूपए में)

क्रम सं०	राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम	बृहत और मझोली	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	915.45	143.04	11.1	62.11	1131.7
			45.63	0.9	4.05	50.92
3	असम	50.48	77.57	19.16	3.41	150.62
4	बिहार	253.58	26.62	28.71	84	392.91
5	गोवा	112.16	6.61	2.79	1.45	123.01
6	गुजरात	1495	240.35	9	4.9	1749.3
7	हरियाणा	211.01	68	8	20	307.01
8	हिमाचल प्रदेश	14.89	45.62	1.36	7.9	69.77
9	जम्मू एवं कश्मीर	68.85	48.61	5.67	27.43	150.56
10	कर्नाटक	1898.71	100.07	11.83	5.99	2016.6
11	केरल	125	39	9.4	16.85	190.25
12	मध्य प्रदेश	506.4	163.38	2.81	0.91	673.5
13	महाराष्ट्र	3525.18	269.27	24.61	0.65	3819.7
14	मनिपुर	43	26	0.95	9	78.95
15	मेघालय	2.5	7.1	0.3	3	12.9
16	मिजोरम	1	3.31	5	0	9.31
17	नागालैंड	0	8.1	0.1	0.3	8.5
18	उड़ीसा	355	84.83	4.74	2.96	447.53
19	पंजाब	57.32	25.78	32	75.34	190.44
20	राजस्थान	274.61	59.37	46.3	2.48	382.76
21	सिक्किम	0	3.6	0.02	1.32	4.94
22	तमिल नाडु	213.74	103.8	16.58	22.08	356.2
23	त्रिपुरा	6.28	17.45	0.02	6.01	29.76
24	उत्तर प्रदेश	765.45	54.26	27.82	50.18	897.71
25	पश्चिम बंगाल	80.52	54.63	4.25	130.9	270.3
	कुल राज्य	10975.48	1722	268.47	543.22	13515
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
26	अंडमान निकोबार दीप	0	1.5	0	0	1.5
27	चंडीगढ़	0	0.2	0	0	0.2
28	दादरा नागर हवेली	0.5	0.58	0.05	0	1.13
29	दमन एवं दिउ	0.1	0.05	0	0.22	0.37
30	दिल्ली	0	1.1	0	21.3	22.4
31	लक्षदीप	0	0	0	3.5	3.5
32	पांडीचेरी	0	6.24	0	5.53	11.77
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	0.6	9.67	0.05	30.55	40.87
	कुल राज्य एवं के.शा.क्षे	10976.08	1731.67	268.52	573.77	13550.0
	केन्द्रीय क्षेत्र	36.91	68.28	144.95	95.13	345.27
	कुल	11012.99	1799.95	413.47	668.9	13895.31

संलग्नक 6.2.4

वर्ष 2000-01 के लिए बृहत व मझोली सिंचाई, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं०	राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम	बृहत और मझोली	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश					
2	अरुणाचल प्रदेश	0.36	44.25	1.95	3.68	50.24
3	असम					
4	बिहार					
5	गोवा	82.62	10.73	3.05	1.65	98.05
6	गुजरात					
7	हरियाणा	287.1	50	10	20	367.1
8	हिमाचल प्रदेश					
9	जम्मू एवं कश्मीर					
10	कर्नाटक					
11	केरल	146	40	14	17	217
12	मध्य प्रदेश					
13	महाराष्ट्र					
14	मणिपुर					
15	मेघालय	4.5	10	0.3	2	16.8
16	मिजोरम	0.01	5.75	0.3	—	6.06
17	नागालैंड	—	8.25	0.1	0.2	8.55
18	उड़ीसा	480.37	113.78	4.511	12.86	611.52
19	पंजाब					
20	राजस्थान					
21	सिक्किम					
22	तमिल नाडु	557.25	76.58	15.61	—	649.44
23	त्रिपुरा	6.09	45	0.02	10.16	61.27
24	उत्तर प्रदेश	950.48	96.26	30	54.49	1131.2
25	पश्चिम बंगाल					
	कुल राज्य	2514.78	500.6	79.84	122	3217.3
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
26	अंडमान निकोबार दीप					
27	चंडीगढ़		0.2	—	—	0.2
28	दादरा नागर हवेली	0.5	0.57	0.18	—	1.25
29	दमन एवं दिउ	0.1	0.05	—	0.22	0.37
30	दिल्ली					0
31	लक्षदीप					0
32	पांडीचेरी		10.02	5.88		15.9
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	0.6	10.84	6.06	0.22	17.72
	कुल राज्य एवं के.शा.क्षे					
	केन्द्रीय क्षेत्र	49.65	122.18	115.53	140.96	428.32
	कुल					

संलग्नक 6.2.5

बृहत व मझोली सिंचाई स्कीमें - आठवीं योजना तक वास्तविक उपलब्धि और नौवीं योजना के लिए लक्ष्य

(000 हेक्टेयर)

क्रम सं०	राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम	मार्च 97 तक उपलब्धि		नौवीं योजना लक्ष्य बृहत तथा मझोली		1997-98 उपलब्धि बृहत तथा मझोली		1998-99 उपलब्धि बृहत तथा मझोली		उपलब्धि 1999-2000		अनुमानित उपलब्धि 1999-2000		लक्ष्य 2001-02	
		क्षमता	उपयो.	क्षमता	उपयो.	क्षमता	उपयो.	क्षमता	उपयो.	क्षमता	उपयो.	क्षमता	उपयो.	क्षमता	उपयो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	3045	2883.8	579.13	506.28	76.52	12.1	116.2	158.8	151.4	151.5				
2	अरुणांचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	असम	196.7	138.17	6.5	4	4.2	2	1.3	1	8.8	4.8	6.95	2.4	26	26
4	बिहार	2803	2324.2	492	518	4.33	4.33	27.1	22.1	53.46	0	17.73	18	119.1	78.5
5	गोवा	13.02	12.07	16.22	12	3.5	1	0.02	0.02	0.54	0.89	0.15		3.94	1.2
6	गुजरात	1350	1200	1867	1892	17.14	20.62	16.08	20	15	20				
7	हरियाणा	2079	1833.62	197.71	211.21	1.66	1.66	3.49	3.49	7	3				
8	हिमाचल प्रदेश	10.55	5.59	3	1.5	0.3	0.15	0.15	0.34	0.15	0.34				
9	जम्मू एवं कश्मीर	173.7	147.57	29.9	40.1	2.07	2.62	0.22	2.86	0.7	5.3				
10	कर्नाटक	1666	1471.7	1109.9	887.9	45.44	36.35	35.17	35.17	100	80				
11	केरल	513.3	464.31	373.12	373.12	32.23	30.61	14	14	30	30				
12	मध्य प्रदेश	2318	1620.95	384.75	195.11	32	23.3	20.7	10.3	14.9	8.51	25.5	15.6	16.4	8.7
13	महाराष्ट्र	2337	1287.7	1755	1700	151	150	187	187	200	187				
14	मणिपुर	63	52	50.38	42.33	1	1	12	10	4	4				
15	मेघालय	0	0	3.88	3.88	0	0	0	0.97	0	0				
16	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	नागालैंड	0	0	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0				
18	उड़ीसा	1558	1442.66	915.39	819.27	34.57	54.14	40.39	191.3	62.51	40.39				
19	पंजाब	2513	2451.25	126.25	126.55	12.62	22.85	5.01	5.01	1.77	1.77				
20	राजस्थान	2274	2088.39	469.26	394.92	58.9	46.46	11.5	98.7	5.92	10.57	14.65	0	30.5	5

21	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	तमिल नाडु	1546	1545.49	4.8	3.8	2.18	2.18	0	0	1.62	1.62				
23	त्रिपुरा	2.3	2.3	22.92	11.05	0.85	0.85	0.2	0.8	1	0.8				
24	उत्तर प्रदेश	7043	6114	1000	600	129	33	112	75	125	75	425.1		14.4	150
25	पश्चिम बंगाल	1433	1315.28	395	355	53.41	43.22	50	40	35.1	29.5	62	58		
	कुल राज्य	32935	28401.05	9806.6	8702.22	662.9	488.44	652.5	876.9	829.5	663				
26	अंडमान निकोबार दीप	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0						
28	दादरा नागर हवेली	0	0	2.2	-	0.1	0.4	-	0.55	0.08	0.28	0.04	0.42		
29	दमन एवं दिउ	3.22	2	3	3	0	0	0	0	3	0				
30	दिल्ली	0	0	0	0	NR	NR	NR	NR		NR				
31	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0						
32	पांडीचेरी	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0						
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	18.51	9.29	5.2	3	0.1	0.4	0	0.55	3	0			0	
	कुल राज्य एवं के.शा.क्षे	32954	28410.34	9811.8	8705.22	663	488.84	652.5	877.4	832.5	663			0	0
	कुल														

लघु सिंचाई - वास्तविक ब्यौरे

(000 हेक्टेयर)

क्रम सं०	राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम	उपलब्धि मार्च 1997 तक		लक्ष्य नौवी योजना लघु सिंचाई		लक्ष्य 1997-98 लघु सिंचाई		उपलब्धि 1997-98 लघु सिंचाई		उपलब्धि 1998-99 लघु सिंचाई		अनुमानित उपलब्धि 1998-99	
		क्ष.	उ.	क्ष.	उ.	क्ष.	उ.	क्ष.	उ.	क्ष.	उ.	क्ष.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	2901.87	2687.16	28.90	28.70	5.30	5.30	45.94	45.94	49.73	49.73	48.33	48.33
2	अरुणांचल प्रदेश	83.42	65.54	23.00	23.00	4.35	2.25	4.68	2.68	3.21	1.75	2.18	2.18
3	असम	592.76	484.45	12.84	12.00	7.98	7.98	6.00	4.80	1.22	1.22	0.20	0.20
4	बिहार	5108.24	4573.70	205.25	190.00	8.71	7.00	42.30	25.50	20.00	20.00	66.22	50.22
5	गोवा	20.52	17.77	3.02	1.68	0.24	0.20	0.27	0.20	0.01	0.01	0.40	0.40
6	गुजरात	1935.30	1839.62	70.10	50.80	23.91	9.50	23.91	11.50	7.20	4.00	7.20	4.00
7	हरियाणा	1576.77	1531.62	80.64	80.64	18.00	18.00	15.07	12.06	8.50	8.50	8.50	8.50
8	हिमाचल प्रदेश	150.38	128.42	6.00	6.00	1.80	1.80	2.00	1.80	2.00	2.00	2.12	2.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	374.62	361.16	21.00	15.00	3.60	5.00	1.62	1.38	0.91	0.63	1.70	1.20
10	कर्नाटक	1531.02	1488.71	155.00	155.00	14.00	4.76	4.76	28.13	28.13	28.13	7.00	6.00
11	केरल	573.12	537.49	50.18	50.18	12.84	12.84	12.84	12.84	20.00	20.00	18.00	18.00
12	मध्य प्रदेश	2657.52	2422.02	150.00	67.00	25.00	11.00	11.00	11.00	9.90	10.00	18.50	18.50
13	महाराष्ट्र	2547.40	2341.10	528.00	400.00	20.00	82.00	82.00	19.30	67.00	67.00	90.00	4.00
14	मणिपुर	60.39	51.19	15.00	12.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.40	2.40	3.00	1.80
15	मेघालय	46.57	41.25	8.82	6.62	5.75	2.45	3.50	2.68	0.61	0.48	2.13	1.60
16	मिजोरम	12.73	11.22	1.85	1.85	0.00	1.36	0.11	0.11	0.35	0.35	1.50	0.80
17	नागालैंड	67.24	57.93	14.30	12.00	1.03	1.00	1.03	1.00	1.03	1.00	3.45	3.00
18	उड़ीसा	1357.47	1227.05	89.60	101.07	66.08	29.39	30.76	29.39	16.19	29.39	27.06	18.60
19	पंजाब	3354.17	3296.12	241.61	241.61	19.75	19.75	14.72	19.75	13.41	19.75	16.56	12.00
20	राजस्थान	2421.24	2336.78	39.44	25.67	8.70	5.21	7.35	5.21	5.00	5.21	5.00	9.20
21	सिक्किम	26.23	20.58	4.50	4.00	0.90	0.80	1.13	1.13	0.30	0.30	1.00	0.75
22	तमिल नाडु	2115.22	2111.36	11.57	7.38	1.68	0.57	1.81	1.81	1.45	1.45	1.25	1.25
23	त्रिपुरा	92.58	84.03	16.00	16.00	4.20	4.20	4.20	4.20	2.50	2.00	6.45	3.00
24	उत्तर प्रदेश	20450.61	18482.71	5000.0	3000.0	129.10	117.45	328.16	359.94	378.87	364.96	143.02	143.01
25	पश्चिम बंगाल	3217.37	2576.90	450.0	400.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	90.00	100.00	90.00
	कुल राज्य	53274.75	48775.88	7226.62	4908.20	535.92	513.35	798.16	731.98	741.52	730.26	580.77	448.54
26	अंडमान निकोबार दीप	0.55	0.55	0.56	0.56	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
27	चंडीगढ़	0.12	0.12	0.10	0.10	0.02	0.02			0.06		0.02	0.02

28	दादरा नागर हवेली	0.26	0.25	0.55	0.55	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.14	0.12
29	दमन एंव दिउ	5.39	4.94	2.20	2.00	0.80	0.00	1.69	0.00	2.19	0.00	2.20	2.20
30	दिल्ली	21.64	18.52	9.70	9.70	4.74	4.09	रुड	रुड	रुड	रुड	रुड	रुड
31	लक्षदीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
32	पांडीचेरी	2.02	2.01	4.00	4.00	0.48	0.48	0.10					
	कुल के.शा.क्षे	29.98	26.39	17.11	16.91	6.23	4.78	1.98	0.19	2.47	0.22	2.46	2.44
	कुल राज्य एंव के.शा.क्षे	53304.73	48802.27	7243.73	4925.11	542.15	518.13	800.14	732.17	743.99	730.48	583.23	450.98

आठवीं योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्य अनुमानित हैं और इसमें परिवर्तन होने की संभावना है ।

विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए)

और सृजित क्षमता का विवरण

श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपए में)	एआईबीपी के तहत सृजित कुल क्षमता (000 हे०)	शेष लागत (करोड़ रुपए में)	शेष क्षमता (000 हे०)
1	2	3	4	5	6
75 प्रतिशत व्यय से अधिक की परियोजनाएं	49	1334.30	3840.51	3117.48	1383.10
50 से 75 प्रतिशत व्यय की परियोजनाएं	40	1467.20	1742.43	6312.79	2320.50
30 से 50 प्रतिशत व्यय की परियोजनाएं	18	629.86	278.09	4607.98	595.32
30 प्रतिशत से कम व्यय की परियोजनाएं	36	2194.02	397.63	25144.58	3544.80
सकल योग	143	5625.38	6258.66	39182.83	7843.72

6.3 खाद्य सुरक्षा और पोषण

6.3.1 खाद्य सुरक्षा

1. खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन यापन के लिए सभी को सदा अपेक्षित खाद्यान्न उपलब्ध हो। अतः खाद्य सुरक्षा के आवश्यक तत्व हैं :- (क) खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता (ख) व्यापार अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कुशल वितरण तथा (ग) जनता के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति उपलब्धता।
2. देशीय उत्पादन और अनाज व्यापार का युक्तिसंगत मिश्रण अनाज की उपलब्धता को समुचित सीमा तक स्थिरता प्रदान कर सकता है, विशेषतः एक ऐसी स्थिति में जहां अनाज के उत्पादन में मौसमी और वार्षिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। देशीय आपूर्तियों में मौसमी और वार्षिक अस्थिरता को बफर भंडारण परिचालनों के जरिए भी कम किया जा सकता है जिसमें खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडार का क्रमशः संचयन और वितरण अच्छी और बुरी फसलों के वर्षों में किया जा सकता है।
3. विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 16.59 मिलियन टन की प्राप्ति की तुलना में वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान धान की प्राप्ति (चावल के सम्पर्क में) 18.61 मिलियन टन अधिक थी। इसी प्रकार गेहूँ की प्राप्ति भी अधिक थी जो विगत वर्ष की 14.15 मिलियन टन की तुलना में 16.36 मिलियन टन थी।
4. मार्च, 2001 के अंत तक सरकार के पास खाद्यान्न का भंडार 44.70 मिलियन टन था जो विगत वर्ष की इसी अवधि में 28.91 मिलियन टन की तुलना में अधिक था। विगत वर्ष के 15.72 मिलियन टन और 13.19 मिलियन टन की तुलना में चावल और गेहूँ का भंडार क्रमशः 23.19 मिलियन टन और 14.51 मिलियन टन था।
5. विगत वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन के अच्छे रिकार्ड के साथ-साथ प्राप्ति के अधिक स्तर के कारण खाद्यान्न का भंडार काफी अधिक हो गया है जो आवश्यकता से कहीं अधिक है। इस स्थिति से यह तथ्य सामने आता है कि किसान निर्धारित किए गए प्राप्ति मूल्य से सामान्य तौर पर खुश हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अनुचित वृद्धि से भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के भंडार और बढ़ जाएंगे, जिसके लिए पर्याप्त मांग नहीं होगी। अनाज से संबंधित मुख्य समस्या अनाज के अभाव की न हो कर आवश्यकता से अधिक उसके भंडारण से निपटने की है।
6. अतिरिक्त खाद्यान्न के प्रबंधन के बारे में एक समाधान यह है कि प्राप्ति स्तरों को उस तक सीमित रखा जाए जो मूल्य स्थिरीकरण के प्रयोजन के बफर स्टॉक के अनुरक्षण का पर्याप्त स्तर रखने के लिए काफी है। इसका तात्पर्य यह होगा कि प्राप्ति एजेंसियां उस सारे अनाज को न लें जिनकी उन्हें निर्धारित

मूल्य पर पेशकश की जाती है। अर्थात् सार्वजनिक एजेंसिया निर्धारित मूल्य के अन्दर ऐसे समय में जब मूल्य कम है खाद्यान्न खरीदने के लिए बाजार में उतरेंगी और मूल्य अधिक होने पर उन्हें बेच देगी।

7. खाद्यान्न की विकेन्द्रीयकरण प्राप्ति के क्षेत्र में भारत में कुछ नए उपाय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अनेक राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के खाद्यान्न प्राप्ति परिचालन आरम्भ किए हैं। भविष्य में इस प्रकार के और उपाय किए जाने की संभावना है। इस संदर्भ में बफर स्टॉक का रख-रखाव केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी हो जाएगी।

8. हमारी खाद्य वितरण नीति का मुख्य उद्देश्य अनाज के मूल्यों का स्थिरीकरण होना चाहिए न कि अनाज के लिए आर्थिक सहायता देना। आज भी जब गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या को अनाज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या की अनाज आवश्यकताओं को सीमित मात्रा में ही पूरा किया जाता है। अपनी शेष आवश्यकताओं के लिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को भी निजी व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संदर्भ में खाद्यान्न के मूल्यों के स्थिरीकरण का उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति समुचित बफर भंडार प्रचालनों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करके की जा सकती है।

9. भारत में भारतीय खाद्य निगम मालगोदामों के व्यापक नेटवर्क और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण केन्द्र के होते, खाद्यान्नों का अधिकांश वितरण सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा किया जाता था। इस संबंध में निजी क्षेत्रक की भूमिका सीमित रही है। खाद्यान्न के भंडारण और वितरण के मामले में भविष्य में निजी व्यापार की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है इस संबंध में निजी व्यापार से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही निजी व्यापार को खाद्यान्न प्रचालनों में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार के निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रक को कर रियायतें भी दी जा सकती हैं।

10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन में जहां उद्देश्य यह है कि गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या को खाद्यान्न सस्ते दामों पर दिए जाएं, समाज के सुविधा प्राप्त लोग से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताएं खुले बाजार से खरीदकर पूरी करें। अतः लक्ष्य का सिद्धान्त क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ज्यादा सख्ती से लागू किया जाता है यह और भी उचित है कि खाद्यान्न में निजी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए अनाज प्रबंधन के लिए अधिक परिष्कृत तकनीकों को इस्तेमाल किया जाए।

11. खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन की राष्ट्रीय नीति यद्यपि सामयिक है, इसकी सफलता अधिकांशतः अर्थव्यवस्था के विनियामक और नियंत्रित क्षेत्रकों पर निर्भर है। जब तक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और गमनागमन को विनियमित करने वाली नियंत्रक व्यवस्था में समुचित रूप से ढील नहीं दी जाती तब तक सफलता सीमित ही रहेगी। अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर हो जाने

पर भी बहुत से नियंत्रण अब उपयोगी न रह जाने के बावजूद भी जारी है। जिस प्रकार का आर्थिक माहौल बन रहा है उसको देखते हुए इन नियंत्रणों में छूट देने, उन्हें वापिस लेने अथवा उनका प्रभाव कम करने की तुरन्त आवश्यकता है। खाद्यान्नों के भंडारण और गमनागमन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

6.3.2 पोषण

भूमिका

1. स्वतंत्रता के समय देश के सामने पोषण संबंधी दो प्रमुख समस्याएं थी - एक थी कम कृषि उत्पादन के कारण अकाल और बेहद भुखमरी तथा अनाज वितरण की समुचित प्रणाली का अभाव। तथा दूसरी निम्नलिखित कारणों से लगातार ऊर्जा की कमी की थी :-

1. गरीबी और कम क्रय शक्ति के कारण कम दैनिक आहार
2. पीने के सुरक्षित पानी के अभाव, सफाई और स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण संक्रमण की अधिक व्याप्तता।
3. कम साक्षरता और जागरूकता के कारण उपलब्ध सुविधाओं का कम उपयोग।

कवाशीओरकोर, सूखा रोग, गलगण्ड, बेरीबेरी और विटामिन - ए की कमी के कारण अंधापन और खून की कमी प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं। जनता की प्रमुख पोषण समस्याओं को नियंत्रित करने और पोषण संबंधी निर्यात में सुधार लाने की दृष्टि से देश ने बहु-क्षेत्रीय, बहु-उद्देश्य कार्यनीति अपनाई।

की गई प्रगति

- देश में अब अकाल नहीं पड़ते
- बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है
- खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार हैं ।

समस्याएं जिनका समाधान करना पड़ा

- कुछ क्षेत्रों में हरित क्रान्ति शिथिलता देखने में आई है
- उत्पादकता कम बनी हुई है
- खाद्यान्न की बेहतर उपलब्धता के बावजूद विशेषतः असुरक्षित वर्गों में भूख का उन्मूलन अथवा कुपोषण कम नहीं हो पाया है
- एकीकृत कृषि प्रणालियों को प्राप्त करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है जिससे दीर्घकालीन हरितक्रान्ति और समुचित आहार विविधीकरण सुनिश्चित किया जा सके और पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा सके ।

चुनौतियां

- बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन में सुधार लाना जारी रखा जाए
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की ऊर्जा आवश्यकताओं की कम लागत पर पूर्ति के लिए मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना
- दालों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए दालों के उत्पादन को बढ़ाना और उपभोग में वृद्धि करना ।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे वर्ष सस्ती लागत पर सब्जियों की उपलब्धता में सुधार लाना

अवसर

- खाद्य सुरक्षा में पर्याप्त सुधार लाना
- बृहत्त और लघु स्तर पर व्याप्त कुपोषण में कमी लाना

दृष्टिकोण में प्रतिमान परिवर्तन की आवश्यकता

- राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा की बजाए व्यक्ति स्तर तक पोषण सुरक्षा की ओर ध्यान देना
- खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की बजाए ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देना जिससे पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न प्रदान किए जा सकें
- मात्र अनाज उत्पादन की बजाय फसल के बाद की हानियों में कमी लाने और समुचित संसाधन के जरिए मूल्य संवर्द्धन की ओर ध्यान देना ।

2. पिछले वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भोजन तक पहुंच में सुधार हुआ है। बिना काम के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को काम के लिए अनाज कार्यक्रम ने पूरा किया है। माताओं और बच्चों के लिए खाद्य प्रतिपूर्ति और स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य वाले आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 80% अधिक ब्लाकों को पाया गया है। दोपहर के भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य आहार ग्रहण को बढ़ाना और बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या की दर को कम करना है। स्वास्थ्य की देखभाल का लाभ उठाने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। रक्त की कमी का मुकाबला करने, आयोडीन की कमी के विकारों को दूर करने और विटामिन 'ए' की कमी को दूर करने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। इन सभी हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप बच्चों में सामान्य और तीव्र कुपोषण में पर्याप्त कमी आई है। और साथ ही जनसंख्या के सभी वर्गों में पोषण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। क्वाशोरकोर, मेरासमस, पेलाग्रा, लायजिम, बेरी-बेरी और विटामिन 'ए' की गंभीर कमी के कारण अंधता अब विरल हो गई है। तथापि यद्यपि मृत्युदर में 50% की कमी आई है और उर्वरता में 40 % की कमी आई है, कुपोषण में केवल 20% की कमी आई है। विटामिन 'ए' की कमी और आयोडीन की कमी के विकारों में विशेष कमी नहीं आई है। एचआईवी/एड्स से संबंधित कुपोषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। जीवन शैली में और आहार ग्रहण के परिवर्तनों के कारण मोटापे और संबंधित असंक्रामक रोगों में वृद्धि देखने में आई है। कुपोषण और सुपोषण की दोहरी मार और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा।

इस समय पोषण संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं

क) चिरकालीन ऊर्जा की कमी और कुपोषण

ख) सूक्ष्म पोषकों की कमी

- लौह और विटामिन बी की कमी के कारण अनीमिया
- विटामिन ए की कमी
- आयोडीन की कमी के विकार

ग) चिरकालीन ऊर्जा का आधिक्य और मोटापा

नौवीं योजना में निम्नलिखित परिकल्पना की गई

1. अधिक खाद्य उत्पादन, प्रभावी वितरण, जनता की क्रयशक्ति में सुधार के माध्यम से भूख से मुक्ति ;
2. निम्नलिखित के माध्यम से कुपोषण और इसके स्वास्थ्य परिणामों में कमी
 - एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का सार्वजनीकरण
 - जोखिम समूहों पर स्क्रीनिंग, वृद्धि का प्रबोधन और कुपोषण से पीड़ितों को बेहतर खाद्य प्रतिपूर्ति का बेहतर लक्ष्य निर्धारण


- कुपोषण से पीड़ितों को, जिन्हें खाद्य प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है, उनका निकटता से प्रबोधन करना
- स्वास्थ्य और पोषण कार्यकर्ताओं के बीच सुप्रभावी अंतः क्षेत्रीय समन्वय ताकि संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र दिशा प्रदान की जा सके और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके

3. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम और जांच तथा प्रभावी प्रबंधन एवं इससे जुड़े स्वास्थ्य के खतरे

बदलते खाद्य उत्पादन प्रतिमान:

3. पिछले 50 वर्षों की मुख्य उपलब्धियों में से एक मुख्य उपलब्धि रही है हरित क्रांति और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई है (1950-51 में 5 करोड़ 82 लाख टन से 1998-99 में 20 करोड़ 88 लाख टन) (चित्र 1)। भारत, अधिकांश खाद्यान्नों में निरंतर कमियों से अधिक उत्पादन के क्षेत्रों में अग्रसर हुआ है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से कहीं अधिक रही है।

चित्र-1
महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के उत्पादन की प्रवृत्ति



बहरहाल उत्पादन में वृद्धि उच्च उत्पादकता के कारण नहीं है। कुछ मुख्य फसलों में विश्व में भारत की मुख्य स्थिति तालिका 1 में दी गई है।

तालिका -1

भारत की वर्तमान स्थिति एवं लक्ष्य						
फसल	क्षेत्र (1000 हेक्टेयर)		उत्पादन (मिलियन टन)		उत्पादकता (कि.ग्रा./हेक्टेयर)	
	भारत	उच्चतम	भारत	उच्चतम	भारत	उच्चतम
गेहूं	25122 (3)	चीन 29001	72.0 (2)	चीन 109.005	2493 (32)	आयरलैंड 8997
चावल	42700 (1)	भारत	82.2 (2)	चीन 190.100	2811 (51)	यूक्रेन 7444
मक्का	6150 (5)	यू.एस.ए. 29602	8.66। (9)	यू.एस.ए. 236.604	1408 (105)	यू.ए.ई 18636
बाजरा	11700 (1)	भारत	10.50। (2)	यू.एस.ए. 20.39	897 (51)	फ्रांस 6182
आलू	1089 (3)	चीन 3502	17.94। (6)	चीन 46.05	16478 (51)	यूक्रेन43 966
दालें	25604 (1)	भारत	14.8 (1)	भारत	608 (119)	फ्रांस 4769
कपास	8300 (1)	भारत	14.0 (3)	चीन 18.75	922 (57)	इजराइल 4527
गन्ना	3870 (2)	ब्राजील 4826	289.7 (2)	ब्राजील 324.435	65892 (34)	पेरू 121361

- भारत में उत्पादन के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण से 1998-99 के अनुमानों के हैं । शेष विश्व के लिए तदनुसूची उत्पादन आंकड़े वर्ष 1996 के हैं
- उत्पादकता और क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े 1996 के हैं । कोष्ठकों में दिए आंकड़े रैंक को इंगित करते हैं ।
- इन मर्दों के लिए 1996 के उत्पादन आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं

4. कई फसलों के उत्पादन में भारत को जो उच्च स्थान प्राप्त है वह काफी हद तक इन फसलों के अधीन अधिक क्षेत्रफल के कारण है । किन्तु उत्पादकता कम है । पैदावार का यह अंतराल उत्पादन की संभावनाओं का पूरा-पूरा लाभ न उठाने के कारण है । आने वाले कई दशकों में खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि पैदावार में सुधार करने के माध्यम से आएगी । हरित क्रांति बढ़ी हुई उत्पादकता के माध्यम से अधिक उत्पादन का परिणाम थी । पिछले कई वर्षों के दौरान पैदावार के स्तरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और इतनी ही पैदावार के उत्पादन के लिए पोषकों की अधिक आवश्यकता रही है । इसे " हरित क्रांति की थकावट "

कहा गया है। यह संभावना कि भूमि और जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उन प्रौद्योगिकियों का अभाव जिनके कारण मुख्य खाद्य फसलों की उत्पादन संभावनाओं को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, के साथ-साथ बढ़ती हुई आबादी, बढ़ी हुई क्रयशक्ति जिसके कारण अधिक पशु उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण हम अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, इन पर विवाद किया जा चुका है। पीड़क नाशियों, खरपतवारनाशियों और अन्य रसायनों के उपयोग के कारण बढ़ती हुई परिस्थितिकीय क्षति चिंता का एक और कारण है। यह आवश्यक हो जाता है कि देश एकीकृत संघार्य कृषि प्रबंधन प्रणाली के कार्यक्रम का बीड़ा उठाए।

5. खाद्य और पोषक उपयोग में हाल ही की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि जनसंख्या का पर्याप्त समानुपात आरडीएस से कहीं कम आहार ग्रहण कर पाता है (तालिका 2 और 3)। यह अनुमान किया जाता है कि जनता की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 50 लाख टन खाद्यान्न, पशुधन, मछलियों और बागवानी उत्पादों में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे कृषि अनुसंधान और विकास कार्यनीतियों में पैराडिम शिफ्ट लाकर पैदावार, आय और भूमि और जल का प्रति इकाई को बढ़ाना आवश्यक होगा। वस्तु केन्द्रित दृष्टिकोण से समस्त फसल या कृषि प्रणाली में परिवर्तन से, बिना परिस्थिति या सामाजिक क्षति के उपलब्ध भूमि, जल और श्रम संसाधनों से उत्पादन बढ़ाने में सहायक कृषि प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। प्रणाली आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित फसल से प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में परिवर्तन आवश्यक है। समस्त उत्पादन प्रणालियों के कार्य निष्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायक अनुसंधान की आवश्यकता है।

तालिका 2

आरडीएस में झुकाव से विभिन्न भोज्य पदार्थों का उपभोग

अनाज	1975	1980	1990	1995	1996-97	आरडीएस
अनाज एवं मोटा अनाज	523	533	490	464	450	460
दालें	32	33	32	33	27	40
जीएलवी	11	14	11	13	15	40
अन्य शाक	51	75	49	40	47	60
फल	10	25	23	22	-	-
वसा एवं तैल	9	10	13	13	12	20
चीनी/गुड़	19	18	29	23	21	30
दूध एवं दुग्ध उत्पाद	80	88	96	95	86	150

स्रोत : कृष्णास्वामी आदि ; नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो के 25 वर्ष, (एनएनएमबी) (1992-1997) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद, एनएनएमबी (1999) रिपोर्ट

तालिका 3


पोषक तत्वों का ग्रहण (प्रतिदिन उपभोग)

पोषक तत्व	1975	1980	1990	1995	1996-97	आरडीए
प्रोटीन (ग्राम)	64	52	62	56	54	60
ऊर्जा (किलो कैलोरीज)	2296	2404	2283	2172	2108	2425
लौह (मि.ग्रा.)	32	30	28	26	25 (14l)	30
विटामिन ए (समकक्ष मि.ग्रा.)	263	313	294	298	282	600
विटामिन बी ₂ (मि.ग्रा.)	0.98	0.91	0.94	0.8	0.9	1.4
विटामिन सी (मि.ग्रा.)	41	52	37	35	40	40

स्रोत : कृष्णास्वामी आदि; नेशनल न्यूट्रिशन मॉनीटरिंग ब्यूरो के 25 वर्ष, (एनएनएमबी) (1992-1997) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद, एनएनएमबी (1999) रिपोर्ट

स्थिर दाल उत्पादन को सुधारने के उपाय

6. यह चिंता की बात है कि यद्यपि अनाज का उत्पादन आबादी की वृद्धि दरों से अधिक दर पर बढ़ रहा है किन्तु मोटे अनाज तथा दाल उत्पादन में ऐसी वृद्धि नहीं हुई है (चित्र 1, तालिका 4) दालों और मोटे अनाज की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है



Source: NNMB

(चित्र 2- 1951 में 60.7 % ग्राम प्रतिदिन की तुलना में 1996 में 34 ग्राम प्रतिदिन)

तालिका 4

भारत में मुख्य खाद्य फसलों का उत्पादन - मीट्रिक मिलियन टन

फसल	1980-81	1994-95	% वृद्धि
अनाज	86	147	71
मक्का/ज्वार/बाजरा	23	25	11
दालें	11	14	33
तिलहन	9	21	127
गन्ना	154	256	67

स्रोत : केएस पारिख, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट (1997)

7. पिछले कुछ वर्षों में देश ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दालों का आयात किया है । दालों की लागत में तीव्र और निरंतर वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप, जनसंख्या के गरीब तबकों में दालों की प्रतिव्यक्ति खपत में पर्याप्त कमी आई है । इससे प्रोटीन ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ।

8. दालें और तिलहन मिशन के दाल संघटक को अनुसंधान और विकास व अन्य निवेशों के लिहाज से मुख्य रूप से प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है जिससे बढ़ती हुई आबादी की जरूरी दाल की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । तमिलनाडु में पुडुकोट्टाई और रामनाथपुरम के शुष्क जिलों में दाल गांवों का आयोजन करने में स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि दालों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए तीव्र प्रगति की जा सकती है, बशर्ते कि गांव/वॉटरशैड के कृषि परिवार वर्षा के जल की एक-एक बूंद का उपयोग करने में सहयोग करे। जल कृषि में सहयोग को सुनिश्चित करने में जल के विभाजन में ग्राम्या के लिए तंत्र का विकास करना आवश्यक है । एक बार जब यह सुनिश्चित हो जाए तब दालें, जो कि उच्च मूल्य और निम्न जल आवश्यकता वाली फसलें हैं, यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है कि संसाधनों की कमी वाले किसान उपलब्ध भूमि और जब से अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं । निवेशों के उपयोग, विशेषकर पोषकों और जल की दक्षता में सुधार की ओर ध्यान देकर उत्पादकता में सुधार को संभव बनाया जा सकता है ।

मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने उपाय

9. पिछले कई वर्षों से मोटे अनाज का उत्पादन स्थिर रहा है और मोटे-मोटे अनाज की प्रति व्यक्ति की उपलब्धता में काफी कमी आई है । जनसंख्या के गरीब तबकों में भी मोटे अनाज के उपभोग की अपेक्षा चावल और गेहूं के उपभोग में परिवर्तन आया है । इस परिवर्तन का एक विशिष्ट लाभ यह रहा है कि पैलाग्रा जो कि दक्कन के पठार में, निम्न आय समूह के लोगों, जिनका सामान्य भोजन सोरहम था, में व्यापक रूप से व्याप्त था, उन्मूलन हो गया है ।

10. चावल और गेहूं की अपेक्षा मोटा अनाज सस्ता होता है, इसलिए वे चावल और गेहूं के मुकाबले उसी लागत में अधिक कैलोरियां प्रदान कर सकते हैं । मोटे अनाज जिन्हें स्थानीय रूप से अधिप्राप्त और उत्पन्न

किया जा सकता है, को रियायती दरों पर यदि लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए तो रियायत की लागत में काफी कमी आ सकती है और प्रदान की जाने वाली कैलोरियों में भी कोई कमी नहीं आएगी और लक्ष्यबद्धता में भी सुधार आएगा क्योंकि सबसे अधिक जरूरतमंद ही मोटा अनाज खरीदने को तैयार होंगे। मोटे अनाज में खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसलिए वे इस बात के द्योतक होंगे जिनके माध्यम से खाद्य संबंधी ग्रहणशीलता में सुधार लाना संभव होगा और जनता का गरीबतर तबका इन जीवनदायक पोषकों को ग्रहण कर सकेगा।

बागवानी उत्पादन

11. सब्जियों और फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला और दूसरा स्थान है। यह प्राथमिक रूप से स्थान सापेक्ष संशोधित प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुकूलन के कारण, कृषि में निवेशों, निवेशों की उपलब्धता और सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसानों द्वारा कई विधियों को अपनाने में तत्परता और सरकार की अनुकूल नीतियों द्वारा समर्थित अपेक्षित निवेशों के उपयोग के कारण है। जिनके पास जमीन की छोटी-छोटी जोते हैं इनके लिए बागवानी आंशिक रूप से एक लाभप्रद विकल्प है। बागवानी फसले अनाजों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन का योगदान प्रदान करती है, इनमें निर्यात की संभावना है और इसलिए यह उत्पादनकर्ता और सबकी आय में वृद्धि करती है। 1997-98 नेइन फसलों का कुल उत्पादन केवल 24.5 मिलियन हैक्टेटरों से लगभग 125 मिलियन टन था जबकि उसी वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 124 मिलियन हैक्टेटरों से 193 मिलियन टन था। सब्जियों के अधिकार से एक हैक्टेटर से 10 से 30 टन तक या इससे भी अधिक की पैदावार होती है जबकि खाद्यान्न का उत्पादन 2 से 3 टन तक का ही होता है। परिणामस्वरूप अधिक पैदावार के कारण उतने ही क्षेत्रफल से अधिक आय होती है और साथ ही इन वस्तुओं की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंडियों में अधिक कीमतें होने के कारण भी इससे आय होती है।

12. फलों के उत्पादन पर सूचना तालिका 5 में दी गई है। वर्तमान उत्पादन, सन् 2000 में एक अरब की आबादी के लिए अनुमानित मांग और 2000 में 1094 मिलियन की जनसंख्या के लिए प्रायोजित मांग तालिका 6 में दिखाई गई है।

तालिका 5
मुख्य फलों का उत्पादन*

लाख टनो में

फसल	1991-92	1995-96	% वृद्धि
सेब	11.4	12.1	6-5
केला	77.9	130.9	68.13
सिट्रस	28.2	37.9	34.4
अमरूद	10.9	15.0	37.6
आम	87.5	108.1	23.5
पपीता	8.0	13.3	66.3

* स्रोत : नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड का " इंडियन हार्टीकल्चर डाटाबेस-1997-98 "

कैल जीएल. नाम पोषण के लिए कृषि के विविधीकरण पर संगोष्ठी में प्रस्तुत लेख पत्र 1 एनएएएस, हैदराबाद, नवम्बर, 1999

तालिका 6

फलों और सब्जियों का उत्पादन बनाम भावी मांग

	2000 मांग	2006 मांग	उत्पादन 1997-98
फल	45	50	40.05
सब्जियां	115	130	7283

स्रोत : डॉ. बामजी : आहार संबंधी विविधीकरण पर उप समूह के लिए पृष्ठभूमि लेख

13. उपर्युक्त मांगों को आने वाले वर्षों में क्षैतिज (क्षेत्रफल में दिखाए और ऊर्ध्वाधर (अलग-अलग फसलों की उत्पादों में वृद्धि) दोनों वृद्धियों द्वारा पूरा करना होगा पूर्वोक्त दृष्टिकोण से अपेक्षित वृद्धि में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान मिलेगा और इसे परती भूमि के उपयोग और शुष्क भूमि, शुष्क तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि में विविधीकरण से प्राप्त किया जा सकता है जिसको इस समय बिना कृषि के छोड़ा गया है या अनाज की जीवन निर्वाह कृषि के अधीन है, जिसमें कम पैदावार होती है और जिससे कम आमदनी होती है। खाद्यान्न फसलों के अधीन क्षेत्रफल की कीमत पर इन फसलों की वृद्धि के विरुद्ध जिन आशंकाओं को मुखरित किया जाता है, वह भ्रामक है क्योंकि ये मुख्य सिंचित भूमियों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, जो कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ की हड्डी है । दूसरी ओर, कुल उत्पादन में वृद्धि का पर्याप्त भाग उपरोक्त विकल्प से प्राप्त किया जाएगा, जिसके लिए असीम गुंजायश है । मौजूदा सतत बागान/आर्चर्ड का अधिकांश भाग पुराना है और रोगग्रस्त है जिसका प्रति हैक्टेयर पैदावार की राष्ट्रीय औसतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने मुख्य भूमियों पर अधिकार किया हुआ है । इनमें से अधिकांश का आसानी से उपयुक्त पुनर्जीवी प्रथाओं से पुनरुद्धार किया जा सकता है जिससे कि इनका संधार्य उत्पादन यूनिटों के रूप में विकास किया जा सकता है । दूसरों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा ताकि उन पर संशोधित कल्टीवारों के नए रोपण किए जा सकें । इसी प्रकार वार्षिक फसलों की स्थिति में यथा, सब्जियों और फलों की स्थिति में व्यापक रूप से उच्च पैदावार देने वाली किस्मों/संकरों का सहारा लेना होगा।

14. उपर्युक्त कार्यनीति तभी अपेक्षित परिणाम प्रदान कर सकती है यदि प्राथमिकता के आधार पर संशोधित कल्टीवारों/संकरों की बढ़िया किस्म के रोपण और बीज सामग्री की आपूर्ति का आयोजन किया जा सके । विधिवत रूप से प्रमाणीकृत बीजों और बालवृक्षों के उत्पादन और विपणन में निजी क्षेत्र का उपयोग करने की आवश्यकता है और साथ ही विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए गुणवत्ता मानकों के प्रवर्तन की आवश्यकता है ।

15. विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान पर होने के बावजूद इनकी भारत में प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है । सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । जीवनप्रद सूक्ष्म पोषकों के अलावा, सब्जियां कई पादप रसायन और तन्तु प्रदान करती है । इस समय कम

लागत की स्थानीय रूप से स्वीकार्य हरे पत्तों वाली सब्जियों और पत्ती सब्जियों और फलों की कृषि और विपणन के लिए पर्याप्त फोकस और प्राथमिकता का अभाव है। इसके कारण, जनसंख्या की सूक्ष्म पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इन सब्जियों की सस्ती लागत पर वर्ष भर में मिलना एक अपूर्ण स्वप्न रहा है। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा से खाने-पीने की आदतों में कोई विशेष परिवर्तनों तब तक नहीं आएगा, जिसमें इन सूक्ष्म पोषकों के सस्ते समूह स्रोतों के उपयोग के महत्व पर बल दिया गया है। जब तक कि सस्ती कीमतों पर लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए देश में बागवानी संसाधनों को काम और प्रबंधन की दिशा में सम्यक प्रयास नहीं किए जाते। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने और विपणन में सुधार की दिशा में कुछ प्रयास शुरू किए हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सब्जियों और फलों का उस स्थान पर या उस स्थान के आसपास प्रसंस्करण, जहां उत्पादन होता है, करों से परिवहन के दौरान होने वाली अपरिहार्य हानियों को कम किया जा सकता है और परिवहन की लागतों को कम किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने से रोजगार के अवसर मुहैया किए जा सकेंगे और मूल्यवर्द्धन से आर्थिक लाभ भी प्रदान किए जा सकेंगे।

श्वेत क्रांति

16. भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और इसने 199-99 में 74.3 मिलियन टन दूध (जो कि 20.35 लीटर प्रतिदिन के उत्पादन के बराबर है) जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह उत्पादन 16 मिलियन टन था और 1965 में ओपरेशन फ्लड की शुरुआत के समय यह 20 मिलियन टन था। यह दूध 70 मिलियन डेयरी फार्मरों द्वारा उत्पन्न किया जाता था जिनमें 57 मिलियन गाय और (जो कि 31 मिलियन टन दूध के बराबर था) और 39 मिलियन भैंसों (25 मिलियन टन दूध) शामिल हैं, जिसकी औसत दूध उत्पादन 1250 किलोग्राम था। लगभग यह सारी उत्पादन 98%) ग्रामीण क्षेत्र में होता है। उत्पादित दूध (20 मिलियन लीटर प्रतिदिन) का केवल दस प्रतिशत भाग की डेयरी संयंत्रों में प्रसंस्कृत किया जाता था। डेयरी संयंत्रों के उत्पादन का कुल मूल्य 105,000 करोड़ रुपये था। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद 1950-51 में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 132 ग्राम की उपलब्धता से बढ़कर 1997-98 में अनुमानत : 214 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। दूध, मांस और अण्डों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और उत्पादन तालिका 7 में दिया गया है।

तालिका 7

भारत में एक अरब लोगों के लिए दूध, मांस और अण्डों का उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता (अंतिम)

पशु उत्पाद	उत्पादन (मि.टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता किलोग्राम/प्रति वर्ष
दूध	78.0	78.0
मांस	3.24	3.24
मवेशी और भैंसे	0.84	
भेडे और बकरियां	1.13	
सुअर	0.17	
कुक्कुट (पालन)	1.10	
अण्डे	32 अरब	32 प्रतिवर्ष

स्रोत: प्रधान के : मानव पोषण के लिए कृषि में विविधीकरण पर संगोष्ठी में प्रस्तुत लेख 1 एनएएस हैदराबाद, नवम्बर, 1999

17. ओपरेशन फल 3 विश्व में ग्रामीण रोजगार योजनाओं में एक सबसे बड़ी और सबसे अधिक सफल योजना है । सहकारी डेयरी व्यवस्था का अभिप्राय है : छोटे किसानों को नियमित आय। सहकारी डेयरी व्यवस्था दूध उत्पादन का न केवल आधुनिकीकरण है, बल्कि इसके कहीं अधिक बड़े प्रौद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक आयाम है । इसने तृणमूल स्तरों पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का सृजन और उनका पोषण किया है ।

18. दूध का वर्तमान उपयोग प्रति व्यक्ति 206 ग्राम प्रतिदिन है । भारत में उपयोग किए गये तरल दूध में से काफी बड़ा भाग चाय और काफी को सफेद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के इस्तेमाल के लिए ही लगभग सारा दूध उपयुक्त होता है । इस इस्तेमाल में वसा की मात्रा का कोई उपयोग नहीं है । इसलिए काफी लागत में टोंड और डबलटोंड दूध की पर्याप्त मांग है । प्रति व्यक्ति विश्व खपत की औसत 300 ग्राम प्रति दिन है । यदि भारत में उपभोक्ताओं के लिए आईसीएमआर द्वारा सिफारिश किये गये 220 ग्राम प्रतिदिन से अधिक के दूध उपयोग को प्राप्त किया है तो भारत की दूध की आवश्यकता 110 मिलियन टन से कहीं अधिक होगी । अनुमान किया जाता है कि आय में वृद्धि होने के साथ-साथ दूध की मांग में 2020 तक 173 मिलियन टन प्रति वर्ष तक जा सकती है ।

19. परम्परागत संदर्भ में तीन सामूहिक कारक दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अवसरों को सीमित कर रहे हैं । सबसे पहले, ग्राम अर्थव्यवस्था में पशु लघु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका किसान के लिए भैंस के मुकाबले में सांड को एक अधिक उत्पादक प्राप्ति बनाती है । दूसरे, भारत में जनसंख्या के अधिक घनत्व के कारण खाद्य संसाधनों की हमेशा कमी बनी रहती है । पहले कारक के साथ इससे लघु प्राणियों के पक्ष में संसाधनों का अधिक आपस किया जाता है जिससे कि दूध के उत्पादन में बहुत कम चारा अच्छी किस्म का बचता है । तीसरे, यद्यपि भैंसों और मवेशियों की कई शानदार विशेष नस्लें हैं दुग्ध उत्पादकता के लिहाज से एक औसतन कम अच्छी किस्म का पशुधन दूध के उत्पादन में वृद्धि के रास्ते में एक रुकावट है। भारतीय

गावों भैसों के अधिकांश बेकार में हैं। भारत में प्रति पशु उत्पादकता (1250 किलोग्राम/दुग्ध स्रवर्ग) अंतरराष्ट्रीय स्तरों के मुकाबले (2038 किलोग्राम/दुग्ध स्रवर्ग) अब भी बहुत कम है।

वासभूमि उत्पादन

20. जनसंख्या की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार संबंधी विविधीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे कुपोषण और सूक्ष्म पोषकों की विद्यमान कमियों में संघार्य कमी लाई जा सकेगी। पशुधन उत्पादों की उपलब्धता और कमी को तालिका 8 में दिखाया गया है।

तालिका - 8

खाद्य वस्तु	प्रतिव्यक्ति उपलब्धता	आईसीएमआर सिफारिश	प्रतिव्यक्ति कमी
दूध	216 ग्राम प्रतिदिन	250 ग्राम प्रतिदिन	34 ग्राम प्रतिदिन
अण्डे	30 प्रति वर्ष	180 अण्डे प्रति वर्ष	150 प्रति वर्ष
मांस	3.24 किलोग्राम प्रति वर्ष	10.95 किलोग्राम प्रति वर्ष	7.71 किलोग्राम प्रति वर्ष

स्रोत : प्रधान के : मानव पोषण में कृषि के विविधीकरण पर संगोष्ठी में प्रस्तुत लेख एनएएस हैदराबाद, नवम्बर, 1999

21. बड़े/निगमित उत्पादकों द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन से गरीबों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा निश्चित की जा सकती। सब्जियों, फलों और पशुभोज के वासभूमि उत्पादन से बच्चों सहित परिवार द्वारा इन भोजनों के ग्रहण करने में सुधार देखा गया है। ऐसे प्रयासों को सुदृढ़ शिक्षात्मक संघटक का समर्थन मिलना चाहिये ताकि सही पसंदों और उपयोगी कारक को आसान बनाया जा सके। दूध, अण्डों, मांस और मछली के अधिक महंगा होने के कारण वे गरीबों की पहुंच से बाहर हो गए हैं, पशु भोजों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाने लगी हैं। फिर भी इन खाद्य पदार्थों के अधिक वाणिज्यिक उत्पादन का सहारा लिये बिना इन अत्यधिक उच्च पोषण वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपघटित भूमियों और परती भूमि के अपशेषों तथा मानव उपभोग के अयोग्य खाद्यान्नों के इस्तेमाल के लिए कार्य नीतियों का निरूपण किया जा सकता है। पिछवाड़े के कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि अण्डों और मुर्गों के वास भूमि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और खेतिहर महिला मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर जुटाये जा सकें। भारत में पिछवाड़े के कुक्कुट पालन के लिए उपयुक्त नसलों को भारत में विकास किया गया है। लघुजोत प्रणाली और जलकृषि के एकीकरण से बांगलादेश में उम्मीदें बंधी हैं। जलकृषि को चावल के खेतों में एकीकृत किया जा सकता है। इस एकीकृत कृषि जलकृषि को तब सफल पाया गया है जब ताल निर्माण, खाद्य और उर्वरकों के बारे में निवेश को खेतों पर और खेतों के निकट संसाधनों का उपयोग करके कम रखा जाता है, यथा, अवशेषों का पुनः चक्रीयन करके। साथ ही समाधान स्थान सापेक्ष होने चाहिए न कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए तैयार पैकेजों द्वारा।

22. बगीचों को बढ़ावा देना कठिन अवश्य है परन्तु असंभव नहीं है । इसके बारे में जो आम समस्याएं कही जाती हैं, वे हैं स्थान की कमी, बीजों की कमी, पीड़कों द्वारा और यहां तक कि बच्चों द्वारा विनाश। अच्छी किस्म की रोपण सामग्री का उपलब्ध होना, और स्थान सापेक्ष तकनीकी परामर्श का उपलब्ध न होना भी असफलता की कहानियों में योगदान देते हैं । जहां स्थान एक समस्या है, वहां पोषक गहन सदाबहार पादपों की कुछ किस्मों यथा सिंहजन (इसके पत्ते समी सूक्ष्म पोषकों के अच्छे स्रोत हैं) , पपीता, सेसबीनियां ग्रैंडीफ्लोरा (अविषा)] वेसिला एल्बा (पालक की बेल) आदि जैसे फलीदार पौधों को थोड़े स्थान में रोपा जा सकता है और अवशेष जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसमी किस्मों को खेत में पैदा किया जा सकता है । धान सापेक्ष कार्य नीति, जिसमें पौधों का चयन भी शामिल है, बढ़िया किस्म की रोपण सामग्री और तकनीकी परामर्श की आवश्यकता है । विकेन्द्रकृत नर्सरियों और बीज बैंकों की स्थापना से आय में वृद्धि की जा सकती है और स्वदेशी किस्मों के लिए जर्म प्लाज्म को परिरक्षित किया जा सकता है ।

23. फलों और सब्जियों की सूक्ष्म पोषकों की मात्रा व्यापक रूप से अलग-अलग होती है । कृषि/बागवानी वैज्ञानिकों, योजनाकारों विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों को सुग्राही बनाने की आवश्यकता है जिससे कि वे ऐसी सब्जियों और फलों को उगा सकें जो सूक्ष्म पोषकों में अधिक हो (जीएलपी, पीत नारंगी सब्जियों और फल, सिट्रस फल, फलियां आदि) । सौभाग्यवश पपीते, अमरूद और केले जैसे पोषक फलों के उत्पादन में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है (तालिका-5) । यह एक उत्साहवर्द्धक प्रवृत्ति है । लेकिन अच्छी योजना व्यवस्था के न होने के कारण कुछ मौसमों में बहुत अधिक फसल हो जाती है और उत्पादनकर्ताओं को कुछ अच्छे लाभ नहीं मिलते हैं ।

24. हरी पत्तेदार सब्जियां सस्ती होती हैं और इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं । परम्परागत किस्मों के अलावा, अपेक्षाकृत कम परम्परागत किस्मों वर्षा ऋतु में अपने आप पैदा हो जाती है और लोगों को इन्हें इस्तेमाल करने के बारे में प्रोत्साहित किया जा सकता है । गाजर, मूली, शलगत, फूलगोभी जैसी सब्जियों से कीमती हरे पत्तों को बेकार फेंक दिया जाता है, उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है यदि लोगों को इनकी खाद्य योग्यता और मूल्य के बारे में शिक्षित किया जाए । आईवी गौर्ड (कोक्सनियां इंडिका) पत्तियों के उपभोग को बढ़ावा देकर थाइलैंड ने विटामिन ए की कमी की घटनाओं को बहुत कम कर दिया है । भारत में इस पौधे की जंगली पैदायश होती है । लेकिन केवल इसके फल का उपभोग किया जाता है । सूक्ष्म पोषक तत्व समृद्ध भोजनों के ऐसे अपरिचित स्रोतों की पहचान और इन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

25. परम्परागत पादप किस्मों के बारे में ज्ञान को मान्यता प्रदान करने और इसे बनाए रखने और इनको उगाने और इनको पकाने/प्रसंस्करण करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ताकतवर मॉलीक्यूलर विधियां उपलब्ध है। इनको रहस्यमुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें पादपों की स्थानीय किस्मों के नेमी स्क्रीनिंग के लिए कृषि संस्थाओं और गृह विज्ञान कॉलेजों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इनके बारे में लोगों के ज्ञान को प्रलेखबद्ध किया जाना चाहिये। इनके पोषक तत्वों और इनकी उपलब्धता के बारे में विश्लेषण करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और किसानों एवं जीवों को उन्हें उपलब्ध कराना चाहिये।

खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण

26. कटाई के पश्चात की हानियां इस समय 20 से 30 प्रतिशत के बीच हैं। इन वस्तुओं को लोगों को उपलब्ध कराने में कमी लाने का इनका सीधा योगदान है। एक अनुमान के अनुसार इनकी लागत 23,000 करोड़ रुपये है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये मुख्य निरोधक कारक हैं। यह प्राथमिक रूप से कटाई पश्चात की हैंडलिंग के लिए उपलब्ध अवसंरचना के कारण है। साथ ही खेत पर अपनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की कमी और इस समय प्रचलित असंगठित विपणन प्रथाओं के कारण भी है। इससे इन वस्तुओं की खुदरा कीमत बहुत अधिक हो जाती है जिससे कि ये सामान्य उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हो जाती हैं।

27. खाद्य परिरक्षण और प्रसंस्करण से संबंधित कृषि आधारित उद्योगों के गांवों और कस्बों में विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश और आवश्यकता है। इससे महिलाओं और पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर भी जुटाये जा सकते हैं। इससे समुदाय द्वारा स्थानीय खाद्य संसाधनों के बेहतर उत्पादन और अधिक प्रभावी उपयोगीकरण में सहायता मिल सकती है। और इससे विकारी खाद्य वस्तुओं की वर्तमान पर्याप्त हानि को भी कम किया जा सकता है। स्थानीय महिला संगठनों को स्कूलों में ग्रामीण स्तर के भोजन कार्यक्रमों का आयोजन करने की और कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे विदेशी संगठनों द्वारा दान किए गए भोजनों पर निर्भर होने से भी बचा जा सकता है जोकि स्थानीय आहार संबंधी संस्कृति के लिए विदेशी होते हैं। तब पोषण और कल्याण कार्यक्रम लोगों के लिए, लोगों के, लोगों द्वारा कार्यक्रम बन सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत लघु पैमाने पर खाद्य प्रणालियां, जोकि इस समय देश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों को महान रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनके स्थान पर रातोंरात वैश्विक कृषि व्यापार कार्पोरेशनों को संयोजित कर लिया जाए जोकि इस समय समस्त खाद्य श्रृंखला पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गेहूं और गेहूं का आटा भारत में करोड़ों पुरुषों और महिलाओं को रोजी और पोषण प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान विकेन्द्रीकृत लघु पैमाने की अर्थव्यवस्था में, जोकि लाखों-करोड़ों उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों पर आधारित है, लोग पूंजी और अवसंरचना के लिए स्थानापन्न हैं। भारत को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि वह इस परम्परागत

दृष्टिकोण को समाप्त न होने दे जोकि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है। शहरों और कस्बों के आस-पास के गांवों में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की योजना से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी और इससे गांवों के रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी और इससे विज्ञान आधारित परिशुद्धता कृषि और प्रसंस्करण तकनीकों के प्रसार के माध्यम से कृषि में शिक्षित युवकों को आकृष्ट करके और बनाए रखकर रोजगार में पर्याप्त वृद्धि करेगी। दोनों कार्य बौद्धिक रूप से उत्साहवर्द्धक और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं।

28. यद्यपि, बागवानी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकती है, परन्तु इसकी विकासशीलता, कीमतों में स्थिरता की कमी और लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता के कारण किसान बागवानी में विविधीकरण करने से हतोत्साहित होते हैं। मौसमी अधिक पैदावार किसानों को बरबाद कर सकती है यदि अन्य क्षेत्रों में उनके उत्पादन की बिक्री के अवसर या खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य वर्द्धन के अवसर उन्हें उपलब्ध नहीं हैं।

29. विकेन्द्रीकृत भण्डारण और प्रसंस्करण केन्द्रों को हर ब्लॉक में स्थापित करने की आवश्यकता है। जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, सोलर ड्रायर, किण्वन और अचार बनाने जैसी प्रौद्योगिकियों को न केवल घरों के स्तर पर बल्कि इन खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों में भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इनसे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाए जा सकते हैं। विकेन्द्रीकृत खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण का कार्य किया जा सकता है, बल्कि उन्हें आगे के मूल्य वर्द्धन के लिए बड़े खाद्य उद्योगों से भी जोड़ा जा सकता है। भण्डारण के लिए अधिक अच्छी तरह विकेन्द्रीकृत शीतश्रृंखला की आवश्यकता है लेकिन बिजली की कमी, और अवसंरचना के लिए विकास के लिए निवेश मार्ग में मुख्य रूकावटें हैं।

30. खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेषकर विटामिनों को खोए बिना प्रसंस्करण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोयम्बतूर के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जीएलवी को यदि छांव में सुखाया जाए तो 70% बीटा कैरोटीन की हानि होती है। दूसरी ओर, यदि उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सौर शुष्कक में यदि सुखाया जाए और उसमें अल्ट्रा वायलेट फिल्टर लगाए जाएं तो केवल 20% की हानि होती है (बामजी अप्रकाशित)। सौर शुष्कक महंगे हैं और छोटे किसानों की पहुंच से बाहर हैं लेकिन सामुदायिक प्रसंस्करण इकाइयां इन्हें प्राप्त कर सकती हैं और अधिक फलों और सब्जियों को कमी वाले मौसम में बिक्री के लिए सुखा सकती हैं। सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य प्रसंस्कृत भोजन सुविधाजनक भोजन के रूप में गांवों में भी बिकता है।

लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली

31. लक्ष्यबद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहली जून, 1997 से परिचालन में आई। टीपीडीएस का उद्देश्य सस्ते खाद्यान्न का लाभ उन वर्गों तक सीमित करना है जिन्हें राज्य प्रतिरक्षा प्रदान करना चाहता है। टीपीडीएस में कई नवीन लक्षण शुरू किए गए हैं ताकि गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी की रेखा के ऊपर के लोगों के बीच अलग-अलग व्यवहार किया जा सके। टीपीडीएस को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए और इसकी कमियों को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें (क) पात्र परिवारों की संतोषजनक पहचान किए जाने के अधीन राज्यों को खाद्यान्न निर्मुक्त करना, (ख) पंचायतों/नगरपालिकाओं की पहचान करने के अभियान में सहयोग तथा उचित दर दुकानों के कार्य की देखभाल में इनका सहयोग प्राप्त करना, (ग) एफपीएस, तालुका, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समिति का गठन, और (घ) टीपीडीएस के कार्यकरण का सावधानीपूर्वक मानीटरण किया जाए और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रियायती अनाज निश्चित रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। चावल और गेहूं के अलावा यह अधिक अच्छा होगा कि लोगों को टीपीडीएस के माध्यम से मोटा अनाज, दालें, आयोडाइज्ड नमक भी उपलब्ध कराया जाए।

खाद्य का अंतःपारिवारिक वितरण

32. यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत में, विशेषकर गांवों में रहने वाले गरीबों के बीच अंतःपारिवारिक खाद्य वितरण "आवश्यकता" पर आधारित नहीं होता है; रोजी कमाने वाले को पर्याप्त भोजन दिया जाता है, बच्चों को अगला अंश दिया जाता है और अवशिष्ट भाग महिलाओं द्वारा लिया जाता है। तंगी के दिनों में महिलाओं और बच्चों द्वारा आहार ग्रहण का अंश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। विभिन्न राज्यों में किए गए लघु अध्ययनों से पता चलता है कि खाद्य के अन्तरापारिवारिक वितरण का आज भी अनुसरण किया जाता है। तथापि यह सभी राज्यों और समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं किया जा सकता है। 1975-80 में एनएनएमवी द्वारा किए गए याददाश्त विधि पर आधारित 24 घण्टे के भोजन सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू ऊर्जा ग्रहण 31% तक परिवार के सभी आंकड़ों में पर्याप्त था। 19% में घरेलू ऊर्जा ग्रहण परिवार के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त था। यह देखने योग्य बात थी कि 22.5% घरों में ऊर्जा ग्रहण वयस्कों में पर्याप्त था परन्तु स्कूल से पूर्व के बच्चों में यह पर्याप्त नहीं था। माताओं की शिक्षा "हाई स्कूल या इससे अधिक से माताएं" इस योग्य बनीं कि वे खाद्य पदार्थों का बेहतर अंतःपारिवारिक वितरण प्राप्त कर सकीं। यह महत्वपूर्ण है कि पोषण शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल पूर्व के बच्चों को, विशेषकर 6 मास से 24 मास तक के बच्चों को पर्याप्त भोजन परिवार से मिले, बच्चों की देखभाल करने और उनको भोजन कराने में व्यतीत हुआ समय इस आयुवर्ग में कुपोषण में तीव्र कमी के लिहाज से अच्छा प्रतिफल प्रदान कर सकता है।

शिशु भोजन प्रथाएं और शिशु पोषण

33. स्तन पान की रक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम प्रभावी रहे हैं और भारत में स्तन पान कराना लगभग सार्वभौमिक है। तथापि यह सन्देश कि 6 मास तक अनन्य रूप से स्तन पान कराना और छः मास के पश्चात अर्द्धठोस आहार को क्रमिक रूप से शुरू करना शैशव काल में कुपोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, को प्रभावी रूप से सम्प्रेषित नहीं किया गया है। एनएफएच-॥ के आंकड़ों से पता चला है कि यद्यपि अनन्य रूप से स्तन पान और स्तन पान और जी की मध्यावधि 5-3 मास है, 3 मास पर भी 27.5% शिशुओं को प्रतिपूरक भोजन दिया गया, यहां तक 9 मास पर भी केवल 67.2% शिशुओं को प्रतिपूरक भोजन दिया गया। स्तन पान के साथ शीघ्र प्रतिपूरक भोजन देने या अधिक देरी से प्रतिपूरक भोजन देने से कुपोषण या संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। इन दोषपूर्ण शिशु आहार आदतों के परिणाम स्वरूप कुपोषण में अत्यधिक वृद्धि हुई है (% निअं 11.9% 6 मास पर से 58.5% 24 मास पर) (तालिका-9)। यह महत्वपूर्ण है कि ये दोषपूर्ण शिशु आहार संबंधी आदतें पोषण शिक्षा के माध्यम से सुधारी जा सकती हैं। छः मास के पश्चात प्रतिपूरक भोजन की शुरुआत करने और उसे सुधारने के लिए उन घरों में अनाज, दालें तिलहन मिश्रणों को प्रदान किया जा रहा है जहां 6 मास से 36 मास की आयु के बच्चे हैं। शैशव काल में पोषण स्थिति के मानीटरन को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन बच्चों का पता लगाया जा सके जिनमें वृद्धि दोषपूर्ण हो रही है और उनकी पोषण स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रह हैं।

तालिका 9: कुपोषण की विद्यमानता (आयु % नीचे भार- 2 एसडी)

आयु	< 6	6-11	12-23	23-25
% -2 एस डी	11.9	37.5	58.5	58.4
%-3 एस डी	2.0	11.8	23.1	24.1



स्रोत: एनएफएचएस ॥ 1998-99

किशोर पोषणात्मक स्थिति में समय प्रवृत्तियां

34. किशोरावस्था मानव विकास में तीव्र वृद्धि और परिपक्वता की अवधि है। भारत में किशोरों के आहार ग्रहण और पोषणात्मक स्थिति के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। किशोरों के वर्तमान भोजन और पोषणात्मक स्थिति का मूल्यांकन किया गया था जिसके लिए दस राज्यों में नेशनल न्यूट्रीशन मानीटरन ब्यूरो द्वारा एकत्रित आंकड़ों को उपयोग में लाया गया था। 12,124 किशोरों पर प्राप्त मानवमिति आंकड़ों और 1996-97 में 2579 व्यक्तियों पर 24 घण्टे में याद की गई आहार संबंधी सूचना का विश्लेषण किया गया था और उनकी तुलना 1975-79 में उन्हीं गांवों से प्राप्त 24683 किशोरों से प्राप्त मानवमिति आंकड़ों और 3313 व्यक्तियों से आहार सूचना से की गई थी।

तालिका 10

16-18 वर्ष के किशोरों के बीच पोषकों का औसत दैनिक ग्रहण				
पोषक	बालक		बालिकाएं	
	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97
प्रोटीन (ग्राम)	58	62	48	52
कुल वसा (ग्राम)	23	33	22	29
ऊजा (के.कैल)	2036	2371	1751	2069
लौह (मिलीग्राम)	27.9	29.0	23.9	23.7
विटामिन ए(एमजी)	230	426	234	258




चित्र 3: आरडीआई के 70% < पोषक ग्रहण के साथ किशोरों का वितरण
 स्रोत: (तालिका और आंकड़ों दोनों के लिए) एनएनएमबी की तकनीकी रिपोर्ट संख्या 20

35. 18 वर्ष की आयु से पूर्व शादी करने वाली किशोरियों का समानुपात 23% था। उनमें से छोटे कद वाली किशोरियों का समानुपात (< सीएम) 24.1% था और कम वजन वाली (38 किलो से कम) का समानुपात 18.6% था। सामान्यतया भोजन और पोषक तत्व ग्रहण आरडीए से कम थे। दो तिहाई से अधिक किशोर विटामिन ए और लौह (चित्र 3) आरडीए के 70% से कम ग्रहण कर रहे थे। तथापि,

सामान्यतया 1975-79 की तुलना में 1996-97 के दौरान लड़कों में 21% से 9% और लड़कियों में 14% से 5% तक ऊर्जा के बारे में कमी आई (आरडीए के 50% से <) कम वजन वालों का प्रतिशत (आयु के लिए एनसीएचएस भार का मीडियन-2 से कम) पुरुषों में 53% था जबकि महिलाओं में यह 39.5% था। लगभग 39% रुद्ध विकास थे।

36. 1996-97 में जिन किशोरों को नापा गया वे उल्लेखनीय रूप से लम्बे और भारी थे- अपने 1975-79 के साथियों की अपेक्षा जिससे यह पता चलता है कि बीस वर्षों की अवधि में वृद्धि में लौकिक परिवर्तन आए हैं (चित्र 4)। 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर की मध्यम ऊंचाई और 1-1.5 किलोग्राम के मध्य भार तक वृद्धि हुई। मकानों की किरम, व्यवसाय, भूमि का धारण और प्रति व्यक्ति मासिक आय जैसे सामाजिक-आर्थिक पर कारक उल्लेखनीय रूप से आयु के लिए भार और ऊंचाई से संबंधित थे (पी.< 0.05)।


चित्र 4: आयु के लिहाज से लड़कों और लड़कियों का औसत भार और ऊंचाई



स्रोत: एनएनएमबी तकनीकी रिपोर्ट संख्या: 20

37. दो सर्वेक्षण अवधियों में आयुवार किशारों का मध्यम बॉडी मास इंडेक्स नीचे चित्र 5 में दिया गया है। जैसाकि ग्राफ से देखा जा सकता है। दोनों में से प्रत्येक आयु वर्ग में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में कुपोषण की सीमा कहीं अधिक थी। जबकि लड़कियों में दोनों समय बिन्दुओं पर वीएमआई लगभग बराबर पाई गई वहां लड़कों में अधिक आयु वर्ग में थोड़ा सुधार देखने में आया।

चित्र 5: किशारों का मध्यम बॉडी भार इंडेक्स



स्रोत: एनएनएमबी तकनीकी रिपोर्ट संख्या: 20

आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और पोषण की स्थिति

38. राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य की पर्याप्तता की प्राप्ति एक ऐसी शर्त है जोकि आवश्यक तो है परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आपमें पर्याप्त नहीं है कि घरेलू स्तर पर भी पोषण की सुरक्षा प्राप्त कर ली जाएगी। विकट संधिकालीन (अस्थायी) खाद्य की कमी का मुकाबला करने के लिए बफर स्टॉक सहायता कर सकते हैं, बशर्ते कि बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हों। अब इन विकट विपदाओं का निःसंदेह अतीत की अपेक्षा अधिक तत्परता और कुशलता से मुकाबला किया जा रहा है और समय पर कार्रवाई करके बहुत से जीवन बचाए भी जा रहे हैं। पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित कर दी गई हैं और काफी जल्दी से विपदा के जोखिम के क्षेत्रों को अनाज पहुंचाया जा सकता है। अब जो अधिक कठिन महसूस किया जा रहा है वह है बहुत बड़ी संख्या में गरीब घरों में चिरकालीन साधारण/मामूली कुपोषण का मुकाबला करना। भारत ने अब काफी बड़े अनाज का पर्याप्त बफर स्टॉक का निर्माण कर लिया है, परन्तु देश में लगभग एक तिहाई घरों में पूर्ण सुरक्षा का आनन्द प्राप्त नहीं है।

39. भारत में सूखा मानसून न आने के कारण होता है और इसकी तीव्रता मानसून की असफलता की सीमा पर निर्भर करती है। इसे आमतौर पर फसल की असफलता के लिहाज से मापा जाता है। मानसून की असफलता से कृषि का उत्पादन बहुत कम होता है और इसका प्रभाव कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादन पर होता है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होती है, क्रयशक्ति में कमी आती है, पारिवारिक भोजन की सुरक्षा में कमी आती है। शहरी क्षेत्रों में पलायन होता है, बड़े पैमाने पर मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और उनकी मृत्यु होती है और पेय जल की कमी होती है, छोटे और सीमान्त किसान और भूमिहीन कृषि मजदूरों को इसका सबसे अधिक परिणाम भुगतना पड़ता है।


40. राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात के राज्य वर्ष 2000 के दौरान सूखे से प्रभावित हुए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन ने इन राज्यों में लोगों के भोजन और पोषण स्थिति पर सूखे के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इन तीन राज्यों का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के अन्तर्गत कुल 1200 घरों को लिया गया था। इन्हें गुजरात (दाहोद जामनगर, और कच्छ) और आंध्र प्रदेश (अनन्तपुर, महबूबनगर और नालगोंडा) के दो जिलों में 21 गांवों से 800 परिवारों से लिया गया था।

41. सभी सर्वेक्षित जिलों में वर्षा में कमी आई थी, कृषि के अन्तर्गत कुल क्षेत्र में कमी आई थी और फसलों की असफलता हुई थी। असफलता की सीमा गांव-गांव में और फसल-फसल के लिहाज से अलग-अलग थी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लगभग सभी जिलों और गुजरात के सर्वेक्षित 30 गांवों में से 17 गांवों में प्रवासन के बारे में खबरें मिली थीं। विभिन्न सहायता उपायों में से आंध्र प्रदेश को पीडीएस के माध्यम से अतिरिक्त राशन का ही लाभ मिला। अन्य दो राज्यों में केवल काम के लिए अनाज, पेय जल की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयां और पशु चारा भी शामिल था।


42. सूखे तालाबों और कमजोर मवेशियों के रूप में सूखे का स्वरूप लगभग सभी सर्वेक्षित जिलों में देखने को मिला। गुजरात में 26% घरों, राजस्थान में 64% और आंध्र प्रदेश में 13% घरों से पानी और चारे की कमी के कारण पशुओं के मरने की खबरें मिली थी। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में केवल 4%, 10% और 33% घरों में ही पर्याप्त चारा था। जिन घरों में भोजन के लिहाज से असुरक्षा थी वे आंध्र प्रदेश में 11.3% राजस्थान में 38% और गुजरात में 55% थे।

43. सन् 2000 में सूखा प्रभावित जिलों में भोजन और पोषण तत्वों के आहार ग्रहण और एनएनएमबी/आईएनपी सर्वेक्षणों से गैर-सूखाग्रस्त परिस्थितियों में इनका ग्रहण चित्र 6 क से 6 च तक में दिया गया है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में आहार ग्रहण की तुलना 1987 के पहले के सूखे की अवधि से भी की गई है।

आरडीए के प्रतिशत के रूप में भोजन का माध्य ग्रहण (ग्राम/क्यू./दिन) आंध्र प्रदेश





आरडीए के प्रतिशत के रूप में पोषणों का माध्य ग्रहण (क्यू./दिन)



चित्र 6 क

चित्र 6 ख

स्रोत: आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और पोषण की स्थिति पर रिपोर्ट, एनआईएन गुजरात




चित्र 6 ग


चित्र 6 घ

स्रोत: गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और पोषण तत्वों की स्थिति। एनआईएन

राजस्थान



चित्र 6 ड.



चित्र 6 च

स्रोत: राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और पोषण तत्वों पर रिपोर्ट। एनआईएन

44. सामान्यतया, घर के स्तर पर गुजरात और राजस्थान में अनाज और मोटे अनाज को छोड़कर, एनएनएमबी द्वारा दिए गए ग्रामीण सर्वेक्षण में की गई रिपोर्ट की तुलना में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सभी भोजन का उपयोग अपेक्षाकृत कम था। जब इसकी तुलना 1987 के सूखे से की जाती है तो दालों को छोड़कर आंध्र प्रदेश में सभी खाद्य पदार्थों का उपयोग कम था। गुजरात में भोज्य ग्रहण अपेक्षाकृत अधिक था जब इसकी तुलना 1987 के सूखे से की जाती है- केवल दूध, दुग्ध पदार्थों और अन्य वनस्पतियों को छोड़कर।

45. पोषण ग्रहण के बारे में तीनों राज्यों में अलग-अलग प्रतिमान था। आंध्र प्रदेश में 2000 के सूखे में गैर-सूखा परिस्थितियों की अपेक्षा सभी पोषक तत्वों के बारे में ग्रहणशीलता कम थी। राजस्थान में लौह को छोड़कर अन्य सभी पोषक तत्वों के बारे में ग्रहणशीलता कम थी; गुजरात में सूखे के दौरान कैल्शियम और विटामिन ए को छोड़कर अन्य सभी पोषण तत्वों की ग्रहणशीलता अधिक थी। आंध्र प्रदेश में न केवल गैर-सूखा परिस्थितियों की अपेक्षा ग्रहणशीलता कम है, बल्कि पिछले 1987 के सूखे के मुकाबले में भी यह कम है। गुजरात में विटामिन ए को छोड़कर दोनों सूखों के दौरान पोषण तत्वों की ग्रहणशीलता बराबर थी।

46. एनएनएमबी द्वारा ग्रामीण जनता की पोषण स्थिति के किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऊर्जा, विटामिन और खनिजों जैसे महत्वपूर्ण पोषकों की ग्रहणशीलता कृषि मजदूरों में अन्यों की अपेक्षा कम है और उनके सबसे अधिक पूरी तरह प्रभावित होने की संभावना है (तालिका-11)। कृषि परिवारों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है।

तालिका 11: व्यवसाय के अनुसार पोषण तत्वों का ग्रहण

मुख्य व्यवसाय	प्रोटीन (ग्र)	ऊर्जा (केकैल)	लौह(मिग्र)	विटामिनज(यूजी)
भूमिहीन खेत मजदूर	51.7	1989.3	23.6	197.6
अन्य मजदूर	47.9	2041.5	24.7	381.2
मालिक काश्तकार	57.2	2205.3	25.8	324.7
मालिक + मुजाहिरा काश्तकार	54.7	2213.3	27.5	528.0
मुजाहिरा काश्तकार खेत मजदूर	53.6	2142.2	26.4	234.6
अन्य	54.4	2187.0	23.6	308.0
पूलित	53.7	2108.3	24.8	299.9

स्रोत: एनएनएमबी तकनीकी रिपोर्ट संख्या: 18

47. सूखा प्रभावित राज्यों में मानव मिति माप और कमी चिन्हों पर आंकड़ों का संकलन किया गया था। राजस्थान में गैर-सूखा अवधि की अपेक्षा वयस्कों में सीईडी (बीएमआई < 18.5) की विद्यमानता में कोई वृद्धि नहीं थी। तथापि गैर-सूखा परिस्थितियों (46.7%) की अपेक्षा स्कूल पूर्व के बच्चों में कुपोषण (64.8%) में वृद्धि देखने में आई। गुजरात और आंध्र प्रदेश में समस्त राज्य के लिए एनएनएमबी सर्वेक्षण के अधीन रिपोर्ट की गई की अपेक्षा सूखा प्रभावित जिलों में सीईडी की विद्यमानता बच्चों और वयस्कों में अधिक नहीं थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान को छोड़कर बच्चों में पोषण स्थिति पर सूखे का प्रतिकूल प्रभाव अधिक नहीं था। शायद यह इस कारण से हो कि इन राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यक भोजन प्रदान करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए थे।

एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीसी) का पोषणात्मक संघटक

48. आईसीडीएस, जोकि विश्व में शायद सबसे बड़ा भोजन प्रतिपूरक कार्यक्रम है, 1975 में शुरू की गई थी और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- प्रतिपूरक भोजन प्रदान करके और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय करके 0-6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को सुधारना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपेक्षित स्वास्थ्य निवेश प्रदान किए जाएं;
- शीघ्र उद्दीपन और शिक्षा के माध्यम से स्कूल पूर्व के बच्चों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करना;
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भोजन प्रतिपूरक प्रदान करना;

- iv) स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा के माध्यम से उपयुक्त बालक की देखभाल करने के लिए समता में वृद्धि करना;
- v) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना।

49. प्रारंभिक भौगोलिक फोकस अनुसूचित जनजातियों, सूखा प्रवण क्षेत्रों और उन ब्लकों पर था जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों का पर्याप्त समानुपात था। 1975 में 33 आईसीडीएस ब्लॉक थे। पिछले दो दशकों में, आईसीडीएस की व्यापकता काफी बढ़ गई है। 1996 की स्थिति के अनुसार देश में 4200 आईसीडीएस ब्लॉक और 5,92,571 आंगनबाड़ियां हैं। 1985 में लाभार्थियों की संख्या 57 लाख बच्चे और 12 लाख माताएं थीं जबकि 1996 में इनकी संख्या बढ़कर एक करोड़ पचासी लाख बच्चे और 37 लाख माताएं हो गई हैं।

नोंवी योजना के दौरान आईसीडीएस

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने हैं कि क) खाद्य आपूर्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाया जाए; ख) सेवाओं की नियमितता और गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, ग) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रमों के बीच प्रभावी अंतःक्षेत्रक समन्वय हो। वृद्धि का मानीटरन, सीईडी के साथ बच्चों और माताओं को लक्ष्यबद्ध पोषण प्रतिपूर्णाता, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/एएनएम के कार्यकलापों के संयुक्त समन्वय के माध्यम से तीव्र किया जाए। ग्रामीण स्तर पर आईसीडीएस के योजना कार्य, कार्यान्वयन और मानीटरन में सक्रिय समुदाय/पीआरआई की सहभागिता का प्रयास किया जाए। प्रयास यह होना चाहिए कि उन कुपोषित बच्चों ओर महिलाओं का पता लगाने पर ध्यान दिया जाए जिन्हें मौजूदा आईसीडीएस कार्यक्रम से प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध प्रतिपूरक प्रदान किए जा सकते हैं। इन प्रयासों को और अधिक तीव्र किया जाए।

आईसीडीएस और टीआईएनआईपी के अन्तर्गत खाद्य पूरक कार्यक्रमों का मूल्यांकन

50. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चालू आईसीडीएस कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर और तमिलनाडु एकीकृत पोषण परियोजनाओं के अंतिम मूल्यांकन के कार्य को हाथ में लिया। उपलब्धि के मुकाबले में निष्कर्ष और परियोजनाओं को शुरू करने के समय निर्धारित किए गए लक्ष्य नीचे तालिका में दिखाए गए हैं।

मूल्यांकित पैरामीटर	तमिलनाडु		आंध्र प्रदेश		उड़ीसा	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. 6-36 मास के आयु वर्ग में ग्रेड-III और IV के बच्चों की विद्यमानता में कमी।	टिन्पII में 50% टिन्पI में 25%	टिन्पII में 48.1% टिन्पI में 49.3%	बेसलाइन का 50%	पुरानों में 67.5% नयों में 54.1%	बेसलाइन का 50%	पुरानों में 15% नयों में 10%
2. 6-36 मास के सामान्य और ग्रेड-I बच्चों में वृद्धि	टिन्पII में 50% टिन्पI में 25%	टिन्पII में 7.2% टिन्पI में 12%	25%	पुरानों में 34% नयों में 38%	25%	पुरानों में 3.8% नयों में 1%
3. 6 मास तक अतिरिक्त दूध छुड़ाए भोज्य	50%	57%	60%	दोनों क्षेत्रों में 90% से अधिक	50%	पुरानों में 27% नयों में 30%
4. 12-24 मास के बच्चों का टीकाकरण	100%	ग्रेड-III और IV के बच्चों में 90%	90%	पुरानों में 68% नयों में 73%	85%	पुरानों में 68% नयों में 78%
5. उन बच्चों का समानुपात जिन्हें विटामिन ए की मेगा खुराक दी गई	90%	32% (दो खुराकें)	80%	पुरानों में 45% नयों में 26.7%	80%	पुरानों में 17% नयों में 13%
6. उन बच्चों का समानुपात जिनकी वृद्धि का नियमित मानीटरन किया जाता है	90%	43%	80%	पुरानों में 62% नयों में 68%	80%	पुरानों में 76% नयों में 64%
7. प्रतिपूरक भोजन के लिए ग्रेड-II, III और IV के बच्चों का अवर्तन		6-36 मास के आयु वर्ग में 65% बच्चे	90%	पुरानों में 6-36 मास के बच्चों में 79% और नयों में 6-36 मास में 55%	90%	पुरानों में 6-36 मास के बच्चों में 88% और नयों में 36-72 मास के

				और 36-72 में 53%		बच्चों में 95% और नयों में 6-36 मास के बच्चों में 76% और 36-72 मास के बच्चों में 78%
8. उन बच्चों का समानुपात जिन्हें डायरिया होने पर ओआरएस दिया गया	60%	74.8% ग्रेड-III और IV के बच्चे 36-60 मास के बच्चों का 88.7%	60%	पुरानों में 44.4% और नयों में 54.4%	50%	पुरानों में 90% और नयों में 77.5%
9. 36-72 मास के बच्चों का अनुपात जिनका नियमित रूप से वजन किया गया	70%	15%	80%	पुरानों में 53% और नयों में 53%	60%	पुरानों में 79% और नयों में 69%
10. स्वास्थ्य कार्मिकों को भेजे गए बच्चे	6-36 मास के बच्चों के लिए 100%	6-36 मास के बच्चों का 20% और 36-60 मास के बच्चों का 15%				
11. स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो पिछले गर्भ के दौरान एएनसी के लिए रजिस्टर थीं		95%	100%	पुरानों में 90% और नयों में 85%	100%	पुरानों में 78% और नयों में 66%
12. महिलाओं का अनुपात जिन्होंने एएनसी के सभी			100%	पुरानों में 37%	100%	पुरानों में 6%

संघटक पूरे किए				और नयों में 43%		और नयों में 5%
13. महिलाओं का अनुपात जिन्होंने पिछली गर्भावस्था के दौरान कम से कम टीटी की एक खुराक ली	80%	94% (2 खुराकें)	90%	पुरानों में 94.8% और नयों में 92.2%	80%	पुरानों में 87% और नयों में 82%
14. महिलाएं जिन्हें पिछले गर्भ के दौरान प्रतिपूरक भोजन दिया गया	60%	48% ने 16 सप्ताह से अधिक के लिए प्राप्त की	80%	पुरानों में 41% और नयों में 58%	60%	पुरानों में 34% और नयों में 34%
15. महिलाएं जिन्हें 90 से अधिक फोलफर गोलियां दी गईं	60% (आईएफए)	9%	90%	पुरानों में 14.4% और नयों में 29.2% 72% ने आईएफए गोलियां लीं	60%	पुरानों में 37% और नयों में 30% 76% ने आईएफए गोलियां लीं
16. पंजीकृत महिलाएं जिनका मूल्यांकन स्त्रीरोग और पोषण जोखिमों के लिए किया गया	100%	67%				
17. स्तनपान कराने वाली महिलाएं जिन्होंने 16 सप्ताह से अधिक के लिए प्रतिपूरक भोजन लिया	90%	52%				
18. स्तनपान कराने वाली महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को 4 मास से अधिक के लिए अपना दूध पिलाया		52%				
19. पोस्ट-पार्टम विटामिन "ए" की प्रतिपूर्ति के लिए शामिल किया गया		11%				

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 1998-99 नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन

51. जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि यद्यपि सामान्तया बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार हुआ है तथापि ये उपलब्धियां लक्ष्य से कहीं कम थीं। इसके लिए कुछ कारण हो सकते हैं कि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया जोकि कुपोषण के बहुत बड़े जोखम पर हैं, आंगनबाड़ियों को खाद्य सामग्री पहुंचाने में अनियमितता और इसलिए अनियमित भोजन और अपर्याप्त राशन और माताओं की निकृष्ट पोषण शिक्षा जिससे कि सामुदायिक सहभागिता में सुधार नहीं हो पाता। यदि कार्यक्रम में कुपोषित बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है जिन्हें प्रतिपूरकों को दोहरी मात्रा दी जानी है, उन्हें व्यवहार में प्रतिपूरक भोजन के लिए अधिकांश लाभार्थियों का चयन पोषणात्मक स्क्रीनिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन पोषण संघटक

52. तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को इनमें और अधिक संख्या में शामिल करने के लिए, जो कि पोषण की दृष्टि से जनसंख्या के सबसे अधिक कमजोर वर्ग में हैं, और जिनकी आवश्यकताओं को आईसीडीएस कार्यक्रम के अधीन पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए एक संघटक को पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में शामिल किया गया था। पीएमजीवाई के अधीन निधियों को 6-36 मास की आयु के बच्चों के लिए अनाज दालों और तिलहन मिश्रण पर आधारित खाद्य प्रतिपूरक को घर ले जाने के लिए प्रदान किया जाना था। यह कार्यक्रम आईसीडीएस केन्द्रों के माध्यम से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रारंभ में राज्यों से उपयुक्त प्रस्ताव तथा व्यय विवरण प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां थीं। अब इन्हें ठीक-ठाक किया जा रहा है।

53. राज्यों को निधियों के आवंटन में वही मानक अपनाए जाते हैं जो कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के अधीन केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए थे। इस फार्मूले के अनुसार, पीएमजीवाई के अधीन केवल 60% आबादी वाले विशेष वर्ग के राज्य 30% निधियां प्राप्त करते हैं। इसलिए इन राज्यों के पास पीएमजीवाई के अधीन 6-36 मास के आयु वर्ग के सभी बच्चों को भोजन प्रदान करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उसकी अपेक्षा कहीं अधिक धन है। इस तथ्य के कारण कि आईसीडीएस कार्यक्रम के अधीन पोषण प्रतिपूरक तत्व प्रदान करने में पर्याप्त अन्तराल है और कुपोषण बहुत व्याप्त है, यह फैसला किया गया था कि पीएमजीवाई के अधीन अधिशेष वाली निधियों के राज्यों को यह अनुमति प्रदान की जाए कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए ग्रेड-III और IV के कुपोषण वाले बच्चों को आईसीडीएस में निर्धारित प्रतिपूरकों का दुगना राशन मिले। इस योजना को चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखा जा रहा है और इसके लिए अधिक आवंटन किया जा रहा है (2800 करोड़ रुपये)। राज्यों को सूचित कर दिया गया है कि वे पीएमजीवाई का कम से कम 15% परिव्यय अपने पोषण संघटक के लिए आवंटित करें।

पोषणात्मक स्थिति की मानीटरिंग

54. आयु के लिए भार पर आधारित पोषणात्मक स्थिति को आईसीडीएस परियोजना में प्रलेखित और रिपोर्ट किया गया है। उनका इस डर से अभी विश्लेषण और उपयोग नहीं किया जाता है कि आंकड़े इतने अधिक अच्छे न हों जिसका उपयोग मानीटरन प्रवृत्तियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ब्लाक वार जीआईएस आईसीडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए आंकड़ों का उपयोग करके उड़ीसा में 229 आईसीडीएस ब्लाकों में 0-3 वर्ष के आयु समूह और 4-6 वर्ष के आयु समूह में विकट और साधारण न्यून पोषण का जीआईएस मानचित्रण किया गया था। जीआईएस मानचित्रों से विभिन्न राज्यों, विभिन्न मौसमों और विभिन्न आयु समूह में न्यून पोषण में प्रवृत्तियों को उजागर किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त रूप से लक्ष्यबद्ध हस्तक्षेपों को आरंभ किया जा सकता है। आंकड़ों के अधिक उपयोग से कार्यकर्ताओं को यह प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपनी मासिक रिपोर्टों को सही तरह से भरें। सीडीपीओ एडब्ल्यूडब्ल्यू रिपोर्ट में विश्वास पैदा करेंगे और वे ठीक ग्राम स्तर पर ही उपयुक्त सही समय में हस्तक्षेप के लिए आंकड़ों का उपयोग करेंगे। इन राज्य स्तर की प्रोत्साहन अध्ययनों को आईसीडीएस के मानीटरन में सुधार के लिए इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। भारतोलन की गुणवत्ता के सुधारों के लिए और आईसीडीएस ब्लाकों में पोषण की कमी को रिपोर्ट करने में सुधार लाने के प्रयास किए जाएं। जब एक बार अच्छी किस्म के आंकड़े नियमित रूप से ब्लाक और जिला स्तर पर मिलने आरंभ हो जाते हैं तो उनका उपयोग निम्नलिखित के लिए एक साधन के रूप में किया जाना चाहिए:-

- क) न्यून पोषण की कमी के लिहाज से आईसीडीएस कार्यकलापों का मानीटरन
- ख) आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त हस्तक्षेप की योजना करना
- ग) कमजोर वर्गों में पोषणात्मक निगरानी के लिए तंत्र

सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियां

55. सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन और खनिज) की कमियों को चिरकालीन ऊर्जा कमी की प्राप्ति ही सामान्य और महत्वपूर्ण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों में लौह विटामिन ए और आयोडीन की कमी की ओर ध्यान अधिक दिया गया है क्योंकि उनके साथ रूग्णता और मृत्यु दर का संबंध है। कैल्सियम, जिंक, विटामिन बी काम्प्लेक्स, सी और डी की कमियों के बारे में रिपोर्ट की गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों की समस्या का समाधान करने के लिए पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना और ऐसी कार्य नीतियां अपनाना उपयोगी होगा जोकि आहार स्रोतों के माध्यम से सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण करना सुनिश्चित कर सकें। अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों के कारण मान्य रोगों को समाप्त किया जा सके और अपनी दैनिक कमियों को यदि समाप्त न किया जा सके तो किसी हद तक कम अवश्य किया जा सके।

विटामिन "ए" की कमी

56. विटामिन "ए" की कमी के परिणामस्वरूप शुष्कनेत्र प्रदार और अंधता हो जाती हैं, यह 50 और 60 के दशकों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या थी। 1973 में विटामिन "ए" की एक विशाल खुराक को 1973 में शुरू किया गया था तभी इस समस्या का मुकाबला किया जा सका। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम लोग ही आ पाए हैं। विटामिन "ए" समृद्ध भोजन में खपत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। बहरहाल विटामिन ए की कमी के कारण अंधता अब विरल हो गई है और विटामीय धब्बों की विद्यमानता में पर्याप्त कमी आई है।

57. नौवीं योजना के दौरान पहली खुराक तो 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक लोगों को दी गई लेकिन दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या मुश्किल से 20 प्रतिशत है। विटामिन ए की दूसरी और उसके बाद की खुराकों के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए, उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने विटामिन ए की खुराक को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान से जोड़ दिया है। यह बताया गया है कि राज्य ने पिछले छः मास में विटामिन ए को देना बिल्कुल बंद करके ओवरडोज को रोकने की सावधानी बरती है। राज्य में इसके सुधरे हुए उपयोग का पता चला है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे प्रयास इतने अधिक सफल नहीं रहे हैं। इस कार्य नीति से संबंधित समस्या यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि केवल 0-3 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है और 0-5 वर्ष के बच्चों को केवल पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। यह इतना आसान नहीं हो सकता है क्योंकि पीपीआई एक विशालतम अभियान है जिसके अन्तर्गत 12 करोड़ बच्चे आते हैं और उन बूथों पर उन लोगों को तैनात किया जाता है जोकि स्वास्थ्य व्यवसायिक नहीं है। एक और समस्या यह है कि वर्ष के लिए विटामिन ए की दूसरी खुराक को वैकल्पिक कार्यनीति द्वारा दिया जाना होता है।

विटामिन ए की कमी पर नियंत्रण के लिए नौवीं योजना की कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल है:

- खसरे के टीके के साथ पहली खुराक दिए जाने को जारी रखना
- विटामिन ए की विशालतम खुराक को बाद की खुराकों के साथ सुधारना
- विटामिन ए की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना
- बी-कैरोटीन में समृद्ध भोजन के उपयोग में सुधार के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और उनके समर्थन के लिए ऐसे प्रयास ताकि वे सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें

नौवीं योजना का लक्ष्य है विटामिन ए की कमी पर नियंत्रण पाना तभी विटामिन ए की कमी के कारण अंधता की घटनाएं न केवल राष्ट्रीय स्तर पर 1/10,000 से कम हो जाएं बल्कि हर राज्य में भी।

राष्ट्रीय परामर्श

58. विटामिन ए रोग निरोधन बच्चों में प्राथमिक रूप से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसलिए प्रदान किया गया था ताकि उनमें विटामिन ए की कमी के कारण हुई अंधता को रोका जा सके। बाद में बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में विटामिन ए की कमी पाई जाती है, वहां विटामिन ए रोग निरोध मोटे तौर पर बचपन में मृत्यु दर को डायरिया और खसरे जैसी आम बीमारियों से होने वाले मामलों में कमी लाती है। 29 और 30 सितम्बर, 2000 को हुए एक राष्ट्रीय परामर्श में, जोकि आईसीएमआर में आयोजित किया गया था, यह पाया गया था कि भारत में हुए अध्ययनों सहित कुछ अध्ययनों में विटामिन ए के रोग निरोध से मृत्यु को रोकने में कोई कमी नहीं पायी गई है। इस विषय पर अधिकांश अध्ययनों 6 मास से 3 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की मृत्यु दर पर इसका अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

59. 2000 ई0 में स्कूल पूर्व के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन ए की खुराक देने से होने वाले लाभों और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। इंडियन अकादमी आफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) ने भी बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने पर एक परामर्श का आयोजन किया था। आईएपी के परामर्श के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे:

- देश में पांच वर्षों से कम आयु वाले बच्चों में क्लिनिकल विटामिन ए की कमी में श्लाघ्य कमी के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
- हाल के आंकड़ों से पता चला है कि शैशव में विटामिन ए की प्रतिपूर्ति का बच्चों की वृद्धि, रूग्णता और मृत्यु दर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
- विटामिन ए की खुराक देने को पल्स पोलियो कार्यक्रम से जोड़ना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे नेमी कार्य विस्थापित हो सकता है। छः मास के भीतर अधिक खुराकें देने से और नेमी सेवाओं के माध्यम से विटामिन ए की खुराक देने के नकारात्मक प्रभाव के कारण विधाक्तता और पार्श्व प्रभावों की संभावना का पर्याप्त रिकार्ड रखने में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह बदली हुई कार्यनीति की सभी पोषण और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह अनुदेश देने होंगे कि वे नेमी विटामिन ए की खुराक देने को बंद कर दें और विटामिन ए की आपूर्तियों के वितरण के लिए प्रणालियों की स्थापना करें, निश्चल हो के रह जाएगा। जब पल्स पोलियो कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा तो लाजिस्टिक्स और आपूर्तियों के लिहाज से विटामिन ए की नेमी खुराक देने के कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में स्पष्ट निहितार्थों का सामना करना होगा।

60. इसको ध्यान में रखते हुए, यह अधिक अच्छा होगा कि बच्चों की विटामिन ए की स्थिति को सुधाने के लिए संधार्य कार्यनीति का उपयोग किया जाए, यथा,

- हर वर्ष साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में एडब्ल्यूडब्ल्यू के माध्यम से विटामिन ए की विशाल खुराक दिलाई जाए।
- हरी/पीली सब्जियों के इस्तेमाल में सुधार लाने के लिए एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा पोषण शिक्षा।

61. भारत में क्लिनिकल विटामिन ए की कमी में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, लेकिन देश के कुछ भागों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में यह अब भी विद्यमान है। आहार संबंधी सर्वेक्षणों से पता चला है कि छोटे बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में सिफारिश किए गए दैनिक खुराक की तुलना में विटामिन ए का उपयोग काफी नीचे है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन कमजोर उप समूहों में विटामिन ए को छोड़कर ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के अपर्याप्त उपयोग सहित बहुपोषण समस्याएं साथ-साथ अस्तित्व में हैं।

62. आवश्यकता एक ऐसे व्यापक कार्यक्रम की है जिससे कि लोगों के समग्र पोषण स्थिति में, विशेषकर बच्चों, किशोरों और महिलाओं के कमजोर वर्गों में सुधार लाया जा सके। तथापि, क्योंकि विटामिन ए रोग निरोध कार्यक्रम अस्तित्व में है और क्योंकि जनता का बहुत बड़ा वर्ग अब भी बहुत कम विटामिन ए का आहारिय उपयोग करता है, इसलिए मौजूदा विटामिन ए की विशाल खुराक की प्रतिपूर्ति कार्यक्रम को जारी रखा जाए और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जाए।

आयोडीन की कमी के कारण विकार (आईडीडी)


63. आईडीडी को एक मुख्य सार्वजनिक समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की तरह, आईडीडी जल, मृदा और भोज्य पदार्थों में आयोडीन की कमी के कारण होती है और यह सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में सभी सामाजिक आर्थिक समूहों को प्रभावित करती है।

64. कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में आयोडाइज्ड नमक के सफलतापूर्वक परीक्षणों के पश्चात 1962 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम (एनजीसीपी) को शुरू किया गया था। इस बात के बावजूद कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध और किफायती थी, हस्तक्षेप कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप इस समस्या के परिमाण में कोई विशेष कमी नहीं आयी। अगस्त, 1992 में एनजीसीपी का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनतम विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) कर दिया गया और इसके अधिकार क्षेत्र में आईडीडी के व्यापक क्रमवीक्षण का नियंत्रण जैसेकि मानसिक और शारीरिकता विकलांगता, मूक वधिरता, बौनापन, भूतजन्म आदि को ले लिया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे (i) देश में आईडीडी के परिमाण

का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण करना, (ii) सामान्य नमक की बजाय आयोडाइज्ड नमक का उत्पादन और आपूर्ति, (iii) 5 वर्षों के पश्चात उस क्षेत्र में आयोडाइज्ड नमक के कार्यक्रम के प्रभाव का पुनः मूल्यांकन करने के लिए पुनः सर्वेक्षण करना, (iv) आयोडाइज्ड नमक और मूत्रल उत्सर्जन का प्रयोगशाला मानीटरन और (v) स्वास्थ्य शिक्षण। एनआईडीडीसीपी का उद्देश्य देश के प्रभावित जिलों में आईडीडी की विद्यमानता दस प्रतिशत से नीचे लाना है।

65. केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक नीति संबंधी निर्णय लिया कि 1992 तक देश में समस्त खाद्य नमक को आयोडाइज्ड किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में आयोडाइज्ड नमक के उत्पादन में क्रमिक प्रगति हुई है। देश में आयोडाइज्ड नमक के उत्पादन युनिटों की संख्या 650 है जोकि मुख्यतया गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में स्थित है। इनमें से 557 (86%) नमक विभाग के साथ पंजीकृत है। नमक विनिर्माताओं की संख्या में वर्षवार प्रगति चित्र 7 में दी गई है। आयोडीकरण युनिटों उनकी क्षमता और आयोडाइज्ड नमक की आपूर्ति का वर्षवार व्योरा तालिका 12 में दिया गया है।

चित्र 7: देश में आयोडाइज्ड साल्ट विनिर्माताओं की संख्या



स्रोत: नमक विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, इवैल्यूएशन आफ युनिवर्सल आयोडाइजेशन इन इंडिया

तालिका 12

वर्ष	आयोडाइजेशन युनिटों की संख्या	क्षमता	आपूर्तियां
1983	13	3.86	1.41
1986	115	16.08	5.98
1989	353	48.71	21.34

1992	529	65.33	26.87
1993	519	65.67	27.23
1994	572	75.04	28.01
1995	657	82.33	34.88
1996	699	87.28	40.92
1997	784	107.50	39.07
1998	809*	115.21*	37.42

*31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार

स्रोत: आयोडाइज्ड नमक, नमक विभाग, भारत सरकार, जयपुर के लाभ एवं सुरक्षा पर राष्ट्रीय परामर्श

66. नमक विनिर्माताओं और व्यापारियों की सक्रिय सहभागिता से इन सभी प्रयासों ने भारत को आयोडाइज्ड नमक का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया है। चीन का विश्व में सबसे पहला स्थान है। खाद्य नमक की आवश्यकता और चालू आपूर्तियां तालिका 13 में दिखायी गई हैं। आयोडाइज्ड नमक का उत्पादन 4 करोड़ टन तक पहुंच गया है जिससे देश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी को यह दस्तयाब किया जा सकता है। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र (आंशिक रूप से) को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अधिसूचनाएं जारी करके खाद्य प्रयोजनों के लिए गैर-आयोडाइज्ड नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

तालिका 13

जनसंख्या, खाद्य नमक की आवश्यकता और आपूर्तियां- 2000

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार अनंतिम जनसंख्या	प्रति 000 टन में 5 किलोग्राम की दर पर आवश्यकता	2000 में आपूर्तियां 000 टनों में (नमक आयुक्त)
	भारत	1,027,015,247	5135.1	5221.2
1	आंध्र प्रदेश	75,727,541	378.6	523.6@
2	अरुणाचल प्रदेश	1,091,117	5.5	4.5
3	असम	26,638,407	133.2	192.1
4	बिहार	82,878,796	414.4	671.0
5	झारखंड	26,909,428	134.5	
6	गोवा	1,343,998	6.7	1.0
7	गुजरात	50,596,992	253.0	206.4
8	हरियाणा	21,082,989	105.4	14.5
9	हिमाचल प्रदेश	6,077,248	30.4	4.8

10	जम्मू और कश्मीर	10,069,917	50.3	34.0
11	कर्नाटक	52,733,958	263.7	115.3
12	केरल	31,838,619	159.2	274.2@
13	मध्य प्रदेश	60,385,118	301.9	336.3
14	छत्तीसगढ़	20,795,956	104.0	
15	महाराष्ट्र	96,752,247	483.8	492.7@
16	मणिपुर	2,388,634	11.9	
17	मेघालय	2,306,069	11.5	
18	मिजोरम	891,058	4.5	4.7
19	नागालैंड	1,988,636	9.9	10.8
20	उड़ीसा	36,706,920	183.5	203.7
21	पंजाब	24,289,296	121.4	59.4
22	राजस्थान	56,473,122	282.4	43.3
23	सिक्किम	540,493	2.7	4.7
24	तमिलनाडु	62,110,839	310.6	193.9
25	त्रिपुरा	3,191,168	16.0	19.8
26	उत्तर प्रदेश	166,052,859	830.3	930.3
27	उत्तरांचल	8,479,562	42.4	
28	पश्चिम बंगाल	80,221,171	401.1	654.5
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह*	356,265	1.8	0.6
30	चण्डीगढ़	900,914	4.5	27.4
31	दादरा नागर हवेली	220,451	1.1	
32	दमन और दीव	158,059	0.8	0.1
33	दिल्ली	13,782,976	68.9	189.2
34	लक्ष्यद्वीप	60,595	0.3	
35	पांडीचेरी	973,289	4.9	1.4
36	रक्षा			7.0


@ गैर आयोडाइज्ड नमक 675.6

आयोडाइज्ड नमक 4545.6

कुल 5221.2


67. गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयोडाइज्ड नमक नमूनों का विश्लेषण आयोडोमेट्रिक टिट्रेशन (2 % आयोडाइजेशन युनिटों का) विधि और स्थान परीक्षण किटों (टिट्रेशन विधि के अलावा 72% आयोडाइजेशन युनिटों का) आयोडाइज्ड साल्ट की गुणवत्ता और उत्पादन का वाह्य मानीटरन नमक विभाग द्वारा किया जाता है और एक अध्ययन से पता चला है कि 97.2 प्रतिशत नमक ईकाइयों ने रिपोर्ट की थी कि नमूनें नमक विभाग के अधिकारियों द्वारा लिए गए थे। परचून और घरेलू स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण बहुत कम है।

68. अधिकांश विनिर्माता नमक का परिवहन रेल मार्ग और सड़क मार्गों द्वारा करते थे। 24.7 प्रतिशत विनिर्माताओं ने नमक का अन्य रूप से रेल से भेजा और 22 प्रतिशत ने अन्य रूप से सड़क के रास्ते (चित्र 8)। इस बात की कोई जांच नहीं की जाती कि सड़क मार्ग से परिवहन किया गया नमक आयोडाइज्ड है या नहीं, विशेष रूप से अगर इसे थोड़ी दूरी तक (अर्थात् 250 किलोमीटर से कम) भेजना होता है।




चित्र 8 स्रोत: नमक विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, इवैल्युएशन ऑफ युनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन इन इंडिया

69. थोक विक्रेता विनिर्माताओं से सड़क मार्ग (43 प्रतिशत) और रेल मार्ग (50 प्रतिशत) से सीधे ही आयोडाइज्ड नमक प्राप्त करते हैं। उनमें से 69 प्रतिशत आयोडाइज्ड नमक का वितरण थोक में कर रहे थे 19 प्रतिशत परचून में और शेष 12 प्रतिशत थोक में और परचून पैकिंग (चित्र 9) में कर रहे थे। विनिर्माताओं द्वारा विभिन्न स्थलों पर भण्डार किए गए आयोडाइज्ड नमक के भण्डारण का समानुपात चित्र 10 में दिया गया है। अधिकांश थोक विक्रेता (87.5 प्रतिशत) परचून विक्रेताओं को आगे वितरण के लिए दुबारा पैक नहीं करते हैं और अधिकांश के पास पर्याप्त भण्डारण स्थान है।



चित्र 9




चित्र 10

स्रोत: नमक विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, इवैल्युएशन ऑफ युनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन इन इंडिया

70. आयोडाइजेशन की जगह इस्तेमाल किए गए कच्चे नमक की गुणवत्ता, पैक करने की सामग्री आदि पर निर्भर करती है। पूर्ण आयोडाइज्ड नमक की एक किलो की पोलिथीन थैली उत्पादन केन्द्रों पर एक रूपये प्रति किलो के हिसाब से है। आयोडाइजेशन प्रतिशतता, विभिन्न संघटकों का वितरण चित्र 11 में दिया गया है। परचून स्तर पर आयोडाइज्ड नमक की कीमत पैकिंग पर निर्भर करते हुए 1.5 रूपये से 6 रूपये प्रति किलो तक है जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

खुला क्रिस्टल आयोडाइज्ड नमक	1.50-2.00 रूपये
खुला पूर्ण/पिसा आयोडाइज्ड नमक	2.00-2.50 रूपये
पौचों में पूर्ण आयोडाइज्ड नमक	2.50-4.50 रूपये
पौचों में रिफाइन किया हुआ आयोडाइज्ड नमक	5.50 या उससे ऊपर



चित्र 11

स्रोत: नमक विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्रकाशन, इवैल्युएशन आफ युनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन इन इंडिया

71. औसतन परचून विक्रेता के स्तर पर आयोडाइज्ड नमक की खरीद कीमत 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि इसके मुकाबले में खुले नमक की कीमत 1.4 रुपये प्रति किलो है। राज्यवार नमक की परचून कीमत और पीडीएस के माध्यम से इसकी कीमत तालिका 14 में दी गई है।

तालिका 14

नमक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्री मूल्य और परचून कीमत

क्रमांक	राज्य का नाम	रुपयों में प्रति किलो पीडीएस बिक्री मूल्य	दिसम्बर 2000 में रुपये प्रति किलो परचून कीमत
1.	आंध्र प्रदेश	लागू नहीं	3.00 खुला 6.50 पैक
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.60	2.35 खुला
3.	असम	2.00 पाउडर 3.00 पैक	1.99-2.07 खुला 2.05-3.15 पैक
4.	बिहार		6.50 पैक
5.	गोवा		4.00 खुला 6.00 पैक
6.	गुजरात	0.50 (1.82 सब्सिडी)	
7.	हरियाणा		लागू नहीं

8.	हिमाचल प्रदेश		7.00 पैक
9.	जम्मू और कश्मीर	लागू नहीं	
10.	केरल	2.25 क्रिस्टल नमक, 4.65 फ्री फ्लो	
11.	महाराष्ट्र	2.90 डीपीएपी क्षेत्र,	
12.		1.65 टीटीडीपी क्षेत्र	
13.	मेघालय	लागू नहीं	3-3.50 खुला, 5-7 पैक
14.	मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	उड़ीसा	2.00	
16.	राजस्थान	3.25	6.00 पैक
17.	सिक्किम	लागू नहीं	
18.	तमिलनाडु	2.50	
19.	त्रिपुरा	1.90	3-3.50 खुला, 5-6 पैक
20.	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	2.50 पैक
21.	दिल्ली	2.50, 3.50 रिफाइंड फ्री फ्लो	6.00 पैक
22.	लक्ष्यद्वीप	2.50	
23.	पांडिचेरी	लागू नहीं	6.50 खुला/पैक किया हुआ

आईडीडी की रोकथाम के लिए नौवीं योजना की कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल है:

- उपयुक्त गुणवत्ता के आयोडाइज्ड नमक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन।
- उत्पादन के स्थान पर उपयुक्त पैकिंग ताकि परिवहन और भण्डारण में नमक की गुणवत्ता के ह्रास होने से रोका जा सके।
- उत्पादन स्तर, परचून स्तर और घरेलू स्तर पर नमक की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सुविधाएं जिससे कि उपभोक्ता अच्छी किस्म का नमक ले और इस्तेमाल करे।
- आईडीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग केवल अच्छी किस्म का आयोडाइज्ड नमक ही इस्तेमाल करें, और
- गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को रियायती दामों के माध्यमों से आयोडाइज्ड और गैर-आयोडाइज्ड नमक के बीच की कीमतों का अन्तर समाप्त किया जा सके और टीपीडीएस के माध्यम से आयोडाइज्ड नमक पर तुरंत रसोई में सुधार लाया जा सके।

72. नब्बे के दशक में आयोडाइज्ड नमक की उपलब्धता और उपयोग में पर्याप्त वृद्धि आई है। मौके पर परीक्षण किटों के इस्तेमाल से 4500 घरों के अध्ययन से पता चला कि 89 प्रतिशत घरों में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल किया जा रहा था और 76 प्रतिशत तक घर ऐसे आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें पीपीएम या इससे अधिक आयोडीन थी। ग्राम क्षेत्रों (63.3प्रतिशत) की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों (78.1 प्रतिशत) में इसका उपयोग अधिक था। हाल के एनएफएचएस-11 सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 49 प्रतिशत घर ही खाना पकाने के लिए ऐसे नमक का इस्तेमाल करते हैं जोकि 15 पीपीएम या इससे अधिक स्तर पर आयोडाइज्ड किया जाता है, 28 प्रतिशत घर ऐसा नमक इस्तेमाल करते हैं जोकि बिल्कुल आयोडाइज्ड नहीं होता है और 22 प्रतिशत नमक इस्तेमाल करते हैं जोकि अपर्याप्त रूप से आयोडाइज्ड किया जाता है। राज्यवार आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल चित्र 6 में दिखाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात जैसे समुद्रतटीय राज्यों में बहुत से उत्तरी राज्यों की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करने वाले घरों की संख्या बहुत कम है जहां आयोडाइज्ड नमक की उपलब्धता 90 प्रतिशत से अधिक है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जिस नमक को परिवहन सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है उसकी आयोडीकरण के बारे में कोई जांच नहीं होती है और कानून में इस कमी के कारण 250 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्रों को सड़क द्वारा गैर-आयोडाइज्ड नमक का परिवहन किया जाता है।

73. आईडीडी कार्यक्रम के अधीन चालू आईईसी कार्यनीति का मुख्य केन्द्र विन्दु निर्माताओं, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को इसके बारे में संवेदनशील बनाने के लिए हैं। उपभोक्ता स्तर पर कार्यनीति यह है कि लोगों को आयोडाइज्ड नमक की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाए, किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यदि आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और घरों में आयोडाइज्ड नमक का भण्डारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जनसम्पर्क अभियान के अलावा, अंतःव्यक्तिगत संचार में घरों में जाना, और महिलाओं/ग्राम सभाओं की बैठकों का उपयोग किया जा सकता है।

74. एनआईडीडीसीपी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय (नमक विभाग), रेल, शिक्षा, खाद्य और सिविल आपूर्ति आदि जैसे सरकार के कई विभागों की सहभागिता समन्वय से किया जाता है।

75. यद्यपि पहले 15 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की गई है, इसके बावजूद आयोडाइज्ड नमक के लाभों और सुरक्षा के बारे में, परम्परागत नमक विनिर्माताओं पर इस कार्यक्रम के प्रभाव, आयोडाइज्ड नमक की लागत आदि के बारे में प्रश्न खड़े किए जाते हैं। अप्रैल, 1999 में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया ताकि आईडीडी के निवारण और नियंत्रण में आयोडाइज्ड नमक के लाभों और सुरक्षा पर संचलनात्मक, वैज्ञानिक और महामारी वैज्ञानिक साक्ष्य के बारे में चर्चा की जा सके। राष्ट्रीय परामर्श से जो एकमत वक्तव्य उभर कर सामने आया उसमें यह उल्लेख किया गया था कि:

1. आयोडीन का एक सुरक्षित दैनिक उपयोग 50 माइक्रोग्राम से 1000 माइक्रोग्राम तक है। एक वयस्क द्वारा आयोडीन का अपेक्षित आहारिय उपयोग 100-300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है।
2. आयोडीन में सुरक्षा की व्यापक गुंजाइश होती है। विषवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई है कि नमक के आयोडीकरण में इस्तेमाल स्तर पर पोटेशियम आयोडेट बहुत ही सुरक्षित है।
3. चूंकि यदि आयोडीन अधिक मात्रा में भी लिया जाए तो यह आसानी से मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है इसलिए अधिक मात्रा में भी आयोडीन लिया जाना सुरक्षित है। जिन सामान्य व्यक्तियों को अधिक आयोडीन लेने की स्थिति में वे थायरायड बने रहते हैं और अनुकूलक तंत्र के अध्ययन से गलगण्ड से मुक्त रहते हैं। बहरहाल आहारिय आयोडीन के अधिक उपयोग से आटोइम्यूनों थायरायड रोगों में हाइपरथायोरॉइडिज्म की शुरुआत हो सकती है और उससे थायोएजाइड औषधियों के प्रभाव को निष्क्रिय बनाया जा सकता है। आयोडीन प्रेरित हाइपरथायोरॉइडिज्म एक प्रतिकूल प्रभाव है जो कि प्राथमिक रूप से बड़ी आयु के लोगों में हो सकता है जहाँ जिन लोगों में आयोडीन की बहुत कमी होती है, वे अपना आयोडीन का उपयोग बढ़ा देते हैं जहाँ कुल मात्रा आमतौर पर स्वीकार्य 100-200 माइक्रोग्राम प्रतिदिन के परास में ही है। महामारी रोग वैज्ञानिक दृष्टि से, आयोडीन प्रेरित हाइपरथायोरॉइडिज्म हाइपरथायोरॉइडिज्म की वसा में अल्पकालीन वृद्धि हो जाती है जो कि आयोडीन की कमी को ठीक करने से कालान्तर में अपने आप ही ठीक हो जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नमक के व्यापक रूप से आयोडीनीकरण के माध्यम से आयोडीन की कमी को पूरा करने के लाभ आयोडीन द्वारा प्रेरित हाइपरथायोरॉइडिज्म के जोखिम से कहीं अधिक है।
4. एक मिलीग्राम तक का दैनिक उपयोग पूर्णतः सुरक्षित है। भारत में यदि रोज 10 ग्राम नमक का उपयोग किया जाए और उसमें 15 अंश प्रति मिलियन आयोडीन हो तो अधिक से अधिक 150 माइक्रोग्राम आयोडीन का उपयोग किया गया तो एक मिलीग्राम प्रतिदिन के उपयोग से अधिक के उपयोग के बढ़ने की संभावना नगण्य है।


नमक के व्यापक रूप से आयोडीनीकरण का प्रभाव

76. 1997-2000 के दौरान 14000 स्कूली बच्चों का देशव्यापी अध्ययन किया गया था ताकि उनमें आयोडीन पोषणात्मक स्थिति और गलगण्ड की विद्यमानता का मूल्यांकन किया जा सके। अध्ययन से पता चला कि आयोडाइज्ड नमक के व्यापक रूप से उपलब्ध होने के परिणाम स्वरूप सामान्य मूत्रल आयोडीन उत्सर्जन था जिससे पता चलता है कि 95 प्रतिशत स्कूली बच्चों में पर्याप्त आयोडीन नमक स्तर था (तालिका 5.4.4.12)। इस कार्यक्रम का सबसे अधिक नाटकीय प्रभाव उन जिलों/राज्यों में देखा गया था जो नमक के आयोडीकरण के चरण की अवस्था में सबसे अधिक प्रभावित थे। समवर्ती रूप में मूत्र आयोडीकरण उत्सर्जन अध्ययन से उन्हीं क्षेत्रों में पता चला कि लोगों ने पर्याप्त मात्रा में आयोडीन लेना प्रारंभ कर दिया है। 10 साल से कम आयु के बच्चों और 11-14 वर्ष के बच्चों में नमक के आयोडीकरण से पूर्व और पश्चात इन आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में आई.क्यू. स्कोर की तुलना में पर एक संक्षिप्त अध्ययन

से नमक के आयोडीकरण के पश्चात आई.क्यू. स्कोर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आयोडाइज्ड नमक के इस्तेमाल से मानसिक और शारीरिक विकासात्मक अवयन्दन में काफी कमी आई है (चित्र 12 और 13)।


चित्र 12

11-14 वर्षों के बीच के बच्चे



चित्र 13

दस वर्ष से कम आयु के बच्चे



आई. क्यू. ग्रेड

आई. क्यू. ग्रेड

स्रोत: डॉ० मंजू मेहता, एडीशनल प्राफेसर, साइकोमीट्री, साइकियाट्री विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं डॉ० कोचुपिल्लई, प्रो० और हेड, एण्ड्रोकिनोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।


77. अक्टूबर 2000, में केन्द्रीय सरकार ने मानव उपयोग के लिए गैर-आयोडीनकृत नमक पर से पाबन्दी हटा ली। अब तक राज्य स्तर पर पाबन्दी आदेश को हटाया नहीं गया है और इस कारण से कई राज्यों में आयोडाइज्ड नमक की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आयी है। तथापि, मई 2001 में उड़ीसा सरकार ने पाबन्दी आदेश हटा लिए हैं। यदि और राज्य भी इस प्रथा का अनुकरण करते हैं तो आयोडाइज्ड नमक की उपलब्धता और उपयोग में काफी कमी आ सकती है।

लौह की कमी से अनीमिया

78. लौह और फोलेट की कमी के कारण पोषणात्मक अनीमिया एक मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। भारत ऐसे देशों में से एक है जहां अनीमिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कम आहार ग्रहण करने और लौह और विटामिन बी का कम इस्तेमाल करने की वजह से भारत में सबसे अधिक मात्रा में अनीमिया पाया जाता है। हरी फाइबर समृद्ध भारतीय भोजन में लौह की जैव उपलब्धता के कम होने के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। तांबा, जिंक पाइरीडोक्सिन के विटामिन बी 12 जैसे अन्य सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के कारण होने वाला अनीमिया भारत में बहुत विरल है।

79. आईसीएमआर द्वारा किए गए बहुत से अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भवती महिलाओं में अनीमिया सबसे अधिक होता है। एक अनुमान के अनुसार 50-90 प्रतिशत महिलाओं में पाया जाता है। बहरहाल, राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किए गए जिनमें उपयुक्त नमूनाकरण और एक जैसी रीति विधान का उपयोग किया गया हो इसलिए हो सकता है कि वे विभिन्न राज्यों और आय समूहों में अनीमिया की विद्यमानता के बारे में आंकड़े प्रदान न कर पाएं। एनएफएचएस-2 ऐसा पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण था जिसमें कि 15-49 वर्ष के आयु समूह की सभी शादीशुदा महिलाओं और तीन वर्ष तक के उनके बच्चों के हीमोग्लोबिन स्तर लेने का प्रयास किया गया। गर्भवती महिलाओं में से 49.7 प्रतिशत महिलाओं में अनीमिया था जोकि पहले की रिपोर्टों की अपेक्षा काफी कम है। हो सकता है कि आंशिक रूप से इसका कारण यह तथ्य हो कि हीमोग्लोबिन मापने का हीमोक्वू तरीके से, जोकि एनएफएचएस सर्वेक्षण में इस्तेमाल किया गया था, अनीमिया की विद्यमानता के अनुसार कम बताए जाएं।

80. 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हीमोग्लोबिन स्तरों के संबंध में बहुत कम सूचना उपलब्ध है। एनएफएचएस-2 के आंकड़ों से पता चलता है कि इस आयु वर्ग के 74 प्रतिशत बच्चे रक्त की कमी से पीड़ित हैं। प्रजनन आयु के दौरान महिलाओं में भी अनीमिया की विद्यमानता बहुत अधिक पाई जाती है (चित्र 14, 15)।




चित्र 14 राज्यवार कमी शादीशुदा महिलाओं के बीच अनीमिया

चित्र-15 6-35 मास के बच्चों में अनीमिया

स्रोत: एनएफएचसी 1998-99

81. एनएफएचसी-2 के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्यों और आय वर्गों में अनीमिया की विद्यमानता के बारे में पर्याप्त अन्तर है। गर्भवती महिलाओं में अनीमिया अधिक है और यहां जो बात महत्वपूर्ण है कि प्रतिकूल प्रसूति परिणामों से संबंधित अनीमिया के सामान्य और तीव्र रूप (< 8 ग्राम % और < 5 ग्राम %) अब भी अधिक है (चित्र 6)। किशोरों में अनीमिया की विद्यमानता के बारे में (विशेष रूप से किशोरियों में) विभिन्न आयु समूहों और बड़ी आयु के लोगों (महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए) के संबंध में बहुत कम आंकड़े उपलब्ध हैं।

चित्र 16 गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की विद्यमानता



स्रोत: एनएनएमबी

82. समस्या के आयाम का एहसास करते हुए प्रसूति विशेषज्ञों ने अनीमिया की स्क्रीनिंग और प्रभावी प्रबंधन को प्रसव पूर्व देखभाल का आवश्यक संघटक बना दिया। सभी गर्भवती महिलाओं को लौह और फोलिक एसिड के वितरण के राष्ट्रीय अनीमिया रोग निरोध कार्यक्रम को 1972 में शुरू किया गया था। शहरी और ग्रामीण आबादी में अनीमिया की विद्यमानता पर समुदाय आधारित सर्वेक्षणों के बारे में प्राप्त सूचनाओं और अस्पताल के रिकार्डों के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन दशकों में गर्भावस्था में अनीमिया की विद्यमानता और प्रतिकूल परिणामों कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस कार्यक्रम को नया रूप दिया गया था और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषणात्मक अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम (एनएनएसीपी) कर दिया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लौह फोलेट प्रतिपूरक प्रदान करके विकट अनीमिया के केसों का पता लगाकर उन्हें उपचार करके और लौह समृद्ध भोजन पदार्थों को बढ़ावा देकर प्रजनन आयु की महिलाओं और स्कूल पूर्व के बच्चों में अनीमिया को कम करना है।

1. अनीमिया को रोकने के लिए नौवी योजना की परिचालनात्मक कार्यनीति सामान्य जनसंख्या के लिए

- सामान्य भोजन को लौह के साथ प्रबलित करना ताकि लौह आहार ग्रहण को बढ़ाया जा सके और बच्चों, किशोरियों और गर्भावस्था से पूर्व महिलाओं सहित समस्त जनसंख्या की हीमोग्लोबिन स्थिति को बढ़ाया जा सके।
- लौह और फोलेट समृद्ध भोजन के आहार को सुधारने के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।
- सारा साल सस्ती लागत पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हरी पत्तेदार सब्जियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए बागवानी हस्तक्षेप।

2. गर्भावस्था में अनीमिया का निवारण और प्रबंधन

- लौह और आयोडीन के साथ दोहरा प्रबंधन
- अनीमिया का पता लगाने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन अनुमानन।
- सभी गैर अनीमी महिलाओं के लिए मौखिक लौह फोलेट रोग निरोधक उपचार।
- हीमोग्लोबिन 8-11 जी/डीएल के साथ सभी गर्भवती महिलाओं के लिए अधिकतम सहनयोग्य खुराक पर लौह फोलेट मौखिक चिकित्सा।
- 5- < 8 जी/ डीएल हीमोग्लोबिन वाली सभी गर्भवती महिलाओं के लिए अन्तरापेशीय लौह।
- 5 जी/डीएल से कम हीमोग्लोबिन वाली सभी महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रवेश और सघन व्यक्तिगत चिकित्सा।
- प्रसव पूर्व और इन्ट्रापार्टम देखभाल के लिए सभी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बढ़ाना।
- 100 दिनों के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को लौह और फोलिक एसिड की 100 मिलीग्राम की प्रारंभिक लौह की गोलियां।

- उन गर्भवती महिलाओं को लौह और फोलिक एसिड की दो-दो गोलियां जिनमें 100 दिनों के लिए तीव्र अनीमिया के नैदानिक चिन्ह दिखाई देते हैं।

83. यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि गोलियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं प्रत्येक उप केन्द्र को औषध किट के अंश के रूप में हर वर्ष आईएफए बड़ी की 30,000 गोलियां प्राप्त होती हैं। लौह फोलिक एसिड की गोलियां सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। एनएफएचएस-2 के आंकड़ों से पता चला है कि आईएफए के अन्तर्गत केवल 57.6 प्रतिशत लोग ही आए। इस असंतोषजनक स्थिति के मुख्य कारणों का पता लगा लिया गया है और वह है औषधों की अनियमित आपूर्ति और अनुपयुक्त भण्डारण, महिलाओं द्वारा इसे स्वीकार न किया जाना, स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच कार्यक्रम के बारे में अच्छी जानकारी का न होना और राज्यों में इस कार्यक्रम का असंतोषजनक मानीटरन रहे हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए नौवीं योजना के दौरान कई उपाय किए गए हैं। गोलियों की पैकेजिंग को सुधारा गया है और अब ये एल्युमीनियम की स्ट्रिप पैकों में पैक किए जाते हैं। इससे नमी की समस्या को और गोलियों के रंग बदलने की समस्या को हल कर लिया जाएगा और इससे स्वीकार्यता सुधारी जा सकेगी। इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि अनीमिया के लिए गर्भावस्था में सार्वभौमिक स्क्रीनिंग को चालू किया जाए और आरसीएच कार्यक्रम में यथा परिकल्पित अनीमिक गर्भवती महिलाओं को उपयुक्त उपचार प्रदान किया जाए।

विटामिन डी

84. विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में आस्टियोमलेसिया (विशेषकर महिलाओं में) बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में एक सुमान्य क्लीनिकल अस्तित्व रहे हैं। बहरहाल, उत्तरार्द्ध में यह बताया गया था कि धुपहले भारत में रहने वाले लोग इस विटामिन की कमी से पीड़ित नहीं रहते हैं। आठवें दशक के दौरान यू.के. में प्रयास करने वाले भारतीयों में अध्ययन से विटामिन डी की कमी की विद्यमानता का पता चला, विशेषकर महिलाओं और नवजता बच्चों में। नवें के दशक में आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में उत्तर भारत के लोगों के बारे में किए गए अध्ययन से पता चला कि एक समूह को छोड़कर अधिकांशतः धूम में ही कार्य करता रहता था, शेष सब में 25(ओएच) विटामिन डी₃ का सामान्य से कम संकेन्द्रण था (तालिका 15)। विटामिन डी₃ से मौसमी विवरता है जिसमें सबसे कम स्तर शीतकालीन में रिकार्ड किया जाता है।

तालिका 15 धूप का प्रत्यक्ष सेवन और 25 (ओएच) विटामिन डी स्थिति

समूह	धूप का अधितम प्रभावन (न्यूनतम/दिन)	25 (ओएच) डीएमओएल/एल	डीटीएच (पूर्ण) मिग्र./एल	कुल कैल्सियम एमओएल/एल
सैनिक	370+3 ¹	47.17+11.73 ¹	17.6+4.8 ²	2.35+0.17 ¹
डॉक्टर/नर्स	25+5 ²	7.98+3.49 ³	38.8+18.2 ¹	2.17+0.10 ²
विरंगित विषय	5+5 ³	18.2+11.23 ²	35.5+12.6 ¹	2.22+0.10 ³

टिप्पणी: मूल्य माध्य +_ एसडी है। उसी कॉलम में दिए गए मूल्य जिन पर भिन्न सुपरस्क्रिप्ट है उल्लेखनीय रूप से पी < 0.05 से विभिन्न हैं।



स्रोत: डॉ० कोचू पिल्लै, एनएफआई बुलेटिन खण्ड 22, संख्या: 1, जनवरी, 2001.

85. विटामिन डी न्यून समूह में अस्थि खनिज मैटाबोलिज्म होमियोस्टेसिस का असंतुलन खो जाता है जब उन पर शीतकालीन मौसम का प्रभावन होता है, उच्च फाइटेड अन्तर्वस्तु के साथ आहार में कैल्सियम कम मिलता है, कम कैल्सियम और उच्च पैराथायरायड हारमोन स्तर होता है- यह सभी इस बात के सुझाव देते हैं कि उनमें सब क्लीनिकल आस्ट्रियोमलेशिया है। क्या सब-क्लीनिकल विटामिन डी की कमी दक्षिण भारत में भी पाई जाती है या नहीं, इसका पता नहीं लगाया गया है। बदलती हुई जीवन शैली और भारत में लोगों के अधिकांश समूहों में घरों के अन्दर रहने के कारण यह अधिक अच्छा होगा कि विटामिन डी की कमी के परिणाम का पता लगाने के लिए अध्ययन किए जाएं और स्वास्थ्य शिक्षा तथा जीवन शैली में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से प्रत्यक्ष धूप से प्रभावन की अवधि में वृद्धि करने के लिए सरल निवारणात्मक उपाय किए जाएं।

विटामिन बी कॉम्प्लैक्स और विटामिन सी की कमी

86. विटामिन बी कॉम्प्लैक्स का यथा रिबोफ्लेविन का उपयोग आरडीआई से बहुत कम है और इसमें पिछले कई वर्षों में कोई सुधार नहीं आया है (चित्र 17)। विशेष रूप से रिबोफ्लेविन और फोलिक एसिड जैसे विटामिन बी कॉम्प्लैक्स की कमी के जैव रसायन साक्ष्य लोगों के गरीब तबकों में व्यापक रूप से व्याप्त हैं। विटामिन बी कॉम्प्लैक्स की कमी के चिकित्सीय चिन्हों की विद्यमानता जैसेकि ग्लोसाइरिस और एंगूलर स्टोमैटायरिस समाज के गरीब तबकों में आम है। कमी के क्लीनिकल चिन्हों की विद्यमानता गर्भावस्था, दुग्धस्रवन अवस्था और बचपन में एंटीबायोटिक उपचार और संक्रमणों के पश्चात बहुत अधिक होती है। सामान्य मैटाबोलिक प्रक्रियाओं में इन विटामिनों के महत्व के पर्याप्त साक्ष्य हैं। फोलिक एसिड एरिथ्रोसाइट की परिपक्वता और अनीमिया के निवारण के लिए आवश्यक है। फोलिक कमी को न्यूरल ट्यूब दोषों के साथ जोड़ा जाता है, फोलेट कमी और परिणामित रक्त में उच्च होमोसिस्टीन फ्लेविन ऊर्जा के पारक्रमण प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए रिबोफ्लेविन की कमी रसायनिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए वृहद पोषकों के इष्टतम उपयोगीकरण के मार्ग में बाधक हो सकती है। भारत में बी 12 की कमी की समस्या के बारे में पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया गया है। भारतीय आहार की व्यापक रूप से शाकाहारी प्रकार के कारण बी 12 की कमी व्यापक रूप से लौह और फोलिक एसिड की कमी से ढक के रह जाती हो। यह आमतौर पर समझा जाता है कि भारत में विटामिन सी का उपयोग पर्याप्त है (चित्र 18)। फिर भी पकने के कारण इसकी पर्याप्त हानियां हो जाती हैं और इसलिए जो कुछ उपयोग किया जाता है उसके मुकाबले में वास्तविक उपलब्धता कहीं कम होगी। विटामिन सी की कमी और विटामिन बी कॉम्प्लैक्स की कमी के संभव परिणाम देश में प्रलेखबद्ध नहीं किए गए हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लैक्स की कमी को तद्विन्न प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के साथ संबंधित नहीं किया गया है और इसलिए इनके बारे में अन्वेषण की

भाँत अन्वेषण नहीं किया गया है। (क्लिनीशियन इन कमियों के बारे में पता लगने पर ही इनका उपचार करते हैं)। इन समस्याओं की सीमाओं को मानीटर करना और साथ ही उपयुक्त हस्तक्षेप करना आवश्यक है लेकिन कोई विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यक्रम नहीं है।



चित्र 17

चित्र 18

अध्याय 7

औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

जुलाई, 1991 में भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा से भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमिक रूप से एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। नई नीति का थ्रस्ट मुख्य रूप से पूंजी प्रौद्योगिकी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करना है ताकि प्रौद्योगिक कुशलता को बढ़ावा दिया जा सके और घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जा सके।

2. भारत सरकार समय-समय पर औद्योगिक नीति की रूपरेखा की समीक्षा करती आ रही है ताकि औद्योगिक क्षेत्र को पेश आ रही कार्यविधि संबंधी रूकावटों को दूर किया जा सके और थ्रस्ट प्रदान किया जा सके, ताकि भारत के औद्योगिक वातावरण को घरेलू और विदेशी उद्यमियों द्वारा और अधिक निवेश के लिए अनुकूल बनाया जा सके तथा भारतीय उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाया जा सके। इस समय केवल छः उद्योग अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत हैं और चार उद्योग मुख्य रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा और सामरिक लिहाजों से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। 811 वस्तुएं लघु उद्योग क्षेत्रक में विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं। 14 और मदों को आरक्षण से बाहर करना विचाराधीन है। शतप्रतिशत तक विदेशी साम्य की अनुमति दी गई है। आधारिक संरचना क्षेत्रक में मुख्य मदों के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन एक लघु नकारात्मक सूची के अलावा और एफडीआई प्रस्तावों के लिए विचार के लिए समय की रूपरेखा को कम करके 6 सप्ताह से 30 दिन कर दिया गया है। नवीनतम आयात-निर्यात नीति में उद्घोषित मुख्य उपायों के अलावा, जिनमें बी टू बी ई-कॉमर्स के लिए शतप्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है, 22 उपभोक्ता वस्तुओं के लाभांश संतुलन की शर्त को हटा दिया गया है, ऊर्जा क्षेत्र में और तेल शोधन में शतप्रतिशत विदेशी निवेश पर से नियंत्रण को हटा दिया गया है शतप्रतिशत तक एफडीआई का स्वचालित मार्ग विशेष रूप से आर्थिक जोनों में जिनमें सामरिक और पर्यावरणीय महत्व की वस्तुओं को छोड़ दिया गया है। सभी विनिर्माण कार्यकलापों के लिए अनुमत कर दिया गया है। एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग में कर दी गई है ताकि विदेश निवेशकों और सरकार के बीच एकलबिन्दु इन्टरफेस प्रदान किया जा सके।

औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन

3. भारतीय उद्योग ने नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान औद्योगिक वृद्धि में चक्रीय प्रवृत्ति का अनुभव किया है। 1998-99 में धीमी औद्योगिक वृद्धि का अनुभव करने के पश्चात इसने 1999-2000 वर्ष के आसपास 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी। एक बार फिर वर्ष 2000-2001 में औद्योगिक वृद्धि कम होकर 4.9 प्रतिशत रह गई है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) में जिन तीन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और जो विनिर्माण, खनन और उत्खनन और विद्युत हैं, विनिर्माण क्षेत्र में कमी देखने में आई है (आईआईपी में 7.36 प्रतिशत भार) जिसकी 2000-2001 के दौरान 5.2 प्रतिशत वृद्धि दर थी जोकि पिछले वर्ष में 7.1 प्रतिशत थी। बिजली क्षेत्र में भी वृद्धि दर 2000-2001 में कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गई है जबकि 1999-2000 में इसकी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत थी। खनन क्षेत्र में 2000-2001 के दौरान 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाकर कुछ सुधार किया है जबकि पिछले वर्ष में इसकी वृद्धि दर 1.00 प्रतिशत थी।

4. उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार 2000-2001 के दौरान मिश्रित प्रवृत्तियां देखने में आई हैं। टिकाऊ और गैर-टिकाऊ सामान सहित उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि दर में वर्ष 2000-2001 में 7.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी। बुनियादी वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं और मध्यस्थ वस्तुओं की वृद्धि दर में बहुत अधिक कमी आई और अनुमान है कि यह कम होकर 2000-2001 में क्रमशः 3.8 प्रतिशत, 1.4 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत रह गई जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 6.90 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत थी। 6 कोर और आधारिक संरचना उद्योगों, नामतः बिजली, कच्चा तेल, रिफायनरी, कोयला, इस्पात, सीमेन्ट, जिनका कुल मिलाकर आईआईपी में भार 26.7 प्रतिशत था, में 2000-2001 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1999-2000 में यह 9.1 प्रतिशत थी। सरकार ने 2001-2002 के बजट में बहुत से नीति संबंधी उपायों की घोषणा की है ताकि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया जा सके और यह आशा की जाती है कि नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में औद्योगिक वृद्धि में सुधार आएगा।

5. नीचे तालिका 7.1 में 1997-98 और 1999-2000 के दौरान कार्य निष्पादन की तुलना में 2000-2001 के दौरान दो अंकों के स्तर पर औद्योगिक उपक्षेत्रों के निष्पादन में प्रवृत्तियां प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 7.1
औद्योगिक उपक्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की प्रवृत्तियां
वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

उद्योग कोड	उद्योग का नाम	आईआईपी में भार	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
20-21	खाद्य उत्पाद	9.08	-0.40	0.70	4.20	10.0
22	पेय और तम्बाकू	2.38	19.40	12.90	7.60	4.7
23	सूती वस्त्र	5.52	2.40	-7.70	6.70	3.0
24	गर्म, रेशमी और मानव निर्मित तन्तु वस्त्र (सूती को छोड़कर)	2.26	18.50	2.80	11.90	5.4
25	पटसन के वस्त्र	0.59	16.90	-7.30	-0.90	0.8
26	वस्त्र उत्पाद	2.54	8.50	-3.50	2.00	3.6
27	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	2.70	-2.60	-5.80	-16.20	3.6
28	कागज और कागज उत्पाद	2.65	6.90	16.00	6.30	-9.3
29	चमड़ा और फर उत्पाद	1.14	2.20	8.10	13.80	10.6
30	रसायन और रसायन उत्पाद	14.00	14.40	6.60	10.00	7.5
31	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम	5.7	5.20	11.30	-1.10	10.9

32	अधात्विक खनिज उत्पाद	4.39	13.40	8.30	24.40	-2.0
33	बुनियादी धातु और मिश्र धातु	7.45	2.60	-2.50	5.00	1.6
34	धातु उत्पाद और पुर्जे	2.81	7.90	17.00	-1.20	15.4
35-36	मशीनरी और उपस्कर	9.57	5.80	1.50	17.70	7.9
37	परिवहन उपस्कर	3.98	2.50	20.10	5.70	-2.1
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	-1.30	1.00	-16.00	7.5
प्रभाग 2-3	विनिर्माण	79.36	6.70	4.40	7.10	5.2
प्रभाग 1	खनन	10.47	6.90	-0.80	1.00	3.4
प्रभाग 4	बिजली	10.17	6.60	6.50	7.30	4.0
	सामान्य	100.0	6.70	4.10	6.70	4.9

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

टिप्पणी: अप्रैल, 1998 के पश्चात के सूचक संशोधित भार पर आधारित हैं।

6. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि खाद्योत्पाद, काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, धातु उत्पाद और पुर्जे और अन्य विनिर्माण उद्योगों जैसे उद्योग के कुछ उपक्षेत्रों में वर्ष 2000-2001 के दौरान सुधार हुआ है। खाद्य उत्पाद, धातु उत्पाद, और पुर्जे, रबड़, प्लास्टिक्स और पेट्रोलियम और अन्य विनिर्माण उद्योगों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इनकी वृद्धि दरें 2000-2001 में क्रमशः 10.0 प्रतिशत, 15.4 प्रतिशत, 10.9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत हो गई हैं जबकि पिछले वर्षों में यह क्रमशः 4.20 प्रतिशत, और 1.20 प्रतिशत और 1.10 प्रतिशत थीं तथा 16.0 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि दरें रही हैं। पेय पदार्थों और तम्बाकू, सूती वस्त्र, ऊन, रेशमी और मानव निर्मित तन्तु वस्त्र, चमड़ा और फर उत्पादों रसायन और रासायनिक उत्पादों, मशीनों और उपस्कर के उपक्षेत्रों में वृद्धि दरों में तीव्रता से कमी आई है और कागज और कागज उत्पादों और अधात्विक खनिज उत्पादों की स्थिति में तो यह नकारात्मक हो गई थी।

7. 2000-2001 के दौरान औद्योगिक वृद्धि के कम होने के कई महत्वपूर्ण कारक हैं, पूंजी बाजार का अच्छी हालत में न होना, देशी मांग की कमी, विशेषकर मध्यस्थ सामान और पूंजीगत सामान में, ऊंची तेल कीमतें, कुछ क्षेत्रों में अधिक क्षमता की मौजूदगी, कारोबार चक्र, अन्तर्निहित समायोजन, औद्योगिक पुनःसंरचना में कमी, अवसंरचनात्मक प्रतिबंध विशेषकर विद्युत, परिवहन और सड़क क्षेत्र में, गुजरात भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाएं, उच्च ब्याज दरें, जिसका निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, चीन से व अन्य देशों से प्रतियोगिता और विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी।

बॉक्स 7.1

औद्योगिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

पूँजीगत बाजार के अच्छी हालत में न होने के कारण घरेलू मांग में कमी
पूँजीगत वस्तुओं के लिए कम मांग
विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी
कुछ क्षेत्रों में अधिक क्षमता की मौजूदगी
विद्युत, परिवहन, संचार आदि जैसी आधारिक संरचना की कमी
उच्च ब्याज दरें जिनका निजी निवेश पर प्रभाव पड़ा, और
गुजरात भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाएं

8. भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में मंदी को रोकने के लिए और वर्ष 2001-2002 में औद्योगिक उत्पादन में सुधार के लिए कई नीति संबंधी उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में उत्पाद शुल्कों का युक्तियुक्तकरण और इसमें कमी। ब्याज दरों में कमी, श्रम कानूनों में लचीलापन, कंपनियों के लाभांश पर करों में कमी, एसआईसीए को रद्द करने का प्रस्ताव, और कंपनी अधिनियम में संशोधन और राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना, उत्पादन और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क उन्मुक्ति की सीमा को बढ़ाकर 1.00 करोड़ तक करना, एसएसआई के लिए उधार गारंटी निधि, एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना, वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि से वित्तपोषण द्वारा करघों का आधुनिकीकरण, सूती (वस्त्र) प्रौद्योगिकी मिशन को जारी रखना और इसे सुदृढ़ बनाना, पुरानी कारों के आयात पर बुनियादी सीमाशुल्क को बढ़ाना, मनोरंजन उद्योग में उपयोग के लिए सिनेमैटिक कैमरों और अन्य संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी करना, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी, ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के कार्पस को बढ़ाना और इस पर वसूल किए जाने वाले ब्याज में आधे प्रतिशत की कमी करना, सिले-सिलाए कपड़ों को आरक्षण से बाहर करना, और चालू वर्ष में 14 एसएसआई वस्तुओं का प्रस्तावित अनारक्षण। इन उपायों को नीचे दिए गए बॉक्स 7.2 में उजागर किया गया है।

बॉक्स 7.2

औद्योगिक वृद्धि में सुधार लाने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय

उत्पाद शुल्क का युक्तियुक्तकरण और कमी

ब्याज दरों में कमी

श्रमिक कानूनों में लचीलापन

कंपनियों के लाभांशों पर करों में कमी

एक राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करना और एसआईसीए को रद्द करने का प्रस्ताव

रोजगार और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एसएसआई क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क उन्मुक्ति को एक करोड़ रुपये की सीमा तक दुगना करना

उधार गारंटी निधि-एसएसआई के लिए

एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना

वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि से वित्तपोषण द्वारा करघों का आधुनिकीकरण

सूती (कपास) प्रौद्योगिकी मिशन को जारी रखना और उसे सुदृढ़ बनाना

पुरानी कारों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को बढ़ाना

सिनेमैटिक कैमरों और अन्य संबंधित उपकरणों के ऊपर, जिनका मनोरंजन उद्योग में उपयोग होता है, आयात शुल्क में कमी करना

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र की कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी

ग्रामीण आधारिक संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के कार्पस को बढ़ाना और इस पर वसूल किए जाने वाले ब्याज में आधे प्रतिशत की कमी करना

वस्त्रों का अनारक्षण, और

14 चालू वर्ष के बजट भाषण में प्रस्तावित एसएसआई वस्त्रों का अनारक्षण

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

9. 2000 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान 19341.74 करोड़ रुपये तक का एफडीआई अंतःप्रवाह हुआ, इसके मुकाबले 1999-2000 में यह राशि 16867.79 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार समवर्ती पिछले वर्ष पर 14.67 प्रतिशत की वृद्धि से एक सकारात्मक प्रवृत्ति एफडीआई अंतःप्रवाह में देखने में आई है। 1991 से लेकर आज तक अनुमोदनों के मूल्यांकन से पता चला है कि निवेश के लिहाज से यूएसए का स्थान सबसे ऊपर है और इसके पश्चात मारीशस, यू.के., और जापान तथा कोरिया का है।

10. सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्प्युनिकेशन सिस्टम जैसे नए क्रियाकलापों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है और ऊर्जा क्षेत्र, तेल रिफाइनिंग, सड़कों और राजमार्गों, पत्तनों और बंदरगाहों, वाहन सुरंगों और

वाहन पुलों को स्वचालित मार्ग के अधीन लाकर इनमें 100 प्रतिशत तक एफडीआई को ला दिया है। स्वचालित वर्ग के अधीन 26 प्रतिशत तक एफडीआई बीमा क्षेत्र में भी अनुमति है बशर्ते कि वे इन्शोरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट एथारिटी से लाइसेंस प्राप्त कर लें।

11. 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में मूल्यांकन निवेश अध्ययनों से संबंधित प्रस्तावों में प्रगामी उदारीकरण निम्नलिखित हैं- वित्तीय संस्थागत निवेशक (एफआईआई) कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक पोर्टफोलियो के अधीन निवेश कर सकते हैं और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शतप्रतिशत तक हर मामले के गुण-दोष के आधार पर अनुमेय है। शर्त यह है कि उनके धारण के 25 प्रतिशत का घरेलू बाजार में विनिवेशित हो।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार और पुनर्गठन

12. भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अपनाया है ताकि सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्यमों के भीतर सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक लाया जा सके, संभावित रूप से लाभप्रद सार्वजनिक उद्यमों की पुनःसंरचना की सके तथा उनका पुनरुद्धार किया जा सके, जिन सार्वजनिक उद्यमों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है उन्हें बंद कर दिया जाए और कामगारों के हितों की पूरी रक्षा की जाए। सुरक्षा कवच के रूप में सरकार ने एक स्वैच्छिक पृथक्करण योजना की शुरुआत की जिसमें वीआरएस के बराबर ही लाभ प्रदान किए गए ताकि सार्वजनिक उद्यमों के कामगारों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके।

13. एक नए विनिवेश विभाग की स्थापना की गई है ताकि सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश को थ्रस्ट प्रदान किया जा सके। विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के प्राधिकरणों में केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के निवेश से संबंधित सभी मामलों, विनिवेश संबंधी निर्णयों के कार्यान्वयन और पूर्ण विनिवेश आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

14. 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में वर्ष 2000-2001 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेशों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुमाने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय विनिवेश विभाग उन लगभग 30 सार्वजनिक उद्यमों/सार्वजनिक उद्यमों की सहायक कंपनियों में कार्य कर रहा है जहां संयुक्त उद्यम भागीदार का पता लगाने के लिए सरकार ने विनिवेश के लिए निर्णय लिए हैं।

बॉक्स 7.3
चिन्ता के क्षेत्र

हाल ही में औद्योगिक वृद्धि की दरों में कमी
कम सार्वजनिक निवेश के कारण मांग में कमी
पूँजीगत वस्तुओं की असंतोषजनक वृद्धि दर
सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में धीमी प्रगति
जिन बहुत सी कंपनियों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता उन्हें बंद करने में देरी
बीआईएफआर प्रक्रियाएं समय साध्य और असंतोषजनक है
एसआईसीए अधिनियम को रद्द करना
आधारिक संरचना की अपर्याप्त उपलब्धता और असंतोषजनक गुणवत्ता
उर्वरकों के लिए फीडस्टाक बनाने और कीमत निर्धारण नीति में देरी, एंटी-डम्पिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

पिछड़े वर्गों का औद्योगीकरण

15. देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जून, 1988 में वृद्धि केन्द्र योजन (ग्रोथ सेंटर्स स्कीम) की घोषणा की थी। राज्यों द्वारा केन्द्रों के कार्यान्वयन में प्राप्त मौलिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर अनुमोदित वृद्धि केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। 31.12.2000 तक वृद्धि केन्द्रों को, जो केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है वह 316.71 करोड़ रुपये की है और इसमें राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों का योगदान 576.28 करोड़ है। 2001-2002 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

16. 71 केन्द्रों में से अब तक 68 वृद्धि केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। 14 वृद्धि केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गईन्द्रो। 27 वृद्धि केन्द्रों अभी परिलक्षित होनी है और 16 वृद्धि केन्द्रों में अभी प्रगति ने काम करना शुरू कर दिया है और ऐसे मामलों में सरकारों को प्रगति में तेजी लाने का परामर्श दिया गया है। वृद्धि केन्द्रों की असंतोषजनक प्रगति मुख्यतया पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी राज्यों से है।

17. भारत सरकार ने दिसम्बर, 1999 में वृद्धि केन्द्रों के लिए प्रति केन्द्र 10 करोड़ से 15 करोड़ के केन्द्रीय योगदान की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के लिए एक औद्योगिक पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस राज्य में दो वृद्धि केन्द्रों को मंजूरी दी गई है जिनके अधीन प्रत्येक वृद्धि केन्द्र के लिए केन्द्रीय योगदान को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिए जाने का प्रस्ताव है जैसाकि पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति में किया गया है। उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के तीन नवसृजित राज्यों में वृद्धि केन्द्रों को केन्द्रीय योगदान बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

18. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के आठ पहाड़ी जिलों के पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1971 में परिवहन रियायत स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम के अधीन नामित रेल शीर्षो/पत्तनों से/को कच्चे माल और तैयार माल के लाने-ले जाने के लिए किए गए परिवहन लागत पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक दरों पर रियायत सभी औद्योगिक ईकाइयों को, लागत रिफाइनरियों और बिजली निर्माण करने वाले युनिटों को छोड़कर, दी जाती है। स्कीम प्रतिपूर्ति के आधार कार्य करती हैं अर्थात् रियायत पहले संबंधित राज्यों/संघ शाषित प्रदेशों को पात्र युनिटों को संवितरित की जाती है और संवितरण का केन्द्रीय सरकार से दावा किया जाता है। इस स्कीम के आरंभ से 31.12.2000 तक विभिन्न राज्यों/संघ शाषित प्रदेशों को 574.13 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस स्कीम को 31.3.2007 तक बढ़ा दिया गया है। 2001-2002 के दौरान स्कीम के लिए 90 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है।

19. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में प्राधिकरणों की स्थापना के लिए करों की छुट्टी योजना को 31.3.2002 तक बढ़ा दिया गया है।

क्षेत्रक प्रोफाइल

इंजीनियरी उद्योग

20. इंजीनियरी उद्योग में मुख्यतया पूंजीगत वस्तु उद्योग और परिवहन उपस्कर आते हैं और उनकी विस्तृत आगामी और पिछड़ी संलग्नताएं हैं। 1999-2000 के दौरान इंजीनियरी क्षेत्र ने 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की जो कि मुख्यतया विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दरें दर्ज करने के कारण है। 2000-2001 वर्ष में यह वृद्धि कम होकर 6 प्रतिशत रह गई जिसका मुख्य कारण पूंजीगत वस्तु, बिजली, भारी गाड़ियों, कागज और कागज उत्पादों जैसे कुछ क्षेत्रों का निष्पादन अच्छा न होने के कारण था। सरकार ने कई नीति संबंधी पहलें की हैं ताकि औद्योगिक विकास दर में तेजी लाई जा सके, इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में सुधार, निर्यात-आयात नीति, आधारीक संरचना विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार शामिल है ताकि उद्योगों को अपनी कुशलता, उत्पादकता, और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सुधारने में सहायता की जा सके। आटोमोटिव उद्योग जिसमें आटोमोबाइल और संघटक क्षेत्र शामिल हैं, ने इस क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने के समय से पर्याप्त वृद्धि की है। आटोमोबाइल उद्योग का पण्यवर्त 1999-2000 में 44,338 करोड़ रुपये था जबकि 1998-1999 में यह 36,000 करोड़ रुपये का था। बहरहाल, वर्ष 2000-2001 में इस क्षेत्र में भी वृद्धि दर में कमी आई है।

21. भारी उद्योग विभाग के अधीन 48 सार्वजनिक उद्यम हैं जोकि विनिर्माण, ठेका कार्यकलापों में लगे हुए हैं। इन 48 सार्वजनिक उद्यमों में से 1999-2000 में 12 ने लाभ कमाया और शेष 36 को हानि हुई। 27 सार्वजनिक उद्यमों का मामला वीआईएफआर को भेजा गया है। 2000-2001 के दौरान हानि का अनुमान 527.47 करोड़ रुपये का है। उत्पादन में आई कमी, जोकि मांग में कमी, कार्यकारी पूंजी की कमी। अधिशेष मानव शक्ति, अप्रचलित मशीनों और संयंत्र और झिपुटों की लागत में वृद्धि। सार्वजनिक

उद्यमों के पुनर्गठन के लिए उपाय किए जा रहे हैं ताकि इनकी प्रतियोगिता में वृद्धि की जा सके और दीर्घकालीन व्यवहार्यता को बढ़ाया जा सके। पहले से अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में भारत सरकार द्वारा 637 करोड़ रुपये तक की निधियों को नए सिरे से लगाना और 2063 करोड़ रुपये की वित्तीय पुनःसंरचना शामिल है। पुनरुद्धार योजना के अलावा, जोकि वीआईएफआर द्वारा मंजूर की गई है, सरकार ने 6 सार्वजनिक उद्यमों की पुनःसंरचना योजनाओं को मंजूरी दी है, नामतः हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी, नेपा लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, प्रागा टूल्स लिमिटेड और एचएमटी लिमिटेड।

22. डीएचआई के 15 सार्वजनिक उद्यमों के मामले विनिवेश करने/संयुक्त उद्यमों का निर्माण करने के लिए विनिवेश विभाग को सौंपे गए हैं। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर सार्वजनिक उद्यमों को वर्तमान स्थिति पर सावधानी से विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि ऐसी सार्वजनिक उद्यमों को बंद करने के बारे में कार्रवाई की जाए। उपर्युक्त सार्वजनिक उद्यमों में से दो की स्थिति में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उन्हें बंद करने की अनुमति दी गई है। ये दो हैं: वेवर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) और रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईसी) 2000-2001 में इन सार्वजनिक उद्यमों को बजटीय समर्थन के रूप में सरकार द्वारा 230 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। एचएमटी लिमिटेड के अलाभप्रद युनिटों को बंद करने और हानि उठाने वाली रिफ़ैक्ट्री युनिट- बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को बंद करने की अनुमति भी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा दी जा चुकी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मांड्या नेशनल पेपर मिल को बंद करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

23. नवरत्न कंपनी बीएचईएल आजकल विद्युत क्षेत्र में सभी प्रणालियों और उपकरणों का एक मुख्य एकलविन्दु आपूर्तिकर्ता है। इसके 14 विनिर्माण संयंत्र हैं, 8 सेवाकेन्द्र हैं और 4 पावर सेक्टर क्षेत्रीय केन्द्र हैं। इसके अलावा इसकी परियोजना साइटें और क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भारत भर में और विदेशों में फैले हुए हैं। 2000-2001 के दौरान 2437 एमडब्ल्यू स्टीम टर्बाइन, 2027 एमडब्ल्यू टर्बो जनरेटर, 501 एमडब्ल्यू हाइड्रो टर्बाइन और 355 एमडब्ल्यू हाइड्रो जनरेटरों की पूर्णता के लिए योजना बनाई गई थी। इसके अलावा 17 गैर टर्बाइनों और 11 गैस टर्बो जनरेटरों को भी वर्ष के दौरान बजटित किया गया था। इसके अलावा अन्य मुख्य मर्दे यथा, 135180 एमटी ब्वायलरों और वाल्वों, 11281 एमवीए ट्रांसफार्मों, 15 डीजल शंटरो, 875 मोटरों, 220 ट्रेक्शन मशीनों को भी बजटित किया गया था। 2000-2001 में कंपनी ने 650 करोड़ रुपये के (नवम्बर, 2000 तक) आर्डर बुक किए गए हैं। सबसे बड़ा विदेशी टर्न-की सब-स्टेशन संविदा, जिसका मूल्य 68 करोड़ रुपये है, जांबिया से प्राप्त हुआ है। बंगलादेश से 9 गैरटरबाइन आधारित विद्युत संयंत्र और इराक से गैर टरबाइन जनरेटिंग युनिटों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए निर्यात आदेश भी प्राप्त किए गए हैं। कंपनी द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 6800 करोड़ रुपये का पण्यवर्त प्राप्त किए जाने की आशा है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)

24. कंपनी, कई प्रकार के परिष्कृत दूरसंचारी केबलों और तारों के विनिर्माण में व्यस्त है और रेलवे, संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। कंपनी पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन किया गया था जिसमें सी-डॉट और एमटीएनएल से आर्डरों का आरक्षण भी शामिल है। तब से कंपनी के कार्यनिष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है और इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1998-1999 में इसका उत्पादन 217 करोड़ रुपये का था, 1998-1999 में यह बढ़कर 784 करोड़ रुपये का हो गया जिसका अभिप्राय है कि उत्पादन में 260 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आशा है कि 2000-2001 के दौरान कंपनी का उत्पादन 909.81 करोड़ रुपये का होगा। विनिवेश/संयुक्त उद्यम निर्माण के लिए कंपनी का मामला विनिवेश विभाग को भेजा गया है।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)

25. मौजूदा सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए कंपनी ने कई विविधीकरण योजनाओं को कार्यान्वित किया है यथा, वायु और गैस पृथक्करण संयंत्रों का विनिर्माण, औद्योगिक ब्वायलरों का विनिर्माण और डिजाइन। आशा है कि कंपनी का उत्पादन 2000-2001 में 270 करोड़ रुपये का होगा। विनिवेश/संयुक्त उद्यम निर्माण के लिए कंपनी का मामला विनिवेश विभाग को भेजा गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी)

26. कंपनी की एक बृहत् प्रतिवर्तन योजना का भारत सरकार द्वारा जुलाई 2000 में अनुमोदन किया गया था। संगठनात्मक और वित्तीय पुनःसंरचना के मुख्य तत्व हैं, भारत सरकार द्वारा 395 करोड़ रुपये तक नया विनिवेश पांच अलाभप्रद युनिटों को बंद करना, कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश करना आदि। प्रतिवर्तन योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। आशा है कि 2000-2001 के दौरान एचएमटी का उत्पादन 891.58 करोड़ रुपये का होगा।

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

27. उक्त कंपनी माइक्रोप्रोसेसर आधारित और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड नियंत्रण प्रणालियों के विनिर्माण में व्यस्त है। कंपनी रूग्ण बन गई थी और इसका मामला वीआईएफआर को भेजा गया था। वीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। इस बीच विनिवेश/संयुक्त उद्यम निर्माण के लिए कंपनी का मामला विनिवेश विभाग को भेजा गया है। बोलियां आमंत्रित की गई हैं ताकि इक्विटी के 51 प्रतिशत की पेशकश के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा सके। आशा है कि 2000-2001 के दौरान कंपनी का उत्पादन 145 करोड़ रुपये का होगा।

अनुसंधान और विकास कार्यकलाप

28. नवीन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के लिए युनिटों/यूएनडीपी की सहायता से पांच संस्थानों की स्थापना की गई हैं। ये हैं, फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोलूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नालॉजी, सेंटर फार इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नालॉजी और वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्लुइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत से संगठनों की आईएसओ 9000 प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता की है। ऐसा करते हुए उनके रेफरेंस/मास्टर इंस्ट्रूमेंटों का राष्ट्रीय मानकों के साथ उनकी अनुमार्गनीयता का अंशांकन किया है। पोलूशन कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट विभिन्न उद्योगों और तापीय बिजलीघरों को नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करता है। सेंटर फार इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नालॉजी में ऐसी क्षमताएं हैं कि वे सभी इलेक्ट्रानिकी पावर्ड वैहीकल डिजाइनों के सभी पक्षों का विश्लेषण और परीक्षण करता है और उनके कार्यनिष्पादन, विश्वसनीयता और कुशलता में सुधार करता है। उद्योग के लिए बहुत से सिरेमिक उत्पादों का विकास सिरेमिक टेक्नालॉजीकरण इंस्टीट्यूट और वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया है और उनमें से कुछ का वाणिज्यीकरण भी किया गया है। वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीटीजेड जर्मनी के साथ एक करार किया है कि वह परियोजना के दूसरे चरण में वेल्डिंग में सहकारी अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करें।

जलयान निर्माण और जलयान मरम्मत उद्योग

29. देश में जहाज बनाने के 28 कारखाने हैं जिनमें से 7 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, दो राज्य क्षेत्र में हैं और शेष निजी क्षेत्र में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सात जहाज बनाने के कारखानों में से 4 जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। ये हैं: हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डाक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता और सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कलकत्ता। जहाज निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के जहाज बनाने के निर्माण की क्षमता का उपयोग अच्छा नहीं रहा है। क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के मुख्य कारण हैं: पर्याप्त आर्डरों की कमी, स्वदेशी जहाज की अधिक कीमतें होने के कारण शिपमालिकों का आर्डर देने में संकोच और अन्तर्राष्ट्रीय जहाज निर्माताओं की तुलना में जहाँ निर्माण में अधिक अवधि का लगना।

30. सार्वजनिक क्षेत्र के जहाज निर्माता यूनिटों के बीच, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वित्तीय पुनःसंरचना के पश्चात, यार्ड ने अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर ली है और अपनी लाभप्रदता की स्थिति को सुदृढ़ किया है। शिपयार्ड ने 1999-2000 के दौरान 44.39 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है। कंपनी का समग्र कार्यनिष्पादन पिछले तीन वर्षों से उत्कृष्ट आंका गया है।

31. हिन्दुस्तान शिपयार्ड को निरन्तर हानि हो रही है, क्योंकि इसे जहाज निर्माण के लिए आदेश नहीं मिल रहे हैं, जो कि इसका कार्यकलाप है और इसमें मानवशक्ति की अधिकता है। एचएसएल जहाजों की मरम्मत के कार्यकलाप, फ्लोटिंग डाक के अभिग्रहण, इस्पात संयंत्रों, रेलवे, शिपिंग उपस्करों के विनिर्माण आदि के लिए संरचना संविरचना के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण पर अधिक बल दे रहा है। सरकार ने कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

32. शिपविल्लिंग सब्सिडी स्कीम, जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए अगस्त, 1997 में दुबारा शुरू किया गया था, को अगस्त, 2000 में और अधिक संशोधित किया गया है ताकि उसे आकर्षक बनाया जा सके और शिपयार्डों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे नए आर्डर प्राप्त कर सकें। सरकार ने एचएसएल की पूंजी संरचना का भी अनुमोदन किया है ताकि उसे उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए लाभप्रद और आकर्षक बनाया जा सके।

पेट्रोकेमिकल्स

33. भारतीय पेट्रो रसायन उद्योग ने उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से तीव्र प्रगति की है। मुख्य पेट्रो रसायनों (तन्तु मध्यस्थों को छोड़कर) का उत्पादन 1999-2000 में 4253 किलोटन था जोकि 2000-2001 में बढ़कर 5124 किलोटन हो गया जिससे 20.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इसी प्रकार, मुख्य पेट्रो रसायनों का उपभोग 2000-2001 के दौरान 17.6 प्रतिशत बढ़ा है। इसे प्रतियागी बनाए रखने के लिए, जबकि टैरिफ बैरियरों में कमी आ गई है, पेट्रो रसायन उद्योग आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बढ़िया पेट्रो रसायनिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है।

34. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) में सरकार के इक्विटी धारण के 25 प्रतिशत के विनिवेश की प्रक्रिया और साथ ही कार्यनीति संबंधी बिक्री के माध्यम से प्रबंधन के नियंत्रण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया था। सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की पेशकश के साथ यह फैसला किया है कि आईपीसीएल के बड़ोदरा कॉम्प्लैक्स को आईओसी को स्थांतरित कर दिया जाए और शेष आईपीसीएल में इक्विटी के 25 प्रतिशत का विनिवेश कर दें। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बीच शेष आईपीसीएल की बिक्री के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

35. ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलाएन्स असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बीच गैस की आपूर्ति के करार पर 19 अक्टूबर, 2000 को हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट को, जिसका कार्यान्वयन रिलाएन्स असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाना है और जोकि रिलाएन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है। गैस की आपूर्ति की जा सके। असम की राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

36. पेट्रो रसायनों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने देश में कई पेट्रो रसायन कॉम्प्लैक्सों की स्थापना का अनुमोदन किया है।

37. पेट्रो रसायन उद्योग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आसान बनाने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री मानटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में “पेट्रो रसायनों पर कार्यबल” नामक एक उच्च शक्ति प्राप्त पेट्रोकेमिकल विजन 2010 एडवाइजरी ग्रुप की स्थापना की गई है। इसके सदस्यों में लब्ध प्रतिष्ठ उद्योगपति, अर्थशास्त्री और टेक्नोक्रेट शामिल हैं।

रसायन और कीटनाशक

38. रसायन और पीड़कनाशी उद्योग एक अत्यधिक विषम उद्योग है जिसमें कई क्षेत्र आते हैं, यथा आर्गेनिक और अनआर्गेनिक रसायन, रंगरोगन, रंजक पदार्थ, विशेषता रसायन, कीटनाशक आदि कुछ प्रमुख अलग-अलग रसायन उद्योग हैं: कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, कार्बन ब्लैक, फिनोल, एसेटिक एसिड, मिथानोल और एजो डाइज। रसायन उद्योग ने 2000-2001 के दौरान 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की जबकि 1999-2000 में इसने 21.8 प्रतिशत वृद्धि की थी। भारतीय रसायन उद्योग का पण्यावर्त 1996-1997 में 900 अरब रूपयों के मुकाबले में 1150 अरब रूपये तक जा पहुंचा है और इससे इसका विश्व में 13वां स्थान हो गया है। यह देश के विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का 14 प्रतिशत योगदान करता है। इस क्षेत्र से 140 अरब रूपये का निर्यात होता है और यह देश के कुल निर्यात का 10 प्रतिशत है।

39. अप्रैल, 2001 के पश्चात, परिमाणत्मक पाबंदियों को समाप्त करने के साथ साथ रसायन उद्योग को पहली बार वैश्विक प्रतियोगिता के पूर्ण भार का सामना करने का मौका मिलेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए देश के भीतर और बाहर महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारीपूर्ण उद्योगों की जरूरत है।

40. कीटनाशक उद्योग ने पर्याप्त रूप से विकास किया है और उसने भारत की कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्राकृतिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के अलावा, जैव कीटनाशकों का उपयोग भी देश में बढ़ता जा रहा है। देश से कीटनाशकों का निर्यात भी 1988-1989 में 64 करोड़ रूपये से बढ़कर 1999-2000 में लगभग 1500 करोड़ रूपये हो गया है। इसके मुकाबले में औसतन आयात लगभग 150 करोड़ रूपये का होता है। अभी भी निर्यात में वृद्धि की शानदार संभावनाएं हैं क्योंकि विश्व की कीटनाशकों की कुल मांग लगभग 140000 करोड़ रूपये की है। देश के तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों का कुल उपयोग 1990-1991 में 75 हजार टन से कम होकर 1998-99 में 49160 टन रह गया है क्योंकि एकीकृत पेस्ट प्रबंधन कीटनाशकों को स्वीकार कर लिया गया है और किसानों ने ऊपर से फुहारन के उपाय से बचने के प्रयासों को बढ़ा दिया है। भारत में कुल फसल उत्पादन का 20-30 प्रतिशत मांग कीटों के कारण नष्ट हो जाता है और परिणामित वार्षिक हानि का अनुमान 15000 करोड़ रूपये का है। अतः कृषि उत्पादन में कीटनाशकों की भूमिका के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। यद्यपि राज्य कृषि विस्तार अधिकारियों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों आदि के घनिष्ठ सहयोग से किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित और युक्तियुक्त उपयोग के बारे में शिक्षा प्रदान करने के कीटनाशकों के विनिर्माताओं के प्रयास श्लाघा योग्य हैं, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रोत्साहक प्रयासों की आवश्यकता है।

41. भारतीय रंजक पदार्थ उद्योग ने स्वतंत्रता के पश्चात उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत उन्हीं देशों को रंजक और मध्यस्थ पदार्थों का निर्यात करता है जहां से अभी हाल के अतीत तक इनका आयात किया जाता था। इस उद्योग ने पिछले दशक में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर की है और यह एशियाई क्षेत्र में रंजकों और रंजक मध्यस्थों के दूसरे बड़े निर्माता के रूप में उभर कर सामने आया है।

42. रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) के अधीन दायित्वों को वहन करने के योग्य होने के लिए प्रत्येक देश के लिए यह आवश्यक है कि वह आंतरिक विधायन रखे जोकि अनुसूचित रसायनों में विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सही जानकारी प्रदान करना आवश्यक बनाए। सीडब्ल्यूसी एक्ट को 28 अगस्त, 2000 को अधिसूचित किया गया है।

43. हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) और हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) विनिवेश की प्रक्रिया में हैं। जबकि दोनों कंपनियों के बारे में सौदे के लिए वैश्विक परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर ली गई है, एचआईएल की स्थिति में बोलीकर्ताओं की संक्षिप्त सूची बनाई गई है और बोलियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

औषध और भेषज

44. औषध और भेषज उद्योग विकासशील देशों में एक सबसे बड़ा और सबसे अधिक उन्नत उद्योग है। यह बढ़िया किस्म की थोक औषधियों और निर्मिताओं का निर्माण करता है जोकि बहुत से मुख्य उपचार पद्धतियों से संबंधित है। इस दौरान औषधों और भेषजों के निर्यात में 1998-1999 की अपेक्षा लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

45. सभी पांचों सार्वजनिक उद्यम रूग्ण हैं। बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने वीआईएफआर के पुनर्वास पैकेज को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है और कंपनी वहाँ बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। बहरहाल, बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, स्मिथ स्टेनिस्टीयर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के मामले में, बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाएं असफल रही हैं और संशोधित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। आईडीपीएल की स्थिति में बीआईएफआर ने 5.7.2000 को हुई अपनी सुनवाई में इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, मुंबई का, जोकि इसकी आपरेटिंग एजेन्सी है, पट्टे पर देने/समायोजन/विलय के लिए प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी करे।

46. विश्व मानकों तक उद्योग का उन्नयन करने के लिए कीमत तंत्र को और अधिक युक्तियुक्त बनाने के लिए और भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में “भेषजों और ज्ञान आधारित उद्योगों पर कार्यबल” की स्थापना की गई थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान, (अप्रैल 2000 से 15.11.2000 तक) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में 12 अनुसूचित थोक औषधों, (12 थोक औषध और 2 व्युत्पन्न) और 883 निर्मिताओं की कीमतों को संशोधित/नियत किया।

47. जबकि भारत सरकार ने औषध मूल्य नियंत्रण की अवधि को काफी कम करने का फैसला किया है, तथापि उसने उनमें विषद रूप से हस्तक्षेप करने की शक्ति अपने पास रखने का फैसला किया है जहां कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है।

उर्वरक

48. उर्वरकों की कुल खपत, जोकि 1999-2000 के दौरान 18.07 मिलियन टन थी, 2000-2001 के दौरान 19.37 मिलियन टन तक पहुंच गई थी। फास्फेटिक उर्वरकों का उपभोग 1999-2000 में 4.80 मिलियन टन से बढ़कर 5.11 मिलियन टन हो गया जिसमें कि 6.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। जबकि उर्वरकों के कुल उत्पादन में 1999-2000 के मुकाबले 2000-2001 में 6.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 2000-2001 के दौरान यूरिया का आयात नहीं किया गया।

49. 1.12.2000 की स्थिति के अनुसार उर्वरकों की कुल प्रतिस्थापित क्षमता थी 11.69 मिलियन टन नाइट्रोजन और 4.64 मिलियन टन फास्फेटिक पोषक तत्व। इससे भारत का विश्व में उर्वरकों के उत्पादन में तीसरा स्थान हो गया। 1999-2000 की तुलना में क्षमता में वृद्धि भेधज इन्डोगल्फ कारपोरेशन लिमिटेड, दहेज (गुजरात) के डीएपी परियोजना के शुरु हो जाने के कारण भेधज कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड विजाग (आंध्र प्रदेश) में एनपी के एक्सपैंशन प्रोजेक्ट और नांगल (पंजाब) में नेशनल फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन के यूरिया एक्सपैंशन प्रोजेक्ट को शुरु करने के कारण थी।

50. चार मुख्य परियोजनाएं, नामतः हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड के नामरूप रिचम्य प्रोजेक्ट, मैसर्स ओसवाल कैमिक्ल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के पारादीप (उडीसा) में डीएपी/एनपीके/एनपी प्लांट और सिक्का (गुजरात) में मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिक्ल्स लिमिटेड के डीएपी एक्सपैंशन प्रोजेक्ट और काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) में मैसर्स गोदावरी फर्टीलाइजर्स एंड कैमिक्ल्स लिमिटेड के डीएपी एक्सपैंशन प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन हो रहा है और इनके 2001-2002 में चालू हो जाने की आशा है। इनके चालू हो जाने पर इनसे यूरिया के 3.80 लाख टन प्रति वर्ष एनपीके के 3.20 लाख टन प्रति वर्ष डीएपी के 21.76 लाख टन प्रति वर्ष और एनपी फर्टीलाइजर्स के एक लाख टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी।

51. सरकार ने सिद्धान्तः दो विस्तार परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है, नामतः गुजरात में कृभको के हाजिरा संयंत्र के विस्तार और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के थाल संयंत्र के विस्तार और दो त्रिणमूल परियोजनाओं नामतः यूपी में गोरखपुर में एफसीआई संयंत्र के मौजूदा स्थल पर कृभको द्वारा स्थापित किए जाने वाले नये यूरिया संयंत्र और नैलोर, आंध्र प्रदेश में इफको द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए यूरिया संयंत्र की। जून, 2000 में सरकार ने इन परियोजनाओं पर विचार किया और अंतिम निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

52. एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी, ओमान इंडिया फर्टीलाइजर्स कंपनी का सरकार द्वारा जून, 2000 में अनुमोदन कर दिया गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 35 महीनों में परियोजना पूरी कर ली जाएगी।

53. उद्योग और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रो० सी.एच. हनुमन्था राव की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर और श्री के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर नई उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति को शीघ्रता से तैयार करने की आवश्यकता है।

54. उर्वरक कंपनियों के कोर ग्रुप द्वारा देश में एलएनजी आपूर्ति के एकीकृत श्रृंखला की स्थापना करने के लिए एक ब्यौरेवार सुसाध्यता रिपोर्ट प्रगति पर है। सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फर्टीलाइजर्स एसोसिएशन आफ इंडिया और प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ जून, 2000 में स्थापित कार्यबल ने अपना कार्य शुरू कर दिया है ताकि उर्वरकों के उत्पादन के लिए फीड-स्टाक के रूप में देश में कोयले के अथाह भण्डारों का दोहन किया जा सके, इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

55. सरकार ने एनएफएल में 97.65 प्रतिशत इक्विटी धारण में से 51 प्रतिशत, मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) में अपने 58.74 प्रतिशत धारण में से 32.74 प्रतिशत और पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) में अपने शतप्रतिशत धारण में से 74 प्रतिशत का प्रमुख क्रेताओं के पक्ष में प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ विनिवेश करने का फैसला किया है। फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, ट्रावनकोर और आरसीएफ की स्थिति में विनिवेश का फैसला स्थगित कर दिया गया है। एनएफएल की स्थिति में, सौदे के लिए वैश्विक परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है, बोली लगाने वालों की संक्षिप्त सूची तैयार कर ली गई है और उर्वरक विभाग नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, जोकि संयुक्त उद्यम साझीदार है, से उनकी रजामंदी प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। पीपीएल के मामले में रूचि को प्रकाशित कर दिया गया है और संभवी वैश्विक सलाहकार के चयन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं

56. निर्यात के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों में से चमड़ा उद्योग की पहचान की गई है और चमड़ा क्षेत्र में निर्यात निष्पादन में काफी सुधार हुआ। चमड़ा क्षेत्र का निर्यात कार्य निष्पादन जोकि 1991-1992 में 3036 करोड़ रुपये था 1999-2000 में बढ़कर 6968 करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल 2000 से नवम्बर 2000 तक चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का निर्यात 6062 करोड़ रुपये का था।

57. वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय बजट में चमड़ा क्षेत्र से जुड़े 11 मदों को असंरक्षित किया गया है । इसमें अर्ध-परिष्कृत चमड़ा, चमड़े के जूते और जूतों के संघटक शामिल है । इन वस्तुओं के निर्माण हेतु इकाइयों की स्थापना के गठन के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा । चमड़े की हस्तनिर्मित वस्तुओं और पोशाकों के लिए शुल्क मुक्त करने की पात्रता, अलंकरणों और अन्य मदों को निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 से 3% तक बढ़ा दिया गया है।

58. भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) नामक योजना को 14.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ भारतीय चमड़ा उद्योग के एकीकृत विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इस स्कीम में चमड़ा बनाने वाले कारखानों को उनके प्रौद्योगिक उन्नयन और बेहतर क्षमता उपयोग के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रदूषण संबंधी पर्याप्त उपाय करने की भी आवश्यकता है। यूएनडीपी द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (चरण-I) को सफलतापूर्वक करने के पश्चात इस कार्यक्रम के चरण II - साइड एनएलडीपी- का यूएनडीपी की सहायता

से कार्यान्वयन हो रहा है जिसका केन्द्रविन्दु है गरीबी को कम करना और संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच निरन्तर सहलग्नताएं बनाना इस स्कीम के अधीन, चमड़े के सामान और जूतों के लिए कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और भोपाल आदि में डिसेंट्रलाइज्ड कामन फैसिलिटी सेन्टरों और डिजाइन स्टूडियो की स्थापना की गई है।

59. 2001-2002 के दौरान प्रौद्योगिकी-व-निवेश प्रोन्नयन कार्यकलापों में संगठन/भाग लेने से संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 6.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही तकनीकी उन्नयन और संगठित क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार, चमड़ा कारखानों के आधुनिकीकरण की स्कीम, चमड़े की वस्तुओं के लिए डिजाइन स्टूडियो, संघटक उद्योग की सहायता और देशी जूतों को विपणन समर्थन प्रदान करने की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

वस्त्र

60. देश की कुल निर्यात आय में वस्त्र उद्योग का 37 प्रतिशत योगदान है। साथ ही यह औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14 प्रतिशत और अनुमानतः 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और 5.8 करोड़ लोगों के लिए परोक्ष रोजगार प्रदान करता है जिसका कृषि के बाद दूसरा स्थान है। भारत में वस्त्र उद्योग अब भी कपास आधारित है। प्राकृतिक तन्तु के अतिरिक्त उद्योग कई प्रकार के सिन्थैटिक और मानव निर्मित तन्तु का इस्तेमाल करता है जैसे पोलिएस्टर, विस्कोस, नाइलोन, एक्रिलिक और फिलामेंट यार्न। वस्त्र उत्पादन 1999-2000 में 39202 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर 2000-2001 में 40910 मिलियन वर्ग मीटर हो गया है। यह वस्त्र, मिलों, पावरलूमों, हथकरघों, खादी, ऊन और सिल्क सहित होजरी द्वारा बनाया जाता है। कटे हुए धागे का उत्पादन अप्रैल 1999 से फरवरी 2000 तक 2885 मिलियन किलोग्राम था जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि में यह 2779.98 मिलियन किलोग्राम था। प्रति व्यक्ति कपड़े की पलब्धता 1993-1994 में 26.22 वर्ग मीटर से बढ़कर 2000-2001 में 31.25 वर्ग किलोमीटर हो गई। 1993-1994 में स्पिंडलेज क्षमता 28.60 मिलियन थी जोकि नवम्बर, 2000 में बढ़कर 37.70 मिलियन हो गई। ओपन एण्ड रोटर्स क्षमता फरवरी 2000 में 4.43 लाख थी जोकि फरवरी 2001 में बढ़कर 4.55 लाख हो गई।

61. वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण नौवीं योजना का एक मुख्य श्रष्ट क्षेत्र है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.4.1999 से एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) शुरू की गई थी ताकि वस्त्र और पटसन उद्योग की समग्र लाभप्रदता और प्रतियोगिता की भावना को सुदृढ़ किया जा सके। इस स्कीम में औद्योगिक युनिटों द्वारा लिए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत की ब्याज में सब्सिडी है, संगठित वस्त्र युनिटों के लिए सहभागी नोडल एजेन्सी हैं आईडीबीआई। लघु उद्योग के लिए एसआईडीबीआई और पटसन उद्योग के लिए आईएफसीआई नोडल एजेन्सी है। 21.2.2000 को भारत सरकार द्वारा एक सूती वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) की शुरुआत की गई थी ताकि सूती वस्त्रों की उत्पादकता में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और उत्पादन की लागत को कम किया जा सके और वस्त्र उद्योग को प्रतियोगी लाभ जिसकी बहुत देर से अनुभूति की जा रही थी, प्रदान किया जा सके और साथ ही किसानों को आकर्षक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। टीएमसी के अधीन, अनुसंधान के विशिष्ट उद्देश्यों और किसानों को प्रौद्योगिकी के प्रसार के मिनी मिशन-I और II कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हैं। बाजार

अवसंरचना में सुधार और गिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण से संबंधित लघु मिशन III और IV वस्त्र मंत्रालय के अधीन हैं।

62. वस्त्रों और कपड़ों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 1974 से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ (जीएटीटी) नियमों के व्यापक ढांचे के अंतर्गत मल्टीफाइबर अरेंजमेंट (एमएफए) नामक एक विशेष व्यवस्था के अधीन आते हैं। एमएफए का एक अद्वितीय लक्षण यह है कि जबकि विकसित देश आपस में अप्रतिबंधित व्यापार कर सकते हैं, विकासशील देशों का व्यापार एक कोटा व्यवस्था के अंतर्गत अनुमत्त है। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के अनुसार, कोटा व्यवस्था को 2004 के अंत तक समाप्त कर दिया जाएगा और वस्त्र व्यापार पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। भारत सरकार ने नैशनल टैक्सटाइल्स पॉलिसी 2000 की घोषणा की है ताकि एमएफए युग के बाद की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उद्योग को तैयार किया जा सके और एक सुदृढ़ और जीवंत उद्योग का विकास किया जा सके जोकि (क) स्वीकार्य मूल्यों पर अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार कर सकें ताकि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, (ख) राष्ट्र के संघार्य रोजगार और आर्थिक वृद्धि के प्रावधानों में अधिकाधिक योगदान कर सकें, (ग) वैश्विक बाजार में अपने बढ़ते हुए अंश के लिए विश्वास के साथ प्रतियोगिता कर सकें। नीति द्वारा निर्यात के लिए 2010 तक 50 अरब अमरीकी डालर हैं जिसमें से वस्त्र निर्यात 25 अरब डालर का होगा जोकि इस समय 11 अरब डालर है।

63. इसके अलावा, वर्ष 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में एक टैक्सटाइल पैकेज की घोषणा की गई थी जिसमें निम्नलिखित स्कीम शामिल थी

- एकीकृत वस्त्र पार्कों की स्थापना की एक स्कीम शुरू की जा रही है। इससे आरक्षण की सीमा से हटाए गए वस्त्र उद्योग की आधुनिक युनिटों की स्थापना करने के लिए - बढ़िया अवसंरचना के साथ-प्रोत्साहन मिलेगा। वर्ष 2001-2002 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इस प्रयोजन के लिए एक शक्तिशाली और आधुनिक क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। कम से कम 50,000 नए शटललेस लूम और 2.5 लाख सादे लूमों को स्वचालित लूमों में आधुनिकीकरण के 2004 तक होने की आशा है। इसके लिए वित्त पोषण प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम से किया जाएगा। टीयूएफएस का इस वर्ष का बजट 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 200 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
- सूती वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन को जारी रखा जा रहा है और उसे सुदृढ़ किया जा रहा है। बजट प्रावधान को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
- वस्त्र मंत्रालय के बजट आवंटन में काफी वृद्धि की गई थी। इसे 2000-2001 में 4.75 करोड़ से बढ़ाकर 2001-2002 में 650 करोड़ रुपये किया गया था।

64. सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सी कपड़ा मिलें रूग्ण हो गई हैं, विशेषकर नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अधीन सूती कपड़ा मिलें। इनके बारे में पहले ही बीआईएफआर को लिखा गया है क्योंकि इनका निवल मूल्य नकारात्मक हो के

रह गया है। अलाभप्रद मिलों को बंद करने/उनका पुनरूद्धार करने के निर्णय बीआईएफआर के समक्ष लम्बित पड़े हैं।

पटसन

65. भारत विश्व में कच्चे पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है और पटसन के सामान का दूसरा बड़ा निर्यातक है। पटसन और मेस्टा की कृषि में लगभग 40 लाख परिवार लगे हुए हैं और लगभग 2 लाख मजदूर पटसन उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2000-2001 में पटसन और मेस्टा के उत्पादन का अनुमान 95 लाख गांठे हैं जबकि पिछले वर्ष की संख्या 90.09 लाख गांठे थीं। वर्ष 2000-2001 में पटसन के सामान का उत्पादन अंदाजन 16 लाख टन है जबकि पिछले वर्ष में यह उत्पादन 15.90 लाख टन था।

66. नौवीं योजना के दौरान थ्रस्ट का मुख्य क्षेत्र यूएनडीपी सहायताप्राप्त नैशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम की उपलब्धियों को समेकित करना है ताकि जूट क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सके। यूएनडीपी के कार्यक्रम के दूसरे चरण को सक्सेसर कन्ट्री कोआपरेटिव फ्रेम वर्क- I (सीसीएफ-I) कहा जाता है इसे 1.4.1999 से कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें यूएनडीपी द्वारा 70 लाख अमरीकी डालर और भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये के योगदान की परिकल्पना की गई है जिसमें ऊन और रेशम उत्पादन में योगदान भी शामिल है। यह कार्यक्रम मार्च 2002 तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों में सूक्ष्म जूट तन्तु कृषि को बढ़ावा देना, उन एनजीओ को समर्थन प्रदान करना जोकि विविधीकृत जूट उत्पादों के साथ कार्य कर रहे हैं, जूट के लिए कार्यनीति संबंधी विपणन योजना का कार्यान्वयन, मानव संसाधन विकास चरण-1 के अनुसंधान और विकास प्रयासों का वाणिज्यीकरण, मशीन विनिर्माण का स्वदेशीकरण जूट के सामान का गुणवत्ता आश्वासन, जूट तन्तु की बेहतर किस्म के विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप आदि। नई नैशनल टैक्सटाइल पॉलिसी 2000 में जूट क्षेत्र के विकास के लिए सूती वस्त्र प्रौद्योगिकी मिशन की धाराओं पर जूट प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

67. जूट विविधीकरण के राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीजेडी) सक्रिय रूप से अनुसंधान और विकास के परिणामों को समेकित करने में लगा हुआ है और इन्हीं तकनीकी, वित्तीय और विपणन समर्थन प्रदान करके उद्यमियों को स्थानांतरित करने में लगा हुआ है ताकि वे इनका उत्पादन कर सकें और विभिन्न जूट आधारित विविधीकृत उत्पादों को बाजार में बेच सकें।

68. निरन्तर नकद हानियों और निवल मूल्य के पूर्णतया समाप्त होने के कारण नैशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन (एनजेएनसी) की जूट मिलों के मामलों को 1992 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने परिचालन एजेन्सी (आईआईबीआई) को निर्देश दिया कि वह एक युनिटवार सक्षमता रिपोर्ट तैयार करे।

चीनी

69. भारत, 1999-2000 के चीनी मौसम में (अक्टूबर-सितम्बर) विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश होकर उभरा है और इसका उत्पादन 181.41 लाख टन हो गया। चालू गन्ना मौसम (अक्टूबर 2000-सितम्बर 2001) में उत्पादन के 181 लाख टन होने का अनुमान है।

70. सरकार ने चीनी क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया के अंग के रूप में कई महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिए हैं। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

- घरेलू चीनी उत्पादों के 1.1.2000 से लेवी आभार में 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की कमी और इसे 1.2.2001 से और भी कम करके 30 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- उपोत्पाद के उपयोगीकरण के लिए रियायती दरों पर ऋणों को प्रदान करके चीनी विकास निधि नियमों, 1983 पुनःसंरचना।
- चीनी विकास निधि नियमों, 1983 में संशोधन करना और संभावित रूप से सक्षम रूग्ण चीनी मिलों की पुनःस्थापना के रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना।

71. चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं: (i) चीनी का निर्यात करने वाली चीनी मिलों को 31.3.2001 तक निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी से उन्मुक्ति दी गई है, और (ii) 5 प्रतिशत की दर से निर्यात के एफओबी मूल्य पर निर्यातकर्ताओं को डीईपीबी लाभ प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार ने 2000-2001 के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमित दी है। 17.2.2001 तक लगभग 3.733 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है।

सीमेन्ट

72. सीमेन्ट एक बुनियादी अवसंरचना उद्योग है, यह सीमेन्ट के कीमत के और वितरण किए जाने से ही वृद्धि कर रहा है। इसे पहली मार्च, 1989 से विनियंत्रित किया गया था और इसके पश्चात कई नीति संबंधी सुधार किए गए जिनमें 25 जुलाई, 1991 को उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना भी शामिल है। घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा, उद्योग सीमेन्ट और क्लिंकर का निर्यात भी कर रहा है।

73. भारत, चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेन्ट का उत्पादक देश है। इस समय, 120 बड़े सीमेन्ट संयंत्र हैं जिनकी प्रतिस्थापित क्षमता 112.01 मिलियन टन की है और 300 से अधिक मिनी सीमेन्ट संयंत्र हैं जिनकी अनुमानित क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है। केवल एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण सीमेन्ट क्षेत्र में है अर्थात् सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया जिसकी 10 युनिटें हैं। 10 बड़े सीमेन्ट संयंत्र हैं जोकि विभिन्न राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं।

74. 1999-2000 में वास्तविक उत्पादन 100.45 मिलियन टन का था। 107.00 मिलियन टन के उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले में वर्ष 2000-2001 में 100 मिलियन टन के उत्पादन का अनुमान है। सीमेन्ट और क्लिंकर का निर्यात 2000-2001 में 5.11 मिलियन टन रखा गया है।

75. सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया, जिसके देश में विभिन्न भागों में 10 युनिट हैं का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और इसके बारे में बीआईएफआर को लिखा गया है।

कागज और गत्ता

76. इस समय भारत में 515 युनिटें हैं जोकि कागज और गत्ता और न्यूजप्रिंट के विनिर्माण में व्यस्त हैं। देश कागज और गत्ते की अधिकांश किस्मों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

77. इस समय लगभग 60.08 प्रतिशत का कुल उत्पादन गैर-काष्ठीय कच्चे माल पर आधारित है और शेष काष्ठ पर उद्योग का क्षमता उपयोग 70.5 प्रतिशत है जो कम है क्योंकि लगभग 194 कागज मिलें, विशेषकर छोटी मिलें या तो बीमार हैं या बंद पड़ी हैं। 1999-2000 के दौरान कुल उत्पादन 34.56 लाख टन था। 2000-2001 में उत्पादन 35 लाख होने का अनुमान है।

78. उद्योग का कार्यनिष्पादन निवेशों की अपर्याप्त उपलब्धता और कच्चे माल तथा विद्युत जैसे निवेशों की ऊंची लागत के कारण अच्छी नहीं कहा जा सकता है। हाल ही के वर्षों में कई नीति संबंधी उपाय किए गए हैं ताकि कच्चे माल की उपलब्धता के मार्ग में आने वाली बाधाओं और अपर्याप्त अवसंरचना को दूर किया जा सके। कच्चे माल की कमी के कारण खाई को पूरा करने के लिए लुग्दी और रद्दी कागज, काष्ठ के लट्टों/छोड़ों पर शुल्क कम कर दिए गए हैं। उद्योग को कई राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं, विशेषकर उन मिलों को जो गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

79. पिछले कई वर्षों में कागज और कागज उत्पादों के आयात बढ़ते जा रहे हैं। एक अनुमान है कि 2000-2001 में आयात 2.75 लाख टन था 1999-2000 में लगभग एक लाख टन कागज का, मुख्यतया पड़ोसी देशों को, निर्यात किया गया था।

न्यूजप्रिंट उद्योग

80. इस समय 56 मिले हैं (चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में, दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों में और 50 निजी क्षेत्रों में) जिनकी वार्षिक प्रतिस्थापित क्षमता लगभग 10.83 लाख टन की है। न्यूजप्रिंट उद्योग का क्षमता उद्योग 60 प्रतिशत है जो कम है।

81. 2000-2001 में कुल न्यूजप्रिंट का 6 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि 1999-2000 में इसका उत्पादन 5.04 लाख टन था।

82. देश में न्यूजप्रिंट की मांग को आंशिक रूप से विदेशी उत्पादन से और आंशिक रूप से आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मुक्त आयात और निम्न सीमाशुल्क ने न्यूजप्रिंट मार्केट को प्रतियोगी बना दिया है। इसमें कोई कीमत या परिमाणात्मक नियंत्रण नहीं है। उत्पादन को सुधारने और न्यूजप्रिंट को उपलब्ध कराने के बारे में कई नीति संबंधी उपाय कराए गए हैं। उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। न्यूजप्रिंट पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया गया है।

83. पीएसयू हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एचपीसी) और इसकी सहायक कंपनी हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) जोकि न्यूजप्रिंट और कागज के निर्माण में लगे हुए हैं का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है। जनवरी, 2001 तक एचपीसी द्वारा जनित आंतरिक संसाधन अच्छे रहे हैं और एक अनुमान के अनुसार वे 32 करोड़ रुपये हैं जबकि एचएनएल की स्थिति में ये 19.96 करोड़ रुपये तक के हैं।

84. नेपा लिमिटेड का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। सरकार ने सिद्धान्त रूप से नेपा लिमिटेड में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दे दी है और इसकी बिक्री के लिए बोलियों को आमंत्रित करने से पूर्व कंपनी की वित्तीय पुनःसंरचना का अनुमोदन कर दिया है। नेपा लिमिटेड की वित्तीय पुनःसंरचना केवल मार्च, 2000 में की गई थी। कंपनी की संचित हानियां बढ़कर 124.30 करोड़ रुपये हो गई हैं जबकि 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार उसकी चुकता पूंजी 105.39 करोड़ रुपये थी। और अधिक नकद हानियों के कारण कंपनी बीआईएफआर के परिक्षेत्र से बाहर नहीं आ सकी है।

परमाणु ऊर्जा

85. आई एण्ड एम क्षेत्र के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यकलापों का संबंध न्यूक्लीयर रियक्टरों के लिए गुरु जल के उत्पादन, पावर रिएक्टरों के लिए न्यूक्लीयर फ्यूल की संविरचना और अवशिष्ट निश्चलीकरण से है। साथ ही यूरेनियम और खनिज बालू के खनन और प्रसंस्करण और न्यूक्लीयर संयंत्रों आदि के लिए नियंत्रणों और यंत्रीकरण उपस्करों के उत्पादन से है।

86. भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर (बीएआरसी) की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम है जिसे सरकार द्वारा 611 करोड़ रुपये की लागत पर अक्टूबर 1998 में अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत पुराने संयंत्रों और संबंधित सुविधाओं का अनुरक्षण, उन्नयन और प्रवर्द्धन किया जाना है। इस स्कीम को इंजीनियरी/अधिप्राप्ति और चालू करने (कमीशनिंग) मोड पर कार्यनिष्पादित किया जा रहा है और आशा की जाती है कि इस स्कीम के कुछ कार्यकलाप दसवीं योजना तक भी चलते रहे।

बीएआरसी की एक और स्कीम जिसके लिए 15 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, वह कंबाइन्ड मल्टी स्टेज फ्लैश रिवर्स ओसमोसिस विवरणीकरण संयंत्र है।

87. बोर्ड आफ रैडिएशन एण्ड आइसोटॉप टेक्नालॉजी (बीआरआईटी) जोकि रेडियो केमिकल्स, रेडियो स्रोतों, रेडियो भेषजों, रेडियोग्राफी उपस्करों और रेडियेटर्स सहित कई किस्म के रेडियो आइसोटॉप उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, ने अनुप्रयोग और स्वास्थ्य की देखभाल, उद्योग, कृषि और अनुसंधान के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं को रेडियो आइसोटॉपों की आपूर्ति की है और कनाडा तथा सउदी अरब को रेडियो आइसोटॉपों की बहुत बड़ी मात्रा में आपूर्ति के लिए निर्यात आर्डरों का निष्पादन किया है।

88. परमाणु ऊर्जा विभाग ने अगले दो वर्षों में डीएआई किटों के भारत में उपयुक्त स्थानों पर दो गामा रेडिएशन स्टेरीलाइज्ड मिडवाइफरी फैंसिलिटीज की स्थापना करने की योजना बनाई है। इन सुविधाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान होने की आशा है।

89. न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लैक्स (एनएफसी) प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फ्यूल प्रोजेक्ट में रत है ताकि तारापुर में 500 एमडब्ल्यूई के प्रारंभिक और रिलोड फ्यूलों को पूरा किया जा सके नामतः टीएसपीएस-3 और टीएसपीएस-4 और एडवांस्ड मेटल की उत्पादन सुविधाओं का विकास करने के लिए एडवांस्ड मटेरियल्स प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास करना जिसकी न्यूक्लीयर पावर निर्माण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से प्रत्यक्ष संगति है।

90. आठ गुरु जल संयंत्रों की देश में स्थापना की गई है ताकि भारतीय न्यूक्लीयर और अनुसंधान रिएक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मनु-गुरु और कोटा में गुरु जल संयंत्र स्वदेशी रूप से विकसित हाईड्रोजन सल्फाइड एक्सचेंज प्राइसेस (फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकी) पर आधारित है और अन्य संयंत्र अमोनियां हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रक्रिया को इस्तेमाल में लाते हैं। गुरु जल उत्पादन प्रौद्योगिकी के ऊर्जा सघन स्वरूप को देखते हुए हैवी वाटर बोर्ड ऊर्जा संरक्षण की सुपरिभाषित नीति का अनुसरण कर रहा है।

91. ईसीआईएल जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उद्यम है, सरकारी विभागों और अन्यो द्वारा अपेक्षित इलेक्ट्रानिक संघटकों/यंत्रों के विनिर्माण में लगा हुआ है। कंपनी के परिचालन कार्य संतोषजनक नहीं चल रहे हैं। कंपनी के लिए एक पुनरूद्धार और प्रतिवर्तन कार्यक्रम विचाराधीन है। इसके अंतर्गत 145 करोड़ रुपये के निवेश की भी आवश्यकता है। कर्मचारियों की संख्या 6500 से कम करके 4500 तक लाने का प्रस्ताव है। ईसीआईएल की वित्तीय पुनःसंरचना विचाराधीन है।

विदेश व्यापार और निर्यात सम्वर्द्धन

92. वर्ष 2000-2001 के दौरान डालर के लिहाज से निर्यात वृद्धि दर में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 1999-2000 में 12.93 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000-2001 में कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ हैं: परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना इससे आयात और वस्तुएं लाइसेंस मुक्त हो जाएंगी, मुक्त व्यापार जोनों को बढ़ावा देना, आदि। 1400 वस्तुओं में से जिन पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लागू थे, 715 वस्तुओं पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को 2000-2001 के बजट में हटा दिया गया था और शेष परिमाणात्मक प्रतिबंधों को अप्रैल 2001 से हटा दिया गया था।

93. निर्यात के प्रयोजन के लिए बाधारहित विनिर्माण और व्यापार कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। इन जोनों में स्थित युनिटें किसी पूर्व निर्धारित मूल्यवर्द्धन निर्यात आभार या देश के अवशेष मानकों के अधीन नहीं होंगी। उन्हें देश के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर समझा जाएगा। इन जोनों में इन युनिटों द्वारा घरेलू दरों पर बिक्री की तभी अनुमति होगी जबकि वे पूर्ण सीमा शुल्कों का भुगतान कर देते हैं। लगभग 3500 हेक्टेयरों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के एसईजेड के पश्चिमी समुद्री तट पर गुजरात में पीपावा में मंजूरी दी गई है। एक और एसईजेड की स्वीकृति तमिलनाडु में तूतीकोरिन में दी गई है। मुंबई में मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोन के अलावा वाईजैग कांडला और कोचीन में मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोन को भी एसईजेड में रूपान्तरित किया जा रहा है।

94. भारतीय निर्यातकों को अधिक राशि का बीमा आवरण और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्यातकों को उधार सुविधाएं प्रदान करने के लिए गारंटी देने के लिए सरकार ने 2001-2002 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) को 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी समर्थन प्रदान किया है। इसके अलावा एक नई स्कीम मार्केट एक्सचेंज इनीसिएटिव की घोषणा की गई है ताकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और समर्थन कार्यक्रम प्रदान किया जा सके और निर्यात को उदीप्त और स्थिर किया जा सके।

निर्यात सम्वर्द्धन प्रयास में राज्य सरकारों का सहयोग

95. सभी राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करके निर्यात को एक राष्ट्रीय प्रयास बनाने की दृष्टि से राज्यों के लिए निर्यात सम्वर्द्धन निधि की एक नई योजना का विकास किया गया है ताकि राज्यों को निर्यात संबंधी आधारीक संरचना के विकास के लिए उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर राज्यों को सहायता प्रदान की जा सके। वाणिज्य विभाग की दो स्कीमों का उद्देश्य, अर्थात्, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क (ईपीआईपी) और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम (सीआईबीएस) भी इस नई स्कीम के हिस्से हैं। संसाधनों के साम्यापरक आवंटन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह राशि निरपेक्ष निर्यात निष्पादन और वर्द्धमान निर्यातों को दोहरी कसौटी के आधार पर वितरित कर दी जाएगी। शुरू में 2001-2002 के लिए 97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि को राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूरक निर्यात संबंधी अवसंरचना के लिए उपयोग में लाया जाएगा तथा उत्पादन केन्द्रों और पत्तनों को जोड़ने वाली सड़कों राज्य सापेक्ष स्वदेशी उत्पाद के अनुसंधान और विकास, कृषि निर्यातों के लिए कोल्ड चेनों का विकास, लघु पत्तनों

का विकास, नए निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्कों का सृजन, मानव संसाधन विकास और विपणन संरचना के विकास के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

खनन और धातुकर्मीय उद्योग

96. खनन क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना का नीति संबंधी लक्ष्य उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी कीमतों पर खनिज उपलब्ध कराना है, साथ ही घरेलू खनन उद्योग को घरेलू और विश्व बाजारों में आयातों के साथ प्रतियोगी बनाना है क्योंकि उस प्रतिरक्षा को छोड़कर कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं थी जिसकी विश्व व्यापार रेजिम के अधीन अनुमति थी। खनन क्षेत्र में मुख्य थ्रस्ट विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी के अंतःप्रवाह के माध्यम से संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ वृद्धि दर को बढ़ाना था।

97. लागत प्रभावी खनिज अन्वेषण और विकास, जोकि अधुनातम अन्वेषण प्रौद्योगिकियों के साथ किया जाता है, योजनागत उद्देश्य बना रहा है, इसके साथ-साथ खनिज अन्वेषण और नई खनन क्षमताओं के सृजन के साथ निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।

98. अलौह धातुएं और खनन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इसलिए नौवीं योजना के लिए और वार्षिक योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं, नामतः भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) नैशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल), और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)। बहरहाल संकेतात्मक वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और उन्हें नौवीं योजना में शामिल किया गया था।

99. संलग्नक 7.1 में रखे एक विवरण से लौह अयस्क और अलौह धातुओं, नामतः एल्यूमीनियम, तांबा, जिंक, शीशा के उत्पादन 2000-2001 के दौरान कितना था और नौवीं योजना के लक्ष्य के मुकाबले 2001-2002 में कितना उत्पादन होने की संभावना है। विवरण से यह देखा जाएगा कि लौह अयस्क का उत्पादन, एचसीएल द्वारा तांबे का और शीशे का उत्पादन योजना द्वारा निर्धारित संकेतात्मक लक्ष्य से कम रहेगा (अर्थात् नौवीं योजना के अंतिम वर्ष 2001-2002) इसके कारणों के बारे में उप क्षेत्रीय प्रोफाइल के अधीन चर्चा की गई है।

100. बाजार में धातुओं की उपलब्धता को आयातों से भी प्रतिपूरित किया गया। अलौह धातुओं का बाजार इस समय उपभोक्ता चालित है जबकि बंद अर्थव्यवस्था में यह उत्पादक चालित था। यह इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ यह एक मुख्य घटना है।

101. अब आते हैं कीमतों पर। अलौह धातुओं का लन्दन मेटल एक्सचेंज पिछले चार वर्षों में ऊपर नीचे होता रहा। विशेषकर तांबा बहुत बुरी हालत में रहा है और इसकी कीमतों में मंदी रही है, इससे एचसीएल के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जबकि एल्यूमीनियम और

जिंक धातुओं के बाजार की कंपनियों ने चौंकानी वाली कीमतों के धक्के को सहन कर लिया है। उद्योग की ड्यूटी संरचना कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय औसतों के बराबर है।

102. एमएमआरडी अधिनियम में हालिया संशोधन और नई नैशनल मिनरल पॉलिसी निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें खनन अन्वेषण में अधुनातम प्रौद्योगिकियों वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं और बेस धातुओं, नोबल धातुओं और अन्य विरल खनिजों के लिए नई खानों को खोलना भी शामिल है।

103. 42 मामलों में आवीक्षण परमिट जिसमें 53 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल संबंधित है, को दिसम्बर 1999 से फरवरी 2001 तक का अनुमोदन दिया गया है।

104. विदेशी निवेश प्रोन्नयन बोर्ड (एफआईपीबी) ने खनन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें 3697 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रवाह की आशा है।

105. 2000-2001 के दौरान, एफआईपीबी ने सात प्रस्तावों को स्वीकार किया जिसमें 230 करोड़ रुपये तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आशा है।

106. विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) की स्थापना के पश्चात, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और संबंधित एजेन्सियों के प्रतिनिधियों को एक तीव्र कार्यबल समिति की खान विभाग, खान एवं कोयला मंत्रालय में स्थापना की गई है ताकि मुख्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरन किया जा सके।

107. आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने पहले ग्रेनाइट के लिए रॉयल्टी की दरों को अधिकतम सीमा को बढ़ाने और डेड रेंट का सुझाव दिया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने माइनर मिनरल्स कंसैशन रूल्स में इन्हें शामिल कर लें। उक्त समिति ने ग्रेनाइट सेक्टर के लिए कराधान रेजिम में कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की थी। खान विभाग, खान एवं कोयला मंत्रालय द्वारा गठित ग्रेनाइट डेवलपमेंट काउंसिल इन सिफारिशों की जाँच कर रही है।

108. नौवीं योजना के पिछले चार वर्षों में मुख्य उपलब्धियों को नीचे बाक्स में उजागर किया गया है:

कुछ मुख्य उपलब्धियां

- खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 को संशोधित कर दिसम्बर, 1999 में अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम का नाम बदलकर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम कर दिया गया है जो राज्य सरकारों को अधिक शक्तियों का प्रतिनिधान करता है।
- ऐसी स्टेज के रूप में एक नई आवीक्षण परमिट धारा को अधिनियम में जोड़ दिया गया है जोकि वास्तविक पूर्वेक्षण परिचालनों से भिन्न और पूर्व है। इससे खनिज अन्वेषण में अधुनातम प्रौद्योगिकियों में निवेश को और अधिक आकर्षक बना दिया जाएगा।
- परिणामित संशोधन खनिज संरक्षण और विकास नियमावली (एमसीडीआर) 1998 को जनवरी, 2000 में अधिसूचित किया गया था। इन संशोधनों से 29 अघातुविक और औद्योगिक खनिजों के लिए खनन योजना के अनुमोदन की शक्ति (खुली खानों के लिए ही) राज्य सरकारों को दे दी गई हैं।
- मुख्य खनिज (कोयला, लिग्नाइट और अस्थायी संचय के लिए बालू को छोड़कर) रॉयल्टी की संशोधित दरों को सितम्बर, 2000 में अधिसूचित किया गया था जिसने 39 विनिर्धारित खनिजों को शामिल करते हुए यथा मूल्य आधार पर 21 दरें ली हैं।
- खनिजों आदि पर रॉयल्टी की परिगणना करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को भी सितम्बर, 2000 में अधिसूचित किया गया था।
- सरकार ने अपनी एफडीआई नीति की समीक्षा के माध्यम से फरवरी 2000 में हीरों और कीमती पत्थरों को छोड़कर सभी खनिजों में अन्वेषण और खनन की स्थिति में शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी तक में सहभागिता के लिए स्वचालित मार्ग की अनुमति दे दी है। हीरों और कीमती पत्थरों के लिए इस मार्ग के माध्यम से 74 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमित है।
- सरकार ने एक-एक मल्टी-डिसिप्लिनरी समिति की स्थापना की है जोकि अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त कर संरचना का भी सुझाव देगी जोकि देश में खनिजों और खनिज आधारित उद्योगों के तीव्र विकास के लिए अनुकूल होगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है।
- सरकार ने जून, 1999 में ग्रेनाइट कंजर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स को अधिसूचित किया है ताकि देश के बहुमूल्य ग्रेनाइट संसाधनों का व्यवस्थाबद्ध और वैज्ञानिक विकास सुनिश्चित हो सके।
- खान विभाग ने संगमरमर विकास पर एक समूह का सितम्बर, 1999 में गठन किया है ताकि संगमरमर के खनन, मूल्यवर्द्धन और निर्यात आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके और इस उद्योग को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाने के लिए उपयुक्त उपायों के सुझाव दिए जा सकें।
- सरकार ने भारत एल्यूमीनियम कंपनी में अपनी इक्विटी के 51 प्रतिशत का एक प्रमुख साझीदार को विनिवेश कर दिया है।

- सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का दो चरणों में विनिवेश करने को अनुमोदन कर दिया है। पहले चरण में तलोजा संयंत्र के साथ खेतरी युनिट एक कंपनी होगी। इन दोनों युनिटों की परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण किया जाएगा जोकि नई कंपनी में एचसीएल का 49 प्रतिशत योगदान होगा। नई कंपनी में शेष इक्विटी प्रमुख साझीदार से होगी।
- सरकार ने एचजेडएल की इक्विटी के 26 प्रतिशत का विनिवेश भी अनुमोदित कर दिया है। ऐसा प्रमुख साझीदार के पक्ष में किया गया है जिसकी नई कंपनी के प्रबंधन में उपयुक्त भूमिका होगी।
- सरकार ने रूग्ण भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को बंद करने का फैसला किया है।
- सरकार ने दिसम्बर, 2000 में 1203.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राजस्थान में कापासन के स्थान पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा एक 100000 टीपीए क्षमता का ग्रीनफील्ड जिंक स्मैल्टर प्लांट स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्माण को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा। उससे पूर्व विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
- उदारीकरण के पश्चात निजी क्षेत्र देश में तांबे के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से उभरकर आया है और इस समय यह कुल तांबे के उत्पादन का 76 प्रतिशत भाग का उत्पादन कर रहा है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में एचसीएल का तांबे के उत्पादन में प्रभुत्व समाप्त हो गया है।

109. नौवीं योजना के पिछले चार वर्षों में की गई प्रगति के बावजूद, विशेषकर यथानियोजित खनन क्षेत्र में एफडीआई सहित निजी क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कई चिंता के क्षेत्र हैं जिनकी ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन्हें नीचे दिए गए बाक्स में उजागर किया गया है।

चिंता के कुछ क्षेत्र

- विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए जैसेकि आवीक्षण परमिट के लिए, परिवेक्षी लाइसेंस, खनन का पट्टा, भूतल अधिकारों का अन्तरण के बारे में यह सूत्रक लिया गया है कि इनमें आवश्यक रूप से बहुत देरी लग जाती है।
- खनन उद्योग का विचार है कि उपयुक्त स्वीकृतियों को समयबद्ध बना दिया जाना चाहिए। यदि अनुमोदन निर्धारित समय में नहीं मिलता है, तो इनके बारे में समझ लिया जाना चाहिए कि ये स्वीकार कर लिए गए हैं।
- इस समय कोई व्यक्ति किसी जखीरे का तब तक खनन नहीं कर सकता जोकि घोषित जंगल क्षेत्र में है। ऐसे वन क्षेत्रों में ऐसे बहुत से शानदार भण्डार हैं। अर्थव्यवस्था के काम के लिए ऐसे भण्डारों के वाणिज्यिक रूप से देहन के लिए कोई रास्ता होना चाहिए जिससे कि अपेक्षित वन आवरण को भी बनाए रखा जा सके और साथ ही दूसरों को मजबूर किया जा सके कि वे परिसंतुलन को बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा करें। इस मार्ग को खोजने की आवश्यकता है।

- विभिन्न राज्य सरकार ने कई विचित्र शर्तें निर्धारित कर रखी हैं और यह मांग करती हैं कि वे निःशुल्क अतिरिक्त रॉयल्टी आदि। इसके अलावा वे खनन कंपनियों से यह भी अपेक्षा करती हैं कि वे अपने प्रसंस्करण संयंत्र उनके राज्यों में स्थापित करें ऐसी शर्तें आरोपित करना वर्तमान नीति व्यवस्था के विरुद्ध जाती है और इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि खनन क्षेत्र में एफडीआई सहित निजी क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।
- सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दोहन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बड़े खनन क्षेत्रों को आरक्षित रखने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रथा भी वर्तमान नीति व्यवस्था के विपरीत है।
- अवसंरचना की अपरिहार्यता और इसकी उच्च लागत निर्यात सहित खनिज क्षेत्र की वृद्धि में एक बड़ा प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को यथासंभव शीघ्र समाप्त करना आवश्यक होगा।
- स्वदेशी शीशा सकेन्द्रणों और स्कैप की कम उपलब्धता के कारण देश में नए शीशे के संसाधनों को खोजने की विशद आवश्यकता है।

साथ ही वैटरी स्कैप के केन्द्रीकृत संग्रह की और उसके सगठित गौण क्षेत्र में प्रसंस्करण की आवश्यकता है। ऐसा ऐसे युनिटों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास अपेक्षित पर्यावरणीय और नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं। इससे पिछवाड़े में लैण्डस्मैटर्स की वृद्धि की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकेगा जिन्हें पर्यावरणीय रूप से अनुकूल नहीं समझा जाता।

उपक्षेत्र-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

लौह अयस्क

110. 2000-2001 के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन लगभग 77 मिलियन टन (अनुमान) या जबकि इंगित उत्पादन लक्ष्य 80 मिलियन टनों का था। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के लिए 100 मिलियन टन का एक संकेतात्मक उत्पादन लक्ष्य रखा गया था। इसके विपरीत, उत्पादन के 80 मिलियन टन के आसपास होने का अनुमान है। लौह अयस्क के उत्पादन पर अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण प्रभाव पड़ा है। तथापि, वर्ष 2001-02 के लिए योजना का अन्तिम वर्ष उल्लिखित 32 मि.टन का निर्यात लक्ष्य, मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया आदि से मांग होने के कारण लगभग 5-8 मि.टन तक पार हो जाने की सम्भावना है।

111. वर्तमान नीति के अनुसार 64 प्रतिशत तक लौह तत्व युक्त लोह अयस्क को पूर्ण रूप से सारणीबद्ध किया जाता है तथा गोवा और रैडी क्षेत्र के खनिज लोहा उत्पादकों को चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ताईवान आदि देशों में लोह अयस्क के सीधे निर्यात की स्वीकृति दे दी गई है। 64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व युक्त खनिज लोहे (उच्च ग्रेड) का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नियमित रूप से सारणीबद्ध किया जा रहा है।

112. भारत सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बेलाडीला 10/11 ए लोह अयस्क परियोजना को 430.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1995 में स्वीकृत किया था। परियोजना अगस्त 1999 तक पूरी होनी थी किन्तु कुछ तकनीकी कारणों से परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। इस परियोजना के वर्ष 2002 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

113. एन.एम.डी.सी. बोर्ड ने मार्च 1999 में 11.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के बेलाडीला डिपोजिट-14/11 सी में तृतीयक क्रशिंग संयंत्र को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह परियोजना पूरी होने वाली है।

114. 11-बी डिपोजिट के विकास का कार्य एक प्राईवेट कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत तकनीकी समस्याओं के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

115. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० (के.आई.ओ.सी.एल) को प्रदान की गई खनन लीज के दिनांक 24.7.1999 को समाप्त होने के फलस्वरूप कम्पनी को एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी वर्क-परमिट दिया गया जो कि दिनांक 24.7.2000 को समाप्त हो गया। इस वर्क-परमिट की अवधि एक वर्ष और के लिए अर्थात् दिनांक 24.7.2001 तक बढ़ाई गई थी। समय सीमा में वृद्धि को स्वीकृत करते समय भारत सरकार ने कर्नाटक सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित अधिसूचना को दिनांक 30.9.2000 तक या इससे पहले अंतिम रूप प्रदान करे। के.आई.ओ.सी.एल. द्वारा मौजूदा खनन लीज को नवीकरण के लिए आगे बढ़ाने के अलावा नेल्लीबीडू तथा गंगरीकाल डिपोजिट के विकास कार्य पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। मौजूदा खान के गहरे स्तर पर प्राथमिक खनिज के खनन पर भी के.आई.ओ.सी.एल. द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

116. भारत सरकार ने एम.एम.टी.सी. द्वारा लोह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घावधि समझौते के नवीकरण से संबंधित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को जनवरी, 2001 में अनुमोदित कर दिया था।

इस्पात

117. वर्ष 2000-2001 ने भारतीय इस्पात उद्योग को 23 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर प्राप्त करते हुए देखा है, जबकि इसके मुकाबले में पिछले वर्ष में तैयार इस्पात की वृद्धि दर 12 प्रतिशत थी। 2000-2001 में तैयार इस्पात की प्रस्तावित मांग 32.68 मिलियन टन है और घरेलू स्रोतों से इस्पात में उत्पादन का अनुमान 32.68 मिलियन टन है। आयात सहित तैयार इस्पात की कुल उपलब्धता 32.01 मिलियन टन थी। भारत अब भी विश्व में दसवां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है।

118. 2000-2001 (अप्रैल-दिसम्बर) में सेल के चारों एकीकृत इस्पात संयंत्रों में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 7.24 मिलियन टन हुआ जबकि लक्ष्य 7.65 मिलियन टन था। यह बाजार में कम मांग होने के कारण था। आशा की जाती है कि 2000-2001 के लिए 10.21 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 10.05 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का ही निर्माण होने का अनुमान है और इसी प्रकार केवल 0.48 मिलियन टन इस्पात का ही निर्यात किए जाने की आशा है जबकि वर्ष के लिए निर्यात का लक्ष्य 0.7 मिलियन टन था। सेल के कारोबार पुनर्गठन योजना को भारत सरकार द्वारा फरवरी 2000 में अनुमोदित किया गया था। पुनर्गठन पैकेज में 5073 करोड़ रुपये के स्टील डेवलपमेंट फण्ड से मिले ऋण में और अग्रिमों की माफी और भारत सरकार के 381 करोड़ रुपये की माफी, 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ सरकारी गारंटी (गारंटी फीस के बिना) का प्रावधान किया गया है ताकि कंपनी को बाजार से अने वीआरएस कार्यक्रम वित्तपोषण के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि बाजार से जुटाने के लिए योग्य बनाया जा सके। कारोबार के पुनर्गठन में एलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर, सेलम स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के आक्जीजन प्लांट-2, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला स्थित पावर प्लांट और राउरकेला में फर्टीलाइजर प्लांट जैसे अलाभप्रद और गैर कोर युनिटों को एकत्रित करके सेल को ट्रिम करना शामिल है। इसके अलावा उत्पाद के आधार कारोबार अर्थात् उत्पादन और विपणन में सहक्रिया प्राप्त करने के लिए लम्बे उत्पाद और चपटे उत्पाद। सेल की लाभ योग्यता को बढ़ाने के उपायों में सघन लागत कम करने का अभियान और वीआरएस को शुरू करना ताकि अगले पांच वर्षों में कार्य बल को 1,76,000 से कम करके 1,00,000 तक लाया जा सके, सेल के पुनर्गठन पैकेज के एक अंग के रूप में सेल की लघु शेयर धारण के साथ आईआईएससीओ को रूपान्तरित करके संयुक्त उद्यम कंपनी का रूप देने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। सेल ने कारोबार पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2000 में इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विनिवेश की प्रक्रिया को पहले ही शुरू किया जा चुका है और इसके लिए वित्तीय सलाहकारों और मर्चेन्ट बैंकों की नियुक्ति की जा चुकी है। कंपनी ने विज्ञापन जारी करके पहचान किए गए युनिटों में विनिवेश के लिए उन कंपनियों को आमंत्रित किया है जिनकी इसमें रुचि हो। तथापि, पुनःसंरचना योजना के कार्यान्वयन की गति असंतोषजनक रही है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटनम (वीएसपी) का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है। वीएसपी ने 1999-2000 के दौरान 130 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, तथापि इस 2000-2001 की अवधि में (अप्रैल-सितम्बर) इसके अंतिम रूप से 29 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज करने की संभावना है।

119. झेलम में सिस्कोल और हास्पेट में मुकुन्द लिमिटेड नाम के दो और संयंत्रों के शुरू होने के साथ-साथ नए/हरित क्षेत्र इस्पात संयंत्रों की संख्या, जोकि पूरी तरह से चालू हो गए हैं, बढ़कर आठ हो गई है और उसकी कुल क्षमता लगभग 4.2 मिलियन टन हो गई है। पांच अतिरिक्त परियोजनाओं को आंशिक रूप से चालू किया गया है जिसकी क्षमता 2.9 मिलियन टन है। सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं जिससे कि नए चालू और उभर कर आ रही परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

120. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में लोहा और इस्पात संयंत्रों ने अपने अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों को जारी रखा ताकि अपनी संयंत्र सापेक्ष समस्याओं का समाधान किया जा सके और साथ ही नई प्रक्रियाओं और उत्पादों का विकास किया जा सके। अनुसंधान क्षेत्रों के अंतर्गत खनन और खनिजों का सस्तीकरण, कोयले के गुणों में सुधार, ऊर्जा के उपभोग में कमी, रिफ़ैक्ट्री उपभोग में कमी, उत्पादकता में सुधार, अपशिष्टों का उपयोग और उपचार, प्रदूषण को नियंत्रण में रखना, गुणवत्ता में सुधार, मानव संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं।

121. भारत की व्यापार नीति के उदारीकरण और पांच वर्षों के लिए (1.4.1997 से 31.3.2002) निर्यात-आयात नीति की शुरुआत से लौह और इस्पात सामग्रियों के आयात और निर्यात की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ है। अब लौह और इस्पात के सभी वस्तुओं के आयात की पूर्ण रूप से अनुमति है। इसके निर्यात की भी पूरी तरह से अनुमति है। चपटे उत्पादों के कुछ वर्गों में सस्ते आयातों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशेषकर सीआईएस और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से ऐसे उपाय शुरू किए गए हैं कि इस क्षेत्र में एंटी-डम्पिंग तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

अ-लौह धातुएं

एल्युमिनियम

मांग

122. नौवीं योजना अवधि के दौरान एल्युमिनियम की मांग में 8 प्रतिशत की अनुमानित वार्षिक वृद्धि के मुकाबले धातु की वास्तविक खपत में औसतन 4.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से आर्थिक मंदी के कारण हुआ, विशेष रूप से प्रमुख एल्युमिनियम उपभोग करने वाले क्षेत्रों जैसे ऊर्जा (ट्रांसमिशन), निर्माण, यातायात, पैकेजिंग आदि में मंदी के कारण।

123. भारत, विश्व में प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादकों में नहीं है और न ही विश्व - एल्युमिनियम व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादनों से ऊर्जा की काफी खपत होती है। भारत में ऊर्जा की कमी है लेकिन बाक्सआइट संसाधनों में वह समृद्ध है। अतः यह संभव है कि निकट भविष्य में भी भारत विश्व के प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की स्थिति में नहीं होगा। तदपि ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में भारत विश्व एल्युमिनियम बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाले देश के रूप में उभर कर सामने आए। भारत, कम होते एल्युमिनियम उत्पादों के निर्माण में तुलनात्मक रूप से फायदे की स्थिति में है जो कि उदारीकरण के युग के बाद प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होंगे और यह इस तथ्य से सिद्ध है कि मंदी में पड़ा हुआ भारतीय एल्युमिनियम उद्योग आकस्मिक धक्का सहने में समर्थ हो सका है।

क्षमता एवं उत्पादन

124. नौवीं योजना के दौरान प्राथमिक एल्युमिनियम क्षमता 670,000 टन से बढ़कर 714,000 टन होने की संभावना थी। इसके साथ निजी क्षेत्र की कम्पनी हिंडालको तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी नाल्को ने अपने-अपने प्रगालकों में प्रतिवर्ष क्रमशः 32,000 टन तथा 12,000 टन की क्षमता की वृद्धि की गई। ये विस्तार कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान एल्युमिनियम उत्पादन तथा वर्ष 2001-02 के लिए चिन्हित लक्ष्य संलग्नक 7.1 में दिए गए हैं।

125. नौवीं योजना के अंतिम वर्ष 2001-02 के दौरान प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन में लगभग 100,000 टन की गिरावट आने की संभावना है। इसका कारण संभावनाओं के विपरीत इंडेल के बेलगाम प्रगालक को पुनः ऊर्जित न किया जाना तथा इसके हीराकुंड युगालक में सीमांत विस्तार न हो पाना, जिसकी प्रत्याशा थी, शामिल है। इसके अलावा इंडेल के अलॉय, केरल प्रगालक की क्षमता में तकनीकी कारणों से 7,000 टन प्रतिवर्ष की गिरावट होना भी एक कारण है।

परियोजनाएं

126. नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा में तीन बड़ी निजी क्षेत्र की निर्यातान्मुख एल्युमिनियम रिफाईनरियों में वाणिज्यिक कारणों से निवेश को स्थगित कर दिया गया है।

127. नौवीं योजना के दौरान एल्युमिनियम क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्रक में किसी ग्रीन-फील्ड निवेश की संभावना नहीं है।

128. वर्ष 1997 में भारत एल्युमिनियम लिमिटेड की एक नई कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना को स्वीकृति दी गई। कुछ तकनीकी कारणों से परियोजना में विलंब हुआ तथा अब इसके जून 2001 में चालू होने की संभावना है। इसके अलावा बाल्को ने मध्य प्रदेश की मनीपट तथा बोर्डई डलडाली स्थित दो कैपटिव खानों को विकसित करने की योजना भी बनाई है। इसी दौरान भारत सरकार ने बाल्को की 51% हिस्सेदारी स्टारलाईट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० को बेच दी तथा कम्पनी का प्रबंध नियंत्रण उसे हस्तांतरित कर दिया। अतः बाल्को अब सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है।

129. नाल्को की बॉक्साइट खान का विस्तार परियोजना में 2.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा एल्युमिनियम रिफाईनरी 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गया है जो कि कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है, उक्त दोनों खान उड़ीसा के दामानजोड़ी में स्थित हैं।

130. नाल्को की प्रगालक विस्तार परियोजना जिससे इसकी मौजूदा वार्षिक क्षमता 230,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 345,000 टन हो जाएगी, कार्यक्रम में शामिल है तथा यह मई 2002 तक पूर्ण हो जाएगी।

131. सरकार ने नाल्को की 120 मैगावाट क्षमता वाली 8वीं यूनिट के कैपटिव ऊर्जा संयंत्र को दिसम्बर 2000 में स्वीकृति प्रदान कर दी। अगस्त, 2002 तक यह परियोजना पूर्ण हो जाएगी।

132. प्राथमिक एल्युमिनियम बाजार में एक प्रमुख घटना "अलकन" , कनाडा से हिंडालको द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कम्पनी का अधिग्रहण करना था ।

ताँबा (कॉपर)

133. भारत में ताँबे के ज्ञात स्रोतों में निम्न वाल्यूम, कम चौड़ाई, निम्न ग्रेड तथा असंतोषजनक बहुमूल्य धातु तत्व के लक्षण है । इसमें मध्य प्रदेश स्थित मलाजखंड डिपोजिट एक अपवाद है, कोई भी डिपोजिट निम्न लागत की सतही खनन के योग्य नहीं है और न ही उच्च डिग्री के मैकेनाइजेशन हेतु योग्य है । भारत विश्व में प्रमुख ताँबा उत्पादक तथा निर्यातक देश नहीं है ।

134. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की भूमिगत खानों के परिचालनों की लागत उन प्रमुख कारणों में से एक है जिस कारण उक्त कंपनी ताँबे के दामों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई कमी को आत्मसात नहीं कर पाई है।

135. उदारीकरण के चलते निजी क्षेत्र ने आयातित संकेन्द्रन सहित ताँबा उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश किया है ।

मांग

136. नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान ताँबे की मांग में 8% वार्षिक वृद्धि का अनुमान था । इसकी तुलना में योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान ताँबे की खपत में लगभग 8.3% की वृद्धि हुई । यह दूरसंचार, उपभोक्ता वस्तुओं, हथकरघा आदि क्षेत्रों से धातु की मांग में तेजी आने के कारण हुआ, प्रसंस्करण उद्योग, परिवहन, निर्माण, रक्षा, मिन्ट आदि क्षेत्रों में धातु की मांग में आई कमी की तुलना में यह मांग ज्यादा थी । नौवीं योजना की अवधि के दौरान ताँबे की संभावित मांग योजना बनाते समय 8% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि से थोड़ी सी अधिक अर्थात् 8.2% थी ।

137. कम्पनी को पिछले कुछ वर्षों से लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई) में ताँबे के मूल्य में गिरावट आने तथा धातु पर लगने वाले सीमा-शुल्क में कमी के कारण काफी हानि हुई है । कम्पनी के पुनरुद्धार के लिए कई उपाय शुरू किए गए थे - जिसमें बिहार में स्थित मोसाबनी, पठारगोरा तथा केंडाडिह और राजस्थान में स्थित चांदमारी की गैर-जीवनक्षम खदानों को बंद करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना द्वारा कार्यबल का पुनर्गठन, पूंजी की पुनः संरचना करना आदि शामिल हैं ।

क्षमता और उत्पादन

138. देश की तांबा पिघलाने की मौजूदा क्षमता 2,47,500 टन प्रतिवर्ष है इसमें 47,500 टन प्रतिवर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की एच.सी.एल तथा 100,000 टन प्रतिवर्ष स्टारलाईट इंडस्ट्रीज इंडिया लि0, 100,000 टन प्रतिवर्ष बिरला कॉपर लिमिटेड भी शामिल है, यह दोनों निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान 5,00,000 टन प्रतिवर्ष के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में तांबा प्रगालक क्षमता लगभग 3,47,500 टन प्रतिवर्ष होने की संभावना है - इसके साथ ही बिरला कॉपर तथा स्टारलाईट इंडस्ट्रीज अगले वर्ष के अंत तक अपनी प्रगालक क्षमता का 50,000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार कर लेंगी।

139. तांबा पिघलाने की क्षमता में अन्य देशी प्रगालक शामिल हैं जिनमें 2,02,500 टन प्रतिवर्ष के विस्तार का अनुमान है इनमें एच.सी.एल. का खेतड़ी प्रगालक (52,500 टन प्रतिवर्ष), मैटडिस्ट लि0 (1,00,000 टन प्रतिवर्ष), तथा एस.डब्ल्यू.आई.एल. लि0 (50,000 टन प्रतिवर्ष) के नए प्रगालक शामिल हैं। वाणिज्यिक कारणों से यह निवेश फलीभूत नहीं हो पाए हैं।

140. भारत में तांबे के निम्न स्तरीय स्रोतों के कारण निजी क्षेत्र के समस्त प्रगालक आयतित तांबे के सान्द्रित पर आधारित हैं।

141. वर्ष 2000-01 के दौरान तांबे का उत्पादन तथा वर्ष 2001-02 के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्नक 7.1 में दिये गए हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन नौवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित अनुमानित लक्ष्य से थोड़ा सा कम 1,85,000 टन तक रहने की संभावना है क्योंकि जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है देशी प्रगालक क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकी।

142. अब तांबा उत्पादन में निजी क्षेत्र की 76% तथा सार्वजनिक क्षेत्र एच.सी.एल. की 24% हिस्सेदारी है। इस प्रकार तांबा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार समाप्त हो गया है।

जस्ता तथा सीसा (जिंक तथा लैड)

143. नौवीं योजना अवधि के दौरान जिंक की मांग में 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अनुमान की तुलना में नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान इसकी 6.5 की दर से वार्षिक वृद्धि हुई। यह जिंक उपभोग क्षेत्रों जैसे कि गैलवनाइजिंग, ड्राई-सैल बैटरी, रसायन आदि की नियमित वृद्धि के कारण हुआ। वर्ष 2001-2002 के दौरान जिंक की मांग में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। इसके साथ नौवीं योजना में जिंक के लिए निर्धारित वृद्धि के लक्ष्य के प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। जिंक के मामले में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है।

144. नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सीसे की मांग में 7 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है। यह सीसा उपयोग क्षेत्रों जैसे आटोमाबाईल्स, इन्वर्टर्स, अबाध ऊर्जा आपूर्ति (यू.पी.एस.) प्रणाली आदि क्षेत्रों में लगातार वृद्धि होने के कारण हुआ। अगले वर्ष 2001-02 अर्थात् नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में सीसे की

मांग में इसी दर से वृद्धि होने की संभावना है । इसके साथ ही नौवीं योजना में सीसे के लिए वृद्धि का निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है । सीसे के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है ।

क्षमता एवं उत्पादन

145. वर्तमान में प्राथमिक जिंक की देशी क्षमता 182,000 टन प्रतिवर्ष है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच.जैड.एल.) का 152,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन तथा निजी क्षेत्र की कम्पनी बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 30,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन शामिल है । इसमें संगठित क्षेत्र की लगभग 20,000 से 30,000 टन प्रतिवर्ष स्क्रेप आधारित सैकेंडरी जिंक क्षमता भी है ।

146. नौवीं योजना के पिछले चार वर्षों में सैकेंड्री जिंक उत्पादक कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे कच्चा माल जैसे कि जिंक ऐश, ड्रास एवं स्किमिंग आदि का आयात नहीं कर सके जिसकी वजह सरकार द्वारा 'बेसल कन्वेंशंस' के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया जाना था । इस विषय पर योजना आयोग द्वारा भी विचार किया गया । लम्बे विचार-विमर्श के बाद सैकेंड्री जिंक उत्पादकों को 'वास्तविक उपयोग लाईसेंस' के तहत कच्चे माल के आयात की अनुमति दे दी गई । इसके साथ सैकेंड्री जिंक उत्पादकों ने अपना उत्पादन पुनः शुरू कर दिया ।

147. नौवीं योजना अवधि के दौरान ग्रीन फील्ड प्रगालकों के जरिए प्राथमिक जिंक प्रगालक क्षमता में विस्तार की कोई प्रत्याशा नहीं थी । तथापि नौवीं योजना के दौरान एच.जैड.एल. द्वारा अपने विभाग तथा डेबारी जिंक प्रगालकों की क्षमता में 10,000 टन प्रतिवर्ष विस्तार होने का अनुमान था ।

148. वर्ष 2000-01 के दौरान उत्पादन तथा वर्ष 2001-02 के निर्धारित लक्ष्य संलग्नक 7.1 में दिए गए हैं ।

149. वर्तमान समय में देश की सीसा पिघलाने की क्षमता 65,000 टन प्रतिवर्ष है, जो संपूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की है । लगभग 24,000 टन प्रतिवर्ष सैकेंड्री सीसा क्षमता संगठित क्षेत्र के इंडिया लैड लिमिटेड के पास है । हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी विज्ञाग लैड रिफाइनरी को बंद कर दिया है ।

150. 'बेसल कन्वेंशन्स' के अंतर्गत सम्पूर्ण ड्रेन्ड बैटरी या बैटरी प्लेट स्क्रेप के रूप में सीसे के टुकड़ों, सीसा अपशिष्टों पर सीसा ड्रास के आयात पर प्रतिबंध के कारण नौवीं योजना के पिछले चार वर्षों के दौरान सीसे के उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी आई है तथा शेष 50 प्रतिशत क्षमता आयतित सीसों सान्द्रित सहित इंडिया लैड लि0 द्वारा उपयोग की जा रही है तथापि सीसा उत्पादन पिछले 6-7 वर्षों से स्थिर है ।

151. इस संबंध में बारीकी से किए गये अध्ययन से यह पता चला कि भारत प्राथमिक सीसे के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लम्बे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, यह सैकेंड्री सीसे के उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। सीसे के टुकड़ों को इनपुट के रूप में इस्तेमाल करके विभिन्न रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह तभी संभव है जबकि वास्तविक उपयोग के आधार पर इन वस्तुओं के आयात की अनुमति उन्हें दी जाए जिनके पास पारिस्थितिकी के संतुलन पर प्रभाव डाले बिना इन वस्तुओं का प्रयोग कर सीसा उत्पादित करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो।

152. वर्ष 2000-01 के दौरान सीसे का उत्पादन तथा वर्ष 2001-02 के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्नक 7.1 में दिए गए हैं। वर्ष 2001-02 में सीसे के उत्पादन में योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से 33,500 टन उत्पादन की कमी का अनुमान है इसका कारण एच.जैड.एल. के विभागीय लैड स्मैल्टर का बंद होना तथा इंडियन लैड लिमिटेड के पास सैकेंड्री सीसा क्षमता का आयातित सीसा स्कैप के साथ अपनी क्षमता का आधा कार्य किया जाना है।

153. देश में सीसा उत्पादन में वृद्धि की सबसे बड़ी समस्या देशी संकेन्द्रणों तथा स्कैप का उपलब्ध न होना है। देश में कोई भी अच्छी खनन योग्य जमा नहीं है। देश में नये स्रोतों को खोजे जाने की जरूरत है। संगठित सैकेंड्री क्षेत्र में इसके प्रसंस्करण हेतु एक केन्द्रीय बैटरी स्कैप प्रणाली की जरूरत है, विशेष रूप से उन कम्पनियों द्वारा जिनके पास अपेक्षित पर्यावरणीय नियंत्रण उपाय मौजूद है। इसलिए इस संबंध में एक उपयुक्त कानून की भी जरूरत है।

परियोजनाएं

154. नौवीं योजना में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के रूप में सीसा-जिंक क्षेत्र में निजी या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किसी बड़े निवेश की योजना नहीं थी। हालांकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने विभाग तथा डिबारी प्रगालकों में 10,000 टन प्रति वर्ष के विस्तार की परियोजना आरंभ की थी जिसका कार्यान्वयन चल रहा है तथा यह जून 2001 के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा एच.जैड. एल. ने कैपटिव इस्तेमाल हेतु सीसा संकेन्द्रण की आपूर्ति में वृद्धि करने के साथ-साथ अपने रामपुरा-अगुचा के सीसा-जिंक खदान तथा संकेन्द्रण के विस्तार का कार्यक्रम भी शुरू किया। यह परियोजना अब पूर्ण हो गई है। एच.जैड.एल. ने अपनी सीसा संसाधन स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अन्वेषण परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

155. निजी क्षेत्र की कम्पनी इंडियन लैड लिमिटेड ने नौवीं योजना में अपनी मौजूदा क्षमता 24,000 टन प्रति वर्ष के स्तर से बढ़ाकर 40,000 टन प्रतिवर्ष करने की योजना बनाई थी। इस कार्यक्रम को कम्पनी ने वाणिज्यिक कारणों से समाप्त कर दिया है।

156. दिसम्बर 2000 में सरकार ने 1203.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान स्थित कपास में एच.जैड.एल. द्वारा 100,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ग्रीन फील्ड जिंक प्रगालक संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह परियोजना सरकार द्वारा एच.जैड.एल. की पुनर्निवेश प्रक्रिया के पूरा होने की तिथि से 48 माह के अन्दर पूरी होने की संभावना है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

सोना (गोल्ड)

157. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) वर्ष 1972 में एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में स्थापित होने से नुकसान में चल रही है तथा एक रूग्ण हो गई है। वर्ष 1992 में इसे बी.आई.एफ.आर.के.पास भेजा गया था। इस संबंध में किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद कोई व्यवहार्य पुनरूद्धार पैकेज संभव नहीं है। सरकार ने बी.जी.एम.एल. को बन्द करने का निर्णय लिया है।

योजना परिव्यय तथा व्यय

158. खान विभाग, खान एवं कोयला मंत्रालय के लिए नौवीं योजना हेतु 7753.96 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई जिसे 844.96 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता तथा 6909 करोड़ रुपये के आई.ई.बी.आर. द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। इसकी तुलना में वर्ष 1997-2000 तथा 2000-01 (संशोधित अनुमान) के दौरान संचयी वास्तविक व्यय 3483.27 करोड़ रुपये था जिसमें 684.76 करोड़ रु. बी.एस. के तथा 2798.51 करोड़ रु. आई.ई.बी.आर. के रुपये थे। इस प्रकार पिछले चार वर्षों के दौरान नौवीं योजना परिव्यय का वास्तविक खर्च 45.2% था। यह बाल्को की कोल्ड-रोलिंग मिल परियोजना, एच.सी.एल. की डी-बोटलनैकिंग, एच.जैड.एल. की विजाग तथा डेबरी प्रगालक विस्तार के निवेश में विलंब तथा एच.सी.एल. के विस्तार कार्यक्रम को बंद करने आदि के कारण हुआ।

159. 190.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता तथा रु. 1265.04 करोड़ रु. के आई.ई.बी.आर. के वित्त द्वारा वर्ष 2001-02 के लिए 1455.04 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

खनिज क्षेत्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

160. जी एस आई की बी.आर.जी.एम. के साथ चल रही सहयोगी परियोजनाओं में से 'रीजनल जियो-कैमिकल इन्वेंटरी ऑफ कर्नाटक क्रेटन ग्रीन स्टोन बैल्ट परियोजना' के IV चरण का कार्यान्वयन कार्य चल रहा है। टैक्नीकल असिस्टेंट फॉर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लेटीनम ग्रुप ऑफ मेटल इन उड़ीसा नामक अन्य परियोजना पूर्ण हो गई हैं।

161. जी.एस.आई. तथा बी.आर.जी.एम. के मध्य समझौता जी.एस.आई. को ड्रिलिंग रिंगों की आपूर्ति करने से संबंधित है। यह अप्रैल 1999 से लागू हुआ था। ड्रिलिंग रिंग की आपूर्ति अग्रिम स्तर पर है। अन्य दो परियोजनाएं, अर्थात् सुवर्णरेखा बेसिन में खनन क्रियाकलाप में प्रभाव सहायता तथा जी.एस.आई. को इलेक्ट्रॉन प्रोन माइक्रो-एनालाइजर की आपूर्ति के संबंध में फ्रांस सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

162. भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम) ने बी.आर.जी.एम., फ्रांस के साथ अगस्त 1997 में 16 मिलियन फ्रैंच फैंक्स की लागत से खान तथा अपशिष्ट वसूली के पर्यावरण प्रबंध से संबंधित अनुप्रयोग तकनीकों के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण हुई तथा आई.बी.एम. और बी.आर.जी.एम., फ्रांस के बीच टर्मिनेशन समझौते पर अक्टूबर 2000 में हस्ताक्षर हुए थे। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दक्षिण गोवा में 11 अयस्क लोह खानों को कूड़े के ढेर से धुलाई को रोकने के उचित

उपशमन मापदण्ड अपनाने का निर्देश दिया गया जो कि धान के खेतों आदि को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मुद्दों को सुकिंदा क्रोमाइट घाटी की 11 खानों के खान प्रबंधकों की जानकारी में लाया गया, जिसमें हेक्सावैलेंट क्रोमियम द्वारा सतह तथा भूमिगत जल के प्रदूषण की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें सम्भावित उपशमन उपायों के बारे में शिक्षित किया गया। इसके अलावा उन्हें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा विस्तृत कार्रवाई योजना से आई.बी.एम. को अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

163. दूसरी परियोजना तकनीकी प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित करने संबंधी है। इस परियोजना के समझौते पर आई.बी.एम. तथा बी.आर.जी.एम., फ्रांस के बीच जुलाई 1998 में हस्ताक्षर हुए थे। परियोजना की अनुमानित लागत 23.4 मिलियन फ्रैंच फ्रैंक्स थी। परियोजना के कुल नौ चरणों में से आठ चरण कार्यसूची के अनुसार पूर्ण हो गए हैं। परियोजना का अंतिम चरण तैयारी तथा तकनीकी रिपोर्टों के अंतिम दौर में है। इन रिपोर्टों के जून 2001 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

164. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बी.आर.जी.एम. के साथ एक परियोजना है अर्थात् खनन परियोजनाओं के आर्थिक आकलन हेतु लागत मॉडयूलों का विकास। इस परियोजना की लागत 1.5 मिलियन फ्रैंच फ्रैंक्स है। इस परियोजना पर बी.आर.जी.एम. के साथ जून, 1998 में इंडो- फ्रैंच प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में हस्ताक्षर हुए थे। यू.एन.फ्रेमवर्क वर्गीकरण में लागत मॉडलिंग के अनुप्रयोग को परियोजना में शामिल किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है।

ग्राम एवं लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

165. ग्राम एवं लघु उद्योग (वी.एस.आई) क्षेत्रक में शामिल उद्योग हैं: लघु उद्योग (एस.एस.आई), हैंडलूम, हस्तशिल्प, पावरलूम, रेशम-पालन, खादी, ऊन, कॉयल आदि। यह क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में एक गतिशील तथा गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। इस क्षेत्रक ने उत्पादन, रोजगार और निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की है। लघु उद्योग न्यूनतम निवेश पर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन तथा श्रमिकों को रोजगार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बड़े तथा मध्यम उद्योगों की तुलना में गरीबी की समस्या के समाधान तथा रोजगार में यह प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। देश में लगभग 31 लाख लघु उद्योग यूनिटें हैं तथा विनिर्माण क्षेत्रक के उत्पादन के सकल मूल्य का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा और देश के कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा लघु उद्योग से आता है। इससे लगभग 171 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जो कि कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

166. लघु उद्योग राष्ट्रीय आय के और अधिक समान वितरण तथा औद्योगिक क्रियाकलापों को बढ़ाने में काफी सहायता कर रहे हैं। सरकार, लघु उद्योगों को अपनी नीतियों द्वारा प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान कर रही है जैसे कि आधारभूत ढांचे के लिए सहायता, ऋण देने में तरजीह देना, सिर्फ लघु उद्योग में निर्माण के लिए उत्पादों को आरक्षित करना, खरीद में तरजीह देना।

167. लघु उद्योग की वृद्धि कुल मिलाकर सामान्यतः औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में सम्पूर्ण रूप में दो से तीन प्रतिशत पॉइंट ज्यादा है। तथापि हाल ही में इस क्षेत्र को मुक्त आर्थिक व्यवस्था तथा आयात से प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होने का एहसास शुरू हो गया है। लघु उद्योगों के विकास के संबंध में डा. एस.पी. गुप्ता, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया है जो लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देगा। अध्ययन दल में एस.एस.आई. क्षेत्र, एस.एस.आई. एसोसिएशनों, सरकारी पदाधिकारियों, विशेषज्ञों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस दल ने बहुत सी बैठकें की तथा लघु उद्योग क्षेत्र के नीति विषयों, ऋण तथा मुद्रा स्फीति मामले, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, विपणन तथा निर्यात आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए चार उप-दलों का गठन किया।

168. अध्ययन दल ने 6 जुलाई 2000 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अध्ययन दल की अंतरिम रिपोर्ट तथा इस पर अंतर मंत्रालय परामर्श के आधार पर प्रधानमंत्री ने दिनांक 30 सितम्बर, 2000 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लघु उद्योग के राष्ट्रीय सम्मेलन में नई नीति के सूत्रपात की घोषणा की। इन घोषणाओं का एस.एस.आई.ए एवं आर.आई मंत्रालय द्वारा अनुसरण कर घोषणाएं की गईं। अतः अध्ययन दल की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले अध्ययन दल द्वारा की गई बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर कार्यान्वित करना शुरू कर दिया गया है। अंतिम रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत होने की संभावना है।

169. इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए तथा देश की आर्थिक-व्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लघु उद्योग क्षेत्र में राशि वितरित करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनःवित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक है। 2 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी समर्थक गारंटी के दिया जाता है। एक ऋण गारंटी योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी क्रेडिट फंड द्वारा दी जाएगी तथा यदि एस.एस.आई यूनिट असफल रहती है तो 75 प्रतिशत ऋण का भुगतान बैंक को कर दिया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत का भुगतान यूनिट की परिसम्पत्तियों के परिसमापन द्वारा वसूल किया जाएगा। एस.एस.आई यूनिटों की टर्नओवर सीमा 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है, छोटे क्षेत्रों को ऋण देने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा एन.बी.एफ.सी. या अन्य वित्तीय मध्यस्थों को प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है। लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए विशिष्ट बैंक शाखाएं खोली जा रही हैं, जिससे लघु क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। अब तक बैंकों द्वारा 391 विशिष्ट बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

170. सिडबी के प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण की गुंजाइश को व्यापक बना कर इसमें समस्त एस.एस.आई. यूनिटों को शामिल किया गया है। इससे पहले सिर्फ निर्यातोन्मुखी यूनिटों को इस योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता था। अध्ययन दल की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एस.एस.आई. क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सरकार ने क्रेडिट से जुड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम को स्वीकृत कर दिया है।

171. उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात के संबंध में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्नक 7.2 में दर्शाई गई हैं। आगामी पैराग्राफों में क्षेत्र वार विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 (व्यय अनुमान तथा संशोधित अनुमान) तथा 2001-02 (बजट अनुमान) का योजना परिव्यय तथा व्यय संलग्नक 7.3 में दिया गया है।

लघु उद्योग

172. लघु उद्योग विकास संगठन (एस.आई.डी.ओ), लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एस.एस.आई. यूनिटों के संगठनों के एक नेटवर्क द्वारा सेवाएं प्रदान करता है। एस.आई.डी.ओ. द्वारा तकनीकी इनपुट, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण, विस्तारण, विपणन विकास सहायता, डाटा बैंक सहायता, बुनियादी सुविधाएं, ऋण गारंटी, तकनीकी उन्नयन के लिए कैपिटल लिंक सब्सिडी आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

173. लघु उद्योग विकास संगठन ने एस.एस.आई. यूनिटों की सहायता तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए कई टूल-रूम स्थापित किए हैं। टूल रूम द्वारा तकनीकी परामर्श तथा गुणवत्ता वाले उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन के लिए संयुक्त सेवा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। वर्तमान समय में कलकत्ता, लुधियाना, जालंधर, हैदराबाद, नागपुर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, अहमदाबाद, इंदौर तथा औरंगाबाद में 10 टूल-रूम कार्य कर रहे हैं। एक नया टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोहाटी में स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशिक्षण तथा उत्पादन सुविधाओं के निर्माण में मदद देने के लिए बहुत से राज्यों में छोटे टूल रूम भी स्थापित किए जा रहे हैं।

174. अधिकतर कार्यशालाएं एस.एस.आई. यूनिटों को सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थानों में स्थापित की गई हैं जिनमें से अधिकतर 30 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हैं। इन कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन और इन्हें आधुनिकतम मशीनों तथा दक्ष मानवशक्ति से सुसज्जित करने का कार्य चरण-बद्ध रूप में शुरू किया जा रहा है।

175. एस.एस.आई. समूह (क्लस्टर) की आधुनिकतम तथा प्रौद्योगिकीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1998 में एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा प्रबंध योजना शुरू की गई थी। 6 क्लस्टरों की पहचान कर ली गई है तथा इन क्लस्टरों में नैदानिक अध्ययन शुरू कर दिए हैं।

176. औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हेतु आठवीं योजना के दौरान समेकित बुनियादी ढांचा विकास केन्द्र योजना शुरू की गई थी। इस योजना को अनेक प्रतिबंधित प्रावधानों को हटाकर पुनः तैयार किया गया तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों सहित सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर को भरपूर उदारतापूर्वक वित्त प्रदान किया गया। अब तक 58 आई.आई.डी.सी. स्वीकृत हो चुके हैं तथा फरवरी 2001 तक 38.83 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान जारी कर दिया गया है।

177. प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) कार्यान्वित की जा रही है जिसके द्वारा संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है तथा बेरोजगार युवकों को व्यापार/औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए बहुत से संशोधन किए गए हैं, अर्थात् भूतपूर्व सैनिकों की आयुसीमा बढ़ाकर 45 वर्ष करना, महिलाओं और विकलांगों को शामिल करना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को कम करना, आय सीमा तथा परियोजना के आकार को बढ़ाना, उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए ऋण/अग्रिम हिस्से को बढ़ाना आदि। वर्ष 2000-01 के दौरान नवम्बर 2000 तक 2.23 लाख मामले प्राप्त हुए तथा पूरे वर्ष में 2.2 लाख लाभकर्ताओं के लक्ष्य की तुलना में 72656 मामलों को स्वीकृत किया गया। इनमें से 34,593 लाभकर्ताओं को ऋण की राशि वितरित की गई। कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत वसूली की असंतोषजनक दर चिंता का विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा डी.सी. (एस.एस.आई.) के कार्यालय द्वारा बैंकों को उचित सुधारात्मक कार्रवाही करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.)

178. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.) देश में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने, इसकी सहायता तथा वृद्धि को संजोए रखने के लिए किराए पर मशीनरी, पट्टे पर उपकरण, कच्चे माल की सहायता, घरेलू तथा निर्यात के लिए विपणन इनपुट, सिंगल प्वाइंट पंजीकरण आदि की सुविधा प्रदान करना है। एन.एस.आई.सी. पूरे देश में जीवनक्षम लघु उद्योग के प्रोत्साहन में भी सहायता देता है विशेषरूप से पिछड़े इलाकों में उद्योगों को तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पहचाने गए उत्पादन को चयनित दिशा की ओर ले जाने में सहायता देता है।

179. एन.एस.आई.सी. ने विपणन सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसमें निम्नवत शामिल है: (i) कच्चे माल की सहायता कार्यक्रम (ii) समेकित विपणन सहायता कार्यक्रम और (iii) सरकार को विपणन तथा टेंडर विपणन सहित संकाय का निर्माण। कच्चा माल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निगम एस.एस.आई. यूनिटों की ओर से विभिन्न कच्चे माल, कल-पुर्जे, उप-एसेम्बली की खरीद करता है और यूनिटों की इनकी जरूरत तथा क्षमता के अनुसार भुगतान पर थोड़े लाट में वितरित करता है ताकि समस्त स्टॉक भंडारण की तिथि से 100 दिन के भीतर खाली हो जाए। समेकित विपणन सहायता कार्यक्रम एस.एस.आई. यूनिटों की वित्तीय जरूरतों को पूर्ण करने को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कि वस्तुओं की बिक्री से विलम्बित भुगतान के कारण उत्पन्न होता है।

180. निर्यात वाली एस.एस.आई. यूनिटों को 'सिंगल विंडो स्कीम' के अंतर्गत निगम ने अनेक एस.एस.आई. यूनिटों को सहायता प्रदान की। एस.एस.आई. यूनिटों द्वारा निर्यात किए जा रहे उत्पादों में बिल्डर्स के हार्डवेयर उत्पाद, सैफ्टी रेजर्स, पीतल रूल-पुर्जे, मशीनी औजार, हाथ के औजार, हाथ के दस्ताने, डीजल इंजन, सैनेट्री तथा बाथरूम फिटिंग, खेलकूद का सामान, चमड़े का सामान, उद्यान के औजार आदि शामिल हैं। एन.एस.आई.सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी एस.एस.आई यूनिटों के साथ हिस्सा लेती है। वर्ष 2000-01 के दौरान जनवरी 2001 तक एस.एस.आई. यूनिटों का एन.एस.आई.सी. के माध्यम से निर्यात, पिछले वर्ष की सदृश अवधि में 33.45 करोड़ ₹ की तुलना में, 35.10 करोड़ ₹ था। एन.एस.आई.सी. ने सरकार भण्डार खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2000 तक 30,660 एस.एस.आई.

यूनिटों का पंजीकरण किया । वर्ष 2000-01 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 703 नई यूनिटों का पंजीकरण किया गया ।

181. "एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलाजी" के सहयोग से निगम द्वारा टैक्मार्ट इंडिया 2000 का आयोजन किया गया । एन.एस.आई.सी. ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र के माध्यम से विदेशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्य में एस.एस.आई. यूनिटों की मदद भी की । अपने अंतर्राष्ट्रीय सहभागी संस्थानों से प्रौद्योगिकीय स्रोतों के लिए एक इंटरनेट आधारित पोर्टल (प्रौद्योगिकी शो-केस) स्थापित किया है ।

खादी और ग्राम-उद्योग

182. खादी और ग्राम-उद्योगों का निष्पादन संलग्नक 7.2 में दर्शाया गया है ।

183. पिछले वर्षों में खादी कपड़े के उत्पादन और रोजगार में गिरावट आई है । तथापि ग्राम-उद्योगों में उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि देखने में आई है तथा ग्राम-उद्योगों में नए रोजगार सृजन की रिपोर्ट भी मिली है । राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एन.आई.डी) , अहमदाबाद को खादी में नए तथा आकर्षक डिजाइन तैयार करने के लिए एक परियोजना सौंपी गई । खादी के लिए एन.आई.डी. द्वारा फाईबर रंगाई रंगाई तथा यार्न रंगाई डिजाइनों का कार्य शुरू किया जा रहा है । राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) द्वारा विकसित नए फैशन डिजाइनों का उत्पादन भी खादी यूनिटों द्वारा शुरू किया जाएगा । भविष्य में "बिना लाभ" के स्थान पर "बिना हानि" अवधारण पर बल दिया जाएगा ।

184. उच्च स्तरीय समिति ने आठवीं योजना के दौरान के.वी.आई. क्षेत्र में दो मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन की परिकल्पना की है । इसे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) कहा जाता है । रोजगार सृजन की असंतोषजनक प्रगति को ध्यान में रखते हुए (वर्ष 2000-01 तक सिर्फ लगभग 5 लाख नए रोजगार सृजित किए गए) आर.ई.जी.पी. के लक्ष्य को संशोधित किया गया तथा नौवीं योजना के अंत तक कुल 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे।

185. वर्ष 1995-96 से के.वी.आई.सी. ने नए ग्राम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई मार्जिन मनी स्कीम आरंभ की थी । 10 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी । 10-25 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा । उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तक दी जाएगी । तथापि कन्सोर्टिया ऑफ बैंकों से राशि का उपयोग कम हुआ है । दिनांक 31.3.2000 तक एम.एम.एस. के अंतर्गत 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 112.91 करोड़. ₹ की राशि जारी की गई है । के.वी.आई.सी. द्वारा 63.38 करोड़ रुपये के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कुल 228 करोड़ ₹ (लगभग) का निवेश दर्शाया गया है । दिनांक 31.3.2000 तक 33,538 लाभार्थियों ने एम.एम.एस. से लाभ उठाया था । वर्ष 1999-2000 के दौरान 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एम.एम.एस. के बेहतर कार्यान्वयन के लिए आयुक्त (उद्योग) की अध्यक्षता में कार्यदल गठित किए गए । ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत के.वी.आई.सी. द्वारा

50 क्लस्टरों की पहचान की गई । 12 क्लस्टरों में 1999-2000 में कार्य शुरू किया गया इनमें से 5 क्लस्टरों का उत्पादन शुरू हो गया है । ग्रामीण रोजगार में वृद्धि तथा पिछड़े तथा आगामी के बीच समपर्क की स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, सेटलाईट क्लस्टर यूनितों के लिए एक समान सेवा नेटवर्क सहायता आदि के लिए क्लस्टरें बढ़ाने के संबंध में और कार्य के.वी.आई.सी. द्वारा शुरू कर दिया है ।

कॉयर उद्योग

186. पारंपरिक कुटीर उद्योगों में कॉयर उद्योग का स्थान सर्वोपरि है । यह श्रमिक प्रबलता तथा निर्यातोन्मुखी उद्योग है । कॉयर उद्योग के निष्पादन को संलग्नक 7.2 में दर्शाया गया है । कॉयर बोर्ड को कॉयर उद्योग की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने, निर्यात बढ़ाने तथा प्रचार द्वारा घरेलू बाजार के विस्तार की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं । कॉयर बोर्ड ने कॉयर क्षेत्र के लिए बहुत से विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं, इसमें प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए सहायता, कॉयर उद्योग पुरस्कार, महिला कॉयर योजना, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण, माडल कॉयर ग्राम, शिल्पकारों के लिए ग्रुप बीमा योजना, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, नीरसता में कमी करना तथा अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं ।

187. स्पिनिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के रूप में समेकित कॉयर विकास परियोजना की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है । केरल में 125 स्पिनिंग यूनितें तथा 46 डिफाइबरिंग यूनितें स्थापित की जा रही हैं । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा 5.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है । अब तक 74 स्पिनिंग यूनितें तथा 18 डिफाइबरिंग यूनितें चालू कर दी गई हैं । 14.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा 2.91 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान के साथ तमिलनाडु के लिए आई.सी.डी.पी. की स्वीकृति दी गई । भारत सरकार के हिस्से के रूप में 8.4 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । इसी के अनुरूप 4.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना कर्नाटक के लिए स्वीकृत की गई । स्कीम में 8 नई सहकारी सोसायटियों की स्थापना, मौजूदा 27 कॉयर सहकारिताओं का आधुनिकीकरण और विस्तार तथा धागे की रंगाई के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है ।

188. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) के अध्ययन के आधार पर कॉयर तथा कॉयर उत्पादों पर से न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया गया है । यह कदम कॉयर उत्पाद को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर आसानी से निर्यात करने के लिए उठाए गए हैं । न्यूनतम निर्यात मूल्य हटने के बाद कॉयर निर्यात में नियमित रूप से वृद्धि हुई है । कॉयर बोर्ड द्वारा यू.एन.डी.पी. के आर्थिक सहयोग से "भारतीय कॉयर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आधुनिकीकरण तथा क्षमता का निर्माण" की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है । इस परियोजना का कुल परिव्यय 8,46,000 (3.80 करोड. ₹) अमेरिकी डालर है । तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में 6 कॉयर क्लस्टरों की पहचान कर ली गई है ।

189. कॉयर बोर्ड द्वारा वर्ष 1969 में हिन्दुस्तान कॉयर को मॉडल पावरलूम फैक्ट्री के रूप में यह सोचकर स्थापित किया गया था ताकि पावरलूम पर कॉयर मैटिंग के उत्पादन को प्रदर्शित करने से अन्य उद्यमी भी इसी प्रकार की यूनितों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे । फैक्ट्री ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 2.47 करोड़ ₹ मूल्य के 2.79 वर्ग मी. पावरलूम मैटिंग के उत्पादन किया। फैक्ट्री ने बी.वी.क्यू.1 से वर्ष 1997

में आई.एस.ओ. 9002 का प्रमाणीकरण प्राप्त किया तथा कॉयर उद्योग में यह पहली पावरलूम फैक्ट्री थी जिसे यह प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। बी.वी.क्यू.1 ने वर्ष 1999-2000 के दौरान दो निगरानी आडिट किए।

हथकरघा (हैंडलूम)

190. हथकरघा, भारत की विरासत तथा हमारे देश की सम्पन्नता और विविधता तथा बुनकरों की कला कौशल का एक भाग है। यह अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि के बाद हथकरघा दूसरा बड़ा आर्थिक क्रियाकलाप वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र अनुमानतः 30 लाख से अधिक बुनकर परिवारों तथा लगभग 130 लाख बुनकरों (1999-2000) को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। वित्तीय सहायता के जरिए सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप तथा विभिन्न विकास तथा कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन से यह क्षेत्र पावरलूम तथा मिल क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बन गया है। देश में कुल कपड़ा उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 19 प्रतिशत है तथा देश की निर्यात आय में भी इसका बड़ा योगदान है। उप-क्षेत्र का निष्पादन संलग्नक 7.2 में दिया गया है।

191. हथकरघा क्षेत्र अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जैसे कि पुरानी प्रौद्योगिकी तथा पारंपरिक उत्पादन तकनीकें, हेंक धागे की ऊंची कीमतें, इनपुटों की जैसे कि मानकीकृत डाई तथा छोटे पैक में रसायन अपर्याप्त उपलब्धता, नए डिजाइनों की कमी, दक्षता उन्नयन के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि तथा अपर्याप्त विपणन आसूचना और फीडबैक। इसके अलावा यह प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि असंगठित ढांचा, बुनकरों का कमजोर आर्थिक आधार तथा कोपरेटिव का नौकरशाहीकरण/सहकारिताओं के राजनीतिकरण जैसी समस्याओं से भी घिरा हुआ है।

192. हथकरघा क्षेत्र मुख्य रूप से अपने प्रमुख कच्चे माल, नामतः हेंक धागे की आपूर्ति के लिए संगठित मिल क्षेत्र पर निर्भर है। केन्द्रीय सरकार हथकरघा क्षेत्र को उचित दामों पर धागे की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए (क) हेंक धागा दायित्व स्कीम तथा (ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) के माध्यम हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्य पर धागे की आपूर्ति कराने के प्रयास कर रही है। एन.एच.डी.सी. ने वर्ष 1999-2000 के दौरान हथकरघा अभिकरणों को 193.44 लाख कि०ग्रा० धागे की आपूर्ति की। वर्ष 2000-01 के दौरान दिसम्बर 2000 तक एन.एच.डी.सी. ने 109.22 लाख कि०ग्रा० हेंक धागे की आपूर्ति की।

193. विपणन सहायता के एक भाग के रूप में पूरे देश में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो हैदराबाद, जयपुर, पुणे तथा दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता देने के लिए 44 जिला स्तरीय समारोह, शिल्प मेले तथा पांच विशेष एक्सपो सिल्क फेब, आई.आई.टी.एफ., दिल्ली में ऊनी कपड़ों की प्रदर्शनी, लखनऊ में सिल्क प्रदर्शनी तथा गुवाहाटी में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई।

194. कल्याणकारी उपायों के रूप में तथा हथकरघा बुनकरों को कार्य करने की बेहतर परिस्थियों प्रदान करने के लिए गुप बीमा योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना, थ्रिफ्ट फंड स्कीम, परियोजना पैकेज स्कीम तथा कार्य-शेड-एवं आवास योजना आदि के हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एक नई योजना दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2000 में सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। कुछ मौजूदा योजनाओं, जैसेकि परियोजना पैकेज योजना, प्रचार, मुक्त डिजाइनर योजना आदि को दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.पी.एच.वाई.) में शामिल किया गया है। डी.डी.पी.एच.वाई. योजना के अंतर्गत हथकरघा संगठनों को निम्निखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसेकि (i) आधारभूत इनपुट, (ii) ढांचागत सहायता, (iii) डिजाईन इनपुट, (iv) प्रचार, (v) विपणन इंसेंटिव, (vi) परिवहन सब्सिडी और (vii) हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण। अनुदान केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 50 : 50 के अनुपात में दिया जाएगा। सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में हिस्सेदारी का अनुपात 90 : 10 होगा। उन एजेंसियों के लिए जहाँ 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अनुदान का अनुपात 75 : 25 होगा। सभी राज्यों में विपणन सहायता के लिए केन्द्र व राज्य के बीच 50 : 50 का अनुपात होगा।

पावरलूम

195. विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र देश की कपड़े की जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पावरलूम उद्योग कपड़े की व्यापक किस्मों का उत्पादन करता है इसमें ग्रे सहित प्रसंस्कृत जटिल डिजाइन दोनों शामिल हैं। देश में कुल कपड़ा उत्पादन में लगभग 59 प्रतिशत हिस्सा पावरलूम क्षेत्र का है इसमें गैर-एस.एस.आई, बुनकर तथा हौजरी/सिलाई यूनितों द्वारा निर्मित कपड़ा शामिल नहीं है। इस क्षेत्र का निर्यात आय में भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

196. देश में विकेन्द्रीकृत पावरलूम की अनुमानित संख्या 1986 के 6.39 लाख से बढ़कर दिनांक 31 दिसम्बर 2000 को 16.56 लाख हो गई थी।

197. वस्त्र आयुक्त के अधीन 13 पावरलूम सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा 29 पी.एस.सी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, नामतः ए.टी.आई.आर.ए., बी.टी.आर.ए., एम.ए.एन.टी.आर.ए., एन.आई.टी.आर.ए., एस.ए.एस.एम.आई.आर.ए., आई.जे.आई.आर.ए., एस.आई.टी.आर.ए. के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश तथा मध्य-प्रदेश ने क्रमशः हैदराबाद तथा जबलपुर में वर्ष 2000 में पी.एस.सी. स्थापित किए हैं। ये पी.एस.सी. पावरलूमों को इनपुट प्रदान करते हैं जैसे तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण, डिजाईन, प्रौद्योगिकी सूचना आदि।

198. पावरलूम सेवा केन्द्रों में पावरलूम काफी पुराने हैं तथा इन्हें लगातार लम्बे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इन्हें आधुनिक बनाने की जरूरत है तथा मौजूदा पी.एस.सी. में शटल-लैस लूम, कोप-चेंजिंग/शटल चेंजिंग लूम, ड्राप-वाक्स लूम, डौबी, जैक्यूर्ड टैरी फैब्रिक वीविंग लूम, प्रिन वाइंडिंग मशीन, सैक्शनल रैपिंग मशीन, यार्न तथा फैब्रिक परीक्षण उपकरण, रसायन परीक्षण उपकरण आदि स्थापित करके इनके सुदृढीकरण की आवश्यकता है।

199. अब तक देश में 17 कम्प्यूटर समर्थित डिजाइन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । पानीपत (एन.आई.टी.आर.ए.) तथा शोलापुर (बी.टी.आर.ए.) में, दो सी.ए.डी. केन्द्रों को अपलिकिंग तथा डाऊनलिकिंग द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन केन्द्र, नई दिल्ली से जोड़ा गया है । भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 1999-93 में ग्रुप बीमा योजना आरंभ की गई थी इसे संशोधित किया गया तथा संशोधित योजना के अनुसार 18-60 वर्ष आयु वाला वह बुनकर जो वर्ष के दौरान ₹ 700 प्रतिमाह अर्जित करता है इस योजना में शामिल होने का पात्र होगा । इसका वार्षिक अंशदान समानरूप से पावरलूम श्रमिक केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच विभाजित किया जाता है ।

ऊन क्षेत्रक

200. भारत में ऊन उद्योग मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है । यह एक ऐसा उद्योग है जहाँ संगठित क्षेत्र, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र एक दूसरे के घरेलू बाजार तथा निर्यात के विभिन्न भागों की जरूरतों को एक दूसरे के पूरक के रूप में पूरा कर रहे हैं । इस उद्योग में संगठित क्षेत्र में आधुनिक परिष्कृत पूर्णतया कम्पोजिट मिलों के साथ-साथ तथा ग्राम स्तर पर हथकरघा तथा हस्त निर्मित कालीन बुनाई यूनिटें शामिल हैं ।

201. ऊन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विविध हितों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (सी.डब्ल्यू.डी.बी.) , जोधपुर उद्योग के समेकित विकास हेतु 1989 से कार्य कर रहा है । सी.डब्ल्यू.डी.बी. ऊन तथा ऊनी कपड़े के उत्पाद के विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से कार्य कर रहा है जैसे कि विपणन आसूचना, ऊन तथा ऊनी कपड़ों का विपणन, ऊन तथा ऊनी कपड़ों का मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, सूचना प्रसार, उत्पाद विविधीकरण, नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना, समन्वय आदि ।

202. अंगूरा ऊन के विकास के लिए 8.43 करोड़ ₹ की यू.एन.डी.पी. सहायता से एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है । उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, सिक्किम आदि के ग्रामीण बेरोजगार युवकों की तथा कृषकों को अंगूरा ऊन के उत्पादन तथा प्रसंस्करण की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । भेड़ तथा ऊन समेकित विकास परियोजना के अंतर्गत प्रजनन विकास के पहलुओं, स्वास्थ्य क्षेत्र, उत्पाद विकास, विपणन सहायता, भेड़ पालकों के भेड़ के संबंध में प्रशिक्षण, भेड़ पालन तथा उत्पादकता आदि को शामिल किया गया है । बोर्ड का लक्ष्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000-01 में 24.75 लाख भेड़ों के साथ-साथ 6 लाख नई भेड़ों को कवर करने का है ।

203. सी.डब्ल्यू.डी.बी ने ऊन उत्पादकों, व्यापारियों तथा उद्योगों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऊन परीक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं । बोर्ड ने ऊन की धुलाई का एक लघु संयंत्र, बुनाई एवं डिजाइनिंग केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक सेवा केन्द्र, ऊन परीक्षण सुविधाएं आदि स्थापित की हैं । कतरन मशीन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड एक मशीन कतरन एवं प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित कर रहा है ।

204. देश में विपणन आसूचना नेटवर्क स्थापित करने के लिए बोर्ड ने मुख्य ऊन बाजारों में 10 केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों द्वारा ऊन तथा धागे की प्रचलित बाजार मूल्य सूचना, साप्ताहिक आधार पर ऊन तथा ऊनी कपड़ों के उत्पादों का नवीनतम प्रचलन और लेन-देन की सूचना को एकत्र करके ऊन उत्पादकों, ऊन व्यापारियों तथा ऊन उपभोक्ताओं के बीच प्रसारित की जाती है। सी.डब्ल्यू.डी.बी. ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में बुनाई तथा डिजाईनिंग केन्द्र भी स्थापित किया है जो हथकरघा ऊन बुनकरों को नवीनतम बुनाई प्रौद्योगिकी तथा नए डिजाईनों के बारे में प्रशिक्षण देगा ताकि उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके तथा इनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके।

रेशम-उत्पादन

205. भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक देश है। भारत रेशम के चारों किस्मों का उत्पादन करता है, अर्थात् मल्बरी, इरी, टसर तथा मूगा। रेशम-उत्पादन एक श्रमिक प्रधान कृषि आधारित उद्योग है जो कि लगभग 62.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (सी.एस.बी) रेशम उत्पादन के विकास तथा वृद्धि के कार्य की देखभाल करता है तथा देश में रेशम-उत्पादन उद्योग को विस्तार तथा अनुसंधान एवं विकास इनपुट प्रदान करता है। बोर्ड, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के तीन बड़े क्षेत्रों, रेशम-उत्पादन के बीज का रख-रखाव तथा रेशम और रेशम उद्योग के विकास को कवर करता है।

206. सी.एस.बी. ने मल्बरी रेशम-उत्पादन के लिए मैसूर (कर्नाटक), बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) तथा पम्पोर (जम्मू एवं कश्मीर) में अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं। रांची (झारखंड) स्थित संस्थान टसर किस्म पर कार्य कर रहा है जबकि जोरहाट (असम) स्थित संस्थान मूगा और इरी रेशम-उत्पादन पर कार्य कर रहा है। केन्द्रीय सिल्क प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर पोस्ट-काकून क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करता है। सी.एस.बी. ने रेशम कीट नस्लों से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयागशाला, बंगलौर (कर्नाटक), केन्द्रीय रेशम-उत्पादन जर्मप्लाज्म संसाधन केन्द्र, होसुर (तमिलनाडू) तथा रेशम जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला बंगलौर की भी स्थापना की है।

207. सी.एस.बी. राष्ट्रीय रेशमकीट बीज परियोजना द्वारा गुणवत्ता वाले रेशमकीट बीज उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2000-01 में नवम्बर, 2001 तक एन.एस.एस.पी द्वारा 143.46 लाख रोग-मुक्त लेइंग (डीएफएलएस) प्रदान की गई। वर्ष 2000-01 के दौरान दिसम्बर, 2001 तक मूगा तथा इरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों ने क्रमशः 0.96 लाख तथा 0.20 लाख बीजों का उत्पादन किया।

208. सी.एस.बी. ने 36 केटालिटिक विकास योजनाओं को राज्यों को उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने तथा विपणन सहायता प्रदान करने के लिए नौवीं योजना में कार्यान्वयन हेतु निरूपित किया है। इन स्कीमों में सी.एस.बी. का अंशदान 89.27 करोड़ ₹ था। अब तक सी.एस.बी. के 24 राज्यों से 99.25 करोड़ ₹ की लागत वाली 285 परियोजनाएं प्राप्त हो गई हैं इसमें सी.एस.बी. का अंशदान 54.77 करोड़ ₹ का है। राज्यों में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति हो रही है।

209. यू.एन.डी.पी. ने गैर-मल्बरी सिल्क (टसर, मूंगा तथा इरी) के विकास के लिए कन्ट्री कोआपरेशन प्रोग्राम वर्क-I (सी.सी.एफ-I) के फाईबर तथा हस्तशिल्प कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से कुल 11.99 करोड़ रुपये की लागत से आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय तथा नागालैण्ड राज्यों में एक उप-कार्यक्रम आरंभ किया था इसमें भारत सरकार का अंशदान 3.98 करोड़ ₹ था । इस कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता वाले अंडे के उत्पादन में वृद्धि तथा आपूर्ति, प्रशिक्षण तथा दक्षता उन्नयन, पूर्व-काकून तथा पश्च-काकून प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी सहायता, रीलिंग सहित, स्पिनिंग आदि को शामिल किया गया है ।

210. जापान अंतर्राष्ट्रीय कोपरेटिव एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) का बाइवोल्टाइन परियोजना में सहायता का दूसरा चरण क्षेत्रीय जांच तथा प्रथम चरण में तैयार बाइवोल्टाइन नस्लों के प्रदर्शन के लिए 1997 में शुरू हुआ था । क्षेत्र परीक्षण पूरे कर दिए गए हैं तथा इन बाइवोल्टाइन नस्लों का निष्पादन संतोषजनक था । औसतन पैदावार 60 कि0ग्रा0/100 डी.एफ.एल. से ज्यादा थी, एक रैडिटा 6 से 7 कि0ग्रा0 तथा 2ए-4ए ग्रेड कच्ची सिल्क (एक उच्च गुणवत्ता वाली) सतत रूप से प्राप्त की गई । दसवीं योजना के दौरान इन रेशम कीट नस्लों का उपयोग बाइवोल्टाइन रेशम-उत्पादन के लिए व्यापक स्तर पर किया जाएगा ।

211. मध्य प्रदेश सरकार की रेशम-उत्पादन परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक (जे.बी.आई.सी.) के सहयोग से कार्यान्वयन कार्य चल रहा है । इसकी अनुमानित लागत 748.80 करोड़ ₹ है । परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत (अनुमानित लागत 117.10 करोड़ ₹) 830 है. क्षेत्र में मल्बरी रोपण का कार्य पूरा हो गया है ।

212. मणिपुर राज्य जुलाई, 1998 से रेशम-उत्पादन की एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है इसकी अनुमानित लागत 490.61 करोड़ ₹ है तथा यह जे.बी.आई.सी. के वित्तीय सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी । अब तक 13 स्थानों के लिए विकास योजनाओं/क्षेत्रों के मानचित्रण कार्य को पूरा कर लिया गया है । अन्य नौ स्थानों के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है । प्रायोगिक योजना के अंतर्गत एक माडल रिअरिंग बेस का निर्माण किया जाएगा तथा संकर रेशमकीट अंडा योजना के प्रगुणन के अंतर्गत पी2 रेशमकीट के 4,800 डी.एफ.एल.एस रखे जाएंगे ।

हस्तशिल्प

213. हस्तशिल्प क्षेत्र, देश की अर्थ-व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान रखता है । रोजगार सृजन में योगदान देने तथा निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ देश की विरासत तथा परंपरा को बचाए रखने में इसका विशेष योगदान है । पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला है । तत्संबंधी विवरण संलग्नक 7.2 में दर्शाया गया है ।

214. हस्तशिल्प क्षेत्र में राज्य के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना स्कीमों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन को बढ़ावा, प्रदर्शनी तथा प्रचार, निर्यात आदि को शामिल किया गया है।

215. मौजूदा दस्तकारों की दक्षता में उन्नयन के लिए शिल्पियों के साथ-साथ गैर-दक्ष व्यक्तियों को आर्थिक विकास के लिए रोजगार में तथा उत्पादन आधार में विस्तार को ध्यान में रखकर तथा सुसुप्त शिल्पों के पुनरुत्थान के लिए, भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत से अध्ययनों से यह पता चला है कि 70 से 80 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण के बाद लाभदायक रोजगार प्राप्त किया है। 196 विभागीय बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा 100 उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो कालीन की बुनाई का प्रशिक्षण देते हैं। बुनाई के बाद के कार्यों जैसे कि कालीन की सफाई तथा फिनिशिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 7 केन्द्र हैं। कालीन के अलावा शिल्पियों को शिल्प के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे हाथ से कपड़े की छपाई, आर्ट-मेटल वेअर, केन एवं बांस बाम्बू, वुड चेअर्स आदि।

216. नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (आर.डी.टी.डी.सी.) स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के क्रियाकलापों में समकालीन बाजार में एक सफल शिल्प तैयार करना तथा ठोस डिजाइन इनपुट के आधार पर शिल्प की पारंपरिक सुंदरता की रक्षा करना शामिल है। इसके अलावा वाद्य यंत्र विकास केन्द्र, मद्रास, बेंत एवं बांस विकास संस्थान, अगरतला, कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही, उ0प्र0 तथा धातु हस्तशिल्प केन्द्र, मुरादाबाद की स्थापना अनुसंधान एवं डिजाइन विकास प्रौद्योगिकी, उन्नत औजार तथा उपकरण, नए डिजाइनों का विकास प्रोटोटाइप आदि पर कार्य करने के लिए की गई है।

217. मुरादाबाद स्थित धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, सिल्वर प्लेटिंग, पाउडर कोटिंग, धातु का परीक्षण की सामान्य तथा शिल्पियों की दक्षता में उन्नयन की सेवा प्रदान कर रहा है। बेंत एवं बांस विकास संस्थान, अगरतला बेंत एवं बांस हस्तशिल्प के उपचार तथा संरक्षण के लिए तथा इसे कीटनाशी और फंफूदी आदि से बचाए रखने हेतु उपयुक्त रसायनों तथा रोगन के उपयोग द्वारा, इसकी उचित तकनीकों के विकास पर कार्य कर रहा है। इसके प्रसार के लिए हस्तशिल्पियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

218. बाजार परिचय स्कीम को हस्तशिल्पियों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा व्यापारियों के बीच बेहतर तथा अर्थपूर्ण मेलमिलाप के लिए संशोधित किया गया है। हस्तशिल्पियों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 30 स्थानीय स्तर की विपणन कार्यशालाएं, दस राष्ट्र स्तरीय मेले, तीन उत्पाद उन्नयन कार्यक्रम, 6 शिल्प बाजार, तीस स्थानीय प्रदर्शनियां तथा पर्व लघु हस्तशिल्प एक्सपो तथा दो राष्ट्रीय एक्सपो आयोजित किए गए।

219. दिल्ली हाट के अनुरूप शहरी हाट स्थापित करने की योजना के अंतर्गत विपणन हितों के प्रमुख स्थानों पर इसके बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अब तक आगरा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, करनाल, जम्मू, तिरुपति तथा कोलकाता में आठ शहरी हाट स्वीकृत हो गए हैं।

220. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय तथा हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के निर्यात को बढ़ाने के प्रयासों में विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेना, बिक्री/तकनीकी एवं अध्ययन दलों को विभिन्न देशों में भेजने के लिए प्रायोजक संस्था के रूप में काम करना शामिल है। ई.पी.सी.एच. ने हांगकांग, मनीला, मेलबोर्न, बर्मिंघम (ब्रिटेन), सिडनी (आस्ट्रेलिया), दक्कास, मेमफिस, कैलीफोर्निया, वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका), टोक्यो (जापान), मिलन (इटली) तथा मुनिच (जर्मनी) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लिया। ई.पी.सी.एच. ने मैक्सको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि में खरीद-बिक्री बैठक में भी हिस्सा लिया। हस्तशिल्प निर्यात में ज़री तथा ज़री से बने सामान की शिल्प वस्तुएं, धातु कला का सामान, लकड़ी का सामान, हाथ से छपे हुए वस्त्र तथा स्क्रैबस और कढ़ाई किए तथा कांटे से बुनाई की हुई वस्तुएं शामिल हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 6,059.63 करोड़ ₹ था जो पिछले वर्ष के ₹ 7,072.34 करोड़ के निर्यात से 12.34 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2000-01 के दौरान (दिसम्बर 2000 तक) हस्तशिल्प निर्यात 7,206.79 करोड़ ₹ हो गया जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि में निर्यात की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।

221. शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एक अन्य क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वर्कशेड-एवं-आवास, शिल्पकारों के लिए स्वास्थ्य पैकेज, ग्रुप बीमा आदि योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर 2000 तक 1998 वर्कशेड तथा 388 वर्कशेड-एवं-आवास स्वीकृत किए जा चुके थे। वर्ष 2000-01 में 440 नए शिल्पकारों को ग्रुप बीमा योजना तथा 6442 शिल्पकारों को स्वास्थ्य पैकेज योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

222. खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग विभाग (डी.एफ.पी.आई.) इस क्षेत्र से संबंधित सम्पूर्ण देश की समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों के अन्दर नीतियों और योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने से संबंधित है। एफ.पी.आई. में अनाज प्रसंस्करण, फल तथा सब्जी उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, मांस तथा डेरी उत्पाद, मछली तथा मछली प्रसंस्करण, मादक पेय, वातित पेय आदि शामिल हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफ.पी.आई.) की पहचान एक उभरते हुए उद्योग के रूप में हुई है जो कृषि तथा बागवानी उत्पाद के गुणवत्ता को बढ़ाने, कृषि के विविधीकरण तथा वानिकीकरण, बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण में अपशिष्टों में कमी लाने, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

223. अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में चावल की पिसाई, दलहनों का निर्माण तथा गेहूँ का आटा तथा अन्य गेहूँ उत्पादों का उत्पादन प्रमुख क्रियाकलाप हैं। दिनांक 1/1/2001 को आधुनिक चावल मिलों की संख्या 35,088 थी। चावल मिलिंग उद्योग विनियम अधिनियम 1958 समाप्त हो गया है। अब गेहूँ उत्पादों को बनाने के लिए किसी प्रकार के लाईसेंस की जरूरत नहीं है। लगभग 10.5 मिलियन टन गेहूँ प्रतिवर्ष विभिन्न गेहूँ उत्पादों को बनाने के काम में लाया जाता है तथा 820 रोलर आटा मिल 19.5 मिलियन टन की स्थापित क्षमता से कार्य कर रही है। बेकरी उत्पाद संगठित क्षेत्र लगभग 65 प्रतिशत ब्रैड और बिस्कुट का उत्पादन करता है जो कुल बेकरी उत्पादों का 82 प्रतिशत है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, बीयर तथा

मादक पेय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक हिस्सा हैं। विभिन्न राज्यों में आधुनिक चावल पिसाई उद्योग तथा उप-उत्पाद उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों सहित तेरह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई.आई.टी.), खड़गपुर के फसल कटाई के बाद प्रौद्योगिकी केन्द्र में गृह स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण तकनीकों और गौण अनाज के प्रसंस्करण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

224. भारत दुग्ध तथा फल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर तथा सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में दुग्ध का उत्पादन वर्ष 1999-2000 के 78 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 81 मिलियन टन तक पहुंचने की आशा है। जबकि लगभग 80 प्रतिशत फल और सब्जियां ब्राजील जैसे देश में प्रसंस्कृत की जाती हैं। भारत में मात्र लगभग 2 प्रतिशत बागवानी उत्पाद प्रसंस्कृत किए जाते हैं। लगभग 30 प्रतिशत बागवानी उत्पाद कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाएं, शीत भंडारण तथा शीत श्रृंखला उपलब्ध न होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। एक ठोस तथा प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि क्रिया-कलापों के विविधीकरण, मूल्य-वर्धन तथा कृषि उत्पादों के निर्यात में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित स्थापित क्षमता वर्ष 1999 में 21.00 लाख से बढ़कर वर्ष 2000 में 21.10 लाख टन हो गई। यह वृद्धि नगण्य है और भारत में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि करने के लिए नए निवेश की जरूरत है।

225. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण, मांस प्रसंस्करण, मुर्गी पालन तथा अंग प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। मत्स्य प्रसंस्करण योजना में पारंपरिक मत्स्य प्रसंस्करण का सुदृढीकरण, कम मूल्य की मछली का मूल्यवर्द्धन उत्पाद बनाने के लिए उपयोग आदि शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग प्रजाति विज्ञापन, बैकवर्ड सम्पर्क का सुदृढीकरण, शीत भंडारण की स्थापना, प्रशीतन वाहन आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

226. उपरोक्त के अलावा खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पारंपरिक खाद्य, नए उत्पादों, प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग सामग्री, उप-उत्पादों के उपयोग आदि के लिए राशि प्रदान की जा रही है। डी.एफ.पी.आई. द्वारा कुछ अनुसंधान एवं विभाग परियोजनाओं के लिए राशि दी जाती है इसमें विश्वविद्यालयों/प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान को अनुदान दिया गया, इसमें चीज-वे से प्रोटीन की प्राप्ति, गामा प्रदीपन द्वारा सेबों की शैल्फ लाईफ को बढ़ाना, लचीली सामग्री में अचार की पैकेजिंग के लिए मानकों का विकास खुम्बी आधारित निष्कासित खाद्य आदि भी शामिल हैं।

227. एफ.पी.आई. की मौजूदा बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा इनके उन्नयन तथा आधुनिकरण की जरूरत है। घरेलू तथा उच्च प्रतिस्पर्धात्मिक निर्यात बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी गुणवत्ता परीक्षण तथा प्रमाणिकरण की सुविधाएं मानकों के अनुरूप नहीं हैं। राज्य प्रोन्नति संगठनों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने में डी.एफ.पी.आई. की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। गाजियाबाद (उ०प्र०), कुप्पम, चित्तूर जिला (आन्ध्र प्रदेश), बूटीबोरी, नागपुर (महाराष्ट्र), जग्गा खेदी, जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) तथा लम्फलेपट, इम्फाल (मणिपुर) में खाद्य पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

228. उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यकर तथा गुणवत्ता युक्त खाद्य उत्पाद प्रदान करने के लिए खाद्य उत्पाद आदेश (एफ.पी.ओ.) 1955 प्रचलन में है। स्वास्थ्य परिस्थितियों के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए समस्त फल तथा सब्जी उत्पाद एफ.पी.ओ. लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। केन्द्रीय फल उत्पादक सलाहकार समिति, जिसमें सरकार, सी.एफ.टी.आर.आई, बी.आई.एम, फल तथा सब्जी प्रसंस्कर्ता एवं प्रसंस्करण एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, के अनुरोध पर एफ.पी.ओ. में संशोधन किये जाते हैं। वर्ष 1997 तथा 2000 में संशोधन किए गये।

229. केडैक्स एलिमेटेरियस कमीशन, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सरकारी निकायों, उपभोक्ता तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक साथ मिलाकर खाद्य निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मानकों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। कौडेक्स मानकों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन-देन के लिए खाद्य की विश्व-व्यापी सुरक्षा तथा गुणवत्ता सहित खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए किया जाता है। एफ.पी.आई. विभाग ने कौडेक्स मानकों की सूचना के प्रसार के लिए एक निगरानी कक्ष स्थापित किया है। जोखिम विश्लेषण तथा नाजुक नियंत्रण बिन्दु (एच.ए.सी.सी.पी.) के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली, जो कि खाद्य सुरक्षा पर आधारित होती है, के लिए विभाग एच.ए.सी.सी.पी. के कार्यान्वयन की लागत, कुल गुणवत्ता प्रबंध (टी.क्यू.एम.) तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण आदि के लिए 10 लाख ₹ की अधिकतम सीमा सहित 50 प्रतिशत अनुदान देता है।

230. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.) खाद्य उत्पादों सहित कृषि आधारित उत्पादों के विपणन का कार्य भी करता है। एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी. ने वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 887 मी०ट० अनन्नास प्रसंस्कृत किया तथा 53.60 मी०ट० अनन्नास के रस का उत्पादन किया और अगरतला एवं फुलबाड़ी में काजू के संयंत्रों में 159.59 मी०ट० कच्चे काजू की गिरी को प्रसंस्कृत किया। निगम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन के अलावा अदरक, मक्का, तिल बर्ड-आई चिल्ली आदि के विपणन कार्य में भी लगा हुआ है। वर्ष 1998-99 में 78 लाख ₹ के टर्नओवर की तुलना में वर्ष 1999-2000 में व्यापारिक क्रियाकलापों का टर्नओवर 504 लाख ₹ था। बहुत से कारणों से निगम अपने प्रारंभिक समय से निरंतर घाटे में चल रहा है। वर्ष 1999-2000 में निगम में 65 लाख ₹ का घाटा हुआ। सरकार ने एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी. को अपनी व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन हेतु जून 1999 में 10.36 करोड़ ₹ की लागत से पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया था। पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वित हो गया है तथा इसके परिणामों की प्रतीक्षा है।

231. दिनांक 27.9.2000 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवृत्त के आधार पर डी.एफ.पी.आई. ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का नया मसौदा तैयार किया है। मसौदा नीति में राज्य सरकारों, उद्योग तथा विशेषज्ञों के विचारों को शामिल किया गया है। डी.एफ.पी.आई. द्वारा प्रस्तावित खाद्य विकास अधिनियम (एफ.डी.ए.) के संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र तैयार कर परिचालित कर दिया गया है। प्रस्तावित एफ.डी.ए. का उद्देश्य सिंगल विंडो सेवा के अंतर्गत मौजूदा खाद्य कानूनों को शामिल कर इनकी तर्कसंगत व्याख्या करना, मानकों को समेकित कर परिभाषित करना, विकास निधि की स्थापना समताकरण निधि की स्थापना के लिए प्रावधान आदि शामिल हैं ताकि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित समस्त प्रावधानों को एक प्राधिकरण के अंतर्गत लाया जा सके। समताकरण निधि, मूल्य उतार-चढ़ाव में स्व-पुनःसृजित ढग से जैव प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए (आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य) उपभोक्ता पर प्रभाव डाले बिना, लचीलापन प्रदान करेगी। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

वास्तविक तथा सांकेतिक उत्पादन लक्ष्य 2001-02

क्रम सं.	मद	इकाई	1999-2000 वास्तविक	2000-01 योजना लक्ष्य	2000-01 वास्तविक	2001-02 योजना लक्ष्य	नौवी योजना लक्ष्य
1.	लोह अयस्क	मिल.टन	73.50	80.00	77.00*	80.00	100.00@
2.	एल्युमिनियम	हजार टन	618.68	624.00	642.84	650.00**	750.00@@
3.	तांबा (कैथोड-स्वदेशी)	हजार टन	38.46\$	43.90\$	237.72# (42.30)\$	240.00# (43.00)\$	425.00@@ @
4.	जिक (आरम्भिक)	हजार टन	174.96	178.00	178.00	178.00##	161.00
5.	सीसा	हजार टन	44.48	55.50	40.51	45.00	78.50@@ @@

● अनुमान

** क्षमता उपयोगिता 100 प्रतिशत से थोड़ी अधिक (इनडेल की 74,000 टनों की क्षमता को छोड़कर, जिसके प्रचालन में न होने की संभावना है)

निजी क्षेत्र की कम्पनियों से उत्पादन को मिलाकर, अर्थात् स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लि0 एवं बिरला कापर ।

@ जैसा पूर्वानुमान किया गया है, बाजार इतना उत्प्लावक नहीं होगा ।

@@ जैसाकि पूर्वानुमान किया गया है, इनडेल के बेलगाम स्मेल्टर के पुनः अर्जित होने की सम्भावना नहीं है और इसके हीराकुण्ड स्मेल्टर का आंशिक विस्तार कार्यक्रम भी पूरा नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त कुछ तकनीकी कारणों से, इनडेल के अलॉय, केरल की स्मेल्टर क्षमता लगभग 7000 टन घट गई है ।

@@@ एस.डब्ल्यू.आई.एल. तथा एमईटीडीआईएटी से अतिरिक्त क्षमता पूरी होने की सम्भावना नहीं है, खेतड़ी स्मेल्टर का विस्तार भी पूरा नहीं हुआ है ।

@@@@ विजाग लैड स्मेल्टर की 2001-02 में बंद रहने की सम्भावना है तथा इंडिया लैड लि0 की गौण क्षमता को आयतित लैड संकेन्द्रन के साथ केवल 50% तक उपयोग में लाए जाने की संभावना है ।

\$ एचसीएल का उत्पादन । एचसीएल के लिए 2000-01 के लिए सांकेतिक योजना लक्ष्य है ।

9वीं योजना के सांकेतिक लक्ष्य के मुकाबले कार्यकुशलता के माध्यम से उच्च उत्पादन ।

भौतिक कार्य निष्पादन (उप-क्षेत्र-वार) वार्षिक योजना 2001-02

क्रम सं.	उद्योग/उप.	इकाई	1999-2000 वास्तविक	2000-01 अनुमानित	2001-02 लक्ष्य
क. उत्पादन					
1.	लघु उद्योग	रु०/करोड़	572887.00	650332.00	730400.00
2.	खादी कपड़ा	वर्ग मी./मी.	83.98	88.00	95.00
3.	ग्रामीण उद्योग	रु./करोड़	5613.40	6607.00	7896.00
4.	कॉयलर फाइबर	000 टन	356.00	380.00	395.00
5.	हथकरघा कपड़ा *	वर्ग मी./मी.	7352.00	7725.00	8500.00
6.	पावरलूम कपड़ा *	वर्ग मी./मी.	23187.00	24330.00	26000.00
7.	कच्चा रेशम	मी.टन	15214.00	16740.00	17500.00
8.	हस्तकलाएं *	रु./करोड़	40295.00	46355.00	49000.00
ख. रोजगार (लाख व्यक्ति)					
1.	लघु उद्योग		177.50	185.64	192.00
2.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग		59.23	62.73	66.00
3.	कॉयलर उद्योग		5.18	5.30	5.50
4.	हथकरघे *		165.00	170.00	175.00
5.	पावरलूम करघे *		71.00	72.00	75.00
6.	रेशम उत्पादन *		63.64	65.22	67.00
7.	हस्तकलाएं *		68.00	70.00	72.00
8.	ऊन विकास * (असंगठित क्षेत्र)		5.00	5.00	5.00

ग. निर्यात (रु०/करोड़)

1.	लघु उद्योग		53975.00	61175.00	65000.00
2.	काँयर उद्योग		303.05	312.00	320.00
3.	हथकरघे		1865.00	2000.00	2150.00
4.	पावरलूम		9915.00	10200.00	11000.00
5.	रेशम		1501.78	1550.00	1650.00
6.	हस्तकलाएं		8059.63	9270.50	10600.00

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
(उप-क्षेत्र-वार)

1. उत्पादन

1.	फल तथा सब्जियां उत्पाद (कलेन्डर वर्ष)	लाख टन	9.80	9.90	10.00
2.	चावल उत्पादन	मिलियन टन	89.48	90.00	95.50
3.	विभिन्न दुग्ध उत्पाद (आईसक्रीम, मक्खन, घी के अतिरिक्त)	000 टन	301.00	316.00	335.00
4.	साफ्ट पेय पदार्थ	मि० बोतलें	6230.00	6540.00	6900.00
5.	मछली उत्पादन	मि० टन	5.30	5.35	5.75
6.	मांस तथा कुक्कुट	000 टन	4500.00	5100.00	5800.00
7.	अण्डे	मिलियन	30000.00	35000.00	40000.00

निर्यात (रु०/करोड़)

1.	प्रसंस्करित खाद्य		6335.00	4895.00	5000.00
2.	मांस तथा मुर्ग उत्पाद		879.00	950.00	1050.00
3.	समुद्री उत्पाद		5117.00	6444.00	6200.00

उप-क्षेत्र-वार लागत/व्यय, वार्षिक योजना 2001-02

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग उप-क्षेत्र	1999-2000 वास्तविक	2000-01 (बजट अनुमान)			2000-01 (संशोधित अनुमान)			2001-2002		
			परिव्यय	बीएस	आईईबीआर	परिव्यय	बीएस	आईईबीआर	परिव्यय	बीएस	आईईबीआर
एसएसआई एंड एआरआई विभाग											
1.	एसआईडीओ	256.29	287.50	283.00	4.5	279.55	279.55	.	407.00	391.00	16
2.	पीएमआरवाई	190.00	201.00	201.00	.	201.00	201.00	.	193.50	193.50	.
3.	एनएसआईसी	27.12	160.00	40.00	120	154.25	34.25	120	149.00	29.00	120
4.	केवीआईसी	201.93	320.00	320.00	.	293.00	293.00	.	354.00	354.00	.
5.	सीओआईआर	12.43	20.00	20.00	.	16.75	16.75	.	18.00	18.00	.
6.	अन्य स्कीम	7.39	33.00	12.00	20.5	131.45	106.45	25	8.00	8.00	.
कुल: एसएसआईए एंड आरआई		505.16	920.00	775.00	145	875.00	730.00	145	936.00	800.00	136
कपड़ा मंत्रालय											
1.	हथकरघे	8044	135.00	135.00	.	108.00	108.00	.	137.00	137.00	.
2.	मशीनी करघे	4.34	10.00	10.00	.	7.30	7.30	.	6.00	6.00	.
3.	एसईआरआई	67.00	76.20	76.20	.	76.00	76.20	.	87.00	87.00	.
4.	एचएनडीसीआर	51.83	63.07	63.07	.	69.07	69.07	.	79.00	79.00	.
5.	ऊन	5.44	8.43	8.43	.	8.43	8.43	.	8.00	68.00	.
योग (एमओटी/वीएसओ ई)		209.05	292.07	292.07	.	269.00	269.00	.	317.00	317.00	.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (उप-क्षेत्र-वार)											
1.	अनाज प्राप्ति	0.62	0.50	0.50	.	0.50	0.50	.	0.40	0.40	.
2.	फल एवं सब्जियां	11.70	16.85	16.85	.	10.41	10.41	.	5.45	5.45	.
3.	दूध उत्पादन	2.52	4.50	4.50	.	7.00	7.00	.	6.80	6.80	.
4.	मांस तथा अण्डे	4.17	3.25	3.25	.	0.75	0.75	.	2.70	2.70	.
5.	मछली प्रसंस्करण	10.71	12.40	12.40	.	22.33	22.33	.	24.00	24.00	.
6.	उपभोग-उद्योग	5.48	1.00	1.00	.	0.05	0.05	.	1.20	1.20	.
7.	एफपीआई निधि	0.00	1.00	1.00	.	0.01	0.01	.	5.00	5.00	.
8.	सचिवालय सेवाएं	2.59	5.50	5.50	.	3.95	3.95	.	3.60	3.60	.
9.	उ०पू० के लिए एकमुश्त प्राव.	0.00	5.00	5.00	.	5.00	5.00	.	5.85	5.85	.
योग (डीएफपीआई)		37.79	50.00	50.00	.	50.00	50.00	.	55.00	55.00	.

अध्याय-8

आधारभूत विकास

8.1 ऊर्जा

8.1.1 विद्युत

आठवीं योजना के अन्त में 394.5 बिलियन किलोवाट घंटे (बी.के.डब्ल्यू.एच.) के ऊर्जा उत्पादन के मुकाबले नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष 2001-02 के अन्त तक 606.70 बी.के.डब्ल्यू.एच. ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य परिकल्पित किया गया है।

2. नौवीं योजना अवधि में 40245 मै.वा. की अतिरिक्त क्षमता परिकल्पित है जिसमें से केन्द्रीय सेक्टर में 11909 मै.वा., राज्य सेक्टर में 10748 मै.वा. तथा शेष 17588 मै.वा. निजी सेक्टर में होगी। निजी सेक्टर से प्रस्तावित क्षमता वृद्धि नौवीं योजना के दौरान कुल क्षमता वृद्धि का लगभग 43.7 प्रतिशत है।

3. नौवीं पंच वर्षीय योजना की शुरुआत में (1997-2002) ऊर्जा की कमी 11.5 प्रतिशत थी और अधिकतम कमी 18 प्रतिशत थी। नौवीं योजना अवधि के दौरान 40245 मै.वा. की लक्षित क्षमता वृद्धि से नौवीं योजना के अन्त में विद्युत आपूर्ति संबंधी स्थिति से जैसी कि सी.ई.ए. द्वारा आकलित की गई है, ऊर्जा की कमी 1.4 प्रतिशत तथा अधिकतम कमी 11.6 प्रतिशत का संकेत मिलता है। तथापि, प्रथम चार वर्षों, अर्थात् 1997-2001 में 16037 मै.वा. की क्षमता वृद्धि से ऊर्जा की कमी 7.8 प्रतिशत तथा अधिकतम कमी 13.0 प्रतिशत रही। विद्युत आपूर्ति स्थिति में आंशिक रूप से सुधार पी.एल.एफ.में उल्लेखनीय सुधार के कारण था, जो नौवीं योजना के आरंभ में 64.4 प्रतिशत और 2000-2001 के अन्त में बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2000-2001 की समीक्षा

बिजली का उत्पादन (उपयोगिताएं)

4. 500.7 बी.के.डब्ल्यू.एच. के लक्ष्य की तुलना में, वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 499.45 बी.के.डब्ल्यू.एच. था जो 0.2 प्रतिशत की सीमा तक कमी को दर्शाता है। पन-विद्युत के उत्पादन के मामले में, उपलब्धि 92.2 प्रतिशत थी। तथापि न्यूक्लियर और थर्मल विद्युत उत्पादन लक्ष्य से क्रमशः 27.4 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल उत्पादन वर्ष 1999-2000 में हुए उत्पादन से 3.9 प्रतिशत अधिक था।

5. उपर्युक्त के अलावा, भूटान में चुखा हाईडल परियोजना से भी लगभग 1.4 बी.के.डब्ल्यू.एच. बिजली उपलब्ध हुई।

6. वर्ष 2000-2001 के लिए स्रोतवार उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ और वर्ष 1999-2000 के लिए उपयोगिताओं के वास्तविक और 2001-2002 के लिए प्रक्षेपण संबंधी आंकड़े तालिका 8.1.1 में दिए गए हैं।

तालिका 8.1.1
स्रोतवार बिजली उत्पादन
(मिलियन यूनिट)

	1999-2000	2000-2001		2001-2002
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य
हाईड्रो	80628	83907	74346	8280
थर्मल	386787	403200	408208	430284
न्यूक्लियर	13267	13593	16896	16916
कुल	480682	500700	499450	530000

7. वर्ष 2000-2001 में वास्तविक उत्पादन का क्षेत्रवार ब्योरा संलग्नक 8.1.1 में दिया गया है।

8. वर्ष 2000-2001 के दौरान, थर्मल स्टेशनों के लिए अखिल भारत प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) का लक्ष्य 66.7 प्रतिशत था। पी.एल.एफ. की वास्तविक उपलब्धि 69.0 प्रतिशत थी। तालिका 8.1.2 में वर्ष 1999-2000 (वास्तविक), 2000-2001 के लक्ष्य तथा (वास्तविक) और 2001-2002 (लक्ष्य) के लिए पी.एल.एफ. के सेक्टरवार ब्योरे दिए गए हैं। सभी राज्य बिजली बोर्डों, केन्द्रीय विद्युत संगठनों तथा निजी सेक्टर के लिए पी.एल.एफ. के सम्बन्ध में लक्ष्य तथा उपलब्धि संलग्नक 8.1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 8.1.2
सेक्टर-वार प्लांट लोड फैक्टर (%)

	1999-2000 वास्तविक	2000-2001		2001-2002 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
केन्द्रीय सेक्टर	72.5	68.4	74.3	71.6
राज्य सेक्टर	64.3	65.8	65.6	67.4
निजी सेक्टर	68.9	67.0	73.0	69.6
अखिल भारतीय	67.3	66.7	69.0	69.0

क्षमता में वृद्धि

9. वर्ष 2000-2001 के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य 4000.30 मै.वा. था जिसकी तुलना में उपलब्धि 3775.60 मै.वा. (94.4%) थी जैसा कि तालिका 8.1.3 में दर्शाया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान कार्यक्रम से हट कर भी 226.4 मै.वा.(वात 102.35 मै.वा., डीजल 54.05 मै.वा. तथा हाइड्रो 70 मै.वा.) की प्रतिष्ठापित क्षमता भी चालू की गई।

तालिका 8.1.3
क्षमता में वृद्धि (मै.वा.)

	1999-2000 वास्तविक	2000-2001		2001-2002 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
हाईडल	1371.50	1297.00	1215.00	1536.20
थर्मल	2696.00	2263.30	2120.60	3228.50
न्यूक्लियर	440.00	440.00	440.00	--
योग	4507.50	4000.30	3775.60	4764.70

10. उपलब्धियों के परियोजना-वार ब्योरे संलग्नक 8.1.3 में दिए गए हैं। उत्पादन इकाइयाँ 14 थीं जिनमें कुल उत्पादन 223.5 मै.वा हुआ, जो वर्ष 2000-2001 के उत्पादन क्षमता वृद्धि कार्यक्रम से कम है। इसमें हाईड्रो के 82 मै.वा. (7 उत्पादन इकाइयाँ) तथा थर्मल के 141.5 मै.वा. (7 उत्पादन इकाइयाँ) सम्मिलित हैं। पूरी सूची संलग्नक 8.1.4 में दी गई है। कमी मुख्य रूप से उपकरण आपूर्ति में विलम्ब और निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण हुई।

पारेषण तथा वितरण

11. 800 के.वी./400 के.वी./220 के.वी. पारेषण लाइनों के निर्माण/ऊर्जाकरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम तथा उपलब्धि तालिका 8.1.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 8.1.4
पारेषण लाइनों में वृद्धि
(सी.के.टी किलोमीटर)

	1999-2000 वास्तविक	2000-2001		2001-2002 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
+/-के.वी. एच.वी.डी.सी.				680
800 के.वी.	416	285	375	224
400 के.वी.	3336	1973	2091	1780
220 के.वी.	3932	5058	3674	4240

नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर. एण्ड एम.)

12. मौजूदा थर्मल पावर संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से, सातवीं योजना अवधि में पूरा करने हेतु आर. एण्ड एम. (चरण- I) कार्यक्रम वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम से यह आशा थी कि इकाइयों के समग्र पी.एल.एफ. में सुधार होकर 7000 एम.यू./प्रतिवर्ष का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा। चरण-I के अन्तर्गत सभी स्कीमें सातवीं योजना के दौरान पूरी कर ली गई हैं। औसतन, लगभग 10,000 एम.यू./प्रतिवर्ष का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर लिया गया है जो 60 प्रतिशत पी.एल.एफ. की दर पर अतिरिक्त क्षमता के 1900 मै.वा. के बराबर है।

13. सातवीं योजना के दौरान आर. एण्ड एम. कार्यक्रम के चरण-I के कार्यान्वयन से प्राप्त उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु थर्मल पावर संयंत्रों को आर.एण्ड एम. के लिए चरण-II का कार्यक्रम वर्ष 1990-91 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 198 थर्मल इकाइयों के 44 थर्मल विद्युत संयंत्र, जिनकी कुल क्षमता 20,869 मै.वा. थी, इसमें कवर किए गए इस योजना की मंजूर शुदा लागत 2383 करोड़ रुपए थी। कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद 7864 एम.यू./प्रतिवर्ष के अतिरिक्त उत्पादन की आशा थी। आठवीं योजना के अन्त तक, अर्थात् मार्च 1997 तक, लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरे गए थे। इन निर्माण कार्यों की आंशिक पूर्णता के बाद 5000 एम.यू./प्रतिवर्ष का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, नेयवेली टी.पी.एस. की 4 इकाइयों (300 मै.वा.) के संबंध में उनके कार्यकाल में वृद्धि करने के लिए निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए। शेष निर्माण कार्यों तथा सी.ई.ए. द्वारा बाद में अभिचिह्नित अतिरिक्त गतिविधियों को 9वीं योजना के दौरान अभी पूरा किया जाना है। नौवीं योजना कार्यक्रम में 54 विद्युत संयंत्रों में 191 इकाइयां (25856 मै.वा.) आर.एण्ड एम. के अन्तर्गत लाई गईं तथा 42 इकाइयों (3091 मै.वा.) का कार्यकाल बढ़ाने की योजना तैयार की गई है। आर.एण्ड एम. निर्माण कार्यों के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपये तथा कार्यकाल विस्तार निर्माण कार्यों के लिए 2700 करोड़ रुपये का निवेश अन्तर्निहित है। 42 इकाइयों में से, 11 इकाइयों (680 मै.वा.) पर कार्यकाल विस्तार निर्माण कार्य नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पूरे हो गए हैं तथा 8 इकाइयों (690 मै.वा.) पर कार्य चल रहा है।

14. सी.ई.ए. ने हाइड्रो पावर स्टेशनों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के अन्तर्गत कवरेज के लिए 55 हाइड्रो पावर स्टेशनों की भी पहचान की है जिनकी सकल क्षमता 9653 मै.वा. (210 उत्पादन इकाइयां) हैं। इन स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 1493 करोड़ रुपये है तथा प्रत्याशित लाभ 2531 मै.वा./7181 एम.यू. है। 55 स्कीमों में से 5791 मै.वा. की सकल क्षमता वाली 25 स्कीमों पर 465 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्य 31.3.2000 तक पूरा हो चुका है जिनसे 1313 मै.वा./3263 एम.यू. का लाभ होने की आशा है। वर्तमान में 3113 मै.वा. की सकल स्थापित क्षमता वाली 21 स्कीमें चल रही हैं, जहां 792 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आर.एम. व यू. निर्माण कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं, और इनसे 911 मै.वा./2517

एम.यू. का प्रत्याशित लाभ होगा। आशा की जाती है कि इन 21 स्कीमों में से, 11 स्कीमों नौवीं योजना के दौरान पूरी हो जाएंगी।

राज्य बिजली बोर्डों का वित्तीय निष्पादन

15. राज्य बिजली बोर्डों के आन्तरिक संसाधन ऋणात्मक बने रहे। वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए संसाधन चर्चा के आधार पर उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, राज्य बिजली बोर्डों के निवल आन्तरिक संसाधन जो 1996-97 में (-) 2090.7 करोड़ रुपए थे बढ़कर वर्ष 1999-2000 (सं.अनु.) में (-) 11531.60 करोड़ रुपए हो गए। वर्ष 2000-2001 में, ये (-) 13092.50 करोड़ रुपए होने की आशा थी। राज्य बिजली बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां राज-सहायता के बिना 1996-97 में (-) 11305 करोड़ रुपये से बढ़कर वार्षिक योजना 1999-2000 (सं.अनु.) के अन्त तक (-) 23028 करोड़ रुपए हो गई। राज्य बिजली बोर्डों की निवल अचल परिसम्पत्तियों पर आय की दर (आर.ओ.आर.), राज सहायता के बिना 1996-97 में (-) 19.57 प्रतिशत के स्तर पर थी। इसके 1999-2000 (सं.अनु.) में (-) 33.78 प्रतिशत होने की आशा थी।

16. यदि राज्य बिजली बोर्डों को हानि-लाभ सम स्थिति प्राप्त करनी है अर्थात् 2000-2001 में 0 प्रतिशत आर.ओ.आर. प्राप्त करना है तो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान औसत टैरिफ से 91.3 पैसे/यूनिट औसत टैरिफ बढ़ाना होगा। इससे उन्हें 26013 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। 3 प्रतिशत आर.ओ.आर. प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर औसत टैरिफ 97.9 पैसे/यूनिट बढ़ाना होगा और इससे 28238.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यदि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कृषि टैरिफ 50 पैसे/यूनिट की न्यूनतम दर पर लगाया जाता है तो वे वर्ष 2000-2001 में 2260.20 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं।

विद्युत सेक्टर सुधार

17. लाभ के केन्द्र के रूप में प्रत्येक गतिविधि के बाबत दक्षता स्तरों को मानिटर कर सकने हेतु तथा प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन सृजित करने के लिए भी राज्य विद्युत बोर्डों के निर्बंधन द्वारा तथा उत्पादन, पाषेण और वितरण को अलग-अलग करके अलग निगम बनाकर विद्युत सेक्टर के सुधार संबंधी कदम उठाए जाते रहे। इस संदर्भ में छः राज्यों, नामतः उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ने इन्हीं आधारों पर विद्युत सेक्टर में सुधार शुरू किए हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य तथा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने राज्य विधान सभा में सुधार विधेयक पारित किया है। गुजरात ने भी अपने सुधार विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है।

18. उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने पर्याप्त प्रगति की है:

उड़ीसा

19. उड़ीसा पहला राज्य था जिसने अप्रैल 1, 1996 से विद्युत सेक्टर में सुधार शुरू किए थे। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को तीन इकाइयों में बाँटा गया है, अर्थात् उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम (ओ.पी.जी.सी.-थर्मल पावर के लिए), उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन (ओ.एच.पी.सी.-हाइडल पावर के लिए) तथा ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा (ग्रिडको-पारिषण तथा वितरण नेटवर्क के लिए)। बाद में वितरण का निजीकरण कर दिया गया है। ग्रिडको की चार सहायक कम्पनियों द्वारा (संयुक्त सेक्टर में), नामतः पूर्वोत्तर (नेस्को), पश्चिम (वेस्को), सेन्ट्रल (सेस्को), और दक्षिणी (साउथको) द्वारा वितरण के लिए राज्य के चार जोन बनाए गए हैं। बी.एस.ई.एस. ने 51 प्रतिशत इक्विटी के साथ तीन जोनों, अर्थात् पश्चिमी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी को अपने हाथ में ले लिया है। सेन्ट्रल जोन अमेरिका के ए.ई.एस. कारपोरेशन को सौंपने की पेशकश की गई है।

20. एक अलग विनियामक आयोग (ओ.ई.आर.सी.) का गठन किया गया है तथा ओ.ई.आर.सी. ने अब तक चार टैरिफ आदेश जारी किए हैं। फरवरी 2001 के पिछले टैरिफ आदेश में कुल मिलाकर 10.20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

हरियाणा

21. सुधार अधिनियम मार्च 1998 में अधिसूचित किया गया। तत्कालीन हरियाणा बिजली बोर्ड (एच.एस.ई.बी.) को दो अलग-अलग संगठनों में विभाजन किया गया था, नामतः, उत्पादन के लिए हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एच.पी.जी.सी.) तथा विद्युत के पारिषण के लिए अगस्त 1998 में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एच.वी.पी.एन.एल.)। एच.वी.पी.एन.एल. का आगे पुनर्गठन करके वितरण का कार्य दो वितरण कम्पनियों, अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। राज्य ने एक विनियामक आयोग का गठन भी किया है जिसने अपना पहला टैरिफ आदेश दिसम्बर 2000 में जारी किया था। इसके अनुसार लगभग सभी श्रेणियों में टैरिफ में वृद्धि की गई है। कृषि सैक्टर के मामले में, वृद्धि मीटरीकृत कनेक्शन के लिए औसतन 50 पैसे से 62 पैसे और अमीटरीकृत कनेक्शन के लिए औसतन 65-100 पैसे की वृद्धि की गई है।

आन्ध्र प्रदेश

22. आन्ध्र प्रदेश बिजली सुधार अधिनियम 1998, 29 अक्टूबर 1998 को अधिसूचित किया गया था। ए.पी.एस.ई.बी. को दो अलग कम्पनियों, नामतः उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम (ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.) तथा विद्युत पारिषण के लिए आन्ध्र प्रदेश पारिषण निगम (ए.पी.टी.आर.ए.एन.एस.सी.ओ.) विभाजित किया गया है। ए.पी.टी.आर.ए.एन.एस.सी.ओ. का आगे उप विभाजन करके, वितरण कार्य चार वितरण कम्पनियों को सौंपा गया है। ये वितरण कम्पनियाँ वर्तमान में ए.पी.टी.आर.ए.एन.एस.सी.ओ. की सहायक कम्पनियाँ हैं और अगले वर्ष के अन्त तक

इनका निजीकरण कर दिए जाने का प्रस्ताव है। ए.पी.टी.आर.सी. अधिनियम 1998 के अंतर्गत राज्य ने अपने स्वयं के एस.ई.आर.सी. का गठन किया है। ए.पी.ई.आर.सी. ने अब तक दो टैरिफ आदेश जारी किये हैं ; पहला जून 2000 में तथा दूसरा अप्रैल 2001 में। दूसरे टैरिफ संशोधन में पहले टैरिफ के मुकाबले 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गई है। 4 जून 2000 से कार्यान्वित पहले टैरिफ में औसत वृद्धि 15 प्रतिशत की थी।

कर्नाटक

23. कर्नाटक बिजली सुधार अधिनियम 1999 पारित किया गया है और 1 जून 1999 से लागू किया गया है। तत्कालीन कर्नाटक बिजली बोर्ड (के.ई.बी.) को विभाजित करके पाखण तथा वितरण कार्यो को करने के लिए कर्नाटक विद्युत पाखण निगम लिमिटेड (के.पी.टी.सी.एल.) तथा उत्पादन स्टेशनों की हैंडलिंग के लिए विश्वेश्वरैया विद्युत निगम लिमिटेड (वि.वि.एन.एल.) के रूप में विभाजन/निगमीकरण किया गया है। राज्य द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन के अनुसार, राज्य का के.पी.टी.सी.एल. का और आगे पुनर्गठन करके दिसम्बर 2001 तक अलग वितरण कम्पनियां बनाने का प्रस्ताव है। सुधार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य ने अपने एस.ई.आर.सी. का पुनर्गठन किया है जिसने 18 दिसम्बर 2000 को पहला टैरिफ आदेश जारी किया था। के.ई.आर.सी. द्वारा जारी टैरिफ आदेश को 29 दिसम्बर 2000 को या उसके बाद, पहले मीटरीकरण से प्रभावी बनाया गया है। टैरिफ में औसतन 17% की वृद्धि की गई है (सभी के संबंध में)।

उत्तर प्रदेश

24. उत्तर प्रदेश सुधार विधेयक पारित हो गया है तथा सितम्बर 98 में एस.ई.आर.सी. का गठन किया गया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत के पाखण तथा वितरण के लिए यू.पी.थर्मल उत्पादन निगम, यू.पी. हाईड्रो उत्पादन निगम तथा यू.पी. विद्युत निगम लिमिटेड में विभाजित किया गया है। राज्य सरकार का प्रारंभ में कानपुर में वितरण के कार्य का निजीकरण करने का प्रस्ताव है। राज्य बिजली विनियामक आयोग द्वारा पहला टैरिफ आदेश जारी किया जा चुका है जो 9.8.2000 से प्रभावी हो गया है। टैरिफ में औसत वृद्धि 15% थी।

राजस्थान

25. राज्य सुधार विधेयक जनवरी 2000 में पारित किया गया तथा एस.ई.आर.सी. का गठन किया जा चुका है। तत्कालीन राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आर.एस.ई.बी.) का जुलाई 2000 से निर्बन्धन या विभाजन किया गया है। पाँच अलग-अलग कम्पनियां बनाई गई हैं अर्थात् उत्पादन के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पाखण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और तीन वितरण कम्पनियां हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगमलिमिटेड । राजस्थान राज्य बिजली

विनियामक आयोग ने अपना पहला टैरिफ आदेश 24 मार्च 2001 को जारी किया है। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए वृद्धि की गई है। राज्य में तीनों वितरण कम्पनियों में टैरिफ में औसत वृद्धि 16.76 प्रतिशत है।

26. सुधारों के भाग के रूप में, 15 राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्य बिजली विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) गठित किए जा चुके हैं तथा अन्य राज्यों में भी इनके गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

27. भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) से संबंधित एक स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ आती हैं -

(क) नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर. एन्ड एम.) /लाईफ एक्सटेन्शन/पुराने विद्युत संयंत्रों (थर्मल व हाईडल) का उन्नयन।

(ख) ऊर्जा लेखांकन तथा मीटरिंग सहित उप-पारिषण नेटवर्क (66 के.वी. से नीचे) का उन्नयन/सुधार।

28. ए.पी.डी.पी. स्कीम से उन शेष राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों के कार्यान्वयन व वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है, जो विद्युत सैक्टर के सुधारों के लिए कदम उठा रहे हैं।

29. वर्ष 2000-01 के दौरान, 1000 करोड़ रुपये की राशि की ए.पी.डी.पी. मानिट्रिंग समिति द्वारा 794-82 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 397.41 करोड़ रुपए अनुदान (50%) के रूप में तथा 397.41 करोड़ रुपए की दूसरी राशि (50%) ऋण के रूप में है। वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए, ए.पी.डी.पी. स्कीम के अन्तर्गत बजट आबंटन 1500 करोड़ रुपए है।

वार्षिक योजना 2001-2002

बिजली का उत्पादन (उपयोगिताएं)

30. वर्ष 2001-2002 में उपयोगिताओं में कुल बिजली उत्पादन 530 बी.के.डब्ल्यू.एच. होने का अनुमान है (तालिका 8.1.1)। क्षेत्रवार ब्योरे संलग्नक 8.1.1 में दिए गए हैं।

31. वर्ष 2001-2002 के लिए परिकल्पित कुल उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष के लक्ष्य से 5.85 प्रतिशत अधिक है। परिकल्पित समग्र प्लांट लोड फैक्टर 69.0 प्रतिशत है। भूटान में चुखा हाईडल परियोजना से लगभग 1.4 बी.के.डब्ल्यू.एच. की अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होने की आशा है।

क्षमता में वृद्धि

32. वर्ष 2001-2002 के दौरान, स्थापित क्षमता में वृद्धि लक्ष्य 4764.70 मै.वा. (तालिका 8.1.3) है। इसमें से 2000-2001 से बची हुई सकल 144.5 मै.वा. क्षमता की परियोजनाएं शामिल हैं।

33. वर्ष 2001-2002 के लिए लक्षित कुल अतिरिक्त क्षमता में से केन्द्रीय सेक्टर में 1365 मै.वा. की क्षमता, राज्य सेक्टर में 1988.20 मै.वा. तथा निजी सेक्टर में 2338.30 मै.वा. चालू किए जाने की आशा है। स्थापित क्षमता में 2001-2002 के दौरान वृद्धियों के स्कीमवार ब्योरे संलग्नक 8.1.5 में दर्शाए गए हैं।

योजना परिव्यय

34. विद्युत सेक्टर (ग्रामीण विद्युतीकरण सहित) में, 2000-2001 के दौरान 26554 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कुल व्यय लगभग 24200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जैसा कि तालिका 8.1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.1.5
वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

	1999-2000 संशोधित अनुमान	2000-2001		2001-2002 अनुमादित परिव्यय
		अनुमादित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	
राज्य व संघ राज्य क्षेत्र @	12479.18	14943.53	13134.88	अभी अन्तिम रूप दिया जाना है
केन्द्रीय सेक्टर @	8789.04	11610.83	100064.81	12846.37
जोड़ (अखिल भारत)	21268.22	26554.36	24199.69	

@ ब्योरे संलग्नक 8.1.6 में दिए गए हैं।

35. ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.) घटक को छोड़कर विद्युत सेक्टर में विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध अन्य प्रावधानों का उपयोग तालिका 8.1.6 में दिया गया है।

तालिका 8.1.6
अन्य प्रावधानों का उपयोग

करोड़ रुपए

	1999-2000 संशोधित अनुमान	2000-2001		2001-2002 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	
पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी. के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का विद्युत घटक)	209.50	175.39	लागू नहीं होता	154.31

कैप्टिव विद्युत

36. वर्ष 1998-99 के दौरान गैर-उपयोगिताओं के संबंध में स्थापित क्षमता में वृद्धि लगभग 934 मै.वा. थी। इस वृद्धि से, ऐसे संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता मार्च 1999 के अंत तक 14100 मै.वा. (रेलवे सहित) तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 1998-99 में गैर-उपयोगिताओं से उत्पादन लगभग 45.58 बी.यू. निर्धारित किया गया।

विदेशी सहायता-प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

37. नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रबन्ध-व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशी सहायता का वर्षवार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग तालिका 8.1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 8.1.7

वर्ष 1997-98 से 2000-01 तक के दौरान वर्षवार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन	उपयोग	(%) उपयोग
1997-98			
केन्द्रीय सेक्टर	2704.00	2309.14	85.40
राज्य सेक्टर	1363.58	1559.07	114.34
योग	4067.58	3868.21	95.10
1998-99			
केन्द्रीय सेक्टर	2538.00	2179.64	85.88
राज्य सेक्टर	1859.06	1832.45	98.57
योग	4397.06	4012.09	91.24
1999-2000			
केन्द्रीय सेक्टर	1724.69	1491.92	86.50
राज्य सेक्टर	1948.82	1751.05	89.85
योग	3673.51	3242.94	88.28
2000-2001			
केन्द्रीय सेक्टर	1284.64	1694.42	131.90
राज्य सेक्टर	2220.36	1855.84	83.58
योग	3505.00	3550.26	101.29

38. विद्युत परियोजनाओं के मामले में विदेशी सहायता के गैर-उपयोग के कारणों में से कुछ परियोजना प्रबन्धन में कमी तथा निर्माण कार्य में विलम्ब होना है।

विद्युत सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी

39. क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के लिए संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से विद्युत क्षेत्र में निजी सेक्टर की भागीदारी संबंधी नीति की घोषणा अक्टूबर 1991 में की गई थी। बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए नया विधिक तथा वित्तीय परिवेश उपलब्ध कराने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। पारिषद को अलग गतिविधि के रूप में मानने तथा पारिषद सेक्टर में निजी सेक्टर के निवेश को सुकर बनाने के लिए बिजली कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 भी अधिनियमित किया गया था।

40. अब तक लगभग 29,375 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाओं को केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इनमें से दस परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 3500 मेगावाट है, पूरी तरह से चालू की जा चुकी हैं। लगभग 2,500 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 7 परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था हो चुकी है और वे इस समय निर्माणाधीन हैं। तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्राप्त पांच और परियोजनाओं का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है हालांकि उनके संबंध में अभी वित्तीय व्यवस्था होनी है। सन् 1991 से कुल मिलाकर, लगभग 5400 मै.वा. की क्षमता वाली 25 परियोजनाएं पूर्णतया चालू हो चुकी हैं (जिनमें ऊपर उल्लिखित 10 टी.ई.सी. वाली परियोजनाएं शामिल हैं) तथा लगभग 5200 मै.वा. क्षमता की 17 परियोजनाएं (12 टी.ई.सी. वाली परियोजनाओं सहित) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

41. सन् 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 5.87 लाख गाँव हैं। मार्च 2000 के अन्त तक 5.0 लाख गाँवों में बिजली पहुंच गई है, जिससे 86.3% का राष्ट्रीय औसत प्राप्त कर लिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जिन राज्यों में भू-जल की संभाव्यता है, उनमें पम्प सेटों को ऊर्जाकृत किया गया है, जिससे लघु सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, 195.94 लाख की कुल अनुमानित संभाव्यता की तुलना में देश के कुल 125.14 लाख पम्पसेटों को ऊर्जाकृत किया गया है जो दोहन की गई संभाव्यता का 63.9 प्रतिशत है। शेष लगभग जिन 80,000 गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना है, यह आकलन किया गया है कि लगभग 62,000 गाँवों का, परम्परागत ग्रिड का विस्तार करके, विद्युतीकरण किया जा सकता है, जबकि शेष लगभग 18000 गाँवों का विद्युतीकरण, जो दूर-दराज और कठिन क्षेत्रों, जैसे कि पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानों और द्वीपों में स्थित है, सौर, लघु हाइड्रो तथा बायोमास जैसे विकेन्द्रीकृत गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा किया जाना पड़ सकता है।

भारत सरकार ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है ताकि ग्यारहवीं (2007-2012) योजना के अन्त तक देश में शेष सभी गाँवों का विद्युतीकरण हो सके। इस उद्देश्य से कि राज्य, भारत सरकार से अनुदानों तथा ऋणों के उपयुक्त अनुपात में निधियाँ लेकर इन गाँवों का विद्युतीकरण कर सकें ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2001-2002 के बाद से प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई) के एक संघटक के रूप में शामिल किया गया है। यद्यपि गाँवों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से निधियाँ जो सीधे ही संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होंगी, तथापि पहले से जिन गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है वहाँ लोड बढ़ाने और प्रणाली सुधार के लिए निधियाँ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी।

ऊर्जा के नये तथा नवीकरणीय स्रोत

42. ऊर्जा के नये तथा नवीकरणीय स्रोतों का कार्यक्रम गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन, नई प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन के साथ-साथ वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनका भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (आई.आर.ई.डी.ए) के माध्यम से, जो एम.एन.ई.एस. के प्रशासनिक नियंत्रण में अकेला सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है, बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में मुख्य रूप से बायोगैस विकास से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.बी.डी.), उन्नत चूल्हों से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आई.सी.), एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.), सौर ऊर्जा कार्यक्रम तथा बायोमास गैसीफायर्स आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों से खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था तथा तापन जैसी ग्रामीण लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए उनकी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन के कार्यक्रमों में, वात ऊर्जा, लघु हाईड्रो, बायोमास विद्युत तथा सह उत्पादन, सौर ताप और फोटोवोल्टाइक विद्युत तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा शामिल है। 31 दिसम्बर 2000 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन का अंश 3000 मै.वा. तक पहुंच गया है, जो कुल ग्रिड क्षमता का 3 प्रतिशत है।

वार्षिक योजना 2000-2001 की समीक्षा

43. बायोगैस विकास से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना (एन.पी.बी.डी.) के अन्तर्गत, 61.70 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के साथ 2000-2001 के लिए 1.80 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर 2000 तक, 98000 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। 31 दिसम्बर 2000 तक व्यय के रूप में 33.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, 20 लाख उन्नत चूल्हों के लक्ष्य की तुलना में, दिसम्बर 2000 के अन्त तक 6.73 लाख चूल्हे स्थापित हो चुके हैं तथा शेष लक्ष्य वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। 21.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (नवम्बर तक) व्यय के रूप में 10.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 6.5 मै.वा. क्षमता स्थापित की गई है।

सौर फोटोवोल्टाइक प्रकाश कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2000-2001 में (31 दिसम्बर 2000 तक) 20,437 गृह दीप, 40,978 एस.पी.वी. लैंटर्न तथा 1848 स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियां स्थापित की गई हैं। विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष के दौरान 55 मै.वा. वात विद्युत तथा 50.80 मै.वा. बायोमास विद्युत व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्ष 2000-01 के दौरान लघु हाइड्रोविद्युत के मामले में एम.एन.ई.एस. ने कुल 39.75 मै.वा. की 6 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की मंत्रालय में हुई तिमाही समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की गई थी जिनमें योजना आयोग, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों ने भाग लिया।

वार्षिक योजना 2001-2002

44. वर्ष 2001-2002 के लिए एम.एन.ई.एस. का कुल परिव्यय 1039.71 करोड़ रुपए की राशि के लिए अनुमोदित है (सकल बजटीय सहायता के लिए 583.00 करोड़ रुपए तथा आई.ई.बी.आर. के 456.71 करोड़ रुपए)। ऊपर उल्लिखित वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत ग्रामीण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा के कार्यक्रम तथा आई.आर.ई.डी.ए. को इक्विटी सहायता सम्मिलित होगी। 583.00 करोड़ रुपए की जी.बी.एस. में 10 प्रतिशत राशि शामिल है जो एम.एन.ई.एस. के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में प्रयुक्त किए जाने के लिए नियत गई गई है। प्रस्ताव है कि 1.80 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 10,000 गाँवों के लिए 20 लाख उन्नत चूल्हे, 85,000 सौर लैंटर्न, 35,000 गृह प्रकाश प्रणालियां, 3000 स्ट्रीट प्रकाश प्रणालिया, 800 एस.पी.वी. पम्प, वायु विद्युत के 200 मै.वा., बायोमास विद्युत के 80 मै.वा., 7 मै.वा. के बराबर बायोमास गैसीफायर प्रणालियाँ, 50 मै.वा. लघु हाइड्रो पावर तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा की क्षमता स्थापित की जाय। नवीकरण ऊर्जा की लगभग संभाव्यता की तुलना में उपलब्धियां तालिका 8.1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका 8.1.8
नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता तथा उपलब्धियां

स्रोत/प्रणाली	लगभग संभाव्यता	संचयी उपलब्धियाँ (31.12.2000 तक)
बायोगैस संयंत्र (संख्या)	120 लाख	31.28 लाख
उन्नत चूल्हे (संख्या)	1200 लाख	328.9 लाख
बायोमास	19,500 मै.वा.	273 मै.वा.
सौर फोटोवोल्टाइक	20 मै.वा./वर्ग किमी.	47 मै.वा.पा.
सौर थर्मल प्रणाली	1400 लाख वर्ग मी.	5.5 लाख वर्ग मी.
सौर जल तापन व्यवस्था	संग्राही क्षेत्र	संग्राही क्षेत्र
वायु विद्युत	45,000 मै.वा.	1267 मै.वा.
लघु हाइड्रो पावर	15,000 मै.वा.	1341 मै.वा.
शहरी तथा नगरीय अपशिष्ट	1700 मै.वा.वि.	15.15 मै.वा.वि.

8.1.2 कोयला तथा लिग्नाइट

समीक्षा

45. नौवीं योजना अवधि तथा उसके बाद की अवधि के दौरान विद्युत सैक्टर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नौवीं योजना में घरेलू कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रयोजनार्थ, योजना में अन्वेषण को और तेज करने, क्षमता उपयोग में उपयुक्त खनन प्रौद्योगिकी, संरक्षण तथा माँग प्रबन्धन आदि के अनुकूल के माध्यम से समग्र उत्पादकता में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। आवश्यक विधायी संशोधनों द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी सेक्टर की भागीदारी को सुकर बनाना एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कम्पनियों के प्रयासों में अभिवृद्धि करने पर विचार किया गया।

46. तथापि, लक्षित नई कोयला आधारित थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के, जो नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में पहले प्रक्षेपित की गई थी, प्राप्त न किए जाने से कोयले की मांग के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ा है (तालिका I)। कोयले के उपभाग में, नौवीं योजना के दौरान कोयले की मांग में प्रारंभिक परिकल्पित 6.85 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में इस अवधि के दौरान 0.8 प्रतिशत की ऋणात्मक संवृद्धि दर्ज हुई। इसके परिणामतः कोयले की मांग के नौवीं योजना के 412.20 मि.ट. (मिडलिंग के 7.70 मि.टन को छोड़कर) के मूल लक्ष्य में संशोधन करके 370.80 मि.टन (मिडलिंग के 7.70 मि.टन को छोड़कर) कर दिया गया तथा कोयला उत्पादन के लिए लक्ष्य को 370.60 मि.ट से संशोधित करके 328.86 मि.टन कर दिया गया। नई कोयला आधारित थर्मल पावर उत्पादन क्षमता का प्राप्त न किया जाना योजना के तीसरे तथा चौथे वर्ष में जारी रहा, जिसका कोयला उपभाग पर, विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 1999-2000 में कोयला उपभोग में 4 प्रतिशत की सीमान्तक वृद्धि हुई। वर्ष 2000-2001 में 333.85 मि.टन के लक्ष्य के मुकाबले, प्रत्याशित कोयला उपभोग 333.45 मि.टन होगा। यह 1999-2000 में 324.72 मि.टन के हुए उपभोग/कुल उठान से लगभग 2.6 प्रतिशत अधिक है। योजना के प्रथम चार वर्षों में कोयले के उपभोग/कुल उठान की प्रत्याशित औसत वार्षिक मिश्रित संवृद्धि, जिसमें वार्षिक योजना 2000-01 में प्रत्याशित कुल उठान शामिल है, नौवीं योजना के लिए 4.6 प्रतिशत संशोधित लक्षित संवृद्धि के मुकाबले 3.03 प्रतिशत है।

47. योजना के प्रथम तीन वर्षों में, वास्तविक कोयला उत्पादन में, संगत लक्ष्यों के साथ तुलना करने पर, कमी आई है हालांकि वर्ष 2000-01 में कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाने की संभावना है (तालिका-II) इसका मुख्य कारण था विद्युत और सीमेंट जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा निम्नतर मांग/कुल उठान में कमी और परिणामतः कोयला कम्पनियों द्वारा उत्पादन का विनियमन। तथापि, 2000-01 में लक्षित उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है। योजना के प्रथम चार वर्षों में प्रत्याशित औसत वार्षिक मिश्रित संवृद्धि 2.08 प्रतिशत है जबकि नौवीं योजना के लिए संशोधित लक्षित संवृद्धि 2.86 प्रतिशत थी। प्रमुख उपभोक्ता सेक्टरों द्वारा कोयला के घटे हुए उपभोग/कुल खरीद को देखते हुए कोयला कम्पनियों ने योजना के प्रारंभिक तीन वर्षों में पिटहैड भण्डारों के जमा

होने से बचने के लिए कोयला उत्पादन के विनियमन का सहारा लिया तथा क्षमता सृजन हेतु नये निवेशों की कार्यान्वयन गति धीमी रही। इसके परिणामतः मध्यम तथा दीर्घकाल में कोयले की उपलब्धता में कमी हो सकती है।

48. वाणिज्यिक कोयला खनन में प्रस्तावित निजी सेक्टर की भागीदारी में विलम्ब हो रहा है। इसके अलावा, विद्युत परियोजनाओं की तुलना में कोयला परियोजनाओं की अपेक्षाकृत लम्बी पक्वनावधियां, दसवीं योजना अवधि के प्रारंभ में विद्युत सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौवीं योजना हेतु अभिचिह्नित परियोजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता को उजागर करती है। यद्यपि कोयला आधारित थर्मल उत्पादन क्षमता में वृद्धि की तुलना प्रवृत्ति वैसी नहीं है, जिसकी पहले प्रत्याशा की गई थी, तथापि कोयला उत्पादन की क्षमता के लिए अग्रिम आयोजना, दसवीं योजना तथा उसके बाद की अवधि में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए परम आवश्यक है क्योंकि उक्त अवधि में विद्युत सेक्टर में क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि परिकल्पित है। विद्युत सेक्टर में किए जा रहे सुधार भविष्य में क्षमता में वृद्धि को सुकर बनाएंगे।

49. वर्ष 2000-2001 के दौरान, 6.71 मि.टन के लक्ष्य की तुलना में धुले हुए कोकिंग कोयले का प्रत्याशित उत्पादन 6.43 मि.टन है। उपयुक्त गुणवत्ता वाले घरेलू कोकिंग कोयले के अपेक्षित परिमाण की अनुपलब्धता के कारण आयातित कोयले की मात्रा में वृद्धि होती रही है।

50. पिटहेडों से 1000 कि.मी. दूर स्थित थर्मल पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन के लिए जून 1, 2001 तक 34 प्रतिशत अनधिक राख वाले गैर-कोकिंग कोल का प्रयोग करने के एम.ओ.ई.एफ. के विदेश के अनुपालनार्थ धुले हुए गैर-कोकिंग कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता है।

51. कोयले तथा विद्युत की बिक्री से प्राप्य विपुल बकाया राशियों के कारण कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

52. उच्च रेल भाड़े के कारण, विशेषरूप से देश के तटवर्ती क्षेत्रों में आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयला महंगा तथा अप्रतिस्पर्धी हो रहा है।

वार्षिक योजना 2001-02 कोयले की माँग

53. वर्ष 2000-01 वाशरी मिडलिंग के 4.39 मि.टन को छोड़कर कच्चे कोयले के 333.45 मि.टन के प्रत्याशित उपभोग/कुल उठान की तुलना में, वार्षिक योजना 2001-02 के लिए कोयले की मांग का लक्ष्य 354.29 मि.टन नियत किया गया है जिसमें 4.83 मि.टन वाशरी मिडलिंग शामिल नहीं हैं। इसका मुख्य कारण विद्युत सेक्टर द्वारा मांग में वृद्धि है। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में वास्तविक कोयला उपभाग के 'सेक्टरवार ब्योरे', वर्ष 2000-01 के दौरान लक्ष्य तथा कोयले की प्रत्याशित मांग/कुल खरीद और नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.), वार्षिक

योजना (2001-02) की चर्चा के समय अन्तिम रूप से दिए गए लक्ष्य तालिका 8.2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 8.2.1 : कोयले की माँग/कुल उठान

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	सेक्टर	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01		2001-02	2001-02
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य	एम.टी.ए. के अनुसार प्रक्षेपण
	कोकिंग कोल							
1.	स्टील	33.06	31.86	28.92	36.76	29.15	32.21	44.60
2.	कोक भट्टियाँ		0.90	0.96	0.74	1.37	1.91	2.00
	उप जोड़ कुकिंग	33.06	32.76	29.88	37.50	30.52	34.12	46.60
	नॉन कुकिंग							
3.	विद्युत उप.	212.92	205.38	222.85	223.63	228.55	241.54	235.00
		(3.62)	(3.02)	(2.11)	(3.37)	(2.39)	(2.78)	(5.00)
4.	सीमेन्ट	10.13	13.23	15.5	15.42	15.93	17.00	21.40
5.	स्टील डी.आर.	2.62	2.42	2.21	3.26	2.41	3.48	4.20
6.	रेलवे	0.05	0.03	0.01	-	0.01	0.01	
7.	उर्वरक	4.64	4.10	3.37	3.70	3.02	3.50	3.80
				(0.02)				
8.	एलटीसी/ सॉफ्ट कोक	0.04	-	0.04	-	-	-	3.00
9.	निर्यात	0.06	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	1 .00
10	कैप्टिव पावर	16.19	16.21	17.71	18.51	19.07	21.11	25.80
		(1.58)	(1.40)	(1.30)	(1.56)	(1.30)	(1.35)	(2.70)
11	बी.आर.के. तथा अन्य	23.64	31.32	30.59	27.85	31.36	30.96	26.00
		(0.60)	(0.59)	(0.82)	(0.09)	(0.70)	(0.70)	(-)
12	कोलि.उपभोग	3.06	2.90	2.50	3.91	2.51	2.50	4.00
	उप योग नॉन कुकिंग	273.35	275.63	294.84	296.35	302.93	320.17	324.20
		(5.80)	(5.01)	(4.25)	(5.02)	(4.39)	(4.83)	(7.70)
	कुल योग	306.41	308.39	324.72	333.85	333.45	354.29	370.80
		(5.80)	(5.01)	(4.25)	(5.02)	(4.39)	(4.83)	(7.70)
नोट: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडिलिंग्स हैं और वे जोड़ में शामिल नहीं हैं।								
2. स्टील की मांग में 1997-98 में आयातित 9.77 मि.टन ; 1998-99 में 8.63 मि.टन ; 1999-2000 में 9.01 मि.टन तथा 2000-01 में प्रत्याशित 11.79 मि.टन तथा 2001-02 में प्रक्षेपित 15.97 मि.टन कोकिंग कोल शामिल है।								

54. कोयले की मांग व्युत्पन्न मांग है। इस्पात सेक्टर कोकिंग कोयले का प्रमुख उपभोक्ता है जबकि विद्युत सेक्टर गैर कोकिंग कोयले का प्रमुख उपभोक्ता है। कैप्टिव विद्युत उत्पादन तथा सीमेंट सेक्टर कोयले के अन्य प्रमुख उपभोक्ता हैं। कोयले की मांग में संवृद्धि सीधे इन अंतःप्रयोग सेक्टरों की संवृद्धि पर निर्भर करती है। अतः इन सेक्टरों के लिए अधिक यथार्थवादी संवृद्धि दर निश्चित करना आवश्यक होगा, विशेष रूप से वृद्धिकारी कोयला आधारित थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए, ताकि दसवीं योजना के दौरान कोयले की मांग का अधिक यथार्थपूर्ण आकलन किया जा सके।

कोयला उत्पादन

55. 2000-01 में 310.60 मिलियन टन के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में वर्ष 2001-02 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 322.73 मिलियन टन निश्चित किया गया है, जो 2000-01 में प्रत्याशित उत्पादन से 3.9 प्रतिशत अधिक है। कम्पनीवार कोयला उत्पादन के ब्योरे तालिका 8.2.2 में दिए गए हैं।

तालिका 8.2.2 : कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कम्पनी	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01		2001-02	2001-02 एम.टी.ए के अनुसार प्रेक्षपण
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य	
ई.सी.एल.	27.42	27.16	25.12	28.00	27.50	28.50	29.50
बी.सी.सी.एल.	30.92	27.17	27.90	29.50	29.30	30.00	30.00
सी.सी.एल.	33.08	32.18	32.40	34.00	34.00	36.00	36.00
एन.सी.एल.	37.12	36.52	38.43	39.00	39.50	41.50	41.00
डब्ल्यू.सी.एल.	32.52	31.75	33.86	33.00	34.50	35.00	34.60
एस.ई.सी.एल.	56.63	57.56	58.75	60.00	60.00	63.00	66.00
एम.सी.एल.	42.17	43.51	43.55	43.00	43.60	44.50	47.40
एन.ई.सी.	0.69	0.64	0.57	0.50	0.50	0.50	0.50
सी.आई.एल.	260.55	256.49	260.58	267.00	268.90	279.00	285.00
एस.सी.सी.एल.	28.94	27.33	29.56	31.67	31.05	32.38	34.00
टिस्को/इस्को/ डी.वी.सी.	6.31	6.34	9.53	7.40	8.65	7.60	7.60
कैप्टिव		2.00	0.31	2.00	2.00	3.75	2.26
योग	295.80	292.16	299.98	308.07	310.60	322.73	328.86

56. कोयले के मांग/कुल उठान अपेक्षाकृत कम होने के कारण, कोयला कम्पनियां नई कोयला परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छुक नहीं हैं और उन्होंने कोयला उत्पादन के विनियमन का सहारा लिया है। यह लाभप्रद प्रवृत्ति नहीं है। वाणिज्यिक कोयला खनन में प्रस्तावित निजी सेक्टर की भागीदारी में विलम्ब हो रहा है क्योंकि आवश्यक विधायी संशोधन नहीं हो पाया है। यह आशा की जाती है कि कोयले की मांग दसवीं योजना अवधि में तथा उसके बाद तेजी से बढ़ेगी जिससे माँग तथा कोयले की घरेलू उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर आ जाएगा। विद्युत परियोजनाओं की पक्वनावधि की तुलना में कोयला परियोजनाओं की अपेक्षाकृत लम्बी पक्वनावधियों को देखते हुए इस बात की तात्कालिक आवश्यकता है कि कोयले की मांग को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से, दसवीं योजना अवधि में और उसके बाद विद्युत सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौवीं योजना में पहचान की गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाए।

धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन

57. वर्ष 2001-02 में धुले कोकिंग कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 6.26 मिलियन टन तय किया गया है जिसमें सी.आई.एल. स्रोतों में 0.70 मि.टन की सीधी आपूर्ति शामिल है, जबकि 2000-01 में 0.70 मि.टन की सीधी आपूर्ति सहित प्रत्याशित उत्पादन 6.43 मि.टन था। वाशरियों का समग्र उत्पादन कच्चे कोयले की पूर्ति की घटती गुणवत्ता के कारण अत्यधिक रूप से प्रभावित हो रहा है और यह लगभग 45 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की ओर तात्कालिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि धुले कोकिंग कोयले की घरेलू आपूर्तियों में प्रतिवर्ष कमी आ रही है जिसके परिणामतः आयात बढ़ रहे हैं। कोकिंग कोयले का स्टील सेक्टर द्वारा आयात वर्ष 2000-01 में लगभग 11.79 मि.टन होने की आशा है। वर्ष 2001-02 में इस्पात सेक्टर के लिए लक्षित कोकिंग कोयले की आवश्यकता 34.12 मि.टन है जिसमें आयात किया गया 15.97 मि.टन कोकिंग कोयला शामिल है।

धुले हुए गैर कोकिंग कोयले का उत्पादन

58. पिटहैडों से 1000 कि.मी. या उससे अधिक दूरी पर स्थित थर्मल पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन के लिए 34 प्रतिशत से अनधिक राख वाले गैर-कोकिंग कोयले के इस्तेमाल से संबंधित एम.आई.ई.एफ. के निदेश के अनुपालन हेतु धुले गैर कोकिंग कोयले की उपलब्धता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे मौजूदा विद्युत संयंत्रों के लिए धुले गैर-कोकिंग कोयले की आवश्यकता 90 मि.टन होने का अनुमान है। तथापि इसके मुकाबले, गैर-कोकिंग कोयले की पूर्ति केवल लगभग 8.4 मि.टन तक सीमित है। वर्ष 2001-02 में विद्युत उत्पादन के लिए गैर-कोकिंग कोयले की उपलब्धता का लक्ष्य 10.32 मि.टन निश्चित किया गया है। वर्तमान में, गैर कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए 7 वाशरियाँ हैं। एम.ओ.ई.एफ. के निदेशों का अनुपालन करने के लिए धुले गैर-कोकिंग कोयले की मांग पूरी करने हेतु गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

आपूर्ति योजना

59. वर्ष 2001-02 में 354.29 मि.टन की कच्चे कोयले की लक्षित मांग, 322.73 मि.टन के घरेलू कोयला उत्पादन में से, सी.आई.एल. से 1.5 मि.टन का भण्डार लेकर तथा इस्पात के लिए 15.97 मि.टन कोकिंग कोयले का आयात करके पूरी किए जाने का प्रस्ताव है। इससे फिर भी 14.09 मि.टन का अन्तर रह जाएगा जिसे सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. के स्रोतों से पूरा किया जाएगा। सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. से वर्ष 2000-01 में रेल द्वारा 174 मि.टन. कोयले की प्रत्याशित दुलाई के मुकाबले वर्ष 2001-02 में घरेलू कोयले की रेल से योजनाबद्ध दुलाई 181.97 मि.टन है।

उत्पादकता

60. सी.आई.एल. के लिए प्रत्याशित ओ.एम.एस. के 2.25 टन (भूमिगत 0.62 टन तथा ओपन कास्ट 6.23 टन) और एस.सी.सी.एल. के लिए 1.49 टन (भूमिगत 0.80 टन और ओपनकास्ट 4.85 टन) के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2001-02 में सी.आई.एल. के लिए ओ.एम.एस.का लक्ष्य 2.32 टन (भूमिगत 0.63 टन तथा ओपन कास्ट 6.67 टन) तथा एस.सी.सी.एल. के लिए 1.56 टन (भूमिगत 0.85 टन तथा ओपन कास्ट 6.19 टन) निर्धारित किया गया है। ओ.एम.एस. में समग्र सुधार अब तक मुख्य रूप से ओपन कास्ट खानों की वजह से है। भूमिगत खानों की उत्पादकता में उपयुक्त मशीनीकरण द्वारा शीघ्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

रेल भाड़े का युक्तियुक्तकरण

61. कोयले के लिए रेल भाड़े का युक्तियुक्तकरण किए जाने की आवश्यकता है। कोयले पर अधिक प्रभार लगाया जा रहा है जिससे वह आयातित कोयले के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी हो जाता है। यह रेल विभाग द्वारा क्रॉस सब्सिडी के कारण है।

लिग्नाइट

62. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) के लिए 2000-01 में 17.50 मि.टन के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में 2001-02 के लिए लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य 17.50 मि.टन निर्धारित किया गया है। यह इसकी नीचे तक की इकाइयों की जरूरतों पर आधारित है तथा उद्योगों, विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में सीमेंट सेक्टर की मांग को पूरा करने के लिए खुली बिक्री हेतु 0.80 मि.टन निश्चित किया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन

63. भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयाँ और संबंधित पुनर्वास, पर्यावरणीय तथा वानिकी संबंधी अनुमोदन, प्रतिकूल भू-खनन स्थितियाँ, संविदा-प्रबंध समस्याएँ आदि भी कोयला सेक्टर में परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अब प्रभावित कर रही हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विभिन्न स्तरों पर नियमित मानिट्रिंग की जाती है। 100 करोड़ रुपए तथा उससे ऊपर की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित तिमाही निष्पादन-समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस समय चल रही 63 कोयला परियोजनाओं में से 36 (57%) कार्यक्रमानुसार चल रही हैं तथा 27 (43%) में देरी हो रही है। प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक है।

64. भूमि के अधिग्रहण, वन भूमि की स्वीकृति आदि के मामलों में संबंधित राज्य सरकारों का सहयोग अनिवार्य है। इसके अलावा यह देखा गया है कि कोयला कम्पनियों द्वारा अपर्याप्त संसाधनों का आबंटन अनेक परियोजनाओं के लिए थोड़ा-थोड़ा कर दिया जाता है जिसके परिणामतः बाद में संसाधन समस्याओं के कारण उनके कार्यान्वयन में विलम्ब होता है। अतः परियोजनाओं में चुनिन्दा आधार पर निवेशों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोयला परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदनों के लिए विभिन्न कार्यविधियों को कारगर बनाना अनिवार्य होगा।

65. अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान कोयला कम्पनियों द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत 198.92 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत पर (सी.आई.एल.-159.78 करोड़ रुपए ; एस.सी.सी.एल. 39.14 करोड़ रुपए) 2.46 एम.टी.पी.ए. की कुल क्षमता की चार नई परियोजनाओं (सी.आई.एल.-3; एस.सी.सी.एल. -1) (सी.आई.एल. 1.46 एम.टी.पी.ए. ; एस.सी.सी.एल. 1.00 एम.टी.पी.ए.) को स्वीकृति दी गई है। इन्हें शामिल करते हुए, नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में स्वीकृत नई परियोजनाओं की कुल क्षमता 60.04 मि.टन के परिकल्पित नए कोयला उत्पादन (सी.आई.एल. 55.71 मि.टन ; एस.सी.सी.एल. 4.33 मि.टन) की तुलना में केवल 20.12 मि.टन है (सी.आई.एल. 17.86 मि.टन ; एस.सी.सी.एल. 2.26 मि.टन)। क्षमता में वृद्धि की इस धीमी दर से दसवीं योजना अवधि में और उसके बाद घरेलू कोयले की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।

अन्वेषण

66. दिनांक 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार कोयले के अनुमानित भूगर्भित भंडार लगभग 214 बिलियन टन हैं। इसमें से "प्रमाणित" श्रेणी के अंतर्गत भंडार 84.41 बि.टन (39.4 %) ; "निर्दिष्ट" श्रेणी में 90.24 बि.टन (42.2 %) तथा अनुमानित श्रेणी के अंतर्गत भंडार 39.25 बि.टन (18.4 %) हैं। लिग्नाइट के भंडार 34.17 बि.टन हैं।

67. कोयले तथा लिग्नाइट के संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 2000-01 में 88,295 मीटर की प्रत्याशित उपलब्धि की तुलना में 2001-02 में 1,55,000 मीटर निर्धारित किया गया है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में प्रत्याशित संचयी ड्रिलिंग मीटर दूरी 5,29,074 मीटर है। अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संवर्धनात्मक ड्रिलिंग के लिए 7,20,000 मीटर के संशोधित नौवीं योजना लक्ष्य की तुलना में नौवीं योजना में कुल प्रत्याशित ड्रिलिंग 6,84,074 मीटर है, जो लक्ष्य के 95 प्रतिशत की उपलब्धि को दर्शाती है। 30.37 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, वर्ष 2000-01 के दौरान प्रत्याशित व्यय लगभग उतना ही है। 2001-02 में क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए 32.26 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

68. कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले तथा लिग्नाइट के लिए विस्तृत ड्रिलिंग का लक्ष्य 2000-01 में 2,63,450 मीटर (सी.आई.एल.-1,87,500 मी., एस.सी.सी.एल.-68,000 मी. तथा एन.एल.सी.-7950 मी.) की प्रत्याशित उपलब्धि की तुलना में 2001-02 में 2,56,000 मी.(सी.आई.एल.-1,85,500 मी., एस.सी.सी.एल.-69,000 मी. तथा एन.एल.सी. 2000 मी.) है। सी.आई.एल. के विस्तृत ड्रिलिंग के आंकड़े गैर-सी.आई.एल. ब्लकों के अन्तर्गत लक्ष्यों के अलावा हैं, जिन पर नीचे चर्चा की गई है।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

69. नौवीं योजना में वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी पर बल दिया गया है। तथापि, इस संबंध में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में प्रस्तावित संशोधन अभी किया जाना है। घरेलू स्रोतों के कोयले की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक आपूर्ति हेतु निजी क्षेत्रक में कोयले का खनन अनिवार्य है।

वित्तीय पुनर्संरचना तथा ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. का पुनरुद्धार

70. कोल इंडिया लि. की तीन सहायक कम्पनियां, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) तथा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. (सी.सी.एल.), घाटे में चल रही हैं। ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. रुग्ण कम्पनियाँ हैं, जिनके बारे में सन्दर्भ बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है, सी.सी.एल. के बारे में भी शीघ्र ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। ई.सी.एल. का कुल संचित घाटा, इसके निवल मूल्य से अधिक हो गया है और जो 1997-98 में 1728.60 करोड़ रुपएसे बढ़कर 1998-99 में 2201.07 करोड़ रुपए और 1999-2000 में 2929.31 करोड़ रुपए हो गया है। बी.सी.सी.एल. का संचित घाटा इसके निवल मूल्य से अधिक हो गया है और जो 1997-98 में 1654.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 2096.83 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 में 2789.15 करोड़ रुपये हो गया है। सी.सी.एल. को 1998-99 में 95.62 करोड़ रुपये का संचित घाटा हुआ जो 1999-2000 में बढ़कर 198.19 करोड़ रुपये हो गया। सी.सी.एल.का संचित घाटा इसके निवल मूल्य से कम है। इन सभी तीनों कम्पनियों को पुरानी

भूमिगत खानें तथा विशाल श्रमशक्ति विरासत में मिली है और उत्पादकता तुच्छ रही है, हालांकि उनके पास अच्छी गुणवत्ता वाला उच्च ग्रेड का कोयला है। पहले इन कम्पनियों का वित्त-पोषण सी.पी.आर.ए. से किया जाता था। परन्तु सरकार ने 1996-97 से कोल इंडिया को बजटीय सहायता देना बन्द कर दिया। परिणामतः ये कम्पनियां रूग्ण हो गईं। सन् 1997-98 से सभी तीनों कम्पनियों में श्रमशक्ति के युक्तिकरण के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) कार्यान्वित की जा रही है। सी.आई.एल. ने ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. की वित्तीय स्थिति की जांच करने तथा इनके पुनरुद्धार के लिए उपाय सुझाने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. की परामर्श सेवाएं प्राप्त की हैं। सी.सी.एल. की वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने हेतु आई.डी.बी.आई को नियोजित किया गया है। परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है। ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. की वित्तीय हालत के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक उपाय समयबद्ध आधार पर शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है।

विनियामक प्राधिकरण का गठन

71. मूल्य संबंधी विवादों आदि के समाधान, एम.एम.डी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत अलग नियम बनाकर, अन्वेषण तथा दोहन दोनों के लिए कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए भावी लाइसेंस/खनन पट्टे आदि की मंजूरी के लिए विनियामक प्राधिकरण का गठन शीघ्र किए जानेकी आवश्यकता है।

ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन

72. कोयला क्षेत्र में कतिपय गतिविधियों को बन्द करने की अनुमति देने हेतु ठेका श्रम अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन किए जाने की जरूरत है।

सुधार

73. कोयला क्षेत्र में सुधार जारी रखने की आवश्यकता है। चूंकि कोयला क्षेत्रक की संवृद्धि विद्युत क्षेत्रक में संवृद्धि के साथ सीधे जुड़ी हुई है, अतः विद्युत क्षेत्रक में सुधार शीघ्र किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें राज्य बिजली बोर्डों की, उन्हें वित्तीय रूप में व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से पुनर्संरचना करना, राष्ट्रीय टैरिफ ढाँचे की स्थापना तथा टैरिफ का युक्तियुक्तकरण, विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी सेक्टर की भागीदारी के लिए इस सेक्टर को खोलना आदि शामिल हैं।

अन्य कार्यक्रम

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

74. नौवीं योजना में, कोयला कम्पनियों में संगठन के अन्दर ही अनुसन्धान व विकास (आर. ऐन्ड डी.) विकसित किए जाने पर बल दिया गया है। कोयला एस. एण्ड टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, नामतः यू.एन.डी.पी./जी.ई.एफ. के सहयोग के अन्तर्गत कोल बैड मिथेन (सी.बी.एम.) उत्खनन तथा गोलुकडीह में लो वोलेटाइल मीडियम कोकिंग (एल.वी.एम.सी.) कोल की धुलाई। अनुमोदित 13.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में वर्ष 2000-01 में प्रत्याशित व्यय 0.21 करोड़ रुपये है। वर्ष 2001-02 एस.एन्ड टी. स्कीमों के लिए 11.82 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरणीय उपाय तथा धँसाव नियंत्रण (ई.एम.एस.सी.)

75. इस स्कीम के अन्तर्गत (i) झरिया कोल फील्ड्स में खान की आग पर नियंत्रण ; तथा (ii) रानीगंज कोल फील्ड्स के पुराने परित्यक्त क्षेत्रों में धँसाव नियंत्रण, पर जोर दिया गया है। अनुमोदित 13.52 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 2000-01 में प्रत्याशित व्यय 10 करोड़ रुपए है। वर्ष 2001-02 में ई.एम.एस.सी. की स्कीमों के लिए 12.17 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

झरिया तथा रानीगंज कोल फील्डों में पुनर्वास तथा धँसाव की रोकथाम

76. इस स्कीम में आग तथा धँसाव की समस्याओं को कम करने और झरिया तथा रानीगंज कोल फील्डों में आग व धँसाव की रोकथाम से संबंधित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर संबद्ध प्रभावित लोगों का पुनर्वास परिकल्पित है। यह स्कीम झरिया व रानीगंज कोल फील्डों में सभी असुरक्षित क्षेत्रों के कोयला मंत्रालय द्वारा लिए मास्टर प्लान के अन्तर्गत तैयार की गई है। इसके अंतर्गत आने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन, झरिया और रानीगंज कोल फील्डों, दोनों के लिए स्वीकृत एक-एक अन्तरिम स्कीम के आंशिक कार्यान्वयन के बाद शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमोदित 6.69 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में, वर्ष 2000-01 में प्रत्याशित व्यय 0.50 करोड़ रुपये है। वर्ष 2001-02 में इस स्कीम के लिए 7.24 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

गैर-सी.आई.एल. ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण

77. यद्यपि यह स्कीम एम.टी.ए. चर्चाओं के आधार पर एक बारगी उपाय के रूप में शुरू की गई थी, तथापि यह आवश्यक समझा गया था कि उपलब्ध भंडारों को प्रमाणित श्रेणी के अन्तर्गत लाने के लिए गैर-सी.आई.एल. ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग कार्यक्रम चलाया जाये , जिसके लिए बजटीय

सहायता दी जाये क्योंकि गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में इस गतिविधि के लिए राष्ट्रीय कोयला कम्पनियां अपने स्रोतों को अपवर्तित करने की स्थिति में नहीं हैं और निजी सेक्टर की भागीदारी भी प्राप्त नहीं हो रही है। इस कार्यक्रम में, 91.18 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय से गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में 3,63,900 मीटर के कुल ड्रिलिंग कार्यक्रम हेतु विस्तृत ड्रिलिंग करना परिकल्पित है। इस स्कीम का कार्यान्वयन 1998-99 से शुरू हुआ था। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, प्रत्याशित संचित ड्रिलिंग 1,18,381 मीटर है। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, प्रत्याशित संचित व्यय 19.38 करोड़ रुपये है। ए.पी. 2001-02 के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,49,000 मीटर निश्चित किया गया है जिसके लिए 37.27 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया, जिसकी तुलना में 2000-01 में प्रत्याशित उपलब्धि 80,720 मीटर और प्रत्याशित व्यय 10.00 करोड़ रुपये है।

सूचना प्रौद्योगिकी

78. यह स्कीम सूचना प्रौद्योगिकी के शीर्ष के अन्तर्गत आती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति और उत्तरदायित्वों को वहन कर सकने की दृष्टि से कोयला मंत्रालय की प्रणाली सूचना संबंधी आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए है। इस सूचना प्रौद्योगिकी योजना में, हार्डवेयर/साफ्टवेयर की प्राप्ति और रख-रखाव, विभाग के अन्दर तथा कोयला मंत्रालय की संघटक इकाइयों के बीच संयोजन व्यवस्था करना परिकल्पित है। पांच वर्षों के समय-विस्तार वाली इस स्कीम की अनुमानित लागत 1.94 करोड़ रुपये है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.)

79. ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) तथा सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) में इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, कार्यरत श्रमशक्ति के युक्तियुक्तकरण की अतीव आवश्यकता को देखते हुए, वी.आर.एस. स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रारम्भ में एन.आर.एफ. के माध्यम से 19,000 व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति हेतु 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 1997-98 तथा 1998-99 में 240 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था और 12621 व्यक्तियों ने सेवानिवृत्ति ली परन्तु, एन.आर.एफ. के माध्यम से वित्त-पोषण बन्द कर दिया गया और 1999-2000 से नौवीं योजना अवधि के लिए कोयला मंत्रालय को उपलब्ध समग्र बजटीय सहायता के माध्यम से 25,400 अतिरिक्त व्यक्तियों को सेवानिवृत्त करने के लिए 459.19 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया। 1999-2001 की अवधि के दौरान 15654 व्यक्तियों को सेवानिवृत्त करने के लिए 258.42 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। वर्ष 2001-02 के लिए 11,500 व्यक्तियों को सेवानिवृत्त करने के लिए 156.99 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। वी.आर.एस. के साथ-साथ, कम्पनियों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त पुनरुद्धार पैकेज तैयार करके प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। ऐसा एक पुनरुद्धार पैकेज कोयला मंत्रालय के विचाराधीन है, जो ई.सी.एल. के लिए आई.सी.आई.सी.आई द्वारा तैयार किया गया है।

सुरक्षा और कल्याण

80. कोयला खानों के कामगारों की सुरक्षा और कल्याण के विषय पर नौवीं योजना में बल दिया जाना जारी रहा। इस संबंध में कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं - सुरक्षा आडिट करना, विशेष रूप से भूमिगत खानों की पर्यावरणीय मॉनिटरिंग, जलाप्लावन की रोकथाम के उपाय, छत की टेक की वैज्ञानिक पद्धतियां, कामगारों का प्रशिक्षण व पुनः प्रशिक्षण आदि। इसी प्रकार, आवास, जलपूर्ति, शिक्षा तथा डाक्टरी देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार पर योजना में बल देना भी जारी रहा है।

योजना परिव्यय

81. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए कम्पनीवार/स्कीमवार अनुमोदित परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय (ब.अनु. व सं. अनु.) तथा वा.यो. 2001-02 के लिए अनुमोदित परिव्यय नीचे तालिका 8.2.3 में दिए गए हैं।

तालिका 8.2.3 : कम्पनीवार/स्कीमवार वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपये)

कम्पनी/स्कीम	2000-01		2001-02
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
कोल इंडिया लिमिटेड	2790.32	1767.00	2309.90
सिंगरेनी कोलियरी कं.लि.	327.82	235.00	355.00
नेयवेली लिग्नाइट	609.80	542.80	449.97
विज्ञान व प्रौद्योगिकी	13.50	0.21	11.92
रीजनल/प्रोम.अन्वेषण	30.37	30.37	32.26
ई.एम.एस.सी.	13.52	10.00	12.17
विस्तृत ड्रिलिंग	29.51	10.00	37.27
पुनर्वास परियोजना	6.69	0.50	7.24
सूचना प्रौद्योगिकी	0.33	0.33	0.39
कुल: कोयला व लिग्नाइट,	3821.86	2596.21	3216.12
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	558.65	520.93	538.84
वी.आर.एस.	180.00	100.00	156.99
एन.ई.सी.	87.30	57.14	65.20
कुल : कोयला मंत्रालय	4647.81	3274.28	3977.15

82. वर्ष 2000-01 में 3274.28 करोड़ रुपये के प्रत्याशित व्यय की तुलना में वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए निर्धारित किया गया 3977.15 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय, 21.5 प्रतिशत अधिक है। एन.ई.सी. के प्रयोजन के लिए, कोयला मंत्रालय की बजटीय सहायता का 10

प्रतिशत वार्षिक योजना 2001-02 में नियत किया गया है। वर्ष 2001-02 के परिव्यय में 33.15 करोड़ रुपये का आई.ई.बी.आर. तथा 652.00 करोड़ रुपये का जी.बी.एस. शामिल है जिसमें 45.87 करोड़ रुपये का ई.ए.पी. शामिल है। जी.बी.एस. 606.13 करोड़ रुपये है। 2000-01 (सं.अनु.) से जी.बी.एस में 3.10 करोड़ रुपये की कमी हुई है। जी.बी.एस. सम्बन्धी आवश्यकता मुख्य रूप से एन.एल.सी.की खान-I ए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए है, जो एक आई.पी.पी., ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. में वी.आर.एस.और कोयला मंत्रालय के अधीन अन्य स्कीमों के साथ सम्बद्ध है। सी.आई.एल. तथा एस.सी.सी.एल. के लिए कोई जी.बी.एस. नहीं है।

83. कोयले और विद्युत की बिक्री की देय विशाल बकाया राशियां कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। कोयले/विद्युत की बिक्री के देय बकायों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)

84. विदेशी सहायता के दो संघटक हैं। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष संघटक लाभार्थी को अधिकांशतः आपूर्तिकर्ता ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आई.ई.बी.आर. के अन्तर्गत परिलक्षित संघटक होता है। अप्रत्यक्ष संघटक बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिसे जी.बी.एस. के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

85. द्विपक्षीय ऋण के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। कोयले और लिग्नाइट सेक्टर के लिए 2000-01 (ब.अनु.) में ई.ए.पी. संघटक 96.44 करोड़ रुपये था जो संशोधित होकर 2000-01 (सं.अनु.) में 95.41 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अन्तर्गत प्रमुख परियोजना सी.आई.एल.की कोयला सेक्टर पर्यावरण तथा सामाजिक प्रशमन परियोजना (सी.एस.ई.एस.एम.पी.) है तथा कुछ बची हुई राशि एस.सी.सी.एल. की रामगुण्डम ओ.सी.-II परियोजना के लिए है। इसके मुकाबले, वार्षिक योजना 2001-02 के लिए आई.डी.ए. ऋण के अन्तर्गत सी.आई.एल. की सी.एस.ई.एस.एम.पी. हेतु बजट अनुमान में 45.87 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इन परियोजनाओं के ब्योरे संलग्नक-8.1.7 में दिए गए हैं।

86. प्रत्यक्ष संघटक, सी.आई.एल. की कोयला सेक्टर पुनर्वास परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण है। 2000-01 में बजट अनुमान प्रावधान 1379.24 करोड़ रुपए था, जिसमें से संशोधित अनुमान 267.76 करोड़ रुपए है। यह कटौती, कोयला मंत्रालय/सी.आई.एल. के इस निर्णय के कारण हुई कि सी.आई.एल. के अन्तर्गत सी.एस.आर.पी.के चरण -II के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक ऋण बन्द कर दिया जाये और इसके लिए संसाधन घरेलू बाजार से जुटाये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के प्रतिबद्ध खर्च पूरे करने के लिए 2001-02 में 126.91 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

8.1.3 पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस

नीतिगत पहल

87. निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अन्वेषण व उत्पादन तथा रिफाइनिंग सेक्टर खोले गए हैं। निकट विगत में निजी सेक्टर की अनुक्रिया में वृद्धि हुई है।

88. नई अन्वेषण अनुज्ञापन नीति (एन.ई.एल.पी.) के पहले दौर में 48 ब्लॉकों की पेशकश की गई थी और 25 ब्लॉक प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा 25 ब्लॉकों में से 24 के लिए राष्ट्रीय तथा निजी तेल कम्पनियों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एन.ई.एल.पी. के लिए बोली के दूसरे दौर की घोषणा की गई है जिसमें निजी सेक्टर की भागीदारी के लिए 25 ब्लॉकों की (पश्चिम तट में किनारे से दूर गहरे जल में, 8 उथले जल में तथा भूमि पर 9 ब्लॉक) पेशकश की गई है।

89. सरकार ने विनियमन की चुनौती का सामना करने तथा देश के विभिन्न भागों को पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक में "स्टैंड एलोन" रिफाइनरियों के एकीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया है। कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. की सहायक कम्पनी बन गई हैं जबकि बोंगाइगाँव रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल्स लि. और चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. इंडियल ऑयल कारपोरेशन लि. की सहायक कम्पनियाँ बन गई हैं।

90. रिफाइनिंग सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को जून 2000 में स्वतः मार्ग के तहत बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एल.एन.जी. सहित प्राकृतिक गैस तथा ई. एन्ड पी. में 100 प्रतिशत तक, विपणन से सम्बन्धित अवसंरचना में 74 प्रतिशत तक तथा पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में 51 प्रतिशत तक की अनुमति है।

91. एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा समाप्त कर दी गई है और अब एलपीजी कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2001 के लिए 130 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है।

92. पर्यावरण अनुकूल परिवहन ईंधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

माँग तथा आपूर्ति

93. वर्ष 2000-01 के दौरान 100.08 एम.एम.टी. के अनन्तिम उपभोग के मुकाबले वर्ष 2001-02 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 99.13 मि.टन होने का अनुमान है। इस प्रकार, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए निर्धारित 110 मि.टन की प्रक्षेपित मांग से कम होगी।

94. वर्ष 2000-01 के लिए कच्चे तेल का संयुक्त उद्यम तथा निजी सेक्टर कम्पनियों से होने वाले उत्पादन सहित प्रत्याशित उत्पादन, 31.99 एम.एम.टी. (निजी/संयुक्त उद्यम/कंपनी उत्पादन सहित) के लक्ष्य की तुलना में 32.43 एम.एम.टी. था। ओ.एन.जी.सी. से तटीय तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों से, उत्पादन, थर्मल अभिवृद्ध तेल वसूली (ई.ओ.आर.) स्कीमों से पर्याप्त प्रत्युत्तर कम मिलने मुम्बई हाई में उच्च गैस-तेल अनुपात (जी.ओ.आर.) कुओं को बन्द करने के माध्यम से उत्पादन को नियंत्रित करने, गाँधार तेल क्षेत्र में जल कटौती में वृद्धि तथा असम में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण सीमांतक रूप से अपेक्षाकृत कम था। वर्ष 2001-02 के लिए कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य 32.5 एम.एम.टी. है। इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि कच्चे तेल के उत्पादन में नौवीं योजना के 180.82 एम.एम.टी. के लक्ष्य से लगभग 17 एम.एम.टी. की कमी आ सकती है। कच्चे तेल के उत्पादन के ब्योरे संलग्नक-8.1.8 में दिए गए हैं।

95. वर्ष 2000-2001 के लिए 28.81 (बी.सी.एम.) के लक्ष्य की तुलना में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 29.48 बी.सी.एम. था। वर्ष 2001-02 के लिए 29.76 बी.सी.एम. का लक्ष्य निश्चित किया गया है। रुख से यह पता चलता है कि प्राकृतिक गैस उत्पादन के नौवीं योजना के 144.53 बी.सी.एम. के लक्ष्य के विरुद्ध अनुमानित उत्पादन 141.49 बीसीएम है। प्राकृतिक गैस उत्पादन के ब्योरे संलग्नक-8.1.9 में दिए गए हैं।

96. दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार शोधन क्षमता 112.54 मिलियन टन वार्षिक (एम.एम.टी.पी.ए.) है। वर्ष के दौरान शोधन क्षमता में 0.1 एमएमटीपीए के जोड़े जाने की आशा है। वर्ष 2000-01 में शोधनशाला में कच्चे माल के प्रसंस्करण के 112.88 एम.एम.टी. के लक्ष्य की तुलना में 103.44 एम.एम.टी. का प्रत्याशित प्रसंस्करण किया गया। वर्ष 2001-02 के लिए क्रूड थ्रूपुट का लक्ष्य 113.46 एम.एम.टी. है। वर्ष 2000-01के दौरान शोधन सेक्टर में क्षमता उपयोग लगभग 90 प्रतिशत रहा। शोधन क्षमता के विवरण संलग्नक-8.1.10 में दिए गए हैं।

भूकम्पीय सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा विकास ड्रिलिंग

97. वर्ष 1999-2000 में वास्तविक उपलब्धि, 2000-01 में लक्ष्य तथा प्रत्याशित उपलब्धियाँ, 2001-02 के लिए लक्ष्य तथा कुल 9वीं योजना में प्रत्याशित भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा ड्रिलिंग के ब्योरे संलग्नक 8.1.11 व 8.1.12 दिए गए हैं। वर्ष 2000-01 के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग में प्रत्याशित उपलब्धि, वर्ष 1999-2000 में प्राप्त उपलब्धि से लगभग 94 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2000-01 में विकास ड्रिलिंग की प्रत्याशित उपलब्धि 363.52 हजार मीटर है। वर्ष 2001-02 के लिए अन्वेषणात्मक तथा विकास ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य क्रमशः 562.66 तथा 358.05 हजार मीटर रखे गए हैं।

पर्यावरणीय प्रबन्धन

98. सीसे की कम मात्रा वाले मोटर स्पिरिट की आपूर्ति पूरे देश में जनवरी 1997 में शुरू की गई थी तथा 1.2.2000 से पूरे देश में केवल सीसा रहित एम.एस. की बिक्री की जा रही है। दिनांक 1.1.2000 से देश भर में 0.25% सल्फर वाले डीज़ल की आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 1.4.2000 के बाद से अल्ट्रा लो सल्फर पेट्रोल तथा 1.10.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) तथा मुम्बई में 0.05% (अधिकतम) सल्फर युक्त डीज़ल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा 2000 की अन्तिम तिमाही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) तथा मुम्बई में पेट्रोल में लो बेन्जीन (1% वाल्यूम अधि.) चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त चेन्नई तथा कोलकाता में भी अल्ट्रा लो सल्फर पेट्रोल, जिसमें सल्फर की मात्रा अधिकतम 0.05% होती है, की आपूर्ति शुरू की गई है।

ईंधनों को हरित बनाना	
-	न्यून सल्फर पर्यावरण अनुकूल डीज़ल का उत्पादन करने के लिए नौ रिफाइनरियों में डीज़ल हाइड्रो डिसल्फराइजेशन (डी.एच.डी.एस.) संयंत्र लगाए गए हैं।
-	दिनांक 1.1.2000 तथा 1.2.2000 से देशभर में क्रमशः लो सल्फर डीज़ल और सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है।
-	दिनांक 1.4.2000 से एन.सी.आर. में 0.05% (अधिकतम) की मात्रा वाले सल्फर युक्त अल्ट्रा लो सल्फर डीज़ल की आपूर्ति जा रही है।
-	वर्ष 2000 की अन्तिम तिमाही में एन.सी.टी. तथा मुम्बई में लो बेन्जीन पेट्रोल (1% वाल्यूम अधिकतम) चालू किया गया।
-	एल.पी.जी. कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची पूरी कर दी गई है तथा एल.पी.जी. कनेक्शन माँगने पर उपलब्ध हैं।

प्रशासित मूल्य ढाँचे का विखंडन (ए.पी.एम.)

99. सरकार ने नवम्बर 1997 में चार वर्षों की अवधि के दौरान प्रशासित मूल्य ढाँचे के चरणों में विखंडन की समय-सारणी का अनुमोदन किया है। अनेक कदम पहले ही उठा लिए गए हैं, जैसे कि राज-सहायता को चरणों में समाप्त करना, मूल्य समायोजन, टैरिफों का युक्तियुक्तकरण आदि। तथापि, मिट्टी के तेल तथा एल.पी.जी. के लिए राज-सहायता में कटौती तथा टैरिफ युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में कुछ अपवर्तन हुए हैं। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2001-02 में निम्नलिखित कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं।

सरकार के नवम्बर 1997 के निर्णय के अनुसार कच्चे तेल तथा उत्पादों पर सीमा शुल्कों का युक्तियुक्तकरण पूरा किया जाना है जिसमें कच्चे तेल पर 0-5% तथा परिवहन ईंधनों पर 15% सीमा शुल्क निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी के तेल की कीमत समायोजित की जानी है ताकि आयात तुल्यता की 33.3% की राज-सहायता मिल सके।

विनियामक तंत्र स्थापित किया जाना है।

तेल कम्पनियों से बाहर राज-सहायता को प्रशासित करने की स्कीम, सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी के तेल, घरेलू एल.पी.जी. तथा दूर-दराज क्षेत्रों के लिए भाड़े के फिस्कल बजट को अन्तरित किए जाने से पूर्व तैयार की जानी है।

संचित पूल घाटे को समाप्त किया जाना है या विखंडन की तारीख को बजट में अन्तरित किया जाना है।

परिव्यय

100. पेट्रोलियम सेक्टर में 2001-02 के लिए 16935.69 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है (8013.61 करोड़ रुपये अन्वेषण तथा उत्पादन तथा तेल और गैस के परिवहन के लिए तथा 8922.08 करोड़ रुपये शोधन व विपणन के लिए) । कम्पनीवार परिव्ययों का विवरण संलग्नक-8.1.13 में दिया गया है। नौवीं योजना में 74014.18 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में प्रत्याशित व्यय 60204.04 करोड़ रुपये है। कमी का मुख्य कारण यह है कि रिफाइनरी संबंधी कुछ परियोजनाएं जो 9वीं योजना में पूरी होनी थीं, अब उनके दसवीं योजना में पूरा होने की आशा है। इस सेक्टर के समूचे योजना परिव्यय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक तथा बजट-बाह्य संसाधनों से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

संलग्नक 8.1.1

वर्ष 1999-2000 , 2000-01 2001-02 में ऊर्जा उत्पादन (उपयोगिताएं)

वर्ष	प्रकार	क्षेत्र					अखिल भारतीय	
		उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	पूर्वोत्तर		
1999-2000	हाइड्रो		31761	8923	32352	5624	1968	80628
	थर्मल	वास्तविक	101719	144437	87873	50125	2633	386787
	न्यूक्लियर		5340	5566	2361	-	-	13267
	योग		138820	158926	122586	55749	4601	480682
2000-2001	हाइड्रो		32634	9361	32386	6989	2537	83907
	थर्मल	लक्ष्य	103258	154605	94050	48072	3215	403200
	न्यूक्लियर		5768	4730	3095	-	-	13593
	योग		141660	168696	129531	55061	5752	500700
2000-2001	हाइड्रो		29094	7093	30170	5798	2191	74346
	थर्मल	वास्तविक	108517	149407	93801	53524	2959	408208
	न्यूक्लियर		6624	5883	4389	-	-	16896
	योग		144235	162383	128360	59322	5150	499450
2001-2002	हाइड्रो		31598	9326	32990	6703	2183	82800
	थर्मल		109525	161648	102144	53400	3567	430284
	न्यूक्लियर	लक्ष्य	7323	4842	4751	-	-	16916
	योग		148446	175816	139885	60103	5750	530000

संलग्नक 8.1.2

वर्ष 2000-2001 में थर्मल पावर संयंत्रों का संयंत्र लोड फैक्टर

क्र.सं.	एसईवी/संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
राज्य क्षेत्र			
1	डी वी बी	52.80	49.50
2	एच पी जी सी	54.60	49.90
3	आर एस ई बी	80.90	85.20
4	पी एस ई बी	75.40	77.90
5	यू पी आर वी यू एन एल		56.70
6	जी ई बी	65.10	66.90
7	जी एस ई सी एल	73.40	78.30
8	एम एस ई बी	73.50	72.70
9	एम पी ई बी	71.40	66.30
10	ए पी जी ई एन सी ओ	82.60	85.20
11	टी एन ई बी	74.60	74.90
12	के पी सी	81.50	81.30
13	बी एस ई बी	17.60	19.00
14	टी ई एन यू जी एच ए टी वी	32.60	36.10
15	ओ पी जी सी	78.80	81.90
16	डब्ल्यू बी एस ई बी	40.50	36.20
17	डब्ल्यू बी पी डेव कॉ.	50.40	55.90
18	डी पी एल	23.40	17.30
19	ए एस ई बी	25.60	18.60
	औसत	65.80	65.60
मध्य क्षेत्र			
1	बदरपुर	74.50	84.10
2	एन टी पी सी	72.80	79.50
स	नायवेली	73.30	80.10
4	डी वी सी	37.00	36.20
	औसत : मध्य क्षेत्र	68.40	74.30
निजी सैक्टर (उपयोगिताएं)			
1.	ए.ई.कं. (साबरमती)	79.00	82.50
2.	ट्राम्बे (टाटा)	56.40	70.30
3.	सी.ई.एस.सी./टीटागढ़	66.80	68.20
4.	बी.एस.ई.एस.कं.	82.20	81.70
	औसत : निजी (उपयोगिताएं)	67.00	73.00
	औसत : अखिल भारत	66.70	69.00

वर्ष 2000-2001 के दौरान चालू/रोल की गई उत्पादन इकाइयां

क्र.सं	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							क्षमता (में.वा)	तारीख
उत्तरी क्षेत्र								
1.	घान्ची	1	हाइड्रो	राज्य	हिमाचल	एचपीईएसईबी	11.25	07.12.2000 आर
2.	घान्ची	2	हाइड्रो	राज्य	हिमाचल	एचपीईएसईबी	11.25	30.07.2000
3	चैन्नई- III	1 से 3	हाइड्रो	राज्य	जम्म व कश्मीर	जेकेपीडीसी	7.50	.02.2001
4	रंजीत सागर	1	हाइड्रो	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	150.00	12.08.2000
5	रंजीत सागर	2	हाइड्रो	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	150.00	11.10.2000
6	रंजीत सागर	3	हाइड्रो	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	150.00	20.08.2000
7	रंजीत सागर	4	हाइड्रो	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	150.00	16.09.2000
8	फरीदाबाद सीसीजीटी-एसटी	1	थर्मल	सेन्द्रल	हरियाणा	एनटीपीसी	144.00	31.07.2000
9	पानीपत टीपीएस एसटी- IV	6	थर्मल	राज्य	हरियाणा	एचपीजीसी एल	210.00	31.03.2001
10	आरएपीपी	4	न्यूक्लर	सेन्द्रल	राजस्थान	एनपीसी	220.00	.12.2000
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	630.00	0.00	630.00			
	थर्मल	144.00	210.00	0.00	354.00			
	न्यूक्लियर	220.00	0.00	0.00	220.00			
	योग (उ.क्षे)	364.00	840.00	0.00	1204.00			
पश्चिमी क्षेत्र								
1.	खापरखडा टीपीएस	3	टर्मिनल	राज्य	महाराष्ट्र	एमएसईबी	210.00	31.05.2000
2.	खापरखडा टीपीएस	4	टर्मिनल	राज्य	महाराष्ट्र	एमएसईबी	210.00	07.01.2001
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	0.00	0.00	0.00			
	थर्मल	0.00	420.00	0.00	420.00			
	न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			

	योग (प.क्षेत्र)	0.00	420.00	0.00	420.00			
दक्षिणी क्षेत्र								
1	श्रीशैलम एलबीसी	1	हाइड्रो	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएन सीओ	150.00	30.03.2001 आर
2	शरावथी टेल रेस	1	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	60.00	14.07.2000 आर
3	कोविल्यापल जीटी	1	थर्मल	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	69.00	05.02.2001
4	कोविल्यापल जीटी	1	थर्मल	राज्य	तमिलनाडु	टीएनईबी	38.00	30.03.2001
5	कोंडोपल्ली सीसीजीटी (जीटी)	1	थर्मल	निजी	आंध्रप्रदेश	एल.के.पावर	112.00	19.09.2000
6	कोंडोपल्ली सीसीजीटी (जीटी)	2	थर्मल	निजी	आंध्रप्रदेश	एल.के.पावर	112.00	22.06.2000
7	कोंडोपल्ली सीसीजीटी (एसटी)	1	थर्मल	निजी	आंध्रप्रदेश	एल.के.पावर	126.00	18.10.2000
8	पिल्लैपेरमलानल्लूर सीसीजीटी (जीटी)	1	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	पीपी पावर	225.00	22.02.2001
9	सामलपट्टी टीजी	1 से 2	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	एस पावर	30.19	01.03.2001
10	सामलपट्टी डीजी	3 से 4	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	एस पावर	30.19	01.03.2001
11	कोचीन सीसीजीटी (एसटी)	1	थर्मल	निजी	केरल	बीएसईएस	39.00	20.11.2000

संलग्नक-8.1.3(जारी)

क्र.सं	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयन-कर्ता एजेंसी	चालू/रोल की गई इकाइयां	
							क्षमता (में.वा)	तारीख
12	बिलेरी डीजी	1 से 2	थर्मल	निजी	कर्नाटक	एसआरएए सी लिमिटेड	25.20	22.09.2000
13	कैगा	1	न्यूक्लियर	सेन्द्रल	कर्नाटक	एनपीसी	220.00	26.09.2000
		मध्य	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	210.00	0.00	210.00			
	थर्मल	0.00	107.00	699.60	806.60			
	न्यूक्लियर	220.00	0.00	0.00	220.00			
	योग (एसआर)	220.00	317.00	699.60	1236.60			
पूर्वी क्षेत्र								
1	अपर इन्द्रावती	3	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	150.00	30.09.2000
2	अपर इन्द्रावती	4	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	150.00	30.03.2001 आर
3	बक्रेश्वर टीपीपी	2	थर्मल	राज्य	प.बंगाल	डब्ल्यूबीपीडी सीएल	210.00	20.05.2000
4	बक्रेश्वर टीपीपी	3	थर्मल	राज्य	प.बंगाल	डब्ल्यूबीपीडी सीएल	210.00	21.03.2001
5	जोजोबेरा टीपीएस	1	थर्मल	निजी	बिहार	जाम.पावर	120.00	09.10.2000
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	0.00	300.00	0.00	300.00			
	थर्मल	0.00	420.00	120.00	540.00			
	न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग(पू.क्षेत्र)	0.00	720.00	120.00	840.00			
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
1	दोयांग	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	नागालैंड	नीपको	25.00	08.07.2000
2	दोयांग		हाइड्रो	केन्द्रीय	नागालैंड	नीपको	25.00	05.07.2000
3	दोयांग	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	नागालैंड	नीपको	25.00	29.06.2000
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	75.00	0.00	0.00	75.00			

	थर्मल	0.00	0.00	0.00	0.00			
	न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00			
	योग (पूर्वोत्तर क्षे.)	75.00	0.00	0.00	75.00			
योग अखिल भारत	(अखिल भारत)							
		केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग			
	हाइड्रो	75.00	1140.00	0.00	1215.00			
	थर्मल	144.00	1157.00	819.60	2120.60			
	न्यूक्लियर	440.00	0.00	0.00	440.00			
	योग (अखिल भारत)	659.00	2297.00	819.60	3775.60			
		आर-रोल्ड						
	कार्यक्रम बाह्य							
		वायु	102.35 मै.वा.					
		डीजल	54.052 मै.वा.					
		हाइड्रो	70.00 मै.वा.					
		योग	226.402 मै.वा.					

संलग्नक 8.1.4

वर्ष 2000-01 के कार्यक्रम से छूट गई उत्पादन इकाइयां

क्र.सं	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सेक्टर	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	क्षमता (मै.वा)
1	अपर सिन्ध II	2	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	35.00
2	अपर सिं . विस्तार	1	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	35.00
3	सेवा -III	1	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	3.00
4	सेवा -III	2	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	3.00
5	सेवा -III	3	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	3.00
6	पहलगाम	1	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	1.50
7	पहलगाम	2	थर्मल	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	1.50
8	लेमखांग डीजी	1 से 6	थर्मल		मणिपुर	बीएचईएल/ एमपीडी	36.00
9	पिल्लैपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (एसटी)	1	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	पीपीएन पावर	105.50
	योग	14 इकाइयां					223.50

संलग्नक 8.1.5

2001-02 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	सैक्टर	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	इकाई क्षमता (मै.वा.)	चालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
	उत्तरी क्षेत्र							
1	टिहरी एसटी -I	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	उत्तरांचल	टीएचडीसी	250.00	मार्च, 2002
2	मलां	1	हाइड्रो	निजी	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	43.00	जून, 2001
3	मलां	2	हाइड्रो	निजी	हिमाचल प्रदेश	आईपीपी	43.00	जुलाई, 2001
4	प्रगति सीसीजीटी	जीटी-1	थर्मल	राज्य	दिल्ली	डीवीबी	104.60	जनवरी., 2002
5	प्रगति सीसीजीटी	जीटी-1	थर्मल	राज्य	दिल्ली	डीवीबी	104.60	मार्च, 2002
6	पहलगाम	1 से 2	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	3.00	
7	अपर सिंध II	2	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	35.00	सितम्बर, 2001
8	अपर सिंध विस्तार	1	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	35.00	मार्च, 2002
9	सेवा III	1 से 3	हाइड्रो	राज्य	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	9.00	दिसम्बर., 2001
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	250.00	82.00	86.00	418.00		
		थर्मल	0.00	209.20	0.00	209.20		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (एनआर)	250.00	291.20	86.00	627.20		
	पश्चिमी क्षेत्र							
1	बेनसागर टांस	2 से 3	हाइड्रो	राज्य	मध्य प्रदेश	एमपीईबी	40.00	अगस्त., 2001
2	दाभोल सीसीजीटी चरण -II	ब्लॉक-1	थर्मल	निजी	महाराष्ट्र	दाभोल पीसीओ	722.00	जनवरी., 2001
3	दाभोल सीसीजीटी चरण -II	ब्लॉक -2	थर्मल	निजी	महाराष्ट्र	दाभोल पीसीओ	722.00	अक्टूबर., 2001
			सेन्द्रल	राज्य	निजी	योग		

		हाइड्रो	0.00	40.00	0.00	40.00		
		थर्मल	0.00	0.00	1444.00	1444.00		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (डब्ल्यूआर)	0.00	40.00	1444.00	1484.00		
	दक्षिणी क्षेत्र							
1	श्रीशैलम एलबीपीएच	2	हाइड्रो	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	150.00	फरवरी., 2002
2	श्रीशैलम एलबीपीएच	3	हाइड्रो	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	150.00	फरवरी., 2002
3	श्रीशैलम एलबीपीएच	4	हाइड्रो	राज्य	आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	150.00	मार्च., 2002
4	शरावथी टेल आर	2	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	60.00	जून., 2001
5	शरावथी टेल आर	3	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	केनीसीएल	60.00	नवम्बर., 2001
6	शरावथी टेल आर	4	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	60.00	मार्च., 2002
7	सिम्दाद्री टीपीएस	1	थर्मल	केन्द्रीय	आंध्र प्रदेश	एनटीपीसी	500.00	मार्च., 2002
8	नेयवेली एफएसटी विस्तार	1	थर्मल	केन्द्रीय	तमिलनाडु	एनएलसी	210.00	नवम्बर., 2001
9	एलवीएसडीजीपीपी	1	थर्मल	निजी	आंध्र प्रदेश	एलवीएस पावर	18.40	जनवरी., 2002
10	एलवीएसडीजीपीपी	2	थर्मल	निजी	आंध्र प्रदेश	एलवीएस पावर	18.40	जनवरी., 2002
11	पद्मपुरम सीसीजीटी	जीटी	थर्मल	निजी	आंध्र प्रदेश	बीएससीएस पावर	142.00	जनवरी., 2002
12	पद्मपुरम सीसीजीटी	एसटी	थर्मल	निजी	आंध्र प्रदेश	बीएससीएस पावर	78.00	नवम्बर., 2001
13	तनीर बवी सीसीजीटी	जीटीएसटी	थर्मल	निजी	कर्नाटक	टीबी पावर	200.00	सितम्बर., 2001
14	पिल्लेपेरुमनाल्लूर पीपीएन सीसीजीटी	एसटी	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	पीपीएन पावर	105.50	अप्रैल., 2001
15	समयानुल्लूर	डीजी1-2	थर्मल	निजी	तमिलनाडु	बी पावर सीओ	30.29	जनवरी., 2002

संलग्नक 8.1.5. जारी.

क्र.सं. i.	परियोजना का नाम	इकाई सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	इकाई क्षमता (मै.वा.)	चालू होने की संभावित तिथि (मास/वर्ष)
16	समयानुल्लूर डीजीपीपी	डीजी 3-4	थर्मल	निजी	टी. एन.	बी. पाँवर कं.		जुलाई, 2001
17	समयानुल्लूर डीजीपीपी	डीजी 5-6	थर्मल	निजी	टी. एन.	बी. पाँवर कं.		अगस्त, 2001
18	समयानुल्लूर डीजीपीपी	डीजी 7	थर्मल	निजी	टी. एन.	बी. पाँवर कं.		सितंबर, 2001
			मध्य	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0.00	630.00	0.00	630.00		
		थर्मल	710.00	0.00	668.30	1378.30		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (द. क्षे.)	710.00	630.00	668.30	2008.30		
	पूर्वी क्षेत्र							
1	चंडील एल बी सी	1 से 2	हाइड्रो	राज्य	बिहार	बीएचईपीसी	8.00	फरवरी 2002
2	पोट्टेरु	1	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	3.00	दिसं., 2001
3	पोट्टेरु	2	हाइड्रो	राज्य	उड़ीसा	ओएचपीसी	3.00	दिसं., 2001
4	बंबूफ्लैट डी जी	1 से 4	थर्मल	निजी	अंदमान व निकोबार	सूर्या पाँवर	20.00	मार्च, 2002
5	जोजोबेरा	2	हाइड्रो	निजी	झारखण्ड	जैम पाँवर	120.00	अक्टू., 2001
6	कलपांग	1 से 3	हाइड्रो	राज्य	अंदमान व निकोबार		5.20	जून, 2001
			मध्य	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	0.00	19.20	0.00	19.20		
		थर्मल		0.00	140.00	140.00		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग (पूर्वी क्षेत्र)	0.00	19.20	140.00	159.20		
	पूर्वोत्तर क्षेत्र							

1	रंगनाडी	1	हाइड्रो	केन्द्रीय	अस्थाचल प्र.	नीपको	135.00	सित. 2001
2	रंगनाडी	2	हाइड्रो	केन्द्रीय	अस्थाचल प्र.	नीपको	135.00	दिसं. 2001
3	रंगनाडी	3	हाइड्रो	केन्द्रीय	अस्थाचल प्र.	नीपको	135.00	फ् रवरी., 2002
4	लिकिम रो	1 से 3	हाइड्रो	राज्य	नागालैंड	विद्युत वि.	24.00	फ् रवरी., 2002
5	लीमाखोंग	1 से 6	थर्मल	राज्य	मणिपुर	विद्युत वि.	36.00	जून , 2001
6	रोखिरा जी टी एक्स भाग II	7	थर्मल	राज्य	त्रिपुरा	विद्युत वि.	21.00	मार्च, 2002
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	405.00	24.00	0.00	429.00		
		थर्मल		57.00	0.00	57.00		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग(पूर्वोत्तर क्षेत्र)	405.00	81.00	0.00	486.00		
	अखिल भारत							
			केन्द्रीय	राज्य	निजी	योग		
		हाइड्रो	655.00	795.20	86.00	1536.20		
		थर्मल	710.00	266.20	2252.30	3228.50		
		न्यूक्लियर	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग	1365.00	1061.40	2338.30	4764.70		

संलग्नक -8.1.6

परिव्यय/व्यय

(करोड़ रु)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (अनुमोदित)	1999-2000 (सं.अनु.)	2000-01 (अनुमोदित)	2000-01 (सं.अनु.)	2001-02 (अनुमोदित)
क.	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	858.25	797.06	867.91	867.91	2670.75	2657.50	
2.	अरुणाचल प्रदेश	84.04	71.43	72.01	78.41	81.83	85.28	
3.	असम	113.12	83.81	175.54	107.45	92.84	92.84	
4.	बिहार	49.10	122.96	106.00	90.55	102.38	39.95	
5.	गोवा	18.16	24.01	30.33	31.59	30.00	30.00	
6.	गुजरात	660.39	660.39	806.00	806.00	830.00	750.00	
7.	हरियाणा	287.40	430.00	500.00	485.08	484.00	374.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	233.60	255.99	245.69	191.01	140.37	260.92	
9.	जम्मू और कश्मीर	251.59	220.20	309.05	316.05	307.57	307.57	
10.	कर्नाटक	557.43	1080.52	988.99	828.03	754.00	924.94	
11.	केरल	523.20	645.00	635.00	559.00	602.50	504.64	
12.	मध्य प्रदेश	738.99	700.85	890.69	583.09	262.71	262.71	
13.	महाराष्ट्र	1909.16	1738.19	1684.13	1684.13	1767.35	1767.35	
14.	मणिपुर	50.18	36.00	30.00	30.00	33.60	34.50	
15.	मेघालय	7.10	20.64	77.11	12.50	18.20	30.43	
16.	मिजोरम	28.41	25.65	48.32	48.32	45.32	48.52	
17.	नागालैंड	15.54	15.00	8.80	9.50	15.57	15.57	
18.	उड़ीसा	153.20	424.35	1034.47	576.12	742.65	538.86	
19.	पंजाब	1132.13	1036.18	620.00	673.95	622.37	592.37	
20.	राजस्थान	1494.43	792.23	841.94	890.00	993.66	1085.60	
21.	सिक्किम	31.76	32.55	42.10	42.10	31.76	31.76	
22.	तमिलनाडु	795.49	816.74	1033.98	970.79	1034.21	1117.85	
23.	त्रिपुरा	25.99	24.48	29.84	21.18	15.81	17.23	
24.	उत्तर प्रदेश	1114.55	1095.15	1941.67	890.35	1474.50	775.38	
25.	प. बंगाल	1026.99	1310.55	2009.60	1108.97	879.33	879.33	
	उप योग राज्य	12160.20	12459.93	15029.17	11902.08	14033.28	13225.10	
ख.	संघ राज्य क्षेत्र							

1.	अंदमान व निकोबार	23.98	26.41	30.00	30.00	36.00	36.00	
2.	चंडीगढ	10.32	11.00	13.18	13.36	11.03	11.03	
3.	दादरा और नगर हवेली	7.19	9.17	10.02	10.02	13.15	13.15	
4.	दमन और दीव	4.76	8.29	13.09	13.09	13.90	13.90	
5.	दिल्ली	297.97	438.25	475.00	487.00	812.55	812.55	
6.	लक्षद्वीप	2.92	2.22	2.30	2.30	2.30	2.27	
7.	पॉन्डिचेरी	44.95	46.66	21.33	21.33	21.33	20.88	
	उप योग	392.09	542.00	564.92	577.10	910.25	909.78	
	योग (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	12552.29	13001.93	15594.09	12479.18	14943.53	14134.88	
ग.	विद्युत मंत्रालय							
1.	एनटीपीसी	1685.69	2111.15	2513.26	1844.41	2539.40	2467.00	3006.00
2.	एनएचपीसी	506.47	506.45	835.00	1006.03	1264.16	1143.36	1909.79
3.	पॉवरग्रिड	1583.50	1301.09	2220.00	1500.52	2775.00	2161.14	2869.00
4.	डीवीसी	166.97	99.73	176.00	97.59	459.90	100.00	284.00

अनुलग्नक 8.1.6 जारी..

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (अनुमोदित)	99-2000 (सं.अनु.)	2000-01 (अनुमोदित. (सं. अनु.))	2000-01 (सं. अनु.)	2001-02 (अनुमोदित)
5.	टीएचडीसी	321.91	203.73	368.00	337.68	748.57	646.34	1228.17
6.	एनजेपीसी	770.60	878.45	942.00	753.76	952.00	857.00	894.00
7.	एनईईपीसीअ	167.18	191.57	260.20	231.23	255.26	182.00	211.72
8.	पीएफसी	716.77	1322.36	1560.81	1333.00	11.00	11.00	0.00
9.	आरईसी	30.00	75.00	214.00	184.83	189.00	189.00	37.00
10.	पीटीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
11.	विद्युत मंत्रालय (विभिन्न)	110.63	488.09	511.00	410.29	525.89	588.54	575.85
	उप योग (विद्युत मंत्रालय)	6059.72	7177.62	9600.27	7699.34	9720.18	8345.38	11065.53
	डीएई (विद्युत)	747.27	854.66	1334.00	958.54	1332.00	1198.50	1242.00
	एनएलसी (विद्युत)	37.00	124.80	296.64	131.16	558.65	520.93	538.84
	मध्य क्षेत्र का योग	6843.99	8157.08	11230.91	8789.04 (वास्त.)	11610.83	10064.81	12846.37 *
	अखिल भारतीय एनईसी	19396.28	21159.01	26825.00	21268.22	26554.36	24199.69	
			163.00	198.01	209.50	175.39		

*इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास हेतु परिव्यय शामिल हैं।

संलग्नक 8.1.7

वार्षिक योजना 2001-02 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना/कंपनी का नाम	क्षमता एमटी वाई	सहयोगी देश व सहायता का स्वरूप	कुल उधार/ऋण दानकर्ता मुद्रा मिलियन/ करोड़ रु.	91-92 तक संचित व्यय		1992-97 आठवीं योजना संचित व्यय		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	संचयी 1997-01 करोड़ रु.	2001-2002 परिव्यय		चालू करने की तारीख	
					डीसीएम	रु. करोड़	डीसीएम	रु. करोड़	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	ब.प्रा.		डीसीएम	रु.क.	कार्यक्रम	प्रत्याशित
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
कोल इंडिया लिमि.																	
अप्रत्यक्ष																	
1.	झारिया खान अग्नि नियंत्रक		आईडीए क्रेडिट	12 यूएस\$	-	-	7.29	26.04	-	-	31.19	0.00		-	-	6/94	
2.	कोयला सैक्टर पर्यावरण व सामाजिक प्रशासन परियोजना (ईएसएमटी) उप जोड़		आईडीए क्रेडिट	63 यूएस\$	-	-	-	-	0	0.00	99.78	87.17	192.07	11.13	45.87	7/96	
अप्रत्यक्ष :						0.00	7.29	26.04	0	0.00	130.97	87.17	223.26		45.87		
प्रत्यक्ष																	
3.	कोयला सैक्टर पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी)		आईबीआर डी जेक्जिम	1060 यूएस\$	-	-	-	-	0	288.95	1548.32	1379.24	2105.03	27.71	126.91	6/98	
उप योग						0		0	0	288.95	1548.32	1379.24	2105.03		126.91		
प्रत्यक्ष						0.00		26.04	0	288.95	1679.29	1466.41	2328.29		172.78		
सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमि.																	
अप्रत्यक्ष																	
4.	रामागुंडम ओसी -II	2	जर्मनी लोन	172.387 डीएम	0.63	0.56	144.64	295.64	40.12	2.40	0.00	9.27	45.64		0	3/95	3/96
5.	वी.के.-7 बी.जी.पद्धति	0.25	फ्रेंच क्रेडिट	24.75 एफएफ	-	-	21.36	14.44	0.90	1.40	0.00	0.00	2.30	-	0	3/98	3/98
6.	जीडीके-8 बीजीएम II (तैयार किया जाना है)	0.25	फ्रेंच क्रेडिट	5 एफएफ	-	-	-	-	0	0		0.00	0	-	0		
योग एससीसीएल :						0.56	166.00	310.08	41.02	3.80	0.00	9.27	47.94		0.00		
अप्रत्यक्ष													3.12				

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) व (खानें)																
अप्रत्यक्ष																
7.	नेयवेली खान- II चरण- II	5.8	जर्मनी लोन	299.716डी एम 253.23 करोड	286. 05	225.83	13.4 4	26.92	0.27	0.03	0.00	0.00 0.00	0.3	-	-	पूरा हो गया
8.	फ्लोर मशीन	1	जर्मनी लोन	37.728 डी एम 82.77 करोड	-	-	32.7 3	71.36	7.54	8.80	23.75	0.00 0.00	40.09	-	-	3/92 6/9 7
9.	मास्टर प्लान तैयार करना		जर्मनी लोन	1.868डी एम 4.05 करोड	-	-	1.54	3.29	0	0.00	0.76	0.00 0.00	0.76	-	-	
10.	फालतू पुर्जे आदि		जर्मनी लोन	17.877 डी एम 40.43 करोड	-	-	-	39.73	0	0	0	0.00 0.00	0	-	-	
योग एनएलसी (खानें) (अप्रत्यक्ष)						225.8 3		101.5 7	7.81	8.83	24.51	0.00 0.00	41.15		0.00	
विनियामक ढांचा समीक्षा परियोजनाएं (अप्रत्यक्ष)				1.5 एम एसडीआर 8.05 करोड					0	1.22	5.06	0.00 0.00	6.28	0.00	0.00	
योग : अप्रत्यक्ष						0.00		0.00	0.00	288.95	1548. 32	1379. 24 267.7 6	2105. 03		126.9 1	
योग प्रत्यक्ष						226.3 9		437.6 9	48.83	13.85	160.5 4	96.44 95.41	318.6 3		45.87	
योग: कोयला व लिग्नाइट						226.3 9		437.6 9	48.83	302.8	1708. 86	1475. 68 363.1 7	2423. 66		172.7 8	
एनएलसी (विद्युत) (अप्रत्यक्ष)						0.00		41.85	2.44	0.00	0.00	0.00 0.00	2.44	0.00	0.00	
योग कोयला मंत्रालय																
(i) अप्रत्यक्ष						226.3 9		479.5 4	51.27	13.85	160.5 4	96.44 95.41	321.0 7		45.87	
(ii) प्रत्यक्ष						0.00		0.00	0.00	288.95	1548. 32	1379. 24 267.7 6	2105. 03		126.9 1	
सकल योग						226.3 9		479.5 4	51.27	302.80	1708. 86	1475. 68 363.1 7	2426. 10		172.7 8	
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष												363.1 7				

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस - कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)

क्षेत्र	नौवीं योजना	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
क) ओएनजीसी							
i) तटीय	50.31	8.38	8.10	7.92	8.43	8.70	41.53
ii) अपतटीय	94.58	19.86	18.28	16.73	16.63	16.50	88.00
उप योग(क)	144.89	28.24	26.38	24.65	25.06	25.20	129.53
ख) ओआईएल							
i) तटीय	16.47	3.09	3.29	3.28	3.29	3.45	16.40
ii) अपतटीय	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग (ख)	16.47	3.09	3.29	3.28	3.29	3.45	16.40
योग(ओएनजीसी + ओआईएल)	161.36	31.33	29.67	27.93	28.35	28.65	145.93
संयुक्त उद्यम/निजी	19.46	2.51	3.04	4.01	4.08	3.85	17.49
योग	180.82	33.84	32.71	31.94	32.43	32.50	163.42

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस उत्पादन (बीसीएम)

क्षेत्र	नौवीं योजना	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक #	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
क) ओएनजीसी							
i) तटीय	27.395	4.948	5.32	5.48	5.56	5.381	26.69
ii) अपतटीय	91.645	18.102	17.51	17.77	18.47	18.62	90.47
उप योग (क)	119.04	23.05	22.83	23.25	24.03	24.00	117.16
ख) ओआईएल							
i) तटीय	12.86	1.67	1.71	1.73	1.86	1.74	8.71
ii) अपतटीय	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप योग(ख)	12.86	1.67	1.71	1.73	1.86	1.74	8.71
योग(ओएनजीसी + ओआईएल)	131.90	24.72	24.54	24.98	25.89	25.74	125.87
संयुक्त उद्यम/निजी	12.63	1.681	2.87	3.46	3.59	4.02	15.62
योग	144.53	26.40	27.41	28.44	29.48	29.76	141.49

अनन्तिम

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस - शोधन क्षमता

रिफाइनरी का नाम	1.4.1998 को	1.4.1999 को	1.4.2000 को	1.4.2001 को	1.4.2002 को
1	2	3	4	5	6
1. आई ओ सी, गुवाहाटी	1.00	0.90	1.00	1.00	1.00
2. आई ओ सी, बरौनी	3.30	3.30	4.20	4.20	4.20
3. आई ओ सी, गुजरात	9.50	10.70	12.50	12.50	12.50
4. आई ओ सी, हल्दिया	3.75	4.80	3.75	3.75	3.75
5. आई ओ सी, मथुरा	7.50	8.00	8.00	8.00	8.00
6. आई ओ सी, दिग्बोई	0.65	0.60	0.65	0.65	0.65
7. आई ओ सी, पानीपत	0.00	3.70	6.00	6.00	6.00
8. एच पी सी एल, मुम्बई	5.50	5.85	5.50	5.50	5.50
9. एच पी सी एल, विशाख	4.50	5.00	7.50	7.50	7.50
10. बी पी सी एल, मुम्बई	6.00	8.00	6.90	6.90	6.90
11. एम आर एल, मद्रास	6.50	6.55	6.50	6.50	6.50
12. एम आर एल, नरीमनम	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50
13. सी आर एल, कोचीन	7.50	7.40	7.50	7.50	7.50
14. बी आर पी एल, बोंगाईगांव	2.35	1.90	2.35	2.35	2.35
15. एम आर पी एल, मैंगलौर	3.69	6.39	9.69	9.69	9.69
16. एन आर एल, असम	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
17. रिलायंस पेट्रोलियम	0.00	21.91	27.00	27.00	27.00
18. तातीपाका रिफाइनरी (ओएनजीसी)	--	--	--	--	0.10
योग	62.24	95.60	112.54	112.54	112.64

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस - भूकम्पीय सर्वेक्षण

कार्यक्रम	नौवीं योजना	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	नौवीं योजना
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ओएनजीसी							
भूमि पर:							
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जीएलकेएम)	17810	4568	4369	3125.00	3164	4890	20116.00
3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जीएलकेएम)	19639	11744	15418	12022.00	12675	15035	66894.00
अपतटीय :							
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एलकेएम)	12925	1910	2539	1134.00	13731	31550	50864.00
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एलकेएम)	167000	84244	92313	132796.00	90708	76570	476631.00
II. ओ आई एल							
भूमि पर:							
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसएलकेएम)	5312	1112	1146.17	1685.61	1535	1400	6878.78
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसक्यूकेएम)	766	166.35	170.32	163.34	155.46	150	805.47
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण(जीएलकेएम)- जारी..	5900	359.6	150.5	0.00	0	1400	1910.10
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसक्यूकेएम)-जारी	0	0	0	0.00	0	200	200.00
अपतटीय :							
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एलकेएम)	1000	0	0	0.00	0	0	0.00
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एलकेएम)	0	0	0	0.00	0	0	0.00
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसक्यूकेएम)- जारी	0	0	0	0.00	0	0	0.00
III. योग							
भूमि पर:							
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसएलकेएम)	5312	1112	1146.17	1685.61	1535	1400	6878.78
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जीएलकेएम)	23710	4927.6	4519.5	3125.00	3164	6290	22026.10
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जीएलकेएम)	19639	11744	15418	12022.00	12675	15035	66894.00
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसक्यूकेएम)	766	166.35	170.32	163.34	155.46	350	1005.47
अपतटीय :							
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एलकेएम)	13925	1910	2539	1134.00	13731	31550	50864.00
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एलकेएम)	167000	84244	92313	132796.00	90708	76570	476631.00
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एसक्यूकेएम)	0	0	0	0.00	0	0	0.00

पेट्रोलियम प्राकृतिक गैर - अन्वेषणात्मक तथा विकास ड्रिलिंग ('000 एम)

कार्यक्रम	नौवीं योजना लक्ष्य	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 वास्तविक	2001-02 लक्ष्य	नौवीं योजना प्रत्याशित .
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग							
क) ओ एन जी सी							
i) तटीय	1482.98	247.37	227.9	297.65	291.84	364.56	1429.32
ii) अपतटीय	424	50.15	60.02	86.93	67.76	137.9	402.76
ख) ओ आई एल							
i) तटीय	307.355	49.557	44.57	40.21	39.16	60.2	233.70
ii) अपतटीय	4.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (अन्वेषण.)	2218.83	347.077	332.49	424.79	398.76	562.66	2065.78
	5						
2. विकास ड्रिलिंग							
क) ओ एन जी सी							
i) तटीय	1201.95	264.97	214.87	224.58	266.09	243.1	1213.61
ii) अपतटीय	653.27	82.38	84.64	59.09	47.87	52.65	326.63
ख) ओ आई एल							
i) तटीय	707.3	60.56	52.42	50..146	49.56	62.30	224.84
ii) अपतटीय	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (विकास)	2562.52	407.91	353.93	283.67	363.52	358.05	1765.08

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सैक्टर - परिव्यय/व्यय (करोड़ रु.)

कम्पनियों का नाम	नौवीं योजना परिव्यय	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 संशोधित अनुमान	2001-02 बजट अनुमान	नौवीं योजना प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
क. अन्वेषण व उत्पादन							
1. ओ एन जी सी	18927.00	4005.00	4468.00	4068.19	4817.10	6073.75	23432.04
2. ओ आई एल	2961.00	354.74	427.77	403.47	600.01	800.01	2586.00
3. जी ए आई एल	5715.00	1010.99	363.56	735.23	1129.46	1139.85	4379.09
उप योग (क)	27603.00	5370.73	5259.33	5206.89	6546.57	8013.61	30397.13
ख. शोधन व विपणन							
1. आई ओ सी	24501.23	1712.81	2687.90	2696.59	3815.72	5844.92	16757.94
2. एच पी सी एल	7435.13	1085.45	1101.06	704.64	605.07	1300.00	4796.22
3. बी पी सी एल	6040.20	502.68	575.41	262.82	879.00	398.70	2618.61
4. सी पी सी एल	3352.00	70.51	334.27	116.83	67.80	599.70	1189.11
5. के आर एल	2200.10	87.35	395.02	346.79	134.85	525.00	1489.01
6. बी आर पी एल	317.20	32.94	14.72	19.04	35.66	47.75	150.11
7. एल आई एल	40.40	0.40	3.86	2.61	0.00	0.00	6.87
8. ई आई एल	34.72	5.92	10.36	9.23	6.93	6.93	39.37
9. आई बी पी	772.30	92.87	155.69	185.77	146.26	195.83	776.42
10. एल आर एल	1717.90	721.00	676.00	402.00	181.00	3.25	1983.25
उप योग (ख)	46411.18	4311.93	5954.29	4746.32	5872.29	8922.08	29806.91
योग पेट्रोलियम	74014.18	9682.66	11213.62	9953.21	12418.86	16935.69	60204.04

8.2 परिवहन

भारत की परिवहन प्रणाली, जिसमें रेल, सड़कें, बन्दरगाह तथा हवाई अड्डे शामिल हैं, पिछले पचास वर्षों के दौरान उसमें त्वरित संवृद्धि हुई है तथा देश की विकास प्रक्रिया में योगदान दिया है। भारतीय रेलवे विश्व की विशालतम रेलवे प्रणालियों में से एक है जिसका लगभग 63,000 रूट किलोमीटर का विपुल नेटवर्क है तथा यह लम्बी दूरी के बड़े परिमाण में माल लाने-ले जाने तथा लम्बी दूरी के यात्री यातायात के परिवहन और उप नगरीय क्षेत्रों में मास रैपिड ट्रांजिट की प्रधान प्रणाली है। वर्ष 1950-51 से 2000-01 के बीच रेलवे द्वारा वहन किए गए कुल माल तथा यात्री यातायात में छः गुणा से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। कुल सड़क लम्बाई जो 1950-51 में 0.4 मिलियन कि.मी. थी, 1996-97 में आठ गुणा बढ़कर लगभग 3.32 मिलियन कि.मी. हो गई है जिसमें जे.आर.वाई. के अन्तर्गत निर्मित सड़क लम्बाई शामिल है। पत्तन सेक्टर में, समुद्रीय यातायात में लगभग 15 गुणा वृद्धि हुई है, 1950-51 में यह 19.38 मि.टन था जो बढ़कर 2000-01 में 287 मि.ट. (प्रत्याशित) हो गया है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वहन किया गया यातायात 1960-61 में 83 मिलियन आर.टी.के.एम.एस. से बढ़कर 2000-01 (सं.अनु.) में 768 मिलियन आर.टी.के.एम.एस. हो गया।

8.2.1 रेलवे

योजना का वित्त पोषण

2. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) तैयार करते समय यह परिकल्पित किया गया था कि रेलवे का कुल परिव्यय 45,413 करोड़ रुपये होगा। इसका वित्त पोषण 11,791 करोड़ रुपये की सकल बजट सहायता (जी.बी.एस.) से किया जाना था और शेष 33,622 करोड़ रुपये की व्यवस्था बाजार ऋणों तथा आन्तरिक संसाधनों से पूरी की जानी थी। इस प्रकार नौवीं योजना में रेलवे के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय के केवल 26% की ही जी.बी.एस. से आशा की गई थी। आन्तरिक संसाधन और बाजार ऋण दोनों मिलाकर इनका हिस्सा कुल परिव्यय का 74% बनता है। वर्ष 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान वित्त-पोषण का तरीका संलग्नक 8.2.1 में सूचीबद्ध किया गया है।

3. वर्ष 1997-2002 की अवधि के दौरान रेलवे योजना के वित्त-पोषण की समीक्षा से यह पता चलता है कि जी.बी.एस. का हिस्सा नौवीं योजना में यथापरिकल्पित 26% से बढ़कर 30% हो सकता है। आन्तरिक संसाधन लगभग लगातार घटते हुए रूख का अनुकरण कर रहे हैं और बाजार ऋण लगभग सतत रूप से वर्धमान पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। यह वित्तीय संकट का द्योतक है। यह देखते हुए कि रेलवे द्वारा सामान्य राजकोष को देय लाभांश पिछले वर्ष (1500 करोड़ रुपये) और इस वर्ष भी (1000 करोड़ रुपये) आस्थगित कर दिया गया है, रेलवे का वित्तीय-निष्पादन अत्यधिक खराब है।

4. रेलवे का वित्त पोषण एक चिन्ता का क्षेत्र है। रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए बेहतर प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक प्रबन्धन की आवश्यकता होगी जिसमें एक ओर तेजी से राजस्व जुटाने और दूसरी ओर कड़ाई से लागत नियंत्रण पर बल देना होगा। इससे 98.8% के उच्च प्रचालन अनुपात में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

<p>भारतीय रेल के वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक उपाय किए जाने आवश्यक हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -</p>
<ul style="list-style-type: none"> • आम राज-सहायता उपलब्ध कराने की नीति और उससे उत्पन्न अनेक विसंगतियों के चलते यह अनिवार्य हो गया है कि टैरिफ को युक्तियुक्त बनाया जाए तथा यात्री किरायों को लागत के अधिक निकट लाया जाये। मामूली तौर पर दूसरी श्रेणी के किरायों में अगले तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12-15% की वृद्धि की जाये। इसके साथ-साथ दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए सेवा में विशिष्ट सुधार किए जाएं।
<ul style="list-style-type: none"> • रेलवे टैरिफ को ईंधन लागत तथा मजदूरी लागत में वृद्धि के साथ स्वतः ही जोड़े जाने की प्रणाली अपनायी जाये।
<ul style="list-style-type: none"> • टैरिफ निश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र रेलवे टैरिफ प्राधिकरण इस दृष्टि से बनाया जाये कि उच्चतर दक्षता हेतु रेलवे पर अंकुश लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत पूरी वसूल हो जाए।
<ul style="list-style-type: none"> • रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही कतिपय सुविधाओं, जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं, पर प्रयोक्ता प्रभार लगाएं/बढ़ाएं जाएं।
<ul style="list-style-type: none"> • तेज गति से जनशक्ति में पर्याप्त रूप से कटौती की जाय।
<ul style="list-style-type: none"> • मूल कारोबार अर्थात् परिवहन सेवाओं को चलाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तथा उत्पादन इकाइयों सहित गैर-कोर गतिविधियों का पुनर्गठन किया जाए। इससे श्रम शक्ति में कटौती करने में सहायता मिलेगी।
<ul style="list-style-type: none"> • रेलवे को माल भाड़े से मुनाफा मिलता है। यह आवश्यक है कि फोकस उपभोक्ता पर हो। मालगाड़ी के मार्गस्थ समय को घटाये जाने तथा सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।
<ul style="list-style-type: none"> • भारतीय रेलवे को पेश आ रहे विभिन्न मुद्दों की जांच रेलवे में एक विशेष दल द्वारा की जा रही है। उक्त विशेषज्ञ दल की अन्तिम रिपोर्ट अब उपलब्ध है।

क्षेत्रकीय प्रवृत्तियाँ

5. रेलवे ने 2000-01 में 475 मि.टन राजस्व अर्जक मूल माल यातायात (संशोधित अनुमान) का वहन किया जो 1999-2000 में वहन किए गए 456.42 मि.टन के वास्तविक माल से 4.1% अधिक है। मूल यात्री यातायात के मामले, 2000-01 के दौरान 4805 मिलियन की प्राप्ति इस अवधि के दौरान 4800 मिलियन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही और पिछले वर्ष की तुलना में 2000-2001 (सं.अनु.) में संवृद्धि दर 3.31% रही। 1999-2000 में यात्री कि.मी.भी 431.4 बिलियन कि.मी. से बढ़कर 2000-01 (सं.अनु.) में 485.5 बिलियन कि.मी. हो गए जो 6% से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा वहन किए गए माल तथा यात्री यातायात में प्रगति क्रमशः संलग्नक 8.2.2 तथा 8.2.3 में दर्शायी गई है।

6. वर्ष 1999-2000 में वैगन उत्पादकता वर्ष 1998-99 की तुलना में लगभग 6.5% अधिक रही जैसा कि नीचे तालिका-8.2.1 में देखा जा सकता है। वर्ष 1999-2000 में 260 कि.मी. पटरी का गेज़ परिवर्तन किया गया, 3006 कि.मी. पटरी बदली गई, 405 रूट कि.मी. का विद्युतीकरण किया गया तथा 167 कि.मी. नई लाइनें जोड़ी गई।

तालिका - 8.2.1
वैगन उत्पादकता

वर्ष	एन.टी.के.एम. प्रति वैगन प्रतिदिन	पिछले वर्ष की तुलना में सुधार (%)
1995-96	1792	12.6
1996-97	1840	2.7
1997-98	1894	2.9
1998-99	1904	0.5
1999-2000	2027	6.5

वर्ष 2001-02 के लिए लक्ष्य

7. राजस्व अर्जक माल यातायात के संबंध में वर्ष 2000-01 (सं.अनु.) के लिए 475 मि.टन के लक्ष्य के मुकाबल, वर्ष 2001-02 के लिए 500 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यात्री यातायात के संबंध में भी चालू वर्ष से उच्च लक्ष्य रखा गया है जो वर्ष 2000-2001 (सं.अनु.) के लिए 4805 मि. यात्रियों की तुलना में इस वर्ष 4927 मि. यात्री के स्तर पर निश्चित किया गया है। वर्ष 2001-02 के लिए, गेज़ परिवर्तन, ट्रैक नवीकरण, विद्युतीकरण तथा नई लाइनें जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण रेलवे कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 511 करोड़ रुपये, 2680 करोड़ रुपये, 226 करोड़ रुपये तथा 804 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है (संलग्नक-8.24)। यद्यपि लक्ष्य तो उच्च है परन्तु डिब्बों की प्राप्ति, ट्रैक नवीकरण तथा विद्युतीकरण के सम्बन्ध में वास्तविक प्रगति यह दर्शाती है कि 2000-01 (दिसम्बर 2000 तक) में उपलब्धि लक्ष्यों से काफी कम है - संलग्नक-8.2.5।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.)

8. 2001-02 में, ई.ए.पी. के लिए कुल 80 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित है, जिसमें से 32.5 करोड़ रुपये विदेशी सहायता का घटक होगा और 47.5 करोड़ रुपये गैर-सहायता अंश होगा। ई.ए.पी. के लिए 2001-02 में अपेक्षित परियोजना-वार बजट प्रावधान संलग्नक 8.2.6 में दिया गया है।

8.2.2 सड़कें

पृष्ठभूमि

9. त्वरित आर्थिक संवृद्धि के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ सु-रचित परिवहन प्रणाली होना एक पूर्वापेक्षा है। इस संबंध में सड़कों की भूमिका मुख्य है। भारत में सड़कें विकसित करने पर नीतिगत जोर, उन्नत ग्रामीण सड़क नेटवर्क के जरिए पहुंच मुहय्या कराने तथा उच्च घनत्व वाले रास्तों को कारगर बनाने के जरिए गतिशीलता की व्यवस्था पर है। उदारीकरण के पश्चात की अवधि में संवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हाईवे विकास परियोजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के स्वर्ण-चतुर्भुज तथा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्वर को पोरबंदर से जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम मार्गों को 4/6 लेन वाला बनाना है। इसी प्रकार, ग्रामीण स्वयोजन उपलब्ध कराने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) शुरू की गई है। सड़क सेक्टर परिव्यय में वास्तव में लगभग 93% की महत्वपूर्ण वृद्धि भी हुई है।

10. चालू वर्ष नौवीं योजना का अन्तिम वर्ष है। योजना के दौरान, प्राथमिक सड़क तंत्र को मज़बूत बनाने और उसका विस्तार करने के विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 23,439 किलोमीटर राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जो मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 40% से भी अधिक बैठता है।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र

11. 58,000 कि.मी. से भी अधिक सड़क लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में मुख्य परिवहन प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में हैं। वार्षिक योजना 2001-02 में, लुप्त कड़ियों के निर्माण, निम्न ग्रेड खण्डों में सुधार, कमजोर पुलों के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण, बाईपास मार्गों के निर्माण, एकल लेन वाले टुकड़ों को 4 लेन और 2 लेन में बदलने जैसी खामियों को दूर करने पर ध्यान देना जारी रखा जाएगा। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की सवारी गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी बल दिया जाएगा। पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अगली योजना में अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के सुधार से संवृद्धि की गति तेज होगी और साथ ही अनेक लोगों को रोजगार अवसर भी उपलब्ध होंगे।

12. जहाँ तक राज्य सड़कों का संबंध है, मौजूदा सड़क नेटवर्क के विस्तार की बजाए उसे समेकित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़कों के रख-रखाव पर भी और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण सड़कें

13. ग्रामीण योजकता भारत में ग्रामीण विकास का मूल घटक है। तत्कालीन मौलिक न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें) में 2002 ए.डी. तक सभी गाँवों तथा निवास स्थानों में बारहमासी सड़कों से जोड़ना परिकल्पित है। नवीनतम अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि 1 जनवरी 2000 की स्थिति के अनुसार लगभग 60% गाँव जोड़े गए थे। इस कार्यक्रम को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण का और ग्रामीण योजकता में सुधार लाने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने के लिए 2000-01 तथा 2001-02 में 2500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम को मानिटर करने तथा कार्यान्वित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडीय मंत्रालय है।

वर्ष 2000-01 में कार्यक्रमों की समीक्षा

14. नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के संबंध में कार्य की वास्तविक प्रगति तथा नौवीं योजना (1997-2002) के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्नक में दिए गए हैं। नौवीं योजना के लिए स्कीम-वार लक्ष्यों में बाद में पेट्रोल तथा एच.एस.डी. पर उपकर लगाकर अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता को देखते हुए संशोधन किया गया। योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की 4 लेनें/ 2 लेनें करने के नौवीं योजना के लक्ष्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। प्रमुख कमी बाईपास मार्गों तथा पुलों के निर्माण में रही है। इसका मुख्य रूप से कारण भूमि अधिग्रहण में समय लगने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा, 2434 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों की सवारी गुणवत्ता में 1995-2000 में सुधार किया गया है। 2000-01 तथा 2001-02 के लिए लक्ष्य क्रमशः 6500 कि.मी. और 2800 कि.मी. है - (संलग्नक 8.2.7)। वर्ष 2000-01 के 4516 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में वर्ष के दौरान 2342.99 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है (संलग्नक-8.2.8)।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

15. सड़क विकास में निजी निवेश में सुधार लाने की दृष्टि से, मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 1995 को एक्सप्रेस मार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव तथा प्रचालन में निजी सेक्टर की भागीदारी की अवधारणा का अनुमोदन किया। तबसे लेकर, सड़क निर्माण गतिविधि में निजी सेक्टर के शामिल होने को सुकर बनाने हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं।

16. भागीदारी को सुकर बनाने के उपायों के बावजूद, यह महसूस किया जाता है कि मिनी सेक्टर की क्षमता का पूरा दोहन नहीं किया गया है। यह विशेष रूप से हाल ही में शुरू की गई एन.एच.डी.पी. परियोजनाओं के मामले में हुआ, जिसमें लगभग 54,000 करोड़ रुपये का निवेश परिव्यय अन्तर्निहित है। निजी सेक्टर की समग्र रूप से भागीदारी मुख्य रूप से बाईपास मार्गों तथा पुलों के निर्माण तक सीमित रखी गयी है। इसी प्रकार, राजस्व के स्रोत के रूप में मार्गकरों की संभाव्यता का भी पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है।

17. तथापि राज्यों ने निजी सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें की हैं। ऐसे राज्यों में उल्लेखनीय हैं : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात । बहुत से अन्य राज्यों ने भी निजी सेक्टर भागीदारी नीति तैयार की है।

वार्षिक योजना - 2001-02

18. केन्द्रीय सेक्टर में सड़कों के विकास के लिए 5116 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। स्कीमवार ब्योरे संलग्नक 8.2.8 में दर्शाये गए हैं। नौवीं योजना (1997-2000) के प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय/राज्य सेक्टर से संबंधित परिव्यय/व्यय तालिका 8.2.2.1 में दिया गया है

तालिका 8.2.2.1
परिव्यय/व्यय - सड़क सेक्टर

(करोड़ रुपए)

सेक्टर	नौवीं योजना (1997-02) परिव्यय	1997-98 (व्यय)	1998-99 (व्यय)	1999-2000 (व्यय)	2000-01 (व्यय)	2001-02 (परिव्यय)
केन्द्रीय सेक्टर सड़कें	8862.02	1565.31	1461.62	3475.26	4342.99	6078.00
राज्य सेक्टर सड़कें	30469.18	4023.00	5061.00	6362.3 (सं.अ.)	8128.00 (सं.अ.)	10,000.00 (सं.अ.)

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

19. विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय दानकर्ता एजेन्सियों द्वारा वित्त पोषित विदेशी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्योरे संलग्नक 8.2.9 में दिए गए हैं। वर्तमान में, छह चालू परियोजनाएं हैं, जिनकी अनुमानित लागत 3879.39 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इसकी तुलना में, 31 मार्च 2001 तक 2585.10 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान 1220.09 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के नौवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

20. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज (जी.क्यू.), और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग शामिल हैं, इसका कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए अलाईन्मेंट को 5858 कि.मी. की कुल लम्बाई के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें से 811 कि.मी. की चार लेने पहले ही तैयार हो चुकी हैं। 2000-01 के दौरान 12 ठेकों में से केवल तीन पूरे किए गए थे और शेष 9 को 2001-02 में कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। चालू वर्ष के दौरान 1980 कि.मी. कवर करते हुए अन्य 42 ठेके प्रदान करने के लिए अनुमोदित किए गए जिनमें से 22 पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। जी.क्यू. के पूरा होने की निर्धारित तारीख दिसम्बर 2003 है। जहाँ तक उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्गों का संबंध है, 658 कि.मी. 4 लेन में हैं, 338 कि.मी. कार्यान्वयनाधीन हैं तथा 326 कि.मी. के लिए ठेके को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्गों को पूरा करने का लक्ष्य 2007 है।

सड़क परिवहन

21. देश में माल तथा यात्रियों के यातायात में सड़क परिवहन एक प्रधान परिवहन साधन है। पिछले पचास वर्षों के दौरान इसमें महत्वपूर्ण रूप से संवृद्धि हुई है। ऐसे पर्वतीय, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की सेवार्थ, जो रेल से जुड़े नहीं हैं, तल परिवहन का अकेला यंत्रीकृत साधन होने से, यात्री तथा माल यातायात दोनों ही में रेलवे की तुलना में इसका हिस्सा ज्यादा है। इस अवधि के दौरान वाहनों की संख्या में 12.61% की मिश्रित संवृद्धि दर दर्ज हुई है। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय बसों के बेड़े में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का हिस्सा 1992 में 28.7% से घट कर 31.3.1998 को 21.7% हो गया है।

थ्रस्ट एरिया

22. सड़क परिवहन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत, नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गई नई प्रमुख स्कीमें हैं - सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा संबन्धी प्रचार उपाय, असंगठित सेक्टर में चालकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा मोटर वाहनों से प्रदूषण की रोकथाम। राज्य सेक्टर में प्रमुख स्कीमों का सम्बन्ध राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा यात्री सेवाओं के प्रचालन तथा परिवहन सेवाओं के विनियमन से है।

नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-02) की समीक्षा

23. नौवीं पंच वर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 42.78 करोड़ रुपये (71%) का व्यय होनेकी संभावना है। उपलब्धि में कमी मुख्य रूप से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण आयी बतायी गई है।

24. राज्य सेक्टर के अन्तर्गत, नौवीं पंच वर्षीय योजना के लिए 7355.26 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसकी तुलना में 5820 करोड़ रुपये (79%) का व्यय होने की संभावना है (संलग्नक 8.2.10)।

25. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का वास्तविक कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है। बेड़े का उपयोग, वाहन उत्पादकता, कर्मचारी उत्पादकता, ईंधन दक्षता आदि में पर्याप्त सुधार हुआ है। वास्तविक निष्पादन में सुधार के बावजूद, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को वित्तीय घाटा होता चला जा रहा है। नौवीं पंच वर्षीय योजना के 2000-01 (एल.ई.) को समाप्त प्रथम चार वर्षों में निवल घाटा 6867.46 करोड़ रुपये था। ऐसी हानि के मुख्य कारण थे - निविष्टि लागत में वृद्धि, गैर-किफायती मार्गों पर सेवाओं का प्रचालन, निशुल्क तथा रियायती यात्रा, उच्च मोटर वाहन कर तथा गैर किफायती किराया ढाँचा।

वार्षिक योजना 2001-02

26. योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सेक्टर में वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 11.49 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया गया है। शुद्ध किए जाने वाली प्रमुख स्कीमें हैं - राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग स्कीम, सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार उपाय, मोटर वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का प्रचालन प्रमुख स्कीम होगी। वास्तविक प्राचलों में सुधार के बावजूद, इन उपक्रमों को फ्लीट पुराने होने, गैर किफायती मार्गों पर प्रचालन, रियायती यात्रा, गैर किफायती किराया और राज्य सरकारों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण निवल घाटा होने की संभावना है।

8.2.3 पत्तन

27. देश में 11 प्रमुख पत्तन हैं। देश का 12 वां प्रमुख पत्तन 'एन्नौर' 1.2.2001 को चालू किया गया है तथा यह परियोजना सभी प्रकार से पूरी हो गई है। कुल पत्तन यातायात में इन 11 प्रमुख पत्तनों का हिस्सा 81% है। पाँच प्रमुख पत्तनों, नामतः काण्डला, विझाग, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता/हल्दिया का अंशदान प्रमुख पत्तनों द्वारा संभाले जा रहे कुल यातायात का 68% (185 एम.टी.) है।

28. प्रमुख पत्तनों द्वारा संभाला गया यातायात 1996-97 में 227.26 एम.टी. से बढ़कर 1999-2000 में 271.92 एम.टी. हो गया। वर्ष 2000-01 में यातायात संवृद्धि 284 एम.टी. होने की संभावना है। प्रमुख पत्तनों में जिन्स-वार तथा पत्तन-वार हैंडल किए गए यातायात के ब्योरे संलग्नक 8.2.11 तथा 8.2.12 में दिए गए हैं।

29. 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रमुख पत्तनों की सकल पोर्ट हैंडलिंग क्षमता 258 एम.टी. थी और 31.3.2001 को 314 हो जाने की संभावना है। प्रतीत होता है कि 374 एम.टी. की क्षमता सृजन का नौवीं योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। जिन्सवार क्षमता संलग्नक 8.2.13 में दी गई है।

30. प्रमुख पत्तनों पर उत्पादकता संकेतकों ने सुधार दर्शाया है। उदाहरण के लिए पोतों का टर्न-राउंड समय 1996-97 में 7.5 दिनों से घटकर 1999-2000 में 5.1 दिन हो गया है। पत्तनवार ब्योरे संलग्नक 8.2.14 में दिए गए हैं।

31. वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान अनुमोदित परिव्यय 2007.17 करोड़ रुपए है। इसकी तुलना में योजना परिव्यय का संभावित उपयोग 67% (1338.85 करोड़ रुपए) है। योजना परिव्यय के उपयोग में कमी का मुख्य कारण है - कोलकाता/हल्दिया पत्तन पर हुगली मुहाने में सूखे की स्थिति में सुधार लाने के लिए नदी विनियामक उपायों हेतु स्कीम का शुरु नहीं किया जाना। पत्तनवार परिव्यय और व्यय के ब्योरे संलग्नक 8.2.15 में दिए गए हैं।

32. वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान, पत्तन सेक्टर के लिए 1151.93 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। इसमें से 931.43 करोड़ रुपए (80.85%) आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों (आई.ई.बी.आर.) के माध्यम से जुटाए जाने की आशा है। पत्तन सेक्टर के लिए वित्त पोषण की पद्धति तालिका 8.2.3.1 में दी गई है।

तालिका 8.2.3.1

स्रोत	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशतता
(क) आंतरिक संसाधन	843.13	73.19
(ख) आई.सी.एल./ई.सी.बी.	46.30	4.02
(ग) अन्य (प्रयोक्ता)	42.00	3.64
(घ) सकल बजटीय सहायता	220.50	19.14
(जिसमें से बजटीय सहायता)	49.25	(4.27)
योग	1151.93	100.00

33. विस्तृत वित्तपोषण पद्धति (पत्तनवार) संलग्नक 8.2.16 में दी गई है। प्रमुख पत्तनों द्वारा पत्तन विकास पर खर्च परिव्यय से कम हुआ है। योजना परिव्यय का संभावित उपयोग नौवीं योजना के अनुमोदित परिव्यय का 48.5% है। जी.बी.एस.का संभावित उपयोग कुल जी.बी.एस.का 64.8% और आई.ई.बी.आर. के संबंध में 45.8% है। व्यय का निम्न स्तर से इस बात का संकेत नहीं है कि प्रमुख पत्तनों की आत्मसात करने की क्षमता का अभाव है। वास्तव में यातायात की अपेक्षाकृत न्यून संवृद्धि दर से क्षमता सृजन पर व्यय को कम करना आवश्यक हो गया है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

34. 9428 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश के अलावा, 8000 करोड़ रुपये की और राशि पत्तन अवसंरचना के विकास के लिए निजी सेक्टर के माध्यम से जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 4426.5 करोड़ रुपये के निवेश से 58.05 एम.टी. क्षमता की 16 निजी सेक्टर/कैप्टिव पत्तन परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और वे निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में, 1011.5 करोड़ रुपये के निवेश से 15.4 एम.टी. क्षमता की 4 निजी सेक्टर/कैप्टिव पत्तन परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

प्रमुख पत्तनों का निगमीकरण

35. प्रमुख पत्तनों को प्रचालनात्मक लोच उपलब्ध कराने और शीघ्र निर्णय हेतु प्रमुख पत्तनों के क्रमिक रूप से निगमीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 12वें प्रमुख पत्तन के रूप में चेन्नई के समीप निर्मित किए जा रहे ऐन्नौर पत्तन के प्रबन्धन के लिए ऐन्नौर पोर्ट कम्पनी लि. पंजीकृत करके इस दिशा में एक शुरुआत कर दी गई है। जे.एन.पी.टी. मुम्बई, मंगलौर तथा तूतीकोरीन से निगमीकरण के प्रयोजनार्थ अपनी-अपनी परिसंपत्तियों का विश्लेषण करवाने के लिए कहा गया है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

36. पत्तन परियोजनाओं की संस्थागत वित्तपोषक अभिकरणों, जैसे कि ए.डी.बी., नीदरलैंड सरकार तथा ओ.ई.सी.एफ. (जापान) के माध्यम से भी सहायता की जा रही है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान 209.1 करोड़ रुपये के परिव्यय का आकलन किया गया है। इसमें से कुल विदेशी संघटक 95.55 करोड़ रुपये हैं। 95.55 करोड़ रुपये में से 49.25 करोड़ रुपये बजट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं तथा शेष राशि (46.30 करोड़ रुपये) पत्तनों के लिए सीधी सहायता है अर्थात् बजट के माध्यम से उपलब्ध नहीं होगी। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं ऐन्नौर में नए पत्तन का निर्माण, पारादीप में यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाएं तथा जवाहर दीप में जैट्टियों का आधुनिकीकरण। ऐन्नौर पत्तन की संशोधित अनुमानित लागत 950 करोड़ रुपये और संचित व्यय 741.30 करोड़ रुपये (78%) है। परियोजना कुल मिलाकर 98% पूरी हो चुकी है। यह पूरी परियोजना सभी प्रकार से पूरी हो गई है।

37. पारादीप में यंत्रीकृत कोयला हैं डलिंग सुविधाओं की संशोधित अनुमानित लागत 831.11 करोड़ रुपये है। संचित व्यय 602.62 करोड़ रुपये (75%) है। वास्तविक प्रगति 92% है। रेलवे रिसीवल सिस्टम तथा रेलवे सिंगनलिंग के बिना इस परियोजना के मार्च 2001 तक पूरा हो जाने की आशा है।

38. मेरीन ऑयल टर्मिनल बर्धर्स के आधुनिकीकरण की संशोधित अनुमानित लागत 215.34 करोड़ रुपये है। यद्यपि परियोजना की स्वीकृति अगस्त 1997 में दी गई थी तथापि यह परियोजना निष्पादन के प्रारंभिक चरण में है। संचित व्यय मात्र 14.69 करोड़ रुपये (6.8%) है। स्कीमवार ब्योरे संलग्नक 8.2.17 में हैं।

लघु पत्तनों का विकास

39. लघु पत्तनों द्वारा हैंडल किया गया यातायात 1996-97 में 24.93 एम.टी. से बढ़कर 1999-2000 में 62.46 एम.टी. हो गया है। वर्तमान में कुल यातायात का कोई 19% लघु पत्तनों द्वारा हैंडल किया जाता है। लघु पत्तनों द्वारा हैंडल किए जाने वाले कुल यातायात में गुजरात का अंशदान 74% है।

8.2.4 पोत परिवहन

40. 122 भारतीय शिपिंग कम्पनियों के स्वामित्व में कुल बेड़े में 549 जहाज़ हैं जिनकी जी.आर.टी. क्षमता 6.93 मिलियन है। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एस.सी.आई.), जो देश में सबसे बड़ी शिपिंग कम्पनी है, के अपने 108 जहाज हैं जिनकी टनभार क्षमता 2.78 मिलियन जी.आर.टी. है और यह कुल भारतीय टनेज भार का 40% है (संलग्नक 8.2.18)। विदेशों में समुद्री मार्ग से होने वाले देश के व्यापार में भारतीय पताका (फ्लैग) पोतों का हिस्सा वर्ष 1999-2000 के दौरान 31.5 % के आस-पास रहा है।

41. वर्ष 2000-01 में, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 634 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने की संभावना है। वर्ष 2001-02 में अनुमोदित परिव्यय 835.71 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान विगत तथा मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा वर्ष 2001-02 के दौरान आर्डर दिए जाने वाले/प्राप्त किए जाने वाले पोतों पर बल दिया जाएगा। नौवीं योजना के अनुमोदित परिव्यय के 39% परिव्यय का उपयोग होने की संभावना है। परिव्यय के न्यून उपयोग का कारण है: (क) परियोजनाओं में समय पर कार्यान्वित नहीं हो पाने की वजह से विदेशी वाणिज्यिक ऋण राशियां जुटाने में कठिनाई (ई.सी.बी.); (ख) प्रवर्तमान बाजार स्थिति अत्यधिक दबाव में है, जिसमें चार्टर/मालभाड़ा दरों में पर्याप्त गिरावट आई है विशेष रूप से ड्राई बल्क तथा लाइनर सेक्टर में; और (ग) व्यापार पद्धति में अत्यधिक परिवर्तन। नौवीं योजना में परिव्यय तथा व्यय संलग्नक 8.2.20 में दिए गए हैं।

8.2.5 अन्तर्देशीय जल परिवहन

42. आई.डब्ल्यू.टी. सेक्टर के लिए अनुमोदित परिव्यय 57.41 करोड़ रुपये है, जिसके मुकाबले संभावित व्यय 55.46 करोड़ रुपये का होगा। अन्तर्देशीय जल परिवहन से संबंधित स्कीमों का कार्यान्वयन भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। आई.डब्ल्यू.ए.आई. द्वारा कार्यान्वयनाधीन महत्वपूर्ण स्कीमों हैं - घईघाट, पटना में टर्मिनल का निर्माण, करीमगंज में टर्मिनल का निर्माण, पांडु टर्मिनल, फेयरवे विकास तथा नौ वहन सहायक साधन। इसी प्रकार सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों हैं - पोतों की प्राप्ति/प्रमुख मरम्मत तथा राजबगान डॉक यार्ड में मरम्मत सुविधाएं सृजित करना। नौवींयोजना के अनुमोदित परिव्यय का समभावित उपयोग 42 % है (संलग्नक-8.2.19)।

8.2.6 नागर विमानन

43. नागर विमानन सेक्टर का ढाँचा मोटे रूप में तीन विशिष्ट कार्यात्मक इकाइयों में बंटा हुआ है नामतः विनियामक-एवं-विकासात्मक, प्रचालनात्मक तथा आधारभूत संरचनात्मक। विनियामक कार्यों को नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) द्वारा अंजाम दिया जाता है। प्रचालनात्मक कार्य एयर इंडिया लि., इंडियन एयर लाइन्स लि., पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. तथा अन्य शैड्यूलड/नॉन शैड्यूलड एयरलाइन आपरेटरों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। एयर इंडिया लि. (ए.आई.) भारत के लिए/से अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंडियन एयरलाइन्स लि. (आई.ए.) तथा अन्य शैड्यूलड/नॉन शैड्यूलड प्रचालक देश में घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। इंडियन एयरलाइन्स लि. कुछ पड़ोसी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि. मुख्य रूप से पेट्रोलियम सेक्टर को हेलीकॉप्टर्स सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराती है।

44. आधार संरचनात्मक सुविधाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं, जो 94 हवाई अड्डों, जिनमें 11 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और रक्षा विमान पत्तनों पर 28 सिविल एन्क्लेव शामिल हैं, की प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इगुआ) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस तथा वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर्स पायलट लाइसेंस प्रदान करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण हेतु जिम्मेदार एवं प्रमुख उड़ान संस्थान है। भारतीय होटल निगम, जो एयर इंडिया लि. की अनुषंगी है, उड़ानगत खान-पान व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है तथा यह मार्गस्थ यात्रियों को केटर करने के लिए हवाई अड्डे के परिसर में भी होटलों का प्रचालन करता है।

45. केन्द्रीय सेक्टर में वर्ष 2001-02 में नागर विमानन के लिए 1641.31 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। परिव्यय के संगठनवार ब्योरे संलग्नक 8.2.21 में दिए गए हैं।

46. 495.37 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 10617.00 करोड़ रुपये के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों को मिलकर नागर विमानन के लिए नौवीं योजना के लिए 11112.37 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। नौवीं योजना में प्रत्याशित व्यय (वर्तमान मूल्यों पर) 7553.68 करोड़ रुपए (67.98 %) है जिसमें 205.48 करोड़ रुपए बजटीय सहायता के तथा 7348.20 करोड़ रुपये आई.ई.बी.आर. के शामिल हैं। यह देखा गया है कि वार्षिक योजना 2001-02 के लिए परिव्यय को शामिल करने के बाद, सम्भावित व्यय नौवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय से काफी कम है।

नागर विमानन महानिदेशालय

47. नागर विमानन महानिदेशालय के लिए नौवीं योजना हेतु 27.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था। नौवीं योजना में 18.45 करोड़ रुपये का प्रत्याशित व्यय अनुमोदित परिव्यय का 68.33 % है।

48. वर्ष 2001-02 के लिए नागर विमानन महानिदेशालय का वार्षिक योजना परिव्यय 5.50 करोड़ रुपये है। परिव्यय का प्रमुख हिस्सा (3.15 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए है।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)

49. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए नौवीं योजना परिव्यय 25.00 करोड़ रुपये है । नौवीं योजना में अनुमानित व्यय 12.72 करोड़ रुपये है जो अनुमोदित परिव्यय का 50.88% है ।

50. वर्ष 2001-02 के दौरान नागर विमानन ब्यूरो के लिए 5.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस संबन्ध में प्रमुख स्कीमें नागर विमानन सुरक्षा अकादमी की स्थापना और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण करना है । संपूर्ण परिव्यय का वित्तपोषण बजटीय समर्थन से किया जाना है ।

एयर इंडिया लिमिटेड

51. एयर इंडिया के लिए नौवीं योजना हेतु 3664.00 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया था। नौवीं योजना के लिए अनुमानित व्यय 2595.86 करोड़ रुपये है, जो स्वीकृत परिव्यय का 70.85% है । इसका मुख्य कारण नए वायुयानों की खरीद की स्कीम का स्थगन किया जाना है । नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में एयर इंडिया को 591.41 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई । नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में एयर इंडिया ने 1725.84 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का अनुमान लगाया है ।

52. एयर इंडिया का यातायात अनुमानतः 1999-2000 में 1456.5 मिलियन आर टी कि.मी. से घटकर वर्ष 2000-2001 में 1413.5 आर टी के एक (संशोधित अनुमान) और 1999-2000 में 11225.00 मिलियन आरपीकेएम हो गया। आय एयरलाइन की 2000-02 में 52.50 करोड़ रुपये (अंतिम वास्तविक) की निवल हानि हुई । वर्ष 2001-02 में एयर इंडिया को 21.50 करोड़ रुपये लाभ होने का अनुमान है

। वर्ष 2001-02 में एयर इंडिया के कार्यक्रमों के लिए 44544 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है । एयर इंडिया के परिव्यय का वित्त पोषण आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से किया जाना है । वास्तविक और वित्तीय निष्पादन संलग्नक 8.2.22 में दिया गया है ।

53. एयर इंडिया में 60% तक की सरकारी इक्विटी के निविनेश का निर्णय लिया गया है जिसमें से 40% की निजी क्षेत्रक को पेशकश की जाएगी और 20% कर्मचारियों, वित्तीय संस्थाओं और जनता को । तथापि यह विनिर्धारित किया गया है कि कुल इक्विटी के 26% तक की इक्विटी ही फ्रेंट एयर लाइन द्वारा धारित की जाएगी ।

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड

54. इंडियन एयरलाइंस के लिए नौवीं योजना हेतु 125.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 3640.75 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है । नौवीं योजना में अनुमानित व्यय 2505 करोड़ रुपये होगा, जो अनुमोदित परिव्यय का (68.80% है)

55. इंडियन एयर लाइंस का यातायात 1999-2000 में 7.40 मिलियन आरटीकेएम से बढ़कर 2000-2001 (संशोधित अनुमान) अनुमानतः 768 मिलियन आरटीकेएम हो गया है । इसी प्रकार 1999-2000 में 6983 आरपीकेएम से बढ़कर 2000-2001(संशोधित अनुमान) के 7182 आरपीकेएम हो गया है । एयर लाइंस को वर्ष 2000-01 में 177.25 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) की निवल हानि हुई । वर्ष 2001-02 में इंडियन एयरलाइंस के लिए 460.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है । वास्तविक और वित्तीय निष्पादन संलग्नक 8.2.23 के ब्यौरे में दर्शाया गया है ।

56. प्रस्ताव है कि इंडियन एयरलाइंस में भारत सरकार की शेयर धारिता का डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्टर् पोलिसी संरचना के भीतर विनिवेश किया जाए । इंडियन एयरलाइंस की 51% इक्विटी का विनिवेश करने का प्रस्ताव है जिसमें से 26% इक्विटी किसी ग्रुप, कंपनी अथवा व्यक्ति को दी जानी है, जिसे संयुक्त उद्यम/सक्रिय भागीदार कहा जा सकता है । शेष 25% कर्मचारियों, वित्तीय संस्थाओं तथा जनता को देने का प्रस्ताव है ।

भारत विमानपत्तन प्राधिकरण (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया)

57. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नौवीं योजना में 283.37 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन सहित 3421.87 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था । नौवीं योजना अवधि में 2120.02 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय अनुमोदित परिव्यय का 61.96% है । नौवीं योजना में एयरपोर्ट अथॉरिटी के 2120.02 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय में से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स डिवीजन का व्यय 717.90 करोड़ रुपये है ।

58. वर्ष 2001-02 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 573.71 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2000-01 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 234.26 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया (संशोधित अनुमान) और वर्ष 2001-02 के दौरान 251.30 करोड़ रुपये का निवल लाभ प्रत्याशित था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1999-20 में हेंडल किया गया कार्गो यातायात 797.41 हजार टन से बढ़कर 2000-01 में 846.14 टन हो गया। इसी प्रकार 1999-2000 में यात्री यातायात 390.35 लाख से बढ़कर 2000-01 में 420.25 लाख हो गया।

59. दिल्ली, मुंबई, चैन्नई और कोलकाता स्थित हवाई अड्डों को दीर्घकालीन पट्टे पर देने के जरिए पुनः संरचना करने का निर्णय लिया गया है। इन हवाई अड्डों को दीर्घकालीन पट्टे पर देने से संबोधित विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देने के लिए मैसर्स केपीएमजी की अध्यक्षता में एक कंसोर्टियम नियुक्त किया गया है। इस संबंध में प्रथम चरण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कानूनी परामर्शदाता द्वारा इसकी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाई अड्डों की रहीं हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाई अड्डों की पुनः संरचना की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/नियमों और विनियमों का भी वे अध्ययन कर रहे हैं और विनियामक ढांचे के बारे में परामर्श दे रहे हैं।

पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड

60. पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लिमिटेड के लिए वर्ष 2001-02 में 127.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया है। परिव्यय का मुख्य भाग (106.80 करोड़ रुपये) नए हैलीकॉप्टर्स (फ्लीट) को प्राप्त करने के लिए रखा गया है। वर्ष 2000-2001 में पवन हंस ने 50.49 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का निवल लाभ कमाया। वर्ष 2001-02 में कंपनी ने 21.15 करोड़ रुपये के निवल लाभ का अनुमान लगाया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

61. वर्ष 2001-2002 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लिए 1.25 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया है जिसका वित्त पोषण बजटीय संसाधनों से किया जाएगा। परिव्यय का मुख्य भाग (1.00 करोड़ रुपये) हवाई पट्टी विमान संचालन और अवतरण उपकरणों की लागत पर व्यय करने के लिए रखा गया है।

होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

62. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 2001-2002 की वार्षिक योजना परिव्यय 23.00 करोड़ रुपये का है। परिव्यय का मुख्य भाग (22.00 करोड़ रुपये) होटल के कमरों के नवीकरण/उन्नयन और सामान्य विभागीय व्यय के लिए है। संपूर्ण परिव्यय आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से वित्त पोषित किया जाएगा।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना

63. औरंगाबाद हवाई अड्डे का विकास कार्य जेबीआईसी जापान की वित्तीय सहायता से चरणों में आरंभ किया गया है। समझौते के अनुसार, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया गया 82% व्यय, जेबीआईसी द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अदा किया जाएगा। चरण -I में किए गए कार्य पर वहन किया गया कुल व्यय 15.13 करोड़ रुपये है जिसमें से 12.53 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को की जा चुकी है और जो वहन किए गए कुल व्यय का 82% है।

64. चरण -II में नए देशीय टर्मिनल भवन का निर्माण नए नियंत्रण टॉवर, एपराने और टैक्सी ट्रेक का निर्माण और रनवे का विस्तार, स्टाफ क्वाटर्स और कार पार्किंग आदि का निर्माण शामिल हैं और इस पर 79.03 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। जेबीआईसी द्वारा अभी इसका अनुमोदन किया जाना शेष है। परन्तु रुपये के अवमूल्यन के कारण और उसके परिणामस्वरूप बचत को देखते हुए जेबीआईसी ने चरण -II के कुछ निर्माण कार्यों को चरण -I में शामिल करने पर विचार किया है, जिसकी लागत 32.16 करोड़ रुपये होगी। औरंगाबाद हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल परिसर के डिजाइन और इंजीनियरी कार्य और अन्य संबद्ध निर्माण कार्यों को करने के लिए 2001-02 की वार्षिक योजना में 90.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

हवाई अड्डा आधारिक संरचना में निजी क्षेत्रक की सहभागिता

65. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा मई, 1999 में एक नया एयरपोर्ट नेडूमबासरी का निर्माण करके उसे चालू किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सीआईएएल) ने सीआईएएल की शेयर पूंजी में अपनी इक्विटी के रूप में सीएनएस उपकरण प्रदान किए हैं - जिनकी अधिकतम सीमा 11 करोड़ रुपये है। सरकार ने बेंगलोर, हैदराबाद और गोवा में भी निजी सहभागिता से नए हवाई अड्डे स्थापित करने की सहमति सैद्धांतिक रूप से दे दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आंध्रप्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जिसके तहत शमशाबाद में नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जाना है।

संलग्नक 8.2.1

रेल योजना का वित्त पोषण

(रु. करोड़ में)

	नोंवी योजना	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	1997-2002
					(सं. अनु.)	(ब. अनु.)	
	1	2	3	4	5	6	7
जी. बी. एस.	11791	1870	1881	2157	3019	2849	11776
		(1992)	(2185)	(2588)	(3840)	(3840)	(14445)
बाजार का ऋण		2623	2769	2433	2743	2967	13535
	33622	(2795)	(3217)	(2919)	(3488)	(4000)	(16419)
आंतरिक संसाधन		3240	2974	2959	2103	2411	13687
		(3452)	(3455)	(3550)	(2674)*	(3250)**	(16381)
योग	45413	7733	7624	7549	7865	8227	38998
		(8239)	(8857)	(9057)	(10002)	(11090)	(47245)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्तमान मूल्य पर हैं

* इसमें रु. 1500 करोड़ का आस्थागित लाभांश शामिल नहीं किया गया है

** इसमें रु. 1500 करोड़ का आस्थागित लाभांश शामिल नहीं किया गया है

भारतीय रेलों द्वारा ढोया गया माल यातायात

वर्ष	मूल यातायात (मिलियन टन में)			निवल टन कि. मी. (बिलियन में)		
	राजस्व अर्जन	गैर राजस्व अर्जन	कुल	राजस्व अर्जन	गैर राजस्व अर्जन	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1991-92	338	22	360	250.2	6.7	256.9
1992-93	350	20.8	370.8	252.4	5.7	258.1
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257.1
1994-95	365	16.6	381.6	249.6	3.4	253
1995-96	390.6	14.3	405	271.1	2.6	273.7
1996-97	409	14.4	423.4	277.6	2.4	280
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	286.8
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284.3
1999-2000	456.4	21.8	478.2	305.2	2.8	308.0
2000-2001 (सं.अनु.)	475	27.0*	502	313	@	

*अनंतिम

@ उपलब्ध नहीं हैं

संलग्नक 8.2.3

भारतीय रेलों द्वारा ढेया गया यात्री यातायात

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)			यात्री कि. ह्मी. (बिलियन में)		
	उप नगरीय	गैर उप नगरीय	योग	उप नगरीय	गैर उप नगरीय	योग
1991-92	2411.0	1637.1	4048.1	63.4	251.2	314.6
1992-93	2282.0	1467.0	3749.0	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302.0	1406.0	3708.0	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430.0	1485.0	3915.0	68.0	251.0	319.0
1995-96	2481.0	1557.0	4038.0	72.6	261.4	334.0
1996-97	2578.0	1575.0	4153.0	76.5	280.5	357.0
1997-98	2657.0	1691.0	4348.0	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1743.7	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	2836.4	1814.3	4650.7	85.8	345.6	431.4
2000-2001 (स. अनु.)	2908.1	1896.8	4804.9	88.3	370.2	458.5

संलग्नक 8.2.4

नौवीं योजना में भारतीय रेलों के लिए योजनाशीर्षवार परिव्यय एवं व्यय

(₹. करोड में)

क्रम सं.	योजनाशीर्ष	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-2002
		बजट अनु.	वास्तविक	बजट अनु.	वास्तविक	बजट अनु.	वास्तविक	बजट अनु.	(सं. अनु.)	(ब. अनु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रोलिंग स्टॉक	4002	3614	4305	4265	3905	3488	3900	3942	3850
2	कार्यशालाएं और शेड	120	130	175	144	250	167	220	164	220
3	मशीनरी और संयंत्र	65	49	80	63	110	90	100	80	100
4	रेल लाइनों का नवीकरण	1250	1367	1425	1392	1500	1589	2000	1633	2050
5	पुल निर्माण	85	73	100	66	125	88	75	62	75
6	गेज परिवर्तन	910	1130	650	673	645	543	600	492	665
7	डबलिंग्स	195	291	510	447	625	554	655	568	672
8	यातायात संबंधी अन्य सुविधाएं	125	128	2210	147	220	171	225	172	225
9	सिगनलिंग और दूर संचार	230	251	350	310	375	369	425	340	425
10	आर ओ बी/ आर यू बी लेवल क्रॉसिंग	-	-	-	-	-	-	300	150	300
11	कम्प्यूटरीकरण	45	31	60	28	70	40	70	69	70
12	विद्युतीकरण	350	319	340	328	350	319	325	301	225
13	बिजली संबंधी अन्य निर्माण कार्य	70	66	150	94	130	104	130	108	120
14	नई लाइनें	400	400	500	388	600	521	825	702	1015
15	कर्मचारी आवास	60	45	60	52	55	57	60	58	65
16	कर्मचारी कल्याण	55	56	55	47	55	54	60	45	65
17	प्रयोक्ता सुविधा	80	89	100	91	130	115	200	144	200

18	अन्य विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य	65	40	65	39	55	39	45	38	45
19	सूची (इन्वेंटरी)	10	-83	75	91	170	497	337	552	300
20	एम. टी. पी.	170	146	250	184	300	245	400	337	378
21	रेल अनुसंधान	3	5	10	8	10	7	10	9	10
22	सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में निवेश	10	92	20	-	20	-	38	36	15
	योग	8300	8239	9500	8857	9700	9057	11000	10002	11090

संलग्नक 8.2.5

भारतीय रेल - लक्ष्य और उपलब्धियां

मद	1999-2000		2000-01		2001-02
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि दिसंबर 2000 तक	लक्ष्य
1. रोलिंग स्टॉक (संख्या)					
क) वैगन (चार पहिया)	18000	16463	20705	11888	23000
ख) डीजल इंजन	138	137	100	83	90
ग) विद्युत इंजन	108	120	120	82	90
घ) कोचिंग स्टाफ् (ईएमयू)	165	156	111	52	294
ङ) अन्य कोच (रेल डिब्बे)	2020	2032	2079	1564	1907
2. रेल लाइनों का नवीकरण (रेल डिब्बे)	2550	3006	3250	2268	3400
3. विद्युतीकरण (स्ट कि. मी.)	435	405	460	210	350

वर्ष 2001-02 के लिए ईएसपी हेतु बजटीय आवश्यकता

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ऋण संख्या	संभावित बजटीय प्रावधान (2001-02)	आईबीआर (2001-02)	कुल योजना प्रावधान (2001-02)	विदेशी सहायता (वितरित की गई.) (2001-02)	गैर सहायता हिस्सा (2001-02) 8	टिप्पणियां यदि कोई हैं तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोरापुट - रायगाडा	3/188	-	-	-	-	-	
	रेल परियोजना		सउदी निधि					
2	लांजीगढ - तितला गढ	3/188	30 करोड़	-	30 करोड़	10.0 करोड़	20 करोड़	* नोट नीचे देखें
	न्दबलिंग							
3	पश्चिम रेलवे, मुम्बई के लिए 3 - फेस टैक्शन ड्राइव की आपूर्ति	फ्रांसीसी वित्तीय प्रोटोकॉल 1996	50 करोड़	-	50 करोड़	22.5 करोड़	27.5 करोड़	
	मुम्बई							
	योग		80 करोड़		80 करोड़	32 करोड़	47.5 करोड़	

* यद्यपि, एसएफडी ने ऋण की शेष राशि में से इस परियोजना को वित्त पोषण के लिए शामिल किया गया है, परन्तु ऋण करार को अभी आशोधित किया जाना है। इस संबंध में एस एफ डी से अनुरोध कर दिया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजनाके लिए वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां 1997-2002

क्र.सं.	स्कीम	इकाई	नौवां योजना लक्ष्य (1997-2002)	1997-98	1998-99	1999-2000	नौवीं (1997-2000) योजना के पहले तीन वर्षों में निष्पादन	2000-2001		नौवीं (1997-2000) योजना के पहले चार वर्षों में निष्पादन		2001-2002
								लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सामान्य एनएच निर्माण कार्य			उपलब्धियां	उपलब्धियां	उपलब्धियां	उपलब्धियां	उपलब्धियां	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य
1.	दो लेनों में विस्तारण	कि.मी.	1194	162	217	483	862	649	436	1293	1298	452
2.	चार लेनों में विस्तारण	कि.मी.	202	49	127	114	290	85	52	215	342	51
3.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण	कि.मी	2908	314	471	844	1629	903	1030	2554	2659	370
4.	बाईपास	संख्या	20	0	1	4	5	13	4	28	9	7
5.	बृहत पुल	संख्या	40	4	8	24	36	49	30	84	66	27
6.	आरओबी सहित बृहत पुल	संख्या	226	28	49	72	149	98	98	281	247	67

नोट: 1. उपर्युक्त के अतिरिक्त योजना स्कीम के तहत वर्ष 1999-2000 में 2434 कि.मी. की सवारी गुणवत्ता में सुधार लाया जा चुका है। वर्ष 2000-2001 में लगभग 6500 कि.मी. सवारी गुणवत्ता पूरा किए जाने का लक्ष्य था और वर्ष 2000-2001 में 2000 कि.मी. पूरा किए जाने की योजना थी।

2. उपर्युक्त आंकड़ों में एनएचएआई कार्यक्रम शामिल नहीं है।

केन्द्रीय सड़क क्षेत्रक परिव्यय/व्यय

(रु. करोड़ में)

क्रम सं..	स्कीम	नौवीं योजना का परिव्यय (1997-2002)	(1997-98)	(1998-99)	(1999-2000)			(2000-2001)			(2001-02)
			व्यय	व्यय	परिव्यय	सं. अनुमान	व्यय	परिव्यय	सं. अनुमान	व्यय	परिव्यय
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1325.57	404.54	286.67	249.00	249.00	260.97	300.00	238.00		88.00
	क) विदेशी सहायता प्राप्त (आर डब्ल्यू)	331.39	83.76	71.00	123.00	123.00	69.11	74.00	60.00		22.00
	ख) काउंटरपार्ट निधियां (आर डब्ल्यू)	1559.36	150.00	130.54	570.87	570.87	512.60	317.44	381.44		898.00
	ग) विदेशी सहायता प्राप्त (एनएचएआई)	389.84	50.00	32.63	123.00	123.00	91.18	79.36	79.36		114.00
	घ) काउंटरपार्ट निधियां (एनएचएआई)	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		0.10
	ड) पीआईसी सुदृढीकरण	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.01	628.27	0.10
	च) एनएचएआई को ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	110.72
	उप योग		688.50	521.04	1066.07	1066.07	934.06	771.00	806.91	628.27	1232.92
2.	* अन्य योजनाएं - एनएच (ओ)	3983.43	491.24	707.13	772.41	1079.61	868.71	1515.44	1460.20	1321.00	1344.88
3.	बीआरडीबी के अंतर्गत निर्माण कार्य	468.00	60.00	85.00	103.00	112.30	112.30	135.92	135.92	104.00	30.00
4.	यात्रा व्यय (आंतरिक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	0.24	0.80
5.	अन्य प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.20
6.	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास (अन्य प्रभार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
7.	ई व आई निर्माण कार्य	109.00	19.00	20.00	30.00	30.00	15.25	30.00	13.00	11.44	0.00
8.	सीआरएफ से राज्यों के लिए ई व आई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
9.	सीआरएफ से संघ राज्यों के लिए ई व आई		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10.	आयोजना विकास	0.30	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
11.	सड़क खण्ड के अंतर्गत महत्वपूर्ण सड़कें		3.99	2.50	2.00	2.00	1.94	3.00	4.10	0.00	1.00
12.	बीआरडीबी के अंतर्गत महत्वपूर्ण सड़कें		2.50	3.50	7.60	7.69	7.69	12.64	12.39	8.41	3.00
13.	एसबीए सड़कें	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	विशेष मरम्मत कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	330.70	0.00	210.00	1120.59	0.00
15.	अनुसंधान और विकास	28.64	4.14	2.03	10.00	3.69	2.53	10.00	10.00	3.81	3.90
16.	विश्व बैंक के अंतर्गत प्रशिक्षण	4.69	0.29	0.17	1.70	1.20	0.07	1.70	1.50	0.04	1.00
17.	अन्य प्रशिक्षण		0.10	0.03	0.20	0.05	0.03	0.20	0.02	0.01	0.20
18.	मशीनरी और उपकरण	25.00	5.00	4.89	5.00	5.00	4.98	15.00	11.00	5.76	1.00
19.	एनएचएआई (निवेश)	551.00	291.00	101.00	160.00	1192.00	1192.00	2010.00	1800.00	1800.00	2100.00
20.	प्रभारित व्यय	37.41	0.00	14.33	5.00	9.50	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00
21.	उत्तरपूर्वी राज्य व सिक्किम राज्य (राजस्व)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22.	उत्तरपूर्वी राज्य व पूंजी			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
	योग	8862.02	1565.31	1461.62	2163.08	4056.21	3475.26	4516.00	4476.05	4013.57	5116.00
23.	सीआरएफ से राज्य को अनुदान सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.79	315.68	923.00
24.	सीआरएफ से संघशासित क्षेत्रों को अनुदान सहायता		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21	13.74	39.00
	महा योग	8862.02	1565.31	1461.62	2163.08	4056.21	3475.26	4516.00	5466.05	4342.99	6078.00

* फरवरी 2001 के आंकड़े।

विदेशी सहायता प्राप्त सड़कों/ पुल परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजनाएं	पूरा किए जाने की संभावित लागत	पूरा किए जाने की संभावित लागत	03/2000 तक कुल व्यय	2000-01 के दौरान व्यय	03/2001 तक कुल व्यय	1.4.2001 को शेष राशि	2001-02 में बजट आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	द्वितीय विश्व बैंक, जारी संविदाएं पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, निविदा 1997 में दी गई	888.86	जून 2001	721.30	76.16	797.46	91.40	54.50
1.	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और प. बंगाल को 98 में दिया गया	712.94	जून, 2001	429.63	176.25	605.88	107.06	42.87
2	जेबीआईसी (आईडीपी-91), उत्तर प्रदेश में नैनी पुल	393.00	अक्टूबर, 2003					
3	जेबीआईसी (आईडीपी-92), आंध्र प्रदेश	377.00	मई, 2002					
4	जेबीआईसी (आईडीपी-100), उड़ीसा	173.00	फरवरी, 2002	805.90###	375.86##	1181.86#	1095.83###	1122.72#
5	जेबीआईसी (आईडीपी-100), उत्तर प्रदेश	120.00	अप्रैल, 2002					
6	एडीबी- III (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, प. बंगाल)	1214.59	जून 2002					
	योग	3879.39		1956.83	628.27	2585.10	1294.29	1220.09

: एडीबी- III और जेबीआईसी परियोजनाओं के लिए समेकित बजट प्रावधान, जो जेएनएचए आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

: एडीबी- III और जेबीआईसी परियोजनाओं के लिए समेकित आंकड़े।

संलग्नक 8.2.10

सड़क परिवहन - परिव्यय और व्यय

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम	नौवीं योजना परिव्यय	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02 परिव्यय
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	1. एसआरटीसी को पूंजी अंशदान	8.63	5.63	5.63	3	1.52	1	0	--	--	--
	2. एसआरटीसी										
	2. सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	37.42	2.57	1.89	8.40	4.4	5.66	4.95	9.45	7.95	10.12
	3 सड़क सुरक्षा एकक	0.75	0.12	0.10	0.20	0.09	0.15	0.15	0.2	0.17	0.22
	प्रचार उपाय	8.67	1.00	0.79	2.50	1.68	1	1	3	2.7	3
	अनुदान सहायता	3.00	0.20	0.20	1.00	0.08	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	प्रदूषण परीक्षण उपकरण	6.00	0.50	0.30	1.50	0.64	1	0.5	0.75	1	1
	4 सड़क सुरक्षा उपकरण	4.00	0.25	0.02	0.70	0	0.01	0.15	4	0.65	0.16
	राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना	15.00	0.50	0.50	2.50	1.91	3	2.75	1	2.93	5
	5 3.प्रशिक्षण व कम्प्यूटर	4.45	0.26	0.50	2.10	0.26	0.68	0.64	0.75	0.97	0.57
	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड सेफ्टी	2.00	0.00	0.40	1.50	0.26	0.33	0.3	0.4	0.4	--
	6 असंगठित क्षेत्रक में चालकों का प्रशिक्षण	0.75	0.15	--	0.25	0.08	0.15	0.15	0.3	0.32	0.3
	प्रशिक्षण कार्यक्रम (मानव संसाधन विकास)	0.50	0.01	--	0.15	0.05	0.05	0.4	0.05	0.05	0.05
	7 कम्प्यूटर प्रणाली	1.20	0.10	0.10	0.20	0.13	0.15	0.15	0.2	0.2	0.22
	4. अनुसंधान और विकास	1.15	0.20	0.10	0.20	0	0.15	0	0.1	--	--
	5. सीआईआरटी, पुणे, का सुदृढीकरण	4.65	0.20	--	1.00	0.4	1	1	40	--	--
	6. अध्ययन सहित विविध	3.70	0.36	0.33	1.30	0.24	0.51	0.35	65	0.16	0.8
	परिवहन अध्ययन	1.50	0.20	0.20	0.50	0.07	0.25	0.19	0.1	0	0.4
ख.	डाटा एकत्रीकरण	0.50	0.05	0.05	0.10	0.06	0.1	0.05	0.2	0.03	0.1
	राष्ट्रीय डाटा बैंक नेटवर्क	0.95	0.00	0.00	0.50	0	0.01	0	0.1	0	0.1
	मोटर वाहन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण वाहन	0.75	0.10	0.08	0.20	0.11	0.15	0.11	0.15	0.13	0.2
	ऊर्जा संरक्षण	--	0.01	--	0.00	0	0	0	0.1	0	--
	योग	60	9.22	8.45	16.00	6.82	9.00	6.94	11.35	9.08	11.49
	राज्य योजना	7355.26	1227.10	1442.32	1229.64	968.38	1226.3	934.96	1265.30*	1274.32	1200.0
	महा योग	7415.26	1236.3	1450.77	1245.64	975.20	1235.3	941.900	1276.65	1283.4	1211.4
							7				9

* प्रत्याशित

वस्तुवार प्रमुख पत्तनों पर यातायात

(रु करोड़ में)

वस्तु	नोंवी योजना (2001-02) के लक्ष्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 लक्ष्य	अनुमानित	2000-01 लक्ष्य
पी.ओ.एल	186.7	98.08	104	107.41	106.05	116.71	108.89
लौह अयस्क	34.4	33.05	40.73	32.54	32.76	36.09	39.10
कोयला	93.7	34.86	38.95	39.02	38.81	37.09	46.98
उर्वरक	14.2	7.18	8.91	9.00	10.11	10.10	11.13
कंटेनर	38.7	20.59	23.30	23.78	25.35	71.93	77.70
सामान्य कारगो	56.2	33.5	35.77	39.97	44.92		
योग	423.9	227.26	251.66	251.72	258	271.92	283.80

प्रमुख बंदरगाहों पर हैंडल किया जाने वाला यातायात- बंदरगाहवार

(मिलियन टन)

बंदरगाह	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
कोलकाता	6.3	7.95	9.5	9.16	10	10.31	8.00
हल्दिया	18	20.21	20.5	20.23	20.9	20.71	24.00
पारादीप	11.8	13.3	13.35	13.11	13.75	13.64	19.20
विजाग	35.6	36.02	36	35.65	35	39.51	43.00
चैन्नई	32.5	35.53	36.5	35.20	35.5	37.44	42.00
तूतीकोरिन	9.4	9.98	10.2	10.15	10.5	9.99	12.00
कोचीन	11.8	12.32	12.25	12.68	12.4	12.80	12.00
न्यू मैंगलोर	12.8	15.28	15.5	14.21	14.6	17.60	18.40
मोरमुगांव	18	21.18	20.2	18.02	18	18.23	19.70
मुम्बई	34.6	32.1	34	30.97	32	30.41	28.50
काण्डला	36.6	38.9	40	40.64	42.5	46.30	39.00
जेएनपीटी	9.6	8.9	10	11.72	12.85	14.98	18.00
योग	237	251.67	258	251.74	258	271.92	283.80

प्रमुख बंदरगाहों पर हैंडल किया जाने वाला यातायात- वस्तुवार

(मिलियन टन)

वस्तु	31.3.97 को क्षमता		31.3.99 को क्षमता	31.3.2000 को क्षमता	31.3.2001 को क्षमता
	(वास्तविक)	पुनर्मूल्यांकित	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(प्रत्याशित)
1	2	3	4	5	6
पी.ओ.एल (पेट्रोल, तेल, स्नेहक)	94.9	92.7	105.7	118.50	134.5
लौह अयस्क	44.5	43.0	43.0	43.0	44
कोयला (थर्मल)	9	15.60	15.60	16.80	48
उर्वरक	5.65	4.85	4.85	3.45	3.45
कन्टेनर	13.91	19.30	22.90	24.70	29.35
सामान्य कारगो	47.23	44.10	47.45	51.60	54.4
कुल	215.2	219.55	239.50	258.05	313.70
अर्थात्	215	220	240	258	314

प्रमुख बंदरगाहों पर उत्पादकता सूचक - बंदरगाहवार

	लंगर डालने के पूर्व औसत प्रतीक्षा अवधि			1996-97	1999-2000	औसत टर्नराउण्ड	1996-97	1999-00	प्रति पोत बर्थ दिन
	1996-1997	1999-2000	% भिन्नता *	1996-1997	1999-2000	% भिन्नता *	1996-1997	1999-2000	% भिन्नता *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोलकाता	0.2	0.2	0.0	7.7	6.6	16.7	1188	2157	81.6
हल्दिया	0.7	0.6	16.7	6	5.2	15.4	5855	5599	-4.4
पारादीप	0.7	0.3	133.3	4.9	3.90	25.6	6406	7106	10.9
विजाग	1.5	0.7	114.3	5.6	4.80	16.7	6696	7579	13.2
चैन्नई	1.1	2.1	-47.6	7.8	6.80	14.7	5131	5886	14.7
तूतीकोरिन	0.3	2.6	-88.5	5.1	6.40	-20.3	3026	2891	-4.5
कोचीन	0.4	0.2	100.0	3.9	3.20	21.9	5438	5952	9.5
न्यू मैंगलोर	1.1	0.2	450.0	4.4	3.80	15.8	7172	9000	25.5
मोरमुगांव	0.3	0.4	-25.0	6.3	4.30	46.5	8540	11162	30.7
मुम्बई	2.4	0.3	700.0	10.7	5.60	91.1	2605	3876	48.8
जेएनपीटी	2.0	0.6	233.3	6.3	1.7	270.6	2987	5905	97.7
काण्डला	5.3	1.1	381.8	10.6	6.20	71.0	7066	8740	23.7
सभी बंदरगाह	1.7	0.9	88.9	7.5	5.10	47.1	4497	5500	22.3

* 1996-97. से 1999-2000 तक भिन्नता

नोंवी पंचवर्षीय योजना - परिव्यय और व्यय - बंदरगाह

(करोड़ रु.)

बंदरगाह	नोंवी परियोजना परिव्यय (1997- 2002)	1997-1998		1998-1999		1999-2000		2000-01		2001- 02
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कोलकाता	50	13.45	6.04	7.99	11.04	7.9	12.08	5.04	6.55	2.88
हल्दिया	200	26.27	22.07	22	50.32	22	70.2	59.76	43.19	14.3
आरआर/ एसबीआर योजना	295	5.5		0.11		0.1	0	214.34	0	75
योग	545	45.22	28.11	30.1	61.36	30	82.28	279.14	49.74	92.18
मुम्बई	1208	156.24	75.61	110.9	52.46	223.1	211.21	217.99	163.78	91.21
जेएनपीटी	700	94.86	106.75	70.5	21.16	50	50.51	101.70	38.02	81.3
चैन्नई		228.38	123.1	170	225.86	379	302.1	228.50	183.76	147.3
कोचीन	380	16.21	10.04	10	19.93	20	22.76	26.00	18.73	61.24
विजाग		70.5	55.29	50	51.3	51.8	91.25	138.4	97	90.00
काण्डला	560	85.08	50.9	65.5	50.19	71.8	63.38	109.93	63.2	101
मोरमुगांव	360	15.42	7.78	15	31.05	30	25.5	50.21	25	59.16
पारादीप	1200	224.84	117.62	120	199.73	344	235.96	275.52	153	91.5
न्यू मैंगलोर	640	31.44	20.58	30	14.81	44	44.55	90	110	74.00
तूतीकोरिन	550	34.18	16.07	55	48.36	170	194.38	72.6	33.08	69.35
प्रमुख बंदरगाह (क)	8543	1002.37	611.85	727	776.21	1413.7	1323.88	1590	935.31	958.2
डीसीआई	695	299.85	75.98	190	96.74	150	115.91	317	309.6	97.5
ए एल एच डब्ल्यू	125	27.3	16.66	30	26.04	30	29.59	42.3	43.89	37.00
एमपी एस ओ	15	1.7	0	1.5	1.11	1.75	1.75	1.23	1.11	1.9
छोटे बंदरगाह	30	3	0.37	0.5	0	3	0.03	1	0.09	2.00

संलग्नक 8.2.15 जारी ...

विविध मद	20	8	2.34	5	2.98	5.25	4.18	5.65	3.85	8.35
अन्य (ख)	885	339.85	95.35	227	126.87	190	151.46	367.18	358.54	146.8
योग (क+ख)	9428	1342.22	707.2	954	903.08	1603.7	1475.34	1957.2	1293.9	1105
एन्नोर पो. लि.										2.00
सर्वेक्षण पोत	262	30	30	30	84.77	20	20	50	45	45
कुल योग	9690	1372.22	737.2	984	987.85	1623.7	1495.34	2007.17	1338.84	1151.93

संलग्नक 8.2.16

वार्षिक योजना 2001-2002 - अनुमोदित परिव्यय और निधिकरण पैटर्न -
बंदरगाह क्षेत्र

	कुल परिव्यय	जिसमें से		आईसीएल/ ईसीबी	अन्य	बजट सहायता
		ई ए	आईआर			
1	2	3	4	5	6	7
कोलकाता	2.88		2.88			
हल्दिया	14.30		14.30			
आरआर/ एसबीआर योजना	75.00					75.00
योग	92.18		17.18			75.00
मुम्बई	91.21	37.5	53.71	37.5		
जेएनपीटी	81.3		81.3			
चैन्नई	147.26	18.8	128.46	8.8		10
कोचीन	61.24		61.24			
विजाग	90		90			
काण्डला	100.98		100.98			
मोरमुगांव	59.16		59.16			
पारादीप	91.5		52.25			
न्यू मैंगलोर	74	39.25	32			39.25
तूतीकोरिन	69.35		69.35		42.00	
प्रमुख बंदरगाह (क)	958.18	95.55	745.63	46.3	42.00	124.25
डीसीआई	97.5		97.5			
एएलएचडब्ल्यू	37					37
एमपीएसओ	1.9					1.9
छोटे बंदरगाह	2					2
विविध मद	8.35					8.35
अन्य (ख)	146.75	0	97.5	0	0.00	49.25
योग (क+ख)	1104.93	95.55	843.13	46.3	42	173.5
एन्नोर पोर्ट लिमिटेड	2					2
सर्वेक्षण पोत	45					45
कुल योग	1151.93	95.55	843.13	46.3	42	220.50

नोट : 95.55 करोड़ रू. में से केवल 49.25 करोड़ रू. ही बजट के जरिए दिए जाएं और शेष राशि बंदरगाहों को प्रत्यक्ष सहायता है।

संलग्नक 8.2.17

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं - वार्षिक योजना 2001-02 - बंदरगाह क्षेत्र

योजना का नाम	अनुमानित लागत	स्रोत	ई.ए. संघटक	31.3.97 तक किया गया व्यय	नौवीं योजना परिव्यय		वार्षिक योजना 1997-2001		वार्षिक योजना 2001-02	
					कुल	जिसका ईएपी	कुल	जिसका ईएपी	कुल	जिसका ईएपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बजट द्वारा (क)										
इंदिरा डॉक पर लॉक गेट को बदलना	9.21	एडीबी	5.97	9.21	0.5		0.01	0.01	0.01	0
एन्नोर पर नए बंदरगाह का निर्माण	950	एडीबी		131.52	870	476	680.67	455.50	60	10
पारादीप की यांत्रिकीकृत कोयला हेण्डलिंग सुविधा	831.11	एडीबी		79.73	811	443.6	570.37	415.45	51.5	39.25
टैरिफ प्राधिकारी									0.10	0.00
उप योग (क)	1790.32		861.27	220.46	1681.5	919.6	1251.10	870.96	111.50	49.25
बजट द्वारा नहीं (ख)										
सब-मेरीन पाइपलाइन का प्रतिस्थापन	286.6	एडीबी		0.54	399.44		280.33	203.00	0.10	0.00
जेटी 1,2 और 3 का जेडी पर आधुनिकीकरण	190	एडीबी		0	231		28.94	14.30	70.00	35.00
सामान्य उपयोगकताओं की पाइपलाइन का प्रतिस्थापन	120	एडीबी		0	70	40	0.50	0.25	5.00	2.50
दक्षिण/उत्तरी घाट शुल्क का विस्तार और आधुनिकीकरण	93.6	एडीबी			92.93	57.84	28.45	10.54	22.00	8.80
प्रवेश चैनल हेतु कैपिटल तलकर्मण	202.16	ओईसीएफ			232	232	250.25	196.38	0.5	0.00
उप योग (ख)	892.36		461.45	0.54	1025.37	329.84	588.47	424.47	97.6	46.3
योग (क + ख)	2682.68		1322.72	221	2706.87	1249.44	1839.50	1295.40	209.1	95.55

संलग्नक 8.2.18

टनभार अर्जन कार्यक्रम की प्रगति

मद	नौवी योजना	1996 (दिसंबर)	1997 (दिसंबर)	1998 (दिसंबर)	1999 (दिसंबर)	2000 (दिसंबर)
1	2	3	4	5	6	7
कुल टन भार (मिलियन टनभार)	9.00	7.052	6.878	6.785	7.052	6.932
जिसका एससीआई		3.123	3.013	3.074	3.056	2.781
जहाजों की कुल संख्या		484	476	484	510	549
जिसका एससीआई		121	117	120	117	108

संलग्नक 8.2.19

परिव्यय और व्यय - अंतरदेशीय जल परिवहन
(मध्य क्षेत्र)

(करोड़ रु.)

वर्ष	आईडब्ल्यूएआई	सीआईडब्ल्यूटीसी	कुल
1	2	3	4
1997-98 (परिव्यय)	40	10	50
1997-98(वास्तविक)	22.9	10	32.9
1998-99 (परिव्यय)	45	15.04	60.04
1998-99 (वास्तविक)	32.45	7.3	39.75
1999-2000 (परिव्यय)	20	6.04	26.04
1999-2000(वास्तविक)	31.8	6.04	37.84
2000-01(परिव्यय)	48.15	9.26	57.41
2000-01(संशोधित अनुमान)	42.2	4.63	46.83
2001-02(बजट अनुमान)	42.23	10	52.23

संलग्नक 8.2.20

परिव्यय और व्यय - नौवहन (मध्य क्षेत्र)

(करोड़ रु.)

वर्ष	एससीआई	डीजी (एस)	कुल
1	2	3	4
1997-98 (परिव्यय)	885.19	12.99	898.18
1997-98(वास्तविक)	315	7.69	322.69
1998-99 (परिव्यय)	1162.61	12.99	1175.60
1998-99 (वास्तविक)	872	9.06	881.06
1999-2000 (परिव्यय)	1478.86	12.09	1490.95
1999-2000(वास्तविक)	140	10.77	150.77
2000-01(परिव्यय)	567.01	18	585.01
2000-01(संशोधित अनुमान)	567.01	18	585.01
2001-02(बजट अनुमान)	835.71	20	855.71

परिव्यय और व्यय : नागरिक उड्डयन (मध्य)

क्रम सं.	नाम	नौवीं योजना (1997-2002) अनुमोदित परिव्यय	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-02
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एयर इंडिया लिमिटेड	3664.00	1233.45	517.75	602.53 (5.00)	550.01	433.46 (0.01)	383.09	675.30	699.57	445.44
2	इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड	3640.75 (125.00)	470.00	441.90	630.00 (125.00)	522.03	540.01 (0.01)	492.27	550.00	588.81	460.00
3	पवनहंस लिमिटेड	209.20	87.25	26.85	90.00	5.55	101.55	1.21	126.45	33.05	127.00
4	भारतीय, विमानपत्तन प्राधिकरण	3421.87 (283.37)	609.15 (35.74)	338.58 (10.00)	800.43 (68.17)	319.87 (25.00)	697.93 (41.00)	360.63 (25.00)	835.53 (37.53)	527.23 (32.36)	573.71 (50.84)
क)	अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग	1522.52	274.57	118.05	257.58	109.05	300.32	159.61	329.81	175.28	155.91
ख)	राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग	1899.35 (283.37)	334.58 (35.74)	220.53 (10.00)	542.85 (68.17)	210.37 (25.00)	397.61 (41.00)	201.02 (25.00)	505.72 (37.53)	351.95 (32.36)	417.80 (50.84)
5	डी जी सी ए	27.00 (27.00)	3.77 (3.77)	1.07 (1.07)	4.45 (4.45)	3.41 (3.41)	4.40 (4.40)	3.47 (3.47)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.50 (5.50)
6	बी सी ए एस	25.00 (25.00)	2.50 (2.50)	0.00 (0.00)	3.00 (3.00)	2.35 (2.35)	3.58 (3.58)	1.37 (1.37)	5.72 (5.72)	3.59 (3.59)	5.41 (5.41)
7	आई जी आर यू ए	35.00 (35.00)	14.73 (14.73)	10.00 (10.00)	12.94 (12.94)	11.00 (11.00)	6.00 (6.00)	2.45 (2.45)	6.75 (6.75)	6.41 (6.41)	1.25 (1.25)
8	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	89.55	50.00	8.52	42.40	10.19	20.00	13.37	24.77	21.77	23.00
योग		11112.37 (495.37)	2470.85 (56.74)	1344.67 (21.07)	2185.75 (218.56)	1424.41 (41.76)	1806.93 (55.00)	1257.86 (32.29)	2229.52 (55.00)	1885.43 (47.36)	1641.31 (63.00)

नोट : कोष्ठक में दी गई संख्याएं बजटीय आधार सूचित करती हैं।

एयर इंडिया

(करोड़ रु.)

भौतिक निष्पादन					
विवरण	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-00 (वास्तविक)	2000-01 (अनुमानित)	2001-02 (प्रत्याशित)
उपलब्ध टन कि.मी. (मिलियन)	2293.7	2394.3	2238.3	2206.3	2350.8
राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	1453.8	1473.6	1456.5	1413.5	1494.5
समग्र भार कारक (%)	63.4	61.5	65.1	64.1	63.6
उपलब्ध सीट कि.मी. (मिलियन)	16933.3	17496.6	16485.8	16073.3	17201.2
राजस्व यात्री कि.मी. (मिलियन)	11422.4	11709.0	11587.0	11225.0	12096.8
यात्री भार कारक (%)	67.5	66.9	70.3	69.8	70.3
विमान उपयोगिता प्रतिवर्ष (घण्टे/वर्ष)	2717.0	3092.0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

वित्तीय निष्पादन (करोड़ रु.)

विवरण	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (अनुमानित)	2001-02 (प्रत्याशित)
संचालन राजस्व	3837.21	4135.26	4448.05	4925.66	5436.70
संचालन व्यय	4029.84	4139.84	4372.00	4999.92	5464.40
संचालन लाभ/(हानि)	(192.63)	(4.58)	76.05	(74.26)	(27.70)
कुल राजस्व	4174.16	4236.72	4716.97	5211.25	5691.90
कुल व्यय	4355.17	4411.20	4754.60	5263.75	5670.40
निवल लाभ/(हानि)	(181.01)	(174.48)	(37.63)	(52.50)	21.50

इंडियन एयर लाइन्स

भौतिक निष्पादन

क्रम सं.	विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (प्रत्याशित)	2001-02 (पूर्वानुमानित)
1	2	3	4	5	6	7
1	उपलब्ध टन कि.मी. (मिलियन)	1094.132	1122.922	1120.926	1152.000	1194.000
2	राजस्व टन कि.मी. (मिलियन)	700.896	709.079	740.285	768.000	806.000
3	उपलब्ध यात्री कि.मी. (मिलियन)	10408.437	10803.962	10911.266	11212.000	11669.000
4	राजस्व यात्री कि.मी. (मिलियन)	7015.477	6846.820	6982.502	7182.000	7526.000
5	समग्र भार कारक (%)	64.1	63.1	66.0	66.7	67.5
6	सीट कारक (%)	67.4	63.4	64.0	64.1	64.5
7.	विमान उपयोगिता प्रति विमान प्रतिवर्ष कुल घण्टे					
(क)	ए-300	2727	2528	2274	2394	2550
(ख)	ए-320	2770	2834	2954	3034	3000
8	विमान दस्ता					
(ड)	ए-300	10	11*	11*	10**	12***
(ड)	ए-320	30	30	30	30	30
9	बैठने की क्षमता					
(क)	ए-300	245	245	245	245	245
(ख)	ए-320	145	145	145	145	145

* इसमें लीज पर लिए गए दो विमान शामिल हैं।

** एक ए-300 विमान अक्टूबर 2000 में हटा दिया जाएगा।

*** एक ए-300 अप्रैल, 2001 से हटा दिया जाएगा और एयर इंडिया से 3 विमान खरीदने का प्रस्ताव है।

वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु.)

क्रम सं..	विवरण	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (वास्तविक)	2000-01 (संशो. अनु.)	2001-02 (लक्ष्य)
1	संचालन राजस्व	3243.45	3423.57	3549.17	3758.50	3922.00
2	संचालन व्यय	2984.56	3129.33	3349.36	3783.25	4054.50
3	संचालन लाभ/(हानि)	258.89	294.24	199.81	(24.75)	(132.50)
4	कुल राजस्व	3268.25	3445.61	3565.88	3766.00	3928.50
5	कुल व्यय	3220.98	3431.44	3514.46	3943.25	4180.00
6	कर के पूर्व निवल लाभ/(हानि)	47.27	14.17	51.42	(177.25)	(251.50)
7	कर हेतु प्रावधान	-	1.05	6.15	-	-
8	कर के बाद निवल लाभ	47.15	13.12	45.27	(177.25)	(251.50)

8.3 संचार

8.3.1 डाक

नौवीं योजना के दौरान प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है। डाक प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, काउन्टर सुविधाएं, धन अन्तरण प्रणाली, मानवशक्ति विकास तथा नवीन एवं तुलनात्मक मूल्य सेवाएं प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र रहे हैं। आवरित न हुए तथा दूरगामी क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विकास दूसरा प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। क्षेत्रकीय स्तर पर डाक सेवाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना नौवीं योजना का उद्देश्य है। इस संदर्भ में, डाक शुल्क सूची को तर्कसंगत बनाने तथा उसमें संशोधन करने पर बल दिया गया है।

वार्षिक योजना 2000-2001 की समीक्षा

2. डाक विभाग के समूचे योजना परिव्यय का वित्तपोषण बजटीय समर्थन के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 120.00 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमोदित किया गया। डाक प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण के सिवाय प्रमुख क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति संतोषजनक रही है। वार्षिक योजना में दो विद्यमान स्वचालित डाक प्रसंस्करण केन्द्रों में कलर-फेसर कैसलर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना को हाथ में नहीं लिया जा सका। इसी कारणवश डाक प्रसंस्करण के लिए विनिर्धारित परिव्यय के एक बड़े भाग को उपयोग में नहीं लाया जा सका। वित्तीय परिव्यय तथा भौतिक निष्पादन के योजनावार विवरण को क्रमशः संलग्नक 8.3.1 और 8.3.2 में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2001-2002

3. नौवीं योजना की नीतियों तथा प्राथमिकताओं के समनुरूप वार्षिक योजना 2001-02 के प्रमुख क्षेत्र - विशेषकर देश के ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय तथा दूरगामी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा डाक नेटवर्क का विकास करना हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए डाक विभाग हेतु 135.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया। समूचे व्यय की व्यवस्था बजटीय समर्थन के माध्यम से की जानी है। वित्तीय परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्यों के योजनावार विवरणों को क्रमशः संलग्नक 8.3.1 और 8.3.2 में देखा जा सकता है।

4. प्रौद्योगिकी के कोर सेक्टर, डाक प्रचालनों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए 82.00 करोड़ रुपए अर्थात् कुल के लगभग 61% व्यय की व्यवस्था की गई है। डाक प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्यों में कोलकाता में एक स्वचालित डाक प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें 27.02 करोड़ रुपए की लागत पर दो कलर फेसर कैसलर्स, एक

ऑप्टिकल करेक्टर रीडर तथा एक लैटर सैटिंग मशीन सम्मिलित हैं । 2001-02 के लिए अन्य परिकल्पित प्रमुख लक्ष्य है:

- i) 2000 पंचायत डाक संचार केन्द्रों, अर्थात् ग्रामीण डाक घरों की स्थापना करना ;
- ii) 500 बाह्य विभागीय शाखा कार्यालय तथा 50 विभागीय उप डाकघर खोलना ;
- iii) 1000 बहुदेशीय काउंटर मशीनें लगाना ;
- iv) देश में चयनित डाक घरों में डाक घर बचत बैंको का कम्प्यूटरीकरण करना ;
- v) लगभग 40,148 अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिनमें 21,500 बाह्य विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर्स, सेवारत प्रशिक्षण प्राग्रामों के अधीन लगभग 6,000 अधिकारी तथा लगभग 10,000 कंप्यूटर प्रशिक्षण अधिकारी आदि सम्मिलित हैं ;
- vi) सूचना प्रणाली अनुसंधान का विकास, निदेशालय के साथ सभी क्षेत्रीय तथा सर्किल मुख्यालयों को जोड़ना।

5. इस क्षेत्रक में चालू आधुनिकीकरण की समूची प्रक्रिया में मानव शक्ति विकास की निर्णायक भूमिका है। बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवारत प्रशिक्षण पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। कम्प्यूटरीकरण पर किए जा रहे निवेश पर अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर में एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार तथा उसे चालू करने की आवश्यकता है। वर्ष 2001-02 के लिए, विभिन्न सेवाओं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए 40148 कर्मियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

6. देश में लगभग 49% ग्राम पंचायत ग्रामों को अपने डाक घर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान मानदंडों के अनुसार इनमें से केवल 5446 (31-3-2000 को) ग्राम पंचायत नये डाकघर खोलने के लिए मानदंड की पूर्ति करते हैं। वर्तमान गति से सभी पात्र ग्रामों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए दशकों का समय लगेगा । सभी ग्रामों के लिए सभी महत्वपूर्ण डाक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध नवीन नीति अपनानी होगी। वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 500 शाखा कार्यालय, 50 डी.एस.ओ. तथा 2000 पी.एस.एस.के. खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7. वर्ष 2000-01 तक परिव्यय के आकार को दृष्टिगत करते हुए, प्रौद्योगिकी के उन्नयन को छोड़कर डाक क्षेत्र में इमारतों तथा कर्मचारी आवासों के निर्माण को अधिक तत्परता से पूरा किया गया है । नौवीं योजना के प्रथम 4 वर्षों के दौरान इस गतिविधि पर 100 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है । सम्पूर्ण नीतिगत लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए नौवीं योजना के दौरान इस गतिविधि को काफी कम प्राथमिकता प्रदान की गई है। चालू कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हुए

नवीन प्रयासों को न्यूनतम स्तर तक सीमित करना होगा। वचनबद्ध दायित्व को दृष्टिगत करते हुए 2001-02 के दौरान इस गतिविधि के लिए 24.00 करोड़ रु. की निधि की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित लक्ष्यों में 48 डाक घरों/डाक कार्यालयों, 190 कर्मचारी आवासों तथा 5 प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण सम्मिलित किया गया है।

नीतिगत मुद्दे

8. पिछले दशक में भारत में डाक-वित्त की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। पिछले नौ वर्षों में डाक विभाग का घाटा लगभग 20 गुना बढ़ गया है- 1992-93 में 1576.35 करोड़ रु. से बढ़कर 2000-01(ब.अ.) में 1982.47 करोड़ तक। 1997-98 से इसमें विशेषरूप से बढ़ोत्तरी हुई है। उसका कारण संस्थापन व्यय में वृद्धि में असाधारण असंतुलन है, जो प्रतिवर्ष 22-25 % की दर से बढ़ा है तथा राजस्व में वृद्धि 10 % से कम औसतन वार्षिक विकास से कम रिकार्ड की गई। रुचिकर बात यह है कि विभाग में नियोजित मानवशक्ति इस अवधि में लगभग स्थिर रही है। निम्नलिखित तालिका में डाक क्षेत्र में राजस्व तथा घाटे की प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

राजस्व व्यय - डाक विभाग

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल मानव संसाधन	स्थापना पर व्यय	कुल व्यय	कुल राजस्व	घाटा
1992-93	596062	1246.83	1649.18	1557.37	91.81
1993-94	597663	1439.41	1866.79	1659.07	207.09
1994-95	597175	1657.55	2130.07	1778.89	351.81
1995-96	598323	1904.85	2472.14	1812.73	659.41
1996-97	594685	2220.69	2982.32	2279.06	703.26
1997-98	604257	2777.83	3597.92	2604.49	993.43
1998-99	602987	3369.53	4351.29	2760.32	1590.97
1999-00	603435	3779.24	4835.53	3095.00	1740.53
2000-01 (सं.अ.)	603430	4044.98	4923.70	3347.35	1576.35
2001-02 (ब.अ.)	603950		5210.83	3752.46	1458.37

9. डाक-घाटा सामान्य बजट से प्राप्त एक अंतहीन वित्तीय सहायता है। यह एक विस्फोटक स्थिति है जिसका संपोषण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अवसंरचना तथा सामाजिक विकास जैसे अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में निधि के प्रवाह की कमी के कारण राष्ट्र को कम विकास के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

10. बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने के लिए, लागत को कम करने के लिए, विशेषकर मानव शक्ति पर तथा शुल्क तथा अन्य साधनों के माध्यम से अधिक संसाधन उत्पन्न करने की दो तरफा रणनीति अपनानी होगी, इस नीति के मुख्य अवयव निम्नलिखित होना आवश्यक है:

- बुनियादी डाक सेवा कवरेज का सामाजिक दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- गौण सेवाओं पर "लागत जमा आधार पर चार्ज लगाना" ।
- सामाजिक दायित्व के अधीन सेवाओं पर सब्सिडी का लेखा-जोखा अलग से रखा जाना ।
- नवीन तथा मूल्य वर्धित डाक उत्पादों/सेवाओं को प्रारंभ करने में तेजी लाना।
- बिल एकत्रीकरण, रेलवे आरक्षण तथा पार्सल सेवाओं सहित एजेन्सी सेवाओं को प्रोत्साहित करना।
- वित्तीय सेवाओं- बैंकिंग तथा बीमा को उत्पादन मिश्रण में प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाना।
- भूमि का वाणिज्यिक लाभ उठाना।

8.3.2 दूरसंचार

11. दूरसंचार, अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति तथा ज्ञान पर आधारित अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण बन रहा है। दूरसंचार में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, विशेष रूप से तेजी से हुए हैं तथा इनसे विश्वव्यापी उद्योग की संरचना में प्रमुख परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है। दूरसंचार तथा प्रसारण के बीच अभिसरण ने एक नवीन आयाम को जोड़ा है जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है।

12. भारत में दूरसंचार क्षेत्रक 1991 से सुधारों की लगातार प्रक्रिया का साक्षी रहा है। इस क्षेत्र में प्रमुख मील का पत्थर, 1994 की नीति को प्रतिपादित करने वाली नवीन दूरसंचार नीति 1999 नामक नवीन नीति की घोषणा थी जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकियों के अभिसरण, उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था को खोलने जैसे तेज प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न विकास की देखभाल करना शामिल था। सरकार द्वारा उठाए गए अनेक नवीन नीति पहलों से सुधार की प्रक्रिया को और भी आगे ले जाया गया, उनमें निम्नलिखित प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं:

- विनिश्चित लाइसेंस प्रणाली से आय साझेदारी की ओर विद्यमान लाइसेंसों के विस्थापन से उत्पन्न समस्याओं का निवारण।

- इन्टरनेट के लिए, अंतरराष्ट्रीय गेटवे के लिए जल के भीतर (सब-मेरीन) केबल लैंडिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए आई.एस.पी. को अनुमति देना।
- अगस्त 2000 में, प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय दूरगामी सेवा को खोलना।
- 1.10.2000 से भारत संचार निगम लिमिटेड नामक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में दूरसंचार विभाग का निगमीकरण करना।
- 1.4.2002 से प्रतियोगिता के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवा को खोलना।

वार्षिक योजना 2000-01 की समीक्षा

13. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए, दूरसंचार क्षेत्र के लिए, अर्थात् दूरसंचार विभाग तथा उससे संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए 19441.67 करोड़ रुपए की परिव्यय राशि अनुमोदित की गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15.71 % अधिक थी, केवल विनियामक निकायों के लिए बजटीय समर्थन को सीमित करने की नौवीं योजना की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी संगठनों का सम्पूर्ण व्यय आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों में से वित्त पोषण किया जाना था। वायरलैस मानीटरिंग संगठन, वायरलैस प्लानिंग तथा कोआर्डिनेशन विंग तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के योजना परिव्यय वित्तपोषण के लिए 17.00 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन का अनुमोदन किया गया।

14. दूरसंचार क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण रूप से निधि का उपयोग लगभग 4.50 % अधिक होने की आशा है जैसा कि 20313.85 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों द्वारा प्रदर्शित होता है। इसका मुख्य कारण वी.एस.एन.एल. द्वारा निधि की आवश्यकता में अधिक वृद्धि (808.39 करोड़ रुपए) तथा नवीन रूप से निगमित बी.एस.एन.एल. द्वारा निधि की अतिरिक्त आवश्यकता 575.65 करोड़ रुपए है जो वी.एस.एन.एल. के मामले में 69.49% तथा डी.ओ.टी./बी.एस.एन.एल. के मामले में 3.63% है। यद्यपि संपूर्ण अतिरिक्त व्यय को वी.एस.एन.एल. द्वारा आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया जाना था, तथापि उसके राष्ट्रीय प्रतिपक्षी अर्थात् बी.एस.एन.एल. द्वारा इस व्यय को अधिक बाज़ार उधार द्वारा वित्तपोषित किए जाने की योजना थी। एम.टी.एन.एल. तथा दूरसंचार विभाग के वायरलैस प्लानिंग सैल के मामले में निधि के अपर्याप्त उपयोग की संभावना थी, क्योंकि कुछ प्रमुख परियोजनाएं चालू नहीं की जा सकीं।

15. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में प्रगति संतोषजनक रही है। नियत सभी लक्ष्यों को पूर्णतया या उनसे अधिक प्राप्त करने की संभावना है। ब्यौरे संलग्नक 8.3.3 में देखे जा सकते हैं।

वार्षिक योजना 2001-2002

16. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 20298.84 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें पिछले वर्ष के परिव्यय की तुलना में थोड़ी कमी प्रदर्शित होती है। इसको मुख्यतः आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों द्वारा वित्तपोषित करने का विचार है ; आन्तरिक संसाधन सम्पूर्ण परिव्यय का 73.37% है। विनियामक तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों के योजना परिव्यय को वित्तपोषित करने के लिए 165.00 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन का प्रावधान किया गया है। इनमें टी.आर.ए.आई., टेलीकाम इंजीनियरिंग सेन्टर तथा सी-डॉट और संचार मंत्रालय का वायरलैस ऐन्ड प्लानिंग को-आर्डिनेशन विंग सम्मिलित हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त डब्ल्यू.पी.सी. तथा टी.आर.ए.आई. की परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकताओं के कारण विनियामक निकायों के लिए बजटीय समर्थन में वृद्धि की आवश्यकता पड़ी है। इसके अतिरिक्त सी-डॉट की वित्त पोषण पद्धति जिसे पहले दूर संचार विभाग के आंतरिक संसाधनों द्वारा पूरा किया जाना था, भी एक कारण है। डी.ओ.टी. के प्रचालन नेटवर्क को वी.एस.एन.एल. में निगमित किए जाने के फलस्वरूप, बजटीय समर्थन द्वारा सी-डॉट के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। अनुमोदित परिव्यय तथा वित्तपोषण पद्धति का संगठनानुसार विवरण संलग्न 8.3.4 में देखा जा सकता है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)

17. भूतपूर्व दूरसंचार विभाग के संचालन नेटवर्क को पूर्णतया स्वामित्व प्राप्त भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) नामक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित कर दिया गया है। कंपनी 1.10.2000 से अस्तित्व में आई है। वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की नौवीं योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निगम की योजना बुनियादी सेवाओं के तेज विस्तार की संस्थापित नीति को जारी रखने की है। कंपनी का वर्ष 2001-02 में 72.30 नवीन कनेक्शन देने का विचार है - जो पिछले वर्ष के लक्ष्य से 38% अधिक है। इनको कार्यान्वित करने के लिए तथा अन्य लक्ष्यों/कार्यक्रमों के लिए, बी.एस.एन.एल.के लिए 16,574 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें 5233 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल है। किसी भी बजटीय समर्थन का प्रावधान नहीं किया गया है। दूरगामी संयोजकता में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से 900 लाख अतिरिक्त टी.ए.एक्स लाइनें 2001-02 की वार्षिक योजना में लगाने का विचार है। भौतिक लक्ष्यों का विवरण संलग्नक 8.3.3 में देखा जा सकता है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)

18. एम.टी.एन.एल. दिल्ली तथा मुंबई के दो महानगरों में दूर संचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन दो शहरों में मांग करने पर वस्तुतः टेलीफोन उपलब्ध है। मांग में धीमी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा पिछले दो वर्षों में प्रवृत्ति तथा बाजार की परिपक्वता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2001-02 के लिए 5.90 लाख नए कनेक्शन प्रदान करना निश्चित किया गया है तथा दूरगामी पारिषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्ष 2001-02 में 1.15..... टी.ए.एक्स. लाइनें नेटवर्क से जोड़ने का विचार है। इस वर्ष के दौरान नवीन तथा मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से

उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा योजनाओं का कार्यान्वयन कंपनी का मुख्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनने की आशा है। इस दिशा में उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों में सम्मिलित हैं : सम्पूर्ण नेटवर्क का अंकीकरण, वी.पी.एन., चैट सेवा, इन्टरनेट पर शॉपिंग माल प्रदान करना, डब्ल्यू.आई.एल.एल. उपकरणों का प्रदान किया जाना आदि जैसी नई सेवाएं शुरू करना। निगम के विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 1600 करोड़ रुपए का व्यय अनुमोदित किया गया है। इसको सम्पूर्ण रूप से आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.)

19. वर्ष 2001-02 के लिए वी.एस.एन.एल. का अनुमोदित परिव्यय 1814.66 करोड़ रुपए निश्चित किया गया है। इसको सम्पूर्णतया आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किए जाने का विचार है। वर्ष 2001-02 के दौरान हाथ में ली जाने वाली नवीन योजनाओं में सम्मिलित है : इंडिया एम. बहु मीडिया नेटवर्क, एस.ए.एफ.ई. केबल परियोजना मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा बंगलौर आदि में ए.टी.एम./इन्टरनेशनल सुपर हाइवे गेटवे नोड्स की स्थापना, ई-कॉमर्स/वी.ओ.आई.पी., डी.टी.एस. उपग्रह प्रणाली सुविधाएं। अन्तरिक्ष दूरगामी संयोजकता इत्यादि जैसे भारतीय संयुक्त प्रयासों में निवेश करने का विचार भी है।

वायरलैस मानीटरिंग आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यू.एम.ओ.)

20. डब्ल्यू.एम.ओ., संचार मंत्रालय के डब्ल्यू.पी.सी. विंग का एक क्षेत्रीय संगठन है। वर्ष 2001-02 के लिए 105 करोड़ रुपए का व्यय अनुमोदित किया गया है - 10 करोड़ डब्ल्यू.एम.ओ. के लिए तथा 95 करोड़ रुपए डब्ल्यू.पी.सी. के लिए। डब्ल्यू.एम.ओ. का समूचा व्यय बजट समर्थन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इस वर्ष के लक्ष्यों में जारी योजनाओं के पूरा करने के अलावा दिशा ज्ञात करने वाली प्रणाली का उन्नयन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन शामिल है। डब्ल्यू.पी.सी. का एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र नेशनल स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नौवीं योजना में पहली बार डब्ल्यू पी.सी.विंग को बजटीय समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

आई.टी.आई.लिमिटेड

21. आई.टी.आई. लिमिटेड, देश में दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने हाल ही में अच्छी सफलता प्राप्त की है। कंपनी द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार चालू प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं को पूरा करना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा। वर्ष के दौरान हाथ में ली जाने वाली नवीन परियोजनाओं में सम्मिलित है: सी.एस.एन.-एम.एम. परियोजनाएं, वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.आई.एल.एल.) इत्यादि। कम्पनी की विभिन्न परियोजनाओं/कंपनी की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 125.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसको सम्पूर्ण रूप से आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया जाना है।

एच.टी.एल. लिमिटेड

22. कंपनी के लिए वार्षिक योजना 2001-02 के लिए 20.18 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसको 12.92 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधनों द्वारा तथा 'अन्य' साधनों द्वारा उत्पादित 7.26 करोड़ रुपए से वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी की मुख्य उत्पादन गतिविधियों में सम्मिलित है: सी-डॉट स्विचिंग उपकरण, प्रमुख वितरण ढांचे, ई.डब्ल्यू.एस.डी. उपकरण इत्यादि।

विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्र

23. क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थिति तथा सामान्य पिछड़ेपन को दृष्टिगत करते हुए देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए, अन्य चीजों के अलावा 2001-02 के दौरान स्विचिंग क्षमता की 12.30 लाख लाईनें लगाकर तथा 1.05 लाख डी.ई.एल. तथा 8043 वी.पी.टी. प्रदान करके दूर संचार नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने का विचार है।

24. आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में समाविष्ट करने की दृष्टि से नौवीं योजना में ऐसे क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं के गतिशील विकास पर विशेष बल दिया है। दूर संचार नेटवर्क को 2001-02 में स्विचिंग क्षमता की 4.83 लाख लाईनें, 3.38 लाख डी.ई.एल., 20280 वी.पी.टी. तथा 49 उपग्रह स्टेशन जोड़कर और भी सशक्त बनाने का विचार है।

25. एन.सी.आर. योजना के अधीन, नौवीं योजना के दौरान, दिल्ली को छोड़कर सभी क्षेत्रों/शहरों पर विशेष ध्यान दिए जाने का विचार है। एन.सी.आर. की दूर संचार सुविधाओं को सुधारने तथा दिल्ली के बराबर करने के लिए विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाएं लागू करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। वार्षिक योजना 2001-02 के दौरान, इस क्षेत्र को लगभग 1.18 लाख नए कनेक्शन्स देने की उम्मीद है।

26. ग्रामीण संयोजकता एक अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। एन.टी.पी. 1999 के अनुसार, वर्ष 2002 तक देश के सभी बाकी ग्रामों को शामिल किया जाना है। इस बात को दृष्टिगत करते हुए, वार्षिक योजना 2001-02 में 77,000 अतिरिक्त वी.पी.टी. प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नीतिगत मुद्दे

27. दूरसंचार में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन काफी तेजी से हुए हैं तथा विश्वव्यापी दूरसंचार उद्योग की संरचना में बदलाव लगातार हो रहे हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया को आंकड़ा अभिसरण, ध्वनि तथा छाया, चौड़े बैंडविड्थ तथा उच्च गति इन्टरनेट संयोजकता के प्रयोग ने नए आयाम प्रदान किए हैं।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर, सरकार एक विधान लागू करना चाहती है। संचार अभिसरण बिल के मसौदे अनुसार एक भारतीय संचार आयोग नामक सुपर रेगुलेटर तथा एक संचार अपील प्राधिकरण नामक विवाद निवारण प्रक्रिया स्थापित करने का विचार है। आयोग संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करेगा जिसमें दूरसंचार, प्रसारण तथा मल्टीमीडिया सम्मिलित होंगे। आयोग को लाइसेंसिंग अधिकार प्रदान करने का भी विचार है।

28. इन्टरनेट दूरभाष (टेलीफोनी) दूरगामी संचार में क्रांति लाने वाला होगा क्योंकि यह वर्तमान लागत से बहुत कम खर्च पर सेवा प्रदान करेगा। वर्तमान नीति के अधीन इन्टरनेट दूरभाष को अनुमति नहीं है। यदि यह राष्ट्र तथा उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं है तो वर्तमान नीति को प्रौद्योगिकी नूतनताओं से उत्पन्न होने वाले लाभों से नहीं रोका जाना चाहिए। प्रौद्योगिकीय तथा लागत लाभ को दृष्टिगत करते हुए इन्टरनेट टेलीफोनी को खोलना होगा।

29. देश में 6.07 लाख गाँवों के लगभग 38% को अभी भी दूरसंचार संयोजकता प्रदान की जानी है। इस संबंध में प्रयास केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित हैं क्योंकि निजी क्षेत्र आपरेशनों के अलाभकर होने के कारण बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं। नवीन दूरसंचार नीति, 1999 में 2002 तक सभी गाँवों को ध्वनि तथा धीमी गति डाटा सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है तथा मांग करने पर टेलीफोन प्रदान करने का भी विचार है। वर्तमान व्यवस्था की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए, इस गति को तेज करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नवीन रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

30. एन.टी.पी. 1999 की यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यू.एस.ओ.) धाराओं के अधीन शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में 2002 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान किया जाना है। वर्तमान में भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) देश में 95% से अधिक मूल दूरसंचार नेटवर्क के लिए उत्तरदायी है। इस नेटवर्क का 50% से अधिक अलाभकर प्रकृति का है जिसमें ग्रामीण तथा न्यून अदायगी वाले शहरी डी.ई.एल. सम्मिलित हैं। इस घाटे की प्रतिपूर्ति यू.एस.ओ. फंड से करने के लिए अत्यधिक निधि की आवश्यकता होगी जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक बहुत बड़ी बात होगी। यू.एस.ओ. की प्रतिबद्धता के सम्मान के लिए यू.एस.ओ.निधियों के प्रयोग के अलावा सुधारात्मक कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता होगी।

8.3.3 सूचना एवं प्रसारण

वार्षिक योजना 2000-2001 की समीक्षा

31. वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 270.00 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन तथा 439.35 करोड़ रुपए के आई.ई.बी.आर. को मिलाकर सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र के लिए 709.35 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। 2000-01 के लिए संशोधित अनुमान 683.39 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदर्शित करते हैं जिसमें 256.93 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन तथा 424.66 करोड़ रुपए का आई.ई.बी.आर. शामिल है। बजटीय समर्थन में वृद्धि का मुख्य कारण जम्मू

एवं काश्मीर में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक विशेष पैकेज को कार्यान्वित किया जाना था, जिसे कारगिल संघर्ष के बाद केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नौवीं योजना के पहले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी, वार्षिक योजना के आई.ई.बी.आर. संघटक में कमी होने का अनुमान है। क्षेत्रकवार परिव्यय तथा नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों का खर्च संलग्नक 8.3.5 में देखा जा सकता है।

वार्षिक योजना 2001-02

32. वार्षिक योजना 2001-02 में इस क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय 811.40 करोड़ रुपए है जिसमें 340 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन तथा 471.40 करोड़ रुपए का आई.ई.बी.आर. शामिल है। बजटीय समर्थन में जे.एन्ड.के. के लिए 190.00 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज शामिल है। यह नौवीं योजना का अंतिम वर्ष होने के कारण, नई योजना चालू करने के बजाए नौवीं योजना की योजनाओं को सम्बद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया गया है ताकि दसवीं योजना के लिए योजनाएं न बची रहे। इनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के अलावा नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने पर तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए मीडिया एककों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान करने पर बल दिया गया है।

वार्षिक योजना 2001-02 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्र

33. प्रसारण क्षेत्रक के खोलने तथा प्रसारण, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अभिसरण के साथ प्रसार भारती के आधुनिकीकरण तथा आवश्यक प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निवेशों की आवश्यकता महसूस की गई ताकि सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रभावी रूप से निजी चैनलों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। इस उद्देश्य के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।

34. वर्ष 2001-02 के लिए 292.7 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन तथा 460.16 करोड़ रुपए के आई.ई.बी.आर.सहित प्रसारण क्षेत्रों के लिए 752.93 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है इसमें 190.00 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन, जम्मू एवं कश्मीर विशेष पैकेज के लिए, शामिल हैं।

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)

35. आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के लिए अनुमोदित परिव्यय 190.93 करोड़ रुपए है। 2001-02 के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित है: नवीन सुविधाओं को जोड़ना तथा कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण सुधारने के लिए अप्रचलित उपकरणों को बदलना तथा जम्मू एवं कश्मीर पैकेज के लिए साफ्टवेयर सुविधाएं प्रदान करना।

दूरदर्शन

36. दूरदर्शन का अनुमोदित परिव्यय 562.00 करोड़ रुपए है तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, जे. ऐन्ड के, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क के विकास तथा समाचार एकत्रीकरण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्रसारण के अंकीकरण तथा स्टुडियो निर्माण पर बल दिया गया है।

फिल्म क्षेत्रक

37. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए फिल्म क्षेत्रक हेतु अनुमोदित परिव्यय 41.39 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्मिलित हैं - अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव, फिल्मोत्सव संकुल तथा बाल फिल्म सोसाइटी संकुल का निर्माण/विकास, विडियोमैटिक प्रारूप (फार्मेट) में फिल्म बनाने के लिए विडियो सुविधाएं फिल्म डिविजन को प्रदान करना तथा हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।

सूचना क्षेत्रक

38. वर्ष 2001-02 के लिए सूचना क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 17.08 करोड़ रुपए है - वार्षिक योजना के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्मिलित है: क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की नवीन एकक खोलना, सूचना भवन का निर्माण (फेज IV), नई दिल्ली में नेशनल प्रेस सेन्टर की स्थापना करना, प्रकाशन डिविजन का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण।

मुद्दे तथा कार्यनीतियां

39. मीडिया में प्रौद्योगिकी तथा विषयवस्तु की दृष्टि से तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इस क्षेत्र के सामने चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में इस तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भिन्न मीडिया एककों की भूमिका के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। वित्तीय सुधार समिति ने भी अनेक मीडिया एककों की पुनः संरचना की सिफारिश की है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

40. सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की भूमिका उनके वित्तीय तथा मानव संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालती है, जिनका सामना निजी चैनलों को नहीं करना पड़ता। इसलिए यह महसूस किया गया कि जबकि विपणन तथा आई.ई.बी.आर. के अच्छे निष्पादन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, सीमावर्ती तथा दूरगामी क्षेत्रों तक स्थलीय कवरेज के विकास जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए निधि बजटीय समर्थन के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। नौवीं योजना के प्रलेख में यह कहा गया है कि इस क्षेत्र के सामने दो प्रमुख मुद्दे हैं - वायु तरंग का

प्रयोग तथा प्रसार भारती का स्तर। प्रसार भारती का स्तर अस्पष्ट बना हुआ है। राज्य में प्रसारण सेवाओं को सुधारने के लिए जम्मू और कश्मीर पैकेज को समय पर लागू करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम दो वर्षों के दौरान क्रियान्वयन असंतोषजनक रहा है तथा निधि का हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर योजनाओं की ओर उपयोग किया गया है।

41. सूचना क्षेत्रक में अनेक मीडिया इकाइयाँ देश में अल्प मीडिया विकास के परिदृश्य में पहली योजना अवधि के दौरान शुरू हुई थीं। तबसे पुस्तकों, प्रकाशनों, विज्ञापनों और चलचित्रों के मामले में निजी क्षेत्र में मीडिया के उत्पादन मानक और पहुँच ने अंतरराष्ट्रीय स्तर प्राप्त किया है। अनेक मीडिया इकाइयों की भूमिका और संगतता की पुनः परीक्षा उन परिवर्तनों के संदर्भ में किए जाने की जरूरत है, जो पिछले सालों के दौरान हुए हैं।

42. इसी प्रकार फिल्म क्षेत्र में विभिन्न मीडिया इकाइयों की भूमिका और संरचना पर दोबारा ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। तथापि, विभिन्न हार्डवेयर पर फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन के बीच लघु चलचित्र बनाने में दोहरापन है। फिल्म समारोहों और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देने के तरीके की परीक्षा करने की जरूरत है। यह कार्य एन.एफ.डी.सी. जैसे व्यावसायिक निकायों को सौंपा जा सकता है।

वार्षिक योजना 2001-02 - डाक क्षेत्रक

(करोड़ रु.)

स्कीम	नोंवी योजना	1997-98		1998-99		1999-00		2000-01		2001-02
		बजट अनु.	वास्तविक	बजट अनु.	वास्तविक	बजट अनु.	वास्तविक	बजट अनु.	सं. अनु.	बजट अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नैटवर्क का विस्तार	42.70	3.55	3.92	5.03	3.96	4.97	7.79	10.89	10.89	15.00
प्रौद्योगिकी	133.98	31.12	28.30	21.28	22.76	29.63	30.22	28.17	28.17	21.01
मानव संसाधन विकास	14.08	2.79	2.35	2.94	2.84	2.74	2.96	2.73	2.73	3.67
डाक प्रक्रिया	141.30	8.79	3.37	12.72	7.28	38.22	16.57	43.94	43.94	61.00
व्यवसाय विकास	17.80	3.85	2.29	4.25	3.66	7.20	6.03	4.15	4.15	4.00
सामग्री प्रबंधन	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.63	0.63	0.77
पीएलआई	14.42	4.00	2.96	4.35	2.28	1.52	1.34	0.00	0.00	0.00
डाक टिकट संग्रह	5.12	0.50	0.50	0.85	0.69	0.57	0.52	1.74	1.74	1.20
भवन	119.62	35.00	24.13	39.80	27.53	10.88	20.76	26.65	26.65	24.00
प्रशासन एवं वित्त	9.63	5.40	2.73	3.78	1.69	2.73	1.21	0.75	0.75	4.00
सार्वजनिक शिकायतें	7.40	0.00	1.72	0.00	1.00	1.54	0.76	0.35	0.35	0.35
योग	507.25	95.00	72.27	95.00	73.69	100.00	88.28	120	120	135.00

भौतिक निष्पादन - डाक क्षेत्रक

स्कीम	नौवीं योजना	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	संशोधित अनु.	बजट अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8
डाक संचार तंत्र का विस्तार : डाकखाने खोलना.							
ईडीपीओ	2500	402	598	598	500	500	500
डीएसओएस	250	52	50	50	50	50	50
ईडीपीओ हेतु आधारिक उपकरण	2400	7746	3395	3395	8000	500	8000
पंचायत संचार सेवा			200	200	1000	2000	2000
प्रौद्योगिकी उन्नयन काउण्टर का कम्प्यूटरीकरण							
क)एसबीलैन सहित एमपीसीएम की आपूर्ति	5000	918	1429	1429		1000	1000
ख) डाकखानों का आधुनिकीकरण	505	308	98	98	100	100	125
यांत्रिक उपस्कर							
हस्तचालित कैंसलर	10000	0	3285	3285			
डाक टिकट रद्दीकरण मशीन	100	20	20	20	20	20	20
इलेक्ट्रॉनिक अंकन मशीन	500	250	150	150	100	100	100
टंकण व बंडिंग मशीन	30		30	30			
उपग्रह एम ओ : हब की स्थापना							
वी-सैट की स्थापना	170		0	0	88	88	
ईएसएमओ की स्थापना	2000	318	10		466	466	400
वी- सैट का उन्नयन	75		21	21			
सामग्री प्रबंधन							
मुद्रण और पेपर कटिंग	1						
डीजल फॉर्क लिफ्ट ट्रॉली	4						
प्रशिक्षण प्रणाली संचालन	150						100
मानव संसाधन विकास							
सेवाकाल में प्रशिक्षण ग्रेड 'ए'	180	30	30	24	40	40	48
प्रशिक्षण पुनश्चर्या	16051	4551	4315	4315	2167	2167	2500
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	12000	2775	4062	4062	2000	2000	10000
ईडीबीएम हेतु प्रशिक्षण	51000				14073	14073	21500
ग्रेड सी व डाकियों को प्रशिक्षण	15750	7107	7148	6970	5120	5120	6000
ग्राहक सुविधा केन्द्र	सभी प्रभाग		60	60	45	23	23
डाक प्रसंसाधन का आधुनिकीकरण							
ए एम पी सी का गठन	3				0	0	2
डाक कार्यालय का आधुनिकीकरण	120	20	43	43	20	20	17
आर एम एस वाहन	28		24	24	2		
आर एम एस वाहनों की खरीद	50	8	12	12	13	13	15
पंजीकरण आपूर्ति			22+6	22			
एच आर ओ/डी ओ कम्प्यूटरीकरण	20	1			7	7	7
टी एम ओ कम्प्यूटरीकरण	25	6	6	6	4	5	4
मोपेड	500		147	147			
व्यवसाय विकास गठन							
पीपीसी का कम्प्यूटरीकरण	40	8	10	10	5		5
स्पीड पोस्ट हेतु व्यवसाय कार्यालय	40 केन्द्र		7		2	53	2
एसपीसीसी का कम्प्यूटरीकरण	50	7	20	20		15	
डाक जीवन बीमा							

आर पी एल आई का कम्प्यूटरीकरण	32 आर.	19 क्षेत्र	11 +120 एच.ओ.	11 आर.			
कम्प्यूटरों का उन्नयन	20 आर.	5 वृत्त	4 सी. +पी. एल.आई.	4६			
डाक टिकट संग्रह (कम्प्यूटरीकरण)	52 ई +200 एन	5	21	21	120		
डाक भवन	400	72	25	27	30+3	30+3	48+ 5
कर्मचारी आवास	950	275	196	196	236	255	190
प्रशासन और वित्त प्रबंधन का सुप्रवाहीकरण							
प्रशासनिक शाखा का कम्प्यूटरीकरण						6	
एम आईएस इंटरलिंकिंग							17

योजनावार लक्ष्य और उपलब्धियां - दूर संचार सेवाएं

स्कीम का नाम	मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	1999-00 वास्तविक	2000-01		2001-02
				लक्ष्य	संशोधित अनुमान	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
स्विचिंग क्षमता	230.00	298.00	68.72	72.35	57.30	82.46
बीएसएनएल (लाख लाइनें)	200.60	273.00	63.02	67.00	53.00	77.76
एमटीएनएल (लाख लाइनें)	29.40	25.00	5.70	5.35	4.30	4.70
प्रत्यक्ष एक्सचेंज लाइनें	185.00	222.70	50.30	57.90	56.75	72.30
बीएसएनएल (लाख लाइनें)	160.00	200.70	45.40	53.50	53.50	68.30
एमटीएनएल (लाख लाइनें)	25.00	22.00	4.90	4.40	3.25	4.00
मोबाइल सेवाएं				0.10	0.43	12.00
बीएसएनएल (लाख लाइनें)				0.10	0.43	12.00
एमटीएनएल (लाख लाइनें)						
टैक्स (लाख लाइनें)	18.00	23.06	4.80	5.15	4.20	10.10
बीएसएनएल (लाख लाइनें)	15.24	18.87	4.03	4.00	4.00	9.00
एमटीएनएल (लाख लाइनें)	2.76	4.19	0.77	1.15	0.20	1.10
माइक्रोवेव प्रणालियां ('000 किमी.)	90.00	70.00	19.88	10.00	10.00	7.50
(रूट कि. मी. '000)						
ऑप्टिकल फाइबर प्रणालियां (तदैव)	140.00	270.00	63.27	100.00	100.00	126.00
(रूट कि. मी. '000)						
वी पी टी ('000 संख्या)	239.16	278.87	33.97	70.00	100.00	77.04

दूर संचार क्षेत्रक की वित्तीय पद्धति

(करोड़ रु.)

संगठन	अनुमोदित परिचय	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-00 वास्तविक	2000-01		2001-02
					बजट अनु.	संशो. अनु.	बजट अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8
डॉट*	37995.00	8733.58	9556.11	9485.14	15834.00	16409.65	16574.00
आई आर	30965.00	8733.58	9556.11	9485.14	13682.00	12239.65	11341.00
बॉन्ड्स	7030.00	0.00	0.00	0.00	2152.00	2994.00	5233.00
अन्य						1176.00	0.00
एमटीएनएल	5446.00	912.54	977.44	872.00	2155.00	1645.00	1600.00
आई आर	4066.00	912.54	977.44	872.00	2155.00	1645.00	1600.00
बॉन्ड्स	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वीएसएनएल	2737	407.71	761.62	431.41	1163.34	1971.73	1814.66
आई आर	2737	407.71	761.62	431.41	1163.34	1971.73	1814.66
डब्ल्यू एम ओ	44.04	4.37	5.75	1.53	10.00	8.39	10.00
डब्ल्यू पी सी					5.00	1.5	95.00
ट्राइ					2.00	2.00	4.00
टी ई सी				3.11	0.00	9	4.00
आई आर				3.11	0.00	0	0.00
जी बी एस				0.00	0.00	9	4.00
सी- डॉट				80.97	166.00	150	52.00
आई आर				80.97	166.00	110.66	0.00
जी बी एस				0.00	0.00	39.34	52.00
आई टी आई	175.00	15.00	42.00	44.00	90.00	90	125.00
आई आर	0.00	-148.00	-52.00	44.00	35.00	62	125.00
बॉन्ड्स	150.00	150.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	25.00	13.00	0.00	0.00	55.00	28.00	0.00
बजटीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एच टी एल	45.00	7.73	9.42	5.34	16.33	26.58	20.18
आई आर	27.00	5.73	9.42	5.34	14.39	9.89	12.92
बॉन्ड्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	18.00	0.00	0.00	0.00	1.94	16.69	7.26
बजटीय सहायता	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	46442.0	10080.93	1796.23	10923.50	19441.67	20313.85	20298.84
आई आर	46398.00	9911.56	1696.48	10921.97	17215.73	16038.93	14893.58
बॉन्ड्स		150.00	94.00	0.00	2207.00	3022.00	5233.00
अन्य	0.00	13.00	0.00	0.00	1.94	1192.69	7.26
बजटीय सहायता	44.04	6.37	5.75	1.53	17.00	60.23	165.00

* बीएसएनएल दि. 1.10.2000 को अस्तित्व में आया। वर्ष 2000-01 हेतु संशोधित अनुमानों में बीएसएनएल का 5412 करोड़ रु. का आई आर ; 2944 करोड़ रु. के बॉन्ड्स ; 1176 करोड़ रु. अन्य ; शामिल हैं। वर्ष 2001-02 हेतु आंकड़े केवल बीएसएनएल से संबंधित हैं।

संलग्नक 8.3.5

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - नौवीं योजना एवं वार्षिक योजना का परियोजना और व्यय

क्रम सं.		नौवीं योजना का परियोजना (1997-02)	अनुमोदित परियोजना (1997-98)	वास्त. 1997-98	अनुमोदित परियोजना 1998-99	वास्त. 1998-99	अनुमोदित परियोजना 1999-2000	वास्त. 1999-2000	अनुमोदित परियोजना 2000-01	संशोध. अनुमान 2000-01 (अंतिम)	अनुमोदित परियोजना 2001-02	
1	सूचना क्षेत्रक											
	कुल	93.30	19.00	12.51	19.55	14.70	19.26	17.95	19.72	15.12	17.08	
	डीबीएस	93.30	19.00	12.51	18.20	14.20	17.50	16.45	18.21	13.32	14.46	
	आईडीबीआर	0.00	0.00	0.00	1.03	0.50	1.76	1.50	1.51	1.80	2.62	
2	फिल्म क्षेत्रक											
	कुल	182.70	42.00	37.22	42.98	26.68	36.60	30.43	49.19	39.47	41.39	
	डीबीएस	137.20	33.80	28.99	34.28	21.97	30.50	26.95	38.49	33.35	32.77	
	आईडीबीआर	45.50	8.20	8.23	8.70	4.71	6.10	3.48	10.70	6.12	8.62	
3	प्रसारण											
	कुल (क+ख)	कुल	2567.05	558.80	434.63	599.40	389.34	513.52	484.87	640.44	628.80	752.93
		डीबीएस	449.55	74.80	42.64	74.80	43.20	97.00	141.22	213.30	210.26	292.77
		आईडीबी	2117.50	484.00	391.99	524.60	346.14	416.52	343.65	427.14	418.54	460.16
(क)	ऑल इंडिया रेडियो	कुल	805.80	143.20	88.24	150.00	81.25	122.00	90.05	140.00	145.62	190.93
		डीबीएस	261.00	48.20	21.51	48.20	7.39	45.20	35.84	65.00	64.26	115.39
		आईडीबी	544.40	95.00	63.73	101.80	73.86	76.80	54.21	75.00	81.36	75.00
(ख)	दूरदर्शन	कुल	1761.65	415.60	346.39	449.40	308.09	391.52	394.82	500.44	483.18	562.00
		डीबीएस	188.55	26.60	18.13	26.60	35.81	51.80	105.38	148.30	210.26	176.84
		आईडीबी	1573.10	389.00	328.26	422.80	272.28	339.72	289.44	352.14	418.54	385.16
	योग (1+2+3)	2843.05	619.80	484.36	661.93	430.72	569.38	533.25	709.35	683.39	811.40	
	डीबीएस	680.05	127.60	84.85	127.60	79.37	145.00	184.63	270.00	256.93	340.00	
	आईडीबीआर	2163.00	492.20	400.21	534.33	351.35	427.38	348.62	439.35	424.66	471.40	

8.4 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास तथा सामाजिक परिवर्तन की नवीन संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अपने अनुभवगम्य तुलनात्मक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए; सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) की पहचान निर्यात, रोजगार अवसरों तथा प्रवीणता सुधार में विकास के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने 1999-2000 में 26.4% की विकास दर की तुलना में 2000-2001 में 31% का समग्र विकास दर्ज करके अच्छा निष्पादन किया है जबकि साफ्टवेयर निर्यात तथा घरेलू साफ्टवेयर में 56% की वृद्धि रिकार्ड की गयी। हार्डवेयर क्षेत्र में विकास पिछले पांच-छः वर्षों के समान 9% पर कायम रहा। हार्डवेयर उद्योग को कमजोर संरचना, वित्त की ऊंची लागत, शुल्क संरचना तथा बड़े पैमाने पर आयात के कारण कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक का नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है। खंडवार विवरण संलग्नक 8.4.1 में देखे जा सकते हैं।

(करोड़ रुपये)

मद	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	22,100	25,250	28,100	30,700
साफ्टवेयर एक्सपोर्ट	6,500	10,940	17,150	28,350
घरेलू साफ्टवेयर	3,470	4,940	7,200	9400
कुल	32,070	41,140	52,450	68,450

वार्षिक योजना 2000-01 की समीक्षा

3. सूचना प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से राज्य क्षेत्र में तथा एक संयुक्त कार्रवाई योजना बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए एक सर्वसम्मत कार्रवाई योजना अपनाई गई जिसे नीचे बाक्स में दर्शाया गया है:

राज्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाई गई सर्वसम्मत कार्रवाई योजना
<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय तथा राज्य मार्गों के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर के बल बिछाने के लिए मार्ग के अधिकार की सुविधा की अनुमति ऑप्टिकल फाइबर, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा इन्टरनेट पहुंच उपकरणों के लिए आयात तथा उत्पादन शुल्क की दरों में कमी

- अगले तीन से पांच वर्षों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर पर कोई बिक्रीकर या कोई अन्य राज्य कर नहीं
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ई-शासन को प्रोत्साहन
- कम्प्यूटर पर भारतीय भाषाओं का विकास तथा इंटरनेट पर उपयोगी विषयों का निर्माण
- सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का विस्तार तथा सुधार
- सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए प्रत्ययन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना तथा शैक्षिक संस्थानों को इंटरनेट पहुंच के लिए आई.एस.पी. द्वारा विशेष घटी हुई दरों का प्रस्ताव
- दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय दूरगामी ऑपरेशन (एन.एल.डी.ओ.) का अविनियमन
- आई.एस.पी. के लिए समुद्रगत ऑप्टिकल फाइबर संयोजकता पर एकाधिकार समाप्त करना
- सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के संबंध में एक कार्यदल की स्थापना करना।

4. व्यक्तिगत कम्प्यूटरों द्वारा किया गया भेदन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के फैलने का सूचक है। व्यक्तिगत कम्प्यूटरों द्वारा किया गया भेदन में 1999 में 4.3 प्रति हजार की तुलना में 2000-01 में 5.8 प्रति हजार की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत कम्प्यूटरों के बाज़ार का विकास सरकारी करों में कमी तथा इंटरनेट संयोजकता की मांग में भारी वृद्धि के कारण हुआ। इंटरनेट संयोजनों की संख्या, जो मार्च 2000 तक 9 लाख थी वह मार्च 2001 तक बढ़कर 20 लाख हो गई।

5. ई-कॉमर्स के विकास, इंटरनेट माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश को बढ़ावा देने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000' पारित किया गया है। यह ई-कॉमर्स तथा इलेक्ट्रॉनिकी सौदों, इलेक्ट्रॉनिकी संविदाओं को मान्यता प्रदान करने, कम्प्यूटर अपराधों को रोकने, इलेक्ट्रॉनिकी फाइलिंग/प्रलेखन, डिजिटल हस्ताक्षर आदि के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। प्रमाणीकरण प्राधिकारी नियंत्रक की नियुक्ति की जा चुकी है। 2001-02 में ई-कॉमर्स में व्यावसायिक सौदों की संख्या लगभग 2300 करोड़ रुपए की होने की आशा है।

6. भारत ने सुपर कम्प्यूटरों के डिजाइन तथा निर्माण की क्षमता प्राप्त कर ली जिसमें बड़े पैमाने पर समानान्तर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है उच्च कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (सी-डैक) ने अपना नवीनतम मॉडल-परम 1000 तैयार किया है। सी-डैक ने अपने उत्पादों तथा सेवाओं को वाणिज्यिक बनाकर 85 करोड़ रुपए का टर्न ओवर रिकार्ड किया है। भारत में विकसित सुपर कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक बनाने के लिए और आगे प्रयास किए जा रहे हैं।

7. साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) ने देशभर में 19 एस.टी.पी. की स्थापना की है ताकि एस.टी.पी. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए "सिंगल विन्डो इंटरफेस" प्रदान किया जा सके तथा साफ्टवेयर निर्यातकों को सेवाएं प्रदान की जा सकें। 2000-2001 के दौरान योजना के अधीन 747 नवीन एककों को अनुमोदित किया गया, जिससे फरवरी 2001 तक कुल अनुमोदित एककों की संख्या 6329 हो गई। उच्च गति डाटा प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय

संयोजकता प्रदान करने के लिए पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, वाइजाग, इन्दौर तथा श्रीनगर में छः भू-स्टेशनों की स्थापना की गई।

8. स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, विकिरण द्वारा कैंसर के इलाज के लिए, जिसमें कम्प्यूटरीकृत 3 विमीय इलाज योजना सम्मिलित है, 6 एम.ई.वी. अधुनातन एल.आई.एन.ए.सी. प्रणाली के देशी विकास तथा उसे वाणिज्यिक बनाने के लिए एक परियोजना हाथ में ली गई है। वर्ष 2000-01 के दौरान "लिनाक" ट्यूब को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। इस परियोजना के अधीन विकसित "लिनाक" मशीनों को देश में छः चुने गए कैंसर अस्पतालों में रखा जाएगा।

9. सूचना प्रसंस्करण को भारतीय भाषाओं में प्रोत्साहित करने के लिए देशभर के 13 शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में परियोजना चालू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य समाज में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवेश को बढ़ाना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सामान्य सुधार लाया जा सके, नवीन उत्पादों तथा सेवाओं का विकास, भारत के लोगों के बीच बेहतर सूचना प्रसारण के लिए भारतीय भाषाओं में विषय उत्पादन प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इसके अलावा भाषा इंजीनियरी के प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना।

10. सरकार का 220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उत्तर-पूर्व तथा सिक्किम में 487 ब्लकों में समुदाय सूचना केन्द्रों (सी.आई.सी.) की स्थापना करने के लिए एक परियोजना हाथ में लेने का विचार है। 2000-2001 में, 30 सी.आई.सी. की स्थापना की गई है। वी-सैट का उपयोग विश्वसनीय संयोजकता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इन केन्द्रों का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में अंकीय विभाजन के मुद्दे का सामना करना है। सी.आई.सी. में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षा, ई-गवर्नेन्स डाटा ट्रांसमिशन, दूर स्वास्थ्य-देखभाल, प्रलेखन, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्ध के लिए संयोजकता तथा गरीबी उन्मूलन करने की अपेक्षा की जाती है।

11. सूचना आदान-प्रदान तथा निर्णय निर्धारण के लिए सूचना विज्ञान के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ने सभी केन्द्रीय सरकार विभागों, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा लगभग 540 जिला केन्द्रों में निकनेट सुविधाएं स्थापित की हैं। 2000-2001 के दौरान निकनेट आधारित कम्प्यूटर सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक उन्नत किया गया। असम, मणिपुर तथा मिजोरम के सचिवालयों में विडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा चालू की गई। एन.आई.सी. द्वारा हाल में लिए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं - निकनेट आधारित भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, जिलों के लिए बुनियादी निवेश (ग्रिड) प्रदान करना। देश में नव निर्मित राज्यों तथा जिलों में निकनेट सेवाओं का विस्तार, विडियो कान्फ्रेंसिंग नेटवर्क का विस्तार, मॉडलिंग ग्राफिक्स तथा डिजाइन प्रोग्राम, ट्रेजरी एकाउन्टिंग प्रोजेक्ट, उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों के लिए न्यायालय सूचना प्रणाली कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा ग्रंथ विज्ञान सूचना प्रणाली।

वार्षिक योजना 2001-02

12. चालू योजनाओं/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के अलावा 2001-02 के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें सम्मिलित हैं -

13. मुकदमों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण बनाने की दृष्टि से सरकार ने सभी चार महानगरों में शहर न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करने की योजना बनाई है। यह भी परिकल्पना की गई है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारें प्राथमिकता आधार पर अपने उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटरीकृत पूछताछ तथा सुविधा केन्द्र स्थापित करेंगी। इन सुविधाओं से मुकदमंबाजी कर रहे लोग सुनाई की तिथि, मुकदमों की स्थिति, दैनिक मुकदमा सूची तक पहुंच, फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने तथा नोटिस की तैयारी के बारे में जान सकते हैं।

14. मेसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान, यू.एस.ए. की मीडिया प्रयोगशाला ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों तथा नवीन प्रौद्योगिकी पर कुछ कार्य किया है - एम.आई.टी., यू.एस.ए. विश्व के निगम तथा अनुसन्धान संगठनों तथा सरकार के सहयोग में एशिया में एक अनुसन्धान सह विस्तार परियोजना चालू करने विचार है। योजना के विभिन्न घटकों को मालूम करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 2001-02 के लिए 67 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इस सुविधा का भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लक्षित कम लागत की प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने का है।

15. 2/8 एम.बी.पी.एस. बैंड विड्थ को राष्ट्रीय आधार स्तम्भ वी-सैट नेटवर्क के संस्थापन के लिए शिक्षा तथा अनुसन्धान नेटवर्क (अरनेट) के उन्नयन को हाथ में लाने का विचार है तथा 128 के. बी.पी.एस. - 2 एम.बी. बैंड विड्थ की लीज लाईन/वायरलैस लिंक संयोजकता प्रदान करने का विचार है। इससे नेटवर्क की गुणवत्ता तथा गति में सुधार होगा।

16. बुनियादी अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए, टाटा मूलभूत अनुसन्धान संस्थान में अल्ट्राफास्ट पल्स शेपिंग प्रौद्योगिकी के साथ क्वांटम अभिकलन पर एक परियोजना कार्यान्वित करने का विचार है।

17. वार्षिक योजना 2001-02 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए 425 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के साथ 535.06 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यह पिछले वर्ष के 360 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के साथ 541.70 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध है। स्कीमवार व्यय के विवरण संलग्नक 8.4.2 में देखे जा सकते हैं।

प्रमुख नीतिगत मुद्दे

18. हार्डवेयर का विकास तथा उत्पादन सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तर्कसंगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हार्डवेयर क्षेत्र का विकास पिछले 5-6 वर्षों से लगभग 10% के आसपास स्थिर है। हार्डवेयर की कुल आवश्यकता का केवल एक-तिहाई भाग देश में उत्पादित होता है। चूँकि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी प्रवेश की कई गुना बढ़ने की अपेक्षा है। हार्डवेयर की आवश्यकता तेजी से बढ़ेगी यदि हम स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करें। यह क्षेत्र आय के अनेक अवसर तथा रोजगार उत्पादन के अवसर प्रदान कर सकता है। इस क्षेत्र को, जिसे भविष्य में अत्यधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा, बढ़ावा देने के लिए इस पर अत्यावश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन समझौते के अधीन 2003 तक सभी सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर पर आयात-निर्यात ड्यूटी को शून्य स्तर तक लाए जाने का विचार है जिससे घरेलू उद्योग के विकास पर असर पड़ सकता है। आई.टी. तथा साफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशें, जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा दीर्घावधि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति पर केन्द्रित हैं, वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त कार्यवाही योजना के विकास के लिए तर्कसंगत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर दसवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकारी दल को भी इस मुद्दे पर कार्य करना है तथा उससे भी घरेलू हार्डवेयर उद्योग के विकास के संबंध में सिफारिशें देने की अपेक्षा की जाती है।

19. साफ्टवेयर विकास तथा निर्यात में हमारे तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से हमें नवीन बाज़ार ढूँढने, गुणवत्ता मानकों को उन्नत करने तथा उच्च अंतिम उत्पादों तथा सेवाओं को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ब्रांड नाम का अनुरक्षण किया जा सके तथा इस क्षेत्र में विकास को जारी रखा जा सके जिसे वर्तमान में एक कमजोर अवस्था का सामना करना पड़ रहा है।

20. भारत, अनेक प्रमुख विश्व-स्तरीय कंपनियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त सेवा के रूप में सेवा करने के अनेक लाभ प्रदान करता है। देश में सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवा अनुप्रयोग का परिदृश्य पहले से ही स्पष्ट है। इसमें कॉल सेन्टर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, बैंक आफिस प्रचालन, बीमा दावा प्रसंस्करण, पेट्रोल तथा कानूनी डाटाबेस इत्यादि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं को आयकर से छूट मिल गई है। उद्योग के एसोसियेशन नासकोम ने भारत को इन सेवाओं के लिए अवलम्बित गन्तव्य बनाने के लिए हाल ही में एक कार्यवाही योजना का प्रस्ताव किया है। रोजगार सृजन की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन नीतियां, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यवाही योजना बनाई जानी चाहिए।

21. प्रवीण, पारदर्शी तथा उत्तरदायी नियंत्रक प्रणालियों के लिए ई-शासन एक मुख्य साधन के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकारों द्वारा अपने संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रवेश तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, ई-शासन प्रोत्साहित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

22. सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की समर्थनकारी क्षमताओं के कारण अंकीय विभाजन बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत में यह मुद्दा उच्च रूप से वक्र पी.सी. प्रवेश तथा शहरी क्षेत्रों तथा

जनसंख्या के अच्छे खासे भाग के पक्ष में पहुंच के कारण और भी महत्वपूर्ण है। इस विभाजन में भाषा के अनुरोध ने एक अन्य आयाम को जोड़ दिया है। इस मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय भागीदारी रणनीति की महत्वपूर्ण घटक होगी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर बजट का 3% खर्च करना सूचना प्रौद्योगिकी प्रवेश के लिए सहायक सिद्ध होगा तथा सार्वजनिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी शासन के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है तथा अंकीय विभाजन का काम करने की ओर एक कदम होगा।

नोंवी पंचवर्षीय योजना के आरंभिक चार वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर का उत्पादन

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	ह्राद	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	7,600	9,200	11,200	11,550
2.	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स	3,150	3,300	3,750	4,000
3.	कम्प्यूटर	2,800	2,300	2,500	3,400
4.	संचार एवं प्रसारण उपकरण	3,250	4,400	4,000	4,500
5.	महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स	900	1,300	1,450	1,750
6.	संघटक	4,400	4,750	5,200	5,500
	उप योग (हार्डवेयर)	22,100	25,250	28,100	30,700
7.	सॉफ्टवेयर निर्यात	6,500	10,940	17,150	28,350
8.	घरेलू सॉफ्टवेयर	3,470	4,950	7,200	9,400
	योग	32,070	41,140	52,450	68,450

संलग्नक 8.4.2

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - वार्षिक योजना 2001-02

(करोड़ रु.)

योजनाओं की संख्या/नाम	वा. यो. 1999-2000 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 2000-01 (संशो.अनु.)			वार्षिक योजना (2001-02) ब.अ.			
		परिव्यय	सकल बजटीय सहायता	निवल बजटीय सहायता	परिव्यय	सकल बजटीय सहायता	निवल बजटीय सहायता	
400	समीर	9.82	9.60	7.00	7.00	30.11	12.00	12.00
500	औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन कार्यक्रम	1.12	5.50	2.50	2.50	6.25	3.25	3.25
600	माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्यक्रम	1.84	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
700	प्रौद्योगिकी विकास परिषद		8.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
800	महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास	1.88	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
1201	ईएमडीसी	2.00	1.50	1.00	1.00	3.50	3.50	3.50
1202	सी-मैट	3.91	1.00	1.00	1.00	2.50	1.50	1.50
2200	सी-डैक	10.50	8.00	8.00	8.00	13.00	10.00	10.00
2400	फोटॉनिकी/ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स	1.71	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
2700	ईआरडीसी	27.21	4.50	4.50	4.50	28.49	8.00	8.00
2800	स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00
3200	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	1.97	4.50	4.50	4.50	6.00	6.00	6.00
3300	राष्ट्रीय एचवीडीसी कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
3400	बुद्धिमान निर्माण प्रणालियों का विकास	0.66	0.75	0.75	0.75	0.40	0.20	0.20
3600	सीजी उद्योग का विकास		0.50	0.50	0.50	2.00	1.00	1.00
3800	परिवहन एवं ऊर्जा वितरण कार्यक्रम	0.84	1.75	1.75	1.75	6.50	2.50	2.50
6400	द्रव क्रिस्टल शोध केन्द्र		1.26	1.26	1.26	1.70	1.70	1.70
6500	पावर इलेक्ट्रॉनिक्स	0.33	0.50	0.50	0.50	20.67	2.00	2.00
6600	आईपीआर प्रोत्साहन कार्यक्रम	0.45	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40
6700	इलेक्ट्रॉनिक्स में पर्यावरण प्रबंधन	0.11	0.50	0.50	0.50	0.17	0.17	0.07
7200	विशेष सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	3.13	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
7210	सभी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
7230	मीडिया एशिया लैब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	शोध एवं विकास उप-योग	74.97	57.36	47.26	47.26	145.89	76.42	76.32
	II आधारिक संरचना विकास							
1700	ईआरएनईटी	19.91	9.00	9.00	9.00	5.00	5.00	5.00
1000	एसटीक्यूसी	23.58	26.47	23.02	23.02	27.00	27.00	25.00
1600	साफ्टवेयर निर्यात प्रोत्साहन (एसईपीपी)	5.89	4.50	4.50	4.50	6.00	6.00	6.00
1610	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान (एसटीपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00
7000	राष्ट्रीय सूचना आधारिक संरचना	9.99	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00

7010	सूचना प्रौद्योगिकी वेंचर कैपिटल	20	0	0	0	1.00	1.00	1.00
7020	सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विविध योजनाएं	1.28	120.18	6.8	6.8	0.40	0.40	0.40
7030	इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण	1.84	2	2	2	9.00	5.00	5.00
7050	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम/प्रमाणीकरण	0	0.75	0.75	0.75	5.00	5.00	5.00
7100	उच्च तकनीकी निवेश उद्यान डिजाइन		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
7300	अर्धचालक रूपरेखा अधिनियम -2000	0	0	0	0	1.00	1.00	1.00
7400	सामुदायिक सूचना केन्द्र	20	0	0	0	67.00	67.00	67.00
	आधारिक संरचना उप-योग	102.49	170.95	54.12	54.12	134.45	130.45	128.45
	II मानव संसाधन विकास							
2903	सीईडीटी		3.00	3.00	3.00	8.00	4.00	4.00
1500	एनसीएसटी		1.50	1.50	1.50	6.30	2.60	2.60
2907	सतत आधार योजना - प्रभाव		1.70	1.70	1.70	1.37	1.37	1.37
2910	सॉफ्टवेयर निर्यात हेतु मानव शक्ति	5.00	5.50	5.50	5.50	6.00	6.00	6.00
2920	एएसआईसी डिजाइन हेतु विशेष मानव शक्ति	0.91	1.10	1.10	1.10	2.00	2.00	2.00
2940	अनु.जाति/जनजाति हेतु रोजगार उत्पादन	1.96	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
	पिछड़ा क्षेत्र							
	मानव संसाधन विकास उप-योग	30.69	13.80	13.80	13.80	26.67	18.97	18.97
	IV ग्रामीण विकास							
2300	ग्रामीण + ज्ञान आधारित उद्यम हेतु ईआई	1.75	1.50	1.50	1.50	12.94	4.00	4.00
	V विविध					0.00	0.00	
4000	मुख्यालय (सचिवालय और भवन)	5.01	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00
5500	इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी सूचना और भविष्यवाणी		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
6800	इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सूचना कार्यक्रम	0.04	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25
6810	औद्योगिकी व्यापार और नीति प्रणाला		0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10
6820	इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य और सू.प्रौ.सुरक्षा	0.00	0.50	0.50	0.50	4.50	4.50	4.50
6830	सू.प्रौ. क्षेत्र में नीति और आर्थिक विश्लेषण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60
	विविध योग		8.80	8.80	8.80	15.95	15.95	15.95
	उप-योग (I से V तक)	215.39	252.41	125.48	125.48	335.90	245.79	243.69
	VI सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान							
100	ईटी एण्ड टी लिमिटेड	0.00	8.52	8.52	8.52	0.10	0.10	0.10
200	अर्धचालक कॉम्प्लेक्स लिमिटेड	0.00	9.27	0.02	0.02	0.06	0.06	0.06
300	सीएमसी लिमिटेड	14.05	69.53	0.00	0.00	16.00	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान का उप-योग		87.32	8.54	8.54	16.16	0.16	0.16
	कुल	229.44	339.73	134.02	134.02	352.06	245.95	243.85
	एनआईसी	143.60	135.98	135.98	135.98	175.05	175.05	172.00
	ईएससी	1.00	0.00	0.00	0.00	7.95	4.00	4.00
	उत्तरपूर्वी संघटक		30.00	30.00	30.00			
	कुल योग	374.04	505.71	300.00	300.00	535.06	425.00	419.85

अध्याय 9

पर्यावरण, वन तथा पर्यटन

9.1 पर्यावरण तथा वन

1. नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग सामाजिक गठन तथा लोगों की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरणीय पोषण पर अपना बल देना जारी रखेगा। प्रतिबल पेड़-पौधों, वनों तथा वन्य जीवन के संरक्षण तथा सर्वेक्षण पर, प्रदूषण से बचाव तथा उसके नियंत्रण, वनारोपण तथा बेकार क्षेत्रों के पुनरुद्धार तथा पर्यावरण की सुरक्षा पर होगा। लक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पारिस्थितिकी पुनरुत्पादन, पर्यावरणीय तथा वानिकी प्रोग्राम कार्यान्वित करने वाले संगठनों को सहायता, पर्यावरणीय तथा वानिकी अनुसन्धान, विस्तार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहन, पर्यावरणीय सूचना के प्रसार, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा देश की जनसंख्या के सभी भागों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता के माध्यम से इन कार्यों को पूरा किया जाना है। अपने पर्यावरणीय प्रबन्ध तथा आर्थिक विकास रणनीति में एजेन्डा 21 की मनोवृत्ति को अंगीकार करने का भी प्रयास होगा। वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण के संघात पर विचार करने के लिए पहले कदम के रूप में सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों से पर्यावरण की दशा पर एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया था ताकि प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता तथा मात्रा का मूल्यांकन किया जा सके और समस्याओं के परिमाण को समझा जा सके तथा इसके पश्चात् संपोषणीय विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पर्यावरणीय कार्रवाई योजना तैयार की जा सके।

2. मंत्रालय के लिए परिव्यय तथा खर्च का क्षेत्रवार ब्योरा संलग्नक 9.1.1 में दिया गया है जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वार्षिक योजना (2001-02) का योजनावार ब्योरा संलग्नक 9.1.2 तथा 9.1.3 में दिया गया है।

पर्यावरण

3. असंसाधित औद्योगिक बहिःस्राव, अनधिकृत स्थलों पर अपशिष्ट द्रव्यों को डालना, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, जल में असंसाधित घरेलू अपशिष्ट द्रव्यों का स्राव, भूमिजल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरंग प्रदूषण इत्यादि सभी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ हैं तथा चिन्ता के विषय हैं। प्रदूषण निवारण के लिए नीति विवरण, विनियमन, कानूनी समझौते, वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य तरीके प्रदूषण को रोकने तथा उसके निवारण के लिए अपनाए गए हैं। प्रदूषण रोकने तथा उसके नियंत्रण से संबंधित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों का फोकस, स्वच्छ तथा न्यून अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों, पुनः उपयोग तथा पुनःचक्रण, जल गुणवत्ता में सुधार, प्राकृतिक संसाधन लेखा-जोखा, संस्थानात्मक तथा मानव संसाधन विकास प्रदूषण का स्रोत पर नियंत्रण न कि पाइपलाइन उपचार के पारंपरिक अन्त, पर चला गया है। कमांड एवं कन्ट्रोल प्रणाली के साथ बहु-उद्देशीय मार्गों, स्वैच्छिक विनियमन तथा आर्थिक साधनों से उनका समर्थन हुआ है - इसके

अलावा, पर्यावरणीय मानकों के विकास, अपशिष्ट कम करने वाले चक्रों, पर्यावरणी ऑडिट, पर्यावरणीय रोग विज्ञान संबंधी अध्ययन उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का मानचित्र बनाने, वाहन प्रदूषण का नियंत्रण, शोर प्रदूषण तथा पर्यावरणीय शिक्षा तथा जागरूकता को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया जा रहा है। इसके अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि जैसे संगठनों की आत्म-संपोषणता पर भी बल दिया जाएगा।

प्रदूषण का निवारण

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.), तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.) की गतिविधियों का समन्वयन करता है तथा प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देता है। सी.पी.सी.बी., एस.पी.सी.बी. तथा पी.सी.सी. प्रदूषण के बचाव तथा नियंत्रण से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियम तथा विनियमनों का भी विकास करते हैं जो वायु, जल प्रदूषकों के बहिस्त्राव तथा उत्सर्जन के लिए तथा शोर स्तरों के लिए मानक निर्धारित करते हैं।

5. इस वर्ष के दौरान विशेषकर नदी प्रदूषण निवारण, वाहन प्रदूषण, उद्योगों के 17 वर्गों में प्रदूषण नियंत्रण महत्वपूर्ण प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली के लिए कार्य योजना को लागू करने तथा शोर प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में देशव्यापी प्रदूषण रोक योजना पर विशेष बल दिया गया।

6. वार्षिक योजना (2000-2001) के लिए सी.पी.सी.बी. का बजट आकलन 9 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय भी 9 करोड़ रुपए है।

पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन

7. पर्यावरणीय संघात मूल्यांकन (ई.आई.ए.) वह प्रक्रिया है जिसका प्रयोग प्रस्तावित विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों, अच्छे तथा बुरे दोनों की जांच करने के लिए किया जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना डिजाइन में इन संघातों का ध्यान रखा गया है। ई.आई.ए., 29 भिन्न गतिविधियों के संबंध में सांविधिक बन गया है जिनमें थर्मल पावर प्लांट्स, औद्योगिक परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं, नदी-घाटी हाइडल परियोजनाएं, आणविक परियोजनाएं, संरचना परियोजनाएं आदि सम्मिलित हैं।

8. वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 186 परियोजनाएं प्राप्त हुईं। विशेषज्ञ समिति ने 170 परियोजनाओं पर विचार किया तथा 100 परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पारित कर दिया। इसी प्रकार वर्ष 2000-2001 (अक्तूबर 2000 तक) में कुल 116 परियोजनाएं प्राप्त हुईं।

विशेषज्ञ समिति ने विचार-विमर्श के बाद 93 परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में सिफारिश की ।

9. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए इस स्कीम का बजटीय अनुमान 1.60 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय भी 1.60 करोड़ रुपए है।

संरक्षण तथा सर्वेक्षण

10. पर्यावरण तथा विकास की समस्याओं को सम्पूर्ण रूप से संबोधित करने के लिए तथा वानिकी और वन्य जीवन सहित संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संपोषणीय उपयोगों पर सीधा प्रभाव डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए गए हैं तथा मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

जीवमंडल रिजर्व

11. प्रतिनिधिक पारिस्थितिकी प्रणाली की सुरक्षा के लिए तथा विकास के वैकल्पिक मॉडल तैयार करने के लिए तथा प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के वास्ते भी देश में 12 जीवमंडल रिजर्वों की स्थापना की गई है। इन जीवमंडल रिजर्वों के संरक्षण तथा प्रबंध के लिए मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुसन्धान तथा विकास परियोजनाओं को भी समर्थन प्राप्त होता है। मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर, 9 नवम्बर 2000 को अपनी बैठक में यूनेस्को की मानव एवं जीवमंडल प्रोग्राम की अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद ने नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व को यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर लाने के लिए अनुमोदित किया।

12. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 3.50 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 5.75 करोड़ रुपए है।

वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम

13. वेटलैंड के संरक्षण पर एक कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अधीन 13 राज्यों में कुल 20 वेटलैंड कवर किए गए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंजीनियरी विकल्प अपनाने के बजाए संरक्षण के जीव विज्ञानी तरीके अपनाने पर है। अब तक सघन संरक्षण तथा प्रबन्धन के लिए 18 वेटलैंड्स के लिए प्रबन्धकीय कार्रवाई योजना तैयार की गई है। 10 शहरी झीलों पर फोकस डालने के लिए वेटलैंड प्रोग्राम में से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) बनाई गई है।

14. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजटीय परिव्यय 5.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 7 करोड़ रुपये है।

कच्छ वनस्पति तथा प्रवाल भित्ति संरक्षण कार्यक्रम

15. कच्छ वनस्पति तथा प्रवाल भित्ति पर राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर देश में सघन संरक्षण तथा प्रबन्धन के लिए 30 कच्छ वनस्पति तथा 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों की पहचान की गई है। पिछले दशक के दौरान देश में कच्छ वनस्पति को कवर करने में 340 वर्ग कि.मी.की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वन रिपोर्ट 1999 की दशा के अनुसार कुल कच्छ वनस्पति आच्छादन 4871 वर्ग कि.मी. है जो 1997 के आंकड़ों से 44 वर्ग कि.मी. की वृद्धि दर्शाता है।

16. अक्टूबर 1999 के दौरान उड़ीसा में आए महा चक्रवात के परिणामों तथा कच्छ वनस्पति द्वारा समुद्रतट पर की गई जानमाल की सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मंत्रालय ने प्राथमिकतापूर्ण कार्यवाही के लिए कच्छ वनस्पति विकास पर और अधिक बल दिया है। तदनुसार, सघन संरक्षण तथा प्रबन्धन के लिए देश में 15 अतिरिक्त कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की पहचान की गई है।

17. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 5 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए भी परिव्यय 5 करोड़ रुपए है।

जैव विविधता संरक्षण

18. जैव विविधता संरक्षण संबंधी स्कीम, जैव विविधता के संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दों के साथ व्यवहार करने वाली विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वयन सुनिश्चित करने तथा इसके लिए पर्याप्त नीतिगत उपायों के पुनरीक्षण, मानीटरन तथा विकास के लिए प्रारम्भ की गई। 18 फरवरी 1994 के जैव विविधता पर अंतरराष्ट्रीय कन्वन्शन की भारत की अभिपुष्टि का पालन करते हुए इसकी प्रतिबद्धताओं/अवसरों को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जैव विविधता पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वन्शन के लिए मुख्य उपाय प्रत्येक देश की विशिष्ट स्थितियों तथा क्षमताओं के अनुसार विकसित किए जाने वाली राष्ट्रीय रणनीतियों, विधानों तथा प्रशासनिक उपायों के माध्यम से लागू किए गए हैं।

19. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट आकलन 1.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 2.54 करोड़ रुपए है।

पर्यावरणीय अनुसन्धान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सूचना

जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण तथा विकास संस्थान

20. इस स्वशासी निकाय का मुख्य प्रतिबल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने, समाकलित प्रबंधन रणनीतियों का विकास करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उनकी प्रभाविकता दर्शाने, तथा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय ठोस विकास सुनिश्चित करने पर है। इस संस्थान ने विकृत

भूमि के पुनरुद्धार, जल दोहन, पहाड़ियों तथा ढलानों में संपोषणीय कृषि प्रयोग, झरनों को दोबारा चालू करने के लिए सरल उपाय, पादप निष्पादन को सुधारने के लिए जीवाणु टीका, औषधीय जड़ी-बूटी, समाकलित जलसंभर प्रबन्धन के लिए कई नवीन प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं।

21. इस संस्थान की वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 5.50 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 5.95 करोड़ रुपए है।

पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण

22. शिक्षा पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय विषयों तथा उनके विकास को शामिल करने को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छठी योजना में यह योजना आरंभ की गई। गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, युवक संगठनों तथा विभिन्न लक्ष्य समूहों की सहभागिता तथा सहयोग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

23. इस कार्यक्रम के लिए वार्षिक योजना (2000-01) में बजट अनुमान 4.50 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 10.50 करोड़ रुपए है।

उत्कृष्टता के केन्द्र

24. पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबन्ध के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में जागरूकता, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने की दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 7 विशिष्टता केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

25. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 6.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 6.50 करोड़ रुपए है।

नीति तथा विधि

26. पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानूनी तथा संस्थानात्मक संरचना की रचना करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा गतिविधियों को जारी रखा गया। इन गतिविधियों में नियम बनाना, मानकों की अधिसूचना, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता देना, अधिकार प्रत्यायोजन, जोखिम भरे रासायनिकों के प्रबन्धन के लिए कार्यक्रमों की पहचान करना आदि शामिल हैं।

ताज सुरक्षा मिशन

27. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.9.96 के आदेश के फलस्वरूप योजना आयोग ने, ताजमहल की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न स्कीमों को लागू करने के लिए, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ केन्द्र तथा राज्य के बीच 50 : 50 की साझेदारी के आधार पर 6000 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया था। इस उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न स्कीमों/प्रोग्रामों को लागू करने/उनकी मानीटरिंग करने तथा उनका पुनरीक्षण करने का उत्तरदायित्व मुख्य सचिव, उ.प्र. की चेयरमैनशिप के अधीन गठित एक मिशन प्रबन्धन बोर्ड को सौंपा गया है।

28. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 50.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 35.00 करोड़ रुपए है।

खतरनाक पदार्थों का प्रबंध

29. इस पहलू में प्रतिबल क्षेत्र में, नवीन विनियमनों तथा विद्यमान अधिनियम तथा नियमों के संशोधनों की अधिसूचना, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संयुक्त अभिक्रिया भंडारण तथा निकास सुविधा की स्थापना, प्रदूषित स्थलों का सुधार, नागर तथा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के प्रबंध के लिए प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना, जीव-औषधीय अपशिष्ट नियमों को लागू करना, संकट विश्लेषण करना तथा तेज सुरक्षा अंकेक्षण करना, रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना आदि सम्मिलित है।

30. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 5.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 4.00 करोड़ रुपए है।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

31. मंत्रालय देश में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया सहयोगी पर्यावरण कार्यक्रम, प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समाकलित पर्वत संघ के लिए अंतरराष्ट्रीय केन्द्र तथा यूरोपीय संघ के लिए एक नोडल एजेन्सी है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वार्षिक वित्तीय योगदान इन संगठनों को दिया जाता है। मंत्रालय पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों में सहभागिता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे संकटग्रस्त जातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर कन्वेंशन विशेषकर जैसे मुर्गाबी आवास, जंगली जानवरों की प्रवासी जातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, ओजोन सतह की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन, ओजोन सतह को कम करने वाले पदार्थों पर मान्द्रीयल प्रोटोकोल, जीव विज्ञानी विविधता तथा जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन्स, जोखिम वाले पदार्थों के सीमापार संचलन पर कन्वेंशन, मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए कन्वेंशन आदि। मंत्रालय, द्विपक्षी सहयोग, यू.एन.ई.पी., ई.एस.सी.ए.पी., एस.ए.ए.आर.सी., एस.ए.सी.ई.पी., राष्ट्रीय पर्यावरणीय परिषद, इंडिया कनाडा पर्यावरण सुविधा तथा दिल्ली शहरी पर्यावरण तथा सुधार परियोजना को भी हैंडल करता है।

32. भारत, राष्ट्रीय स्तर पर कई उपायों को प्रारम्भ करके तथा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों द्वारा विभिन्न कन्वेंशनों के अधीन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है।

33. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 44.70 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 39.13 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)

34. एन.आर.सी.डी., देश में प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गंगा नदी के तट पर स्थित 25 नगरों को सम्मिलित करने के लिए, 1985 में गंगा कार्रवाई योजना (जी.ए.पी.) फेज I प्रारम्भ किया गया। इस योजना का अनुमोदित परिव्यय 462.04 करोड़ रुपए था जिसमें से मार्च 2000 तक, जब योजना बंद हो गई, 451.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना में 235 एम.एल.डी. गन्दा पानी रोका गया, मोड़ा गया तथा उसकी अभिक्रिया की गई।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)

35. चूंकि गंगा कार्रवाई योजना के फेज I में प्रदूषण भार को केवल आंशिक रूप से कवर किया गया था इसलिए गंगा कार्रवाई योजना का फेज II प्रारम्भ किया गया तथा लागू करने के लिए 1993-1996 के बीच चरणों में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना फेज II की कुल परियोजना लागत 1276.26 करोड़ रुपए है जिसमें यमुना कार्रवाई योजना, गोमती कार्रवाई योजना, दामोदर कार्रवाई योजना व अन्य नदी संरक्षण स्कीम सम्मिलित हैं। देश के 10 राज्यों में 18 प्रमुख नदियों को कवर करने के लिए 1995 में एक अलग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना भी प्रारम्भ की गई। इसके बाद 1996 में जी.ए.पी. फेज II को एन.आर.सी.पी. के साथ मिला दिया गया ताकि सभी नदी संरक्षण स्कीमों को एक ही मद के अधीन रखा जा सके। विस्तारित एन.आर.सी.पी. में 16 राज्यों में 27 अंतरराज्यीय नदियों के साथ स्थित 149 नगरों को कवर किया गया।

36. मंत्रालय तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई पहलों का अनुसरण करते हुए, लागत साझेदारी तथा कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता की एक नवीन प्रणाली को विकसित किया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत न केवल नदी प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित किया गया बल्कि आंतरिक मलजल निकास, कम लागत वाले शौचालय, ठोस अपशिष्ट निकास इत्यादि भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की साझेदारी केवल 50% होगी, शेष आधा भाग राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं, लोगों के प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों तथा जनता से आएगा।

37. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 210.05 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 190.95 करोड़ रुपए है।

वानिकी तथा वन्य जीवन

वानिकी अनुसन्धान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण

भारतीय वानिकी अनुसन्धान तथा शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून

38. आई.सी.एफ.आर.ई. देश का प्रमुख वनविद्या अनुसन्धान संगठन है जिसको वनविद्या अनुसन्धान को सूत्रबद्ध करने, संगठित करने, निर्देशन तथा प्रबंध करने का, राज्यों तथा अन्य उपभोक्ता एजेन्सियों को प्रौद्योगिकी स्थानान्तरित करने तथा वनविद्या शिक्षा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। परिषद के पास देश के विभिन्न जीव-भौगोलिक क्षेत्रों की अनुसन्धान तथा विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आठ अनुसन्धान संस्थान तथा तीन उन्नत केन्द्र हैं। राज्य वन अनुसन्धान संस्थानों के साथ समन्वयन में एक व्यापक राष्ट्रीय वनविद्या अनुसन्धान योजना तैयार की गई है तथा अनुसन्धान प्राथमिकताओं की पहचान कर ली गई है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त वनविद्या अनुसन्धान शिक्षा एवं विस्तार परियोजना आई.सी.एफ.आर.ई. द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

39. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए आई.सी.एफ.आर. का बजट अनुमान 59.50 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 46.00 करोड़ रुपए है।

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), बंगलौर

40. आई.पी.आई.आर.टी.आई., पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्वशासी संस्था, यांत्रिक लकड़ी उद्योग प्रौद्योगिकी पर अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में व्यस्त एक प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान ने वर्षों में लकड़ी आधारित पैनल सामग्रियों में अनुसन्धान कार्य करने के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं का निर्माण किया है तथा इसमें यांत्रिक लकड़ी उद्योगों के आकांक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की है।

41. आई.पी.आई.आर.टी.आई ने बंबू मेट बोर्ड तथा बंबू मेट वनीर कम्पोजिट के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जो न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि लोक अनुकूल (क्योंकि चटाई बुनने में ग्रामीण/आदिवासी महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं) भी है। इस संस्थान ने बांस चटाई कौरेगेटिड शीट के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है। यह परियोजना भारतीय बिल्डिंग मेटिरियल टेक्नोलोजी प्रमोशन काउन्सिल द्वारा प्रायोजित की गई है तथा इसमें वैकल्पिक छत बनाने की सामग्री के लिए विशाल क्षमता उपलब्ध है।

42. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए आई.पी.आई.आर.टी.आई. का बजट अनुमान 0.90 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय भी 0.90 करोड़ रुपए है।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल (आईआईएफएम)

43. आई.आई.एफ.एम. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वशासी संस्थान है जिसने न केवल भारतीय उप महाद्वीप में बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण के प्रबन्धन में, वनविद्या तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अपने को एक अग्रणी संस्थान के रूप में संस्थापित किया है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण प्रबंधन और ग्रामीण विकास जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण संस्थान है।

44. यह संस्थान दो शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करता है: वन विद्या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में मास्टरोत्तर पाठ्यक्रम । यह सरकारी विभागों से सेवारत प्रबन्धकों, उद्योगों, शैक्षिक संस्थानों, वित्तीय संस्थानों तथा प्राकृतिक संसाधन विकास से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। यह संस्थान, राष्ट्रीय संस्थानों, संगठनों तथा समुद्रपार सरकारों तथा संस्थानों के साथ सहयोगी अनुसन्धान चलाता है। इस संस्थान की बहुविधाई प्रकृति, पर्यावरण, वन विद्या, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संगठनों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता प्रदान करती है।

45. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए आई.आई.एफ.एम. का बजट अनुमान 2.80 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए भी परिव्यय 2.80 करोड़ रुपए है।

वानिकी शिक्षा

46. वनविद्या शिक्षा निदेशालय, देहरादून, देश में राज्य वन सेवा अधिकारियों तथा वन रेंज अधिकारियों के सभी नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के नियंत्रण, समन्वयन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा यह प्रवीण मानव संसाधन प्रबंधन एवं विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य की सहायता के लिए तथा वनविद्या कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में राज्य की सहायता के लिए प्रशिक्षण क्षमता तथा सुविधा के विकास के लिए भी उत्तरदायी है।

47. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 2.01 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 2.15 करोड़ रुपए है।

वानिकी प्रशिक्षण

48. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी संस्थान है। अकादमी आई.एफ.एस. अधिकारियों के लिए विभिन्न विषयों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती है।

49. देश के प्रमुख संस्थानों में आई.एफ.एस.अधिकारियों के लिए एक सप्ताह तथा दो सप्ताह के लघुकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम में वनविद्या, संयुक्त वन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, वानिकी में जैंडर वाले मामले, वन्य जीवन प्रबंधन आदि में मुख्य बल कंप्यूटर अनुप्रयोग पर दिया गया है।

50. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 5.95 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 5.23 करोड़ रुपए है।

वन सर्वेक्षण

51. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून को देश में वन संसाधन के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। एफ.एस.आई. रिमोट सेन्सिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वर्ष में दो बार वन कवर का आकलन करता है। एफ.एस.आई. की प्रथम रिपोर्ट, 1 : 1 मिलियन स्केल पर चाक्षुष व्याख्या तकनीक के माध्यम से अमरीकी उपग्रह के लैंडसेट डाटा का प्रयोग करके 1987 में प्रकाशित हुई। वन दशा रिपोर्ट 1999 की नवीनतम रिपोर्ट इस श्रृंखला की सातवीं रिपोर्ट है। वर्तमान मूल्यांकन में 13 राज्यों के लिए व्याख्या के डिजिटल तरीकों का प्रयोग किया गया है। अपर्याप्त अवसंरचना के कारण सम्पूर्ण देश के लिए इस तरीके का उपयोग नहीं किया जा सका। रिपोर्ट तैयार करने तथा उपग्रह डाटा प्राप्त करने के बीच समय अन्तराल को कम करने में उन्नत डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम को अपनाने में सहायता प्रदान की है।

52. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 4.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 5.00 करोड़ रुपए है।

वन नीति

राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी.)

53. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 26 राज्य वनविद्या कार्यवाही कार्यक्रमों का समाकलन तथा सम्मिश्रण करके एन.एफ.ए.पी. की रचना की है। जैसा कि राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया है एक-तिहाई वन आच्छादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वनों के समाकलित विकास के लिए बीस वर्षीय कार्यक्रम की आवश्यकता है। 20 वर्षों के लिए कुल निवेश अनुमान 1339 अरब रुपए है।

54. 'यूजफ्रक्ट शेयरिंग आधार पर विकृत वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजाति तथा ग्रामीण गरीबों के एसोसियेशन' की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 15 राज्यों में चलाई जा रही है। विकृत वनों के पुनरुद्धार के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का बजट अनुमान वार्षिक योजना (2000-01) के लिए 7.50 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 5.35 करोड़ रुपए है।

वन सुरक्षा

55. "आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण तरीके" नामक 100% केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम 1992-93 से चलाई जा रही है। इस स्कीम के अधीन वन सुरक्षा मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए 16 राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम का 2000-2001 से सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार किया गया है।

56. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 21.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 17.20 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय उद्यानों तथा जन्तु विहारों के चारों ओर पारिस्थितिकी विकास

57. राष्ट्रीय उद्यानों तथा जन्तु विहारों के अन्दर या उनकी सीमाओं पर रह रहे समुदायों को जीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए यह स्कीम बनाई गई है ताकि उनकी निर्भरता कम की जा सके। यह 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

58. इंडिया इको-विकास परियोजना, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई.डी.ए.) तथा विश्वव्यापी पर्यावरण फंड की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की धीमी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के कारण विश्व बैंक के मध्यावधि पुनरीक्षण मिशन के बाद इस परियोजना की लागत को 294.93 करोड़ रुपए से घटाकर 229 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

59. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 61.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 64.75 करोड़ रुपए है।

चीता परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर)

60. 'चीता परियोजना' एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। अनावर्ती मदों के लिए राज्यों को 100% वित्तीय सहायता प्राप्त होती है तथा अनुमोदित अनावर्ती मदों के लिए 50%। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड के एक विशेष टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर इस स्कीम को 1973 में प्रारंभ

किया गया। वर्तमान में 14 राज्यों में फैले तथा लगभग 3.77 मिलियन हेक्टर क्षेत्र को कवर करते हुए 27 चीता रिजर्व हैं।

61. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 23.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 19.00 करोड़ रुपए है।

हाथी परियोजना

62. 'परियोजना हाथी' एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए है जहाँ जंगली हाथियों की अनियंत्रित संख्या है। यह सहायता उनके प्राकृतिक आवास में पहचाने गए जीवन क्षम जनसंख्या की दीर्घकालीन उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए है।

63. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 11.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 9.00 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय उद्यानों तथा जन्तु विहारों का विकास

64. राष्ट्रीय उद्यानों तथा शरणस्थलों के बेहतर प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। देश में 88 राष्ट्रीय उद्यान तथा 490 वन्यजीवन शरणस्थल हैं जो 15.3 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल को कवर करते हैं। अनावर्ती मदों के लिए 100% तथा आवर्ती मदों के लिए 50% सहायता प्रदान की जाती है।

65. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 23.25 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 21.70 करोड़ रुपए है।

भारतीय वन्य जीवन संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून

66. डब्ल्यू.आई.आई. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक स्वशासी संस्थान है जो वन्य जीवन संरक्षण के पारिस्थितिकीय, जीव विज्ञानी, सामाजिक-आर्थिक तथा प्रबंधकीय पहलुओं पर अनुसन्धान संचालित करता है। अनुसंधान परियोजनाएं मूल्यवान वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करती है तथा भारतीय भूमि स्थितियों के लिए संगत अध्ययन तकनीकों का विकास करने में सहायता प्रदान करती है तथा प्रशिक्षित क्षेत्र विज्ञानियों, सामाजिक अर्थशास्त्रियों और वन्य जीवन प्रबंधकों के समूह की रचना भी करती है। यह संस्थान सरकारी तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा वन्य जीवन के संरक्षण तथा प्रबंधन के मामलों पर सुझाव देता है।

67. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 4.50 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 5.00 करोड़ रुपए है।

भारतीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

68. देश में मिलियन हेक्टर विकृत वन है। एन.ए.ई.बी. को वनरोपण, वृक्षारोपण, विकृत वनों तथा वन क्षेत्रों के आसपास की भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, शरणस्थलों तथा अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार तथा प्रतिध्वनि विकास के प्रोत्साहन के लिए अधिकृत किया गया है। एन.ए.ई.बी. वन लगाने तथा प्रबंधन रणनीतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विशिष्ट स्कीमों का विकास किया है।

69. एन.ए.ई.बी. ने समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना नामक एक छत्र स्कीम प्रारम्भ की है जिसे वन विकास एजेन्सी नामक विकेंद्रित संस्थापन के माध्यम से लागू किया जाना है। पहले चरण में यह स्कीम कुछ राज्यों में वर्ष 2000-2001 से 2001-2002 तक एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को लागू किए जाने के अनुभव के आधार पर यह विचार किया जाता है कि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की सभी वनरोपण स्कीमों में नवीन छत्र स्कीम के माध्यम से चलाई जाएंगी तथा राज्यों को निधियाँ सीधे ही एफ.डी.ए. के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

70. वार्षिक योजना (2000-01) के लिए बजट अनुमान 146.00 करोड़ रुपए था। वार्षिक योजना (2001-02) के लिए परिव्यय 136.65 करोड़ रुपए है।

संलग्नक : 9.1.1

मंत्रालय का क्षेत्रवार परिव्यय और व्यय

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्रक	नौवीं योजना परिव्यय	1999-2000		2000-01 परिव्यय	2001-02 परिव्यय
		परिव्यय	व्यय		
1	2	3	4	5	6
पर्यावरण	887.00	191.50	119.17	230.90	212.82
एनआरडीसी	766.84	200.00	160.20	210.05	190.95
वन और वन्य जीव	860.00	215.00	178.63	257.05	259.58
एनएईबी	500.00	93.50	88.89	152.00	136.65
योग	3013.84	700.00	546.89	850.00	800.00

संलग्नक 9.1.2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परिव्यय और व्यय का योजनावार ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्रक	नौवीं योजना का परिव्यय	1999-2000		2000-01 परिव्यय	2001-02 परिव्यय
		परिव्यय	व्यय		
1	2	3	4	5	6
प्रदूषण का निवारण	150.80	23.45	22.00	32.90	30.90
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	37.00	10.50	5.88	9.60	11.10
संरक्षण और सर्वेक्षण	161.00	27.60	26.75	39.50	34.29
अनुसंधान एवं पारिस्थितिक उत्पादन	87.00	16.95	17.17	19.50	19.10
पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण	78.20	11.65	10.79	13.15	19.55
नीति और कानून	235.00	57.55	15.20	55.10	40.55
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	131.00	39.25	19.80	44.70	39.13
सिविल अभियांत्रिकी	7.00	1.50	1.58	1.70	-
नयी योजनाएं	-	3.05	-	14.75	18.20
कुल (पर्यावरण)	887.00	191.50	119.17	230.90	212.82
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)	766.84	200.00	160.20	210.05	190.95
महायोग	1653.84	391.50	279.37	440.95	403.77

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परिव्यय और व्यय का योजनावार ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्रक	नौवीं योजना का परिव्यय	1999-2000		2000-01 परिव्यय	2001-02 परिव्यय
		परिव्यय	व्यय		
1	2	3	4	5	6
वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण	312.50	78.95	66.40	71.25	57.08
भारतीय वन सर्वेक्षण	15.00	4.00	2.40	4.00	5.00
वन नीति	15.50	2.20	2.12	7.70	7.35
वन संरक्षण	40.50	3.10	2.77	21.05	17.25
वन प्रभाग का सुदृढीकरण	20.00	5.00	4.86	6.00	6.00
वानिकी आधारित संरचना	-	-	-	-	25.75
वन्य जीवन	456.50	121.75	100.08	147.05	141.15
कुल (वानिकी और वन्य जीवन)	860.00	215.00	178.63	257.05	259.58
राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिक विकास मंडल (एनएईबी)	500.00	93.50	88.89	152.00	136.65
महायोग	1360.00	308.50	267.52	409.05	396.23

9.2 पर्यटन

पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण भाग है, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा आय, अतिरिक्त आय सृजन और रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से, खास तौर पर दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में इसके अंशदान के संदर्भ में। वर्ष 2000 के दौरान पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आयों का आकलन लगभग 14,408 करोड़ रुपए था, इसके साथ लगभग 15 मिलियन का आकलित प्रत्यक्ष रोजगार, जो देश के कुल पारिश्रमिक बल का लगभग 2.4% है। देश में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन यातायात वर्ष 1998-99 में 2.4 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2000 के अंत तक 2.64 मिलियन आकलित किया गया है। विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अनुसार विश्व पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा केवल 0.38% है जो विश्व पर्यटक प्राप्तियों का 0.62% है। इससे पता चलता है कि हमारी पर्यटक संभाव्यता का बड़ा भाग अभी काम में लाया जाना शेष है।

2. वर्ष 2000-01 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक में पर्यटन के लिए 195.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के विरुद्ध, संशोधित अनुमान 136.25 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय क्षेत्रक में पर्यटन के अंतर्गत व्यय का बड़ा भाग पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के लिए है। भारतीय पर्यटन विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.टी.डी.सी.) की योजनाओं के अतिरिक्त मंत्रालय की संपूर्ण योजना लागत बजट के संसाधनों से वित्तपोषित की जाती है। आई.टी.डी.सी. अपनी योजना को आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों से वित्त प्रदान करता है।

3. योजना में पर्यटन विकास का मार्ग सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों पर है और प्रमुख जोर पर्यटन के चुने हुए क्षेत्रों पर है। सरकार का फोकस मूलभूत ढाँचे के विकास और पर्यटकों के लिए आवास व अन्य सुविधाओं के प्रावधान में एक मददगार भूमि निभाने पर है।

4. वर्ष 2001-02 के दौरान पर्यटन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय 179.50 करोड़ रुपए है। पर्यटक सूचना और प्रचार, देश के बाहर और अंदर, दोनों स्थानों पर करने के लिए मंत्रालय की योजना परिव्यय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त करता आया है, जिसके लिए वार्षिक योजना 2001-2002 में परिव्यय 58.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उपरोक्त प्रावधान में से 51.00 करोड़ रुपए का परिव्यय वर्ष के दौरान विदेशों में प्रचार के लिए रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय छः विशिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख विपणन कार्य निष्पादित करता है, जो छः क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र सीमांकन के साथ विदेशों में स्थित हैं। तथापि योजना आयोग द्वारा इन कार्यालयों को और अधिक लागत प्रभावी बनाने की माँग को स्वीकार करते हुए विभाग वर्षान्त तक इन कार्यालयों का पुनर्गठन करने पर सहमत हो गया है।

5. एक अन्य प्रमुख योजना है पर्यटक ढाँचा, जिसके लिए 39.85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में पर्यटन ढाँचा विकास हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशिष्ट योजनाएं, जिनके लिए सहायता दी गई है वे हैं - पर्यटक केन्द्रों/क्षेत्रों का विकास, जिसमें ग्रामीण और परंपरागत पर्यटन, इक्विटी योजनाएं, स्मारकों/विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार, एस.ई.एल. प्रदर्शन, रास्तों में जन सुविधाएं आदि। चूँकि

अधिकांश ढाँचागत संघटक और आपूर्ति प्रणालियाँ राज्य सरकार या निजी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए पर्यटन के लिए ढाँचा मुख्यतः राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और निजी क्षेत्र में उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करने के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनकी रचना और सुधार हेतु केन्द्र सरकार के निवेश लागत बाँटने के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

6. मानव संसाधन विकास की योजनाओं हेतु वार्षिक योजना में 10.35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। योजना में आने वाली वर्तमान सुविधाओं में होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी के 21 संस्थान और 14 फूड क्राफ्ट संस्थान, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय परिषद, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्धन संस्थान एवं अधिकारियों व गाइडों का प्रशिक्षण 2 शामिल है। होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एच.एम.) और फूड क्राफ्ट संस्थान (एफ.सी.आई.) के लिए 8.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आई.एच.एम. को केन्द्र सरकार उनके सकल राजस्व व्यय और उपकरण आदि खरीदने के लिए तथा भवन निर्माण के लिए अनुदान जारी कर निधियां प्रदान करती है। एफ.सी.आई. के मामले में केन्द्र सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व संस्थानों के पाँच सालों तक चलने बाद राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। मंत्रालय द्वारा आई.एच.एम. और एफ.सी.आई. को वित्तीय रूप से स्वतः समर्थ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

7. एक प्रमुख विकास विकल्प के रूप में इसका महत्व समझते हुए होटलों और पर्यटन संबंधित उद्योगों को राष्ट्रीय विकास नीति में उच्च प्राथमिकता दी जानी है। पर्यटन विकास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए 9.00 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और प्रोत्साहनों को बढ़ाने और 5.00 करोड़ रुपए के प्रतीकात्मक प्रावधान सहित राष्ट्रीय पर्यटन विकास कोष का गठन वर्ष 2001-02 के दौरान प्रस्तावित है।

8. वर्ष 2000-01 के लिए आई.टी.डी.सी. के लिए परिव्यय 60.00 करोड़ रुपए था। विनिवेशों की प्रक्रिया के प्रकाश में इसे वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना में घटाकर 29.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि चंडीगढ़ में एक होटल का निर्माण करने के लिए वार्षिक बजट में आई.टी.डी.सी. के लिए 2.00 करोड़ रुपए का बजट समर्थन अलग से प्रस्तावित है।

योजना परिव्यय - पर्यटन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजना	बजट अनुमान 2000-01	बजट अनुमान 2001-02
1	2	3	4
1.	पर्यटक आधार संरचना	29.10	39.85
	पर्यटक केन्द्रों/ग्राम एवं विरासत पर्यटन सहित क्षेत्रों का विकास	17.00	9.00
	स्मारकों/ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण	2.00	3.00
	इक्विटी योजना	0.25	2.00
	बजट व्यवस्था	2.50	11.24
	रास्ते की सुविधाएं	4.00	6.50
	तीर्थ स्थलों का विकास	0.10	0.25
	बौद्ध केन्द्रों/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.25	2.76
	एस.ई.एल. प्रदर्शन (फ्लड लाइट)	0.50	2.00
	साहस एवं खेल पर्यटन	1.50	3.00
	पर्यटन भवन	1.00	0.10
2.	मानव संसाधन विकास	16.65	10.35
	होटल प्रबंधन एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान	9.00	8.00
	फूड क्राफ्ट संस्थान	0.10	0.10
	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान	2.00	2.00
	पर्यटन शिक्षा ग्रिड	5.00	0.10
	राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान	0.50	0.10
	गाइडों, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.05	0.05
3.	पर्यटन, सूचना एवं प्रचार	56.75	58.00
	विदेशों में प्रचार अभियान	49.75	51.00
	साहित्य और प्रचार सामग्री का प्रकाशन	3.00	3.00
	आतिथ्य कार्यक्रम	1.00	1.00
	मेलों व उत्सवों सहित देश में अभियान	3.00	3.00
4.	अन्य	19.00	25.00
	कंप्यूटीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी	5.00	5.00
	20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य सहित बाजार शोध	7.00	5.00
	आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन	5.00	9.00
	राष्ट्रीय पर्यटन विकास कोष	1.00	5.00
	विपणन विकास सहायता	1.00	1.00
5.	उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान	13.50	14.80
	कुल	135.00	148.00
6.	आई.टी.डी.सी. हेतु बजट सहायता (चंडीगढ़ में होटल निर्माण के लिए)	-	2.00
	कुलयोग	135.00	150.00
	भारतीय पर्यटन विकास कार्पोरेशन लि.	60.00	29.50

अध्याय 10

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

विशिष्ट भू-भौतिक संरचना और उससे जुड़े सामाजिक, आर्थिक विकास से उठने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को पेश आने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का प्रतिपादन किया गया है।

10.1 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.)

2. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से चल रहा है और यह विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकीय दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र के टिकाऊ सामाजिक, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।

3. विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति द्वारा अभिनिर्धारित किए गए थे। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- असम - उत्तरी कछार और कर्बी एंगलोग के दो पर्वतीय जिले
- उत्तर प्रदेश के 12 जिले - देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग।
- पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले का बड़ा भाग
- तमिलनाडु का नीलगिरी जिला

4. पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) सामान्य राज्य योजना निधियों के अतिरिक्त है और राज्य सरकारों के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को त्वरित करने के प्रयासों की पूर्ति करती है।

यह विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य की सामान्य योजना गतिविधियों के लिए उपयोग करने हेतु नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और राज्य योजना स्कीमों के साथ समेकित किया जाना चाहिए। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरु की गई योजनाओं को इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कल्पित और अभिहित किया जाना चाहिए और इन्हें केवल पारंपरिक राज्य योजना स्कीमों में बनकर नहीं रह जाना चाहिए।

5. पर्वतीय क्षेत्र विकास हेतु उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता अब पर्वतीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत अभिहित पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अभिहित तालुकों के बीच 84:16 के अनुपात में बाँट दी गई है। विशेष केन्द्रीय सहायता क्षेत्र और आबादी के आधार पर दोनों मापदण्डों को समान वरीयता देते हुए अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों के बीच बाँटी जाती है।

6. राज्य सरकारों को राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त निधियों के प्रवाह का संकेत देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एक पृथक उपयोजना बनाने की आवश्यकता होती है।

वार्षिक योजना 1999-2000 और 2000-2001 की समीक्षा

7. वर्ष 1999-2000 के दौरान 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और इसे उन राज्यों को संपूर्ण रूप से जारी किया गया जिन्होंने विशेष सहायता के पूर्ण उपयोग की सूचना दी थी।

8. वर्ष 2000-01 के दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता 400 करोड़ रुपए थी। जो पूर्ण रूप से निर्मुक्त की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमें लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गईं। एक समीक्षा प्रदर्शित करती है कि व्यय का एक बड़ा भाग वेतनों पर था, विशेषकर असम के पर्वतीय जिलों में। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा केवल स्थानांतरित विभागों की योजनाओं वाली एक काट-छांट कर बनाई गई उपयोजना बनाई जा रही है। उनसे दार्जिलिंग जिले के अभिहित पर्वतीय क्षेत्रों में सभी योजनाओं वाली एक संपूर्ण उपयोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य योजना परिव्यय का अंशदान भी घटता जा रहा है और राज्य सरकार से उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से पर्यावरण से संबंधित और अधिक योजनाओं को तथा ऐसी योजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया जा रहा है जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

9. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का कुल आवंटन 160 करोड़ रुपए है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों में अभिहित पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 95.54 करोड़ रुपए और पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभिहित पर्वतीय क्षेत्रों (तालुकों) के लिए 64.46 करोड़ रुपए शामिल हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों में अभिहित पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वर्ष 2000-01 और 2001-02 हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन का ब्योरा तालिका 10.1.1 में दिया गया है।

तालिका 10.1.1

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम : 2000-2001 और 2001-2002 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटन

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में अभिहित पर्वतीय क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
असम	50.90	51.11
स्रमिलनाडु	22.01	22.10
उत्तर प्रदेश*	240.86	-
पश्चिम बंगाल	22.23	22.33
योग	336.00	95.54

* नया उत्तरांचल राज्य बनने पर वे सभी 12 जिले जहां पर्वतीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था अब नवरचित उत्तरांचल राज्य में हैं। अतः वर्ष 2001-2002 के लिए इस राज्य हेतु पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया गया है।

10. वार्षिक योजना 2001-2002 के दौरान असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की दक्षता का एक तुलनात्मक मूल्यांकन अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। इस उद्देश्य के लिए एक संस्था को अभिनिर्धारित कर अध्ययन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।

10.2 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

11. पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लम्बी है, जो महाराष्ट्र के धुले जिले में ताप्ती नदी के सिरे से शुरू होकर महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे के समानांतर है और कन्याकुमारी में समाप्त होती है, जो महाद्वीप भारत के सुदूर उत्तर किनारे तमिलनाडु में है। इस क्षेत्र में 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और 442 लाख (1991 की जनगणना के अनुसार) की आबादी यहां निवास करती है।

12. पश्चिमी घाट क्षेत्र की मुख्य समस्याएँ हैं : भू-वनस्पति पर जनसंख्या का दबाव तथा अवांछनीय कृषि पद्धतियाँ आदि। ये इस क्षेत्र की पारिस्थितिक व पर्यावरण की समस्याओं को बढ़ाने के कारक हैं। नदी, घाटी परियोजनाओं में बड़े जमीनी हिस्से के जलमग्न होने के कारण, खुदाई के कारण क्षेत्र को हुई क्षति, वनों की कटाई, व्यावसायिक बागानों के लिए प्राकृतिक वनों की कटाई, - अपरदन के कारण जलाशयों में मिट्टी जमा होने तथा इसके कारण उनका जीवनकाल कम होना और बाढ़ तथा भूस्खलन के प्रतिकूल प्रभाव, जंगल की भूमि का अतिक्रमण तथा वन्य प्राणियों का चोरी से शिकार करना आदि कारणों से पर्वतों का नाजुक पारिस्थितिक-तंत्र गंभीर दबाव में आ गया है।

13. देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में 1974-75 में अलग से एक पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (पघाविका) (डब्ल्यू.जी.डी.पी.) की शुरुआत की गई थी, 1981 में योजना आयोग में तत्कालीन पर्वतीय क्षेत्रों के प्रभारी सदस्य डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति द्वारा 1981 में पश्चिमी घाट क्षेत्र की रूपरेखा को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना तय किया गया था। "पघाविका" के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों की रूपरेखा बनाने के लिए उत्सेघ (एलिवेशन) (समुद्रतल से 600 मीटर ऊँचाई) का आधार और तालुका (प्रादेशिक प्रशासनिक इकाई) से संबंध को अपनाया गया। कार्यक्रम का क्रियान्वयन पश्चिमी घाट के 159 तालुका में हो रहा है जिसमें पांच राज्य, महाराष्ट्र (62 तालुका), कर्नाटक (40 तालुका), केरल (29 तालुका), तमिलनाडु (25 तालुका), और गोवा (3 तालुका) शामिल हैं।

14. छठी पंचवर्षीय योजना से पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पक्षेविका) (एच.ए.डी.पी.) के लिए विधीयन विशेष केन्द्रीय सहायता (विकेस) (एस.सी.ए.) "पघाविका" और "पक्षेविका" में क्रमशः 13.39 प्रतिशत और 86.61 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जा रही है। वर्तमान में इसको 16 प्रतिशत और 86 प्रतिशत के अनुपात में वितरित किया जा रहा है। राज्यों को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता को 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है। "पघाविका" के अंतर्गत राज्यों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की वित्तपोषण पद्धति पर 75 प्रतिशत क्षेत्र के महत्व को तथा 25 प्रतिशत जनसंख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दिया जाता है (गोवा को छोड़कर क्योंकि वहां के लिए इस मानदण्ड को अपनाते हुए क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सबसे कम आया था अतः गोवा को कुल विशेष केन्द्रीय सहायता का 5 प्रतिशत तदर्थ पर आबंटित की गई)।

कार्यक्रम का दृष्टिकोण और उद्देश्य

15. सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु "पघाविका" के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाये गये थे:

- जीवनदायी प्रणाली के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- विरासत में प्राप्त जैविक विविधता की रक्षा करना।
- मानव की पारस्परिक क्रियाओं से हुई परिस्थिकीय क्षति की प्रतिपूर्ति करना।
- लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें पारिस्थितिकी असंतुलन के दूरगामी परिणामों से अवगत कराना तथा पारिस्थितिकी विकास योजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना।

16. "पघाविका" अन्तर्गत सामान्य विचार आठवीं योजना अवधि में तथा नौवीं योजना के दौरान भी संहत पनढाल के एकीकृत विकास का रहा है। यह पारिस्थितिकी विकास और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के साथ-साथ लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे भोजन, चारा, ईंधन तथा स्वच्छ पेयजल को ध्यान में रखकर किया गया। "पघाविका" के मार्गदर्शक सिद्धांत कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी पर भी बल दिया जाता है। इसके लिए आवश्यकता है - श्रव्य एवं दृश्य साधनों के माध्यम से प्रचार और शिक्षा का विस्तार, जन संपर्क कार्यक्रम तथा नमूना/प्रतिमान स्थल का दौरा आदि। इन सभी के लिए आवश्यकता होती है अत्यधिक प्रशिक्षित तथा टीम भावना वाले अभिप्रेरित कुशल कर्मचारियों की।

17. यह निर्णय लिया गया कि धीरे-धीरे "पघाविका" कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के लिए परियोजना आधार पर एकीकृत वाटरशेड दृष्टिकोण की ओर बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण में बृहत तथा लघु पनढालों की रूपरेखा तैयार करने तथा पहचान करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया है कि उनकी प्राथमिकताओं पर प्रत्येक वृहत/लघु पनढालों के आरंभ बिंदुओं के सर्वेक्षण तथा इससे जुड़ी सभी संगत गतिविधियों, जैसे मृदा संरक्षण, कृषि, बागवानी, वनीकरण, ईंधन और चारा विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन तथा रेशम उद्योग को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत विकास योजना तैयार की जाए।

18. "पघाविका" के अन्तर्गत राज्यों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता में से उन्हें अधिकतम 15 प्रतिशत की स्वीकृति उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विगत में निर्मित परिसंपत्ति के रख-रखाव हेतु की गयी है।

19. इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए एक कार्यकारिणी दल का गठन किया गया है जिससे यह अधिक प्रभावी बन सके।

20. तालिका संख्या 10.2.1 में 1999-2000 के लिए अनुमोदित/संशोधित परिव्यय और वास्तविक खर्च दर्शाया गया है, तथा 2000-2001 के लिए अनुमोदित/संशोधित परिव्यय तथा प्रत्याशित खर्च और वर्ष 2000-2002 के लिए अनुमोदित परिव्यय का विवरण दिया गया है।

तालिका 10.2.1

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम : आबंटन/खर्च

करोड़ रुपए

राज्य का नाम	1999-2000			200-2001			2001-2002
	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	प्रत्याक्षित व्यय	अनुमोदित परिव्यय
महाराष्ट्र	20.97	20.97	20.83	20.97	21.08	21.08	21.06
कर्नाटक	15.51	16.84	15.47	15.51	16.89	16.69	15.57
केरल	13.08	13.51	13.37	13.08	13.23	13.23	13.13
तमिलनाडु	10.94	11.60	11.60	10.94	10.94	10.94	10.99
गोवा	3.20	3.30	3.19	3.20	3.30	3.30	3.21
सर्वेक्षण और अध्ययन पघा	0.30	0.30	0.17	0.30	0.30	0.16	0.50
योग	64.00	66.52	64.43	64.00	65.54	65.24	64.46

10.3 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)

21. पाकिस्तान के साथ सीमा वाले राज्यों, नामतः जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमा क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए 1986-87 में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम पुनर्गठित किया गया तथा इसका दायरा बांग्ला देश के साथ पूर्वी सीमा वाले राज्यों तक बढ़ाया गया। नौवीं योजना अवधि में राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय की मांग के प्रत्युत्तर में, कार्यक्रम का विस्तार पूरी जमीनी सीमा तक किया गया। अतः 1997-98 में "सीवेक्षिका" में म्यामार के साथ लगने वाले राज्यों को शामिल किया गया । 1998-99 में चीन के साथ सीमा वाले राज्यों को शामिल किया गया तथा 1999-2000 से इसे नेपाल व भूटान की सीमा से लगने वाले राज्यों के लिए बढ़ाया गया। बी.ए.डी.पी. का मुख्य उद्देश्य है: सीमा के पास स्थित दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

22. यह शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित कार्यक्रम है और अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायक "विकेस" दी जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनायें राज्य में संबंधित विभागों द्वारा तैयार की जाती है और राज्य स्तरीय जाँच समिति द्वारा नोडल विभाग में अनुमोदन हेतु उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्र स्तर पर इस कार्य के लिए प्राधिकृत समिति कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों, राज्यों में क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण और राज्यों को निधियों के आबंटन आदि पर विचार करती है।

23. राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित योजनायें, सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें व पुल, जल-आपूर्ति आदि क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। सामाजिक और भौतिक अभिसंरचना के सुधार और मजबूती पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को विशेष मुद्दा माना गया है। कुछ राज्य सरकारों ने खेल मैदानों, सामुदायिक केन्द्रों आदि का निर्माण कार्य आरंभ किया है जिससे कि लोग, विशेषकर युवा वर्ग अपने खाली समय का उपयोग ठोस तथा रचनात्मक गतिविधियों के लिए कर सकें।

24. 1994-95 से सीक्षेविका (बी.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत योजनाओं की भौतिक व वित्तीय गतिविधियों की निगरानी की एक पद्धति शुरू की गई है और राज्य सरकारें योजना आयोग को योजनावार वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

1999-2000 और 2000-2001 की वार्षिक योजना की समीक्षा

25. वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यक्रम के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई और यह राशि राज्यों को जारी की गई थी। 2001-2002 के व्यय में कोई बढोत्तरी नहीं है। 210 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि राज्य सरकारों को जारी गई थी। तथापि केवल उन राज्यों की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई अथवा खण्डों में जारी की गई जिन्होंने संतोषपूर्ण ढंग से प्रदर्शन नहीं किया। खर्च न हुए बकाया को बेहतर प्रदर्शन करने वालों का उपलब्ध करवाया गया।

वार्षिक योजना 2001-2002

26. 2001-2002 के लिए कार्यक्रम हेतु 240 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। बी.ए.डी.पी. (सीक्षेविका) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता, लाभग्राही राज्यों को निम्नलिखित तीन प्रतिमानों 8के आधार पर वितरित की जाती है : सीमा से लगने वाले ब्लाकों का क्षेत्रफल और जनसंख्या तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तथापि, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल की सीमा के साथ वाले राज्यों को अस्थाई राशि आबंटित की गई है क्योंकि इन राज्यों से 1999-2000 के दायरे के संबंध में सूचना प्रतीक्षित थी। तदनुसार कार्यक्रम के लिए आबंटन में मामूली सी वृद्धि की गई है। अतः आनुपातिक वृद्धि इस सूत्र का प्रयोग करने से कुछ राज्यों की वर्तमान स्तर पर विशेष केन्द्रीय सहायता कम हो जाएगी।

27. 1999-2000, 2000-2001 के लिए लाभग्राही राज्यों के आबंटन/निर्मुक्ति तथा 2001-2002 के लिए आबंटन तालिका 10.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3.1
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आबंटन और निर्मुक्ति
(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन
असम	7.20	7.20	7.48	3.74	7.48
गुजरात	9.87	9.87	10.26	10.26	10.26
जम्मू और कश्मीर	33.52	33.52	34.85	39.65	34.85
मेघालय	4.52	4.52	4.70	4.70	4.70
मिजोरम	8.00	9.00	8.32	12.32	8.32
पंजाब	9.70	9.70	10.08	14.08	10.08
राजस्थान	29.17	29.17	30.32	30.32	30.32
आई.जी.एन.पी.	8.00	8.00	-	-	-
त्रिपुरा	12.47	12.47	12.96	12.96	12.96
पश्चिम बंगाल	38.05	38.05	39.56	37.99	39.56
अरुणाचल प्रदेश	13.00	13.00	13.51	6.75	13.52
नागालैंड	4.00	4.00	4.16	4.16	4.16
मणिपुर	4.00	4.00	4.16	4.16	4.16
हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.16	8.16	4.16
सिक्किम	5.50	5.50	5.72	4.63	5.73
उत्तर प्रदेश	12.00	12.00	8.32	8.32	8.32
बिहार	7.00	7.00	7.28	3.64	7.28
उत्तरांचल	-	-	4.16	4.16	4.16
योग	210.00	210.00	103.99	210.00	210.00

नोट: 2000-01 की वार्षिक योजना से इंदिरा गाँधी नहर परियोजना वित्तपोषण को हटा दिया गया है। 2001-2002 के लिए कुल आबंटन 240 करोड़ रुपए है।

10.4 उत्तर-पूर्वी परिषद

28. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के समन्वित और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 1972 में संसदीय अधिनियम के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी परिषद (उपूप) का गठन किया गया। उपूप का सचिवालय शिलांग में स्थित है। परिषद का कार्य है: एक सलाहकार समिति के रूप में संघ तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के संयुक्त हित वाले मुद्दों पर चर्चा करना है। परिषद ने एक एकीकृत और समन्वित 22क्षेत्रीय (राज्य योजना के अतिरिक्त) तैयार की और क्षेत्रीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

29. उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा अनुशंसित और वित्तपोषित परियोजनायें राज्य अभिकरणों अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। उत्तर-पूर्वी परिषद योजना निधियों में केन्द्रीय सहायता, एल.आई.सी. में ऋण और एस.एल.आर. उधार शामिल है। अस्तित्व में आने के समय से उत्तर-पूर्वी परिषद अभिसंरचना विकास परियोजनाओं जैसे कि परिवहन और संचार क्षेत्र तथा ऊर्जा विकास को अधिक महत्व दे रही है। अंतर-राज्यीय महत्त्व वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। नौवीं योजना में उत्तर-पूर्वी परिषद (i) उत्पादक संरचना के विकास, (ii) प्राथमिकता के आधार पर चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने, (iii) तकनीकी और व्यवसायिक संस्थानों को मजबूत करके जनशक्ति का विकास करने, और (iv) प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित नई पहल के अंतर्गत समय पर परियोजनाओं को पूरा करने आदि पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है।

30. परिषद को और प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि इसकी भूमिका को पुनः निर्धारित किया जाए तथा इसे पुनर्गठित किया जाए। उत्तर-पूर्वी परिषद के पुनर्गठन की ओर ध्यान दिया जा रहा है और उत्तर-पूर्वी अधिनियम के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया के अन्तर्गत है। नौवीं योजना में उत्तर-पूर्वी के लिए परिव्यय 2450 करोड़ रुपए है। 1998-99 में 471 करोड़ रुपए के व्यय के मुकाबले में वास्तविक व्यय 368.55 करोड़ रुपए था। 1999-2000 के लिए संशोधित बजट अनुमान 425 करोड़ रुपए है। 2000-2001 के लिए बजट अनुमान 450 करोड़ रुपए नियत किया गया था जिसे संशोधित करके 415 करोड़ रुपए कर दिया गया था। 2001-2002 के लिए बजट अनुमान 450 करोड़ रुपए तय किया गया है।

अध्याय 11

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (मौसम विज्ञान सहित)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अब भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। इसमें प्रमुख बल एक सशक्त विज्ञान आधार बनाने, तकनीकी दक्षता का विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रित कार्यक्रमों के कार्यावन्धन पर दिया गया है। वार्षिक योजना (2001-02) के दौरान विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों/अभिकरणों की प्रमुख उपलब्धियां तथा वार्षिक योजना (2000-02) के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

अंतरिक्ष विभाग

वर्ष 2000-01 में प्रमुख उपलब्धियां-

2. क्रायो अवस्था को सम्मिलित करते हुए जटिल विकासों सहित जीएसएलवी ने सभी विकास और उड़ान संबंधी हार्डवेयर रिएलाइज़ेशन अवस्था सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अंकीय श्रव्य तथा आंकड़ा प्रसारण सेवाओं के लिए जी सैट-1 उपग्रह प्रमोचित किए जाने की अंतिम तैयारियों में है। क्रायो उच्च चरण (सीयूएसपी) द्वितीय प्रमोचन स्थल और पीएसएलवी परियोजनाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इनसैट-3 श्रृंखला का प्रथम इनसैट-3 बी उपग्रह सफलतापूर्वक मार्च 22, 2000 को प्रमोचित किया गया और यह स्थिर उपग्रह सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस उपग्रह के महत्वपूर्ण विकास संबंधी अनुप्रयोग ग्रामीण समाज के विकास हेतु समर्पित "विद्या वाहिनी" योजना के अंतर्गत उड़ीसा में विकास संबंधी संचार के लिए रहे हैं। उपग्रह में ट्रान्सपॉन्डर को भी आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संचार तंत्र के गठन के लिए उपयोग किया गया है। इनसैट-3 सी ने पर्याप्त प्रगति की है। अर्जक भार (पे लोड) निर्माण तथा परीक्षण पूरा हो गया है। अंतरिक्ष यान की असेम्बली, समेकन तथा परीक्षण उन्नत अवस्था में है। विकास संबंधी अनुप्रयोगों के लिए ग्रामसेट उपग्रह पर आधारित संचार तंत्र की पहल इनसैट-3 बी के प्रमोचन के साथ की गई तथा कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार किया गया है।

3. दूर-स्वास्थ्य सेवाओं पर एक प्रायोगिक परियोजना आन्ध्र प्रदेश के "अरागोण्डा" नामक छोटे कस्बे में शुरू की गई है और इसे विशेषज्ञ चिकित्सा हेतु सरल और दूरस्थ संदर्भ सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए चैन्नई स्थित एक निजी अस्पताल से जोड़ा गया है। प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह (टीईएस) में पे लोड निर्माण तथा अंतरिक्ष यान में पर्याप्त प्रगति की गई। मई 1999 में प्रमोचित ओशन सैट (आईआरएस-पी4) से प्राप्त आंकड़ों को संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र की पूर्व सूचना तथा सामुद्रिक अध्ययनों के लिए बृहत रूप से उपयोग किया गया है। विभिन्न उपयोगकर्ता पैरामीटरों के साथ सुनियोजित और भली भांति संयोजित प्रयासों द्वारा आईआरएस उपग्रहों से आंकड़ें राष्ट्रीय पेयजल अभियान और भूमि स्लखन सहित राष्ट्रीय महत्व की अनेक अनुप्रयोग परियोजनाओं में उपयोग किया गया है।

वर्ष 2001-02 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

4. वर्ष 2001-02 की मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं: इनसेट-3 सी का प्रक्षेपण और उसे चालू करना, एक संचार उपग्रह और इनसेट-3ए, एक बहुउद्देशीय संचार और मौसम विज्ञान उपग्रह, प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.) का प्रक्षेपण, विकसित उच्च भेदन इमेजिंग प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन हेतु और पी.एस.एल.वी.-सी 3 की टी.ई.एस. उपग्रह तथा अन्य दो सहयोगी विदेशी उपग्रहों, नामतः बेल्जियम के प्रोबा और जर्मनी की बर्ड के साथ तीसरी व्यवहार्य उड़ान, मेटसेट का प्रक्षेपण और उसे चालू करना, मौसम विज्ञानी उपग्रह और मेटसेट के प्रक्षेपण हेतु पी.एस.एल.वी.-सी 4 की चौथी प्रचालन उड़ान।

5. विभिन्न जारी परियोजनाओं की गतिविधियां, जैसे कि आई.आर.एस.-पी.एस. (कार्टोसेट-1), आई.आर.एस.-पी 6 (रिसोर्स सेट), आई.आर.एस.-2ए (कार्टोसेट-2), इनसेट-3 डी/3 ई, दूसरा प्रक्षेपण सेल, जी.एस.एल.वी.-डी 2/जी.एस.ए.टी.-3, सी.यू.एस.पी. तथा अनुप्रयोग कार्यक्रमों को उनके प्रक्षेपण लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। इनसेट-3 कार्यक्रम का मुख्य रुझान इनसेट-3ई उपग्रह के लिए संयम प्राप्त करने में सार्थक प्रगति प्राप्त करने में है और इनसेट-3डी के लिए विकसित मौसम-विज्ञान संबंधी पे लोड का विकास करना है। जी.एस.ए.टी.-3 उपग्रह का विकास भी पे लोड रचना-विन्यास को तय करने के पश्चात ही शुरू किया जाएगा। आई.आर.एस.कार्यक्रम के अंतर्गत पे लोड रचना-विन्यास के पूर्ण होने और अंतरिक्ष यान रचना विन्यास को आगे बढ़ाना, आई.आर.एस.-पी 6 (रिसोर्स सेट) का समन्वय और परीक्षण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। आई.आर.एस.-पी 5 (कार्टोसेट-1) का अधिकांश रचना-विन्यास कार्य पूरा किया जाएगा। प्रक्षेपण यान क्षेत्र में सी.एस.एल.वी.-डी 2/जी.एस.ए.टी.-2 की दूसरी विकासजन्य उड़ान की प्रगति एक महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। सी.यू.एस.पी. परियोजना के अन्तर्गत पूर्व स्तर तथा इंजन परीक्षण, अतिरिक्त इंजनों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। दूसरे प्रक्षेपण स्थल के लिए संरचनात्मक निर्माण और उप-प्रणालियों को निर्मित करना जैसे कि नाभिकीय स्तंभ, प्रक्षेपण आधार स्तंभ से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी।

6. अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विकासजन्य उद्देश्यों के लिए विभिन्न राज्यों में ग्रामसेट नेटवर्क स्थापित करने पर बल दिया जाएगा। झाबुआ विकास संचार परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम को अन्य जिलों/राज्यों में चरणबद्ध तरीके से प्रसारित करने के लिए एक उपयोग संस्थागत मूलभूत पद्धति तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण और विकास संचार चैनल नेटवर्क को अधिक अपर्लिगों के साथ तथा दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नई तकनीकों का विस्तार किया जाएगा। विभिन्न अनुप्रयोग उद्देश्यों, जैसे कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा सूचना प्रणाली (एन.आर.आई.एस.) का विस्तार, फसल उत्पादन और प्रति एकड़ अनुमान, जैव-विविधता चित्रण, भू-स्खलन जोनीकरण अध्ययन और सूखा/बाढ़ नियंत्रण को जारी रखा जाएगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसन्धान और विकास क्षेत्र)

2000-2001 में विशेष उपलब्धियां

7. मुख्य गतिविधियाँ/उपलब्धियां विकास से संबंधित रहीं जैसे कि पी.ए.डब्ल्यू.आर. किस्म के नाभिकीय शक्ति रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव की तकनीक, थोरियम के विशाल भंडार के उपयोग हेतु अगली पीढ़ी के नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय सामग्री का पुनः संसाधन, रिएक्टरों के लिए ईंधन, इस्तेमाल किए गए ईंधन उर्वर और विखण्डनीय पदार्थों का पुनः चक्रण तथा नाभिकीय व्यर्थ पदार्थों का प्रबंधन, सर्कस अनुसन्धान रिएक्टर को नया रूप देना, अप्सरा रिएक्टर को बहुउद्देशीय अनुसन्धान रिएक्टर में कोर परिवर्तित करने के लिए रूपरेखा बनाना और खरीद तथा विकसित भारी जल रिएक्टर (ए.एच.डब्ल्यू.आर.) का इंजीनियरी विकास, ए.एच.डब्ल्यू.आर. और 500 एम.डब्ल्यू.ई. पी.एच.डब्ल्यू.आर. के लिए एक दोषदर्शी सुविधा स्थापित करना, विकसित संक्षिप्त महत्वपूर्ण रिएक्टर प्रायोगिक सुविधा की इंजीनियरी और रूपरेखा तैयार करना, सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत (एस.आर.एस.) -इण्डस-1 का निर्माण, तारापुर में मिश्रित आक्साइड ईंधन का प्रयोग। ट्रॉम्बे में अपशिष्ट अचलीकरण परियोजना, ट्रॉम्बे के प्लूटोनियम संयंत्र से निकले उच्च और मध्यम स्तर के तरल अपशिष्ट पदार्थों के उपचार एवं अचलीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। थोरियम के विशाल भंडार के दोहन हेतु भावी नाभिकीय रिएक्टरों के विकास के कार्य के लिए पहल की गई है।

8. विकसित रिएक्टर प्रायोगिक सुविधा की रूपरेखा और इंजीनियरी पूर्ण हो चुकी है। "ध्रुव" और "सी.आई.आर.यू.एस." रिएक्टरों में स्पष्ट थोरिया और थोरियम में से यूरेनियम-233 अलग करने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं - काला चना और सोयाबीन की उच्च पैदावार और वायरस प्रतिरोधी किस्में, 3 एम.ई.वी. और 10 एम.ई.वी. इलैक्ट्रॉन त्वरक और खारगर में इलैक्ट्रॉन बीम केन्द्र की स्थापना, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) के लिए ईंधन, आलू और प्याज के लिए खाद्य प्रदीपक (पोटोन), कलपक्कम में जल से नमक अलग करने का संयंत्र, एंजिओप्लास्टी में उपयोग में लाने के लिए फास्फोरस-32 आवरण वाले तारों पर बहु-केन्द्र परीक्षण, एंजिओप्लास्टी के पश्चात् रेस्टेनोसिस रोकने के लिए एण्डो वासकुलर बीटा इररेडिएशन हेतु तरल भरे हुए गुब्बारे की पहुंच, भारी आयन त्वरक और आयम बीम कार्यक्रम। पी.एफ.बी.आर. के लिए स्टेनलेस स्टील के तत्वों पर क्रोमियम नाईट्रेट की गहरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया भी विकसित की गई है। तरल हिलियम संयंत्र स्थापित किया गया है। फोटोन विविधता संसूचक (पी.एम.डी.) के छेदों वाले कक्ष (चैम्बर) के निर्माण की तकनीक विकसित की गई है।

वर्ष 2001-2002 के लिए मुख्य कार्यक्रम

9. मुख्य अनुसन्धान और विकास गतिविधियों में शामिल हैं : ए.एच.डब्ल्यू.आर. के लिए इंजीनियरी विकास ; प्रस्तावित नए ईंधनों और इस्तेमाल के लिए ईंधनों की संरचनात्मक गुणधर्म व उद्भ्रमागतिकी को समझना, जैव ईंधन को कम करना, और दूषित होने से रोकने के नए तरीकों का

विकास ; विकसित पुनःसंसाधन तकनीक का विकास ; त्वरकों के उच्च तकनीकी क्षेत्र में अनुसन्धान व विकास ; लेजर और संबंधित तकनीक आदि । शुरु की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं : ईंधन निर्माण सुविधाओं में वृद्धि करना ; प्लूटोनियम आधारित ईंधनों की प्रक्रिया का और उनके लक्षणों का विकास, तारापुर में मोक्स (एम.ओ.एक्स.) ईंधन निर्माण सुविधा में वृद्धि के लिए, टेली-रोबो, दूर-परिचालक और तेज गति केरोटर का विकास, इण्डस-2 सायक्लोट्रान का निर्माण, सुपर कण्डक्टिंग सायक्लोट्रान, भारी आयन कार्यक्रम, रेडियोधर्मी आयन बीम सुविधा, गर्म जल स्रोतों (चश्मों) से दुर्लभ गैस (हीलियम) को खोजना, नासिक के पास भोजन स्पष्ट करने की सुविधा, आलू और प्याज के जीवन को बढ़ाने के लिए संभाव्यता को दर्शाना, अच्छी पैदावार वाली खाद्य फसलों का जैव-विकास और फसल-कटाई के पश्चात् अनाज को खराब होने से रोकने के लिए उनके जीवनकाल को बढ़ाना, कम मात्रा वाली कैंसर रेडियो चिकित्सा के नये तरीकों का विकास और रोग निदान हेतु मूल जीव-विज्ञान में आण्विक व समस्थानिक तकनीक का प्रयोग और वैयक्तिक तथा जन समूह की अंगुली की छाप लेना, विभिन्न प्रयोगकर्ताओं और रेडियो-औषधीय के विभिन्न प्रयोजनों हेतु आपूर्ति के लिए रेडियो-समस्थानिक को संसाधित करना ।

10. अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं : अपशिष्ट विलायक के लिए प्रयोगात्मक सुविधाओं का निर्माण करना, प्लाज्मा अनुसन्धान संस्थान में तापनाभिकीय संलयन (मेल) के लिए स्टडी-स्टेट टोकमक की रूपरेखा बनाना व निर्माण कार्य, 128 नोड अल्फा संसाधक का इस्तेमाल करते हुए 100 मीगा फ्लाप गहन निष्पादन वाली अनुपम प्रणाली का विकास, भूकंप संबंधी निगरानी और आंकड़ों का संसाधन ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

2000-01 में मुख्य उपलब्धियाँ

10. नये और उभरते हुए/चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अनुसन्धान व विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं को विज्ञान और इंजीनियरी अनुसन्धान परिषद (एस.ई.आर.सी.) का समर्थन प्राप्त हुआ। अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने हेतु कई पहलें की गईं, जैसे कि विज्ञान, इंजीनियरी और चिकित्सा विज्ञान के छात्रों के लिए स्नातक स्तर पर फेलोशिप की संख्या बढ़ा दी गई, स्कूली स्तर से ही युवा छात्रों को अनुसंधान एक व्यवसाय बनाने हेतु किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना को (के.वी.पी.वाई.) सहायता, शैक्षणिक और संबंधित संस्थानों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संरचना के सुधार हेतु निधियाँ (एफ.आई.एस.टी.) प्रदान करना। एस.ई.आर.सी. फास्ट ट्रेक योजना युवा वैज्ञानिकों के लिए है जो 35 वर्ष से कम आयु वाले तीव्र बुद्धि वाले युवा वैज्ञानिकों को सहायता उपलब्ध करवाता है ; राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम की शुरुआत ; बायकास्ट कार्यक्रम को मजबूत करना आदि। कई अनुसन्धान व विकास सुविधाओं की स्थापना की गई/मजबूती प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं : लेजर संकेन्द्रित सूक्ष्मदर्शी सुविधा ; जल कार्यक्षमता उपयोग (डब्ल्यू.ई.यू.) के लिए समस्थानिक विभेद करने की क्षमता अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सुगमता ; अत्वरिण कण भौतिकी में प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक अध्ययन ; कैंसर थैरेपी के लिए वासोएक्टिव आंशिक पाचक

(वी.आई.पी.) के विरोधी समरूप और प्रतिरूपी जैव क्रियाओं और संयोजन का निर्धारण, रूपरेखा बनाना, नये कैंसर रोधी यौगिक ; तर्कसंगत डिजाइन संयोजन और नये सूक्ष्मजीवी विरोधी मैक्रोलाईड, भू-कालानुक्रम/आईसोटोप भू-विज्ञान पर राष्ट्रीय सुविधा ; हिमालय क्षेत्र में भूकंप विज्ञान संबंधी अवलोकनों/निरीक्षणों का महत्व बढ़ाना। भूकंप के असर को कम करने संबंधी अनुसन्धान गतिविधियों को तेज करना, चुनी हुई भूकंप विज्ञानी वैधशालाओं को वी-एस.ए.टी. संचार संपर्क उपलब्ध करवाना। विज्ञान और प्रौद्योगिक उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों (ई.डी.पीज) ; प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमित विकास कार्यक्रमों ; कार्यक्षमता विकास कार्यक्रमों ; उद्यमिता विकास कोष्ठों ; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमियों के पार्को (एस.टी.ई.ओ.) पर बल दिया जा रहा है ।

11. मौसम विज्ञान के क्षेत्र में डापलर रडार लगाने से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में मौजूद तूफान जांच नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में 10 तेज हवा की गति का रिकार्ड रखने वाले स्टेशनों में यंत्र लगाने का काम पूरा हो चुका है । अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तनों के लिए वायुयानों के अपने आप उतरने के लिए 4 स्कोपोग्राफ स्थापित करने के लिए खरीद के आदेश दे दिए गए हैं । पुणे में वायु प्रदूषण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए बकाया साज-सामाज की खरीद के लिए कार्रवाई चल रही है।

2001-02 वर्ष के लिए मुख्य कार्यक्रम

12. एस.ई.आर.सी. प्रणाली के अंतर्गत अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, विशेषतः विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में पादप विज्ञान, मृदु संघनित तत्व भौतिकी, लेजर और अल्प-मात्रा प्रकाश विज्ञान, सीमित परत बनाना, स्फटिक (क्रिस्टल) इंजीनियरी, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए भूमि विज्ञान, भूभौतिकीय अन्वेषण, गणितीय विज्ञान, पूर्वी हिमालय में ग्लेसियर विज्ञान अध्ययन ; भूकंप विज्ञानी वेधशालाओं और प्रभावशाली कारकों को व्यवस्थित करने संबंधी भूकंप विज्ञान कार्यक्रम को सहयोग देना ; गहन भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में अनुवीक्षणीय नेटवर्क तथा सहायक भूभौतिक अध्ययनों को सुदृढ़ करना आदि । तपेदिक, कुष्ठ रोग, मलेरिया, ल्यूकोडरमा जैसे शारीरिक विकार, डायरिया जैसे आंत्रशोध विकार, डायबिटिज़, उच्च रक्तचाप, दिल के विकार तथा अनय प्रचलित संक्रामक बीमारिया, विशेषकर गंभीर श्वासतंत्र संक्रमण के क्षेत्र में दवाओं के विकास हेतु सहयोगी अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान करने के प्रयास जारी रहेंगे।

13. संयुक्त प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सहयोग के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों को आई.एस.-एस.टी.ए.सी. द्वारा अनुसन्धान और विकास के लिए एक मूलभूत पद्धति उपलब्ध करवाना जारी रहेगा। चालू परियोजनाओं की स्थिति का पुनरावलोकन किया जाएगा और एस.टी.ए.सी. के संबंध में भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। कृषि तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु विशिष्ट कार्यक्रम स्थानीय संसाधनों, सामग्री और कौशलों के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, उन्हें तकनीकी रूप से समर्थ किया जाएगा। कुछ अलग-अलग परियोजनाओं की सफलता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में छोटे और सीमांत कृषकों के हित के लिए एकीकृत खेती प्रणाली और धारणीय कृषि समन्वित कार्यक्रमों को

शुरू करने का प्रस्ताव है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से 10 विभिन्न कृषि जलवायु वाली जगहों पर निरंतर पेयजल की प्राप्ति के लिए जल, स्वास्थ्य और सफाई पर एक समन्वित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पूर्वी तटीय क्षेत्र (उड़ीसा) और आन्ध्र प्रदेश के तूफान प्रवण क्षेत्र में दो और महिला प्रौद्योगिकी पार्क ; तथा कुछ और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर-पूर्व में स्थापित किए जाएंगे। गढ़वाल हिमालय में मत्स्यपालन पर एक समन्वित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टी.आई.एफ.ए.सी., विज्ञान प्रसार और एन.ए.बी.एल. व्यावसायिक निकायों सहित अपने विभिन्न स्वायत्त अनुसन्धान संस्थानों को मदद देना जारी रखेगा। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य गतिविधियां होंगी: डापलर रडार लगाकर तूफान का पता लगाने को सुदृढ़ करने के साथ-साथ मौसम पूर्वानुमान के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करना ।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

2000-2001 में मुख्य उपलब्धियां

15. मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुशल मानव संसाधन सृजित करने हेतु 6 नए स्नातकोत्तर जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं : युवा वैज्ञानिकों के आजीविका विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय जैव-विज्ञान पुरस्कार और तीन राष्ट्रीय महिला जैव-वैज्ञानिक पुरस्कार ; जी.एन. रामचन्द्रन पीठ की स्थापना और यूनेस्को जैव प्रौद्योगिकी पीठ पुरस्कार भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर द्वारा शुरू किए गए हैं। आयुर्विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कार्यक्षेत्रों में मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं : कोढ़ के रोगियों के उपयोग के लिए गैर-सरकारी संगठनों और कुछ अस्पतालों के माध्यम से इम्यूनोमोड्युलेर, 'लेपरोवेक' की 1.3 लाख खुराकों (डोज़) की आपूर्ति ; प्रमुख अस्पतालों और क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा डेंगू वायरस संक्रमण की जाँच के लिए एम.ए.सी.-ई.एल.आई.एस.ए. प्रणाली का नियमित प्रयोग ; मैसर्स भारत बायोटेक लि., हैदराबाद, को हैपटीटिस ए संक्रमण की पहचान के लिए एम.ए.सी.-ई.एल.आई.एस.ए. प्रणाली की तकनीकों का हस्तान्तरण।

16. राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड (एन.बी.डी.बी.) की स्थापना आधुनिक जीव विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के लिए जैव संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य से की गई थी। कई प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय चावल जीनोम की कालावली कार्यक्रम के एक भाग हेतु भारत में चावल जीनोम कालावली की शुरुआत, अंतर्देशीय विभाग और मेघालय राज्य जैव चित्रण द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर-पूर्व में जैव संभावना का सफलतापूर्वक पता लगाया गया ; वायरस जाँच और उत्तक संवर्धन से तैयार पौधों के गुणवत्ता नियंत्रण की एक राष्ट्रीय सुविधा जिससे उत्तक संवर्धित पौधों के औद्योगिक उत्पादन के लिए पादप सामग्री का प्रमाणीकरण ; पारजीनी परीक्षण के लिए एन.बी.पी.जी.आर., दिल्ली में एक पारजीनी समावेशन सुविधा स्थापित की गई है ; सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़ में विद्यमान सूक्ष्मजीवी किस्म संवर्धन एकत्र करने की सुविधा का उन्नयन करके सूक्ष्मजीवियों के एक अंतरराष्ट्रीय निक्षेप प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

17. पर्यावरणीय जैव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत जैवोपयोगी और सल्फर हटाने की तकनीकों को पा लिया गया है और उद्योग को स्थानांतरित कर दिया गया है। खदानों के गड्ढों के परिस्थिति-विज्ञान का पुनरुद्धार पेट्रोलियम कीचड़ और फँसे तेल के सूक्ष्मजीवी उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट उपचार का फोटो उपचार का मानकीकरण कर लिया गया और उसे उद्योग को हस्तांतरित कर दिया गया। उत्तक संवर्धन, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशियों तथा खाद्य विकास की तकनीक को भी व्यावसायिक प्रयोग हेतु उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

वर्ष 2001-2002 के लिए मुख्य कार्यक्रम

18. मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को साथ लेते हुए स्नातकोत्तर तथा पोस्ट-डाक्टोरल पाठ्यक्रमों को सहायता दी जाती रहेगी, रिसर्पोजीटरीज और जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाओं का समेकन और उन्हें जारी रखने हेतु पुनरावलोकन किया जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर ; सी.सी.एम.बी., हैदराबाद ; राजीव गाँधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को कार्यक्रम सहायता/समर्थन जारी रहेगा। जी.एम. खाद्य के विषयवैज्ञानिक मूल्यांकन पर नेटवर्क कार्यक्रम और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए प्रमाणीकरण का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित मुख्य पहलों में शामिल हैं : प्रमुख फसलों तथा जैव सफाई अभिकारकों के लिए डी.एन.ए. आधारित वैक्सीन का विकास और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना ; गेहूँ जीनोम कार्यक्रम के लिए ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीवी टीके का विकास, उत्तक संवर्धन के माध्यम से चाय, मसाले, सेब, जूट जैसी फसलों में सुधार ; भैंस जीनोमिक्स के विविध आयामों पर अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम आदि ।

19. चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य बल इस पर होगा कि बड़ी संख्या में परीक्षण पद्धति के प्रारूपों को उचित उद्योगों को उन्नत करने तथा व्यावसायीकरण के लिए हस्तांतरित किया जाए; वंश कोशिका जीव विज्ञान और मुख के कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं; जी.ई.एन.-एन.ई.टी. इंडिया की स्थापना करना, देश में प्रचलित अनुवांशिक विकारों के उपचार, नियंत्रण और देखभाल के साथ-साथ जीन पहचान/नैदानिक के लिए जीनोमिक्स में जैवमिचप्स और मानव जीनोम विविधता के लेखन कार्यक्रमों का विकास ; कीटनाशियों का जैव उपचार और स्टील धातुमल उपचार पर नेटवर्क कार्यक्रम ; पूर्वोत्तर खेत्र के लिए जैव विविधता संरक्षण के अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों का समन्वयन आदि ।

20. राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड के अंतर्गत भारत के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। दवा के सूत्र के विकास में नयी जड़ी-बूटियों की अन्य मंत्रालय और विभागों, जो औषधीय वनस्पति का संरक्षण करते हैं और जैव भण्डारों का पता लगाते हैं, के साथ एक विशेष समन्वित कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में पेटेंट करवाने और जैव सुरक्षा मुद्दों पर जागरूकता के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्नत सस्य विज्ञान और कीटनाशी तथा विकास प्रतिरोधी क्षमता वाले पारजीनीय पौधों के पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन करने वाली परियोजनायें शुरू की जायेंगी।

वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद सहित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान विभाग

2000-01 में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

21. सी.एस.आई.आर. विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान और विकास निरंतर सहायता देता आ रहा है। इसकी मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं नयी योजना (सी.पी.वाई.एल.एस.) की शुरुआत, युवाओं को आकर्षित करने तथा विज्ञान में नेतृत्व करने के लिए तैयार करने हेतु, नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) के आश्वासन के माध्यम से भारत के लिए सार्वभौमिक नेतृत्व दृष्टिकोण, जो प्रौद्योगिकी पर आधारित हो और एन.टी.ए.एफ. को प्राप्त करना चाहता है पवन सुरंग सुविधाओं को मजबूत करने के लिए। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गईं : स्वास्थ्य-रक्षा उत्पादों, जैसे कि रेडियो औषधीय ; जड़ी-बूटी सूत्र बनाना ; तेजी से बढ़ने वाले पुदीने की किस्म का विकास ; एक महत्वपूर्ण भारतीय औषध वनस्पति अश्वगंधा की एक नई प्रवृत्ति ; सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करते हुए निओलाईट के संश्लेषण की एक प्रक्रिया ; निकल आधारित एक नया उत्प्रेरक ; बार-बार होने वाले मलेरिया के उपचार के लिए व्यापारिक नाम एबलाक्विन से एक नयी दवा ; बार-बार आने वाले भूकंप और तीव्र वेग के बीच नाजुक संबंधों को उजागर करने हेतु त्रि-आयामी भूकंप प्रतिदर्श ; अप्राप्य किस्म की कोयला भट्टियों से लकड़ी कोयला का उत्पादन ; लुगदी और कागज मिलों के व्यर्थ लिगनिन का उपयोग, फिनौल फारमल्डिहाइड राल पाउडर उत्पादन का एक नया तरीका, जिसे बेकलाईट प्लास्टिक और वेनिलिन जिसका प्रयोग केक और आईसक्रीम उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है ; एक कम लागत वाली और त्वरित प्रतिक्रिया वाली पौलिमैरिक महील फिल्म संवेदक भोजन में सूक्ष्मजीवियों की उपस्थिति तथा खदान में जहरीले गैसों का पता लगाने हेतु, ताजा अदरक से सीधे ही अदरक का तेल निकालने की एक प्रक्रिया, एक कम लागत वाली सरल तकनीक नारियल सिरका उत्पादन के लिए जिस खाद्य पदार्थ संरक्षण और स्वाद कारक के रूप में उपयोग किया जाता है इसे परिपक्व नारियल पानी में सिरका उत्पादकों का प्रयोग करके लिया जाता है ; 1 टन/घंटा क्षमता के मक्के को सुखाने वाली प्रायोगिक मक्का मिल ; कवक संबंधी प्रतिरक्षी का प्रयोग, चमड़ा संसाधन उद्योग से भिगोने बाल निकालने की एक नयी प्रक्रिया, एक कम लागत वाली चलते पानी को साफ करने की व्यवस्था ; लागत प्रभावी और हस्तचालित जल शोधक।

22. डी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं : उद्योग में आंतरिक अनुसन्धान और विकास पर 14 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ; 61 नयी आंतरिक अनुसन्धान और विकास इकाइयों और 26 नई वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठनों (एस.आई.आर.ओ.ज.) को मान्यता देना ; प्रौद्योगिकी विकास व प्रदर्शन के लिए 21 नई परियोजनाओं के लिए सहयोग तथा प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता उन्मुख कार्यक्रम (पी.ए.टी.एस.ई.आर.) के अन्तर्गत 15 प्रौद्योगिकियों को आत्मसात किया जाना और विकास परियोजनाओं का पूरा किया जाना। योजना के अंतर्गत की गई मुख्य गतिविधियाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रभावकारिता में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु तकनीक सामग्री डालने और तकनीक उपलब्ध करवाने से संबंधित थी ; तकनीकों और सेवाओं के

निर्यात में तेजी लाना, तकनीक हस्तांतरण के लिए परामर्श क्षमताओं और रचना-तंत्र को समर्थन में वृद्धि करना। प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत वैयक्तिक नवकर्ताओं की 12 परियोजनाओं को सहायता दी गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय आसूचना प्रणाली (एन.आई.एस.एस.ए.टी.) योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आसूचना केन्द्रों के विकास एवं रख-रखाव, महत्वपूर्ण पेटेंट आसूचना प्रणालियां, संसाधन आदान-प्रदान हेतु पुस्तकालय नेटवर्क, उद्यमों को सूचना सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को लिया गया। सिलिकन और सेल्स, माइक्रोवेव/मिलिमीटर डाइलैक्ट्रिक रेजोनेटर ऑसिलेटर का डिजाइन और विकास जैसे बड़े क्षेत्रों की प्रक्रिया विकास से संबंधित परियोजनाएं सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि. (सी.ई.एल.) से ली गई।

वर्ष 2001-02 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

23. प्रमुख गतिविधियां जिन पर बल दिया जाएगा में निम्नलिखित शामिल हैं : बहुउद्देशीय हल्का परिवहन वायुयान के नमूने की विकसित उड़ान परीक्षा ; राष्ट्रीय ट्राइसोनिक वायुगतिकी सुविधाओं में वृद्धि ; आसूचना उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास के लिए एकक चालू करना ; सक्रिय जैव अणुओं का विकास और व्यावसायीकरण ; आपसी मान्यता व्यवस्था/बाध्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तरों और सर्वोच्च व्यासमापन सुविधाओं को उँचा करना। इसके अलावा, हंस वायुयान के विस्तारित रूप के उत्पादन हेतु ; जीनोमिक्स और आण्विक औषधियों पर अनुसन्धान एवं विकास गतिविधियाँ ; संरक्षण ; वाणिज्यिक महत्व वाले औषधीय वनस्पतियों के अनुवांशिक संसाधनों के जैव-लक्षण जाने और उपलब्ध करवाने ; औषधीय और सुगंधित वनस्पति की जारी किस्मों और उच्च जीनोटाइप के डी.एन.ए. की जाँच ; आर्थिक वनस्पति का उत्तक संवर्धन ; उत्प्रेरण के आधारभूत और अनुप्रयुक्त लक्षणों पर अध्ययन ; पर्यावरण उत्प्रेरकों और उत्प्रेरक प्रक्रियाएं, कृषि रसायनों का विकास और बिना रासायनिक खाद से उत्पन्न अन्न का विकास ; उर्वरता विरोधी/उर्वरता-उन्मूलन, फिलेरेसिस, मलेरिया, लाइशमेनिएसिस, हृदय संबंधी, केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली और अन्य विकारों से संबंधित अनुसन्धान कार्य ; भारत की महाद्वीपीय सीमा के साथ मिथेन और गैस हाईड्रेट, हाईड्रो-कार्बन और कोयले का पता लगाना ; खनिज खोज और इंजीनियरी भू-भौतिकी ; खोज ; भूमि के नीचे जल संसाधनों को आंकना व प्रबंधन, भूकंप समस्याओं का मूल्यांकन ; परिवहन और औद्योगिक अनुप्रयोगों हेतु चतुर निदान और नियंत्रण प्रणाली के लिए अनुसन्धान एवं विकास ; कृषि; कृषि आधारित और संसाधन उद्योगों के लिए कुशल उपकरणों का प्रयोग और नियंत्रण ; और जैव तकनीकी प्रक्रिया आदि के संप्रेषण और विकास हेतु श्रव्य और वाक् संसाधन, पर जोर दिया जाएगा।

24. डी.एम.आई.आर. की चल रही गतिविधियाँ भी जारी रहेंगी जिनमें शामिल हैं : उद्योग में आंतरिक अनुसन्धान एवं विकास पर 15 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ; टी.ई.पी.पी. कार्यक्रम की सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ पाटसर योजना के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं को सहयोग ।

समुद्र विकास विभाग

2000-01 की मुख्य उपलब्धियाँ

25. ध्रुवीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन अनुसन्धान के लिए 30 दिसम्बर 2000 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका से 20 वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल अंटार्कटिका को भेजा गया। अंटार्कटिक और समुद्र अनुसन्धान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.), गोवा के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। समुद्री जीव संसाधन कार्यक्रम के मूल्यांकन के अंतर्गत पांच समुद्री यात्राएं की गईं और मिलीजुली गहरी परत (एम.एल.डी.) तथा प्रस्तुत ताप प्रवाह के संबंध में आंकड़े लिए गए, अन्य प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं : रसायनिक प्राप्ति और मूल्यांकन के लिए नई समुद्री वनस्पति का पता लगाना और एकत्र करना ; डायबिटी विरोधी और डायरिया विरोधी दवाओं के सक्रिय मानक तैयार करने के लिए लम्बी अवधि के संतुलित अध्ययन की शुरुआत, समुद्री जैव-पदार्थों से दवाओं के विकास के क्रम के दूसरे कदम को जारी रखना। बहुधातु नोड्यूलस कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई गतिविधियों में शामिल हैं - ग्रैव सैम्पलर का प्रयोग करते हुए 5 मि.मी. ग्रिड पर स्थल छायांकन के साथ नोड्यूलस का स्थल नमूना लेना, प्रचुरता का मूल्यांकन करने के लिए और पिछले मूल्यांकन को पुनर्वैधता देने हेतु; अग्रगामी क्षेत्रों में भू-सांख्यिकी संसाधन मूल्यांकन अद्यतन करना और अग्रगामी क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त छोड़ने की सिफारिश करना ; समुद्रतल की निगरानी करके तलीय जैवों के पुनः बसने का अध्ययन ; जल में 250 मी. गहराई पर सी.एम.ई.आर.आई. द्वारा विकसित आर.ओ.वी. के उन्नत मॉडल का परीक्षण; 6000 मीटर गहराई तक काम करने वाले बिना व्यक्ति के पानी के भीतर जाने वाले यान के डिजाइन का विकास और परीक्षण के लिए संयुक्त सहयोगी कार्यक्रम की स्थापना ; 500 कि.ग्रा./प्रतिदिन नोड्यूलस क्षमता वाला प्रदर्शन प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करना ; बंगाल की खाड़ी के भागों में बैथीमीट्रिक अध्ययन, समुद्र तटीय निगरानी और भविष्यवाणी प्रणाली, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन कार्यक्रम को संशोधित किया गया और प्रदूषण निगरानी ; जनसंपर्क ; नियामक और विनियामक तथा परामर्श सेवाओं जैसे घटकों को शामिल किया गया। विभिन्न यंत्रों, जैसे कि वेग मीटर, तैरते बोय आदि लगाकर विशेषतः आई.आर.एस.-पी 4 उपग्रह आंकड़ों को वैधता देते हुए समुद्र अनुवीक्षण और आसूचना सेवा (0015) कार्यक्रम को मजबूत किया गया।

26. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित से संबंधित थी : तूतीकोरन तट से परे समुद्र में 1 मेगावाट के तैरते बैकवर्ड बैन्ट डक्टड बोय सिद्धान्त पर आधारित नोचालक बोय का डिजाइन बनाना, रूपरेखा तैयार करना और उसे स्थापित करना ; 6000 मी. की गहराई पर पौलीमैटेलिक माड्यूलस की प्रायोगिक खुदाई के लिए परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई ; खाम्बात खाड़ी के आर-पार समुद्र के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए भू-तकनीकी और जल-सर्वेक्षण किए गए।

वर्ष 2001-2002 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

27. 21 वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए जाएगा। अंटार्कटिक और समुद्र अनुसन्धान राष्ट्रीय केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.), गोवा में प्रयोगशाला भवन का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा। मुख्य बल महाद्वीपीय सैल्फ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने पर होगा जिसके अंतर्गत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के भूकंप के आंकड़ों को विभिन्न संस्थानों की सहभागिता से प्राप्त करने, संसाधित करने और विश्लेषण करने की पहल की जाएगी। समुद्र से औषधि कार्यक्रम के अंतर्गत डायबिटीज विरोधी और डायरिया विरोधी तथा हाईपोलीपीडेमिक कारकों का विश्लेषणात्मक परीक्षण शुरू किया जाएगा।

28. बहुघात नोड्यूलस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही गतिविधियाँ जारी रहेंगी और 6000 मी. गहराई पर 25000 टन/वर्ष नोड्यूलस क्षमता वाले समेकित खदान परिसर के विकास ; 6000 मी. गहराई पर कार्य हेतु उथले तल खदान प्रणाली के विकास, 500 कि.ग्रा./दिन क्षमता वाले प्रदर्शन प्रायोगिक संयंत्र को चालू करने, धातुओं को निकालने संबंधी गतिविधियाँ जारी रहेंगी। समुद्र तटीय निगरानी और स्थानिक स्तर पर अध्ययन, प्रदूषण पदार्थों के स्रोतों की पहचान, 12 चयनित प्रमुख स्थलों पर गहन निगरानी आदि जिससे समुद्र की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके, इसके लिए पूर्वी और पश्चिमी तट पर सी.आर.वी. सागर, पूर्वी और पश्चिमी सागर का उपयोग प्रदूषण निगरानी के लिए जारी रखा जाएगा। समुद्र अनुवीक्षण और आसूना सेवाओं (ओ.ओ.आई.एस.) के अंतर्गत गतिविधियों में शामिल होगा ; हिन्द महासागर में तैरते बौया लगाया और प्राप्त आंकड़ों का संकलन; हिन्द महासागर की भूमध्य रेखा पर वेग मीटर की लड़ी लगाना और सुधार करना ; विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयोगकर्ताओं के समुद्री आंकड़ों और समुद्री उत्पादों के प्रभावी प्रसार के लिए आसूचना बैंक और समुद्र वेब सेवा को चालू करना ; पी.एफ.जैड. भविष्यवाणी निर्माण व प्रसार आदि । समुद्री अनुसन्धान और क्षमता निर्माण संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे और आवश्यक उपकरणों तथा अवसंरचना के साथ ओ.एम.टी.सी.एम. को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ 20 नई फैलोशिप भी शुरू की जाएंगी।

29. राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान इन क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम जारी रखेगा: समुद्र से ऊर्जा, गहरे सागर में खदान तकनीकें, 1 मेगावाट के ओ.टी.ई.सी. संयंत्र पर गतिविधियों और प्रयोग स्तर पर प्रदर्शन की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने सहित तटीय पर्यावरण इंजीनियरी और समुद्री औजार तैयार करना ; विजिंजम में समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र चालू करने ; द्वीपों में ओ.टी.ई.सी. संयंत्र की व्यवहारिकता पर रिपोर्ट ; 6000 मीटर पानी के नीचे भारतीय नोड्यूल खदान स्थल की मिट्टी के गुणधर्म की जाँच आदि ।

30. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योजना परिव्यय/खर्च का विवरण संलग्नक 11.1 और 11.2 में दिया गया है।

संलग्नक 11.1

राज्य योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिव्यय/व्यय

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बजट अनुमान 2000-01	संशोधित अनुमान 2000-01
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	56.22	#
2.	अरुणाचल प्रदेश	223.07	223.07
3.	असम	60.00	#
4.	बिहार	300.00	191.00
5.	गोवा	65.00	65.00
6.	गुजरात	13075.00\$	12000.00\$
7.	हरियाणा	150.00	150.00
8.	हिमाचल प्रदेश	146.00	#
9.	जम्मू और कश्मीर	74.37	#
10.	कर्नाटक	170.00	#
11.	केरल	1885.00*	1900.00*
12.	मध्य प्रदेश	162.00	#
13.	महाराष्ट्र	181.30	181.30
14.	मणिपुर	75.00	226.00@
15.	मेघालय	93.00	93.00
16.	मिज़ोरम	90.00	90.00
17.	नागालैण्ड	17.00	37.00
18.	उड़ीसा	215.68	200.76
19.	पंजाब	138.70	#
20.	राजस्थान	100.00	#
21.	सिक्किम	70.00	#
22.	तमिलनाडु	219.23	231.63
23.	त्रिपुरा	27.81	31.81
24.	उत्तर प्रदेश	462.00	400.00
25.	पश्चिम बंगाल	3237.00	#
	कुल राज्य	21293.38	
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	20.00	#

2.	चंडीगढ़	18.00	#
3.	दादरा और नगर हवेली	6.00	#
4.	दिल्ली	250.00	#
5.	दमन और दीव	22.00	#
6.	लक्षद्वीप	35.57	30.91
7.	पान्डिचेरी	35.00	25.55
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	386.57	
	महायोग	21679.95	

* पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सहित

\$ सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा विभाग हेतु परिव्यय सहित

@ कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 155 लाख रूपए सहित और और 10लाख रूपए मारसाक

आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

संलग्नक 11.2

वैज्ञानिक विभागों के अन्तर्गत योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं	विभाग	वास्तविक 1999- 2000	बजट अनुमान 2000-01	संशोधित अनुमान 2000-01	बजट अनुमान 2001-02
1	2	3	4	5	6
1	परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसन्धान एवं विकास)	320.99	420.00	415.27	459.00
2.	समुद्र विकास विभाग (आई. एवं एम. सहित)	83.16	135.00	86.18	142.00
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	272.37*	362.00**	351.26*	410.00
4.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (आई. एवं एम.सहित)	116.46	125.00	140.00	175.00
5.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (आई. एवं एम.सहित)	270.98	355.00	327.48	360.00
	(i) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद	249.73	328.00	303.00	332.00
	(ii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग (आई. एवं एम.सहित)	21.25	27.00	24.48	28.00
6.	अंतरिक्ष विभाग	1424.23	1700.00	1600.00	1710.00
	योग	2488.19	3097.00	2920.19	3256.00

* पूँजीगत कार्य शामिल नहीं हैं।

** पूँजीगत कार्य शामिल हैं।